

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-संख्या—१३२

# धर्मशास्त्र का इतिहास

तृतीय भाग


(पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्यकर्म, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थ प्रकरण)

मूल लेखक

भारत-रत्न, महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरङ्ग वामन काणे

अनुवादक

अर्जुन घोषे काश्यप



उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान  
(हिन्दी समिति प्रभाग)

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन हिन्दी भवन  
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



प्रकाशक-

राम सहाय लाल श्रीवास्तव

निदेशक

उ० प्र० हिन्दी संस्थान

लखनऊ

प्रथम संस्करण १९६६

द्वितीय संस्करण १९७५

तृतीय संस्करण १९९४

प्रतियाँ - ११००

मूल्य :- १९०=०० रु० मात्र

© उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

मुद्रक :-

स्वास्तिक प्रिंटिंग प्रेस

२७, माई की बगिया, बडा चौदगंज

लखनऊ

## प्रकाशकीय

“धर्मशास्त्र का इतिहास” शीर्षक ग्रन्थ भारतरत्न महामहोपाध्याय डॉ० वामन पाण्डुरंग काणे की महार्घ संदर्भ कृति “हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र” का श्री अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा किया गया आधिकारिक हिन्दी अनुवाद है जिसे संस्थान द्वारा पाँच भागों में प्रकाशित किया गया है।

102300

इस पुस्तक में वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का सम्यक् निरूपण है। पाँच भागों में संकलित एवं प्रस्थापित धर्म का अर्थ, धर्म शास्त्रों का परिचय, वर्ण, आश्रम, संस्कार, दान, प्रतिष्ठा, श्रोत-यज्ञादि, राजधर्म, व्यवहार, सदाचार, अंत्येष्टि, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध, तीर्थ-यात्रा, व्रत, उत्सव तथा तंत्र-मंत्र आदि के विवेचन के रूप में हिन्दू धर्म का ऐसा ग्रन्थ दुर्लभ है, जिसमें हमें अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और नियामक सूत्रों का संदेश भी प्राप्त होता है।

मूल मराठी से हिन्दी में अनुवादित होने से यह ग्रन्थ और भी लाभप्रद हो गया है। हमें विश्वास है कि पूर्व की भोति ग्रंथ के तृतीय संस्करण का भी पूर्ण स्वागत और समादर होगा।

राम सहाय लाल श्रीवास्तव  
निदेशक



" 'धर्मशास्त्र का इतिहास' के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु कार्यान्वयन होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर प्रस्तुत किया था, उसी के अनुरूप एक ही खण्ड में दबे हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुझे असंभव-सा लगा। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाना अब सम्भव न था। अतः मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षों तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण हैं— पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा।

नृशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ़ैलर के 'गोल्डेन बाऊ' की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिपाटियों एवं सत्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से सवरण किया और यह भी दो विसिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था, और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य सभ्यताओं की तत्कालीन परम्पराओं से करना प्रामाण्यपूर्ण होगा। फ़ैलर ने अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था, जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च घबल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में आज भी ये परम्पराएँ अदृश्य बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस कक्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में अभागिनी वृद्धाओं को धुँदेल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था, जब कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पणों का सामान्य दण्ड निर्धारित किया था।

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा सांस्कारगत विश्वासों से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वर्तमान के सम्बन्ध तथा सामाज्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।"

“... अब मैं कृतज्ञता-ज्ञापन का पावन कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूँ। अन्य सभ्यों की भाँति इस सण्ड में भी ब्लूमफील्ड के 'वैदिक कान्कार्बेन्स', मैकडॉनल एव कीय के 'वैदिक इण्डेक्स' तथा सिबरेड बुक्स ऑफ़ डि ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वार्ड के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पत्रप्रदसक रहे हैं और शंकाओं एवं कठिनाइयों का स्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सर्वथ ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता करने के लिए मैं भण्डारकर, इन्ड्रीट्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावरी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के मुद्रित अशों को पढ़ने एवं बहुमूल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुटन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हार्डकोर्ट तथा लोणावाला के तर्कतीय रघुनाथ शास्त्री कौकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ।

प्रस्तुत सण्ड के लेखन-काल के छः वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से मैं लाभान्वित हुआ हूँ, उन सभी का नामोल्लेख यहाँ समभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है—प्रो० के० बी० रगस्वामी आयगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयगर, डा० ए० एस० अल्लेकर, डा० एस० के० बेलवेत्कर, प्रो० जी० एच० भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचार्य, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्कात्कर, डा० जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तर्कतीय लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य खुपेरकर, डा० उमेश मिश्र, डा० वी० रायवन, प्रो० एल० रेनु, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस सण्ड के तैयार करने में इन विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो शक्ति दिलायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों की कृपादृष्टि के पश्चात् भी इस सण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। असह्य उद्धरणों एव मदभों से भरे हुए प्रस्तुत सण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता हूँ। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ। . . .”

बम्बई

—पाण्डुरंग बामन काणे

१०-१०-१९५३

# विषय-सूची

चतुर्थ खण्ड

अध्याय	विषय			पृ०
	पातक			
१.	पातक (पाप)			
	पञ्च महापातक	..	..	१०१५
	उपपातक	..	..	१०२३
	प्रकीर्णक पातक	..	..	१०३०
२.	पाप-फलों को कम करने के साधन	..	..	१०३२
	प्रायश्चित्त	..	..	१०३५
३.	प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ			
४.	विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त	..	..	१०४३
५.	प्रायश्चित्तों के नाम	..	..	१०५७
	कर्मविपाक	..	..	१०८१
६.	प्रायश्चित्त न करने के परिणाम			
	अन्त्यकर्म	..	..	१०९६
७.	अन्त्येष्टि			
	मृत का श्मशान (समाधि, स्तूप)	..	..	१११०
	अशौच, शुद्धि, श्राद्ध	..	..	११४५
८.	शुद्धि			
९.	श्राद्ध	..	..	११५७
	श्राद्धों का वर्गीकरण	..	..	११९६
	पार्वण श्राद्ध	..	..	१२२१
	एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध	..	..	१२४६
	महालय श्राद्ध	..	..	१२७८
	वृषोत्सव	..	..	१२८७
		..	..	१२९१

( तीर्थप्रकरण )

११. तीर्थयात्रा	..	..	१२९९
१२. गंगा	..	..	१३२०
प्रयाग	..	..	१३२६
१३. काशी	..	..	१३३९
१४. गया	..	..	१३५१
१५. कुम्होत्र	..	..	१३७२
मथुरा	..	..	१३७६
जगन्नाथ	..	..	१३७९
नर्मदा	..	..	१३८६
गोदावरी	..	..	१३८९
काशी (कांजीवरम्)	..	..	१३९१
पठरपुर	..	..	१३५२
१६. तीर्थ-सूची ..	..	..	१३९६
परिशिष्ट			
धर्मशास्त्रीयं ग्रन्थ-तालिका	..	..	१५०८

## उद्धरण-संकेत

अग्नि०=अग्निपुराण  
 अ० वे० या अथर्व०=अथर्ववेद  
 अनु० या अनुशासन०=अनुशासन पर्व  
 अन्वेषि०=नारामण की अन्वेषिष्टपद्धति  
 अ० क० दी०=अन्वयकर्मदीपक  
 अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र  
 आ० गृ० सू० या आपस्तम्बगृह्यसूत्र  
 आ० थ० सू० या आपस्तम्बधर्म०=आपस्तम्बधर्मसूत्र  
 आप० म० पा० या आपस्तम्बम०=आपस्तम्ब मन्त्रपाठ  
 आ० शी० सू० या आपस्तम्बश्री०=आपस्तम्बश्रीतसूत्र  
 आश्व० गृ० सू० या आश्वलायनगृ०=आश्वलायनगृह्यसूत्र  
 आश्व० गृ० प० या आश्वलायनगृ० प०=आश्वलायन-  
 गृह्यपरिशिष्ट  
 ऋ० या ऋग्वे०=ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता  
 ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक  
 ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण  
 क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्  
 कलिद्वय्य०=कलिद्वय्यविनिर्णय  
 कल्प० या कल्पतरु, क० क०=कल्पीघर का कृतकल्पतरु  
 कात्या० स्मृ० सा०=कात्यायन स्मृतिसारोद्धार  
 का० शी० सू० या कात्यायनश्री०=कात्यायनश्रीतसूत्र  
 काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार  
 की० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र  
 को०=कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० घाम शास्त्री का  
 संस्करण)  
 कौ० ब्रा० उप० या कौपीतिक्रिा०=कौपीतिक ब्राह्मण-  
 उपनिषद्  
 ग० म० या गंगाम० या गंगामर्मस्त०=गंगामन्त्रितरविणी  
 गगावा० या गगावाक्या०=गगावाक्यावली  
 गरुड०=गरुडपुराण

गृ० र० या गृह्यसू०=गृह्यसूत्र  
 गी० या गी० य० सू० या गीतमयर्म०=गीतमयर्मसूत्र  
 गी० पि० या गीतमपि०=गीतमपितुमेघसूत्र  
 चतुर्वर्ग०=हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि  
 छा० उ० या छा दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्  
 प्रीमृत०=प्रीमृतवाहन  
 जै० या जैमिनि०=जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र  
 जै० उप०=जैमिनीयोपनिषद्  
 जै० न्या० मा०=जैमिनीयन्यायमाहाविस्तर  
 शाण्ड्य०=शाण्ड्यमहाब्राह्मण  
 ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतरु  
 ती० प्र० या तीर्थ प्र०=तीर्थप्रकाश  
 ती० चि० या तीर्थचि०=दायस्वपति की तीर्थचिन्तामणि  
 ती० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक  
 ती० उ० या तैत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्  
 ती० ब्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण  
 ती० स०=तैत्तिरीय संहिता  
 त्रिस्थली०=नारायण मट्ट का त्रिस्थलीसेतु  
 त्रिस्थली० या त्रि० से०=मट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह  
 नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति  
 नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण  
 नीतिदा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत  
 निर्णय० या नि० सि०=निर्णयसिन्धु  
 पद्म०=पद्मपुराण  
 परा० मा०=परमार्माधवीय  
 पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाध्यायी  
 पार० गृ० या पारस्करगृ०=पारस्करगृह्यसूत्र  
 पू० मी० सू० या पूर्वमी०=पूर्वमीमांसासूत्र  
 प्रा० त० या प्राय० तरु०=प्रायश्चित्ततरु

प्रा० प्र०, प्राय० प्र० या प्रायश्चित्त प्र०=प्रायश्चित्तप्रकरण  
 प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकाश=प्रायश्चित्तप्रकाश  
 प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि०=प्रायश्चित्त-  
 विवेक  
 प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायश्चित्तमयूख  
 प्रा० सा० या प्राय० सा०=प्रायश्चित्तसार  
 बृ० सू०=बृहस्पत  
 बृ० या बृहस्पति०=बृहस्पतिस्मृति  
 बृ० उ० या बृह० उप०=बृहदारण्यकोपनिषद्  
 बृ० स० या बृहत् स०=बृहत्संहिता  
 बी० वृ० सू० या बीधायनवृ०=बीधायनगृह्यसूत्र  
 बी० ध० सू० या बीधाय० ध० या बीधायनध०=बीधायन-  
 धर्मसूत्र  
 बी० श्री० सू० या बीधाय० श्री० सू०=बीधायनश्रौतसूत्र  
 ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०=ब्रह्मपुराण  
 ब्रह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण  
 भवि० पु० या भविष्य०=भविष्यपुराण  
 भत्स्य०=भत्स्यपुराण  
 म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात  
 मनु या मनु०=मनुस्मृति  
 मानव० या मानवगृह्य०=मानवगृह्यसूत्र  
 मिता०=मिताक्षरा (विश्वानेश्वर कृत याज्ञवल्क्यस्मृति  
 की टीका)  
 मा० फी० या मीमांसाकौ०=मीमांसाकौस्तुभ  
 (खण्डदेव)  
 मेपा० या मेधातिथि=मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका  
 या मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि  
 मंत्रो० उप०=मंत्रसुपनिषद्  
 मंत्र० स० या मंत्रायणी स०=मंत्रायणी संहिता  
 य० प० स० या यतिघम०=यतिघमसग्रह  
 या०, या याज्ञ०=याज्ञवल्क्यस्मृति  
 राज०=रत्न की राजतरंगिणी  
 रा० ध० कौ० या राजध० कौ०=राजधर्मकौस्तुभ  
 रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मित्र का राजनीति  
 प्रकाश

राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेश्वर का राजनीति  
 रत्नाकर  
 वाज० स० या वाजसनेयोस०=वाजसनेयीसंहिता  
 वायु०=वायुपुराण  
 वि० चि० या विवादिचि०=विवादिचि मित्र की विवादि  
 चिन्तामणि  
 वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर  
 विश्व० या विश्वरूप०=याज्ञवल्क्यस्मृति की विश्व  
 रूपकृत टीका  
 विष्णु०=विष्णुपुराण  
 विष्णु० या वि० ध० सू०=विष्णुधर्मसूत्र  
 वी० मि०=वीरमित्रोदय  
 वै० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मार्तसूत्र  
 व्यव० त० या व्यवहार०=रघुनन्दन का  
 व्यवहारसत्त्व  
 व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिर्णय  
 व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मित्र का व्यवहारप्रकाश  
 व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूख  
 व्य० मा० या व्यवहारमा०=जीमूतवाहन की व्यवहार  
 मातृका  
 व्यव० सा०=व्यवहारसार  
 श० ब्रा० या शतपथब्रा०=शतपथब्राह्मण  
 शातातप०=शातातपस्मृति  
 शां० गृ० या शाखायनगृ०=शाखायनगृह्यसूत्र  
 शा० ब्रा० या शाखायनब्रा०=शाखायनब्राह्मण  
 शा० श्री० सू० या शाखायनश्रौत०=शाखायनश्रौतसूत्र  
 शान्ति०=शान्तिपत्र  
 शुन० या शुक्नीति०=शुक्नीतिसार  
 शुद्धम०-शुद्धमलावर  
 शु० कौ० या शुद्धिकौ०=शुद्धिकौमुदी  
 शु० व० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतथ (शुद्धि पर)  
 शु० प्र० या शुद्धिप्र०=शुद्धिप्रकाश  
 धा० क० ल० या धादिकल्प०=धादिकल्पतला  
 धा० नि० कौ० या धादिक्रिया०=धादिक्रिया  
 कीमुदी

था० प्र० या थादप्र० = थादप्रकाश  
 था० वि० या थादवि० = थादविवेक  
 स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ० = सत्यापाठधीतसूत्र  
 स० वि० या सरस्वतीवि० = सरस्वतीविलास  
 सा० ब्रा० या साम० ब्रा० = सामविधान ब्राह्मण  
 स्कन्द० या स्कन्दपु० = स्कन्दपुराण

स्म० च० या स्मृतिच० = स्मृतिचन्द्रिका  
 स्म० भु० या स्मृतिभु० = स्मृतिमुक्ताफल  
 स० कौ० या सस्कारकौ० = सस्कारकौस्तुभ  
 स० प्र० = सस्कारप्रकाश  
 स० र० मा० या सस्कारर० = सस्काररत्नमाला  
 हि० गृ० या हिरण्य० गृ० = हिरण्यकेशिगृहसूत्र

### इंग्लिश नामों के संकेत

- A. G. = ऐं० जि० (ऐंश्येंट जियाग्रफी आव इटिया)  
 Ain A. = आइने अकबरी (अबुल फजल कृत)  
 A I R = आल इण्डिया रिपोर्टर  
 A. S. R. = आर्क्यालाजिवल सर्वे रिपोर्ट्स  
 B B R A S = बाम्बे ब्राच, रायल एशियाटिक सोसाइटी  
 B O R. I = मण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, पुना  
 C I I = कार्पस इस्क्रिप्टान्स इण्डिकेरम्  
 E I. = एशियेटिकिया इण्डिका (एशिय० इंडि०)  
 I A. = इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि०)  
 I O = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन।  
 I H Q = इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली  
 J A O S. = जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी  
 J A. S B = जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल  
 J B O R S = जर्नल आव दि बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी  
 J R A S = जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)  
 S B E = सेन्ट्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित)  
 G O S = गायकवाड ओरियण्टल सीरीज





## प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[ इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विषाराधीन है। ई० पू०=ईसा के पूर्व;

ई० उ०=ईसा के उपरान्त।

४०००—१००० (ई० पू०)

: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के परंपराकालीन भी हो सकती हैं; (कुछ विद्वान् प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।)

८००—५०० (ई० पू०)

: यास्क की रचना निस्त।

८००—४०० (ई० पू०)

: प्रमुल श्रौत सूत्र (यथा—आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, सत्याषाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)।

६००—३०० (ई० पू०)

: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, बसिष्ठ के धर्मसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।

६००—३०० (ई० पू०)

: पाणिनि।

५००—२०० (ई० पू०)

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

५००—२०० (ई० पू०)

: भगवद्गीता।

३०० (ई० पू०)

: पाणिनि के सूत्रों पर धार्तिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन।

३०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास)।

१५० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: पद्मञ्जलि का महाभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।

२०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: मनुस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: याज्ञवल्क्यस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: विष्णुधर्मसूत्र।

१००—४०० (ई० उ०)

: नारदस्मृति।

२००—५०० (ई० उ०)

: बैलानसस्मार्त-सूत्र।

२००—५०० (ई० उ०)

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार धादर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के आसपास)।



- ३००—५०० (ई० उ०) : व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० रंगस्वामी आर्यंगर ने धर्म के बहूत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक-वाङ् ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं।
- ३००—६०० (ई० उ०) : कुछ विद्यमान पुराण, यथा—वायु०, विष्णु०, भार्गव्ये०, मत्स्य०, कूर्म०।
- ४००—६०० (ई० उ०) : कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है)।
- ५००—५५० (ई० उ०) : बराहमिहिर, पञ्चसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक।
- ६००—६५० (ई० उ०) : कादम्बरी एव हर्षचरित के लेखक बाण।
- ६५०—६६६ (ई० उ०) : पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका' व्याख्याकार वामन—त्रयादित्य।
- ६५०—७०० (ई० उ०) : कुमारिल का तन्त्रवातिक।
- ६००—९०० (ई० उ०) : अधिकांश स्मृतियाँ, यथा—पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा—अग्नि०, गृह्य०।
- ७८८—८२० (ई० उ०) : महान् अद्वैतवादी दार्शनिक संकराचार्य।
- ८००—८५० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप।
- ८०५—९०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि।
- ९६६ (ई० उ०) : बराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल।
- १०००—१०५० (ई० उ०) : बहूत से ग्रन्थों के लेखक पारेश्वर भोज।
- १०८०—११०० (ई० उ०) : याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मितासारा के लेखक विशानेश्वर।
- १०८०—११०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज।
- ११००—११३० (ई० उ०) : कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के लेखक लक्ष्मीधर।
- ११००—११५० (ई० उ०) : दामभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक श्रीमूतवाहन।
- ११००—११५० (ई० उ०) : प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मट्ट।
- ११००—११३० (ई० उ०) : अपरार्क, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी।
- १११४—११२३ (ई० उ०) : भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका सीलावली एक अंश है प्रणेता हैं।
- ११२७—११३८ (ई० उ०) : श्रीगणेश देव का भागसोत्कलश या अमिलषितायं चिन्तामणि।
- ११५०—११६० (ई० उ०) : कल्हण की राजतरंगिणी।
- ११५०—११८० (ई० उ०) : हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट।
- ११५०—१२०० (ई० उ०) : श्रीधर का स्मृत्यसंसार।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक।
- ११५०—१३०० (ई० उ०) : गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरत्त
- १२००—१२२५ (ई० उ०) : देवण्य मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका।
- ११७५—१२०० (ई० उ०) : धनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता ह्यामुष।
- १२६०—१२७० (ई० उ०) : हेमाद्रि की अतुर्वर्गचिन्तामणि।



१२००—१३०० (ई० उ०)  
 १२७५—१३१० (ई० उ०)  
 १३००—१३७० (ई० उ०)  
 १३००—१३८० (ई० उ०)  
 १३००—१३८० (ई० उ०)  
 १३६०—१३९० (ई० उ०)  
 १३६०—१४४८ (ई० उ०)  
 १३७५—१४४० (ई० उ०)  
 १३७५—१५०० (ई० उ०)  
 १४००—१५०० (ई० उ०)  
 १४००—१४५० (ई० उ०)  
 १४००—१४५० (ई० उ०)  
 १४२५—१४६० (ई० उ०)  
 १४२५—१४९० (ई० उ०)  
 १४५०—१५०० (ई० उ०)  
 १४९०—१५१२ (ई० उ०)  
 १४९०—१५१५ (ई० उ०)  
 १५००—१५२५ (ई० उ०)  
 १५००—१५४० (ई० उ०)  
 १५१३—१५८० (ई० उ०)  
 १५२०—१५७५ (ई० उ०)  
 १५२०—१५८९ (ई० उ०)  
 १५६०—१६२० (ई० उ०)

वरदराज का व्यवहारनिर्णय ।

- : पितृमक्ति समयप्रदीप एव अन्य ग्रन्थों के रचयिता श्रीमन्मन्त्रि-  
 : गृहस्थरत्नाकर, विवाहरत्नाकर, कियारत्नाकर ~~समय~~ के रचयिता  
 चण्डेश्वर ।
- . वैदिक संहिताओं एव शास्त्रों के भाष्यों के संप्रह्वर्त्ता सायण ।
- . पराशरस्मृति की टीका पराशरभाषवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एव  
 सायण के भाई भाषवाचार्य ।
- मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एव महाशंभवप्रकाश  
 सगृहीत किये गये ।
- : गगादाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एव मरण की  
 तिथियाँ । देखिए इन्डियन ऐस्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ  
 देवसिंह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसयी नामक ग्रामदान  
 के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (मया—  
 शक १३२१, सवत् १४५५, ल० स० २८३ एवं सन् ८०७) ।
- . याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गात्मविवेक एव  
 अन्य ग्रन्थों के लेखक झूलपाणि ।
- : विशाल निबन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (षाड, व्यवहार आदि के प्रकाशों में  
 विभाजित) के लेखक एव नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र ।
- : तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायमुखा ।
- : मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र ।
- : मदनसिंह देव द्वारा सगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न ।
- : शुद्धिविवेक, श्राद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर ।
- : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति ।
- : दण्डविवेक, गगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान ।
- : दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है ।
- : दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग हैं—आद्वसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्त-  
 सार आदि ।
- : प्रतापछन्देव राजा के संरक्षण में सगृहीत सरस्वतीविलास ।
- : शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता शोबिन्दानन्द ।
- : प्रयोगरत्न, अन्वयेन्टिपद्धति, निस्पृहीसेतु के लेखक नारायण मठ ।
- : श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि के लेखक  
 रघुनन्दन ।
- : टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त,  
 कर्मविपाक एव अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे ।
- : द्वैतनिर्णय या धर्मद्वैतनिर्णय के लेखक शंकर मठ ।

- १५९०—१६३० (ई० उ०) : वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), आद्यकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं दत्ताकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : निर्णयसिन्धु तथा विवादताम्बव, शुद्धकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर भट्ट।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : मित्र मिथ का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश, आद्यप्रकाश आदि।
- १६१०—१६४५ (ई० उ०) : प्रायश्चित्त, शुद्धि, आद्य आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा—नीति-मयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक भीतरकण्ठ।
- १६५०—१६८० (ई० उ०) : राजधर्मकौस्तुभ के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७००—१७४० (ई० उ०) : वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफज।
- १७००—१७५० (ई० उ०) : तीर्थन्दुशेखर, प्रायश्चित्तोन्दुशेखर, आद्येन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट।
- १७९० (ई० उ०) : धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२० (ई० उ०) : मिताक्षर पर 'बालम्हट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्हट्ट।

## चतुर्थ खण्ड

पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशौच,  
शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा

## अध्याय १

### पातक (पाप)

पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे।

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा ऋष है जो ईश्वर या उमने द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है, यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है, अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है।

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उग्मेपगालिनी एवं हृदय-स्पर्शानी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पानव-सम्बन्धी भावना ऋत की धारणा से सुसिद्ध है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संधिपत विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता।

१. आन्तक पूर्व और पश्चिम के जड़त से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 'सिन एण्ड विन्यू साइकोलोजी' पृ० १९ में ब्राबोअर ने लिखा है—'ऐसी धारणा बहुत धर करती चली जा रही है कि ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसकी प्रयास्या के मूल में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है...।' बहुत लोग कहा करते हैं; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है)। प्रत्येक भावनाप्रियों का प्रतिकल है।' इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'किश्चियत डॉक्ट्रिन' नामक अपने लेख में सर आलिवर लॉज (हिम्बर्ट जर्नल, १९०३-४, पृ० ४६६) ने कहा है—'आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं करता, वषों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, क्षाते-पीते जाना है और यदि वह वृद्धिपूर्ण अथवा नास्तमर हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है।' प्राचीन सारत के नास्तिकों में प्रमुख चाविक के अन्वयायी गण कहा करते थे—जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विचरण करना चाहिए (पापद ओवेत् सुखं जीवेत्); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण वृत्वा पूत पिबेत्)। जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस सत्तार में फिर से जीना नहीं होता (भस्मोमृतस्य देहस्य पुनरा-गमन कुतः)।

ऋत के तीन स्वरूप हैं—(१) इसका तात्पर्य है "प्रकृति की गति" या "अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य क्रम", (२) यज्ञ के सदमं में इसका तात्पर्य है "देवताओं को पूजा की सम्यक् एव व्यवस्थित विधि", (३) इसका तीसरा तात्पर्य है "मानव का नैतिक आचरण"। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया है—"ऋत मे पर्याप्त जल (समुद्रीयों एव प्रीतिदान या उपहार) है, ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्कृत्यों (पातकों) का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एव दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों में प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं, इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौरों (सूर्य की किरणों) ऋत के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुईं। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वयं) एव पृथिवी विस्तृत एव गहरे हैं, (ये) दो अति उच्च गौरों (अर्थात् स्वयं एव पृथिवी) ऋत के लिए द्वय (काशाएँ या उपहार) देती हैं।" इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा—ऋग्वेद (२।२।४, १।१०।५।१२, १।१६।५।११; १।१२।५।३; १।१२।३।९, ४।५।११, १।१३।६।२; १।१२।१।४)।

बहुत-से वैदिक देवता ऋत के दिग्पालों, प्रवर्तकों या सारणियों के रूप में वर्णित हैं। मित्र और वह्न ऋत के द्वारा ही विद्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६।३।७), मित्र, वह्न एव अयंमा ऋत के सारणिक कहे गये हैं (८।६६।१२); वे तथा अदिति एव भग ऋत के रक्षक हैं (६।५।१।३)। अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८, ३।१०।२, १०।८।५, १०।११।८।७) और ऋतावान् (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४।८।४, ९।७।३।८) और उसका आश्रयदाता (९।९।७।२।४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१।३) में अदित्यो को ऋतावान् (प्रकृति के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एव ऋतावृष् (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत में जानन्द देनेवाले) कहा गया है और वे अनृत के भयकर विद्वेषी कहे गये हैं।

ऋत एव यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विनिष्ट यज्ञिय वृत्त्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य अर्थ में यज्ञ की मुख्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का चोत्तक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतचित् (ऋत को भली भाँति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्देलित किया गया है, कई मंत्रों में 'ऋतेन, ऋतम्' जैसे शब्द आये हैं (४।३।९; ५।१५।२; ५।६।८।४), जिनमें 'ऋतेन' का सम्भवतः अर्थ है गणित्य वृत्त्यो की सम्यक् गति तथा 'ऋतम्' का अर्थ है विद्व में व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को दशागमित्र (९।७।३।९) पर कँलाया गया ऋत का सूत्र (धृत या धारा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र १।८।४।४, ४।१।१३, १।७।१।३, १०।६।७।२ एव १०।३।७।१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर निर्देश है।

२. ऋतस्य हि दुग्धः सन्ति पूर्वाः ऋतस्य धीतिर्बुजिनानि हृदि ॥ ऋतस्य इसोको बधिरा तददं कर्णा बुधानः सुचमान आयो ॥ ऋतस्य दग्धा धरुगानि सन्ति पुष्णि चन्द्रा वपुषे बर्षुषि ॥ ऋतेन दीर्घमवणन्त पूष ऋतेन गाव ऋत-मार्बिषेभुः ॥ ऋत येमान ऋतमिद्वनोत्सृतस्य दुग्मस्तुरया उ गभ्युः ॥ ऋताय पूषो बहुभे गभीरे ऋताय घेनु परमे बुहते ॥ (ऋ० ४।२३।८-१०)। निरवत ने ऋत का अर्थ 'जल' किया है और उसको व्याख्या निम्न रूप से की है—ऋतस्य प्रजा वर्धनीयानि हन्ति ऋतस्य इसोको बधिरस्यापि कर्णो आनुवति। बधिरः बद्धधोः। कर्णो बोधयन् दीप्यमानश्च आयोः अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदरस्य वा।

नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद (१।१०।६, मधु चाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव) में आया है, हवाएँ मधु (मिठास) डोती हैं (बहन करती हैं), यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है—“हे ऋत को जानने-वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मनुष्यों) जानो मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय नहीं लूँगा, मैं भूरे बेल (अर्पात् अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।” पुनः आया है (१०।८७।११), “हे अग्नि, वह दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पाखा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेडियों में तीन बार बंध जाय।” यम ने अपनी ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है—(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी करेंगे ?), क्या हम, जब हमने सदैव (अब तक) ऋत कहा है, अब अनृत बनेंगे ? (ऋता वदन्तो अनृत रषेम)।”

दो-तीन स्थानों पर ऋत को बेवस्व अथवा शून्यवर्ष के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम लोगो वे” लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत् ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७।५।) इसी प्रकार महत् ऋत का वर्णन अदिनि, धावापुमिषी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतो आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४)।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (५।५।१२) में विद्वे देवों को ऋतधीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके भ्रम मरुते हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक-सा लगता है। एक स्थान (१०।११०।१) पर दोनों पृथक्-पृथक् ‘तप’ से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण वृद्ध अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४, ७।४९।३, १०।१२।५)। वैदिक साहित्य में भी क्रमशः आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्तत् (यथा ती० उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं।

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतः वरुण एवं आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके ये शब्द हैं—आगस्, एनस्, अथ, दुरित, बुध्नुत, इध्, अहस्। अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस् एवं एनस् जिनको अत्यन्त गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८।६।३, ७।८।१।५ = अथर्ववेद ६।५।१।३; २।२७।१४; २।२८।५; २।२९।१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र—१।१६।२।२२, १।६८।५।८, २।२९।५, ४।१२।४, ४।५४।३; ७।५।११, ७।५।७।७; ५।८।५।७; ७।८।७।७, ७।९।३।७, १०।३६।१२; १०।३७।७ एवं ९। एनस् के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५।१।७, ६।५।१।८; ६।७।३, ७।२०।१, १।१६।९।१; २।२८।७, ७।५।२।२; १।९।७।१-८, २।२९।५, १०।११।७।६)। अहस् के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५, २।२८।६; ३।१२।४, ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३)।

ऋग्वेद में एक अम्य महत्त्वपूर्ण शब्द वृजिन है, जो बहुधा साम्य या ऋजु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साम्य (सद् विचारा एवं कर्मों) का दंष्ट्र, और मरु भी कहा गया है कि राजाओं के पास दूर को सभी वस्तुएँ चली आती हैं, अर्थात् राजाओं के लिए दूर की वस्तु भी सन्निकट हो जाती

३. ऋतं चिकित्स्व ऋतमिच्छिकिद्धपुतस्य धारा अन् तुग्धि पूर्वाः। नाह यातु सहसा नद्वयेन ऋतं शपाय्य-  
वस्य घृणः। ऋ० (५।१२।२)।

है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यो को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देमे (ऋ० ४।१।१७)। और देखिए ऋग्वेद (४।५।१।२ एवं ७।६।०।२), जहाँ सूर्य के लिए ऐसी ही कहा गया है (ऋजू मत्तैषु वृजिना च परमन्)।

अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देते। ऋग्वेद (७।६।०।५) में आया है—'मित्र, अयंमा एव वरुण देवता-गण पापी को देखते हैं, वे ऋत में निवास करते हैं।' "मित्र, वरुण एवं अयंमा अनृत को पूजा की दृष्टि से देखते हैं" (६।६६।१३)।

कभी-कभी बुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार किया गया है—'हे जल, मुझमें जो भी पाप हो उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूल मिटाने में जो भी अपराध किये हो, या जो जो मूठ कहा हो, उन्हें दूर करो।' यहाँ पर बुरित, ब्रूह एव अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवों के विरुद्ध पाप या अपराध। ऋग्वेद (१।१८।५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को बुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है (पातामववाहृरितात्)। 'अवत्' का अर्थ है 'गर्हण' (पाणिनि ३।१।१०१)। ऋग्वेद (७।८।२।७) में आया है—'हे मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ बही से भी अंहस् (पाप), बुरित एवं चिन्ता नहीं आती।' और देखिए ऋग्वेद (१०।१२।५।१)। ऋग्वेद (८।६।७।२।१) में 'अहति' एवं 'रपस्' शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४।७।१।३, १०।१६६।४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। 'पाप' शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६।१।१।१, १०।१०।१।२, ४।५।५)। यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।८।६, १०।१६६।४।५; १।१२।९।१।१)। पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७।३।२।१।८, ७।९।४।३, ८।१९।२।६)। ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'पापम्' (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (शतपथब्राह्मण १।१।२।७।१९, ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। यहाँ बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयोपनिषद् २।९, छान्दोग्योपनिषद् ४।१।४।३)। पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ सशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं यरास्वी लेखक मैक्स मूलर ने उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया है—'अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें हम प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।'<sup>४</sup>

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी बालों में यह प्रश्न बठिन समस्या का शोधक रहा है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति स्वयं स्मृत है। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में आनन्दित न हो। (ऋग्वेद (७।८।६।६) में एव ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति को शक्ति के कारण नहीं होता, प्रत्युत यह भाग्य, मुरा, क्रोध, घृत् (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता

४. अनाः परमन्ति वृजिनोत् सायु शब्दं राजम्यः परमा चिबन्ति। ऋ० (२।२७।३); आ सूर्यो बृहत्स्तिष्ठत् अस्यां ऋजू मत्तैषु वृजिना च परमन् । ऋ० (४।१।१७)।

५. इवमाप प्रवहत यत्किं च बुरितं मयि। यदाहमभिब्रूहो यदा रोष उतानुत्तम् ॥ ऋग्वेद (१।२३।२२)।

६. तेकेह ब्रुक आय वि ईस्ट, जित्व १, पृ० २२।



है।" कौपीतिक-ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) में ऐसा आया है—“सर्वके स्वामी अर्थात् ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) कर्म करता है, अच्छे लोको की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खीच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु कर्म बगते है।” इससे प्रबट होगा है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है—“बिम्बे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनापाम पाप-वृत्त कर जाता है?” दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)—“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एव क्रोध मनुष्य के शत्रु है।” एक म्यान् (१६।२१) पर भगवद्गीता में आया है—“नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, क्रोध एव लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो यह है—मनुष्य के मन में काम, क्रोध एव लोभ का उदय ही क्यों होता है? साध्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर यह है—“गुण तीन हैं, सत्त्व, रज एव तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एव काम आदि तेरह अत्यन्त शक्तिशाली धर्म मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित होता है (श्लोक ७ एव ११)। किन्तु उस अव्याप में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। गौतम (१९।०) का कथन है—“विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है यद्यपि ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना जो यज्ञ करने के अनोख है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे बहना, जो व्यक्तमित्त है उसे न करना तथा जो बर्जित है उसे करना।” याज्ञ. (३।२१९) का कथन है—“जो विहित है उसे न करने से, जो बर्जित है उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है)।” और बेखिए मनु (११।४४) एव शान्ति. (३।४२)।

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।५।६) में आया है—“कविषोः उद्दिमानो वा विद्वानो” ने मान मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का अतिनमन करता है, पापी हो जाता है।” निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्दिष्ट सप्त पापों को इस प्रकार व्यक्त

७. न स्वी दलो बहण धृति. सा सुरा मनुर्विभोदक्ये अचिति. अस्ति ज्यामान्कनीयस उपारे स्तब्धचनेद-  
नृतस्य प्रयोता ॥ ऋ. (७।८६।६)।

८. एष ह्येव साधु कर्म कारयति त ममेभ्यो लोकेभ्यो उन्नितोपते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमयो विनी-  
षते। कौपीतिक-ब्रा. उप. (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है।

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्। अनिग्रहाच्चैन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ याज्ञ. (३।  
२।१९)। अकुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्। प्रमदश्चितोपते ह्येवं नरो गिर्या तु वर्तयन् ॥ शान्तिपर्व ३।४२।  
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२।१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं—“अथ क्षत्त्वय पुंसो पाप्येन  
कर्मणा लिप्यते धर्मतदपान्यजनमभयभक्षणमव्रतवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धमेवनमिति। गौ. (१९।२)।  
और बेखिए शबर (जैमिनि १२।३।१६)।

१०. सप्त मर्यादा कवपस्ततस्तुस्तासामेकामिदम्यहुरो गात् ॥ ऋ. १०।५।६; सप्त एव मर्यादा. कवपसचक्रुः।  
तासामेदाभवि अधिगच्छंश्चरन्वात् भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्या. भ्रूणहत्या सुरापानं बुध्कृतस्य कर्मणः पुनः  
पुनः सेवा पातके अनुतोद्यमिति। निरुक्त (६।२७)।

किया है—“स्तेय (चोरी), तरुपारीहण (गुरु की दाम्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक ही पुत्रको दो बारम्बार करना एवं अनुतोष (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना)।” तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१।२, ५।३।१।२।१-२), शतपथब्राह्मण (१।३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३।१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बचारा बनता था) की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है—सूर्याभिमूर्च्छित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सूर्याभिमूर्च्छित (जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसने नख एवं दाँत काले हो, अपरिविधु (जो बड़ा बहिन के अविवाहित रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अग्नी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया है (अर्थात् वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग देता है तथा ब्रह्महत्यारा (तं० ब्रा० ३।२।८।१।१)। और देखिए काठकसंहिता (३।१।७) एवं अथर्ववेद (६।१।१३)। त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७।३) में भी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।२२) ने तैत्तिरीय ब्राह्मण की सूची में कुछ अन्य पापियों की सजाएँ जोड़ दी हैं, यथा—विधिव्युक्ति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), परिविवाहन (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पतृक सम्पत्ति का दायारा ले लेता है), परिविध (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई पतृक सम्पत्ति का दायारा ले लेता है)। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं—सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गुरु की दाम्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।” बहुदारण्यकोपनिषद् (४।३।२२) ने चोर एवं भ्रूणहत्यारेको महापापियों में गिना है।

पापों की सख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पापों की दो कोटियाँ दी हैं, पतनीय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जातिच्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब० (१।७।२।१७-११) ने अनुसार पतनीय पाप ये हैं—सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लाछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण हास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात् ऐसे सम्बन्धियों में जो एक ही प्रकार के गर्भ से उद्भूत हुए माने गये हैं) स्वभिवार-ससर्ग, सुरापान, बर्जित लोगों से सम्भोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात् अध्यापिका आदि) की सती से सम्भोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) की सती से सम्भोग-कृत्य, किसी अजनबी की पत्नी से सनाप-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो बर्जित नहीं है) अन्य अधर्मों अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२।१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से सम्भोग पतनीय नहीं है। अशुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब० १।७।२।१२-१८) ये हैं—शूद्रों से आर्य नारी द्वारा सम्भोग करना; कुत्ते, मानव, प्राय के कुकटुद (मुर्ग) या प्राय के शूकर (सूअर) जैसे पशुओं का बर्जित भाँस सेवन, मानव का मल-मूत्र खाना, शूद्र द्वारा छोटा पया भोजन करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आर्य पुरुषों का सम्भोग। कुछ लोगों के मत से अशुचिकर धर्म भी पतनीय ठहराये

११. तदेव इलोकः । स्तेनो हिरण्यस्य गुरो पित्रांश्च गुरोस्तात्पमानसन् ब्रह्महा । चंते पतन्ति चत्वारः पञ्चमःसबा-  
चरतः ॥ छा० उप० (५।१०।९) १”

मये हैं। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-द्वयों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।९।२।४।६-९) ने अभिज्ञस्त लोभो को इस प्रकार उल्लिखित किया है—वह अभिज्ञस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्षों के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोभो की हत्या करता है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आत्रेयो (२जस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है, एनस्वी, महापातकी एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१।२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के बहुरोज्ञ (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण पातकी को बहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच है—गुरु की शय्या को अपवित्र करना, मुरापा, भ्रूण (विद्वान् ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से ससर्ग। उपपातक ये हैं—जा वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु की (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बोधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं—समुद्र-सयान, ब्राह्मण की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वेष्वभ्य-व्यवहार (सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। बोधायन० (२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं—अगव्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुह-सखी (नागी गृह अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुमयी (पुण्य गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेयजकरण (भेयजवृत्ति का पालन), ग्रामयज्ञन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य), रगोपजीवन (अग्निनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनाय की गुरु-वृत्ति), गोमहिषी-रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्याद्रूपण (कन्या के साथ व्यभिचार)।<sup>११</sup> अशुचिकर पाप निम्न हैं—घृत (जुआ), अभिचार, अग्निहोत्राग्नि अर्पण जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उच्छ्वत्ति (क्षेत्र में गिरे अन्न के दान चूतकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भेदयचर्या (मिक्षा वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए व्यक्ति का पुनराध्ययन के लिए गुफकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको पठाना तथा नक्षत्र निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन)। गौतम (२।१।१-३) ने पतनीयों के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७।२।१९-११) तथा वसिष्ठ० (१।२३) द्वारा वर्णित पापों को सम्मिलित कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा—पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, निम्नपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिव्युत्तर करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित करना।

१२ पापों की ये सूचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि ग्राम आदि का चराना या व्यापार करना वेश्यों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। वेलिए आप० ध० सू० (२।५।१०।७), गौतम (१०।५०), मनु (१०।७९) एवं धात० (१।११९)। वंशक कार्य या नृत्य-निर्वाहणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए धातुकर्म के लिए अपयोग्य ठहरायी गयी है। वेलिए गौतम (१।५।१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो धातु-भोजन आदि के लिए शायीय माने गये हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों ने महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की सख्या एवं उनके विंशत्य स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रखा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद् के बहुत पहले ही महापातकों की सख्या पाँच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बोधायन एवं गौतम के बालों में छान्दोग्योपनिषद् किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा में बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों की पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद् में उद्धृत श्लोक आपस्तम्ब, गौतम, बोधायन एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से पश्चात्कालीन है।

कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्टृत्यों की पाँच कोटियों में बाँटा है—महापाप (प्राणहारी पाप), अतिपाप (जिनसे बड़ा कोई अन्य महत्तम पाप न हो), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो सगुण ससर्ग से उत्पन्न हो) एवं उपपातक (साधारण पाप)। भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्टृत्य जो महापातक के समान घोषित हैं (मनु आदि द्वारा) पातक बंधे जाते हैं। बृहदारोत (१।२।१५-२।१६) ने भी पाँच प्रकार दिये हैं, यथा—महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (१।२।१६-२।१८) कि वे पाप जो महापाप बंधे जाते हैं, पातक है, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर है, उपपातक अनुपातक से कम गम्भीर है तथा प्रकीर्णक सबसे कम अपना हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णु घ० सू० (३।३।३-५) ने नौ प्रकार की नृष्टियाँ (दोष या पाप) गिनयी हैं, यथा—अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रमकर (जातिव्युत्पन्न करनेवाला), सक्तीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रोकरण (जिसी का घुम कर्म के अयोग्य ठहराना), मलाग्रह (गन्दा करना) एवं प्रकीर्णक। विष्णु० (३।४।१) के अनुसार अतिपातक ये हैं—माता, पुत्री या पुत्रवधू के साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेष्टा ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मनु ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं किया है और इनमें अधिकांश को उनकी गणना दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तमुक्तावली (दिवाकर लिखित) में उद्धृत कात्यायन के अनुसार विष्णु द्वारा वर्णित अतिपातकों में बहिन के साथ सम्भोग का दुष्टृत्य भी सम्मिलित होना चाहिए। हारोतथमसूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि शत थी, किन्तु उनके कतिपय पातकों में अनुक्रम से प्रथम होता है कि उन्होंने मनु के अतिपातक को महापातक से कम गुरुतर पाप समझा है। मनु (अ० ११) ने विष्णु द्वारा वर्णित सभी पातकों के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु अतिपातकों को छोड़ दिया है।

छान्दोग्योपनिषद् के समय में लेकर आगे साधारणतः केवल पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के कर्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार ससर्ग। देखिए वसिष्ठ (१।९-२०), मनु (१।१।५५ एवं १८०), याज्ञ० (३।२-२७ एवं २६१), विष्णु (३।५।१-५) एवं बृहदारोत (१।१।७४)। मनु ने कुछ पापों को महापातकों की गणना दी है जिन्हें विष्णु (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उपस्थापित किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मनु (१।१।५६) का बयन है कि ब्रह्मोज्ज्वला (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, ऋषिसाध्य (गलन गवाही), सुहृदवध (मित्र हत्या), गृहित एवं न राने योग्य (अनाथ) भोजन करना, ऐसे कर्म सुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३।२।२८) का बयन है कि इनमें से तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्ज्वला) एवं असत्य दोषों को मङ्कर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान हैं। हम सर्वप्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और अन्त में उनमें धमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि दण्डों के विषय में लौकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए धार्मिक नियम जान-बूझकर किये गये

(कामत) पापमय कर्म एव अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म तथा केवल एक बार (सकृत्) किये गये पाप या बारबार किये गये (असकृत्) दुष्कर्मों में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं।

### (१) ब्रह्महत्या

ब्रह्महत्या या बध शब्द का प्रयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अभिपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४७) एव अन्य ग्रन्थों में बध की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से बधिक कारण हो सकता है, यथा—वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात् वह स्वयं कर्ता होता है), वह प्रयोजक हो सकता है (अर्थात् वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी को हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एव सम्मति देकर हत्या करा सकता है, अनुमन्ता अर्थात् वह अपने अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है अनुग्राहक अर्थात् जब हत्याया हत्या करने से द्विचकिचाये तो उसकी महापत्ता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है, निमित्त (कारण) होकर वह हत्या कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में बधिकत्व की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई—कर्ता, प्रयोजक, अनुमन्ता, अनुग्राहक एव निमित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ४७)।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२७ एव २४३) ने पीठोत्ति को उद्धृत कर उपर्युक्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मनु का सहारा लिया है—'जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को लेकर अस्त्र-यस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी को हत्या कर डालता है तो सभी उस हत्या के अपराधी होते हैं।' मनु की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के बहुत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० घ० सू० (२।२।२९।१-२) पर आधारित है—जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है—ये सभी स्वर्ग एव नरक में फलों के भागी होते हैं, किन्तु उनमें वह, जो कर्म में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।<sup>१३</sup> मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यो दी है—यह वह पातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या घमकी देकर (घनापहरण, ताडना एव भर्त्सना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक श्लोक तथा किसी अन्य का वचन भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ८६)।

सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० घ० सू० (१।९।२४।६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मनु (९।८७) एव याज्ञ० (३।२५।१) का कथन है कि वैश्व या सोमयाज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एव वैश्य की हत्या भी हत्यारे को ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिङ्ग भ्रूण तथा आग्नेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्महत्या ही है। मनु (१।१।६६) एव याज्ञ० (३।२।३६) के मत से आग्नेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी या सोमयाज्ञी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२।६४) का कथन है कि किसी स्त्री

१३. प्रयोजयिता मन्ता कर्तते स्वर्गनरककण्डेयु कर्मसु प्रागित्। यो भूय मारभते तस्मिन् फलविशेषः। भा-  
प० घ० सू० (२।२।२९।१-२)।

को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त तीन वर्णों द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये हैं, यथा—शत्रियों के लिए अदण्ड्य नो दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना, बंदियों के लिए झूठा मान (बाट) एवं तुला रखना, शूद्रों के लिए मासविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणों से सभोग करना एवं कपिला (काली-भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिखा (याज्ञ० ३।२२७)। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन देने तथा किसी स्नान्यु की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो निश्चित एवं दश बँध को कोई अपराध नहीं लगता।<sup>१</sup> किन्तु यह बात उस बँध के लिए नहीं है जो मिथ्याचिन्तितक है। याज्ञ० (२।२४२) ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध के कारण कोई शारीरिक 'गड' दे जिससे वे मर जायँ तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० ५० ५८; अग्निपुराण १७३।५)। दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छडी से होना चाहिए (सिर या छाती पर नहीं)। ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३०), मनु (८।२९९-३०० मत्स्यपुराण २२७।-१५२-१५४), विष्णु (७।१।८१-८२) एवं नारद (अभ्युपेत्यासुभूषा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८।३००) का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७।

प्राचीन एवं मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण को हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मन हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के गण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड ३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण आततायी आग लगाने, विष देने या श्वेत उज्राडने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसका विरोध कर सकता है, किन्तु यदि वह आत्मानक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी को) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात् वह ऋहृहत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२१)।

## (२) सुरापान

यह महापातक कहा गया है। 'सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७, १।१९१।१०; ७।८६।६; ८।२।१२, १०।१०७।९)। इसे घृत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६)। सम्भवतः यह श्वु या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१।११६।६-७)। यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अर्पित होता था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहिता (१९।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८)। इस ग्रन्थ में आया है—“सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है; सुरा

१४. त्रियमाणोपचारे तु मृते विघ्नं न पातकम्। याज्ञ० (३।२८४); औषधं स्नेहमाहार ददद् गोब्राह्मणारिषु। वीयमाने विपत्तिः स्यात् स पापेन लिप्यते॥ संवत् (१३८; विद्वद्वय, याज्ञ० ३।२६२; मिता०, याज्ञ० ३।२२७; प्राय० विवेक, ५० ५६)। और देखिए अग्निपुराण (१७३।५)—औषधाद्युपचारे तु न पाप स्यात् हृते मृते। पुर्यं शिष्यं तथा भार्यां शासतो न मृते ह्यपम॥

अग्न्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।" ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग सुरा गन् को पापमय समझते रहे हैं, "अन ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह पापमय हो जायगा।"<sup>१५</sup> छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है, राजा अश्वपति कंबेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थ समागत पाँच विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष गर्व के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्य।<sup>१६</sup> जब कि मनु (११।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ० (३।२२७) ने मद्य को पंच महापापियों में गिना है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पर्य क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (११।९३) के मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है—(१) जो गुड़ या चीरा से बने, (२) जो आटे से बने एवं (३) जो मद्यक (महुआ) या मद्य से बने (मनु ११।९४)। बहुत-से निबन्धों में सुरा के विषय में सविस्तर वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उल्लिखित की गयी हैं—(१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी सुरा का पान करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है, (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी प्रकार वर्जित है (गौतम २।२५, मद्य नित्य ब्राह्मण । आप० घ० सू० १।५।१७-२१)। किन्तु गौडी एवं माध्वी प्रकार की सुरा के सेवन में ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है, (३) वैश्यो एवं क्षत्रिया के लिए आटे में बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-श्रवार नित्य नहीं है, (४) शूद्र किसी भी प्रकार की सुरा का प्रयोग कर सकते हैं, (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु० (२।२।८३-८४) ने खजूर, पनसफ़ल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य (मिता०, याज्ञ० ३।२५३, भवदेवद्वत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश में सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है।

मिनाक्षरा (याज्ञ० ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मनु (११।९३) ने सुरापान के लिए लिंग-अन्तर नहीं बताया है और प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे बर्ज्य माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान वर्जित किया है। किन्तु वत्सपत्र का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२।१।११) एवं याज्ञ० (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोको को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। मिताक्षरा (३।२५६) का कथन है कि पद्मिनि शूद्र की मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए।

सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अत यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों में केवल सुरा का स्पर्श मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा

१५. तप्तमाद् ब्राह्मणः सुरा न पिबति पाप्मना नेत्ससृज्या इति। काठक० (१२।१२)। वैसिष्ट तत्रवार्तिक (जंमिनि १।३।७, पृ० २१०) एवं शाकराचार्य (वेदान्तसूत्र ३।४।३१)।

१६. सह प्रातः सञ्जिहान उवाच—न मे स्तेनो जल्पदेन कवयों न मद्यपः। मानाहितगिन्निर्बिड्रात्त स्वैरी स्वैरिणी कुतः॥ छान्दो० उप० (५।११।५)।

(अर्थात् महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को मुरा-स्पर्श के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना परेगा (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ९३)।

### (३) स्तेय (चोरी)

टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका सबध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२।८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है—“एव ध्यवित् दूसरे की सम्पत्ति के लाम एव बिना स्वामी की सम्पत्ति से उसके लने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो।” कात्या० (८।१०) ने इसकी परिभाषा यों की है—“जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।” यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है—“स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्”, अर्थात् इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (१।१।५४) एव याज्ञ० (३।२२७) ने केवल ‘स्तेय’ (चौर्य) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मनु (१।१।९९, ‘सुवर्णंस्तेयकृत्’) एव याज्ञ० (३।२५७, ‘ब्राह्मणस्वर्णहारी’) ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। बसिष्ठ (२०।४१) एव ध्यवन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-मुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) में ‘ब्राह्मणस्व हृत्वा’ शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए सर्त (१२२) एव विश्वामित्र (प्राय० वि० पृ० १०८)। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५२, अनाख्याम आदि), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७), मदनपारिजात (पृ० ८२७-२८), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १११) एव अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी है कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ मात्रा होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ भारों से कम सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी मात्रा (१६ मात्रों से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है।

वार्प्यायिणि (आप० घ० सू० १।१०।२।८।२) के मत में यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा मुद्ग माष एव चना) की गोदी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बेलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बैलों के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फँसता। गौतम (१।२।२५) के मत से कोई व्यक्ति (बिना अनुमति एव बिना चौर्य अपराध में फँसे) गोओं के लिए एव श्रौत या स्मार्त अग्नि्यों के लिए घास, दूधन, पुष्प या पौधे (जो घंटों से न रक्षित हो) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। मनु (८।३।३९=मत्स्य २२७।१।१२-१।१३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३।४१) एक बात यह भी जोड़ दी है कि तीन उच्च वर्णों का कोई भी यज्ञी, यदि पापेय घट गया हो, (बिना दण्ड के मय से) किसी दूसरे के खेत से दो इँदों एव दो मूँलियाँ ले सकता है।

### (४) गृह-अंगनागमन

मनु (५।१।५४) ने गुर्वङ्गनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३।२२७) एव बसिष्ठ (२०।१३) ने अपराधी को गृहस्तल्प (जो गृह की दाम्प्य को अपवित्र करता है) एवं बसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को ‘गृहस्तल्प’ (गृह की दाम्प्य या पत्नी) की सजा दी है। मनु (२।१।४२) एव याज्ञ० (१।३।४=धर्म ३।२) के अनुसार ‘गृह’ का मौलिक अर्थ है ‘पिता’। गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का) गृह गृहओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोप मात्रा को ऐसा कहते



हैं। सर्वत (१६०) एव पराशर (१०।१३, 'पितृदारान् समाहृत' का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 'पिता', तैसा कि मिताशरा (याज्ञ० ३।२५९) ने कहा है। मिताशरा एव मदनपारिजात (पृ० ८३५) जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०) में गुरु-अगना का कर्मधारय समास किया है एव देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया है। प्रायश्चित्तमूस (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एव प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने भा० (३।२३३) का सहारा लिया है जहाँ पर 'गुह्यतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एव अन्य सम्बन्धित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि गुह्यतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० वि० ने गौतम (२।५६, "आचार्यं गुरुओ मे सबसे महान् हूँ कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं") एव विष्णु (३।११-२, "तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात् महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं") का सहारा लिया है। विष्णु के तीन अति गुरु हैं माता, पिता एव आचार्य। प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना अतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु (३६।४-८) के अनुसार गुरुपत्नी एव अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है।

#### (५) महापातकी-संसर्ग

इसने इस प्रय के खण्ड ३, अ० २७ एव ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया है। गौतम (२।१३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मनु (१।१।८०—शान्ति० १६५।३७), याज्ञ० (३।२६१), विष्णु (३।५।३) एव अनिपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही बाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है या पातकी के साथ एक ही पक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है या करती है (यथा—पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने तीन प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा—एक ही शय्या या आसन पर बैठना, पातकी के साथ एक ही पक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनाना या उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। प्राय० प्रक० के मत में संसर्ग के तीन प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम, निवृष्टः। प्रथम में ये चार आते हैं—घौन (घोनि-सम्बन्ध, विवाह), सौब (अर्थात् वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), मौस (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकात्मभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना)। मध्यम के पाँच प्रकार हैं—एक ही बाहन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन, एक पक्ति में खाना एव साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाध्ययन)।

निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा धूल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे दान लेना आदि। बाध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पच आह्निक यज्ञों के सम्पादन में सहायता देना, उसे अन्न (छद्म, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ाना हल्के पाप हैं। पराशर (१२।७९) का कथन है कि साय बँठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (सन्निहित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल। यही बातें देवल एवं छागनेय (मिता०, याज्ञ० ६३।२६१; प्राय० प्र० ५० ११०, प्राय० वि० ५० १४५, प्राय० मयूख २, भा० १, ५० २८) आदि में व्यवहृत पायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक है, अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१।२५-२६) का कथन है कि कृत्ययुग में पतित सँ बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पर्श करने से, द्वापर में उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय वृक्ष के शास्तविक सम्पादन से, कृत युग में किसी के पतित होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, द्वापर में (पतित का) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक कर्ता (अर्थात् पतित) त्याग्य होता है।

मध्यकाल के लेखकों ने ससर्गदोष के क्षेप को कमरा बहुत आगे बढ़ा दिया है, इसका कारण या सत्कार सम्बन्धी सूचिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्षसार (५० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति महापातकी से ससर्ग रखनेवाले से ससर्ग रखता है, उसे प्रथम ससर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह ग्रन्थ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा समर्गवर्ता पतित नहीं हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें ससर्गवर्ताओं को भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हल्का पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (५० १०९), प्रा० वि० (५० १६९-१७०) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (५० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके समर्ग की सीमा को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है—“यदि कोई चाबाल चार वर्षों वाले में किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा शूद्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन करता है, उसे कृच्छ्र व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे ससर्गकर्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ्र तथा जो इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ्र करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक ससर्गवर्ता के अतिरिक्त क्रमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक ससर्गकर्ता के ससर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिथी कर दी। कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अपिन्न तर्कयुक्त मत दिये हैं। परा० माध० (२, ५० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के ससर्ग में आनेवालों के लिए इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में ससर्गदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में कलिवर्ज्यों की सख्या में एक अन्य स्मृति ने ‘पतित के ससर्ग से उत्पन्न असूचितता’ एक अन्य कलिवर्ज्य जोड़ दिया है। स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, ५० ८९७-८९८) ने मायव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में अन्य प्रमाण भी एकत्र कर बाले हैं। निर्णयसिन्धु ने पतित-ससर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु ससर्गकर्ता को पतित नहीं कहा है (३, ५० ३६८)।

यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन समूहों में महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम)

यज्ञ में लिप्त दानिय या वैश्य को जो मारता है या जो भूणहत्या करता है या किसी आग्नेयी नारी की हत्या करता है, उसे ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिवेश है)। याज्ञ० (३१२३२-२३३) ने गुरुतल्पगमन पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूकी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे साद्रूप्य अतिवेश कहते हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातक के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह साम्य अतिवेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपवृत्त हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातक के समान पातक के लिए आर्षे प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। वाचनिक या साद्रूप्य अतिवेश के अन्तर्गत आनेवाले पातक का प्रायश्चित्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौपाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है।

गौतम (२१।१०) के मत में कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐसा वैशुन (चुगलखोरी) जो राजा के कानो तक किसी के अपराध को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मनु (११।५५ = अग्निपु० १६८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं भद्रता के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ० (३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में असत्य वचन करना मुरापान के समान है (याज्ञ० ३।२२९)। विष्णु (३।७।१-३) के मत से मनु (११।५५) में वलित तीन पाप महापातक के गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य मुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२)। मनु (११।५६ = अग्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, सुहृद्वध, निषिद्ध-भोजन-सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए—ये छ मुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ० ३।२२८ जो ऊपर वर्णित है। मनु (९।५७) ने कहा है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोडा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी ब्राह्मण के हिरण्य (मोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ० (३।२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने भी यही बात कही है। मनु (११।५८ = अग्नि० १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुमारियों, नीच जाति की नारियों, मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पगमन, गुरु-शौच्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२) एवं मनु (११।१७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्ञ० (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति का, जो अपनी मौसी या फूकी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग करता है, लिग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी को, यदि उसकी सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुस्तक, श्लोक ७३-७५) का कथन है—“यदि व्यक्ति माता, मौसी, सास, मामी, फूकी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचार्यपत्नी, सगोत्र नारी, दाई, व्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिश्न-कर्तन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) के वचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कर्तन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर लगता है, क्योंकि मनु (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधों को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे देश-निकासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा—रजस्वला नारी, विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अपना उपाध्याय की पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध करने (याज्ञ० ३।२२८ या मनु ११।५५—याज्ञ० ३।२३३ या मनु ११।५८) से लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बृहद् हारीत ९।२१६-२१७ एवं

मिता०, याज्ञ० ३१२३३) मा कुछ अनुपातक बहे गये हैं (विष्णु ३६।८)।<sup>११</sup> गौतम (२१।१-२) ने पतितो की सूची में कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा—माता या पिता की सपिण्ड नारियो या बहिना एव उनकी सततियो से मोनि-सम्बन्ध करनेवाला, सोने का घोर, नास्तिक, निन्दित कर्म को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या निरपराध सम्बन्धियो का परित्याग करनेवाला, या दूसरो को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित बहे गये हैं।<sup>१२</sup> पातक अपनी गुरूता में महापातको से अपेक्षाकृत कम एव उपपातको से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं।

### उपपातक (हलके पाप)

उपपातको की सख्या विभिन्न युगो एव स्मृतियो में भिन्न भिन्न है। वसिष्ठ (१।२३) ने केवल पाँच उपपातक गिनाये हैं, अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात् उसका परित्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको-पाजन करना एव सोम लता की बिक्री करना। शातातप (विरवरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक गिनाये हैं। नौपायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको उपपातक का अपराध लगता है जो श्राद्ध भोजन के समय पवित्र में बैठनेके अयोग्य घोषित होते हैं।<sup>१३</sup> यथा—पगुहन्ता, वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित करते हैं तथा वे जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देते हैं। शत (विरवरूप, याज्ञ० २।२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं और उन्हें उपपत्तनीय सज्ञा दी है। मनु (१।१।५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (१।२०८-२१०), विष्णु० ध० सू० (३७) एव अग्निपुराण (१६८-२९-३७) में उपपातको की लम्बी सूचीर्नी हैं। प्राय० वि० (५० १९५) ने मनु-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा कथित ५१ उपपातक में हैं (विरवरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६)—शोबध शाल्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर), ऋणो का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एव पितृऋण को छोड़कर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के लिए समर्थ है), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक), परिवेदन (बड़ भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह सम्पादन या शीत अग्निषो की उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाध्ययन, दुल्ल के लिए वेदाध्ययन, व्यभिचार (गुरुत्वगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियो के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिन ब्याज ग्रहण (स्मृतियो द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक सूद लेना), लवणकिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आग्नेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), धृद्धहत्या, (श्रीत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपाजन, नास्तिकता

१७ एतानि सुर्वधियोपाहितनयागमनपर्यन्तानि महापातकातिवेदाविधयानि सद्यःपतनहेतुस्वात्पानकान्युच्यन्ते।  
मिता० (याज्ञ० ३।२३३)।

१८ ब्रह्महनुदापमुक्तस्वभावापिनुमोनिषम्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितत्प्राग्यपतितत्प्रागिन-  
पतित। पातरुसयोभकाराव। गौतम (२।१।१-२)। गौतम (२०।१) ने स्प्राग्य सोमों के नाम भी मिले हैं—  
“त्यजेत् पितरं राजघातकं शास्त्रघातकं दूराध्यायकं वेदविप्लावकं भ्रूणहन्तं पश्चात्प्राग्यसायिभिः सह सवसेदन्त्याव-  
सायिभ्यां वा।”

१९. अपस्तम्बानां प्राग्बुर्बात् गोहन्तृब्रह्मपतन्मंत्रहृदबकीणितितसायित्रीरेयुपातकम्। गौतम (२१।११)।

(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एव विश्व में विद्यमान न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त व्रतों का परिवर्तन (यथा वैदिक विधार्थी का ब्रह्मचर्य परिवर्तन, ब्रह्महत्या के लिए अपराधमाआरम्भ किये गये प्रायश्चित्त का परिवर्तन), बन्धों का विक्रय, अनाज, साधारण धानुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पशु की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरोहित होना (यथा शूद्र या ब्राह्म आदि का), पिता-माता या पुत्र को अकारण मार से निकाल बाहर करना, तडगम या व्याराम (घाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हो किन्तु सबके प्रयोग में आते हों), कुमारी कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को छोड़कर जो मुरापान के समान मानी गयी है), व्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये व्रत का परिवर्तन), केवल अपने लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों को बिना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०।१।१७।६ एव मनु ३।१।१८ ने की है), ऐसी स्त्री से सम्भाग-कार्य जो शराव पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के पूर्व वेद-स्वाध्याय का परिवर्तन, श्रौत या स्मार्त अनियमों में होम न करना, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा मामा या चाचा, जब कि सामर्थ्य हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ईर्ष्य के लिए किसी बड़े वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात् उसके अनैतिक कार्यों द्वारा या उसके स्त्री धन द्वारा जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी-बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बँटाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीडा हो (तेल या ईँस का रस निकालने के लिए कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अपना दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच जाति की नारी से यौनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रखैल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निशुल्क एव दान में दिये गये धन को साकर मोटा होना (परम-परिपुष्टता), असच्छास्त्राधिगमन (चारोंक जैसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की सानो) की अभ्यसता एवं भाषाविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना)।

उपयुक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा—दसिष्ठ (१।१८) द्वारा वणित एनस्त्रिभः (उपपातक, विवरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६)। याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (१।१।५९-६६) में पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा—अभिचार (श्वेतयाग नामक कर्म जो शत्रुता के लिए किया जाता है), मूककर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात् वशीकरण)। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २।१।१)। इसी से विवरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यो की है—“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या सप्रह से) या उपेत्य (लगातार स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।”

मनु (१।१।६७=अनि० १६।१३७-३८) एव विष्णु (३।८।१-६) ने कुछ दोषों को जातिभ्रंशकर (जिनसे जाति-भ्रुतता प्राप्त होती है) की सजा दी है, यथा ब्राह्मण को (छडी या हाथ से) पीडा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) को सूँघना जिसे नहीं सूँघना चाहिए एव आसव या मद्य सूँघना, घोसा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वामाविक अपराध करना। मनु (१।१।६८=अनि० १६।३८-३९) के मत से

२०. उपपातकसंज्ञाप्येवमर्थैः। उपचयेन उपेत्य वा सेव्यधानं पातकमेव स्थाविति। अत एव गौतमेन पातक-  
प्ये निवृत्तकर्मान्यातो वणितः। विवरूप (याज्ञ० ३।२२९-२३६)। और वैश्वदेव गौतम (२।१।१)।

बन्दर, घोडा, ऊँट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भंस का हनन सक्तीकरण (बिसी को वर्णसर बनाने के पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मत से सक्तीकरण घाम या जमल के पशुओं का हनन है। मनु (१।१।६९) का बयान है कि नित्य लोगो (जो मनु ४।८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण व्यापार, शूद्रसेवा एव शूद्र बोलने से व्यक्ति धर्म-समान के अयोग्य (अपात्रीकरण) हो जाता है। विष्णु० (४८।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविकी-गार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (१।१।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े बीट-पनगो या पक्षियों का हनन, मछ के समीप रने गये पदार्थों का खाना फलो ईंधन एव पुण्यो को चुराना एव मन की अस्थिरता मलाबह (जिससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है) बम बहे जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का बयान है कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं उनकी प्रकीर्णक मज्ञा है। वृद्ध हारीत (१।२।१०-२।१५) ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं।

यथा—ईंधन के लिए बड़े-बड़े पेडा का काटना, छोटे एव बड़े कोट-पतगो का हनन ऐसे भोज्य-पदार्थों का सेवन जो भावदुष्ट हा (निषिद्ध भोजन के रग एव गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान-पूर्वक हुआ हो) या ऐसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में सूतक पडन पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना) या क्रियादुष्ट हो (एसी त्रिया, जो खाली हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चाँडाल या कुत्ता आदि के देखने से प्रवृत्त होती है, देविए इस ग्रन्थ का गण्ड २, अ० २२), मिट्टी, चम, घास, लकड़ी को घोरी, अत्यधिक भोजन करना, शूद्र बोलना, विषयभोग के लिए चिन्तित रहना, दिन में सोना, अफवाह उडाना, दूसरे को अफवाह सुनने को उबसाना, दूसरे के घर में खाना, दिन म सम्भोग करना, मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना, दूसरे की पत्नियों पर दृष्टिपात करना, उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों में सम्भोग करना, शूद्र की नीचरी करना, नीच लोगो से मित्रता करना, उच्छिष्ट भोजन को छूना, स्त्रियों से हँसी-स्टूठा करना, अनियमित ढग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना, सुठे बैसो वाली स्त्रियों की ओर ताबना। यह पता चला हागा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषो में कुछ ऐसे भी हैं जो याशवत्य्य द्वारा वर्णित उपपातको के अन्तर्गत आ जाते हैं, यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्षों का कतन, शूद्र को सेवा, नीच लोगो से मित्रता।

पापो के विभिन्न प्रकारों के विषय में पद लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फला एव उनसे दूर करने के साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात् हमें यह देवना है कि वैदिक एव सस्त्र-धर्मशास्त्रिय में पापो के फलो के प्रयन पर एव उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की गयी हैं।

हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, बरुण, आदित्यो एव अग्नि के प्रति अपने को आता या एन (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियों की हैं। ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या व्रतों का बहूधा अतिरमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना के लिए प्रेरित भा हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात् देवताओं के लिए ध्वस्तियत धर्मों एव व्रतों के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईश्वर उनके विषमोल्लघन से उन पर विपत्ति, नाश, रोग एव मृत्यु बाह देता है। देविए ऋग्वेद (१।२।५।२, ७।८।१।५, १०।८।१।८-९, २।२।१।६, ९।७।१।८) जहाँ बरुण, मित्र, अर्यमा एव इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एव स्तुतियों की गयी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषियण (मन्त्रद्रष्टा) अपने उन धर्मों के फलो से परिचित थे जिनमें वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे। दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह गिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रयत्न होने पर अपने पूजकों

सम्पार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततिमो को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५) और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०)।

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना या पापमोचन के लिए स्तुतिर्मा करना (ऋ० ७।८८।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४)। ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एक गम्भीर पापों के फल से छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० स० (५।३।१२।१-२) एवं सत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो बहणप्रघात (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों (पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (ऋ० १।१०।१०।१)। किसी यज्ञ के लिए बोधित हो जाने पर यजमान और पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों का पालन करना पड़ना था यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा को व्यवस्था कर लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मान नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी।

अब हम सूत्रा एव स्मृतिया में वर्णित पाप-फलों से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का विवरण उपस्थित करेंगे। इस विषय में हमें कर्म एव पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। मत् कर्म से शुभ फल मिलता है और असत् कर्म से बुरा फल। यदि बुरे कर्मों का फल अचानक या इनी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वातावरण में वह अनीत कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एव आवागमन के सिद्धान्त एव-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि नर्म से, चाहे वह सत् ही या असत्, छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गीतम (१९।५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में कहा भी है। 'क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता' (गीतम), "मानवकर्म चाहे जा हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग के उससे छुटकारा नहीं हो सकता, यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा जाता है" (मार्क०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२।२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४ एव ६।२), छा० उप० (३।१४ एव ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के ओपनिषद वचनों पर आधारित है।

इसमें से उनका कथन है—'व्यक्ति पुन उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।' "जो त्रैसा करता है और जैसा विद्वान् करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान् कर्मों का व्यक्ति पुण्यवान् होता है, और अपुण्यवान् का अपुण्यवान्।' यहाँ उनका कथन है कि "व्यक्ति सबलों का पुत्र होता है। उसके जैसे सकल्प होते हैं, वैसे ही उसकी इच्छा-शक्ति हार्ता है, जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं, और जो

२१. न हि कर्म क्षीयते। गौ० (१९।५)। देखिए शकुराचार्य का वेदान्तसूत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोग-दृते पुण्य पाप वा कर्म मानवम्। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निषेध मे ॥ मार्क० (१४।४७); तस्मात्कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्त समाचरेत्। नाभुवनस्मान्नया नाश कल्पकोटिशतैरपि ॥ भविष्यपुराण (१।१९।२७)।

कुछ वह कर्म करता है वैसे ही फल पाता है" (बृ० उप० ४।४।५); "कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए मोनि (गर्म) में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मों एव ज्ञान के अनुसार जड़ पदार्थ (स्याणु, पेठ आदि) में प्रविष्ट होते हैं।" "मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात् उनके फलो का) उपभोग करोड़ों वर्षों तक नहीं हो जाता, कर्म (अर्थात् उनके फल), चाहे वे अच्छे हो या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने चाहिए।" और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२-७) एव विष्णुधर्मसूत्र (२०।४७)—"जिस प्रकार सहस्रो गावों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी नुस्ति के पहुँच जाते हैं।"

किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एव अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से समोपहित हो गया। गौतम (१९।-११-वर्षात् २९।८) का कथन है—“जप (वेद मन्त्रों का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एव दान उस (दुष्टत्व) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।” बमिष्ठ० (२०।४७ एव २५।३) की व्यवस्था है—“पापी प्राणी शरीर को पीडा देने, जप, तप एव दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लयातार प्राणायामों में सलग्न रहते हैं, पवित्र धनो का पाठ करते रहते हैं, दान, होम व जप करते रहते हैं, वे निस्सदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मनु (३।२२७) का कथन है—“आत्मापराध स्वीकार, पद्मात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (प्रायश्चित्त आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) से मुक्त हो जाता है और कठिनार्थ पड़ जाने पर (अर्थात् यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो जाता है।” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०।४०), शातातप (१।४), सवर्त (२०३), हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एव ३१) एव भविष्यपुराण (प्राय० वि०, पृ० ३१)।

प्रायश्चित्तों के विषय में लिखा है कि पूर्व हम पाप के फलो को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में बरुणप्रथास के तिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है—“वह अपनी पत्नी से स्वीकार कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण (२।५।२।२०) इसे यों रखता है—“क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है, तब वह सत्य हो जाता है।” यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एव मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्टत्वों में आत्मापराध स्वीकार का धार्मिक पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का एक भाग मात्र था।

२२. यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुष्यः पुष्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अयो लत्वाहुः काममय एवाय पुष्य इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुर्वते यत्कर्म तत्रभिषसद्यते ॥ बृह० उ० (४।४।५); अथ ललुः क्रतुमयः पुष्यो यथाक्रतुरस्मित्तोके पुष्यो भवति तथेतः प्रत्य भवति ॥ छा० (३।१।४।१); योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्याणुमन्येऽनुसप्तानि यथाकर्म यथाधृतम् ॥ कठ० उप० (५।७)।

२३. नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ यह स्मृति प्रायश्चित्तविदेक (पृ० १७) में गोविन्दवानर द्वारा एव तैत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ११)।

२४. तस्य निष्क्यणानि जपस्तपो होम उपयातो दानम्। गो० (११।११=वसिष्ठ २।२।८=बौधा० प० सू० ३।१०।९)।



## अध्याय २

### पाप-फलों को कम करने के साधन

**आत्मपराय-स्वीकृति—**आपस्तम्बपरमसूत्र (१।१।२४।१५, १।१।२८।१९, १।१।२९।१) में ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि व्यक्ति को अभिज्ञस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परिरथाय करने पर, या विद्वान् (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए मिथा मांगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा करनी चाहिए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को समोपापराधी होने पर सात घटो में मिथा मांगते समय अपने दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गी० २३।१८ एव मनु १।१।२२)।

**अनुताप (पश्चात्ताप)—**मनु (१।१।२२९-२३० = विष्णुधर्मसूत्र २।७३।२३१-२३२ = ब्रह्मपुराण २।८।५) का कथन है—“व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-वृत्त्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पश्चात्ताप) करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के सकल्प एव यह सोचने से कि ‘मैं यह पुनः नहीं करूँगा’ व्यक्तित्व पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराकं (पृ० १२३१)। विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप एव कृष्ण भक्ति करने पर मल दिया है। प्रायश्चित्तविधेक (पृ० ३०) ने अगिरा की उक्ति दी है—“पापों को करने के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी मल आदि कटा लेने के उपरान्त यज्ञ में बोधित होने के योग्य हो जाता है। अपराकं (पृ० १२३१) द्वाय उल्लिखित मम का वचन है कि अनुताप एव पापवर्म को पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तों के अग (सहायक तत्व) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते।

**प्राणायाम (श्वासावरोध)—**इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (१।१।४८ = बोधा० ध० सू० ४।१।३१ = वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २।५, शशस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है—“यदि प्रति दिन व्याहृतियों एव प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायें तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-हत्या (विद्वान् ब्राह्मण की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५।५।२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-२) ने व्यवस्था दी है कि तीन प्राणायामों के सम्मत् सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाण्ड० (३।३०५) का बचन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एव पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न निर्धारित हो, एक ही प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। गूढ का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के विभिन्न पापों के मोचन के लिए बोधा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न सस्याजों (३।७, १२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (पाण्ड० ३।३०५) एव अग्नि० (१।७३।२१)।

तत्र—ऋग्वेद (१०।१।५।४२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एव अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० (५।१७।१-२) एव मुण्डकोपनिषद् (१।२।१०-११) ने तप को ब्रह्म से ऊपर रखा है। गीतम (१९।१५) का कथन

है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एव साय) स्नान, गीले वस्त्र वा धारण (जब तक शरीर पर ही वस्त्र सूख न जाय) एव उपवास तप मे सम्मिलित हैं। बौधा० ध० सू० (३।१०।१३) ने इसमे अर्त्तिता, अस्तंन्य (किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एव गृहसुधूषा भी जोड़ दिये हैं। शौतम (१।१।१७) ने पाप के स्वरूप के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं—एक वर्ष, छ मास, चार मास, तीन मास दो मास, एक मास, २४ दिन, १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एव एक रात। मनु (१।१।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातको एव अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्यायन, ३९।२७)—“तपो द्वारा वह बर्म को फाट डालता है।”

हे—तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूप्माण्डहोम एव दीक्षा वा वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूप्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा—‘यद्देवा देवहेडनम्’ (याज० सं० २०।१४-१६ = तै० आ० २।३।१ एव ३-६)। कूप्माण्डहोम के लिए देखिए महर्षिचर्यामंविषाक। इस होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा—मांस वा सेवन न करना, मनाग न करना, असत्य न बोलना, शय्या पर न सोना। उसे नून (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिषा का सेवन करना पड़ता था। बौधा० ध० सू० (३।७।१) ने अनुमार अपवित्र व्यक्ति को कूप्माण्ड-होम मे भुनी हुई आहुतियाँ छोडनी चाहिए, निषिद्ध सामग्री करने से व्यक्ति धोर एव ब्रह्मपातक के रागान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज० (३।३०९) के अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाह तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० ने यम के मत से तिल की एक स्रास आहुतियों का उल्लेख किया है। मनु (१।१।३४) एव वसिष्ठ (२६।१६) ने मत से ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जप एव होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० शा० (२।५।२।२०) वा बचन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणामिनि मे होम करना पड़ता है—“यद् ग्रामे यदरण्ये यत्नभामां यदिन्द्रिये। यदेन्द्रचक्ष्मा यमिदं तदवयजामहे स्वाहा” (याज० सं० १।८।३।), अर्थात् “हमने जो भी पाप ग्राम मे, वन मे, समाज मे या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा।” मनु (८।१०५) एव याज० (२।८।३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई सारी किसी को मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाध्य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमे तैत्तिरीय साम्या के ‘अग्ने नय मुषपा’ जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महर्षिच०)।

ऐसा लगता है कि प्राचीन होम-भाषना वा स्वरूप शान्तिचारक वा समनचारक मात्र था। होम देवता द्वारा अपेक्षित नहीं था, अर्थात् देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की अंतर्धी जिससे देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईश्वर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा लोभो हुई भगवत्पुत्र को पुनः प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्रायश्चित्त-सम्बन्धी एव शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात् होम करने मे पापी शूद्र हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी कर लेता था। होम पशु की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप मे जितने पाप-बर्म एव नियमोल्लपन से अपना जीवन लो दिया हो) वा आहुतियों वा ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एव पुनः उसने दान द्वारा किया जा सकता था।

जप (प्रार्थना वा स्तुति के रूप में वैदिक मन्त्रों का पाठ)—जप के तीन प्रकार हैं, वाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपानु (अस्पष्ट उच्चारित) एव मातृ (मन से उच्चारित)। इनमें से प्रत्येक आगे बाला दस गुना अच्छा माना जाता

है (सधु-हारीत ४, पृ० १८६)। शबर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एव स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम (जप) में मन्त्र मा मन्त्रों का कथन मात्र होता है।<sup>१</sup> धारंसायनब्राह्मण (१४।१) में उपांशु नामक जा की प्रशंसा की गयी है। अथर्वब्राह्मण (१।१।२०) के मत से जप, अनुमन्त्रण आध्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांगु हैं। आपस्तम्ब-श्रौतसूत्र (२४।१।८-१०) ने कहा है कि ऋग्वेद एव सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वाग्विन्द्य के प्रयोग सहित किन्तु बिना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात् बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आध्यात्मिक प्रयत्न नहीं रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता—'करणवदशब्दममन-प्रयोगमुपांशु')। गौतम (१९।१२ = बोधो० प० सू० ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को धुचिकर (पवित्र करनेवाली) कहा है—उपनिषद्, वेदान्त, सहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पश्चात् या क्रमपाठ को छोड़कर), यजुर्वेद का 'मधु'सूक्त, अथमर्षण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-२), अथर्वगिरस (अनुष्ठाक वाला), रुद्रपाठ पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत एव रोहिण्य नामक दो साम, बृहत्साम एव रघन्तर, पुरुषर्गति साम महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम ज्येष्ठ सामों में कोई एक, बहिष्पवमान साम, ब्रूम्याष्व, पावमानी (ऋ० ९) एव सायिकी (ऋ० ३।६२।१०)। जप-सम्बन्धी मौलिक भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्षक थी। उपनिषदों एव अन्य षड्गो के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक देवी शक्ति की चिन्तायी (स्फुलिंग या अभिव्यजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। पवित्र षड्गो के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, हृदय (मन) की शुचिता, असगता (निष्कामता या मोहहरितता) एवं परमात्मा में आत्म-समर्पण।

मनु (१।१।४६) ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रायश्चित्त के रूप में वैदिक षड्गो के जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायश्चित्तों से ही होता है।

मनु (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११ = विष्णु० ५५।१० २१) ने कहा है— जप का सम्पादन (वेद के) नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दशपूर्वमास आदि) से दम-नुना लाभकारी है उपांशु विधि से किया गया जप (यज्ञों से) सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (शैशवेय, बलि, आह्निक ध्याय एवं अतिथि-सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते। ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च गति को प्राप्त करता है, यह अथर्व कर्म (यथा—वैदिक यज्ञ) करे या न करे, ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता है (सभी का साहाय्य करता है)।<sup>१</sup> गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्ता हुई है (ऋ० ३।६२।१०)। देखिए इस प्राय का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में सख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया जाता है (प्राय० प्रकाश)।

१ अत्र जपयज्ञ प्रकृत्य मरत्तित्पुराणम्। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेद निबोधत। वाचिकाख्य उपांशुश्च मानसत्रिविधः स्मृतः॥ त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान् स्याद्भुक्तरोत्तरम्॥ अत्र हारीतः। उच्चस्वैकगुणः प्रोक्तो ध्यानाद्दशगुणः स्मृतः॥ उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः॥ स्मृतिचरिका (१, पृ० १४९)।

२ षड्गण जपनमिति समनार्थः, यस्मिन् जपुः व्यक्तार्था वाचोति स्मयते। तेन यत्र षड्गणमात्र मन्त्रस्य कियते न स्तुयते नाशास्यते स जपः। शबर (जं० १२।४।१)।

मनु (११२६१-२६२), वसिष्ठ (२७१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध को जला बालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने तीनों लोको का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केवल धर्मवाद (प्रसासामय) हैं और इन्हें गम्भीरता से या शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७१ = अंगिरा १०२) ने सावधान किया है—“वेद की सामर्थ्य का सहारा लेकर पापकर्म का लाम नहीं उठाना चाहिए (जैसा कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि अन्य दुष्कर्म (जो जान-बूझकर किये जाते हैं)।”

बहुत-सी स्मृतियों, यथा—मनु (१११२४९-२५७ = विष्णु० २।७४।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं २८।१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७), दश (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), सर्वत (२२७-२२८), शोषा० घ० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, ४।४।२-५), याज्ञ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूक्तों, पृथक्-पृथक् वैदिक मन्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्वानामाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे।

ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि श्रौतक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋद्धमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी है। सामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्ही विशिष्ट वैदिक सूक्तों के पाठ की व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ पवित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप वम-से-कम दस से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है—केवल दूध पर रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुट्ठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत में कुछ सोना घिसकर खाना), केवल पृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं।

सूक्तकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वर्ग ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः शूद्रों द्वारा पाप-मोचन के लिए वैदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताशरा (याज्ञ० ३।२६२) का कथन है कि यद्यपि शूद्र (एष स्त्रियो ओर प्रतिलोभ विवाहो से उत्पन्न लोगो) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप का अधिकार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) वारक म रत्नर उनका भासत जप कर सकते हैं। शूद्र केवल 'नमो नम' कह सकते हैं 'ओम्' आदि नहीं (यो० १०।६६-६७ एवं याज्ञ० १।२२१)। आप० घ० सू० (१।४।१३।६) के मत से 'ओम्' यह रहस्यात्मक शब्द स्वर्ग का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दृष्टापूर्वक कथन है कि ओम् (जिसे प्रणव की संज्ञा मिली है) परमात्मा की भावना का घोटक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है।

३. न वेदवसामाधित्य पापकर्मरतिर्भवेत्। ममानाच्च प्रमादाच्च बहुते कर्म नेतरम्॥ वसिष्ठ (२७।४) एवं अंगिरा (१०२)।

४. ओद्धारः स्वर्गद्वारं तस्माद् ब्रह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत। आप० घ० सू० (१।४।१३।६); तस्य वाचकः प्रणवः। तद्व्यपत्तदर्थं भावनम्। योगसूत्र (१।२७-२८); वाचस्पति की व्याख्या है—प्रणवस्य अप्य प्रणवा-भिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्। तदस्य योगिनः प्रणवो जपतः प्रणवार्थं च भावयन्निवसतमेकाद्यं सम्पद्यते।

जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए वैदिक सूक्तों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान् नारायण (हरि या कृष्ण) के स्मरण से पाप नष्ट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह से निर्मित गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से तीन पद्य उद्धृत किये हैं—“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से (‘फिर ऐसा नहीं करेंगे’, इन सङ्कल्प से), दान (त्याग) से, आस्थापन से (दूगरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही जाता है, किन्तु ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायश्चित्तों, यथा—ताप (चान्द्रामण आदि) एवं अन्य कृत्यों (जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, सप्या, मध्याह्न आदि में स्मरण करता है, तो वह उन्नी दाय पाप-क्षय प्राप्य कर लेता है (विष्णुपुराण)।” ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है—“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता। ऐसे लोग भी, जो जनार्दन को सठ्ठापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक को चले जाते हैं।” विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (‘ओ नमो भगवते वासुदेवाय’) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उमका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपर्व (१६१। १४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिंहपुराण (अध्याय १८) ने अप्टाक्षर (‘ओ नमो नारायणाय’) मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)—“बहुत-से मन्त्रों के प्रयोग एवं श्रुतों के सम्पादन से क्या लाभ है, जब ‘ओ नमो नारायणाय’ नामक मन्त्र सभी निद्रियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिंग-पुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ८५) एवं सीरपुराण (६५) में पचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म-पुराण (४।१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचार्यप्रदति (पृ० ६७) का कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मार्त कृत्यों में ऐसी बात नहीं है।

वन—गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है—“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात् वृत्ति या भरण-मोचन से परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचर्म के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।” यही

५. भविष्यपुराणम् । अपुनःकरणस्यागास्त्यापनावनुधित्नात् । व्यर्षति महदप्येनः प्रायश्चित्तं केवलम् ॥  
विष्णुपुराणः । प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःउत्तमकानि च । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ प्रातर्निशि  
तथा सप्यामध्याह्न्यादिवृ संस्मरन् । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ प्राय० वि० (पृ० ३१) । ‘प्रायश्चित्त०  
... परम्’ विष्णु० का ११।६।३९ पद्य है । और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अथर्वकं (पृ १२३२)  
एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ५२४) ।

६. कृत्यादि बहुशः पाप नरा मोहसमन्विताः । न यान्ति नरकं नत्वा सर्वपापहरं हरिम् ॥ श्राद्धेनापि नरा  
नित्यं ये स्मरन्ति जनार्दनम् । तेषां यान्ति तन्मृत्युत्वा विष्णुलोकमनामयम् ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८) ; अथर्वि  
न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्ताकाः । विष्णुपुराण (१।६।३९) ।

७. हिरण्य गोवत्सोऽथवा भूमिस्तिला घृतमश्रमति वेपानि । एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन् । गौ०

बात विष्णु० (१२।४) ने भी कही है। सर्वात (२०४) में आया है कि सोने, माघ, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों में किये गये पापों को काट देता है।<sup>१</sup> मेधातिथि (१।१३९) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातों और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एवं ताम्रपत्रकों में जो भूमि-दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा उनके पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जित्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१)। बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।<sup>१</sup> राजतरंगिणी (१।१४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत किया है।

उपवास—उपवास करने का यास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, विन्तु साधारणतः इसका अर्थ है थोड़ी मात्रा में हल्का भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० सं० (१।६।७।३-४) में दशपूर्णमास-दृष्टि के दिनों के प्रति की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा—ग्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना, या बन-भोजन करना, या कुछ न खाना। गौतम (१।१।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१।१।१६) पर उपवास (या अनासक) को 'तपासि' अर्थात् तपो में रखा है। हरदत्त (गौतम १।१।११) ने उपवास को भक्त (भान या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, और कहा है कि उपवास एक बार पुनः 'तपासि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ में लिया है। गुरुसूत्रों में उपवास का अर्थ है यशों में प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हल्का प्रयोग, विन्तु उसके साथ दाक, माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६, सादिर० २।१।४ एवं ६; कौटिल्यसूत्र १।३१, ३२, वाक्य० ४६।२)। बृहदा० उप० (४।४।२२) ने अनासक (उपवास) को तप से सम्यक्त कर कहा है कि यह परमात्मा की अनुमति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।१-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (१।१।२०३=विष्णु० ५।४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यों (यथा दशपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या-वन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विसिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु ४।३४)। उपवास करते समय कई कर्म छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, इसी प्रकार पान (गाम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं समोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवक, अपराकं पृ० १९९, स्मृतिचं० २, पृ० ३५५) विन्तु शरद्वृत्तान्त (१।१२।८६) एवं भविष्यपुराण (१।१८।२७) ने उपवास के समय

(१।१।१६ एवं १८); अथाप्युराहरन्ति। परिक्रिचल्लुहते पापं पुण्यो वृत्तिक्रियतः। अपि गोचर्मगात्रेण भूमिदानेन क्षुम्यति ॥ वसिष्ठ० (२।१।१६)। 'गोचर्म' के अर्थ के लिए बेटिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६।

८. शुचर्मदानं गौरानं भूमिदानं तर्ष्य च। नाशयन्वासा पापानि अण्यजन्महृतान्यपि ॥ सर्वातं (२०४. प्राय० तप्य० पृ० ४८३)। हिंसायां दानमेव मुख्यमित्युक्तं भविष्ये। हिंसात्मकानां सर्वेषां जीवितानां मनीषिभिः। प्रायश्चित्तकर्मभ्यानां दानं प्रथममुच्यते ॥ प्राय० प्र०।

९. ब्रह्मा भूम्यादिकं राजा ताम्रपत्रे पटोऽपवा। शासनं कारयेद्भवं स्थानव्यवहितंयुतम् ॥ मानातित्रो-रात्मनश्च पुण्यायामुत्सूतये। इत्तं मयामुत्पाया दानं ताम्रपारिणे ॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६)।

पुण्यो, आभूयणो, मरुकीले परिधानो, मालाओ, अजबो, चन्दन-लेण, दन्तमज्जन के सेवन की अनुमति दी है। दस (पर० मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और स्नान करता है तो यह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।"

मनु (११।१६६—अग्नि० १६९।३१) ने घास, ईंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, साल एव मास की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व (१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के लोगो ने एव म्लेच्छो ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों (पारसियों को छोड़कर) ने, यथा—हिन्दू, ईसाई (लेण्ट मे) एव मुस्लिम (रमजान मे) ने अपने मन के नियन्त्रण एव प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। मविध्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि अग्निहोत्र न करनेवाले लोग द्रव्यो, निग्रहों, दांतों और विरोधत उपवासो द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (श्लोक १८-२२)। शत० श्रा० तथा श्रौत एव गृह्य सूत्रों में उपवसथ शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस्)। आप० घ० सू० (२।१।१।४-५) ने प्रति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना साये न रह सकें तो दिन में केवल एक बार उपवास के भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अथर्वकं (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पृ० ३५५), इत्यरत्नानन्द ने व्यास को उद्धृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।" आप० घ० सू० (२।५।९-१३), बौध्वा० घ० सू० (२।७।३२), बसिष्ठ० (६।२१), शाखायनगृह्य० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा—'आहितानि, गात्री का बल एव ब्रह्मचारी—ये अपना कार्य साकर करते हैं, वे बिना साये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' यह कथन प्रायश्चित्तो एव एनादशी के उपवासो में नहीं प्रयुक्त होता (आप० घ० सू० २।७।३४)। शान्तिपर्व (३२३। १७) का कथन है—'जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि में तपाये गये व्यक्ति के पाप समाप्त न होनेवाला यानन्द आ जाता है।" शान्तिपर्व में एक स्थान (७९।१८) पर और आया है—'उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रसृत अहिंसो, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्रह एव कृपा ही तप के धर्मक है।"

तीर्थयात्रा—ऐसा विश्वास या कि तीर्थयात्रा करने एव पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अदकमेप से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञो के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान बूझकर न की गयी ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।" देवल का कथन है—'व्यक्ति तीर्थस्थानो एव देवमन्दिरों में जाते

१०. अपने विषुवें चंद्र चन्द्रसूर्यग्रहे तथा। अहोरात्रोषित. स्नात्वा सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ दश (पर० श्रा० १, १, पृ० ४३८)। विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं।

११. 'उपवसुत्स्य पापेभ्यो यस्तु वासो युगैः सह। उपवाष्ट स विज्ञेयः सर्वभोगविर्वाञ्छितः ॥ अथर्वकं, पृ० १९९। 'युगैः' का अर्थ है 'क्षमादिभिः' एवं 'वास' का अर्थ है 'नियमेनावस्थानम्'।

१२. चातुर्विधोपपन्ने तु नियने ब्रह्मपातके। समुद्रतेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ पराशर (१२।५८, अथर्वकं, पृ० १०६१; प्राय० वि० पृ० ४५)। प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है—'ब्रह्महत्याप्रतमूपक्रम्य भविष्यपुराणे।

से एव तपस्वी ब्राह्मणो के दर्शानो से पाप-मुक्त हो जाता है और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान् पर्वत, मन्दिर एवं वन पवित्र हैं।" मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी बहि-  
भूक्त (बाराणसी) में पहुँचने से कट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९।३) का कथन है—'मैं कलियुग में सभी जीवों के पापों के नाश के लिए बाराणसी से बयकर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता।' वेदावाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म-  
हत्या के लिए तीर्थयात्रा की आवश्यकता थी और यह कहा गया था कि इस प्रायश्चित्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (तेलेशान फ़ाम वेदावा रेकॉर्ड्स, जिल्द ४३, पृ० १०७)।  
और देखिए राजवाह सण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५)। स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों भृगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जैसे महान् ऋषियों, हरिद्वन्द्व, नल एवं सुगर जैसे राजाओं ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों ने राज्य प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थी। हम तीर्थों के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे।

विष्णुपुराणो यस्य निवासः परिकीर्तितः । पराशरभर्तृ तस्य सेतुबन्धस्य बर्दानम् ॥ इति । . . . अथ च विष्णुपुराण-  
वर्तितं चण्डिकाशक्तत्रयद्योगमनेन साधकसंख्याकुराज्यापत्यापनोद्योगहत्यापनोद्योगेस्तेस्तीर्थानुकूलैर्कुर्याजनामन-  
द्वैर्कैश्चप्राजापत्यतुल्यावमर्षांशुक्त भवति ॥'

१३ मान्यल्पश्रामि जन्तुनां भुक्त्वा बाराणसीं पुरीम् । सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कर्त्तुं युगे ॥ कूर्मपुराण  
(पूर्वार्ध, २९।३, परा० भा० २, २, पृ० १९२) । अभिसंगम्य तीर्थानि पुष्पाभ्यायतनानि च । नर- पापात्प्रमुञ्च्यैत  
ब्राह्मणांश्च तपस्विनः ॥ शर्षाः समुद्रगाः पुष्पाः सर्वे पुष्पाः शपोत्तमाः । शर्षभायतनं पुष्पं सर्वं पुष्पा बनाभया ॥ देवक  
(परा० भा० २।२, पृ० २०१, प्रा० प्रकान) ।



## अध्याय ३

### प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ

वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही है, यद्यपि प्रायश्चित्त अपेक्षाकृत अपिच प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, ५।१।९।३ एवं ५।३।१।२।१) में प्रायश्चित्त शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है। इस शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक पटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, यथा—उत्सा (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० स० (५।३।१।२।१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो रूप थे। कौपीतिकि शा० (६।१२) में आया है—“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में भुटि या अतिरेक पटित होता है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।” यह शब्द अथर्ववेद (१।४।१।३०), वाज० स० (३।९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० शा० (५।२७), शत० शा० (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौपीतिकि शा० (५।१।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आश्व० श्रौ० (३।१०।३८) एवं शास्त्र० श्रौ० (३।१।९।१) में क्रम से प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं। पारस्कर गृह्य० (१।१०) में प्रायश्चित्त का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१।६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की (जै० १२।३।१।६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं—(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या यज्ञोपकरण में गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को मुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ का प्रयोग किसी कृत्य में सहायक भागों के रूप में, अर्थात् उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यक्-

१. असाधारण्यो न व्यरोक्षत तस्मै देवा प्रायश्चित्तमिच्छन्। तै० स० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१); यदि भिद्येत संशयं कपालं ससृजेत्सैव ततः प्रायश्चित्तम्। तै० स० (५।१।९।३); एव च प्राजापतिं सर्वं करोति योऽश्वमेधेन यजेते सर्वं एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तं सर्वस्य श्रेयजम्। तै० स० (५।३।१।२।१)।

२. यद्वं यतस्य हस्तलिप्तं बोल्लेखं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विधया भिद्यन्वति। कौपीतिकि शा० (६।१२)।

३. विध्यपरायं प्रायश्चित्तम्। आश्व० श्रौ० (३।१०); विध्यपरायं प्रायश्चित्तम्। अर्थलोपे प्रतिनिधिः। शा० श्रौ० (३।१।९।१); विध्यपरायं प्रायश्चित्तं बोधविघातार्थं विधोयतेऽनाज्ञाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तस्मिन्प्रेम्या-होमाद्यं हननार्थमिति। बंलानसभौतपूत्र (२०।१)। नारायण की टीका में आश्व० श्रौ० (३।१०) की व्याख्या में है—“विहितस्याकारणोऽन्यथाकरणं च प्रायश्चित्तः कर्तव्यः। प्रायो विनाशं चिन्तितः सन्धानम्। विनष्टसंधानं प्रायश्चित्तमित्युक्तं भवति।”

स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब)। शत० ब्रा० (१२।४) एव ऐत० ब्रा० (३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा - जब कोई दुष्ट शूबर, भेड या कृता यज्ञिय अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-नात्र मुख के बल उलट जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बँट जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त ही अग्नि बूझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गू० (१।३), हिरण्यकेशि गू० (१।५।१-१६), भारद्वाज गू० (२।३२), कौशिकसूत्र (४६।१४-५५), आश्व० धौ० (३।१०) एवं आश्व० गू० (३।६-७)। मोमासा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो ऋषयः है या पुण्यार्थः। प्रथम प्रकार की व्यवस्था श्रौतसूत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायश्चित्तों का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में भी बहुत कम प्रयोजित होते थे।

अधिकांश निबन्धों एवं टीकाओं में प्रायश्चित्त की व्युत्पत्ति प्रायः (अर्थात् तप) एव चित्त (अर्थात् सत्व या दृढ विश्वास) से की है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के सत्व से है या इस विश्वास से है कि इससे पापमोचन होगा। कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६) के मत से 'प्रायः' का अर्थ है 'पाप' और 'चित्त' का 'घोषन' या शूदीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तूप्राध्याय एव टोडरानन्द ने इसे उद्घृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्घरण के मूल को अप्रामाणिक माना है। हेमाद्रि ने भी एव अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है, 'प्रायः' का अर्थ है 'विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'सधान' (एक साथ जोड़ना) अतः 'प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति', अतः यह पाप क्षय के लिए नैमित्तिक कार्य हुआ।<sup>१</sup>

परारारमायवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (परचात्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पर्यद् (विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद् या सभा) द्वारा विषम के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात् साधारण स्थिति में कर दिया जाता है।<sup>२</sup> सामविधान की टीका में सायण ने एक अन्य व्युत्पत्ति दी है; 'प्रायः' शब्द 'प्र' एव 'अयः' से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा-

४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ अंगिरा (हरबल, शौ० २२।१; प्रायश्चित्तविवेक पृ० २)।

५. तनुव्रतम्। प्रायः पापं विनिश्चितं चित्तं तस्य विशेषणम्। इति। चतुर्विंशतिमतेऽप्येवम्। तथा पाप-निवर्तनशमयमर्थविशेषे घोषकरोऽयं शब्द इति तत्त्वम्। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६)।

६. यत् पक्षधरमिधमभक्तूप्राध्यायटोडरानन्दकृतः—प्रायः पापं विजानीयाञ्चित्तं तस्य विशेषणमिति च वेदस्तत्राकारविधेयः। प्राय० म० (पृ० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापक्षयार्थं नैमित्तिके कर्मविशेषे वर्तते। हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० १८९)।

७. प्रायशब्द समं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। पर्यदा कार्यते यत् प्रायश्चित्तमिति स्मृतम् ॥ पापिनोनुतापि-मन्त्र चित्तं व्याकुलं सद् विषमं भवति तच्च पर्यदा येन प्रतानुष्ठानेन प्रायणोऽवश्यं समं कार्यते तद् व्रतं प्रायश्चित्तम्। व्रतं चारयित्वा चित्तवैषम्यनिमित्तं पापं प्रदीयते क्षम्यते विनाशयते इत्यर्थः। परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३)।

दन करने की घटना या जानबूझी, और 'चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः चित्ती विधिघट घटना की जानकारी के उपरान्त धार्मिक कृत्यों का फलन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (पृ० ३) एव प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्भूत कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है—प्रयत्न (पवित्र) + चित्त (सगृहीत), जिससे अनुसार 'प्रायश्चित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य यथा—तप, दान एव यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत्न (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापी (चित्त = उपचित्त) का नाश कर देता है, जिस प्रकार चि बह्वच नमक (दारु), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा शौलते पानी में डालने एव पत्र से धोने से स्वच्छ हो जाता है। अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायश्चित्त' शब्द स्व रूप से उस कर्म या कृत्य का घोलन है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात् इसका उपयोग सभी होता है जब कि उसके लिए कोई अवसर आता है, यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह काम्य भी है।" बृहस्पति ने प्रायश्चित्त को नैमित्तिक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ७) एव बालमन्त्री (याज्ञ० १२०६)। पाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एव काम्य दोनों कर्मों से है।

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं, कामकृत (अर्थात् जो जान-बूझकर किया जाय) तथा अकामकृत (अर्थात् जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय)। कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (१।१४५) एव याज्ञ० (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायश्चित्तों अथवा वैदाप्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बूझ कर किये गये पापों के विषय में। गौतम (११।३-५ = षष्ठीपठ० २२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया है कि दुष्टियों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से ही उनका नाश सम्भव है), किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है—“कोई व्यक्ति पुनस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुन भोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात् वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता है)।” दूसरी उक्ति यह है—“घ्रायस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है)।” तीसरी यह है—“जो व्यक्ति अद्वयमेव करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता

८. अयं अयः प्राप्तिः। प्रकृषेणाय प्रायः। विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थः। तत्प्रकारविकर्म चित्तं चित्तित्तानम्। तत्पूर्वकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविधान भा० १।५।१)।

९. तत्र हारीतः। 'प्रयत्नत्वादीपचित्तमनुभवं कर्म भाजयतीति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपःप्रभृतिक कर्म उपचित्त सचित्तमनुभवं पाप भाजयतीति। कृततत्कर्मभिः कर्तुः प्रयत्नत्वात्। शूद्रत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्। तथा च पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्तेदेवचरनिर्गोवनप्रक्षालनादिभिर्दार्शानि शृण्वन्ति एवं तपोदानयज्ञैः पापकृतः शूद्रिमुपयति। प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३), अवनपरिजात (पृ० ७०३) एव मा० प्र०।

१०. प्रायश्चित्तशास्त्रद्वारायं पापक्षयार्थं नैमित्तिके कर्मविधौ चैव। मिता० (३।२२०), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८५९; पराशरभाष्येय २।१, पृ० ३)।

११. कर्म के तीन प्रकार हैं—नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा—सन्ध्या-स्नान, और जिसके न करने से पाप लगता है। नैमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यथा—ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यथा—पुत्र के लिए पुनैष्टि यज्ञ।

है।" और चौथी उक्ति यह है—“जो दूसरों पर महापातक मड़ता है, वह अग्निष्टुत करता है।” वनिष्ठ (२०। १-२) ने प्रायश्चित्तों की सामर्थ्य के विषय में उपर्युक्त दो मतों को व्यक्त किया है। मनु (११।४५) का कथन है कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के क्षमनायें प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त धृतिवचन केवल अर्धबाध (अर्थात् प्रसन्ना या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अर्धबोध एव अन्य उल्लिखित दण्ड किये जाने चाहिए। इस विषय में ‘रात्रिसत्र’ न्याय चरितायं होता है (जं० ४।३।१७-१९)। कुछ सत्र (बारह वर्षों से भी अधिक अवधियों तक चलने वाले दण्ड) प्रसिद्ध हैं, यथा—त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें रात्रिसत्र कहा जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है—“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अलौकिक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विरोध का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः इस वचन में प्रयुक्त ‘प्रतिष्ठा’ या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जं० ४।३।१५-१६)। यही बात याज्ञ० (३।२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है, ‘प्रायश्चित्तों से पापमोचन होता है।’ मेधातिथि ने तैत्ति० स० (६।२।७।५), काठक स० (८।५) एव ऐत० ब्रा० (३।५।२) में वर्णित गाथा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, “इन्द्र ने यतियों को शालावृक्षों (कुत्तो या भेड़ियों) को अर्पित कर दिया और उसे उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उपहृद्य नामक कृत्य करना पड़ा।” मनु (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में किये गये पापों का क्षमन वेदवचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट किये जाते हैं।

याज्ञ० (३।२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, विन्दु पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के समर्थ में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जान-बूझकर अर्थात् जान-पूर्वक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (११।१८९) के इस कथन से भी झलकती है—‘प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।’ याज्ञ० (३।२२०) ने व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी गूढ़ि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए; इस प्रकार (जब वह प्रायश्चित्त कर लेता है) उसका अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में उल्लिखित प्रायश्चित्त-उद्देश्य ससंप मे निम्न हैं—शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एव लोगों से ससम्-स्थापन। छागलेय (मदनपारिजात, पू० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पू० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों के फलों से ही प्रायश्चित्तों द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या ज्ञान-हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० (२, भाग १, पू० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्य एव देवल के दो पद्यों को उद्धृत कर प्रायश्चित्त की सामर्थ्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बोधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है, जानपूर्वक किये गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अगिरा का यह भी कथन है कि व्रजित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिन प्रकार अग्निपार को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मनु (११।४७) का कहना है—“जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अथवा इन जन्म में

भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित्त नहीं कर लेता तब तक सुधी जनो के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।" आप० ध० सू० (१।१।२४।४-२५) में व्यवस्था दी है—“यदि कोई व्यक्ति गृह (पिता, वेद-शास्त्र आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १।१।२४।१०-३२) के अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्टकर्म के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी मृत्यु पर कट जाता है।” इससे प्रबट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही मत अंगिरा, राम आदि का भी है।

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समायाग मिताशारा (याज्ञ० ३।२२६) ने किया है, जो सभी मध्य-काल के समझो को माय है। उसकी उक्ति है—पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, मया—नरक की प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यो द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से म बचा सके तो भी उसने द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पापकृत्य वसन्धीय (जातिध्वस्त करनेवाले) नहीं है वे मनु (१।१।४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो वसन्धीय हैं और जान-बूझकर किये गये हैं, अपस्तम्बयमसूत्र (१।१।२४।२४-२५ एवं २।१।०।२।१८) के कथन से मृत्यु पर्यन्त चलने वाले प्रायश्चित्तो से दूर हो सकते हैं (मनु १।१।७३, याज्ञ० ३।२।४७-२४८, गौतम २।३।२-३ ब्राह्मण-हत्या के लिए, मनु १।१।९०-९१, याज्ञ० ३।२।५३, गौतम २।३।१, सुरापान के लिए, गौतम २।३।८-११, मनु १।१।१०३-१०४, याज्ञ० ३।२।५९, गृह-माली से सम्भोग के लिए, मनु १।१।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२।५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के लिए)। प्रायश्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त चलनेवाला प्रायश्चित्त कालिकरम्यं मतानुसार वजित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के लिए केवल बारह वर्षों का प्रायश्चित्त ही पर्याप्त है।

पराशरभाष्यीय (२, भाग १, पृ० २०१-२०३) ने मिताशारा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२।२६) में ‘कामतो-ऽभ्यवहार्यंस्तु’ को ‘अबग्रह’ के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टो से मिलने की अनुमति नहीं पा सकता। मनु (१।१।१९० = विष्णु० ५।४।३२) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा करने पर नुरा करता है, जो धारण में आगत की हत्या कर डालता है, जो रिश्वतों का हस्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, अके ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार का एक पलोक याज्ञ० का भी है (३।२।९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की धोतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिताशारा का कथन है—“याज्ञ० (३।२।९८) ने जो निपिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन बचनों (उक्तियों) पर आधारित है न कि तत्काल पर। ‘बचन’ क्या नहीं कर सकते हैं? बचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए ‘बचनों’ पर आधारित यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसर्ग नहीं कर सकता।” यह उक्ति पावर भाष्य से ली गयी है और विरक्त-

रूप से लेकर आगे के सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले ही वे तर्कसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हों। प्रायश्चित्ततरव (पृ० ५४४-५४५) ने पिताभग्न द्वारा प्रतिपादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्दोषों को उद्धृत कर कहा है कि बृहस्पति के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए, "केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए, स्त्रियों के हत्यारो नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर सकेत नहीं करता प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश) करता है।" नारद (सा०, श्लोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात् अधिकतम दण्ड पाने वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की ससर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्पण करते हैं वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचारान्च) का सहारा लेते हैं। किन्तु परा० मा० ने ठीक ही कहा है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर सकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर सकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८६७-८६८)। प्रायश्चित्तमयूष (पृ० ७) का कथन है कि शकुराचार्य ने याज्ञ० (३।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या की है और कहा है कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत (आजीवन ब्रह्मचर्य या संन्यास) से च्युत हो जाते हैं वे ही समाज-ससर्ग से वंचित होते हैं।

एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रायश्चित्त पाप का नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय? उत्तर है—कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानो में अप्यश होने, नीच लोगों से मित्रता करने या दूद्र की नौबरी करने से पाप क्यों लगता है। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा। यदि पापमय कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा। भगवद्गीता (४।३७) का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (सचित) कर्मों (एव उनके फलों) को जला डालती है।

बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एव मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाध्य (झूठी गवाही) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यों के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते थे। सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एव मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों की अपेक्षा हल्की थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो दाताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी भारी दण्डों की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा—पूर्व अथीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एव सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक माना जाता था, बसिष्ठ १।१९, कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपपातक मात्र है), अग्निहोत्र आरम्भ कर उसे छोड़ देना (उमसे सम्बन्धित कृत्य न करना)। ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय

वचनस्यातिभारोस्ति।' अतएव यद्यपि व्यभिचारिणोनां वधेऽप्येव एवं प्रायश्चित्तं तथापि वाचनिकोऽयं सव्यवहार-प्रतिषेधः। पिता० (याज्ञ० ३।२९८)।

राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मांग को अग्र्य करने, राजा को भोजन करते समय लुक-छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों की प्रणामों में बल देकर राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य करने से जो पचास छत्रों में गिने जाते हैं) राजा उन्मत्त हुए देखा जाता था। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जो नितम्बों के आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों की सीमा के अन्तर्गत आते थे।

102300

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद् द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिपदों द्वारा व्यवस्थित राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या एक-दूसरे के अलग-अलग? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० स० में भी अश्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविषाक (त्रो-व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राश्चिषाक के समान है) का उल्लेख वाज० स० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों एवं शासन प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विरोध प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यब्रा० (१।४।६।६) में निर्दिष्ट अनि-विष्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अपराध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर म उद्धृत) का कथन है—“यदि किसी सन्ध-रिज एवं वेदाभ्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।”

परिपद् प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिपद् के नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिपद् के धार्मिक न्याय-संज्ञ में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियों देकर राजा को न्याय-शासन में सहायता देते थे। देखिए वसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८।१) ने दण्ड-ब्रा० (५।४।४।५) के शब्दों के समान ही कहा है—“राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण सप्ताह की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।” आपस्तम्बधर्म सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्वपूर्ण सूचना है—“जो लोग इन्द्रिम-दीर्घत्व के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी सुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पर्य भ्रष्ट हो गये हैं, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचार्य के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। राजा उन्हें धर्मशास्त्र एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। सार्वरीक दण्ड एवं दामता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुर्बल)

१४. वृत्तस्वाध्यायवान् स्तेयो बन्धनात् विलम्बते चिरम्। स्वामिने तद्धन बाध्य प्रायश्चित्त तु कारयेत्॥  
 बृहस्पति (विवादरत्नाकर वृ० ३३१)। सम्भव है कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान् ब्राह्मण को, जो सवा-चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए।

१५ द्वौ लोके धृतरतो राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुत। गौ० (८।१)। शतपथब्राह्मण (५।४।४।५) में आया है—“निषताव धृतरत इति धृतरतो वं राजा. . . एष च श्रोत्रियश्चेति ह वं द्वौ भनूष्येव धृतरतो।”

बना दे।" इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तो के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, श्लोक ३) ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनो पर। देवल का कथन है—“राजा कृच्छ्रो का दाता है (अर्थात् व्यवस्थित प्रायश्चित्तो के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान् धर्मपाठक (धर्मशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तो के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला है।” पराशर (८।२८) का कथन है—“राजा की अनुमति ले लेने से उपरान्त परिषद् को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायश्चित्त बिना राजा का सूचित किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १, पृ० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवल गोवध जैसे पापों या सबसे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही कथन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३, प्राय० सा०, पृ० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद् की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पंडीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) न प्रायश्चित्त एव दण्ड दोनों की व्यवस्था दी है और श्लोक के बग या गठन से शलकता है कि दोनों राजा द्वारा आनापित होते थे।<sup>१</sup> इस प्रकार मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है।

दण्ड एव प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एव इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० घ० सू० (१।९।२४-१५) का कथन है कि क्षत्रिय या वैश्य या दूद्र की हत्या करनेवाले को वैर मिटाने के लिए नम से एक सहस्र, एक शत एव दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बैल देना चाहिए। लेकिन ये गायें किसको दी जायेंगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए। मनु (१।१।२७, १२९, १३०) एव याज्ञ० (३।२६६-२६७) ने भी प्रायश्चित्तो के अन्वय में ऐसी व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बोधो० घ० सू० (१।१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का भी यही तात्पर्य था। राजा इन गायों को मृत श्रमियों के कुल को दे देता था, किन्तु यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देना था। मनु (९।२४३-२४५) का कथन है कि हत्यारो के दण्ड से प्राप्त पन राजा को नहीं लेना चाहिए प्रत्युत उसे वध के लिए जल में छोड़ देना चाहिए या विद्वान् ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनु (९।२२६) का कथन है कि यदि चार महापातकों (ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें धारैरिक दण्ड (मस्ताक पर दाग लगाने या दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अथ-दण्ड भी देना चाहिए। मनु (९।२३७=भस्म० २२७।१६४) एव वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, गुरापान, स्तेय एव ब्राह्मण-हत्या के लिए नम से शत्रु के गुप्त्याग,

१६ कृच्छ्रार्णो वायको (वायको ५।१) राजा निर्दोषा धर्मपाठकः। अपराधी प्रयोक्ता च रक्षिता कृच्छ्र-पालकः॥ देवल (मदनपारिजात पृ० २७७); प्राय० सा०, पृ० ८। राजश्रुतमते स्थिषा प्रायश्चित्त विनिर्दिशतु। स्वयमेव न कर्त्तव्य कर्त्तव्या स्वल्पनिष्कृतिः॥ पराशर (८।२८)। इस पर पराशरभाष्योक्त का कथन है—“अथ गोवधस्य प्रकृतत्वात्तमारम्भाधिक्ये राजानुमप्येव क्षत निर्दिशतु।

१७ अपराधिकारिणामेवा प्रायश्चित्तं तु कल्पयेत्। धपादात्म्यनुस्य च दण्डं धैर्या प्रकल्पयेत्॥ पंडीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६)।



सौमित्र (बलवार) के पक्ष, कुत्ते एवं मूसविहोत्र गुण्ड (गूंड) ने चित्त दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तो राजा द्वारा उसके मन्त्र पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्ध-दण्ड देना चाहिए (मनु १।२४०)। मनु (१।२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार का दण्ड मिलना है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देना-निष्ठागतन का दण्ड देना चाहिए, किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित हाना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे जिन्ह लगाने, अर्ध-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे।

मनु (१।१५६) के मन में बृहत्साध्य (झूठी गवाही) सुरापान के समान है और मनु (१।१५७) एवं याज्ञ० (३।२३०) के अनुसार धरोहर को हृष्य जाना सौतेली चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९) के मत से धरोहर हृष्य कर जानकांठ का धनु लौंगना पड़ना है या ब्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी करने का दण्ड (राजा दण्ड) प्राप्त होता है, बृहत्साध्य देनेवाले को सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९)। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि महापातकियों का राज-दण्ड एवं परिपुत्र दण्ड (विद्वान् लोगों की परिपुत्र द्वारा व्यवस्थापित प्रायश्चित्त) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजपराधी में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मनु (१।११०४), याज्ञ० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने ध्वंसिचार (भ्रता, बहिन, पुत्रवध आदि के साथ ध्वंसिचार) के लिए अण्डकोश एवं लिग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तब चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है जब तक ध्वंसि का शरीर गिर न पड़े। नारद ने ध्वंसिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिग काट लेने की व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायश्चित्त है। मनु (१।११००) ने कहा है कि ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोह की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायश्चित्त ही है। अतः मदतपरिजित (५० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८०) बर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा कि मनु (१।११००) के उपर्युक्त कथन में स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मनु ८।३१८=वसिष्ठ १९।४५)। आप० घ० सू० (२।१०।२७।१५-१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भ्रूयादान (बलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आँखें जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात् उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता)। आप० घ० सू० (१।१।२५।४) के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोह या खदिर काष्ठ को गदा लेकर पहुँचता था और अपने अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था, इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों थे। इसी प्रकार मनु (८।३१४-३१५) ने भी कहा है—“चोर को कोई मूल या गदा (खदिर की बनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बछी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना चाहिए और यदि राजा के एक मार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर पीता रहे तो वह चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शल (याज्ञ० ३।२५७)। यही बात मनु (१।१।१००-१०१=अग्नि०

१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी बही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्ञ० (३।२५९), विष्णु (५।२।१-२) एवं पराशर (१।२।६९-७०) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर बाण्ड का बना एक हथियार चोर को दे देता है जिससे चोर स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का)। लगता है, कालान्तर में राजा ने यह बड़ी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, श्लोक ४६-४७) का बयान है कि जब चोर दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छु लेता है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मनु ८।४०, याज्ञ० २।३६ एवं २७०, बृहस्पति, प्रायश्चित्त-प्रकरण पृ० ७७)। यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी ओर में धन देना पड़ता था, या चोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० पृ० सू० २।१०।२६।८)। और देनिए दम घन्य का सङ्ग ३, अप्प्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल करने लगा था (मनु १०।५६ एवं विष्णु १६।११—बध्यपातित्व चाण्डालानाम्)।

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देस लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बर्तौ होना चाहिए, यथा— दाय वामत' है या 'अवामत' अर्थात् ज्ञान में हुआ है या अनजान में, यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दौघ करते समय बाल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), योग्यता, विद्या, धन की स्थितिमाँ क्या था। "देनिए कौटिल्य (४।१०), गौतम (१।२।४८), मनु (७।१६ एवं ८।१२६), याज्ञ० (१।३६८), विष्णु (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१।९।९)—दण्डों के लिए, और बोधा० घ० सू० (१।१।१६), याज्ञ० (३।२९३=अग्नि २।४८=अग्नि० १७३।६), अगिरा (१।४३), विश्वामित्र बृद्ध हारीत (१।२९७) एवं व्याघ्र—प्रायश्चित्तों के लिए। दण्ड एक प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्तत्व में देवल को इस सिलसिले में उद्भूत कर रहा है कि यदि कोई वर्ष भर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है और राजा को दूना अर्घ-दण्ड भी देना पड़ता है, और नियम तो यह है कि दण्डा के आधार पर ही प्रायश्चित्तों की व्यवस्था करनी पड़ती है।" प्रायश्चित्तमयूव (पृ० १२४-१२५) ने काश्यप को उद्भूत किया है जिसके अनुसार उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु

१८ शाखापराशर्यं देस च काल मलमथापि वा । वय कर्म च वित्त च दण्ड दण्डयेयु पातयेत् ॥ याज्ञ० (१।३६८); अनुबन्धं परिश्रम्य वेसाकाली च तत्त्वतः । साखापराशरी चालोक्य दण्ड दण्डयेयु पातयेत् ॥ मनु (८।१२६) ।

१९ यथा स्मृतिसापरे वेवला । कालातिरेके द्विगुण प्रायश्चित्त समाचरेत् । द्विगुण राजदण्ड च इत्वा शुद्धि-मबान्मुयेत् ॥ कालातिरेके सवत्सरातिरेके । सवत्सराभिज्ञस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो वम.—इति मनुवचन (८।३७३) सवत्सरात्परतो द्विगुणदण्डदण्डानेन दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्भौत शास्त्रार्थो वाप्यवमन्तरेणा-भ्यत्रापि तथैति न्यायाच्च । प्राय० तत्त्व पृ० ४७४, और देनिए इसी न्याय के लिए यही घन्य पृ० ५३०। 'अथ दण्डोपाशासिद्वेवतागारादि—भेदेने काश्यप । वापीरूपारामसेतुल्लतातडागवप्रदेवतायतनभेदेने प्रायश्चित्तम्... ब्राह्मणान्भोजयेत् । इति । एतच्चाल्पोपपाते । महत्पुपातेऽग्न्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम् । देवता चान् मृगयो पूजोन्मिता च पाह्या । प्रायश्चित्तस्याल्पवारम्येन दण्डगौरवदण्डानेन प्रायश्चित्तगौरव इत्येव दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति वचनात् । तथात्र दण्डगौरवमाह कात्यायन ।... विष्णुरपि... मनु... इति ।

(५।१९९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार भूति-श्रवक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था की हुई है; यहीं मनु (१।२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से भूति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और भूति को पुन स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बाँटा है, प्रथम, मध्यम एवं उत्तम (उष)। उत्तम प्रकार से ये आते हैं—विष या हथियार से मारना, ब्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, ने कहा है कि प्रथम एक मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, साहस, श्लोक ११)।

परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति की एक बहन प्राप्त था, यथा—व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्कोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्कोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (१।१।१८२-१८५), याज्ञ० (३।२९५) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयकर थे, यथा—सुरापान के लिए अपने की अग्नि में झोंक देना, शीलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, दूध या धी पीना (मनु १।१।७३, ९०-९१, १०३ आदि)। मनु (१।१।७३) एवं कृष्ण निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त परिषद् द्वारा स्थापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा जान होने पर स्वयं करने चाहिए। प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त लोगों से ससर्प स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोजन देना चाहिए और मिठाई बाँटनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन मार सहन करने पड़ते थे, यथा—राजा द्वारा दण्ड, परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान् ब्राह्मणों को भोजन तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५।

प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विद्याल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। बसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मनु के स्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) श्लोक प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ श्लोकों में १२२ श्लोक (३।२०५-३२७) इसी विषय के हैं। अगिरा के १६८ श्लोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० श्लोक, बृहद्गम के १८२ श्लोक, दातातपस्मृति के २७५ श्लोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बह्वृन्दी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा—अग्नि (अध्याय १६८-१७५), गरुड (५२), कूर्म (उत्तरार्ध ३०-३५), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसहस्र पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३५-२३७) बहुत-से श्लोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं में मितक्षरा, अपराक, परागरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९५) आदि ने विस्तार के साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा—हेमाद्रि का ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (मन्वेव द्वारा प्रणीत),

२०. प्राणान्तिरुप्रायश्चित्तं तु पर्वरा न वेद्यम्। तत्त्वमेवैव ज्ञात्वा कुर्वन्। प्राय० सा० (पृ० ४१); एतन्न मरणान्तिरुप्रायश्चित्तं पर्वरा नावेष्टम्यन्ति तु भ्युत्पन्नचेतस्यमेव ज्ञात्वा कुर्वन्। अभ्युत्पन्नचेतु प्रायश्चित्तस्यकर्त्तव्यं सिष्टेभ्यो ज्ञात्वा तदनुज्ञान्तरैश्च स्वयमेव कुर्वन्। मन्० पृ० (पृ० ५/७)।

प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्तसार (नुसिहप्रसाद का भाग), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायश्चित्तनुशेखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है, प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, भाग १ एवं २) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश।

टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारों के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११४४) एवं याज्ञ० (३।२।१९) ने क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर' एवं 'नर पतनमृच्छति' उक्तियों में 'नर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने यह धोषित किया है कि प्रायश्चित्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न एवं सभी जातियों के लोग। देखिए विवरूप (याज्ञ० ३।२।१०), मितासरा (याज्ञ० ३।२।१९), प्राय० वि० (पृ० १२)। याज्ञ० (३।२।६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार नहीं है, अप एव होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२।६२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३)। अप एव होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० ७४९) एवं व्यवहारमयूख (पृ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक श्लोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अप एव होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त-विवेक ने मनु (१०।६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं।

इसके पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

बृहद्-यम (३।१-२), शाख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए सुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता या कोई सम्बन्धी या शुद्ध को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने कुछ ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृ० ५५१)।

हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त प्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। ८० वर्ष के बूढ़ों १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता है। इस विषय में देखिए विष्णुधर्मसूत्र (५।४।३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३), बृहद्-यम (३।३), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३।२।४३)। मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने सुमन्तु का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के लिए चौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। प्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति बालक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त बूढ़ा के लिए भी है, अर्थात् वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं। कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्ध-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मूल्य-दण्ड मिलता है वहाँ स्त्रियों का अर्ध-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है।

अगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), श्याम (प्राय० वि० पृ० २४) एवं अग्नि० (१७।३।९) के मत से जान-बूझ-

कर ('कामत') किये गये पापों के लिए अज्ञान में ('अकामत') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायश्चित्त होता है। याज्ञ० (३।२२६) ने 'अज्ञात' एवं 'ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है।

प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, ५० १०२; प्राय० प्रक०, ५० १६) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का  $\frac{१}{३}$ ,  $\frac{१}{२}$  एवं  $\frac{१}{४}$  लगता है। यही बात अग्नि० (१६।८।१३) में भी है। और देखिए परा० माय० (२, भाग १, ५० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३।२५०)। बृहद्गम्य (४।१३-१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ योजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ्र एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं वैश्य को केवल आषे की व्यवस्था दी है। मिताकारा (याज्ञ० २।२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा त्रिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न (व्यवहार) एवं सरस्वतीविलाम के मतों से प्रकट होता है कि आरम्भिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर ब्राह्मणी शास्त्रों के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल कर बटिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएँ समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर शौदन एवं अर्घ्यदण्ड की व्यवस्था बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायश्चित्तप्रकरण (५० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रकृत हो गये थे।

देश के नियमों के अनुसार भी प्रायश्चित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा—दक्षिण की कुछ जातियों में मत्तुन-कन्या (मनेरी बहिन) में विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु (१।१।७१-७२), बौध्या० ध० सू० (१।१।७०-७४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घृणित माना है। बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अपना राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९।

प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर थी। आप० ध० सू० (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से गन्धि-चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से सभोग करने के अपराध के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात् १२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३।२६३) ने कहा है कि गाव में किये गये पाप के लिए अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का त्रिगुना प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गृहता या हलनेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्णु (६।२६) एवं शश्व (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं सन्यासियों को क्रम से दूना, त्रिगुना एवं त्रिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे शूद्र माने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु० ६।२५)।

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि० ५० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही (कभी-कभी कुछ प्रायश्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता है, इस पाप से दोनो लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा सचमुच सुविधाजनक भी है।

यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायश्चित्तो की व्यवस्था स्मृतियो ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभी पातको एव दुष्कृत्यो का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापो के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तो की व्यवस्था हो जानी चाहिए; कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र एव चान्द्रायण व्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापो में लागू होते हैं। मनु (११।२०९=विष्णु० ५।४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हो, परिषद् को चाहिए कि वह पातको के अपराध की गुरुता एव स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि मायत्री का दस हजार बार जप सभी पापो के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चान्द्रायण, याबक, तुलापुष्प एव गोदान सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक व्रत या पराक करने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु (११।११७) ने भी सभी उपपातको के प्रायश्चित्तो के लिए इसी व्यवस्था या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है।

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान् ब्यो न हो, परिषद् के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेंट देने के उपरान्त (गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० एव पराशर ८।२)। मिताक्षरा, पराशरभाष्यीय, प्रायश्चित्तसार एव अन्य निबन्धो ने अगिरा के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं—पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद् के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत् पड़ जाना चाहिए। परिषद् के सदस्य उससे पूछते हैं—'क्या काम है? क्या कष्ट है? तुम हम लोगो से क्या चाहते हो?' तब सदस्य उससे थोड़ा हट जाने को कहकर आपस में परामर्श करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद् की आज्ञा से उद्घोषित करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद् यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं—(१) परिषद् के पास जाना, (२) परिषद् द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति का प्रकाशन (अगिरा, प्रायश्चित्तप्रकाश—उपस्थान व्रतादेशावर्षाय शुद्धिप्रकाशनम्। प्रायश्चित्त चतुष्पाद विहित धर्मकर्तुमि ॥)।

यहाँ पर परिषद् के निर्माण, शिष्टों के शील गुणो एव उनके कर्तव्यो तथा अधिकारो की सविस्तर व्याख्या अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस दृष्ट को, जो विद्वान् है, आत्म-निग्रही और शास्त्र-ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो भले ही दुर्धरित्र हो, परामर्श देने की छूट प्राप्त थी। दृष्ट को उस यशिय भोजन के समान त्याग्य समझा जाता था जिसे कुत्तो ने छु लिया हो। 'परिषद्' शब्द के स्थान पर 'पर्यद्' का व्यवहार स्मृतियो ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद् को बच्चो, दुबलो एव बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद् के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वसम्मति से निष्पत्ति या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था।

## विशिष्ट पार्ष्णी के विशिष्ट प्रायश्चित्त

अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकार्येण एव मितायारा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबन्ध विशिष्ट प्रायश्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात् वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं। हम इस ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम (भाग ३) में प्रायश्चित्तविवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायश्चित्तों, प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौत्रों एवं धन तथा इनके स्थाणु पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तों की सविष्ट व्याख्या देंगे।

महापातकों के लिए प्रायश्चित्त—शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्धारित किये हैं—महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस-भस्त्रियों आदि से झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए, ग्राम में मिश्राटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की धोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए। जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं ब्यभिचारि (माता, बहिन, पुत्रवधु, गुरुपत्नी आदि से ब्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है। विष्णु० (३४।१) ने माता, पुत्री, पुत्रवधु के साथ संयोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। वही बात मत्स्य०, हारीत एवं संवत् (प्राय० वि० पृ० ४३) ने भी कही है। किन्तु मनु (११।५८), याज्ञ० (३।२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा पुत्र-वधु के साथ गमन को गुरु-शप्या अविवर्ण करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३।२३३-२३४)।

१. एवमादीन्यन्यानि उत्कर्षार्पकर्मप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणविजातत्व-भूतस्वाभूतत्व-वेदा-  
न्यादियुक्तत्वामुस्तत्व-कामाकामकृतत्व—व्यवस्थाया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पृ० २२०)।
२. नित्यं त्रिवर्षस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं वने। अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः। ग्रामं विशेषश्च भिक्षार्थं स्वकर्मं परिकीर्तयन्। एककालं समनोयाज्ञं वा ह्यारभते गते। हैमस्तेषु सुरापानश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। प्रतेनेतेन शुभ्यन्ते महापातकिनस्त्रिये। शंख (१७।१-३); अषराकं (पृ० १०-५३-५४); परा० धा० (२, भाग १, पृ० ३२०-३२१ एवं प्राय० प्रका० द्वारा उद्धृत)।

महापातको मे प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० प० सू० (१।१।२।४।१०-२५ एवं १।१।२।५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु० (३।५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मनु (१।१।७२-८२), याज्ञ० (३।२।४३-२५०), अग्नि० (१६।१।१-४ एवं १७।३।७-८), सवर्त (१।१०-१।१५) आदि ने विभिन्न प्रायश्चित्तो को व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कही हैं। भविष्य० (कुत्सूक, मनु १।१।७२-८२, अपराकं प० १०५५ एवं प्राय० वि० प० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय मे मनु द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह था कि ब्रह्महत्यारो को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वापेक्षोमुदी' मे गोविन्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तो का वर्णन निम्न प्रकार से किया है।

(१) ब्रह्मपातक को वन मे पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए, उसे मिषा पर जीना चाहिए और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियो ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यथा—गौतम (२।२।४) के मत से पापी को वैदिक ब्रह्मचारी के नियमों (माघ, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उसे घ्राण मे केवल मिषा के लिए जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२।४३) के मत से उसे बायें हाथ मे मस्तक की हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छडी मे एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन मे केवल एक बार भोजन करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि वह उसमे मिषा मांगेगा, किन्तु इस विषय मे कई मत हैं। आप० प० सू० (१।१।२।४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (मिट्टी या तबिये के) पात्र मे केवल सात घरो से हों मिषा मांगनी चाहिए और यदि उन सात घरो से भोजन न मिले तो उस दिन उमे भूला रहना चाहिए। उसे घृतनो के ऊपर एक कछनी मान पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने और पुनः लौटाने के लिए) घ्राण मे प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।४३) ने जोड़ा है कि छडी मे तथा बायें हाथ मे मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यो को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आर्य को देखकर मांग छोड़ देना चाहिए (गौ० २।२।६); उसे दिन मे खड़ा रहना चाहिए और रात्रि मे बैठना चाहिए एवं दिन मे तीन बार स्नान (गौ० २।२।६) करना चाहिए। मिता० ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनु एवं याज्ञ० के अनुसार यह व्रत १२ वर्षों तक चलता रहना चाहिए (याज्ञ० ३।२।४३)। मिताक्षरा एवं कुत्सूक (मनु १।१।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अर्थात् दूनी अर्थात् २४ वर्षों की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२।४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए, अनुयायक का ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४ ३/४ वर्षों तथा निमित्तो को केवल ३ वर्षों तक व्रत करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२।४३) ने मनु एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें और प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो हत्याओ के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओ के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए तथा चार हत्याओ के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि भविष्यपुराण मे भी बताया है, कई हत्याओ के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'धामवती इष्टि' के आचार पर है, अर्थात् जब दुर्घटनावशात् आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं परः भस्म हो जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया जाता है (जैमिनि ६।४।१७-२०)। यही बात प्रायश्चित्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मपातक क्षत्रिय या वैश्य या ब्राह्मण हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्युपसंहार पृ० १०५)। वन मे पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह घ्राण के अन्तः भाग में या गोशाला मे रह सकता है, वह अपना स्त्रि एवं



धूर्तों में भा सक्तता है, या वह किसी आश्रम में या वेद के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११७८ एवं ८१)। बारह वर्षों के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

(२) आय० घ० सू० (१११२५१२), गौतम (२२३), मनु (११७२) एवं याज्ञ० (३२४८) के मत से यदि ब्रह्मपातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो पुष्ट करने चला जाय, उसके साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मपातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर सजाशून्य हो जाय और अन्त में बच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है।

(३) आय० घ० सू० (१११२५१३), वसिष्ठ (२०२५-२६), गौतम (२२१८), मनु (११७४) एवं याज्ञ० (३२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, बसो, अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियों के रूप में दे दे और अन्त में अपने को अग्नि में (मनु ११७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) सोक दे। मदनपारिजात एवं मन्त्रिय० (प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है।

(४-८) ब्रह्मपातक अश्वमेध या गोस्रव या अग्निजित् या विद्वजित् या तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत् (मनु ११७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेध केवल राजा या सम्राट् कर सकता है। अग्य यज्ञ तीन उच्च वर्णों का कोई पातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लुक, मनु ११७४)। विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम श्लोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेध या पृथिवी के समीप तीर्थ-स्नानों की यात्रा करके छुट हो सकता है। (९) मनु (११७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों ओर किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लुक (मनु ११७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान् आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११७६) के मत से ब्रह्मपातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है।

(११) मनु (११७६) एवं याज्ञ० (३२५०) का कथन है कि पातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) सत्यक एवं यह पृथक्-पृथक् प्रायश्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात् यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह व्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५)। (१२) मनु (११७७) एवं याज्ञ० (३२४९) के मत से पातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ ब्रह्मा सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। मन्त्रिय० एवं कुल्लुक के मत से यह व्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं वनवान् हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपराक्ष, सर्वजनारायण एवं राघवानन्द ने व्याख्या की है कि पातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११७७) एवं याज्ञ० (३२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, परंपाठ या ऋगपाठ नहीं कर सकता। मन्त्रिय० एवं कुल्लुक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) बहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो।

मनु (११७९), याज्ञ० (३१२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०१२७-२८) एवं गौतम (२२१७-८ एवं ११) ने तीन अन्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। किंतु वे, जैसा कि घाल ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पूयक प्रायश्चित्त नहीं हैं। यदि कोई पातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्काल पापमुक्त हो जाता है और यदि वह युद्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। यही बात अपने प्राणों को भयावह स्थिति में डालकर १२ मासों के बचाने में भी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि पातक किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाकू से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या बुढ़ी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

मनु (११८२), याज्ञ० (३१२४४), घाल एवं गौतम (२२१९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त स्नान-कृत्य (अश्वमेध) के लिए उपस्थित राजा एक पुरोहिता के समक्ष यदि कोई ब्रह्मपातक अपराध उद्घोषित करता है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह एक पूयक प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३१२४४) एवं अपराकं (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत १२ वर्षों के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है।

याज्ञ० (३१२४५) का कहना है कि यदि पातक बहुत दिनों से दण्ड एवं योही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण या पाप की दबा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।

पराशर (१२१६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए जिसा मौननी चाहिए, छाता एवं जूता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोसाला, जंगलो, तीर्थों में एक नदी-नालो के पास ठहरना चाहिए। सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म-भोज देकर विद्वान् ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान में देनी चाहिए।

जमदग्नि, अग्नि, कश्यप आदि ने (अपराकं, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें इय यहाँ स्थानामात्र से नहीं दे रहे हैं।

प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताकम् (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३), बस (३१२७-२८ एवं आप० पं० सू० ११९१२४ को उद्धृत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, सहोदर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम व्रत तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता है (याज्ञ० ३१२५२, गौ० २२१११)। मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिरेक (विस्तार) मात्र है और प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों से आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश से, या लटककर मर जाने से, बिच से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कुँवरे से गिरकर या वेद में छूटा भौंक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पृ० १५)। वसिष्ठ

(२३।१८-१९) एवं परातर (१३।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यर्थात्त कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यर्थात्तों के भी प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ्र की व्यवस्था दी है।<sup>१</sup>

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र आन ब्रह्मकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्रायश्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके लिए क्रम से द्वैता, त्रिगुना या चतुर्गुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण मार डाले तो पाप बढ़ा होता है और प्रायश्चित्त भी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५१, वसिष्ठ २०।३४)। याज्ञ० (३।२६६-२६७), मनु (१।१।२९-३०) एवं आप० घ० सू० (१।१।२४।१-४) के मत से क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त भी हैं। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण-हत्यारे से कुछ कम (अर्थात् ३ भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

भूत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ० ३।२३६ एवं मनु १।१।६६), किन्तु आग्नेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७, आप० घ० सू० १।१।२४।५ एवं ९, बौपा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३, वसिष्ठ २०।३४, विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि द्विज-यस्त्री सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मपातक के समान ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। ब्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गौ० २२।२६-२७, मनु १।१।३३८, याज्ञ० ३।२६८ ६९)।

मनु (१।१।२०८=विष्णु० ५४।३०) एवं याज्ञ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को घमकी देने या पीटने पर क्रम से कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र प्रायश्चित्त कले पड़ते थे। इन अपराधों के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है।

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन रक्षा मिल सकती थी। गौतम (२३।१), आप० घ० सू० (१।१।२५।३), बौपा० घ० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०।२२), मनु (१।१।९०-९१) एवं याज्ञ० (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार मी पी ले तो उसका प्रायश्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है अर्थात् उसे जली खोलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खोलते हुए दूध, भी, जल या पीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्वरूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।<sup>२</sup> हर्दत्त (गौतम २३।१) ने कहा

१. अन्नाभ्युत्थन्मन्त्रेणा प्रव्रज्यानासाकम्प्यता। विप्रपतनप्रायश्चित्तप्रव्रज्यात्तथापि च ॥ नर्भते प्रत्यर्थात्तः सर्वलोकबहिष्कृता। चान्द्रायणेन शुष्पन्ति तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा ॥ यम (२२-२३), बृहद्यम (३-४), नारदपुराण। इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं प्राण देने के लिए किसी के द्वार पर बैठने वाले भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।

४. सुरान्पिप्रित्यपि सुतां विभेत्। आप० घ० सू० (१।१।२५।३); सुरापत्य ब्राह्मणस्योष्णामसिञ्चेत् सुरामरत्ये मृतं शुभ्येत्। गौ० (२३।१), सुरापाने कामकृते ष्वलर्त्तां तां विनिलियेत्। मुके तथा विनिरन्धे मृतं शुद्धिमवाप्नुयात् ॥ बृहत्संहिता (मिता०, याज्ञ० ३।२५३); अपराकं (पृ० १०७१), प्राय० प्रकरण (पृ० ४३); श्रौतधेयं वर्णशास्त्रेण

है कि यह भयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो आन-भूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा की ओर संकेत है)। मनु (११।१२) एव याज्ञ० (३।२५४) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है—पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और वह भी रात्रि में कोदक चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के बालों से बना वस्त्र धारण करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए।

ऋषियों ने क्षत्रियो एव वैश्यो के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देखा किया है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एव वैश्य को ब्राह्मण अपराधी को अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एव आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत)। यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२।३।२-३), याज्ञ० (३।२५५), मनु (११।१४६), अत्रि (७५) के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। वसिष्ठ (२।१।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य पी लेने पर कृच्छ्र एव अतिकृच्छ्र की व्यवस्था दी है और धी पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। मनु (११।१४६) एव याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। बृहस्पति (मिता०, अपराकं आदि द्वारा उद्धृत) के कथन से गौडो (गुह से घनी), पेंटी (आटे से घनी) माध्वी (मधु या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकृच्छ्र, पराक एव चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उग्रे करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई प्रकार के हलके प्रायश्चित्तों (यथा—समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्मभोज देना, एक गाय एव बैल का दान करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराकार १२।७५-७६)। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५)। क्षत्रियो एव वैश्यो को सुरा (पेंटी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और खूब पेंटी सुरा भी पी सकता है। मिता० (याज्ञ० ३।२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियो एव वैश्यो के लिए सुरा बर्जित मानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन श्रुत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापान बर्जित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में हुआ हो) या छः वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० ४८)। कल्पतरु ने गौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं व्यवहार में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं

सर्वत्रैव नराधिप। मतिपूर्वं सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्॥ पेंटीपाने तु ऋषिभिर्नैतत्स्यात् कदाचन। भविष्य० (बीषकृतिका, याज्ञ० ३।२५३)।

५. गौडो पेंटी तथा माध्वी पीव्या विप्रः समाचरेत्। तप्तकृच्छ्रं पराकं च चान्द्रायणमनुकमात्॥ बृहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२५४; अपराकं पृ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पृ० ८२१; प्राय० सार० पृ० ४२)।

प्रायः प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल लट्टे या बाली मद्य (मादक) को छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकर्म्यं (परा० भाष० २, भाग २, पृ० ८०) ने कहा है कि यदि उपनया के पूर्व कोई बच्चा मूसंतावन कोई मद्य पी ले तो उसके माता पिता या माई को प्रापरिचयस्वरूप तीन कृच्छ्र करने पड़ते हैं। अगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३७), लघु हारीत (३४-३५), बृहदयम (३१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं माई, पिता या मित्र प्रापरिचय के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनश्चपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-व्यक्त कृत्य करना आदि वैकल्पिक हैं, किंतु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०।१८) ने मनु (१।१।५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, और विष्णु (५।१।४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५।१।२-३) ने शरीर से निकलने वाली (बाह्य प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लघुन (लहसुन) या पिपाय या शलजम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, धामगुरुको, पालतू भुगों, बन्दरी एवं गायों का मांस खाने के अपराध में चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनश्चपनयन होना चाहिए।

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रापरिचयों की व्यवस्था दी है, यथा—सुरा के लिए प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या घाबी या शुद्र के घर के पान में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मनु ५।८-१०)। इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे सत्या में अधिक हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी बाधित है। शक्य का कथन है कि अयमाशय-सम्बन्धी बहुत-से पदार्थ हैं, विशेषतः ज्ञानियों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टो (सम्मानार्ह व्यक्ति) की परिषद् के सदस्यों पर निर्भर है। बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं पीने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीर्य, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रायण व्रत द्वारा बुद्धि होती है। सर्वत्र, शक्यलिखित-जैसे स्मृतियों में उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के सेवन के लिए भी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। सामवेदियनब्राह्मण (१।५।१३), मनु (१।१।६०) आदि में एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आतंरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके क्षमा कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे क्षीघ्रता से प्रापरिचय कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रापरिचय होता है)।

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (१।१०) में उवत्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कुछ देश में तुषारपात या टिड्ढी दल से नाशकारी स्थिति

६ अलेह्यानामपेयाणामवस्थाणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिश्चात्रायणं स्मृतम् ॥ बृहस्पति (अपराकं पृ० ११६४; परा० भा० २, भाग १, पृ० ३६७) । गोमांसं मानुषं चैव सुविहस्तास्तमाहृतम् । अभक्ष्य तत् अर्थेत्सर्वं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ सर्वत्र (१।१७, अपराकं पृ० ११६५; परा० भा० भाष० २, भाग १, पृ० ३६७); मृगयन्-शुकुट्टरं श्वित्-कृष्याह-वानर-सरोष्ट-मज्जाजि-विह्वराह-गोमानुषमांसमज्ञाने चान्द्रायणम् । शक्यलिखित (अपराकं, पृ० ११६६; परा० भा० २, भाग १, पृ० ३६८) । और बेसिए गी० (२३।४-३), वसिष्ठ (२३।३०), मनु (१।१।१५६), विष्णु (५।१।३-४) ।

उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आबप व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलयी के दाने खाये थे और उसके जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपत्काल में उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र-विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; 'सर्वान्प्रानुमति-श्च प्राणातयये तद्दर्शनात्।' मनु (१०।१०४) में कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-भय भी उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकार में पक नहीं रहता। मनु (१०।१०५-१०८) ने अजीवर्त (जिसने मूल से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वामदेव (जिसने मूल से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), मरुदाज (जिसने अपने पुत्र के साथ क्षुपापीडित होकर वन में वृषु या बृमु से गोएँ खीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूल से आहत होकर सदसत का विचार रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जपा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है।

विभिन्न प्रकार के पशियों के खाने पर विष्णु (५।१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुच० सू० (५।१।२१)।

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही बार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० घ० सू० (१।९।२५।४) में इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७) अग्नि प्रवेश या कम खाते-खाते मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रतियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी में सभी वर्णों के लिए चोरी का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८।१३४ एवं याज्ञ० १।३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महापातक के लिए वन में बारह वर्षों तक पीषडो में त्रिपटकर प्रायश्चित्त-स्वल्प रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मनु १।१।१) या सुरापान (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में चोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना धन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण के जीवन-काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२५८)। आप० घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय में एक वर्ष तक कृच्छ्र करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है—उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा पी है या गृह-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में षोडा खाना चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में लडा रहना चाहिए और रात्रि में बँटे रहना चाहिए; इस प्रकार करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।<sup>१</sup> निबन्धों में चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई है उसके गणों, चोर के गृहों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं रूप, समय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (५० १।७-

७. अजीवर्त की गाथा के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७।१।१-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। ऋग्वेद (६।४५।३१-३२) में बृभु को पशियों का बर्झ कहा गया है और उसकी दया की प्रशंसा की गयी है। विश्वामित्र एवं उनके द्वारा चाण्डाल की क्षोपड़ी से कुत्ते के घेर के चूराने की गाथा शांतिपर्व (१४।१।२६-९६) में दी हुई है।

८. कृच्छ्रसंबन्धत्वा च चरेत्। अपाप्युवाहरन्ति। स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुदवारं च गत्वा ब्रह्महत्यामकृत्वा चतुर्बन्धात् नितभोजना स्पृशोम्येषु। सधमानुकल्पम्। स्वानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिर्बर्षेण पापं मुदन्ते। आप० घ० सू० (१।९।२५।८-१०)।

१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यर्षसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्तावली (पृ० ८८३-८८५)। हम स्थानामात्र से विस्तार नहीं दे रहे हैं।

यदि ८० रतियों से कम (ब्राह्मण के भी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य ब्राह्मण का सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायश्चित्त लगता है। मनु (११।१६२-१६८—मत्स्य० २२७।४१-४७) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—अनाज, पके भोजन या पन की चोरी में एक वर्ष का कृष्ण, पुरुषो या स्त्रियो (दासियों) को मगाने या किसी मूमि को हृष्य लेने या कूपों और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चाण्डाल्य व्रत, कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर साम्प्रत्य प्रायश्चित्त, विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थों, गायी या दास्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर षड्वचबन्ध प्राधान का प्रायश्चित्त, घास, लकड़ी, वेधे, मूसे भोजन, खाद, परिधानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर तीन दिनों एक रातों का उपवास, रत्नो, मोतियों, मृगा, हाथ, खादी, सोहा, कांस्य या पत्थरो की चोरी पर कोदो चावल का १५ दिनों तक भोजन, रुई, रेशम, ऊन, फटे खुरो वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं (घोडा आदि), पशियों, मुगायिया, जड़ी-बूटियों या रस्ती (पानी सींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४)। मेघातिथि (मनु ११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दून होता है। इसके अतिरिक्त चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता या तो चोर को चोरी गयी वस्तु का म्याह्गुना अर्ध-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५।८२)।

स्तेय के दो प्रकार हैं—बलपूर्वक चोरी करना (लूट-याद या चकती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी छोर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं त्रिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद् प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१)। छिपकर या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो तो प्रायश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था (नारद, साहस, १६; देवमूर्तियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का धन उत्तम है)। किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्-विष्णु का नियम लागू होता था, अपरिचित्त ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का प्रायश्चित्त करना पड़ता था।

गुप्तली के साथ ध्वनिचार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है। गीतम (२३।८-११), आप० घ० सू० (१।१।२५।१-२), बौपा० घ० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त लौह पर धारण करना होगा या नारी की तप्त लौहमूर्ति का आलिंगन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों को काटकर उल्टे लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब-तक सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) के मत से उपर्युक्त तीनों पृथक् प्रायश्चित्त नहीं हैं, किन्तु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूर्ति का आलिंगन एवं तप्त लौह पर धारण

९. तप्त लौहपापने गुप्ततपः शपित। सुर्मा वा मिल्येऽङ्गबलन्तोम्। लिंगं वा सवृषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय  
दक्षिणाप्रतीचीं वज्रेदग्निहोमा शरीरपातात्। गी० (२३।८-१०)।

एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा-  
तिय (मनु ११।१०३)।

मनु (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३।२३१), संवतं (१५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी),  
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग  
करने को गृहतरण-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उससे षोडश ही कम ठहराया है। मनु (११।१०५) एवं  
याज्ञ० (३।२६०) ने मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है—प्राणी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने  
देना चाहिए, चिपड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ्र प्रायश्चित्त  
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११।२६०)  
एवं याज्ञ० (३।२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे याज्ञिक पदार्थ (यथा—  
फल, मूल या नांवार अन्न) या जो भी लपसी या मौंड खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदसहिता का  
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या  
शूद्रा हो। पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है—लिंग काट लेना, तीन कृच्छ्र या तीन  
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य  
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ०  
३।२५९) ने शर का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह  
नियम सजातीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायश्चित्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न  
नियम देते हैं, अतः अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।-  
४१) एवं शातियर्वं (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज तिसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात  
संभोग करता है, तीन वर्षों तक भोज्य भोग्यकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है।<sup>१</sup> और देखिए  
आप० घ० गू० (१।९।२७।११)। याज्ञ० (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वधू, मासी आदि  
से अपनी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही  
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५ = लघु शातातप १५५ - अग्नि० १६९।३८)  
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ  
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान  
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए दसिष्ट (२३।४१) एवं विष्णु (५३।५।६)।

महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ  
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती  
हैं (मनु ११।१७६; चाण्डायन एवं बृहस्पति)। किंतु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आधा  
होता है। यही नियम अगिरा ने भी दिया है।<sup>२</sup> यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट

१०. मनु (११।१७७) का 'वृषली' शब्द कुल्लूक एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ०  
३।२६०) ने स्मृति-वचन उद्धृत किया है—'वृषडाली बन्धकी वेश्या रज स्या या च कम्बका। अज्ञा या च सगोत्रा स्यात्  
वृषत्यः पञ्च कीर्तिताः।' शुल्लभाणि ने 'वृषली' को शूद्रा कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश)।

११. धत्सुतः परशारेण समानेषु व्रतं धरेत्। व्यभिचारात् भवुः स्त्री तद्वेषं समाधरेत् ॥ बृहस्पति (अपराहं



विधि से जातिभ्युत् कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७)। किन्तु इस विषय में पुराण तथा नारी में अन्तर था। पतित नारी को यो ही मार्ग पर नहीं रखा दिया जाता था, प्रत्युत उसे पाप-कृत से बनी शोषणी में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ० ३।२१६)। याज्ञ० (३।२१७) के मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्द्य माने जाते हैं, यथा—नीच जाति के पुरुष से सम्भोग करना, भ्रूण-हत्या करना (गर्भ गिराना) एवं पति की हत्या करना। बसिष्ठ (२।१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा स्वाम्य माना है, अर्थात् उन्हें मरण-भोग्य आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा—शिष्या (जो पति के शिष्य से सम्भोग करती है), गुरुणा (जो पति के गुरु से सम्भोग करती है), पतिभनी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा क्षुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है)। बसिष्ठ (२।१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो स्त्री गृह से सम्भोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायश्चित्त से शूद्र कर ली जा सकती है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

अब हम महापातकियों के संतर्पण में आनेवाले छोगो के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मनु (१।१-१८१), विष्णु (५।४।१) एवं याज्ञ० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संतर्पण (याज्ञ० के मत से वर्ष भर) करता है उसे संसर्ग-भाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही व्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। कुल्लूक एवं प्राय० शार (५० ६१) का कथन है कि यहाँ व्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवल १२ वर्षों वाला प्रायश्चित्त करना पड़ता है, मृत्यु का आतिगण नहीं करना पड़ता। यदि संतर्पण अज्ञानवशात् ही तो प्रायश्चित्त आधा होता है। ब्यास ने ज्ञान में किये गये संतर्पण के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। प्राय० वि० (५० १७१) के मत से ब्राह्मण एवं शूद्र के संतर्पण के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संतर्पण एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके

पु० १।२४, प्राय० वि० पु० ३७१); एवं दोषश्व शुद्धिश्च पतितानामुवाहृता। स्त्रीणामपि प्रसवतानामेव एव विधिः स्मृक्तः॥ कात्यायन (मिता०, याज्ञ० ३।२६०)। अतः पञ्चोदितं पुंसं पतितस्त्रीनियेवणत्। सञ्च्यपि कारयेन्मूर्द्धं पतितस्तेवनात् स्त्रियम्॥ अंगिरा (प्राय० वि० पु० ३७२)।

१२. अतस्तु परित्याग्याः शिष्या गुरुणा च वा। पतिभनी च विशेषेण क्षुंगितोपगता च वा॥ बसिष्ठ (२।१।१०, मिता०, याज्ञ० ३।२१७ एवं अपराकं पु० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताशरा ने यह श्लोक ब्यास का माना है और 'क्षुंगित' को 'प्रतिलोमजडशर्मकारादि' कहा है। बीपकलिका ने 'कुत्सितः प्रतिलोमजः' माना है। प्राय० वि० (पु० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'क्षुंगितः कुत्सितो हीनवर्णः' कहा है।

१३. अत्र च बहुहाविष्य पृथवि कामतो मरणान्तकमुपविष्टं तथापि संसर्गिणस्तस्मात्तिदिश्यते। स तत्संबंधं व्रतं कुयविति व्रतस्यैवातिवेजात्। मरणस्य च व्रतशरद्व्याप्यत्वाभावात्। अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसर्गं श्रवदाबावि-कमकामस्तु तदर्थम्। मिता० (याज्ञ० ३।२६१)। और बसिष्ठ मन्वन्तारिकस्त (पु० ८५३)।

१४. यो येन संबन्धेऽर्थं सोऽपि तत्समतामियात्। पावहीनं चरस्तोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विकः॥ ब्यास (मिता०, याज्ञ० ३।२६१; कुल्लूक, मनु १।१।८१)।

साय विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देसिए वसिष्ठ (१३।५१-५३), याज्ञ० (३।२६१), बौधा० घ० सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पू० १७४ एव प्राय० प्रकरण पू० ११० इति उद्धृत) एव इस ग्रन्थ का सङ्घ ३, अध्याय २७।

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की सजा दी है और मनु (१।१।५५-५८) एव याज्ञ० (३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेध या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात् १/४ कम होता है।

अब हम उपपातकों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का वर्णन आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ महत्त्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत् उल्लेख करेंगे। सामविधानब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उपपातकों के करने के कारण उपवास करने हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु (१।१।१७), याज्ञ० (३।२६५) एव विष्णु (३७।३५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अश्वकीर्षी को छोड़कर) उस प्रायश्चित्त से जो गोवध के लिए व्यवस्थित है, या चाग्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग से या पराक या गोसब से हो जाती है। निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चाग्रायण उसके लिए है, जो दुर्बल है और गोसब उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश)।

मनु, याज्ञ० एव अग्नि० (१६।८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय स्मृतियों ने गोवध के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२।२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त निर्धारित किया है जो वैश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा—वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, बह्म-धर्म-पालन एव बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।९।२६।१) ने दुधारू गाय या तरुण बैल की हत्या पर शुद्ध-हत्या का प्रायश्चित्त बतलाया है। वसिष्ठ (२।१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की क्षाल से अपने को ढँक लेना चाहिए और छ मासों तक कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र करना चाहिए। मनु (१।१।१०८।१।१६), विष्णु (५०।१६-२४), सर्वत (१३०-१३५) एव पराशर (८।३।४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३-२६४) ने चार पृथक् प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—(१) गोघातक को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पक्षगण्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, दिन में उस गोशाला की गौरों चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे कृच्छ्र प्रायश्चित्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए, (३) या इसी प्रकार अतिकृच्छ्र करना चाहिए, (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गौरों दान करनी चाहिए। दस ने २५ दिन एव रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पक्षगण्य पर ही रहना चाहिए, घिसा के साथ सिर मुँहा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की क्षाल पहननी चाहिए, गायों को चराना चाहिए, उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।<sup>१</sup> कुछ

१५. गोभ्यः पक्षगण्यहारः पक्षशतिताराभूवसेत् सतिष्ठत् अपन्तं कृत्वा गोधर्मना प्राकृतो गावचानुगच्छन् गोष्ठेऽथो गां च बधत्। शंख (विश्वकर्म, याज्ञ० ३।२६१; मिता०, याज्ञ० ३।२६४; हरदत्त, गौतम २।२।१८; अपराक्षपू० १०९४)। मिता० एवं हरदत्त ने यह पक्षगण्य शंख एवं पञ्चेता दोनों का माना है।

स्मृतियों एवं विधानों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान् ब्राह्मण की हो या केवल ब्राह्मण (आदि से ब्राह्मण, अर्थात् जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छ मास तक उस गाय की शाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण करना चाहिए, केवल जो की लपसी खानो चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए, तभी उसे पाप से छुटकारा मिल सकता है। साततप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का बयन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पच-गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-विद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोगाला में रहना चाहिए। विद्वामित्र (प्राय० वि०, पृ० २०३) ने कहा है कि शूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को क्रम से चार ब्रह्म या दो ब्रह्म करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपराकं, पृ० ११०२, मदनपारिजात, पृ० ८६२, प्रायश्चित्तदत्त, पृ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है—“गौं सदैव सुरमित होती हैं, उनमें गुणुल की गण होती है, वे प्राणियों का आपार होती हैं, वे प्रभूत स्वन्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम भाजन देती हैं, देवों के लिए सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हृदिर्बन्ध निरूलते हैं, उनसे जो दूध या घी प्राप्त होता है उम पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को बढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको चरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी हैं और हम उन्हें, जो पन से परिपूर्ण हैं और शीरभेद्यो कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक मन्त्र निवास करते हैं और दूसरों (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि बाल्यायन, गौतम, सवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्भर है—गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम-यात्री ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण द्वारा बिये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भपती थी या कपिला (भूरी या पिगला) थी। इस धन्य ने एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

मात्र० (३।२८४), सवर्त (३३७), अग्नि० (१६९।१४), ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गौओं एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अगिरा (प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँधते समय या हल में जोड़ते समय उनके मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्व पापी को पशु का मूल्य चुका देना पड़ता था।

सामविद्यानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० प० सू० (१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मास, मेढक, नेबला, गधमूषक (छुईंदर) एवं कुत्ता को मारने पर दूद-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (१।१।३३-३३७), मात्र० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली,

सर्प आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। मयूर (१०), पंठीनमि आदि स्मृतियों ने प्राण्य एव आरष्य (बनेले) पशुआ का अन्तर्ग बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या लता-गुल्मों को मज्जो एव कृषि के उपयोग में लाने व अतिरिक्त काटना या तो उस में वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१४२ याज्ञ० ३।७७६, बसिष्ठ १९।११-१२)। स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव-कल्याण के लिए वृक्षा, लता-गुल्म आदि का उपयोग भली भाँति ज्ञात था।

यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वैश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या भृगाल या जँट या कौआ काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में गोष्ठि लेकर प्राणायाम करना पड़ता था और गुद्धि के लिए घीपीना पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ० ३।२७७ एव बसिष्ठ २३।३१)। परासार (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एव भृगालों के काटने पर गुद्धि के लिए अस्तुत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा—स्नान, गायत्री का जप आदि।

पारदार्य (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मनु ११।५९ एव याज्ञ० ३।२३५)। इसमें गुह्यतपगमन, गुह्य-पत्नी एव चाण्डाल की स्त्रियों के साथ सम्भोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०-१७२, १७५, १७८, याज्ञ० ३।२३१-२३३, बसिष्ठ २०।१५-१७ एव २३।४१)। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१९) उस पुरुष व्यभिचारों के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ विराग्य गणप-व्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति को गदहा का चम बाज व बाग का ऊपर बरके पहनना पड़ता था और मात घरा से निष्का मंगते समय बहना पड़ता था कि उस व्यक्ति का निष्का दीजिए जिनसे अपनी पत्नी के प्रति वचन-भंग किया है।<sup>१०</sup> इसी प्रकार उसे छ मास तक करना पड़ता था। आप० घ० सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी व्यवस्था दी है। उस बर्षे मासा (छ मासा) तक १२ रात्रि वाला वृक्ष प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२।२।२९-३०), ३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः द्वा वर्षों वाला और विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों वाला प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। और देखाए मिताभरा (याज्ञ० ३।२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अन्य व्यभिचार सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे ममान-अपराधी पुरुष के मद्दग ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु १।१७८ एव बृहस्पति)। किन्तु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (देखाए ऊपर, बसिष्ठ २।१।५ एव सर्वत १७७-१७२)। बृहस्पति (४।४८) ने प्रतिलोम जातियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से गुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है।

घातयता (उचित समय पर उपनयन मस्कार न करने की स्थिति)—जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन मस्कार नहीं करता उसे घातय या पतितताविशेष कहा जाता है। देखाए आश्व० गू० सू० (१।१९।५-७), आप० घ० सू० (१।१।१।२-२६), बोपा० गू० सू० (३।१३।५-६), बसिष्ठ० (१।१७।१-७५), मनु (२।३६-३९) एव याज्ञ० (१।७-३८)। इन भवध म घातयस्तोम एव उद्दालक व्रत (बसिष्ठ १।१७६-७९ एव गौतम १।१।८) नामक प्रायश्चित्त कुछ शर्तों द्वारा निर्धारित है और मनु (१।१।१९१—विष्णु ५।४।२६-२७—अग्नि० १७०।८-९) ने ३ वृक्षों एव पुनरुपनयन के मन्त्रादन की व्यवस्था दी है। बसिष्ठ (१।१७७) ने उद्दालक व्रत का भी वर्णन किया है—“दो मासों तक जो भी लपसी पर रहना चाहिए एव मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिषा पर, आठ दिनों तक घी पर,

छ दिनों तक बिना मिश्रा या बिना मीमे तीन दिनों तक जल पर स्नान चाहिए तथा एक स्नान उपवास करना चाहिए। आप० प० सू० (१।१।१।२४-२७) ने व्रतयना का एक अन्य प्रायश्चित्त बताया है—प्रत्य या पतितसावित्रीक के लिए देगिए इस ग्रन्थ का खण्ड २ अध्याय ७। हरदत्त (आप० प० सू० १।१।१।२४) के मत से यदि प्रपितामह के पूर्व कई पीढ़ियों बिना उपनयन व रही है तब मा व्यक्त का उचित प्रायश्चित्त व उपरान्त हिन्दू धर्म म सम्मिलन किया जा सकता है।<sup>11</sup> विन्तु कुछ प्रायकार ने आस्तस्य एव परास्त्र को धार्मिक अथ म ही लिया है और कहा है कि यदि प्रपितामह के पिता स लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।<sup>12</sup>

**व्रतलोच (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-मालन व व्रत की हानि की स्थिति)**—वह वैदिक ब्रह्मचारी जा किसी स्त्री से समाग्न कर लेना है उस अवकीर्णों कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णों के लिए प्रथम बार दुग्ध वास्त्रप द्वारा प्रतिपादिन प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० प० सू० (१।१।२।६।८९) ने कहा है कि ऐस विद्याओं को पारकृत की विधि में निश्चिन्ति (नरत्न या मृत्यु को देवी) को गदह की बलि देनी चाहिए और बिना नद्र द्वारा अवशिष्ट हविं सा झाठी जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियों लौकिक अग्नि में दी जानी चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१३) ने व्यवस्था दी है— जब वैदिक विद्याओं स्त्री-मग करता है ता उसे बन में किमी पतुण्य (पौराष्ट्र) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसा के लिए गदम (गदहा) की बलि देनी चाहिए, या उसे निश्चिन्ति को मात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियां दवर यह कहता चाहिए— वामपयामा वा स्वाहा, उत्तमी जो उत्तमी कामनिष्पा वा अनुमरण करता है स्वाहा, निश्चिन्ति वा स्वाहा राक्षस दवता वा स्वाहा।<sup>13</sup> यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९) मनु (१।१।१८-१२३), वाषा० प० सू० (२।१।३५ ३४) याज्ञ० (३।२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एव पारस्करगृह्य० (३।१२) म भी पायी जाती है विन्तु गौतम ने इनका जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात परां स वष भर भिक्षा मांगनी चाहिए और अपने दुष्टृत्य वा उदघोष करते रहना चाहिए।

102300

यदि कोई सप्यासी पुन गृहस्थ हो जाता है तो उसक लिए सवत (१७१-१७२) न छ मासों का वृच्छ निर्धारित किया है। ऐस व्यक्ति की प्रत्यवसित सजा है। यम (२२ २३), बृहस्पत (३ ४) आदि ने प्रत्यवसितों के नौ प्रकार दिये हैं यथा—जो जल, अग्नि, उदवधन (जिसक द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच निकले (लौट आये) हैं व जा सप्यामाश्रम से लौट आय है या आमरण अनशन (उपवास) स हट गय हैं, जा विष, प्रपात-पात, घर्णा (जिसी ने धर पर घरना देन) स बच गय है (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी घात के वार स बच गय हैं। य ससग व मगम नहीं होने और इनकी शुद्धि वा द्रापण या दा तप्त वृच्छों में हाती है।<sup>14</sup> बृह-वराहक (परा० मा०, २, माग २, पृ० ११ एव प्राय० गृह्या०) का कथन है कि उन सन्यासियों को जा पुन गृहस्थ

१६ पत्य प्रपितामहस्य पितुरारम्य नानुस्मयंत उपनयन तत्र प्रायश्चित्त नोक्तम्। धर्मतैत्तिहृतव्यम्। एव तत पूर्ववत्वाप। हरदत्त (आप० प० सू० १।१।१।१०)।

१७ त्रिपुरद पतितसावित्रीकापामवत्ये सस्कारो नाप्यापन च। पार० पृ० (२।५)। इद प्यास्यात हरदत्तेन भाष्यकृता। पत्य प्रपितामहस्य पितुरारम्य नानुस्मयंत उपनयन तस्य प्रायश्चित्त नोक्तमिति। तथा च सस्कार्यस्य त्रिपुरदोर्ध्वमपि सावत्ये क्यमपि सस्कार्यस्य उपनयन न भवतीति फलितम्। प्रायश्चित्तमुक्तावली।

१८ जलान्मुद्वन्धनभ्रष्टा प्रव्रजमानासकच्युता। विषप्रपतनप्रायश्चित्तप्रघातहताश्च ये॥ नवते प्रत्यवसिता सर्वलोकबाह्यकृता। चन्द्रायणेन शुष्यन्ति तप्तवृच्छद्वयेन वा॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पृ० १२६)।

हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी) और सन्यासभ्युत हो जाने के उपरान्त उनकी उत्पन्न सन्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही बढोर व्यवहार पंडन के सन्त मानेश्वर एव उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे सन्यासभ्युत व्यक्ति को आरूढपतित भी कहा गया है (पराशरमावली, २, भाग १, पृ० ३७३)।

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५।८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उपरान्त कुछ दिनों तक नारियों एव कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम बने हुए हैं। स्थानानाम से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१।४।२८) ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, मृतिका (जच्चा), उदक्या (रजस्वला), शव, स्पृष्ट (जिसने इनको छू लिया है), तत्स्पृष्ट (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही बात मनु (५।८४) एव श्रुति (३।३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्पर्श में प्रत्यक्ष स्पर्श एव अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों प्रकार के स्पर्श स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण एव चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पर्श किये बैठे हो तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० ११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, मित्ल एव पारसीक तथा महापातकियों को छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पर्दान्नान्त ने कहा है—“बौद्धो, पामुपतो, लोकापतिवा, नास्तिका, विवर्मस्थो (जो निर्विद्य या वर्जित कर्म करते हैं) को छूने पर सबैल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष (जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य के लिए ईंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-सवधो स्तम्भ, जिसमें बांधकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, सोम-विश्रैता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”<sup>१९</sup> सबर्त (प्राय० वि०, पृ० ४७२-४७३) ने मोची, धोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एव ४९), धीवर (मछली मारने वाले), नट आदि को छूनेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का वचन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चर्मकार (मोची), व्याघ्र (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्गंजक (घाबी), सौनिक (कसाई), ठक (ठग), शैलूय (नट), मुपेमग (जो मुल में समोय करने को अनुमत देता है), कुत्ता, सर्वगा यनिता (बह बेध्या जो सभी बर्णों को अपने यहाँ स्थान देती है), चन्नी (तेल निकालने वाला), ध्वजी (शौचिक या मद्य बेचनेवाला), बध्यपाती (जलाद), ग्राम्यशूकर, बुक्कुट (मुर्ग) से छू जाय ता अग-प्रधातन करने आचमन करना चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिद्धांत में यह ज्ञातम्ब है कि हेमाद्रि ने (पृ० ३८) गरुडपुराण एव (पृ० ३१६) पराशर को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें स्पर्श करने, धोलने एव देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।<sup>२०</sup> देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, पृ० ३१२) का वचन

१९. तत्र याज्ञवल्क्यः। चाण्डालपुक्कसम्लेच्छमित्लपारसिकादिकान्। महापातकानाञ्च स्पृष्ट्वा स्नायात् सबैलकः॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०)। अपरार्कं (पृ० ९२३) ने इस श्लोक को बृहस्पतिवल्क्य का ठहराया है। पर्दान्नान्तम्। बौद्धापामुपताञ्च लोकापतिक्कनास्तिकान्। विवर्मस्थान् द्विजान् स्पृष्ट्वा सबैलो जलमाविशेत्॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११८)।

२०. चर्मरं रजकं वेणं धीवरं नटमेव च। एतान् स्पृष्ट्वा द्विजो मोहावाचामेत् प्रयतोऽपि सन्॥ सबर्त (प्राय०

है कि चालडाल एव तुलन (तुर्क) समान रूप से गीब है। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अग्नि, दानातप, बृहस्पति आदि में पामिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, मुठ, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं उठरायी है।

दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समय स्मृतिया में उच्च आदर्श रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१।३।१-२) ने व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति में पड़ने पर किन्हीं दानियों से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत् तव सोमो महिषद्वकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, सख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे वृच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिए, तथा 'निबद्भुने' (सामवेद १।५।३।१, शं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (१।१४०) का कथन है कि ब्राह्मण को कृपण या लोभो एव शास्त्रविरुद्ध धर्म करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (१।१।१९४, विष्णु ५।४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एव गहिन व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता है। यह अवलोकनीय है कि मनु (१०।१०२-१०३) एव याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से प्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पत्राकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो गंगा के जल एव अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इन कृत्य से पाप नहीं लगता, 'यैविकि जो पवित्र है वह भी अगुद्ध हो सकता है' ऐसा कहना तर्कहीन (अनुचित) है। किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र को सिद्धा देने या उसका पीरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वजित पदार्थ बेचना मना है, यथा— तिल, तैल, दधि, दही, दही (मधु), नमक, अमूर, मद्य, पक्वान्न, पुष्प या शरीर दासी, हाथी, घोडा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रत्न, दौम (रेगमी वस्त्र), कृष्णाग्नि (काले हरिण की झाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग), इन्हे बेचने से वह तुष्ट पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुँहाकर मास भर तप्त वृच्छ करना चाहिए दिन में तीन बार जल प्रवेश करना चाहिए, एक ही गोला वस्त्र पहने रहना चाहिए, तीन व्रत पारण करना चाहिए, धीरसन करना चाहिए, रात में बेंटना एव दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए।

म्लेच्छा द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतिया एव निबन्धों के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अर्थ के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि वे अगुद्ध भाषा का प्रयाग करते थे, यथा 'हेऽर्य' को 'हैल्य' बहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमास-मदाक कहा है। प्राय० त० (५० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करते कहा है कि 'म्लेच्छ गोमासलादक एव विरोधी वचन

वि०, पृ० ४७२-४७३)। रजकद्रवमंहुच्छंथ व्यायसासोपजीविनो। निर्जोडक शौनिकद्रव ठक शैलूकस्तथर॥  
 मूलोभगस्तथा इवा च वसिता सर्ववर्णना। चको ध्वजी वध्रघातो प्राप्यगूकरुकुडुटो। एभिर्ग्रज्ज सस्पृष्ट शिरोवर्ज  
 द्विजातिषु। सोषेन शालन कृत्वा आचान्त शुचितामियात् ॥ शतातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एव स्मृतिचन्द्रिका  
 १, पृ० ११९)। प्राय० वि० ने 'ठक' का अर्थ 'पूत' बताया है और यह आज 'ठ' शब्द का मौलिक रूप लगता है।  
 स्मृतिचन्द्रिका ने 'नट.' के स्थान पर 'ठक' पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकद्रवमंकारद्रव नदो बुध  
 एव च। कंसर्तमेवमिल्लादच स्वर्णकारद्रव सौविकः (सौविद ?) ॥ काशको लोहकारद्रव शिलाभेदी तु नापित।  
 तशकस्तिलयन्त्रो च सूनइवकी तथा ध्वजी। एते घोडशपा प्रोवताशवाधाला धामवातिन ॥ शरदपुराण (हेमाद्रि  
 प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एव पराशर के उद्धरण के लिए पृ० ३१६)।

बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शको, यवनो, कम्बोजो, पारदो, पहलवो वे वस्त्रो एवं केश-विन्यास का वर्णन किया है।" देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एव २८। दो-एक अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छो या आत्रमणकारियो द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लौटकर स्वदेश में चले आते हैं, तो व्रजित भोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनसे वर्ण-विशेष पर निर्भर है, यथा—ब्राह्मण को आधा कृच्छ्र एव पुनश्चनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौपाई कृच्छ्र और पुनश्चनयन करना पड़ता है, वैश्य को चौपाई कृच्छ्र एव शूद्र को चौपाई कृच्छ्र तथा दान देना पड़ता है।" मनु (८।१६९), विष्णु (८।६-७) एव याज्ञ० (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलवश लिखित करामा जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन कथनों का उपयोग कर शूद्रि की जा सकती है और बिछुड़े हुए लोगों को हिन्दू धर्म के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परायतन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में घातघातों के सम्पादन द्वारा अन्य लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एव खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों को हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अजरबैजान देश की राजधानी बाकु के पास सुरहनी के ज्वालामी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एव १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि हिन्दू यानी वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अर्पित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ गणेश की प्रशस्ति से होता है। एक श्लोक यों है—“श्लोक । देवयज्ञे ष्टे तीर्थं सत्याश्रममोजने। पितृश्राद्धे जटीहस्ते यनं व्रजति धर्मताम् ॥”

मनु (१।१।२४=विष्णु ३।८।७) ने उपर्युक्त सभी जातिध्वंसकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्त्वयन एव अज्ञान से करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें उपर संकरीकरण या अपात्रीकरण कहा गया है, एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा है (मनु ९।१२५); इसी प्रकार मलावह कर्मों के लिए कर्तों को तीन दिनों तक बैबल जी की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अनि० (१७०।२३-२५) में भी पाये जाते हैं। विष्णु (३।९।२, ४।०।२ एव ४।१।५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणोय दुष्कर्मों के लिए कुछ मित्र प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। यम एव बृहस्पति के वचनों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०)। अन्य प्रकार के

२१. शोर्मासलादको यदथ विषदं बहु भायते। सर्वाचारविहोतदथ म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ शोषा० (प्राय० त०, पु० ५४९; सगरः स्वा प्रतिशतं च गुरोर्वावर्षं निशाम्य च। धर्मं जघान तेषां च वैधान्यत्वं चकार ह ॥ अर्थ शाकानां शिरसो मुञ्चं कृत्वा प्यसज्यत्। यवनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां तथैव च ॥ पारदा मुक्तकेशाश्च पहलवा इमधु-धारिणः। नि स्वाध्यायवयदकाराः कृतास्तेन महात्मना ॥ शाका यवनकाम्बोजाः पारदाश्च विशांपते। कोसितर्पाः समहिवाः बोद्योश्चोलः सकेरलाः ॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः। हरिवंश, हरिवंशपर्व (१।४।१५-१९; प्राय० त० पु० ५४९)।

२२. म्लेच्छं ह्येतानां शोर्वा वातारो वा प्रयासिताम्। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धयर्थं तेषां वधयामि निष्कृतिम् ॥ पुनः प्राप्य स्वदेशं च वर्णाश्रमनुप्रवेशः। कृच्छ्रस्थायं ब्राह्मणस्तु पुनः सत्कारमर्हति ॥ पाण्डोनात्ते क्षत्रियस्तु अर्थोर्ध्वं वैश्य एव च। पार्वं कृत्वा तथा दूरो वानं वत्सा विशुध्यति ॥ विष्णुधर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६)।



प्रकीर्णक पातकों के लिए मनु (११:२०९), विष्णु (४:२) एव याज्ञ० (३:२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के स्वप्नान्, बर्ताओं को योग्यता तथा काल, स्थान आदि मन्त्री अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी चाहिए।

कुछ नियमों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विगिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह दिया है कि विषवसनीयता, प्यार, लालच, मय या अगावपानी में किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का दृष्टीकरण तत्क्षण होना चाहिए। दश (२:७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एव साम्य विषयो मे देरी नही बरनी चाहिए, अर्थात् समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होना है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय और क्षुब्धीकरण न हुआ हो तो मनु एव देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्राय० त० (पृ० ४७४, ५१२) ने श्वशुरार्चनानामिण एव एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एव परीक्षण-कार्य (दिव्य) महोत्तरे की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि का नहीं करना चाहिए और न विवाह एव परीक्षण-कार्य शनिवार एव बुधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्त-द्रुमेपर (पृ० १५) ने कहा है कि गिष्टो के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है किन्तु बाल्मिकि कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी मृतक में पड़ा हो तो मृतक-काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए।

गिष्टों की परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जा बार्ते कही गयी हैं उनमें समय-समय पर अन्तर पड़ना चला गया है। गौतमधर्मसूत्र (२:५:६-१७) ने शृच्छ के सम्पादन की विधि यो दी है—'यदि पापी पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एव रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात् उसे रात्रि में बैठकर ही सोना चाहिए, लेटकर नहीं), उसे मल्य बोलना चाहिए, अलापों (गूढ आदि) से वातचित्त नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुछ से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए मिर एव अन्य अगों पर छिड़कना चाहिए), 'आयो हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०:९:१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एव तै० स० (५:६:१:१-८) के आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में 'नम' एव अन्त में 'नम' का उच्चारण करने हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एव २ देवताओं के नाम होने चाहिए)। यह प्रायश्चित्तों के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ धी की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एव सोम, इन्द्र एव अग्नि, इन्द्र, विन्वेदेवो, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टवृत् अग्नि की ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्मभोज करता है। आप० घ० सू० (२:६:१५:१९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्मभोज में केवल शुचियुक्त (सदा-धारी) एव मन्त्रवान् (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए।' बीषा० घ० सू० (२:१:९५-९९) ने व्यव-

२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । तथा तथा हि कार्याणि न कालं तु विलम्बयेत् ॥ दश (२:७३; प्राय० त०, पृ० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत् । द्विगुणं राजवण्ड च इत्था क्षुद्रिमवाप्नुयात् ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके । संवत्सराभिजास्तस्य क्षुष्टस्य द्विगुणो दम । इति मनुबधने । प्राय० त०, पृ० ४७४ । यह मनु (८:३:७४) है। 'सप्तमद्विधम्भात् स्नेहाद् सोभाद् भयान्प्रमादाद् अशुभ कृत्वा सद्यः शोचमारभेत्' इति हारीतेन सद्यकरणमुक्तम् । अत्रापि व्यवहारविन्तामणी विशेषः । नाष्टम्या न चतुर्दश्या प्रायश्चित्तपरीक्षाये । न परीक्षा विवाहश्च शनिभीमदिने तथा ॥ प्राय० त०, पृ० ४७४ ।

२४. शुचीन्मन्त्रवतः सर्वहृत्प्रेयु भोजयेत् । आप० घ० सू० (२:६:१५:१९) ।

स्नानादी है कि कृच्छ्र प्रायश्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र धारण करना चाहिए, सिर, मंछ एवं शरीर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटाती। मनु (१११२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायश्चित्तों में महाब्याहृतियों के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए, पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोध-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए, वस्त्रों के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए, दूध, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्पष्टिल या चबूतरा) पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा—भूँज की भेषला, पलाश-दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए। देवा, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था बर्मिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ० (३१३१२-१३) के वचन महत्त्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्त के लिए यमों (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता सत्य, अहिंसा अर्पण) एवं नियमों (स्नान, मोन उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लोकाधिगृह्य० (५३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। याज्ञ० (३१३२५) ने कहा है कि कृच्छ्र या चाण्डायण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों (जैसा कि बर्मिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस मात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शाल (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बनायी है। प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० मार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२-२०३), प्राय० तत्व (पृ० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मूल्य (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायश्चित्तेन्दु-शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक समझते हैं। उद्देश्य में विधि यो है—प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व नख एवं बाल कटा लेने चाहिए, मिट्टी, गोबर, पवित्र जल आदि में स्नान कर लेना चाहिए, धृत पीना चाहिए, सिष्टों की परिषद द्वारा व्यवस्थित नियमों के पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पचगव्य पीना चाहिए, होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए। पराशर (११२) का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दूध को त्रय से एक, दोगे, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरम्भ एवं अन्त में स्मार्त अग्नि में ब्याहृतियों के साथ यो की आहृतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं मोने तथा गाय की दक्षिणा देनी चाहिए। देखिए अपराकं (पृ० १२३०) एवं परा० माध० (२, भाग २, पृ० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाश्राद्ध के मत से ब्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए।

वचन या मुञ्चन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया है—“असुरो मे सर्वप्रथम सिर के बाल मुँढाये, उनके उपरान्त मूँछें मुँढवा दी और तब कर्णें, इसी से वे नीचे गिरे (या उनका मुख नीचा हुआ) और परामृत हुए, किन्तु देवों ने सर्वप्रथम कर्णों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायी और तब गिर के बाल कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस वचन को विमस्त रूप में उद्धृत करके वचन के तीन प्रकार दिये हैं; बंब (देवों का), आसुर (असुरों का) एवं मानुष (मानवों का)। इनमें आसुर वज्रित है और वैदिक अग्नि यो की

२५. मुञ्चनविषयवर्णनायौ अयन्नायौ जिनेन्द्रियम्। स्त्रोऽसुरप्रतिपत्तानां च बर्जयेत्परिभाषणम्॥ पवित्राणि जपेच्छत्रत्या अमुपास्त्र्वं शक्तितात्। अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छ्रेषु सर्वदा॥ शाल (१८।१२-१३)।

प्रवृत्त करने में, इच्छित्यो एव शोभयज्ञो मे वैव प्रवार वा प्रयोग हाता है। विन्तु प्रायश्चित्तो मे कोई विनिष्ट विधि नहीं है, कोई भी विधि विवरूप रूप मे प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर गिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा—तीर्थ-यात्रा में प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर—व्ययं मे गिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, पृ० ४८९)। इन्ही अवसरों मे प्रायश्चित्तो की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है तो वह बालों मे वेष्टित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एव प्राय० मयूख का कथन है।" शौतम (२७।२), वसिष्ठ (२।४।५), शौषा० प० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने गिर एव दाडो-मूँछ के बालों (मँहो, गिवा एव कटिवन्ध के बालों को छोड़कर) के बपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, गिर-मुण्डन, पिण्डदान, दाव-बहन एव प्रेन-कर्म बजिन माना है। विन्तु यह वर्जना प्राय-विचत्तो के लिए नहीं प्रयुक्त होती। शौषापन ने क्त्रिपां के प्रायश्चित्तो मे गिर-मुण्डन बजित ठहराया है। अगिरा (१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहदयम (३।१६), बृहदारगीत (९।३८८), परागर (९।५४-५५), अी-यम (५।४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सपत्वा विवाहित स्त्रियो एव कुमार्तियो मे बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एव सन्यासियो का पूर्ण गिर-मुण्डन होना चाहिए। परागर (९।५२-५४) तथा शत (धरा० मा० २, भाग १, पृ० २९०-२९१) के मत मे राजा, राजकुमार या विद्वान् ब्राह्मणों को गिर-मुण्डन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रस्युन उन्हे दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।३२५) ने मनु को उद्धृत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति मे नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान् ब्राह्मणा एव राजाओं को गिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, विन्तु महापातको एव गोवध करने पर एव अवकीर्णो होने पर यह नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२६४) ने सर्वत्र का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई हो तो गले के नीचे के बाल, जब आधा हो तो मूँछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी बाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। पर० माधवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है कि चान्द्रायण व्रत मे गुण्यों के सहित शरीर के सभी स्थानों का बपन हो जाना चाहिए। बपन-कार्य नापित करता है तब भी सन्न्य-वचन 'बपन करिय्ये' है न कि 'बपन करिय्ये'। शौतम (२७।३) मे आया है—'बपन व्रत करने' जो चान्द्रायण के विषय मे आया है, इसी मे हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ्र मे बपन अनावश्यक है। प्रायश्चित्त मे स्नान होना ही है और वह मसम, गोबर, मिट्टी, जल, पचमव्य एव कुज डाले हुए जल मे सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिंगपुराण तथा भविष्यपुराण मे एव अन्यत्र दिये हुए हैं।

प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एव नियमों का पालन गुप्त रूप मे या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। इस विषय मे हमने याज्ञवल्क्य (३।३।२-३।३।३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एव नियमों को दूमेरे ढग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मनु ४।२०८=अत्रि ४८) ने मनु की व्याख्या यों की है—यम वर्जना (नियम) के रूप मे होते हैं, यथा—ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ मे प्रयुक्त होते हैं, यथा—वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मनु ४।१४७)।

२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्बपान्बहुम्। इति मन्त्रमुबद्धा कश्चोपस्यदिसालावर्जं कमेण इमभूपपक्षकेशानुदक्षसंस्थान् वापयेत्। यतिविधवादीना सशिल बपनम्। ब्रह्म-हत्याशिष्यपि सशिलं सर्वाणलोभर्मा च। प्राय० म० (पृ० १९)।

प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत के मत से माप एव मसूर की दाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वर्ज्य है और इसी प्रकार दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, समोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित ममय पर नहीं बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रों या उच्छिष्टों से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि प्रायश्चित्त करते समय शरीर-भेदन कराना, सिर में तेल लगवाना, ताम्बूल खाना, अजन लगाना या उन वस्तुओं का सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या दाक्षि आती है, वर्जित है।

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्भ करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि' (व्रत के पति अग्नि, मैं व्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने व्रतपत व्रतमचारिय तदक्षक तन्मे राधि' (व्रतों के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की दाक्षिणी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए।

प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं, प्रकट (ब्राह्म रूप में किया जानेवाला) एव रहस्य (गुप्त रूप से किया जानेवाला)। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५।१-३), मनु (१।१२४८-२६५), याज्ञ० (३।३०१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एव महापातवियों के समय से उत्पन्न पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें यम से उम नारी एव महापातकों को ज्ञात रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एव ससर्ग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एव विनीत है, वृद्ध है या विद्वान् है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे शिष्टों की परिषद् में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग में पूछ ले सकता है। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वचनों, दानों, होमों एव जप में लिप्त रहते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (१।१२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एव मन्त्रों से शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एव शूद्र भी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एव वैदिक मन्त्रों का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एव प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३००)। गौतम (२६।२) एव मनु (१।१२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'वरत् स मन्दि' (ऋग्वेद १०।५८।१-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। गौतम (२४।६) ने ब्रह्म घातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक घी पर और पुनः दस दिनों तक जल पर रहने को कहा है और वह भी केवल एक बार प्रातःकाल, और ब्रह्म है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकारमक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न हैं—शरीर के बाल, नख, धर्म, मांस, रक्त, मासपेशियाँ, हृद्दियाँ एव मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मै मृत्यु के मृत में आहुतियाँ दे रहा हूँ।' याज्ञ० (३।३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में सड़े होकर अधमर्षण मुक्त (ऋ० १०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारूपाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना चाहिए, तब कही उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से मुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए ध्वस्तियत व्रत का पालन करके एव अधमर्षण का पाठ करने शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की घोरी करनेवाला तीन दिनों का उपवास करके एव गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है और माना, वहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि से व्यभिचार करनेवाला 'सहस्रसोषी' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करने शुद्ध हो सकता है।

ऋषियो ने देगा कि प्राचीन स्मृतियों में बर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं भरणान्तक हैं, अतः उन्होने क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को अपराधों की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान् श्मशान्त या अपातित का सामना करना पड़े।" अगिरा ने भी कहा है कि सर्वसम्पत्ति से परिषद् द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त-व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। सप्त ने घोषित किया है कि "ब्राह्मण को चोरा, मयानक पशुओं, हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण वन में जीवनवाया के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है, जिस प्रकार जल पर्वत से निवलकर खोल बनता है उसी प्रकार धर्म शरीर से आर्चरित होकर मन्त्रित किया जा सकता है।"<sup>१८</sup>

समय के परिवर्तन के साथ प्रायश्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५।२०।१८- यचनाङ्गोऽग्नीनादधीत काममेवैका गा दद्यात् सा गवा प्रत्याम्नायो मवतीति विज्ञायते, ६।३०।९), शास्त्रा० श्रौ० सू० (१।४।५।१६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। सर्वतः का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा० २, भाग १, पृ० १९७; प्राय० सार पृ० २०३, प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा—गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार सिर मुझाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजना यात्रा। गौतम (१९।-१६) से मता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर एक या आया या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।" ऋग्विशदित्त ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की

२७. यथाशयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे। प्रायश्चित्तं प्रयातस्यं ब्राह्मणधर्मपाठकः ॥ येन शुद्धिमवाप्नोति न च प्राणं विवृण्यते। आर्तिं वा महतीं याति न घेतद् दत्तमादिशेत् ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); पर्वतसंविन्दय तत्सर्वं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्। सर्वेषां निश्चितं यत्स्यात्तच्छ्रवणान् न घातयेत् ॥ अगिरा (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३६; मदनपारिजात, पृ० ७७९)।

२८. तत्कारश्वापवाकीर्णं बहुस्थालमग्रे वने। न दत्तं ब्राह्मणः कुपतिप्राणबाधामवात्सदा ॥ शरीरं धर्मसर्वत्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरीरात् द्रवते धर्मः पर्वतात्सलिलं यथा ॥ शंख (१७।६१ एवं ६५; मदनपारिजात पृ० ७२८; अपराकं पृ० १२३१)। अपराकं में एक अन्य श्लोक भी जोड़ दिया है—'सर्वतो जीवित रत्नोऽजीवन्त्यापं व्यपोहति। वतः कृच्छ्रस्तथा वानरित्याह भगवान्यमः ॥' (शंख १७।६४)।

२९. प्राजापत्यप्रताशास्त्री धेनुं दद्यात्पयस्विनोम्। धेनोरभावे दत्तम्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः ॥ संवतं (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९७; प्राय० सार, पृ० २०३; प्राय० तत्त्व, पृ० ५१७ एवं ५४१)। निता० (याज्ञ० ३।३२६) ने इस स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आया इस प्रकार जोड़ा है—'मूल्याधर्मय निष्क वा तदर्थं शक्यपेक्षया ॥' इस श्लोक को अपराकं (पृ० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का मन्त्रा है। प्राजापत्यकृच्छ्रस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कृच्छ्रं वैष्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम्। पुष्यतोषेनाग्निशिरस्नानं द्वादशशक्यया ॥ द्विधोजने तीर्थयात्रा कृच्छ्रमेकं प्रकल्पितम् ॥ पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पृ० ४७)। मूल्यं च यथाशक्ति देवम्। अत एव ब्रह्मपुराणे

व्यवस्था दी है, यथा—दस सहस्र चार गायत्री-जप, जल में सटा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर)—ये चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का भोजन एवं पावकेष्टि समान कहे गये हैं। पशुविदातिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्त्वनन वा प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) दो गौर्षे हैं तथा पराक, सप्तकृच्छ्र एव अतिकृच्छ्र का प्रत्याम्नाय तीन गौर्षे तथा चान्दायण के लिए आठ गौर्षे हैं। इन सरल से सरलतर एवं सरलतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-भोज, धन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० ३।३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलना रहेगा; यदि व्यक्ति यह भी न कर सके तो वह ३६० दुपारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या धौषाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (३।३०९) ने व्यवस्था दी है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता है। वसिष्ठ (२।८।१८-१९=अत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैशाख की पूर्णिमा को सात या पाँच ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साथ भोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा—स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ० २०३), प्रायश्चित्ततरव (पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय एक या अधिक गौओं का दान या पुरोहितों को धन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं।

मध्यकाल के लेखकों ने दुपारू गौओं, साधारण गौओं एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुपारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण गाय का एक पुराण एवं बैल का पाँच पुराण था। प्रायश्चित्तसतत्व (पृ० ५१७-५१८) ने काल्यायन का हवाला देकर कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण तंबू का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य में ८० बराटक (कौड़ियों) के समान होता है तथा ६६ पण के बराबर एक पुराण होता है (मविष्य० एवं मत्स्य० के अनुसार), निष्क वह मही है जैसा कि मनु (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक बीनार-निष्क है, अर्थात् सोना जो तोल में ३२ रत्ती होता है। प्रायश्चित्तसुखर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी है और तोल में चार सुवर्णों या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रैन होती है, अतः ८० रत्ती का एक ताम्र-पण तोल में लगभग १४४ ग्रैन होगा। इसी तरह से एक घंनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर था, अर्थात् ताम्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रैन के बराबर लिया जाय)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से ज़ागे चलकर कई शताब्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्णों' के बराबर होता है। लीलावती के अनुसार २० बराटक (कौड़ियों) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है।

गाभासमावे निष्कं स्यात्सर्वं पादमेव वा। परा० मा० (२, साग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (पृ० २०३) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३२६, जहाँ नाम नहीं दिया हुआ है)।

## अध्याय ५

### प्रायश्चित्तों के नाम

इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। ऐसा करने में हम केवल मन्त्राच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं सकेत मात्र उपस्थित किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्त की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है।

अधमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—गौतम (२४।११), बौध्या० ध० सू० (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८), मनु (१।१।२५९-२६०), याज्ञ० (३।३०।१), विष्णु (५५।७), शाल (१८।१-२) आदि में इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका ध्यान है कि यदि व्यक्ति जल में सखा होकर दिन में तीन बार (हरदस बे अनुमार तीन दिनों तक) अधमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेध के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (५०।१९९) में भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में सखा रहना, रात में बँटा रहना एवं अन्त में दुधारू गाय का दान करना होता है। शाल (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) में इसका सविस्तर वर्णन किया है।

अतिहृच्छु (और देखिए कृच्छ्र के अन्तर्गत)। मनु (१।१।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन सप्याकाल एक कौर भोजन से, पुन तीन दिनों तक बिना मर्षि एक कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३।१९) ने एक कौर के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३।१९) एवं प्राय० सा० (५०।१७६) के मत से मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१।२।६-७), गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५६-३०), लौगासिगू० (५।१२-१३), पराशर (१।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) एवं बौध्या० ध० सू० (४।५।८)। मनु (१।१।२०८) एवं विष्णु (५४।३०) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकरता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं।

अतिसान्त्वन (और देखिए महामान्त्वन)। यह नई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१७।१-१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्त्वन का तिग्ना, जिसमें ६ दिनों तक गोमूत्र एवं अन्य पर्व चस्तुओं का आहार करना पड़ता है)। मिता० (याज्ञ० ३।३।१५) में यम को उद्धृत कर इसके लिए १२ दिनों की व्यवस्था की ओर सकेत किया है। प्राय० मनुख (५०।२३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था दी है।<sup>१</sup>

अर्घकृच्छ्र (और देखिए कृच्छ्र) । आपस्तम्बस्मृति (१।४३-४४) के अनुसार यह छ दिन वा प्रायश्चित्त है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सप्त्याहार, दो दिन बिना मांगे भोजन करना पड़ता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है । मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मांगे प्रायश्चित्त भोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है ।'

अश्वमेधभावभूयस्नान—यह अश्वमेध के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में सत्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान होता है । विष्णु (३६ के उत्तरार्ध) ने महापातको एव अनुपातको के लिए अश्वमेध की व्यवस्था दी है । केवल सम्राट अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेध कर सकते हैं जिसमें अन्त में एक विनिष्ट स्नान किया जाता है । देखिए इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेध का वर्णन है । प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेध केवल क्षत्रिय ही कर सकता है । अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है । गिन्तु कुल्लूक (मनु १।१९२) एव प्राय० तत्त्व (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेध के अन्त में होनेवाले स्नान में भाग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है ।'

आग्नेय कृच्छ्र—अग्निपुराण एव विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ्र कहलाता है ।'

ऋषिचाराद्रायण—बृहद्-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल तीन कौर यज्ञिय भोजन किया जाता है ।'

एकभक्त—प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार साये तो इसे एकभक्त व्रत कहा जाता है ।

कृच्छ्र—कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है । साम० ब्रा० (१।२।१) में आया है—  
"अथातस्त्रीं कृच्छ्रान् व्याख्यास्याम । हविष्यान् श्वहमनवशर्यादिवासी ततस्त्वह श्वहमयाचितव्रतस्यह नाशदाति किचनेति कृच्छ्र-द्वादशरात्रस्य विधि", जिसका तात्पर्य है कि "व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए,

पेयान्येकं तु द्वयं द्वयम् । अतिसान्तपनं नाम श्वपाकमपि शोषयेत् ॥ मिता० (याज्ञ० ३।३।१५); प्राय० सार (पृ० १९१); अपराकं (पृ० १२३४) ।

२. सायंप्रातस्तस्यैकं विनद्वयमयाचितम् । दिनद्वयं च नाशनीयात्कृच्छ्रायं तद्विधीयते ॥ आपस्तम्बस्मृति (१।४३-४४); मिता० (याज्ञ० ३।३।१८); प्राय० वि० (पृ० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पृ० १७३) एवं प्राय० सा० (पृ० १७२) ।

३. अश्वमेधप्रायश्चित्तं तु रात्र एव तत्र तस्यैवाधिकारात् ।... अश्वमेधभावभूयस्नाने विप्रस्याप्यधिकारः । तथा च कल्पतरुधृतं भविष्यपुराणम् । यथा तु गुणवान् विप्रो हन्याद्विप्रं तु निर्गुणम् । अक्रामतस्तदा गच्छेत्स्नानं चंबा-श्वमेधिकम् ॥ ततश्चावभूयस्नानं क्षत्रियविधयमिति प्रायश्चित्तविवेकोक्तं हेयम् । प्रा० त० (पृ० ५४४) । और देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० वि० (पृ० ६५) ।

४. तिलेन्द्रादिशारात्रेण कृच्छ्रमानेयमातिनुत् । अग्निपुराण (१७।१।१४); विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रका०) ।

५. तथा बृहद्विष्णुः—त्रैश्रोत्रं पिबन्तु समशनीयाप्रियतात्मा दुष्टव्रतः । हविष्याप्रस्य वै मासमृषिबान्द्रायणं चरन् ॥ प्राय० प्रक० (पृ० १३२) । प्राय० वि० (पृ० ५२०), प्राय० त० (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (पृ० १९६) में इस श्लोक को यम का माना है ।



नीति शिवा तत्र गतिं स त्वा ग चात्रा नोन दिना तत्र उग भाजन नदी भागना चात्रिण (मिल जाय वा ग्रा मकरा है) और तत्र दिना तत्र १ ( परतस कर्ना चात्रिण। यदि वह जात्र न गणयन्त हा जना चात्रना है ना उर्गे दिन म परत सन्तः नात्रिण और सन्त म कठेही माना चात्रिण। गौतम (५६।२६) न प्रथम कृच्छ्र वा (त्रिम पदचालान्तरात् प्राजापत्ये वा प्राजापत्ये वा गना दा हे) वगन कश्च भविकृच्छ्र (२६।१८ १९) वा व्याख्या वा है आर तत्र कृच्छ्रा निरूपण हा (१-१००)। वाशी० पं० १० (११।०१) २ परतस वा वगन कृच्छ्र वा मानि वा विद्या है। आप० पं० सू० (१।१। १।५) १ १ दिना त कृच्छ्र वा वगन विद्य है। गौतम (०६।२-१६) द्वारा वर्णित कृच्छ्र वाग्रह दिना वा है आर ग मन् (११-२१) गण (१/१२) याज्ञ० (३।३।१०) आदि न प्राजापत्ये क नाम स पुनरा है। परा० मा० (० भाग १ पं० २०) एक प्राय० परतस क मत म कृच्छ्र शब्द त्रिना त्रिना विशेषण क प्राजापत्ये वा लोचक है। प्राय० नान (५० ८४) वा वधन हे कि गौतम (०६।१-१) द्वारा वर्णित कृच्छ्र वा मनु (११।२।११) ने प्राजापत्ये माना है। गौतम न अतिरिक्त अन्य नियम गौतम न इस प्रकार दिए है—गत्ये वालना अनाय पुण्या एव कारियो म न कर्तव्या राग्ये एव याशत्रव नामक मामा वा लगानर गायन प्रात मध्याह्न एव माघ स्नान श्रावण (१०।१।११) नैति० शा० (१।४।११) एव तै० म० (५।६।१) क मन्वा क साथ भाजन कर्ना, तरह (गौतम २६।१०) मन्वा क साथ दशम गौतम द्वारा निर्धारित तरह मन्वा क साथ आदित्य (स्य) को पूजा उदा तेरह मन्वा क साथ धनार्जनाया दना जात्र तरह दिन अतिरि अग्नि म पव ह्य चाक्या को आहुतिया माम अग्नि एव माम इन्द्र एव अग्नि उद्ग विचदेवो दृष्ट्या प्रजापति एव त्विष्ट्युत आग्नि वा दना तथा यज्ञमात्र।

**कृच्छ्रमन्तर**—आप० पं० सू० (१।१ २७८) न इस प्रायश्चित्त वा उल्लेख किया है जिसम वप म कृच्छ्र धन लगानर विद्य जन है।

**कृच्छ्रानिकृच्छ्र**—गौतम (०५।१०) गाम० वा० (१।२।८) एव वसिष्ठ (०४।३) ने इस तरह कृच्छ्र कहा है जिसम उन दिना अर्ध वा भाजन वा अतर्मात्र रचना है क्वच अर्ध ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३) एव गाम० वा० (१।२।९) वा उच्यते कि इस प्रायश्चित्त म धार्मिक क मभी पाप कर्त जते है। याज्ञ० (३।३।२०) दवल ८६ प्रथमाध) एव ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाम) के मत म उगम १ दिना तत्र केदर जल ग्रहण किया जाता है। गौतम एव याज्ञ० के उस अन्तर वा समाधान विवेचा न यह कहकर किया है कि अर्वाय पापी की गामय्य पर निमर है। यम न २८ दिना तत्र अर्वाय दा है (अपरात पू० १२३८)। और देविण पा० मा० (२, भाग १ पू० १७९) एव मदनधारिणर (पं० ३१६)। मनु (१।१।०८-द्विणु ५६।३०) क मत में यह प्रायश्चित्त उपरु लिए है जो किमी प्राज्ञम वा किमी अम्भ न एवा माग्ना है कि स्वन निरुल जाता है। प्राय० प्रकरण (पं० १।) वा कहता है कि जो लोग कृच्छ्र नसा कर मनन व प्रार्थनार्थ (प्रत्याम्नाय) क रूप म एव (पयस्विनी) गाय दे सकत है इसी प्रकार अनि कृच्छ्र एव कृच्छ्रातिकृच्छ्र क प्रत्याम्नाय स्वर्ग्य क्रम मे दो एव चार गोएँ दो जा सकनी है।

**गोमूत्रकृच्छ्र**—प्रायश्चित्तमात्र (पं० १८३) न इस विषय म एक श्लोक उद्धृत किया है— एव गौ गो जी गहूँ मिलान्कर अगपट निजाना चात्रिण आर उमक उपरान्त उनके गाबर से जी के दाते निकालकर गोमूत्र म उमके अट या लगयो वा माट बनाकर पीना चात्रिण।<sup>६</sup>

६ आ तृप्तेश्चार्यमित्वा गा गोधूमान् दर्वामोश्चतन। तान् गोमयोत्थान सगृह्य पिबेद गोमूत्रयावकम् ॥ (प्राय० सा०, पू० १८७)। महाणव ने हस्त योग्यातवत्थय से उद्धृत किया है और 'पिबेत्' के स्थान पर 'पेतेत्' लिखा है।

गोव्रत—प्रायः प्रकरण (पृ० १३२) में मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धृत किया है—“व्यवित्त को गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोबर वा हीं खाकर रहना चाहिए, गोआर व बीच में खड़ा रहना चाहिए, गाबर पर ही बैठना चाहिए, जब गोएँ जल पी ल तभी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नही चाहिए, जब वे खड़ी हो तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठे तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना चाहिए।”

चान्द्रायण—चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भाजन किया जाय उस वृत्त को चान्द्रायण व्रत कहते हैं। यह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में भी आया है (पारायण-नुरायण चान्द्रायण वनवान्)। वृत्त प्राचीन काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कह गये हैं, षष्ठमध्य (जो के समान बीच में मध्य एवं दायां छोर में पतला) एवं विषोपलिकामध्य (चीटी के समान बीच में पतला एवं दायां छोरों में मोटा)। शशा० ध० सू० (३।८।३३) नय प्रकार लिखे है। ज्ञानालि के अनुसार इसमें पांच प्रकार हैं, षष्ठमध्य, विषोपलिकामध्य, घटिचान्द्रायण, सर्वतोमुखी एवं शिशु-चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञ० (३।३२६) ने मन म जब स्मृतियां म बाईं विदिष्ट प्रायश्चित्त न ध्यवस्थित हा, ता चान्द्रायण मे दृष्टि प्राप्त की जाती है, यह व्रत म परिचित मालम् न करके धर्म सचय वरन के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वष भर यह किया जाता है तो बर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में जाता है। यही बात मनु (१।१।२२१) एवं गौतम (२७।१८) न भी बड़ी है। जब यह व्रत धर्माभ किया जाता है तो वषन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गातम २७।३- वषन व्रत चरत्)। गौतम (१।१।२०) एवं बनिष्ठ (२२।२०) ने कहा है कि कृच्छ्र, अतिवृच्छ्र एवं चान्द्रायण ममी पापा के लिए समान प्रायश्चित्त है (समी सम्मिलित रूप म महापातको के लिए, हलके पापो के लिए पृथक्-पृथक्, जैसा कि हरदत्त आदि ने कहा है)। मित्रादय मनु (५।२।१ एवं १।१।२१५, बोधा० ध० सू० ४।५।१६)। मनु (१।१।२७), याज्ञ० (३।३२३), बनिष्ठ (२७।२१), बोधा० ध० सू० (४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (षष्ठमध्य प्रकार) की परिभाषा या दी है—मास व शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एवं प्रास या पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो प्रास, तीसरी तिथि वा तीन प्रास... और इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ प्रास खाये जाते हैं, इससे उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ प्रास, दूसरे दिन १३ प्रास इस प्रकार कृष्ण चतुदशी वा एक प्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास के मध्य में ग्रामा की अधिनतम सम्प्रा होती है, अत यह षष्ठमध्य प्रकार है, नयाकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र पूर्ण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छाटा होने लगता है। यहाँ व्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है तो वह एक प्रास कम कर देता है अर्थात् केवल १४ प्रास खाता है और इसी प्रकार प्रासों में कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुदशी को वह एवं प्रास खाता है और अमावास्या को एक प्रास भी नहीं। इसके उपरान्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक प्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ता-बढ़ाता पूर्णमासी के दिन १५ प्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त हाता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक भी प्रास

७. चन्द्रस्यापनमिवायनं धरण घटिमन् कर्मणि ह्यसदृष्टिम्या सच्चान्द्रायणम् । मिता० (याज्ञ० ३।३२३) ।  
वस्तव में 'चान्द्रायण' शब्द 'चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द 'व' को विस्तारित 'व' कर दिया गया है।

८. अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणं नुः । धर्मायै यथावद्वैतचन्द्रस्यैति सत्त्वोक्तम् ॥ याज्ञ० (३।३२६) ;  
सबत्तर पापवा चन्द्रमसः सत्त्वोक्ततामनोति । गौतम (२७।१८) ।

नहीं होता और अर्धरात्रि प्रासो की सख्या आरम्भ एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपीलिकामध्य कहलाता है। इस अन्तिम वा विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (१।१।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६), 'यस्या-मात्रस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्य यस्य पौर्णमासी स यवमध्य'। जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें तो प्रासो के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५)। कल्पतरु ने कुछ और ही कहा है—दृष्ट्य पक्ष में प्रथम दिन १५ प्रास और आगे एक-एक प्रास कम करते अमावास्या के दिन एक प्रास, तब शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन दो प्रास और आगे एक-एक प्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुदशी तिथि का १५ प्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास। किन्तु यह धामक बात है, क्योंकि इन सिद्धान्त से चन्द्र की ह्रास वृद्धि पर आज्ञा रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक दूसरे मत से चान्द्रायण की दो बोटियाँ हैं—मुख्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः चार मासों में बँटी है, यथा—सामान्य, श्रुतिचान्द्रायण, सिद्धचान्द्रायण एवं यतिचान्द्रायण। सामान्य (या सर्वतोमुख) में कुल २४० प्रास खाये जाते हैं जो इन्द्रानुब्रूल मास में तीस दिनों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाया जा सकते हैं (इसमें चन्द्र की षडशी-बड़नी पर विचार नहीं किया जाता (मनु १।१।२२०, बौध।० म० म० ४।५।२१, याज्ञ० ३।३२४ और उभो पर मिताक्षर, मदनपारिजात आदि)। यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायश्चित्त चान्द्रायण ही कहा गया है। यहाँ भीमासा का कुम्भपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) में पना चलना है कि उन्होंने ३२ दिना (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिना वा चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुदशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ प्रास खाने चाहिए और आगे एक-एक प्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन एक प्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को १५ प्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुदशी तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ।

प्रास के आकार में विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७।२) के मत से प्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े। याज्ञ० (३।३२३) ने एक प्रास का मासनी के अण्डे के बराबर, पराशर (१०।३) ने कुम्भुटी (मुर्गी) के अण्डे के बराबर तथा मत्स्य में हरे आमलक फल के बराबर माना है। मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों को व्यक्त की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), बौध।० (३।८), मनु (१।१।२१-२२५), बृद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्भवतः गौतम का प्रथम धर्मशास्त्रग्रन्थों में सबसे प्राचीन है।

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ्र प्रायश्चित्त के लिए जा सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मूण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तपेण करता है, घृताहुनिर्मा देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है और 'आप्यामस्व' (ऋ० १।९।१।३) एवं 'मनु ते पयासि' (ऋ० १।९।१।१८) का पाठ करता है। उमे वाज० म० (२०।१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये हुए 'मद् देवा देवहेष्टम' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन

पारो के साथ कुल मिलाकर सात पृताहुतिर्या दी जाती है। पृताहुतियो के अन्त में 'देवकृतस्य' (वाज० सं० ८।१३) से आरम्भ होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतिर्या दी जाती है। प्रत्येक प्रास के साथ मन में निम्न शब्दों में से एक का पाठ किया जाता है—ओ भू, भुव, स्व, तप, सत्य, यसा, धी (समृद्धि), ऊजू, इडा, ओज, तेज, वर्च, पुरुष, धर्म, शिव, या सभी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक भोजन निम्न में कोई एक होता है; चावल (भात), निशा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जौ, भूसारहित अन्न, पायक (जों की लपसी), दूध, दही, घृत, मूल, पल एव जल। इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है।

**जलकृच्छ्र**—देखिए नीचे तोयकृच्छ्र।

**तप्तकृच्छ्र**—इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११।२।४), वसिष्ठ (२।१।२१), विष्णु (४।६।११), बौध्या० ध० सू० (४।५।१०), शास्त्र-स्मृति (१।८।४), अग्नि० (१७।१।६-७), अत्रि (१२२-१२३) एव पराशर (४।७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों को चार अवधियाँ निष्पन्न की है। इसमें तीन अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एव तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और आगे तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२।४)। मनु ने इतना और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तों में किया जाता है) केवल एक बार स्नान होता है और इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३।३।१७=देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गर्म दूध, घी एव गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास निदा जाता है। मिता० (याज्ञ० ३।३।१७) ने इसे महातप्तकृच्छ्र कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ्र की भी व्यवस्था दी है, जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात् गर्म जल, गर्म दूध एव गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता है। प्रायश्चित्तप्रवासा में मिताशर की इस व्यवस्था को पामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृच्छ्र का भी उल्लेख किया है। प्राय० प्रकार में यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ्र बड़े पापी तथा ४ दिनों का हल्के पापों के लिए है। पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एव ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५।११) ने गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी को मात्र क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एव घी क्रम से सन्ध्या, प्रातः एव मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए।<sup>१</sup>

**तुलापुष्प-कृच्छ्र**—जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शास्त्र (१।८।१-१०) एव विष्णु (४।६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाले तुलापुष्प-कृच्छ्र का उल्लेख किया है, जिसमें खटौं या पिप्पलाक, भात का माद, तक्र, जल, सत्तू अलग-अलग दिन में खाया जाता है, एक दिन रातों के उपरान्त उपवास किया जाता है। भाज० १।२।

१०. मन्त्र के साथ ये हैं "ओं भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यसाः धीर्कर्मधीजल्लेओ वचः पुरुषो धर्मः शिव इत्येतेप्रासा-  
मुमग्रणं प्रतिमन्त्रं ममसा। नमः स्वाहेति वा सवर्णं। गी० (२७।८-९); कुछ पाण्डुलिपियों में 'वचं' शब्द नहीं आया है।

११. घटपर्णं तु पिबेदभस्त्रिपलं तु पयः पिबेत्। पलमक पिबेत्सपिस्तप्तकृच्छ्रं विधीयते ॥ पराशर(४।८)।  
याज्ञ० (१।३।६३-३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुवर्ण तोल में ८० वृष्णलो (गुब्बारा) के बराबर होता है।

१२. तत्र जाबालः। पिब्याकं च तथाचाम तर्कं चोदकतकतयः। त्रिरात्रमुपवासरश्च तुलापुष्प उच्यते ॥  
प्राय० शर (पृ० १७८), पराश० मा० (२, भाग २, पृ० १८३)।

२२२—अथि (१२९-१३०) ने १५ दिनों के व्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचो पदार्थों (पिप्पला, आचम्य (कान्जी, मान का उफनाव या मांड), सक्त, जल एव सत्तू) प्रति तैल दिना पर खाये जाते हैं। यम न तुलापुष्पकृच्छ्र को २१ दिनों का प्रायश्चित्त मान्ना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३२२)। अपराकं (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, भाग २, पृ० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एव प्राय० सार (, १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उत्तोर (गर्भ) से बनी कर्ती की दो आकृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं और दूसरे पलड़े पर ककड़-पत्थर रणे जाते हैं या महादेव एव अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु, एव सूर्य की स्थापना और पूजा की जाती है।

तोयकृच्छ्र—यम (प्राय० प्रकाश), शाल (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे बरहण-कृच्छ्र भी कहा है। विष्णु (४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्तू एव जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ्र सम्पादित होता है। ऋग्वेद (७।१९।३) के शाल से ही वरण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाले कहे गये हैं, अतः यह तोयकृच्छ्र वरण (वरुण-कृच्छ्र) भी कहा जाता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है—“यदि कोई पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में सड़ा रहता है और बरहण को संबंधित मन्त्रों का पाठ करता है तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ्र द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एव रात सड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में सड़ा रहना होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शाल (मदनपारिजात, पृ० ७३७) के मत से इस प्रायश्चित्त में मांसां जल में उवाले हुए कमलकण्ठल (मृणाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना पड़ता है।

दधिकृच्छ्र—विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का प्रयोग होता है।<sup>१</sup>

देवकृच्छ्र—यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है—“समाप्तार तीन-तीन दिनों तक केवल मवागू (मांड), यावक (जो की लपसी), शाक, दूध, दही एव घी ग्रहण करना चाहिए और जागे के तीन दिनों तक पुण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहल जाता है जो सभी कल्मसों का नाशक है। यह मख्तो, वसुभ्रों, रदों एव आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ पा। इस व्रत के प्रभाव में वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन आवश्यक नहीं है।

धनवकृच्छ्र—देसिए वायव्य-कृच्छ्र। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास

१३. विष्णुधर्मोत्तरे। इथा क्षीरेण तत्रेण पिप्याकाशामकेस्तया। शार्कमांसं तु कार्याणि स्वनामानि विव्रशर्जः ॥ प्रा० प्रकाश।

१४. यवाम् यावकं शार्कं क्षीरं दधि घृतं तयः। अ्यहं अ्यहं तु प्राज्ञीभाक् बापुभक्षस्त्वहं परम् ॥ महर्द्धिर्बसुभी रदं रादित्यं चरितं व्रतम्। व्रतत्पाम्य प्रभावेण विरजस्का हि तं जयन् ॥ कृच्छ्रं देवकृतं नाम सर्वकल्मषनाशनम्। यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२; प्राय० सार, पृ० १८३-१८४)।

तक चलता है और मोने से मिश्रित (जिसमें सोना घिसा गया है या जिसमें माथ मोना उबाला गया है) भोजन किया जाता है।

नित्योपवास कृच्छ्र—प्रायश्चित्तप्रकार का बधन है कि इसमें छ वर्षों तक बरत साथ एव प्रातः भोजन करना होता है और दाना भोजन के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता।

पञ्चगव्य—पचगव्य में पाँच वस्तुएँ होती हैं, गोमूत्र, गाबर दुग्ध दही एव घी। इसके विस्तृत वर्णन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का १ ३ २ अध्याय २२। 'पचगव्य की आहुति अग्नि में इरावती (ऋ० ७।१९।३), 'इद विष्णु' (ऋ० १।२२।१७), मानस्तोत्रे' (ऋ० १।११।४।८), 'अनी देवी (ऋ० १०।१।४) नामक मन्त्रों के साथ दी जाती है और अवाशिष्ट अन्न भी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पतियाँ वाले पलाश की मध्य शाखा द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनु (१।१।१६५ अग्निपुराण १६१।३०) ने छोटी-छाटी चोरियाँ के लिए पचगव्य ग्रहण की व्यवस्था दी है। याज्ञ (३।२६३) ने गाहत्या करने वाले का एक मास तक यह व्रत बरन को बड़ा है। मिता० (याज्ञ० ३।२६३) न विष्णु को उद्धृत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन व्रतों में एक का सम्पादन हीना चाहिए, एक मास तक प्रति दिन तीन पल पचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक व्रत का सम्पादन। \* यद्यपि विष्णु (५।४।७) एव अत्रि (श्लोक ३००) का कथन है कि मुरा पीनेवाला ब्राह्मण एव पचगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्णु के अनुसार महाशैरव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (१।१।३ एव २०) एव मध्य बाल के प्रायः मयूख (५० १३), शङ्करमलाकर (५० ४२) जैसे निबन्धा ने शूद्रों को बिना वैदिक मन्त्रों के पचगव्य ग्रहण की अनुमति दी है। सभी वर्णों की स्त्रियों को, जो कुछ कृत्यों में शूद्रवत् मानी गयी है विकल्प से पचगव्य ग्रहण की अनुमति मिली है।

पत्रकृच्छ्र—देविए पत्रं कृच्छ्रं।

पराक—मनु (१।१।२१५), बौध्वा० प० सू० (४।५।१६), याज्ञ० (३।३२०=शस १।८।५=अत्रि २८), अग्नि० (१०।१०), विष्णु (४६।१८) एव बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करना होता, बतों को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप होय आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायश्चित्त से सारे पाप बट जाते हैं।

पत्रकृच्छ्र—पत्रकृच्छ्र का यह कठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३।३१६=देवल ३८) एव शय ललित ने इसे निम्न रूप में वर्णित किया है—जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, बमल एव बिल्व (बैल) की पतियाँ उबाली जाती हैं और उनका बकाय या रस पीया जाता है उसके उपरान्त कुशादन (बट जल जिसमें कुशा डाल दिये गये हो) पीया जाता है तो यह पत्रकृच्छ्र बटलाता है। इस प्रकार यह व्रत पाँच दिनों का होता है। मिता०

१५. वाज्रप्रसूतिमप्येकां कनकेन समन्विताम्। भुञ्जानस्य तथा मासं कृच्छ्रं धनदं वतम् ॥ विष्णुधर्मोत्तर (प्रायः प्रकाश)।

१६. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं बधिं सपिं कुशोदकम्। निर्विष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्रं पापनाशनम् ॥... गायत्र्या गृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्। आप्यायस्वेति च क्षीरं बधिकारणोति च बधिं। तेजोसि दुग्धमित्यत्र्य देवस्य त्वा कुशोदकम् ॥ पराशर (१।१।२८-३३)। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३।४) एव अपराकं (५० १२५०)।

१७. गोमन्स्य पञ्चगव्येन मासमेकं पत्रव्रतम्। प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ विष्णु (मिता०, याज्ञ० ३।२६३; परा० मा० २, भाग १, पृ० २४३; 'मासमेकं निरन्तरम्। प्राजापत्य पराको वा।

१८. दालालिलती—पद्यविल्वपलाशोदुम्बरकुशोदकान्यैर्कं कर्मभ्यस्तानि पत्रकृच्छ्रं। मरु० पारि० (५० ७३३)। तथा वशिष्ठः। पद्योदुम्बरपलाशविल्वोदुम्बरकुशानामुदकं पीत्वा धर्मात्रेणैव दुग्धयति। प्रा० प्र० (५० १२८)।

(याज्ञ० ३।३।१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों पक्षियों का उबाला हुआ रस बुन्दोदक के साथ उन्नी दिन पीता है तो यह पर्णकूर्च बहलाता है। पराशरमाधवीय (२, भा० २, पृ० १८१) ने पर्णकूर्च को पर्णकृच्छ्र का एक प्रकार माना है। बसिष्ठ, जाबालि एवं मनि (१।१६-१।१७) ने पर्णकृच्छ्र को अश्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छ दिनों का व्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ्र का उल्लेख किया है।<sup>१</sup>

**पर्णकृच्छ्र**—देसिए ऊपर पर्णकूर्च।

**प्रायश्चित्त**—याज्ञ० (३।३।१८=देवल ८५) के मत से यह मह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल दिन में दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में) भोजन करे किन्तु बिना किसी अन्य व्यक्ति, नौबर या पत्नी से मंगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का व्रत है। किन्तु शास्त्रों की सख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता०, याज्ञ० ३।३।१८) के मत से प्रास २२, २६ एवं २४ होने चाहिए जब कि साथ या प्रात या बिना मंगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ शास्त्रों की सख्या दी है। चतुर्विंशतिमत (परा० भा० २, भाग २, पृ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की सख्या घोषित की है।

**पादोनकृच्छ्र**—यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की भाँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना मंगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले भोजन का आदेश छोड़ दिया गया है)।

**पुष्टकृच्छ्र**—अग्नि० (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्यों को उबालकर पीया जाता है।

**प्रसूतपावक या प्रसूतिपावक**—विष्णु (अध्याय ४८), बौधाय० प० सू० (३।६), हारीत (परा० भा० २, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रसूति का अर्थ है अगुलियों के साथ जुला हाथ, किन्तु हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जो मरे जाते हैं। बौधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे प्राचीन हैं, इन प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है—यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्न करण को मारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसूतिपावक लेकर, अर्थात् अर्षाञ्जलि या पसर भर जो उबालकर लपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतिर्पा देनी चाहिए और न बलिर्कर्म ही करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय, २०)। अग्नि पर प्रसूतिपावक रखने के पूर्व जो का सस्कार करना चाहिए और जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए—'तू यव है, धान्यो (अग्नी) का तू राजा है, तू यवण के लिए पवित्र है और मधु से सिक्त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।' इसके उपरान्त पाँच श्लोक और हैं जिनमें पापकर्तों को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और मणों (श्रेणियों या जन-समूहों), वैश्याओं, शूद्रों द्वारा दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाने गये भोजन से या चौर के भोजन से या नक्षत्राद्ध (अर्थात् मृत्यु की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अर्पवित्रता उत्पन्न हो गयी हो या अयानक अर्मान्तक (हत्या आदि में उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में

१९. कुशपलाशोदुम्बरपद्मशालपुष्पीवटवृहत्सुखचंसानां पञ्च वर्षयितस्याम्भस प्रत्येक (प्रत्यह ?) पानेन पर्णकृच्छ्रः। विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३)।

भयता करने से, सोने की चोरी से, श्लोत्कण्ठन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पीरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकाग हो जाय। वीषायन ने पुनः आगे कहा है—जद जो उबल रहे हो तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह "हे मूनाधिपति रुद्र लोगों, आपकी नमस्कार है, आकाश प्रमथ है" कहना चाहिए। पापी को तै० सं० (१।२।१५।१) का 'वृणुष्व', तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य—'ये देवा', ऋग्वेद (१।११।४।८ एव तै० सं० ३।४।२।२) के दो वचन 'मा नस्तोके', ऋग्वेद (९।९।६।६) एव तै० सं० (३।४।१।२) के 'ब्रह्मा देवानाम्' मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए मोहन को दूसरे पात्र में डालकर और आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे 'ये देवा' (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आरमभ्यस के रूप में लेना चाहिए।

वीषायन का कथन है कि जो लोग जानाजान करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एव रातों तक करना चाहिए। जब पापी इसे छ दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों में मुक्त हो जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। विन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसूतिपावक) को २१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जी का प्रयोग करता है वह गणा, गणपति, सरस्वती (विद्या) एव विद्याधिपति के दर्शन करता है।"

प्राजापत्य—देविए ऊपर कृच्छ्र जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छ्र का कोई विशेषण न हो तो उसे प्राजापत्य समझना चाहिए। मनु (१।१।२।११), याज्ञ० (३।२।१९), विष्णु (४।७।१०), अथि (१।१९-१२०), शक (१।८।३), वीषाय० ध० सू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एव इसकी परिभाषा दी है। हम प्राजापत्य के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मनु (१।१।२।११) ने किया है—तीन-तीन दिनों की चार अवधियों होती हैं, जिनमें क्रम से केवल दिन में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एव फिर पूर्ण उपवास किया जाता है। अर्थात् प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों में बिना माँगे और चौथे तीन दिनों में पूर्ण उपवास। दूसरे प्रकार का वर्णन वसिष्ठ (२।३।४३) ने किया है—पहले दिन केवल दिन में, दूसरे दिन केवल रात्रि में, तीसरे दिन केवल बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है, यही क्रिया पुनः चार चार दिनों की दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को 'स्थानविवृद्धि' एव दूसरे को 'दण्डकलित' कहा गया है। इन दोनों को 'आनुलोम्येन' (उचित एव सीधे क्रम से से यने) कहा गया है। यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा—प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाया

२०. अथ कर्मभिरात्मकृतं गुहमिवात्मानं मण्येतात्मार्यं प्रसूतपावकं धपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु। न ततोऽग्नी जुहुयात्। न चात्र बलिर्कर्यं। अमृतं अल्पमात्रं शृतं धारिभग्नयेत। धवोसि धान्यराजोसि चारुणो मधुसयुतः। निर्गोः सवैषापातो पवित्रमृषिभिः स्मृतम् ॥... सर्वं पुनश्च मे यदा ॥ इति। अल्पमात्रे रक्षां कुर्यात्। नमो ब्रह्माय भूताधिपतये षीः शान्ता वृणुष्व पात्रं प्रसितं न पृथ्वीमित्येतानुवाकेन। ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्यायैः। मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति इत्याम्नाम्। शृतं च सन्ध्याग्नीपात्रप्रथमः पात्रे निविष्य। ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुरक्षा हसपितरस्ते नः पान्दु ते मोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वार्हेति। आत्मनि जुहुयात् त्रिरात्रं मेधायां चर्करात्रं पीत्वा पाप-कृच्छ्रदो भवति। सन्ध्यात्रं पीत्वा धूणहननं गृहस्तप्यगमनं सुवर्णस्तन्यं सुरधानमिति च पुनाति। एकादशात्रं पीत्वा पूर्णपुष्यवहृतमपि पापं निपुंरति। अपि वा गोविष्कान्तानां यवानामेकविंशतिरात्रं पीत्वा गणान्धयति गणाधिपतिं पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपतिं पश्यतीत्याह भगवान् बीषायनः। बीषाय० ध० सू० (३।६)।



जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और अगले तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, जो उसे 'प्रातिलोम्येन' कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्त्रों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में)।

फलकृच्छ्र—इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ्र भी फलकृच्छ्र ही है। फलों में केवल विन्ध (बेल), आमलक (आमला) एवं पषाण (तालयलाना) ही खाये जाते हैं।"

बालकृच्छ्र—देखिए शिशुकृच्छ्र।

बृहद्-पावक—प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है—व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त मात्रा में मायो को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त मायो के गोबर को पानी में घोलकर घट से निकले हुए जौ घुसकर लेना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जौ को धूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए और उनमें धीरे धीरे तिल मिलाकर, गोमूत्र में सातकर एक देड़िका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस प्रकार पकाये हुए जौ किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अर्पित कर खाने चाहिए। इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, भार्ग, मित्र या निकट सबको आदि की हत्या पर किया जाता है।

ब्रह्मकूर्च—मिता० (याज्ञ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन पचगव्य के पदार्थों को वैदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूर्च कहलाता है। शक के मत से गाम्यो (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गंधद्वाराम्' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 'आप्यायस्व' (ऋ० १।११।१६) के साथ दुग्ध, 'दधिक्रा.गो' (ऋ० ४।३१।६) के साथ दधि, 'तेजोसि' (वा० सं० २२।१) के साथ घृत एवं 'दिवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३।६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। जावाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रातः पचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (१।१।२७-२८) का मत है कि पचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३१४) द्वारा उचित सान्नापन ब्रह्मकूर्च ही कहलाता है।"

२१. यथाह भार्गवैयः। कलमसिन कथितः फलकृच्छ्रो मनीषिभिः। श्रीकृच्छ्रः श्रीकर्तः प्रोक्तः पषाणैर-परस्ताया ॥ मासेनामलकरं वै श्रीकृच्छ्रमपरं स्मृतम्। परमंतः पत्रकृच्छ्रः पुर्वस्तकृच्छ्र उच्यते। मूलकृच्छ्रः स्मृतो मूलस्तोषकृच्छ्रो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३।३१६; मर० पा० पृ० ७३४)। मदनपारिजात के अनुसार 'कथित' के स्थान पर 'कथित' पढ़ना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है—'शरीरपानामात्रप्रयुक्तफलानि मासं मभयेत्'। तत्र सर्वव्रतसाधारणैतिकतत्त्वव्यतापि कर्तव्याः। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षावामाह श्रीकृच्छ्रः।"

२२. यथा पुनः पुष्येष्टपुष्योष्वावरेष्टः सप्तत्रकं संदुग्ध सपत्रकमेव पञ्चगव्यं पीयते तदा ब्रह्मकूर्चं इत्याख्यायते। मिता० (याज्ञ० ३।३१४)। देखिए सप्तशाततप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूर्च को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोचितो भूत्वा घोर्णमास्यं विशेषतः। पञ्चगव्यं विभक्तं प्रातःब्रह्मकूर्चविधिः स्मृतः ॥ जावाल (प्राय० वि०, पृ० ५१५, प्राय० प्रकाश एवं प्रवि० म०, पृ० २२)। तत्रच योगीश्वरान्विहितं सान्नापनमेव ब्रह्मकूर्चं इत्युच्यते। स एव ब्रह्मकूर्चोपवास इति। प्रा० सार (पृ० १८९); और देखिए मर० पा० (पृ० ७२९) जहाँ लिम्ब भवन की ओर संकेत है—'यत्पचमस्विगतं पापं देहे तिष्ठति मानवे।

**ब्रह्मकृच्छ्र**—देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (पृ० ९६३), जहाँ देवल एव मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या गोशाला में मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। सध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा के पास सोया जाता है और ताम्बूल एव अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है।

**महातप्तकृच्छ्र**—देखिए तप्तकृच्छ्र।

**महासान्तपन**—याज्ञ० (३।३।१४), मनु (१।१२।१२=बौ० ध० सू० ४।५।११=शश्व १।८।८=बृहद्यम १।१३), अत्रि (१।१७-१।१८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो ऋतु तक चलता है, प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि, घृत एव कुसोदक अर्थात् पचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन प्रायश्चित्त में, लौगाक्षिगृह्यसूत्र (७।३), याज्ञ० (३।३।१५=देवल ८२=अत्रि १।१८-१।१९) के मत से, प्रति दिन उप-युक्त छः पदार्थों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शश्व (१।१।९), बौ० ध० सू० (४।५।१७) एव जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपयुक्त छः पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एव घृत ग्रहण किये जाते हैं।<sup>१</sup>

**महेश्वरकृच्छ्र**—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्न के समय व्यक्ति को खपडा (कपाल, अर्थात् मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान् ब्राह्मणों के यहाँ शाक को निम्ना मांगनी चाहिए और उसे भगवान् को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साथ देवप्रतिमा के निवट सोना चाहिए। दूसरे दिन उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एव पचगव्य प्रकृषा करना चाहिए।

**मूलकृच्छ्र**—विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृगाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत से मूलो (जड़ में उत्पन्न होनेवाले खरप पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए।<sup>२</sup>

**मंत्रकृच्छ्र**—प्रायश्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विधेयता यह है कि सान्तपनवत् इसमें तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है।

**यमकृच्छ्र**—अगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३९) ने इसे एक दिन का व्रत माना है। और यो कहा है—पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेंद्रिय एव मोक्ष रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त आरम में ओम् एव व्याहृतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करने समय बीरासन से रहना

ब्रह्मकृच्छोपवासास्तु बह्वग्निरिवेन्धनम् ॥<sup>३</sup> जिसे प्राय० सार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर (१।१।३७-३८) में यों आया है—‘यत्त्वं...वेदिनाम् ॥ ब्रह्मकृच्छो बह्वेस्तव प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम् ॥’

२३. वल्गायमेकैकमेनेवा त्रिरात्रमुपयोजयेत् ॥ अयं शोषवसेदन्यं महासान्तपन विदुः ॥ जाबाल (अपराह्न, पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१)। अयं पिबेत् गोमूत्रं अथैवं शोषय पिबेत् ॥ अयं दधि अयं क्षीर अयं क्षिपित्तं शुचिः ॥ महासान्तपनमेतासत्संपापप्रणाशनम् ॥ यम (मिता०, याज्ञ० ३।३।१५, प्राय० सार पृ० १९१, परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१)।

२४. विसाम्भवहारेण मूलकृच्छ्रः ॥ विष्णु० (४६।१५)।

चाहिए। व्यक्ति को सड़े होकर या बैठकर गौदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधि या तक या गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक के अभाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त सभी पापों को हरने वाला होता है।

यतिशान्तापन—मनु (११२१८-बी० प० सू० ४१५२०), अग्नि० (१७१५) एव विष्णु (४७१७) ने इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ घास खाने तथा आपनियन्त्रण करने को कहा है।<sup>१</sup>

यतिसान्तापन—मिता० (याज्ञ० ३।३१४) के मत से जब पचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तापन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है।

माध्य—विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सन् खाया जाता है।

यावक—वास (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जी को उवाककर खाने हू ममी पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, माण्ड २, प० १९२) एव प्राय० प्रकरण ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है और इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है।

वद्य—अग्नि (१६४) ने कहा है कि जब धी में भुने हुए जी गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वज्र व्रत का फल होता है। विवरूप (याज्ञ० ३।२४८) का कथन है कि अगिरत्स्मृति के मत में वज्र व्रत वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२५४)।

सायव्यकृच्छ्र—अग्नि० (१७।११४) एव विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केवल एक पसर (हथेली भर) भोजन किया जाता है।

बृद्धकृच्छ्र या वृद्धिकृच्छ्र—शश-लिखित (प्राय० वि०, पृ० ५११) एव यम (प्राय० मार, पृ० १७७) के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, दो दिनों तक बिना भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है।

व्यासकृच्छ्र—यह मंत्रकृच्छ्र के समान है। देखिए ऊपर।

शिशुकृच्छ्र—इसे शश लिखित ने बालकृच्छ्र, देवल एव प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकृच्छ्र कहा है और यह

२५. अष्टौ घ्रासान् प्रतिदिवस मासमदनीयात् स यतिशान्तापन । विष्णुधर्मसूत्र (४७१७) । और देखिए प्राय० प्रकरण (पृ० १२१) जहाँ यह बृहद्विष्णु का वचन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन—हविष्येषु यथा मुष्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः । अभावे व्रीहियथयोर्वेधनार्थं पयसार्थं वा । तदभावे यवागवा या जुहुया-बुद्धेन वा ॥ (स्मृतिवृद्धिका, १, पृ० १६३) । गोभिलस्मृति (१।१३१) में यों आया है—हविष्येषु... स्मृता । मायकोदधगौरारि सर्वालाभे विवर्जयेत् ॥ और देखिए गोभिलस्मृति (३।११४) । आश्व० गृह्यसूत्र (१।१।६) में (होम्यं च मासवर्जनम्) हरवत्त ने उद्धृत किया है—‘पयो दधि पचामूत्रं सर्परोदनतण्डुलाः । सोमो मास तथा तंसमायवर्जं वशीव तु ॥’ इन बातों एव हविष्याभों के लिए देखिए कृत्वरत्नाकर (पृ० ४००) एव नित्याचारपद्धति (पृ० ३२०) ।

लघु-कृच्छ्र ही है।" इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना मांगे केवल एक बार भोजन किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए षसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), बी० घ० सू० (२।१।९२) एव याज्ञ० (३।३।१८)।

शिशु-आश्रायण—मनु (१।१।१९), बी० घ० सू० (४।५।१९), अग्नि० (१७।१।५) के मत से जब कोई ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार घास, साय केवल चार घास खाता है तो उसे शिशु आश्रायण (बच्चों एव बड़ों आदि के लिए) कहा जाता है।

शीतलकृच्छ्र—यह तप्तकृच्छ्र का उलटा है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए विष्णु (४६।१२), अग्नि० (१७।१।७), मिता० (याज्ञ० ३।३।१७)। विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एव मदन पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता है जिसमें त्रय से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एव शीतल पृथ खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है।

शीतकृच्छ्र—विष्णु (४६।१६), अग्नि० (१७।१।२) एव मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के अनुसार इसमें एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पचास, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात (पृ० ७३७)।

सान्त्वयन—देखिए ऊपर महासान्त्वयन एवं अतिसान्त्वयन। यह पाँच प्रकार का है, यथा—प्रथम दो दिनों का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्त्वयन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का।

सुर-आश्रायण—इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार पठती-बढ़ती किये २४० घास खाये जाते हैं। याज्ञ० (३।३।२४) ने इसे आश्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुधर्मसूत्र (४।७।९) ने इसे सामान्य आश्रायण की सजा दी है।

सुवर्णकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवल एव मार्कण्डेयपुराण का उद्धरण दिया हुआ है। इसमें एक बराह या इसका आधा या चौपाई सोना दान किया जाता है। एक बराह भी रूपको तथा एक रूपक पाँच गुञ्जाओं वाले एक माय के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या ब्यभिचार (माता, बहिन, पुत्र-वधू आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस्र सुवर्ण-कृच्छ्र तथा अथ हलके पापों के लिए कम सख्या वाले सुवर्ण-कृच्छ्र किये जाते हैं।

सोमायन—मदनपारिजात (पृ० ७४६, जिसमें हारीतधर्मसूत्र एव मार्कण्डेय० का हवाला दिया हुआ है) एव प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एव ३ दिनों की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों तीन स्तनों एव एक स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है और अंतिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं, प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एव एक स्तन का दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एव चार स्तनों का दूध ग्रहण किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तोत्तोर (पृ० १२)।

सौम्यकृच्छ्र—प्राज्ञ० (३।३२१) के मत में यह छ. दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम में तेल की शरी, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जी वा सत्तू लाया जाता है और छठे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत में उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में लाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता०, परा० २, भाग २, पृ० १८३ आदि द्वारा उद्धृत) ने इसे चार दिनों का मत माना है जिसमें प्रथम तीन दिनों तक क्रम में तेल की खली, सत्तू एवं तक्र लाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण की उद्धृत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छ. दिनों का होता है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू लाया जाता है और बीच के चार दिनों में गोमूत्र में पकामी हुई जी की लपसी लायी जाती है।”

२७. प्रकारान्तरेण घर्षहः सौम्यकृच्छ्र उक्तौ ब्रह्मपुराणे—प्रथमेऽग्नि ताडनीयात्सौम्यकृच्छ्रेऽपि सर्वदा । गोमूत्र-  
यावत्काहारः दृष्टे क्षत्तुदश्च तत्समाम् ॥ प्रायश्चित्तप्रकाश ।

## अध्याय ६

### प्रायश्चित्त न करने के परिणाम

स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। याज्ञ० (३।२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक् प्रायश्चित्त न करने से परम त्रयावह एव कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१।२।५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो व्यक्ति गम्भीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक् प्रायश्चित्त नहीं करते वे मूर्ति मूर्ति की नरक-यातनाएँ भुगतने के उपरान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, लता-मुल्मों के रूप में प्रकट होते हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अगुम चिह्नो या लक्षणो (मट्टे नख, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुनः (१।१।४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मों के कारण विकलाग होते हैं और उनके अग प्रत्यग मट्टो आश्चर्यावाले हो जाते हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है। विष्णुधर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तिर्यग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं। विष्णुधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के दुःखों को अनुभूति करने के उपरान्त तिर्यक योनि में पड़ते हैं, और जो अनिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रंशकरण कर्म, सकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्ण पापकृत्य करते हैं वे त्रम से स्थावर यानि (वनस्पति), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जलचरयोनि, मृगयानि, पशु-योनि अस्पृश्य-यानि एवं हिंस्र-योनि में पड़ जाते हैं। विष्णुधर्मसूत्र (४५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को भुगत लेने एवं तिर्यक योनि में जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापी को बतलाने वाले लक्षणा से युक्त ही रहते हैं।

१ पापकृच्छाति नरक प्रायश्चित्तपराह्मणः । विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २, पृ० २०९) ।

२ प्रायश्चित्तबिहीना ये राजभिद्रवाप्यवासिताः । नरक प्रतिपद्यन्ते तिर्यग्योनि त्रयं च ॥ मनुष्यमपि चासाद्य भवन्तीह तथासिताः । विष्णुधर्मोत्तर (२।७३।४-५); परा० मा० २, भाग २, पृ० २१० एवं प्राय० बि० (पृ० १२०) ।

३ अथ पापारम्भा नरकेष्वनुभूतकुक्षानां तिर्यग्योनयो भवन्ति । अतिपातकिनां पशुयोनयः सर्वाः स्थावरयोनयः । महापातकिनां च कृमियोनयः । अनुपातकिनां पक्षियोनयः । उपपातकिनां जलजयोनयः । कृतजातिभ्रंशकराणां जलचरयोनयः । कृतसकरीकरणकर्मणां मृगयोनयः । कृतपात्रीकरणकर्मणां पशुयोनयः । कृतमलिनीकरणकर्मणां मनुष्येऽस्पृश्ययोनयः । प्रकीर्णेषु प्रकीर्णां हिंसा क्वय्यादा भवन्ति । विष्णुधर्मसूत्र (४५।१-१०) ।

४. अथ नरकाभिभूतकुक्षानां तिर्यक्स्वमूर्त्तीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति । बि० घ० सू० (४५।१) ।

उपवृक्त बयानों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और भनुष्य-योनियों में आने पर भी रोगग्रस्त या विकलांग रहता है।

अब हम मंत्रों में नरक एवं स्वर्ग की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे। ऋग्वेद में नरक के विषय में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं। यथा—ऋग्वेद (२।२९।६, ३।५।५, ७।१०।४।३, ७।१०।४।१, ११.१०१।५।२।४, ९।७।३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं—‘गह्वरे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए’; ‘वे लोग जो ऋन एव सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गह्वरा स्यान् बनाते हैं’, ‘हे इन्द्र एव सोम, दुष्टों को मारकर अलग अलग्वार में डाल दो।’ ‘जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे शरीर एव सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों में नीचे डाल दो’, ‘जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें और जिनमें सोम पृथा करे, बुद्धि से देने उन्हें गह्वरे में फेंक दो।’ इन्द्र वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि ऋग्वेदीय ऋषियोग को कुछ ऐसा विद्वाम या कि पृथिवी के नीचे कोई अन्य गर्त है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। अथर्ववेद (२।१।४।३) के अनुसार (पृथिवी के) नीचे ऐंद्रजालिह (मायावी) एव राक्षस निवास करते हैं। अथर्ववेद (५।३।०।१।१) में एव व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अघकार से निकल आने को कहा है। अथर्ववेद (५।१।९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख बूकना या जो उस पर घन-अर लगाता है, वह रक्त की नदी के मध्य में बालों को दाँत से काटता रहता है। अथर्ववेद (१।२।४।३।६) में ‘नरक-लोक’ का उल्लेख है। वाज-सनेयी महिना (३।०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। ‘वीरहा’ का अर्थ वीर को मारनेवाला भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (१।१।५।१।४) में हमें नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा—अपराधी के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग बाट डालते हैं। तै० जा० (१।१।९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा—विसर्पो, अविशर्वा, विधादी एव अविधावी जो क्रम से दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एव उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनिषद् (२।५।६) के समय में ऐसा विद्वान् था कि जो परमनरक को नहीं जानते और वेदत्र मोतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद् (५।७) में पुन आया है कि कुछ लोग मृत्युपरान्त अपने कर्मों एव ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्यावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। किन्तु इस उपनिषद् में नरक-यातनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवत महाकाव्यों एव पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो-पनिषद् के आरम्भिक पाद्य (१।२।१ देवैर्यापि विविधित्सितम्) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के भाग्य के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौपीतिक ब्राह्मण (१।१।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार हम विश्व में लोग पशुओं का मांस खाते हैं, उन्हीं प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं।

स्वर्ग के विषय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा ऋग्वेद (१।३।५।६, ८।४।८, ८।४।१।९, ९।११।३।९)। दयालु दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है, मित्र

५. ‘स्वर्ग’ एवं ‘नरक’ के विषय में देखिए ए० ए० मॅकडोनेल कृत ‘वैदिक साइपॉलॉजी’, पृ० १६७-१७०; प्रो० कोचकृत ‘रेनिजिन एण्ड क्लिमाक्सी आब दी वेद एण्ड उपनिषद्स’, पृ० ४०५-४१०; जर्नल आव अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पृ० ५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पृ० १५०-१५६।

एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्रापित हुए हैं (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२, १०।१०७।२)। स्वर्ग का जीवन आनन्दो एव प्रकाशो से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगो की सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९।११३।१०-११)। ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है—'मृते (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा बँधे रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दी है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अतिरिक्त अन्य लोगों के आदेशो का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११)। एव ऋषि हर्षातिरेक में कहते हैं—'हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये हैं और हमने देवों को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हैं?' पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग में अपने इष्टापूर्त (यज्ञो एव दानपुण्य-कर्मों से उत्पन्न धर्म या गुण) एव अपने पूर्वजों से मिल जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०।१४।८)। जो तप करने है या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्रो गौओ तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५।१-३) और वहाँ उनके लिए सोम, धी एव मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग में मम का निवास रहता है और वहाँ वांसुरियों एव गीतों का नाद होता रहता है (ऋ० १०।१३।५।७)। अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक सूचनाएँ भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वर्ग में जाता है जहाँ अबल लोगों को सबल लोगों के लिए मुल्क नहीं देना पड़ता (अथर्ववेद ३।२९।३)। अथर्ववेद (३।३।४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वर्गिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हे भोग्य पीये एव पुण्य प्राप्त होते हैं, वहाँ धी के हृद (तालाव), दुग्ध एव मधु की नदियाँ होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहती है और निवासियों के चतुर्दिक् कमलों की पुष्पारणियाँ हाती हैं। स्वर्ग में गुणवान् लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगमुक्त रहते हैं।<sup>१</sup> अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) में माता पिता, पत्नी, पुत्रो (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अभिष्यक्त की गयी है। तै० स० में स्वर्ग में विषय में प्रभूत सन्त हैं, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं—ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाम्य पात्र की आहुति करता है वह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है।<sup>२</sup> तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है—जो यज्ञ करते हैं वे आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (१।१।१।८।६) का कथन है—यह यज्ञमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।<sup>३</sup> तै० ब्रा० (३।१०।११) में

६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविबाम देवान् । किमममस्मान् कृणवदरातिः किमु घृतिरमृतं मर्यस्य ॥ ऋ० (८।४।८।३) ।

७. नैवां शिदन् प्र बहति जातवेदाः स्वर्गं लोके बहु स्त्रंजनेषाम् । घृतहृदा मधुकूलाः सुरोऽका क्षीरेण पूर्णा उरकोन इप्ता ॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गं लोके मधुमतिन्बमानाः । उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ अथर्व० (४।३।४।२ एवं ६) । यथा सुहार्दः सुहृतो भवन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः । अस्तोषा अंगरहृताः स्वर्गं तत्र पश्येम पितरो व पुत्रान् ॥ अथर्व० (६।१२०।३) ; स्वर्गं लोकमत्रि भो मयाति सं आयया सह पुत्रैः स्वाम ॥ अथर्व० (१२।३।१७) ।

८. किं तद्यज्ञे यज्ञमानः कुर्वन् येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जीवप्रहो वा एव परब्रह्मोऽनभिप्युतस्य गुह्याति जीवन्तमेवैतं सुवर्गं लोकं गमयति ॥ तै० स० (६।६।१।२) ।

९. 'यो वा इह यज्ञते अमुं स लोकं गच्छते... देवगृहा में गच्छति' तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) । स ह सर्व-सुरैश्च यज्ञमानोऽनुभिर्लोकैः सम्भवति य एवं विद्वान् निष्कृष्या यच्छते । शत० ब्रा० (१।१।१।८।६) ।



मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दुइतापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचना से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र लोग एवं वीरगति प्राप्त हुए लोग की स्वर्ग प्राप्ति होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर साव्य वस्तुएँ, यथा धृत, मयू आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। मेकडोनेल का यह कथन कि "लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण कल्पना का स्वर्ग पुराहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए", ठीक नहीं है (देखिए वैदिक माधर्म्यज्ञेय, पृ० १६८, श्रृ० १०।१५४।३)। इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, कोई प्रमाण नहीं है। पद्मपात्रालीन ग्रन्थों, यथा मध्वद्गीता (२।३७), रघुवश (७।५१) में आया है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के ससर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी यात्राएँ सभी प्राचीन धर्मों में पायी गयी हैं। उन दिना इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर देवी वस्तुओं से युक्त आकाश की स्थिति पानी की थी। बृहदारण्यकोपनिषद् (५।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवा का लोक मत्स्यो के लोक से मँबडा गुना आनन्दमय है। ऋग्वेदोपनिषद् (१।१२) में आया है—स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में तत्र नय है, न जरा (बृहदावस्था) है वहाँ के निवासो भूस, प्यास एवं चिन्ता से विकल नन्नी हाते, प्रसूत आनन्दो के बीच विचरण किया करते हैं।" वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में धरत्रयायं ने कौपीतिक ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) का उद्धरण देते हुए कहा है कि पापिया ऋ निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है।" छान्दोग्योपनिषद् (५।१।७) में आया है—जिनके आचरण रमणीय है वे शीघ्र ही अच्छा जन्म—ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म—पायेंगे। जिनके आचरण बशोमन है, वे शीघ्र ही बप्पय (बुरा) जन्म—बुत्ते, सूकर या पाण्डाल का जन्म—पायेंगे।

हमारे समझ दी सिद्धांत का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौलिक सिद्धान्त या स्वर्ग एवं नरक की अभिव्यक्ति में सभी धर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्ग के आनन्द एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पशु या बृश या मानव के रूप में रोगग्रस्त एवं दीय-पूर्ण शरीरों के साथ पुनर्जन्म लेंगे।

यों तो (मृत्युपरान्त) आत्मा के विषय में हम अनिश्चित एवं धाँड के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो धर्म के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम को धर्मस्वर्ण (विद्वत्त्वान् या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-भारतीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम को प्रशंसित है, उसे राजा कहा गया है और बहु लोगों को एतन्न करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१), उसने सर्वप्रथम स्वर्ग के मार्ग का अनुसन्धन किया है जहाँ मानवों के पूर्व-सुख भी गये (१०।१४।२ 'यसो नो गातु प्रथमो विवेद यत्रा न पूर्वं पितरं पश्ये')। इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वसुखों के मार्ग से जायगा तो वह यम एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।३-१५) में पुराहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यम यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद

१०. तस्यैव पृथिवी सर्वा विश्वस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः। तं ये शतं मानुषा आनन्दा स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः। तं ये शतं देवानामानन्दा स एक इन्द्रस्यानन्दः। तं० उप० (२।८)। स्वर्ग लोके न भय किञ्चनान्ति न तत्र त्व न जरया बिभेति। उभे तीत्वोऽज्ञानायापिपासे शोकार्तिगो मोबते स्वर्गलोके॥ ऋग्वेद (१।१०)।

११. एष उ एवासाधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्योऽप्यो निनीयते। को० श।० उप० (३।९)।

(१०।१३।५।१) में यम को देवों के सग्य सोम पीने हुए एव मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगों के बीच विवरण करते हुए उनके कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०।१७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है—“शपथों के उल्लंघन के प्रभाव से पीछे हमें मुक्त करें, ब्रह्मण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दण्डों से वे मुक्त करें, पापियों वे पीरो को बाँधने वाली यम की बैड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें।” ऋग्वेद (१०।१६।५।४) में यम को मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३।८।५) में मरतो को सम्बोधित करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त सकेतो के विरोध में पड़ता दीखता है—“तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग से न जायें।” इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालु शासक के रूप में वर्णित है, तथापि उसमें मय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एव उसकी उपाधि ‘मृत्यु’ इसकी ओर निर्देश कर रहे हैं। ऋग्वेद के समान ही अपर्ववेद में यम का उल्लेख किया है। अपर्ववेद (१।८।३।१३) में आया है—“यम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान् का पुत्र और मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।” तै० स० (५।१।८।२ एव ५।२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्या (मनुष्यों) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० स० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है—“यम अग्नि है और यह (पृथिवी एव वेदिका) यमो है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फँलाता है ता यम से बुसोद (ऋण) लेना सार्वक है। यदि यजमान को बिना उन्हे (ओषधियाँ) जलाये इस लोक में चला जाना पड़े तो वे (यम के गण) उसने गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१०) में आया है कि पितृ-गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१।३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पाता (बन्धन) एव स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन बन्धनों से स्पष्ट होता है कि यम त्रमसा मनुष्यों को भयानक दण्ड देनेवाला माना जान लगा था। पुराणों में यम के लोच एव यम के सहपाक का जिनम चित्रगुप्त मूष्य है, चित्रवत् वर्णन है। उदाहरणार्थ, बराहपुराण (२०।५।१-१०) में यम एव चित्रगुप्त की बात-चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। अग्निपुराण (३७।१।१२) में ऐसा आया है कि यम को आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने की घोषणा करता है।

अब हम उत्तरवालीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्ग-नरक की भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।१।१) ने बलिपथ वैदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा—“यदि हम (स्त्रियाँ) अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की है, नि० अरक (न्यरक) अर्थात् (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात् जहाँ आनन्द के लिए तनिक भी स्थान न हो। एव अन्य स्थान (२।१।१) पर निरुक्त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता को) पुत्र नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (१।१।३८-आदिपर्व २२९।१४) विष्णुपद्मसूत्र (१।५।४४) में भी की है। गौतम (१।३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वर्ग और असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से द्विजा का पतन जाना है, पापों के कारण व्यक्ति

१२ यो ममार् प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेषाय प्रथमो लोकमेतम् । संब्रह्मवत सगमनं जनानां यमं राजानां हविष्या  
स्रपयंत ॥ अपर्व० (१।८।३।१३) ।

अपने माँ कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं सत् कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ़ मत है कि कतिपय वर्णों एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) की अिच्छा के कारण इस जीवन् के उपरान्त कर्म-फल भोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट देश, जाति, बुद्धि, रूप, आयु, धृत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (धन) सुख मेधा (बुद्धि) ने अनुसार शरीर धारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे अग्नि-मौलिक के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं।" आप० घ० सू० (१।४।१२।२) का अर्थ है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपभोग के लिए ही जन्मत रहता है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुन कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उत्सर्जन करता है तो नरक ही उसका भाग्य है। जिन्हाम कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है।" वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि धर्मलोक (सत्यम) में कर्मफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कर्म करनेवाले इस मर्त्यलोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र (३।१।१५) में नरक सात प्रकार के बतल गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महागेरव का विग्रह बताया है। पाणिनि (३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक श्लोक उद्धृत है जिसमें मातृहता का सातवें नरक का भागी माना गया है। विष्णुपुराण (१।६।४१) में माना नरक लोका के नाम दिये हैं—तामिस्र अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, अग्नि-पत्रवन, कालभूषण एव अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शाल लिखित (मदनपारिव्रज, प० ६९४-६९५) में कुम्भीपाक, रौरव, महागेरव आदि नरका की यातनात्रा का विशद वर्णन किया है। मनु (४।८८-९०), माण्ड० (३।२२२-२२४), विष्णुसप्तमसूत्र (४।३।२।२२), आनि० (३७१)२०-२०) एव नारद (प्रकीर्णक, ४४) ने २१ नरका का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न रूपा के कारण है। मनु के अनुसार २१ नाम ये हैं—तामिस्र (अन्धकार), अन्धतामिस्र (अपराध करने वाला अन्धकार), महारौरव, रौरव (प्रायश्चित्तविबेक, पृ० १५ के मत में जलते हुए तला वाले मागों से आवीचि), कालभूषण (कुम्हार के चाक के उस मृत् के समान जिनमें वह मिट्टी के बच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, मजीवन (जहाँ जिन्हाकर पुन मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरिया में व्यक्ति को डुबा दिया जाता है), तपन (अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायश्चित्तविबेक, पृ० १५ के मत में कुम्भीपाक), मघात (छोटे स्थान में बड़ता का रचना), वात्राल (जहाँ व्यक्ति बौआ का गिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस प्रकार बंध दिया जाता है कि वह बढ़ बली की भांति लगता है), प्रतिमूर्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोह्याकु (जहाँ लोह की बीज से बंधा जाता है), क्रजोप (जहाँ गरम बालू बिछी रहती है), पत्या (जहाँ व्यक्ति लगातार

१३. स्वर्ग सत्यवचन विषयमें नरक। गी० (१३।७)। द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनतया परत्र चासिद्धिः। तमेते नरकम्। गी० (२।१।४-६)। अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है—'स्वमत तु विशिष्ट देशो बुद्धिकतानस्य चासौ नरक इति।' गौतम के मत के लिए और देखिए अपराकं (पृ० १०४५)। वर्णाश्रमा स्वस्वधर्मनिष्ठा प्रेत्य कर्मफलमनुभूय तत श्रेयेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुभूतबुद्धिसत्सुखमेवसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। विष्णुश्रुति विपरीता नदर्थन्ति। गी० (१।२।१-३०), और देखिए शांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र ३।१।८)।

१४. तदनुवर्तमानो नरकाय राज्यति। आप० घ० सू० (१।४।१२।२); हृष्टो वर्धति दुष्टो धर्ममतिक्रामति धर्मातिक्रमेण सलु पुनर्नरकः। आप० घ० सू० (१।४।१३।४); तत परमनन्त्य फल स्वर्गेशब्द भूयते। आप० घ० सू० (२।१।२३।१२)।

द्वार-उधर चलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रुई के समान दालों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी वंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यक्ति तलवार की धारों वाले वन से काटा जाता है), लोट-दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है)। मनु (१२।७५-७६) में तामिस्र असिपत्रवन एवं कुम्भीपाक नरकों का एक कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देविए कुल्लूक (मनु ४।८०-९०), प्राय० वि० (५० १६) एवं दीपकालिका (याज्ञ० ३।२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरका की संख्या १४४ है। ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों की भी चर्चा की गयी है।<sup>११</sup>

ब्रह्मवैवर्त (प्रकृतितण्ड, अध्याय २९, एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वार्ध, १५।१-२०) ने नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, मविष्य-पुराण (ब्रह्मपर्व, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया है। भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यो ने २१ नरकों की चर्चा की है।<sup>१२</sup> और देविए विष्णुपुराण (५।६।२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १० १४।३९-९४)। महा-भारत में भी नरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपर्व (३२।१३२) में वंतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुगामन-पर्व (२३।६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले बर्षों का उल्लेख किया है। और देविए अनुगामन (१४५।१०-१३), स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६)। बृहदारीतम्भूति (९।१६७-१७१) ने मन द्वारा प्रस्तुत अधिवादा २१ नरकों के नाम दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बचाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर०, गरुडपुराण आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहस्रों, लाखों एवं करोड़ों है।

विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३-२९) में व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं सचरीकरण के अपराधी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे त्रय से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार युगा एवं एक महत्स्र वर्षों तक २१ नरकों में

१५. याज्ञ० एवं विष्णु ने महावीर्य के स्थान पर अवीर्य पड़ा है। याज्ञ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रगतन पड़ा है ('सम्प्रनातन' का अर्थ है 'गह्वरे में फँकना') और अलग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिया है। मूर्धित मनुस्मृति में 'प्रतिमूर्तिकम्' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों में 'लोह-धारक' आया है, जिसका अर्थ 'उत्तप्त लोह पर चलाना' या 'लोह-भ्रूललाओं से बांधना' हो सकता है (प्राय० वि०, ५० १६)। इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय० वि० (५० १५-१६) तथा अन्य टीकाकारों ने की है। प्रायश्चित्तविवेक (५० १६) द्वारा उद्धृत जमदग्नि के मत से वंतरणी घसलोक की वह नदी है जो बुगंध, श्वेत आदि से भरी रहती है, जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीव्र धार वाला होता है और जिसकी सूर्यरेखे पर हृदयों एवं बाल होते हैं। शल्ल-लिखित (म० पा०, ५० ६९५) में वंतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है।

१६. नरकानां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च।। . . . वदन्तीतिश्च कुण्डानि संपन्नां चतन्ति च। ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतितण्ड (२९।४-६)।

१७. ब्रह्मपुराणनिपातेश्च भिद्यन्ते पापकारिणः। नरकानां सहस्रेषु लक्षकोटिशतेषु च। स्वधर्मोपाजितेर्दोषैः पीडयन्ते धर्माकर्तृः॥ ब्रह्मपुराण (२।५।८२-८३); अष्टाविंशतिशोऽयः स्युर्धाराणि नरकानि च। महापात-किनद्वारा सर्वे स्फुरन्तर्काशियुः॥ आद्यन्तरारकं यावत्पीडयन्ते विविधैर्बन्धैः। अतिपातकिनःचाप्ये निरयाणं वकीरिषु॥ विष्णुधर्मोत्तर० (स्मृतिमृतकाल, प्रायश्चित्त, ५० ८५९); गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।३)—नरकानां सहस्राणि वर्तन्ते ह्यरक्षानुजः।

वारी-वारी में चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।<sup>१८</sup> यम (मदनपारिजात, पृ० ११६) का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट नरक-यानाओं का उल्लेख किया है।

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी० सी० लां वृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके नरकों का और संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं—म = ११२, कालमुत्त, सघात, रोहव, महारोहव, तप, महातप एवं अवोचि। य नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (संस्कृत बुक अफ दि ईस्ट जिल्ड ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग (११५, बही, पृ० २७९-२८६)। इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भाषनाओं के लिए देखिए एम० एन० कंग वृत हेवेन एव हेल एण्ड देवर लोवेसन इन जोरान्द्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदव' (१९३३)।

बौद्ध पातिमोक्ख नामक पश्चात्ताप-सम्बन्धी समार्षे किया करते थे और उन्होंने ९२ पाबिसिय (प्रायश्चित्तीय) नियम प्रतिपादन किये थे (देखिए संस्कृत बुक अफ दि ईस्ट, जिल्ड १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५)।

महाभारत, पुराणा एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनिषदा (यथा—कठोपनिषद् १।१२-२३ एवं १८ 'शोकातिगो मोक्षते स्वर्गलोक') में स्वर्ग प्रकारों का स्थल कहा गया है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊचा स्थान पाते हैं, जो अरुण दान करते हैं वे सूर्य के सग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। इस कथन की प्रनिष्चयि बनपर्व (१८६।१०) में है।<sup>१९</sup> कौपीतिक उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोको की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६)। इस उपनिषद् (१।५।१६) में मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौपी० उप० (१।५) से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवामिगो को देवलोक में देवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररत्न, सुगन्धित धूप, परिधान प्राप्त होते हैं। शक्र (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि लोक वा अर्थ है 'वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द प्राप्त होता है (योगाप्तन) और हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अर्थात् है (वेदान्तसूत्र ४।३।१०)। बनपर्व (५।४।१७-१९) में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में अर्ग्य प्राप्त करते हैं। बनपर्व (१८६।६-७) में स्वर्गानन्द का वर्णन है, वहाँ पक्वहीन एवं सुवर्णमल-मुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ जिनका सम्मान करती हैं एवं उनसे शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धन अग्राय लगाती हैं, वे भाग्यपूर्ण धारण करते हैं और दीप्तिमान् स्वर्णिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) में बर्णित नन्दन वन में भी पायी जाती हैं। बनपर्व (२६।१२८-२९) ने स्वर्ग में जाने का एक दोष भी बताया है यथा—वहाँ सत्कर्मों का फल मात्र मिलना है, नये गुण सगृहीत नहीं होते, व्यक्ति सगृहीत गुणों का मूलधन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग करता है। अनुशामन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२।१९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का

१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

१९. पर लोक गोप्रदास्वाप्नुवन्ति दस्वान्बुह सूर्यलोक स्रज्जिति। वासो वत्सा शाश्वतस पु लोको वत्सा हिरण्यमनस्त्वमेति॥ वन० (१८९।९)।

उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४।५।१५, १९-२६ एव ३१-३९, १४५)। शान्तिपर्व (१९।४-५) में आया है कि स्वर्ग रण में मृत वीरो से पूर्ण है, वहाँ गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में सभी कांक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरो को नरक मिलता है। शांतिपर्व (१९।२।८ एव २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, वहाँ मूष, प्यास, पकावट, जरा, पाप (१९।१।१३, १९।३।२७) नहीं होते, अच्छे ध्यक्ति नदात्र के समान दीखते हैं (२७।१।२४)। मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ ऐसा कहा गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उपभोग करता है, जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो धनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुडपुराण (२।३।८६-८९)। आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एव उमके आनन्दों के विषय में दो बातें विचारणीय हैं—स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की एक सीमा है अर्थात् व्यक्ति पुन लौट आता है और मनुष्य-देह धारण करता है। यह सिद्धान्त पुन आगे बढ़ा और कहा गया कि केवल सत कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता।

स्मृतियों एवं पुराणों में सविस्तर वर्णित नरक की मयानक यातनाओं का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यो है—“नो प्रवार के पापा में किसी एक के अपराधी को मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर मयानक पीटाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरो द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर पापियों को भयकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्तो, शृगालों, कौओं, कँधों, सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एवं बिच्छुओं द्वारा भक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा मूलासाये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियाँ द्वारा दो भाग में पीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, मूख से प्रताड़ित किये जाते हैं, मयानक श्यामों द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एव रक्त की दुर्गन्ध से वे पग-पग पर मूर्च्छित होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थों की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरो द्वारा पीटे जाते हैं जिनके मुख कौओं, कँधों, सारसा जैसे मयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है और कहीं-कहीं वे सोहे के टुकड़ा के साथ पीस जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की आखला में बटे जाते हैं। कुछ स्थानों पर उन्हें यमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्धयुक्त मज्जा के समान मांस खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अधिकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ा द्वारा खा डाले जाते हैं। जिनमें मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें घात सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में घलना पड़ता है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त मयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें काँटों पर चलाया जाता है और सर्पों के फसों से आवृत कर दिया जाता है, उन्हें यन्त्रों (कोलहू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता है। उनकी पीठें, सिर एव गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे मयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते हैं कि मानो वे गुफा हो और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और अग्निकरण के भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) मयानक पीटाएँ सहते हैं।”

पुराणों में बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड एव ब्रह्माण्ड के मत से रौरव आदि नरक पृथिवी के नीचे बहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।१।१)। मागधतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी के नीचे, तीनों लोकों के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आशय नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें ‘अग्निप्याप्त’

नामक नितरो के दल रहते हैं।" अग्निपुराण (३-१११३-१४) का दृढ़तापूर्वक बचन है कि नरको के २८ दल पृथिवी के नीचे, यहाँ तक कि मातलें गोक पाताल के नीचे हैं।

हमें निम्न प्रकार के वैदिक बचन मिलते हैं—'यह पत्र के पात्रो वाला यज्ञमान सीधे स्वर्ग जाता है' (शत० ब्रा० १२।१।२।८), स्वर्ग घातने वाले को दण्ड-पूर्णमान यज्ञ करना चाहिए, 'स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्योम यज्ञ करना चाहिए। 'स्वर्ग' एवं 'नरक' के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्मा विवाद चलता आया है। जैसा कि बड़ा स्मरिणा एव पुराणो ने बचनानों से प्रकट होता है, आरम्भिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग पृथिवी से ऊपर एव नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्रो योजन ऊपर माना गया है। वराहमिहिर ने अपने के पुराणा नामक ज्योतिषी ने कहा है—'अ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और यही इमका विन्मार है, इसका आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में मुनहला मेरुपर्वत है, स्वर्ग ८४००० योजन ऊँचा है, १६ योजन चौड़ा है और निम्ना लम्बाई-चौड़ाई में है।" किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की कई शताब्दियाँ पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं है, प्रत्युत वह है विभिन्न वर्णों के लिए निर्धारित नर्मों के करने की अक्षमता का चोतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार का तर्क उर्गमित किया है। शबर (जैमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-बचन उद्धृत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन में फल मिलना है (जैसा कि श्रुति में बचन दिया है)। कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद विधि केवल बर्माग्न का बचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वर्ग, जो अपूर्व आनन्द देनवाला है, अमान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य लौकिक अर्थ में दिया है, यथा—'वहाँ सुन्दर रसमो बरख, चन्दन, अगणक, घोडसियाँ प्राण होती हैं। शबर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न मूल है न प्यास, जहाँ न कष्ट है न यकावट, जहाँ केवल पुष्पवान् ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिसमें आनन्द की प्राप्ति होती है।"

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है—(यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से यतित नहीं होता, दृच्छा करने पर उर्गस्थित हो जाता है और वही 'स्व' (या स्वर्ग) मान से उर्गित होता है।" और देखिए

२०. भूमेरथस्तासे सर्वे रौरवाद्याः प्रकीर्तितः। गह्व० (प्रेतलक्ष्य, ३।५५); ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २।५२); ततश्च नरकान् विभ्र भूषोऽथ, सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान् शृणुष्व महात्मने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१)। शशीवाच। नरका नाम भगवन् कि देशविशेषा अथवा अहिस्त्रिलोक्या आहो स्विवन्तराल इति। श्रुतिवशात्। अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु विभि बसिणस्यामपस्ताद् भूमेरपरिष्ठाण्य जलाद्यस्याग्निध्वासादयः पितृगणा... निवसन्ति। भागवत० (५।२६।३-४)।

२१. सप्तषट्महसाध्यशौतियोजनकोट्यो भूर्धृत्पृथिवीमण्डलं परस्मादगम्य तमः। तन्मध्ये हिरण्यो मेरु-इन्द्राशौतियोजनसहस्रोच्छ्रितो षोडश चाद्यस्तात्। त्रिगुणविस्ताराधामो व स्वर्गमण्डलं नामध्वेनाकंलनी ज्योतिरथकं च पर्येति। पराशर (बृहत्संहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत)।

२२. देखिए दुप्टीका (जै० ४।३।२७-२८.), शबर (जै० ६।१।१ एवं ६।१।२)।

२३. यत्र बुलेन समिन्न न च प्रसन्नप्रनन्तरम्। अभिलाषोपनीत च तन्मूल स्वपरास्परम् ॥

शास्त्रिकनाथ की प्रकरणपत्रिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्भिक ग्रन्थों में एक है। शास्त्रिक-पूर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है—बुद्धिमान् लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विद्वान् रचना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने लगेंगे।” ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण में शबर के समान ही बातें कही हैं—“स्वर्गं वही है जिससे मन को प्रीति मिलती है, नरक इसका उलटा (विपर्यय) है, पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है, सुख एवं दुःख से युक्त मन स्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है।”

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगण्य विचार धाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मित्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैं, स्वर्ग एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थी, जिन्हें वे चित्रों द्वारा अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या दश में ऐसा बर्णन नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों में चित्र नहीं हैं (देखिए ई० ए० डब्ल्यू० बज महोदय की पुस्तक 'ईजिप्शियन हेवेन एण्ड हेल' (१९०५, पृ० ११ एवं २)। हिन्दू (यहूदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मृत लोगों को रखा है जहाँ मयानक अधकार है, और उसे 'सिपोल' की सजा दी है (जाब १०।२१-२२ एवं ३०।२३)। ग्रीक 'हैडेस' अपनी विशिष्टताओं में 'सिपोल' के बहुत समान है। 'न्यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म-कारी पापीजन अतन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं, पुण्यवान् लोग अमर जीवन प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६ लूक १६।२३)। न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बाइबेली के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अधकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३) ईफेसिअन्स (१।३ एवं २०।१) कोर० १२।४, रेव० २।७), लूक (१२।५ एवं १६।२३), २ पेट्र (२।४) एवं रेव० (६।८, २०।१३-१४)। शैक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई धर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी धारणाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है—“अति दुष्टा को युगों तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उधे वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल मौलता हुआ पानी एवं पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैक्रैड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७)। कुरान में सात स्वर्गीय भागा के लिए देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५, अन्य बातों के लिए देखिए वही जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ क्रम से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा मौलते जल पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के मान भाग कह गय है मया—अमराक का उपवन, गान्ति निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, अत्युच्च उपवन या स्वर्ग का उपवन।

स्मृतियां ने सिद्धान्त प्रतिपादन किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उम नरक की यातनाओं भुगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापी के अवशिष्ट चित्त-स्वरूप उसे बीट-मनगा या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष

२४. न दुष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक विबुद्ध्या । आगमास्तत्वनतिक्रम्य धृष्टात्प्य बुभूषता ॥ गतिपर्व (२८।४२) ॥

२५. मन-प्रोतिकर स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः । नरकस्वर्गसंज्ञे च पापुष्यो द्विजोत्तमाः ॥ ब्रह्मपुराण (२०।२४), विष्णुपुराण (२।६।४६)—मनस परिणामोऽयं सुसुप्तु साविस्मरणः । ब्रह्मपुराण (२२।४७)



के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा।" अन्तिम दो फल कर्म-विचार के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मविचार का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान् होना। शातातप (१११-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापी के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक धर्मों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (११६-१०) ने पापी से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा—कुष्ठ, घाय, शून्यदोष (सूनाक), सग्रहणी, कुक्कुरट, मूत्रागम्य मे पपरी पडना, खामी वा रोग, भगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है, शरीर से, वाणी से एवं मन से (मनु १२।३)। वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल वपट) से दूसरे के धन को हथप सेने की धुड़ कालमा रखना दूसरे का अभगल हो ऐसी दण्डा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है आदि)—ये तीन मानस पाप हैं (मनु १२।५)। कटोर या परस वचन, असत्य, रंगुय (बुगलखोरी) एवं असत्य वाचालता—ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६)। बिना महत्तमि के किसी को सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के विपरीत चेतन प्राणियों की हिंसा एवं दूसरे की पत्नी से सम्भोग—ये तीन शारीरिक पाप हैं (मनु १२।७)। मनु का कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनुष्य स्थावर पौनि (वृक्ष आदि) में जाता है वाणी द्वारा किये गये पापों से व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न श्रेणियों की जातियों में जन्म पाता है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छ मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष कायिक हैं।"

नरक-यातनाओं के उपमोग के उपरान्त किन किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, इसके विषय में देखिए मनु (१२।५५-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, ३।१५-३।३६, २।७-२।८ एवं २।३-२।५), विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ४२) एवं अथि (४।५।१५ एवं १७ ४४, गद्य में)। याज्ञवल्क्य-स्मृति की भाँवे श्लेष में है अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं—मसार में आत्मा संकटा शरीर धारण करता है यथा—मानस, वाचिक एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षिया म तथा वृक्ष आदि किसी स्थावरवस्तु के रूप में (याज्ञ०

२६ प्रायश्चित्तविहीनानां महापातविनां नृणाम् । नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नान्भूतशरीरिणाम् ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिह्नं तत्पापसूचकम् । प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवती पुनः ॥ महापातकर्त्रे चिह्नं तत्पापमसु जायते । उपपातोद्भव पञ्च श्रेणि पापसमुद्भवम् ॥ दुष्कर्मैर्जा नृणां रोता याति चोपकमे शमम् । जाप्ये सुरावनेहोमैश्चिन्तेषां शमो भवेत् ॥ शातातप (१११-४) । प्राय० वि० (पृ० १०६) में आया है—“पुत्रैर्जन्मकृतयो सुवर्णपहारसुरापान-पापयोर्नरकोपमोगस्तीघोरौरपि 'सुवर्णचौर कोतस्य सुरापान श्याववन्तताम्' (मनु ११।४९) इत्यनुमितयो किञ्चित्साव शिष्टत्वावत्प्रायश्चित्तमाह वशिष्ठः" (२०।६)।

२७ सर्वभक्ष्यभक्षणमभोज्यभोजनभेषयानभगभ्यागमतभवाभ्ययाजनमसात्प्रतिग्रहण परदारामिगमन इत्यापहरण प्राणिहिंसा चेत शारीरानि । पावप्यमन्त विचारः श्रुतिविक्रयश्चेति वाचिकानि । परोपतापव परामिदोहो कौधो शोभो मोहोऽकृत्तश्चेति मानसानि । तदेताप्यन्तवसा नृण्येयि कर्मणि . । हारीत (परान्तरमाधक्षय २, भाग २, पृ० २१२-२१३) ।

३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यभाषी, पिशुन, पशुभाषी एवं असगत वाचाल पत्नी या पशु के रूप में जन्म लेता है (वही ३।१३५); पर-द्रव्यग्रहण, पर-द्वाराभिगमन एवं शास्त्रविषय प्राणि-हिंसा से व्यक्ति अचल योनि (बृहत् आदि) के रूप में प्रकट होता है, बह्मघातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य अंत के रूप में जन्म-ग्रहण करता है, सुरा-पान करनेवाला गदहा, मुत्कस (निषाद पुरुष एवं दादा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वेदेहक द्वारा अम्बुष्ठ स्त्री से उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कीटा (बीटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से स्वमिचार करनेवाला पास, साह-सलाह, लता-गुल्फो के रूप में प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८)। पापियों द्वारा ग्रहण की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२।७।३७ ११०) में पाया जाता है। और देखिए गण्ड-पुराण (प्रेतलण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७।१।३०-३२)।

प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी धारणा केवल भारत में ही नहीं थी, सेप्टेजान के गास्तेल (१।१-३) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्व्य व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा—'किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्व्य हुआ?' ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्व्य को आँखें दे दी। अयवंबेद (८।७।३) में ऐसा आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा द्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्फो द्वारा काट दिये गये। मनु (१।४९-५२), बतिसष्ठ (२०।४४), याज्ञ० (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), शातातप (१।३-११ एवं २।१, ३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ० ३।२१६), बृह गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पृ० ९), शल (मिता०, याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्ययंगार (पृ० ९९-१००) ने उन रोगों एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसहिता जैसे वैद्यक ग्रन्थों में भी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल मान हैं (देखिए सूयत्यान, अध्याय १।११६)।

रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण मतैक्य नहीं है, यथा जहाँ बतिसष्ठ (२४।४४) एवं शल (मितासरा, याज्ञ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोड़ी होता है, वही मनु (१।४९), याज्ञ० (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७।१।३२) ने उसे दायरोग से पीडित होने-वाला कहा है। शल, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मितासरा ३।२१६, परा० मा० २, भाग २, पृ० २३०-२४०, २४२-२७२; मद० पारि०, पृ० ७०१-७०२, महर्षौव-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में सम्बन्धी-सम्बन्धी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानान्तर से यहाँ नहीं दे रहे हैं।

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत् और असत् श्रेष्ठियों का घोटक है तथापि प्रायश्चित्तों के विषय में यह शब्द मन में दुष्कर्मों की भावना ही उत्पत्ति करता है। अतः कर्म-विपाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान् होने का ही घोटक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं, जाति (बीट-पतंगों या पशुआ आदि की योनि), आयु (जीवन अवधि पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाभोग आदि वा अनुभव)। कर्म-विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ 'विपाक कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२।४।१, २२।५।३ एवं ५९, मत्स्य० १२५।१४ आदि)। प्रायश्चित्तसार (पृ० २१९-२३१) में कर्मविपाक-संबन्धी विवेचन सम्भवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का सिद्धान्त मली मति मान्न था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नाबली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध ग्रन्थ अश्वदानशतक, सुतनिपात। मध्यभाक के प्रथो (यथा हारीतसहिता) में भी कर्मविपाक के विषय में लम्बे उल्लेख हैं।

विभागमुपम् (विपाकमुत्तम्), जो जैनागम का आधारवा अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्कर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ है।

मनु (१२।३, ९ एव ५४) एव याज्ञ० (३।२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि केवल मानवों को ही (बाप आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एव नरक भोगने पड़ते हैं। विष्णुसर्मोत्तरपुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६, परा० मा० २, भाग २, पृ० २०८-२०९, प्राय० सार० पृ० २१५)।

मिता० (याज्ञ० ३।२।१९), स्मृत्यर्थसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कर्म-विपाक-सम्बन्धी निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथायुक्त शब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी लोग प्रायश्चित्त जैसे प्रायश्चित्तों को कर सकें, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायश्चित्तों में महान् कष्ट होता है और लोग इच्छा-पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं।

कर्मविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न मातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी प्रयाकुल होना चाहिए। क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एव विकास के कठस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर दान्ति एव पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा।

मनु (१२।६९), विष्णु (४४।४५) एव महाभूपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो पौरो करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में पौरो की पतिव्रती होती हैं।

यामनपुराण का अध्याय १२ कर्म-विपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का निरूपण किया है। वराहपुराण (२०३।२१) ने अक्षय्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ भोगने के विषय में सविस्तर लिखा है और यह प्रकट किया है कि किन्न प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और मति मति के रोगों एव शारीरिक दोषों से बसिद्ध होते हैं।

मान्यता के महार्णव-कर्मविपाक नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साधन हैं, कृच्छ्र (प्रायश्चित्त) एव रोगों के प्रति विपर्यय (व्याधि-विपर्यय अर्थात् उनके विरोध में उचित उपाय)। व्याधि विपर्यय के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूर्य एव रोगदेव की सुबर्ग प्रतिमाओं की पूजा की जानी है। इस ग्रंथ में लिखा है कि आश्वलायन एव तीर्तरीय शाखा के अनुसार घोषा-दान्ति के लिए वैदिक मन्त्रा का उच्च स्वर से पाठ किया जाता है, वैदिक मन्त्रों के साथ सूर्यपूजा, नक्षत्र-पूजा, आहुति-दान, शरैकादशिनी, महाकृद (११, १२) और अतिशुद्ध के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ० १।२७।१-२९४) एव नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंथ में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन रोग नष्ट किये जा सकते हैं यथा कबलीदान (एक पल सोने से रुदनी का पौधा बनाकर दान करना)। इस ग्रंथ में सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (सात्तातप २।४७-४८ को राजयजुषा नष्ट करने के विषय में उद्धृत किया गया है)। इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एव हरी या बिल्ली के समान आँसों, बहरापन आदि शारीरिक दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्वानामाव से हम इस ग्रंथ में दो गंधों बातों का वर्णन नहीं करते और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है।

## अध्याय ७

### अन्त्येष्टि

मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यो-का-त्यो धल आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों, चालिडवनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विद्व के अन्त के विषय में भाँति-भाँति के मत प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पूषक दृष्टिकोण रहा है। इस प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में 'Eschatology' (इश्चैटॉ-लॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दों—इश्चैटॉस (Eschatos=Last) एवं लोगिया (Logia=Discourse) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा—मृत्यु, न्याय (Judgment) एवं मृत्यु के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध है अस्तित्व ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही अधिक सोचते हैं।

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का भय बहुतेको होता है; किन्तु वह भय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात् मरण-काल के समय की सम्भावित पीडा से वे आक्रान्त होते हैं, प्रत्युत उनका भय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका भय उन मावनाओं से है जिनका शंभरी निर्देश जीवनोंपरान्त सम्भावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपयोग की ओर है। सी० ई० बुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्माटैल मैन' (पृ० २) में कहा है—'यद्यपि (मृत्युपरान्त या प्रेत) जीवन के सबंध में अत्यन्त कठोर एवं भयानक बल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम बल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा।' मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सम्प्र अवस्था तक के

१. अंग्रेजी शब्द 'स्प्रिट' (Spirit) एवं भारतीय शब्द 'आत्मा' में धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अर्थ-साम्य नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोंपरान्त का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर जागवान्। गीता में आप्य भी है—'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेशयन्त्यापो न शोचयति मास्तः।' और भी—'अत्रो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः.....'

लोगों में भाँति-भाँति की धारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद् (१।१।२०) में आया है—‘जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देश उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्युपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।’ तबि-केता ने इस सन्देश को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्युपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई प्रकार की धारणाएँ पायी जाती हैं। कुछ लोगो का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्युपरान्त जो कुछ बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि मुक्तियों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी का विद्यमानास क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। वैसिए मूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीडुस एवं टिमोएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३)।

ब्रह्मपुराण (२।४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत होती है, न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त। वह कुछ यो है—‘जो दूर नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-भारण्य है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है सया जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता—वह सुखद मृत्यु पाता है।’ इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०।४।११-१२; १४।४९-६०) ने विस्तार के साथ अकाल-मृत्यु एवं दीर्घ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यो है—‘नास्तिक, यम न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, धर्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान् नहीं हैं, जो सदाचार के नियम तोषा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायु होते हैं और नरक में जाते हैं। जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की द्विष्टा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०।४।११-१२ एवं १४)।

बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के सकेतों का वर्णन करते हैं, यथा—शान्तिपर्व (३।१८।९-१७), देवक (कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५०), वायुपुराण (१।९।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४।३।१-३३ या ४।०।१-३३), लिंगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के सकेतों या चिह्नों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती हैं। स्थानाभाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय ३।८) के अनुसार जो अरुण्यती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र मया दूसरे की आँसों में अपनी छाया नहीं देल सकते, उनका जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छ मास के शेष जीवनवाले होते हैं; जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगन्धित वस्तुओं में शक की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण में हैं—कानो एवं नाक का शुक जाना, आँसु एवं दाँतों का रंग-परिवर्तन हो जाना, सञ्ज्ञान्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आँस से पानी गिरना। देवल ने १२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा है कि जब अँगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की घमक नहीं ज्ञात होती या आँसु में प्रकाश नहीं दीखता तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१।९।२८) एवं लिंगपुराण (पूर्वार्ध, ९।१।२४) ने सबसे बुरा माना है। ‘मुश्ती हीरक जयन्ती ग्रन्थ’ (पृ० २४६-२६८) में ४०। बार० जी० हर्ष ने कई

२. वैसिए सी० ई० वुल्लियामी, (C. E. Vulliamy) का इममार्टल मॅन (Immortal Man), पृ० ११।

३. डॉ. बाबू बरसेजिस्ट्रे एतद्ग्रन्थ परं भवेत्। घोषं न मृगुयात्कर्म ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति ॥ वायुपुराण (१।९।२७); नानं वा धमनं दुष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपरिष्यत्म् । लिंगपुराण (पूर्वभाग ९।१।१९)।

घन्यो के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निश्चित-भा है, जब वह स्वप्न में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिभूल देवता है तो मृत्यु परिलक्षित होती है।

भारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अव-तव रहता है तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में भी है (देखिए प्रो० एडगटन का लेख, 'दी आवर आव डेप', एनल्स आव दी मण्डारकर ओ० आर० इस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९)। बौद्धमूल (८०।३) में आया है, जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात् मरने लगता है तो (पुत्र या मेवा करनेवाला कोई सम्बन्धी) शाला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे 'स्योनास्मं मव' मन्त्र के साथ (विम्बर या खाट से) उठाकर उस पर रख देता है। बोधायनपितृमेघमूल (३।१।१८) के मत से जब यजमान के मरण का मय हो जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दम फेंका देने चाहिए जिनकी नोक दक्षिण की ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान में आयुष प्राण सन्तनु' से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गोभिलस्मृति (३।२२), पितृदयिना आदि।'

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आंखें आधी बन्द हो गयीं हो और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उनमें निम्न प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये—गौ मूँद, तिल, सोना, धूप, बस्त्र, धान्य, गुड, रत्न (चाँदी) एवं नमक। 'ये दान गयाथाद्य या सैकड़ों अरबमेधा से बढ़कर हैं। सत्त्व इस प्रकार का होता है—'अभ्युदय (ग्वग) की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा।' दम दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति घेनु (मृत्यु का ध्यान म रखकर बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त वंशरणी गौ का दान किया जाता है।' अन्वयटिपञ्चन एव शुद्धिप्रकाश

४. बुबंलीमघन्त शासातुणेषु धर्मानास्तोषं स्योनास्मं भवेत्यबरोहयति। मन्त्रोक्ततावनुमन्त्रयते। घन्ते हृणो-  
स्यबदीपयति। कौशिक० (८०।३-५)। 'स्योनास्मं' मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१।२२।१५) एवं ब्राज० स० (३६।१३), बेलिए निरुक्त (९।३२)। पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है—'यदा कश्चिद्वान्त-  
श्रीको बहिलो बेहो भवति तदा बहिर्गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ कुशान्दक्षिणाघानास्तोषं सद्रुपरि दक्षिणाशिरस स्याप-  
यिन्वा सुबन्तंरजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्।' गोभिलस्मृति (३।२२)—'बुबंल स्यापयित्वा तु दृष्टवैतामि-  
सत्तम्। दक्षिणाशिरस भूमौ बहिर्गमस्यां निवेशयेत् ॥'

५. दानानि च जातुकर्ण्यं आह। उत्क्रान्तिवंतरणी च ददा दानानि चैव हि। प्रेतोपि कृत्वा त प्रेत शक्यमंण  
दाहयेत्।... ददा दानानि च तेनंबोहतानि। गोभूतिसंहिरण्याज्यवासोघान्यगुहानि च। हृष्य सन्नमित्वाहृदं  
दानान्यनुकृमात् ॥ शुद्धिप्रकाश (पृ० १५२)। और बेलिए गच्छपुराण (प्रेतलक्ष, ४।४)। एवंप्रकिया इतिहास  
(जिल्द १९, पृ० २३०)।

६. आसन्नमृत्युना बेया गौः सवस्ता तु पूबंवत्। तदभावे तु गौरेव नरकोसरणाय च ॥ तदा यदि न शक्नोति  
बालु वंशरणीं तु गाम्। शक्तीज्योःरक्तं तदा बरवा दद्याच्छ्रेयो मृतस्य च ॥ ध्यास (शुद्धितरह, पृ० ३००, शुद्धिप्रकाश  
पृ० १५३; अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ७)। गच्छपुराण (प्रेतलक्ष, ४।६) में आया है—'नदी वंशरणीं तत् दद्यादंतरणीं  
च गाम्। कृष्णस्तनी सङ्कणाङ्गी सा च वंशरणी स्मृता ॥' ऐसा आया है कि धम के द्वार पर वंशरणी नाम की नदी है  
को रक्त एवं पंजे आत्रों में परिपूर्ण है; जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर

(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्यु हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे उससे व्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दत्त दानों के कृत्य करावें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वयं करने में असक्त हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रव्य कर देना चाहिए। जब व्यक्ति सकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते समय वह व्रतोद्यापन कृत्य करता है। देसिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ३-४)। संक्षेप में व्रतोद्यापन यों है—पुत्र या सम्बन्धी उरगामप्र व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान-गन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-चन्दना करता है, पूजा की सामग्री रमकर उचलता करता है, निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से सकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण घोषित करता है—“समी व्रत पूं हो। उद्यापन (व्रत-पूति) के फल की प्राप्ति हो।” सर्वप्रायश्चित्त में पुत्र चार या तीन विद्वान् ब्राह्मणों या एक आरमभानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्कर्म रूप में सोना आदि दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति ने या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह शौरकर्म करके स्नान करता है, पचगव्य पीता है, चन्दन-पत्र एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्नान पर दिये जानेवाले धन को पूजा करके सचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्नान पर धन का दान करता है। सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दद्या-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गव्यपुराण (२।४।७-८) में महाराजान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा—तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, १०; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा—छाता, चन्दन, अँगुठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पचद्वान कहा जाता है। गव्य-पुराण (२।४।३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आसुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है।

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक

कर जाते हैं। और देसिए स्कन्दपुराण (६।२२५।३२-३३) जहाँ बंतरभी की चर्चा है; ‘मृत्युकाले प्रयच्छन्ति येन ब्राह्मणाय वं। तस्याः पुच्छं समाभित्य तः’ ‘व तां मृप ॥’

७ सकल्प यह है—अत्र पूर्विकां बन्धुद्वये भरतक्षत्रे अत्यवित्तवेसे विष्णोराजया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो सीयपराश्रं... अमुकतिथी अमुकगोत्रः... अमुकसर्माहं ममत्तनः (मम पित्राजेः) व्रतग्रहणविवर्ताराम्य दत्त याक्त्वाभिलाषाविगृहीतानां निष्कामतया भूहीतानां च अमुकामु कृतानामावृत्तोद्यापनबोधपरिहारार्थं श्रुतिस्मृति-राशोक्ततत्तद्व्रतजन्यसांगकसंप्राप्त्यर्थं विष्ण्वर्षादीनां तत्सहैवानां प्रीतये इवं सुखभोगनिर्वेदतम् (तवभावे इवं रजसं चन्द्रवेदतम्) अमुकगोत्रायामुकसर्मां ब्राह्मणाय हात्ये ओं तसस्तु न मम इति संकल्प्य... आदि-आदि (अन्त्यकर्म-दीपक, पृ० ४)।

८. देशकाली सकीर्त्यं मम (मत्पित्रादेवैर्) भारतमातकामाकामस्तुवस्तुत्कामिकवार्थिकमानसिकसार्-  
 तिक—स्पृष्टास्पृष्ट—भुक्ताभुक्त—पीतापीतसकसपातकानुपांतकोपपातकलघुपातकसंकटीकरथमालिनीकरणावादी-  
 रणजातिभ्रंशकरप्रकीर्णकारिविनाशविधवातकानां निरासेन देशवहातकाले देहमुद्धिद्वारा श्रीपरमेस्वरप्रीत्यर्पणानां  
 सर्वप्रायश्चित्तप्रत्याम्नायमूर्ता मयाशपत्यलंकृतां सवस्तां यां चरवेस्ताममुकगोत्रायामुकसर्मानं ब्राह्मणाय पुण्यवर्धं  
 संश्रवे ओं तसस्तु न मम। म० क० शी० (पृ० ५)।

जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आश्रान्त होता है (अन्ते या मति सा गति), अत मृत्यु के समय व्यक्ति को सासारिक मोह-भाया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन ओ नमो वामुदेवाय' का जप करना चाहिए।' बहुत से बचने के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देविए गौतम पितृमेघसूत्र (१११८)।

हिरण्यकेशिपितृमेघसूत्र (१११) ने मत में आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या मग्बन्धी को उसके कान में (जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तंतिरीयोपनिषद व द्वा अनवाक (२११ एवं ३११) बहने चाहिए। अल्पवमदीपक (पृ० १८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उस विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में धारण कर विष्णु या शिव के सहस्र नाम सुनने चाहिए और भगवद्गीता, भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदाएँ सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए।"

उपनिषदों में भी मरणासन्न व्यक्ति को भावनाओं के विषय में सचेत मिलत है। छान्दास्यापनिषद (शाण्डिल्य विद्या, ३।१४।१) में आया है—'समी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इयवा (ब्रह्म का) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विद्वत् में उसकी जा इच्छा (या भावना) हागी, उसी के अनुसार वह ब्रह्मलोक से जाने के उपरान्त होगा।' इसी प्रकार की भावना प्रश्नोपनिषद (३।१०) में भी पायी जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-व्यक्ति आत्मा का उच्चतर उठती जाती है जिससे मनुष्य मन को ऐसा परिज्ञान होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भी निष पदार्थ या अभिव्यक्तियाँ हैं वे सब एक हैं और उनमें एक ही विभ रूप समाया हुआ है। भगवद्गीता में यही भावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की है—वह व्यक्ति जो अन्तकाल में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है वह भेदे गम आता है इसमें समय नहीं है (८।५)। किन्तु एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवान् का स्मरण करने से कुछ न होगा, जब जीवन भर आत्मा ऐसी भावना से अभिमूत रहता है तभी भगवत्प्राप्ति हाती है। एसा बहा गया है—'व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी रूप (या वस्तु) सोचता है उसी का वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्भव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता आया हो (भग० ८।६)।

पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को यदि सम्भव हो तो, किसी तीर्थ-स्थान (गंगा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्त्व (पृ० २९९) ने बूमपुराण का उद्धृत किया है—'गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी भूमि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से

१. देविए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५।४७।२६२)—'मरणे यामति 'पुसा गतिर्भवति तादृशी।'

१०. जपे'समर्पश्चेद हृदये सतुभुंज शल्लक्षप्रगदापघाघर पीताम्बरकिरीटकेयूरकौस्तुभवनमालाघर रमणीय-रूप विष्णु त्रिशूलमहदधर श्रद्धात्रिनेत्र गंगाधर शिव वा भावयन् सहस्रनामगीताभागवतभारतरामायणेशाशास्या-धुपनिषद पाषपानादीनि सूक्तानि च यथासम्भव शृणुयान्। अ० क० ६।० (पृ० १८)। विष्णुसहस्रनाम के लिए देविए अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०); शिव के १००८ नामों के लिए देविए वही (१७।३१-१५३); और शिव-सहस्रनाम के लिए देविए शान्तिपर्व भी (२८५।७४)।

११. सर्वे सत्त्विकं ब्रह्म तदजलानिति शान्त उपसीताप शलु क्रुमुय पुरयो यथाऋतुसिम्हलोके पुरयो भवति तथेत प्रेत्य भवति स तनु कुर्वति। छा० उप (३।१४।१)। अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुखा बलेवरम्। य प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र सदाय ॥ य य वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते बलेवरम्। स तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव-भावित ॥ भगवद्गीता (८।५-६) देविए और शांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र (१।२।१ एवं ४।१।१२)।



व्यक्ति मोक्ष (संसार में अन्तिम छुटकारा) पाता है।' इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है—'गंगा के तटों से एक गम्पति (दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वर्ग जाता है और पुन जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृ० २९९-३००, शुद्धिप्रकाश, पृ० १५५)। पूजारत्नाकर में आया है—'जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनार्य देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक) पत्ता है; इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिनके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।<sup>१२</sup>

मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ धारणाएँ हैं। शान्तिपर्व (२९८।२३, कल्पतरु, भोक्षकाण्ड, पृ० २५४) में आया है—'जो व्यक्ति मृत्यु के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ नक्षत्र एवं मूहर्त में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान् है।' यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१५।५-६) में आया है—'अब (यदि यह आत्मज्ञानी व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्वेषिणी क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अर्ध अर्थात् प्रकाश को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्थ प्रकाश (सुकृष्ट पक्ष), उससे उत्तरायण के छ मास, उससे वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत् को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों का मार्ग है, वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुन नहीं लौटते। हाँ, वे नहीं लौटते।' ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि पचास-विंशति जाननेवाले गृहस्थ तथा विस्वात (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परित्राजक (जो अभी ब्रह्म को नहीं जानते) भी देवमार्ग (देवमार्ग) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान-दक्षिणायुक्त हैं, धूम बोल जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अर्थ अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन के छ मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुन उसी मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग आदि लगासार आते-जाते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक

१२. कूर्मपुराणम् । गणार्थां च जले मोक्षो वारणस्या जले स्थले । जले स्थले घान्तरिसे गंगासागरसगमे ॥ तथा स्कन्दे—तीर्थाद् गम्पतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते । अत्र दान जपो होमो गंगया नात्र सशयः ॥ अत्रस्पर्शास्त्रविषयान्ति ये मृता न पुनर्मवाः । शुद्धितत्त्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। पूजारत्नाकरे—शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हृदिः । तत्सन्निधौ त्यजेत् प्राणान् याति विष्णोः परं परम् ॥ लिङ्गपुराणे—शालग्रामसमीपे तु क्रोशमात्रं सप्तन्ततः । कीकटेषु मृतो याति वैकुण्ठभवनं नरः ॥ वैष्णवामृतं व्यासः—तुलसीकानने जन्तोर्पदि मृत्युर्भवेत् कर्वाञ्जित् । स निर्भस्त्यं नरं पापी लीलयेव हरिं विधेत् ॥ प्रयाणकाले प्रस्थाप्ये दीयते तुलसीदलम् । निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोटिद्वितीये सः ॥ शुद्धितत्त्व (पृ० २९९); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। 'कीकट' मगध देश का नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आर्यधर्म से बाहर की भूमि कहा गया है। और बेलिष् निरुक्त (६।३२) जहाँ कीकट देश को अनार्य-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'कीकटेषु' के स्थान पर 'कीटकोर्षि' लिखता है जो अधिक समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है।

का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं। मगधगीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को सूक्ष्म रूप में कहा है—“मैं उन कालों का वर्णन करूँगा जब कि मत्तगण कमी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छ मास, जब ब्रह्मजानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छ मासों में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुनः लौट आते हैं। इस विश्व में ये दो भाग जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कमी नहीं लौटता किंतु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने ‘प्रकाश’, ‘दिन’ आदि शब्दों को यथायुक्त शब्दिक अर्थ में लेने को नहीं कहा है, अर्थात् उसके मत से ये भागों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक हैं जो मृतारमाओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितृलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात् वे आतिथ्याहिक एवं अभिमानों बेबता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अतश्चायनेपि दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि अब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ आंधिरादि की प्रशस्ति मात्र है—जो ब्रह्मजानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है अर्थात् ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९।९३-९९)। शंकर एवं वेदान्तसूत्र के वचनों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात मही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बीधायनपितृमेघसूत्र २।७।२१ एवं गीतमपितृमेघसूत्र २।७।१-२)।

अन्वेषित एवं सत्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे भी अधिक सत्कारों में एक है और मनु (२।१६), याज्ञ० (१।१०) एवं जातूकर्यं (सत्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्वयकर्मदीपक, पृ० १) के मत से यह वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है। ये सत्कार पहले स्त्रियों के लिए भी (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-सत्कार में वैदिक मन्त्रों-पचारण होता है) और सूत्रों के लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ० १।१०) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। शौ०पितृ मेघसूत्र (३।१।४) का वचन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो सत्कार ऋण-स्वरूप है (अर्थात् उनका सम्पादन अनिवार्य है) और वे हैं ऋण सत्कार एवं मृतक-सत्कार। दाह-सत्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात् वैदिक पक्ष करता है) एवं स्मरताग्नि (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजता है अर्थात् स्मृतियों में व्यवस्थित धार्मिक कृत्य करता है) के लिए भिन्न भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या स्मार्त कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री है, वधवा है, परिव्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्यु पाता है या आरमहत्या करता है या दुर्घटनावश

१३. ‘देवयान’ एवं ‘पितृयान’ के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, पद्या—३।५।८।५; ७।३।८; ७।७।१२; १०।५।१५; १०।९।८।१; १०।१८।१; १०।२।७। और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५); शतपथब्राह्मण (१।९।३।२); बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६)।

१४. निषेकादिधर्मशास्त्रो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः। तस्य द्वात्रिंशच्चिकारोऽस्मिन् श्रेयो मायास्य कस्यचित् ॥ मनु २।१९; बृहदारण्यकोपनिषद् ३।५।१। विधेःकाद्याः धर्मशास्त्रान्तास्तेषां च मान्यता क्विपा ॥ याज्ञ० (१।१०); भाष्यानुसूतीर्यन्तास्तेषामासन्नोक्तकाः। कीर्त्तनी अतानि गौरान् समारभन्विवाहाहकाः ॥ अन्वय कर्तानि कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशोऽपि ॥ जातूकर्यं (सत्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्वयकर्मदीपक, पृ० १)।

मर जाना है, उनके लिए अत्येष्टि-रूप मिश्र-मिश्र प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्स्न-विधियों में श्रौतमूत्र एव गृह्यमूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आग चलकर मध्य एव पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ और भी विस्तृत होती चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्पष्टाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पूषक ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न मूत्रों, स्मृतियों एव निबन्धों में वर्णित विधि का कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्धु (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अत्येष्टि प्रत्येक शाखा में मिश्र रूप में उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।<sup>१</sup> अन्त्य-कर्मों में विस्तार, अभाव एव उपस्थिति के आधार पर मूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० क्लैण्ड ने किया है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुधा अनुमाना एव वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते।

श्रौतमूत्रों, गृह्यमूत्रों एव पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों की उपस्थिति करने के पूर्व हम ऋग्वेद में पाँच मूत्रों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन मूत्रों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी मूत्रों द्वारा प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अत्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी जाती हैं। भारतीय एव पश्चात्कालीन टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एव व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन विभिन्न टीकाओं एव आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।<sup>२</sup>

ऋग्वेद (१०।१४) — (१) “(यजमान<sup>१</sup>) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान् यम पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (धूम कर्म करनेवाले) बहनों के लिए मार्ग खोज डाला है और जिसने महान् (अपार्थिव) ऊँचाईयों पार कर ली हैं। (२) हम लोगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ, वह ऐसा चरणाह (निवासे) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह बड़ी निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने-अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) ‘काव्य’ नामक (पितरों) के साथ, यम अगिस्ता के साथ एव बृहस्पति ऋक्वने के साथ समृद्धिवाली होते हैं (शक्ति म वृद्धि पाते हैं), जिन्हें (अर्थात् पितरों को) वगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं, उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वाहा से प्रसन्न होते हैं।” (४) हे यम! अगिरस् नामक पितरों के साथ

१५ प्रतिशाल भिक्षेव्यन्त्यकर्मणि साधारण किञ्चिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)।

१६ श्री बर्ट्रम एस० पकिल (Bertram S Puckle) ने अपनी पुस्तक फ्यूनरल कस्टम्स (Funeral Customs London १९२६) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों, यहूदियों तथा विश्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एव आधुनिक भारतीय विश्वासों एव आचारों से बहुत मेल खाते हैं, यथा—जहाँ व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पल्ल वाले पक्षी का उड़ते हुए बंध जाना मृत्यु की सूचना है (पृ० १७), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० २७ एव ३६), मृत व्यक्ति के लिए रोने एव शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाँचे पर बुलाना (पृ० ६७), रात्रि में शव को गाड़ना (पृ० ७७), मृतक के धारण क्षीरकम करना (पृ० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एव मद्य रखना (पृ० ९०-१००), ऋतुगाह में वर्षा-पञ्चा-राहृत बच्चों, आत्महन्ताओं, पागलों एव जातिच्युतों को न गाड़ने देना (पृ० १४३)।

१७ काव्य, अगिरस् एव ऋक्वने लोग पितरों की विभिन्न कोटियों के धोतक हैं। ऋग्वेद (७।१०।४) में

एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुत्तों के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगो (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र तुम्हें (यहाँ) लायें। (राजन्!) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम! अगिरसो एव वैरूपो (वे साथ आओ) और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान् का आह्वान करता हूँ, यम मे बिछे हुए कुत्तासन पर बैठकर (वे स्वयं आनन्दित हो)। (६) अगिरस्, नवम्ब, अपर्व एव भृगु लोग हमारे पितर हैं और सोम से प्रीति रखते हैं। हमे उन श्रद्धास्पर्दों की सद्विच्छा प्राप्त हो! हमे उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो। (७) जिन मार्गों से हमारे पूर्वज गये उन्ही प्राचीन मार्गों से शीघ्रता करके आओ। तुम लोग (अर्थात् मृत लोग) यम एव वरुण नामक दो राजाओं को स्वेच्छापूर्वक आनन्द मनाते हुए देखो। (८) (हे मृत!) उच्चतम स्वर्ग में पितरो, यम एव अपने इष्टापूर्त के साथ जा मिलो। अपने पापों को वही छोड़कर अपने घर को लौट आओ। दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) शरीर से जा मिलो। (९) (हे दुष्टात्माओ!) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (श्मशान) से अलग हट जाओ, पितरो ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्रामस्थान दिया है जो जलो, दिवसा एव रातों से मरु-भूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की सतान (यम के) दो कुत्ता स, त्रि-ह चार आँवें प्राप्त हैं बचकर बड़ो। इस प्रकार अपने पितरो के पास पहुँचो जो तुम्हें पहचान लें और जा स्वयम् यम के माथ आनन्दापमोग करते हैं। (११) हे राजा यम! इमे (मृतात्मा को) उन अपने दा कुत्ता से, जो रक्षक है, चार-चार आस वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग को रक्षा करते हैं और मनुष्यों पर दृष्टि रखत हैं, सुरक्षा दो। तुम इसका आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दा दूत, जिनके नपुने चौड़े हाते हैं, जो अग्नि धर्मिताली है और जिन्हे कठिनाई से सतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण करत है। वे दाना (दूत) हम आज वह शम जावन फिर से प्रदान करे जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) (हे पुराहिता!) यम के लिए शगरस निकालो यम का आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवो तब से जानेवाला दूत कहा गया है और जा पूणरूपेण सन्नद्ध है, यम के पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितो!) यो मिश्रित आहुतियाँ यम को दा और तब प्रारम्भ करा। वह हम देवपूजा में लग रहने दे जिससे हम लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज को अत्यन्त मधुर आहुति दा, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया। यह बृहत् (वृहत्स्थान) तान यज्ञा म जोर छ बृहत् विरतारा म विचरता है। त्रिष्टुप्, गायत्री आदि छन्द—सभी यम में वैन्दित है।"

ऋचयन् (गायक) लोग बृहस्पति से सबधित हैं। अन्य स्थानों पर ये विष्णु, अज-एकपाद एव सोम से भी सम्बन्धित माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण का आहुति देते समय तथा स्वया का उच्चारण पितरो को आहुति देते समय किया जाता है।

१८. वरुण लोग अगिरसो की उपकोटि में आते हैं।

१९. यह और आगे आनेवाले तीन मंत्र मृत लोगों को सम्बोधित हैं।

२०. देखिए इस प्रथम का स्रष्ट २, अप्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त को ध्याहवा उपस्थित की गयी है। इष्टापूर्त का अर्थ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एव दान-कर्मों (पूर्त) से उत्पन्न समन्वित आप्यात्मिक अवस्था पारलौकिक फलोत्पत्ति।

२१. पितृलोक का आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की रक्षणा की गयी है। यह ऋग्वेदीय रक्षणा अपूर्व है।

ऋग्वेद (१०।१५) — (१) "सोम—निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे आये, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्वत जीवन था मृतारमा का रूप धारण किया है, कृपालु हो और आगे आये, क्योंकि वे व्यापार्य एव ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, त्रिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा प्रणाम उन पितरो को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, और (इस उन्हे मो प्रणाम करते हैं) जो इन विद्व में विराजमान हैं या जो दक्षिणायनी लोगों के बीच स्थान ग्रहण करते हैं। (३) मैं उन पितरो को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वराज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्त्यस एव उनके वच्चे (अर्थात् अग्नि) को जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशा पर बैठने हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एव सोम ग्रहण करते हैं, बारम्बार यहाँ आये। (४) हे कुशासन पर बंठावाल पितर लोगों, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारा और आओ, हमने आपका लिए हवि संसार कर रखी है, इन्हें ग्रहण करो। कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द दो जो दुःख में रहित हो। (५) कुशा पर रखा हुई प्रिय निरिपियों (हव्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम-प्रिय पितर लोग आये। वे हमारी स्तुतियों (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में वाले और हमारी रक्षा करें। (६) हे पितर लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एव हृदय की दायी ओर बैठकर यज्ञ को प्रदत्ता करें मनुष्य होने के नाते हम आपके प्रति जा गलती करें उमके लिए आप हम पीडा न दें। (७) पितर लोग, अग्नि आ दिव्य ज्वाला के सामन (उसका गोद में) बैठकर मुझ मयें यजमान को घन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को घन दें और उन्हे शक्ति दें। (८) यम हमारे जिन पुराने एव मरुद् पितरो की मगनि का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आये, जो यदास्वी ये और जिनकी मगनि में (पितरो के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिन गये) हव्य स्वच्छापूर्वक ग्रहण करें। (९) हे अग्नि, उन पितरो के साथ आओ, जो तृया से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोत्रा के प्रणेत थे, जो हमें मली मूर्ति जानते थे, वे (हमारी पुरार) अवश्य मुनते हैं, जो कव्य नामक हवि श्रम करते हैं और जो यम दूष के चतुर्दिक् बैठते हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरो के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य वा पान करते हैं, जो उमी रय में बैठने हैं जिममें इन्द्र एव अन्य देव विराजमान हैं, जो सहस्रो की सख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो यम दूष के चतुर्दिक् बैठते हैं। (११) हे अग्निप्यात्त नामक पितर लोगो, जो अच्छे पयप्रदसक बहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुशा पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगो द्वारा) प्रशंसित होने पर, हव्यों को स्वाद्ययुक्त बना केन पर और उन्हे लाकर (पितरो को) दे देने पर वे उन्हे अग्न्यासवना ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को ल्याये। (१३) हे जातवेदा, आप जानते हैं कि कितने पितर हैं, यथा—वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हे हम जानते हैं और जिन्हे हम नहीं जानते हैं (क्योंकि वे हमारे यज्ञ दूर के पूर्वज हैं)। आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा कर ग्रहण करें। (१४) हे अग्नि उनके (पितरो के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो नहीं जलाये गये थे और जो स्वधा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिले।"

ऋग्वेद (१०।१६) — (१) 'हे अग्नि! इस (मृत व्यक्ति?) को न जलाओ, चतुर्दिक् इसे न झुलाओ, इसके चर्म (के भागों को) इतस्तद न फँको; हे जातवेदा (अग्नि)!' जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) पितरो के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरो के अधीन कर दो। जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन को ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय

जो देवों की अमिलापाओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें, तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या यदि यही तुम्हारा माग्य हो ता) अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ। (४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो जो तुम्हारा माग्य है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी को जला डाले, "तुम इसे (मृत का) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को) पितरा की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अर्पित है चरा आर घूम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हव्यों को बढ़ाय तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति!) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालना है, तुम्हारे उक्त शरीरों को संशु-मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा खाट लिया गया है, या जिसे चीटी या सर्प या जगली पत्तु ने काटा है, और ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही कर। (७) (हे मृत व्यक्ति!) तुम गायों के साथ अग्नि का बवच पारण करा (अर्थात् अग्नि की ज्वालाओं में बचने के लिए गाय का चर्म पारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा ला, जिनसे (वह अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुआ को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण-तया मस्म कर देता है (तुम्हारे माग्य को) इधर-उधर बिगेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एव सोमप्रिय (पितरो) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमसे (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग आनन्द लेते हैं। (९) जा अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों (पापों) को ढोता है यम लोक को जाय। दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अर्पित हव्य ग्रहण करे। (१०) मैं, पितरो को हव्य देने के हेतु (जानवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस सानेवाले अग्नि को पुषक करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था, वह (दूसरा अग्नि) धर्म (गर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक की ओर प्रेरित करे।" (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरो को उसे दे। वह देवों एव पितरो को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि!) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरो को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। (१३) हे अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल में) बुझा दो। त्रियाम्बु (पीपा); यहाँ उगे और दूर्वा पास अपने अकुरों को फैलाती हुई यहाँ उगे। (१४) हे शीतला (शीतल पीपे), ज शीतलाप्रद ओषधि, हे ह्लादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी) आनन्द बिगेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुल-मिल जाओ। तुम इस अग्नि को आनन्दित करा।"

ऋष्येद (१०११०)—इस सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दश मन्त्र त्वष्टा की बन्धा एव विवस्वान् के विवाह एव विवस्वान् से उत्पन्न यम एव यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरक्त (१२।१०-११) में दानों की व्याख्या

२२. ऋ० (१०।१६।४)... अज्ञो भाग—इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी जाती थी। और वसिष्ठ ऋ० (१०।६।७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात बही गयी है।

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाश्विक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रष्ट होता है कि 'बध्याद्' अग्नि पितृपुत्र में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि 'बध्याद्' अग्नि को अर्पण माना जाता था और वह साधारण या दक्षिण अग्नि से पुषक थी।

विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं और कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथर्ववेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अत्येष्टि-कृत्य के लिए प्रयुक्त किया गया है।

(३) "सर्वदिग् पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विद्वय नी रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक से (दूसरे लोक में) भेजे। वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और जिन तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे। (४) वह पूषा जो इस विद्वय का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं (स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिस्थापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो मय से रहित है। यह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं, वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी नुष्टि के बड़े। (६) पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों पर खड़ा है। हमको प्रिय लगानेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में जाता-जाता रहता है।"

श्रग्वेद (१०।१८) — (१) "हे मृत्यु! उम मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से पृथक् है। मैं तुम्हें, जो आँसो एवं कानों में युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीडा न दो, हमारे वीर पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्नों को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीर्घ जीवन प्रतिस्थापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानों से युक्त हो, तुम पवित्र एवं शुद्ध बनो। (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक् हो पीछे धूम गये हैं, आज के दिन देवों के प्रति हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम ताचने के लिए, (बन्तों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीर्घ जीवन को दृढता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धीगण, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाधा (अवरोध) रस रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित रहे। वे इस पर्वत (पत्थर) के द्वारा मृत्यु का दूर रखें। (५) हे घाता! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार संभाल रखो जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक एक क्रम में आते रहते हैं, जिन प्रकार अनुक्रम से श्रुतुएँ आती हैं, जिससे कि छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छाड़। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ आयु पाओ, क्रम से जो भी तुम्हारी सहाय्य है (वैभा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें रुम्बी आयु मिले), भद्र जन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा तुम्हें यहाँ (इस विद्वय में) दीर्घ जीवन दे। (७) ये नारियाँ जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं, आँसो में अजन के समान मृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पतिव्रता प्रथमतः सुमज्जित, अधुहीन एवं पीडाहीन हो घर में प्रवेश करें। (८) हे (मृत की) पत्नी! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोग के लोक की ओर उठाओ, तुम उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है, आओ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मत्नी भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९) (मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक धीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ सभी आज्ञाकारी शत्रुओं पर विजय पायें। (१०) (हे मृत) इस विशाल एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेटें दी और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित रखा, तुम्हारे लिए ऊँच के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरल पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हृद्दियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार उठाने जिस प्रकार माता अपने आँसु से पुत्र को ढँकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रह। सहस्रो स्तम्भ इस घर को संभाले हुए खड़े रहें। ये

घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ सभी दिनों के लिए उसके हेतु (हृदयों के रूप में मृत के लिए) आश्रय बनें' (१२) में तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय मेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्भ को अटल रखें। धर्म तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। (१४) (देवगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पक्ष के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा, (अतः) मैं अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।"

यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ' शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पर्य है? हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०।१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बर्हिष्व एव अग्नि-ष्वात्ताः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, मृत के मनात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों की 'हवि' दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० १०।१५।११-१२)। तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेय में सम्पादित पितृयज्ञ की ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक् है। यह बात ठीक है कि तै० स० (१।८।५) के तीन मन्त्र ऋग्वेद (१०।५।३-५) में हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) का 'पितृयज्ञ' पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि वे दोनों विभिन्न बातों की ओर संकेत करते हुए समकालिक प्रचलन के ही द्योतक ह।

अब हम श्रौत एवं गृह्य मंत्रों में वर्णित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमयज्ञ या सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आश्वलायन-श्रौतसूत्र (६।१०) में हुआ है। इसमें आया है—“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थों से ले जाते हैं, उसे उस स्थान पर रखते हैं जहाँ अबभूष (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन अलवरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव से सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। वे मलद (जटामानी) का लेप लगाते हैं और शव पर मलदों का टार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अंतर्दियों को काटकर उनसे मल निकाल देते हैं और उनमें पृषदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव से पाँव के बराबर नवीन धस्त्र का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढँक देते हैं कि अचल परिचम दिना में पड़ जाता है (शव पूर्व में रखा रहता है) और शव के पाँव गुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि से लेते हैं। मृग की श्रौत अग्निवर्ष अरणियों पर रखी रहती है, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, वर्षण से अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। इमगान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं सस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन बिना दुहराये एवं बिना 'हिम्' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व तीर्थों में आते हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करके इमगान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुर्दिक् बँध जाते हैं, होता इमगान के परिचम में, अप्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अप्वर्यु के परिचम और बह्या दक्षिण में। इसके उपरान्त घीमें स्वर में 'आय गी पृत्तिरत्रपीन्' अ आरम्भ होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने बायें हाथ को इमगान की ओर रखे इमगान की तीन परिक्रमा करता है और बिना 'ओम्' वा उच्चारण किये उद्गाता के गायन के मुरत परचान्-स्वर में स्तोत्रिय वा पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो धर्म एवं गाम्या-घनो (ऋषियों या प्रणेताओं) का मन्त्र है, कहता है; यथा—ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६, १०।१७-१-६; १०।१८।१०-१३, १०।१५।१-५)। उन्हें ऋ० (१०।१४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इमने



परान्त किसी षडे में अतिथियाँ एवत्र करनी चाहिए, षडे को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर सना पानिए जहाँ मृत यजमान बैठता था।”

शाखायनश्रौतसूत्र (४।१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्वेषि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। शाखायनश्रौतसूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एव नव काटने एव उ-गदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०।१३-१६) एव शाखायनश्रौतसूत्र (४।१४।८५) ने भी न काटने, शव को स्नान कराने, लप करने एव माला-गुण्य रखने की बात कही है। बौधायनपितृभेषजसूत्र (१।२) ने । सब बातों की आर मचेत किया है और इनका जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतडियाँ काटकर निकालते तो उन्हें पुन दर्म से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उमे वस्त्र में ढँक । है, मैंबागते हैं, आसन्दी पर, जिम पर काला मृगचर्म (जिसका मुस वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता रख देते हैं, उम पर नलद की माला रम्ब देते हैं, और उसे नवीन वस्त्र में ढँक देते हैं (जैसा कि ऊपर आश्वलायन-तसूत्र के अनुसार लिया गया है)। शाखायनश्रौतसूत्र (२८।१।२२) एव गौतमपितृभेषजसूत्र (१।१०-१४) में भी ।। बातें दी हुई हैं और यह भी है कि “रार के हाथ एव पैर के अँगूठे ज्वेत सूत्रो या वस्त्र के अचल भाग से बाँध दिये ते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलग या कुर्सी जिम पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी पि है। कौशिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एव हवि समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एव ३६, १८।३।४, १८।१।४९-५० एव ५८, १८।३।४१-४३, ७।६८।१-२, १।३।२५, १८।२।४ १८ (१८।२।१० को छोड़कर), १८।४।१-१५ आदि।

आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।१ एव २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य वृत्त्या का वर्णन किया किन्तु आश्वलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्वेषि का वर्णन किया जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आश्वलायनगृह्यसूत्र वा कहना है—“जब आहिताग्नि जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे ल पर मूमि-खण्ड सुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढाल हो या कुछ लोगों के मत से वह मूमि-खण्ड दक्षिण-त्वम की ओर भी ढाल हो सकता है। गड़ड़ा एक उठे हुए हाथों वाले वृक्ष की लम्बाई का, एक ध्याम (पूरी बाह तक बाई) के बराबर चौड़ा एव एक बिततिन (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। इमशान चतुर्दिक गुला रहना चाहिए। मे जडी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कँटीले एव दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए ख० गृह० २।७।५, वास्तु-परीक्षा)। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात् इमशान कुछ ऊँची मूमि पर ।। चाहिए। यह सब उस इमशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हे शव के सिर के केश एव नव काट

२४. घातवाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ खण्ड २, अध्याय २२। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३। शतपथब्राह्मण (१२।५।२।५) ने मृत शव के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अक्षरणीय ठहराया उसका इतना ही कथन है—“उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और प्रकार शरीर को पतिय रूप में पवित्र कर देता है।”

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नसव को उशीर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात । गयी है।

देने चाहिए (देसिए आश्व० गृह० ६।१०।२)। यज्ञिय घास एव घृत का प्रबंध करना चाहिए। इममे (अन्वेष्टि क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पित्रगो के कृत्यों में प्रयुक्त होता है। (मन वे सम्बन्धी) उसकी पूतामिनियो एव उमने पतित्र पात्रो को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गट्टा गारा गया है -> जात है। इमने उपरान्त विषम सख्या में बूड़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लाग शव का डान है। कुछ लोग का कथन है कि शव बेलगाड़ी में बोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (इमगान में) एक रग को या चारों गाय या बकरों ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बाँधते हैं और उस शव के पीछे-पीछे लहर चलते हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा बरखे (शरीर के चारों ओर बरखे) एव शिता धानकर चलते हैं, बृद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। इमगान में पाम पहुँच जाने पर अन्वेष्टि क्रिया करनेवाला अपने शरीर के सामाग को उसकी ओर बरखे चिता-रथल को तीन बार परित्रमा करते हुए उम पर शमी की टहनी से जल छिड़कता है और 'अपेन वीता वि च सप्तान' (ऋ० १०।१।१०) का पाठ करता है। (इमगान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या बार्दी अन्य व्यक्ति) आह्ववनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम दिशा में गाहंपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्या का सम्पादन करनेवाला लकड़ी के बूट पर (कुच) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिमका बेश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी लोग गाहंपत्य अग्नि के उत्तर से और आह्ववनीय अग्नि की ओर सिर बरखे शव का चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च वर्णों में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर लाने को बहते हैं और यदि मत कानिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना नीकर या दास 'उदीर्ष्व नार्यामि जीवलोकम्' (ऋ० १०।१।८।८) मन्त्र के माय उस स्त्री को उठ जाने को बहता है। "यदि द्यूद उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्वेष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'धनुहंस्तादादादानो' (ऋ० १०।१।८।९) के साथ धनुष उठा लेता है। प्रत्येक को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे टुकड़े-टुकड़े करके लकड़ियों के समूह पर फेंक देता है।" इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए, दाहिने

२६. बहुत-से सूत्र पत्नी को शव के उत्तर में चिता पर लाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देसिए कौशिकसूत्र (८।४।४-४५) 'इयं नारीति पत्नीमुपसवेशयति। उदीर्ष्वैत्युपाययति।' ये दोनों मन्त्र अथर्ववेद (१।८।२।१-२) के हैं। सत्यावाहभीतसूत्र (२।८।२।१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी 'इयं नारी' उच्चारण के साथ उसके पास मुसायी जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई साह्यण 'उदीर्ष्व नारी' के साथ उसे उठाता है। बही सूत्र (२।८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को उसके पास मुसाना चाहिए।

२७. यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१।२।५।२।६) एव कुछ सूत्र (यथा—कात्यायनश्रौतसूत्र २।५।७।१९; शाखा-यनश्रौतसूत्र ४।१।४।१६-३५; सत्यावाहभीतसूत्र २।४।२।२३-५०; कौशिकसूत्र ८।१।१-१९; शौचायनपितृमेघसूत्र १।८-९) तथा गोमिल (१।३४) जैसे कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देती हैं कि सात पार्षिक वायु-स्थानों, यथा मूल, शोनों मासारंश्रौं, दोनों आँसो एव दोनों वर्णों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घृतमिश्रित तिल भी शव पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितृमेघसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अर्घ्य घृत शरीर के सिर पर कपासों (गोल पात्रों) को रखता है।

हाथ में जुए नामक घमस बायें हाथ में उपभक्त घमस, दाहिनी ओर स्फुष (कान की तलवार), बायीं आंग अग्नि-होत्रहृदयकी (वह दर्सी या घमस जिनसे अग्नि में हवि टाली जाती है) छाती, गिर, दाँतो पर त्रस से छुड़ (बड़ी यज्ञिय दर्सी), पात्र (या कपाल अर्थात् गाल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर सखड (पायर के वे टुकड़े जिनसे सोभगस निकाला जाता है), दानो नामिका-रधा पर दो छोटे-छोटे सुव, बानो पर दो प्राशित्र हरण<sup>१८</sup> (यदि एक ही हाथों में दो टुकड़े बरके), गेठ पर पात्रो (जिन्में हवि देने के पूर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं घमस (जिसमें इडा भाग काट कर रखा जाता है), गप्तागो पर शम्पा, जाँघो पर दो अरघिर्षा (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरो पर उखल (शोभनी) एवं मुसल (मूसल), पाँवों पर धूप (गुप) या यदि एक ही हाथों में दो मागा म कम्के। व वन्दुएँ जिनमें गड्डे होने हैं (अर्थात् जिनम तरल पदार्थ रमे जा सकते हैं), उनमें पुषडाव्य (घन एवं दही का मिश्रण) भर दिया जाता है। मूत के पुष को स्वय चक्को के ऊपरी एवं निचले पाठ ग्रहण करने चाहिए उमे के वन्दुएँ भी ग्रहण करने चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की बनी होती हैं। जिस वन्दु को वहाँ रखा जाय, इस विषय में मनीष्य नहीं है। जेमिनि (११३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वन्दुएँ (वे उपकरण या वन्दुएँ जो यज्ञ-सम्पादन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इमे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की सजा दी जाती है अर्थात् इमे यज्ञपात्रो का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है।<sup>१९</sup>

शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रो को शवब्राह्मण समझते हैं, अतः उन्हे जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी (बबती या गय) की वषा निबालवर उममे (अन्वयेष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मूत के मूल एवं गिर को ढँक देना चाहिए और ऐसा करते समय 'अन्वदंमं' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृक्क निकालकर मूत के हाथों में रख देने चाहिए—दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाथ में—और 'अग्निद्रव' (ऋ० १०।१४।१०) का कवच एक बार पाठ करना चाहिए। यह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत में श्रात या औ के आने के दो पिण्ड भी रखता है।<sup>२०</sup> शव के अंगो पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुन उमको लाल में शव को दैववर प्रणीता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्वयेष्टि कर्म करने वाला) 'इमम् अग्ने' (ऋ० १०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अगना वार्या घुटना भोडकर वह दक्षिण-अग्नि में मूत की

२८. प्राशित्रहरण वह पात्र है जिससे ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्पा हल के जुए की काँटी को कहा जाता है।

२९. कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु की कान के पास घायल करके मारा जाता है। जानूकर्ष्य के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि ऐसा करने पर जलाने के पश्चात् अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेंगी, अतः उनके मत से केवल मास-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२।५।९-१२)। आश्वलायन-गृह्यसूत्र (४।२।४) ने (जैसे कि मारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विवरूप से होता है, अर्थात् या तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को वे दिया जा सकता है (वेसिए बौधायन-पितृमेघसूत्र १।१०।२ भी)। शास्त्रायनश्रौतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोडा घर्म करके मूत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और 'अग्निद्रव' (ऋ० १०।१४।१०-११) का पाठ करना चाहिए।

चार आहुति यह कहकर डालता है—'अग्नि को स्वाहा ! सोम को स्वाहा ! लोक को स्वाहा ! अनुमति को स्वाहा !' चौथी आहुति षाब की छाती पर यह कहकर दी जाती है 'यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है ! वह तुझसे उत्पन्न हो, न न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५।२२)। इसके उपरान्त आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह बताता है कि यदि अहवनीय अग्नि या माहंगत्य या दक्षिण अग्नि षाब के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक साथ ही षाब के पास पहुँचती हैं तो क्या समझना चाहिए, और जब षाब जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ करता है (ऋ० १०।१।४।७ आदि)। जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा' (ऋ० १०।१।८।३) के पाठ के उपरान्त सभी (सम्बन्धी) लोग दाहिने से बायें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर वे नारों के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एव असा दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग पहले और बड़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जी, तिल एवं जल स्पर्श करते हैं। और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहाँ अन्य कृत्य भी दिखे गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बैल को धूना, आँसू में अन्न लगाना तथा शरीर में आराम लगाना।

गृह्यसूत्रों में वर्णित अन्य बातें स्थानानुसार से यहाँ नहीं दी जा सकती। कुछ मनोरञ्जक बातें दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन सत्कार हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि किया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्निओं के साथ जजा दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उससे साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का षाब केवल साधारण अग्नि से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या असुद्ध अग्नि या मृतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितृदयिता के मत से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए 'अस्मात् त्वम् आदि' मन्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गृ० सूत्र ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले सबधी एव ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते हैं, यज्ञोपवीत की दाहिने बंधे से लटकते हैं और बायें हाथ की चौथी अँगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ जल तर्पण करते हैं तथा दक्षिणामिमुख होकर जल में डुबकी लेते हैं और अजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० प० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के सबधी या जहाँ तक बसावसी ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। जब एक वर्ष में कम अवस्था वाला बच्चा भरता है तो माता-पिता एव उनके जो बच्चे का षाब डोते हैं, स्नान करना चाहिए। उपर्युक्त सभी लोगों को बाल नहीं संबारने चाहिए, बालों से धूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात् गाँव को लौट आना चाहिए तथा स्त्रियों को कुछ कर्हें उठे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पर्श करना चाहिए)। याज्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 'अप न सोनुष्व अपम्' (ऋ० १।१७।१; अथर्व० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था दी है। गौतमपितृमेघसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय मृदा की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड

योग जिनमे स्त्रियाँ और विद्योपत' ब्रह्म अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अस्त-भाग (आँचल) से हवा करते हैं, अन्वेषित क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घडा लेता है और अपने सिर पर दम्यम्बु (?) रखता है और तीन बार शव की परित्रमा करता है, पुरोहित घडे पर एक पत्थर (अधम) या कुशाडी से धीमी कोट करता है और 'इमा आप आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घडे से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन् लोके' के स्थान पर अन्तरिक्षे आदि। अन्वेषितकर्ता शब्द रूप में जलपूर्ण घडे को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात् त्वमपि जगोसि' असी स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' के पाठ के शय शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गी० पि० सू० १।३।१-१३)। शत० ब्रा० (२८।१।३८) का शयन है कि परे से लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और तीन बार शव भी बायें ओर होकर परित्रमा करते हैं तथा 'अप न धोमुचदधम्' (श्रु० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०-१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें माल का पिंड 'पृथा स्वेत' (श्रु० १०।१७।३ एव तै० आ० ६।१०।१) एव 'आयुर्विस्वायु' (श्रु० १०।१७।४ एव तै० आ० ६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। बराहपुराण के अनुसार पीराणिक मंत्रों का उच्चारण करना अन्वेषित, अन्वेषितकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए वहाँ पर सिर रखा रहता है।

आधुनिक बाल में अन्वेषितक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृह्यसूत्र के निगमों के अनुसार या गरुडपुराण (२।४।४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि दूसरे स्थान में ज्या की ली नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न भाषाएँ आदि हैं।

शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देखा लिया है कि शव गाड़ी में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों में बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। रामायण (अयोध्या० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहिता द्वारा शव के आगे वैदिक अग्निर्वाण जायी जा रही थी, शव एक पालकी (सिबिबा) में रखा हुआ था, नौकर बंधे रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि तीन उच्च वर्णों में शव को मत व्यक्ति के वर्ण वाले ही ढाने में और शूद्र उच्च वर्णों का शव नब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (१।१-४), गौतमधर्मसूत्र (१।४।२९), मनु (५।१०।४), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर० (३।४३-४५)। ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा नहीं थी, किन्तु वह अपने माता पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे कोई वस्त्र नहीं लगना था। देखिए बभ्रुव (२३।७), मनु (५।९१), याज्ञ० (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), ब्रह्मपुराण (पराशरमाध्वीय १।२ पृ० २७८)। गुरु, आचार्य और उपाध्याय की परिमाण याज्ञ० (१।३४-३५) में दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित माना जाता था और उसे व्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ० ३।१३-१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय ब्याक्त का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम की

पत्तियाँ दाँत से चबानी चाहिए, आचमन करना चाहिए अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसो का स्पर्श करना चाहिए, घीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र होने के लिए मृत पीना पड़ता है (गौ० १४२९; याज्ञ० ३१२६, मनु ४।१०३, परा० ३।४२, देवल्, परा० मा० १।२, पृ० २७७ एव हारीत, अपराकं पृ० ८७१)।

सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराकार (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पण पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१-१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ सो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को ढोता है, वह बड़ा यश एव पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषतः ग्रामी में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान लिये जाते हैं। कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-सकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी है कि "यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में भोजन करता है और वही रह जाता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है, यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनों तक अशौच में रहता है। यह नियम तभी लागू होगा है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रक्त है। यदि ब्राह्मण किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।" कर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत ब्राह्मण के शव को शूल लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र (अशौच में) रहना है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एव ३० दिनों तक अपवित्र रहता है।

विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शूल लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहना है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२, मदनपारिजात पृ० ३९५) के मत से शव को मार्ग के मार्ग में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।१२) एव बृह-हारीत (१।१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एव ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी एव पूर्वी मार्ग से ले जाना चाहिए। यम एव गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, बाट (लकड़ी), तृण, हवि आदि उच्च वर्गों की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शूद्रों द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एव पुराणों ने व्यवस्था दी है कि शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में बन्धो न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढँका रहना चाहिए, उम पर पुण्य रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए, अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पाय में पश्याया हुआ भोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उम भोजन का कुछ अन्न मार्ग में, गन्ना दना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमरान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना चाहिए।

ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १५९) का कथन है कि शव को इसज्ञान ले जाते समय वायव्यो द्वारा पर्याप्त निनाद किया जाता है।<sup>१</sup>

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि क्रिया के अग के रूप में कर्ता को वपन (मृदण) करवाना पड़ता है और उससे उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यो है—‘दाही-मूँछ बनवाना सात बातों में घोषित है, मया—गगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रौता-ग्निषो की स्थापना पर एव शोमयज्ञ में।’<sup>२</sup> अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान नहीं न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में गया, मया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर धी या तिल के तेल का लेप करके पुन उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुकुम, बस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।<sup>३</sup> अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्था की है।<sup>४</sup> आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे सभी साँपख लागों को वपन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच बंध समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० १६२) ने मिता० (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय में मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता।

गृह्यपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कर्म एव जल-नर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए।

३०. भरत ने चार प्रकार के बार्छों की बार्छा यों की है—‘तत शंवावनं घन सुधिरमेव च।’ अमरकोश ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है—‘तत यौगादिक वा०मानं भृत्जादिकम्। वशादिक तु सुधिर कास्पतालादिक घनम्।’

३१. गगायां भास्करक्षेत्रे मातापिशोर्गुरोर्मृती। आधानकाले सोमे च वपन सप्तमु स्मृतम् ॥ वैसिए मिता० (याज्ञ० ३।१७), परा० मा० (१।२, पृ० २९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० १६१), प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९३)। भास्कर क्षेत्र प्रयाग का नाम है।

३२. रात्री बग्वा तु पिषडान्त कृत्वा वपनवर्जितम्। वपन नेष्यते रात्री इवस्तनी वपनक्रिया ॥ सग्रह (शुद्धि-प्रकाश, पृ० १६१)।

३३. अलुप्तकेशो यः पूर्वं सोऽत्र केशान् प्रवापयेत्। द्वितीये तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सप्तमेऽपि च ॥ यावच्छृङ्खलं प्रवीयेत तावद्विष्यपर भक्तम् ॥ बौधायन (परा० मा० १।२, पृ० २); वपन वशाभेऽह्नि कार्यम्। तदाह देवस। वशाभेऽह्नि संप्राप्ते स्नान प्रामादं बर्हिर्भवेत्। तत्र स्वाग्वापि वशासि केशाश्मधुनस्यति च ॥ (मिता०, याज्ञ० ३।१७); मरु-पारिजात (पृ० ४१६) ने देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है—‘पञ्चवारिदिनेषु कृतशरीरस्यापि शृङ्खलपर्व वशाभदिनेषु वपनं कर्तव्यम्।’

सपिण्डो एव ममानोदको द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसके विषय में मर्त्य नहीं है। आश्व० गृह्य० में केवल एक बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्यापाठश्री० (२८।२।७२) आदि में व्यवस्था दी है कि तिलमिश्रित जल अजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एक गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक दिया जाता है।<sup>१</sup> गौतमधर्मसूत्र (१।४।३८) एवं वसिष्ठ० (४।१०) में व्यवस्था दी है कि जन्मान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणामुख होकर किया जाता है, किन्तु हरदत्त का कथन है कि सब मिलानर कुल ७५ अञ्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अजलि द्वारा तीन बार और आगे क दिन में एक-एक अजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुधर्मसूत्र (१।१।७ एवं १३), प्रचेता एव पंटीनसि (अपराकं पृ० ८७४) में व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए। मुद्दिप्रवाग (पृ० २०२) ने गृह्यपरिभाषा के कतिपय वचन उद्धृत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अजलियाँ और कुछ के मत से १०० और कुछ के मत से ५५ अजलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोग - नी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा का पालन करना चाहिए। यही बात आश्व० गृह्य० परिशिष्ट (३।४) में भी वही है। गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२-२३) में भी १०, ५५ या १०० अञ्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों में जाति के आधार पर अजलियों की संख्या दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं सूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० अजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (श्लोक ९२-९४) ने लिखा है कि नाम तक पानी में खड़े होकर विस प्रकार जल देना चाहिए और कहा है (श्लोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयानिक द्वारा उद्धृत एक स्मृति में आया है कि मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए, मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराह पर, श्मशान के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र बरते समय। स्मृतियाँ में ऐसा भी आया है कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का नाम-गोत्र कहकर दोषहर के समय एक मुट्ठी मात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पापेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्धु, पृ० ४६३)। कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि-

३४. केशान् प्रकीर्य पांसूनीर्यं कवातसो दक्षिणामुखा सकृन्नुन्मज्ज्योत्तोर्यं सव्यं जान्वाध्व वासः पीडयित्वापि-  
धान्येव त्रिस्तदप्रत्यय गोत्रनामधेयं तिलमिश्रमृदकं त्रिकलितं च्याहुरहुरञ्जलिनेकोत्तरवृद्धिं काशशाहान्। सत्यापाठश्री०  
(२८।२।७२)। यही बात यो० पि० सू० (१।४।७) में भी कही है। जल-तर्पण इस प्रकार होता है—काश्यपगोत्र  
देवदत्त धर्मन्, एतसे उदकम् या काश्यपगोत्राय देवदत्तधर्मणे प्रतापंतसिलोदकं दरामि (हरदत्त) या देवदत्तनामा  
काश्यपगोत्र प्रेतस्तुप्यु (मिता०, याज्ञ० ३।५)। और वैश्वदेव गोमिलस्मृति (३।३६-३७, अपराकं पृ० ८७४ एवं  
परा० मा० १।२, पृ० २८७)।

३५. दिने दिनेञ्जलीन् पूर्णान् प्रवद्यात्प्रेतकारणात्। तावद् बुद्धिश्च कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता  
(मिता०, याज्ञ० ३।३); यावदागोषं तावत्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्यात्। वि० घ० सू० (१।१।१३)। यदि एक दिन  
केवल एक ही अजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अजलियाँ दी जायें  
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अजलि बहाते जायें तो कुल मिलाकर  
५५ अजलियाँ होंगी।



श्री द्वारा बपन, स्नान, श्राय एव धर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त मग्न-प्रणधारन नामक श्राद्ध करना चाहिए। मग्न-प्रणधारन श्राद्ध में एक पथे में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एव सामर्घ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बँधी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दखि ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देसिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एव स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६)।

स्मृतियों एव पुराणों (यथा—कूर्मपुराण, उत्तरार्ध २३।७०) के मत से अञ्जलि से जल देने के उपरान्त पके हुए शवाल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दम पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंधे पर या अपसम्भ्य रखा जाता है), विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दम पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हो तो ज्येष्ठ पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है, पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, मया मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं।<sup>१</sup> वैसी रिश्ते में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें तिम्भ रूप से बाँटा है, प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें तिम्भ रूप से बाँटा है, प्रथम दिन में एक, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार ब्रम से १०, १२, १५ एव ३० पिण्डों की संख्या दी है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड दिया जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एव गरुडपुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ किया है, चाहे वे समान हों या किसी अन्य जाति के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करो पड़ते हैं।<sup>२</sup> ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म करता रहता है, किन्तु ग्यारह दिनों का कर्म पुत्र या निवृत्त सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं। मन् १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के भीतर वह अपने घर, पुत्रों एव पत्नी को देखता रहता है।

जिम प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एव समानादकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी व्यक्ति को अपने माना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एव आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। व्यक्ति यदि बहि तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, दक्षिण, पुरोहित को उनकी मृत्यु पर जल दे सकता है (पा० गृ० ३।१०, दण्ड-लिखित, याज्ञ० ३।४)। पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और

३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च वा दद्युः। तदभावे श्रुतिव्याचार्यौ। गौ० ध० सू० (१५।१३-१४)।

३७. असमाय समात्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो बध्नात्तं दशाहं समापयेत्। गृह्यपरिशिष्ट (मित्ता०, याज्ञ० १।२५५ एव ३।१६; अपराकं पृ० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता पृ० १७२)। देसिए सप्तधावलायन (२०।६) एव वादकपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१९-२०)।

जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—'हम लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसर कहुता है—'ऐसा करो किन्तु पुन न आना।' ऐसा तभी किया जाता था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो केवल 'ऐसा करो' कहा जाता था। गीतमधर्मसूत्र (१।४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप थाया है। कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या बहनोंई) एक कँटीली टहनी लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता है और कहुता है, 'जल में प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है—'हम लोग पुन जल में प्रवेश नहीं करेंगे।' इसका सम्भवतः यह तात्पर्य है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात् शीघ्र ही उन्हें पुन. नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी।

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भी जल पाने के लिए अयोग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक लोगो, सोने के घोरो, ब्राह्मणो, विधर्मी लोगो, भ्रूणहत्या (गर्भपात) करनेवाली तथा पति की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालो (सुरापियो) को जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या की है कि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमो में न रहनेवालो, घोरो, पति की हत्या करनेवाली नारिया, व्यक्तिवारिणियो, सुरापियो, आत्महत्या करनेवालो को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मानना चाहिए। यही बात मनु (५।८९-९०) ने भी कही है। गीतमधर्मसूत्र (१।४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगो को न तो अन्त्येष्टि-क्रिया होती है, न अशौच होता है, न जल-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो त्रय में आवर महाप्रमाण करते हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या फोसी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।" हरदत्त (गी० १।४।११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्य उद्धार कर कहा है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।६) का कथन है कि जो लोग असावधानी से जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच होता है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए वैश्वानसश्रौतसूत्र (५।११), जहाँ ऐसे लोगो की सूची है जिनका दाह-कर्म नहीं होता। महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्म का बहुधा वर्णन हुआ है, यथा आदिपर्व (अध्याय १२७) में पाण्डु का दाह-कर्म (चारों ओर से ढँकी निबिका में शव ले जाया गया था, वाय यन्त्र थे, जुलूस में राजछत्र एवं धामर थे, सायुधो को धन बाँटा जा रहा था, गगातट के एक सुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव का स्नान कटाया गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था); त्रौपर्व (अध्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पड़े गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गगा के तट पर लोग गये थे), अनुशासनपर्व (१९। १०-१९) में भीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगन्धित पदार्थ डाले गये थे, शय सुन्दर वस्त्रो एवं पुष्पो से ढँका था, शव के ऊपर छत्र एवं धामर थे, बौरवो की नारियाँ शव पर पड़े झल रही थी और सामवेद का गायन हो रहा था);

३८. प्रायानाशकशस्त्राग्निविधोर्बकोर्बन्धनप्रपतनश्चेच्छताम्। गी० (१।४।११); कोषान् प्राप्य विषं वदित्तिः शस्त्रमुद्वन्धनं जलग्। गिरिवृक्षप्रपात च ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मबण्डहता ये च ये चं व ब्राह्मणहंताः। नशागतकिनो ये च पतितारते प्रकीर्तताः ॥ पतितानां न दाहः स्थान् च स्थारस्त्रिसचयः। न धाभूपातः पिण्डो वा कार्या आढ्विन्ना न च ॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गी० १।४।११; अपराक पृ० ९०२—९०३), देखिए भीष्मरात्मन्ति (७।१, पृ० ५३९), सवर्त (१७८-१७९), अग्नि (२।९-२।१७), कर्मपुराण (उत्तरार्ध २३।६०-६३), हरदत्ता (पृ० २०४), मुद्गिलकाशा (पृ० ५९)।

मौसलपर्व (७।१९-२५) में बामुदेव का, स्त्रीपर्व (२६।२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा अश्वमेधपर्व (अध्याय ३९) में बुन्ती, घृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वर्णित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) में आया है कि दशरथ की चिता श्वेत की लकड़ियों से बनी थी और उगमे अगुह एवं अन्य सुगन्धित पदार्थ थे, सरल, पद्मक देव-दास आदि की सुगन्धित लकड़ियों से थी, कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शिबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य गाड़ियों में सवयात्रा में सम्मिलित हुई थी।

यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहाज करता हो) विदेय में घर जाम तो उसकी अस्थियाँ भँगाकर बाले मृगचर्म पर फैला दी जाती चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए तथा रुई एक घृत तथा श्रौत अग्निवा एव यज्ञपात्रा ने साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए काल्या-यनश्रौत० (२।५।८।९), बौधायनपितृमेघसूत्र (३।८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (४।३७)।

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रा ने ऐतरेयब्राह्मण (३२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुतल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जो का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्निवा एव यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन दिना का अशोक घोड़ित किया है। अपराज (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पलाश की पत्तियाँ की संख्या ३६२ लिखी हुई है। बौधायनपितृमेघसूत्र एवं गौतमपितृमेघसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानें चाहिए, सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैर के लिए ७०, पैरों के अँगूठों के लिए १०, दोनों हाँथों के लिए ५०, हाथों की अँगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोनों के लिए १२। यही वर्णन सत्यापादश्रौत० (१।९।४।३९) में भी है। और देखिए शाखा० श्री० (४।१।५।१९-३१), कल्या० श्री० (२।५।८।१५), बौधा० पि० सू० (३।८), गौ० पि० सू० (२।१।६-१४) गोमिल० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश पृ० १८६) एवं बृहस्पतिपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४)। सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं में भ्रम नहीं है जो विभिन्न अगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराज (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में संख्या यों है—सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, अँगुलियों के लिए १०, अङ्गुलीयों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न भागों के लिए २०, पैर के अँगूठों के लिए १०। जातुकर्म्य (अपराज, पृ० ५४५) ने मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सकें तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने की आकृति-बह्वन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैश्वानरसमार्तगूत्र (५।१२) ने आकृतिबह्वन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्त तक ही सीमित नहीं माना है। शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिबह्वन केवल आहिताग्निवों तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहाज नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्निवों के लिए अशोक १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है।

सत्यापादश्रौत० (२।९।४।१), बौधा० पितृमेघसूत्र (३।७।४) एवं बृहस्पतिपुराण (२।४।१६९-७०) में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिबह्वन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात् मृत सप्तमा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घृत से भरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुन उसको स्नान कराया जाता है और जातुकर्म से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसकी अपनी पत्नी के साथ

तब वह पुत्र अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। कुछ सूत्रों में ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उस श्रौतानिनियों द्वारा जला सक्ता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन घालियों में रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि आहिताग्नि विज की सवर्ण एव सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एव स्मार्त अग्निओं से उसे यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुत्र विवाह कर अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। इस विषय में और देखिए याज्ञ० (१।८९), बोधा० पि० सू० (२।४ एव ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वैखानसस्मार्तसूत्र (७।२), बृहद् हारीत (१।१२१३) लघु आश्व० (२०।५९)। विस्वरूप (याज्ञ० १।८७) ने इस विषय में काटक-श्रुति को उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौतानिनियाँ रखता है तो वह अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो दाव के लिए प्रयुक्त होती हैं, और उसने इतना और जोड़ दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौतानिनियों से ही हाता है। यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोधी है किन्तु उसने मनु (५।१६७) में प्रयुक्त 'सर्व' का केवल उदाहरण-स्वरूप लिया है क्योंकि ऐसा न करने से बाधभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय-पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों में ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि-होत्र सम्पादन कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने किया था। देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एव बृहद्-हारीत (१।१२१४)। जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौतानिनियों के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुत्र नवीन वैदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो वह मरने के उपरान्त साधारण आग्निओं से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी मृत पत्नी के दाव को अग्निओं से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्निओं को सुरक्षित रखकर पत्नी की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अग्निओं से उत्पन्न अग्नि (निर्मण्य) से जलायी जाती है। देखिए बोधा० पि० सू० (४।६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४-३५) एव त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१)। जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो 'अस्मात्त्वमिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ नहीं होता (गोमिल० ३।५२)। केवल सदाचारिणी एव पतिव्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है (वही ३।५३)। त्रु (शुद्धिप्रकाश, पृ० १६६) एव बोधा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एव विधवा का दाहकर्म कपाल नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डो से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मवारी एव यनि (गधु) का उत्तपन (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होना है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुओं या सर्पों से भिड़कर मर जाय तो उसकी श्रौतानिनियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रों को जला डालना चाहिए (परा० मा० १।२, पृ० २२२, परासर ५।१०-११, वैखानसस्मार्त० ५।११) और उसे साधारण (लौकिक) अग्नि से जलाना चाहिए।

मनु (५।६८), याज्ञ० (३।१), परासर (३।१४), विष्णु० (२२।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० १।२, पृ० २३८) के मत से गर्म से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिशु को दहन से बँबकर गाड़ देना चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्बन्धी विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्य० (३।१०), याज्ञ० (३।१), मनु (५।६८-६), यम आदि न व्यवस्था दी है कि बर्ष के भीतर के बच्चों को घास से बाहर धमगान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए, ऐसे बच्चों के दावों पर पृथक् का लेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए और न जल-

तर्पण करना चाहिए और न उदका अस्थि-ध्वजन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम में यमसूक्त (ऋ० १०।१४) के पाठ एव यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७०) ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा—दांत वाले बच्चों या नामकरण-संस्कृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात् ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प है, अर्थात् नामकरण एव दांत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने में सभी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना चाहिए। लौगाक्षि के मत से चूडाकरण-संस्कृत बच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैश्वानरसमार्तसूत्र (५।११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त आहिताग्नि की भाँति दाहकर्म होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एव मन्त्रोच्चारण नहीं होता। बौधायन पितृ सू० (२।३-१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एव उपनयन रहित लड़कों का पितृमेध नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के बच्चों को 'ओम्' के साथ तथा दाँत वाले बच्चों को व्याहृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है—'नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता, नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना (जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है, तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एव तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों के) होता है, यदि तीन वर्ष के पूर्व चूडाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढग बही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।'

यति (सन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर ऋतु का मत प्रकाशित किया गया है कि बह्यचारी एव यति का शव उत्पन्न अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उपस्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का सन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के सन्यासी लोग (कुटीचक, बह्व्रक, हस एव परमहस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौधायन पितृ सू० (३।११) ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरो के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है—'किसी की शव के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए, इसके उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्म विद्या देना चाहिए, माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० स० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके धमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० १।२२।१७, याज्ञ० स० ५।१५ एव तै० स० १।२।१।३।१ का) ध्वजपाठ करता चाहिए। शिक्य को बायें हाथ में मन्त्रों (तै० स० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (तै० श्र० १।४।८।६ के मन्त्र के साथ), मायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, ब्राज० स० ३।३५, तै० स० १।५।६।४) के साथ पात्र को पेट पर और जलपात्र को गुप्तागों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'श्रुतुहोतार' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। अन्य कृत्य नहीं किये जाते, न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि यति मसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एर्कोइष्ट धातु और न सपिण्डोत्पन्न ही किया जाता है, केवल प्यारहवें दिन पार्षण थाह होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बह्व्रक गाड़ा जाता है, हस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहस को भली भाँति गाड़ा जाता है। और देखिए नियंत्र-

सिन्धु (पृ० ६३४-६३५)। गहने के उपरान्त गूदे को मली भाँति बालू से ढँक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, मृगाल आदि शव को (पजो से गद्दा छोड़कर) निकाल न डालें। धर्मसिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को छँह या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर मुकुट की भेली रखकर उसे ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक्र को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी यति गाड़े जाते हैं, क्योंकि बहुदक एव कुटीचक्र आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही बेलने में बाटे हैं। यतियों को क्यों गाड़ा जाता है? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की भाँति श्वैताग्नि या स्मार्ताग्नि नहीं रखते और वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्वैत या स्मार्त अग्नियों के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। गहने की विधि के लिए देखिए बैखानसस्मार्तसूत्र (१:१८)।

जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में मर जाती हैं, उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत एक स्मृति एव स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) ने स्मृतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एव पचगव्य लेकर मन्त्रोच्चारण (ऋ० १०।१।१-९, 'आग्ने हि ष्ठा') करना चाहिए और उससे स्मृतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२।४।१७१) एव निर्णयसिन्धु (पृ० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बीषा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु पृ० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

विभिन्न कालों एव विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अन्त्येष्टि-क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं—जलाना (शव-दाह), भूमि में गाड़ना, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, जिससे बिल, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में), "गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या भूमि-रूप में (यथा मिथ में) सुरक्षित रख छोड़ना।" जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, भारत में सामान्य नियम शव को जला देना ही था, किन्तु अन्तर्गत में ये, यथा—शिष्टाओं, सन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों ने शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में शव को गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५।३०।१४ 'मा नु भूमिगृहो भुवत्' एव १।८।२।३४)। अन्तिम मन्त्र का रूप यो है—'हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेढों पर या गृहाओं में?) रख दिये गये

३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड़ देना महान् अपराध माना जाता है, यदि शव कब्र से बाहर नहीं निकाला गया तो मजब के कानून के प्राध्यापक (शिलक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसने लिए भी कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने मजब के कानून को पढ़ा है, और जब वे छ मास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से बाहर नहीं निकालते तो उन्हें कम से ५०० या १००० कोड़ें लाने पड़ते हैं। देखिए वेदिदाड, फर्गस ३ (संकेत ब्रुक माऊ वि ईस्ट, जिल्द ४, पृ० ३१-३२)। पर्वतों के शिलरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पलायन एव कुत्तों ला डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मजब रीति की अत्यन्त विचित्र बात है।

४०. पिपायडा बर्बेरीनी के पास रोम के कपूर्धन चर्च के भूगर्भ कब्रगाहों की दीवारों में ४००० पारसियों की हस्तियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पर्ल की पुस्तक 'प्यूनरल कस्टम्स (पृ० १३६)।

ये।<sup>1</sup> विष्णु सम्बन्ध है कि धार के गान्धे की ओर ललित व भी ही, कुछ पूर्ववत् बहुत दूर गन्धर्वों के गाने गये हों, या उनको द्वारा एकद्व त्रिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके धन भी ही खीर लिये गये हों, अर्थात् न तो उन्हें बलाया गया, न मार दिया गया। शास्त्रीयपनिषत् (८।८।५) में अथे ह्ये एक कथन से कुछ विज्ञान गाने की बात निकलती है— 'अतः के अब भी उन भूतधर्मों की अनुसू वाप देते हैं जो दान नहीं देते, जो विपत्तय नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और न दान ही करते हैं; क्योंकि यह अनुसू का गुरु सिद्धांत है। वे मृत के शरीर को निशा (प्राण-भव या पुनः ?) एवं बला के संसारों में और लोभने हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत लेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु अनुसू, उनके शक-सुंदार और परलोक-आदि की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुसू के धार की गान्धे की प्रथा संभवतः थी। श्वेद (७।८।१।१) में ऋषि के प्रार्थना की है कि 'हे धार, मैं सिद्धी के धार में न जाऊँ।' संभवतः यह गान्धे की प्रथा की ओर संकेत है। इसके प्रतिदिता अस्तित्वों को इच्छित करने धार ने रस-कर भूमि में गान्धे और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इवज्ञान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित की, ऐसा कि हम गणपतबाइयन आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अथर्ववेद (१.८।२।२।५) में ऐशा आया है—'उन्हें दुःख कष्ट न दे और न मृत्पि भी मगा हो (ऐसा करे)।' इसके शवागार (वाद्द) एव धार को गान्धे की ओर समन्वय संकेत चिह्नता है।

यह कुछ विभिन्नता है कि पश्चिम के प्रातिपत्तिक राज्य प्रातिपत्तिक के कथन की प्रातिपत्तिक व्याख्या में विख्यात करते हुए कि 'मृत का भौतिक छोटोपस्थान होता है।' केवल शक की गान्धे की ही प्रथा में विभेद रहे और उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग धारवाद के लिए कभी उत्तर नहीं हुए। सन् १९०६ में कैनेडन एक्ट (हॉलैंड में) प्रातिपत्तिक द्वारा मिलके अनुसार स्वाध्याय-मी-साधित सफल भूमि पर उपवास करने की अनुमति अपौरुषेय-क्रिया के अन्वय को प्राप्त होने लगी। वैज्ञानिक सर्वे वाले अब भी उपवास नहीं करते। प्रातिपत्तिकीन रोम के लोग उपवास को शम्भान्य सम्बन्धों के और धार धारण की पीछि केवल उन लोगों के लिए धरती जाती थी जो आत्महत्या का इच्छा करते थे।

कुछ समय तक धार को विकृत होने से बचाने के लिए रोम आदि में रस छोड़ना मालत में अज्ञात नहीं था। शासन काइयन (१५।५।२९) एवं बैलानसबेलेयुस (३१।३२) ने व्यवस्था की है कि यदि प्रातिपत्तिक अपने लोगों के सुख भूल्य को प्राप्त हो जाय तो उनके धन को तिज-लेख में पूर्ण शोध (गार) में रखकर गान्धे द्वारा धार बना नष्टिए। रामायण में यह कई बार कहा गया है कि धार के आने के बहुत दिन पूर्व में ही राजा बलाध का धार तैलपूर्ण लम्बे शोध का गाने में रस दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ५६।१४-१६, ७६।४)। विष्णुपुराण में अज्ञात है कि विधि का धार लेख तथा अन्य सुवर्णित धरानों में इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और अज्ञात था कि मृत गान्धे अभी हुई हों।

श्वेद के प्रपदन के पूर्व की विधि के विचार में निरुपयसुर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। श्वेद तथा सिन्धु गान्धे के मोहोरोइयो एवं हरणा अथर्ववेदों के काल के निर्यं के विचार में अभी कोई सामान्य विचार नहीं हो सका है। हर जल गान्धे (मोहोरोइयो, विज्व १, पृ० ८६) में पूर्ण रूप से गान्धे, प्रातिपत्तिक रूप में धारण एवं धारण के उपरान्त धारण के रीतियों की ओर संकेत किया है। सीरिया नरन्धर का सुधार में कुछ ऐसी धरणा-भूमियों का धार बना है जो वैदिक काल की कही जाती है और उनमें एक छोटी स्वधियन बहुत पायो गयी है जो लंबी लंबी, सांभवतः

५१. ये विज्ञानतः वै परीन्त के शम्भय में मोहिलाः। संवर्ततामन आ यह सिन्धु हृषिये अन्वये। अथर्ववेद (१८।२।१।४)।

पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से सबध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे।  
हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाड़े जाते थे और दरद लोग एव लुप्तक लोग अपने सबधियों के शवों को पेड़ पर लटकाकर चल देते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भिक बौद्धों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे मरनेवाला मिट्टा हो या उपासक। महापरिनिम्बान मुत्त में बौद्धधर्म के महान् प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन पाया जाता है (४:१४)। इस ग्रथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है—बुद्ध के अत्यन्त प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, तो पड़े और पृथिवी पर घड़ाम से गिर पड़े, और अन्य लोग (अर्हत्) किसी प्रकार दुःख को सँभाल सके। दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मत्तो के पास गये, मत्तो ने धूप, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये, मत्तो ने शाल वृक्षों की कुज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एव गधों से पूजा-अर्चन-मार्गों की ओर वे वस्त्रों से शव को ढँकते रहे। सातवें दिन वे भगवान् के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक घमस्कार (६:२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिशा में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एव पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढग उनके लिए मान्य हो गया)। बुद्ध का शव नये वस्त्रों से ढँका गया और ऊपर से रुई और ऊन ने चोगे बाँधे गये और फिर उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँधा गया, इस प्रकार वस्त्रों एव भूतों के पाँच सौ स्तरो से शरीर ढँक दिया गया। इसके उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पश्चात् सभी प्रकार की गधों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तब महाकस्मप एव पाँच सौ अन्य बौद्धों ने जो साथ में आये थे, अपने परिधानों को चपा पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत को धारण करते हैं), उन्होंने बद्धबाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धायुक्त शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातशत्रु, वंशाली के लिच्छिवियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अवशेष आठ भागों में बाँटे गये। जिन्हें ये भाग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उन घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थी, एक स्तूप बनवाया। श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रन्थों एव जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों का वर्णन मिलता है किन्तु वही भी प्रचलित धार्मिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आश्चर्याजनक सूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।"

४२. बेसिए जे० आर० ए० एस्० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लोट के लेख, जो महापरिनिम्बान-मुत्त, बिध्यावदान, काहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म के बँटवारे श्रवण उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लोट का कहना है कि पित्रहवा अवशेष-कुम्भ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लगभग ईसापूर्व सन् ३७५) और जिसमें सात सौ वस्तुएँ पायी गयी हैं, भगवान् बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सत्ताट् अगोक्ष ने बुद्ध के अवशेष चिह्नों पर बने ८ स्तूपों में ७ को कोबरकर उनमें पाये गये अवशेषों को ८५००० सोने और चाँदी के पात्रों



जब मृत के सखीगण (पुत्र आदि) जलतपण एव स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल कर हरी घग्ग के किसी स्थल पर बैठ गये हो, तो गुरुजनों (बृह आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन गाथाएँ कहती चाहिए (याज्ञ० ३।७ एव गौ० पि० सू० १।४।२)।" विष्णुधर्मसूत्र (२०।२२-२३) में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है 'कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवो, दैत्यो, महान् राजाओ एव ऋषियो को पर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यमावी है), कि (एली को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत् कर्म मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए जीवित सखियों को श्राद्ध करना चाहिए और ध्वन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं और केवल धर्म ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है।" ऐसी ही बातें याज्ञ० (३।८-११=गुरुपुराण २।४।८१-८४) में भी पायी जाती हैं, 'जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पीरे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान अस्थिर है, अमरता स्वाजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। ध्वन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पचतन्त्रा से निर्मित हो पुन उन्ही तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं (मविष्य मे द्रव कि प्रलय होता है)। यह कैसे सम्व है कि वह मृग्यलोक, जो फन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त नहीं होगा? मृतात्मा जो असहाय होकर अपने सखियों के आँसू एव नासिकारध्या में निबले द्रव पदार्थ को पीना पड़ता है, अत उन सखियों को रोना नहीं चाहिए वरिन् अपनी सामर्थ्यों के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए।' गोमिलस्मृति (३।३९) ने बलपूर्वक कहा है कि 'जो नागवान है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके लिए रोना-कलपना क्या? नेबल श्म कर्मों के सपादन में, त्रौ मुहारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो।' गोमिल ने याज्ञ० (३।८-१०) एव महाभारत का उद्धृत किया है—'समी सप्रह धय जो प्राप्त होने हैं, समी उदय पतन को, समी सयोग वियोग को और जीवन मरण को।' अपराक्त ने रामायण एव महाभारत से उदाहरण दिये है यथा दशरथ को मृत्यु

में परिवर्तित कर दिया और उन्हें सपूर्ण भारत में वितरित कर दिया। इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन पर किया गया। राक्षस बर्षिचस ने अपने ग्रन्थ 'बुद्धिस्त इडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि अत या अत से विनिष्ट मृत लोगों का राजकर्मधारियो या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अर्धविष्ट भस्माश स्तूपों (पास्ति में एव या टोप) के अन्तर गाड़ दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अमीव इय से रखे जाते थे। वे श्मै स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल वे शव या चितावशेष गाड़े नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा नष्ट क्रिये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे।

४३. शोकमुस्तुभ्य कल्याणीभिर्वाग्भिः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराणैः पुकृतिभिः ध्रुवाद्योमुक्ता व्रजन्ति। गीतम-पितृमेधसूत्र (१।४।२)।

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य (२०।२९, ४८-४९ एव ५१-५३) भगवद्गीता के पद्यों (२।२२-२८, ३।२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०।४७ यथा धेनुसहस्रेषु आदि) शान्तिपर्व (१८।१।१६, १८।१।२७ एव ३२।३।१६) एव विष्णुधर्मोत्तर (२।७।२।२७) के समान ही है। इसी प्रकार वैश्लि एविष्णु० (२०।४१) एव शान्ति० (१।७।१।१५ एव ३२।१।७३)। वैश्लि कल्पतप (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९१-९७), याज्ञ० (३।७.११), विष्णु० (२०।२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८)।

४५. सर्वे क्षयान्ता निश्चयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्॥ और वैश्लि शान्तिपर्व (३३।१।२०)।

पर वासुदेव द्वारा भूतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (११२, पृ० २९२-२९३), सुद्धिप्रकाश (पृ० २०५-२०६) एव अन्य ग्रंथो ने विष्णु०, याज्ञ० एव बौद्धिक० के वचन उद्धृत किये हैं।

गुरुपुराण (२।४।११-१००) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चित्ता पर) बलिदान बर्बात् मर जाने एव पतिव्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से पृथक् नही चलना चाहिए (अर्थात् साप ही जरूज आना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एव अन्य नारियाँ ऐसा नहीं भी कर सकतीं। उसमें यह भी लिखा है कि सती-श्रया सभी नारियो, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियो के लिए भी, समान ही है, केवल गर्भवती नारियो को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक परनी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती।

गुरुजनों का दार्शनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके घर के द्वार पर खड़े होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतो से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, जल, गोबर एव ध्वेत सरसो छूते हैं, इसके उपरान्त किसी पत्थर पर घीरे से किन्तु दृढ़ता से पाँव रखकर घर में प्रवेश करते हैं। शाल के अनुसार सबधिया द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा), अग्नि, बँल को छूना चाहिए, मृत को घर के द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए।<sup>१</sup> वैजवाप (सुद्धितरव, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५८०) ने शमी, अरमा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है कि अपने एव पशुओं (गाय एव बकरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन खरीदना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार खाना चाहिए तथा सारे बर्ष तीन दिनों तक स्पर्शित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बल स्याये हुए कर्म (३।१२), यथा—नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा भी सम्पादित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं है किन्तु शव को ढोने, उसे सँवारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे।

शाखायनश्रौत० (४।१५।१०), आद्वलायनगृह्य० (४।४।१७-२७), बौधायनपितृभेषयून (१।१२।१०), वौनिकसूत्र (८२।३३-३५ एव ४२-४७), पारग्वरगृह्य० (३।१०), आपस्तम्बधर्म० (१।३।१०।४-१०), गौतमधर्म० (१।४।१५-३६), मनु (५।७३), वसिष्ठ० (४।१४-१५), याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु० (१।१।१४-१७), सवर्त (३९-४३), शाल (१५-२५), गुरुपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एव अन्य ग्रंथो ने उन लोगों (पुरुषों एव स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि हमदान से लौटने के उपरान्त तीन दिना तक क्या करना चाहिए। शाखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें साली (विस्तरहीन) मूमि पर सोना चाहिए, केवल याज्ञिक भोजन करना चाहिए, वैदिक अग्निषो से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्वि-सचय करने तक करना चाहिए। आद्व० गृह्य० (४।४।१७-२४) ने निम्न बातें दी हैं—उस रात उन्हें भोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के घर से प्राप्त भोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-सस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो गयी हो तो विद्वत्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्पर्शित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३।१०) का

४६. दूर्वाप्रवालमन्त्रिं वृषभं चासम्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दत्त्वा परधातृविशेषुः। शाल (मिता०, याज्ञ० ३।१३, परा० मा० १।२, पृ० २९३)।

कथन है कि बहुरात्र-व्रत पालन करता चाहिए, दिन में केवल एक बार स्नाना चाहिए। उस दिन वेधपाठ स्थिति रखना चाहिए तथा वेधाग्नियों के इत्यो को छोड़कर अन्य पार्ष्णिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। शतियन्त्र (४१४५-१५) का कथन है कि शंभुदिव्यो को षडहो पर तीन दिन बंधकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो साधारण में योग्यकर या शिला मणि प्राण्य भोजनसाधनी का साहार करना चाहिए। पात्र० (३११७) एवं पात्र० (३११०) में ब्रह्मसा दी है कि उस रात उठे एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे सुखे स्थान में शिष्य (सिकहर) पर रखकर यह कहना चाहिए—हे मुतात्म, यहाँ (जल में) स्थान करो और इस दूध को पीओ। पात्र० (३११७), वैकीर्ण, मनु (५।८४), पात्र० गृह्य० (३११०) आदि का कथन है कि मुतात्म के शब्दियों को शौच अग्नियों से सम्पन्न आह्निककृत्य (अग्निहोत्र, दर्शन-पूर्णाहार आदि) तथा स्मार्त अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्राण्य एव रात्र के होम आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, अग्नि को आभरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए)। टीकाकारों में कई एक सीनार्य एवं निवन्धन पीवित किये हैं। चित्ताचार्य (पात्र० ३११७) का कथन है कि मनु (५।८४) में केवल शौच एवं स्मार्त अग्नियों के कृत्यों का उपवास, किया है; अतः एव महायज्ञ-वेदे पार्ष्णिक कर्म नहीं करते चाहिए। नीलदेव, जितराय तन्पावन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि शकर्म में स्थल पर के ब्रह्मा है कि (संविष्ट की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक नीलदेव-रहित रहना चाहिए। शौच एवं स्मार्त कृत्य दूसरे द्वारा करा देने चाहिए, जैसा कि पात्र० (३११० 'अन्य एतामि कुर्वु') में स्थल रूप से आशयित किया है। केवल शिष्य एवं वैशिश्वक कृत्यों को, जो शौच एवं स्मार्त अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः कर्म्य कर्म नहीं किये जा सकते।

आचरन्त भी अग्निहोत्रो योग रक्ष्य शौच शिष्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग ऐसा कर्म लोगों से कराते हैं (पात्र० ३११७ एवं मनु ५।८४)। यद्यपि गोमिन्नमृष्टि (३१६०) में सम्पन्न का निर्णय किया है, किन्तु वैकीर्ण का हवाला देकर चित्ताचार्य ने कहा है कि शूद्रों को मूल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों का कथन है कि सम्पन्न के शक्यों की मृत्यु का शकृत्य है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिपुस्तकाल ५० ५७८)। आचरन्त मारुत के बहून-वे अशौच में ऐसा ही किया जाता है। चिन्म० (१२१६) में स्वन्स्था दी है कि जम्ब एवं मरुत के अशौच में होम (नीलदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन एक जाता है। वेदान्तस्मार्त० (६।१४) के मत से सम्पन्न-भुजा, देवो एव जितरो के कृत्य, दान देना एवं होम तथा वेदाध्ययन अशौच की अवधि में छोड़ देना चाहिए। शौचम (१४।४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जम्ब-मरुत के समय ब्राह्मण पर अशौच का प्रमाण नहीं करता। दूसरी ओर संवत् (४३) का कथन है कि जम्ब-मरुत के अशौच में एव महामस एवं वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। निशामार्यव्यति (५० ५४४) का कथन है कि अशौच में भी विसृष्ट के सहज नामों का पाठ किया जा सकता है।

अशौचसम्पन्न या शौचसम्पन्न वह कृत्य है जिसमें शय-दाह के उपरान्त अती हुई अश्विन एकम की जायी है। यह कृत्य बहून-वे शूद्रों एवं स्मृष्टियों में वर्णित है, यथा—शाखा० शी० (४।१।१।२-१८), सत्याशौच्यो० (२८।३), आरण० गृह्य० (४।१।१-१८), गो० पि० सू० (१।५), विसृष्ट० (१९।१०-१२), शीघ्र० वि० गु० (५।१७), यम (८७-८८), समत् (३८), गोमिन्न० (३।५४-५५), द्वाकला (५० १८९)। यह कृत्य जिस दिन किया जाय, उस दिवस में शकृत्य नहीं है। उपाहरण्य, सत्या० शी० (२८।३।१) के मत से अशौच-सम्पन्न शकृत्य के एक दिन उपवास या तीर्थ, पार्ष्णिक या शकृत्य दिन होता चाहिए; संवत् (३८) एवं बहुरात्रम (वैशख्य ५।१५) के मत में पहले, तीर्थ या शकृत्य या शकृत्य दिन और शकृत्य दिन के लिए चौथे दिन अशौचसम्पन्न होना चाहिए। सामन्तुदाय (१४।१०-१८) में पहले, चौथे या शकृत्य दिन की अनुमति दी है। यम (८७) में सम्पन्नियों को शकृत्य के उपरान्त यमम दिन से लेकर चौथे

दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुन (८८) कहा है कि चारों बर्णों में सचयन क्रम से चौथे, पाँचवें, सातवें एवं नववें दिन होना चाहिए। आश्व० गृ० (४।५।११) के मन से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (हृष्य पक्ष में) सचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात् दो आषाढाओं, दो फाल्गुनियों एवं दो भाद्रपदाओं को छोड़कर)। विष्णु० (१९।१०), वैशा० स्मार्त० (५।७), कूर्मपुराण (उत्तर, २३), कौशिकसूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१५) आदि में कहा है कि सचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। विस्तार के विषय में भी मतभेद नहीं है। आश्व० गृह्य० (४।५) में निम्न बातें पायी जाती हैं, पुरण की अस्थियाँ अचिह्नित पात्र (ऐसे पात्र जिसमें कही गड या शोष आदि न उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ गण्डयुक्त पात्र में। विषम सख्या में बूझ द्वारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहती) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थल की परित्रमा अपने वामाग की उस ओर करके तीन बार करता है और उस पर जलयुक्त द्रूप शमी की टहनियों से छिड़कता है और ऋ० (१०।१६।१४) के 'गीतिके' का पाठ करता है। अँगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक-एक सख्या में पात्र में बिना स्वर उत्पन्न किय रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँच की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में सिर की। अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके और उन्हें षष्ठीकेवल पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एवत्र नहीं होता और 'उपसर्ग' (ऋ० १०।१८।१०) का पाठ किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड्डे में मिट्टी भर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण किया जाता है फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र की दहन से बन्द बरते समय (ऋ० १०।१८।१३) का पाठ (उत्तरे स्तम्भिन्य) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अवेले मूत्र के लिए ध्यात् किया जाता है। कौनिकसूत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि-सचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है।

अन्य मंत्रों ने अस्थिपय मिश्र चार्णों दी हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैं—सत्यापाडधो० का वचन है कि टहनियों उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए अस्थियाँ मूत्र के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम सख्या (५ या अधिक) में एकत्र करती हैं, उनमें अभाव में अय घग्ने की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसमें अब वचना न उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाल रंग के दो घागो से बूझती पल बाधती है, वह बायें पैर को पत्थर पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतो या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत' (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकत्र करती हैं और उसे किसी पात्र या बस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंधों या बाहूँ की अस्थियाँ चुनती है, तीसरी पादबन्धों की या कर्णों की अस्थियाँ, चौथी जीवों या पंरा की तथा पाँचवीं पाँवा की अस्थियाँ चुनती है। वे या अन्य स्त्रियाँ सभी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र गभी या पलाश वृक्ष की जट में रखा जाता है।

आजकल, विशेषतः कसबों एवं ग्रामों में शवदाह के तुरन्त उपरान्त ही अस्थियाँ मचित कर ली जाती हैं। अन्त्येष्टियुद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्य० की विधि का अनुसरण करती है। इसका वचन है—कर्ता चितास्थल की जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है और मूत्र का नाम और गात्र बालक सक्त्य करता है कि वह अस्थिसचयन करेगा। अपने वामाग की चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परित्रमा करता है, उसे गभी की टहनियों से बूझता है और उस पर 'गीतिके' (ऋ० १०।१६।१५) के साथ द्रूपमिश्रित जल छिड़कता है। इसके उपरान्त कर्ता के साथ विषम सख्या में बूढ़े लोग अस्थिसचयन करते हैं और अस्थियाँ या एक नव पात्र में रखते हैं, किन्तु यदि अस्थियाँ किसी मूत्र मन्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गड या शोष के चिह्न पड़े रहते हैं। अस्थियों को गुप् (द्रूप) से ढँका करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छाटी-छाटी अस्थियाँ जो चुनकर पात्र में रख दी

जाती है तथा मरम भंगा में बहा भी जाती है। इसके उपरान्त कर्पायु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहाँ उस एकत्र नहीं होता, एक भद्रदा सोया जाता है और कर्ता उत्तम में ४० (१०१८१२) के मंत्र के साथ पात्र को पात्र देता है। कर्ता ४० (१०१८११) के साथ गहने में पात्र के चारों ओर मिट्टी चकता है और हृद्य जोड़कर ४० (१०१८१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मूल पर एक मिट्टी का भाग डकन ४० (१०१८१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार जली मीठि बँक देता है कि कोई देल न सके और बिना पीछे मुड़े नहीं सम्पन्न भया जाता है और स्नान करता है। निर्गंधायु (५० ५८५) में स्पष्ट कहा है कि अधिमंत्रयत श्री विधि अपने मूत्र अथवा मूट (कमलकर के पितामह नारायण मूट) के धर्म से प्राप्त करती पाहिए।

विष्णुधर्मसूत्र (११११-१२) एवं अनुशासनसर्व (२६३२) का कथन है कि संघित अधिपतियों भंगा में बहा देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अधिपतियों भंगा में रहेंगे, उतने सहस्र वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुत्रियों में ऐसा आया है कि कोई साधारण पुत्र, माई या दोहिज (भङ्गनी का पुत्र) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी भंगा में अधिपतियों को ब्रह्म सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अधिपतियों का गणा-अवकाश नहीं करना चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो उसे चाण्डाल्य प्रायश्चित्त करना चाहिए। आरम्भक भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों की अधिपतियों प्रथा से जाकर भंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।<sup>१</sup> निर्गंध-विष्णु ने शीनरु का उद्धार देकर भंगा के अधिमंत्रिसर्व पर विस्तार से शर्त की है, श्री शर्तों में जो है—कर्ता को धार के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए और मायमी उषा उन गर्वों का, जो साधारणतः भंगाय से कहे जाते हैं, उच्चारण करने अधिमन्त्र पर मिट्टी छिड़कनी चाहिए। श्रौतों के चार मंत्रों (१०१८१०-१३) के साथ उसे कम से पृथिवी की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे सीटना चाहिए, मिट्टी निकालनी चाहिए और अधिपतियों को बाहर करना चाहिए। इसके उपरान्त स्नान करने उसे ४० (८१५५७-९) के मंत्रों के पाठ (एतौ निम्न इताना शुद्धम् आदि) के साथ अधिपतियों को बार-बार सूना चाहिए। तब उन्हें भंगस्थ में स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अधिपतियों की) मत्स्य, मिट्टी, मय, कुमाङ्गल जल, गोमूत्र, गोबर, मोडुध, गोदधि, गोपूत एवं अल से दस बार स्नान करना चाहिए। तब उसे ४० (११२११६, ८१२५७-९; ७१६११२-१४; १०१२६१-८; १०१५१२-१३; ९११-११०; १०१२८१-९; ११४३१-९) के उच्चारण के साथ अधिपतियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए,<sup>२</sup> इसके उपरान्त उसे मूल के लिए हिरण्य-पात्र करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और द्विज से तर्पण करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अधिपतियों को निम्न छल प्रकार से बँकना चाहिए; भृगुधर्म, कम्बल, रत्न, पात्र के बालों, सन से बने वस्त्र, भूर्त्त (भोज) के पत्तों एवं ताड़ के पत्तों से। अधिपतियों की शुद्धि के लिए उसे उन्नम सीने, शरीर के टुकड़ों, मीठी,

१४. स्मृतिचिन्ता (आशीष, पृ० १९०) में इना विषय में कालिय स्मृति-अथन उद्धृत किया है। तब अधिपतियों—  
 इत्यथर्व सिद्धार्थे भोजार्थं च पुण्डरे। अस्मीनि विष्णुमेधाय स मृतो मुक्तिमाप्नुयात्॥ शंखमिच्छति—भंगाय  
 च प्रय वे च केदारे पुण्डरीकमे। अस्मीनि विधिस्तु स्वस्त्वा गम्यत विषयो मनेत्॥ पित्रोश्चात्मनुज्जेत तो निर्ध  
 भोजार्थमिच्छेत्॥ इति। योगशास्त्रस्य—गंगायां यदुनाया वा कावेर्या वा शङ्खतो। सरस्वत्यां विष्णवेन शुद्धीवि  
 विष्णुकेतुतः॥

१८. यह अधिमंत्रयो है कि ४० (८१५५७-९) में 'गुह्य' शब्द दोहर बार आया है मतः यह उचित ही है कि  
 मुनीकरण में इन मंत्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ४० (७१६११२) में 'पृथिवी' शब्द छ बार आया है।

मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रों ('उदीरताम्'... आदि) के साथ अग्नि में घृत एव तिल को १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; ऐसा करने से वह असुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए।

निर्णयसिन्धु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन लोगों का अस्थिसचयन नहीं होना चाहिए।

आश्व० गृ० (४।६), सत्या० श्रौ० (४।६, परिधिकर्म) आदि ने मृत के अस्थिसचयन के उपरान्त एक शान्ति नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बोधा० पि० सू० (२।३३) एव विष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात् शान्ति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच कृत्वा शान्ति)। आश्व० गृ० में इसका वर्णन यो है—जिसके मुख (पिता या माता) मर गये हो उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि की राख एव उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घ्या का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए, जल में स्नान करना चाहिए, केस, दाढ़ी एव नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एव मुख धोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए तथा शमी के पुष्पों की मालाएँ, शमी की लकड़ियों की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एव चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी स्त्रियाँ हो उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्ण-में अग्निहोत्र के समय कर्त्तों को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घ्या के साथ अर्घण से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्त्तों को रात्रि की मूर्कता की प्राप्ति के समय तक बँठे रहना चाहिए और (कुल के) बड़े लोगों की कहानियाँ, श्राव्य बातों से भरी गाथाएँ, इतिहास एव पुराण कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सप्ताटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विभ्राम-स्थल को चले जाते हैं तो कर्त्तों को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलधारा गिराते रहना चाहिए एव ऋ० (१०।५३।६) का पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने के पश्चात् और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।६) मन्त्र के साथ चलने को कहना चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है ('यह उनसे एव मृत्यु के बीच में पर्वत रहे') और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५) के मन्त्र के साथ अपने लोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पुत्र-पुत्र्य हाथों के अँगूठों एवं बायीं अँगुली (अनामिका) से एक ही साथ दर्माङ्कुरों से अपनी आँसों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्माङ्कुरों को फेंक देती हैं। जब तक स्त्रियाँ आँसों में मक्खन का अञ्जन लगाती रहें कर्त्तों को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८-७) का पाठ करना चाहिए—'ये स्त्रियाँ विषया नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना चाहिए (ऋ० १०।५३।८ 'पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं'), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में सड़े होकर जब कि अन्य लोग अग्नि एवं बैल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एव १०।१५।५) का पाठ करते हुए जलधारा गिरानी चाहिए। एव पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी लोग नदीन विन्दु बिना घुमे हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बँठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बँठे रहते हैं। सूर्योदय के उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य श्राव्य मन्त्रों का पाठ करके, भोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ० १।९७।१-८) के साथ

आशुतिना देकर तथा ब्राह्मण-भोजन कराकर उन्हें (शास्त्रों को) धूम ध्वज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक भालु-माख, एक नवीन अश्वयुक्त पक्ष यज्ञ-यज्ञिका के रूप में देना चाहिए। शीघ्र वैश्विण्य सत्यावाचभोतयुज (२८।४।१)।

रातपचब्राह्मण (११।८।१-४) एवं कात्या० शी० ने ब्रह्मज्ञान या समाधि-स्थलों के विषय में अनोखे-नए धृष्टान्तों की हैं। रातपचब्राह्मण में ऐसा माना है कि मृत्यु के पश्चात् शीघ्र ही ब्रह्मज्ञान (समाधि या वैश्व) का निर्वाण नहीं होता चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को नतीजा पुनर्जीवित कर देगा; इसना पर्याप्त ध्वज कीज जाना चाहिए कि लोग मृत की मृत्यु के विषय में मूल-से जायँ और यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु की प्राप्ति हुआ था। समाधि-निर्वाण विषय नवीं में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात् विना एवं दुष्प्य जेते केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनर्वसु एवं विशाखा के द्विदम्बक या कृत्तिका जैसे बहुदम्बक तारा वाले नक्षत्र में) अथवा स्वस्व के दिन होना चाहिए। शरद ऋतु, माघ या वीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। ब्रह्मज्ञान या समाधि चार कोशों (पशु, सक्ति) वाली होनी चाहिए, क्योंकि देवयूतक सोम अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और बहुद, प्राण्य लोग यदि पशुकाकार बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में रातपच ब्राह्मण में कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा—कुछ लोगों के मत में उत्तर की ओर जानूँ स्थान और कुछ लोगों के मत में दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धांततः उस स्थान पर समाधि बनानी चाहिए जहाँ उपयुक्त हो और दक्षिण दिशा में जाता हुआ जल भूवाणिमस उदर जाय और बरसा देकर न बहे। वह स्थल रथगीक एवं सात होना चाहिए। समाधि-स्थल मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायँगे। समाधि पर मध्याह्न-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी चाहिए। मर्तुं से शाम नहीं दिखाई पटना चाहिए और उसके परिचय में सुन्दर वन, यादिका आदि होने चाहिए। यदि वे सुन्दर बल्लुर्ग न हो गी परिचय या उत्तर में जन होना चाहिए। समाधि को उत्तर दक्षिण तथा ऐसी भूमि में होना चाहिए जहाँ वर्षागत माना जहाँ हो। जहाँ भूमिपरायण गायक वीधे, सस्कंके के वीधे तथा अथवापत्ता या अथवाया या पूर्विकर्णों के वंशे नहीं होने चाहिए। चार में अथवाय (वीणल), विनीतक, तिलक, म्कुकं, हरिदु, म्गधोष या ऐसे वृक्ष नहीं होने चाहिए, निरंके नाम पावपय हो, यथा—संकेप्यातक या कोविदार। जिसने अग्नि-ध्वज किया है उसकी समाधि वैदिका की भाँति बनायी जायें। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बढ़े हो जायँगे। उसकी सम्पत्ति मृत्यु के अन्तर्गत होनी चाहिए, यह परिचय एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। विधर भूमि को किरणें न

४९. सत्यावाचभोतयुज (२८।४।२८) में मान्य है—अथवेकां कुम्भामलं विद्यामनवद्विज्ञानेः त्रिपायस विक-पनात् हविर्वाजिनः पुनर्वहेमान्तं सोमपात्रिकारध्वजानामागिन्धित इति। यद्दी शत भौषा० वि० पु० (२।१।२) में भी पायी जाती है। उपर्युक्त उक्ति में जलो हुई अस्थियों के निरखन-कृत्य की धार धियियाँ हैं—

(१) उन पुत्रों एवं शिष्यों की, जिन्होंने योत्तागिन्यां नहीं जलायी हैं, जलो हुई अस्थियों पात्र में रखकर पात्र की जाती हैं; (२) जिन्होंने हविर्जम (जिसमें केवल भात एवं मृत की आशुतिपाँ की जाती हैं) किया है, उनकी अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ की जाती हैं (श्री० ४।२०); जिन्होंने सोमपय किया है उनकी अस्थियों का पुनर्जीव दिया जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निध्वजन का परिचय द्वारा किया है उनकी अस्थियों पर ईश्वर का श्लेष बना दिया जाता है या भिट्टी का स्तूप उठा किया जाता है। अस्थि-वाय पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थियुगलार्ह की प्रथाएँ भोहूँको-दकी एवं हृष्पय के सार्यभुग के लोगों में प्रचलित थी (देखिए रामयज्ञार काव, आश्वीनांतोत्सवक तर्क आल हविष्य, मेम्पापर नं० २१, पु० १३-१४)।

पठती हो उपर ही रसिसयो का घेरा होना चाहिए। पृथिवी में इतना बड़ा गड्ढा खोदना चाहिए जो पुत्र्य-नाप के बराबर हो। और देखिए कात्या० श्रौ० (२१।१।१ एव ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्यापादधी० (२१।१।२) ने ध्यवस्था दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या श्रौष्ण मासों (ज्येष्ठ एव आषाढ) के तुरत पश्चात् आये, इँटो या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए।

शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है—देवप्रेमी लोग समाधि की पृथिवी से अलग करने नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित सख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को (जहाँ समाधि बनने की होती है) पलाश की एक शाखा से वाज० स० (३५।१ शुद्र देवद्रोही यहाँ से भाग जायें) के लम्पारण के साथ बूझा दिया जाता है और वर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इससे उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छ' बँल जोड़ता है। 'जोती' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (वर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता है। हल को दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूंड) वाज० स० (४३५।३) के अर्थात् 'वायु पवित्र करे' मन्त्र के साथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है, 'सविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है, 'अग्नि की आमा' के साथ दक्षिण में पूर्व की ओर जाता है 'सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। मनु-वैद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कूंड) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूर्वनिश्चित सख्या में ज्ञातता है। इसके उपरान्त बैला को छटका देता है (हल से अलग कर देता है)। दाहिनी ओर (दक्षिण-पश्चिम में) वह बैलो एव हल का अलग करता है।

शतपथवात् वर्ता सभी प्रकार की औपधियों या शावकों को एक ही मन्त्र (वाज० स० ३५।४) के साथ बोता है, इसके द्वारा अपने कुल के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात् एक पुद्गावस्था में ही मृत्यु पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-नात्र को उमेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि बैसा करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज० स० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी से कहता है—'साँस रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर बढो और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ लौट आओ।' तब वह वाज० स० (३५।७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० स० (३५।८-९) के साथ मृत की अस्थियों को अग-अग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अर्चिकृत इँटें, जो पुरय के पैर के बराबर होती हैं नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता)।" तेरह इँटो में एक इँट

५० अग्नि-वेदिका की इँटों पर लम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस प्राय का लच्छ २, अध्याय ३५)। अग्निचयन की इँटें मनुष्य के पैर के बराबर होनी हैं। उन पर रेखाओं की पूजा होती है। समाधि निर्माण में गुरुजनों का सम्मान होता है। शतपथब्राह्मण (१३।८।२-३) में रेखाओं एव पितरों में पुत्रत्व प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि रेखा शक्तिमान् मनुष्य की शक्तियों से पृथक् होती हैं। अग्निचयन में बहुधा पत्नी का आकार बनाया जाता है (देखिए इस प्राय का लच्छ २, अध्याय ३५)। इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पत्नी एव पुत्रों की चर्चा की है। कतिपय वर्णों एव त्रिणों की लम्बाइयों के विषय में भी व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक है। शत्रिय, ब्राह्मण एव वैश्य क्रम से पुत्र्य के हाथों (बाहुओं), मुख एवं अंघ्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०।९०।१२)। कात्या० श्रौ० (२१।४।१३-१४) ने शत्रिय के लिए एक विरुन्ध किया है अर्थात् उसकी समाधि छाती के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए मनुष्य की लम्बाई के बराबर हो सकती है।



को बर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कब्रिय वा धोतक है), तीन ईंट सामने रखी जाती हैं, जो सिर की परिधायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनो पादवं बन जाते हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की धोतक) रखी जाती हैं। तत्परचात् वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं और वहीं से तेल भंगवाते हैं; कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर भंगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है)। सामाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; स्त्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती है, ब्राह्मणों के लिए मूढ़ तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बो तक, वैश्यों के लिए अंघाओं तक तथा शूद्रों के लिए घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची सामाधि हो सकती है। जब तक सामाधि बनती रहती है, लोगो को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर सड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिधायक होता है। सामाधि बनाने के उपरान्त उस पर बर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है—“मे मेरे पाप को दूर करें (यव्य) !” कर्ता सामाधि को अन्नका नामक पीपों से ढक देता है, जिससे कि आर्द्रता बनी रहे और इसी प्रकार कोम-कता के लिए दम लगा देता है।

सामाधि के चतुर्दिक् सूँटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की सूँटी लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेंडों दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५।१० - २०) १०।५३।८) का पाठ कर चलना होता है। बर्ता अपामार्ग के पीपों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५।१२) के पाठ के साथ कर्ता अञ्जलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (द्रुमित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँसो एवं परो में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने में मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला कर और उसके चतुर्दिक् वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान् अग्नि को सुख से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० सं० (३५।१७) का मन्त्र पुरोनुवाचया (आयन्त्रणकारक सूक्त) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए है जिन्होंने अग्नि-व्रतन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। सामाधि के घेरे से एक मूट्टी मिट्टी लाकर सामाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५।१५) का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो मित्रों एवं जीवित लोगों के बीच में भेड़ का कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते।

सरयावाधत्रौ० (२९।१।३) एवं बौवा० पि० सू० (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की सामाधि के निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। सामाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे हुए अस्थि-मात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शूद्र की जाती हैं, यथा—एक घबड़े के बर्जिन (एक प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं, कई बँलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमरते हैं।

सत्यापाठ श्री० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।३-३२) जिसमें धवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोना प्रकार से धवन किया जाता है।

सोष्टचिंतियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन संक्षेप में यों है—मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यंक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध माग या बीच या पश्चिम अर्ध माग में तीन मुंह वाली पलास की खूँटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक झड़ नारी से उत्पन्न व्यक्ति या ब्रह्मबन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) कपनोपकपन के लिए बँठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है—‘क्या तुम मेरे पास रहोगी?’ वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है—‘(जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूँगी।’ यह बातचीत दूसरे दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है—‘मैं केवल एक रात्रि के लिए रहूँगी।’ यदि यह विचित्र पद्धति (धवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ समोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित उत्तर देना होता है (अर्थात् तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते हैं तो कर्ता अस्थियों को खूँटी की जड़ में रखता है और खूँटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा पड़ा रख देता है जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढँका रहता है। घड़े पर वह बाजिन मुक्त दही छोड़ता है और ‘वैश्वानरे हविरिदम्’ (तं० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चूने लगता है तो वह तं० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाठ श्री० (२९।१।२६-२९) ने व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बांधते हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूते हैं जो अस्थि-मात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसको हटा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खूँटी को परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं, चीणा बजायी जाती है, राख फूँके जाते हैं और नालिव, तूण, पगव आदि बाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, आठ मास, मास भर या वर्ष भर चलना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, धन (सोना आदि) का दान किया जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि बत्पना भी जाय तो यह इत्य केवल मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बोधा० पि० सू० (१।१७।८) का भी कपन है कि इस कृत्य में नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि को लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्री० (२९।१।५-६) के अनुसार श्मशाना-यज्ञन (श्मशान या समाधि का आयतन—लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छः तथा अन्य दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्री० सू० का कपन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रारेश (अंगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फेंला दिय जायें) या एक बितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए श्री० पि० सू० (१।१८), शौचिकसूत्र (८।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकार होती थी, किन्तु कुछ शालाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं।

एक विचित्र अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी के पोथे या लोदे (तमी समाधि को सोष्ट-ब्रिक्त कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में क्रम से ईंटें रखती थीं और सत्या० श्री० (२९।१।५३), बोधा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते थे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२=अथर्व० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तं० आ० ६।७।१)। ऋ० (१०।१८।१२) में स्तम्भों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में घृणा (घुन्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं

उनमें लक्ष्मी के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वर्णित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर केवल देना ही है कि सारिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है।

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्न में पितृमेघ एवं २९वें प्रश्न में ब्रह्ममेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर सत्या० श्रौ० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। 'चतुर्होतारः' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३।१२।५) और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ता में आया है कि सत्या० श्रौ० के २८ एवं २९ प्रश्न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वर्णित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक भारत में नहीं होता। धवन का उल्लेख बौपा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२।१।३।६) में भी हुआ है।

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अल्पेष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा— शवदाह (शव को जलाना), अस्थिबध्म एवं अस्थि पात्र को धूपियों के भीतर गाड़ना, शान्ति-कर्म एवं अस्थियों के ऊपर धमसान या समाधि निर्मित करना। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। दद्रदामन् ने समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, माई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि) खड़ी की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६, पृ० २३-२५, अग्नौ सिलालेख, सम्भवतः शक स० ५३)। अपराकं द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव को अस्थियों एवं पात्र में एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) का निर्माण कर देना चाहिए।<sup>१</sup>

सत्या० श्रौ० (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कर्म केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक अग्नि-या नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निबध्मन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या ईंटों का धमसान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबीलोनिया एवं केल्तिक ब्रिटेन में स्वामी के साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा नहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्-वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधर्मसूत्र ने स्त्रियों को पातिव्रत धर्म निवाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं।

अन्यकर्म-अधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसीको प्राथमिकता दी जाय, इस विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र (१।५।१३-१४) का कथन है कि 'पुत्रों के अभाव में सपिण्ड लोग (माई-भतीजे), माता के सपिण्ड लोग (मामा या नमेरा माई) एवं शिष्य लोग मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' दास का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-सर्पण पुत्र द्वारा हीना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या

५१. गृहीत्वास्योनि तद्भस्म नीत्वा तोष्ये बित्तिशिषेत्। ततः संभार्षेन भूमिः कर्तव्यं गोमयान्बुभिः ॥... भूमेरा-च्छदानार्थं तु वृक्षः पुष्करकोटयवा। एडूको या प्रकृतव्यस्तत्र सर्वे स्वबन्धुभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ८८६)। यही बचन त्रिशच्छ्लोकी (श्लोक २८, पृ० २५३) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी के अर्थ में लिया है और एडूक को पट्टक पत्रा है और उसे 'बरबर' (बदतारा) के अर्थ में लिया है।

मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अभाव में सगा भाई (सहोदर) श्राद्धकर्म करता है (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३३५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है—(मृत के) पुत्र, पौत्र, (मृत के) भाई की सति एव सपिण्ड की सति पिण्ड देने के अधिकारी हों हैं। मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२१ या १९।२३, सस्वरण २) का कथन है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक, इसके उपरान्त माता के सपिण्ड एव (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) पुत्रों वा पुत्र पिण्ड दे सक्ता है, नाना के लिए पुत्रिवा-पुत्र दे सक्ता है। इन लोगों के अभाव में पत्नियाँ बिना मन्त्रों के श्राद्ध-कर्म कर सकती हैं, पत्नी के अभाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।" मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते रहने एव मृत-व्यक्ति को सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मित्राक्षर एव दायभाग के मत (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)। उन लोगों में भी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रस्त-सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समयता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो सतिन के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की अन्त्येष्टि-त्रिषा एव श्राद्ध-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुधर्मसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है—जो भी कोई मृत की सम्पत्ति रिक्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना हाता है।" यहाँ बात याज्ञ० (२।१२७) ने क्षेत्रज्ञ पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसौ रिक्थौ पिण्डदाना च धर्मतः)।

स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है—'पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधिकारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एव सहपत्नियाँ होती हैं, इनके अभाव में भतीजा, भाई, पतोह, पुत्री, पुत्री का पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एव कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, पिण्ड दे सक्ता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं हाता है और न बड़ा भाई छोटे भाई के श्राद्धकर्म के योग्य माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी बन्धाओं को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (वर्तरी) के अभाव में विवाहित बन्धाओं को भी पिण्ड दे सकते हैं।

५२. पितु पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्वात्पत्न्यभावे तु सोदरः ॥ ११० (स्मृति-ध० २, पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०)। पुत्र पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्वदा भ्रातृसंततिः। सपिण्डसन्ततिर्धर्मिणः क्रियायां नृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः। मातृपशय पिण्डेन सबद्धा ये जलेन च ॥ कुलद्वेषादि चोत्सर्गे स्त्रीभिः कर्त्वा त्रिषा नृप। संघातान्तर्गतैर्विषिकार्या प्रेतस्य च क्रिया। उत्सर्गकल्पुरिषयानां कारयेदवनीपतिः ॥ विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३; अपराज, पृ० ४३३; स्मृतिध० २, पृ० ३३६; परा० मा० १।२, पृ० ४६१; गृह्यसूत्र पृ० ३८३)। विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। पुत्राभावे सपिण्डास्तु तत्रभायं सरोदकाः। मातु सपिण्डा ये च स्वयं वा मातुः सहोदकाः ॥ कुमुदेन विधि सम्पुत्रस्य सुतासुनः। कुमुंमतामहाय पुत्रिजातनयास्तथा ॥ सर्वाभावै रिक्थं कुमुं स्वभर्तृणामपुत्रकम्। तदभावे च नृपतिः कारयेत् स्वकुटुम्बिना ॥ तज्जा तौर्धर्मैः सम्पादाहाद्याः सक्ताः क्रिया। सर्वेषामेव वर्णानां धान्ययो नृपतिर्धर्म ॥ मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२४ स्मृतिध० २, पृ० ३३६; परा० मा० १।२, पृ० ४६३)। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।०।७६-८०)।

५३. मृतस्य रिक्थघ्राहिणा देन केनापि राजपर्यन्तेनोपचर्देहिक दशाहान्तं कर्त्तव्यम्। तथा च विष्णु—  
परदार्यहृः स पिण्डदायो स्मृत इति। व्यवहारमयुष (पृ० १४५)।

पुत्री वा पुत्र एव नाना एव-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं, इसी प्रकार दामाद और श्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवधू सास को पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को गृह शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायभाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों के क्रम के लिए देखाए इस ग्रन्थ का सण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एव दत्तक ही आस्थापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखाए याज्ञ० २।१२८-१३२), इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है—औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एव दत्तक पुत्र। कई पुत्र हो तो ज्येष्ठ को ही केवल अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतिन ही तो उसने पश्चात् वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे छोटे को नहीं)। यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तंत्र के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य माइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु धार्मिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते हैं तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि धार्मिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चात्-बाला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य—१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ माई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डीकरण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा माई या कोई अन्य व्यक्ति भासिक, ऊनभासिक, सपिण्डीकरण श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुत्र करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उस तीन वर्ष का अवश्य होना चाहिए और उमरा चूडाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।१, पृ० ४६५, निर्णयसिन्धु पृ० ३८२, मदनपा० पृ० ४०३)। मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को वह सकता है जो माता-पिता ने श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह वैदिक मन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल धवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्त्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शश्राद्ध एव महालय का केवल सकरूप कर लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वसाज) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्वयेष्टि-कर्म, धार्मिक एव अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अलग न हुआ हो, या वह अलग होकर पुत्र सम्युक्त हो गया हो, पत्नी को ही (माई को नहीं) श्राद्धकर्म करने में बरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति माई की ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पश्चात्कालीन ग्रन्थ, यथा—निर्णयसिन्धु एव धर्मसिन्धु (मार्यायापि समन्तकमे-वोष्वंदंष्टिकादिक कार्यम्) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्वयेष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, यथा—मार्कण्डेयपुराण एव ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को श्राद्ध करने का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुत्र सम्युक्त न हुआ हो। यदि मृत सम्युक्त रहा हो तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को बरीयता प्राप्त होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है, इसके उपरान्त भाई और तब भतीजा। माइयों में सोदर को सोतेले माई से बरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एव कनिष्ठ भाई हो तो छोटे को बरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एव पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो सोतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को बरीयता प्राप्त होती है, क्योंकि सगौत्र को असगौत्र से बरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी होता है, इसके

उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन। अपनी बहिनो, सौतेली बहिनो, छोटी एव बड़ी बहिनो के विषय में वे ही नियम लागू होते हैं जो माइयो के विषय में है, बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र अधिकारी होता है। यदि बहुत से भानजे हो तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसक उपरान्त चाचा, चचेरा माई, अन्य सपिण्ड लोग आते हैं, तब समानोदक तथा कुलात्मन् अन्य लोग अधिकारी होते हैं।" इन लोगों के अभाव में माता के सपिण्ड लोग, यथा—नाना, मामा एव ममेरा माई, माता के सपिण्डो के अभाव में भूआ या मौसी के पुत्र, इनके अभाव में पितृबन्धु, यथा—पिता की भूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र, इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा—माता की भूआ के पुत्र, इनके अभाव में मृत का पिण्ड, पिण्ड के अभाव में मृत के दामाद या श्वसुर, इनके अभाव में मित्र, मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की सपत्ति ग्रहण करता है, यदि मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर अन्य उतराधिकारी होने की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया एव धादकर्म कराता है।

धर्मसिन्धु (पृ० ३७०) में स्त्रियो के विषय में श्वादाधिकारियो का क्रम यो है—कुमारी कन्या के विषय में पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके माई आदि, यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र, इनके अभाव में पति, पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र, इसके अभाव में देवर, तब देवर का पुत्र, इसके अभाव में पतोह, तब मृत स्त्री का पिता, तब उसका माई, इसके उपरान्त उसका मतीजा तथा अन्य लोग।

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का धाद पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य धाद-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एव माता या चचेरे पितामह उपाध्याय एव आचार्य के शरो को दो सकता है, शवदाह एव अन्य क्रियाएँ कर सकता है यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हा तो उसे उपर्युक्त लोगों का धादकर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पांच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य धादकर्म नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशौच मानता है। अशौच क दिन में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कार्य बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाला अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न उनके साथ निवास करना चाहिए, यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार से अभियुक्त होना पड़ता है।

यह निश्चित-सी बात है कि बोधायन, लिंगपुराण (धादप्रश्नार, पृ० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, पितृ-द्विधा (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थो ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस पर हम आगे धाद के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो

५४ यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के शोच का होता है, किन्तु उसे एक ही पुण्य पूर्वक से सातवीं श्रेणी के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदक का तात्पर्य है आठवीं श्रेणी से लेकर चौदहवीं श्रेणी तक का समान शोच वाला, जिसके पूर्वक एक ही पुण्य पूर्वक के हों। शोचक का अर्थ है मृत के ही शोच का कोई सम्बन्धी जो एक ही पूर्वक से चौदहवीं श्रेणी के उपरान्त अल्प हुआ हो।

वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पूषण कर दिया जाता है (देखिए दस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८)। गीतमधर्मसूत्र (२०।२) एव मनु (१।१।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों को उसके सारे अन्त्येष्टि-कर्म सम्पादिन कर देने चाहिए, यथा—जल-तर्पण एव धाद करना तथा अशौच मनाता।<sup>१</sup>

बहुत से टीकाकारों एव निवन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयी हैं, पूर्व, मध्यम एव उत्तर। शवदाह से लेकर १२ दिनों तक की क्रियाएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एव एकोद्दिष्ट नामक धाद मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एव मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, ममानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वार्षिक दिन पर एकोद्दिष्ट धाद-कर्म किया जा सकता है। धादों को अथ प्रकार की श्रेणियों में भी बाँटा गया है, यथा—नवधाद (मृत्यु के पश्चात् दस दिनों के कृत्य), नवमिध्र ऐसे कृत्य (जो दस दिना के उपरान्त छ ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के उपरान्त किये जाते हैं।)

जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुराण पर स्थापित एक पत्थर पर एक अजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणामुख हो तथा यतोपरीत को दाहिने कंधे पर रखकर (प्राचीनार्योत्त) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुशा पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि ने मुक्त हो सके। पिण्ड पर तिल-जल, भृगराज की पतिघों एव तुलसीदल छाड़ा जाता है। इसके साथ 'अनादिनिधनो देव शल्लकऋगवाधर। अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान करता है। दस दिना की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एव अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत)। इसके अतिरिक्त आश्वलायनगृह्यपरिनिष्ट (३।६) ने पाँच धादकर्मों के नाम दिये हैं, जिन्हें नवधाद (या विषम धाद) की सजा मिली है और जो क्रम से विषम दिना में, यथा—पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एव नवें दिन सम्पादित होते हैं। इनमें बिना पका भोजन दिया जाता है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३४।३६) के मत से छ धाद पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक विषम दिनों में होते हैं, आपस्तम्ब के मत से (धर्मसिन्धु पृ० ४६४, निर्णयसिन्धु पृ० ५८८, शुद्धिप्रकाश पृ० २१४-२१६, धादतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अगिरा एव वसिष्ठ न विषम दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छ नवधादों का उल्लेख किया है। बी० पि० मू० (२।१०।६) ने पाँच की सहाय दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी मिश्रित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनुमति नहीं देते। कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवधाद वे धाद हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्राम-स्थल पर एक अग्निमन्त्र चयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एव बृहद-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवधाद सम्पादित न हो जायें। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड ३४।२७-२८, ४४, ४८) का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा

सूक्ष्म वायु मे ही सतरण करता रहता है। नवश्राद्धो के विषय मे बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानानुसार से यहाँ नहीं दे रहे हैं। नवश्राद्धो के विषय दिनों मे दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का। पशुपुराण (सृष्टिसिण्ड, १०।१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्राद्धो के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने पर चान्द्रायण प्रत करना पडता है।

आधुनिक काल मे शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओ तथा अस्पिसचयन की क्रियाओ के पश्चात् मृतात्मा के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पादित हुए थे, वहाँ वह सकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है—'यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका यह नाम है, यह गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एव प्यास मिट जाय।' इसके उपरान्त वह तिल-जल देता है। भृगराज एव तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिघन' आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरमुरी मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूर्ण से सँवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घडे रखता है उनमे प्रत्येक पर भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घडे की प्रार्थना करता है—'यह पिण्ड जलपूर्ण पान के साथ इस नाम एव इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एव प्यास मिट सके।' पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एव उत्तर के घडा के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हे प्रेत ने मिन बनाया था तथा यम, कौओ एव रद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी है, कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन घडा का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घडे के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते है और अन्यो को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी पर चन्दन, छत्र, झडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात् पश्चिम मे रखे पिण्ड को जब तक कोई वीआ ले नहीं जाता था वा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है। तब अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल मे फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियो से प्रार्थना करता है, और वे एक अञ्जलि मा दो अञ्जलि जल जलाशय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात् परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एव नख कटाते हैं। सब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिल एव तिष्यपला से स्नान करते हैं, पवित्र एव सूसे वस्त्र धारण करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते है।

कुछ पुराणो एव निबन्धो का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक सारो धारण

५६. आधुनिक काल मे कौए द्वारा पिण्ड-भोजन को देने या उस पर शोध लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छूता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकीसा रखता था और वह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कौआ पिण्ड शीघ्र ही छू लेता है तो ऐसी स्थिति मे सम्बन्धी ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी की सारो अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थीं। श्रुतिकीमुदी (पृ० १३५) ने कारुबलिरान की प्रथा की ओर श्वेत किया है—तथाचारात् कारुबलिदानम्। पिण्डदोषमन्न पात्रे कृत्वा अमुकगोत्रस्य प्रेतस्यामुञ्जगामंशो विशेषतुप्तये यमद्वारोपस्थितवापसाय एष बलिनं मम इत्युत्सृज्य कृताञ्जलि—कारु त्व यमद्वारोसि गृहाण बलिमुत्तमम्। यमलोकागत प्रेतं त्वमाप्यापयितुमर्हसि ॥ कारुया कारुपुरयाय वापसाय महारमने। सुम्प बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य सृष्टिहेतवे ॥

५७. सरलगादेव गुह्यति शरीरमातिवाहिकम्। ऊर्ध्वं वज्रन्ति भूतानि त्रीभ्यस्मात्तास्य विग्रहाम् ॥ आति-



कर लेता है, जिसमें पाँच तत्वों में अब केवल तीन तत्व बच रहते हैं, अर्थात् अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं अन्य जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा वर्षों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाता है। इसलिए वेदान्तसूत्र (५।३।४, आतिवाहिकस्तीन्लगात्), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों में आत्मा को अर्चियो, दिन आदि के मार्ग में जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अर्चियो, अहं आदि) अप्यक्ष-रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमशः मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात् आतिवाहिक या प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस भूत व्यक्तिके लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए विनाश की स्थिति में रहता है।<sup>१५</sup> जिससे यह आगे अग्रणीत श्राद्धों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनीय (वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक को सजा दी है और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एवं तेज से बना है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तर्निहित धारणा यह रही है कि जब तक मृतारमा पुनः शरीरी रूप में आविर्भूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में

वाहिकसंशोभती देहो भवति भार्गव। केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां भवति ॥ प्रेतपिण्डंस्ततो दत्तं देहमाप्नोति भार्गव। भोगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्। इमाशानिकेभ्यो देवेभ्य आकर्त्तव्यं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीलकृतातपोद्भवानः। ततः सपिण्डीकरणे बाण्यवः। स कृते नरः। पूर्णं संवत्सरे देहमतोन्व्यं प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके पारि स्वर्गं वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्रायः ६०, पृ० १३-१४ एवं शुद्धितत्व, पृ० ३२४)। गोविन्दानन्द ने 'त्रोणि भूतानि' को 'पृथिव्यन्तेजासि' के अर्थ में लिया है और इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। पद्मपुराण (प्रेतलक्ष, १०।७९) ने भी यही बात कही है—'उत्कामस्तं... ज्ञानवन्धुवः ॥ आतिवाहिकमित्येवं धार्यवोर्धं भवन्ति हि।... पुत्रादिभिः कृतारचेत्सु' पिण्डा दशवाहिकाः। पिण्डजेन तु देहेन वायुजश्चकतां व्रजेत्। पिण्डतो यदि तं स्वप्नात्मजोर्हति यातनाम् ॥' प्रथम पद्य गीता का है (१५।१०)। ब्रह्म० ने कहा है—'विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम्। अन्यच्छरीरमावृत्ते यातनीयं स्वकर्मजम् ॥... स्वशरीरं समस्तुज्य वायुभूतस्तु गच्छति। (२१।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किञ्चिदासाद्य देही प्राणविमुच्यते। अन्यच्छरीरमावृत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः ॥ अग्निपुराण (२३०।२-३); गृह्णाति तत्तन्नाद्येभ्यो शरीरं आतिवाहिकम्। आकाशावापुतेजासि विप्रहागुर्ध्वंगामिनः ॥ जलं महो च पञ्चत्वभाषयः पुरुषः स्मृतः। आतिवाहिकदेहं तु यमकृता भवन्ति तम् ॥ अग्नि० (३७।१९-२०)। मार्कण्डेय० (१०।६३-६४) का कथन है—'वाय्वभ्रशरीरं तद्रूपं देहमन्यं प्रपद्यते। तत्कर्मजं यातनार्थं न मातापितृसम्भवम् ॥'

५८. यद्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि घोडशः। पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तं श्राद्धशरैरपि ॥ धम (भारुनिवा कीमुदी), पृ० ३६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्त्वार्यकीमुदी)। यही पद्य लिखितस्मृति (५।१६) एवं गृह्यपुराण (प्रेतलक्ष, ३४।१३१) में भी पाया जाता है।

गाढने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता था। सूक्ष्म धारीर का निर्माण क्रमशः होता है (मार्कण्डेयपुराण १०।७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। यद्यपि ऐसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा मचीन धारणा है। इसकी ओर सकेत आरम्भिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका अनुवाद इन अध्याय में हो चुका है)। यद्यपि तै० सं० (१।८।५।१-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है कि पूर्वज गित्-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को भोजन एवं भेंटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्मभोज पर्याप्तकालीन धारणा है और मृत को आहुतियों या पिण्डों के रूप में भोजन देना मौलिक धारणा या प्राचीन विधि है।

## अध्याय ८

### शुद्धि

शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच, किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का निवेदन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत अशौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है—'वेदबोधित-कर्मार्हता शुद्धिः' अर्थात् वेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन को दत्ता या उन्हे करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है। स्मृतियाँ 'शुद्धि' शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३=दश ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में तृतीय अध्याय का आरम्भ इस पोषणा से हुआ है—'मै जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करेंगे।' याज्ञ० (३।१४।२५) में भी 'शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०) के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) निषेधायक अव्यय से संयुक्त 'शुचि' से निर्मित हुआ है। कुछ स्मृतियों (या देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (हारलता, पृ० २।९ एव ३६)। 'आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द 'अश' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं १०।११।७६) में 'अश' का अर्थ है 'पाप'। किन्तु शांसायन श्रौ० (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ 'न वधेदेवाहाति') में 'अश' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६९।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, मूत्र आदि निकलता रहता है।

मिता० (याम० ३।१) ने आशौच को मुख्यतः आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अभ्यगण तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच धार्मिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-उत्पन्न आदि धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गङ्गपुराण (प्रेतलण्ड, ५।९) की प्रतिपत्ति है और सम्भवतः 'संग्रह' नामक ग्रन्थ के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गीतम० १४।१) ने 'आशौच' को धार्मिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की

१. इगन्ताश्च लघुपूर्वात् (पा० ५।१।१३१; अम् अनुवर्तते)—शुचेर्भावः कर्म वा शौचम्। न शौचम् अशौचम्। इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं—न शुचि अशुचि, अशुचेर्भावः कर्म वा आशौचं वा अशौचम् (देखिए पा० ७।३।३०=अजः शुचीश्वरलोत्रककुसालनिपुणानाम्)।

२. अन्ते मरणे नित्यमाशुच्यमनुभावति। देवल (हारलता, पृ० २); आशुच्यं शशरत्रं तु सर्वत्राप्यपरे विदुः। देवल (शुद्धि०, पृ० ४१)।

हीनता, अमोघ्याप्रता (ऐसी स्थिति जिसमें कितों का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक मट्टाचार्य ने 'शुद्धि' को 'पाप क्षय करने' या 'धार्मिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु पद-सोपिति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने भी 'आशीच' की दो विशेषताएँ बतायी हैं, यह धार्मिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रघुधर ने कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुद्धि' वह विशेषता है जो 'शुद्धि' की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है।

आशीच के दो प्रकार हैं, जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशीच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, जिसे शावाशीच, मृतकाशीच या मरणाशीच कहा जाता है। 'शाव' शब्द 'शव' से बना है। 'सूतक' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्भवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान् अग्नि के लिए आठ कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रापश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है 'सन्तति या पुत्र', अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है, (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५।५८), (२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि—(दश ६।१ एवं गोमिल० ३।४८)।

एक प्रश्न उपस्थित होता है—जन्म एवं मरण पर आशीच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर क्यों आती है? इस प्रश्न पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। हारीत का कथन है—कुल को मरणाशीच होता है, क्योंकि मरण से वह अभिभूत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है।

आशीच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। मूत्रो, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में

३. आशीच त्रिविधं कर्मानधिकाररक्षणं स्पृश्यत्वलक्षणं च। स्मृतिमु० (पृ० ४७७)।

४. तदाहृत्यं आहिताग्निर्भेदि सूतकारं प्रादानीयात्का तत्र प्रापश्चित्तिरिति। सोऽजये तन्तुमतेष्ट्याकपालं पुरोडाशं निषेपेत्स्य पाश्यामृवाशये तन्तु तन्वन् १जसो भानुमन्विष्टशानहो मह्यतनोत सोम्या इति। आहुतिं बाहवनीये ऋतुपरश्वने तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२।८)। 'तन्तु तन्वन्' एवं 'अशानहा' कर्म से ऋग्वेद की १०।५३।६ एवं १०।५३।७ ऋचाएँ हैं।

५. सूतके कर्मणां त्पागं सम्पादनीनां विधीयते। होमः धीतस्तु कर्तव्यः शुक्लाग्नेनापि वा कर्तुः॥ गोमिल स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हारलता, पृ० ६, दृ० की० एवं ब्राह्मण० पृ० ८३)। सूतकं तु प्रब-क्ष्यामि अगममृन्मुनिमित्तकम्। पाषण्डिजोऽप्यतुतुं तु यथाशक्तनुपूर्वकाः॥ दश (६।१); अस्मिन्नामसामे पार्थानि शक-सान्मुपतयावृता। भर्त्रेयैरस्मिन्संस्थानि ततः प्रभृति सूतकम्॥ गोमिल० (३।४८)। अन्तान् कर्तुं यथा पाठ हारलता (पृ० २) द्वारा उद्धृत है।

विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से हटने निम्न हैं कि मिताशरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वर्षों के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बँटाने में असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।<sup>१</sup> मदन-पाणिजात (पृ० ३१२) मिताशरा का समर्थन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि (८३), पराशर (३।५) एवं दश (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौतानियों नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूट दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हृदय, गीतम० के १४।१ की टीका में) के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौतान्मिहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल ब्राह्मण है (अर्थात् न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शाखा० श्रौ० एवं मनु ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४)। यह सम्भव है कि श्रोत्रिय लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हो और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए हो, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान् हो या न हो और अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिबज्ज्यों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)।

अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दश (६।७), याज्ञ० (३।२२), अत्रि (८५), सप्त (१।५२-३), मत्स्यपुराण (१।१२-३), ब्रह्मपुराण (३२०।६३), विष्णु० (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, श्रोत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गीतम० (१।५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशौचावधि दी है, किन्तु वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० भण्डारकर ने अपने "नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों" के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, १९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण १० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोकनीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों का बनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी

६. इत्येवमनेकोन्वायद्वाशौचकल्पा वशिता। तेषां लोके समाचाराभावात्प्राचीन व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति नाम्न्यवस्था प्रदर्शयते। मिता० (३।२२); लोकसमाचारावनादरणीयमिति केचन। अथवा देशाचारात्तो व्यवस्था। उत गुणवदगुणवद्विषये यथाक्रम न्यूनाधिककल्पाभ्येन निर्वाहः। किंवा आपवनापद्भवेन व्यवस्था। मदनपाणि० (पृ० ३१२)।

वाला एक दिन में गुड़ हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यद् अन्य स्मृतियों के विरोध में पढ़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (स्वयम्भू ११०० ई०) के बहुत से वर्णित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्धु (सन् १९१२ ई० में प्रणीत) ने कहा है।

मिताक्षरा (पाठ० ३।१८) ने धोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पढ़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्युपसंसार ने भी विज्ञानेश्वर की बातें नहीं मानी हैं।

उपयुक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में वर्णित बातों को लेकर आशौच के अन्तर्गत बहुत से विषयों के बारे में कुछ विरोध कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इन विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है—प्रथमतः वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। आशौचाष्टक (वररुचि द्वारा लिखित) ने आठ स्रग्धरा श्लोकों में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अग्रगत टीकाकार हैं जिन्होंने गीतमयमंमूत्र के मस्केरी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ० ३५ पर की है। आशौचदशक या दशरत्नोकी नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई बड़ी जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। मण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के सग्रह में इसकी कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो सवत् १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थी, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञानेश्वर—योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु में दुग्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचाष्टक स्व० डा० राम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मंसूर यूनि० संस्कृत प्रकाशन, स० ५६)। रघुनाथ की टीका के साथ त्रिशूलोकी में आशौच पर ३० स्रग्धरा छन्द हैं। कौण्डिन्यादित्य की षडशीति (अनुष्टुप् छन्द में ८६ पद्य) विनायक उर्फ नन्द पण्डित (सन् १६०० ई० के लगभग) की दुग्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार दुग्धिकौमदी (गोविन्दानन्द वृत्त), रघुनन्दन वृत्त दुग्धितत्व, दुग्धिपकाश (मित्र मिथ के वीरमित्रोदय का एक अंश), नीलकण्ठ का दुग्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने ग्रन्थों के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे।

आशौचावधिर्वा कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थी। जन्म एवं मरण की अपुद्धि में भिन्नता मानी गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात् वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती थी। इनका ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्भर थी। यह जाति पर भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या बही दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी निर्भर थी, और यह भी देखा जाता था कि कितने दिनों के पश्चात् जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी ने कानो तक पहुँचा। निम्न बातों में अपुद्धि की स्थिति विभिन्न रूपों में देखी जाती थी—सूतिका (हाल में बच्चा जन्मी हुई नारी), रजस्वला, मरणानुद्धि, जमानुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी)।

दस (५।२-३) ने आशौच के दस भेद बताये हैं, यथा—तात्कालिक शौच वाला (शेबल स्नान करने में समाप्त), एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन मर।\* दस ने इन सभी

आधीचाबधियों को समझाया है। मरणान्त आरौच (वह आरौच जो जलकर मसम हो जाने तक चले) के विषय में दस (६।८-१०) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये भोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये ऐसा करते हैं वे जीवन भर आरौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्यं (लोभी, अर्थात् जो धन के लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धार्मिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋषी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पित्रों का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों से व्युत्) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की मुट्ठी में है, व्यसनसक्त-चित्त (जुआरी, वेदशागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नीकर आदि) है तथा श्रद्धा-त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधार्मिक एवं दया-शक्तिष्य से हीन) है, वह मरणान्त या मसमान्त (मसम हो जाने अर्थात् मर जाने के उपरान्त चित्ता पर राक्ष हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।<sup>१</sup> इन शब्दों को यथाशुद्ध धार्मिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का समर्पण नहीं करना चाहिए (अर्थात् यह केवल अर्थवाद है जो मरसंता मान प्रकट करता है)।

अथ हम जन्म होने पर उत्पन्न आरौच का वर्णन करेंगे।

वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (३३।२) में वर्णित घृणरोप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; 'जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है)।' और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है—'अतः बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।'<sup>२</sup>

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को श्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्भ गिरने को पात तथा सातवें या इसके पश्चात् के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है (परारार, ३।१६ एवं वदशीति, श्लोक ९)। श्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों पश्चात् वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आधीच माता को न छूने तक है, श्राव में केवल पिता को भी अशुद्धि लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिव्रात, पृ० ३८०-३८१) सूतक लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णों में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या याज्ञ० (३।२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवल

आम्यद् ब्रह्म पसास्तु सूतके। दश (६।२-३)। देखिए विश्वकथ्य (पात० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपरारकं (पृ० ८९४); परा० मा० (१।२, पृ० २०७)।

८. अस्नात्वा चाप्यहृत्वा च ह्यवत्वा येतु भुञ्जते। एवंविधानां सर्वेषां वायव्योर्ध्वं तु सूतकम् ॥ व्याधितस्य कर्ष्यस्य ऋणप्रस्तस्य सर्वदा। क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनसक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः। अज्ञात्यागविहीनस्य मसमान्तं सूतकं भवेत् ॥ दश (६।८-१०; विश्वकथ्य, पात० ३।३०; कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १५; हारकता, पृ० १४; अपरारकं, पृ० ८९३)। वदशीति का अन्तिम श्लोक उपयुक्त प्रथम श्लोक के समान ही है। कूर्म-पुराण (उत्तर, २३।९) में व्यवस्था दी है—'क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिन एव च। यथेष्टाचरणस्येह मरमान्त-अधीचकम् ॥' (हारकता, पृ० १५)।

९. अजनि च ते पुत्रो यवस्य माग्नेनेति। स होवाच यथा मे यदुनिर्वृतो भवत्यथ स मेभ्यो भवति। ऐ० मा० (१।३।२)। तस्माद्दत्तं ज्ञातं बसरासीर्न कुर्वन्ति। तं० मा० (२।१।१।३)।

तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशीच मनाते हैं (धर्मसिन्धु, पृ० ४२७)। यही निरूप्य कुछ भेदों के साथ गौतम (१४।१५-१६), बौधायन ४० सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५।६६), याज्ञ० (३।२०) एवं आशीचदशक (प्रथम श्लोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।१९)। प्राचीन बाल में पिता के जननाशीच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० ४० सू० १।५।१२५-१२८)। यद्यपि जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) धार्मिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनांतर (जनन के उपरान्त कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती। प्रचेता के मत से सभी वर्षों की स्त्रियाँ बच्चा जनने के दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि में उपरान्त जननाशीच नहीं रहता। यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर में बच्चा जने तो माना-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशीच मानना पड़ता है (धर्मसिन्धु पृ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या माई को अशुद्धि नहीं लगती। जब सगोत्रों को जननाशीच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (पडशीति, श्लोक ६)।

बुद्ध सामान्य नियमों में विषय में यहाँ बहना आवश्यक है। जब बौद्ध ग्रन्थ 'अह' (दिन) या रात्रि में आशीच की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशीच के दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशीच के दिन का आरम्भ समझ लेना चाहिए (आशीचदशक, श्लोक ४, कूर्म, उत्तरार्ध २३।५२)। पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है—'यदि कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पण करना चाहिए और आशीचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्षों के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना चाहिए; यदि आशीचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक 'आशीच' का पालन करना चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है—'यदि कुल में जनन एवं मरण की बातें श्राव्य न हो और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।'

अब हम मरण के आशीच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी धर्मशास्त्रकारों में मतभेद नहीं है, अतः परबाल्कालीन ग्रन्थों (यथा धर्मसिन्धु) का ही हम विरोधतः उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशीच से व्यक्ति अस्पृश्य एवं धार्मिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः कहा है कि मरणाशीच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशीच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१)। यदि बच्चा दांत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशीच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ० ३।२३; दश १५।४; अत्रि ९५ एवं आशीच-दशक, श्लोक २)। यदि बच्चा दांत निकलने के पश्चात् किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व अर्थात् तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशीच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३।२३, दश १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति में माता-पिता को तीन दिनों का आशीच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों) के पश्चात् और उपनयन या विवाह (लड़कियों के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशीच मनाते हैं, किन्तु समाप्तोदक लोग स्नान के उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (पौतम १।११; मनु



५।५९, आशौचदशक, २) एव समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैं। दूर्ध्व में तीन वर्ष के उपरान्त एव विवाह या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (धूम्र के विषय में) के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त एव बागदान के पूर्व मरने पर माता पिता को तीन दिनों का एव तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना चाहिए। यदि बागदान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता ने सपिण्डों एव होनेवाले पति को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियो एव दूर्ध्व के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त ही जाय या १६ वर्षों के उपरान्त (यदि धूम्र अविवाहित हो) तो सभी सपिण्डों की आशौचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता के यहाँ मर जाय तो माता पिता, विमाता, सहोदर माइयो विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को जो एक ही घर में रहते हैं एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने पिता के घाम के अतिरिक्त नहीं और मरती है तो माता पिता को पक्षिणी (दो रात एव मध्य में एक दिन या दो दिन एव मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ विष्णुधर्मसूत्र (२२।३२-३४) का बचन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता पिता को आशौच नहीं लगता किन्तु जब वह पिता के घर में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता पिता या विमाता के मरने पर यदि दस दिन न बीते हो तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना होता है (याज्ञ० ३।२१, उत्तर भाग)। यदि विवाहिता स्त्री अपने माता पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर मुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है यदि मृत्यु किसी अन्य घाम में होती है तो आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के माइयो एव बहिनो एवं अपनी बहिनो के लिए भी प्रयुक्त होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शूद्र हो जाती है। यदि मामा मर जाता है तो मानजा एव मातजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा भानजे के घर में मरता है तो भानजे के लिए आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य घाम में मरता है तो एक दिन का होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो भानजे एव मानजी को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एव मामी को तीन दिन का आशौच होता है। यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच लगता है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य घाम में मरे तो उन्हे एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर नाती एव नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ भतीजी एव पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत दैहिक की मृत्यु पर नाना एव नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौच लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एव विवाहित स्त्री ही माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशौच मनाते हैं (अर्थात् उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम मालम करते हैं)।

दामाद के घर में स्वशूद्र या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच लगता है। दामाद की मृत्यु पर स्वशूद्र एव सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान से शूद्र हो जाते हैं, किन्तु

समुराल मे मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनों का आशीच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन-संस्कृत हो) एक दिन का आशीच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य धाम मे मर जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है।

माँसी के मरने पर व्यक्ति (पुत्र या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशीच करना चाहिए; यही नियम फूफ़ी के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफ़ी पिता की विमाता-बहिनि हो तो स्नान ही पर्याप्त है। मतीजे के मरने पर फूफ़ी स्नान करती है। यदि फूफ़ी या माँसी व्यक्ति के घर मे मर जाय तो आशीच तीन दिनों का होता है।

बन्धुओं के विषय मे, जिन्हे मिता० (याज्ञ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार<sup>१</sup> के होते हैं, आशीच एवं पक्षिणी का होता है, जब कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो, किन्तु जब बन्धु उपनयन-संस्कार नष्ट बिये रहता तो आशीच एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर मे मरता है तो आशीच तीन दिनों का होता है। जब फूफ़ी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप मे मरती है तो आशीच एक दिन का होता है, किन्तु जब वह अविवाहित रूप मे मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं मे स्वयं व्यक्ति एवं उसके तीन आत्मबन्धुओं के बीच मे एक-दूसरे की मृत्यु पर आशीच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं मे दूसरा नियम पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं मे कोई मरता है तो उसे आशीच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके पितृबन्धु एवं मातृबन्धु आशीच नहीं मानते।

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशीच करना पड़ता है (व्यवहारमयूस यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का।

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशीच मानना पड़ता है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता के सपिण्ड केवल एक दिन का आशीच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला अपने जन्म-कुल मे ही रहता है। किन्तु जब सर्गात्र सपिण्ड या शमानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशीच १० दिनों या तीन दिनों का होता है।

जब आचार्य<sup>१</sup> मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशीच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे धाम मे मरता है तो एक दिन का (गौतम० १।४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५।८०)। आचार्यपत्नी एवं आचार्यपुत्र की मृत्यु पर एक

१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु। इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण तीन दशकों (त्रयोपयन या शातातप द्वारा प्रणोत) में बिये हुए हैं—आत्मपितृव्यसुः पुत्र। आत्ममातृव्यसुः सुताः। आत्ममातृसपुत्राश्च विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥ पितुः पितृव्यसुः पुत्राः पितृमातृव्यसुः सुताः। पितृमातृसपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः॥ मातुः पितृव्यसुः पुत्राः मातृमातृव्यसुः सुताः। मातृसपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः॥ मिता० (याज्ञ० २।१३५); व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० मा० (३, पृ० ५२८); मदनपा० (पृ० ६७५)। अन्य विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९।

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसूत्र एवं उपनिषदों के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विह कहा है जो आनघापायन, पाकघर्षा एवं अग्निष्टोम जैसे पुत्र घर्षा के सम्पादन के लिए चुना जाता है।

दिन का आशीच निरिषत किया गया है।" गृध (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यु पर तीन दिनों का और जब वह किसी अन्य ग्राम में भरता है तो एक पदिणी का आशीच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशीच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक् (यमित्य पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१५।१९-२०) जो सहाम्नायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का आशीच निर्धारित करता है।

आचार्य एवं ऋत्विक् की मृत्यु-सम्बन्धी आशीच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों में इतना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के समुद्र था।

जब संन्यासी भरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत यदि एवं ब्रह्मचारी को आशीच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ० (३।२५), विष्णु० (२२।२५) एवं शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा को मृत्यु पर तिस दिन या रात्रि में वह भरता है, उसके दूसरे दिन या रात्रि तक आशीच मनाया जाता है।

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशीच में रहता है। आप० ष० सू० (१।३।९।१४) के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताकल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु (पृ० ४३२) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है।

धार्मिक कृत्य-सम्बन्धी सुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि सुद्धितल्लव (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५२८) ने इतना तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई घूँट, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इषपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना चाहिए।

अतिक्रान्ताशीच (निर्धारित अवधि में उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशीच) का सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेह में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशीच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही आशीच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ० ३।२१; शंख १५।११; परस्कर गू० (३।१०)। आशीच व्यक्ति की क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धिपों के पास बन्ध पत्र भेजते हैं और विसी निरिषत त्रिपि पर ही सोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन)। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छप्प के द्वारा असुविधा से बचवा होता है तथा शास्त्रों को आज्ञाएँ पालित-सी समझी जाती हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे

१२. आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुर्यसहाम्याविशिष्येज्वतीतेत्वैकरात्रेण। विष्णुधर्मसूत्र (२२।४४)। 'श्वशुर्य' का अर्थ है साला। मनु (५।८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा श्रोत्रिय की मृत्यु पर तीन दिनों के आशीच की व्यवस्था दी है। यही बात गौ० (१५।२६) में भी पायी जाती है।

उसी दिन से दस दिनों का आशौच रक्षना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्विसंभयन से पूर्व ही समाचार पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पू० ५३४)। दस दिनों के उपरान्त सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधिषो के विषय में मतैक्य नहीं है। मनु (५।७७) के मत से यदि जनन एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिले तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-क्षर्षण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने अनुमान निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु ने मिता० का अनुसरण किया है। मनु (५।७६), शाल (१५।१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण-समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशौच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में बृह-वसिष्ठ ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर सन्देश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छ मासों के भीतर सन्देश मिलने से एक पक्षिणी का आशौच लगता है, छ मासों के उपरान्त नौ मासों के भीतर सन्देश सुनने से एक दिन का तथा नौ मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१) ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पंथीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्धरण दिया है कि जब भी बन्धु विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का सन्देश सुनता है; एक वर्ष के भीतर या उसके परचात्, तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघु-आश्वलायन (२०।८८) ने भी यही बात बही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। धर्मसिन्धु (पू० ४३३) का कथन है कि उपनयन-संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो एक या तीन दिनों का आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते। इसी प्रकार समानोदकी के लिए निर्धारित तीन दिनों की अनुद्धि पर अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि में उपरान्त भी स्नान करना आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम लागू है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त भी, चाहे मृत्यु परदेस में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता-पिता और स पुत्र की मृत्यु का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देस में रहनेवाले सपिण्ड भी मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आशौचावधि हीन दिनों की होती है, छ मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच लगता है। इस विषय में भी अनेक मत हैं, यथा माघव एवं अन्य लोगों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश (पू० ४९-५१)।

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देस में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विमाजित अन्य देस में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने बही एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है कि किसी परदेसी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा ननुषक या वेषानस (वधवासी पति) या सन्ध्यासी की मृत्यु पर स्नान

मान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोन सपिण्डों के लिए लागू होता है।<sup>१</sup> षडशीति (३५) में भी ऐसा ही आया है।<sup>२</sup> 'मिता० ने बृहस्पति के दो श्लोको का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिभाषा दी है—'जहाँ बड़ी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक् करता हो या जहाँ की मायाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कहलाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चाँलिस या तीस योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।'<sup>३</sup> इस विषय में सर्व्वव्यय नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति-ष० एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यो के विभिन्न मत हैं। शुद्धि विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत एवं भाषा-भेद सम्मिलित रूप से देशांतर बना देते हैं। स्मृत्युपसंसार का कथन है कि स्मृतिषो, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वर्णित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५।

धर्मसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हो और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों का आशौच होना है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और बाद की उसका पुतला जलाया जाय तो पुन एव पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब सदेस मिलने पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में त्रय से तीन दिनों का आशौच या स्नान-भाद्र पर्याप्त है।

गृहकारिका, स्मृत्युपसंसार (पृ० ९४), धर्मसिन्धु एवं अन्य ग्रन्थों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समाचार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्, या जब मुदावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह अघेष्ट अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ीती में चला गया हो, तो चाण्डायण व्रत या ३० कृच्छ्र

१३. यस्तु नद्यादिभ्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां देशाहासुर्ध्वं मरत्तत्रपादवर्षागपि सद्यः शौचम् । देशान्तर-मृतं स्रुत्वा क्लीबे वंशानसे यतीः । मृते स्नानेन शुष्पन्ति गर्भेभ्यो च गोत्रिणः ॥ इति । मिताक्षरा (पात्रध्वज्यस्मृति, ३१२१) ।

१४. ज्ञातिमृत्यो यवाशौचं देशाहासुर्बहि ध्रुती । एकदेश इव प्रोक्त स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ षडशीति (३५) ।

१५. देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम् । महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा भ्यवधायकम् । वायो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं चदन्येके वद्विद्योक्तमायतम् । अस्वारिशब्दवन्त्ये त्रिंशद्वये तर्षव च ॥ इति । मिता० (याज्ञ० ३१२१) । प्रथम श्लोक को अपराक्तं (पृ० ९०५) एव स्मृतिष० (आशौच, पृ० ५२) में बृहस्पति का माना है और शुद्धिप्रकाश (पृ० ५१) ने बहन्मनु का माना है। स्मृतिष० (पृ० ५३) ने बहन्मनु का एक अन्य पाव जोड़ा है और यही बात षडशीति (श्लोक ३७) की टीका एवं शुद्धिष० (पृ० ५१) में भी पायी जाती है, यथा—देशनाम-नदीभेदो निकटे यत्र च भवेत् । तेन देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ देशरानेयं या वार्ता यत्र न ध्रुतेऽप्यवा । सम्पादकलायन (२०१८७) में आया है—पर्वतस्य (स्य ?) महानद्या भ्यवधानं भवेद्यदि । त्रिंशद्योजनदूरं वा सद्य-स्नानेन शुष्पति ॥

करने चाहिए, कुच या पलाश-दलो की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशीच मनाकर श्राद्ध आदि करना चाहिए।

निष्कर्ष—मेधातिथि (मनु ५।५८) ने आशीचावधिषो एव उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से समझाया है—(१) जनन एव मरण के आशीच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशीच में बहुत से अन्तर हैं, यथा (क) गर्भ (गर्भसाव, गर्भपात, यथा दश १५।४ एव बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में भ्रूण निकल आये या शिशु मरा हो उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० ३।२३ एव अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु घूटाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२।२९ एवं याज्ञ० ३।२३), (घ) घूटाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७); (ङ) उपनयन के उपरान्त (याज्ञ० ३।२३, मनु ५।५९ एव गीतम० १४।१); (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशीच की अवधि ब्राह्मणों के लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा द्यौत-कृत्यो पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिल्पोच्छ-वृत्ति पर रहता था (पराशर ३।५, दश १।५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशीचावधि जाति पर आधारित थी (गीतम १४।१-४, याज्ञ० ३।२२ आदि); (ज) आशीचावधि रक्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात् प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गो० १४।१ एव १८ तथा मनु ५।५९ एव ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की सन्निकटता एव दूरी पर भी अवधि निर्भर थी (लघ्वाश्वलायन २०।८५ एव ८९); (ञ) यह महानदी, पर्वत या ३० योजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर भी आधारित थी (लघ्वाश्वलायन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश मिलने के काल के आधार पर भी आशीचावधि का निर्णय होता था; (ठ) पहले आशीच के समाप्त हो जाने के बाद दूसरे आशीच के हो जाने पर भी आशीचावधि का निर्णय निर्भर था।

जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार की मध्य रात्रि के बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशीचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? इसके उत्तर में दो मत हैं।<sup>१</sup> एक मत यह है कि आशी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक होता है और उसके पदचात् आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में बाँटा जाता है, प्रथम दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आगे के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात (पृ० ३९४-३९५)।

स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशीचावधियों के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों

१६. रात्रौ जननमरणे रात्रौ मरणज्ञाने वा रात्रिं त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागमे पूर्वदिनं तृतीयभागे उत्तरदिन-मारम्भाशीचम्। यद्यार्थरात्रात् प्राक् पूर्वदिनं परतः परदिनम्। अत्र देशाचारदिना व्यवस्था। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५)। ये मन पारस्कर एवं काश्यप के श्लोकों पर आधारित हैं; अर्थात् रात्रिचरिताच्चेत्सूतके मृतके तथा। पूर्वमेव दिनं प्राह्यपूर्व्यं चेत्सूतेऽहनि ॥ रात्रिं कुपार्त् त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्ववास्ततः। उत्तरांशः परदिनं जातेषु च मृतेषु च ॥ पारस्कर० (स्मृतिच०, आशीच, पृ० ११८-११९)।

के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दल (६।१२) के मत से यदि कोई ब्राह्मण पार्ष्णी वनों की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एव मरण पर आशौच क्रम से १०, ६, ३ एव १ दिन का होता है। विष्णु० (२३।२२ एव २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णों के सपिण्ड हो तो उनके जनन एव मरण पर आशौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णों के हो तो उनका आशौच उच्च वर्णों के जनन एव मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हारीत (८४=आपस्तम्ब-स्मृति १।१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एव पुराण, यथा कूर्म० (उत्तरार्ध २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलता पृ० ५४-६० एव स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६)। मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाधार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एव अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदे आदि वे दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए।

मिता० (शास्त्र० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचावधि नहीं होती, वे लोग मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियाँ दूद के समान हैं और वे दूदों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।" यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ० १२) ने कही है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायश्चित्त करने के उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता।

हमने गत अध्याय में देखा लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एव उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, और हमने यह भी देखा लिया है कि प्राचीन काल में दक्षिण ब्राह्मण के शव को डोना प्रशसायुक्त कार्य समझा जाता रहा है (पराशर० ३।३९-५०)। किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी असपिण्ड का शव डोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धु (भया मामा या मौसी) का शव डोता है तो वह तीन दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह दस दिनों में पवित्र होता है, किन्तु यदि वह उनके घर भेन रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है)। देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २३।३७) एव विष्णु० (२२।७९)। गौतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात् सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यथा—बह असृश्य तो हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोमवश शव डोता है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पड़ता है। इसे निर्हाराशौच कहा जाता है, निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धों एव मूषणों से शव को सजाना उसे ढीकर ले जाना एव जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच

१७ प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीनाः—इति मनुस्मरणात्। केदल भूतौ प्रसवे च मलाप-  
कर्मणाम् मूत्रपुरीषोत्सर्गवत् शौच भवत्येव। मिता० (शास्त्र० ३।२२)। प्रतिलोमास्तु धर्महीना (गौतम० ४।२०)।  
सकरजातीनां शूद्रेत्यन्तर्भावात्तेषां शूद्रवराशौचम्। स्मृतिमु० (आशौच, पृ० ४९५)।

मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशौच को नहीं मना रहे हैं।

गीतम० (१५।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३।२६) एव पराशर (३।५२) ने व्यवस्था दी है कि किसी ब्राह्मण की किसी अन्य ब्राह्मण को शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कही अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।५३।५६) एव कूर्म० (उत्तरार्ध २३।५५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एव पचगव्य पीना पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एव शूद्र की शवयात्राओं में सम्मिलित होने से दो दिनों का आशौच एव छ प्राणायाम तथा तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एव घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिषद्-छन्दोकी (संस्कृत १३)।

यदि ब्राह्मण किसी अक्षयिणी में मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रदन करे तो उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अक्षयिणीचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अक्षयिणीचयन के उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रदन अक्षयिणीचयन के पश्चात् मनाया गया हो तो आशौच केवल एक दिन एव रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।५६-५७), अग्निपुराण (१५।८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ५५३) एव आशौचदशक (९)।

जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्त्वयन) करना पड़ता है।

यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति पति को जानि या किमी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरण पर पति को एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता (याज्ञ० ३।६)। इसी प्रकार औरत को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना होता है। देखिए याज्ञ० (३।२५) एव विष्णु० (२२।५२-५३)।

उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आशौच प्रसन्न व्यक्ति के घर का भोजन करने में, जब कि विवाहात्मक में (शौच एव उपनयन में भी), देवोत्सव एव ज्योतिष्योर्म जैसे यज्ञों में जनन एव मरण से अशुद्धि आ जाय तब बर्ता द्वारा देवों एव ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ धन या पदार्थ अलग कर दिये गये हो उन्हें देवों एव ब्राह्मणों को दे देने का बर्दा अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है— 'यदि विवाहात्मक, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में दाता एव भोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता।' अगिरा, पैठीनसि (स्मृति०, आशौच, पृ० ६०) एव विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, देशप्रतिष्ठा, मन्दिर निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता। आजकल भी विवाह एव उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि सब आरम्भ हुआ माना जाता है इस विषय में लघु-स्मृति का यों कहना है—यज्ञ पुरोहितों के मरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, व्रत एव यज्ञ में सामग्री भवन आरम्भ का चीज है, विवाह में नान्दोश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्भ हो गया मान लिया जाता है। आशौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली जा



सकती हैं (किन्तु उसके हाथ से नहीं, उसकी अनुमति से)। कूर्मपुराण के मत से वे वस्तुएँ ये हैं—फल, पुष्प, कज्जे धातु, लण, ईशान, तक्र (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लड्डू, लावा आदि)। मरीचि (मिता०, याज्ञ० ३।१७) एवं त्रिषण्डलोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है।

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशौचावस्था में दासों के आशौच के नियम भी दिये हैं। देखिए विष्णु० (२२।१९), देवसस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४।४)। दास प्रयाग बहुत पहले ही समाप्त कर दी गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा।

आशौचसम्प्रियात या आशौचसम्प्रात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की पहुँच)। इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में प्रथम आशौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात् शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात् शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बात शौचा० प० सू० (१।५।१२३) में पायी जाती है। और देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५।७९), याज्ञ० (३।२०), विष्णु० (२२।३५-३८), श्रुत (१५।१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम लागू किये गये हैं।

इस आशौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है—जब दो आशौच समान प्रकार के हो और दूसरा समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों।

इस विषय में मिताक्षरा, गौडो एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतभेद नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०)। जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव देखते हैं, जिनमें हम यो लिखते हैं—“(१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, श्रुत १५।७०), (३) यदि दोनों जनन से उत्पन्न हो और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है (श्रुत १५।१० एवं ब्रह्मसूत्रि १९), (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है, (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (ब्रह्मसूत्रि २१), (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात् प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिक अवधि का हो (ब्रह्मसूत्रि १८), (१० एवं ११) यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (ब्रह्मसूत्रि २१), (१२) यदि प्रथम आशौच मरण-जनित हो और दूसरा या जानेवाला जनन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते आते हैं” (ब्रह्मसूत्रि २१)।

धर्मसिन्धु (पृ० ४१६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है—“मरण

का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का ही चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता।" यही बहुत से लेखकों का मत है। एक लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले आशौच से दूर नहीं हो सकता।

मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वार्ध) ने उपर्युक्त आशौच-मन्त्रिपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी की माता मर जाय और आशौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि मत्त के मरण न उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय, प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण-जनित आशौच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में माता के भी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि अपराकं ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, जका कथन है कि यदि पिता माता के मरण से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा—माता के लिए किये गये आशौच की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है।

यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न पुत्र का पिता जातकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२०; मदनपारिजात, पृ० ४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है।

पडसीति (२२) ने ब्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौचों में प्रथम आशौच की समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा—बच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव जलाता है और मृत के पुत्र, अर्थात् स्मृतिकावो अस्पृश्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस दिनों का आशौच करना ही पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मृत्युत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्यों न किये गये हों।

सद्यशौच (उसी दिन शुद्धि)—हमने पहले ही देस लिया है कि जनन-मरणजनित आशौच दस (६।२) के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यशौच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं रात दोनों। 'सद्य' का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या तीव्र आदि।" किन्तु जब याज्ञ० (३।२९), पराशर (३।१०), अत्रि (१७) तथा अन्य स्मृतियों 'सद्यशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ उसका अर्थ है—'पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति तक या रात में अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ० (३।२३ 'आ दन्तजन्यनः सद्य आ पूशार्द्रादिनी स्मृता') से प्रतीत होता है कि 'सद्य' का अर्थ है एक दिन का भाग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो) एवं 'नैशिको' का अर्थ है 'पूरा दिन एवं रात।" शुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य' का अर्थ है

१८. पालिनि (५।३।२२)। इस पुत्र का वार्तिक है—'सामान्य समाधो दसुं बाह्वि', महामास्ये ने इसे 'सामान्येऽहनि सद्यः' समझाया है।

१९. अनाशौचप्रकरणे अर्ह्यहर्णं रात्रिग्रहणं चाहोरात्रोपरकृत्वापंचम्। मिता० (याज्ञ० ३।१८)।

'दिन या रात का एक अंश' और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।" शुद्धिक्रमा (पृ० ९२) ने व्याख्या की है कि 'सद्यःशौच' कुछ सदनों में 'अशौच के अभाव' का घोटक है, अन्य सदनों में यह 'स्नान' का अर्थ रखता है और उन लोगों से सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में घोर-मति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका अर्थ है 'एक दिन या रात का एक अंश'। स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि 'सद्यः शौच' का अर्थ है वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाना है।" आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यः शौच होता है उन्हें पिण्ड मो दिया जाता है।" शुद्धिकौमुदी (पृ० ७१) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं, (१) अशौच वा पूर्ण अभाव, यथा—पत्निय (यस वाले) पुरोहितो आदि के विषय में (याम० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो जाता है (मनु ५।७६)।

आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा—(१) कुछ व्यक्ति सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृश्य मान जा सकते हैं, कर्म बिना अशुद्धि के चलने दिये जाते हैं, (३) ऐसे लोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि सिन्धु की मृत्यु पर, या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतिन या यात (सन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटककर मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देविए गौतम (१।४।११ एव ४२) तथा वामनपुराण (१।४।९९)।

याम० (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए धरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपर्क दिया जा चुका हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यः शौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी है जो भोगधाम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में भोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रायण जैसे व्रत या स्नातकधर्म-शालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तव्यों में सलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मजानी (सन्यासी) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों,

२०. अत्र सद्यःशौचमहोराशौचपरम् ॥... इति सन्ध्ये सद्यः इत्याहुतित्रतसन्ध्यकारहिक स्मृतः। द्वेहृत्नी एकरात्रिषथ पक्षिणोरथभिधीयते ॥ इति भट्टनारायणवचनान्तः। द्वे सन्ध्ये सद्यः इत्याहुतित्रतसन्ध्यकारह उच्यते। दिनद्वयंकरात्रित्तु पक्षिणोरथभिधीयते ॥ इति नव्यवर्धमानभूतवचनान्तः। सद्यः एकाहेनशौचमिति पारिजाते, सद्यः एकाहेनेति स्मृतिपारि, एकमहः सद्यः इति शुद्धिपञ्चमं दर्शान्तेति। तच्चार्थं दिनमात्रं रात्रिमात्रं च। एतदेव क्वचित् सद्योति-परेण व्यप-दिश्यते। शुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३४१)। शुद्धिक्रमा (पृ० ९३) का कथन है कि 'द्वे सन्ध्ये सद्यः' आदि नारायणभट्ट के शौभिलभाष्य में आया जाता है।

२१. सद्यः शौचं नाम स्नानान्तमधम्। सद्यः शौचं तु तावत्स्याद्वाशौचं तापितस्य तु। यावत्स्नानं न कुर्वन्ति सचैलं दान्यवा बहिः ॥ इत्यंगिरसस्मरणान्तः। स्मृतिमु० (पृ० ४८१)।

२२. विवसे विवसे पिण्डो देय एव क्रमेण तु। सद्यःशौचेपि वातव्याः सर्वेपि युगपत्परा। आदिपुराण (हारलता, पृ० १६५)। त्रिशष्टिकोपी (२८) की व्याख्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाठ की ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है। वेदा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से ग्रन्थों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम पवित्र है, आदिपुराण भी कहा जाता था।

युद्ध (उनके लिए जो अभी युद्धभूमि में जानेवाले हैं), (आक्रमण के कारण) देर में विफल के समय तथा दुर्भिक्ष या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। गौतम० (१४।४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कर्तव्यों में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण कार्य अवच्छेद हो जायेंगे) के लिए सद्यःशौच होता है। यही बात छल-लिखित (राजा धर्म्मयतिन सर्वेषां तत्प्रादनवच्छ प्रेतप्रसवदोषे) ने भी कही है (शुद्धिकल्पवृ, पृ० ६२)। मनु(५।१९३) में ऐसा आया है कि राजाओं, जतो एव सत्रो (गवामयन आदि) में सलग्न लोगों को आशौच का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इष्ट का स्थान ग्रहण करता है और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु(५।१९४) आगे कहते हैं कि 'सद्यःशौच राजा को उस स्थिति के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा को परिहारा करने के कारण प्राप्त होती है, अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोमिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे कात्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म (वेदाध्ययन एवं व्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने वाले को कृच्छ्र आदि नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अनुद्धि को प्राप्त नहीं होते।" कूर्म-पुराण (उत्तरार्ध, पृ० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (सन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता (देसिए हारलता, पृ० ११४, परा० मा० १।२, पृ० २५४, निर्णयसिन्धु पृ० ५४३, लिगपुराण, पूर्वार्ध ८१।७७ एवं अत्रि ९७-९८)। मिता० (पाठ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास के आश्रमों के विषय में किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (धर्मसिन्धु पृ० ४४२)। उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म में सलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तभी आशौच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में समुत् रहते हैं तब आशौच से मुक्ति नहीं मिलती।" ऐसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।१९) का उल्लेख करते हुए

२३. न राजानमथोयोस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम् । ऐन्द्र स्थानमुपासोता ब्रह्मभूता हि ते सखा ॥ रामो माहार्यिके स्थाने सद्यःशौचं विधीयते । प्रजानां परिहारायमासन चात्र कारणात् ॥ मनु (५।१९३) । पहला श्लोक वसिष्ठ (१९।४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने धम का कहा है (फर्हर का संस्करण अनुद्धि है, उसे 'नाथोयोस्ति' के रूप में शुद्ध कर देना चाहिए)। यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे सत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आशौच से मुक्त है। विष्णुधर्मसूत्र (२।४।७-५२) में यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सवुत्र अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो वे आशौच से मुक्त रहते हैं, आशौच पर इकायट लगायी है—'न राजां राजकर्मणि न व्रतिनां व्रते न सत्रिणां सत्रे न कारुणां स्वकर्मणि न राजात्कारिणां तद्विच्छेदात्'।

२४. न त्वज्जसूतके कर्मं ब्रह्मचारी स्वक स्वधित् । न शीसजात्परं यजे न कृच्छ्रादि तपसश्चरन् ॥ पितर्यं वि मृते नैवां शोचो भवति कर्हिचित् । गोमिलस्मृति (३।६४-६५; हारलता, पृ० १७, अपराक, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० पृ० ६४) ।

२५. सत्रिणां व्रतिनां सत्रे वने च शुद्धिर्न कर्ममात्रे संध्यवहारे वा ।... ब्रह्मविदिति । एतेषां च त्रयाध्यामाधमिना सर्वत्र शुद्धिः । विदोषे प्रयाजाभावात् । मिता० (पाठ० ३।२८) ।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु, पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य को अन्वेषित-क्रियाएँ (शय होना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता की अन्वेषित करने एवं जल-विण्ड आदि देने में आशौच से आबद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य के लिए बैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुन उपनयन संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावर्तन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लीटने) के पश्चात् उन सभी लोगों के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता था (मनु ५।८८ एवं विष्णु-धर्म० २२।८७)। गौतम (१४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (सति निकलने एवं चूकाकरण के पूर्व) शिष्यों, देशान्तरगत लोगों, सन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।<sup>११</sup> शुद्धिप्रकाश (५० १३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तथापि यजिष्य पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता मा माता की शययाना में भाग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु सन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय में ऐसी ही परम्परा भी थी)।

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि—शिल्पी (यथा चित्रकार या धोबी या रगसाज), कारक (नीकर-वाकर, यथा रसोद्घा आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं धोत्रिय सद्यःशौच पोषित हैं, इसी प्रकार व्रत (चान्द्रायण आदि) करने वाले, सत्र (शवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि (श्रोतानियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए बैसा नहीं करने देना चाहता।<sup>१२</sup> आदिपुराण ने तर्क उपस्थित किया है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अग्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं घीघ्रता से नहीं कर सकता।<sup>१३</sup> यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचभाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में

२६. ब्राह्मणशास्त्रप्रतिप्रजितासपिण्डानां सद्यःजीवम्। रातां कार्यविरोपत्। ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिवृ-  
त्त्यर्थम्। गो० (१४।४२-४४)। पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।१९-२००) में उपर्युक्त प्रथम सूत्र के शब्द श्लोक रूप में वर्णित हैं।

२७. शिल्पिनः कारकं वंदा शशीवासाश्च नापिताः। राजानः धोत्रियार्थं च सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः॥ सद्यः  
सत्रपूतश्च आहिताग्निश्च यी द्विजः। राज्ञश्च सूक्तं नास्ति यस्य चेच्छति पायिकः॥ पराशर (३।२०-२१)।

२८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनश्चित्रकाराणां कर्म यस्माद्यन्त्ययम्। तत्कर्म मान्यो जानाति तस्मान्छुद्धाः  
स्वकर्मणि॥ सूत्रकारेण यत्कर्म करणीयं नरोद्विह। तदन्वयो नैव जानाति तस्मान्छुद्धः स सूत्रकृत्॥ चिकित्सको यत्कुस्ते  
तदन्वयेन न शक्यते। तस्मान्चिकित्सकः स्वशो शुद्धो भवति नित्यथाः॥ ब्राह्मणो ब्राह्मणश्च यत्किञ्चित् कुर्वन्त्यपि च लीलया।  
तदन्वयो न क्षमः कर्तुं तस्मात्ते शुचयः सत्वाः॥ राजा करोति यत्कर्म स्वनेच्यन्त्यस्य तत्कथम्॥ एवं सति नृपः शुद्धः सत्पत्नो  
मृतसुतके॥ यत्कर्म राजमृत्यानां हस्त्यवगमनाविकम्। तस्मात्ति यस्मान्छुद्धः तस्मात्ते शुचयः स्मृताः॥ पराशर-  
भाष्यधीय (१।२, ५० २५५-२५६)।

संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे बन्ध धार्मिक कृत्यों, धाढ़ एवं दानादि कर्मों में लगे रहते पर भी ऐसी छूट पाते हैं (सुद्धिप्रकाश, पृ० ९५)। विष्णुधर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशङ्कोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट कर्मों की एक सूची दी है।<sup>१०</sup> कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ श्लोक हैं, जिन्हें हारस्ता (पृ० ११४) ने उद्धृत किया है।

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० 'नित्यानि विनिवर्तन्ते वैतानवर्जम्'), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से मुक्त हैं, श्रौतानियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है।

धर्मसिन्धु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार के अपवाद का उपयोग करना चाहिए।

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी असुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात् अपवाद हैं, तीसरा प्रकार है।

आशौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी हैं या जो कलकी होते हैं। गौतम (१।४।११) एवं घास-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य-शौच होता है जो आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायान्ता (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्ती से मूलकर) या प्रपात से गुवाँ देते हैं।<sup>११</sup>

याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाण्ड-धर्मावलम्बी अथवा विधर्मा हो गयी हैं, जो किसी विशिष्ट आश्रम में नहीं रहती, जो (सोने आदि को) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो ब्यभिचारिणी होती हैं, जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह श्लोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु (५।८०-९०) में भी पायी जाती है। कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, ददन, पिण्डदान एवं धाढ़ आदि नहीं करना चाहिए।<sup>१२</sup>

२९. तप्तत्वायेंतु सन्निवृत्तानुपपन्नवृत्तान्त्यस्त्ववेश-भ्रंशापस्त्यप्यनेभ्यमित्पटनभियषकावशित्प्यातुराषाम् ।

संसारस्यैव

शानोपनयनयजनधाद्युद्युप्रतिष्ठा-शुद्धालोषार्थयात्राजपपरिणयनाद्युस्त्येव्येतदर्थे ॥

त्रिशङ्कोकी (१८)। नृपयत् का अर्थ है नृपसेवक।

३०. प्रायान्निविषोऽकोऽन्यनप्रपतनंश्चेत्प्रताम् । अथ दासश्रानानाकाग्नि-रश्नु-भृगु-अस-विष-भ्रमापनेत्येवमेव ।

संज्ञालिखिते (हारस्ता, पृ० ११३); भृगुश्रमिषानाकाग्निभूमितानामात्मयातिनाम् । पतितानां तु नाशौचं विद्यु-

षट्प्रहाराश्च ये ॥ अग्निपुराण (१५।७।३२)। और वैश्व-धामनपुराण (१४।९९-१००)।

३१. पतितानां न दाहः । अग्निपुराण (१५।९।२-४) का कथन है कि 'आत्मनस्त्प्रायान्तां मास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गार्गे तोयेऽग्नां पतनं हितम् ॥ तेषां वसं वसं धामं गपने तत्प्रलोचने । अनुग्रहेण महता प्रेतस्य पतिताय च । मारायनयसिः धामंस्तोतानुपहृमश्नुते ॥'

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि 'यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याघ्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान-बूझकर प्राण गँवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही गन्त हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सर्प आदि के साथ क्रोधपूर्वक लड़ने से होती है या क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण या जल द्वारा मर जाय तो अगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एव आशौच की व्यवस्था दी है।<sup>११</sup> यही बात ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौतम १४।११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्धु (पृ० ५५०) में भी कही गयी है और इतना जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका धवदाह करता है तो उसे प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ्र) करना पड़ता है।

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव सूदो द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रा का उच्चारण नहीं होना चाहिए और गोमिलस्मृति (३।४९-५१) में आया है कि उसके यज्ञपात्र एव श्रोताग्निर्वा समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वज्रित थी, किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २।८-२।९) एव पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा—अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग ७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हो, या वे लोग जो सारे कार्य एव कर्तव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जल-तर्पण एव श्राद्ध दिये जाते हैं। यह शातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रयाग से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वज्रित है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३५।

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एव छागलेय को उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकर्म कर देना चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणबलि का वर्णन भी किया है—मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु एव यम की पूजा करके दक्षिणाग्निमुख होकर दमों के अकुरों को दक्षिण ओर करके मधु, घृत एव तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को विषम सख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सम्युष्टि तक के सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवभैजन (जल सिंचन) तक के कृत्यों को पिण्डवितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एव यम को (उनकी मूर्तियों को) उनके सहायियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एव गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का

३२. यदि कश्चित्प्रमादेन श्रियंताम्युवशविरिभिः। तस्यातोचं विधातव्यं कर्ताम्या चोदकक्रिया॥ अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।६)। औशनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही श्लोक है।

नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से सबसे बड़े गुणवान् को मृत के प्रतिमिथि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, धनदान से सन्तुष्ट कर सभी ब्राह्मणों को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्बलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ भोजन करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पृ० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० के एक श्लोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए भी अनुमोदित माना है जो गोओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देवविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारायण मठ ८१ अन्वेष्यपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और 'सायं स्मृत्यंसार (पृ० ८५-८६), बृहत्पाराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु हेमाद्रि, गृह्यपुराण (३।४।११३-११९)।

वैश्वानरस्मार्तसूत्र (१०।९) में भी नारायणबलि की पद्धति का ससिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्मघातको, मारे गये लोगों एवं सन्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य १२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। बोधायनगृह्य-शेषसूत्र (३।२० एवं २१) में दो विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी परधात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध श्लोक भी है।<sup>१</sup>

आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद-प्रकार में ये नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना अनिवार्य नहीं है। गौतम (१।४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गोओं एवं ब्राह्मणों के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं मनाते, केवल सप्त शौच करते हैं।<sup>२</sup> मनु (५।१९ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो द्विम्बाह्व (दक्षत्र-रहित शगड़े या दगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने वार्यवश) ऐसा करने नहीं देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।<sup>३</sup> धातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१) ने इसे वसिष्ठ का कथन माना है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। धर्म-सिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे विदग्धी हों, एकदग्धी हों, हम

३३. चाण्डालापुरकात् सर्पाद् ब्राह्मणार्द्धुतादपि। वंदिभ्यश्च पनुभ्यश्च मरणं पापकर्मणाम्॥ शौ०पृ० शेषसूत्र (३।२१)। इतो को अथरकं (पृ० ८७७) ने यम का कहा है, दृष्टिप्रकाश (पृ० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है और मिता० (याज्ञ० ३।६) में बिना नाम के उद्धृत किया है।

३४. गोब्राह्मणहत्यानामन्वयम्। राजकोषाच्च। मुद्गे। गौतम० (१।४।८-१०)। हरदत्त में व्याख्या की है—'अन्वयपते प्रत्यक्षपते क्षयस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा नुम्येरप्रति।' मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात किया है—'तस्मान्बन्धिनां चान्यत्रामनुगतममन्वयस्य सप्तशौचमित्यर्थः।'

३५. द्विम्बाह्वे हतानां च विद्युता पाषिवेन च। गोब्राह्मणस्य संघार्थं यस्य खेच्छति पाषिवः॥ मनु (५।१९५)। कुल्सूक्त एवं हारलता (पृ० १११) ने 'द्विम्बाह्व' को 'जुपतिरहित मुद्ग' कहा है, किन्तु हरदत्त ने 'द्विम्ब' को 'अनसंभर्द' माना है; अथरकं (पृ० ९१६) ने द्विम्बाह्व को अज्ञस्त्रकलह एवं दृष्टिप्रकाश (पृ० ४६) ने इसे 'अज्ञस्त्रकलहः संभर्दो वा' के रूप में व्याख्यात किया है।



हो या परमहृत हो। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु पर आशौच होता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टो की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात् आशौच किया जाता है।<sup>१६</sup>

पराराज (३:१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तपण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० मा० (१:२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। किन्तु लघु-शरीर का कथन है कि यदि श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्यु-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७)।

निबन्धों में इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर बिशेषित सकेत किया है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्)। शुद्धितत्त्व (पृ० २७५) ने मरीचिक का एक श्लोक उद्धृत किया है—विशिष्ट स्यान्तो के प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं धार्मिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए, उन स्यान्तो में धर्माचार उसी प्रकार का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धृत की है।<sup>१७</sup>

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दश (६:१५) ने कहा है, कि आशौच के सभी नियम तभी प्रयुक्त होते हैं, जब कि काल स्वल्प एवं शान्तिमय हो, किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात् तब आशौच (के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता।<sup>१८</sup>

विष्णुधर्मसूत्र (१९:१८-१९) में व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त धाम के बाहर जाना चाहिए, बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन कर धर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपूजन करना चाहिए।<sup>१९</sup> बहुत-से निबन्धों ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के दिन की विधि पृथक् रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, अग्नि, दूध एवं धूत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए, तब ब्राह्मणों द्वारा जल-माजंन कराकर 'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलता का कथन है कि बिना

३६. युद्धमृत्युप्राणीचं नेति सर्वधर्मेषूपलम्ब्यते न त्वेषं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९)।

३७. तथा च मरीचिकः। येषु स्थानेषु यच्छौचं धर्माचारश्च भावुः। तत्र तत्राप्यवस्यते धर्मस्तत्रैव तादृशः।। धरधर (शुद्धिविवेक); शु० को० (पृ० ३६०); शुद्धित० (पृ० २७५); तथा च वामनपुराणे—'देशानुशिष्टं कुलधर्मप्रबंधं सगोत्रधर्मं न हि सत्पञ्चेष्व' (शुद्धितत्त्व, पृ० २७६)।

३८. स्वल्पकाले तथा सर्व-सूतक परिकीर्तितम्। आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकोग्नि न सूतकम्॥ दश (६:१५)।

३९. धामाग्निर्कम्पाशीचान्ते कृतधर्मधुर्कर्मणस्तिलकलकैः सर्वेषुकलकैर्वा स्नाताः परिवर्तितवातसो गृह प्रविशेयुः। तत्र शान्तिं कृत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुर्युः। विष्णुधर्मसूत्र (१९:१८-१९)।

'शान्ति' के जलाशय पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'शान्ति' के लिए धारदेवमान पढ़ना चाहिए या गायत्री को आदि एव अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र) के साथ 'कव्यान्निच' 'कस्त्वा सत्य', 'अमी दू' का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एव अन्त में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में 'ऋच वाच प्रपद्ये' एव अन्त में 'योः शान्ति') 'शान्ति' के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वेदियों को आदि एव अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०१५, ७३५१, ५१४७५ आदि मन्त्रों के साथ शान्ति करने की चाहिए। इसके उपरान्त पाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वंतरणों को देनी चाहिए यदि वह मृत्यु के समय न दी गयी हो तो और अन्त में फलग आदि का दान (शय्या-दान) करना चाहिए।

हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्री (पासायन० आदि) एव स्मृतियों (मनु आदि) ने इस बात पर बल दे- कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदों ए० आहिताग्निषु को एक दिन का ही आशौच करना चाहिए (परारा० ३।५ एव दश ६।६)। किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए सभी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्धारित ही गयी (मनु ५।५९)। प्राचीन काल में आशौच के साधन सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए आशौच नियमों से सम्बन्धित अपरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा सभी प्रकार के विभागों, उपविभागों एव श्रमियों के विषय में धर्मशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशौच जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एव तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एव मध्य काल के आशौच नियम लोगों को बहुत अच्छे हैं। कमी-बन्दी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाधा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं के दूरीकरण के लिए उपाय बरन चाहिए, जिससे कठिनाइयों, सम्भाषणों को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता की रक्षा का जा सके। कम-से-कम जननाशौच में आजकल एव सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात् केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं होगा। मरणाशौच के विषय में धार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं—

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता पिता करें, इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु पर पुत्र भी ऋ०, पति की मृत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और यह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है या मृत्युसंस्कारों का इत्य करता है।

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें।

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पश्चात् वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सप्तशौच (केवल स्नान से परिसुद्धि) पर्याप्त है।

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत अनेकाले स्थिति ही सप्तशौच करें।

यदि हम प्राचीन एव आधुनिक अधिवासियों में आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्वपूर्ण नियमों मरण पर तथा प्रसंग एव मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रते गये थे। प्राचीन इज्रायेलियों में ऐसी प्रथा थी कि मृत्यु होने पर जो कुछ अगुद्ध पदार्थ होते थे वे सितार के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति नहीं देने पाते थे। सीरियन में जो मृत के कुल के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुष्कित सिर होकर

पर मे प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशुद्धि के दिन बच्चे के लडका या लडकी होने पर निर्भर थे। भारत मे आर्य लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित पारणाएँ अपने पूर्व-युगयो से ही सम्भवतः सीहीं। बल्किना द्वारा यह कहा जा सकता है—वैदिक आयुषी के पूर्व-युगयो ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छूते हैं या मरने के पूर्व उसके बदनो का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीडित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियारी श्वर आदि रोगो से), अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की समाचना नहीं रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को दममान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने जाते थे और दस दिनों तक पुण्य रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगो एवं कारणो से उत्पन्न मृत्यु पर आरोग्य एवं पपकत्व प्रयोग मे आने लभा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारो ने दोनों को समान माना; "जिस प्रकार सपिण्डो के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी व्यवस्था है।" रजस्वला स्त्रियो के विषय के नियम तँ ० स० मे भी पाये जाते हैं। इस विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १२।

अब हम आरोग्य के अतिरिक्त शक्ति के अन्य स्वरूपो पर विचार करेगे। इध्य-शुद्धि का तात्पर्य है किसी वस्तु से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य इध्यशुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं २५३)। हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।१५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ कर्म से 'शुद्ध' एवं 'शुचि' शब्द १३ एवं ६ बार आये हैं) 'शुद्धि' एवं 'शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियो हैं कि ज्योतिष्योम मे प्रयुक्त यह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु धमनो के साथ ऐसा नहीं किया जाता। ऐत० ब्रा० (३।२।४) में आया है कि आहितारिण का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय (अमेध्य, चीटी या किसी अन्य कीड़े ने गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी मे डारकर आहवनीय अग्नि के पास मस्य में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रो एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गीतम (८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म-गुणो के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गीतम की व्याख्या में हरदस ने शौच के चार प्रकार दिये हैं—धन-सम्बन्धी शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणो-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में अमन्य-पारहार, अनिन्दित लोगों के साथ ससर्ग एवं स्वधर्म में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागो में बाँटते हैं, बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौधो० ध० सू० (१।५।३-४), हारीन, दश आदि के बचनो की आर सकत है। अनिन० (३७।२।७-१८) ने दस (५।३) के समान ही मत दिया है। वनपर्व (२००।५२) ने वाणो एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की बर्षा की है। पद्यपुराण (२।६६।८६-८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोभावो से करती है।

लिंगपुराण मे एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमे आया है कि आम्यन्तर शौच (शुधिता) बाह्य शौच से उत्तम है, उसमे यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव मे व्यक्ति मलिन है, रौवाळ

४०. इध्यस्य दोषायामः शुद्धिः। तत्र द्विविधा शुद्धिः शरीरशुद्धिर्बाह्यइध्यशुद्धिरथ। अपराकं (पृ० २५२-२५३); तत्राशुद्धिर्नाम इध्यादे. स्पशंताद्यनहंतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु सत्काररक्षितोत्पाविता तथिष्ठतिः। हेमाद्र (भाड, पृ० ७८७)।

(सेवार) मछली एव मछली साकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा। अतः व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए। विश्वात्मरूपी घन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वरारूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए—यही वास्तविक शौच (शुचिता) है।" मनु (५।१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो घन की ओर से शुद्ध है अर्थात् जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का घन नहीं हड़पता वह सबभूच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे भी अधिक शुद्ध है जो जल एव मिट्टी से शुद्धना प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में भी पायी जाती है किन्तु वहाँ अय (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५।१०६) वाला श्लोक पाया जाता है। और दालए अनुशासनपत्र (१०।८।१२) जहाँ आधरण मन तीव्र-स्थान एव सम्यक दार्शनिक गान नामक शुद्धिया का वर्णन है ब्रह्माण्डपुराण (३।१।४।६०) शुचिब्रामा हि देवा वै) एव योगसूत्र (२।३२) जहाँ यम नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है।

शारीरिक शुद्धि अर्थात् बाह्य शुद्धि के जो मुख प्रक्षालन स्नान से प्राप्त होती है विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २ अध्याय १७। प्राचीन एव मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है कुछ लोगों के लिए तदन में ५ बार स्नान और सन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्भिक ईसाइयों में ऐसा व्यवहार न था प्रथागत या सन्त अमनस को स्नान न करने से उच्च पद मिला असासी के सन्त फ्रांसिस ने धूल या गन्दगा का पावत्र दारद्वारा का एक प्रमुख चिह्न माना है।

शरीर श्रुत्या (यथा आनष्टाम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था उसके शरीर पर अल्प्य पुरातन सात-सात वर्षों के तान गुच्छा से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच० १ पृ० १२०, शुद्धिध्याना पृ० १४३) ने उसके लिए स्नान का व्यवस्था दी है जो मासिक घम के आरम्भ होने के उपरान्त पाँचवें दिन से शरीर पर तदन का अर्धरात्रि में अपना पल्लो से समाप्त करता है किन्तु इस अवधि के परवाले समाप्त करने से बचल मूल-स्थानों में तदन एव अर्धरात्रि में छानने के उपरान्त वाला शुद्धिकरण नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त घमन करने से भी स्नान करना पड़ता है। इस प्रकार बाल बनवाने का स्वप्न देखने चाण्डाल आदि को छू लेने से भी स्नान करना पड़ता है।

आप० धा० (१।१।१२) की श्रुति है कि जो शौच चाहता है उस पावनशौच के लिए जो प्रत्येक शत्रु में वशवानरी (अग्नि वशवानर का), व्रतधारा (आग्नि व्रतपात का) एव पावनश्रुति करना है व ० १५५ का दस पादिया का शौच कर देता है।

अब हम इन्द्रियशुद्धि का विवरण करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बात आरम्भ में ही कह दी जा रही है। आप सन्मथमसूत्र (२।६।१५।१७ २०) का श्रुति है कि छोटे-छोटे बच्चों रजस्वला स्त्री के स्पर्श से शौच नहीं होने जब तक उनका अन्नप्राशन नही हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिया भोजन नही हो जाता और कुछ लोगों

४१ अत्राग्राह्यं मलिनो ह्यन्त शौचविर्वाजितम् । श्वला शयना घतया सस्वा मन्स्वापजोविनम् ॥ तदादग्राह्यं तलित विगृह्यं किं जिज्ञोतम् ॥ तस्मादाभ्यन्तरं शौचं सर्वं कार्यं विधानम् ॥ आत्मज्ञानाभ्यासं स्नानं च कृदातिथ्य भाष्यम् ॥ सुदराग्यमूद्रा शुद्धा शौचमयं प्रकीर्तितम् ॥ लिंगपुराण (८।१४ ३६), भावशुद्धि पर शौच प्रमाणं तद्वचनम् ॥ अन्यथासिद्धिना ज्ञाना भाष्येन दुर्हितान्यथा अन्यथा तत पुत्र भाष्यत्सम्भवा पतिपत् ॥ पद्य० (भूमितक, ६६। ८६ ८७) ।

के मत से उन्नयन-नस्तार तक। मनु (५।१२७-१३३), याज्ञ० (१।१८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२), बौध० धर्म० (१।५।५६-५७, ६४ एव ६५), शल (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं—जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो, जो पानी से स्वच्छ कर दी जाती है, जिसे बाह्यण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो देगल भ किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उसके अपना प्यास बुझा सके और जो गंध, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भाँति हो, शिल्पी का हाथ (घोबी या रसाइया का हाथ जब कि वे अपने वामों में सलान हो), बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा—यव (जौ) एवं गेहूँ (जिन्हें क्रय करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); मिठा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); सनीय के समय स्त्री वा भुव, कुत्ता, चाण्डालो एवं मासमयी पशुओं से छीना गया पशु-मांस, (सूयें को) किरणें, आग्न, पूलि, (वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अश्व, भूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा—ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं; यह भी कहा गया है कि कुछ पत्नी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ शरीरमांस शुद्ध माने जाते हैं, यथा—याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि बकरियों एवं अश्वों का मुस शुद्ध होता है, किन्तु गाय का मुस नहीं। बौधायन (अपराकं, पृ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोटकर गाय एवं दोहती मा घूमती हुई विल्ली शुद्ध मानी जाती है।" बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है—“ब्राह्मण के पाँव, बकरियों एवं अश्वों का मुस, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं, गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्ध भाग से, अश्व सभी अंगों से एवं गाय का गोदर एवं भ्रूज शुद्ध है।" अत्रि (२४०, २४१) के भी कथन ऐसे ही हैं—“स्नान एवं मोजनालय (या वे म्यान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि ऐसे सभी स्थान (जहाँ समूह रूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), नेबल जहाँ सुरा धनती हो वैसे स्थानों की छाडकर, पवित्र होते हैं। सभी भूने हुए पदार्थ, भूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जौ भी मली भाँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।” अत्रि (५।१३) में पुन आया है—“मक्खियाँ, शिशु, अलठ धारा, भूमि, जल, अग्नि, विल्ली, लकड़ी का करछुल एवं नेबला (नबुल) सदैव पवित्र होते हैं।” पराशर (१०।४१) का कथन है—“आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी

४२. मुसवर्जं तु गौर्मध्या माज्जरिचक्षत्रमे (? दधार्कमे) शुचिः। बौध० (अपराकं, पृ० २७६)। और देखिए शल (१६।१४)।

४३. बृहस्पतिः। पादौ शुचौ ब्राह्मणानामजाश्वस्य मुस शुचिः। गर्वां पृष्ठानि मेध्यानि सर्वंगत्राणि घोषिताम् ॥ यमः। पृष्ठतो गौर्मजः स्कन्धे सर्वतोऽश्व शुचिस्तथा। गो. पुरीयं च भ्रूज च सर्वं मेध्यामिति स्थितिः ॥ पृष्ठशब्दोत्र मुसव्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (पृ० २७६)।

४४. आकराहृतवद्गृहीतानामुधोनि कवाचन। आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम् ॥ भूष्ठा भूष्यवाचवेच सपेय घणकाः स्मृताः। खर्जूरं चंब कर्पूरमन्यद् भूष्तर शुचि ॥ अत्रि (२४०-२४१)। 'आकराः...करम्' बौ० ध० सू० (१।५।५८) में भी आया है। सू० कौ० (पृ० २५८) ने शल (१६।१३) के पद्यां 'शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वं एष तपाकराः' को उद्धृत करते हुए कहा है—'सर्वं एषाकरा धान्यादिमर्दनस्थानानि तथा भस्मलाजादिनिष्पत्तिस्थानानि चेत्यर्थः'।

४५. मक्षिका सन्ततिर्यारा भूमिस्तोयं हुताशनः। माज्जरिचंबे वर्षां च नकुलश्च सवा शुचिः ॥ अत्रि (५।११)। और देखिए विषयरूप (याज्ञ० १।१९५), लघुशारीर (४३)। शुद्धिकोमुदी (पृ० ३५७) ने व्याख्या की है—'सन्ततिः शिशुः पञ्चवर्षाभ्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती'।

पर गिरा हो) एवं दम अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं।" परा० मा० ने चतुर्विंशतिमत को उद्धृत किया है कि "कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्यों न हो, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।" बृहस्पति ने कहा है—“अनार, ईस परेनेवाली कल, सानें, शिल्पियों के हाथ, मोदोहनी (मटकी), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं त्रिषों के कर्म (भोजन बनाना आदि) जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नये पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।" अपने विस्तार, वस्त्र, पत्नी, बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हैं।" यही बात शस ने भी कही है। शस का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वामाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के सस्यं से उत्पन्न मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।" शस लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये हैं—जल, मिट्टी, इगुद, २ रिष्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, धार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर सस्य की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात् जल-भार्जन।" मनु (५।११८), याज्ञ० (१।१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नो की डेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड़कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब सस्या या मात्रा कम हो तो जल से धो लेना चाहिए। वह सस्या या मात्रा अधिक कही जाती है जिसे एक व्यक्ति डो न सके (कुल्लूक, मनु ५।११८)।

गीतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ० (१।१९१) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि द्रव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय।" देवल (अपराकं, पृ० २७०) ने धूलिघूसरित पदार्थ, तेल, चिबनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध क मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शोध कहा है।

गौ० ध० सू० (१।२०-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णन यो किया है—पातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी

४६. आकाशं वायुरग्निश्च मेघ्य भूमिगत जलम् । न प्रदुष्यन्ति वर्भाश्च यज्ञेषु चमसा यथा ॥ पराशर (१०।४१) ।

४७. आमं पातं घृतं क्षीरं स्नेहापच फलसम्भवाः । अन्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्प्रान्ताः शुष्यः स्मृताः ॥ चतुर्विंशतिमत (परा० मा० २।१, पृ० ११५) । और बेलिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एवं शु० की० (पृ० ३१८) ।

४८. ब्राह्मेभ्यन्नाकरकाहस्ता घोबोहनी यन्त्रविनिष्कृतानि । बालैरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षदृष्टानि शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पृ० १०६) ।

४९. आत्मनाया च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः । आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचीनि च ॥ आप० स्मृति (१।१४) ; शौचा० (१।५।६१) ; अपराकं (पृ० २५७) ।

५०. मलं संयोगत्रं तत्रयं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तत्रोपनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यशुद्धिहृत् ॥ शंख० (अपराकं, पृ० २५६) ; शौचलिका, याज्ञ० १।१९१ ; मदनपारिजात, पृ० ४५१) ।

५१. सर्वेषामाप्यो मूढरिष्टकोगुदद्विस्वतश्चुल्लसर्पवस्त्रकारागोमूत्रगोमयावीनि शौचद्रव्याणि संहृतानां प्रोक्षन्मित्येके । शंखलिलितो (चतुर्विंशं, त्रिष्ट ३, भाग १, पृ० ८१७) ।

५२. लेपगन्धापकवर्णं शौचममेव्याक्तस्य । तद्विभिः पूर्वं मुषा च ॥ गौ० ध० सू० (१।४५-४६) । यही बात बलिष्ठ० (३।४८) में भी है। याज्ञत्रापीत्यमेव्याक्ताद् गण्यो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मुद्रारि चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु ॥ मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) ।

से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से राखने (भण्डन) में, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में धोने से होती है, पत्थरों, मणियों, शालों एवं मोतियों को धातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध किया जाता है, अस्थियों (हार्मोदांत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध करने के समान शुद्ध किया जाता है, भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है, रस्सियाँ, बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अनुद हो जाने पर त्यक्त कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से ये अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं)।<sup>१</sup> बसिष्ठ (३।४९-५३) ने 'मसमपरिमाणं' (मस्य से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमाणं' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० ध० सू० (१।५।-१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है— यदि कोई द्रव्य-युक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना चाहिए, धातु से बने पात्र को रास (मस्य) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देन से शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।<sup>२</sup> याज्ञ० (३।३१-३४) का कथन है—काल (आशौच के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अश्वमेध या संध्या करना), मिट्टी, वायु मन, आध्यात्मिकज्ञान, (कृच्छ्र जैसे) तप, जल, पश्चात्ताप एवं उपवास—ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वर्जित क्रम करते हैं उनके द्वारा दान देना शुद्धि का घोटक है, नदी के लिए जल प्रवाह, मिट्टी एवं जल अनुद वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं, द्विजों के लिए सन्यास, अज्ञानवशात् पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आरामज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरों के लिए जल, गुप्त पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय त्रिषारी से अनुद मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर में आत्मा को संयुक्त मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक्-ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९ = विष्णु० २२।९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है।

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जो धीषायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०) द्वारा यो व्यक्त की गयी हैं—काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात् अनुद के कारण एवं उस अनुद वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था)।<sup>३</sup>

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, उनके विषय में एक के पदनात् एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे।

५३. द्रव्यशुद्धिः परिमाणं प्रदात्तक्षथनिर्णयनानि तैजसमार्तिकदारवतान्तवानाम्। तैजसवहुपलमणिसाक्ष-मुक्तानाम्। बाधवद्विपभूम्योः। आवापन च भूमे। चंडवद्रज्जुविवरुचर्मणाम्। उत्सर्गो वात्यन्तोपहतानाम्। गौ० ध० सू० (१।२८-३३)। 'अत्यन्तोपहत' को विष्णुधर्म० (२३।१) ने 'शारीरं चेंसें शुराभिर्मंदैर्वा मधुपहत तदत्यन्तोपहतम्' के द्वारा समझाया है।

५४. देशकालतयात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रवृत्तयेत्॥ धीषायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०, विश्वरूप, याज्ञ० १।१९५ एवं मेधातिथि, मनु ५।११८)। धीषाय० ध० सू० (१।५।५५) में आया है—देश... वस्थां च विज्ञाय शौचं शौचस्य कुशलो धर्मेषु समाचरेत्। लघुहारीत (५५) ने 'कालं देशम्' आया है। मिता० ने 'तया' के बाद 'मान' पढ़ा है जिसका अर्थ है 'परिमाण' (वह परिमाणा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध किया जाय)।

स्मृत्यनुसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ—उत्सर्गनाल, मूत्र, चीर्यं, रक्त, मास, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं, कुत्ते, घामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम (श्लेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं।

बीषा० घ० सू० (१५।६६) में आया है कि भूमि की शुद्धि संभारजन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (द्रूप, गोमूत्र या जल छिड़कने या धोने), उपलेपन (गोबर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर ढाल देने) एवं उल्लेखन (मिट्टी को कुछ खुरचकर निवाल देने) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।<sup>११</sup> एक अन्य स्थान पर बीषा० घ० सू० (१।६।१७-२१) में आया है—जब बठोर भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भीगी भूमि प्रच्छादन (किन्नी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढँक देने से) और अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। भूमि चार साधनों से शुद्ध होती है, यथा—गायों के परो द्वारा रोदने से, सोदने से, (लकड़ी या घास-घान) जलाने से एव (जल, गोमूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, प्राँचवो विधि है गोबर से लीपकर शुद्ध करना और छटा साधन है काल, अर्थात् समय धाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।<sup>१२</sup> वसिष्ठ० (३।५७) ने बीषा० घ० सू० ममान गायं शुद्धि-साधनं इत्ये है, किन्तु छटा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४) ने भी प्राँच साधनं इत्ये है—शाडू से युद्धारना, गोबर से लीपना, जल-छिड़काव, सोदना (एव निकाल बाहर करना) और उस पर (एक दिन एव रात) गायों को रखना। विष्णु० (२३।५७) ने छटा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा—वाह (कुछ जला देना)। याज्ञ० (१।८८) ने वाह एव काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण स्नान बाह, मार्जन, गोक्षम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खंडना) एवं जलमार्जन से होना है।<sup>१३</sup> देवल (मिता० एव अपराकं, याज्ञ० १।८८) ने विन्मृत विवरण उपस्थित किया है। उनके मत में अशुद्ध भूमि के तीन प्रकार हैं, अमेध्य (अशुद्ध), दुष्ट एव मलिन। जहाँ स्त्री वच्चा जने, कोई मने या जलाया जाय या जहाँ चाण्डाल रहें या जहाँ दुग्ध-युक्त वस्तुओं, विच्छा आदि का देरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से मरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहाँ बुत्ते, मूअरो, गधो एव अँटो का मरपमं हो वह भूमि दुष्ट कही जाती है तथा जहाँ अगार (कोयला), तुप (मूमी), बैश अस्थि एव मत्तम (रात) हो वह भूमि मलिन कही जाती है।<sup>१४</sup> इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा स्नान,

५५. भूमेस्तु संभारजनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनयंपास्यनान् बीषविशेषान्प्राप्यत्वम् । बी० घ० सू० (१।५।६६) । यही बात वसिष्ठ (३।५६) में भी आयी है।

५६ घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम् । सुविश्रायाः कर्षणम् । क्षिप्तयाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम् । षतुभिः शुष्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्पवननाद् वहनावधिवर्षणात् । पञ्चमाह्वोपसेपनात्पच्छात्कालात् । बी० घ० सू० (१।६।१७-२१) । देविए नृ० की० (पृ० १००) ।

५७. भूमिविशुष्यते क्षापवाहमार्जनगोक्षमैः । लेपादुल्लेखनात्सोकाग्नेःमत्तमार्जनाच्चनत् ॥ वामनपुराण (१४।६८) ।

५८. यत्र प्रमूयते नारो क्षियते बहूनेपि वा । चच्छालाम्पुयिन यत्र यत्र विच्छादिसंहतिः ॥ एष कृत्स्नभूमिर्गता भूरमेध्या प्रकीर्तिता । इत्सूकरसरोऽनृत्रिंसस्पृष्टा बुष्टतां वनेत् । अंगारतुषकेऽस्थिभस्माद्यैर्मलिना भवेत् ॥ मिता० (याज्ञ० १।८८); नृ० की० (पृ० १०१) एवं नृ० प्र० (पृ० ९९) ।



वहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेघ्या भूमि को (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेघ्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को छोड़कर), बुष्टा भूमि तीन विधियों (सनन, दहन एवं अवलेपन) से, या दो विधियों (सनन या दहन) से तथा मलिन एवं विधि (सनन) से शुद्ध की जाती है।<sup>१</sup>

स्मृत्यनुसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य धातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध हो जाय तो वह पचगव्य द्वारा, भस्म से रगड़कर स्वच्छ बिये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है, इसी प्रकार यदि प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह बल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित दूह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पचगव्य से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, भुज एवं घाम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक पचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, बल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती है और उमका फिर से सम्पापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयमिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३५१-५२), धर्मसिन्धु (३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त में अशुद्ध हो जाय। निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवरव समाप्त हो जाता है—जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा शकुओं, चाण्डालों, पतिता से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है।

विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार उसकी पातु या जिग बस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रा या रजस्वला स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुनर्स्थापना करना चाहिए, विषम समस्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पचगव्य पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात् अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की जानी चाहिए और मात एवं गुड का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए।

अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलो को देवत्व प्रदान किया गया है और उन्हें दूसरी को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ४, 'शुचय पावकाः') और देखिए ऋ० (१०।९ एवं १०), अथर्ववेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४।२), शतपथब्राह्मण (१।७।४।७)।<sup>२</sup>

५९. दहनं क्षतनं भूमेरवलेपनवापन। पर्जन्यवर्षणं वेति शोधं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ पञ्चधा वा अतुर्या वा मूरेमेघ्या विजुष्मति। त्रिधा त्रिधा वा बुष्टा तु शुष्यते मलिनकथा ॥ देवल (शु० को० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'मूदन्तरेण पूरणम्' अर्थात् अन्य मिट्टी से भर देना बताया गया है)।

६०. दूरमापः प्रवहतावद्यं च मलं च मत् ॥ पञ्चाग्निपुद्गोहातृत्तं चन्य दोषे अभीरणम् ॥ थापो मा तस्माधेनसः

विष्वरूप (याज्ञ० १।१९१) ने एव लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह आया है—'जो सन्देश उताप्र कर दे (यह शुद्ध है कि भस्म) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब दह पवित्र हो जाता है। इन्हीं य गर्म या उडा जल बनिष्य पात्र प्रकाश एव भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५।१०९, ११० एव १२५ याज्ञ० १।१८२-१८८ एव १८९)। गोविन्द (१।३१-३०) ने कहा है कि जब कोई धार्मिक कृत्य करते हुए पितरा वाला मन्त्र मनु ले, अपने शरीर को खजला दे नीच जाति के व्यक्ति को देस ले, अपान वाय छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली या चूहे को छू ले बटोर वचन बोल दे क्रोध में आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या बल चरुना चाहिए।<sup>११</sup>

याज्ञ० (१।१८७) एव विल्गु० (२३।५६) के मत में अशुद्ध घर को शाङ्खहास्य एव गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, गूढ, पतित, श्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के बध्नि नियम बरते जाते थे। घर को बरत दिना तक छोड़ देना होता था। मन्वत् (अपराकं, पृ० २६५, सू० प्र० पृ० १००-१०१; सू० कौ० ३०३-३०४) का वचन है कि जो घर शव के रहने में अपवित्र हो जाय तो 'न्यक्त माघ निम्न व्यवहार हाना चाहिए मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेर दिय जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उत्तम बबरी का घुमाना चाहिए जिसमें वह सभी स्थानों को सूँघ ल, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धाना चाहिए उस में मोना एव कृश घुन जल गायत्री मन्त्र के पाठ सं पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़का जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध हाता है।<sup>१२</sup> मरीचि का वचन है कि यदि चाण्डाल श्लेच्छ घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि को ज्वाला दीवारा को छू ले।<sup>१३</sup>

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोराला की भूमि, घम के मत से, मदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे अशुद्ध न हो जायें।

जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियाँ एव निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५।१।५।२) ने सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।<sup>१४</sup> किन्तु बौध्या० प० सू० (१।५।५।५) मनु (५।१२८), याज्ञ० (१।१९२), दाय (१६।१२-१३), मार्कण्डेयपुराण (३।५।१९) आदि ने इतना श्राद्ध दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाना है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक

पबमानश्च मुञ्चतु ॥ वा० सं० (६।१७)। आपो अस्मान्मातरः शृण्वन्तु घृतेन भो घृतप्वः पुनन्तु। वा० सं० (५।२)।

६१. पित्र्यमन्त्रानुध्वज आत्मात्मभेदयमेक्षणे। अग्नीषायुसमुस्तां प्रहासं प्रतुभायणे ॥ माजिरिमूषकस्पर्शो आकृष्टे कौशतमर्भवे। नियितोऽथैष सर्वत्र कर्म कुर्वन्नयः स्योते ॥ गोविन्दस्मृति (१।३१-३२, कृत्परत्लाकर, पृ० ५०)।

६२. संवतः। गृहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि अन्तस्वनावबूषणे। प्रोत्सृज्य मृन्मयं भाग्यं सिद्धमन्न तथैव च ॥ गृहादपास्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत् ॥ गोमयेनोपलेप्याय छागोनाम्रापयेद् ब्रुवः ॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रतंश्च हिरण्यभुशवारिणा। सर्वमम्यु-  
लयेऽश्न ततः श्रुत्यसदायम् ॥ अपराकं (पृ० २६५; सू० प्र०, पृ० १००-१०१; सू० कौ०, पृ० ३०३-३०४)।

६३. गृहेऽब्रह्मातिसर्वेऽऽशुद्धिः स्यादुपलेपनात् ॥ संवातो यदि जायेत बाह्यतार्वैर्निदिशोत् ॥ मरीचि (अपराकं, पृ० २०९; शुद्धि प्र०, पृ० १०१; सू० कौ०, पृ० ३०३)।

६४. भूमिगतास्वप्नबाधस्य प्रयतो भवति। आप० घ० सू० (१।५।१।५।२)।

रम (पारदर्शक) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध दृढ़ हो। शब्द का कथन है कि पृथ्वीली भूमि पर एकत्र एव बहुता हुआ जल नदीय दृढ़ होता है।<sup>१५</sup> देवल का कथन है कि स्वच्छ पान में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बाधी होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहला है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मृत्युत वह शुद्ध था)। किसी जीव द्वारा न श्लिषाया गया एव प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबा (जिन्हें विलाया नहीं जा सकता), नदियों, कूपों, वापियों के जल को उन मीठियों द्वारा प्रयोग में नदी लाना चाहिए, जो चाण्डालो एव अन्य अशुद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गये हो (अपरार्क, पृ० २७२, शृ०, प्र०, पृ० १०२)।<sup>१६</sup>

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पान तकले वाले प्राणियों अर्थात् किसी मनुष्य या पशु का शव पाया जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो शारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को वस्त्र से मुखा देना चाहिए, यदि कूप ईंटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि जलायी जाना चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पचकव्य डारना चाहिए।<sup>१७</sup> आप० (शु० वी०, पृ० २९९) में उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है—केश, विष्टा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का द्रव पदार्थ, शव—इनके पडने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उसमें मो घटे जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि अधिक पानी हो तो पचकव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए)। यही बात पराशर (७।३) ने भी वापियों, कूपों एव तालाबों के विषय में कही है।

याज्ञ० (१।१९७=विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एव जल जो सड़क पर चाण्डाल जैसी जातियों, वृत्तों एव कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एव अल, नावें, मार्ग और वे सभी जो पकी ईंटों से बने रहते हैं, केवल वायु एव सूर्य से पवित्र हो जाते हैं।

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-शास्त्रकल्प (शु० कौ०, पृ० २९१) का कथन है कि (गर्भों में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना चाहिए, और वह जल जिसे पैर से श्लिषा दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एव अपरार्क, याज्ञ० ३।१९२, शृ० प्र०, पृ० १६)।

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा घोषित हुआ

६५. भूमिच्छमुदकं शुद्धं शुचिं शोषं शिलागतम् । वर्षागन्धरसैर्दुर्ध्वैर्वर्जितं यद्विस्तम् भवेत् ॥ शंख (१६।१२-१३) ; शुद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १०२) ।

६६. अक्षोम्याणि तडागानि नदीवापीसरसि च । चण्डालाश्चशुचिस्पर्शे तीर्थतः परिचर्जयेत् ॥ अक्षोम्यानाम्पनां मासि प्रच्छुतानां च रूपणम् । देवल (अपरार्क, पृ० २७२; शृ० प्र०, पृ० १०२) ।

६७. मृतपंचनसात्कूपवायन्तोपहृतासाया । अपः समुद्धरेत्सर्वाः शोषं अन्वेषे शोभयेत् ॥ बह्मिप्रश्नार्त्तं कृत्वा कूपे एववेष्टकाचिते । पंचमर्षं ज्येष्ठेत् पदबाध्नवतोयसमुद्भवे ॥ बृहस्पति (अपरार्क, पृ० २७२) । और देखिए शु० कौ० (पृ० २९८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२३।४४-४५) ।

है कि जल सूर्य एवं चन्द्र को किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है, इनमें कुछ पदार्थ आधुनिक वैज्ञानिक लोगो से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं।

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३) के अनुसार वन में, प्रया (पीसरा या ध्याऊ) या कूप के पान से हुए घडे (जिससे कोई भी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (जो सभी के लिए रहते हैं) का एक चर्म-पात्र (चरम, मराव आदि) का जल, मले ही उससे शुद्ध का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य ठहराया गया है, किन्तु आपन-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन काल में भी जलामात्र में जल चर्म-पात्र या डोलक (मराक, जिसे आजकल मिर्चती काम में लाते हैं) में भरकर लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे।<sup>१</sup>

अब हम धातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। यौ० प० सू० (१।५।३४-३५ एवं १।६।३७-४१), वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मनु (५।१११-११४), याज्ञ० (१।१८२ एवं १९०), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), शश (१।६।३-४), स्मृत्यसंसार (पृ० ७०) ने धातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५।११३) का कहना है—'बुधा (विद्वान् लोग) ने उदघोषित किया है कि सोना आदि धातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने की वस्तुएँ (जो जूटे मोजन आदि में गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (पषा—सीपी, मूंगा, शस आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी शुद्धि उनके मूलमूल कारणों से ही होती है, अर्थात् जल से (घोडा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध होने पर)। ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, टीन (त्रपु या रीगा) और सीसा को क्षार (भस्म), अम्ल एवं जल से परिस्वित के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।' वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है—'त्रपु (टीन), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह भस्म एवं जल से शुद्ध होते हैं।' लिंगपुराण (पूर्वार्ध, १८।१।५८) ने कहा है—'काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा, त्रपु एवं सीसा शल्क से शुद्ध होते हैं, सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान शुद्ध किये जाते हैं।' और देसिए वामनपुराण (१।४।७०)। मेघातिथि (मनु ५।११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है—'कमि या पीतल के पात्र जब शायो द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें शायो सूँघ लें या जो कुत्तो द्वारा चाट या घू लिये जायें, जिनमें शुद्ध मोजन कर ले तथा जिन्हें कोए अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो जाते हैं।'<sup>२</sup> देसिए परादार मी (परा० मा०, जित् २, माग १, पृ० १७२)।

सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बीषा० प० सू० (१।५।३४-५० एवं १।६।३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३।२-५), शस (१।६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। इनका कतिपय नियमों में मतेक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० १।१९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्र-

६८. प्रपात्स्वरूपे घटयं च रूपे द्वौष्यां जसं कोदागतास्तपायः । ऋतेषु शूद्रास्तस्येयमाहुरापद्गतः काभितकत्तु पित्रेषु ॥ घम (अपराकं, पृ० २७३; मनु० प्र०, पृ० १०४) ।

६९. गवाप्रातलि कांस्थानि शूद्रोऽजित्यनि पात्रि च । शुष्कान्ति श्वाभि सारैः श्वकाकोपहृतानि च ॥ मेघा० (मनु ५।११३ एवं याज्ञ० १।१९०) ।

शुद्धि केवल अम्ल (सटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी—“घोने, चाँदी, भूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरो, काँसे, पीतल, टीन, सीसा के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्धकी चिपकी हुई न हो, यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि लगे हों तो वे अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र बूड़ो द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये गये हो या उनमें भोजन के कणों का स्पर्श हुआ हो तो उन्हें पहले गरम से माँजना चाहिए और तीन बार जल से धोना चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात् टूट न जायें, गल न जायें या जल न आये, तभी वे शुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तो, कौबो, भूड़ो या उच्छिष्ट भोजन से केवल एक बार छू जायें तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायें तो उन्हें २१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को बूढ़ व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से धोने एवं तपाने से तथा जल से धोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सब प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहृत हुआ हो तब वह पुनर्निर्मित होने में ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्हा किया गया हो, या जिसमें पर धोये गये हो उसे पृथिवी में छ मास तक गाढ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाता चाहिए (पराशर ७।२४-२५), किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाढ देना चाहिए। सभी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्धियों, यथा—मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायें तो सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, सब प्रसूता नारी या रजस्वला नारी में छू जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से धोये जाने के उपरान्त तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुनर्निर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।”

विष्णु० (२३।२ एव ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अल्पतः अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु अल्पतः अशुद्ध लकड़ी एवं मिट्टी के पात्र ह्याग देने चाहिए। किन्तु देवल का कथन है कि कम अशुद्ध हुए काष्ठपात्र सक्षय (छोलेने) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में भी ऐसा ही है)। किन्तु बसिष्ठ (३।५९) ने कहा है कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (श्लेष्मा), आसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध नहीं होते।”

वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विधिष्ट नियम हैं। बौधा० घ० सू० (१।५।५१-५२) के मत में यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विधिष्ट वैदिक यज्ञों से शुद्ध किये जाते हैं”, क्योंकि वेदानुसार जब उनमें सोमरस का पात्र किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५।११६-११७), याज्ञ० (१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शश (१।६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के

७०. महोर्मत्रं पुरीर्वर्षा श्लेष्मपूपाभ्रशोणितैः। सस्युर्ध्वं नैव शृष्येत पुनःपाकेन मन्मथम् ॥ बसिष्ठ (३।५९ = मनु ५।१२३)।

७१. वचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम्। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः। वी० घ० सू० (१।५।५१-५२)।  
वेदिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात् एक पुरोहितों द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है।

नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५।१।१६-११७) का कथन है—यज्ञिय पात्रो को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्म या छत्रे) से रगड़ना चाहिए और तब क्षमस एव प्याले यज्ञ मे ध्वबहत होने के पश्चात् जल से धोये जाते हैं; घट-स्वात्वी (जिसमे आहुति के लिए भात की हवि बनायी जाती है), स्रुव (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि मे घृत डाला जाता है) एव स्रुवि (अर्घ्यवृत्त-मुष्ठी काठ का करछुल) गर्म त्रल से शुद्ध किये जाते हैं, स्फुष (काठ की तलवार), सूर्य (सूप), गात्री (जिसके द्वारा सोम के पीये लाये जाते हैं), काठ का ऊलस (ओखली) एव मृगाल जल से स्वच्छ किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१।७४ के अनुसार जल-मार्जन मे शुद्ध किये जाते हैं)।

अशुद्ध अन्न एव सिद्ध भोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों मे सुविधा, साधारण जनकारी एव हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की डेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण मे परिणत कर देना चाहिए; एक द्रोग (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव मे अशुद्ध हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए), उसे बकरी को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।<sup>१</sup> और देखिए बी० घ० सू० (१।६।४४-४८)। यदि पान अशुद्ध हो गये हो तो उन्हें धोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हो तो केवल जल-मार्जन पर्याप्त है, मूसी हटाया हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। मही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक सिद्ध-भोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो बौओ या कुत्तो से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 'पक्वान्नं सुवर्जनं' (तैत्तिरीयब्राह्मण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१।७।९-१०) का कथन है कि केज एव कीटो (चींटी आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोच मारे गये या पैर से लग गये भोजन को नदी खाना चाहिए।<sup>२</sup> किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह बौए द्वारा छूना गया हो या उममे केज, कीट एव मक्खियाँ पड गयीं हो तो याज्ञ० (१।१।८९) एव पराशर (६।६४-६५) के मत से उस पर भस्म-मिश्रित जल एव घूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था दी है कि जिस भोजन मे केज (पहले से ही पडा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (मक्ष आदि) हो तो वह अशुद्ध बहा जाता है और उसे नही खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमे अपवित्र वस्तुमोजी कीट पडे हुए हो या जो किसी के पैर से घक्ना खा गया हो या जिसमे चूहे की लेंटी या धूँछ (या कोई शरीररोग) पडा पाया जाय, उसे नही खाना चाहिए।

मनु (५।१।१८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नो एव वस्त्रो के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ भी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राखि हो तो शोक्षण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो तो जल से धो लेना आवश्यक है। मनु (५।१।२५ = विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध भोजन (घाँडी मात्रा में), जिसका एक अन्न (मनुष्यो द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, मनुष्य के पैर द्वारा घक्ना खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा धीब दिये जाने पर, केज या कीटो के पड जाने पर घूलि

७२. अक्षिद्धस्यान्नस्य याचन्मात्रमुपहृतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनप्रक्षालने कुपार्त्। द्रोणाधिकं सिद्ध-मन्नमुपहृतं न कुप्यति। तत्सोपहृतमात्रमपास्य गावगयाभिमन्त्रितं स्रुषर्षाम्भि- प्रक्षिपेद् दातस्य च प्रदनापेदनेवच। विष्णु० (२३।११)। शुद्धिको० (९० ३।१७) ने 'सूर्यस्य दनापेदनेवच' पढ़ा है।

७३. निरयममोच्यम्। केजकीटापपमम्। रजस्वलाहृद्यनाहुनिपदोपहृतम्। गौ० (१।७।८-१०)।

एव जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७।१-७५) ने इस विषय में यों कहा है—'ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, जिसे कुत्ते ने चाट लिया हो, वीए न चाब स छू दिया हो, या जिस गाय या गधे ने सूंभ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, किन्तु यदि वह एक द्रोण या आठक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लना चाहिए। वह मांस, जिस पर कुत्ते की सार टपक पड़ी हो या जिसे कोई न छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और सोपाश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणा को उस पर वैदिक भजन (पवमान सूक्त आदि) का जाट स पाठ करना चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है।" शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि एक द्रोण से अधिक मात्रा धनित्र लोगो द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही अन्न द्रविदा के लिए एक आठक भोजन के विषय में भी लागू होती है।"

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा—तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह पाठी मात्रा में हो) उगम दो बुचा वा डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो जल-भाजन पयाप्त है।" शाल (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासा (वृक्षों से छा छाव या रस आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुतुम, अज एव सूत के विषय में शुद्धि प्राशङ्ग्य स हो जाती है।"

बुछ घात वस्त्र-परिधाना एव उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निर्मित होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु-आरवलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनन के लिए ध्वेत वस्त्र (घाती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि ध्वेत वस्त्र के हान चाहिए, किसी के स्पर्श से ये असुद्ध नहीं होते हैं। दोनों स युक्त हाकर लग मल-मूत्र का त्याग कर सकते हैं। प्रसर (उसर) पावर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), याज्ञ० (१।१८६-१८७) एव विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़ा अन्तर के साथ, यथा—रेशमी एव ऊनी वस्त्र लवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एव जल से भी), नपात्री कम्बल रोठे से, छाल से बने वस्त्र बेल के फल से एव क्षीम पट या सन से बना वस्त्र ध्वेत सरसा के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु (२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त असुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो सुद्ध करने से रहनी हो गया हो तो उस फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शाल (विदवस्त्र, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को गर्म वाष्प एव जल से सुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७।२८) ने कहा है कि बांस, वृक्ष की छाल, सन एव हई के परिधान, ऊन एव मूजपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोषण (पानी से धो देने) से स्वच्छ हो जाते हैं।

७४. काक्षयानावलीडं तु गवाप्रात खरेण वा। स्वल्पमन्न त्यजेद्विप्रः शुद्धिर्द्विगाढके भवेत् ॥ अन्नस्योद्भृत्य तन्मात्र यच्च कालाहतं भवेत् ॥ सुवर्णोदकमम्युष्य हृताग्नेर्व सापयेत् ॥ हृताग्नेने सस्पृष्ट सुवर्णसिल्लेन च। विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्य भवति तत्क्षणात् ॥ पराशर (६।७।१-७५) एव सु० प्र० (पृ० १२८-१२९)।

७५. द्रोण एव आठक की विनिष्ट जानकारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकार लेखकों ने एक द्रोण को चार आठक के समान माना है।

७६. ब्रह्मणां चैव सर्वेषां शुद्धिश्चत्पवन स्मृतम् ॥ प्रोषण सहतातां च वारवार्णां च तक्षणम् ॥ मनु (५।११५)। कुस्तुक ने व्याख्या की है—'प्रादेशप्रमाणकुशपत्रब्रह्मणाम्यामुत्पवनेन शुद्धिः'; शुद्धिप्रकाश (पृ० १३३) ने यों लिखा है—'उत्पवन वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाघपनयनमित्युक्तम् ॥'

७७. निर्यासां गुडानां च रुदणानां तर्पणं च। कुसुम्भकुतुमानां च कर्णाकारसियोस्तथा। भोक्षणात्कषिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ शाल (१६।११-१२)।





प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (धन), स्थल (जहाँ वे रहते थे या धार्मिक कृत्य करते थे), पात्रो (उनके द्वारा व्यवहृत बस्तुओं), भोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आयु-निर्वाकाल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कठे लगते होंगे, किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद् ७-२६।२ "आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि" एवं हारीत)। यह शातब्ध है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा—अग्नि की डेरी या सिद्ध अग्नि की पुञ्जीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सुविधा एवं साधारण जानकारी पर निर्भर थे। आजकल जहाँ भी कहीं भोजन, पान करते हुए हम सम्भवतः नियम-विरोध के सौमार्तिकरण से पीड़ित हो रहे हैं।

## अध्याय ९

### श्राद्ध

कई दृष्टियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है।

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिभाषा या दी है—'जो कुछ उचित बाल, पात्र एव त्वाण के अनुसार उचित (शास्त्रा-  
नुमोदित) दिवि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है।' मित्तासरा  
(याज्ञ० १।२।७) ने श्राद्ध को या परिभाषित किया है—'पितरा वा उद्स्य करक (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा-  
पूर्वक किसी वस्तु वा या उनसे सम्बन्धित निम्ना द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। कल्पतरु की परिभाषा यो है—'पितरों का  
उद्देश्य करक (उनके नाम के लिए) याज्ञय वस्तु वा त्याग एव श्राद्ध' द्वारा उनका ग्रहण प्रमाण श्राद्धस्वरूप है।'।  
उद्देश्य करक श्राद्धावयव एव श्राद्धप्रकाश न मित्तासरा व समान ही बताते हैं किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझाव-सी गयी है।  
याज्ञ० (१।२।८) अग्निपुराण १६३।४० ०१) का वचन है। 'पितरं त्याग, यथा—वस्तु, उद्द एव आदित्य, जा श्राद्ध  
के दयता है, श्राद्ध में सन्तुष्ट होकर मानवा के पूर्वपुरुषों का मन्तुष्ट देते हैं। यह वचन एव मनु (३।२।८४) की उक्ति  
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा—पिता, पितामह एव प्रपितामह त्रय से पितृ-देवा, अर्थात् वसुधो,  
इन्द्रा एव आदित्या के समान हैं और श्राद्ध करने समय उनको पूजो वा प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से  
श्राद्ध से इतना जाना कि निर्देश होता है, हाम, पिण्डदान एव ब्राह्मण-तर्पण (ब्राह्मण-सन्तुष्टि, भोजन आदि से); किन्तु  
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों का साथ साथ अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है।

१. अथ काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्। विनूनुद्दिश्य विद्वेष्यो दत्त श्राद्धमुदाहृतम् ॥ ब्रह्मपुराण  
(भाट्टनन्द, पृ० २ पृ० ६; पात्रकल्पलता, पृ० ३; परा० का० १।२, पृ० २९९)। मित्ता० (याज्ञ० १।२।७) में  
आया है— 'अथ श्राद्धात्प्रारम्भे तद्विधानोपयुक्तं वा इत्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः।' श्राद्धकल्पतरु (पृ० ४) में ऐसा  
कहा गया है— 'एतेन विनूनुद्दिश्य इत्यत्यागो ब्राह्मणत्वोक्तकरणस्य श्राद्धस्वरूप प्रमाणम्।' आर्द्धाश्रमाकीमुदी (पृ०  
१-४) का वचन है— 'एतेन श्रद्धया श्राद्धात्प्रारम्भे तद्विधानोपयुक्तं वा इत्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया त्यागः।' श्रद्धा-  
पूर्वक वस्तु वा या उनसे सम्बन्धित निम्ना द्रव्य का त्याग श्राद्ध है। कल्पतरु की परिभाषा यो है—'पितरों का  
उद्देश्य करक (उनके नाम के लिए) याज्ञय वस्तु वा त्याग एव श्राद्ध' द्वारा उनका ग्रहण प्रमाण श्राद्धस्वरूप है।'।  
उद्देश्य करक श्राद्धावयव एव श्राद्धप्रकाश न मित्तासरा व समान ही बताते हैं किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझाव-  
सी गयी है। याज्ञ० (१।२।८) अग्निपुराण १६३।४० ०१) का वचन है। 'पितरं त्याग, यथा—वस्तु, उद्द एव आदित्य, जा श्राद्ध  
के दयता है, श्राद्ध में सन्तुष्ट होकर मानवा के पूर्वपुरुषों का मन्तुष्ट देते हैं। यह वचन एव मनु (३।२।८४) की उक्ति  
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा—पिता, पितामह एव प्रपितामह त्रय से पितृ-देवा, अर्थात् वसुधो,  
इन्द्रा एव आदित्या के समान हैं और श्राद्ध करने समय उनको पूजो वा प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से  
श्राद्ध से इतना जाना कि निर्देश होता है, हाम, पिण्डदान एव ब्राह्मण-तर्पण (ब्राह्मण-सन्तुष्टि, भोजन आदि से); किन्तु  
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों का साथ साथ अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है।

कर्म, पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान करने से तीन पूर्व-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई में समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।४ एवं भगवद्गीता २।२२) के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह बतलाता है कि तीनों पूर्वजों की आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वायु में सन्तरण करते हुए चावल के पिण्डों की सुगन्धि या शारत्त्व वायव्य शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त याज्ञ० (१।२६९=मार्कण्डेयपुराण २९।३८), मत्स्यपुराण (१९।११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४१-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, सतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्य-पुराण (१९।२) में ऋषिया द्वारा पूछा गया एवं प्रश्न ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, क्या उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्युपरान्त) अच्छे या बुरे शरीर धारण कर चुके होंगे। वही (श्लोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तिओं के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रा एवं आदित्यों से समानरूप माने गये हैं, कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), उच्चरित मन्त्र एवं श्राद्ध आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं, कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण) देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण करता है, यदि वे दैत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया भोजन) उनके पास मूर्ति मूर्ति के आनन्दों के रूप में पहुँचना है, यदि वे पशु हो गये हैं तो वह उनके लिए पास हो जाता है और यदि वे सर्प हो गये हैं तो श्राद्ध-भोजन वायु बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धबल्यत्त (पृ० ५) में मत्स्य० (१९।५-९) के श्लोक मार्कण्डेय पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५) ने भी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है—यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को सन्तुष्टि मिलती है और कर्तों को मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा उत्तर यह है—'वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो सभी स्वानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अतः पितर लोग जहाँ भी हों वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रश्नकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य लोगो एवं परब्राह्मणों ने किया है।'

तन्द-पण्डितद्वारा श्राद्धकल्प ता (लगभग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विभिन्न कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाते हैं या अन्य प्रकार का जीवन धारण करते हैं, श्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। तन्द पण्डित ने पूछा है—'श्राद्ध क्यों अनुपयोगी है? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या

२. अयमात्मेद शरीरं निहृत्पाधिषां गमयित्वान्यन्नवतर कल्याणतर रूपं कुर्वते पित्र्यं वा गान्धर्वं वा वैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वान्येषां वा भूतानाम्। बृह० उप० (४।४।४); तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि वैही ॥ गीता (२।२२)।

३. 'कथं हि स्वकर्मनुसारादनेकविधयोनिगतपितृनुष्टयुपपत्तिः। शास्त्रप्रमाणकरवावस्थार्यस्याचोद्यमेतत्। ..... एते देवा वत्वादयः प्रीता प्रोणयन्ति यत्रतत्रत्वान् मनुष्याणां पितृन् श्राद्धात्तरसन्तुष्टयदानेनेत्यर्थः। सर्वप्राणि गतस्वाच्चैवाः सर्ववदित्यतपितृनुष्टयं सामम्यं मविददम्।' विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५, पृ० १७१)।

इसलिए कि श्राद्ध से फलो की प्राप्ति नहीं होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितृगण श्राद्ध से संतुष्टि पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि "विज्ञ लोगो को पूरी शक्ति भर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए"— ऐसे वचन मिलते हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ० (१।२६९) ने श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्राद्ध-कृत्यों में ऐसा नहीं है कि केवल 'देवदत्त' आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिवर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों—जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही घोषित होते हैं। जिस प्रकार 'देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरो (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं का घातन करता है, प्रत्युत वह शरीरो से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (वसु, रुद्र एवं आदित्य) के साथ 'देवदत्त' एवं अन्यो के सम्मिलित रूप का घातन करते हैं। अतः वसु आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रो आदि द्वारा दिये गये भोजन-पान से संतुष्ट होकर उन्हें, अर्थात् देवदत्त आदि को संतुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, सतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती माता दोहद (गर्भवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मयूर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं संतुष्टि प्राप्त करती है और गर्भस्थिन बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युत्पाकारक फल देती है, वैसे ही पितृ शब्द से घोषित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से वे अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता होते हैं, श्राद्ध से तपित (संतुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को संतुष्ट करते हैं" (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४)। श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस प्रकार बृहदा अपनी माता को इतस्तत फर्न्दी हुई अन्य गाँवों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त भोजन को पितरों तक लं जाते हैं।

श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण के आधार पर जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमें बहुत खोचानाती है। मार्कण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस बंधन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाता है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० १४।७४-७५)। इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ा कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में भर सकते हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट बल्बना है कि जहाँ दुग्धों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये है, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों बोंस दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशु आदि यौनि में परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनी सन्तानों को आयु, पन आदि दे सकते हैं ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही बहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे सकते।

४. यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विनवति मानरम् । तथा श्राद्धेषु वृष्टान्गो (वत्सान् ?) मन्त्रः प्रापयते तु तम् ॥  
मत्स्य० (१४।१७६); वासु० (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुर्वाणपाद (२१८-९०।९१), उपोद्घात-  
पाद (२०।१२-१३), जैसा कि स्मृतिषु० (आ०, पृ० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए भा० क० ल० (पृ० ५)।

प्रनीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-भूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत परचाराहीन हैं और हिन्दू धर्म में, जो ध्यायक है (अर्थात् अपने में सन्नी को समेट लेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण करत हुए भी श्राद्ध की परम्परा को ज्यो-नो-न्यो रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीविततावस्था में अपने प्रिय थे। 'आयंसमाज' श्राद्ध प्रथा का विरोध करता है और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों का वातप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है—'यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।४) में आया है—'वह, जिसका पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए।

जैसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-भूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्भिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती थी अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्राद्ध एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्-वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं। बौ० ध० सू० (२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ से निम्न व्यंजिकाला है कि पितर लोग पशियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्प-तव) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-१५=उत्तरार्ध १३।१३-१५) में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रा, अन्नो, प्रदानो, मन्थो, पेयो, गायो, अश्वो, श्रामो आदि में सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। मनु (३।१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१।८।५-७) ने व्यवस्था दी है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का कार्य करते हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अत आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिना तक अपने आवास को नहीं त्यागती, मृतात्मा अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के क्षतुदिक १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अत १० दिनों तक दूध (और जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के वष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके (मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पडना है)। विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) में आया है—'मृतात्मा श्राद्ध में 'स्वधा' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग

५. वयसां पिण्डं दद्यात्। वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते। बौ० ध० सू० (२।८।१४); न च पश्यत काकावीनु पक्षिणस्तु न वारयेत्। तद्रूपा पितरस्तत्र समापान्ति भूमत्सव० ॥ औशनसः; न चात्र वयनकाकावीनु पक्षिणः प्रतिषेधयेत्। तद्रूपाः पितरस्तत्र समापान्तीति वैदिकम् ॥ देवल (कल्पतव, श्राद्ध, पृ० १७)।

६. श्राद्धकाले तु सततं वायुभूता पितामहा। आयिशन्ति द्विजान् बुद्ध्वा तस्मादेतत् बभौमि ते ॥ अत्रैरुर्षं प्रवानंस्तं भक्षयेयंस्तयं च। शोभिरदन्तैस्तया श्रामं पूजयित्वा द्विजोत्समान् ॥ भवन्ति पितरः प्रीता पूजितेषु द्विजातिषु। तस्माद्वरेण विधिवत् पूजयेत् द्विजसत्समान् ॥ वायु० (७५।१३-१५); ब्राह्मणोक्ते समापान्ति पितरों हृत्स्मरिभगवः। वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा धान्ति परा गतिम् ॥ औशनसस्मृति।

में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप में हो, मन्त्रियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता है, जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एक श्राद्धवर्ता दोनों का तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।\*

ब्रह्मपुराण (२२०:२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए, जैसे, कर्हा, कव्य, विसर्ग द्वारा एवं दिन सामयिया द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने से पूर्व हमें 'पितृ' शब्द की अन्तर्निहित आदिनालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देरना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें साहित्य-प्रवाह मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी।

'पितृ' का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितर' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक् लोक के अधिवासी के रूप में बलिपत हैं। दूसरे अर्थ से लिए देखिए ऋ० (१०:१४:२ एवं ७, १०:१५:२ एवं १:१७:३२) — "वह सोम जो दक्षिणमानु होता चला जाता है और दूसरा जो दक्षिणमानु बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो पाग में बहता है, प्रवाणमान (मूर्ध) द्वारा जिनमें हमारी रक्षा की—वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्वान (जहाँ गोरों छिपाकर रगी हुई थी) का एक उच्चतर स्थल को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत का पीड़ित किया।" ऋग्वेद (१०:१५:१) में पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, परचात्कालीन एवं उच्चतर बहे गये हैं (ऋ० १०:१५:२)। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने बच्चों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०:१५:३)। वे कई श्रेणियों में विभक्त हैं, यथा—अगिरस्, वरुण, अथर्वन्, भृगु, नवग्य एवं दगाव्य (ऋ० १०:१४:५-६); अगिरस् लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०:१४:३-५)। ऋ० (१:६२:२) में ऐसा कहा गया है—"जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अगिरस्, जिन्होंने उसकी स्तुति-बन्दना की और जो स्वान को जानते थे। गौओं का पता लगा सके।" अगिरस् पितर लोग स्वयं दो भागों में विभक्त थे; नवग्य एवं दगाव्य (ऋ० १:६२:४, ५:३९:१२ एवं १:०६:२:६)। कई स्थानों पर पितर लोग मृत ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैं (ऋ० ४:४२:८ एवं ६:२२:२) और कभी-कभी नवग्य एवं दगाव्य भी मृत ऋषि पढ़े गये हैं (ऋ० १:६२:४)। अगिरस् नाग अग्नि (ऋ० १:०६:२:५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४:२:१५) के पुत्र बहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, विधेयत यम से साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७:७६:४, १:०:१४:१० एवं १:०:१५:८-१०)। वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १:०:१५:१ एवं ५, १:१७:३:२), वे कुश पर बैठते हैं (ऋ० १:०:१५:५), वे अग्नि एवं इन्द्र

७ पितृलोकगतश्चाग्रं धाट्टे भुंक्तं स्वधासमम् । पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छ्राद्धं प्रयच्छत ॥ देवर्षे यातनास्याने तिर्यग्योनी तमेव च । मानुष्ये च तपान्जोति धाट्टे वत्तं स्वबान्धवः ॥ प्रेतस्य श्राद्धवर्तुंश्च पुष्टिः धाट्टे हृते भुवम् । तस्माच्छ्राद्धं सदा कार्यं शोकं त्यक्त्वा निरपंक्तम् ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२:०:३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२:३:४९-५१)।

८. यह दृष्टिकोण यदि भारतीय (इण्डो-यूरोपियन) नहीं है तो कम-से-कम भारत-पारस्य (इण्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारसी शास्त्र कब्रियों (कब्रिस्त=अंग्रेजों बहुतबचन) के विषय में खर्चा करते हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में प्रयुक्त 'पितृ' या प्राचीन रोमकों (रोमवासियों) का 'मिनस' शब्द है। वे मृत लोगों के अमर एवं अविच्छेद्य बंधता थे। कमान: 'कब्रिस्त' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें बंधता तथा पृथिवी एवं आकाश जैसी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात् प्रायिके में कब्रियों पाया जाने लगा।

के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एव १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जात है (ऋ० १०।१५।१२)। जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरो के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१२-२ एव ५=अथर्ववेद १८।२।१०, ऋ० १०।१७।३)। पश्चात्कालीन ग्रन्था म श्री, यथा मार्कण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा को आरम्भ म चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है यथा—देव, असुर, पितर एव मानव प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)—‘इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुन । अन्योन्यपितरो ह्येते ।’

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को एकत्र करनेवाले यम एव पितरो के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एव ८, १०।१५।१४ एव १०।१६।५)। मृतात्मा पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सन् वरमं वाले पितरा एव विष्णु के पाद-न्यास (विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एव १०।१६।४)।

यद्यपि ऋ० (१०।६।३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) निवास करने वाला लिखा गया है किन्तु निरुक्त (१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है—‘हम श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एव पितामह की, जो बृहत् मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एव स्वर्ग में रहते हैं, पूजा करें।’ ऋ० (१।३।५।६) में आया है—‘तीन लोक हैं, दो (अर्थात् स्वर्ग एव पृथिवी) सविता की गाद म हैं, एक (अर्थात् मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।’ महान् प्रकाशमान (सूय) उदित हा गया है (वह) पितरों का दान है (ऋ० १०।१०।७।१)। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग हमने आगे तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एव अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१।६) म मनुष्यों, पितरो एव देवों के तीन लोक पुष्य-पुष्यक वर्णित हैं। ऋ० (१०।१३।८।१-७) में यम कुछ मित्र भाषा में उल्लिखित है वह स्वयं एक देव कहा गया है, कि प्रथम मनुष्य जिनने मार्ग बनाया (ऋ० १०।१४।२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरो की सगति में रहता है। कुछ स्थला पर वह निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४।७)। किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६।

पितरों की अय श्रेणियाँ भी हैं, यथा—पितरः सोमवन्तः, पितरः बर्हिषव एव पितरः अग्निष्वात्ता। अन्तिम दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एव ११=तै० सं० २।६।१२।२) म आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिभाषा यो की है—‘जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितरः सोमवन्तः कहे गये हैं, जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चरु एव पुराडाग के समान) दी और एक लोक प्राप्त किया वे पितरः बर्हिषवः कहे गये हैं, जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित किया और जिन्हें जलते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ता’ कहा गया है, केवल ये ही पितर हैं।’ और देखिए तै० ब्रा० (१।६।९।५) एव काठकनहिता (९।६।१७)। पश्चात्कालीन लेखकों ने पितरा की श्रेणियों के नामों के अर्थों म परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्दोपुराण (हेमाद्रि) में आया है—ब्राह्मणों के पितर अग्नि-श्वरस्त, शत्रिया के बर्हिषव, वैश्यो के काण्व, शूद्रों के सुकालिन तथा श्लेच्छो एव अस्पृश्यों के व्याम है (मिलाइए मनु ३।१९७)। यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरो की कई कोटियाँ दी हैं और चारा वर्णों के लिए क्रम से सोमया, हविर्भुज, आश्रयया एव सुकालिन पितरो के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि ब्राह्मणों के पितर अन्नमिदग्ध, अग्निदाघ, काण्व, बर्हिषव, अग्निष्वात्त एव सौम्य नामों से पुकारे जाने हैं। इन नामों से पता चलता है कि मनु न पितरो की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों एव इनकी परिभाषा के लिए भस्वपुराण (१४।१।४, १४।१।५-१८)। शातातपस्मृति (६।५६) म पितरा की १२

कोटियो या विभागो के नाम आये हैं, यथा—पिण्डभाज (३), संपभाज (३), नान्दीमुख (३) एव अभ्यमुख (३)। यह पितृ-विभाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एव ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात १।५३), पप० (५।१२-३), विष्णुधर्मोत्तर (१।१३।८।२-३) एव अन्य पुराणों में पितरों के मात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमूर्तिमान् हैं और चार मूर्तिमान, वहाँ उनका और उनकी सतति का विषय वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२।६।९-१०) ने पितरों को नौ कोटियों दी हैं, अग्निध्वजात्ता, बर्हिषद, आश्वयथा, सोमया, रश्मिया, उपहृता, आयन्तुन, श्राद्धभुज एव नान्दीमुखा। इस भूची में नय एव पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागो, उपविभागो विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्भवतः यह उसी भावना का एक दिग्दर्शन है। मनु (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्मूति हुई, पितरों से देवो एव मानवो को तथा देवो से स्थावर एव जगम के सम्पूर्ण लोक की उद्मूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरा से उद्मूत माने गये हैं। यह केवल पितरों की प्रसस्ति है (अर्थात् यह एक अंधवाद है)।

पितर लोग देवा से मिश्र थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पचजना मम होत्र जुषध्वम्' में प्रयुक्त शब्द 'पचजना' एव अन्य वचनों के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१।३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं अप्सराओं के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सप एव राक्षस। निरुक्त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और अपनी ओर से भी व्याख्या की है। षषड्वेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एव मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन वैदिक उक्तियाँ एव व्यवहार देवो एव पितरों में स्पष्ट मिश्रता प्रकट करते हैं। तै० स० (६।१।१।१) में आया है—'देवो एव मनुष्यो ने दिशाओं को बाँट लिया, देवो ने पूर्व लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यो ने पश्चिम एव रुद्र ने उत्तर।' सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्न के पूर्व आरम्भ किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शाश्वतयनब्राह्मण, ५।६)। शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर (और बायें हाथ के नीचे) यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा—'तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास (के अन्त) में (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एव चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।' देवो से उनसे कहा—'यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एव सूर्य तुम्हारा प्रकाश।' तै० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन पितरों में जो देवों के स्वभाव एव स्थिति के हैं एव उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है।

बौद्धिकमूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-वृत्त्यो एव पितृ-वृत्त्यो की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से दिया है। देव-वृत्त्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंधे एव दाहिने हाथ के नीचे रखता है एव पितृ-वृत्त्य करनेवाला दायें कंधे एव बायें हाथ के नीचे रखता है। देव-वृत्त्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणामुख होकर आरम्भ किया जाता है, देव-वृत्त्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया जाता है और पितृ-वृत्त्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है, पितरा के लिए एक वृत्त्य एक ही बार किया जाता है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या चात्त्रानुकूल कई बार किया जा सकता है, प्रदक्षिणा करने में दक्षिण भाग देवों की ओर किया जाता है और बायाँ भाग पितरों के विषय में किया जाता है, देवा को हवि या आहुतियाँ देते समय 'स्वाहा' एव 'व्यय' शब्द उच्चारित होते हैं किन्तु पितरा के लिए इस विषय में 'स्वधा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चारित होते हैं, पितरों के लिए दमं जब से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जब के ऊपर बाटकर। बोधा० धौ० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है। स्वयं ऋ० (१०।१।४।३ 'स्वाहायान्ये स्वधयान्ये मदन्ति')

१ प्रागपवर्गाभ्युदगपवर्गाणि वा प्राद्वमुखं प्रदक्षिण यज्ञोपवीतो बंधानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुखं प्रसभ्य प्राबोतावीनी पिन्नाजि। धौ० धौ० (२।२)।



ने देवों एव पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एव २।१।४।९) ने देवों को अमर एव पितरा को मर कहा है।

यद्यपि देव एव पितर पृथक् बोटिया में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवा की कुछ विशेषताओं को अपने में रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) न कहा है कि पितर भीम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों ने आकाश को नभश्चा मे मुञ्चोमिन किया (नभश्चेमि पितरो चामपिभन्) और अण्वार शयि में एव प्रकाश दिन में रखा। पितरों का गुप्त प्रकाश प्राप्त करने का देवों को कहा गया है और उन्द् 'उपा को उन्मन्न करने ज्ञान शीतित किया गया है (ऋ० ७।७६।३)। यहाँ पितरा की उच्चतम देवों की शक्ति या न ममन्विन माना गया है। भानि भानि के वरदानों की प्राप्ति के लिए पितरों का श्रद्धापूर्वक वृणाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार में प्राप्य कहा गया है। ऋ० (१०।१४।६) में पितरों से मुमति एव सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द देन (ऋ० १०।१५।४) एव यजमान (यजकर्ता) का एव उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्राथना की गयी है (ऋ० १०।१५।७ एव ११)। ऋ० (१०।१५।११) एव अथर्व० (१८।१।१६) ने सम्पत्ति एव धूर् पुत्र देन का कहा है। अथर्व० (१४।२।७३) ने कहा है—'ये पितर ओ वधू को देवता के लिए एकत्र होने हैं उस मन्तनियुक्त आनन्द दें।' वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है—'ह गितगे, (इस पत्नी के) गर्भ में (आग चक्रकर) कमला की माला पहनने वाला वच्चा रखो, जिसस वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय', जो उम समय कहा जाता है जब कि श्राद्धवर्तों की पत्नी तीन पिण्डों में वीच का पिण्ड खा लेती है।' इन घन्टों में यह नदी ममजना चाहिए कि पितरा व प्रति लोगों में मय-सत्त्व का सर्वथा अभाव था।" उदाहरणार्थ ऋ० (१०।१५।६) में आया है—"(वृद्धि करनेवाले) मनुष्य होने के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।" ऋ० (३।५५।२) में हम पढ़ते हैं—'ये देव एव प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गोओं या मार्ग) को जानते हैं, हम यहाँ ज्ञानि न पहुँचें।" ऋ० (१०।६६।१४) में ऐसा आया है—'वसिष्ठो ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एव ऋषियों के सद्गुण वाणी (मन्त्र) परिमार्जन की या गयी।" यहाँ 'पितृ' एव 'ऋषि' दो पृथक् कार्टियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना देवता में की गयी है।"

१०. आद्यत पितरों गर्भ कुमार पुष्करस्त्रजम्। यथेह पुष्योऽम्न ॥ वाज० म० (२।३३)। साविरगृह्य० (३।५।३०) ने व्यवस्था की है—'मध्यम पिण्डं पुत्रकामा प्राणयेदायत्तेति', और देखिए शोभिलगृह्य (४।३।२७) एव कौशिकसूत्र (८।१।६)। आश्व० श्रौ० (२।७।१३) में आया है—'पत्नीं प्राणयेदायत पितरों... स्त्रजम्।' जसिनी को पुष्करस्त्रजो कहा गया है, अत 'पुष्करस्त्रज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आयु वाला एव सुन्दर हो। 'यथेह... असत्' को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है—'येन प्रकारेण इहंय भित्ति पुष्यो देवपितृमनुष्याणामभीष्टपूरयिता भूयात् तथा गर्भमायत्त।' देखिए हलायुध का साह्याणसंबन्ध। कात्यायनश्रौ० (४।१।२२) ने भी कहा है—'आयत्तेति मध्यमपिण्ड पत्नीं प्राणयति पुत्रकामा।'

११. मिलाइए बुलियामीकृत 'इम्मांटल मंत्र' (पृ० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एव सुसंस्कृत काल के लोगों के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है।

१२. देवाः सौम्याश्च काव्याश्च अपञ्चानो ह्युयोनजाः। देवास्ते पितर सर्वे देवास्तान्वाद्यन्त्युत् ॥ मनुष्यपितर-इक्ष्वक्तेभ्योऽन्ये लौकिका स्मृता। पिता पितामहश्चैव तथा ध प्रपितामह ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२।७०-७१)। अग्नि-रश्मि-शुक्र-सर्वे कश्यपश्च महानृषिः। एते कुहकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वरा स्मृता ॥ एते च पितरौ राजश्रेयश्चाट्विध परः। प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मृच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (१२।२१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अगिरा, ऋतु एव कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्तों मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं।

वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितरः' शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विनिश्चित रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० १।६।१।५)। नक्षत्रशास्त्र (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह को पुराघास (राटी) देते समय क सूक्ता का उल्लेख किया है और कहा है कि वर्ता इन शब्दों को बहता है—'हे पितर लोग, यहाँ आकर आनन्द ला, बैला के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ' (वाज० स० २।३१, प्रथम पाद)। कुछ (तै० स० १।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है—'यह (भात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे पीछे आने हैं। किन्तु नक्षत्रशास्त्र ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं बहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनाती चाहिए— यहाँ यह तुम्हारे लिए है।' तै० ब्रा० (१।२।८।१।३) में तीन पूर्व पुराणों को स्वघात्रेयी कहा गया है। इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु (२।१।३ एवं ७।१।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र बोधकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए निर्भर रहने हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता एवं अन्य पूर्वजों की ही श्राद्ध का देवता कहा जाना है, न कि वसु रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्याता के लिए वर्णित हैं। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मण में यह बहना चाहिए कि मैं कृत्या के लिए पितरों को बुलाऊँगा और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे दत्त है तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात् पितरों का आह्वान करना चाहिए), यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरा का तात्पर्य है दत्ता म, अर्थात् वसुधा, रुद्रः एवं आदित्यो से तथा मानवों से, यथा— वर्ता के पिता तथा अन्यो मे। वायु० (५।६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व ने उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक पितरा (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देविए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे गये हैं।

वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में बिनाद वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५।६।१।८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं, काव्य, बर्हिष्व एवं अग्निप्लाता। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा बराह० (१।३।१।६), पद्म० (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०।१) ने मात प्रकार के पितरा के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान् हैं और तीन अमूर्तिमान्। शातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरा के नाम दिये हैं, पिण्डमाज, लेपमाज, नान्दीमुखा एवं अशुमुखा। स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे।

मूलकाल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक समी लोको ने श्राद्ध की महत्ता एवं उसमें उदात्त कृत्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्म० (२।७।१।६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी है—'पुराणे काले मे मनुष्य एव देव इती लोके मे रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते हैं। तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे श्राद्ध की सजा मिली है जो मानव जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाना है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिप्लाता) हैं, किन्तु ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोक्षन दिया जाना है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर माने जाते हैं।' इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० ध० सू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है कि श्राद्ध में ब्राह्मणों को बिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद १।१५ एवं १०।१९) ने मनु को श्राद्ध के कृत्या का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु० (४।४।३८) एवं भागवत० (३।१।२२) ने श्राद्धदेव कहा है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३।४।१।४-२१) एवं विष्णुपर्वोत्तर० (१।१।३।१।४-१६) में बताया है कि श्राद्ध प्रथा का

संस्थापन विष्णु के बराहवतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एव प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है (ऋ० ८।६३।१ एव ८।३०।३)। किन्तु यह शान्तिव्य है कि 'श्राद्ध' शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) 'महापितृयज्ञ' (घृतुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एव अष्टका आरम्भिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद् (१।३।१७) में 'श्राद्ध' शब्द आया है, 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों को समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध' शब्द के अन्य आरम्भिक प्रयोग मूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त तर्कशील एव सम्भव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई।

श्राद्ध की प्रदास्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों के कृत्यों से दीर्घ आयु, स्वर्ग, यज्ञ एव पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२।१।१) में आया है—श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३) का कथन है—श्राद्ध से बढकर श्रेयस्कर कुछ नहीं है। वायुपुराण (३।१।४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्राद्धपूर्वक श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एव अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रंगने वाले जीवों एव पितरों के सम्प्रदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एव सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से आयु, पुत्र, यज्ञ, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि (समृद्धि), बल, धी, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है। और देखिए याज्ञ० (१।२७०)। श्राद्धसार (पृ० ६) एव श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव धोषित है, पितामह को दिया गया सक्थंण तथा पिता को दिया गया प्रचुम्न धोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिष्ट कहलाता है। शान्तिपर्व (३।४।१।२१) में कहा गया है कि विष्णु को तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूर्मपुराण में आया है कि "अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण कर अपने पुराने निवास में द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एव प्यास से व्याकुल हो निरास हो जाते हैं, चिन्तित हो

१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जैसा कि गोमिलमूह्य० (४।४।१-२) में आया है—'अन्वष्टब्धस्यालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छ्राद्धमितरदन्वाहार्यम्।' और देखिए धा० प्र० (पृ० ४)। पिण्डपितृयज्ञ एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१।

१४. विश्वमायव्य स्वर्ग्यं यज्ञस्यं पुष्टिकर्म च। बौ० घ० सू० (२।८।१)। श्राद्धे प्रतिष्ठितो लोकः श्राद्धे योगः प्रवर्तते ॥ हरिवंश (१।२।१।१)। श्राद्धात्परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम्। तस्मात्सर्वप्रथमेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, ३३३)।

१५. आयुः पुत्रान् यज्ञं स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं धियः। पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात् ॥ यम (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३ एव श्राद्धसार पृ० ५)। ऐसा ही श्लोक याज्ञ० (१।२७०, मार्कण्डेयपुराण ३२।३८) एवं शंख (१।४।३३) में भी है।

जाते हैं, बहुत देर तक दीपं द्वास छोड़ते हैं और अन्त में अपने षड्भोजों को कोसते (उनकी भर्त्सना करते) हुए चले जाते हैं। ओ लोग अमावस्या को जल या शाक-भाजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अमिश्रापित कर चले जाते हैं।”

‘श्राद्ध’ शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ लिप देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द ‘श्रद्धा’ से बना है। ब्रह्मपुराण (उपयुक्त उद्धृत), मरीचि एव बृहस्पति वी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एव श्रद्धा में धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धवर्ता वा यह अटल विश्वास रहता है कि मृत या पितरो के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२।८।३) का वचन है कि ‘श्राद्ध’ नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५।१।५) में श्रद्धा को देवत्व दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२।२६।३, ७।३२।१४, ८।१।३।१ एव ९।१।३।४)। कुछ स्थला पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रत् एव घा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पुषत्-भृषत् रसे गये हैं। देखिए ऋ० (२।२।५), अथर्ववेद (२०।३।५) एव ऋ० (१०।१४।७।१=श्रुते दधामि प्रथमाय मन्यवे)। तै० स० (७।४।१।१) में आया है—“बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की, देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं उनके पुरोहित का पद प्राप्त रहूँ।” और देखिए ऋ० (१।१०।३।५)। निरुक्त (३।१०) में ‘श्रत्’ एव ‘श्रद्धा’ को ‘सत्य’ के अर्थ में व्यक्त किया गया है। वाज० स० (१।९।७) में कहा गया है कि प्रजापति ने ‘श्रद्धा’ को मत्प में और ‘अश्रद्धा’ को झूठ में रस दिया है, और वाज० स० (१।९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से होती है।

वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने ‘श्राद्धिन्’ एव ‘श्राद्धिक’ को ‘वह जिसने श्राद्ध-मोजन कर लिया हो’ के अर्थ में निश्चित किया है। ‘श्राद्ध’ शब्द ‘श्रद्धा’ से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९)। योग-सूत्र (१।२०) के भाष्य में ‘श्रद्धा’ शब्द कई प्रकार से परिभाषित है—“श्रद्धा चेतसः सप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनि पाति”, अर्थात् श्रद्धा को मन वा प्रसाद या अशोक (स्पर्धेयं) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यो की है—“प्रत्ययो धर्मवाप्येषु तथा श्रद्धेत्युदाहृता। नास्ति ह्यश्रद्धयानस्य धर्मकृत्ये प्रयोजनम्॥” (कृत्यरत्नाकर, पृ० १६ एव श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात् धार्मिक कृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय नहीं है उसे धार्मिक धर्म करने का प्रयोजन नहीं है। वात्स्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) में व्यवस्था है—‘श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से भी श्राद्ध करे (मले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हों)।’ और देखिए मनु (३।२।७५) जहाँ पितरो की सन्तुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्कण्डेय० (२।९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से धोनित्र किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरो द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे धर्म एव पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एव अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुनकस तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि वा साधन होता है।”

१६. श्रद्धया परया वत्सं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत् ॥ मार्कण्डेयपुराण (२।९।२७) । अन्यायोपार्जात्तर्येयं च्छ्राद्धं क्रियते नरैः । तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुत्रकसात्तानु योनिषु ॥ मार्कण्डेय० (२।८।१६) एवं स्कन्द० (७।१।२०५।२२) ।

हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे, (१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौतानियो में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौतानियो में यज्ञ नहीं करते थे, देखिए आश्व० गू० २।५।१०, हिरण्यकेशिगू० २।१०।१७, आप० गू० ८।२।१।१, विष्णुपुराण ३।४।३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाश्राद्ध। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के सख्य २, अध्याय ३० एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व है, किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अपिष्टाता देवों, अर्घुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतभेद नहीं है।

गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पारुष्यों एवं चालीस सस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात् किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (शं० ब्रा० ६।४।२।४०)। शं० ब्रा० (६।२।२।२३) में आया है—'पूर्णिमा के पश्चात् आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्नान (चुल्लि या चुल्ली, चुल्ही या चुल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्) अष्टमी पवित्र है और प्रजापति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के माध्य में शबर ने अथर्ववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्त्रपाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है—'वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए सुमंगल हो, त्रिगुणा लोग किसी की ओर आती हुईं गीं के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।'<sup>१७</sup> अथर्ववेद (३।१०।८) में सबत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० स० (७।४।८।१) में आया है कि 'जो लोग सबत्सर सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी है।' जैमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात् की अष्टमी कहा है। आप० गू० (हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठ मक्षत्र में होता है।<sup>१८</sup> इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठ में है, एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गू० (२।१५।९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।<sup>१९</sup>

आश्व० गू० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात् कृत्य) चार थे, हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात् मार्गशीर्ष, पीयूष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में सभी गृह्यसूत्र, यथा—मानवगू० (२।८), शाखा० गू० (३।१२।१), सादिरगू० (३।२।२७), काठकगू० (६।१।१), कौषीतकि गू० (३।१५।१) एवं पार० गू० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं, मार्गशीर्ष (आश्व-

१७ अष्टकालिगारच मन्त्रा येरे बुधयन्ते या अना प्रतिनन्दन्ति त्वेवमावय । शबर (जैमिनि० १।३।२)। शबर ने इसे जैमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है—'धां जना प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमिवापतीम् । सबत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमंगली ॥' और उन्होंने जोड़ दिया है—'अष्टकार्यं सुराससे स्वाहा'। अथर्ववेद (३।१०।२) में 'जना' के स्थान पर 'देवा' एवं 'धेनुमिवापतीम्' के स्थान पर धेनुमुपापतीम् आया है।

१८. पाणिनि (७।३।४५) के एक वातिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द 'अष्टन्' से बना है। पा० (७।३।४५) का ९वाँ वातिक हमें बताता है कि 'अष्टन्' से 'अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता पितर लोग हैं, और 'अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा 'अष्टिका सारो'।

१९ माघ की पूर्णिमा वर्ष का मूल कहलाती है, अर्थात् प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता था। पूर्णिमा के पश्चात् अष्टका दिन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्ष था और यह वर्षारम्भ (वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है।

हायण) की पूर्णिमा के पश्चात् आठवी तिथि (जिसे आपह्रायणी कहा जाता था), अर्थात् मार्गशीर्ष, पौष(तैष) एव माघ के कृष्ण पक्षों में। गोमिलगू० (३११०४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और सभी में मास दिया जाता है, विन्दु गौतम, औद्गाहमानि एव वार्कसिन्धि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गू० (२१११-१) के मत से तैष, माघ एव फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गू० (२१४२) ने एक विकल्प दिया है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) की भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गू० (२१११-१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वी, ८वी एव ९वी) को या केवल एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी सम्पादित हो सकता है। हिरण्य० गू० (२१४२) ने केवल एक अष्टका कृत्य की, अर्थात् माघ के कृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। मारदाज गू० (२१२५) ने भी एकाष्टका का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एकाष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गू० (२११४ एव १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात् ८वी, ९वी (जिस दिन पितरो के लिए गाय की बलि होती थी) एव १०वी (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैसानस-स्मार्तसूत्र (४८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या मार्द्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या ९वी तिथियों में होता है।

आहुतियों के विषय में भी मत-मतान्तर हैं। काठ० गू० (६१३), जैमि० गू० (२१३) एव शाखा० गू० (३१२२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मास एव अपूप (पूआ या रोटी) की आहुतियाँ दी जाती हैं, विन्दु पार० गू० (३१३) एव खादिरगू० (३१३२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपो (पुसो) की (इसी से गोमिलगू० ३११०१९ ने इसे अपूप्याष्टका कहा है) एव अन्तिम के लिए सिद्ध घाको की व्यवस्था दी है। खादिरगू० (३१४१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गू० (२१४७-१०), गोमिलगू० (४१११८-२२), कौणिव (१३८२) एव बौ० गू० (२१११५१६१) के मत से इसमें कई विषय भी हैं—माघ या भेड या बकरे की बलि देना, मुलम जगली मास या मधु तिल युक्त मास या गींठा, हिरन, भैंसा, सूअर, घासक, चित्ती वाले हिरन, रोहित हिरन कबूतर (या तीतर), सारण एव अन्य पक्षियों का मास या किसी बूढ़े लाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूध में पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा गायों या साँड के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या घेड़न को पाना रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका सम्पादन करता हूँ ऐसा बहकर थादसम्बन्धी मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न किसी प्रकार अवश्य करना चाहिए।"

२० अथ यदि गां न सभते भेषमत्र बालभते। आश्वयेन वा मासेन यथोपपन्नेन। सङ्गमगू० गमह्यमेववराह-पुषतनाशरोहितनाङ्गतिरिक्त्वापेनरूपिजलवाध्रौणसानामहाय्य तिलमधुससुष्टम्। तथा मस्त्यस्य शतवर्तं (?) क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यथा भवत्यामर्षा मूलफलं प्रधानमात्रम्। हिरण्येन वा प्रधानमात्रम्। अपि वा गोपालमा-हरोत्। अपि वानुषान्तेभ्य उरुबुभानाहरोत्। अपि वा धादमन्त्रानयोधोत्। अपि वारण्येनितना कलमनोपेदेवा भेदष्टकेति। न त्वेषानष्टकं स्यात्। बौ० गू० (२१११५१-६१), अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहुयात्। तस्या ह्यौषि धाना करम्भ शम्भुल्य पुरोदान उदोदन क्षीरोदनास्तिलोदने यथोपपाविषम्। कौणिवसूत्र (१६८-१-२)। वाधान्त के अर्थ के विषय में आगे लिखा जायगा।

यह मातृव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वातिक एव काठकगु० (६१११) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका के देवता के विषय में मत-भेदान्तर हैं। आश्व० गु० (२।४।३ एव २।५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गु० (२।४।१२) में अष्टमी के देवता के विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा—विश्वे-देव (समी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एव पशु। गोमिलगु० (३।१०।१) ने यह बहुरार आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा—अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव।

अष्टका की विधि तीन भागों में है, होम, होजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (मोजनोपरान्त उन्हें देखने तक) एव अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या चार हो, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य केवल एक मास में, अर्थात् केवल मास की पूर्णिमा के पश्चात् हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एव नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य की जानी चाहिए।

अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एव बौधायन के गृह्यसूत्रों में विशद विधि दी हुई है। आपस्तम्बगु० (८।२१ एव २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गु० (८।२१।१०) ने लिखा है—“कर्ता को एक दिन पूर्व 'अमान्त' कृष्णपक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य-करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की रात्रि में से) चावल लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ छोड़ो के मत से (पुरोबास की मति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। अभावस्था एव पूर्णिमा के यज्ञों की मति आर्यभट्ट नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या अपूप को आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष मास आठ भागों में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) 'मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों को अच्छा लगता है, बनाता हूँ' कथन के साथ गायत्री के दमं स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मीन रूप से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की बपा (मास) को पक्काकर और उसे नीचे फेंकाकर तथा उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मास भाग के सात मन्त्रों (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात् वह दूध में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र (२।२१।१ 'उक्थ्यश्चातिराजद्व') के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१।२-९) के साथ घृत की आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत् के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० गु० ८।२१।१-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात् कृष्णपक्ष की नवमी को) ही पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गायत्री के मास का उतना अन्न, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।”

यद्यपि आप० गु० (२।५।३) एव शारदा० गु० (३।११।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ-यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा सादिर० ३।५ एव गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गु० एव विष्णुधर्मसूत्र (७४) में मध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गु० का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मातृव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका

कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (सादिर० ३।५।१)। इसे पार० गू० (३।३।३०), मनु (४।-१५०) एव विष्णु० (७।४।१ एव ७६।१) ने अन्वष्टका की सजा दी है। अत्यन्त विरिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में स्त्री पितरो का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड, अजिन, लेप एव मालाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आश्व० गू० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एव अन्वष्टक्य मानिक श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बौधा० गू० (३।१२।१), गोमिल० (४।४) एव सादिर० (३।५।३५) ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एव अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काटक० (६६।-१।६७, ६८।१ एव ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध पशुश्राद्ध (त्रितम पशु का मास अर्पित किया जाता है) एव मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण कर्त्तव्य है। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह बात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात् केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, दोष लोगों के पास केवल गृह्य अनियाँ थी और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी को पिण्डपितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, अमावस्या के दिन श्राद्ध करना दोग रह गया और सूत्रो एव स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-श्राद्ध के रूप में रह गया और अन्य श्राद्धों के विषय में सूत्रो एव स्मृतियाँ न केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी से मासि-श्राद्ध ने प्रकृति की सजा पायी और अन्य श्राद्ध विवृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-श्राद्ध में पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थी और कुछ बातें, यथा—अर्घ्य देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयी तथा कुछ अधिक विवाद नियम निर्मित कर दिये गये।

अन्वष्टक्य का वर्णन आश्व० गू० (२।५।२-१५) में इस प्रकार है—उसी मास का एक भाग तैयार करके, दक्षिण की ओर ढालू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और पिरो शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, अग्नि के चारों ओर मंत्रिय पास (कुत्ता) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूत्रों को उससे दूर रखकर, अपने वामाग की ओर रखकर उसे (कर्त्ता को) हवि, यथा—मात, तिलमिश्रित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ मोठा मोहन एव मधु के साथ मास रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्म करने चाहिए (आश्व० श्रौ० २।६)। इसके उपरान्त मोठे छाव पदार्थ को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग पितरो को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एव माँड मिलाकर देना चाहिए। कुछ लोग हवि को गड़दों में रखने को बहते हैं, जिनकी सख्या दो से छ' तक हो सकती है। पूर्व वाले गड़दों में पितरो को हवि दी जाती है और पश्चिम वाले में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद) की पूजिमा के पदवात् कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्त्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका जैसा कृत्य) पितरो के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषय सख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात् विषय सख्या में ब्राह्मण एव त्रिययाँ होनी चाहिए)। उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषय सख्या वाले ब्राह्मणों को मोहन देना चाहिए। मासिक अवसरो एव कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम सख्या में ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए तथा अन्य अवसरो पर विषय सख्या में। यह कृत्य बाँयों से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर यव (जी) का प्रयोग होता है।”

२१. उस पशु का मास जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आश्व० गू० २।५।१३)।

२२. 'वृद्धि' या 'आम्बुदयिक' (समृद्धि या अच्छे मास्य की ओर संकेत करनेवाले) याद पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र



अन्वष्टक्य वृत्त्य प्रत्यक्ष तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था।

आश्व० गृह्यसूत्र (२।५।९) में माघ्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारायण के मत से यह कृत्य माद्रपद वृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात् सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो माद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामान्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माघ्यावर्ष या मघावर्ष है (धर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता है)। विष्णु० (७६।१) ने धाढ़ करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है—(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्टकाएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के माद्रपद वृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त की ऋतुएँ। विष्णु० (७८।५२-५३) ने माद्रपद की त्रयोदशी के धाढ़ की बरी प्रणसा की है। मनु (३।२७३) का भी कथन है कि धर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मघु के साथ पितरो को जो कुछ अर्पित किया जाता है उससे उन्हें असौम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐंसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ० (१।२६) एवं बराहपुराण में भी पाया जाता है। हिरण्य० गू० (२।१३।३-४) में माघ्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मास अनिवार्य है, किन्तु मासाभाव में शास्त्र अर्पित हो सकते हैं। पार० गू० (३।३) में मघ्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपराज ने भी इसे मघ्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२)। मविष्यपुराण (ब्रह्मपर्व, १८३।४) में भी इस कृत्य को और संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मास का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो माद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, परचात्कालीन महालय-धाढ़ का पूर्ववर्ती है।

यदि आश्वलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि नारायण के मतानुसार माद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित हानवाले माघ्यावर्ष धाढ़ को मान लिया जाय तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुर्विंशतितमसग्रह में भट्टाजी ने भी यही कहा है।

स्यानाभाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है।

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका धाढ़ क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मास धाढ़ प्रकृति धाढ़ है जिसकी अष्टका एवं अन्य धाढ़ कुछ सन्तोषनों के साथ विकृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैं।

गौमिलगू० (४।४।३) में अन्वाहार्य नामक एक अन्य धाढ़ का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शाखा० गू० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक् मासिक धाढ़ की चर्चा की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है—'पितृयज्ञ (अर्थात् पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो आग्नेहोत्री अर्थात् आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक धाढ़ करना चाहिए। बुध लोग इस

या कन्या के विवाह के अवसर पर किये जाते हैं। बुद्धि-धाढ़ को नान्दीमुख भी कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है कूप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण कार्य जो वातस्वस्वरूप होता है। इसलिए इस ग्रन्थ का सङ्क २, अध्याय २५ एवं याज्ञ० (१।२५०) तथा शा० गू० (४।४।१)।

मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पादित करना चाहिए।' इससे प्रबल होता है कि आहिताग्नि को श्रौतान्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौतान्नि नहीं रखते थे उन्हे अमावास्या के दिन गृह्याग््नियो में पिण्डान्वाहायक (या केवल अन्वाहायक) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हे स्मार्त अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ भी करना पड़ना था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहायक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माप (उर्द) का अर्पण होता है, अब कुछ आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौतान्निया में मांस नहीं अर्पित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से बनी पशुप्रातमा) को आहुतियाँ देते हैं।

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विद्याल है। वैदिक महिताओं से लेकर आग्निव टीकाओं एवं निबन्धों तक में श्राद्ध के विषय में विराट् वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्रा श्लोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवेचन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पाषी बन जाय। हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालेंगे। वैदिक साहित्यों एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों, गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों से लेकर आरम्भिक स्मृतिग्रन्थों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेधातिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपराज की टीकाओं द्वारा उपस्थित विवेचना से लेकर मध्यकालिक निबन्धों तक का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवल द्वाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत-मतान्तरों को, जो कालान्तर में दगा, काला, शाखाओं, देशाचारों, क्षेत्रों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो-वृत्तियों तथा समर्थनाओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ने जायेंगे। पौराणिक काल में कनिष्क शाखाओं की ओर सबेते मिलन है।" स्मृतियाँ एवं महाभारत (यथा—अनुशासनपर्व, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की सम्या अपाग है। इस विषय में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगी—श्राद्धवत्पतर, अनिरुद्ध की हारलता एवं पिन्दुदयिता, स्मृत्यर्थसार स्मृतिचन्द्रिका, चतुर्वर्गचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (विधिलोचिका इण्डिका माला, १७१६ पृष्ठा में), रघुपर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिंहप्रसाद का एक भाग), गौविन्दानन्द की श्राद्धक्रियाशीलदी, स्मृत्तन्दन १। श्राद्धतत्त्व, श्राद्धसौख्य (दोडगनन्द का एक भाग), विनायक उर्फ नन्द पण्डित की श्राद्धवत्पलता, निर्णयमिन्धु, नोदकवृत्त का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरभिमोदय का एक भाग), दिवाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), धर्मसिन्धु एवं मिताक्षरा की टीका—वालभट्टी। श्राद्ध-सम्बन्धी विराट् वर्णन उपस्थित करने समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों में, यथा—देवा को भोजन-अर्पण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, परिवर्तित की परिभाषा, वृषनीपति आदि से, श्राद्ध सम्बन्धी ग्रन्थों का आचार बितना बढ़ गया है।

संक्षेप में हम श्राद्धाधिकारियों अर्थात् श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे। इस विषय में इस पन्थ के मण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस मण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया गया है। यह ज्ञातव्य है कि कुछ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—विष्णुधर्मसूत्र) में व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे

२३. स्वर्गपुराण (नागरलक्ष, २१५।२४-२५) में आया है—दृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजानां श्राद्धशर्मणि।  
श्राद्धस्य बहवो भेदाः शालाभेदेष्ववस्थिताः ॥

उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (६५।१२-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट् मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात आदि अनायों (जिन्हें महाभारत में दस्यु कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को भोजन एवं धन देना चाहिए) का सबते हैं और ब्राह्मणों को धन भी दे सकते हैं।<sup>१</sup> वायुपुराण (८३।११२) ने भी श्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल-स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र की तथा बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पश्चात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्मसंकट था। यह बात भी गोमिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१)। अपराकं (५० ५३८) ने घटत्रिधामत का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े भाई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु बृहस्पराधर (५० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बोधायन एवं बृहत्सामाताप (स्मृति०, श्राद्ध, ५० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके बचनों का पालन करता है, प्रतिशयं (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।<sup>२</sup> एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा दूद के समान है और वह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० ध० सू० २।६।१५।१९; शौतम २।४-५, वसिष्ठ २।६, विष्णु० २८।४० एवं मनु २।१७२)। किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म में सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है और 'शुभ्यन्ता पितर' जैसे मन्त्र का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रोतान्नियो या गृह्याग्नियो के अभाव में वह पार्वण जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्पसार (५० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (द्विजका अभी उपनयन-सम्कार नहीं हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं बूढ़ों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गौत्र या दो मन्त्रों, यथा—'देवेभ्यो नम' एवं 'पितृभ्यः स्वधा नम' का उच्चारण कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुत्र्यो, स्त्रियो एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना पड़ता था।

२४. यवना किराता गान्धारादीनां शबरबर्बराः। शकास्तुवाराः कः। इव पल्लवाश्चाङ्गमित्रकाः ॥... कथं धर्मान्दरिष्यन्ति सर्वे निययवास्तिन। नद्विद्वेषश्च कथं स्वान्याः सर्वे वै दस्युर्जीविनः ॥... मानापिभोहि शुश्रूषा कर्तव्या सर्वदस्युभिः।... पितृयज्ञास्तथा कृपा प्रयाश्च शयतानि च। दानानि च यथाकाल द्विजैर्म्यो विसृजेत्सदा ॥... पाकयज्ञा महाहविश्च दातव्याः सर्वदस्युभिः। शान्तिपर्व (६५।१२-२१)। इस पर ब्राह्मणमहाकाण्ड (५० ५५) में निम्नलिखित है—  
'इति श्लेच्छादीनां श्राद्धविधानं तदपि सजातीयभोजनव्यवधानादिपरम्।'

२५. जीवतो वाक्यकरणात् प्रस्यश्च भूरिभोजनात्। यथामां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ त्रिष्व-  
सीतेषु (५० ३१९)।

तै० स० (१।८।५।१) एव तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एव प्रपितामह तीन स्व-सबधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदायाद सपिण्ड कहे जाते हैं—प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति (जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी को जाति वाली पत्नी से उत्पन्न) पौत्र एव प्रपौत्र। सकुल्य वे हे जो विभक्तदायाद है, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।<sup>१</sup> मनु (९।१३७ = वसिष्ठ १७।५ = विष्णु० १५।१६) ने लिखा है—पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोको (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है—'अपने पुत्र, पौत्र एव प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एव स्वर्ग प्राप्त करता है।' अन जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता है, तो दायमाग (९।३४) में व्याख्या की है कि 'पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशज वा द्योतक है, क्योंकि तीनों को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान में अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और 'पुत्र' शब्द को सङ्कुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में बड़ी बढिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक् ढग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एव पिण्डदान-वर्ता है। याज्ञ० (२।५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से प्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसने ऋण पुनर्ग या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र या पौत्र का धन-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के साथ ब्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने बहुस्पति को उद्धृत कर कहा है कि 'यहाँ रामी वंशज एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी 'पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२।५१) ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० 'पुत्र' शब्द में 'प्रपौत्र' को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२।५०) में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख को आवश्यकता की बात ही नहीं उठनी। इसमें अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ 'पुत्रही-नस्य विविधन') ने 'पुत्र' के अन्तर्गत 'प्रपौत्र' को सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके धन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और 'पुत्र' शब्द में तीनों वंशज आते हैं (जहाँ भी वही कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो)। यदि 'पुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना

२६. अपि च प्रपितामह, पितामह, पिता स्वयं शोदयां भ्रातरः सर्वायाः पुत्रः प्रपौत्रः प्रपौत्र एतान् विभक्तदायादान् सपिण्डानाघशाने। विभक्तदायादान् सकुल्यानाघशाने। तत्सवद्भजेषु तद्गामो ह्येषो भवति। बौ० ध० सू० (१।५।११३-११५)। इसे दायभाग (१।१३७) में उद्धृत किया है और (१।१३८) में व्याख्यायित किया है। और वेदिए दायतव्य (५० १८९)।

जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ सकती होंगी। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात् एक आते हैं। यदि 'पुत्र' का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या (जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः 'पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित सदर्थ में विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, कौरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ 'पुत्र' शब्द में तीन वचनों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मितालारा दायधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे 'पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें प्रपौत्र को भी सम्युक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समोसा में प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वचनों का उल्लेख किया है और सप्त-लिखित, वसिष्ठ (१।१३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के साथ में केवल 'पुत्र' या 'सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापटिया (हिंदू किंगडम, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विद्वानेस्वर 'पुत्र' शब्द से केवल पुत्री एवं पौत्रों की ओर संकेत करते हैं, निराधार है।

त्रिष प्रकार राजा दायदहीनो का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्को का अभिभावक है, उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है।

अब हम श्राद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में देख लिया है कि सप्तम ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा—भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। शं० ब्रा० एवं तै० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आह्निक यज्ञ जिसमें पितरों को स्वर्षा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण (जल से पूर्वजों की सतुष्टि) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्भिक रूप में श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १।५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार की होती है, सिनीवाली एवं कुहू। आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू अमावास्या में श्राद्ध करते हैं।

श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा—आह्निक, अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-था हो, यथा—युगोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य कहते हैं, यथा स्वयं, सतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात् उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, विन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि-ह्यार्थ नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात् इन कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० ध० सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित कालों की व्यवस्था दी है, यथा—इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्ण को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों की अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१।५।३)

एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा सकता है और गौतम (१।५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा—नाया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूर्म० (२।२०।२३) ने भी कही है। अग्नि० (११।५।८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है (न कालादि गयातीर्थं दद्यात् पिण्डाश्च नित्यम्)। मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरम्भ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि (दशमी एव द्वादशी) और सम नक्षत्रों (अरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, भृगुशिरा आदि) में ऐसा करता है तो माय्याश्ली सतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्न को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७।१८) ने भी ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१।२।१७-२।८), कूर्म० (२।२०।२-८), मार्कण्डेय० (२।८।२०) एव बराह० (१।३।३३-३५) ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है—अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन (यथा—दुर्गात्मति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्भ करता है), पर्वण्य सम्भारों (मात, दाल या भास आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण वा आगमन, विपुवत रेखा पर सूर्य वा आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक ज्योतिषमणियों, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कर्मकर्ता के मन में तीव्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो गया हो—यही काल श्राद्ध-सम्पादन के है।<sup>१</sup> मार्कण्डेय (२।८।२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए

२७ अपराह्नं (पृ० ४२६) ने 'व्यतीपात' की परिभाषा के लिए वृद्ध मनु को उद्धृत किया है—'धवणाश्वि-घनिष्ठाश्रानागदेवतमस्तके। यद्यथा रविधारेण व्यतीपात स उच्यते ॥' और देखिए अग्निपु० (२०।१।३३)। जब अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन धवण नक्षत्र में या अश्विनो, घनिष्ठा, आर्द्रा में या आदलेवा के प्रथम चरण में होता है तो उस घण्टी को व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'भृगुशिरोनक्षत्र' कहते हैं। बाण ने अपने हर्षचरित में 'व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशिघोष की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा की गयी है—'पञ्चाननस्थो गृहभूमिपुत्री मेवे रवि स्याददि शुक्लपक्षे। पाशाभिधाना करभेन युक्ता त्रिध्व्यतीपात इतीह योगः ॥' (भा० क० त०, पृ० १८-१९)। जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, बृहस्पति एव मंगल सिंह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मघा नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु की प्रबोधनी होती है। विश्वरूप (याज्ञ० २।२।१८) ने उद्धृत किया है—'यदि स्याच्चन्द्रमाः विभवे करे चंद्र दिवाकरः। वर्षानु च प्रबोधनी सा छया कुञ्जरस्य तु ॥' अपराह्नं ने काठकर्मिणी को उद्धृत किया है—'एतच्छि देवविभूनां चायन यज्ञस्तिच्छाया'। मितारशर और अपराह्नं (पृ० ४२७) दोनों में यही ध्वन है। कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ९) एव हृत्परत्नाकर (पृ० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत किया है—'योगो मघात्रयोदशी कुञ्जरच्छायसत्तित'। भवेग्मघायां सत्ये च शशियुक्तं चरे स्थिते ॥' सौरपुराण ने इसे इस प्रकार व्याख्यापित किया है—'श्राद्धपक्षे प्रबोधनी मघास्तिवन्तु करे रवि ।' स्कन्दपुराण (६।२००।४२-४४) ने 'हस्तिच्छाया' की व्याख्या कई प्रकार से की है। अग्निपुराण (१।६।३-४) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग पञ्चच्छाया का दार्ष्टिक अर्थ लेंते हैं और कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में श्राद्ध-सम्पादन होना चाहिए। वनपर्व

जब व्यक्ति दुस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त समय स्पर्शकाल का है (अर्थात् जब ग्रहण का आरम्भ होता हो), यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक श्लोक में आती है। ब्रह्म-पुराण (२२०।५।१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए स्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१।४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९।१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) के मत में अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, माद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है, श्राद्ध एवं वसत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के घोटक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनो विषु-वीय दिन, विशेषत उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों का काल—आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० (उत्तरार्ध १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। सत्राति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० प० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ० (१।२६२-२६३), ब्रह्म० (२२०।१।५।२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५०), कूर्म० (२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलती। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो सम्भवत अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है—कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अपोलिखित फल देता है—सप्तान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ऋतुओं को करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे धरलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विधा से) मघास्वी होंगे और कर्ता सततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यानी एवं जुआरी कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को)। शार्ङ्ग (परा० मा० १।२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात् वाले नक्षत्रों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा व्यक्ति मर जाते हैं।

विष्णुध० सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक हैं और जो विशिष्ट तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। परा० मा० (१।१, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन सत्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तर्हित रहस्य (परम तत्त्व) की जान-

(२००।१२१) का कहना है कि वह भाद्र, जिसमें हाथी के कान पला झलने का काम करते हैं, सहस्रों कल्प तक संवृष्टि देता है। अथर्वकं (पृ० ४२७) में ऋग्वेद से उद्धरण लेकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के कानों द्वारा पंखा झलने समय श्राद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अर्पित किया जाता है वह सोहीत रंग के बकरे का होता है।

कारी की अभिक्रिया भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात् यह 'विविदिपाजनक' है, जैसा कि गीता १।२७ में संकेत किया गया है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णमास याग) अवश्य करने चाहिए, मले ही कर्ता उनके कुछ उपहृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो, उन्होंने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि काम्य कृत्यों के सभी भाग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए।

विष्णुघ० सू० (७।८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगी से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है और वे जो सोम, मयल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौम्य (या प्रसन्न), युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अमोघ ज्ञान, धन एवं लम्बो आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है।

विष्णुघ० सू० (७।८।८-१५) ने कृत्तिका से भरणी (अभिजित् को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों में उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ० (१।२६५-२६८), वायु० (८२), मार्कण्डेय० (३।०।८-१६), कूर्म० (२।२०।९-१५), ब्रह्म० (२२।०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १।८।१)। किन्तु इनमें मर्तव्य नहीं पाया जाना, जिमका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है।

अग्नि० (१।१७।६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं (पितरों को) अक्षय सन्तुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य० (१७।४-५), पद्य० (५।१।१३०-१३१), बराह० (१३।४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द० (७।१।२०।५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयादशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात् चारों युगों के प्रथम दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६-८), अग्नि० (१।१७।१६२-१६४ एवं २०।१।१६-१८), सौरपुराण (५।१।३३-३६), पद्य० (सृष्टि० १।१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं—आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्वरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० मा० (१।१ पृ० १५६ एवं १।२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धृत है। स्कन्द० (७।१।२०।५-३६-३९) एवं स्मृत्यर्थसार (पृ० ९) में कम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

आप० घ० सू० (७।१।७।३-२५), मनु (३।२।८०), विष्णु घ० सू० (७।७।८-९), कूर्म० (२।१६।३-४), ब्रह्माण्ड० (३।१।४।३), भविष्य० (१।१८।५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोपूल-जाल), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ हो तब—ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्न में आरम्भ हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तब सूर्य डूब जाय तो कर्ता को श्राद्ध-सम्पादन के दोष कृत्य दूसरे दिन करते चाहिए और उसे दर्शों पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता भी सभी सुविधाओं एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कूर्म० का कथन है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात् उसे पाप लगता है या उसका नाश हो जाता है)। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि ————— भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवल भोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो



ग्रहण-काल में श्राद्ध-भोजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलो की प्राप्ति करता है।<sup>१८</sup>

श्राद्धकाल के लिए मन (३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अर्थ के विषय में अपराह्न (पृ० ४६५), हेमाद्रि (पृ० ३१३) एवं अन्य लेखको नया निबन्धों में विद्वत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०।३।५।११) में आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के 'पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह्न कहा जाता है। तीसरा मत यह है कि पाँच भागों में विभक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२।२।३।९) पर निर्भर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं—प्रातः, संघ, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्न एवं सायाह्न (सायं या अस्तगतमन)। इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१।५६-१।५७) में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुहूर्तों तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तों में बाँटा जाता है)। इसने आगे कहा है कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहूर्त के आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है।

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३२०) ने कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात् पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं—मध्याह्न, स्रष्टापार (गेंद के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (बाँदी), दर्मे, तिल, माय एवं रौहिण (हम्मरा का पुत्र)। सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु बृद्धिश्राद्ध और आमश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३।२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है।<sup>१९</sup> त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसने परचात् वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री सग्रहण के काल में प्रथम को ही बरीयता देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अब हम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को प्रयास करते दक्षिण की ओर ढालू मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते हों, उस मूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलो, नदी-तटों एवं उस स्थान पर किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने सक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध-

२८ न च नक्त श्राद्धं कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनमा समापनात् । अन्यत्र राहुवर्जनात् । आप० घ० सू० (२।७। १।७।२३-२५) ; नक्त तु वर्जयेच्छ्राद्ध राहोर्न्यत्र वर्जनात् । सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्रं च राहुवर्जने । उपरान्ते न कुर्यात् पद्धं गौर्त्वि संवत् ॥ कर्म० (२।१६-३।४) । पशवि 'चन्द्रसूर्यग्रहे नाद्यत्' इति ग्रहणे भोजननियमस्तथापि भोक्तुर्वोचो वातुरम्बुधय । मिता० (याज्ञ० १।२।७-२।१८) ।

२९. पूर्वाह्ने देविक कार्यमपराह्णे तु पंतुकम् । एकोद्विष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्बुद्धिनिमित्तकम् ॥ मेघातिथि (मनु ३।२४३) । दीपकलिका (याज्ञ० १।२२६) ने इस श्लोक को वासुपुराण के श्लोक के रूप में उद्धृत किया है।

स्थल चतुर्दिक् से आवृत, पवित्र एव दक्षिण की ओर बालू होना चाहिए। शस्य (परा० मा० ११२, पृ० ३०३, आ० प्र०, पृ० १४०, स्मृतिच०, धाढ, पृ० ३८५) का कथन है—'बैलो, हाथियो एव षोडो की पीठ पर, ऊँची भूमि या झूठे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२।२२।१७) में आया है—'वन, पुष्प पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर—इनके निश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई किसी अन्य की भूमि पर अपने पितरो का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरो द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट कर दिया जायेगा है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विरोधत अपनी भूमि पर, पर्वत के पास के लता-कुजों एव पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है और जोशा है—'इनमें एव अन्य तीर्थों, बड़ी नदियों, सभी प्राकृतिक बालूका-तटों, झरनों के निकट, पर्वतों, कुजों, बनो, निकुञ्जों एव गोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए)।' शस्य (१४।२७-२९) ने लिखा है कि जो नदी कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गंगा, यमुना एव पयोष्णी पर, अमरकटक, नर्मदा काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुयुग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकूप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।५-७) ने भी नदीतीरों तालाबों, पर्वतसिखरों एव पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। वायु० (अध्याय ७७) एव मत्स्य० (२२) में भी श्राद्ध के लिए पूत स्थलों, देशों, पर्वतों की लम्बी सूचियाँ पायी जाती हैं।

पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पुषक् अध्याय (तीर्थ वन) में लिखेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि म्लेच्छदेश में न तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना चाहिए उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती। वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि त्रिशकु देश जिसका बारह योजन विस्तार है जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगध) के दक्षिण में है श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिंधु के उत्तर ५१ देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं पायी जाती श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।८-१०) ने कुछ सीमा तक एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध ऋषि का यथासमय परिहार करना चाहिए—किरात देश, कलिंग, कोकण क्रिमि (क्रिवि?), दशार्ण, कुमार्य (कुमारो अन्तरीप), तगण, क्रय, सिंधु नदी के उत्तरी तट, नर्मदा का दक्षिणी तट एव करतोया का पूर्वी भाग।

मार्कण्डेयपुराण (२९।१९=आ० प्र० पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध के लिए उस भूमि को त्याग देना चाहिए जो कीट-मत्तगों से युक्त, रूख अग्नि से दग्ध है जिसमें कर्णकटु ध्वनि होती है, जो देखने में भयकर और दुर्गन्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एव पशुओं को श्राद्धस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धकृत्य को

३० योगज्वात्वारिपुंठेषु कृत्रिमायां तथा भुवि । न कुर्याच्छ्राद्धमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ शस्य (परा० मा० ११२, पृ० ३०३, आ० प्र०, पृ० १४०, स्मृतिच०, आ०, पृ० ३९५) । अटव्यः पर्वताः पुष्यास्तीर्षान्यायतनानि च । सर्वाभ्यस्वामिकात्याहृतं ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कूर्म० (२।२२।१७) । अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतव (आढ, पृ० ११५) एव आ० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा ही श्लोक यम से उद्धृत किया है—यमः । परकीयप्रवेशेषु पितृणां निर्वंसेषु यः । त्वभूमिस्वामिचित्तुमि श्राद्धकर्मं विहत्यते ॥ . . तस्माच्छ्राद्धानि वेद्यानि पुष्येव्यायतनेषु च । नदीतीरेषु तीर्षेषु स्वभूमौ च प्रयत्नतः । उपह्वरानिकुर्वेषु तथा पर्वततानुषु ॥ अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतव (आढ, पृ० ११५) । मिलाए कूर्म० (२।२२।१६) ।

देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों एवं महापातकों के अपराधियों से देला गया भोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल में किया जाना चाहिए, या कर्ता को उस स्थल के चतुर्दिक् तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो अपनी उपस्थिति से पवित्र को ध्वस्त कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोष) को दूर करने के लिए क्षान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० ध० सू० ने कहा है कि विद्वान् लोगो ने कुत्तो, पतितो, कोडी, सत्त्वाट व्यक्ति, परदारो से यौन-संबन्ध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजोयी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा देखे गये श्राद्ध की मत्संता की है—यदि ये लोग श्राद्ध-भोजन करते हैं तो वे उस पक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों को असुद्ध कर देते हैं। मनु (३।२३९-२४२) ने कहा है—चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), दान (गाय एवं सोने का) कृत्य देव लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धार्मिक कृत्य (दश-पूर्वमास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पट जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। सूअर देवों या पितरों के लिए अपित भोजन को केवल सूँघकर, मुर्गा भागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि-निक्षेप से एवं नीच जाति स्पर्श से (उस भोजन को) असुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का गौकर लँगडा, ऐँचताना, अधिक या कम अगवाला (११ या ९ आदि अगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-भस्त (शिवजी) द्वारा श्राद्धभोजन नहीं देला जाना चाहिए। विष्णुध० सू० (८।२।३) ने श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। कूर्म० (२।२।२।३४-३५) का कथन है कि किसी अगहीन, पतित, कोडी, प्रयवण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए, घृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पील-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं भास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। मार्कण्डेय० (३।२।२०-२४), वायु० (७।८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (१।१।४३-४४) में भी लक्ष्मी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१।७।४३) ने भी लिखा है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

### श्राद्धों का वर्गीकरण

श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। इसके विषय में ऊपर हमने पठ लिया है। दूसरा है एकोद्दिष्ट एवं पार्षण<sup>१</sup>, जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आश्विन कृष्णपक्ष में, या सक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन

३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का अध्याय ३, अध्याय २९। एक उद्दिष्ट-यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मितान् (याज्ञ० १।२।५१); तत्र त्रिपुरुषोद्देशेन यत् क्रियते तत्पार्षणम्। एकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्। मितान्तरा (याज्ञ० १।२।७)। 'पार्षण' का अर्थ है 'किसी वर्ष दिन में सम्पादित'। विष्णुपुराण (३।१।१।१८) के मत से पर्व दिन में हैं—अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्विंशती, अष्टमी एवं सक्राति। अथर्ववेदपुराण (श्राद्धतत्त्व, पृ० १९२) ने पार्षण श्राद्ध की परिभाषा दी की है—'अमावास्यां यत्क्रियते तत्पार्षणमुदाहृतम्। क्रियते वा पर्वणि यत्पार्षणमिति स्थितिः ॥'

पूर्व पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रधर का श्राद्धविवेक) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटियाँ कही हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-श्राद्ध होते हैं और गोष्ठी-श्राद्ध-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२१-२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये हैं—अहरह-श्राद्ध, पार्वण, वृद्धि, एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२=शत १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) ने अहरह-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलों एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धृत विद्वान्मित्र के दो श्लोको में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लिखित हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानवाला), सपिण्डन (सपिण्डीकरण), पार्वण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्मांग, दैविक यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध। कुछ ग्रन्थों में इनकी परिभाषा भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। रोष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं दी गयी है, वह निम्न है—गोष्ठीश्राद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान् लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने-वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करते हैं और एक साथ अपने पितरों की सत्तुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तब वह गोष्ठी-श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित्त न करने के कारण (वह प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्मभोज्य देता है। उसे कर्मण कहा जाता है जो गर्भाधान सस्कार या किसी यज्ञ-सम्पन्न या सीमन्तोन्नयन एवं पुसवन के समय किया जाता है। उसे दैविक श्राद्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है)। जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में पूत दिया जाता है या जब वह अपने घर को छोड़ आता है और श्राद्ध करता है तब उसे यात्रा-श्राद्ध कहते हैं। यह पुष्टि-श्राद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई औषध सेवन की जाती है) या धन वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पार्वण, एकोद्दिष्ट, वृद्धि एवं सपिण्डन। निवमट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने 'पण्यवति श्राद्ध' नामक ग्रन्थ में इन सबका सपह किया है। एक वर्ष में किये जाने वाले ९६ श्राद्ध सक्षिप्त रूप में ये हैं—वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध, युगादि दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, सन्क्रान्तियों के १२ श्राद्ध, घृति (वैघृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, व्रतोपासना योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वत्यका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन (हेमन्त एवं शिशिर के महानों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी)। इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-श्रुतियों से यह प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त सत्ताद्विधों में बहूता हुआ आतिशय्य की सीमा को पार कर गया। बहूता न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में सक्षम रहें होंगे और अधिकांश में लोग महालय श्राद्ध या दो-एक और श्राद्ध करने सत्तुष्ट हो जाते रहे होंगे। यह ज्ञातव्य है कि मनु (३।१२२) ने प्रथमतः प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के लिए सम्भव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, शीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावास्याओं पर ही बड़े पैमाने पर श्राद्ध करने की व्यवस्था दी और कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों में सम्मिलित है। देवल कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष में केवल एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग

अब हम श्राद्ध के ब्राह्मणभोजन के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। घाट का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत से ग्रन्थों में ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २ एव ३ में विस्तार के साथ देखा लिया है। यह सातव्य है कि गृह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमंत्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयी। उदाहरणार्थ आश्व० गृ० (४।७।२)<sup>११</sup>, शाखा० गृ० (४।१।२), आप० गृ० (८।२।१।२), आप० घ० सू० (२।७।१७।४), हिरण्यकेशी गृ० (२।१।०।२), नौपा० गृ० (२।१।०।५-६ एव २।८।२-३), गौतम (१।५।९) ने कहा है कि आमंत्रित ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त सफ़ी (क्रोध एव वासनाओं से मुक्त तथा मन एव इन्द्रियों पर समय करनेवाले) एवं पुढाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग में हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा ६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक ग्रन्थों को पढ़ लिया है जिनमें 'मघु' शब्द आता है (ऋ० १।९।०।६-८, वाज० स० १।३।२७-२९ एव तै० स० ४।२।९।३), जिसने त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध एवं पितृमेध) में प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचो अग्नियों को प्रज्वलित रखना है जो उपेठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कर्तव्य करता है, जो वेदज्ञ का पुत्र है और अगो के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है—ये सभी श्राद्ध के समय भोजन करनेवालों की पवित्र को पवित्र कर देते हैं। पक्तिपावन (जो लोग भोजन करनेवालों की पक्ति को

३२. ब्राह्मणान् श्रुतशौलवृत्तसंपन्नानेकेन वा। आश्व० गृ० (४।७।२); ब्राह्मणान् शुचीन् मन्त्रवतः समंगानपुञ्ज आमन्त्रयते। योनिगोत्रासम्बन्धान्। नायविको भोजयेत्। हिर० गृ० (२।१।०।२); त्रिसुपर्णस्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत-श्चतुर्मेघः पञ्चाग्निर्ज्येष्ठसामिको वेदाध्याप्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्जानाः पश्चिपपावन भवन्ति। आप० घ० सू० (२।७।१७-२२)। 'त्रिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, 'ब्रह्ममेतु माम्' (तै० अ० १।०।४८-५०) से आरम्भ होनेवाले तीन अनुवाकों में या 'चतुर्गण्डा मुवतिः सुपेशा' (तै० ब्रा० १।२।१।२७) या ऋ० (१।०।१।४।३-५) से आरम्भ होनेवालों का नाम है। 'त्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है—(१) जो नाचिकेत अग्नि को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद् (१।१।१६-१८)। 'त्रिणाचिकेत' शब्द कठोपनिषद् (१।१।१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है—'त्रिः कृत्वा नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन सः त्रिणाचिकेतास्तद्दिनानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान् वा।' तै० ब्रा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता की गाथा का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियों में हैं—गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आबस्य (या औपासन) तथा साम्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक अग्नि शब्दों की व्याख्याओं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र०, पृ० ५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों की है—'एकं शालां सकल्पं वा घट्मिरङ्गं रघीत्य वा। घट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मवित्॥' परिणि (५।२।८४) ने श्रोत्रिय की ध्युस्वति यों की है—'श्रोत्रियश्छन्दोधीतो'। 'घट्कर्म' का संकेत 'यजतयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिप्रह्वानानि' की ओर है।

पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५।२८), बौधायन (१।८।२), मनु (३।१८५-१८६), याज्ञ० (१।२।१९) एवं बृहस्पतिपुराण (१।४।२) ने भी यही कहा है। अनुशासन एवं (९०।२५-३१), कूर्म० (२।२।११-१४), मत्स्य० (१६।७-१३), बृहत्० (२२।०।१०१-१०४), वायु० (७९।५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६।२।७। २१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचीयाँ दी हैं।

हिरण्यकेशी गृह्य (२।१।०।२), बौ० घ० सू० (२।२।७), कूर्म पुराण (२।२।१। १४) आदि का कथन है कि धादककर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (गृया—मामा) और जो सगोत्र या वेदाभ्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात् गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह धन की सहायता पाने का इच्छुक हो। मनु (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि धादक-भोजन में मित्र को नहीं बुलाना चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। धादक के समय ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न दानु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए धादक करता है और देवा-र्पण करता है, वह उन धादकों या अर्पणों द्वारा मूल्य के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४—कूर्म० २-२१-२२) ने कहा है विद्वान् दानु की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मनु (३।१३५-१३७ एवं १४५-१४७) ने कहा है कि मुख्य या आर्युत्तम नियम यह है कि धादक-भोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हो। जिसने सम्पूर्ण वेद का अभ्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मनु ने यह भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति को धादक-भोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायी हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अभ्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या धादक के समय भोजन कराया जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घ काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं।

हारीत (हेमाद्रि, धादक, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु, धादक, पृ० ६६, ६७) ने पाक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं का वर्णन किया है; यथा—उर्हो उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ प्रकार की) एवं धील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। संस-लिखित ने पाक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात् भोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक लम्बी सूची दी है।<sup>११</sup> यथा—जो वेद अपवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियाँ रखता है; जो वेदस्वाम्यायी है; जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं धर्मशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणात्रिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपर्णक एवं ज्येष्ठ साम का अभ्ययन कर लिया है; जिसने साख्ययोग, उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पृ० ६८; भा० प्र०, पृ० ६७)। ऐसे ही नियम विष्णुधर्मसूत्र (८३), बृहत् पराशर (पृ० १५०), बृह गौतम (पृ० ५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शांतातप (९९।१००), औरानस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मनु

३३. शंखलिक्रितावधि। अथ पाक्तेयाः। षेरवेदाङ्गविन् पञ्चाग्निवृत्तानः सांख्ययोगोपनिषद्धर्मशास्त्र-विष्णुश्रोत्रियः त्रिणात्रिकेतः त्रिमधुः त्रिसुपर्णको ज्येष्ठसामगः। सांख्ययोगोपनिषद्धर्मशास्त्राभ्यायी षेरपरः सदाग्निहोत्रो मातापितृशुश्रूषधर्मशास्त्ररतिः। इति। कल्पतरु (पृ० ६८) एवं भा० प्र० (पृ० ६७)।

३११४७)'' ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वंसा विद्वान् ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रतिष्ठ कुल का है, जो श्रात्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी नहीं है, उसे अवश्य आमन्त्रित करना चाहिए और दोष केवल अर्पणवाद (प्रथमा मात्र) है। मनु (३।२२८) ने दो बातें कही हैं, देशो और पितरो के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) का दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वाले की उस पक्ति को पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तर्हित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें भोजन करने वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु (३।१८४-१८६) ने पक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा— जो वेदो या उनके विरलेपक ऋषो के शाखाप्यापिषा में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वैदिक परंपरा के कुल में उत्पन्न हुए हैं और जो विणाचिबेत अनि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध पृ० ३९१-३९५) एव कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ६४-६५) ने यम के पक्तिपावन-सम्बन्धी कर्तव्य श्लोक उद्धृत किये हैं।

मनु (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जा ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) को पूरा करता हो उस ही आमन्त्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प (उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात् कर्ता अपने ही नाना, मागा, बहिन के पुत्र, स्वसुट, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी बन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगौत्र या कुल-पुरोहित या शिष्य का बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१।२२०), कर्म० (उत्तरार्ध २।१२०), बराह० (१।४-३), मत्स्य० (१६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पव्यवहारानु) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती।'' यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक दाय्यताएँ न हों, अपन माई (सोदर्य) को, जा सभी गुणों (वेदविद्या एव अन्य सदाचार आदि) में सम्पन्न हो एव शिष्या को श्राद्ध भोजन देना चाहिए।'' बी० घ० सू० (२।८।५) ने सपिण्डों को भी विलान की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१।५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एव सगौत्रा को भी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान् ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध भोजन में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और

३४ श्रोत्रियो विद्वान् साधुचरण प्रस्थाताभिजन श्रोत्रियापात्यमसम्बन्धी भोजनीय। परिशिष्ट सधर्म-वादायम्। मघातिथि (मनु ३।१४७)।

३५ मुख्यभावे योनुष्ठोयते प्रतिनिधिन्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते। मेघा० (मनु ३।१४७)। अमरकोश में आया है—'मुख्य स्यात्प्रथम कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽप्यन्ये । प्रथम प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । न साम्प्रदायिक तस्य कुमतेविद्यते फलम् ॥ मनु (१।१।३०=शातिपर्व १६५।१७)। तन्प्रथातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, किन्तु वहाँ दूसरी पक्ति यो है—'स नान्योति फल तस्य परमैत्रि विचारितम् ॥'

३६ गृणहान्यां तु परेषा समुदेत सोदर्योपि भोजयितव्य । एतेनान्तोवांसिनो व्याख्याता । आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६)।

प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २।२८९) ने मारदाज के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं—'यदि कोई ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध में भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप छ' प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि वह मृष्य के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के भीतर श्राद्ध-भोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह वृद्धि-श्राद्ध में भोजन करता है तो उसे तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो उसे एक दिन एक रात का उपवास करना पड़ता है।' मिता० ने घौम्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसने पुत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव श्राद्ध आदि में भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४६७-४६८)। बराहपुराण (१८९।१२-१३) में आया है कि यदि कोई शाह्यण प्रेत को दिया गया भोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कभी पाप से छुटकारा पाता है।

गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए, कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-भोजन में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बूढ़े लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों में बूढ़ों को तथा बूढ़ों में जो दरिद्र हैं और धनार्जन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान् इव्यहृशरचेप्सन्)।

कुछ ग्रन्थ सभ्यताओं या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुध० (८३।१९-२०) ने योगियों को विशेष रूप से पवित्रपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक श्लोक उद्धृत किया है—'हमारे कुल में कोई (वधज) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी का खिलाने, जिससे हम स्वयं सन्तुष्ट होते हैं।' बराहपुराण (१५।५०) में योगी को १०० ब्राह्मणों से उतम कहा गया है। माकण्डेय० (२९।२९-३०) में आया है—समस्तदारभ्यक्तियों को श्राद्ध-भोजन में सर्वद्वे योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के लिए योग पर निर्भर रहते हैं, यदि सहस्रो ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाना जाता है तो वह योगी वर्ता (श्राद्धवर्ता) एवं अन्य भोजन करनेवालों को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नीका जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसने उपरान्त उसने राजा ऐल के लिए पितरों द्वारा गामे गय श्लोकों को उद्धृत किया है (२९।३२-३४)। सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकाग्र मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन के लिए पर्याप्त है।

मत्स्य० (१६।११-१२) में आया है—जो वैदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार करता है और जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह पवित्रपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में प्रवीण, वैदिक ध्यान, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज्ञ—ऐसे लोग जिस श्राद्ध में खिलाने जाते हैं वह सर्वोत्तम बल्याण देनेवाला है। उपर्युक्त वचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियन्त्रण रहना परम आवश्यक है (आश्व० गू० ५।७।२, गौतम १५।९ एवं मनु २।१।८)। मनु (२।१।८) में आया है—'उस ब्राह्मण को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए, किन्तु उसे नहीं जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वर्जित वाच्य पदार्थ) खा लेता है तथा सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्वन्द० (६।२।७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, जनके घील एवं व्यवस्था को जानना चाहिए और यह देरना चाहिए कि वे किसमें विवाह करते हैं या किन्हे अपनी पुत्रिर्मा देते हैं। ब्रह्मण्य० (उपोद्घात, अ० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी लोग ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना बटिनाई के ज्ञात हो जायें या पास रहने के



धारण किसी ब्राह्मण के दाप सरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उस नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५।६)। इसी पुराण (उपा० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को या रखा है—सर्वप्रथम धृति (सग्याप्ती), तब धनुर्वेदी ब्राह्मण जो इतिहासज्ञ भी हो, तब त्रिवेदी, इसन उपरान्त द्विवेदी तब एकवेदी और तब उपाध्याय। हेमाद्रि (श्रा० पू० ४४३) ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धृत किया है—किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने में क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन (सदाचरणरहित) हो ? क्या मुग्धयुक्त कुसुमो म कृमि (कीड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातुकर्ण्य का वचन है—देवो और पितरो के कृत्यो म धरित्रहीन ब्राह्मणो से वान मो नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है मले ही वे विद्वान् हा या अच्छ कुल में उत्पन्न हुए हा ।" योग्यता पर इनका बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय पितर को गवय रूप धारण कर ब्राह्मणो म प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद ११।४९)

उपर्युक्त विद्या, शील एव सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धवर्ता को आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत जीवन, गुणो एव दोषो को जानने के लिए स्वामाबिक् रूप स विवचा करनी हैं। मनु आदि ने आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणा की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मनु (३।३४९), विष्णु० घ० सू० (८२।१-२)<sup>१६</sup> ने व्यवस्था दी है—'देवर्षीं मे (आमन्त्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणा को) परीक्षा नहीं की जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणो को) मली प्रकार छान-बीन उचित एव न्यायसम धोषित है।' मनु (३।१३०) म आया है कि मले ही ब्राह्मण वेद का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वशपरम्परा म) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) म व्यवस्था दी हुई है कि दान-धर्म म ब्राह्मणा क गुणा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए किन्तु देवों एव पितरों के कृत्यो म परीक्षा आवश्यक है। अनुशासन० (९०।२ हेमाद्रि, पू० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यो में क्षत्रिय का दान नियम जानते हुए ब्राह्मण की योग्यताओं को जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवा एव पितरों के श्राद्धा म ऐसी जानकारी उचित है। बृह मनु एव मत्स्य० (हेमाद्रि, पू० ५१३ एव श्रा० प्र०, पू० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जानकारी उसके शोधकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उसकी पवित्रता उसके कर्मों एव अन्य लोगों के साथ के व्यवहारो से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से यह जानना चाहिए कि आमन्त्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिंहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक आये हुए अतिथि की विद्या एव चरित्र के विषय म जानकारी प्राप्त करना वजित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विदोषत पुराणो में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणो की जानकारी की भर्त्सना करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपारर्क, पू० ४५५, कलातरु, श्रा०, पू० १०२) में आया है—वैदिक कथन तो यह है कि (विद्या एव शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धार्पण करना चाहिए, किन्तु छान-बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों को श्राद्धार्पण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होने हैं। भविष्य० (बालमट्टी, आचार, पू० ४९५) ने कहा है—यह मेरा मत है कि ब्राह्मणो के गुणो की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनको जाति देखनी चाहिए न कि उनके

३७ तदुक्तमग्निपुराणे । कि कुलैः विशालैः वृत्तहीनस्य देहिनः । कृमय कि न जायते कुसुमेव सुगणिवु ॥ जातुकर्ण्योपि । अपि विद्याकुलैर्युक्तान् वृत्तहीनान् दिआधमान् । अनर्हान् हृष्यकण्ठेषु वाद्यमात्रेणापि नाध्वेत ॥ हेमाद्रि (पू० ४४३-४४४) एव श्रा० प्र० (पू० ७४) ।

३८ देवे कर्मणि ब्राह्मण न परीक्षेत । प्रयत्नाप्यथ्ये परीक्षेत । विष्णुधर्मसूत्र (८२।१-२) ।

धील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थस्थलों पर किये गये धाढ़ की ओर निर्देश करती हैं या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, धाढ़, पृ० ५१३ एव बालमट्टी, आचार, पृ० ४९४)।

कुछ दशाओ में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पक्ति में बैठने के अयोग्य या पक्ति को अपवित्र करनेवाले) बड़े गये हैं, यथा—आरीरिक एव मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पैते), नैतिक दोष, अपराधों होने के कारण नास्तिक अथवा पापण्ड घर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमन्त्रित न होने योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पक्तिद्रूपक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र ब्राह्मणों को साधारणतः नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान् ही क्यों न हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० घ० सू० (२।७।१७।२१) का कहना है कि धवल या रक्तदोष-मस्त, खल्वाट, परदारा से सघष र वाला, आयुष्यजीवी पुत्र, शुद्धसम ब्राह्मण का पुत्र (पूडा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)—ये पक्तिद्रूपक कहलाते हैं। इन्हें धाढ़ में निमन्त्रित नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघ० सू० (१।१।१९) ने भी एक ससिष्ट सूची दी है—'नन (सन्धासी) से बचना चाहिए, उनसे भी जो शिवत्री (श्वेत कुष्ठ प्रस्त) हैं क्लीब हैं, अघे हैं, जिनके दाँत बाले हैं, जो कोड़ी हैं और जिनके नख विकृत हैं। गौतम (१।५।१६।१९), मनु (३।२।५०-१६६), याज्ञ० (१।२।२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८।२।३-२९), अत्रि (श्लोक ३४५-३५९ एव ३८५-३८८), बृहस्प (३।३४ ३८), बृहस्परासर (पृ० १४९-१५०), वृद्ध गौतम (पृ० ५८०-५८३), वायु० (८।३।६१ ७०), अनुशासन० (९०।६-११), मत्स्य० (१६।१४-१७), कूर्म० (२।-२।१।२३-४७), स्कन्द० (७।१।२०।५।८-७२ एव ६।२।७।११-२०), वराह० (१।४।४-६), ब्रह्म० (२२०।१।२७-३३५), ब्रह्मण्ड० (उपोद्घात १।५।३९-४४ एव १।५।३०।४१), मार्कण्डेय० (२।८।२६-३०), विष्णुपुराण (३।१।५।५-८), नारद पुराण (पूर्वायं २।८।११-१८), सौर पुराण (१।५।७-९) आदि ग्रंथों में धाढ़ में आमन्त्रण के अयोग्य लोगों की बड़ी भारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमन्त्रित नहीं होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है—

(१) घोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो अग्नी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) धर्मरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुते का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-मूर्जा करता है), (१२) मास बेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला (१४ एव १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, (१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वामाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) गृहविरोधी, (१९) पूतानियों को स्पृश करनेवाला (श्रीत या श्माल अलियों को अकारण छोटनेवाला), (२०) सूदसोर (अधिक व्याज खानेवाला),

१९ शिवत्री शिपिषिष्ट परतत्पगाम्यायुषोयपुत्र शूरोत्पन्नो ब्राह्मण्यमित्येते धाढ़े भुजाना पंक्तिद्रुवका भवन्ति। आप० घ० सू० (२।७।१७।२१)। ब्राह्मण-त्रो और शूद्र पुत्र से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में धाढ़्यात् कहा गया है। अतः उसे धाढ़ में आमन्त्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपर्दी ने "शूद्रो... धाढ़्याम्" नामक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है—एसे ब्राह्मण पुत्र से उत्पन्न जो प्रथमतः शूद्र नारी से विवाह करने के कारण व्यवहारतः शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है—'शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्य अतमवर्ण-वारपरिग्रहे ब्राह्मण्य पुत्रमनुत्पाद्य शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति कपर्दी' (कल्पतरु, भा०, पृ० ९०)।

(२१) सय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पढ़ने पर भी) पशु पालन करके जीविका चलानेवाला, (२३ एव २४) बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला और पुताग्निर्वा प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने-वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का पात्र, (२७ एव २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पुताग्निर्वा जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) प्रेमी या साध का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्यं व्रत भंग करने-वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी शूद्रा हो, (३३) पुनर्विवाहित विधवा का पुत्र, (३४) मंडा या गाना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसे लेकर पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र हो, (४०) कर्कश या असत्य बोलनेवाला, (४१) व्यक्तिचारीणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता पिता या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (बन्दी), (४८) तेली, (४९) झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, (५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) धनुष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, (५९) मित्र की घोषा देनेवाला, (६०) दूतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार (मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) सक्रमक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), (६६) पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फँसाने वाला, (७२) शस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुल की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोध करनेवाला, (७५) भास्कर्यं शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारों को अप-वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) धार्मिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलापीय से व्रत, (८९) सद्ब्यक्तियों द्वारा भस्मित, (९०) भेद-पालक, (९१) भंस पालनेवाला, (९२) पुनर्विवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव डोनेवाला। मनु (३।१।६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एव पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याग्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पक्ति में ब्राह्मणों के साथ बैठने के अयोग्य हो।

मनु (३।१।७०-१।८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों की सतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा स्थाया गया भोजन अस्वाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध २।१।३२) एव हेमाद्रि (पृ० ४७६ एव ३६५) ने श्राद्ध में बौद्ध आचर्यों (साधुओं), धावकों (निर्ग्रन्थ जैन साधुओं), पाँचरात्र एव पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों (धिव के वायमार्गी मन्त्रों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमन्त्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१।८।१७) ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप

उम हुन प्रगल्भ भूमिया गिद्ध का आ मास्य एवं मास्य या शरीर धारण करना पत्न्य और अन्त में अश्वभय धन में अश्वभय स्नान करने से उम मक्ति मिलेगी । अथा पुत्राण न व्यवस्था दा २ ( ११/१७ ) हि नातिवत्ता य प्राप्तात्त एव म्या नही करना तासि विद्यापत्त तसिम्भ कृत्य न समय या जय स्या पवित्र यज्ञ क रित्य दाभा १० गया ११ । सागुपुराण ( ७/१७६ एवं ३१ ) ने कहा है कि नान्य ज्ञानिया का ध्याद्ध दयन ता अंगमति नया मित्ता चात्तिया और उमन नान्य की परिमाणा यो शो है— नान वेदा को गन्ना जावा का मवर्ण ( स्या वर्णवान्ना आरक्षण ) उदधापित किया गया है अत जा लोग मूलतावत्स वदा का याग करत है व नान बहठठाने है जो अथ जग रणत है अथ मण्यो जान है जा अथ वन एवं निरुदेय जग रणत है व नानादि कृत्याने है । जिम प्रकार कुछ दग ध्याद्ध क रित्य अयाग्य धारित है उया प्रराय कुछ ग्रथ्या द्वारा कुछ दया क कुछ साक्षण ध्याद्ध म निमत्रित करन क अयाग्य धारित किय गय है । उदा ह्यगाय मन्म्यगुणन का बहना है कि वे साक्षण जा हुन्यन है नातिवत्त है अथ दया म निवाम करत है या जा विगाउ करती आधि चीन द्रविड एव वाक्षण दग म रहन है उर ध्याद्ध क समय मावसाना से अलग कर उना चात्तिया । ह्यादि ( ध्याद्ध पं० ५०९ ) न मौर्यपुराण न यह उदत किया है कि अथ दग वर्तिय मागलु गज्ज आभार, राक्ष्य द्रविड दक्षिणापथ अक्षती एव मगर के साक्षणी का ध्याद्ध क समय नही पुगता चात्तिया । उपर्यन्त दाना उक्तिया का मित्राकर देखते न प्रकट हाता है कि आज के मास्य के आधे भाग वे ब्राह्मणा का ध्याद्ध म आमत्रित करन क अयोग्य ठहराया गया है । किन्तु सम्भवत यह गय उन ग्रथ्या क लेखका का दम्भ एवं पूर्वनिश्चित धारणा का ध्यान है । रद्वर के ध्याद्धवियेन ( पं० ३९-४१ ) म ध्याद्ध क लिए अयाग्य व्यक्तिया रा मयम दया मूचा पाया जानी है ।

ध्याद्धृत्य करत समय आगत किमी अतिथि क आगमन पर उमर सम्मान के विषय म ब्राह्मण एव अन्य लोग न निम्न ता उपस्थित किया है । यागी लोग न पहचान म आनराठ विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर विचरते रहते हैं और दूसरा का कयाण करन रहत है अत पुद्धिमान यक्ति का ध्याद्ध सम्पादन क समय आय हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिये । और दक्षिण अत्रियपुराण ( १/१८४१० १० ) ह्यादि ( पं० ४२७ ) एवं मावण्डेय० ( ३६/३० ३१ ) । माण्डेय ( ३६/१० ) म आया है कि अतिथि का याग या पाया दा वदाध्ययन नहीं पुटना चाहिये और न उनके शोसन एवं आभन आचार पर ध्यान दना चाहिये । हेमाद्रि ( ध्याद्ध पं० ४३० ४३३ ) न शिक्पर्मोत्तर विष्णुधर्मोत्तर एवं वायु ( ७१/७४ ७ ) पुराणा का हवाला दिया है कि दवगण सिद्ध एवं यागी याग ब्राह्मण अतिथियो के रूप म लागा का कयाण करन क रित्य और उर दयन क लिए कि ध्याद्ध किम प्रकार सम्पादित हात है, विचरण किया करते हैं । अतिथि को परिमाया एवं अनिधितकार विधि तथा आवशयता के विषय म दरिये इस ग्रन्थ का मण्ड २, अध्याय २१ ।

४० हुतधनाप्रास्तिकस्तु म्लेच्छदेशनिवासिन । त्रिशाकुबरद्राववोत्तरविश्वकोषणान ( त्रिशाकुकरश्रीरा प्र-  
धोनवविद० ? ) । वजरोत्थितान सर्वात ध्याद्धकाल विनयेत ॥ मत्स्य० ( १६/१६-१७, हेमाद्रि, ध्या०, पं० ५०५,  
कल्पतद, ध्या०, पं० ९४ ) ।

४१ योगिनो विकिर्णं रूपेनराणामुपकारिण । धर्मति पृथिवीमनामविज्ञातस्वरूपिण ॥ तस्मादभ्यर्चयेत प्राप्त  
ध्याद्धकालेतिथि बहु । ध्याद्धकियाफल हतिटि ज्ञापुरजिनो हृरि ॥ धरा० ( १४/१८-१९ ), विष्णुपुराण ( १५ ।  
२३-२४ ), मिलाइए वायुपुराण ( ७९/७ ८ ), सिद्धा हि विप्ररूपेण चरति पृथिवामिमाम । तस्मादतिथिमापान्त-  
मभिगच्छन्तु कृताजलि ॥

हेमाद्रि (श्राद्धसूत्र, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है—क्या किसी एक वेद-शाखा का श्राद्धवर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर सकता है? कुछ लोग 'यथा कन्या तथा हवि' ग्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा के व्युत्पन्न एवं उपयुक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और आ० प० मू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना चाहिए, जो अपने आचार में शुद्धि हैं और मन्त्रवान् (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृहसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमधु' जैसे वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों के जाता हो। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की भावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय की अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्षवर्त के देशों में यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा करना वर्जित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और देखिए बालम्भट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कौकणस्य ब्राह्मणों को, आमन्त्रित नहीं करना चाहिए, और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का न भी हो और कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के शुभ-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए।

बसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियो, गृहस्थो, साधुचरित लोगों एवं जो अति बूढ़े न हो, उनको आमन्त्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २।१।७-१८) का कहना है कि जिसकी (भोजन) आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तर्हित सत्य को जानता है, वह सहस्रो (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के ज्ञान में सलज्ज अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्धों को खिलानी चाहिए। ऐसी ही बातें बराह० (१।४।५०), स्कन्द० (६।२।८।७), वायु० (७।१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५, स्मृतिमू०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्, यजुस् एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक् (ऋग्वेदी ब्राह्मण को भोजन कराने) से सन्तुष्ट होता है, पितामह यजुस् से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी) उत्तम है। शातातप (हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अपवर्षेद का कोई अध्येता खिलाना जाय तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है।

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित की है। ओशनस (अध्याय ४) में आया है—'वह ब्राह्मण ब्रह्मवन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रोत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीठियों) से बन्द हो चुके हो।' उसी स्मृति (अपरार्क, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छ व्यक्ति ब्रह्मवन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण) कहे जाते हैं, यथा—वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो राम का पुरोहित हो, जो पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो। महामाय्य के काल में ऐसा कहा गया है कि

तप (संयमित जीवन-यापन) वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है)। यह विचित्र-सी बात यम न कही है कि जो ब्राह्मण नशत्र तिथि, दिन, मुहूर्त एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता (अर्थात् ज्यातिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है।

कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थी कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गीतम० (१५।१५-१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं जो श्राद्ध या देववृत्त्य में आमन्त्रित होने के अयोग्य ठहराये गये हैं किन्तु गीतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से" इस वाक्य के अन्तर्गत केवल दुर्वात्र शब्द से आरम्भ होनेवाले योग ही श्राद्ध में आमन्त्रण के अयोग्य है (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो सकते हैं)। गीतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोग व मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं—'दुर्बल (सन्वाट) कुन्धी (टेढ़ नखा वाला) श्यावदन्त (काले दाँत वाला) श्वेत कुण्ठी (चरक-मस्त), पीनभंक् (पुन-दिवान्ति विधवा का पुत्र) जूआरी जपत्यागो राजा वा भृत्य (नीकर) प्रातिरूपिक (गलत बाट-बटसरा रखने-वाला) शद्रागनि निराकृती (जापच आह्लिक् यज्ञ नहीं करता) तिलामी (भयकर चमरोगी), कुसीदी (मूदसोर), शणिक शिल्पोपजीवी धनुष-बाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठका देनेवाले, गायक एवं नृत्यकार। वसिष्ठ० (११।२०) ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है— यदि कोई मन्त्रविद् अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण शरीर दोषयुक्त है (जिसके कारण सामान्यतः भोजन में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष और पत्नित्यापन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान् एवं साधुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित किये जाते हैं।" मनु (३।१८९) एवं पचपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुर्दिक् विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड० (प्रेतगण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतारामो एक पितरों का श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आन की अनुमति देते हैं।"

विष्णुधर्मसूत्र (७।१।१०-२१) में आया है कि कर्त्तों को क्राध नहीं करना चाहिए, न उसे अमृगिराना चाहिए और न शाप्रता से हा वाप करना चाहिए। बराह०" ने व्यवस्था दी है कि कर्त्तों का दाँत स्वच्छ करने के लिए

४२ कुशडागि सोमविक्रम्यगारदाहि-गरदावकीणि-गणप्रेत्यागम्यागामि हिल-परिर्बलि-परिवेत्तु पर्याहित-पर्या-पान्-न्यक्नारम-बुर्बलि कुन्धि श्यावदन्त शिवात्र-पीनभंक् कितवाजप राजप्रेत्य-प्रातिरूपिक-शूद्रापति निराकृति किलासि-कुसीदि-शणिक शिल्पोपजीवि-जयाबाधिरत्रातानृत्य-गीतशीलान्। दुर्बलादीनि श्राद्ध एवंके। अकृताप्रश्राद्धं चंदम। गीतम० (१५।१८, ३१-३२)। यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धिमुक्त हैं किच्छेदको (हाइफन) से पृथक् नहीं किये गये हैं।

४३ अथाप्युहाहरन्ति। अपश्वेगमन्त्रविद्युक्त शरीरं पश्चिद्रूपं। अदुष्य त यम प्राह पश्चित्प्रापन एव स॥ वसिष्ठधर्मसूत्र (११।२०), मेघातिथि, मनु ३।१९८। यह श्लोक अत्रि (३।५०-५१) एवं सप्तशत (२२) में पाया जाता है।

४४ निमन्त्रितांश्च पितर उपतिष्ठन्ति तान् डिजान्। वायुभूता निगच्छन्ति तथामीनानुपामने॥ पचपुराण (गृह्यसूत्र, १।८५-८६)। श्राद्धकाले यम प्रेतान् पितृश्चापि यमालयान्। विस्रजयति मानुष्ये निरत्यर्यांश्च काश्यप॥ गरुडपुराण (प्रेतगण्ड, १०।२८-२९)।

४५ बराहपुराणो। दन्तकाष्ठं च विसृजेद् ब्रह्मचारी शुचिभंवन्। हत्वनह (धा०, पू० १०४) एव धा० प्र० (पू० ११२)।

दातुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२४) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुन दूसरे को (पहले की उपेक्षा करके) मूर्खतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमन्त्रण त्याग कर दूसरे के यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य० (१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवो, पितरो एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान् नहीं हो सकता।<sup>१</sup>

श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की सख्या के विषय में कई मत हैं। आश्व० गू० (४।७।२-३) का कथन है कि पावर्ण-श्राद्ध (किसी पर्व, मया अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आम्बुदधिक श्राद्ध, एकोद्विष्ट या काव्य श्राद्ध में जितनी ही बड़ी सख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है, सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक ब्राह्मण को कमी भी नहीं बुलाना चाहिए, प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है, पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शाखा० गू० (४।१।२) एवं कौपीलिक गू० (३।१।४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम सख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१।५।२।७-९ एवं ११) का कहना है—'बहु अद्भुज (विषम) सख्या में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके, और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मुमुक्षु, अच्छी आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए, यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के लिए होने चाहिए। वसिष्ठ (१।१।२७ = मनु ३।१२५ = बौषा० ध० सू० २।८।२९), याज्ञ० (१।२।८), मत्स्य० (१।७।१३-१४) एवं विष्णु (३।१।५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को अवश्यमेव खिलाना चाहिए, वही व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि १।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमन्त्रितों की सख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर होती, प्रत्युत वह आमन्त्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ आमन्त्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (१।१।३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रत्नकर उस स्थान पर रत्न देने चाहिए जहाँ वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक घाल में रत्नकर विश्वेदेवों का आवाहन करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (मिष्टा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना चाहिए। शास्त्र (१।४।१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-श्राद्ध के लिए सम्माना जाता है और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। भी० ध० सू० (२।८।३०), मनु (३।१२६), वसिष्ठ० (१।१।

२८), कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।२८) में भी यही बात पायी जाती है, 'बड़ी सस्या निम्न पाच रूपों को नष्ट कर देती है; आमत्रिणो वा सम्पक् सम्मान (सत्क्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शीघ्र (पवित्रता) एवं शीलवान् ब्राह्मणों का चुनाव, अतः बड़ी सस्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए।' कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रसन्न नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन धर्मों में श्राद्ध-कर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है—'उत्तराधिकारी को दाय का आधा भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक् रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (षाण्मासिक) एवं वार्षिक धादो में व्यय करना चाहिए। दायभाग (१।१।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप० घ० सू० (२।६।१३।३) का उद्धरण दिया है—'सपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे मृत के कल्याण के लिए धर्मकृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है)।' इन द्रव्यों से प्रवृत्त होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमानिरेखी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२।१९), विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तशाठ्य (कजूसी) नहीं करना चाहिए, प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता।' और देखिए पद्म० (सृष्टि, ९।१७९-१८१)। वायु० (८२।२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं, यदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं तप के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के उपरान्त अपनी धन-शोभिता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा ध्यक्ति सभी देवों इच्छाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से मुक्त हो जाता है।' स्कन्द० (६।२२२।२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि गया के ब्राह्मण आचारभ्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमन्त्रित होने योग्य हैं और वेद एवं वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।' निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत निस्त्यनीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय

४७ सत्क्रिया देशकाली च शीघ्रं ब्राह्मणसम्पदः। पञ्चतान् विस्तरौ हन्ति तस्मान्नेहेतुं विस्तरम् ॥ मनु (३।२२६)।

४८. वित्तशाठ्यं न कुर्वति गवाध्याञ्चै सदा नरः। वित्तशाठ्यं तु कुर्वाणो न तीर्थफलमाप्नुवेत् ॥ वायु० (८२।१९)। देखिए स्मृतिच० (धा०, पृ० ३८८)—'अतो वित्तानुसारेण शरीरबलानुसारेण च गवायां श्राद्धं कार्यम्।' पद्म० (सृष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है—'सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्। गोभ्रूहृत्प्यवासाति भव्यानि शयनानि च ॥ दद्याच्छिष्टं विप्राभामात्मनः पितुरेव च। वित्तशाठ्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन् ॥

४९. अमानुषतया विप्रा (अमानुषा गवाधिया ?) ब्राह्मणा (बहूणा ?) ये प्रकल्पिताः। तेषु तुष्टेषु संतुष्ट्याः पितृभिः सह देवताः ॥ न विषमं कुलं शीघ्रं विद्या च तप एव च। पूजितं तैस्तु राठेन्द्र मुक्तिं प्राप्नोति मानव ॥ ततः प्रवर्तयेच्छ्राद्धं यथाशक्तिबलाबलम् ॥ कामान्त समते विध्यान्मोक्षोपायं च विनर्ति ॥ वायु० (८२।२६-२८)।

५०. अयाचारपरिभ्रष्टाः श्राद्धार्हा एव नागराः। बलोवर्द्धसमानोऽपि ज्ञातीयो यदि लभ्यते ॥ किमन्यैर्बहुभिः विप्रैर्बह्वेशीगपारणैः ॥ स्कन्दपुराण (६।२२२।२३) ॥



मे। आधुनिक काल के गयापाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति के विषय में घोषणा करने को विवरा करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्धेलित करते हैं तथा अपनी दक्षिणा मांगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर लौट आते हैं। बराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो श्लोक कहलाये गये हैं—'यया हमारे कुल में कोई धनवान् एव मतिमान् व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाठ्य (रूपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के साथ देगा?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी)। देवल (स्मृति-घ०, आ०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञो, धर्म-कृत्यो, वार्षिक ध्यादो या अमावस्या के ध्यादो, वृद्धि के अक्षरों, अष्टका के दिनों में आमन्त्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कमी नहीं कराना चाहिए।

यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या नौ दम्बों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियाँ अन्य ब्राह्मणों को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनायँ की कोई सख्या नहीं निर्धारित की गयी है)।

ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० धर्म० सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए ('आज श्राद्ध-दिन है', ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित करना चाहिए ('भोजन तैयार है, आइए' ऐसा कहकर)। हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि प्राथमा (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए, 'कल श्राद्ध है आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का अनुग्रह करें' (अर्थात् जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा)। मनु (३।१८७) ने भी कहा है कि आमन्त्रण एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२०) एव पय० (मुष्टि १।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमन्त्रित करना चाहिए एव आमन्त्रित होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए—'आपको मेरे द्वारा निमन्त्रण दिया जा रहा है' और उनको सुनाकर यह कहना चाहिए—'आपको श्रेय से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से दृढ़ होना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, मैं भी उभी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमन्त्रित ब्राह्मणों की सेवा करते हैं।' बृहदारण्यक पुराण का कथन है कि आमन्त्रण इस रूप का होना चाहिए—'हे उत्तम मनुष्यो आप लोगों को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमन्त्रण स्वीकार करना चाहिए।' यह श्राद्धव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व सप्याकाल में 'अक्रोधन' श्लोक के साथ आमन्त्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२।७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित करे—'मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे, वे (पितामह) अपने पिता के साथ आर्य, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आमन्त्रण प्राचीनावीत ढंग से एव वैश्वदेविको की यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रश्न पर कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमन्त्रित करना चाहिए या पितृ-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतभेद है किन्तु मध्य काल के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७)। लगता है मनु (३।२०५) ने दैव ब्राह्मण को वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८०, श्राद्धतत्व, पृ० ११४, मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व सप्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए—'आप लोगों को

आयास (शकावट) एवं काम-श्रेय से वञ्चित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है, ब्राह्मण लोग उत्तर देने— 'ऐसा ही होगा यदि त्वत् किञ्चि विष्णु-वाचा के बिना प्रसन्नतापूर्वक शीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ८१), श्राद्धतत्त्व (पृ० १९४) एव निर्णयसिन्धु (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमत्रण दिया जाय तो 'सर्वायास' आदि श्लोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकाल वैसा किया जाय तो 'अक्रोधने' श्लोक के साथ वैसा करना चाहिए ।' विभिन्न लेखकों ने आमत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० १।२२५) के मत से शब्द ये हैं—'श्राद्धे सण क्रियताम् ।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६) । मनु (३।१८७-१९१) में 'निमत्रण' एव 'आमत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी 'आमत्रण' शब्द आया है, किन्तु पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनो शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमत्रण वह है जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमत्रण वह है जिसे बिना दोषी एव पापी हुए अस्वीकार किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमत्रण को गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गौण के व्यक्ति द्वारा निमत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही (प्रजापति ६४) । प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमत्रण देते समय आमत्रित होने वाले व्यक्ति का, दाहिना पृष्ठना, शत्रिय को बायाँ पृष्ठना, वैश्य को दोनों पंर छूने चाहिए और शूद्र को साष्टांग पंरों पर गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र० पृ० १०६) । मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२।८।३५) कि यदि श्राद्ध-कृत्य के समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाभ्ययन करनेवाले) या सन्यासी अचानक मिश्रा मांगते हुए आ जायें तो कर्ता को उनके पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात् इन लोगों को आमत्रित करना आवश्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२) ।

उदानम्-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से सीपना चाहिए और पानी को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमत्रित करना चाहिए— 'बल में श्राद्ध कर्म कर्हेगा।' और देखिए बराहपुराण एव कूर्मपुराण जिनमें बत्नों को स्वच्छ करने की भी व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एव दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए ।

कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमत्रित होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से अतिथि (अर्थात् बिना पका हुआ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनु (३।१९०) एव कूर्मपुराण ने लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एव पितरों के यज्ञ में आमत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और दूसरे जन्म में घोर भस्म की यातना सहता हुआ मूकशयानि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रस्त होने पर या किसी उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता ।

स्मृतियों में आमत्रित ब्राह्मणों एव श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एव विरुद्ध नियमों की व्यवस्था दी हुई है। कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१।५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध भोजन किया है पूरे दिन भर ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके

पितर लोग उसकी स्त्री के मन्त्र में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं आमन्त्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३।१८८) ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला) दोनों को समयित एवं क्रोधदि भावों से मुक्त रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१।२२५) ने सक्षेप में यों कहा है—'उन्हे धरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगडा नहीं करना चाहिए और न दिन में सोना चाहिए।' और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (१।२-४)। मिता० (याज्ञ० १।७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ सभोग करने के विषय में अपना मिश्र मत दिया है, किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा हेमाद्रि, आ०, पृ० १००६-७ एवं आ० प्र०, पृ० १११) इससे मिश्र मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र<sup>१</sup> ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त) करने तक शुचि (पवित्र) रहना चाहिए, क्रोध, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमन्त्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। यही बात भीमनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२८।३१-३३), अनुशासन० (१२५।२४)<sup>२</sup> एवं वायु० (७९।६०-६१)। लघु राघ (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (९०) ने भी यही बात कही है और आमन्त्रित ब्राह्मणों को निम्न बातें न करने को कहा है—'पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम।' प्रजापति (९२) ने इन आठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं—'दातुं से दौत स्वच्छ करना, ताम्बूल, तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास।' अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल सङ्घ, १०।१९४-९५) ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। सक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-भोक्ता के लिए स्याज्य हैं—मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण करना, खोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगडा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता—ताम्बूल-चर्बण, बाल

५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो च धोयन्स्मिन् कुप्ले क्षणम्। स धरति मरकं घोरं सूकरत्वं प्रयाति च ॥ कूर्म० (उत्तरार्ध २२।७, आ० प्र०, पृ० ११०)। सद्यः श्राद्धी शूद्रात्सत्यगस्तल्पुरीषे मासं नयति पितृन्। तस्मात्तरहर्षह्यपारी स्यात्। गौतम० (१५।२३-२४); हरदत्त ने 'श्राद्धी' की व्याख्या यों की है—'श्राद्धमेनेन भुक्तमिति, अत इतिठनी।' पाणिनि (५।२।८५) में यों है—'श्राद्धमेनेन भुक्तमितिठनी।' इसमें दो रूप आये हैं—(१) 'श्राद्धी' एवं (२) 'श्राद्धिक'। पुनर्भोजनमध्वानं यानमावाप्तमैथुनम्। श्राद्धकृच्छ्राद्भ्युषधं सवेमेतद्विषयैत् ॥ स्वाध्यायं कलहं चैव विवाहवर्णं च सर्वदा। मत्स्य० (१६।२७-२८), आ० क्रि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म० (सृष्टि० ९।१२३-१२४)।

५३. तदहः शुभिरभोषनोऽर्चरितोऽप्रमत्तः सत्यवाहो स्यादभ्वमैथुनधमत्स्वाध्यायान्ब्रह्मवेदावाहनादि वाप्यत ओपस्पशानावाग्निताश्चैवम्। आ० सू० (कात्यायन)। पुनर्भोजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्। दानं प्रतिषद् होर्म श्राद्धपुरुष्यष्ट वर्जयेत् ॥ लघुशास्त्र (२९, मिता०, याज्ञ० १।२४९)। मिलाइए कूर्म० (२।२२।६) एवं नारदीय (पूर्वार्ध, २८।४)।

५४. श्राद्धं वरुषा च भुक्त्वा च पुंसो धः स्त्रियं व्रजेत्। पितरस्तस्य सं प्राप्तं तस्मिन्नेतसि शेरते ॥ अनुशासन० (१२५।२४)। यही श्लोक मार्कण्डेय० (२८।३२-३३), अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (१।१३७) में भी है। मिता० (याज्ञ० १।७९) का कथन है—'एवं गच्छन् ब्रह्मचार्यं भवति। अतो यत्र ब्रह्मचर्यं श्राद्धादी शौरितं तत्र गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यंस्कलनबोधोऽस्ति।'।

कठाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दांत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल) निम्न बातें पाठनीय थीं—आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना (देखिए श्राद्धकलिका एव श्राद्ध पर विनूभक्ति)।<sup>१५</sup>

अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एव पात्रों (बरतनों) तथा उसमें प्रयुक्त न होनेवाले पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है<sup>१६</sup>—‘श्राद्ध के द्रव्य ये हैं—तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एव फल; किन्तु पितर लोग पृतमिश्रित भोजन से बहुत बाल के लिए सन्तुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त धन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट होते हैं।’ और देखिए मनु (३।२६७=वामु० ८३।३)। याज्ञ० (१।२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन यज्ञ में अर्पित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मनु (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जगल में यतियों द्वारा खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मास (अर्थात् जो सराब गंध से मुक्त हो) एव पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), यह है—‘पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू) मूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मूल, फल एव जल।’ स्मृतियों एव निबन्धों ने प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन सशिक्षित सकेतों को बड़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबल एव कृष्ण) एव अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिधिष्ट) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्कण्डेय० (२९।१४-१५) ने घृत से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये धन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त धन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन, ‘पिता वा श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए’ इस कथन से प्राप्त धन को भर्त्सना की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ४१२)। स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है—कर्ता की शुचिता, द्रव्य, पत्नी, श्राद्ध-स्थल, मन, मन्त्रों एव ब्राह्मणों की शुचिता। मनु (३।२३५=वसिष्ठ० १।१३५) का कथन है—‘श्राद्ध में तीन वस्तुएँ शुद्धिकारक हैं, यथा—दोहिन, नेपाल वा कम्बल एव तिल; श्राद्ध में तीन बातों की प्रशंसा होती है, यथा—स्वच्छता, श्रेयहीनता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव।’ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त वतिषय अग्नी वा

५५. निमन्त्रितः श्राद्धकर्ता च पुनर्भोजनं धर्मं हिंसां स्वरां प्रमादं आरोहन् कुर्यामनं कलहं शस्त्रप्रहणं च वज्रयेत् ।  
दुषिः सत्यवादी क्षमो बह्वृषारी च स्यात् । (धीरस का पितृभक्ति नामक ग्रन्थ) ।

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाया दीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति स्वेवाग्ने पितृणां प्रीतिर्वापीपांसं च कालम् ।  
तथा धर्माहूतेन द्रव्येण तीर्थप्रतिपन्नेन । आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) ।

५७. चदभंससक्तुकुण्ठायावकशाकपयोदपिपृतमूलफलोदकानि हवीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि । गौतम० (२७।११) ।  
भारतीय (भारव० पृ० १।१।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक श्लोक उद्धृत किया है—‘पयो बधि यवागूरश्च सपिरोवनतश्चूला । सोमो मांसं तथा तैलमापस्तानि बशोव सु ॥’

५८. त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दीहित्रः कुतपस्तिताः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शीघ्रमक्रोधमत्वराम् ॥ मनु (३।२३५) एवं वसिष्ठ० (१।१।३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य० (१।१८।५।२०), मार्कण्डेय० (२।८।१४), स्कन्द० (प्रभासतल्ल, २०५।१३) एवं पप० (सृष्टि०, ४७।२७८-२७९) । मनु के पूर्ववर्ती श्लोक से पता चलता है कि दीहित्र का अर्थ है ‘कन्या का पुत्र’ । किन्तु स्कन्द० (प्रभासतल्ल, २०५।१४) में इसके कई अर्थ हैं, यथा—‘पेट के सींग से बना पात्र’, या ‘चितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घृत।’ अपराकं (पृ० ४७४)

उल्लेख किया है। मनु (३।२५५) ने निम्नयं निकाला है कि आद्य में घन (अर्थात् अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें) ये हैं—  
अंपराह्ण, दधे, आद्य के निमित्त स्थान (या पर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में),  
व्यजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान्) ब्राह्मण।

मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अवालीरीडित लोगों के लिए पृथिवी को दूहा तो कई प्रकार के  
अन्नदाता पीप (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवर्त  
(हेमाद्रि, आ०, पृ० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न  
अन्न उत्पन्न हुए—श्यामाक, गेहूँ, यव, मुद्ग एवं लाल घान, ये अन्न सोमरस में उत्पन्न हुए ये अन्न पितरो के लिए  
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरो को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के घ्राण्य एवं सात  
प्रकार के आरष्य (बर्नले) अन्नो का उल्लेख किया है। प्रजापति (१।१९) ने आठ प्रकार के अन्नो के प्रयोग की बात कही  
है, नीवार, माष, मुद्ग, गेहूँ, घान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन्न) एवं तिल। मत्स्य० (हेमाद्रि, आ०, पृ० ५३८)  
ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के घान, मुद्ग  
एवं ईश्वर उत्पन्न हुईं, अतः ईश्वर पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। मार्कण्डेय० (८०।९-११)  
ने आद्योपयोगी कई अन्नो का उल्लेख किया है। ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण  
(३।१६।५-६), विष्णुधर्मसूत्र (८०।१) एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में आद्योपयोगी विभिन्न  
अन्नो की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायु० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नो, ईश्वर, धृत एवं दूध से बनाये  
जानेवाले खाद्य-नदार्थों का उल्लेख किया है।

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-नदार्थ वर्जित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५।३६-३८) एवं  
पथ० (सृष्टिलक्षण, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्णाव, राजमाष, कुमुम्भिक, कोदक, उदार,  
चना, कपिन्य, मधुक एवं अतमी (तीसी) वर्जित है। विष्णुधर्मसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि आद्यकर्ता  
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निमित्त नमक का परहेज करना चाहिए। पद्वि-

ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं—'ब्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च।  
तिला दधार्श्व कालश्च नवते कुतपाः स्मृताः॥' और बेलिए लघु शातातप (१०९, आ० कि० को०, पृ०  
३१७)।

५९. राजश्यामाकश्यामाको तद्वर्चश्च प्रशान्तिका। नोवाचाः पौष्कराश्च वन्यानि पितृतृप्तये ॥ यद्यत्रीहिस-  
योधूमतिलमुद्गाः सप्तपंथा। प्रियंगवः क्रोद्रवाश्च निष्पावाश्चातिजोभवाः ॥ यथ्यां चकंदकाः आद्ये राजमाषास्तथाजवः।  
विप्रविका मसुराश्च आद्यकर्मणि गहिताः ॥ (मार्क० २९।९-११)।

६०. तिलैर्वाहियवैर्वाश्वर्भिमूलफलैः शार्कैः श्यामाकैः प्रियङ्गुभिर्नोवारैर्मुद्गैर्गोधूमैश्च मास प्रीयन्ते। विष्णु-  
धर्म० (८०।१)।

६१. द्वेष्याणि सप्रवश्यामि आद्ये यथ्यानि यानि तु। मसूरान्निष्पावा राजमाषकुमुम्भिकाः... क्रोद्रवोवा-  
चनकाः कपित्थ मयूकातसो ॥ मत्स्य० (१५।३६-३८; हेमाद्रि, आ०, पृ० ५४८-५४९ एवं आ० प्र०, पृ० ४०)। पथ०  
(५।९।६४-६७; हेमाद्रि, पृ० ५४८) में भी यही सूची है। हेमाद्रि ने 'मयूक' को 'ज्येष्ठीमधु' कहा है और मत्स्य० में  
ऐसा पाठ है—'क्रोद्रवोद्वालवरककपित्थ०'। 'वरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता है।

६२. राजमाषमसूरधूमितकृतसवगानि च। विष्णुधर्म० (७९।१८); राजमाषान्मसूरान्श्च क्रोद्रवान् क्रो-

दान्त ने थे श्राद्ध में तिल, मुद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाले अन्नो को वर्जित माना है। स्थानामाष से इस विषय में हम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १।२४०)।

इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जा चुका है। कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मनु (३।२७१) एवं याज्ञ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध या उसमें भ्रात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७।८।१७), ब्रह्म० (२२०।१६९), मार्कण्डेय० (३।२।१७।१२) एवं विष्णु० (३।१६।११) ने श्राद्ध में भैंस, हरिणी, चमरो, भेड़, ऊँटनी, स्त्री एवं सभी एक खुर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निर्मित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भैंस के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वर्जित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, धा०, पृ० ५७२)।

मार्कण्डेय० (२९।१५-१७), वायु० (७।८।१६) एवं विष्णुपुराण (३।१६।१०) ने कहा है कि श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाला जल दुर्गन्धयुक्त, फोमिल एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात् पकिल नहीं होना चाहिए और न वह उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय का नहीं होना चाहिए जो सबको समर्पित न हो और न वह उस हीज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं।<sup>१</sup>

श्राद्ध में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूलो, फलो एवं शाको के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था दी हुई है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलो के नाम लिये हैं, यथा—आम, बेल, चाड़िम, नारियल, खजूर, सेब, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शाख (१।४।२२-२३)। वायु० (७।८।११-१५) का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हो तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, क्षारी मूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए।<sup>२</sup> और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (७।९।७)।<sup>३</sup> रामायण में आया है कि दण्डकारण्य में रहते हुए राम ने ईशुदी, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अर्पित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।<sup>४</sup> स्थानामाष से स्मृतियों एवं

दूधकान्। स्तोहितान् वृक्षनिर्वासान् श्राद्धकर्मणि वर्जयेत् ॥ शांख (१।४।२१); हेमाद्रि (धा०, पृ० ५४८) ने 'कोरदूधक' को 'वनकोदव' के अर्थ में लिया है।

६३. माहिर्यं धामरं मार्गमाविकं कशकोद्भवम्। स्त्रेणमीष्टुर्माविकं च (यज्ञावीकं ?) दधि क्षीरं घृतं त्यजेत् ॥ ब्रह्म० (२२०।१६९); हेमाद्रि, धा०, पृ० ५७३)।

६४. सुगन्धिं क्षेनिलं चाम्बु तर्पयत्पतरोरुवकम्। न समेष्टत्र योस्तुतिं नक्तं यच्छायाप्याहुतम् ॥ यत्र सर्वाभ-  
मुस्तुष्टं यच्छाभोग्यनिपातजम्। तद्वर्षं सलिलं तात सर्वे पितृकर्मणि ॥ मार्कण्डेय० (२९।१५-१७)। और देखिए ब्रह्मण्ड० (उपोष्यातपाव १।४।२६)।

६५. सनुनं गृह्णन् चैव पलाशं विण्डमूलकम्। करम्माद्यानि चाग्यानि हीनानि रसगन्धतः ॥...अवेदोक्ताश्च  
निर्वाता सत्राग्यापौराणि च। श्राद्धकर्मणि बर्ज्यानि यादश्च मार्यो रजत्वलाः ॥ वायु० (७।८।१२ एवं १५); हेमाद्रि,  
धा०, पृ० ५५५ एवं स्मृतिच०, धा०, पृ० ४१६)। स्मृतिच० (धा०, पृ० ४१५) में सुभृत से वेद श्लोक उद्धृत कर  
पलाश के रस प्रकार दिये हैं।

६६. पिप्पली - भुङ्गुवक - भूस्तुन - शिपु - सर्वप - सुरसा-सर्बक-सुवर्धल-कृष्णाश्व-अलाङ्गु-वार्ताङ्गु-वालस्याउपो-  
वकी - तण्डुलीयक - कुसुम्भ - पिण्डामुक-महिषीजीराणि वर्जयेत् ॥ धि० ध० सू० (७।९।१७)।

६७. ईशुर्बर्बरिस्त्रै रामस्तर्पयते पितृन्। यवमं पुषुभो भुक्तो तवाभास्तस्य वैभवाः ॥ रामायण, अयोध्या (१०।३।

पुराणों में वर्णित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यंसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक (पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ब्राह्म एव वर्जित भोजनों, शाकों, मूलों एव फलों की सूची दी है। बनाया हुआ नमक वर्जित है, किन्तु सोल या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं। अलग से नमक नहीं दिया जा सकता (वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकटे हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतेयम नहीं है (हेमाद्रि, आ०, पृ० ५६५)। वि० घ० सू० (७९।५-६) में बताया है कि जत्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, कटे वाले पोषों की कलियों एव लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कष्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे वे लाल भी बयो न हो, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शल (१४।१५-१६)। वायु० (७५।३३-३५) ने भी यही कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की) एव कुरप्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा—जाती, चम्पक, मल्लिका, आश्रवोर, तुलसी, तगर, केतकी तथा श्वेत, नील, लाल आदि कमल-गुण्य। स्मृत्यंसार ने तुलसी को वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (आ०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस वाघार पर तुलसी को वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

श्राद्ध में कुशा की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का तण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दमों के पोषों में परिणत हो गये।<sup>१</sup> इसी प्रकार आरव० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दमं जल एव ओषधियों का सारतत्त्व है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाल किसी पवित्र स्थल से दमं एकत्र किये जाने चाहिए। उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, तभी वे पवित्र होते हैं।<sup>२</sup> गोमिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है—**बहि** वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए अकुरों के काटने से बनते हैं किन्तु पितरों के श्राद्ध में जल से उलाड़े हुए अकुर प्रयुक्त होते हैं। दस (२।३२ एव ३५) में आया है कि दिन (आठ मागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईधन, पुष्प एव कुश एकत्र करने चाहिए। गोमिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों पितृ-कृत्यों एव वैश्वदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ से निवाले हुए (समूल) एव कल्माष (छुण्य-मीत) दमों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एव बिना अकुर कटे, चिकने एव अच्छी तरह बडे, एक अरलि लम्बे एव पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दमं पवित्र कहे जाते हैं। पच० (सृष्टि० १।१।२२) एव स्कन्दपुराण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एव तिल विष्णु के शरीर से

३०, १०४।१५; हेमाद्रि, आ०, पृ० ५६१; मेघातिथि, मन् ५।७; स्मृतिच०, आ०, पृ० ४१६)। स्कन्द० (नागर खण्ड, २२०।४९) में आया है—**‘यवमं पुश्वोऽनानाति तदनास्तस्य देवताः।’**

६८. शतपथब्राह्मण में दमं के विषय में निम्न गाथा है और यह शब्द ‘वृष्’ से बना है—**‘आपश्य ह्येता ओषधयश्च या वै वृशब् बोभारसमाना आपो घन्द दृभन्त्य उदायस्ते वर्मा भमवन् यद्वृभन्त्य उदायस्तस्माद्बर्माः। ता हंताः शुद्धा मेध्या आपो ब्रजान्निप्रसरिता पृथुर्भस्तेनोवधय उभयेनैवैतमेतवघ्नेन प्रीणाति। (७।२।३।२)।**

६९. मन्त्रभूता हरिद्वर्णाः प्रातःविप्रसमुद्भूताः। गोरुर्गमात्रा दमः। स्युः पवित्राः पुष्पभूमिजाः। प्रजापति० (९८)। उत्पादनमन्त्र यह है—**‘विरंघिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गज। नुव पापानि सर्वानि भव स्वस्तिकरो भव।। (स्मृतिच०, १, पृ० १०७ एवं अपराकं, पृ० ४५८)।**

निकले हैं। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि बराहावतार में विष्णु के बालों एव पसीने से दर्भ उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९)।

गरुड० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनो देवता कुसु में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु मध्य में और शंकर अथ भाग में। ब्राह्मण, मन्त्र, कुसा, अग्नि एव तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्मात्य (वासी अथ प्रयोग के लिए अपयोग्य) नहीं होते।" किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए विछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका प्रयोग पुन पुन नहीं होता)। विष्णु प० सू० (७९।२) एव वायु० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुसु के अभाव में काम ग्ग पूर्वा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान जप, होम, भोजन एव देवपूजा में सीधे दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्हें दुहराकर प्रयोग में लाना चाहिए। स्कन्द० (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवकृत्य में दर्भों का ऊपरी भाग एव पतृक कृत्यों में मूल एव नोक सहित दर्भ प्रयुक्त होते हैं। यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एव जड़ भाग पितरों का।

श्राद्ध में तिल प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौधा० ध० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आये तो उन्हें तिल-जल देना चाहिए। बौधा० सू० (२।१।१६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया है, सुबल, कृष्ण, अति कृष्ण एव जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक सन्तुष्टि देनेवाला है।" तै० सं० (५।४।३।२) ने जतिलो का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। नारदपुराण (पूर्वाध २।८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एव द्वारों पर 'अपहना अमुरा रक्षासि वेदिपद' (वाज० सं० २।१९) मन्त्र के साथ तिल विकीर्ण करने चाहिए। यही मन्त्र याज्ञ० (२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है—'अमुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हल हों एव भाग जायें। कूर्म० (२।२२।१८) में आया है कि चतुर्दिक् तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बांध देनी चाहिए, क्योंकि अमुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से मुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दुष्टात्माओं) को भगाना चाहिए। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने धी कृष्ण में बहलया है; 'तिल मेरे शरीर के रवेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं, अमुर, दानव एव दैत्य तिलों के बारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एव दुष्टात्माएँ हवि को उठा ले जाती हैं। शृत्यरत्नाकर ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—जो तिल का उबटन (लेप) लगाता है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल म्नाता है और जो तिल उपजाता है—वह कभी नहीं गिरता (अपवित्र अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है)।

७०. विप्रामन्त्रा कुसा बह्निस्तुलसी च सगेश्वरः । नन्ते निर्मात्यतां यान्ति क्रियमाणा पुनः पुन ॥ गरुड० (प्रेतखण्ड २।२२) ।

७१. सुबलः कृष्ण कृष्णरसचतुर्धा जतिलस्तिलः । उत्तरोत्तरत धाद्वे पितृणां तृप्तिवारकाः ॥ प्रजापति (९९) । 'जतिल' जगली तिलों को कहते हैं ।



अर्घ्य (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-भोजन बनाने, भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र (२)<sup>११</sup> में आया है कि अर्घ्य-जल यज्ञिय वृक्षों (पलाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसो (प्यालों या कटोरो) या सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रों), रत्नी या पत्थो के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० घ० सू० (७९।-१४।१५) में आया है कि कर्ता को धातु के पात्रों का, विशेषतः चाँदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय (३।१।६५) एवं वायु० (७।४।३) का कथन है कि पितरो ने चाँदी के पात्र में स्वया बुड़ी थी, अतः चाँदी का पात्र पितृव्यग बहूत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें सतोष प्राप्त होता है। वायु० (७।४।१२), मत्स्य० (१७।१९-२२), ब्रह्माण्ड० (उपो-दपात १।१।१-२) एवं पथ० (सृष्टि ९।१४७-१५०) का कथन है कि पितरो के लिए सोने-चाँदी एवं ताम्र के पात्र उपयुक्त हैं, चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरो को स्वर्ग में अथवा फल प्राप्त होता है, अर्घ्य, पिण्ड-दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रपातता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकायों में चाँदी का पात्र शुभ नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४)। पथ० (सृष्टि ९।१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय शीप-शुश आदि के होने चाहिए, चाँदी शिव की आँस से उत्पन्न हुई थी, अतः यह पितरो को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१।१।१) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, ताम्र, कंसि या खड्ग के पात्र में रखना चाहिए, मिट्टी या काष्ठ के पात्र में नहीं। इसमें पुनः (१।१२) आया है कि पकानेवाले पात्र ताम्र या अन्य धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से साधित मिट्टी के पात्र (पत्राने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र बलः भोजन नोए के मास के समान है। फिर कहा गया है (१।१५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच धातुओं से बना होना चाहिए, या पत्राजरी (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य० १७।१९-२०)। केले के पत्तों भोजन के लिए कुछ लोगो द्वारा वर्जित माने गये हैं। कर्मि, खपर, शुत्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। ताम्र के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१।५३) ने कहा है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के गमान हा जाता है और परोसने वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, ताम्र, वाँसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम भली-भाँति पका होना चाहिए, ऐसे पात्र लोहे के कर्मों नहीं हाने चाहिए। और देखिए श्राद्ध० प्र० (१०।१५५)। विष्णु० घ० सू० (७९।२४) ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग या फल्गु (बठगूलर) के पात्र से दिया गया भोजन अक्षय होता है।<sup>१२</sup>

७२. यज्ञियवृक्षचमसेयुः पवित्रान्ताहितेषु एकैकस्मिन्नप आसिञ्चति दानो देवीरिति।... सोवर्णराजतो-  
दुम्बरलक्ष्मणमियमाना पात्रान्तामन्यतमेयुः यानि वा विद्यन्ते पत्रपुत्रेषु वैश्वकल्पेनैव ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु। श्राद्धसूत्र  
(कात्यायन, २)।

७३. यत्स्वगिरसोक्तम् 'न जातकुसुमानि न कदलोपत्रम्' इति कदलोपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्त  
निषिध्यते। स्मृतिच० (था०, पृ० ४३४)। औरो ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, अर्थात् कि कुछ  
स्मृतियों (अथवा लक्ष्मणवलायन २।३।२) ने कदलोपत्र की अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोदपातपाठ २।३।५-४०)  
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अश्वत्थ, उदुम्बर, विककत, फारमय, खदिर, प्लश, न्यग्रोध एवं बिल्व के पत्तों भोजन  
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्गु काष्ठ, बेल एवं वाँसे के पात्रों की अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ  
अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।

विष्णु० ध० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के लिए चन्दन कुकुम, कपूर, अमृष एव पपक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कृष्ण, जटामासी, जाती-फल, जसीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगन्धित पदार्थों के लिए किया है।

श्राद्ध के लिए वर्जित एव अवर्जित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य० (१७।३०-३६) में आया है कि दूध एव दही तथा गाय के घृत एव शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने तक सतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो गाय का दूध या घी या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल) यदि दही से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म० (२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है कि वह साद्य पदार्थ जो मीठा एव तील्य हो और घोडा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे साद्य पदार्थ जो अति खट्टे या नमकीन या तीते हो त्याज्य हैं क्योंकि वे आमुर (असुरों के योग्य) हैं। उरद के विभिन्न व्यंजनो पर अधिक बल दिया गया है। औशनसस्मृति<sup>१</sup> में घमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि वह श्राद्ध जिसमें माष के व्यंजन नहीं दिये जाते असम्पादित-सा है।

अति प्राचीन काल से ही लेपकों के बीच श्राद्ध के समय मास दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय २२ में मास भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय मांस भक्षण के विषय में उसे बुरा देना चाहते हैं। आप० ध० सू० (२।८।१९।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय) में मासमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना, इन दोनों के अभाव में तिल के तेल एव घावों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२।७।१६।२५ एव २।७।१७।३)<sup>२</sup> यह भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए सतुष्ट हो जाते हैं, भैंस का मांस खिलाने से पितृ-सतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जगली पशुओं (खरगोश आदि), घामीण पशुओं (बकरी आदि) के मांस के विषय में भी है। पितृ-सतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चम पर बँधे हुए ब्राह्मणों को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात दातबलि नामक मछली के मांस एव बाघीणस के मांस के विषय में भी है। वसिष्ठ (१।१।३४) में वचन आया है—'देवो या पितरों के हृत्य में आमंत्रित सन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की सख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९ ५०) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों की पवित्र में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मनु (५।३५) एव कूर्म० (२।१७।४०)

७४. धो भावनाति द्विभो माव नियुक्तः पितृकर्मणि । स प्रेक्ष्य पशुतां धाति सन्ततामेकविंशतिम् ॥ औशनसस्मृति (५, १० ५३१) ।

७५ संवत्सरं गम्येन प्रीतिः । भूपांसमतो माहिबेन । एतेन घाम्यारभ्यानां पशुनां मांसं भेष्यं व्याख्यातम् । अङ्गोपस्तरके अङ्गमांसानानन्वयं कालम् । तथा शतबलेमैतस्यस्य मांसेन बाघीणसस्य च । आप० ध० सू० (२।७।१६।२५ एव २।७।१७।३) । बाघीणस या बाघीणस को साल बकरा कहा गया है जो 'त्रिपिब' (जिसके कान इतने लम्बे होते हैं कि जब पीते समय बाल को स्पर्श करते हैं) होता है और जो बड़ी अक्षया का या झुण्ड में सबसे बड़ा होता है। त्रिपिबमिन्द्रियलीनं मूषस्यापचरं तथा । रस्तवर्षं तु राभेन छागं बाघीणसं विदुः ॥ विष्णुधर्मोत्तर (१।१४१।४८) । पानी पीते समय मुँह एवं दोनों कानों से पानी पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेधातिथि, मनु ३।२७) ।

मे भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वंसी ही मात कहता है। कूर्म० (२।२।१७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कर्म में नियुक्त रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, तो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मनु (३।२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावतः श्राद्ध में सम्यक् आहुतियाँ हैं—(नीवार आदि से निर्मित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे दुर्गन्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक। सामान्यतः सन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था, किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है।

मनु (३।२६७-२७२), याज्ञ० (१।२५८-२६०), विष्णुध० सू० (८०।१), अनुशासन० (अध्याय ८८) श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८), कूर्म० (२।२०।४०-४२ एवं २१।२-८), वायु० (८३।३-९), मत्स्य० (१७।३१-३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड० (२२०।२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर (१।१४।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन सक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) का कथन है—पितर लोग क्षत्रिय भोजन (धया—चावल, फल, मूल आदि) से एक मास, गोशुभ्र एवं पायस से एक वर्ष, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक त्रय भे पाठान (मछली), लोहिन हरिण, भेड, पक्षी (यथा तित्तिर), बकरा, बितकबरे हरिण, कृष्ण हरिण, इरु हरिण, बने सूरर एवं सरणोद्य के मांस से, खरग, महाशालक मछली के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (कालशाक) एवं वार्ध्र्णस के मांस से अनन्त काल तक तृप्त होते हैं।<sup>१</sup> कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मनु (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम के अन्न, यथा चावल, भाप आदि से बने भोजन से या जगली स्वाद्य-प्रदाय, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल एक मास की होती है तथा वार्ध्र्णस के मांस से केवल १० वर्षों तक (सदैव के लिए नहीं)। विष्णुध० (८०।१०) एवं मनु (३।२७०) ने भेड एवं बछुए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। हेमादि (आ०, पृ० ५९०) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाभूत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल इतना ही स्मरण रखना सचेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य (मिता० एवं अधरार्क, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यनि-भोजन अर्पण करना चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, सूद्र द्वारा मधु का अर्पण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णों द्वारा अर्वाजित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी वर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमंत्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। नवाधि यह ज्ञातव्य है कि मिता० एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कल्पियुग में कम-से-कम ब्राह्मणों के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हमने यह बहुत पहले देखा लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २) कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुधंस निर्वान होता था, एक अन्तर्हित भावना यह थी कि समिधाओ या मात का अर्पण जब देवों के प्रति भक्तिपूर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मासा-

७६. हविष्याग्नेन च मासं पायसेन तु वत्सरम्। मासस्यहारिणकौरभ्रशाकुनच्छागपार्यतं॥ येणरीरववारा-  
हशाशंमार्संयथाक्रमम्॥ मासवृद्ध्याभितुष्यन्ति दत्तेरिह पितामहा॥ सङ्गामिय महाशल्क मधु मुन्यभ्रमेव वा। लौहामिय  
महाशाकं मास वार्ध्र्णसस्य च॥ यद्ददाति गयस्यश्च सर्वमानस्यमश्नुते। याज्ञ० (१।२५८-२६१)। मिता० ने 'महा-  
शाक' को कालशाक कहा है।

पंज के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ व ५।४६-४७) एवं बृहस्पति ने दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमशः १२वीं एवं १३वीं शताब्दी के आते-आते मधुपर्क एवं श्राद्धों में मासापंज सर्वथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग में बर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मासापंज होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है।

मनु (५।११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य सूची पायी जाती है जो मासभक्षियों के लिए भी वर्जित थी।

दरिद्रता व अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु० (३।४।२४-३०), वराह० (१३।५३-५८) आदि ने बड़ी कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोजन करने या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल अतिथि अन्न, कुछ जगली शारु-पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अर्जलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं, किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र, वर्ता को चाहिए कि वह वृक्षों के टुकड़े में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालो एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे—'मेरे पास न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनमें मैं पितरों का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी भक्ति से सन्तुष्ट हों, मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात् वायु के मार्ग) में फेंक दिये हैं।'

### पार्वण श्राद्ध

अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि यही अन्य श्राद्धों यहाँ तक कि अष्टकाजों की भी विधि या प्रकृति है।<sup>७३</sup> इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि 'स्वाहा' या 'स्वधा नम' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढग से जनेऊ पहनने एवं आहुतियों की सख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए।<sup>७४</sup>

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-यज्ञ के सचेतों का पता चलाना मनोरंजक घर्षा होगा। तै० सं० (१।८-५।१-२) में चार चानुमर्तियों में तीसरे सान्मेष के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है—'वह पितरों के साथ सोम को पदकपाल पुरोडास अर्पित करता है बर्हिषद् (दर्भ पर या यज्ञ में बँडे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निप्लात पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका बछड़ा मर गया हा और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्न किया जाय)

७३ 'पार्वण' एवं 'एकीदृष्टि' आदि शब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला श्राद्ध नित्य है (गीतम० १।५।१) किन्तु किसी मास के कृष्ण पक्ष की किन्हीं तिथियों में दिये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैं। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)।

७४. तथा च कात्यायन । स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तर्पय च । आट्टतीनां तु या सख्या सावगम्या स्वपूत्रतः ॥ मन्वना० (५० ५९२); स्मृतिष० (था०, ५० ४५८) । हेमाद्रि (था०, ५० ३५६) में आया है—'एते देवादिभिमयो पदीयेषु कल्पसूत्रगृह्यसूत्रेवृक्षतासे तदीया एवेति ध्यवस्थया बोद्धव्याः।'

का रूप दुहता है। हे पिता, मह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात् तुम्हारे वंशजों के लिए भी), हे पितामह, यह तुम्हारे एव प्रपितामह और उनके लिए जो तुम्हारे पश्चात् आयेंगे, हे, हे पितर, आप अपने अपने भाग पाएँ। हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि करते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर लोग) खा चुके हैं, स्तुति प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान् ऋषियों की बन्दना नवीनतम स्तोत्र से ही चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए। पितरों ने खा लिया है, पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरों, अपने गम्भीर एव पुराने मार्यों से चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके साथ आनन्द मनायें।”

तै० ब्रा० (१।२।१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर नीचे दे रहे हैं—“दशैति के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है—‘पितरों द्वारा गीये गये सोम को स्वधा नमः।’ वह कहता है—‘कव्य बोनेवाला अग्नि को स्वधा नमः।’ (इसके द्वारा) वह पितरों की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है, वह (पृथ्वी पर बिछामे हुए दसों पर) तीन पिण्ड रखता है। (वे) इस प्रकार छ की सख्या में आते हैं। वास्तव में ऋतुएँ छ हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। दसों एक काद म काटे गये हैं पितर लोग सदा के लिए चले-ले गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन दार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जालु हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से) भाग उठना बन्द न हो जाय, क्योंकि पितर लोग भाग से अपना भाग लेते हैं, उसे केवल पिण्ड-गण लेनी चाहिए मानो वह न साने या साने के बराबर है। (घाट-कृत्य से) जाते समय पितर लोग दूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह स्वध का एक खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अर्पित होने पर) वे ले लेते हैं। (इसके द्वारा) वह पितरों को (अलग अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है)। यदि कर्ता डलती अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटवा है (दद्या को नहीं देता)। उस अवस्था (अर्थात् ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार, जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार, स्वधा के लिए तुम्हें नमस्कार, उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार, धोर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड-पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१।४।१०) में साकमेध के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एव कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं—“जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दसों यज्ञ का कर्ता) प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। वह ऐसा अपराह्न में करता है। पूर्वाह्न देवों का है मध्याह्न मनुष्यों का है और अपराह्न पितरों का है। गार्हपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणामुख होकर एव यज्ञोपवीत बाहिनै कसे पर रखकर वह (गार्हो से अर्पण के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणामुख

के उत्तर खड़ा होकर एव दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निबलता है। वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चले जाया करते हैं। तब वह उन्हे उबालता है। वह (दक्षिणाग्नि पर) खड़ा रहकर ही उममे घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आहुतियाँ डालता है।

वह पितृयज्ञ में सलग्न है, (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर वह पितरों को भोजन देता है। वह अग्नि एव सोम दोनों को देता है। वह कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को ढोनेवाले) अग्नि को स्वाहा' मन्त्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है—'पितरों के साथ रहनेवाले सोम को स्वाहा।' वह तब मेषण (चमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह स्विष्टकृत् के प्रतिनिधि-स्वरूप अपार्त् उसके स्थान पर ऐसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि के दक्षिण स्वरूप से एक रेखा खींच देता है, जो वेदों के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर अग्नि रखता है, क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एव राक्षस अनुद्ध कर देंगे। वह ऐसा करते हुए कहता है— विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुर स्वधा (पितरों की आहुति) से आकृष्ट होकर इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हे अग्नि इस सप्तर से हटा दे' (वाज० स० २।३०), तब वह जल-पान उठाता है और पितरों के हाथ धुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है)। यह उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को सिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ वों एक बार में अलग करता है और जड़ से काट लेता है, ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एव मूल भाग पितरों का होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हे रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है—देवों के लिए इस प्रकार, मनुष्यों के लिए दर्वों से उठाकर, ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है, अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 'आपने लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ लोग जोड़ देते हैं 'उनके लिए जो परचात् आयेंगे', किन्तु वह ऐसा न बरे, क्योंकि वह भी तो वाद को आनेवालों में सम्मिलित है। अतः वह केवल इतना ही कहे—'अमुक अमुक, यह आपके लिए है।' ऐसा ही वह पितामह एव प्रपितामह के लिए भी करता है। तब वह कहता है—'हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ, बँलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्निमुद्ग हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार (पितरों) से दूर है। उसे साँस रोक्कर खड़ा रहना चाहिए या जब तब साँस न टूटे तब तब, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है, 'क्योंकि इससे शक्ति की बहुत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर घुम जाता है और कहता है—'पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, बँलों की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये हैं' (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से हथों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एव प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना पितरों को प्रिय है। नमस्कार छ बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छ हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 'हे पिता, हमें पर दो', क्योंकि पितर लोग घरों के शासक होते हैं, और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति है। जब पिण्ड (किसी घाल में) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हे सूषता है, यह सूषना ही यजमान का भाग है। एक बार में काटे गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाले उत्सुव (अग्नि-सण्ड) को भी अग्नि में डाल देता है।"

यह आठम्य है कि पार्वण षाड के बहुत-से प्रमुख तथ्य घटपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। हम उन्हे एक

स्नान पर धीं रखते हैं—बनेठ को बाह्रिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाम्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को वा आहुतियाँ देना, अग्नि कम्पवाहण एवं घोर पितृमानु की अर्पण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूंड बनाना, अग्नि (अग्नि-हाट्ट या उस्मुक) रखना, टीनों पितरों को मधुनेजन (जल से मार्जन) कराना, अब ममेत दर्म को अलग करना, दर्मों को रेखा पर रखना और तीन पिण्डों को उ। पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मूल हटा लेना और पुनः प्यों का र्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यबनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) कराना, यजमान का वस्त्र क्षीचना तथा छः बार अनिवादन करना (एक पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूंधना, दर्मों एवं उस्मुक को अग्नि में डालना। आजकल श्री शुक्ल यजुर्वेदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं। केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा—पाता के पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण। कात्यायन (श्राद्धसूत्र ५।१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा—हाथ जोड़ना और छः मन्त्रों का पाठ करना (वाज० स० २।३२, नमो च पितरो रसाय मादि), एतद् (वाज० स० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान की छड़ी के बाल (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज० स० (२।३५) के साथ पिण्डों पर उनके पास जल छिड़कना।<sup>११</sup>

अन्य सहिवाजो में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ वाज० स० (२।२९—३५) के मन्त्र साकनेय में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी स० (१।१०।३।१०—२१) के बहूत-ने मन्त्र वाज० स० या तै० ब्रा० (१।१०।३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं।

अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० गृ० (५।७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० गृ०, २।११) में कहा है कि अष्टका एवं अय श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व-पुष्य बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिथ्याद् (मासिक श्राद्ध) वाली ही होता है। यह इस प्रकार है— पार्वण श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आम्बुदयिक श्राद्ध या एकोद्दिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैठता है जो विद्या नैतिक चरित्र एवं साधु-आचरण से युक्त होते हैं या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं जो आचमन कर चुके हैं जो पितरों के प्रतिनिधि या बराबर हैं और एक-एक दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिवस्त्र उतार मुस करके बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमन्त्रित हुए हा उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए, या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यो में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड-पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम-सनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं जल देते हैं एवं दर्म की नोक डुहरकर गौंठ देने (जिन पर वे बैठायें जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चाँदी पत्थर के एव मिट्टी के पात्रों में जल डारने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जो दर्मों से ढँके हुए हैं जल डारने के उपरान्त एवं पात्रों के जल पर ऋ० (१०।९।५) के 'सप्रा देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रों-

७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृक्षीयं (अंगूठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता है। यजमान हृत्प के आरम्भ होने पर एक उत्तरोय पारथ करता है, जिसको बसा या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे साँच लेता है।

ञ्चारण करता है—'तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, . . . स्वया ! नमः ।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं । बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बायें से सलग्न रहता है, वह पितरो को अर्घ्य निम्न शब्दों के साथ देता है—'पिता, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है ।' ब्राह्मणों को अर्घ्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वया । ये अर्घ्यजल है' कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं, ऐसा करते समय यह कहना चाहिए—'ये स्वर्गिक जल जो पृथिवी पर एव वायव्य स्थलो पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो मुनहले रग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं—ऐसे जल हमारे पास कल्याण ले आये और हम पर अनुग्रह करें ।' बचे हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे धोता है । वह उस पात्र को जिसमें पितरो के लिए अर्घ्यजल ढारा जाता है, तब तब नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पित्रर अन्तर्हित रहते हैं, ऐसा शौनक ने कहा है । उसी समय चन्दन, पुष्प, घृष, दीप एव वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं । (पिण्डपितृयज्ञ के लिए उपस्थापित स्थालीपाक से) कुछ भोजन लेकर और उस पदार्थ छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति मांगता है, 'मैं इसे अग्नि में अर्पित करूँगा, या मुझ अग्नि में इसे अर्पित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रकार मिलती है, 'ऐसा ही किया जाय' या 'ऐसा ही करो । तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके हाथों में आहुति देता है, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है—'अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है ।' यदि वह ब्राह्मणों के हाथों में अर्पण करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है । क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह ब्राह्मणों को दिया जाता है । जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन से सतृप्त हो चुके हैं तो उसे 'मधु' (ऋ० १।१०।६-८) एव उन्होंने खा लिया है, उग्रने आनन्द मना लिया है, ऋ० (१।८।२) के मणों को मुनाना चाहिए । ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के कुछ भागों को लेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे देता है । उनके द्वारा अस्वीकृत किये जान या अपने कुटुम्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए पिण्ड रखता है । कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्) के उपरान्त पिण्ड रसे जाते हैं । शेषान्न के पान पृथिवी पर भोजन बिछेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम पात्र को जिसका मुख नीचे था, हटाने एव ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि 'अग्ने कृहो, स्वया' या 'अग्ने स्वया !', ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए ।"

स्थानामाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्यसूत्रों, तैत्तिरीय शाखा (बोधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य-केनी, भरद्वाज एव वांगमनस) के गृह्यसूत्रों, वाजसनेयी शाखा (वात्स्यायन के श्राद्ध सूत्र), सामवेद के (मया—गोमिल एव सादिर) तथा अथर्ववेद (कौशिक सूत्र) के गृह्यसूत्रों में दिये गये मत-भेदों का विवेचन करना सम्भव नहीं है । यद्यपि हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं । मनु (३।२०।८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का विस्तृत वर्णन किया है । विन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्राज्ञ

८०. जल या जल-युक्त चावल, पुष्प आदि जो सामान्य देवों या ब्रह्मास्पद लोगों को अर्पण किया जाता है, उसे अर्घ्य कहा जाता है ।



ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं—“जब आमन्त्रित ब्राह्मण अपराह्ण में आते हैं तो कर्ता दाहिने हाथ में पावत्र धारण करके” उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार आमन्त्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात् वैश्वदेविक कर्म) में २, ४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए, उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुर्दिक् घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर डालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तरामिमुख बैठाना चाहिए या दोनों (द्वैव एव पित्र्य) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाना जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी बायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को) आमन्त्रित ब्राह्मणों की अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।१७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना चाहिए। विश्वेदेवों के प्रतिनिधित्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव बिखेरने चाहिए और तब घातु आदि के एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-मुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अर्घ्य देना चाहिए (इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानभाव से छोड़ रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गध, पुष्प, घृष, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात् प्राचीनावीथी ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात् प्रतिनिधित्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात् पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जान चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का आवाहन करना चाहिए। ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए यवों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्घ्य आदि) सम्पादित करने चाहिए। अर्घ्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ-पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अक्षुरों वाले कुशों के एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब ‘अग्नीकरण’ (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह घृतमिश्रित भोजन लेता है ब्राह्मणों से आज्ञा माँगता है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेषण द्वारा डालता है।” उसे सम्यक् ढंग से श्राद्ध करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रले गये पात्रों में, जो विशेषतः चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ

८१ ‘पवित्र’ के अर्थ के लिए देखिए इस पद्य का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में अनामिका अँगुली में धर्मों को जो अँगूठी पहनी जाती है, उसे लोग ‘पवित्र’ कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमन्त्रित ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (१।२८) एवं अपराह्ण (पृ० ४३ एवं ४८०)।

८२. मेषण अवस्था काष्ठ का एक अरस्ति संज्ञा बन्ध होता है जिसके एक सिरे पर चार मंगुल सम्झाई में गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलौई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है।

करना चाहिए, 'पृथिवी तुम्हारा आश्रय है०।' उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, याज० स० ३।३५ एव तै० सं० १।५।६।४) का पाठ ओम्, ब्याहृतियो एव 'मधुवाता' (ऋ० १।९०।६-८, याज० स० १३।२७ २९, तै० सं० ४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मन्त्रों के साथ करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, 'हवि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को गौतम रूप से खाना चाहिए। बिना श्रेण एव शोरगुल के उसे भोजन परोसना चाहिए और धाढ़ भे हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना चाहिए जब तक वे पूण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं तब तक वैदिक मन्त्रों एव जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज० १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० (याज० १।२४०) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एव पावमानी सूक्त (ऋ० के नवें मण्डल वाला) बतलाये हैं जैसा कि मेधातिथि (मनु ३।८६) एव हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२) ने पाठ के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा—धर्मशास्त्र, आस्थान, इतिहास (महाभारत), पुराण एव तिल (श्रीसूक्त एव विद्यासूक्त के समान रचना)। ब्रह्म-भोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में मत-भ्रान्तान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, 'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं इतना रखकर क्या करूँगा। जब ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एव सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले धर्मों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए—'उनके लिए, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल डारता है जिससे वह अपना मुख आदि धो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर ब्राह्मणों द्वारा छोटे गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-मक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब ब्राह्मण 'स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल डारता है और कहता है, 'यह अक्षय हो।' इसके उपरान्त सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, 'क्या मैं आपसे पुनः 'स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता हूँ?' जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है—'सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एव मातृकुल के पूर्वज) के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते हैं—'स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है—'विश्वेदेव प्रसन्न हो।' जब ब्राह्मण कह देते हैं कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हों' तो वह निम्न बात कहता है—'हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी शक्ति न पटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हो।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले धाढ़ कहकर, उनके शरणों पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनमें जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ कहना चाहिए—'वाजे वाजे' (ऋ० ७।३।८।८, याज० स० २।१।११, तै० सं० १।७।८।२)। उनका जाना इस प्रकार होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें, पहले प्रपितामह तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि जायें। वह पात्र जिसमें पहले अन्ध के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया जाता है तब ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके लौट आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। धाढ़दिन की रात्रि में भोजन करने वाले ब्राह्मण एव धाढ़कर्ता सम्भोग नहीं करते।' और देखिए मिता० (याज० १।२४९)।

बहुत से पुराणों में प्रत्येक ब्रामायास्था पर किये जानेवाले धाढ़ के विषय में विवाद वर्णन मिलता है, उदाहरणार्थ मत्स्य० (१।७।१२-१०), विष्णु० (३।१।५।१३-४९), मार्कण्डेय० (२।८।३७-६०), कूर्म० (२।२।२।२०-६२), पद्म०

(सृष्टिसण्ड, १।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (१।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६-४४)। अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक बातों को छोड़कर याज्ञ० (१।२२७-२७०) की सभी बातें यथावत् पायी जाती हैं, इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से श्लोक आख० गृ० एव याज्ञ० के समान हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुडपुराण में बहुत-से श्लोक याज्ञवल्क्य-स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ० १।२२९-२३९ एव गरुड० १।१९।११-१९। पुराणों की बातें गृह्य-सूत्रों, मनु एव याज्ञ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एव सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। बराह-पुराण (१।५१) में आया है कि सभी पुराणों में भाद्र-विधि एक-सी है (इय सर्वपुराणेषु मामान्या पंतुकी क्रिया)। पद्म० (सृष्टि०, १।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है—वर्ता विश्वेदेवा को (आमन्त्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करने हैं) जो एव पुण्यो के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो पात्र जल से भरता है और उन्हें दमों के पवित्र पर रखता है। जलार्ण ऋ० (१०।१।४) के 'शमो देवी०' मन्त्र के साथ एव जो का अर्पण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विश्वेदेवा' (ऋ० २।४।१।३) के साथ बुलाया जाता है और यवों को 'विश्वेदेवास' (ऋ० २।४।१।३-१४) मन्त्रों से बिसंरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को बिसंरला चाहिए—'तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एव फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें 'या दिव्या०' मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अर्घ्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात् उसे (कर्ता को) पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दमों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर पवित्र रखकर 'शमो देवी०' (ऋ० १०।१।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और तब उनमें चन्दन एव पुष्प डालने चाहिए (श्लोक १।४७-१।५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं)। इसके उपरान्त उसे पूर्व-मुखों के नाम एव गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दम देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों से प्रार्थना करता है—'मैं पितरों का आवाहन करूँगा।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०।१।६। १२) एव याज्ञ० स० (१।१।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात् पितृ-ब्राह्मणों को अर्घ्य 'या दिव्या०' के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्न में मन्त्र) से सम्मानित कर उसे अर्घ्यपात्रों के शेष जल को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिसा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एव 'तुम पितरों के आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के भोजनों को परोसना चाहिए (श्लोक १।५७-१।६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एव उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि के काल का वर्णन है)। जब ब्राह्मण साते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-सवन्धों वैदिक मन्त्रों, "पुराणोक्त ब्रह्मा की

८३. किन्तु मन्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्टि० १।१।६५-१।६९) के श्लोक अपराकं (पृ० ५०२) में उद्धृत किये हैं। पहला श्लोक 'स्वाध्याय आदि' मनु (३।२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण (पूर्वार्ध, २।८।६५-६८) जिसमें अन्यो के साथ रक्षोभ्य, वंण्य एव पंतुक (ऋ० १०।१।५।१-१३) मन्त्रों, पुष्यपूस्त, त्रिमधु एवं त्रिभुषण का भी उल्लेख है। हेमाद्रि (ध्या०, पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय याज्ञ० स० (३।६।१०) है, जो 'अनो वात-पवताम्' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वही है जिसे बृह० उ० (२।५, 'इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मधु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्दोग्य० (३।१, 'अतो वा आदिव्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में मधुबिद्या कहा गया है। मधुब्रह्मण एक उपनिषद् है। पद्मपुराण के पाठ वाले श्लोकों में यी गयी बातें मत्स्य० (१।७।३७-३९) में भी हैं। हेमाद्रि एवं ध्या० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए।

कतिपय प्रसास्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रसास्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एव सोम वाले मन्त्र तथा पात्रमानी मन्त्र, बृहत्, रथन्तर एव ज्येष्ठ साम, शान्ति-कल्प के अध्याय (दुष्टारमाओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने वाले अंश), मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एव कर्तों को आनन्द मिलता है, करना चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्तों को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दमों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए—'पृथिवी पर रखे हुए भोजन से हमारे बुल के घ लोम जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त वे उच्च लोको (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अर्पित है, जिनके न पिता हैं न माता हैं, न सम्बन्धी हैं न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अर्पित) भोजन नहीं प्राप्त है उनके साथ मिल और जाय जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एव पृथिवी पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो बौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थी। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण सन्तुष्ट हो चुके हैं कर्तों को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एव गोमूत्र से लेपित भूमि पर दमों को उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में पकाने योग्य) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिंचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एव गोत्र बोल लेना चाहिए और पुण्य दीप, गध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुनः जल चढ़ाना चाहिए। उसे दमों हाथ में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करना चाहिए और उन्हें दीपों एव पुण्यों का अर्पण करना चाहिए। भोजनोपरान्त जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुण्य एव अक्षत देने चाहिए, तब तिल पुनः अक्षय्योदक देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गोर्ष, भूमि, सोना, परिधान, भव्य गयन एव ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए। दान देने में उसे (कर्तों को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और उन्हें वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणों में निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आशीर्वाचन सुनने चाहिए—'पितर हमार लिए कृपालु हो, ब्राह्मण रहेंगे—'ऐसा ही हो', 'हमारे कुल की वृद्धि हो', वे कहेंगे—'ऐसा ही हो', 'मेरे बुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हो और वेदों एव सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वाचन सत्य रूप में प्रतिफलित हो', ब्राह्मण रहेंगे—'एसा ही हा।' इसमें उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से 'स्वस्ति' कहने की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तब ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तब उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन

८४ पृ० (सृष्टि०, १।१८०) में आया है—गोभृंहिरष्यवासांसि भव्यानि शयमानि च। बघाद्यद्विष्ट विप्राणा-  
मारमन-पितुरेव च ॥ ध्यात्वा में भूमिदान के विषय में हुई एक अभिलेख एव लिखित प्रमाण है। प्रयाग में किये गये (गाण्डेयदेव के) सांख्यिक ध्यात्वा के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुप्ति' नामक घाम के दान की खर्चा गाण्डेयदेव के पुत्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख) में हुई है (सन् १०४२ ई०)। और वेसिए इण्डियन एष्टोब्लेरो (जिल्ब १९, पृ० २०४-२०७ एव जिल्ब २९, भाग १ एव २, सन् १९४८, पृ० ४१)। आध्यात्मिकताकर्षण (१४।३-४) में आया है कि मुक्तिद्वार में भीष्म, द्रोण, कुर्योपन आदि के ध्यात्वा में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, बन्धुओं, घामों, भूमियों, हाथियों, घोड़ों (उनके आसनों एव जीनों के साथ) एव कन्याओं के दान किये थे।

हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आह्निक कृत्य करता है। स्वक भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये श्वाय-यदार्य) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं आमाशरी होते हैं। कर्त्ता एक जलपूर्ण पात्र को ल जाकर 'वाज पात्र' (ऋ० ७।३।८।८, वाज० स० १।१८, तै० स० १।७।८।२) के साथ कुसों की नोकों से ब्राह्मणों का स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ पगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लोट आना चाहिए और तब आह्निक वैश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए।

हमने यह देख लिया कि पद्यगुणों की बातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। विभी भी पुराण की विधि उसके लेखक की भाषा एवं उसके द्वारा अधीन सूत्र पर निर्भर है।

कतिपय गृह्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत मतान्तरों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्त्ता अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्रों के अनुसार श्राद्ध कर या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो उनकी शाखा के सूत्र या बन्ध में नहीं हैं) उपसंहार को लकर श्राद्ध करे। डेमादि (श्रा०, पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९ एवं १।१२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपराकं (पृ० १०५३) आदि में सक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में ब्राह्मण प्रदर्शित करते हैं, वे ऐसा कहते हैं—'यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में विरोध उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, बंसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुसर्वांग० (२।१२७।१४८-१४९)।' स्मृतियाँ में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव प्रयोग में लाना चाहिए, व जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो शास्त्रान्तराधिकरण न्याय या सर्वशास्त्राप्रत्यय न्याय कहना है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोद्दिष्ट श्राद्ध आदि) भी समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदाध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में विचार हो चुका है)। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात् अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में

दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड जाय तो अपनी शाखा के सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है।

मवशाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निबन्धों ने स्मृतिषो एव पुराणों से लबर धाड़ों के विषय में बहुत-सी एसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आग्निभक्त रूप में अति विस्तृत नहीं थी।

कूम० (उत्तराय २२।२०-२१) में आया है कि मन्वाह्न समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों को घर पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। कर्ता को दांत स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए उन्हें अलग-अलग आसनो पर बँधाना चाहिए और स्नान के लिए तल एव जल देना चाहिए। यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व० गृ०, मनु (३।२०८), याज्ञ० (१।२२६) एव कुछ अन्य पुराणों में भी नहीं पायी जाती। उदाहरणार्थ, घराह० (१।४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न में ब्राह्मणों को आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं किया जायगा।

मध्य काल के निबन्धों में एव आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर है और जो सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हैं।

अपराह्न में जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल बनाये जाते हैं एसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है—'ब्राह्मण कर्ता के लिए मण्डल का आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और शूद्रों के लिए पृथिवी पर केवल जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिश्रित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए। दो मण्डलों में एक उत्तर दिशा में दालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर। उत्तरी मण्डल पर पूर्ण की ओर नोक करके कुशों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये हुए कुश रखने चाहिए। उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्बाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का उत्तर उत्तरी मण्डल पर जल से उनसे पैर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बायाँ घुटना मोड़कर उनसे पैर (पाद) धोकर किया जाना चाहिए। पाद अर्पण (पाद प्रक्षालन) के समय का मन्त्र है—'शत्रो देवो (ऋ० १०।१।४)। मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एव पित्र्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। पाद जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं।

प्राचीन सूत्र एव मनु तथा याज्ञवल्क्य (१।२२९) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (श्लोक १७९-१८०) जैसी परबाल्वालीन स्मृतियाँ एव पुराण विश्वेदेवों के दस नामों वाले श्लोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में बाँटकर धाड़ों की पाँच कोटियों में लिपि उनको नियमित करते हैं। उनमें आया है—'जिती इत्ति में सम्पादित ध्याद के विश्वेदेव हैं ऋतु एव बस, नान्दीमुख ध्याद में हैं सरय एव धनु, वाग्प ध्याद में धृरि एव सोधन, नैमित्तिक ध्याद में काल एव काम तथा पार्वण ध्याद में गुरुवसत एव आर्द्र'।<sup>१</sup>

८६ ऋतुर्नो वसु सत्यं कालं कामस्तपेव च। धृरिश्चरोधनश्चैव तथा धेव गुरुवसा ॥ आर्द्रश्च वसति तु विजये देवा प्रकीर्तिताः। बृहस्पति (अपराह्न, पृ० ४७८; कस्पत, भा०, पृ० १४२; स्मृतिच०, भा०, पृ०, ४४२-४४३);

स्मृतिच० एव हेमाद्रि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ० १।२२९), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२२५) एव अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणश्राद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं—'विश्वे देवास आगत' (ऋ० २।४१।१३) एवं 'आगच्छन्तु महामागा', किन्तु स्मृतिच० (पृ० ४४४) ने 'विश्वे देवा क्षुण्णत' (ऋ० ६।५२।१३) यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है।

सामान्य नियम यह है कि विश्वेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एव पितृ ब्राह्मण दक्षिणाभिमुख बैठते हैं (याज्ञ० १।१२८ एव बराह० १४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पाँच मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ घीने एव श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता नहीं मिलती। दक्षिण एव पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, विन्तु बंगाल में दमों की आकृति पूजी जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरुवरसादवसोविश्वेदेवा देवाना पार्वणश्राद्ध कुशमग-ब्राह्मणे कर्ष्ये इति पृच्छत्)।

वायु० (७।१।१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एव अन्त में एव पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र तीनों लोको में पितरों की रक्षा करता है—'दवो, पितरो, महायोगियो, स्ववा एव स्वाहा को नित्य नमस्कार।' स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एव बैठ जाने के पश्चात् एव ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के

'विश्वे देवाः' को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। 'इष्टिश्राद्धे ऋतुदंश सत्यो नान्वीमुले वसु । नैमित्तिके कालकामो काम्ये च पुरितोषनी॥ पुरुवरवा आर्धवश्च पार्वणे समुदाहृतौ॥' भूहस्पति (अपराकं, पृ० ४७८; श्रा० प्र०, पृ० २३; मठ० पा०, पृ० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है—'इष्टिश्राद्धमाधानादौ क्रियमाणम्...। नैमित्तिके सपिण्डीकरणे। कामनयानुष्ठेयगयामहालयविश्राद्ध काम्यम्।' इष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में ९वाँ श्राद्ध है (विश्वामित्र, कल्पतप, पृ० ६; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३४)। श्रा० प्र० (पृ० २३) ने 'पुरुवरव' एवं 'आर्धव' ऐसे नामों के विभिन्न रूपों से दिये हैं—'पुरुवरवो आर्धवसो रौचमानश्च'। ब्रह्माण्ड० (३।३।३०-३१) ने 'विश्वेदेवों के दस नाम विभिन्न रूपों से दिये हैं—'पुरुवरवो आर्धवसो रौचमानश्च'। ब्रह्माण्ड० (३।३।३०-३१) ने कहा है कि दस की एक कन्या विश्वा से १० पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उग्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा—'अपे दरवा तु यन्माकमस्माक वास्यते तत । विसर्जनमपात्साकं पूर्वं पश्चात्तु वैवतम् ॥' यह गाथा सम्भवतः श्राद्ध में विश्वेदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुधर्मोत्तरपु० (३।१७६।१-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं।

८७. ये उक्तिर्वा (श्लोक) स्कन्द० (७।१।२०६।१४-११६), ब्रह्माण्ड० (३।१।१७-१८), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गठ० (आचारसङ्घ, २।८।६), कल्पतप (श्रा० १४४) में पाया जाता है। अधिकोश पुराणों में मन्त्र का अन्त 'नित्यमेव नमोनम' से होता है। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७९ एव १२०८) ने इसे 'सप्तार्चिः' सज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है।

पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्म० (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११।२२) एवं विष्णु-धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका 'सप्तार्चि' नाम रखा है और यह उद्घोष के बराबर कहा गया है।

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अर्घ्य देने के लिए घाटों के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। बृहस्पति का कथन है—'आसन देने, अर्घ्य देने या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पितरों के नाम एव गोत्र तथा उनके ध्यान का (वसु, रुद्र एवं आदित्य घाटों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।'

कहा गया है कि कर्ता को घाट में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा—घाट आरम्भ होने के समय, आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं घाट में अन्त में।

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि घाट में दी गयी आहुतियों के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर ? महाशंकराचार्य, हरिहर आदि ने आश्व० गू० (४।८।१) के 'एतस्मिन् काले . दानम्' एवं वराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में ब्यवहृत 'विभवे सति विप्रैर्म्यो ह्यस्मान्दृश्य दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु धीरे-धीरे आदि ने 'असन्न पितरः अमीमदन्त पितरः' (वाज० स० १९।३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत् ते अर्घ्यम्' या 'एतद् पितरो वासः' जैसे मन्त्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए दक्षिण स्मृतिक० (श्रा०, पू० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र० (पू० ३०-३१)। यह ज्ञातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अश्वय कल्याण के लिए है।

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि (श्रा०, पू० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण तीन मत ये हैं—'पिभ्य ब्राह्मणों के आसनो को बायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के पश्चात् या अग्निकरण के उपरान्त।' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि आवाहन मन्त्र—'उदन्तस्तवा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० स० १९।७० एवं तै० स० २।६।१२।१) है और इसके उपरान्त कर्ता को 'आ यन्तु नः' (वाज० स० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० सू० (७३।१०-१२) का कथन है—'ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीर्ण करके यातुधानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए—'हे पितर, यहाँ पाम मे आइए', 'हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए', 'भरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयेँ', 'हे पितर, यह आप का भाग है।' हेमाद्रि (श्रा०, पू० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उल्लेखित मन्त्रों का उल्लेख किया है।

याज्ञ० (१।२३६-२३७) द्वारा वर्णित अग्निकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मिताक्षरा ने संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रोताग्निवायु रखता है तो पार्वण घाट में, जिते वह पिण्डदान-यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है क्योंकि उसने पाम औपासन (गृह्य) अग्नि नहीं होती। मिता० ने इम मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रोताग्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई



श्रीतानियां नहीं रखता और उसने पास केवल औपासन अग्नि है तो वह उसी में होय करता है। जिसके पास न तो श्रीतानियां हैं और न गृह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३।२।१२) एवं एक गृह्यसूत्र के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीतानियां रखनेवाला अल्पव्यय श्राद्ध, अष्टका व एक दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पक्षमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आम्बुदयिक, एकोद्दिष्ट एवं अष्टका श्राद्ध में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं बालम्मट्टी (आचार०, पृ० ५१८)। टोडरानन्द (श्राद्धमौख्य) ने मनु (३।२।८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री ब्रह्म (अथैत् अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता।

अग्नीकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। उतपप वा० (१।४।२।१२-१३) में आहुतियां केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में 'स्वाहा' शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियां तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और अन्त में 'स्वधा नम' ('स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा है—'स्वाहा' या 'स्वधा नम' कहने, यज्ञोपवीत ढग से और प्राचीनावीत ढग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और आहुतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए।<sup>८८</sup> ये मत-भेदान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२।१।३-४) ने १३ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ पूत के साथ दी जाती हैं। आश्व० श्रौ० (२।६।१२), आश्व० गृ० (४।७।२०), दश-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४, मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगृ० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वाह्न, २।८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२।८।४७-४८) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बौ० ध० सू० (२।१।४।७), शाखा० श्रौ० (४।३), शाखा० गृ० (४।१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७।३।१२), मनु (३।२।११), वराहपुराण (१।४।२।२-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्वातपाद, १।१।९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१।४०।१९) आदि अधिकांश स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा 'स्वधा' के क्रम के कई रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं—पितरों के साथ सम्युक्त सोम, कथ्यवाह अग्नि, यम, अगिरा, कुछ लोग क्रम यो दते हैं—कथ्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वंस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वंस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है।

भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (पृ० १३६७-१३८४), श्रा० प्र० (पृ० ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धों ने इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२।३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात् शेषाश पित्र्य ब्राह्मणों के पार्श्वों में परोसना चाहिए और पात्र धाँदी के हो तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उभ कर्ता को, जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ

८८. स्वाहा स्वधा नम सम्यमपसव्यं तयैव च। आहुतीनां तु मा संख्या साधन्या स्वसूत्रतः॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका, श्रा०, पृ० ४५८)।

होम करना चाहिए और रोपान को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोभिल० २।१२०, स्मृतिच० २, पृ० ४६२)। स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एव वायुपुराण के मत से होम देव ब्राह्मणों के हाथ पर होना चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस भोजन का जिससे अनीकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कण्डेय एव गृह्य)। यज्ञोपवीत ढग से जनेऊ धारण करके कर्ना द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन परामा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-यान पकड़कर न लाया जाय तो वह दुष्ट अगुरो द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटनी-अचार, घाब, दध, दही, घृत एव मधु के पात्रों की भूमि पर ही रखता है (बाठ के बने पीठो आदि पर नहीं)। पृथिवी पर रखे पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा—मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या सुगन्धित ०५। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा—यह मीठा है, यह खट्टा है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छुना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की स्त्रि के अनुसार पदार्थ दिये जाने चाहिए, असन्तोष नै गाय भुनभुनाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों को यह रुचिकर होती है। प्रारात्र मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हे धीरे-धीरे खान देना चाहिए और विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, बर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जब भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप रायें, वे भोजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगडी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढँककर या दक्षिणाभिमुख होकर या जूता-चप्पल पहन खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले गीतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भाँति-भाँति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एव सुगन्धित करना चाहिए।

भोजन बनाने वाले के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (श्लोक ५७-६२) में आया है—पत्नी, कर्ता के मोत्र की कोई सोभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो, भाई वाली हो और गृहजनों की आज्ञा का पालन करने वाली हो, बर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, फूली या मीठी, बहिन, पुत्री, वधु, ये सभी सपचाएँ श्राद्ध-भोजन बना सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी सत्ताएँ अधिक हो, जो सपचा हो और जो ५० वर्षों के ऊपर हो या वे नारियाँ जो विपचा हो चुकी हो, चाची, भाम्नी, माता (स्वामात्रिक या विमाता) या पितामही—श्राद्ध-भोजन बना सकती हैं और वे नारियाँ भी जो सगोत्र एव मृदु स्वभाव की हो। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक् भोजन वाली नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो दवेत या गीले बस्त्र धारण किये हो, जिसके केश झुले हों, जो बोली नहीं पहनती हो, जो दण्ड होया जिसने सिर धो धिया हो। ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विश्वेदेव ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुध० ७३।१३-१४), किन्तु जब एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैं तो यह प्रायमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी के पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मनु ३।२३१ ने संकेत किया है)। बर्ता भोजन परोसते समय (यहाँ तक कि पित्र्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपवीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगन्धित एव

ममालेदार पेय भी वैसे ही हो (शस्त्र १४।१३)। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, किन्तु बायाँ हाथ लगा रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, मृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात् खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९। १२)। कात्यायन ने श्राद्ध-सूत्र में आया है—अनीकरण के परचात् शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी पात्रों को छुकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पुषिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमूल में अमन परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करते-ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक् एव यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा घृतदिक (जहाँ भोजन होनेवाला है) वह 'असुर एव रासत मारकर भगा दिये गये हैं' कहकर तिल बिखरता है और पितरों एवं ब्राह्मणों की अभिर्बुध वाला गर्म भोजन परोसता है। देविए याज्ञ० (१।२३८), बौधा० सू० (२।८।१५-१६) एवं कान्तिवापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४)। बौधायनपितृमधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को इन प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नामून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १००४, श्रा० प्र०, पृ० ११९)। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक वायें हाथ में भाजन-पात्र उठाकर रखना चाहिए। दाश-लघ्नित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९, श्रा० प्र०, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, अमृत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एवं दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और न यहाँ कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मन परोसिए), केवल हाथ से सकत मात्र करना चाहिए। अनीकरण के रूप में एव पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं स्वन्दपुराण में ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४।३९।६), वाज० म० (२।३२ एवं २३।३२), नै० स० (३।२।५।५ एवं १।५।१।१४)। आप० घ० सू० (२।८।१८।११) में आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टाग आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मनु (३।२४९) का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अन्न किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक में गिरता है।

मत्स्यपुराण (१७।५२-५५, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८२, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुण्य तथा अक्षत प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को आशीर्वाचन देना चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है—'हमारे पितर घोर नहीं (अर्थात् हमारे प्रति दयालु हो), ब्राह्मण प्रत्युत्तर दत्त है—'तथाम्नु (ऐसा ही हो)। कर्ता पुनः कहता है—'हमारा कुल बड़े, हमारे कुल में दाता बड़े और भाजन भी', इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' ब्राह्मणों के हाथ चुकने के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अन्न हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ० (१।१।२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूक्ष्म के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे अमृत की धारा बहती है जिस से मृत व्यक्ति पीने हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मनु (३।२६५, मन्व्य० १७।५६, पृ०, स्मृति० ९।१८५) ने एक पृथक् नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वही तब तक पडा रहना चाहिए जब तब ब्राह्मण लग प्रस्थान न कर जायें। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर हो तो उच्छिष्ट अन्न सूक्ष्म तक पडा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १।२५७ एवं मत्स्य० १७।५६)। बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२, हेमाद्रि, श्राद्ध०,

पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा 'स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाया चाहिए, जातृकर्म्यं (स्मृति-  
 पं०, धा०, पृ० ४८२, हेमाद्रि, धा०, पृ० १४८६) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड, हेमाद्रि, धा०, पृ० १४८६) का कथन  
 है कि पात्र एवं जन्मिष्ठ अथ कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य  
 जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मनु (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण  
 को ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मनु (३।२५९),  
 याज्ञ० (१।२४६), विष्णुप० सू० (७।३।२८), गत्स्य० (१६।४९-५०)। आप० गृ० (२०।९), आप० घ० (२।७।  
 १७।१६), मनु (३।२६४) एवं याज्ञ० (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अथ को अपनी पत्नी,  
 माता-पितृ-भ्रातृ के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन-स्वराज में प्रवेश  
 करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ, मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप०  
 गृ० एवं आप० घ० सू० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को रोषास्य से एक कौर  
 भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले  
 ही वह साधारणतः ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में)। ब्रह्मवैवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि  
 कर्ता को श्राद्ध-भोजन का रोषास्य सूँघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (धा०, पृ०, १५१९-  
 १५२१)। हेमाद्रि (पृ० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को  
 आशीर्वाचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में रिधत पितरों की अभ्यर्चना करनी चाहिए।  
 ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त सिलामे गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन  
 के अपने पात्रों में अभावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मधु या पक्वान्न  
 (सत्तु) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अथ छोड़ना चाहिए।

ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शास्ता० गृ० (४।१।९),  
 आश्व० गृ० (४।८।१२), वास (१।४।११), मनु (३।२६०-२६१), याज्ञ० (१।२४२) आदि के मत में जब श्राद्ध-  
 भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित मात से होना है और  
 किसी स्वच्छ स्थल पर दलों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं, ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भाजन-पान रहत हैं,  
 एक अर्चल दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणामुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं, (१) ब्राह्मणों ने भोजन कर  
 लेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आश्व० गृ० ४।८।१२-१३, कात्यायनवृत्त श्राद्धसूत्र,  
 कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है  
 कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अजीवकरण के पदचात होना है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं।  
 ब्रह्मवैवर्तपुराण (उपोद्घात० १।२।४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बृहस्पति न कहा है।  
 विष्णुप० (७।३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण खा रहे हो। चौथा  
 मत यह है कि (आप० गृ० २।४।९, हिरण्यवेदि-पृ० २।१।२-३) कर्ता को, जब ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और  
 जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के  
 कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शास्ता की विधि का पालन करना  
 चाहिए (हेमाद्रि, धा०, पृ० १४०८)। हेमाद्रि ने जोड़ा है कि यदि किसी ने गृह्यसूत्र में पिण्डदान के बाल का उल्लेख  
 न हो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोजन एवं आचमन के उपरान्त  
 पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धप्रश्नान (पृ० २४७) ने भी यही मत प्रकटित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दलों के  
 ऊपर रखा जाता है। अथवाकं (याज्ञ० १।२४) का कथन है कि सभी दशाओं में (बिना किसी अपवाद के) पिण्डों का

दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 'उच्छिष्टसन्निधौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्निवा नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया गया था, पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अग्नि को उद्घृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोजन के स्थान से तीन अरत्तियों को दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना चाहिए, किन्तु सावर्गिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)।

अमावास्या को नित्य जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषय में भी मतभेद नहीं है। अधिवास वैदिक ग्रन्थ पार्वणश्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आप्स० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुप० (७३। १३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है—क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा—माता, मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा—नाना, परनाना एवं वडे परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाने जाते थे? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। देखिए तै० स० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० स० (१९।३६-३७), शं० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरों एवं तीन पंतुक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु वाज० स० (९।१९) में पंतुक एवं मातृक, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३)। पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अविकारा सूत्र मौन है। देखिए आश्व० श्रौ० (२।६।१५), गुदशंन (आप० गृ० ८।२।१।२) का बहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ३) ने पंतुक पितरों के लिए तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है। गोमिलस्मृति (३।७३) में व्यवस्था की है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (स्मारहर्षे दिन), १६ श्राद्धों एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राद्धों में छ पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (धा० प्र०, पृ० १४, स्मृतिच०, धा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पंतुक पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।<sup>१</sup> विष्णुपुराण<sup>२</sup>, ब्रह्माण्डपुराण एवं बराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्व-पुरुषों का श्राद्ध पृथक् रूप से करना चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पंतुक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। नृहस्पति (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजन-भद्रायाँ से एवं तिल और मधु से अपनी गृहसूत्र-विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। बराह० (१४। ४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विद्या देनी चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मातृक पितरों को

८९. पितरों यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा भ्रुवम्। जविशेषेण फलं व्यं विशेषात्तरकं व्रजेत् ॥ धौम्य (धा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, धा०, पृ० ३३७)।

९०. पृथक्पृथक् केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं नृप। एकत्रैकेन पाकेन ववन्त्यप्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३।१५।१७); पृथग्मातामहानां तु केचिद्विच्छन्ति मानवाः। त्रीन् पिण्डानानुपूर्व्येण सोमूष्णान् पुष्टिवर्धनान् ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात पाद, १।१६१)। और देखिए बराहपुराण (१४।२२)।

और मातृ-पितरों के लिए पृथक पिण्ड देने चाहिए (१४।३७)। कुछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापुत्र (निमुक्त कन्या के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना अनिवार्य है। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रों को मोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए बिलोम हो गयी तो पार्वण ध्राढ में मातृ-पितर पिण्ड-पितरों के साथ ही समुक्त हो गये।

पितरों की पत्नियों पुरुषों (पूर्व-पुरुषों) के साथ कब समुक्त हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व-पुरुषों की पत्नियों सूत्र-काल में अपने पतिमों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-गु० (२।१०) ने कृष्ण पक्ष के मासिक ध्राढ में माता, पितामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। दगी प्रकार बोधा० गु० (२।११-१४) ने अष्टका ध्राढ में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरों के साथ रखा है, प्रायुन उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्वपाठ (२।१९।२-७) में पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है।<sup>१</sup> शाखा० गु० (४।१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिण्डों के पश्चात् ही कर्त्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए, दोनों प्रकार के पिण्डों को बीच कुछ रख देना चाहिए, जिस पर माध्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। शौनिकसूत्र (८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरुषों के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जान चाहिए। आश्व० गु० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य दृश्य के विषय में बर्त्ता करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माँड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना चाहिए। धंशानमस्मार्तसूत्र (४।७) ने पिण्डपितृयज्ञ के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करते टिप्पणी की है कि इसमें और सामान्य मासिक ध्राढ में अन्तर यह है कि दूमरं (मासिक ध्राढ) में पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता है। पितरों की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ स्मृतियों ने पार्वण ध्राढ में पितरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शातातप में आया है—'सपिण्डीकरण के उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका दृश्य, वृद्धि ध्राढ, गया में एवं उमर्षी वार्षिक ध्राढ-क्रिया में माता का अलग से ध्राढ किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही उसका ध्राढ होता है' (शा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, ध्रा०, पृ० ३६९)। बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने पति (कर्त्ता के पिता) के साथ ध्राढ ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी लागू है (स्मृतिच०, ध्राढ, पृ० ३६९, हेमाद्रि, ध्रा०, पृ० ९९ एवं भा० प्र०, पृ० ९)। कल्पतरु एवं अन्यो का कथन है कि पितरों की पत्नियों पार्वण ध्राढ में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आनेवाला वाद्यय भोजन पाती हैं (धा० प्र०, पृ० ९-१०)। हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एक अन्य स्त्री-पूर्वजाएँ पार्वण ध्राढ में देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि 'माता', 'पितामही', 'प्रपितामही' शब्दों में उनकी मीनों (सपत्नियों) आती हैं कि नहीं। हेमाद्रि (धा०, पृ० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता है। एश मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एवं साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवल विमाता माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय ध्राढ या गयाध्राढ जैसे अवसरों पर सभी आती हैं।

११. मार्ग्ययन्तां मम पितरों मार्ग्ययन्तां मम पितामही मार्ग्ययन्तां मम प्रपितामही। मार्ग्ययन्तां मम मातरों मार्ग्ययन्तां मम पितामहो मार्ग्ययन्ता मम प्रपितामह्य। आप० म० पा० (२।१९।२-७)।

पिण्डदान संबन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी बति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हैं। पूर्व-मुष्य को पिण्ड नाम, गोत्र एव कर्ता-संबध कहकर दिया जाता है।<sup>११</sup> कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है—'हे पिता, यह तुम्हारे लिए है, अमुक नाम अमुक गोत्र वाले।' तं० स० (११८।५।१) एव आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) आदि ने निम्न और जोड़ दिया है—'और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं (ये च त्वामनु)'<sup>१२</sup> गोभिलगृ० (४।३।६) एव सादिरगृ० (३।५।१७) में मूत्र और लम्बा है—'हे पिता यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके लिए जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात् तुम आते हो।' तुम्हे स्वधा।' भारद्वाज गृ० (३।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (याश्च स्वमन्त्रान्वसि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि शतपथब्राह्मण ने तं० स० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तर्क यह दिया है कि जब पुत्र अपने पिता का पिण्ड देते हुए कहता है कि 'यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं', तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित कर लता है, जो अगम है। गोभिलगृ० (४।३।१०-११, हेमाद्रि, आ०, पृ० १४४३ एव आ० प्र०, पृ० २६०) में व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम मही जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहने वाल पितरा को स्वधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो बापु में निवास करते हैं 'स्वधा' यह कहकर और तीसरा पिण्ड 'स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और मन्त्र स्वर से उसे यह कहना चाहिए—'हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम (कल्पतरु, आ०, पृ० २०३)। विष्णुष० सू० (७।३।१७-१९) में भी एसा ही है और मात्र हैं क्रम से पृथिवी दक्षिणदिशा, 'अन्तरिक्ष दक्षिणदिशा' एव 'द्यौर्दक्षिणदिशा।' मेधातिथि (मनु ३।१९४) ने अश्व० श्रौ० आदि का अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए—'हे पिता, पितामह आदि।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो 'कश्यप' गोत्र का प्रयोग करना चाहिए।<sup>१३</sup>

९२ अर्घदानेऽप्य सकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि धयावत्प्रतिपादयेत् ॥ पारस्कर० (अपराकं, पृ० ५०६; हेमाद्रि, आ०, पृ० १४३४; आ० प्र०, पृ० २५८)। सूत्र इस प्रकार का है—'अमुकगोत्रात्मत्पितरमुकशर्मं एतत्तेऽस्र (या ते पिण्ड) स्वधा नम इदममुकगोत्रायात्मत्पित्रे अमुकशर्मं न ममेति' (हेमाद्रि, आ०, पृ० १४३६) किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है।

९३ एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु । आप० म० पा० (२।२०।१३)।

९४ असाववनेनिस्य ये छात्र त्वामनु याश्च त्वमनु तस्मिं ते स्वधेति । गोभिल गृ० (३।३।६) एव सादिर गृ० (३।५।१७)। षोडशरानन्द (आष्टसौख्य) ने यजुर्वेद एव सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं—'अमुक-गोत्र पितरमुकशर्मं प्रेतत्तेऽस्र स्वधेति यजुर्वेदिनामुत्सर्गवाक्यम् । अमुकसगोत्र पितरमुकदेशवामं प्रेतत्तेऽप्ये ये छात्र त्वामनु याश्च त्वमनु तस्मिं ते स्वधेति छन्दोगानाम् । मिलाइए आष्टतत्त्व (पृ० ४३७) एव आष्टक्रियाकीमुद्रा (पृ० ७०)।

९५ गोत्राज्ञानेऽप्याह व्याघ्रपाद—गोत्रज्ञाने तु कश्यप—इति । गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहणं कर्तव्यम् । कश्यप-सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात् । तथा च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कश्यप्य इति । स्मृतिच० (आ०, पृ० ४८१) । और देखिए इन्हीं बातों के लिए आ० प्र० (पृ० २६०)। शूद्रकमलाकर (पृ० ४९) का कथन है—'यद्यपि तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कश्यप्य इति शतपथश्रुते . . . कश्यप गोत्रमस्ति तथापि आष्ट एव तत् ।' 'सर्वा प्रजा कश्यप्य'—ये शब्द शतपथब्राह्मण (७।५।१।५) के हैं।

पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के सकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के विषय में अधिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराकं, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण आद्य में पिण्ड का आकार हरे आमसक जैसा होना चाहिए, एकोद्दिष्ट में आकार बिल्व (बेल) के बराबर होना चाहिए, किन्तु आशौच के काल में प्रति दिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवश्राद्धों में) उपर्युक्त आकार से अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। स्कन्द० (७।१।२०६, स्मृति च०, श्रा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि दो वर्ष का बछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एव हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बहर फल के समान होना चाहिए। मैत्रायणीय-मूत्र (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३०, श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का सब से बड़ा होना चाहिए। दूमरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नीकरण के पूरे दिये जायें तो उन्हें पक्व चावल (भात या चठ) से बनाना चाहिए। यदि वे अग्नीकरण के पश्चात् दिये जायें तो (अग्नीकरण के पश्चात् के शायरा से) पक्व भोजन म मित्र मिलाकर उह बनाना चाहिए (वाज० १।२।४२)। यदि ब्रह्म भोज के उपरान्त पिण्डों का अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म भोज से पक्व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नीकरण के लिए आहुति बनानी चाहिए जैसा कि कात्यायन के श्राद्धमूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से पिण्डों को गोमूत्र एव गावर मिश्रित जल से लिप-युक्त स्थान में दर्भों पर रखना चाहिए। दवल, ब्रह्माण्डपुराण एव भविष्यपुराण में आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊँची एव एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बालुकावदिका बनानी चाहिए उस उन पार्श्वों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दर्भ रखकर पिण्ड रख जाने चाहिए। सामपुराण का कथन है कि घेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से त्रिभलिसित मात्रा के साथ एक रखा खीचनी चाहिए—'जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गृहक एव यातुधानों को मार डाला है, (सभी असुरों एव राक्षसों को, जो घेदिका पर बैठ हैं) मार डालों' (७।५।४५-४६)। आप० श्रौ० (१।१०।२) मनु (३।२।७), विष्णुध० (७।३।१७-१९), यम (हेमाद्रि, पृ० १४४०) बल्लव (श्रा०, पृ० २०३), महाण्यप्रकाश (हेमाद्रि में उद्धृत), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १४४०-४२) एव श्रा० प्र० (पृ० २६६-२६७) में छ' ऋतुओं, 'नमो ३ पितरों' (वाज० म० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार और प्रत्येक पिण्ड रखन समय तीन मात्र बोलन को और सकत किया गया है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को 'रस', 'दोष एव अय चार दण्डों (वाज० म० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्चना एव पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनवायव्यग्राह्य-बल्लव में पिण्डार्पण का त्रय उलट दिया गया है, अर्थात् पहले प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४२)। आप० श्रौ० (१।९।४) ने 'पितामहमृतीन् वा' में इस विधि की ओर सकत किया है।

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० म० (१।१।३३) एव अय मूत्रा में एमी व्यवस्था दी है कि मध्य वा (तीन पिण्डों में बीच का) पिण्ड कर्त्त की पत्नी द्वारा खाया जाना चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२।२-२।६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सर्वण पत्नी, जिसका विवाह अय अमरण पत्नियों से पहले हुआ है) को 'आपत्त पितरों गर्भम्' मन के साथ मध्यम पिण्ड खा लेना चाहिए, तब वह एका पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्, सन्ततिमान्, माधुचरण एव सद्चित शान्ता होता है। यही नियम लघु-आदवलायन (२३।८३) क्रूमं (२।२।७१), मत्स्य० (१६।५२), वायु० (७६।३१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१।७-१।७८ एव २२०।१४९), पथ० (मृष्टि० ९।१२१) आदि पुराणों में भी पाया



जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आश्व० श्रौ० (२।७।१४-१७) का कथन है कि मध्यम के अतिरिक्त अन्य पिण्डों को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अधिक उत्पन्न हो गयी हो, या उसे असाध्य रोगों (राज्यक्षमा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। गोमिलगु० (४।३।३२-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण या गाय को खाने के लिए द देना चाहिए। मनु (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पशियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसे कि कुछ अन्य लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ० (१।२५७), मत्स्य० (१६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, १।१२०) ने भी उपर्युक्त पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-दूह पर भी रखे जा सकते हैं।<sup>१६</sup> बराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।<sup>१७</sup> अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी है कि प्रथम और तृतीय पिण्ड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए। बृहस्पति (स्मृतिच०, आ०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, आ०, पृ० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिण्ड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तर (१।१४।१।८) में आया है कि यदि श्राद्ध का संपादन तीर्थ में हो तो पिण्डों को पवित्र जल में छोड़ देना चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म० (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की बर्षा की है, यथा—गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेघा एवं यम की तथा पत्नी आदि को देने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण्ड० (उपोद्घात, १।३।१-३५) का कथन है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रण, भुयों को देने से सुकुमारता एवं बौर्षों को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। यह शातथ्य है कि सभी श्राद्धों में शवाल (मात) या आठे के पिण्ड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पलता (पृ० ८६-८९) में उन श्राद्धों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है—जिनमें भोजन का पिण्ड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्थ, पुलस्त्य के मत से दोनों अथवा के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी शकान्ति पर पिण्ड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्धों में पिण्ड-दान नहीं करना चाहिए।

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे—कुछ लोगो (यथा गोविन्दराज) का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० (३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं—देवो एव पितरो के कृत्य में वेदमान-भूय ब्राह्मणो की अपेक्षा एक हो विद्वान् ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है, ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता

१६. पिण्डरश्मि शोऽऽदिशेऽप्यो ब्रह्माह्वनी कलेऽपि वा । यत्रान्ते याम बिकिरेवापरेभिरप्य बाहुभेत् ॥ पद्म० (सृष्टि०, १।१२०) ; सपराकं (पृ० ५५०) एवं हेमाद्रि (आ०, पृ० १५०४) । पशियों को पिण्ड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विवक्षात् किया गया था कि पितर लोग पशियों के रूप में बिचरण किया करते हैं । और वैश्वदेव कर्म० (२।२२।८३) ।

१७. मशयेत् प्रथमं पिण्डं परम्ये देध तु मध्यमम् । तृतीयमुक्ते ब्रह्माह्म्याऽ एवं विधिः स्मृतः ॥ बराह० (१९०।१२१) ।

है " यहाँ श्राद्धकर्म का फल विद्वान् ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१४।१९) की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शाबरभाष्य (२।१।१४) और जैमिनि (४।४।२९-३८)—'जो किसी कृत्य की समीपता में वर्णित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विसिष्ट फल नहीं मिलता, किन्तु यह घोषित फल का अग मान होता है।' कुछ ध्यादो में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमभाद्र तथा उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।" कर्म जैसे लोगों का नथन है कि ध्याद में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुधर्मसूत्र (७।८।५२-५३ एवं ८।५।६५-६६), बराह० (१३।५०), विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३), ब्रह्म० (२२०।३१-३२), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४।१३-४) के आधार पर कहते हैं कि पितरो की ऐसी उत्सृष्ट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हा जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सत् पूरु द्वारा किये गये श्राद्ध में ब्राह्मण-भोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'श्राद्ध' शब्द प्रयुक्त होता है और जहाँ ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा—देवध्याद में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५७-१६०)। धर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयायियों (वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुर है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मणभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में दोनों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज) है और दान भी। हरदत्त, हेमाद्रि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, भोजन, पिण्डदान एवं अमोकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए सत्काररत्नमाला (पृ० १००३)।

सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; 'बौधो पीढ़ी से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर भोग लेपमाज (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावरोधों के भागों) होते हैं, (पिण्डकर्ता के) पिता, पित्तमह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं, पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।" साप्त-पीठ्य सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय० (२८।४-५) में भी उल्लेख है।" और देखिए ब्रह्म० (२२०।८४-८६)। मनु (३।२।१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दमों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे भोजनावरोध एवं जल को दमों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे) हटाना चाहिए। यह शाब्द उनके लिए होता है जो लेपमागी (प्रपितामह

१८. पुष्कलं फलमाप्नोतीत्यभिधानाद् ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम् पिण्डदानादि स्वगमित्यवसीयते। गोबिन्द-राव (मनु० ३।१२९)। कुत्सुक ने भी इस मत के लिए यही श्लोक उद्धृत किया है।

१९. तथा च पुत्रस्यः। अयनद्वितये श्राद्धं विबुधद्विदितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिण्डानिर्बपणादृते ॥ इति। कर्तव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ३६९)। और देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ३३४-३३६)।

१००. सेरभाजसत्तुर्थाः। पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिण्डः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्य साप्तयोरुपवम् ॥ मत्स्य० (१८।२९)। ये ही पद्य पद्य० (सृष्टिकंड १०।३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डः सप्तप्रदवा' पाठ है। और देखिए अपराकं (पृ० ५०७)। मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया है—तेषु बभूवुं तं हस्तं तिमृश्यान्तेपभागिनाम्।

१०१. सेरसम्बन्धिनश्चाप्ये पितामहपितामहात्। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सत्पामः। इत्येवं मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तयोरुपवः ॥ मार्कण्डेय० (२८।४-५)। देखिए वायभाग (१।१।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशुष से इसे सम्बन्धित किया है।

से आगे के तीन पूर्व-मुस्य) कहलते हैं।<sup>१०१</sup> ऐसी ही व्यवस्था विष्णुधर्मसूत्र (७३।२२), ब्राह्मपुराण (१५।३६), गृह्यपुराण (आचारखण्ड २।८।२४) एवं कर्मपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३।२।१६) का कथन है कि यदि हाथ से भोजन एवं जल न भी लया हो तब भी कर्ता दमों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की जड़ो से हाथ पोंछना है। श्राद्धकल्पलता (पृ० १४) में उद्धृत देवल के कथन से एक विनिष्ट नियम यह ज्ञात होता है कि यदि पिना या माता बलवश या स्वेच्छा से स्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए श्राद्ध नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए।

प्रसिद्ध लेखको के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आङ्गिक वैश्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व करना चाहिए या उसके पश्चात्। इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।<sup>१०२</sup> मनु (३।२।६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को गृहबलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेघातिथि ने व्याख्या की है कि 'बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।<sup>१०३</sup> मत्स्य० (१७।६१), ब्राह्म० (१४।४३), स्कन्द० (७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, कात्यायजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्रि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक सम्भा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए, केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय में तीन विकल्प हैं, यथा—आनीकरण के पश्चात् या विकिर (उनके लिए दमों पर भोजन छिड़कना जो बिना सस्कारों के मृत हो गये हैं) के पश्चात् या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के घले जाने के पश्चात् (पृ० १०६४)। यदि वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पूषक-भूषक भोजन बनना चाहिए। सभी के लिए, चाहे वे सात्विक हो अथवा अनात्मिक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात् हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। वैडीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात् यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।<sup>१०४</sup> निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने भी कही है (यथा मेघातिथि एवं स्मृतिरत्नावली)। अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए।

१०२. न्युष्य पिण्डास्तितस्तास्तु प्रथमो विधिपूर्वकम् । तेषु बर्मेषु तं हस्तं निमुञ्च्यत्लेपमागिनाम् ॥ मनु (३।२।१६) । अन्तिम आधा मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है।

१०३. वैवकायाद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । मनु (३।२०३); ब्राह्मण्ड० (उपोद्घातपाद, १०।१०४); मत्स्य० (१५।४०) एवं वायु० (७३।५५) ।

१०४. ततो गृहबलि कुर्वादिति धर्मो ध्यवस्थितः । मनु (३।२।६५) । मेघातिथि की व्याख्या यों है—'ततो गृहबलि निष्पन्नं श्राद्धकर्मस्थानन्तरं वैश्वदेवहोमान्ब्राह्मणविरभोजन कर्तव्यम् । बलिशबरस्य प्रदर्शनाद्यत्वात् ।'

१०५. पितृषामनिषेधे तस्मादन्नाद्वैश्वदेवविक्रमपि न कार्यम् । तथा च वैडीनसि । पितृपाकास्तमुद्धृत्य वैश्वदेवं करोति यः । आसुर तद् भवेच्छ्राद्धं पितृषां तोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (४।०, पृ० ४१०) ।

अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता के कई कारण हैं, कर्ता किसी बंद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एक सूत्रों के काल में पार्वण श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा के विषय में या मातृपस के पूर्व-गुरुवों या पितरों की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और याज्ञवल्क्यामृति के काल में विश्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बंध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विश्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठापित हो गयीं। श्राद्ध-वृत्त्य के लिए पुराणों में कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा—'आगच्छन्तु एव देवताम्य पितृभ्यश्च'। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न शास्त्राओं एव सूत्रों में वर्णित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिमा जा सकता है, यदि वह अपनी शाखा या सूत्र में विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-वृत्त्यों में सभी कुछ सम्मिश्रित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि बिनाद हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता है इसमें हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान् ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, दुष्कर हो जाता करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण धाद्य (जिसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध अपात्रक-पार्वण धाद्य से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयियों लोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र में (वण्डवा ३ में अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्राथमिक माना जाता है, उद्धोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में 'वाजे वाज' (वाज० स० १।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को 'आ मा वाजस्य' (वाज० स० १।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 'श्राद्धरत्न' के सम्पादन में लिखा है, अपात्रक-पार्वण धाद्य में इन नियमों का पालन नहीं करते। वदपर के धाद्यविवेक (पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वण धाद्य-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है।

मध्य एव आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी जाती रहीं हैं। उदाहरणार्थ, दंगल के सामवेदियों, गजुवँदियों एव ऋग्वेदियों द्वारा क्रम से भवदेव, पनुपति एव कालेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व' एव 'यजुर्वेद-दिधादतत्त्व' में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने गजुवँदियों के लिए पितृमन्त्रि एव सामवेदियों के लिए श्राद्धरूप नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के बीच) के धाद्यरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिल साम्प्रदायिक धाद्यपद्धति) विख्यात है, लिखा है कि हमने छन्दोगों के लिए एव वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहस्तक-कृत सुगुणतोषण का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सामवेदीय या तोल्पर के हारौत वेङ्कटाचार्य की पूर्वं एव अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मार्त ब्राह्मण लोग वैदिक-सामवेदीय या तोल्पर के हारौत वेङ्कटाचार्य की पूर्वं एव अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मार्त ब्राह्मण लोग वैदिक-सामवेदीय या तोल्पर के हारौत वेङ्कटाचार्य की पूर्वं एव अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मार्त ब्राह्मण लोग वैदिक-सामवेदीय या तोल्पर के हारौत वेङ्कटाचार्य की पूर्वं एव अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग निरूपण, मिलान एव विरोध प्रदर्शन नहीं किया जायगा। पश्चिम भारत में ऋग्वेदियों में प्रतिशावत्परिच्छाद्य प्रसिद्ध

है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसावत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें एव पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एव सौ० अ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदपुलि की प्रशंसा वाले श्लोक आते हैं। बहुत-से वैदिक एव पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हैं, यहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन एव स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। यहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र 'अन्नसूक्त' के रूप में दिये गये हैं और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है—'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा'।

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेद-श्राद्धतत्व में दिया है, पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एव तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलामुष के ब्राह्मणसंबन्ध में जो पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के माटपारा के माध्यन्दिनों द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलामुष एव रघुनन्दन की व्याख्याएँ एव उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है—सब कुछ दिया जा रहा है।

“पार्वण श्राद्ध में पूर्व ही विश्वेदेवो के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है।”<sup>१०६</sup> पितृकृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दर्म प्रयुक्त होते हैं (वैश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्म प्रयुक्त होते हैं)। जब कुछ दान किया जाता है, कर्ता (सभी देव एवं पित्र्य कृत्यों में) पवित्र पहनता है और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रश्न पूछे जाते हो तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (देव कृत्य में मूर्धन्य देव ब्राह्मण से एव पित्र्य कृत्य में मूर्धन्य पित्र्य ब्राह्मण से) प्रश्न करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्तित्व या सभी लोग देते हैं)। आसनों पर दर्म बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठोटा है) वह प्रश्न करता है—“क्या मैं विश्वेदेवो का आवाहन करूँ?” (देव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह 'विश्वे देवास आगत' (वाज० स० ७।३५ 'हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्म पर बैठिए') के साथ विश्वेदेवो का आवाहन करता है।<sup>१०७</sup> इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० स० ३३।५३, 'विश्वेदेवा गृणुतेमम्' अर्थात् हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए)। इसके उपरान्त वह (पित्र्य ब्राह्मणों से) पूछता है—“मैं पितरों को बुलाऊँगा।” (पित्र्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य बुलाओ ऐसी अनुमति), वह 'उग्रन्तस् स्वाम्' (वाज० स० १९।७०, 'हे अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि') मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पित्र्य ब्राह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता है (वाज० स० १९।५८, 'आयन्तु न पितर' अर्थात् 'सौमप्रिय पिता हमारे पास आयें आदि')। तब वह यज्ञिय वृक्ष

१०६ पिण्डपितृयज्ञव्यवहारः—परिणाम यह है—अपराह्णकाल, श्राद्धकर्तुं प्राचीनाधीतता, बसिणाभिमुखता, धामजानुनिपात, पितृतीर्थ, अत्रावशिष्य, बसिणापवर्गता, बसिणां बसिणादत्ता चेत्याद्यम् पितृकर्तुं धर्माः । इत्येते मह प्रकृत होता है कि वैश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते हैं—यज्ञोपधीतता, कर्तुं च वदन्मुखता, बसिणाजानु-निपात, वैश्वतीर्थ, प्रादक्षिण्यम्, उग्रगपवर्गता, प्रायप्रता चेत्याद्ययो वैविकधर्माः । प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यथा—बसिणादान, स्तोत्रजप एव विप्रविसर्जन।

१०७. यह शातथ्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धृत सभी मन्त्र उपयुक्त एव समीचीन हैं। स्थानात्मा से सभी मन्त्र अनुचित नहीं किये जा रहे हैं।

(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें 'सं नो देवी' (वाज० स० ३६।१२, 'द्वैव जलं हमारं मुख के लिए हो आदि') मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह दैवकृत्य के लिए पात्र में यव रखता है)। वह प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोत्ति' (आश्व० गू० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले दैव और नव पित्र्य) के हाथ में जिसमें पवित्र रहता है, जल डारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय 'मा दिव्या आप' मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के साथ दिया जाता है—'हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अर्घ्य है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। (पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डालकर वह उसे यह कहकर उलटा कर देता है—'तुम पितरों के स्थान हो।' यही 'र' (पित्र्य ब्राह्मणों को) मन्त्र, चन्दन लेप पुष्प, घष, दीप एव वस्त्र दिये जाते हैं।<sup>१०८</sup>

एक अन्य पात्र में धातु के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उममें घी मिलाकर कर्ता कहता है—'मैं अनौकरण करूँगा।' 'अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ की रीति आहुतियाँ डालता है। इसके उपरान्त (अनौकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र के ऊपर एव नीचे स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है—'पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन अलग रख लेता है जिसमें आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक ऋचा (ऋ० १।२२।१७, 'इं विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (यवों को दैव ब्राह्मणों के समक्ष मीन रूप से) तिलों को 'अपहृता असुरा रक्षासि वेदियद' (वाज० स० २।२९) के साथ बियेरता है। इसके उपरान्त यह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्भ भोजन परोसता है या जो भी कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं वह निम्न मन्त्रों का जप करता है—ओम् एव ब्याहृतिषो से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्नी (ऋ० १।१०।१-१५) 'उदीरतामवर उत्' ऋचा से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरपसूक्त (ऋ० १।१०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त (ऋ० १।१०।३।१-१३) आदि। इसके उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन बिलेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार (भोजनोपरान्त अयोधन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।१०।६८) एव मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिए। तब उसे पूछना चाहिए—'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उनके द्वारा 'हम सन्तुष्ट हो गये' कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए), जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन लिया हो उमी स्थल के पास वह पिण्डों के दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मानुषपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल डारता है। कुछ लोगों का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, पुष्प, अणत एव अशाम्योदक देता है।<sup>१०९</sup> इसके पदचातु वह बल्याणार्थ प्रार्थना करता है—'पितरं लोण अधोर

१०८. छ पितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मानुषपक्ष के, अतः छ पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-पूर्व प्रथम पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है और फिर उल्टे मुँह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसर्वेभ्य नै ब्याख्या की है—तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति बृहस्पतिः। 'आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः धातुवेवता।'

१०९. 'अशाम्योदक' के विषय में महाभारत की व्याख्या यों है—'अशाम्योदकशब्देन दत्तात्रयानादेरानन्वयप्रार्थन-सम्बन्धि जलमभिधीयते। तच्च पितृब्राह्मणेषु एवेति कर्कं। सर्वेभ्यो दद्यादिति स्मृत्यर्थसारे।'

(दयालु) हो।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा ही हो,' वह कहता है—'हमारा कुल बढे।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'हमारे कुल में दाता बढें।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'वेद और सन्तति बढें।' वे कहते हैं—'वैसा ही बहो।' वह कहता है—'मुझमें श्राद्ध न दूर हट।' वे कहते हैं—'न दूर हो।' वह कहता है—'हमारे पास प्रचुर द्रव्य है जिसका हम दान कर सकें।' वे प्रत्युत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' आसीर्वाद पाने के पश्चात् वह पवित्रों के साथ स्वधा-वाचनीय नाम व कुशा (अग्रभागो एव पवित्रो के सहित) को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि 'देव्याशिक' आदि में आया है) रखता है, वह (सभी ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है—'क्या मैं आप लोगों से स्वधा कहने को कहूँ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह प्रार्थना करता है—'पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहो, प्रपितामहो, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़ परनाना के लिए स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो तो वह 'ऊर्जं वहन्ती' (वाज० स० २।३४) पाठ के साथ स्वधावाचनीय कुशा पर जल छिड़कता है। तब वह उलटते मुँह वाले पात्र को सोँपा करता है और अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। यह देव ब्राह्मणों से कहलवाता है—'सभी देव प्रसन्न हो।' तब वह सभी ब्राह्मणों को 'वाज वाज (वाज० स० १।१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य' (वाज० स० १।१९) के साथ (गाँव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट आता है।"

यह शातपथ है कि दमों पर पिण्डों का रखने के पश्चात् एव ब्राह्मणों का विदा करने के पूर्व बगल के पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व एव रघुनन्दन के यजुर्वेद-श्राद्धतत्त्व पर आधारित है कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तरामिमुख होकर कहता है—'हे पितर लाभ, यहाँ मन्त्राप प्राप्त करो और अपने-अपने भाग पर वैश्व की भाँति आओ।' तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है—'पितर लोग सन्तुष्ट हुए और अपन-अपने भाग पर वैश्व की भाँति आये।' तब वह अपनी धोती के एक भाग को, जो कटि में खोला हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात् छ बार नमस्कार करता है और मन्त्र 'नमो व पितरो रमाय' (वाज० स० २।२२) का पाठ करता है। वह पिण्डों का सूपता है और मध्यम पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आपत्त (वाज० स० २।३३) का पाठ करता है।"

स्वानामाव से हम आधुनिक हिरेण्यकेशिया की पार्वण-श्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते। यह बहुत अशो में आश्व० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की सस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है। इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ-यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा—मासिक-श्राद्ध एव मासिक-श्राद्ध। पहले का वृणन हिरेण्यकेशी धर्मसूत्र में एव दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वर्णित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासियाद्ध धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर यथा महालय श्राद्ध या मावत्सरिक श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (पृ० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दश या वष में किसी दर्श पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिश्राद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है

और मासिक ध्याद का सम्पादन मासिध्याद के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के अनुसार मासिध्याद या मासिक ध्याद नहीं करता। अब तो ध्याद एक ब्राह्मण को भोजन कराकर एव कुछ आने दक्षिणा के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। ध्यादतत्त्व (भाग १, पृ० २५४) में मत्स्य० एव भविष्य० का उद्धरण देते हुए कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणध्याद करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एव वृषभ राशियों में हो, तो वर्ष में कम-से-कम तीन बार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूर्य कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए।

मिताक्षरा एव दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ में लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारलौकिक या आध्यात्मिक बल्याण देता है (ध्यादों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तराधिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने वाले को मृत के ऋण (याज्ञ० २।५१) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९।

अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यक्ति की योग्यता एव उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामर्थ्य। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड-कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९)।

यदि तीन पूर्व-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों तो ध्याद किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर बहुत काल से विचार होता आया है। आश्व० श्रौ० (२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तीत्वलि एव गौतम से मत दिये हैं और पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हो उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ध्याद-कृत्य पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तीत्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हो या मृत, क्योंकि ध्याद-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता जीवित हो तो सबसे आगे के तीन मृत पितरों को ध्याद-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आश्व० ने उत्तर दिया है—पिता, पितामह या प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है, बल्कि पदचातु (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता।<sup>111</sup> जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवित हो तो सभी पिण्डों को अग्नि में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कात्यायन श्रौ०सू० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत

१११. वैदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्वपुरुषों को पिण्ड दिये जाते हैं। मनु (९।१।८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चाची या दादाजी या छोटी पीढ़ी के पूर्वपुरुषों को पिण्ड देने के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है।



पूर्वज हो जिसके एव कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है (पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातूकर्म्य ने कहा है कि यदि कर्ता एव किसी मृत पूर्वज के बीच कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात् पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है—'जीवित पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।' मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार किया है—'यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि के साथ किया जाता है और पितामह एव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह जीवित हो तो वह केवल पिता एव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात् केवल दो पिण्ड दिये जायेंगे) या जीवित पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हो, भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एव वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्वन्द० (६।२५।२४-२५), अग्नि० (१।७।५८-५९) आदि पुराणों में भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोमिलस्मृति (२।९३) में भी इस प्रश्न पर एक लम्बी उक्ति द्वारा विचार किया है इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।<sup>१</sup> बहुत सी टीकाओं एव निबन्धों में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याग० १।२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२-५५६) एव निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३)। इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु (श्रा०, पृ० २४०) का वचन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं—(१) उसे अपने जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णु-ध० ७५।१), (२) वह केवल अग्नि में सकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आश्व० श्रौ० २।६।१६-२३), (३) उसे पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण ध्यात् नहीं करना चाहिए (गोमिल० २।९३)। निर्णयसिन्धु का वचन है कि विभिन्न लेखकों में अर्पणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कालियुग में वर्ज्य हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण ध्यात् नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है—पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एव प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज (तीन में) जीवित हो और उनके वंशज को ध्यात् करने की अनुमति हो तो विकल्पों को कई बोटियाँ उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एव अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि ध्यात् से महान् कल्याण होता है इस दशा में पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का ध्यात् कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषों के लिए 'जीवत्-पितृक' वाले विधि ही दी है (कही-कही आवश्यकतानुसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है)।<sup>१</sup> ऐसे ही नियम

११२. सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारो न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किञ्चित् वद्याविति श्रुतिः॥ गोमिल० (२। ९३); श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२)। मिलाइए कात्या० श्रौ० सू० (४।१।२२-२७)।

११३. मातामहानामप्येवं ध्यात् कुर्याद्विषयतः। मन्त्रोहेण यथान्यायं शोषाणां मन्त्रवर्जितम्॥ विष्णुधर्म० (७५।८)।

भाटा के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि० ११७।६० 'एव मात्रादिकत्वापि तथा मातामहादिके') ।

गोभिलस्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस श्रुति-नियम को अनुकूल्य (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशाली अर्थात् चरितार्थ करना चाहिए।<sup>११४</sup> यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अर्पण होता है, किन्तु उस ब्राह्मण को पक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और बंसी दत्ता में दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नैवेद्य देना चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (श्रौ० १४।१०)।<sup>११५</sup> यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण न मिल सके तो ब्राह्मण बटुओं की कुराकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रश्न करना चाहिए और पार्वण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवल, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२६, श्राद्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८९)।

जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी रजस्वला हो गयी हो तो आमश्राद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।<sup>११६</sup> यह स्कन्द० (७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एव सौरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है कि 'प्रवासे या यात्रा में या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुर्बल हो तो द्विज को आमश्राद्ध करना चाहिए।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्राद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाधा हो तो आमश्राद्ध करना चाहिए। किन्तु मासिक एव सात्रत्सरिक श्राद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्राद्ध वृद्धों के लिए सदा व्यवस्थित है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अर्पित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२७)। व्यास का कथन है कि अन्न की मात्रा इतनी हानी चाहिए कि खिलाने में बहू दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हो जाय। 'आवाहन', 'स्वधारण', 'विसर्जन' जैश शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यथा—आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है—'उदानस्त्वा' (श्रौ० घ० १९।८) जिसका अन्त 'हविये अत्तवे (हविये खाने के लिए) में होता है, वहाँ 'हविये स्वीवतवे का प्रयोग करना पड़ता है।

११४ चरितार्थां श्रुतिं कार्यां यत्मादप्यनुकल्पतः । अतो देव यथाशक्ति श्राद्धकाले समागते ॥ कात्यायन (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १५२२) ।

११५ गो-देवचत्वार्योः ब्राह्मण पक्तिपावनम् । देवे कृत्वा तु नैवेद्यं पश्चाद्ब्रह्मी तु तस्मिन्पेत ॥ श्रौ० (१४।१०), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है—पश्चात्तस्य तु निर्वपेत ।

११६ इव्याभावे द्विजभावे प्रवासे पुत्रजमनि । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्वला ॥ स्कन्द० (७।१।२०६।५२) । इसे स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४९२) ने ध्यान की उक्ति कहा है। आपत्तनग्नौ तोषे च प्रवासे पुत्रजमनि । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत भार्यारजसि तस्मिन् ॥ कात्या० (निगमतिष् ३, पृ० ४६२, मदन पा०, पृ० ४८० । कल्पतष (पृ० २३४) ने व्याख्या की है—'अग्निदत्तान् पाकसमर्थाग्निरहितं, न पुनरग्निरनाहितानि' ।

आमश्राद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोद्दिष्ट का मध्याह्न में, पार्वण श्राद्ध का अपराह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पौच मासों में बीटा जाता है)।<sup>११७</sup>

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्राद्ध (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमश्राद्ध भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है या स्त्री या दूधो के लिए इसके सम्पादन की अनुमति मिली है, या यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य दिया जाता है)। निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए बराह० (१३।५७-५८=विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०), मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६), निर्णयसिन्धु (३ पृ० ४६७)। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

११७ आमश्राद्ध तु पूर्वाह्ने एकोद्दिष्ट तु मध्यतः । पार्वण चापराह्णे तु प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ हारीत एव शातातप (अपराह्न, पृ० ४६८)।

## एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध

सभी श्राद्धों के आदर्शस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोद्दिष्ट श्राद्ध पर विचार करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक ससोषण या परिमार्जन मात्र है। 'एकोद्दिष्ट' शब्द का अर्थ है 'वह जिसने एक ही मृत व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात् जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः वह एकोद्दिष्ट से भिन्न है। शाखा० गृ० (४१२), बौषा० गृ० (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एव याज्ञ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अर्घ्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विदवे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण नहीं दिया जाता, ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्न 'स्वदितम्' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ?) के रूप में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं, 'यह असय हो' के स्थान पर 'उपतिष्ठताम्' अर्थात् 'यह पहुँचे' (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसर्जित किये जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्' (प्रसन्न हो) का उच्चारण होता है और वे 'अभिरता स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एव मार्कण्डेय पुराण (२।८।११) में श्राद्धसूत्र एव याज्ञ० का अनुसरण किया है। शाखा० गृ० (४।२।७), मनु (३।२५७), मार्कण्डेय (२।८।११), याज्ञ० (१।२५६) आदि में भत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२।१।२) ने कहा है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए ('अत्र पितरो मादयध्वम्' के स्थान पर 'अत्र पितर मादयस्व' अर्थात् 'हे पिता, यहाँ आनन्द करो' कहना चाहिए)। एकोद्दिष्ट में 'ये च त्वामनु' (वे जो तुम्हारे बाद

१. एक उद्दिष्टों परित्मन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मिता० (याज्ञ० १।२५१)। एक स्थान पर और आया है—'तत्र त्रिपुरधोद्देशेन यत् क्रियते तत्पार्वणम्, एकपुरधोद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्' (मिता०, याज्ञ० १।२।७)। हलायुध ने श्राद्धसूत्र में कहा है—'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोद्दिष्ट इति'।

२. अर्घ्येकोद्दिष्टेषु नानोचरण नाभिधापण न पूर्वं निमन्त्रण न देवं न धूपं न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्र पूषम्। बौ० ध० सू० (३।१२।६)।

३. अर्घ्येकोद्दिष्टम् एकोर्घ्यं एकं पवित्रमेकं पिण्डो नावाहन नानौकरणं नात्र विदवे देवाः स्वदितमिति तृप्तिप्रश्नः सुस्वदितमितीतरे ब्रह्मरूपतिष्ठतामित्यस्यस्थानेऽभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरता स्म इतीतरे। श्राद्धसूत्र ४ (कात्यायनीय)। ये ही शब्द कौषीतिकी गृ० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदश्राद्धतत्त्व (पृ० ४९५) में व्याख्या है—'एकं एकदलरूपं पवित्रम्।'

आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और पितृ का उच्चारण (जब तब सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पृ० ५२५ में शौनक-गृह्यपरिसिष्ट का उद्धरण दिया गया है)।

जैसा कि हमने इस खण्ड के मातृव अध्याय में देख लिया है (अपराकं पृ० ५२५, निर्णयसिन्धु ३ पृ० २९५ आदि) एकोद्दिष्ट के तीन प्रकार हैं—नव, नवमास्य एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमास्य (या मिथ्य) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन से लेकर एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छ मासों) तक किये जाते हैं। अपराकं ने व्याघ्र का एक इनाम उद्धृत किया है कि एकोद्दिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात् ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इनाम में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध पाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराकं ने व्याख्या की है कि 'ध्रुवाग्नि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात् किये जाते हैं। नव श्राद्धों के विषय में भी कई मत हैं। इन्द्र० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गण्डपुत्राण (प्रतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-म्यल, शवयात्रा विधामस्यल, अम्यिमचयन-स्थल पर होता है और छ का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५वें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है।

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि धोइश श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता। इन धोइश श्राद्धों के विषय में कई मत हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहा में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों में इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल-स्मृति (३।६७) ने धोइश श्राद्धों का इस प्रकार गिना है—१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात् ११वें दिन वाला श्राद्ध), मृत्यु तिथि के उपरान्त प्रत्येक छ मासों पर (समाप्त होने के एक दिन पूर्व) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण। गण्ड० (प्रतखण्ड, ५।४९-५०) एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने १६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में व हैं जो मृत्यु के १०वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्, छ मासों के पश्चात्, प्रत्येक मास के पश्चात् एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (मृष्टि खण्ड, ५।२७१) में गणना इस प्रकार है—धोइश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन तीन पक्षों के अन्त में, छ मासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पवृक्ष (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ५२३) का कथन है कि धोइश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात् चौथे ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु तिथि पर

४ तत्र व्याघ्रः। एकादशे क्षतुर्षे च मासि मासि च वत्सरम्। प्रतिवत्सरं चैवनेकोद्दिष्टं मृताहनि ॥ कात्यायनः। श्राद्धमनिमतं कार्यं द्वाहादेकादशेहनि। ध्रुवाग्निं तु प्रकुर्वीत प्रमोताहनि सर्वदा ॥ अपराकं, पृ० ५२१। यहाँ अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें 'प्रत्यारिद्धकं प्रकुर्वीत' पाठ आया है।

५ यत्स्यंतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि धोइश। पिशाचत्वं ध्रुव तस्य दत्तं धादशतंरथि ॥ यमः (श्राद्धक्रिया-कौमुदी, पृ० ३६२)। यही श्लोक गण्ड० (प्रतखण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यत्स्यंतानि न कुर्वीत एकोद्दिष्टानि), लघुशाल (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तोह यथाशक्त्या च श्राद्धया) में भी आया है। और बेलिए मित्ता० (याज्ञ० १।२५४, पाठान्तर—'न दत्तानि' एवं 'प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य') एवं पुन मित्ता० (याज्ञ० १।२५३) 'प्रेतलोके तु वसतिर्नृणां वर्षं प्रकीर्तितः। क्षतुर्ष्ये प्रत्यहं तत्र भवेत्त भृगुनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धृत है।

१२ मासों (वर्ष भर) में किये जाते हैं। लौगासि (मिता०, याज्ञ० १।२५५; निर्णयसिन्धु, पृ० ५९९; भट्टोजि, चतु-विंशतिमतसंग्रह, पृ० १६८) आदि का कथन है कि एकोद्दिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धों के सम्पादन के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना है कि मत-भेदान्तरो में देसान्तर, अपनी वैदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्यारहवें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं—यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि चारों वर्षों के लिए मृत्यु का आशीच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। षष्ठ-एवं पैठीनसि द्वारा एक मत प्रकाशित है कि मरणाशीच के रहते हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए कर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।१।१) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोद्दिष्ट) आशीच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए।

मृत सन्यासि के विषय में उरुता (मिता०, याज्ञ० १।२५५; परा० मा० १।२, पृ० ४५८ एवं ग्रा० क्रि० को०, पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि सन्यास (कल्पियुग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना चाहिए। केवल ११वें दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पश्चात् भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप (मदन पा०, पृ० ६२७, श्रा० क्रि० को०, पृ० ४४५ एवं अपरार्क, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि सन्यासी के लिए एकोद्दिष्ट, जल-तर्पण, पिण्डदान, शवदाह, आशीच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण श्राद्ध कर देना चाहिए। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० १।२५६) का कथन है कि सन्यासी के लिए एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, केवल भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैलास-सहिता) ने सन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३)।

नव श्राद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता। वे मन्त्र जिनमें 'पितृ' एवं 'स्वधा नमः' जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और 'अनु' शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण भी नहीं होते। जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आशीच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोद्दिष्ट बहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन (जो आशीच के दिनों में होता है) मृत्यु के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पण एवं पिण्डदान होता है, किया जाता है, घर में नहीं (के लिए स्मृतिच०, आशीच, पृ० १७९)। कुछ लोगों के मत से नवमिध श्राद्ध में मन्त्रों का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। बदार्चित् ही कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्-काल में सपिण्डीकरण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद नियम बन गया है।

सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौपीतकि-गृह्य० (४।२) के मत से मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) यह श्राद्ध करना चाहिए। भारद्वाज-गृह्य० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के अन्त में या ११वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। बौ० पितृमेघसूत्र (०।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन। गण्ड० (प्रेतसङ्घ, ६।५३-५४) के मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छ. मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ

अवसर। विष्णुपुराण (३।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहा है। अपराकं (पृ० ५४०) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दिन, आशौचावधि के एव मृत्यु के उपरान्त प्रथम अभावस्था के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अभावस्था। इसने उनके लिए जिन्होंने पवित्र अग्निर्मा नही जलायी हैं (अर्थात् जो आहिताग्नि नहीं है) चार काल दिये हैं, यथा—एक वर्ष, छः मासो, तीन पक्षां या किसी शुभ अवसर मे। मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वाँ दिन उपयुक्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत है, मनुष्य की आयु छोटी है और शरीर अस्थिर है।<sup>१</sup> विष्णुधर्मसूत्र (२।१२०) ने व्यवस्था दी है कि दूदो के लिए मृत्यु के पश्चात् केवल १२वाँ दिन (बिना मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने चाहिए, किन्तु गोतम (या मौनक, जैसा कि अपराकं, पृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोद्दिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि<sup>२</sup> का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही षोडश श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ० (१।२५५) एव विष्णुध० (२।१२३) में आया है कि यदि एक वर्ष के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घटा जल एव भोजन देते रहना चाहिए। उजाना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति (ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव श्राद्धो, षोडश श्राद्धो एव सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता में व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।<sup>३</sup>

शास्त्रानुसूत्र० (५।१), कौपीतकिसूत्र० (४।२), वी० पितृमेघसूत्र (३।१२।१२), कात्यायिनश्राद्धसूत्र (कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४), विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुध० (२।१२३-२३), पद्म० (सृष्टि० १०।२२-२३), मार्कण्डेय० (२।८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्ययंसार (पृ० ५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप में निम्न है—ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्निकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन करते रहते हैं उस समय वैदिक ग्रन्थों का पाठ होता है (वी० पितृमेघसूत्र, ३।१२।१२)। वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, इसमें काम एव काल विवशेव होते हैं (बृहस्पति, अपराकं, पृ० ४७८, नल्पतरु, श्रा०, पृ० १४२ एव स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३), घूप एव दीप दिये जाते हैं और 'स्वेषा' एव 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, जल एव तिल से युक्त चार पात्र अर्घ्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के

६. आनन्त्यात्कुलधर्माणां पुतां चैवायुषः क्षयात्। अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (मदन-पा०, पृ० ६३१)। श्रा० क्रि० कौ० (पृ० ३५०) ने इसे व्याघ्र की उक्ति माना है। और देखिए भट्टोजि (चतुर्विंशतिमत०, पृ० १७६) एवं श्राद्धतत्त्व (पृ० ३०१)।

७. यथा संवत्सरपूर्तः प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तथा यद्यपि षोडश श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, श्राद्धानि षोडशावत्त्वा न कुर्यात् सपिण्डनम्—इति वृद्धमतिच्छोकितैः, तपसि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावतंतीयानि। भट्टोजि (चतुर्विंशतिमतसंग्रह, पृ० १७१)।

८. नवश्राद्धं सपिण्डत्वं श्राद्धान्यपि च षोडश। एकेनैव हि कार्याणि संविभरतपनेत्वपि ॥ उजाना (अपराकं, पृ० ५२४; मित्ता०, याज्ञ० १।२५५) यह श्लोक गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।४।२२८-२२९) में भी आया है।

लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न-न्नित होते हैं, यदि व्यक्त अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें एक विश्वेदेवो एक प्रेत एवं एक तीन पितरो के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए—'मैं तीन पितरो के पात्रों के साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊंगा।' 'अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरो के पात्रों में कुम्भ छोड़ता है और प्रेत के पात्र में घोड़ा जल छोड़कर सोय पितरो के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल देता है ('यं ममाना', वाज० म० १९।४५-४६)। प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरो को अर्घ्य दिया जाता है। चार पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरो के लिए, और तब कर्त्ता प्रायणा करता है—'मैं प्रेत-पिण्ड को उसके तीन पितरो के पिण्डों से मिलाऊंगा', जब 'अवश्य मिलाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अलग-अलग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० म० १९।४५-४६) मन्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गृह्यपुराण (१।१००।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए।

सपिण्डीकरण में एकोद्दिष्ट एवं पार्वण के स्वरूप मिले हुए हैं, एवं तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन पितरो वाला, अतः इनमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से होना है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूय एवं प्याम की भयानक यातनाएँ होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर वसु, शत्रु, आवित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के ससर्ग में आ जाना होता है। प्रेत शब्द में दो अर्थ हैं, (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकार पितरो की पक्ति से हट जाता है और केवल 'लपभाक्' (अर्थात् केवल हाथ में लगे भोजन के 'साडन' का अधिकारी) रह जाता है, फलतः प्रेत पितरो की श्रेणी में आ जाता है और उसके परचात् किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का वह अधिकारी हो जाता है। गृह्यपुराण (१।१०२।२) में आया है कि पार्वण की भाँति ही अपराह्ण में सपिण्डीकरण श्राद्ध का सम्पादन होता है।

यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पितृपात्रों में जल छोड़ने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२।१।१४) में मन्त्र ये हैं—'मसृजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्हें सयुक्त करे या मिलाये) एवं 'ममानी व आर्त्ति' (ऋ० १०।१९।१।६)। आश्व० गृह्यपरिशिष्ट (३।११) ने ऋ० (१।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्त्र और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९।१।२-४) दिये हैं।

याज्ञ० (१।२५४) एवं मार्कण्डेय० (२।८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पार्वण एवं आम्बुदयिक नहीं)। माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उमका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी साम के साथ होना है (गोभिल स्मृति ३।१०२)। यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति की बिता पर जल जाय या बाद की (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो

९. प्रेतपिण्ड त्रिया विभग्य पितृपिण्डेषु त्रिवादायानि मधु वाता इति तिसृभिः संगच्छन्धमिति द्वाभ्यामनुमन्य शेषं पार्वणवस्तुयात्। आश्व० गृ० परि० (३।११)।



या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता वा सपिण्डन अपनी नानी के माथ करना चाहिए, किन्तु यदि विवाह छाया या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता वा सपिण्डन अपने पिता या पिता-मही या नाना के साथ करना चाहिए। इन तीन विकल्पों में यदि कोई दुःगुणचार हो तो उसका अन्तमरण करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत ना पुत्र) हो तो उसका उमका सपिण्डीकरण अपने पिता के माथ करना चाहिए, जैसा कि मनु, (१।१८३ - वसिष्ठ १७।११) ने सङ्केत किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एव अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५३-२५४) एव स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९)।

निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होगा चाहिए, किन्तु यदि वह पाँच वर्षों से अधिक का रहा हो तो पोडन आदों का सम्पादन होता चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का अपंग खाली भूमि पर होना चाहिए। यह जानव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्बुदयिक धाढ का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे मस्कार अवस्था कर दिये जाने चाहिए)।

मनु (५।८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-नर्पण एव सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, यथा—नास्तिक, वर्णभङ्ग, सन्यासी, आमघाती, नाम्निक मिटालों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण एव पति की हत्याकारिणी एव मुरावी नारी। याज्ञ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह जानव्य है कि स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों को भस्तेना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मनु एव याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, जल-नर्पण, रुदन, शवदाह एव अन्येष्वि-भक्त्याएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एव छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के पृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करके धाढ करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एव स्कन्दपुराण, नागरवण्ड, २।१।१९-२१)। स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एव लडाई-संग्रहों में मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को धाढ करना चाहिए।

अब हम आम्बुदयिक धाढ का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४।७) ने केवल पाषाण, काम्य, आम्बुदयिक एव एकोहिष्ट नामक चार धाढों का उल्लेख किया है। आश्व० गृ० (२।५।१३-१५), शाखा० गृ० (४।४), गोभिल-गृ० (४।३।३५-३७), कौपीतकि गृ० (४।४), शौ० गृ० (३।१२।२-५) एव कात्या० धाढसूत्र (कण्डिका ६) ने सतों में इस धाढ का वर्णन किया है। अधिवाचन मंत्रों के मत से यह धाढ पुत्र-जन्म, बाल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे मागलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म) के आरम्भ में किया जाता है। आश्व० गृ० एव गोभिलगृ० अति सक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मागलिक अवसरों पर

१०. स्वेन भर्त्रा सम धाढं माता भुङ्क्ते सुषामयम् । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, धा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, धा०, पृ० २३९ एव धा० क्रि० कौ०, पृ० ४२८) । पितुः पितामहे यद्वत् पूर्णं सवत्सरे मुनैः । मातुर्मातामहे तद्वदेवा कार्या सपिण्डता ॥ उशना (मिता०, याज्ञ० १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् (गोभिलस्मृति २।१०२; धा० क्रि० कौ०, पृ० ४२८) । गहड० (अंत० ३।४।२२१) में आया है—पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहे । सपिण्डीकरणं कार्यमिति तास्यं मत मम ॥'

या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम सख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यों की बायें से दाहिने करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराकं (पृ० ५१५) के मत से पार्वण की ही विवृति (सोधन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वण के ही नियम, विधिष्ट सकेंतो को छोड़कर, प्रयुक्त होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने सक्षिप्त किन्तु अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं।

इस श्राद्ध में, जो प्रातःकाल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), विश्वेदेव हैं सत्य एव वसु, इसका सम्पादन पूर्वार्द्ध में होना चाहिए, आमन्त्रित ब्राह्मणों की सख्या सम होनी चाहिए; दमं सीधे होते हैं (दुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते, कर्ता उपवीत ढग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनाबीत ढग से नहीं), सभी कृत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ('प्रदक्षिणम्' न कि 'अपसव्यम्' ढग से), 'स्वधा' शब्द का प्रयोग नहीं होता, तिलो के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है, कर्ता ब्राह्मणों को 'नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है—'आप दोनों (भेरे घर) आये' और वे कहते हैं—'हम दोनों अवश्य आयेँगे।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर नहीं)। यवों के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है—'मैं नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा।' 'अवश्य बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है—'नान्दीमुख पितर प्रसन्न हो', वह एक बार 'हे नान्दीमुख पितरों, यह आप के लिए अर्घ्य है' कहकर अर्घ्य देता है। चन्दनलेप, पूष, दीप दो बार दिये जाते हैं, होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है, दो मन्त्र ये हैं—'कथ्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा' एवं 'पितरों के साथ सयुक्त सोम को स्वाहा।' ब्राह्मणों के भोजन करते समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१३) का नहीं, जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं तो वह 'उपासं गायता नर' (ऋ० ९।१।१-५) से आरम्भ होनेवाले पांच मन्त्रों का पाठ करता है किन्तु मधुमती (ऋ० १।९०।६-८) मन्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द ले चुके हैं' मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में 'असम्मोदक' मांगा जाता है) यह कहना चाहिए 'मैं नान्दीमुख पितरों से आशीर्वाचन कहने की प्रार्थना करूँगा' और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए—'अवश्य प्रार्थना कीजिए।' कर्ता 'सम्पन्नम्?' (क्या पूर्ण था?) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पन्नम्' (यह पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर से सीपता है, दमों के अप्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें बिछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पुषदाज्य (दही एवं पूत से बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, परनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डार्पण नहीं होता (आश्व० गृ० परि० २।१९)। पितृदयिता एवं श्राद्धतरव का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्बुदयिक श्राद्ध में

११. संक्षेप कुछ इस प्रकार का होगा—'ओम् अमुकगोत्राणां मातृपितामहोप्रपितामहोनाममुकामुकामुकबेदीनां आन्दीमुखीनां तृषामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकामुकशर्मणां नान्दीमुखानां तृषामुकगोत्राणां माता-अहप्रमातामहबृहस्पतिप्रमातामहानाममुकामुकामुकशर्मणां नान्दीमुखानामुकगोत्रस्य कर्त्तव्यामुककर्मनिमित्तकाम्बुदयिक-श्राद्धमहं करिष्ये।' श्राद्धविवेक (अध्यायकृत, पृ० १५९)। 'दीदीनां' के लिए 'दानां' ही बहुधा रखा जाता है।

मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वुदय श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एव प्रपितामह के लिए श्राद्ध क्रिया जाने लगा, जैसा कि आश्व० गृ० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है।<sup>११</sup>

'नान्दीश्राद्ध' एव 'वृद्धिश्राद्ध' शब्द पर्यायवाची हैं। जब आश्व० (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि (सुभाबसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत है कि नान्दीश्राद्ध एव वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याम० १।२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा—मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध एव मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५) ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा—मातृश्राद्ध एव नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० १।१९४) आदि ग्रन्थों में आम्बुदयिक श्राद्ध एव वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका सम्पादन पूर्व-कर्म के आरम्भ में भी होता है।

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), मार्कण्डेय० (२।८।४-७), पद्म० (सृष्टिसूत्र, १।१९४-१९९), भविष्य० (१।१८५।५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एव उसके किये जाने योग्य अवसरों का संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं—कन्या एव पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोत्सव में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादिके मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान करना चाहिए।<sup>१२</sup> मार्कण्डेय० (२।८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, किन्तु पद्म० (सृष्टि० १।१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना चाहिए, सब पिताओं, मातामहों एव विद्वेदेवों का। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है कि पिता, पितामह एव प्रपितामह अधुमुख पितर कह जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।<sup>१३</sup> कल्पतर्क (श्रा०, पृ० २७०) ने इन श्लोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता के तीनों पूर्वज जीवित हो और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे। भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते।<sup>१४</sup>

'मातरः' शब्द के दो अर्थ हैं। गोमिलरमृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२)।<sup>१५</sup> इस विषय में

१२. अपरेद्युन्वदयम् । .. पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । हत्वा मयमन्ववर्जं पितृभ्यो ब्रह्मात् । स्त्रीभ्यश्च सुरा  
चाचारामित्यधिकम् । आश्व० गृ० (२।५।१, ३-५) ।

१३. कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववैशमनि । नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मणिकेतथा ॥ सीमन्तोत्सवने चैव पुत्रादि-  
मुखदर्शने ॥ नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत् प्रयतो गृही । पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धिविषे समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३।  
५-७) । इसे अपराकं (पृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाठ छोड़कर) ।

१४. पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यधुमुखा ह्येते पितरः सप्तकीर्तिताः ॥ तेषु पूर्वं त्रयो ये तु ते तु  
नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०७; कल्पतर्क, श्रा०, पृ० २७०) । 'नान्दी' का अर्थ है 'समृद्धि'  
(ब्रह्मपुराण, कल्पतर्क, श्रा०, पृ० २६८) ।

१५. पिण्डनिर्वर्षणं कुर्वात्र वा कुर्वाद्रिचक्षणाः । वृद्धिश्राद्धे महाबाहो भुलघर्मनिवेश्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर  
पृथ्वीसन्तोदय की टिप्पणी यह है—'अतश्चान्नौकरणादीनामपि निवेशः । तथा—अग्नीकरवर्षणं च बाह्वन् चान्वेजवम् ।  
पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते ।'

१६. ब्रह्माभ्यासास्तथा सप्तशुगलैश्च गणाधिपान् । वृद्ध्याथो पूजयित्वा तु परब्राह्मणैर्भुक्तान् पितॄन् ॥ मातृपूर्वात्

देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाजो एव उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।<sup>१०</sup> अपराकं (पृ० ५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, पितामही एव प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, सब नान्दीमुख पितरो, मातामहो एव पितरो की पत्नियों की पूजा होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध (वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त सख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एव मातामहियों के वर्गों के लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सघवा एव पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।<sup>११</sup>

प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि पर प्रति वर्ष होता है—(गोभिलस्मृति ३।६६)। ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वण की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पृ० ३०४)। भविष्य० एव स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक श्राद्ध का अन्य श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता पिता के मृत्यु दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह क्षामिन्न नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता है।<sup>१२</sup> इस विषय में तिथि, मास या दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एव भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं—(१) यदि तिथि ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, (२) यदि मास ज्ञात हो किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए, (३) यदि तिथि एव मास दोनों न ज्ञात हों तो तिथि एव मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए, (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्दर्भ मिल तभी से तिथि एव मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पित्र्य कृत्यों के लिए मास चाद्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है—स०) होता है और 'दिन',

पितृन पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहोस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराकं, पृ० ५१७) । गोभिलस्मृति (१।१११२) द्वारा उपस्थापित १४ मानृका ये हैं—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, वृति, पुष्टि, तुष्टि एव अपनी कुलदेवी (अभोष्टदेवता) । माकण्डेय० में सात ये हैं—ब्रह्माणी, माहेस्वरी, कीमारी, वारराही, नारसिंहो, वंणवी एवं ऐन्द्री ।

१७ धर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एव बहुत विस्तृत पूजाओं के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों की पूजा भी है। मातृ-पूजा मॅसोपोटामिया एव सीरिया-जैसे प्राचीन सभ्यताकालों तथा आदिकालीन यूरोप एव पश्चिमी अफ्रीका में भी प्रचलित थी। आदिकालीन अथवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भौंडी आकृतियाँ या प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये-मातृ-देवियों की प्रतिमाएँ हैं। देखिए धो एस्० के० बीसिस कृत 'मदर गॉडसेज' (पूना) ।

१८. मातृवर्गों मातामहोवर्गों वा ब्राह्मणसामे पतिपुत्रान्विताऽर्घतऽर्घतत्त्वं सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं बृद्ध वसिष्ठेन । मानृषाद्ये तु विप्राणामसामे पूजयेदपि । पतिपुत्रान्विता भय्या भोषितोऽप्यौ मुदाविता ॥ श्राद्धप्रकाश (पृ० २९८) ।

१९ सर्वैवमेव श्राद्धानां धेष्ट सांवत्सर स्मृतम् । क्रियत यत्सगभेष्ट मृतोऽहनि बुधं सह ॥ स याति नरक घोर क्षामिन्न नाम नामतः । ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकर-क्षग ॥ भविष्य० (१।१८३।२० एव २५) । प्रथम इतोक्त स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है ।

'बहः' एव 'बासर' का तात्पर्य 'तिथि' से है (अपराकं, पृ० ५४५)। स्कन्द० (७।१।२०-६।५९) के अनुसार अधिक मास (मलमास) में प्रत्याब्धिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है।

महालयश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृष्टिसंख्य, ४७।२२५-२२८) का कथन है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाश्रय से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलार्क में किया जा सकता है। जब यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितर लोग सारी आशाएँ छोड़कर और बराजों को धोर घाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात् पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात् महालय के लिए भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव दिन) का आलय (निवास) है। और देखिए स्कन्द० (६।२।१६।९६-९७, श्राद्धकल्पलता, पृ० ९८)। कल्पतरु ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कार्तिक) कृष्णपक्ष की अभावस्था को करना चाहिए, जिसमें दीप जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पृ० ११३) एव स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, पृ० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्घृत किया है कि भाद्रपद (अमावस्य) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर अभावस्था तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अभावस्था तक की किसी तिथि में, या इस मास की पचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पचमी तिथि तक, या किसी भी दिन जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है।

मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वण श्राद्ध की पद्धति से होता है। स्मृत्यमंसार का कथन है कि पार्वणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित न हो सकें तो उनका सम्पादन सकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आषाहन, अर्घ्य, होम एव विष्णुदान को छोड़कर पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि सकल्पश्राद्ध में अर्घ्यदान, बिकिर के विस्तार, आषाहन, अग्नीकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्त्तों को एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए।

महालय श्राद्ध के विधेदेव हैं धुरि एव लोचन। यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एव मातृवर्ग के पितरों एव उनकी पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एव लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एव मृत पत्नियों के) लिए भी होता है, यथा—विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, कूकी, बहिन, भतीजा, दामाद, मानजा, स्वभुर, सास, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एव अन्य कोई सम्बन्धी। कुछ लोग केवल पितृवर्ग एव मातृवर्ग के पितरों एव उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, श्राद्धकल्पलता, पृ० ९९)। सन्यासी का महालयश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और

उसका वार्षिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए पवित्र तिथि है और यति (सन््यासी) 'नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियों के लिए महालयश्राद्ध की विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता।

दो अन्य श्राद्धों का, जो आज भी सम्पादित होते हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहश्राद्ध या दौहित्र-प्रतिपदा-श्राद्ध। केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (तानी के साप, यदि वह जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दौहित्र ऐसा कर सकता है, भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साप (बहुधा बिना पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार (पृ० २४) का कथन है कि मातामहश्राद्ध केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है।

दूसरा श्राद्ध है अविधवानवधो श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। विन्तु जब नारी की मृत्यु के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निगमसिन्धु (२, पृ० १५४) ने इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला (कंधनी), माला एवं कगन का दान करना चाहिए।

आरव० गृ०, याज्ञ० एव पच० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) में व्यवस्था दी है कि मात्रो, उन्नत काल या विधि में जो कमी होनी है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्थल में वर्षा, अंधरे में नृत्य, बहरे के समक्ष सगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों को रत्ना, सैंकड़ों गायों, धन, प्रभूत अन्नो, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी। आश्वमजसिक्पर्व (१४-३-४) में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरपति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है और कहा है कि सभी वर्णों को अन्न पान (भाजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) में श्राद्धों में दिये जानेवाले दानों का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।" शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के अन्वेषि-वृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलानाय आदि वनवाये। दबल ने कहा है कि भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौर्षे, भूमि, घोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इन प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनो हैं उहे विदोष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथो-

२०. अन्नदो सभते तिल-हन्याकोटोस्तर्ष्य च। अन्नदानात्पर दान विद्यते नेह किंचन। अन्नाद् भूतानि जामने जीवन्ति धन सनाय ॥ जीवदानात्पर दान न किंचिद्विद् विद्यते। अन्नजीवति त्रैलोक्यमप्रायं हि तत्फलम् ॥ अन्ने सोका प्रतिष्ठन्ति सोहदानस्य तत्फलम्। अन्न प्रजापति साक्षात्तेन सर्वमिद ततम् ॥ वायु० (८०।५४-५७)। और देखिए ऐ० ब्रा० (३३।१)—'अन्न ह प्राण'।

शन्दोदय; मार्कण्डेय० ३२।९१, कामनपुराण १४।१०६)। आश्वमेधिकपर्व (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने अपनी बहिन के पुत्र अग्निमन्यु का श्राद्ध किया और सहस्रों ब्राह्मणों को सोना, गोएँ, शय्याएँ, वस्त्र आदि दिये और उन्हें खिलाया। बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या आदि एवं वाहन (घोडा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान पर प्रकाश डाला गया है।

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय में, जो मृत्यु के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना आवश्यक है। गृह्य० (प्रेतखण्ड, ३४।६९-८९), पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाधीन की परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे, उस पर मृत की स्वर्णिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए, इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित करके करना चाहिए, सब मृत के कल्याण के लिए एक ढील छोड़ना (वृषोत्सर्ग करवा) चाहिए और कपिला शाय का दान करना चाहिए। गृह्य० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने शय्या उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्धृत) के श्लोकों के समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एवं निर्णयसिन्धु, वृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है— जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य (सूनी) न हो। प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दक्षिण ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान् नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान अंगोकार करनेवाले की बड़ी भक्तता की है। इसमें आया है—जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन-सस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गृहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०।१७-१८)।

अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं बत्सक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।<sup>१</sup> इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे। प्रश्न था, वे किनको पिण्डार्पण करें? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतधर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की है। हारीत का कथन है—बिना क्षेत्र (सेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का है। इन दोनों (पिताओं) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का वह (पुत्र) दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए

२१. पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी या बिधवा से किसी सगोत्र (माई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज' कहलाता है। यह त्रियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला 'बीजी' कहलाता था और पत्नी के शास्तविक पति को 'क्षेत्री' कहा जाता था। 'पुत्रिकापुत्र' के चार प्रकार हैं—(१) पुत्रही पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस शर्त पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उत्पन्न (पिता का) पुत्र कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९।१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७।१६)। 'बत्सक' वह पुत्र है जिसे याता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९।१६८)। इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विचार विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७।

दोनों के नाम से सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात् पितामह वाले पिण्ड के लिए) दो नाम ले सकता है; प्रपौत्र, दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) के विषय में कर सकता है। मनु (४।१४०) एवं गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९।१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता एवं माता को देता है (अर्थात् दो धाढ़ करता है)। शांसा० धौ० (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ० (२।१२७) ने भी कहा है—नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता है और दोनों को पिण्ड देता है।" मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान् व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं। अब क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शातान्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अतः मह विषय अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात् अब केवल उसकी चर्चा मान्य होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु 'दत्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किये पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पत्रय (आ०, पृ० २४१) ने प्रवरा-घ्याय से निम्न उद्धरण दिया है—यदि इन्हें (अर्थात् जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही धाढ़ में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक्-पृथक् रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (प्राहृक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।" बौ० ध० सू० (२।२।२२-२३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है—'दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम होगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।' उपर्युक्त हारीत-वचन से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हो तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक् रूप से पिण्ड होने चाहिए। मनु (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा' की (जहाँ तक उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह श्लोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कांसिल द्वारा व्याख्यायित हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध

२२. अपुत्रेण परलोने नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिषयो पिण्डदाता च धर्मतः॥ याज्ञ० (२।१२७); यथा तु नियुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तथा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स च न नियमेन बीजिनो रिषयहारी पिण्डो वेति (मिता०)।

२३. अथ यद्येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्विषयं हरेयुः पिण्डं चैम्यत्त्रिपुरयं द्युरय यद्युभयोर्न स्यादुभयोर्न द्युरेकस्मिन्प्रादं पृथग्दृश्यंकेपिण्डे द्वायनुकीर्तयेत् प्रतिग्रहीतारं घोत्यादयितारं चा तृतीयमात्युरवात्। कल्पत्रय (आ०, पृ० २४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इसे उद्धृत किया है। और देखिए कात्यायन (धृ० म०, पृ० ११५); कात्यायन एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धृत), जो निम्नलिखित (३, पृ० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं।



से हटना केवल आसिक है, विवाह एव आशोच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्मसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ३७१) एव दत्तकचन्द्रिका में यह उद्धोषित है कि दत्तक रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उत्तक श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति भी ले सकता है।

वृषोत्सर्ग (सांड या बेल छोड़ना) के दिवस में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यथा शास्ता० गृ० (३।२), कौषीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास पूनि० माला), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९), विष्णु-धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं के कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अमिलाया ध्वस्त की गयी है—“बहुत से पुत्रों की अमिलाया करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता की मृत्यु पर श्राद्धार्पण करता है) या वह अश्वमेध यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बेल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र वाला व्यक्ति सप्ताह से मुक्ति पा जाता है।” विष्णुधर्मसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही उद्धृत करते हैं—“(यह कृत्य) कार्तिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एव बहुत-से जीवित बछड़ों वाली गाय का वच्चा होना चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात् किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, उसके मुख, दूँध, पैर एव सींग स्वेत होने चाहिए और उसे वृष (सृष्ट) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात् जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला में) अग्नि जलाकर और उसके चतुर्दिक् कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और ‘पूषा हमारी गायों के पीछे-भीछ चले’ (ऋ० ६।५।५) एव ‘यहाँ आनन्द है’ (वाज० स० ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके (दो) आहुतियाँ देनी चाहिए, किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए, एक पुट्टे पर ‘चक्र’ और दूसरे पर ‘त्रिमूल’ का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्त्रों (तै० स० ५।६।१।१-२) एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।१।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोछकर एव अलकृत कर इसी तरह अलकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रो (तै० स० ५।५।१-११), पुष्यसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एव कृष्णायडीय (वाज० स० २०।१४-१६ एव तै० वा० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता को वृषभ के दाहिने कान में ‘बछड़ों के पिता’ तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए—‘पवित्र धर्म वृषभ है और उसके चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे मुवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृषभ को पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। हे सोम राजन्, हमें सन्तति का अभाव न हो और न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ सार्ये।’ तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को होंकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एव कण्ठि का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को मूर्हमांगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पयवान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय

२४ एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्रेकोपि यथा ब्रह्मेत् । यज्ञेत् वाडवमेवेत् नीलं वा वृषभस्युत्सर्गे ॥ विष्णुधर्म० (८५।६७),  
 बृहस्पतिसृष्टि (श्लोका २१), लघुशाल (१०), मत्स्य० (२२।६), ब्रह्म० (२२०।३२-३३), वायु० (८३।११-१२),  
 पद्म० (सृष्टिब्रह्म, १।६८), ब्रह्माण्ड० (उपोध्यातपाद १९।११), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४६।५८ एवं १।१४७।३) ।  
 मत्स्य० (२०।७।४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है और तीसरे पाद को जो पढ़ा है—‘गौरीं वायुद्वहेत्कन्यान् ।’

से जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया सांड पानी पीता है, पितरो को तृप्ति मिलती है। जब भी कमी छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपने सुत्रो से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एव सांड द्वारा पहल किया गया जल पितरो के पास पहुँचता है।" अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) में आया है कि वृषभ छोड़ने (नील रंग के वृषभ के उत्सर्ग) से, तिल-जल के अर्पण से एव (बर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।

गृह्यपुराण (२।५।४० एव ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भले ही उसके लिए संकड़ो ध्याद किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी के बेल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भविष्य० (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन सांड छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्धु ने कहा है कि दर्भ, पिप्ट एव मिट्टी से बनी वृषभार्कृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आबकल भी सांड छोड़ जाते हैं, किन्तु उनका मृत्यु बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कृतिपय मम्प्यकाल के निबन्धों, यथा-पितृदयिता (पृ० ८४-९४) वृषभरुक्त ध्यादविवेक (पृ० ६९-७७), निणयसिन्धु (३, पृ० ५९५-५९६), सुद्धिप्रकाश (पृ० २२५-२३०), नारायण मट्ट-रुतः मष्टिपद्धति आदि ने विराद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दाने हुए सांड (उत्सर्ग किये गये बेल) को बेलगाड़ी में नहीं जोतना चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो बुहना चाहिए और न गोमाला में रखना चाहिए। मृत स्त्री के लिए वृषोत्सर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिना अर्कित किये बहड-सहित एक गाय को माला आदि से अलङ्कृत कर दान दे देना चाहिए।

वृषोत्सर्ग क्यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह बहूत जा सक्ता है कि यदि कोई बेल धम डे (जो कि सभी बेलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक में आनन्दित करते हैं। बेचारे बेल को धम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो मुद्यान्त वातावरण में विचरण करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है!

थादों के विषय में बर्षा करते हुए एक अन्य ध्याद का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है श्रीब्रह्माड या श्रीब्रह्माड जिसके विषय में बौ० गृह्योपसूत्र (३।१९), लिंगपुराण (२।४५।८-९०=धा० प्र०, पृ० ३६३-३६४), कल्पतरु (धा०, पृ० २७७-२७९), हेमाद्रि (धा०, पृ० १७०४-१७१७), ध्या० प्र० (पृ० ३६१-३७१) आदि में बर्णन आया है। यह ध्याद व्यक्ति अपनी जीवितवस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं—“बह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपत्र की त्रयोदशी को उपवास करता है और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छ बत्त, सोने की एक मुई, एक अक्षुण्ड, दई के सूत्र से बना एक लम्बा

२५ नील वृष का अर्घ्य कई ढंग से लगाया गया है। धत्स्य० (२०।३८) एव विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४।५९) में आया है—“वरजग्निं मुञ्चं पुञ्जं धत्स्यं ध्वेतानि गोचते। लाभारतत्तर्भवाच्च तौ लभन्ति त्रिविधम् ॥” इन धम्नों में सौंर के मृत एव अमृत लक्ष्मी का बर्षन दिया हुआ है। ध्या० क० ल० (पृ० २१४) में श्रीलक्ष्मी को उद्भूत किया है—“श्रीहितो यस्तु बर्षेन मृतो पुञ्जे च पाशुरः। इति कुर्यात्तथाप्यां स तीर्थो वृष उच्यते ॥” ध्या० प्र० एव सु० प्र० (पृ० २२६) में इसे ब्रह्माण्ड० (वेदात्मक) का माना है।

(पाश), एक फटा-पुराना बस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घडे एवं अन्य सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न बात कहलाता है—'यह धूम दिन है, (गुन्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े।' वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का दान करता है और दक्षिणामुख हो घृतमिश्रित क्षीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुर्दिक् दम बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ अग्नि में डालता है, प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) 'वत्वाटि श्रया' (ऋ० ४।५।८।३, तै० ब्रा० १०।१।०।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; यह इसको माज्या (अर्पण के समय की प्रार्थना) 'त्रिषा हितम्' (ऋ० ४।५।८।४) कहकर देता है।<sup>१</sup> मात की दूसरी आहुति की 'पुरोनुवाक्या' एवं 'माज्या' है 'तत्सवितुर्वरेण्यम्' (ऋ० ३।१२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं 'योजयित्री सूनतानाम्।' तीसरी आहुति की है क्रम से 'ये वत्वाट' (तै० सं० ५।७।२।३) एवं 'द्वे श्रुती' (ऋ० १०।८।१।५ एवं तै० ब्रा० १।५।२।३), और चौथी की है क्रम से 'अग्ने नय' (ऋ० १।१८।१।१ एवं तै० सं० १।११।५।३) एवं 'या तिरस्वी' (शु० उ० ६।२।१)। उसके उपरान्त कर्त्ता पुष्ययुक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३।११-१८, तै० ब्रा० ३।१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चीरहे पर जाकर सुई, अक्रुश, फटे परिधान एवं फड़े वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे 'यम के दूत प्रसन्न हो' कहलाता है और घडों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घडों के चारों ओर सूत बाँधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मूल, २१ से शरदन, ४ से घड, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक पैर, और ऐसा करते हुए वह 'अदास्यद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पचगव्य से घोंटे हुए एक मानव-आकृति कृष्ण मृगवर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घडे पर बनी आकृति में प्राणों की प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो स्वयं अपने शरीर को घडों के जल से नहलाता है और पुष्ययुक्त का पाठ करता है, पुनः पचगव्य से स्नान कर स्वच्छ जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न करने के लिए वह ब्रह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त वह 'अमुक नाम एवं गोत्र वाले भूक्षे परलोक में कस्याण के लिए पिण्ड; स्वधा यम' ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार उस ध्याद्य-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोद्दिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं—'जो कष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। यही श्रुति-आज्ञा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मोन रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (?) किये जाने चाहिए। इसी प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना ध्याद्य करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए।

२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल 'अनुवाक्या') इतलए कहा जाता है, क्योंकि यह अम के पूर्व वेदता को अनुकूल बनाने के लिए पढ़ी जाती है (पुरः पूर्वं यागाद्वैवतामनुकूलचित्तुं या ऋषुष्यते इति श्रुत्यस्या)। इसी प्रकार 'प्राज्या' अर्पण की श्रुति है। इसके पूर्व 'ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पश्चात् 'बबद्ध' (उपचारण ऐसा है—श्री ३ बद्)। दोनों का पाठ होता है या उच्च स्वर से होता है। 'माज्या' का पाठ कक्षे होकर किया जाता है किन्तु 'पुरोनुवाक्या' का बंधकर। 'योजयित्री सूनतानाम्' 'योजयित्री सूनतानाम्' (ऋ० १।३।११) का पाठान्तर है।

इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर सकता है। इस सबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है—उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।”

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्योपसूत्र (३।२२) में जीव-श्राद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व के दो श्लोक एवं विष्णु का एक श्लोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात् आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० प्र० (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्योपसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात किया है (पृ० ३६३-३६८)। लिगपुराण की विधि बोधायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमपूत्र ने भी विशद धर्षण उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। ‘जीव-श्राद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की आकृति ५० कुशो से निर्मित होती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा ‘ऋष्यादमग्निम्’ (ऋ० १०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड़्ढा खोदना चाहिए और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए, यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया जाता है।’ बम्बई विश्वविद्यालय के मद्रकमकर सग्रह में एक शौनककृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का वर्णन है वह बोधायन से भी विदाद है। इसमें बोधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ दिये जा रहे हैं।

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मान है। मौलिक एवं तार्किक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतज्ञान एवं भ्रान्तचित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे! आजकल भी कुछ लोगो ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं।

आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और चंतरणी गाय किसी प्रिय या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् दुःख एवं रदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल डारा जाता है। तब हाथ में बुरा लेकर दाता नीचे पाद-दंष्ट्रणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है।<sup>१०</sup> दान लेनेवाला ‘ओ स्वस्ति’ (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्को में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ‘ओ स्वस्ति’, गाय की पूँछ पकड़वा है और अपने अधीत वेद की दासा के अनुरूप कामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९।७; तै० ब्रा० २।२।५।९ एवं तै० ब्रा० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ बाँवे का बना दुग्ध-

२७. ओम्। अघातान्ते इतिथीर्षिः अमुकगोत्रस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इमां कपिलां वा हेमशृंगीं रीष्यसुरां वस्त्रयुगच्छप्रं कात्योपरोहां मुस्तालागूलमूषितां सयस्तां वृद्धं ब्रह्माममुकगोत्रायामुक्तार्थं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदे। वृद्धर वा श्राद्धविशेष (पृ० ७७)।

पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत उसके पुत्रों, प्रपौत्रों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७।१०) जहाँ सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक अनश्रुति कही गयी है।

पुराणों एवं निबन्धों ने तीर्थों एवं गया में क्रिये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। देखिए अत्रि (५५-५८), वायु (८३।१६-४२), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५६८ एवं १५७५)। इस विषय में हम आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे।

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा—मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८।१४), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० स० ७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास। ऋ० (१।२५।८) में भी यह विवृत था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम-विश्रेया एवं तेरहवें मास को पाप के समान गृहित माना गया है। पुराणों में इस मास को पुत्रघोतन मास (विष्णु का मास) कहकर इसे भयानकता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थी वह चलती आयी है। गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है—“मलिम्लुच नामक मास मलिन है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है, सभी कर्मों के लिए यह गृहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य है।” किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० ध०, श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लुच में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, वीहश श्राद्ध, स्नान, दान, जप, सूर्य-वन्दन-अर्घ्य के समय के कृत्य मलमास में भी क्रिये जाने चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास में होना दोष नहीं है। भृगु (स्मृति०, श्रा०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका सावत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात् मलमास में न मरे) तो उसी नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए। बृहद-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनो मासों में करना चाहिए।

मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल के प्रकरण में

२८. मलिम्लुचस्तु मासो वै मलिनः पापसम्भवः। गृहितः पितृद्वेषेभ्यः सर्वकर्मस्तु तं त्यजेत् ॥ गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३८)।

२९. जातकर्मनित्यकर्माणि नवश्राद्धं तर्षव च। मघाप्रयोवशीभाद्रं श्राद्धान्यपि च वीहश ॥ अन्नसूर्यपहे स्नानं श्राद्धं शानं तथा जपः। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा ॥ व्यास (श्राद्धतत्त्व, पृ० २८३; स्मृति०, श्रा० ३७३)।

३०. मलमासे मृतानां तु श्राद्धं सत्परिचरन्। मलमासेऽपि सत्कार्यं श्राद्धेषां तु कर्षवच ॥ भृगु (स्मृति०, श्रा० ३७५)। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५) का कथन है—“मलमासमृतानां तु मघा स एवाधिकः त्यासदा तत्रैव कार्य-सम्यक्ता शूद्र एव।”

३१. श्राद्धीत्याहनि सन्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि। मासद्वेषेपि कुर्वति श्राद्धेष्वेव न भुङ्गाति ॥ बृहद-वसिष्ठ (स्मृति०, श्रा०, पृ० ३७५); निर्णयसिन्धु (पृ० १३)।

करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए इस विषय में मैं हम वही यदेंगे।

पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों में सद्यतश्राद्ध नामक श्राद्ध का बणन आया है। यदि एक ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो ऋष्यशृंग के मत से उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना चाहिए किन्तु यदि एक ही काल में पांच या छ व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात् कर्ता से जो अति निकट होता है उसका पहले और अन्यो का उसी क्रम से) निम्न रहता है। उदाहरणार्थ यदि किसी की पत्नी पुत्र भाई एवं चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सबप्रथम पत्नी का तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना चाहिए। यदि किसी युद्ध या से पिता एवं माता शय हो मृत हो जायें तो पिता का पहले और माता का (शवदाह आदि) बाद को करना चाहिए।<sup>११</sup>

यदि किसी विघ्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यशृंग ने इस विषय में कहा है—यदि पितृश्राद्ध के समय मरणशील हो जाय तो आसीचावधि से उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि एकोद्दिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए।<sup>१२</sup> यह अंतिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाधा से पांडव श्राद्धों में कोई स्थागित हो जाय तो उसे अभावस्था को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणशील से मासिक श्राद्ध या साव-संक्रिय श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आसीचावधि के उपरान्त या अभावस्था को किया जाना चाहिए। यही बात पञ्च० में भी आयी है।<sup>१३</sup> यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता सामर्थियों के एकत्रीकरण की असमर्थता या पत्नी की रजस्वला अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है।

यह शास्त्रिय है कि जहाँ श्राद्ध में विघ्न-बाधा को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों द्वारा उसे ब्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक दृढ़तावासी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए प्रथम वर्ष में श्राद्ध भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एवं मज्जा खाता है दूसरे वर्ष में उसका मास तीसरे वर्ष में मरत,

३२ तत्रैकस्मिन्नहनि क्रमेण मृतानां मरणश्रमेणैकेन कर्त्ता श्राद्धं कृतव्यम् । तदाह ऋष्यशृंगः । कृत्या पूर्वमृतस्यापि द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः कूर्वात्सन्निपाते स्वयं क्रमः ॥ अथेवमिदं सपिण्डानां युगान्मरणं तथा । सम्बन्धान्-सत्समाशोष्य तत्कृत्वा श्राद्धमाचरेत् ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय पांडुलिपि २६५, आश्विनि—पित्रोस्तु मरणं श्रेयसादेवैवैव यत् तथा । पितुर्बाह्वरिकं कृत्वा पञ्चमास्तु समाचरेत् ॥ इति (पांडुलिपि २६६) ।

३३ देये पितृणां श्राद्धं तु आशीषं जायते यदि । आशीषे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रवीयते ॥ एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते । मासेभ्यस्मित्तिके तस्यां श्राद्धं कुर्वान्प्रयत्नतः ॥ ऋष्यशृंग (अपरार्क, पृ० ५६१, आ० क्रि० १००, पृ० ४८०, मरण पारिजात पृ० ६१८) । और शैलिंग स्मृत्यं (७।१।२०६) एव गण्ड० ४५।१) ।

३४ मासिकश्रेयं तु सम्प्राप्ते स्वन्तरा मृतसूतके । वरन्ति शूद्रो तत्कार्यं यत्तं वापि विचक्षणः ॥ वदन्तिशान्त (अपरार्क, पृ० ५६१), मासिकान्पुत्रकुम्भानि श्राद्धानि प्रसवेषु च । प्रतिशब्दतर श्राद्धं सूतकानन्तरं विदुः ॥ एकादश्यां कृष्णपक्षे कर्त्तव्यं शुभमिच्छता । तत्र व्यतिक्रमे हेतावमायां क्रियते तु तत् ॥ पञ्च० (पातालकण्ड १०।१।६८ एवं ७१) ।

कहीं चौथे वर्ष में यह (कुछ) शिव होता है।<sup>१</sup> देहिए पर० मा० (जिल्द २, भाग १, पृ० ४२३) जहाँ सावत्सरिक आदि के साथ अन्य आदों में भोजन करने पर प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है—'नव आदि-भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। सात्त्विक-भोजन करने से प्राजापत्य व्रत एवं प्रात्यहिक आदि में खाने से एक दिन का उपवास करना चाहिए।' यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दान को दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उन्हीं ही तय करना-होता है। ब्राह्मणों के समय यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने पर वे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च लोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नहीं लेना चाहिए (याज्ञ० १।२।३)। मनु (४।१।८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण को बार-बार वंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दानग्रहण से नष्ट हो जाते हैं।<sup>१</sup> मनु (४।८५-८६ = पृ० ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात् प्रतिफल में मयानक) है और पद्य० (५।१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के मयान मीठा सगता है किन्तु (फल में) यह शिव के समान है। यह तर्क पौरोहित्य-कार्य एवं आदि-भोजन करने के संबंध में अधिक बल से प्रमूक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैं प्रसूत छद्मकर खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है।

हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, पूर्वपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा—प्रत्येक मास की अमावास्या को किया जानेवाला विषडपितृयज्ञ तथा शाकम्बेव एवं अष्टवाश्राद्धों में किया जानेवाला महापितृयज्ञ। क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ किये जाने लगे और आदि-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिनाया जाने लगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं धन का व्यय होने लग गया।

अब प्रश्न यह है कि बीसवीं शताब्दी में आदों के विषय में क्या किया जाना चाहिए। यह देखने में आता है कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) भी नहीं करते, किन्तु वे अपने पितरों के लिए कम-से-कम प्रति वर्ष आदि करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम

३५. अप शुद्धश्राद्धं विधोवासीये। सविष्ठीकरणादूर्ध्वं यावद्वद्वयं भवेत्। तावदेव न भोक्तव्यं क्षयंश्चिन् कदा-  
 चन... प्रथमंस्थीनि मज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्। तृतीये शिर्षं प्रोक्तं श्राद्धं शुद्धं चतुर्थं कर्मितं श्राद्धं कारिकोक्तं ॥  
 निर्बन्धितायु (३, पृ० ४७५)। चान्द्रायणं नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु निम्बके। एकाहं तु पुराणेऽप्रायश्चित्तं विधोयते ॥  
 हारीत (पर० मा०, २, १, पृ० ४२३)। स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए शबररुद्र आदिशिवेक (पृ० ११३)  
 एवं भा० क्रि० की० (पृ० ३४५)। पद्य० (५।१०।१९) का कथन है—'नवश्राद्धे न भोक्तव्यं भुक्षत्वा चान्द्रायणं चरेत्'।

३६. प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत्। प्रतिग्रहेण ह्यस्यायुः श्राद्धं तेजः प्रशाम्यति ॥ मनु (४।१।८६)। और  
 देहिए इसी प्रकार के श्लोक के लिए पद्य० (४।१९।२६८)। राजन् प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वाद्यो विधोयन् ॥ तद् ज्ञान-  
 मानः कस्मात्त्वं कुतश्चैस्मत्प्रसोभयन् ॥ ब्रह्मसूनासमश्चक्री... तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ पद्य०  
 (५।१९।२३५)।

मान का घोटक है। जो लोग श्राद्ध-कर्म में विरवास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्नादन करना चाहिए और मनु (३।१२५-१२६), कूर्म० (२।२३।-२७) एवं पद्म० (५।१।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं—श्राद्ध में अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की सख्या में।" जिन लोगों का विरवास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विरवास है उन्हें एक बात स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशस्ता के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं मन्त्रिकट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान् लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान् किन्तु धनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरर्थक-से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विरवास के तार्त्विक दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋणियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी रही है। पितृ-ऋण पुनोत्पात्त से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विदाल धारणा है। गया में तिलयुक्त जल के ताण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य उच्चतर भावना होगी? कहा गया है—'भरे वे पितर लोग, जो प्रतरूप में हैं, तिलयुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हो, और प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक घर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो।' यदि हम इस महान् उक्ति के तात्पर्य को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विषय एक कुटुम्ब हो जाय। अतः युगों से सचिव जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें लोग धामकढग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सीने को न ठुकरायें। आज भी बहुत-से विद्वान् महानुभाव लोग अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्ध-कर्म करते हैं।

३७ इति देवे पितृकृत्ये श्रीनेकैकमुभयत्र वा । भोजयेदीश्वरोपीह न कुर्वाद्दित्तरं वृथ ॥ पद्म० (५।१।९८) ।  
 जायमानो ह वै ब्राह्मणतिमिच्छन्वा जायते ब्रह्मचर्येण ऋणियो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एव वा अनुभो यः पुत्री यश्वा ब्रह्मचारिवासी । तं० स० (६।३।१०।५); ऋणमस्मिन् सनपत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य ज्ञातस्य पत्ये-  
 ष्वेऽग्नीवतो मुखम् ॥ ऐ० वा० (३।३।१) । इति विषय में इस ग्रन्थ के लघु ३, अध्याय— में लिखा जा चुका है और हम पुनः गयाश्राद्ध में इस पर विचार करेंगे। ये केचित्तत्रैतक्येण वर्तन्ते पितरों मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुमिस्तस्मिन्निधिने ॥ आश्राद्धस्तम्भपर्यन्तं यत्किञ्चित्सचराचरम् । मया बल्लेन तोयेन तृप्तिमायान्तु सर्वशः ॥ वायु० (११०।६३-६४) । मिलाइए वायु० (११०।२१-२२) एवं मेतसुत (सुतनिपात) ।



## अध्याय ११

### तीर्थयात्रा

सभी पर्वों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था बतलाई गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना यानी मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।' शीदों के चार तीर्थ-स्थल हैं, लुम्बिनी (हम्मनदेई), बोध-गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान् बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधन-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधन या ज्ञान प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाण-स्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिर्वाणमुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थी। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिबबन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया है।' किन्तु इतना तो मानना ही पडगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रो ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्शों के परिपालन में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर स्विस-था।

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं

१. देखिए संकेत बुक आथ दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना को तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है।

२. गिबबन ने लिखा है—'अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की सख्या में डाकू, गृहदाही एवं नर-घाती लोग अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अर्धाधिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।' देखिए डेक्लाइन एण्ड फाल आथ दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन् १८६२ का संस्करण), पृ० १८८।

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'साधना' में कहा है—'भारतवर्ष में तीर्थयात्रा के स्थलों की वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन सकीर्ण आदर्शकताओं के ऊपर उठ सके और अन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय सभी लोग मासभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के सवर्धन के लिए पशु-भोजन का परित्याग कर दिया—मह सान्त्वना के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।' आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में चिराजमान है)। यदि

स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण मौलिक एकता की भावना को सर्वाधिक किया। बाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था और जाति-सकीर्णता में फँसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बैठला दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की समयशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक ऐसी श्रद्धा-भक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-जर्मों से दूर रखने में सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान् नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने को उत्तेजित करता रहता था।

पवित्र अथवा तीर्थों के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं विरवास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। बिष्णुधर्मसूत्र (२।११६-१७) के अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं—क्षमा, सत्य, दम (मानस सयम), शौच, दान, इन्द्रिय-सयम, अहिंसा, गुरुश्रद्धा, तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजुता), लोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से मुक्ति)। उन आधुनिक लोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के धार्मिक विद्वांसों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी है या जिनके विरवास तीर्थों के पक्षों की लोभान्यता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्तार एवं निरपेक्ष से लगते हैं या सर्वथा हिल-खे उठे हैं, तीर्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन दृष्टि अथवा प्रवृत्ति को यो ही अनर्थक नहीं समझना चाहिए।

ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों में 'तीर्थ' शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या शब्दक के अर्थ में आया है, यथा—'तीर्थे नाम पौस्त्यानि तस्यु' (ऋ० १।१६९।६), 'तीर्थे नाच्छा तातुरागमोको' (ऋ० १।१७३।११), 'करण इन्द्र. सुतीर्थमय च' (ऋ० ४।२९।३)। कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य नदी का सुतार (जयला स्थान) है, यथा—'सुतीर्थमवर्तो ययानु नो नेयया सुगम्' (ऋ० ८।४७।११), 'अरिष वा दिवस्यु तीर्थे सिन्धूना रय' (१।४६।८)। ऋ० (१०।३।१३) की उक्ति 'तीर्थे न दत्स-मुप यन्मुमा' में 'तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थ है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की 'सुवास्तवा अथि सुवर्नि' की व्याख्या में निरस्त (४।१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु' एक नदी है और 'सुवर्न' वा अर्थ है 'तीर्थ' (धरण-स्थान या पवित्र-स्थल)। तै० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल)

कहाँ कोई सुन्दर स्थल है तो पवित्र के अधिकारदाता लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु वहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे।

४. क्षमा सत्यं दम शौच धारिषिन्द्रियसयमम् । अहिंसा गुरुश्रद्धा तीर्थानुसरणं दया ॥ आर्जव लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् । अनभ्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ बिष्णुधर्मसूत्र (२।११६-१७) । देखिए बिष्णुधर्मसूत्र (२।८०।१-४) जहाँ अहिंसा, सत्यपूजन, तीर्थानुसरण जैसे अन्य सामान्य धर्मों की सूची दी हुई है। देखिए इस टिप्पणी का अर्थ २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर्व, धामतपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण किये हुए हैं।

पर स्नान करना चाहिए।' तं सं० (४।५।१।१-२) एव वाज० सं० (१६।१६) में श्रद्धों को तीर्थों में विचरण करते हुए लिखा गया है। शाखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और संघ्याएँ (समुद्र के) अगाध तीर्थ हैं। तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (बिहार) से आने-जाने के लिए 'उत्कर' एवं 'घासवाल' (गर्दा) के बीच पड़ता है।' और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९।

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र माने जाते हैं, यथा—स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी रमणीयता के कारण, या किसी तप-पूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तप-साधना करने आदि के लिए) रहने के कारण। अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विलक्षण स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट में घालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।' ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें भूषण लोगों एवं मुनियों ने तीर्थों की सजा दी, तीर्थ हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं 'वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत् पुरुष पुण्यार्जन के लिए रहते थे, वे स्थल तीर्थ हैं। मुख्य बात महान् पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है।'

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विस्फात नदियों की ओर ध्यान के साथ संकेत किया गया है और उन्हें दैविक शक्ति-मूर्ण होने से पूजाह माना गया है।' ऋग्वेद (७।४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया है—'ता आपो देवीरिह मामवनतु, अर्षान् दैवी जल हमारी रक्षा करें।' ऋ० (७।४९।१) में जलों को 'पुनानाः' (पवित्र करने वाले) कहा गया है। ऋ० (७।४७, १०।९ एव १०।३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को सम्बोधित हैं।' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक् मार्ग से हटने के फल-

५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसो अथश्न्ये तीर्थे स्नाति। तं सं० (६।१।१।१-२)। इति उक्ति के विवेचन के लिए देखिए जैमिनि० (३।४।१४-१६)।

६. समुद्रो वा एव सर्वहरो यदहोरात्रे सत्यं हैते अगापे तीर्थं यस्सग्न्ये तद्यथा अगापान्यां तीर्थान्यां समुद्र-मतीपात्तावृक् सत्। शां० ब्रा० (२।९)।

७. ते अन्तरेण घासवालोरकरा उपनिष्कामन्ति तद्वि यत्स्य तीर्थंमत्पानं नाम। शां० ब्रा० (१८।९)।

८. यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्नेष्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित् पुष्यतमाः स्मृताः। प्रभावा-वद्भूताद् भूमिः सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्मनुनेनां च तीर्थानां पुष्यता स्मृता। पद्म० (उत्तरखण्ड, २३।७।२५-२७) ; स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४३-४४) ; नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७)। ये श्लोक कल्पतप्त (तीर्थ, पृ० ७-८) द्वारा महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीर्थप्रकाश (पृ० १०) ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०८।१६-१८)।

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुवर्गतः। सद्भिः समाभितो भूप भूमिमागस्तपोऽप्यते। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ; यद्वि पूर्वतमैः सद्भिः सेवितं धर्मासिद्धये। तद्वि पुष्यतमं लोके सत्सतीर्थं प्रचक्षते। स्कन्द० (पृथ्वीष०, पाण्डुलिपि १३५)।

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १।

११. इवमापः प्रवहत यत्किं च दुरितं मयि। यद्वाहमभिवृद्धोह यद्वा शेष उतानृतम्॥ ऋ० (१०।९।८)।

स्वरूप सचित दोषो एव पापो से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० स० (२।६।८।३) ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जन्मों में कीर्तित हैं (आपो वं सर्वा देवता)। अथर्ववेद (१।३३।१) में जलो को शुद्ध एव पवित्र करनेवाले कहा गया है और मुख देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।<sup>१</sup> ऋग्वेद (५।५३।९, १०।६४।९ एव १०।७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है।<sup>२</sup> ऋ० (१०।१०।४।८) में इन्द्र को देवो एव मनुष्यो के लिए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए दणिए ऋ० (१।-३२।१४)। ऋ० (१०।६४।८) में मान की त्रिगुनी (अर्थात् २१) नदियों की चर्चा है और उनमें आगे वाली ऋचा में सरस्वती सरयू एव सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एव माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। मायण के मत से वे तीनों नदियाँ मान सात वे तीनों दलों मध्यक रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, १।३४।८ १।३५।८ २।१२।१० ४।०८।१, ८।२४।२७ एव १०।४३।३) में मान सिन्धुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद, (६।२।१) में भी एमा आया है—अपा नपान सिन्धव मपन पानन।<sup>३</sup> सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ बही गयी हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।०५ एव ०६) और अन्य ऋचाओं में भी इमना उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में आया है कि वैवल मरुन्वनी ही जो पर्वतो से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है अय नदिया म एमी है जिमने नाहुष की प्रायना मुनी और उषे म्बीनार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एव कुत्र गग र्हत थ (ऋ० ८।२१।१८)।<sup>४</sup>

१२ हिरण्यवर्णा शुचय पावका यासु जात सविता यास्वग्नि । या अग्नि गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आप ग स्योना भवन्तु ॥ अथर्व० (१।३३।१) ।

१३ इम मे गणे यमुने सरस्वति श्रुतुदि स्तोम सचता पहृष्या । असिबन्धा महद्भये वितस्तयाऽर्जाकीये शानुष्टा मुषोमया ॥ तुष्टा मया प्रथम यातवे सत्र सुसत्त्वा रसया श्वेत्या त्या । त्व सिन्धो कुभया गोमतीं क्रमु मेहलवा सरय पाभिरौयते ॥ ऋ० (१०।७५।५ ६) ।

१४ वेलिए जनल आय दि डिपाटंभेष्ट आय लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जित्द १५, पृ० १-६३, जहाँ यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धु नदी ही है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा सकता। सरस्वती, सरयू एव सिन्धु का वर्णन ऋ० (१०।६४।९) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ है। प्रो० क्षेत्रेणचन्द्र छट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत मतान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (पृ० २२) कि ऋग्वेद के १०वें मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एव ऋ० (३।०३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं कहा जा सकता, फिर निदचयपूर्वक कहा है कि ६० एव ७वें मण्डलों में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं। सारा का सारा तब बतियप अप्रामाणिक धारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आपुनिक सरस्वती की स्थितियों को आरम्भिक वैदिक काल में भी गणों का त्यो माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में सरस्वती उतनी ही विशाल एव विदाद थी जितनी कि आपुनिक सिन्धु है और भूनाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण यह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बँठी, बीन से तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पूछा जा सकता है कि ६० एव ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एव ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में कितनी शताब्दियों का अन्तर उन्होंने ध्यन किया है। यह करने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदीय काल में सिन्धु एव सरस्वती नामक दो विशाल नदियाँ थीं। इस विषय में विस्तार से साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को एक प्लम्ब वृक्ष से निकली हुई माना गया है, कुक्षेत्र से गुजरती हुई बहा गया है और सहस्रों पहाड़ियों को तोड़ती-कीड़ती हँस वन में प्रवेश करती हुई बर्णाया गया है। वेलिए वामनपुराण (३।२।१ ४)—‘सिवा शैलसहस्राणि विदायं च महा-नदी। प्रविष्टा पुष्यनीर्यंवा वन हंतमिति ध्रुतम ॥’

प्रचण्ड एव गर्जनयुक्त सारस्वती की बाढ़ों और दक्षिणवाली उस्ताल नरगो से पहाडियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी का उल्लेख ऋ० (६।६।२ एव ८) में हुआ है।<sup>१५</sup> ऋ० (७।९६।१) में सारस्वती को नदियों में अमुर्षा (देवी उत्पत्ति वाली) कहा गया है। दृषद्वती, आपया एव सरस्वती के किनारे यज्ञो का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४)। ऋ० (२।४।१।१६) में सारस्वती को नदियों एव देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति)। ऋ० (१।३।११-१२) ने सारस्वती की प्रसादा नदी एव देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एव संत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्बिचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते हुए की है।<sup>१६</sup> ऋ० (७।९।१२, ७।४९।२ एव १।७।१।७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात ज्ञात थी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थी—मिन्धु, पञ्जाब की पाँच नदियाँ एव सरस्वती। इन उचितियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल जल-मूर्ण नदी थी, वह यमुना एव शतुद्रि (१०।७।५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में रेतिले स्थलों में अन्तहित हो गयी। बहुधा आज उसे सरमुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास महभूमि में समा जाती है। वाज० सं० (३।४।११) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं।<sup>१७</sup> प्राचीन काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा—(१) मित्र एव बरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एव मित्र के लिए तथा (३) अर्यमा के लिए। जहाँ सारस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी शून्ये तट पर दक्षिणा (विशी यज्ञ या कृत्य के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।<sup>१८</sup> प्रथम, द्वितीय एव तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य

१५. इय शुष्मेभिर्विसया इवाहजस्तान् गिरीषा त्रिविधैर्भूमिभिः। ऋ० (६।६।२); यस्या अन्तो अहृतस्त्वेष्यश्चरिष्णुरण्यं। अमश्चरति रोदवत् ॥ ऋ० (६।६।८)। निरुवत् (२।२३) में आया है—'तत्र सरस्वती इत्येतस्य नदीवत् देवतावच्च नियमा भवन्ति', और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६।२) में सारस्वती नदी के रूप में धर्षित है।

१६. चोदयित्री सूनूतानां चेतन्ती सुमतीनाम्। यज्ञं दधे सरस्वती। महो अर्ण सरस्वती प्र चेतयति केतुना। ऋ० (१।३।११-१२)। देखिए निरुवत् (१।२।२७)।

१७. पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सन्नोततः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सति ॥ वाज० सं० (३।४।११)।

१८. सारस्वत्या विनशने दोलन्ते। ...दृषद्वत्या अप्येषोनाम्नोयं चरं निरूप्यायातिर्यन्ति। चतुश्चत्वारिंशदाश्वीनानि सरस्वत्या विनशानत् प्लवः प्राखणस्तावदितः स्वर्गो लोकः सरस्वतीसामितेनाप्यत्रा स्वर्गलोकं यन्ति। ... यदा प्लवः प्राखणमागच्छन्त्यथोत्थानम्। ... कारपचवं प्रति यमुनामवभुधमभ्यवयन्ति। ताण्ड्य० (२।५।१०।१, १५, १६, २१ एवं २३)। मनु (२।१।७) में ब्राह्मणों को सारस्वती एवं दृषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश (२।२।१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माना है, जो विनशाल के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। विनशाल के लिए देखिए बौ० ध० सू०, वनपर्व एवं शल्यपर्व (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)। इ० शी० आर० पाटिल ने अपने ग्रन्थ 'कत्वरल हिस्ट्री आव यापुपुराण' (पृ० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ बौद्धों एवं जैनों द्वारा किया गया और यह आगे बलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी। किन्तु यह सर्वथा भ्रामक बात है। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीर्थस्थान थे जहाँ सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्थस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ धार्मिक कृत्यों का सम्पादन ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पहले की बात है।

ब्राह्मण (के क्रमशः २५।१०, २५।११ एव २५।१२ अद्य) । विनशान एव प्लस प्राप्तवण (जो सरस्वती का उदगम स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी । सरस्वती एव दृषद्वती के सगम (पश्चिम प्रयाग) पर 'अपां नपात्' इष्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पक्व चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी । सरस्वती के अन्त हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लस प्राप्तवण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया जाता था । जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लस प्राप्तवण तक पहुँचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना चाहिए और यमुना नदी में जो कारपक्व देश से होकर बहती है, अवमूय स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुक्षेत्र में 'परीण' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्निर्वा स्थापित होती थी (अर्थात् जहाँ श्रौत यज्ञ किये जाते थे), आच० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशान से फेंकी गयी एक शाम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन वितारा जाता था, कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६), जिसमें आया है कि दृषद्वती एव सरस्वती के सगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है, आप० श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण (८।१) में एक गाथा आयी है— ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया उनके बीच में बैठा हुआ कवच निकाल बाहर किया गया, क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था । उसे बाहर निकालकर भूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यस से तड़प-तड़पकर मर जाय । किन्तु उसने ऋ० (१०।३० 'प्र देवत्रा ब्राह्मण') के सूक्त-याठ के रूप में जल या 'अपां नपात्' की स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को 'अपोनपनीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवच लडा था और उस स्थान को घेर लिया । उस स्थान को उसके पश्चात् 'परिसरक' कहा गया । 'इससे प्रकट होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी । देवल ने कई स्थानों को सारस्वत तीर्थों के नाम से पुकारा है ।"

ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पर्वतों की घाटियाँ एव नदियों के सगम पवित्र हैं । प्राचीन लोगों ने पर्वतों को देव निवास माना है । यूनान में डेल्फी के उत्तर के पर्नेसिस को पवित्र पर्वतों में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था । ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का सयुक्त देवता कहा गया है— हे इन्द्र एव पर्वत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें (ऋ० १।१२२।३), हे इन्द्र एव पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वज्र से घेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डालें (ऋ० १।१३२।६) । ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक् रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है— देवता अहिर्बुध्न्य, पर्वत एव सविता हमारी स्तुतियों के कारण जलों में साथ भोजन दें । ऋ० (३।३३।१) में विपाशा (आधुनिक ब्यास) एव शत्रुघ्नी को

१९ यह ज्ञातव्य है कि बलपर्व (अध्याय ८३) में कुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीर्थों का उल्लेख करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीर्थ की चर्चा की है जो तीन करोड़ तीर्थों को पवित्रता को अपने में समाहित करता था (श्लोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीर्थ ही है ।

२०. प्लस प्राप्तवणं बुद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतीर्थं कीबेर वैजयन्त पृथक् नमिशा विनशान बंसोपमेव प्रमात्समिति सारस्वतानि । देवल (तीर्थकल्पतट, पृ० २५०) ।

२१ उपहृते गिरीणां सगमे च नवीनाम् । धिया धियो भजायत ॥ ऋ० (८।६।२८) । वाज० सं० (२६।१५) में 'सगमे' पढ़ा है ।

पर्वतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वत' शब्द साधारण अर्थ में आया है। अथर्ववेद (४।१।१) ने हिमालय की त्रैककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है—'वह अञ्जन, जो हिमालय की त्रैककुद नामक चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरण्यकेशि गृह्य० (१।३।१।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० ध० सू० एव वसिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र आया है कि ये स्थान (देव) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, गोशाला एवं देवों के मंदिर।" वायु० (७७।१।७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के सभी भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाधिक पवित्र है।" पद्म० (भूमिसण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे द्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१)

२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्ववन्त्यः पुण्या हृदास्तोर्षान्युषिनिवासा गोष्ठपरिष्कन्दा इति देशाः। शी० (१९।१४), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं बौ० ध० सू० (३।१०।१२, जिसमें 'ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०' पाठान्तर आया है)।

२३. सर्वे पुष्यं हिमवतो गगा पुष्या च सर्वतः। समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुष्याः समन्ततः ॥ वायु० (७७।१।१७); सर्वत्र हिमवान् पुष्यो गगा...न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुष्याः समुद्रश्च विशेषतः ॥ कूर्म० (२।३७।४९।५०)। 'राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः।' नारदोप० (उत्तर ५८।१९)। सर्वे प्रसवणाः पुष्या सर्वे पुष्याः शिलोच्चयाः। नद्यः पुष्याः सदा सर्वा जगद्गवी तु विशेषतः ॥ शंख (८।१४ जिसमें 'सरसि च शिलोच्चयाः' पाठ आया है); तीर्थप्रकाश (पृ० १४)। सर्वाः समुद्रगाः पुष्याः सर्वे पुष्या नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुष्यं सर्वे पुष्या वनाश्रमाः ॥ (तीर्थकल्प०, पृ० २५०); पद्म० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'वराध्याः' पाठ-भेद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं—महेन्द्रो मलयः सद्गु शक्तिमानुसपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥ कूर्म० (१।४७।२३।२४), वामन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु० (१।८५), मत्स्य० (११३।१०-१) एवं ब्रह्म० (१।८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बार्हस्पत्यसूत्र (३।८१) में आया है—'तत्रापि र्वतकविन्ध्यसह्यकुमारमलयधीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः।' नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है—'महेन्द्रो.... ऋतवानि। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च न विनश्यन्ति पर्वताः ॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) ने ९ पर्वतों के नाम दिये हैं—'हिमवान्महेन्द्रश्च निवन्धो नीलद्वयश्च। श्वेतश्च शृंगवान् मेढमत्स्यवान्मत्स्यमावतः। नर्वतान् शैलनृपतीप्रबन्ध्यां पूजयेत्ततः।' (पर्वताष्टमोपनिषत्)। ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५।१०८) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों के विषय में यों लिखा है—'तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा अगत्यापहराः स्मृताः ॥' कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा—देवोपुराण (कल्प०, तीर्थ, पृ० २४२) में आया है—'कार्तिके प्रह्वं श्वेत् गंगायमुनसंगमे। सप्तं तु प्रह्वं पुष्यं देविकायां महामुने ॥ पीवे तु नर्मदा पुष्या माये सशिहिता शुभा। काल्युने वरणा क्पाता चन्ने पुष्या सरस्वती ॥ यथाशु तु महापुष्या चन्द्रभागा सरिद्रा। श्वेच्छे तु कौशिकी पुष्या आवाटे सायिका नदी ॥ धावणे सिन्धुनामा च भ्राद्रमाते च मण्डकी। आश्विने सरयूश्चैव भूयः पुष्या तु नर्मदा ॥ गोदावरी महापुष्या चन्ने राष्ट्रसमन्विते ॥' विष्णुधर्मसूत्र (८५) में आया है—'एवमाविष्वाग्येषु तोषेषु सरिद्रासु सर्वेष्वपि स्वमादेवेषु पुलिनेषु प्रसवनेषु पर्वतेषु त्रिकुञ्जेषु इनेषूपवनेषु पोमयलिप्तेषु मनोजेषु।'।

मे हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्वतो के २७ एव ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं।

हिमाच्छादित पर्वतो, प्राणदायिनी विशाल नदियो एव बडे वनो वी सौन्दर्ययोभा एव गरिमा सभी लोगो के मन को मृग्य कर लेती है और यह साचने को प्रेरित करती है कि उनमे कोई देवी सत्ता है और ऐसे परिवेश मे परम ब्रह्म आशिक रूप मे अभिव्यजित रहता है। आधुनिक काल मे प्रोटेस्टेंट यूरोप एव अमेरिका मे कदाचित ही कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हाँ, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एव सकुल जीवन छ हटकर खुले वातावरण मे भ्रमणाय आते-जाते हैं। निन्तु आज भी तीर्थस्पर्श मे रोग निवारणार्थ जाना देखने मे आता है। डा० अलेक्सिस कैरेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक एव नोबेल पुरस्कार-विजेता है, के ग्रन्थ 'ए जर्नी टू लीडेस' मे फ्रांस मे स्थित लीडेस मे प्रकट हुए चमत्कारो के वर्णन से पश्चिम के लोगो मे तीर्थयात्रा के विषय मे एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धो मे मारे गये अज्ञात शहीदो की समाधियो वी तीर्थयात्रा भी इन दिनो आरम्भ हो गयी है।

ऋ० (१०।१४६।१) मे विशाल वन (अरण्यानी) को देवता के रूप मे सम्बोधित किया गया है। वामन-पुराण (३।४।३-५) मे कुरुक्षत्र के सात वनो को पुण्यप्रद एव पापहारी कहा है जो ये हैं—काम्यवन, अदितिवन, ध्यासवन, फलवीवन, सूर्यवन, मधुवन एव पुण्यरीतवन।<sup>१</sup>

सूत्रो एव मनुस्मृति तथा याज्ञ० जैसी प्राचीन स्मृतियो मे तीर्थों को कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी है। किन्तु महाभारत एव पुराणो मे उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हे यज्ञो से बढ़कर माना गया है। वनपर्व (८२।१३-१७) मे देवयज्ञो एव तीर्थयात्राओ वी तुलना वी गयी है, यज्ञो मे बहुत-से पात्रो, यज्ञो, सभार-मचयन, पुरोहितो वा सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारा वा धनिक लोगो द्वारा ही सम्भव है। निर्धनो द्वारा, विधुरो, असहायो, मित्रविहीनो द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे अग्निष्टोम-यज्ञो द्वारा, जिनमे पुरोहितो को अधिक दक्षिणा देनी पडती है, प्राप्त नहीं हो सकते, अतः तीर्थयात्रा यज्ञो से उत्तम है।<sup>१</sup> किन्तु वनपर्व (८२।९-१२) एव अनुशासनपर्व (१०।८।३-४) मे तीर्थयात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एव आभ्यात्मिक गुणो पर बहुत बल दिया है। ऐसा कहा गया है—जिसके हाथ, पाँव, मन सुसयत हैं, जिसे विद्या, तप एव कीर्ति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण) फल प्राप्त

२४. शुणु सप्त यनानोह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च ॥ काम्यक च वनं पुण्यम्०। वामनपुराण (३।४।३-५)।

२५. ऋचिभि ऋतव प्रोक्ता देवेदिव्य यथाक्रमम्। फल चं च यथातथ्य प्रेत्य चेह च सर्वेश ॥ न ते दास्य वरिष्ठेण यज्ञां प्राप्तुं महीपते। ब्रह्मकरणा यसा नानासम्भारविस्ताराः ॥ प्राप्यन्ते पापिवरेतः समुद्धेषां नरं बधचित्। नार्यन्मूर्धनानिगणैरेकात्मभिरसायनं ॥ यो वरिष्ठं रपि विधि दास्य प्राप्तुं नरेश्वर। तुल्यो धत्तकलं पुण्यंस्त निबोध युषां वर ॥ ऋचीणां परम गृहामिद भरतसत्तम। तोर्याभिगमन पुष्य यत्नं रपि विशिष्यते ॥ महाभारत। (वनपर्व ८२।१३-१७); तीर्थश्रवणतक (पृ० ३७); तीर्थप्र० (पृ० १२) मे व्याख्या की है—अथर्गयं तज्जादिसहायपरहितं, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादि-साध्यत्वात्, एषात्तमभि पत्नीरहितं, अर्गहतं ऋचिवादिस्वाध्यातरहितं। और देखिए अनुशासनपर्व (१०।७।२-४), मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पंचपुराण (आदिशुद्ध, ११।१४-१७ एवं ४९।१२-१५) एवं विष्णुपरमोत्तरपुराण (३।२७।३।४-५)।



कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है जो कुछ मिल जाय जमसे सत्पुष्ट रहता है एवं वह कार से रहित है वह तीर्थफल प्राप्त करता है। जो अक्लक (प्रवञ्चना या कपटाचरण से दूर) है निरारम्भ है (अर्थात् धन कमाने के लिए भाँति भाँति के उद्योगों से निवृत्त है) लघ्वाहारी (कम खानेवाग्रा) है जितेन्द्रिय है अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों के समय द्राघ पापकर्मों से दूर रहता है और वह भी जो अक्रोधी है सत्यशील है दृढव्रती है अपने समान ही अर्थों को जानने-मानने वञ्चा है वह तीर्थयात्राओं से पूण फल प्राप्त करता है।<sup>१५</sup> इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्त हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है— जिसका शरीर जल से सिक्त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं वह मक्ते जो इन्द्रियमयम से सिक्त है (अर्थात् उसमें झूठा हुआ है) जो पुनीत है सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलकरहित है केवल वही स्नान (स्नान किया हुआ) कहा जा सकता है। यही यात अनुशासनपत्र (१०८।९) में भी कही गयी है।<sup>१</sup> वायुपुराण म आया है— पापकर्म कर लेने पर यदि धीर (दृढमक्ल या बुद्धिमान) श्रद्धावान एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करन स मुद्ध हो जाता है तो उसके विषय म क्या कहना जिससे कम शुद्ध है? किन्तु जो अश्रद्धावान है पापी है नास्तिक है मग्या मा है (अर्थात् तीर्थ यात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों क प्रति सग्य रखता है) और जो हतुद्रष्टा (व्यय के तर्कों म लगा हुआ) है—ये पाँचा तीर्थफलभागी नहीं होते।<sup>१६</sup> स्कन्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (ताय) यज्ञ एवं भाँति भाँति के दान मन की शुद्धि के साधन हैं (अर्थात् इनसे पाप कटते हैं)। पद्य० (४।८०।९) म आया है— यज्ञ व्रत

२६ यस्य हृन्नी च पादी च मनश्चैव सुसयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ परिग्रहाहुपावृत सन्पुष्टो धन केनचित् । अकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारी जितेन्द्रियः । विमुक्त सर्वपापेभ्य स तीर्थफलमश्नुते ॥ अक्रोधमश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रत । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ वनपर्व (८।२।९-१२), तीर्थकल्पतरु (पृ० ४-५), तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । हस्तयोग समय परपीडा चोर्षादिनिवृत्त्या पादयो समय अगम्यदेशगमनपरताडनादिनिवृत्त्य, मनस समय कुत्सितसकल्पादिनिवृत्त्या । विद्या अत्र तत्ततीर्थ-गुणज्ञानम्, तप- तीर्थोपवासादि, कीर्ति- सच्चरितत्वेन प्रसिद्धि । तीर्थप्रकाश (पृ० १३) । अकल्कक दम्भरहित, निरारम्भोऽत्रार्थार्जनादिव्यापाररहितः । तीर्थकल्पतरु (पृ० ५) । और देखिए वनपत्र (९।२।११ एवं ९।३।२०-२३) । ये वनपर्व के श्लोक पद्य० (आदिलखण्ड, १।१।९-१२) में पाये जाते हैं, प्रथम दो पद्य० (उत्तरखण्ड, २।३।३०-३२) में आये हैं, सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत हैं, वायु० (१।१०।४५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं। 'यस्य हस्तौ च' नामक श्लोक शालस्मृति (८।१५), ब्रह्म० (२।५।२) एवं अग्नि० (१०।९।२-२) में भी पाया जाता है। स्कन्द० (१।२।२।५-६) के मत से 'यस्य सयतम् । निर्विकारा क्रिया सर्वा स श्नुते' वाली पाया अगिरा ने गायी है ।

२७ नोचकस्त्रिभुवनस्तु स्नात इत्यभिधीयते । स स्नातो यो दमस्नात स महात्मन्तर शुद्धिः ॥ अनुशासन० (१०८।९) ।

२८ तीर्थान्मनुसरन् धीर श्रद्धायानो जितेन्द्रियः । कृतपापो विशुध्यत कि पुन शुभकर्मकृत ॥ अश्रद्धायाना पाप्मानो नास्तिका स्थितसशया । हेतुद्रष्टा च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥ वायु० (७।७।१२५ एवं १२७), तीर्थकल्प० (पृ० ५-६), वाचस्पतिकृत तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४), जिसमें आया है— पापारामा बहुपापप्रस्तस्तस्य पापशमन तीर्थ भवति न तु यथोक्तफलम् । ये श्लोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५।६।५२ ५३) में भी आये हैं ।

तप एव दान कलिभुग मे भले प्रकार से सम्पादित नही हो सकते, किन्तु गंगा-स्नान एव हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। विष्णुधर्मोत्तर० (३१२७३१७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है—'जब तीर्थयात्रा की जाती है तो पापी के पाप कटते हैं, सज्जन की धर्मवृद्धि होती है, सभी वर्गों एव आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है।'<sup>१</sup>

कुछ पुराणों (यथा—स्कन्द०, काशीखण्ड ६, पद्य०, उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भीम तीर्थों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एव सुन्दर शील-आचार भी हैं, जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस तीर्थ कहा जाता है। उनके अनुसार 'सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, मृदुवाणी, ज्ञान, धैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मन-शुद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, दुष्ट, क्रूर, प्रवचन, बपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एव अपवित्र रहते हैं। क्याकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नहीं जाती, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते—यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एव विद्या को तीर्थ वा पद नहीं प्राप्त हो सकता।'<sup>२</sup> ब्रह्मपुराण (२५१४-६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता, जिस प्रकार वह पात्र जिसमें मुरा रखी गयी थी, सैंकड़ों बार पीने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, आश्रम (में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियाँ असंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहाँ कुशोत्र, प्रयाग एव पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३१२५) में एक सुन्दर रूपक आया है—आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है और जिसकी लहरें दया है, उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता।'<sup>३</sup> पद्य० (२१३९-५६-६१) ने तीर्थों के अर्थ एव परिधि को विस्तृत कर दिया है—जहाँ अग्निहोत्र एव ध्यात होता है, मन्दिर, वह घर जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, बाटिकाएँ, जहाँ अदक्य वृक्ष रहता है, जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी वा गुरु रहता है या पतिव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एव योग्य पुत्र का निवास होता है—वे सभी स्थान (तीर्थ जैसे) पवित्र हैं।

अति प्राचीन काल से बहुत-से तीर्थों एव पुनीत धार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य० (११०-७), नारदीय० (उत्तर, ६३५३-५४) एव पद्य० (४१८९१६-१७ एव ५१२०१५०), ब्राह्म० (१५९१६-७), ब्रह्म० (२५१७-८ एव १७५१८३) आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वामु ने घोषित किया है कि ३५ कोटि तीर्थ हैं जो आवास, अन्तरिक्ष एव भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। वामन० (४६१५३) का कथन है कि ३५ करोड़ लिंग हैं। ब्रह्म० (२५१७-८) का कहना है कि तीर्थों एव पुनीत धार्मिक

२९. पापानां पापशानन धर्मवृद्धिस्तथा सताम् । विज्ञेय सेवित तीर्थे तस्मात्तीर्थपरो भवेत् ॥ सर्वधामेव वर्णानां तर्वाभमनिवासिनाम् । तीर्थे कलत्रं च मय मात्र कार्या विचारणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३१२७३१७ एव ९) ।

३०. सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं .. तीर्थानामुत्तम तीर्थं विष्णुधर्मनस पुनः ॥ ... आयन्ते च भ्रियते च जलेष्वेव अतीकृतः । न च पश्यन्ति ते स्वर्गमविगुह्यमनोमला ॥ ... शानमिग्या तप शील तीर्थसेवा श्रुतं तथा । सर्वेष्वेतान्य-तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६१२८-४५); पद्य० (उत्तरखण्ड, २३७।११-२८) । मिलाइए मत्स्य० (२२।८—सत्य तीर्थं क्षमा तीर्थम् .. ) ।

३१. आत्मा नदी संयमतोयपूर्णं सरयावहा शीलतटा द्योतिः । तत्रानिवेकं कुच पाण्डुपुत्रं न धारिणा दाम्प्यति चात्तरागमा ॥ वामनपुराण (४३१२५) ।

स्वर्गों की इतनी बड़ी सख्या है कि उन्हें संकटों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का रूपन है कि पूषिषी पर नैमिष एव अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, कुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीर्थ है और वस सहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२।२१)। अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गये तथा तीर्थों में स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों) ने धन-लाभ से उत्तेजित होकर सदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एव पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निबन्धकारों ने स्वर्द्धि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध-कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्थकल्पन के आद्य से अधिक भाग में वाराणसी एवं प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृषुदक, कोकामुल, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे हैं। नृसिंहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्थों पर ही लिखा है, यथा—सेतुबन्ध, पुष्करिक (आधु-निक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्णा, नर्मदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं इसके उप-नीचों के विषय में है और दोष प्रयाग एव गया के विषय में। इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एव विशेष अनुराग। पुराणों, माहात्म्यों एव निबन्धों के लेखकों में एक मनोकृति यह भी रही है कि वे बहुत बड़ा-बड़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एव परलोक में उसकी सारी अभि-लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थों में जाने के उपरान्त उसे न तो मज करने चाहिए, और न दान आदि अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि देव लोगो एव ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एव श्रद्धापूर्वक देवों एव अपने पितरों की पूजा करता है वह अद्वयभेष करने का दसगुना फल पाता है। पद्यपुराण (५वाँ स्कन्ध, २७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बड़कर ससार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वनपर्व (८३।१५) ने पृषुदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृषुदक सभी तीर्थों में उच्च एव पुनीत है। मत्स्य० (१८६।११) ने कर्तव्य तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों किया है—‘सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।’<sup>१</sup> वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म० (१।३।१६४) में आया है—‘वाराणसी से बड़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।’ अतिशयोक्ति करने की बद्धमूलता इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, प्रसूत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता।<sup>२</sup> यही बात लिंगपुराण (१।६२।६३ एव ९४) ने भी कही है। वागमपुराण में आया है—‘चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त

३२. त्रिभिः सारस्वतं तोषं सप्ताहेन तु प्राप्तुमम् । सप्तः पुनाति गंगेयं दशानादेव नार्मरम् ॥ पद्य० (आदि-लघु १३।७) ; मत्स्य० (१८६।११) । अभिलषितार्थचिन्तामणि (१।१।१३०) में भी समान काल पायी जाती है—‘सारस्वती त्रिभिः स्नानैः पञ्चभिर्यमुनायहत् । जाह्नवी स्नानभागेण दशनिनेव नर्मदा ॥’

३३. या देहपतनाद्यावत्तत्क्षेत्रं यो न मुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवर्तते ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं देवं न वा भूयोऽभिजायते । मत्स्य० (१८२।१६-१७) ; तीर्थकल्प० (पृ० १७) ने ‘प्राकृतश्च’ पाठान्तर दिया है, जिसका

प्रभ्य एव मय्याम्) के लीज तीर्थ में स्नान कर मुल की मात पीडियों की रक्षा करते हैं, चारों वर्णों के लोग एव स्त्रियों भवितपूर्वक स्नान करने से परमाचक्षुष्ये का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा मा सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीविन हो) तीर्थ-यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिपण्ड, अध्याय ५९-६०) जहाँ बृहल की गाथा बनी गयी है। बृहल ने अपनी पतिव्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी से उसे मन्त्री तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भाष्य) बिना हिंसा धर्म म एव विफलो भवेत् ५०।३३)। तीर्थयात्रा-मणि एव तीर्थप्रदान न कृमपुराण का उद्धरण देकर चारणसी (अविमुक्त) की महता निम्न रूप में प्रकट की है—  
 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गद वणसकर श्रियर्षी, श्लोच्य और वे लोग जो महीन रूप म पापयोनिया म उपाय हुए हैं, कीट चींटियों पणि-गद आदि जड़ अविमुक्त (चारणसी) में मरते हैं तो वह: व मानव रूप म जन्म लेन हैं तरा अविमुक्ता से त्रा पत्नी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। श्रियों एव शूद्रा व विषय म एव स्मृति-वचन है— जय तीर्थयात्रा प्रव्रज्या (मन्याय-ग्रहण), मन्त्रसाधन एव देवताराधन (पुराहित रूप म)—य छ श्रियों एव शूद्रा वा पाप की आरा ल जल हैं (अर्थात् वे उनका निग वजित है)।<sup>१६</sup> इस कथन की व्याख्या की गयी है और कहा गया है कि यहाँ त्रा श्रिया का तीर्थयात्रा के लिए मत्ता किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जान की ओर मनेन करता है और शूद्रा व विषय म यह बात है जैसा कि मनु (१०।१०३) न बतल है विद्वान् श्राद्धियों की सेवा करना ही उनका प्रभाव मनुष्य है। यदि व तीर्थयात्रा करने हैं तो यह उनसे मनुष्य के विरुद्ध पडता है। वायाचन (व्यज्जलम्पदा ५० ११३) न व्याख्या दी है—‘नारी जग तुष्ट करती है वह उमरं भवित्य (वे पु यस्त) से मव-चित है ज गिता मित (श्रावण) पति या पुत्र की अनुमति व विकल हाता है।<sup>१७</sup> उमसे स्पष्ट हाता है कि आरम्भिक रूप म ममी र्णा न पुण्या एव नाशिया वा तीर्थयात्रा करना पापी के छुटकारा पान के लिए अच्य ममसा जाता था। यद्यपि पति की मर्णति के अनुमतिरार पर नारी का स्वामित्व मंमिन् हाता है, किन्तु न्यायालय के नियमों से स्पष्ट है कि वह पति या मर्णति वा एव अन्य अम पति के भयाभाद्र म या पण्डरुण की तीर्थयात्रा से मने कर हाती है। पतिव्रता म स्नान करने ममय छुआछूत का विचार नहीं किया जाता।<sup>१८</sup>

३७ ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या शूद्रा ये वर्णयकरा । स्त्रियो श्लेच्छादश्च ये चान्ये सकीर्णाः पापयोनय ॥ कीटा निर्गोमकाश्च ये चान्ये मूर्खरिअथ । कानेन निधन प्राप्ता अधिमुक्ते करानने ॥ शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र माया । नाविमुक्त म्न कश्चिन्नरक यानि किन्दियां ॥ कूर्म० (१।३१।३२-३४), मत्स्य० (१८।१।१९-२१), तीर्थचि० (५० ३६६) । तीर्थप्र० (५० १३९) ने कूर्म० का उद्धृत किया है और जोड़ा है—‘नाविमुक्तमन् कश्चिन्नरक यानि किन्दियां। कूर्म० (१।३।३२-३४), तीर्थचि० (५० ३६६) एव तीर्थप्र० (५० १३९)। यही श्लोक पद्म० (१।३३।१८-२१) से भी है।

३८ जपन्त्यस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधन चेति स्त्रीशूद्रपतनानि यद् ॥ तीर्थप्रकाश (५० २१), श्रिम्वलाभेनुनागपत्र (५० २) से भट्टोज ने इसे मनु की उक्ति कहा है।

३९ नारी लक्ष्मणनृजाता पित्रा भर्ता सुतेन या । विकल तद् भवेत्तस्या यत्करोत्योर्ध्वदेहिकम् ॥ कात्या० (८५० मन्त्र ५० ११२) । हमाद्रिकृत चतुर्वर्गचिन्तामणि (यत, १, ५० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का श्लोक माना है और ‘श्री-संदाहकम्’ का प्रस्तावित के अर्थ में लिया है।

४० तीर्थं विदाहे यात्राम् मप्रामे देशविल्लवे । नपरामदाहे च सृष्ट्यास्पृष्टिनं दुप्यति ॥ बृहस्पति (कल्पतद्, दुःहि, ५० १६९; स्मृतिय० १, ५० १२२) ।

केवल तीर्थयात्रा एव तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तन एव पापघ्नं वा त्याग परमावश्यक है। इस विषय में महाभारत एव पुराणों में दो उक्तियाँ हैं, एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र मग ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) न तुलाधार एव जाजलि (एक ब्राह्मण, जिसे अपने तर्पों पर गर्व था) के कपनोपवचन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एव बलिषो में पवित्रतम है सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं सभी पवतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि) पवित्र हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात् तीर्थों की खोज में देश-देशान्तर में न धूमे)। तीर्थविन्तामणि एव तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा है कि ब्राह्मण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियो एव यज्ञ करने की सामर्थ्य एव अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्म० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में एसा कहा है— जो व्यक्ति अपने धर्मों (कृतव्यो) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में पाता है और न उस लोक में। प्रायश्चित्ती विधुर या यायावर लोय तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्निषो या पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम स्थय पा सकता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए उसे पुनो की जीविका के लिए प्रवर्ण कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।<sup>१</sup>

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३) में उपा है कि वैदिक विचारियों, वानप्रस्थों सन्यासियों गर्भवती नारियों एव यात्रियों से नाविक या शौत्तिक का शुल्क नहीं लेना चाहिए, यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।<sup>१</sup> किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिंदू राजाओं द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एव ७।१००८) में उल्लेख है कि गया ध्राट्ट करने वाले कश्मीरियों पर कर लगाता था।<sup>१</sup> अनहिल्लवाड के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोमनाथ के यात्रियों पर बाह्लाद नामक नगर की मीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मुसलमान राजाओं द्वारा भी एसा कर लगाया जाता था। एसा लगता है कि कबी द्रावाय नामक एव यड विद्वान् ने शाहनशी क समक्ष प्रयाग एव काशी के यात्रियों के पक्ष में एसी सुन्दर उक्तियाँ कही कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और

४१ गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं—शालीन एव यायावर। यायावर वृद्धो वह है जो शैतों से अनाज कट जाने के उपरान्त गिरेट्टुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो पन एकत्र नहीं करता, या जो बीरोहिल्य काय, अप्यापन या दान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणों (देवऋण, पितृऋण एव ऋषिऋण) के लिए बेलिए यहो, खण्ड २, अप्याप ७ एव ८।

४२ ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिर्षुगुणितोर्षानुसारिणां नाविक-शौत्तिक-शुल्कमाददानश्च। तच्छेतेषां दद्यात्। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३)।

४३ काश्मीरिकाणां च धाट्टशुल्कोऽङ्केता गयान्तरे। शोष्ये रम तक्-शूर-परिहासपुराथक-॥ ब्रह्मवा महानिर्ला कण्ठे विनस्तान्मसि पातितः। राजत० (६।२५४-५५)। परिहासपुर के शूर एरमन्तक को, जिसने गद्यभाट्ट करनेवाले कश्मीरियों का कर मुक्त कर दिया था, रानी दिहा ने गले में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदी में डबा दिया।

उनको 'मर्वदिद्या-निधान' की पदवी दी।" भारत भर के लोगों को ह्य कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवीन्द्राचार्य को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और बलिचमय अभिनन्दनो से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभिनन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एव श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।" हीय-सल-राज नरार्मह तृतीय ने मन् १२७९ ई० में सस्कृत एव कन्नड में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि राजा ने हेम्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था) कारी एव श्री विरवेश्वर देवता के यात्रियों (जिनमें नैन्य, तुलु, तिरहुत, गौड आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे वे तुलुष्को (मुसलमान बादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, सख्या २९८, पृ० ७१-७३)।

102300

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निबन्धों में ब्रह्मपुराण के श्लोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० १ श्यवम्या दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उमें गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लीटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।" निबन्धों में व्याख्या की है कि लीटने पर उपवास एव गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त पृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी तीर्थयात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए। वायु० (११०।२-३) में आया है कि गणेश, प्रहो एव नक्षत्रों की पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कापटी का वप धारण करना चाहिए, अर्थात् उसे ताम्र की अँगूठी तथा कणन एव कापाय रग के परिधान धारण करने चाहिए। भट्टाजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कापटिक परिधान गया के धारि को धारण करना चाहिए। पद्यपुराण (४।११।२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों की व्यवस्था की है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एव तीर्थों में ही धारण करना चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा—भोजन आदि के समय में (पृ० ९)।"

४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) पृ० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर-प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ द्वारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है।

४५. धेन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्य वदयः कृतोऽभूत्  
किचावश्यं प्रपन्न पुनरपि विहितः शाहिदारासिकोहः।  
काशीतीर्थप्रयागप्रतिजनितकरप्राहमोक्षकहेतु  
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कथिगुहस्तीर्थराज्याधिराजः ॥ कवीन्द्रचन्द्रोदय (पृ० २३, संख्या १६९)।

४६. यो यः कश्चित्तीर्थयात्रा तु गच्छेत्सु संयतः स च पूर्वं गृहे स्वे। कृतोपवासः शुचिप्रमत्तः सम्भूजयेद् भक्ति-  
मन्त्रो गणेशम् ॥ देवान् पितॄन् ब्राह्मणाश्चैव सापून् धीमान् पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च । प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथैव देवान्  
पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तीर्थकल्प० पृ० ९); तीर्थचिन्तामणि (पृ० ६, 'सुसंयत इति पूर्वदिने कृतक-  
भक्ताविनियमः'); तीर्थप्र० (पृ० २३ 'सुसंयतः पूर्वदिने कृतकभक्तादिनियम इति केचित्, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति  
तु युक्तम्')। ये श्लोक नारदीयपुराण (उत्तर०, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड,  
६।५६-५७), पद्य० (उत्तर०, २३७।३६-३८), ब्रह्म० (७६।१८-१९)।

४७. जलनश्चेद् गम्यं गन्तुं श्राद्धं कृत्वा धियानतः। विषाय कापटीनेषु कृत्वा धामं प्रदक्षिणम्। ततो ग्रामान्तरं  
गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम् ॥ वायु० (११०।२-३), तीर्थधि० (पृ० ७)। तीर्थप्रकाश (पृ० २९) ने व्याख्या की है—

आपगम्य (भाग १: ३-३६) जगल (१५३), यम (५४-५५) परागर (मिता०, यात्र० ३।२६३-२६४) आदि मन्त्रियां न ज्ञानव्याप्त्यै हि नारा का मन्त्र-श्रुत्यं केशा की केवल दा अगुल लखाई म होता है। परा० मा० (२,१, ५०-५१) न एव नागरमात्राणाम् एवम है और क्या है कि नारी का तात्पर्य है वह स्त्री जो सत्यवा है।<sup>१</sup> यद्यपि स्मृति-चरन प्रार्थित्वा-नमस्त्वा हे मर्त्यं म वचन तीर्थस्थानो की आ भी संकेत करने हैं। विषयाभो मन्त्रासिपो एव शूद्रा का सम्पूर्ण मण्डन होता है। वाचमनि मित्र के इस कथन म कि गया के तट पर मण्डन नहीं होता तीर्थ-प्रारा (५०-५१) न दापि दया है। जन मत मतान्तर देगने म भागे हैं तो देगचार एव व्यक्ति की अभिलाषा का सहाय स्त्री होता है। तथान्तर (५०-१०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पिता-पुत्र उम व्यक्ति के लिए आचारा है जा धनवान होता है। क्षीर एव मण्डन म भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल गिर के वेगो को बनवाना तो दुगर का अर्थ है दाई-मुँह के साथ गिर के वेगो को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी ऋषियां न गया म भी शीर वजिन नहीं माना केवल वहाँ मण्डन वजित है गया पर प्रयाग को छाडकर वही भी मण्डन नहीं होता।<sup>२</sup> तार्थशुभेय (५०-७) न अपनी सम्मति दी है कि मण्डन एव उपास आवश्यक न होकर काम्य है (जयानि किमी विगण्ट फ्र की प्राप्ति के लिए है) और गिण्ट लोग बहुत-से तीर्थों पर एसा नहीं करन।

पुराणो एव निवृत्तो ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६) का कथन है कि यदि बार्ड प्रयाग की तीर्थयात्रा बेलगाडी म बंठकर करता है तो वह नरक म गिरता है और उसने पितर तीर्थ पर दिने गय ज्ञ-सार्थं को ब्रह्म नहीं करते और यदि कोई व्यक्ति-एश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (बैलो वाला नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न बूजा जाते हैं, अब तीर्थयात्री का वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।<sup>३</sup> श्लोक (तीर्थ पू० ११) के श्ल से केवल प्रयाग-यात्रा से वाहन वजिन है किन्तु तीर्थवि० (पू० ८) एव तीर्थप० (पू० ४५) ने एर श्लोक उद्धृत कर कहा है कि बेलगाडी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है घोड पर (या घोड द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा बोये जाने पर (पालकी

५२ स्त्रीणां पराजरेण विशेषोऽभिहित । वपनं नैव नारीणां । सर्वान्नेशान्समुद्धृत्य छेदयेदगुलिद्रमम् । तत्रैवैव हि नारीणां शिरसो मण्डनं म्भूतम् ॥ मितान् (यात्र० ३।२६३-२६४) । सर्वान् केशान् . मण्डनं भवेत् । इत्यस्य प्रार्थित्तत्प्रकरणे श्रुतस्वाचारंशतित्येनात्राप्यवयान् । प्रयागादायपि तातां द्रवामुलकेशाधकृतंनमान वपनम् तीर्थप्रकाश (पू० ५०-५१) ।

५३ गयादासपि देवेनि दमभूणा यथा दिना । न क्षीरं मुनिभिः सर्वेतिथिषु चोर्ति कीर्तितम् ॥ रामश्रुतेश्चपन मण्डनं तद्विगुंथा । न क्षीरं मण्डनं सुधु कीर्तितं वेदवेदिभिः ॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके तु गङ्गाया मण्डनं नहि । वही (६।५२) ।

५४ प्रयागतीर्थयात्रार्थो यः प्रयाति नरः स्वविन् । यज्ञोवदंसमाशुदं गुणु तत्प्रापि वस्तुलम् ॥ नरके वसते घोरे भवां क्रोधो हि दाहण । सकृन् न च गुह्यन्ति पितरस्तस्य देहिन ॥ ऐश्वर्यलाभमोहाद्वा गच्छेद्यानेन यो नरः । निष्फल तस्य तत्सर्वं तत्साद्यान विवर्जयेत् ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एव ७) । और वैश्वि ए तीर्थवि० (पू० ८, 'ऐश्वर्य-लाभमाहात्म्यम्'), तीर्थप० (पू० ३३-३४); प्रार्थित्तत्तस्य (पू० ४९२), ब्रूम० (१।३७-४-५) । गंगायास्यावती (पू० १३) ने 'ऐश्वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उससे आया है—'मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण-स्पष्टवाद् ऐश्वर्यमदमून्यस्यैव प्रयागमनेपि दोषाभावात् ।'

आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।" और देखिए पृ० (४११९।२७)। कूर्म० में आया है कि जो लोग असमर्पता के कारण नर-यान या घोडो या खच्चरो से खीने जानेवाले रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्णुपुराण (३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एव आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में दण्ड लेकर चलना चाहिए।" विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि मान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का फल मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गगामागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई अन्य साधन नहीं होता।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के सकल्प के लिए त्रिस्वर्लक्षितु (पृ० १-३) में विवाद विवेचन उपस्थित किया गया है।" निष्कर्ष में हैं—सकल्प में सभी आकाशित तीर्थों के नाम नही आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, दक्षिण एव पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एव काशी के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में, पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एव काशी के नाम अन्तर्हित रहते हैं) में सकल्प करना चाहिए, दूररे रूप में, दक्षिण एव पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का सकल्प करना चाहिए, प्रयाग में काशी का एव काशी में गया का सकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम गया का, तब गया में काशी का सकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रयाग (पृ० ३२६) में प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें केवल तीर्थयात्रामह करिव्ये" कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है।

स्मृतियों एव पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। अत्रि (५०-५१) ने कहा है—बह, जिसके लिए कुस की आकृति तीर्थजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गृह को उद्देश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, उससे वे लोग द्वादशान फल पाते हैं। पंठीनसि (तीर्थकल्प०, पृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिध्यमिक पर) तीर्थयात्रा करता है उसे षोडशान फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गृहदान आदि के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्धांश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्व (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), स्कन्द० (काशी०, ६।६३), पृ० (६।२३७।४३) एव विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।१०)। इसी लिए परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगो ने (यानियों की सुख-सुविधा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रों, कुपो का

५५. गोपाने गोवधः प्रोक्तो ह्यमाने तु निष्कलम् । मर्याने तदर्थं स्यात् पद्भ्यां तच्छ्व बतुगुणम् ॥ गंगामभित्त-  
तरंगिणी (पृ० १३); तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० । 'उपानपद्भ्यां बतुशोर्गां गोमाने गोवधारिकम् ।' पृ० (४।१९-२७)।

५६. वर्षातिपादिके छत्री बन्धो राश्वटवीथु च । शरीरप्राणकामो च तोषान्तरकः सवा धजेत् ॥ इति विष्णु-  
पुराणीयवचनेन निष्प्रतिपदासवाश्वस्वरसात् तीर्थयात्रायामपि उपानस्पर्शान्तरमावश्यकमिति । तीर्थचि० (पृ० ८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं आश्वीयपुराण (उत्तर, ६२।३५) । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३। ११-१२) में आया है—तीर्थानुसरणं पद्भ्यां तप परामिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रकलं लभेत् ॥

५७ संकल्प इत प्रकार का हो सकता है—'ओं तत्सर्वदा प्रतिपरमशब्देयमत्रत्रयफलसमरुसप्राप्तिकामो-  
मुक्तीर्थयात्रामहं करिव्ये ।'



निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधापर्यन्त उन्हीं भागों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास-सण्ड में आया है कि 'ओ धनित्र व्यक्ति अथ को घन या धान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल का चौथाई भाग पाता है।'<sup>६८</sup>

रघुनन्दनवृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मों का उल्लेख किया है जिन्हें गंगा के तट पर न्याय दिया जाता है, जो निम्न हैं--शौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात् शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-साबुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), केश-शृंगार, निर्मात्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अघमर्षण सूवत-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह मलबाना, क्रीडा-कौतुक, दानग्रहण, सभोग-कृत्य, अन्य तीर्थ की भ्रमि, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों का बान, किसी को मारना-पीटना एवं तीर्थजल को तीरकर पार करना।

एक बात शतव्य है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या-ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इन पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचि० (पृ० १०), तीर्थप्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए जिनके दोष जात हो और जो धूषा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के वासी को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।<sup>६९</sup> और देखिए वायु० (८२।२६-२८), स्कन्द० (६।२२२।२३)। वायु० (८२।२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष) होते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साध पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात् गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता (सम्मान देनेवाला) ससार से मुक्ति पाता है।<sup>७०</sup> वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गहड० में ऐसा वर्णित है कि जब मथामुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोर्तों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें मुनिवृत्त घर, कामधेनु गौएँ, कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो मित्रा माँगें और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु लोमवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पीरोहित्व किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर लिया। इस पर ब्रह्मा ने उन्हें ताप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन

५८. यश्चात्वं कारयेत् शक्या तीर्थयात्रां तथेववरः। स्वकीयद्रव्ययानाम्नां तस्य पुष्यं चतुर्गुणम् ॥ प्रभाससण्ड (तीर्थप्र०, पृ० ३६)। तीर्थं प्राप्यानुयगेन स्नानं तीर्थं समाचरेत्। स्नानञ्ज कलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं बहु ॥ शक (८।१२); स्मृतिष० (१, पृ० १३२) एवं कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ११)। और देखिए पच० (६।२३७।४१-४२) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७।११०)।

५९. चतुर्वेदं परित्यज्य मायूरं पूजयेत्तदा। मथुरायां ये वसन्ति विष्णुस्या हि ते मरा ॥ ज्ञानिनस्तान् हि पश्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति तासि हि। वराहपुराण (१६५।५७-५८)।

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कवाचित्कालपर्ययात्। तानेव भोभवेद्विभान् ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ अमानुषतपः विना ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ?) ये प्रकल्पिताः वायु० (८२।२५-२७)।

शिव । अग्निपुराण ( ११४।३७ ) में इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्माने उन्हें नाम दिया कि ' विष्णुनाम' ही। और लक्ष्मी  
 ही ज्योतिः । इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्रायना की और अपना भीरवरा क लिए किया गया था। ब्रह्मा  
 इवीभक्त हुए और ब्रह्मा कि उनका जीविका का माधन स्थाना था । ता इत मोर क अत तत लक्ष्मी और ता लोच  
 ल्या म श्राद्ध करम और उनका पूजा करम ( अर्थात् उर पुराहित बनायम और दक्षिणा देणे ) य ब्रह्मा का पूजा का  
 का पाया । इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण ने इस प्रकार क लक्ष्मी के समन गया क ब्राह्मण ( गणनाली ) का क  
 ही विष्णुनाम या जो नाम है और उता गया क। नायकाका को अपना व्यापार समन किया था । गणनाली ब्राह्मण  
 का एक प्रारम्भिक एतिहासिक उल्लेख बर्मान के राजा रामचन्द्रा ( लगभग ११/२ ई० ) क शिवपुराण नामक म  
 पाया जाता है ।<sup>१</sup>

पुत्राणा ती वाणी या क परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया किम किमी  
 अन्य के लोच का गुजायग नहीं है । गणनाली क आत्मा गण एत अय पुराहितों से उता गण इतिहास का प्रिय  
 शोभित तत गये है । गृह्य हिन्दू मानिया म एसा आरण पाया जाता है कि त्र के गण जात है तो म मप्रथम पुत्र  
 पुत्रा नदी क तत्र पर मल्ल कर्गो रे और गया पट्टन पर शिव गवावा ब्राह्मण क उर पुत्र है ।<sup>२</sup> स्वय गवावा  
 था उनके प्रतिनिधि मानियों को गया की और उता आगपाम ती वेनिया के पाम के जात है । पुत्राणा का अर्थवत् के  
 पास पदान्त शिवा मिला है और गवावा पुत्र की माला यात्रा की अर्जा पर लता है गुण धारित करता है  
 और उरहित करता है कि यात्री के गया आने से पितर तम स्वय नायग । अपा ती कुत्र म त्र म-व्यापार को  
 शोभित लता के लिए गवावालो ने विरामण परम्पराए स्थापित कर रखी है । पुत्रहीन गवावाल अपा गद्दा का उत्तरा  
 धिकारी सिता गवावा को ही बसा देता है जा अपन को जसरा दत्तक पुत्र मानता है । यहाँ पर यह दत्तकप्रथा  
 वास्तविक दत्तकप्रथा नह है । अत दत्तक पुत्र अपने जन्म पुत्र म ही अपन अधिार रण जाता है और उता मारुध  
 अपन वास्तविक पुत्र से नुरा टटना । इसी से कभा-कभा एत हा गवावा तार-तार यद्दिसा त्र अधिार पा लता है  
 ( अपात एत माय कई लोग द्वारा दत्तक बना लिया जाता है ) । प्रयेत गवावाल क पास बरी होती है जिम उत  
 यजमानों के नाम एव पा रहते है जिम के अपा हस्ताधार त्र दते है और एसा रिद्धि कर देते है कि उता बगन  
 उमी गवावा-पुत्र के लोगों को अपा पुरोहित मानें । इस प्रकार गवावा त्र पास प्रथम एव सम्पत्ति आ जाती  
 है । गवावा अपन प्रतिनिधिया को सम्पूण दान म भेजते है जो अधि क अधि क सख्या म मानिया को गते है ।

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी श्रद्धा म तीथ पर जो माहिय है वह अपागत सवग अधि विगत है । शिव माहिय  
 को छापर महाभारत एव पुराणों म कम स वम ४० ००० मात तीर्थों उतीर्थों एव उनसे सम्बन्धित विवरणिया  
 के विषय म ही प्रतीत है । बनपव ( अध्याय ८२ १५६ ) एव गल्पव ( अध्याय ३५ ५४ ) म ही ३९०० क लगभग  
 वेत्ता ताथयात्रा-सम्बन्धी लोच हैं । यदि कुछ ही पुत्राणा का हवाग किया जायता ब्रह्मपुराण म ६७० लोच  
 ( इसके सम्पूण जर्णर १२७८३ वांता या लक्ष्मी अध्याय ) तीर्थों क विषय म है पर ० के प्रथम पाठ सत्या के

६१ स्थिता यदि गवावा से गलताने ब्रह्मणा तता । विद्याविद्यजिता धृष्ट गुणामुक्ता भविष्यत् ॥  
 अग्निपुराण ( ११४।३६ ३७ ) ।

६२ 'यो ब्रह्मशास्त्रोत्तरेन प्रवृत्त गवावा-ब्राह्मणहरिद्वान्तम प्रविगहीतपञ्चगोत्रसिक्तकोत्रपाटकाभिधाय  
 क्षामतविनिमयः ।' देविए एतिप्रथिया इच्छिता निह—२१, पु० २११ एव २१९ ।

६३ गरुडपुराण म श्राया है—वाराणस्या हीनवाइतनीये शोचने तया । पुत्र-पुत्रामहान्तो याइ स्वर्गं  
 किणुपेत् ॥

३१०० श्लोकां मे ८००० श्लोक तीर्थ-साम्बन्धी है, वगल ० में कुल ९६१४ श्लोक हैं जिनमें ३१८२ श्लोक तीर्थ के विषय में है (जिनमें १८०० श्लोक वेदों मन्त्रों के विषय में हैं) और मन्त्रों के १४००० श्लोकों में १२०० श्लोक तीर्थ-साम्बन्धी है। इसके अतिरिक्त निम्न निम्न एव तीर्थ-साम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीधर के मन्त्रर का तीर्थविज्ञान वाण्ड, शर्माजी की चतुर्ग्रन्थ-चिन्तामणि वा तीर्थराज (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है), वाचस्पति (१४५०-१४८० ई०) की तीर्थचिन्तामणि, नृसिंहप्रसाद (लगभग १५०० ई०) का तीर्थसार, नारायण भट्ट का त्रिन्ध्यासीसेतु (१५५०-१५८० ई०) टोडरामचन्द्र (१५६५-१५८९ ई०) का तीर्थमीमांसा, रघुनन्दन (१५२०-१५७० ई०) का तीर्थतत्त्व या तीर्थयात्रा-विधितन्त्र, मित्रमिथ (१६१०-१६४० ई०) का तीर्थप्रहास, भट्टोजि (लगभग १६२५ ई०) का त्रिम्बलायितुगारमग्रह, नागेश वा त्रिम्बलायितुगारमग्रह, नागेश वा नागोजि वा तीर्थचतुष्टय। बहूत-से तीर्थ-साम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अतृपतिह (बीकानेर) की आज्ञा में प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ-रत्नाकर सम्भवतः सगम बड़ा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न तीर्थों पर भी पृथक्-पृथक् ग्रन्थ हैं, यथा—विद्यापति (१८००-१४५० ई०) का गंगायात्रायात्री नामक ग्रन्थ, गुरेश्वरचार्य का दासीमृतिमोक्ष-विचार, रघुनन्दन की गंगाश्राद्धपद्धति एव पुराणभक्तोत्तरत्त्व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है।

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का ऐसा जो पुराणों एव निघण्टों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन करना चाहिए, दूसरे दिन उसे व्रत बरार (जैसा कि अधिराज निघण्टों में आया है) उपवास करना चाहिए; उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए 'अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एव तीर्थ-यात्रा की निश्चिन्त ममापि के लिए गणेश एव अपने अधिपत्या देवी की पूजा करूँगा' की घोषणा या सवन्ध करना चाहिए तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एव अपने पिता देवी की पूजा करनी चाहिए, "तब अपने गृहसूक्त के अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पावत्रश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें धनदान करना चाहिए। इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान धारण करना चाहिए। तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अरज्य) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोस (दो या दार्द्री मील)से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एक घृत से उपवास तोड़ना चाहिए (यह केवल गया की यात्रा में होता है)। अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में ही उपवास तोड़ सकता है। इसके उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नये पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थ में पहुँचने के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और उस दिवस में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को गूँध सकता है। कल्याण (तीर्थ, पृ० ११) एव तीर्थचि० (पृ० १४) में देवल को उद्धृत कर रहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो विशेष फल की प्राप्ति होती है।

६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए बेलिए इस ग्रन्थ का अध्याय २, अध्याय १९। सहस्रवैवर्तपुराण (बह्म-राज्य, २६।१०-१२) में १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है—आसनं वसनं पाद्यमयं माचमनीयकम् । पुष्यं चन्दनपूर्वं च दीपं नैवेद्यमुत्तमम् ॥ गन्धं माल्यं च शय्यं च ललितं सुलिलाशयम् । जलमयं च ताम्बूलं साधारं वैयमेव च ॥ गन्धाक्षतत्पताम्बूलं विना इष्याणि द्वादश । पाद्याभ्यंजलनैवेद्यपुष्पाभ्येतानि पंच च ॥

## अध्याय १२

### गङ्गा

गङ्गा पुनीततम नदी है और डमके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अवस्थित हैं, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृथक्-पृथक् वर्णन उपस्थित किया जा रहा है।

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०।७।५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४।३।३) में 'गाङ्गाय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है 'गंगा पर वृद्धि प्राप्त करता हुआ'। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३।१।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे पर भरत दीप्यन्ति की विजयो एवं यज्ञो वा उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन गाथा का उल्लेख है—'नाडमित् पर अप्सरा दानुन्तला ने भरत को गर्भ में धारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अश्व भेजे।' महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं पुराणा (नारदीय, उत्तरार्ध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८, पद्य० ५।६०।१-१२७, अग्नि० अध्याय ११०, मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५, पद्य०, आदिसण्ड, अध्याय ३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में सैकड़ों प्रशस्तिजनक श्लोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २१।१७-१६८) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना समभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप पर कर बैठे हैं—भौतिक एवं आध्यात्मिक। विशाल नदियों के साथ देवी जीवन की प्रगाढ़ता सलम हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर' (द्वितीय संस्करण, पृ० ४७७) में लिखा है—'जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, बुद्धि-शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्-पृथक् ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर (१३५० ई०) का गणपत्सलक, मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी विश्वासदेवी की गंगाबाह्यावली, गणपति की गंगा-भक्ति-स्तरगिणी एवं वर्धमान का गंगाकृत्यविवेक। इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं।

वनपर्व (अध्याय ८५) में गंगा की प्रशस्ति में कई श्लोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों है—'जहाँ भी जहाँ स्नान किया जाय, गंगा कुक्षेत्र के बराबर है। किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवसिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्टियों को उगी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि ईधन को। श्रुत युग में सभी स्थल पवित्र थे, नेता में पुष्कर सबसे अधिक पवित्र था, द्वापर में कुक्षेत्र एवं बलिभूग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने

१. अथि बभु पथीना वयिष्ठे मूर्धप्रत्याम् । उव कलोन गाङ्गाय ॥ ऋ० (६।४।३।३) । अन्तिम पाठ का अर्थ है 'गंगा के तटों पर उगी हुई घास या शाकी के सामान ।'

से सीमाव्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढियों तक कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सद्गुण कोई देव। वह देव, जहाँ गंगा बहती है और वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिवन कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।" अनु-वासनपर्व (३६।२६, ३०-३१) में आया है कि वे जनपद एव देव, वे पर्वत एव आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य का फल देने में महान् हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रतमा हो जाते हैं और ऐसा पुण्यफल पाते हैं जो संकष्टों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३१।३०-३१ एव ४०।६४)।

भगवद्गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हूँ (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०।३१)। मनु (८।१२) में साक्षी की सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एव कुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे। कुछ पुराणों में गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है (पृ० ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों में गंगा को विष्णु के बायें पैर के अंगूठ के नख से प्रवाहित माना है। कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से गंगा का सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एव पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, चक्षुस् एव सिन्धु) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य० १२१।१८-४१, ब्रह्माण्ड० २।१८।३९-४१ एव पृ० १।३।६५-६६)। कूर्म० (१।४६।३०-३१) एव बराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनन्दा, मुचक्षु एव भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती है, अलकनन्दा दक्षिण की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुहूर्त्तों में होकर समुद्र में गिरती है। ब्रह्म० (७३।६८-६९) में गंगा को विष्णु के पाँच से प्रवाहित एव शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है।

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) में गंगा की प्रशंसा की है—जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इसके दरान की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है, जब सहस्रो योजन दूर रहनेवाले लोग 'गंगा' नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया

२. यमो वैश्वस्तो देवो यस्तवेव हवि स्थितः। तेन घेवविबादस्ते मा यमो मा कुहन्नामः ॥ मनु (८।१२)।

३. वामपावाम्बुजागुण्डनसखोतीविनिर्गताम्। विष्णोर्बिर्भति या भक्त्या निरसाहनिर्ग भुवः ॥ विष्णुपुराण (२।८।१०९); कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६१) में 'शिव' पाठान्तर दिया है। 'नदी सा संख्यवी प्रोक्ता विष्णुपादसमु-भवा।' पृ० (५।२५।१८८)।

४. तपेवालकनन्दा व दक्षिणादेत्य भारतम्। प्रयाति सागरभित्त्वा सप्तभेदा द्विभोतमा ॥ कूर्म० (१।४६। ३१)।

५. धृताभिलाषिता दृष्टा स्पृष्टा धीतावगाहिता। या पावपति मृतानि कीर्तिता च दिने दिने। गंगा गमेति येनाम योजनानां शतैर्वपि। स्थितैश्चचारित हन्ति पापं जन्मत्रयान्जितम् ॥ विष्णुपु० (२।८।१२०-१२१); गंगा-

है। मन्व्यं, ब्रूमं, गृह्यं एव पद्यं वा बहूना है नि गंगा में पहुँचना सब स्थानों में मरल है केवल गंगाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग एव वहाँ जहाँ यह सामूह में मिलती है, पहुँचना बरिड है, जो लोग वहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं और जो लोग वहाँ मर जाते हैं वे पुन जन्म नहीं पाते। नारदीयपुराण का बचन है कि गंगा सभी स्थानों में दुर्लभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। यह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पान पहुँच जाता है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मन्व्यं १०७।४)। ब्रूमं वा बचन है कि गंगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अन्नरिषा एव पारिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्यपुराण ने प्रकट किया है—बहुत घन के व्यय वाले यमों एक कठिन तमो स का लाभ जब कि मुलभ रूप से प्राप्ति होनेवाली एव स्वर्ग-मात्र इनवाली गंगा उपस्थित है। नारदीय पुराण में भी आया है—आठ जगा वाले योग तमो एव यमो से क्या लाभ? गंगा का निवास इन सभी ६ उतम है। मन्व्यं (१०१।१८-१५) के दो श्लोक यहाँ बचन के माध्य हैं—पाप करनेवाला व्यक्ति भी महत्त्वा माना दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्ति कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एव उसके दशन से व्यक्ति तम से पापमुक्त हो जाता है एव गृह पाता है। उनमें स्नान करने एव जल के पान से वह मान पीडिया तत्र अपने कुल को पवित्र कर देता है। वार्षाण्ड (२७।६९) में आया है कि गंगा के तट पर सभी काल गुप्त है। सभी देश गुप्त हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं।

वगहपुराण (अध्याय ८०) में गंगा की व्युत्पत्ति का गाथा (जा पूर्वार्ध की ओर गयी है) है। पद्यं (मृष्टि गृह्य ६०।६४-६५) में गंगा के विषय में निम्न गूढमय दिया है—ओ नमो गंगारे त्रिवरुणियं नारायण्यं नमो नमः।

पाश्यायनी (पृ० ११०), तीर्थचिं (पृ० २०२), गंगाभक्ति (पृ० ९)। दूसरा श्लोक पद्यं (६।२१।८ एव २३।१२) एव गृह्यं (१७५।८०) में बर्णन प्रकार से पडा गया है, यथा—गंगा... यो ब्रूयाद्योजनानां शनैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं न गच्छति ॥ पद्यं (१।३।१७७) में आया है, शनैरपि। नरो न नरकं याति किं तथा सद्य भवेत् ॥

६. दर्शनार्थपर्यानात्पानान् तथा गयेति शीर्षानान्। स्मरणादेव गंगाया सद्यः पापं प्रमुच्यते ॥ अश्विन्यं (तीर्थचिं ५० १९८, गंगायां, पृ० १२ एव गंगाभक्ति, पृ० ९)। प्रथम पद अनुशासनं (२६।६४) एव अश्विन्यं (११०।६) में आया है। गच्छतिष्ठन्न जपन्ध्यायन् भुञ्जन् जायन् स्वपन् धरन्। य स्मरेत् सान्तं गंगां सोऽपि मुच्येत यथानात् ॥ स्मरन् (शास्त्रोक्त, पूर्वार्ध २७।३७) एव नारदीयं (उत्तर, ३९।१६-१७)।

७. सर्वत्र सुदुर्भा गंगा त्रिवृत्त्वादेव सुदुर्भा। गंगाद्वारे प्रथमे न गणात्पारतममे ॥ तत्र स्नात्वा दिव याति ये मृतास्तेऽनुनभवा ॥ मन्व्यं (१०६।५४); ब्रूमं (१।३७।३४); गृह्यं (पूर्वार्ध, ८।१।२-२); पद्यं (५।६०।१२०)। नारदीयं (४०।२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है—सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिवृत्त्वादेव चायिषा। गंगाद्वारे... तममे ॥ एव स्नात्वा दिव ... अंवा ॥

८ तत्र शोऽथोर्षकोटौ य तीर्थानां वायुरत्रयो। त्रिवि भुव्यन्तरिक्षे न तत्सर्वं जातृयो मृता ॥ ब्रूमं (१।३९।८); पद्यं (१।४७।७ एव ५।६०।५९); मन्व्यं (१०२।५, तानि ते सन्ति जग्दृषि)।

९ किं यत्तैर्बहुवितास्यं। नि तपोभिः सुदुर्करं। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुगमोभायपूर्जिता ॥ पद्यं (५।६०।३९); विमष्टायेन योगेना त्रिं तरोभिः विमध्यरं। ताम एव हि गंगाया सर्वत्रोपि त्रिविष्यते ॥ नारदीयं (उत्तर, ३८।३८); तीर्थचिं (पृ० १९४, गंगायां ब्रह्मशास्त्र चारणम्); प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९४)।

पद्य० (सु० १०१२५) में आया है कि विष्णु गमी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का। द्रुम गंगा की प्रसन्न टम प्रकार की गयी है—पिताओं पत्नियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, नाशक एव गुरुघाती ही जान पर या सभी प्रकार के पापों एवं दोहों से सम्पुक्त होने पर प्रथम से पुत्र पत्नियों, मित्र एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देने है किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण मृष्टिसूत्र, ६०।२५-२६)।

बुद्ध पुराणा में गंगा के पुनीत मयल के विस्तार के विषय में व्यक्तिया दी हुई है। नारदीय० (उत्तर ४३।११९-१२०) में आया है—गंगा के तार से एक गव्युति तत्र क्षेत्र बहलाता है इसी क्षण-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु तार पर नभ गंगागण का वास ही नहीं है। क्षण-सीमा दोनों तीरों से एक बाधन की होती है अर्थात् प्रत्येक तीर से दस कोम तत्र क्षण का विचार होता है।" यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वना पर्वत पवित्र नदियाएँ एवं तीरों से स्वामी नहीं हल इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता। द्रुमपुराण का कथन है कि नदियों से चार हाथ की दूरी तत्र नागवण का स्वामित्व होता है और भयन गमय भी (कण्ठगत प्राण ज्ञान पर भी) क्लीषा को उस क्षण में दान नहीं देना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गम (अन्वयन), तीर एवं क्षण में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ यहाँ तत्र विस्तृत हो जाता है जहाँ तत्र भाद्रपद के चतुर्दशी तत्र धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर होता है, जो गम से १५० हाथ तत्र फँसता हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दस कोम तत्र क्षेत्र विस्तृत रहता है।

अत्र गंगा के पाप पहुँचन पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा। गंगा-स्नान के लिए शक्य करने के विषय में निम्नलिखित कई विवरण दिये हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९७-४९८) में विस्तृत नाल्य दिया हुआ है। गंगावाक्यावला के मन्त्राल के लिए देविभू नाथ की टिप्पणी।" मत्स्य० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों एवं वद के विभिन्न शाखा-नदियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यो है—विना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए संकल्पम

१०. तीरार्थ गव्युतिमात्र सु परित क्षेत्रपुज्यते। तीर स्थक्त्वा यस्तोत्रे तीरे क्षातो न चेज्यते ॥ एकपोजन-विस्तीर्णा क्षेत्रतोमा तटद्रुमाल्। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०)। प्रथम को तीर्थवि० (पृ० २६६) में स्वल्प-पुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या की है—'उभयतटे प्रत्येक क्रोशयुग्म क्षेत्रम्।' अन्तिम पाद को तीर्थवि० (पृ० २६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) में भविष्य० से उद्धृत किया है। 'गव्युति' दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः दो क्रोश (कोश) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार 'गव्युति' दो क्रोश के बराबर है, यथा—'गव्युतिः स्त्री क्रोशयुग्म।' वायु० (८।१०५ एवं १०।११२२-१२६) एवं ब्रह्मसूत्र० (२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल = एक हस्त, १६ अंगुल = एक धनु (अर्थात् 'वर्ष', 'पुग' या 'गाली'); २००० धनु (या षष्ठ या युग या नालिका) = गव्युति एवं ८००० धनु = योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४०) के अनुसार ४ हस्त = धनु या षष्ठ या युग या नालिका; २००० धनु = क्रोश, ४ क्रोश = गव्युति (जो योजन के बराबर है)। और वेलिए इत प्रत्येक का लक्ष ३, अध्याय ५।

११. अद्यामुके मासि अनुकपभे अनुकतिषो सद्य पात्रनाशपूर्वकं सर्वपुण्यप्राप्तिकामो गंगार्या स्नानमहं करिष्ये। गंगाया० (पृ० १४१)। और वेलिए तीर्थवि० (पृ० २०६-२०७), जहाँ गंगास्नान के पूर्वकालिक संकल्पों के कई विवरण दिये हुए हैं।

स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी रूप या धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि से भी स्नान कर सकता है। 'नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान् लोगों को तीर्थस्नान का ध्यान करना चाहिए। हाथ में दर्भ (कुस) लेकर, पवित्र एव शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार बर्गहस्त स्थल को चुनना चाहिए और निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए, 'तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एव पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं, हे जाह्नवी गंगा, ये सभी देव-तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम मन्दिनी (आनन्द देनेवाली) और नसिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा इला, पृथ्वी, बिहगा, विदवकाया, अमृता, सिन्धु, विद्याधरो, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी।' स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा पास में चली आयेगी (मले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो)। व्यक्ति को उस जल से, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। नदी के तीरे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एव आचमन करके व्यक्ति को बाहर आना चाहिए और दो द्वेत एव पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्तोष के लिए देवों, ऋषियों एव पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए। परचातु सूर्य को नमस्कार एव तीन बार प्रदक्षिणा कर तथा किसी-बाह्य, सोना एव गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णु मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर के अनुसार) में जाना चाहिए।"

१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १८२) में मत्स्य० (१०२) के श्लोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका में वही गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्म० (४)८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय के आरम्भ में गंगा के सहस्र नामों की ओर संकेत किया जा चुका है।

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं—प्रधान एवं गौण। प्रथम विद्याभ्ययन समाप्त किये हुए डिर्जों द्वारा देवों, ऋषियों एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अग के रूप में किया जाता है। नित्य नैमित्तिक कर्म्य त्रिविध स्नानमुच्यते। तर्पण तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीर्तितम् ॥ ब्रह्म० (गंगाभक्ति०, पृ० १६२)। तर्पण स्नान एवं ब्रह्मयज्ञ दोनों का अग है। इस विषय में बेलिए इस ग्रन्थ का शब्द २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बंध-शाखा के अनुसार होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्पण तिलमिश्रित जल से किसी तीर्थ-स्थल, गंगा में, पितृपक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष) में किया जाता है। विधवा भी किसी तीर्थ में अपने पति या सन्तानों के लिए तर्पण कर सकता है। संन्यासी ऐसा नहीं करता। पिता मरना व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तीन अंजलि देवों, तीन ऋषियों को एव एक प्रजापति ('देवास्तुप्यन्ताम्' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (बाहिने) से आद्य में या अग्नि में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने वाली नदी में डाला जाता है या भूमि पर छोड़ा जाता है—आद्य हवनकाले च पानिर्नकेन धीयते। तर्पणे तुभय कुपदिव एव विधि. स्मृतः ॥ नारदीय० (उत्तर, ५७।६२-६३)। यदि कोई वित्तुत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न मन्त्रों के साथ (जो बामपुराण, ११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुट्टा से मिश्रित जल की तीन अंजलियाँ डे सकता है—'आब्रह्मस्तम्भपयंस्त वेदविपितृमानवा। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्। आब्रह्ममुक्- कास्तोकादिब्रह्मस्तु तिलोब्रह्मम् ॥'

१४. तर्पण के लिए बेलिए 'आङ्गिकसूत्रावली' या नित्यकर्म विधि संश्लेषी कोई भी पुस्तक। 'धर्मशास्त्र', 'बिन्नगुप्त' के लिए बेलिए बराहपुराण (अध्याय २०३-२०५)।



यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२।२-३१) के श्लोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तर्गत के साथ पद्य० (पातालखण्ड ८१।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०।१४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।<sup>१०</sup>

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-प्रश्म या जली हुई अस्थियों का प्रयोग या बाशी या अन्य तीर्थों में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही श्लोक कुछ अन्तर्गत के साथ कई ग्रन्थों में आया है।<sup>११</sup> अग्निपुराण में आया है—'मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियाँ गंगा में डाली जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है।' आत्म-घातिनों एवं पतितों की अन्वेषिष्ठ-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका कल्याण होता है। तीर्थवि० एवं तीर्थप्र० ने ब्रह्म० के डार्ड श्लोक उद्धृत किये हैं जो अस्थि-प्रवाह के कृत्य को निर्णय-सिन्धु की अपेक्षा श्लेष में देते हैं।<sup>१२</sup> श्लोकों का अर्थ यह है—'अस्थियाँ ले जानेवाले को स्नान करना चाहिए; अस्थियों पर पचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मधु एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि 'धर्म को ममस्कार।' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए 'धर्म (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों' और अस्थियों को जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, ३०।४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विराट रूप में वर्णित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की

१५. विष्णुपाराशरसंस्कृतं गंगे त्रिषवगाम्निनि । धर्मव्रतेति विल्याते पापं मे हर जाह्नवि ॥ अथवा भक्तितत्त्वप्रमे (प्रं ?) श्रीमातर्देवि जाह्नवि । अमृतनाम्नुना देवि भागीरथि पुनीर्हि माम् ॥ स्मृतिच० (१।१३१); प्राय० तत्त्व० (५०२); स्व देव सरिता नाप स्वं देवि सरिता वरे । उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि कुरितानि च ॥ वही । और देखिए पद्य० (सृष्टिखण्ड, ६०।६०) ।

१६. यावदस्थि मनुष्यस्य गंगामाः स्पृशते जलम् । तावत्स पुत्रयो राजन् स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।१४= पद्य० १।३९।८७); अनुशासनपर्व (३६।३२) में आया है—'यावदस्थिनि गंगामां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद्द्वर्ध-सहस्राणि...महीयते ॥' यही बात मत्स्य० (१०६।५२) में भी है। कूर्म० (१।३७।३२) ने 'पुरुषस्य तु' पढ़ा है। नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है—'यावन्म्यस्थिनि गंगामां तिष्ठन्ति पुत्रवस्य च । तावद्द्वर्ध...महीयते ॥ पुनः नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है—'यावन्ति नखलोमानि गंगामां पतन्ति च । तावद्द्वर्धसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ नारदीय० (पूरुषार्थ, १५।१६३)—केशास्मिन्नखन्तावच भस्मापि नृपसत्तम । मयन्ति विष्णुसर्वान् स्पृष्ट्वा गंगेन पारिणा ॥

१७. स्नात्वा ततः पंचगवेन तिष्ठत्वा हिरण्यमध्याज्यतिलेन योज्यम् । ततस्तु मूर्तिपद्मपुटे निषाय पद्मम् विरां प्रेतगणोपगुडाम् ॥ ममोऽस्तु धर्मपि वरन् प्रविश्य जलं स मे प्रीत इति ज्ञिपेच्य ॥ स्नात्वा तपोतीर्थं च भास्करं च बृह्वा प्रवद्यारथ दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतपुरस्त्वितस्य स्वर्गं गतिः स्यात् ॥ अहंश्रुत्वा ॥ ब्रह्म० (तीर्थवि०, पृ० २६५-२६६ एवं तीर्थप्र०, पृ० ३७४) । गंगामा० (पृ० २७२) में कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्मखण्ड० से उद्धृत किया है, यथा—'पस्तु तर्वाहितो विष्णुः स मे प्रीत इति ज्ञिपेत् ॥' और देखिए नारद० (उत्तर, ४३।११३-११५) ।

परम्परा सम्भवतः सगर के पुत्री की गाया से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के श्रौध से मरम हो गये थे और भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०)। नारदीय० के मत से न केवल मरम हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रस्यूत मक्ष एवं केस डाल देने से भी कल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे तीर्थों की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं सलग्न रहते वे नरक में जाते हैं।<sup>१८</sup> काशी-खण्ड में आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गंगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुष्पफल प्राप्त होते हैं, यथा— साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस्य पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, सत्राति पर स्नान करने से सहस्र गुण, सूर्य या चन्द्र के शृण पर स्नान करने से सौ लाख गुण और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन सूर्य-ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।<sup>१९</sup>

### त्रिस्थली

प्रयाग, काशी एवं गंगा को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान् पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल १५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसैतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन् १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।<sup>२०</sup> प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और गंगा के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंगे।

### प्रयाग

गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त श्रद्धापूर्वक निर्देशों में एक सित मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद धी है—“जो लोग श्वेत (सित) या कृष्ण (नील या अंसित) दो नदियों के मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उड़ते) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (डूब कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।”<sup>२१</sup> सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्दपुराण में इसे धृति

१८. तीर्थंमन्वत्प्रशंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताश्च ये। गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्तुनिरयगामिनः ॥ स्कन्द० (काशी-खण्ड, २७।८०)।

१९. वर्षे षातसुषुं पुष्यं संक्रान्तीं च सहस्रकम्। चन्द्रसूर्यग्रहं सप्तं व्यतीपाते त्वनन्तकम् ॥... सोमग्रहः सोमदिने रविवारे रवेर्ग्रहः। तन्ब्रह्मणिपर्वत्स्यं तत्र स्नानमसंख्यकम् ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१)।

२०. त्रयाणां स्थलानां समाहारः त्रिस्थली।

२१. सितसिते सारिते यत्र सङ्गते तत्राप्लुतासो विवमुत्सतन्ति। ये च तन्वं विसृजन्ति धीरास्त जनासो अमृतत्वं भवन्ते ॥ त्रिस्थली० (पृ० ३) के मत से यह आद्यसायन शाला का पूरक धृति-वचन है। किन्तु तीर्थं चिन्तामणि (पृ० ४७) में इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रस्यूत इस्ते यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है तो वह सम्यक् ब्रह्मज्ञान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए उपवर्ष (१३।५८), ‘तत्त्वावबोधेन विनापि भूपस्तनुत्वाद् नास्ति शरीरबन्धः’ (तीर्थप्र०, पृ० ३११)। स्कन्द० (काशीखण्ड, ७।५४) का कथन है—‘मृतिभिः

कहा है। महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (वन० ८५।६९-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन० २५।३६-३८)। पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १।३६-३९; पद्म० १, अध्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५)। हम केवल कुछ ही श्लोकों की ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। सगम का वर्णन आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है (मत्स्य० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म०, ६।३३।२७-३५, जहाँ प्रत्येक श्लोक के अन्त में "स तीर्थराजो जयति प्रयागः" आया है)। गंगा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग ब्रह्मा की वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हैं उत्तर में कुइसेन (जिसे उत्तरवेदी कहा जाता है) एवं पूर्व में गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच में अन्तर्भूमि में है)। मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दशान, नाम लेने या इसकी मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूर्म० ने घोषणा की है—'यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते।' यही पुतीत स्थल तीर्थराज है; यह केराक को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की सजा मिली है।'

'प्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपर्व में आया है कि सभी जीवों के अधीन ब्रह्मा ने यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्ञ' धातु से 'प्रयाग' बना है। स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं 'याग' से युक्त माना है—'इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यमों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है।' मत्स्य० ने 'प्र' उपसर्ग पर बल दिया है और कहा है कि अन्य तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है।

परिपठयेते सितसिते सखिरे । तत्राप्युतांगा इमृतं भवन्तीति विनिश्चितम् ॥ (त्रिस्थलीसितु, पृ० ११) । और वेसिए काशीखण्ड (७।४६) । इसमें स्पष्ट है कि इस श्लोक में वैदिक रंग है। त्रिस्थली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठान्तर की ओर संकेत है। गंगा का जल श्वेत (सित) एवं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जरुंगों की ओर संकेत किया है। वेसिए रघुवंश (१३।५४-५७) ।

२२. वक्ष तीर्थसहस्राणि तिलः कोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्वष ॥ माघमासं प्रयागे तु नियतः सशितव्रतः । स्नात्वा तु भरतश्चेष्ट निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥ अनुशासन० (२५।३६-३८) । बर्षान्तास्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनावधिः । मृत्तिकास्मृताद्वापि नरः पापान् प्रमुच्यते ॥ मत्स्य० (१०४।१२), कूर्म० (१।३६।२७) । और वेसिए अग्नि० (१११।६-७) एवं वनपर्व (८५।८०) । एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विभ्रुतम् । अत्र स्नात्वा विर्षं धान्ति ये मृतास्तेऽप्युनर्भवाः ॥ कूर्म० (१।३६।२०) । मत्स्य० (१०४।५ एवं १११।१४) एवं नारद० (उप१२, ६३। १२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिलेख' की संज्ञा दी है।

२३. गंगायमुनयोर्वीर संघमं लोकविभ्रुतम् । यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः । प्रयागमिति विख्यातं ब्रह्माद् भरतसत्तम ॥ वनपर्व (८७।१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद् बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्य सत्यमेव युधिष्ठिर ॥ मत्स्य० (१०९।१५) ।

२४. प्रकृत्यं सर्वयामेभ्यः प्रयागमिन् विद्यते । वृष्ट्वा प्रकृत्ययोगेभ्यः वृष्ट्येभ्यो वक्षिणादिभिः । प्रयागमिति तत्राम कृतं हरिहरादिभिः ॥ (त्रिस्थलीसितु, पृ० १३) । प्रथम अंश स्कन्द० (काशी० ७।४९) में भी आया है। अतः 'प्रयाग' का अर्थ है 'यामेभ्यः प्रकृत्यः', 'यहाँ से बड़कर जो है' या 'प्रकृत्यो यामो यत्र', 'जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है।'

ब्रह्म० का कथन है—प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह 'राज' शब्द (तीर्थराज) से मुक्त है।"

'प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं 'वेणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य० का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच योजन है और ज्यो ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है—यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को छूटी मानकर कोई डेढ़ योजन रस्सी से धारों और मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० (१०४१५ एवं १०६१३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है—'प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वास्तुिक के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोको में प्रजापति के पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य० (१०६१३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है—पूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर में वास्तुिकह्रद है, पश्चिम में कम्बल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य० (कल्पतरु, तीर्थ, पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में 'विपुले यमुनातटे' पाठ है। किन्तु प्रकाशित पद्य० (१४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। वेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जैसा कि पद्य० में आया है। यहाँ तीन पवित्र कूप हैं, यथा प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलर्बपुर में। मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीर्थ अग्निखण्ड हैं और गंगा उनके मध्य से बहती है। जहाँ भी कही पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट शब्दों को छोड़कर) आया है, उसका तात्पर्य है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पर्य है दोनों (गंगा एवं यमुना) का सगम। वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत

२५. प्रभावात्सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्याधिकं विभो। मत्स्य० (११०।११)। प्रकृष्टत्वात्प्रयागोऽसौ प्राधान्याद्-राजशब्दवान्। ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३)।

२६. पञ्चयोजनायस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम्। प्रविष्टमात्रे तद्भूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ मत्स्य० (१०८।९-१०, १११।८); पद्य० (१४५।८)। कूर्म० (२।३५।४) में आया है—यंचयोजनविस्तीर्णं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। प्रयागं प्रथितं तीर्थं यस्य माहात्म्यमोरितम् ॥

२७. आ प्रयागं प्रतिष्ठानाद्यस्य वास्तुिकेन्द्रात्। कम्बलाश्वतरौ नागौ नागद्वयं बहुमूलकः। एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिपु लोकेषु विभ्रतम्। मत्स्य० (१०४।५); पद्य० (१।३९।६९-७०, ४।१४-५) में भी यही बात कही गयी है। वनपर्व (८५।७६-७७) में आया है—'प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरावुभौ। तीर्थं भोगवती चं च वेदिरेया प्रजापतेः ॥ तत्र वेदाश्च यनाश्च मूर्तिमन्तो मुषिष्ठिर।' अग्नि० (१११।५) में भी आया है—'प्रयागं ... प्रजापतेः' (यहाँ 'वेदी प्रोषता' पढ़ा गया है)।

२८. माय. तित्तासिते विप्र राजसूयः समो भवेत्। धनुर्विंशतिविस्तीर्णं तितनीलाम्बुसंगमे ॥ इति पाद्योक्तेः। त्रिस्थलीसेतु (पृ० ७५)। तित्तासित (श्वेत एवं नील) का अर्थ है 'वेणी'। 'धनु' का माप बराबर होता है चार हाथों या ९६ अगुल्लों के।

२९. तत्र त्रीण्यग्निखण्डानि येषां मध्येन जाह्नवी। वनपर्व (८५।७३); त्रीणि चाप्यग्निखण्डानि येषां मध्ये तु जाह्नवी। मत्स्य० (११०।४), अग्नि० (१११।१२) एवं पद्य० (१।३९।६७ एवं १।४९।४)। मत्स्य० (१०४।१३) एवं कूर्म० (१।३६।२८-२९) में 'पञ्च कुण्डानि' पढ़ा है।

वे गंगा एव यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँच है (अर्थात् यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिवाली भूमि है) और प्रयाग जपनों की उत्पत्त्य-भूमि है।<sup>१०</sup>

नरसिंह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य० (१११।४-१०) में आया है कि कल्प के अन्त में जब द्वाद विषय का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा शुक्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं। इसी लिए गणवों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एव बहो-बह ऋषियण प्रयाग के मण्डल को द्रुष्ट कर्मों से बचाते रहते हैं।<sup>११</sup> इसी से मत्स्य० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्मोग नहीं करना चाहिए, देवों एव पितरों की पूजा करनी चाहिए और वाञ्छित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि यहाँ दान करना चाहिए, और इससे वस्त्रों, आभूषणों एव रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और देखिए पद्म० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) में प्रयाग में कन्या के आर्ष दियाई की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० (१०५।१३-१४) में सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एव धन के अनुसार दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-वृद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड० में आश्वासन दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुशलेन, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, छेतुबन्ध, गंगाद्वार एव नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।<sup>१२</sup> वनपर्व (८५।८२=८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा की यज्ञ-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर घोड़ा भी दिया गया दान महान् होता है।

तीनों नदियों का संगम 'ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है)। पुराण-वचन ऐसा है कि ओम् के तीन भाग, अर्थात् अ, उ एव म् क्रम से सरस्वती, यमुना एव गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल क्रम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एव सर्कषण हरि के प्रतीक हैं।<sup>१३</sup>

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूर्म० (१।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१।११)

३०. गंगायमुनायोर्मध्यं पृथिव्या जयनं हृत्तम् । प्रयागं जयनस्थानमुपस्यमृषयो विदुः ॥ वनपर्व (८५।७५ पद्म० १।३९।६९ एवं १।४३।१९); अग्नि० (१।११।४); कूर्म० (१।३७।१२) एव मत्स्य० (१०६।१९) । भावना यह है कि तीर्थ-स्थल पृथिवी के अणुओं के समान है।

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छधना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपो तु भगवन्तस्तत्र तिष्ठति । महेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वरः ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । रक्षन्ति मण्डलं तित्य पापकर्मनिवारणात् ॥ मत्स्य० (१११।४-१०) । और देखिए कूर्म० (१।३६।२३-२६), पद्म० (आदिलखण्ड ४।१६-१०) ।

३२. कुशलेनै प्रयागे च गंगसागरसंगमे । गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्वारे च नैमिषे । यद्दानं दीयते शकत्या तद्दानस्थाय कल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थलीसंस्तु, पृ० २४) ।

३३. भोमित्येकासरं ब्रह्म परब्रह्माभिधायकम् । तत्रैव वेणी विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी ॥ अकारः शारदा प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र जायते । उकारो यमुना प्रोक्ता अनिरुद्धस्तज्जलामकः ॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र सर्कषणो हरिः । एवं त्रिवेणी विख्याता वेदबीज प्रकीर्तिता ॥ त्रिस्थलीसंस्तु (पृ० ८) द्वारा उद्धृत ।

आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं, किन्तु कल्पतठ (तीर्थ) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध है, केवल मत्स्य० (१०५।१-१३ एव १६-२०; १०५।१-२२; १०६।१-४८; १०७।२-२१; १०८।३-५, ८-१७ एवं २३-२४, १०९।१०-१२; ११०।११; १११।८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ श्लोक एवं वनपर्व अध्याय ८५।-७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है और कही भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य निबन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विराद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक बातों की चर्चा यहाँ करेंगे।

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का। गणावाक्यावली (पृ० २९८) एव तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५) का कथन है कि यद्यपि कल्पतठ के लेखक ने प्रयाग में वपन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टो एव निबन्धकारों ने इसे अनिर्वाय ठहराया है। अधिकारण लेखकों ने दो श्लोकों का हवाला दिया है—प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में पिण्डदान, कुशक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुशक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता।<sup>१</sup> इन श्लोकों के अर्थ, रात्रिसत्र न्याय (निर्णय) के प्रयोग एव वपन के फल के विषय में विराद विवेचन उपस्थित किया गया है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लियेंगे। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १७) के मत से श्लोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन श्लोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय के प्रयोग का सङ्घट्ट किया है। किन्तु तीर्थचि० (पृ० ३२) ने इस न्याय का प्रयोग किया है।<sup>२</sup> त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित कुछ नियमों में हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धार्मिक मुण्डन केवल एक बार होता है, विधवाओं को भी मुण्डन कराना होता है, सद्यवाएँ केवल अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी में छोड़ देती हैं और उपनयन सस्कार-विहीन किन्तु चील-कर्मयुक्त बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४)। त्रिस्थली-सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विश्वास करके कि व्यक्ति के केशों में पाप लगे रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बाल-मुच्छों का वपन केवल वर्तन मान होगा न कि मुण्डन; सद्यवाओं को भी प्रयाग में

३४. प्रयाग वपनं कुर्यात् गयामां पिण्डदानतम् । दानं दद्यात् कुशक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत् ॥ किं गयापिण्डदानेन कार्या वा मरणेन किम् । किं कुशक्षेत्रे वानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ गणावा० (पृ० २९८); तीर्थचि० (पृ० ३२); त्रिस्थली० (पृ० १७); तीर्थप्र० (पृ० ३३५)। ये दोनों श्लोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के हैं।

३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा जैमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पंचविदा ब्राह्मण (२३।२।४) में आया है—प्रतिष्ठितं य एता रात्रोत्पयस्ति यहाँ पंचविदा में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल की चर्चा नहीं की गयी है। प्रश्न उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ लिया जाय। क्योंकि जैमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या की है कि जहाँ किसी फल को स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस फल-सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए? या प्रतिष्ठा (सिंघर स्थिति) को, जो उपयुक्त अपवाद में आया है, रात्रिसत्र का फल माना जाय? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात् यद्यपि रात्रिसत्र के विषय में किसी स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अपवाद-वचन को फल-व्यवस्था का घातक समझना चाहिए। दोनों श्लोकों में 'प्रयाग वपनं कुर्यात्' के शब्दों में विधि है और दूसरा श्लोक अपवाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। यदि रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुशक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं। किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है।

मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने बेशी की बेणी बनाकर उसे कुण्ड एव अथ्य शुभ पदार्थों से सुशोभित कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति मांगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए फिर भिर पर सोने या चांदी की बेणी एव मोती तथा सीपी रखकर सबको गगान्यमुना के सगम (बेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना चाहिए— बेणी में इस बेणी को फँकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि की प्राप्ति हो। निश्चलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करती इसका एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान् लोको का आचरण या व्यवहार)। नारदीय० (उत्तर ६३।१०६) न स्त्रियो के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रामरिचत्तत्त्व (रघुनन्दनवृत्त) ने प्रयाग में स्त्रियो के त्रि एव पूर्ण मुण्डन की व्यवस्था दी है।

ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियो की बेणी को काटकर फँकना 'बेणी (दोनों नदियों के सगम) शब्द से निर्दिष्ट हो गया है, क्योंकि सगम-स्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)। प्राचीन एव मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि सगम या असायवट के तले आत्म-हत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय बचन यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आय० प० सू० (१।१०।२।८।१५-१७) ने हारीत का बचन उद्धृत करके कहा है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चित्त स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एव आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मनु (५।८९) एव याज्ञ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गृहित ठहराया है और आत्महत्यारे की अन्वेषिका का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या की व्यवस्था देते हैं (१।१।७३, ९०-९१ एव १०३-१०४)। किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एव पुराणों में आत्महत्या को अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई ऋषियों में रस करते हैं—(१) महापातको (ब्रह्महत्या, गुराणन, श्रावण के सोने की खोरी, गुह्रतल्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना, (२) असाध्य रोगों से पीडित होने एव अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मनु६।३१ एव याज्ञ० ३।५५), (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य रोग से पीडित है, प्रयात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराधं, पृ० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २।८-२।१९ के उद्धरण, मेघातिथि, मनु ५।८८, मिता०, याज्ञ० ३।६), (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त स० ३ के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे ससार के सुस्त-भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के अण-भंगुर स्वभावसे अवगत हो तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है, (५) धार्मिक आत्महत्या गंगा एव यमुना के सगम धर एव वही वट के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित है, (६) सह्यागमन या अनुकरण द्वारा पत्नी मर सकती है। स्त्री के विषय में नारदीय० (पूर्वार्ध, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चित्ता पर नहीं जल मरना चाहिए जिमका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय यह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (सगम या वट के पास) मर जाने में मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुत्रार्थों में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे महान् कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ण के लिए वेदान्त, साध्य एव न्याय के अनुसार परब्रह्म की अनुमति एव सम्यक् ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र सगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है। यथा-

कण्ठदेव, चन्देल घण्टेव एव चालुक्य सोमदेव ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मगध के राजा कुमारगुप्त ने गोवर के उपलो की अग्नि में प्रवेश किया था। मत्स्य० (१०७।९-१० = प० ५० आदि, ४४।२) में आया है— 'वह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्यम न होने पर भी और पाँचो इन्द्रियों को बच मे रखने पर भी कर्पाग्नि वा वरीपाग्नि (गोवर के उपलो की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तब रहता है जितने उसके शरीर में छिद्र होने हैं।' राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेवालों का निरीक्षण करते थे।<sup>११</sup>

उस महत्वपूर्ण श्लोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है— 'तुम्हें वेदवचन एव लोक्वचन के निषेध करने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना में दूर नहीं रहना चाहिए।'<sup>१२</sup> वेदवचन निम्न है (वाज० सं० ४०।३) जिसका शाब्दिक अर्थ है 'असुरों के लोक अन्ध हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं वे इन लोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्युत उसके लिए है जो सय आत्मा के अज्ञान में रहकर मानों अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु विद्वान् लेखकों एव कवियों ने भी इसे आत्महत्या-सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अक ४।३)। दूसरा वैदिक वचन शतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) का है— 'पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जितना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से) स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती।' लोकवचन का तात्पर्य है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गीतम (१।४।१२) ऋषिष्ठ० (२३।१४-१५), मनु (५।८८) एव विष्णुधर्मसूत्र (२२।५६)।

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एव महाभारत में स्वयं तथा पुराणों में कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को गृहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कूर्म० के दो श्लोक ये हैं— 'बहलक्ष्य, जो योगी मनुष्य या सन्यासी को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानवर या अनजान में गंगा में मरता है वह स्वर्ग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता।' कूर्म० (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा है, 'सहस्रो जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल सकता है।' पथ० (सृष्टि ६०।६५) में आया है— 'जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने पर स्वर्ग एव मोक्ष पाता है।' स्कन्द० (वागी० २२।७६) में आया है— 'जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता और वह वाञ्छित फल पाता है।' कूर्म० (१।३।१३-१२) ने चार प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्रो वर्षों तक स्वर्ग लोक का आरवामन एव उत्तम फलों की प्राप्ति की ओर सकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलो की घीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में डूब मरना, (३) गंगा की घाटा में सिर नीचे कर जल पीने हुए पर्वे रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस

३६. आइन-ए-अकबरी (गैलेशियन द्वारा अनूदित एव प्रकाशित, १८०० ई०) में पाँच प्रकार की धार्मिक पुण्य-वाधियों आत्महत्याओं का वर्णन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीबों में डँककर आग लगा कर मर जाना, (३) हिम में गडकर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब तक कि घाह (मगर) आकर निगल न जाय एव (५) गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर मर जाना।

३७. न वेदवचनासात न लोकवचनादपि। प्रतिशरकमणोवा से प्रयागमरण प्रति ॥ वनपर्व (८५।८३); नार-दीय० (उत्तर, ६३।२९); पथ० (आदि, ३९।७६); अग्नि० (११।१८); मत्स्य० (१०६।२२); कूर्म० (१।३।७।४); पथ० (३३।६४)।



को काट-काटकर पत्तियों को देना। ह्वेनसांग (६२९-६४५ ई०) ने इस धार्मिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीर्थ, सन् १११०-११२० ई०) ने महाप्रयाग का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५)। क्रमशः प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी। वनपर्व (८३।१४९, १४७) में पुषुदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहावा) में आत्महत्या की बात बलायी है। बहूपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुषुवोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का कथन है—'यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वारणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म० (आदि, १६। १४-१५) ने नर्मदा एव कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है।

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि-वर्षों में महाप्रस्थान, बूढ़ों द्वारा प्रयाग से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। मध्यकाल के कुछ पश्चाद्-मावी लेखकों ने आरमहत्या-सम्बन्धी अनुमति का खण्डन किया है। महामारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभाविक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बूझकर मरने की ओर। यही बात सिल मन्त्र ('सिवास्तित' आदि) के विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के श्लोक की दो-बे कल्पिषु व्याख्याएँ की हैं, यह बचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वे प्रयाग से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं, दूसरा विकल्प यह है कि यह श्लोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है।

गयावास्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाश (पृ० ३४६-३५५) ने एक लम्बा, विद्वत्पूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगत है, ऐसा है कि प्रयाग में ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिबर्ष है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते हैं। त्रिस्थलीशेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एव अन्य फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिबर्ष नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके माध्य पर छोड़कर किसी को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एव प्रकाण्ड विद्वान् थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में धार्मिक व्यक्तियों को जानते थे, अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-भावना एव सामान्य ज्ञान को जँचते हैं। नारायण भट्ट अपने समय से संक्यों अर्ध-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया है। अलदरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'धार्मिक आत्महत्या सभी की जाती है जब कि व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक दुर्बल या अपरिहार्य सारीरदोष से पीड़ित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हैं। विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एव क्षत्रियों को जलकर मर जाना मना है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि-

धमिक देते हैं) अपने को गया में फँका देते हैं।' त्रिपुलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चाहिए। उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से उसे सकल्य करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशोच लगना चाहिए (दस दिनों का नहीं) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए।

प्रयाग में धार्मिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शतान्दियों से यह दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे, तत्त्वज्ञान एवं तीर्थ पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयकर भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं अनुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त करने के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गया एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बड़कर बौन-सा अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती है और विंगल होकर आगे बढ़ती है और कोटि-कोटि लोगों को उर्वर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती है।

'जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते', ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों में इस कथन पर विवेचन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७१ एवं ७४)। मत्स्य० (१८२।२२-२५) में आया है—'मृत्यु के समय, जब कि शरीर के मर्म भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फँका जाता है, स्मृति अवश्य दुर्बल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले भक्तों के कान में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकर्णिका के पास मरने वाला व्यक्ति वाञ्छित फल पाता है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त उम फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है।' काशीसिंह में स्पष्ट उल्लिखित है कि इन नगरी (काशी आदि) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता। तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के कथनों के धार्मिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीसंगम में मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शतাব्दी में तक्षशिला से कलनास नामक व्यक्ति सिन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तन आकर वीसा नामक स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्लू० मैक किण्डल का 'इन्वेजन ऑफ इण्डिया बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट', नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६, ३०१ एवं ३८६-३९२)। स्ट्रैबो ने समनोचेगस नामक भूगोल के भारतीय

३८. स्कन्द० (काशीसिंह) में निम्न श्लोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) को बहुराते हैं; शिव काशी में मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूँकते हैं जो उसको आत्मा की रक्षा करता है। ब्रह्मज्ञानेन मुष्यन्ते नाग्यथा जन्तव इव शित् । ब्रह्मज्ञानमये श्रेत्रे प्रयागे वा तनुत्यज ॥ ब्रह्मज्ञान तदेवाह काशीसिंहचित्तभागिनाम् । विनामि तारक प्राप्ते मुष्यन्ते ते तु तत्संगाम् ॥ (३२।११५-११६); साक्षान्मोक्षो न चंतासु पुरीयु मियभाविनि । स्कन्द० (काशी० ८।३, यहाँ अगत्य मे सोषामुखा से कहा है) । मत्स्य० के श्लोक हैं; अन्तर्वाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु ममंमु । वायुना प्रेषंमाणानां स्मृतिर्नैषोपजायते ॥ अविमुक्ते ह्यन्तर्वाले भवतामामोदवर स्वप्नम् । कर्मभिः प्रेषंमाणानां कर्णज्वरं प्रयच्छति ॥ मणिकर्णाय श्वजन्देह गतिमिच्छां चजेत्परः । ईश्वरमेरितो याति बुध्यावामहृतात्मनि ॥ (१८२।२२-२५) ।

को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वंशित किया है, जो एंश के ऑगस्टस सीजर के यहाँ दूत होकर गया था ('इन्वेजन आव इण्डिया बाई अलेक्जेंडर', पृ० ३८९)। द्वेनसिंग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा की है (बील का 'बुद्धिस्ट रेकर्ड्स आव दि वेस्टर्न वर्ल्ड', जिल्द १, पृ० २३२-२३४)। जैनों ने जहाँ एक ओर अहिंसा पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सल्लेखना' नामक धार्मिक आत्महत्या को भी मान्यता दी है।<sup>११</sup>

काशीमूर्ति-मोक्षविचार (सुरेस्वरकृत, पृ० २-९), त्रिस्वलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ० ३१३-३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे। उनके तर्क संक्षेप में यों हैं—कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के साथ कार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं मत्पिण्ड में किये जाने वाले)। उपनिषदों एवं गीता ने उद्घोष किया है<sup>१२</sup> कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३)। इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वभाविक मृत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (तारने वाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य० (१८३।७७-७८) का कथन है—'जो अविमुक्त (वाराणसी) के विधानों के अनुसार अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दुर्भ्रतज्ञ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विषय में जन्म नहीं लेते। अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी वन में मरते हैं, मृत्यु के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुल्य बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता।'<sup>१३</sup> तारक मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेस्वर के मतानुसार तारक मन्त्र 'ओम्' है जो 'ब्रह्म' का प्रतीक है, जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।८, ओमिति ब्रह्म) में आया है, और गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म) ने भी कहा

३९. वेत्सिए इण्डियन ऐंष्टीबचरी, जिल्द २, पृ० ३२२ 'ब्रह्म इति कृत्स्न एत एत ध्वज बेलगोला,' जहाँ रत्नकरण्ड के कुछ श्लोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; 'उपसर्तं बुभिक्षे अरति वजायां च निष्पतीकारे। धर्माय तनुपि-मोक्षनमातुः सल्लेखनामार्गः ॥'

४०. यथा पुष्करपल्लवा आपो न शिलघ्नन्त एवमेव चिदि पाप कर्म न शिलघ्नन्त इति। छान्द० उप० (४।१।१३); भिद्यते हृदयघ्ननिदिघ्नन्ते सर्वसंशया। क्षीयन्ते धास्य कर्माणि तन्निम्नं दृष्टे परावरे ॥ मुण्डकोपनिषद् (२।२।८); यच्चैवास्ति सभिद्योग्निर्नस्मसात्कुपतेऽज्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुपते तथा ॥ मयवर्गीता (४।३७)।

४१. साक्षात्मोक्षो न चैतात् पुरीषु प्रियभाषिणि। स्कन्ध० (काशी०, ८।२, यहाँ मयस्य ने सोपायुवा से बात की है)। तारकः प्रथमः, तारकतीति तारः, स्वायं कर्मत्यय। संतारसारादुत्तारकं तारकं च तद् ब्रह्म इति तारकं ब्रह्म उच्यते। काशीमूर्तिमोक्षविचार (पृ० ३)।

है। त्रिस्वलीसेतु ने इसकी एव अन्य व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद् एव पद्य० मे मन्त्र यह है—“धीराम-रामरामेति” (त्रिस्वलीसेतु, पृ० २९१)।”

प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमे षट् (अक्षय षट्) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) मे आया है—“जो व्यक्ति षट् के मूल मे या सगम मे मरता है वह विष्णु के नगर मे पहुँचता है।” षट् के मूल मे मरने के विषय मे विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म० (१३७८-९, पद्य०, आदि, ४३।११, तीर्थचिन्तामणि) मे आया है—“जो षट्मूल मे मरता है वह सभी स्वर्ग लोको का अतिक्रमण करके रुद्रलोक मे जाता है।” प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं—

(१) कण्वस एव अश्वतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५।७७, मत्स्य० १०६।२७, पद्य०, आदि० ३९।६९, अग्नि० १११।५ एव कूर्म० १।३७।१९); (२) गंगा के पूरबी तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का सामुद्र-रूप है (मत्स्य० १०६।३०; कूर्म० १।३७।२२, पद्य०, आदि, ४३।३०)। वनपर्व (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा नाम है, (३) सन्ध्याषट् (मत्स्य० १०६।४३, कूर्म० १।३७।२८ एव अग्नि० १११।१३), (४) हंसप्रथन जो प्रतिष्ठान के उत्तर एव गंगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६।३२, कूर्म० १।३७।२४; अग्नि० १११।१०; पद्य०, आदि, ३९।८० एव ४३।३२), (५) कोटितीर्थ (मत्स्य० १०६।४४, कूर्म० १।३७।२९, अग्नि० १११।१४, पद्य०, आदि, ४३।४४), (६) भोगवती जो वायुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपर्व ८५।७७, मत्स्य० १०६।४६; अग्नि० १११।५, पद्य०, आदि, ३९।७९ एव ४३।४६, (७) वशाश्वमेधक (मत्स्य० १०६।४६ एव पद्य०, आदि, ३९।८०); (८) उर्वशीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्य० आदि, ४३।३४-४३, अग्नि० १११।१३, कूर्म० १।३७।२६-२७); (९) ऋणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा प्रयाग के दक्षिण (कूर्म० १।३८।१४, पद्य०, आदि, ४४।२०), (१०) भानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य० १०७।९, पद्य०, आदि, ४४।२ एव अग्नि० १११।१४); (११) अग्नितीर्थ, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० १०८।२७; कूर्म० १।३९।४, पद्य०, आदि, ४५।२७); (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्य०, आदि, ४५।२९) (१३) अजरक, जो धर्मराज के पश्चिम है (कूर्म० १।३९।५)।

पुराणो मे आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा मे ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता रहता है तो वह प्रयाग मे न पहुँचने पर भी महान् फल पाता है। मत्स्य० (१०५।८-१२) मे आया है कि जो व्यक्ति अपने देग मे या घर मे या तीर्थयात्रा के क्रम मे किसी वन मे प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ के वृक्ष सभी फल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरण्यमयी होती है और जहाँ ऋषि, मुनि एव सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों की सगति का आनन्द लेता है, जब वह कोटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बूद्वीप का राजा होता है।

अधिवास तीर्थो मे यानी को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थों का उल्लेख किया है। बल्यतद् (तीर्थ), गंगावाक्यावली, तीर्थचिन्तामणि एव अन्य निबन्धों ने इस विषय में देवीपुराण

४२. रामतापनीये तु धीराममन्त्र एव तारकाम्बार्थं उक्तः । मुमुक्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपवेश्यसि धम्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव ॥ पद्ये तु धीजाअपूर्वकरिन्द्रराजुतो रामाम्ब एव तारकतयोक्तः । मुमुक्षोर्दक्षि-कर्णन्तरार्थोद्वजिवांसिः । अहं विद्यामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम् । धीरामरामरामेति एतत्तारकमुच्यते ॥ त्रिस्वलीसेतु (पृ० २९१) ।

ये कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है—तीर्थों पर धाड़ करना चाहिए, किन्तु वहाँ अर्घ्य एवं आवाहन (क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीसण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है। यदि वहाँ धाड़ की विधि का मली भाँति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयास (पुत एवं दूध में बनी हुई गेहूँ की लपसी), खीर (चर, दूध में उबाला हुआ घावल), निल की खली या गुड़ का अर्पण किया जा सकता है।" इसे कुत्तों, कौओं, गूड़ों की दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह कमी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित धाड़ से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्वलीसेतुसारसंग्रह के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वणधाड़ करने एवं पिण्डदान करने के पश्चात् व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मन्त्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए—'यहाँ मैं अपने पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा हूँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्री एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी वृत्त्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लूले-लंगड़े रहे हैं, उनको जो अष्टावक्र थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड उन्हें बिना सम्पाप्त हुए प्राप्त हो।' (वायु० ११०।५१-५२)। इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, आश्रितों, गिणियों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवन में आया है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५)। यदि व्यक्ति रुग्ण हो और विवाह विधि का पालन न कर सके तो उसे सकल्प करना चाहिए कि वह धाड़ करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 'मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अन्न होकर प्राप्त हो।' (वायु० ११०।२३-२४)।

अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में सगम-स्नान की महत्ता गायी है।" सभी यणों के लोग, स्त्रियाँ, वर्गसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मीन होकर स्नान कर सकते हैं या 'नम.' शब्द का उच्चारण।

४३. अर्घ्यमावाहनं घेष द्विजांगुष्ठनिवेशनम्। तृप्तिप्रदानं च विकिरं तीर्थधाड़े विवर्जयेत् ॥ त्रिस्वलीसेतुसार-संग्रह (पृ० १८) द्वारा उद्धृत; देवाय च पितरो अस्माद् गंगाया सर्वदा स्थिताः। आवाहनं विसर्गं (विसर्गं च ?) तेषां तत्र ततो न हि ॥ काशीसण्ड (२८।९); तीर्थं धाड़ं प्रकुर्वीत पक्वाग्नेन विशेषतः। आमाग्नेन हिरण्येन कन्दमूलकलेरपि। सुमन्तु (त्रिस्वलीसेतुसारसंग्रह, पृ० २०)। तस्त्वुभिः पिण्डदानं तु संयावैः पायसेन तु। कर्तव्यमपिभिर्द्वैतं पिण्डाकैः गुडेन च ॥ धाड़ं तत्र तु कर्तव्यमर्घ्यावाहनवर्जितम्। इषध्यांशगृध्रकाकानां नैव वृद्धिहृतं च यत् ॥ धाड़ं तर्तपिचं प्रोक्तं पितृणां प्रीतिकारकम्।... काले वाप्यवयाकाले तीर्थं धाड़ं तथा नरैः। प्रायैरेव सदा कार्यं कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥ पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृनामतियत्नम् ॥ विलम्बो नैव कर्तव्यो न च विघ्नं समाचरेत् ॥ पृ० (५।२९।२१२-२१८, पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत)। इन्हीं श्लोकों को कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंगा-बाष्पावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ श्लोकों के लिए बेलिए स्कन्द० (काशीसण्ड, ६।५८-६०) एवं नारदीय० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो श्लोकों के लिए)।

४४. वदा तीर्थसहस्रानि षष्टिकोट्यस्तथापरः। समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ अनुशासन० (२५।

रण कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु पृ० ३९)। इसी प्रकार पक्ष०, कूर्म०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है।<sup>१०</sup> इन तीन दिनों के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं—वे तीनों दिन माघ की मकर-संक्रान्ति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैं, माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन, माघ के प्रथम तीन दिन, माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन, तथा माघ के कोई तीन दिन।

३६-३७), पष्टिस्तोत्रं तहूव्राणि पष्टिस्तीपशतानि च। माघमासे गमिष्यन्ति गणायमुनसगमे ॥ कूर्म० (१।३८।१); मत्स्य० (१०७।७) में भी लगभग ऐसा ही आया है।

४५ गवां कोटिप्रशानाष्टत् श्वहं स्नानस्य तत्कलम्। प्रयागे माघमासे तु एवमाट्टमं नीयिष्ये ॥ अग्नि० (१११।१०-११), गवां शतसहस्रस्य सन्ध्यादत्तस्य यत्कलम्। प्रयागे माघमासे तु श्वहं स्नानस्य तत्कलम् ॥ पक्ष० (आदि, ४४।८) एवं कूर्म० (१।३८।२)।

## अध्याय १३

### काशी

विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक आदर का पात्र हो। समगम तीन सहस्राब्दियों से यह पुनीतता महण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी। काशी में बढ़कर हिन्दू मात्र की धार्मिक भावनाओं को जगानेवाला कोई अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अद्वैत धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी महान् जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत सत्सार के बहुत बड़े धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रों श्लोक कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप में ही कुछ कह सकेंगे।

सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण<sup>१</sup> (१३।५।४।२१) में एक गायत्र उद्घृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत् लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित् के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्व को मगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४।३।१।२२) में धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य को काश्य कहा गया है। गोप्य (पूर्वभाग, २।९) में 'काशी-वीरला' का समास आया है। 'कैम्ब्रिज हिन्दी आठ इण्डिया' (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा सचेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर स्थित थी। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।१।१) एवं कौपीतिक उप० (४।१) में ऐसा आया है कि अहकारी बालाकि गार्ग्य काशी के राजा अजातशत्रु के पास हमलिये गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा। पाणिनि (४।२।१।१६) में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यश्चनिडौ)। पाणिनि (४।२।१।३) में 'काशीय' रूप भी आया है। यह शाब्दिक है कि ऋ० (१०।१७।१२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया है। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।८।१।१।६) ने तर्पण में काशीरवर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३।०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत ली थीं और ऋ० (४।३।०।२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावतः दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५।४) के वार्तिक (४) के महामाध्य में हमें 'काशि-कोसलोपा' का उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३)। महामाध्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के सभान सम्बन्ध-

१. सवेतव् गात्रयाभिगीतम् । शतानीकः सप्तन्तासु मेष्यं सात्राजितो हयम् । आरतस्यं काशीनां भरतः सत्त्व-  
तामिवेति ॥ शतपथब्राह्मण (१३।५।४।२१) ।

चौथाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल में समान ही ई० पू० दूसरी शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रथम के बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी) के समय तक चला आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१।१७९ स्त्रियामवन्तिकुन्तुकुरु-म्यश्व, मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन—), किन्तु अवन्ती या अवन्तिवा उज्जयिनी का भी नाम था ('अयोध्या मपुरा अवन्तिका')। फाहियान (३९९-४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महामाघ के निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपर्व (अध्याय ३०) में दिवोदास के पितामह हर्म्यश्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना के दुआबे में द्यौतहव्या द्वारा तग किये गये एवं मारे गये थे। हर्म्यश्व का पुत्र मुदेव था जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर ममी वर्णों से सकुल वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विश्वास था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी।

हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी है। 'इसमें ऐल के एक पुत्र आसु के वंश का वर्णन किया है। आसु के एक वंशज का नाम था शुनहात्र जिसके ब्राह्मण, शल एवं मूलसमद नामक तीन पुत्र थे। काश से 'काशि' नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काश का एक वंशज घन्वन्तरि काशि लोगों का राजा हुआ (श्लोक २२)। दिवोदास घन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने मद्रथेष्प के, जो सर्वप्रथम वाराणसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुञ्ज को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी का नाम करने के लिए भेजा। निकुञ्ज ने उसे एक सहस्र वर्षों तक नष्ट-भ्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गयी तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुनः स्थापना (श्लोक ६८) मद्रथेष्प के पुत्र दुर्दम द्वारा, जिसे (क्योकि वह अमी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई। इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतदन ने उसे दुर्दम से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलकं ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। इस गाथा में सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात् वाराणसी का कई बार नाम हुआ और इस पर कई कुला का राज्य स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म० (अध्याय ११) में भी घन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलकं तथा वाराणसी के विषयों का उल्लेख मिलता है।

महामाघ्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है, और पाणिनि (४।३।८४) के माघ्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि ध्यापारी गण वाराणसी को 'जित्वरी' कहते थे। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-नाल (कम-से-कम पाँचवी ई० पू० शताब्दी) में चम्पा, राजगृह, थावस्ती, सावेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिम्बानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, संस्कृत बुद्ध भाषा दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान् एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात् सारनाथ में बाकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इससे प्रकट होता

२. काशिम्यपि नृपो राजन् दिवोदासपितामहः। हर्म्यश्व इति विख्यातो बभूव अक्षतां ४८॥ अनुशासनपर्व (१०।१०)।



है कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्कृति की लीलाओं का कन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रली जा सकती, किन्तु इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशिय एव कुश थे। किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक् कहा गया है, अतः इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी वाराणसी एव काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में ऐसा आया है कि अर्हत पार्श्वनाथ का जन्म चैत्र के कृष्णपक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की मृत्यु हुई तो काशिय एव कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एव मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी के दिन प्रकाश किया था (सिक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एव २६६)। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित (१५।१०१) में वाराणसी एव काशी को एक-सा कहा है—“जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश से नगर को दीदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।” बुद्धचरित में आगे कहा है कि बुद्ध वनारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पृ० १६९)। सम्भवतः वनारा वरणा ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एव काशी समानार्थक थी। वायु० (४५।११०) में काशिय-कोसल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है।

विष्णुपुराण में षोडशक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एव अन्य चिह्नों को समर्पित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। षोडशक एव काशिराज की सम्मिलित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने षोडशक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और धरु को प्रसन्न करके उनसे कृत्या प्राप्त की जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी सौत्र में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नीकरो एव निवासियों के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एव अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय हैं (श्लोक १४, २१, २५, ३० एव ३९)। ये ही श्लोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा सद्येपि मे समापर्व (१४।१८-२० एव ३४।११) में भी वर्णित है।

उपर्युक्त गाथाओं से, जो महाभारत एव पुराणों में काशी एव महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा—महादेव अनायों के देवता थे, आर्यों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी अनायों का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यधर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्-काल की दार्शनिक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे। इन निष्कर्षों में अधिकांश सशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए

३ शतकेक धार्तराष्ट्रा ह्यशोतितर्जनमेजया । शत वै ब्रह्मवसनां वीराणां कुरवः शतम् । ततः शत व पञ्चदश शत काशिकुशादयः ॥ मत्स्य० (२७३।७२-७३) ।

४ वाराणसी प्रविशयथ भासा सन्नासपञ्जनः । धरुः काशीवेशीयान् कौतुकाकान्तचेतसः ॥ बुद्धचरित (१५।१०१) ।

५ वेसिण्ण एव० डा० अनन्त सराशिव अल्लेकर कृत 'हिन्दूरी आव बनारस' (पृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशी माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर यह शंभु क्षेत्र हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है? डा० अल्लेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने

पुष्ट आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमे मिलते हैं वे तीसरे या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधिकांश भारतीय शान्तिमय एव अनाकर्षक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वंसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एव भयावुल स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में बाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपर्युक्त भूख को मिटाती-सी रही हैं। पुराणों की कतिपय गाथाएँ सामान्य जनो के मनोरजन के लिए हैं। यही बात आज के पश्चिमी देशों की कोटि-कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एव अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती है। पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे धार्मिक या दार्शनिक सिद्धान्तों या नैतिक मूल्यों या जीवन-माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एव प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ ही गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी कितने व्यक्ति-विरोध, जाति-वर्ण, बुल के पक्ष में या विपक्ष में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहस्रो वर्षों की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एव निष्कर्ष हैं उनसे ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एव ऋषियों के पारस्परिक झगडों एव ईर्ष्यावुल सम्बन्धों की ओर बहुधा संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एव वृष्ण के पारस्परिक युद्ध का वर्णन है। क्या वृष्ण प्रारम्भिक रूप में अनाय देवता थे? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एव परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कहे गये हैं। ऋषि भृगु ने विष्णु को, गीतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शाय दिया है (ब्रह्माण्ड०, २।२७।२१-२५)।

कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विशद प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल ५११ श्लोक), कूर्म० (१।३१-३५, कुल २२६ श्लोक), लिङ्ग० (पूर्वार्ध, अध्याय ९२, कुल १९० श्लोक), पद्म० (आदि, ३३-३७, कुल १७० श्लोक), अग्नि० (१।१२), स्कन्द० (वासी०, अध्याय ६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४८-५१)। केवल काशीखण्ड में वासी एव इसके उपतीर्थों के विषय में लगभग १५००० श्लोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि ऋषियों ने भृगु से पाँच प्रश्न पूछे थे, यथा—वासी की महत्ता क्या है? इसे कैसे समझा जाय? कौन लोग यहाँ जाय? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है? तथा इस (वासी) को कैसे प्राप्त किया जाय? स्कन्द० (वासीखण्ड, अध्याय २६।२-५) में भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा है, कब से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा? यह मोक्ष का साधन कैसे बना? किस प्रकार मणिकर्णिका का कुण्ड तीनों लोकों का पूज्य बना? जब गया यहाँ नहीं थी तो यहाँ पहुँचे क्या थे? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा? यह नगर वासी एव उदात्त क्यों कहलाया? यह आनन्दकानन कैसे हुआ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एव महादमशात क्यों हुआ?।

पातान्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, वासी, अविमुक्त, आनन्दवानन, दमशात

बनारस में आपों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही पड़ता है।

१. कि महात्म्यं कथं वेद्यं सेव्या कंदर्प द्विजोत्तम। परिमाणं च तस्या किं केनोपायेन लभ्यते ॥ पद्म० (पातालखण्ड, त्रिपथलोकेतु, पृ० ७२); अविमुक्तमिदं क्षेत्रं कदारम्य भूयस्तले। परं प्रयतिमायधं मोक्षदं धामवरधम ॥ कथमेवा त्रिलोकीदया पीयते मणिकर्णिका। तत्रासीत्किं पुरः स्वामिन् यथा नाथरनिष्णया ॥ वाराणसीति काशीति छात्रायास इति प्रभो। अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दवाननं रम्यमविमुक्तमनन्तरम्। महादमशातमिति च कथं स्थानं शिशिष्यत्र ॥ स्कन्द० (वासी० २६।२-५)।

या महाप्रमदान। काशीखण्ड (२६।३५) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश' (अर्थात् चमकना) से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फँकती है या इसलिए कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात् देव शिव भासमान है (काशी०, २६।६७)। बाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह बरणा एवं अस्ति नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२, स्कन्द०, काशी० ३०।६९-७०, अग्नि० ११२।६, वामन०, दलोक ३८)। पुराणों में बहुधा बाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जादालोपनिषद् में गुरुार्थ के रूप में 'अविमुक्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये हैं—“अग्नि ने यागवल्क्य से पूछा—कोई अनभिष्यक्त आत्मा को कैसे जाने? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित है। तब एक प्रश्न पूछा गया—अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त बरणा एवं नासी के मध्य में अवस्थित है। 'वरणा' नाम इसलिए पडा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'नासी' इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया, इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह मौहों एवं नासिका का समोह है, अर्थात् अविमुक्त को उपासना का स्थान मौहो (भ्रू-मुग्ग) एवं नासिका की जड़ के बीच है।” इससे प्रकट होता है कि 'वरणा' एवं 'नासी' नाम है (न कि 'वरणा' एवं 'अस्ति')। वामनपुराण में 'असी' शब्द का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में भी है। अविमुक्त को निर्वेधात्मक 'न' (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ 'न' ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत-से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पडा कि शिव (कमो-कमो शिव एवं शिवा) ने इसे कमो नहीं त्यक्त किया या छोडा।” लिग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है, 'अवि' का अर्थ है 'पाप', अतः यह पाप से मुक्त अर्थात् रहित है। काशीखण्ड (३९।७५) का कथन है कि आरम्भ में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन या और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्योंकि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे पूर्णतया छोडा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिग छोड़ गये।

शिव की बाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है। कुछ कारणों से यह इमशान या महाइमशान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को ससार से मुक्ति देती है और सभी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकाशाएँ काशी की पवित्र मिट्टी में ही मरने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग

७. मुने प्रलयकालेषि न तस्योत्रं कदाचन। विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदाविमुक्तं ततो विदुः ॥ स्कन्द० (काशी० २६।२७; त्रिस्थली०, पृ० ८९); लिगपुराण (पूर्वाभि, ९२।४५-४६) में आया है—विमुक्तं न मया यत्साम्नीष्यते वा कदाचन। मम क्षेत्रमिदं तस्मादाविमुक्तमिति स्मृतम् ॥ और बेलिए यही श्लोक मारदीय० (उत्तर, ४८।२४) में; मत्स्य० (१८०।५४ एवं १८१।१५); अग्नि० (११२।२) एवं लिग० (१।९२।१०५)।

८. अविशब्देन पापस्तु बेरोक्तः कथ्यते द्विजैः। तेन मुक्तं मया कुण्डमविमुक्तमनोष्यते ॥ लिग० (पूर्वाभि, ९२।१४३)।

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वतुम्हिरि। तथा प्रियतरं भंतम् मे सदानन्दकाननम् ॥ काशी० (३२।१११); अविमुक्तं परं क्षेत्रं जन्तुनां मुक्तिवं सरा। सेवेत सततं श्रीमान् विज्ञेयामरकान्तिके ॥ लिग० (१।९१।७६)।

यहाँ उठा लाते हैं जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हो और वही जलाये जायें। गंगा के तट पर मणिकर्णिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। श्मशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो बर्षों से श्मशान घाट होने पर भी यः गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि 'इम' का अर्थ है 'शव' और शान का सोना (शयन) या पृथिवी पर पड़ जाना, जब प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान् तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं अतः यह स्थान महाश्मशान बहलाता है। पद्य० (१।३३।१४) में आया है कि शिव कहते हैं—'अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नामक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर विश्व का नाश करता हूँ।' मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को श्मशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में आया है—'यदि कोई महाश्मशान में पहुँचकर यहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः श्मशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात् उसे पुनः जन्म नहीं ले पड़ता)

यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनों द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्य० (पाताल त्रिस्थली०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पृ० १७५ द्वारा उद्धृत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरणा एवं असि, पूर्व में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि विनायक से वाराणसी सीमित है। आइन-अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असि के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० (१८।५०-५२) में आया है— वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है, इससे आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है। प्रथम अंग का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्य० के मत से उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिंग को देहली-गणेश से मिलती है। मत्स्य० (१८।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११।२।६) में भी है। किन्तु यह सब लगभग विसालता का चोटक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूपों वाली है। राइस डविड्स ने अपने ग्रन्थ 'न्यूमिर्मेटा ओरिण्टलिया (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्यों की व्याख्या एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वेश्वर से चारों दिशाओं में २०० धनुषा (अर्थात् ८०० हाथ या लगभग १२०० फुट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतभेद नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्तवृत्त या कहा गया है—पश्चिम में गोकर्णेश्वर, पूर्व में गंगा की मध्यधारा, उत्तर में भारभूत एवं दक्षिण में ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित है। लिंग० (पूर्वांग, ९२।९९-१००, तीर्थचिं०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थली०, पृ० १०३) में आया है, कि यह क्षेत्र चारों दिशाओं में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी है—(यह क्षेत्र) पूर्व एवं पश्चिम में ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौड़ा है, देवता गन्धु ने वरणा एवं एक सूती धारा असि के मध्य में इसका विस्तार बतलाया है। पद्य० (सृष्टि, १४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने यज्ञ से या कहा है—मैंने तुम्हें पंच त्रयोको में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा, गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक

१० दक्षिणोत्तरपोर्नेचो वरणासिश्च पूर्वतः । आहूयो पश्चिमे चापि पाशपाणिर्गोमेश्वरः ॥ पद्य० (पातालखण्ड, त्रिस्थली०, पृ० १०० एवं तीर्थप्रकाश, पृ० १७२) ।

उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब प्रन्वो मे अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पो या यणो के द्योतक है)। यह स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में अस्ति, पश्चिम में देहली-विनायक एव उत्तर मे वरणा है। सातवीं शताब्दी मे ह्वेनसांग ने लिखा है कि बनारस लम्बाई मे १८ ली (लगभग ३ 1/2 मील) एव चौड़ाई में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एव अस्ति के मध्य में था।

वाराणसी की महत्ता एव विलक्षणता के विषय मे सहस्रो श्लोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट श्लोको की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८५।७९-८०) मे आया है—अविमुक्त मे आनेवाला एव रहनेवाला (तीर्थसेवी) व्यक्ति विश्वेश्वर का दर्शन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष पा जाता है। मत्स्य० (१८०।७७) ने कहा है—वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर मे मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है क्योंकि इसकी रसा का मार मेरे ऊपर है, यह तीर्थराज प्रयाग से भी महान् है। ज्यो ही व्यक्ति अविमुक्त मे प्रवेश करता है, सहस्रो अतीत जन्मो मे किय गये एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वणिकर, कुमि (कोडे-अकोडे), श्लेच्छ, अन्य पापयोनियो से उत्पन्न लोग, क्रीटन्तय, चीटियाँ, पत्नी एव पशु जब काल के मुख मे पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शूम नगर मे सुख पाते हैं, वे सभी अपने सिरो पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाह्य रूप मे वृष (बैल) पा लेते हैं। मत्स्य० (१८०।७१ एव ७४) मे पुन आया है— विपयासक्त चित्त लोग, धर्म-मर्कित को त्यक्त कर देनेवाले लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुन जन्म नहीं लेते, सहस्रो जन्मो के योग-साधन के उपरान्त योग प्राप्ति होती है, किन्तु काशी मे मृत्यु होने से इसी जीवन मे परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एव अर्थात्मिक व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त मे प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११, पद्य० १।३३।३८)। भोगपरायण एव कामधारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६)। इस विश्व मे बिना योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एव मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य० १८५।१५।१६)। समय से ग्रह एव नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त मे मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता (मत्स्य० १८५-६१=काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषो या म्त्रियो द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान मे किये जायें, किन्तु जब वे अविमुक्त मे प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८। ३३-३४, काशी० ८५।१५)। काशी मे रहने वाला श्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित (यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता।

कुछ पुराणो मे वाराणसी एव नदियो का रहस्यमय रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखण्ड मे आया है कि अस्ति इवा नाडी है वरणा पिगला है, अविमुक्त सुपुम्ना है और वाराणसी तीना है (५।२५)। लिंग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१, त्रिस्थली०, पृ० ७८ ७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। इसमे आया है कि अस्ति (शुक्ल नदी), वरणा एव अस्त्योदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इवा एव सुपुम्ना हैं।<sup>१</sup>

११. स होवावेति जावालिराहणेऽसिरिडा मता । वरणा पिगला नाडी तवन्तस्त्वविमुक्तकम् ॥ सा सुपुम्ना परा नाडी त्रय वाराणसी त्वती ॥ स्कन्द० (काशी० ५।२५; मिलरइए नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३; ) पिगला नाम था नाडी आग्नेयी सा प्रकीर्तिता । शुक्ल सरिच्च सा श्रेया लोलाकीं यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी च या नाडी सा सोम्या

अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिंग (शिव का प्रतीक) न हो।<sup>११</sup> केवल अध्याय १० में ही काशीसंख्य में ६४ लिंगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विभिन्न रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। जैनसांग का कथन है कि उसके काल में बनारस में एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की ताम्र प्रतिमा १०० फुट से कम ऊँची नहीं थी। अमाग्यवशात् सन् ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं ने विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़ फोड़ दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एव मकबरे खड़े कर दिये गये। मन्दिरों की सामग्रियाँ मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन् ११९४ ई० में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एव डाउसन की 'हिस्ट्री आब इण्डिया', जिल्द २, पृ० २२२)। अलाउद्दीन खिलजी ने गव के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सन्ध्र मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट करा दिया (शेरिंग, पृ० ३१ एव हैवेल, पृ० ७६)। राजा टोडरमल की सहायता से सन् १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर को पुनः बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगोरी वा निम्न अश (इलिएट एव डाउसन, 'हिस्ट्री आब इण्डिया', जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है— धर्म के रक्षक शाहशाह के कानों में यह पहुँचा कि घट्ट, मुन्तान एव बनारस के प्रान्तों में, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मूल्य ब्राह्मण लोग अपनी पाठशालाओं में सुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में सलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर-दूर से हिन्दू एव मुसलमान यहाँ जाते हैं। धर्म के सचालक ने फलतः सभी सूत्रों के सूत्रवेदारा को यह फरमान (आदेश) भेजा कि काफ़ियों के सारे मन्दिर एव पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायँ, उन्हें आज्ञा दी गयी कि मूर्ति पूजा के आचरण एव शिक्षा को वे बड़ी बठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-ल-अख़िर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना धार्मिक शाहशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थ राजकर्मचारियों ने बनारस के विश्वनाथ मन्दिर को तोड़ दिया है।<sup>१२</sup>

विश्वेश्वर मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शेरिंग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के काल (सन १६५८-१७०७) के बीच मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। बाद में मराठों मरदागा न बहुत-ते मन्दिर बनवाय और अंग्रेजों शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी बने। प्रिंसेप ने सन् १८२८ में गणना करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एव ३३३ मसजिदें हैं। आगे की गणना से पता चला कि कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एव २७२ मसजिदें हैं (शेरिंग, पृ० ४१-४२)। हैवेल (पृ० ७६) का कथन है कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएँ असंख्य हैं।

विश्वेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एव परम पवित्र है। ऐसी व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गया में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ मन्दिर में जाना चाहिए (दक्षिण त्रिस्थलीमनु, पृ० २१४)। विश्वनाथ मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एव सौ वर्षों से

संप्रकीर्तिता । वरणा नाम सा शोया के शवो यत्र सस्थितः ॥ आभ्यां मध्ये तु या नाडी सुषुम्ना सा प्रकीर्तिता ॥ मत्स्योदरी च सा शोया त्रिबुवं सत्प्रकीर्तिताम् ॥ लिंग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१, त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ।

१२ तीर्थानि सन्ति भूम्यांश्चि कार्यामत्र पदे पदे । न पञ्चनक्षत्रोर्वयः कोट्यपनेन समापयि ॥ स्कन्द० (कानी०, ५९।१।८) ; तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिसिद्धं विना क्वचित् । काशी० (१०।१०३) ।

ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्भवतः लिंग समय स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यानी लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं कर सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ-मन्दिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकर्णिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लोगों के वियोग में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लोगों को सभी लोग नहीं छू सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापों भी छू सकता है उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा सकता है। किन्तु नारायण मठ के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ० २९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी०, १०११९३) ने विश्वेश्वर एवं अविमुक्तेश्वर को पुष्क-पुष्क लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यानी-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पञ्चतीर्थों) की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं, दशाश्वमेध, लोलाकं, केशव, विन्दुमाधव एवं मणिकर्णिका। आधुनिक काल के प्रमुख पञ्चतीर्थ हैं असि एवं गंगा का सगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका, पञ्चगंगा घाट तथा यरणा एवं गंगा का सगम। यह काशीखण्ड (१०६११० एवं ११४) पर आधारित है। लोलाकं तीर्थ असि (धारापत्नी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के सगम पर अवस्थित माना जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाकं नाम की व्याख्या की है कि 'काशी को देखने पर सूर्य का मन लोल (चंचल) हो गया।' वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फुट चौड़ी घाटा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात् हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाश्वमेध घाट घाताब्दिषो से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है, भारतीय लोग सम्राट् थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अश्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', सन् १५० ई० से ३५० ई० तक, पृ० ५)। प्रातःकाल दशाश्वमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९)। काशीखण्ड का कथन है कि दश तीर्थ का प्रारम्भिक नाम था इन्द्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेध किये तो यह दशाश्वमेध हो गया (५२।६६-६८)। मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिद्वार भी कहा जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली०, पृ० १४५-१४६) — विष्णु ने अपने पक्ष से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों

१३ काशी में कई सूर्य-तीर्थ हैं, जिनमें लोलाकं भी एक है (काशीखण्ड, १०।८३), अन्य १२ अर्क हैं उत्तरार्क, क्षाम्बादित्य आदि (४६।४५-४६)।

१४. तीर्थानां पञ्चक सारं विश्वेशानन्दकानने। दशाश्वमेध लोलाकं केशवो विन्दुमाधवः ॥ पञ्चमी तु महाभेडा प्रोच्यते मणिकर्णिका। एभिस्तु तीर्थैर्वैश्व धर्ष्यते ह्यविमुक्तकम् ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९)।

तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणिमो (रत्नो) से जडा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पडा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पडा। काशी-खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाया गया है, शिव, जो काशापूर्ति करने वाली मणि के समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फुट) यह विस्तृत है (१९।५४)। आजकल मणिकर्णिका का जल गदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिछला हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यानी पुष्प फँकते हैं और पंसे डालते हैं जिन्हें खोजने के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढग बदलना चाहिए। पुष्प एवं पंसे किनारे पर रखे जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकर्णिका के पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पडा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र कहते हैं (काशीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६)। पचगगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, घृतपाशा, गगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति पचगगा में स्नान करता है तो पचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता। उक्त पाँच नदियों का यह सगम विभिन्न नामों वाला है, यथा—परमंन्द, पूगपातक विन्दुतीर्थ एवं पचनद जो क्रम से कृत (सत्य), व्रता, द्वापर एवं कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पचगगा के सगम के विषय में चित्र-विचित्र किंवदन्तियाँ की हुई हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६)। वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट वरणा एवं गगा के सगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र वर्षों से रहे हैं। कनोज के गहड़वार राजा लोग (जिनके समय के क्रम-से-क्रम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन् १०९७ से ११८७ ई० तक लक्षित प्राप्त हुए हैं) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदि-केनाब घाट पर कतिपय दानपत्र दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराजी पृथ्वीश्रीका ने मूर्धग्रहण के समय स्नान किया था और भदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐन्थ्रोपॉलॉजी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ सन् ११८८, अर्थात् सन् ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका वर्णन है कि चन्द्रादिरयदेव ने आदिकेनाब घाट पर गगा-वरणा के सगम घाट पर स्नान करके सन् ११५६ की अश्व-तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिए। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिए। उदाहरणार्थ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८।१४१)। काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र नदियों पर पत्थर के घट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान पुण्यतटिन्यादेवंपर्यात गिलादिभिः। तीर्थापमुखासिद्धपर्यं ये नरास्तेत्र भोगिनः॥)।

पञ्चकोशी की यात्रा अत्यन्त पुष्पकर्मों में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थों प्रकरण में लक्ष्मीधर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चकोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीर्थ हैं। सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोशों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर टेढ़ा-मेढ़ा अर्धवृत्त बनाता है और इसी से इसे पञ्चकोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।४४) में 'पञ्चकोशी' नाम आया है। सरोप में यह यात्रा यों है—यात्री मणिकर्णिका से प्रस्थान करता है, गगा के तट से होता हुआ अग्नि एवं गगा के सगम पर पहुँचता है और मणिकर्णिका से लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर बाल्मिक नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा धपचण्डी नामक घाट (लगभग ८ या १० मील) तक होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यानी १४ मील चलकर रामेश्वर नाम में पहुँचता है।



चौथे दिन यानी ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलधारा पहुँचता है और वहाँ पितरो का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलधारा से वरणासगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिर्कणिका पहुँचता है। कपिलधारा से मणिर्कणिका जाते समय यानी थब (जौ) छीटता जाता है। तब यानी स्नान करता है, पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी विनायक पञ्चशती-यात्रा के साक्षी होते हैं।

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी-खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४८-१५०) में इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरालय को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वेश्वर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिगूल से एक कुण्ड खोदवाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरालय को स्नान कराया। तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा, क्योंकि 'शिव' ज्ञान है (श्लोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोदय या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्त्वपूर्ण तीर्थ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७ ६५) में दुर्गातीर्थ है जिसे अष्ट-पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ का मन्दिर है। भैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की छाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है (काशी०, अध्याय ३०)। गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी० (५७।५९ ११५, ५८-यथासाधु गजमुखादेताय सस्मरिष्यति) के आधार पर ५९ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख किया है। काशी० (५७।३३) में 'बुद्धि' नाम गणेश का है और इसे 'बुद्धि' अर्थात् अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है (अन्वेषणे दुर्धरय प्रथितोस्ति धातुः)।

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ९८-१००) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह है कि काशी प्रवेश से सभी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण मठ ने कई मतों की खर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे।

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम बताये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उमने कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७ ४५) एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में मिथा नहीं मिली तो वे भूल से कुपित हो उठे और काशी को धाप देने को उद्यत हो गए। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप धरकर सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आत्मा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उहे अष्टमी एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२ ८० एवं ११९ १८०) ने काशी निवास के आचरण के विषय में विस्तार से लिखा है।

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली०, पृ० १२९)। जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके भरण पोषण की प्रशंसा गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३३)।

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन् ११२० ई० में सम्राट गोविन्द

चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं कारीखण्ड (३३।११६) में गाथा आयी है।

यह ज्ञातव्य है कि लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।६७-१००), पद्य० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूर्म० (१।३२। १-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थ) एवं कारी० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) में कारी के बहुत-से लिंगो एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। कारी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महालिंग के नाम से प्रसिद्ध थे—ओकार, त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्नेश्वर, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णिक, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। कारी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिंगों की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्भ की जानी चाहिए। कारी० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लिंगों के नाम आये हैं जो विभिन्न हैं। कारी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिंग० (१।९२।६७-१०७) ने लिंगों के रूप में परिगणित किया है। कारी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने कारी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। इसके अध्याय ९४ (श्लोक ३६) में ३६ मौलिक लिंगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेश्वरादि एवं १४ शैलेशादि) की ओर संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं।

ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि कारी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकर्णिका में स्नान करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए।

जब कोई कारी के बाहर पाप करके कारी जाता है और यहाँ मर जाता है या कोई कारीवासी कारी में पाप करता है और यही या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने कारीखण्ड (७५।२२), पद्य० एवं ब्रह्मवैवर्त से उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो कारी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः कारी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो कारी में रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे कारी में मरें या अन्यत्र। जो कारी में पाप कर यही मर जाते हैं वे कालमंत्र द्वारा दण्डित होते हैं। जो कारी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के पणों द्वारा पीडित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालमंत्र द्वारा पीडित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तब कारी में मरते हैं और अन्त में ससार से मुक्ति पाते हैं।

यह ज्ञातव्य है कि कारीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से कारी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धर्मसेन नामक स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौम्य (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर सरेत है जो कारी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी लोग ८ मासों तक इधर-उधर घूमते हैं और वर्षों के चार या दो मास एक स्थान पर ब्यतीत कर सकते हैं, किन्तु जब वे कारी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें कारी का सर्वथा स्पर्श नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४, कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४)।

कारियों के नाम से साय विद्या की महान् परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं वन्मौर अलबकनी के बाल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। कारीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है (विद्याना मदन कारी)। बनारस में ज्ञानसपन्न कुलों की जानकारी के लिए देखिए डॉ० अल्तेवर की हिस्ट्री ऑफ बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐन्थ्रोपॉलॉजी (जिल्द ४१, पृ० ७-१३ एवं २४५-२५३)।

## अध्याय १४

### गया

आधुनिक काल में भी सभी पारमिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुर्दिक के पवित्र स्थलों इसमें किये जानेवाले ध्याद-कर्मों तथा गयावालों के विषय में संकड़ी पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सौ वर्षों के भीतर बहुत-सी बातें लिखी गयी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए—डा० राजेन्द्रलाल मित्र का ग्रन्थ 'बुद्ध गया' (१८७८ ई०), जनरल कनिंघम का 'महाबोध' (१८९२), ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-ध्याद एवं गयावाल नामक अध्याय, पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ ई०), इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन् १०३३ ई० का तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो विष्णुपद के पास 'दक्षिण मानस' कुण्ड के मृगमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है), इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (जिल्द १६, पृ० ६३), जहाँ विश्वादिप्य के पुत्र यशपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन् १०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है, डा० वेणीमाधव बहजा का दो भागों में 'गया एवं बुद्धगया' ग्रन्थ, जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११)। मध्य काल के निबन्धों के लिए देखिए कस्तुर (तीर्थ, पृ० १६३-१७४), तीर्थ चिन्तामणि (पृ० २६८-३२८), निस्पली-सेतु (पृ० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीर्थेन्दुसोत्र (पृ० ५४-५९) तथा निस्पलीसेतु-सार सप्तह (पृ० ३६-३८)।

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया-माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके मत से गयावाल यैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एम्० बी०, १९०३)।<sup>१</sup> किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आर्य, भोजपूजा एवं अज्ञानी हैं और उ-की जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के

१ मध्वाचार्य के जन्म-मरण की तिथियों के विषय में मतभेद नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि-मठ' ने क्रम से शक संवत् १०४० (सन् १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई०) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों द्वारा मध्य के ग्रन्थ महाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतवर्ष ४३०० है। जन्मसाल विद्वानों द्वारा दी गयी है (जिल्द ३, १९३४ ई०) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन् १२३८-१२४७ ई० है।

१४८४ बुल वे, वृचनन हैमिल्टन के बाल मे वे लगभग १००० थे, सन् १८९३ मे उनकी सख्या १२८ रह गयी, १९०१ की जनगणना मे घुट गयावालो की सख्या १६८ और स्त्रिया की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य बाल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णव आचार्य मध्य होंगे न कि शंकर। डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम सभी तकों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तर्कों पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपर्व में पाये जानेवाले वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृत्तान्त से करके निम्न निष्कर्ष निकालते हैं—'महामारत में वर्णित गया प्रमुखतः धर्मराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शैली का तीर्थस्थल है और विष्णु एवं वैष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते। ब्रह्मपूज, शिवलिंग एवं वृषभ के अतिरिक्त यहाँ किसी अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर सचेत नहीं मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हमें महामारत एवं अन्य संहृत ग्रन्थों का अवगाहन करने गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दूसरी बात जो डा० बरुआ ने मत की असंगति प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कोलहानं द्वारा सम्पादित अमिलेख के १२वें श्लोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अमिलेख वर्णित है)।

अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य सन्तों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में आये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० (१०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्तों के रचयिता ये प्लति के पुत्र गय। ऋ० (१०।६३।१७ एवं १०।६४।१७) में आया है 'अस्तावि जने दिव्यो गयन' (दँबी पुरोहित गय द्वारा प्रपासित हुए)। स्पष्ट है, ये ऋग्वेद के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में 'गय' शब्द अ य अर्थों में भी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथर्ववेद (१।१४।४) में अस्ति एवं बन्धन के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्द्रजालिक के रूप में वर्णित है। वैदिक संहिताओं में अनुतो, दासो एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारगत कहा गया है (ऋ० ७।९।४, ७।१०।४।२४-२५ एवं अथर्ववेद ४।२३।५)। ऐसी कल्पना बर्जित नहीं है कि 'गय' आगे चलकर 'गयामुत्' में परिवर्तित हो गया हो। निरुक्त (१।२।१९) में 'इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेषा नि दधे पदम्' (ऋ० १।२।१।७) की व्याख्या करते हुए दो विद्वलेषण दिये हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोलिक या किंवदन्तीपूर्ण मतों की ओर सचेत करता है—'वह (विष्णु) अपने पदों को तीन ढगों से रखता है।' शकपूज के मत से विष्णु अपने पदों को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग में रखते हैं, ओणंवार के मत से समाराहण, विष्णुपद एवं गय-शीर्ष पर रखते हैं। वैदिक उक्ति का तात्पर्य चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईमा की कई शताब्दियों पूर्व इसने दो विद्वलेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि बुद्ध ने निर्वाण की तिथियाँ ठीक मान ली जामें, तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि ओणंवार एक मात्र बुद्ध के पूर्व हुए थे। देगिए सीनेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० २२-२३, जहाँ सिंहली गाथा ने अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पदिचमी लेखकों ने मत से ई० पू० ४२९-४००)। गयशीर्ष का नाम वनपर्व (८७।

२. त्रेषा नियसे पद्म। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवोति शाकपूजि। समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसि—इति ओणंवारः। निरुक्त (१।२।१९)।

३. अविर्कांग संसृष्ट विद्वान् निरुक्त को कम-से-कम ई० पू० पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं। ओणंवार निरुक्त के पूर्वशास्त्री हैं। (विद्वान्तरुक्त का हिस्ट्री ऑफ संहृत लिटरेचर, भाग १, पृ० ६९, अपेक्षो सस्करन)। गयशीर्ष के वास्तविक स्थल एवं विस्तार के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। बंलिये डा० रावेन्द्रसात मित्र कृत 'बुद्ध-गया'

११ एव १५५९), विष्णुधर्मसूत्र (८५।४, यहाँ गयाशीर्यं शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की पूर्व बेदी कहा गया है), महावग (१।२।११, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्रो मिसुओ के साथ गयासीस अर्थात् गयाशीर्यं से गये) में आया है। जैन एव बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि वट राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवाँ पञ्चवर्ती हुआ। अद्वयधोप के बुद्धचरित में आया है कि श्रुति गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के बुद्ध) ने नैरेञ्जना नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुन वे गया के काश्यप के आश्रम में, जो उरुबिन्ध कहलाता था, गये। इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ धर्माटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति में सहायता दी थी। विष्णुधर्मसूत्र (८५।४०) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि ओर्णवाम ने किसी क्षेत्र में किन्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किंवदन्ती के आधार पर, विष्णुपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे। इनमें दो अर्थात् विष्णुपद एव गयशीर्यं विख्यात हैं, अतः ऐसा कहना तर्कहीन नहीं हो सकता कि 'समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के नहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ़ना' ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्भव है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गुञ्जित) उच्चत पहाड़ी ही है। उचन्त' का अर्थ है 'सूर्योदय की पहाड़ी', यह सम्पूर्ण आर्यावर्त का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है, यह उस स्थान का द्योतक है जहाँ विष्णुपद एव गयशीर्यं अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात् बुद्ध के पूर्व कम-से-कम (गया में) विष्णुपद एव गयशीर्यं के विषय में कोई परम्परा स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं था और न उसका वह नाम था।

अब हम वनपर्व की बात पर आयेँ। डा० चल्सा इसके कुछ श्लोकों पर निम्न रह रहे हैं (८४।८२-१०३ एव १५।९-२९)। हम कुछ बातों की चर्चा करते इन श्लोकों की व्याख्या उपस्थित करते।

नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयशीर्यं ऋषिपद से फल्गुनीय तक विस्तृत है। वनपर्व (अध्याय ८२) में श्रीधम के तीर्थ-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (श्लोक २० ४०) का वर्णन आया है और तब विना क्रम के जम्बूमाग, तन्दुलिकाश्रम अगस्त्यसर महाकाल, कौटिलीय, भद्रवट

(पृ० १९), डा० बट्टा (भाग १, पृ० २४६) एव संकेतक बुक आव बि ईस्ट (जिल्ब १३, पृ० १३४, जहाँ कनिष्क ने 'गयासीस' को ब्रह्माधीन माना है)।

४ मेहरोली (देहली से ९ मील उत्तर) के सौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम श्लोक यों है—'तेनाय प्रणिधाय भूमिपतिना प्राञ्चविष्णुपदे गिरी भगवतो विष्णोर्ध्वज स्थापित' (गुप्ताभिलेख, स० ३२, पृ० १४१)। यह स्तम्भशिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि 'विष्णुपद' नामक कोई पर्वत था। किन्तु यह नहीं प्रकट होता कि इसके पास कोई 'गर्वाशरत्' नामक स्थल था। अतः 'विष्णुपद' एव 'गर्वाशरत्' साथ-साथ गया की ओर संकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस-पास का है। अतः विष्णुपद चौथी शताब्दी में देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा। उसी समय या उसके पूर्व यह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६।८।१९) में यह वर्णन आया है कि विपशा नदी के दक्षिण में एक विष्णुपर्व था।

(स्यागुतीर्थ), नमंदा, प्रमास एव अन्य तीर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुह्लोत्र का विस्तृत वर्णन है।

वनपर्व (८४।८२-१०३) के महत्वपूर्ण श्लोको की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवाले श्लोको में जो कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार्य है। डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के श्लोको की व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपर्व (८४।१।८१) में घौम्य द्वारा ५७ तीर्थों (यथा नैमिष, शाकम्भरी, गगाद्वार, कनखल, गगा-यमुना-सगम, फुञ्जाभ्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थों के विषय में विवेचन उपस्थित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतलेखक को अन्य तीर्थों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से उसने कुछ तीर्थों का वर्णन आगे दो बार किया है। पद्यपुराण (आदि, ३८।२-१९), में वनपर्व को ज्यो-का-न्यो उतारा है, लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्धृत किया है। वनपर्व में नैमिष का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं ८७।६-७) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो बार हुआ है। गया के तीर्थों के नाम जिस ढंग से लिखे गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपर्व गया और उससे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और शक्ति-शाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४।८२-१०३) में नहीं पाया जाता, यथा—ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति गया में अश्वमेध (प्रेतशिला), निराविन्द की पहाड़ी एवं धौषपदी पर विद्युद् हो जाता है (अनुशासन० २५।४२)। ये तीनों तीर्थ वनपर्व में नहीं आते। वायु० (१०९।१५) में अरविन्दक की शिलापर्वत का शिवर कहा गया है, और नारदीय० ने त्रौचपद (मुण्ड-२स्य) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि गया-हालत में उल्लिखित इन तीन तीर्थों का नाम अनुशासनपर्व में भी आया है।

यह चिन्ता की बात है कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपर्व (अध्याय ८४ एवं ९५), अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि और्णवाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद समवत. गया के तीर्थों की ओर संकेत करते हैं। पद्य० (आदि, ३८।२-२१), गृह्य (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि में गया के विषय में बहुत-कुछ कहा गया है और उनके बहुत से श्लोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२।८१) का 'सावित्र्यास्तु पद' पद्य० (आदि, ३८।१३) में 'सावित्र पद' आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितु) का पद हो सकता है। तो ऐसा बहना कि वनपर्व में प्रतिमा-संकेत नहीं मिलता, डा० बरुआ के धामन विवेचन का द्योतक है। गया में धर्म की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपर्व में आया है कि यात्री धर्म का स्वप्न करते थे (धर्म तत्रामिसहस्य)। इसके अतिरिक्त बछड़े के साथ 'गोपद' एवं 'सावित्र पद' की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि वनपर्व में प्रतिमा-भूजन का और संकेत विद्यमान है। फाहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू धर्म का नगर गया सम्प्राप्त प्राय था। यह सम्भव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूवम्भ के कारण गया नगर के मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई अवस्थाओं से गुजरता है। ईसा की कई शताब्दियों पूर्व यह एक समृद्धिशीली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में छैनक्षीय ने इसे नया-नूरा लिला है जहाँ ब्राह्मणों के १००० कुल थे। आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अवन्ति हो गयी तो इससे अन्तर्गत बौद्ध अवसोयो की भी परिगणना होने लगी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग १३ मील)।

डा० बरुआ ने डा० कीलहर्न द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें श्लोक का अर्थ ठीक से नहीं किया है (इण्ड-

यन ऐंटीववेरी, जिल्द १६, पृ० ६३)। श्लोक का अनुवाद या है—'उत्त बुद्धिमान् (राजकुमार यक्षपाल) ने मोना-दित्य एव अन्य देवों (इसमें उल्लिखित) को प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया और अधाय (वट) के पास एक सत्र (भोजन-व्यवस्था के दात) की योजना की।' नवपाल के राज्यकाल का यह शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पश्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, जिसमें उत्तरमानस की धर्वा है, ११वीं शताब्दी के पश्चात् लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह विचार अति दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया था तो इसे ह्यात्त (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। खोदे जाने की कई शताब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७:१०८, और यह श्लोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्धृत किया गया है), पुन वायु० (८२:२१) एव अग्नि० (११५:१०) में वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह तालाब मिट्टी से नर गया था अतः यह पुन सन् १०४० के लगभग खोदा गया या लम्बा चौड़ा बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है।

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु०, अध्याय १०५-११२) जो सम्भवतः वायुपुराण के बाद का है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात् कुछ पुराना है। कई पुराणों एव ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१:३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४५) आदि। इसके बहुत-से श्लोक बार-बार दुहराये गये हैं। डा० बरुआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२:२०-२४) में गया के बहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा—ब्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्वत, उत्तर मानस, उदीची, कनकल, दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाधर, मतण। अध्याय ७०:१७-१०८ में ये नाम आये हैं—गृध्रकूट, भरत का आश्रम, मतगपद, मुण्डपृष्ठ एव उत्तर मानस। गयामाहात्म्य के बहुत से श्लोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५) द्वारा श्राद्ध एव आशौच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य ७वीं एव १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा।

अब हमें यह देखना है कि महामारत के अन्य भागों एव स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन-पर्व के अध्याय ८७ एव ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव लोग कुछ समय तक रहे थे) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एव गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया है कि गया नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि 'व्यक्ति को बहुत-से पुत्रों की समिन्ध्या करने चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेध करता है या नील वृष छोड़ता है तो पितर लोग तुष्ट हो जाते हैं (वनपर्व ८७:१०-१२)।' इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) में पवित्र

५. मौनावित्यसहस्रांशुमलासुभ्राणनारायण,—द्विसोमेश्वरकल्पुनापवित्रगयावित्याङ्गमानां कृती ।

स प्रास्तावमधीकरद् विविचदा केवारेवेवस्य च, ह्यातस्योत्तरमानसस्य लाननं सत्र तथा चाशपे ॥

६. एष्टव्या बहव पुत्रा यक्षेकोपि गयां प्रजेत् । यजेत वादवमेधेन नीलं वा बुधमुत्तुजेत् ॥ महानदी च सत्रं च तथा गयसिरो नृप । यत्रात्मी कोत्यंते वित्रैरजम्पकरणो वटः ॥ यत्र दत्त पितृभ्योऽन्नमलयं भवति प्रभो । सा च पुष्यजला तत्र कल्पुनाया महानदी ॥ वनपर्व (८७:१०-१२); रात्रविणा पुष्यकृता गयेनानुपमद्युते । नगो गयसिरो यत्र पुष्या शंभु महानदी ॥... ऋषियज्ञेन महता यत्राशपटो महान् । अमये वेचयजने अमयं यत्र च कलम् ॥ वनपर्व (९५:१९-१४) ।

नदी फल्गु (महानदी), गगनिरस, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरो को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है। वनपर्व (अध्याय ९५) में ब्रह्मर (जहाँ अगस्त्य धर्मराज अर्थात् यम के पास गये थे, श्लोक १२), और अक्षयवट (श्लोक १४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमृतपत्र के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें भोजन एक दक्षिणा पर्याप्त रूप में दी गया थी।<sup>१</sup> वसिष्ठधर्मसूत्र (१११।४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और पितरो को भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से वृक्षकण प्रसन्न होते हैं, और ऐसे पुत्र से पित्रुगण, सचमुच, पुत्रवान् हो जाते हैं। विष्णुधर्मसूत्र (८।५।६५-६७) में श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थों के नाम दिये हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं—गयाशीर्ष, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद। याज्ञ० (१।२६१) में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता है। अग्नि-स्मृति (५५-५८) में पितरा के लिए गया जाना, फल्गु-स्नान करना पितृतपण करना गया में गदाघर (विष्णु) एक गयाशीर्ष का दर्शन करना वर्णित है। श्व० (१।४।२७-२८) में भी गयातीर्थ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख किया है।<sup>१</sup> लिखितस्मृति (१२-१३) में गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है—चाहे जिसके नाम से, चाहे अपन लिए या किसी के लिए गया-शीर्ष में पिण्डदान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता है। तब स्वर्ग जाता है और स्वर्ग वाला मांस पाता है। और देखिए अग्निपुराण (१।१५।४६-४७)। कूर्म० में आया है कि कई पुत्रों की अमिलापा बरती चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरो की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य० (२२।४-६) में आया है कि गया पितृतीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य० में 'एष्टव्या बहव पुत्र' नामक श्लोक आया है।

गयामाहात्म्य (बाणपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगभग ५६० श्लोक हैं। यहाँ हम सक्षेप में उसका निष्कर्ष देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण श्लोकों को उद्धृत भी करेंगे। अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि श्वेतवाराहवल्गु ने गय में यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया का नामकरण हुआ।<sup>१</sup> पितर लोग पुत्रों की अमिलापा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरो को नरक जाने से बचाता है।<sup>१</sup> गया में व्यक्ति को अपने पिता तथा अन्यो को पिण्ड देना चाहिए, वह अपने को भी बिना

और श्वेत एष्टव्या .. नामक श्लोक के लिए विष्णुधर्मसूत्र (८।५। अन्तिम श्लोक), मत्स्य० (२२।६), बाण० (१०५।१०), कूर्म० (२।३५।१२), मय० (१।३८।१७ एव ५।११।६२) तथा भारवोय० (उत्तर ४।५।५-६)।

७ यह मातम्य है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मरथ्य की सम्हापना ब्रह्मा के पौर, कुण्ड के पुत्र अमूर्तरथ (या अमूर्तरथ) द्वारा हुई थी।

८ यह कुछ आश्चर्यजनक है कि शं० बुद्धभा (गया एव बुद्धगया, जित्तर १, पृ० ६६) ने शं० के श्लोक 'तीर्थं वामरकण्डके' में 'वामरकण्डके' तीर्थ पढ़ा है न कि 'वा' को पुष्पक कर 'वामरकण्डके'।

९. बाण० (१०५।७-८) एव अग्नि० (१।१।४१)—'गयोपि वाकरोद्यामं बहूनां बहुदक्षिणम्। गयापुरी तेन नाम्ना०, शिवलीतेतु (पृ० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है।

१०. यहाँ पर 'एष्टव्या बहव पुत्रा यस्कोपि गयां जज्ञेत्। .. उरुज्जेत्' (बाण० १०५।१०) नामक श्लोक आया है। शिवली० (पृ० ३१९) में एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा की हुई है—'जीवतो वाक्यकरणात्.... त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता ॥'



तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अय द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।<sup>११</sup> मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात् मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) — ब्रह्मज्ञान से गयाश्राद्ध में, गौआ को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से तथा कुक्षेत्र में निवास करने से किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।<sup>१२</sup> गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता है। अधिक मास में भी अपनी जन्म तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक न दिखें तब भी या जब बृहस्पति सिंह राशि में हो तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मूषन एवं उपवास करना चाहिए।<sup>१३</sup> सयासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। उसे केवल अपने षष्ठ का प्रदशन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।<sup>१४</sup> सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों कोसों के सभी तीर्थ इन दोस में केन्द्रित हैं।<sup>१५</sup> गया में पितृ पिण्ड निम्न वस्तुओं से दिया जा सकता है, पायस (दूध में पकाया हुआ चावल), पका चावल जौ का आटा फल, कन्दमूल, तिल की खली मिठाई घृत या दही या मधु से मिला गूदा। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डदान बनाना पिण्डदान करना कुश पर पुन जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिणा देना एवं भोजन देना की धोषणा या सकल्य करना, किन्तु पितरो का नावाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कृत्य की रक्षा) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से) देखे जाने पर दोष ही लगता है।<sup>१६</sup> जो भोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूष फल भोगना चाहते हैं उन्हें विषयाभिलाषा, क्रोध शोक छोड़ देना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए केवल एक बार खाना चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य बोधना चाहिए शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने

११ आत्मजीवान्मजो वार्षि गयाममो यदा यदा। यदाप्ता पातयेत्पिण्डं तस्यैव ब्रह्म शाश्वतम् ॥ नामगोत्रे समुच्छ्वाय पिण्डपातनमिष्यते। (बायु० १०५।१४-१५), आया पाव 'यदाप्ता शाश्वतम्' अग्नि० (११६।२९) में भी आया है।

१२ ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्धं गोत्रहे मरण तथा। पास पुतां कुपशत्रे मुक्तिरेवा कर्तुं विधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन किं कार्यं यदि पुत्रो गयां व्रजेत् ॥ गयायां सबकालेषु पिण्डं दद्याद्विचक्षण। बायु० (१०५।१६-१८)। मित्राक्षर अग्नि० (११५।८) 'न कालादि विषयातीर्थे दद्यात्पिण्डाश्च नित्यशः' और बेसिए नारदीय० (उत्तर, ४४।२०), अग्नि० (११५।३-४ एव ५६) एव वामनपुराण (३३।८)।

१३ मूषन भोजवासश्च विरजा गयाम् ॥ बायु० (१०५।२५)।

१४ दण्ड प्रदक्षयद भिक्षुगया गत्या न पिण्डवः। दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृभि सह मुष्यते ॥ बायु० (१०५।२६), नारदीय० (२।४५।३१) एव तीर्थप्रकाश (५० ३९०)।

१५ पचक्रोश गयाक्षत्र शोशामक गयाशिरः। समध्ये सबतीर्थानि त्रीलोक्ये यानि सन्ति वै ॥ बायु० (१०५।२९-३० एव १०६।६५३, त्रिस्थली०, पृ० ३३५, तीर्थप्र०, पृ० ३९१)। और बेसिए अग्नि० (११५।४२) एव नारदीय० (उत्तर, ४४।१६)। प्रसिद्ध तीर्थों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है।

१६ पिण्डदान पिण्डदान पुन प्रत्यवनेजनम्। दक्षिणा चात्रसकल्पस्तोत्रभाद्रव्य विधि ॥ नावाहन न विद्वान्यो न दोषो दृष्टिसम्भवः। अन्यत्रावाहिता काले पितरो यात्यम् प्रति। तीर्थे सवा वसन्त्येते तस्यावाहन न हि ॥ ऋष्यु (१०५।३७ ३९)। 'नावाहन विधि' फिर से ब्रह्मपुराण गया है (बायु० ११०।२८-२९)।

कुल की २१ पीढ़ियां भी रक्षा करता है। अक्षयवट व नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को सतुष्ट करता चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।”

१०६वें अध्याय में गणेशपुर की गाथा आयी है। गयापुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्रो धर्मों तक तप किया। उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयापुर के पास चले। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और ब्रह्मा कि वह जो वरदान चाहे माँग ले। उसने वर माँगा कि वह देवों, ऋषियों, यज्ञों, सन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने 'तयास्तु' अर्थात् 'ऐसा ही हो' कहा और स्वर्ग चले गये। जो भी लोग गयापुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की गजपत्नी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये। विष्णु ने ब्रह्मा से उससे प्रायश्चित्त करने को कहा कि यह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयापुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र की और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और गयापुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयापुर के सिर पर अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने बँसा ही किया। विन्तु तब भी गयापुर का शरीर शिला के साथ हिलता रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर सँडे होने को कहा। उन्होंने ब्रँसा किया, किन्तु तब भी शरीर हिलता-डोलता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिला को अडिग करने को कहा। इस पर विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दो जो शिला पर रखी गयी, विन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जनादन, पुण्डरीक एवं आदि-नादाघर ने तीन रूप में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्गुवीर, वेदार एवं वनवेश्वर) में बैठ गये, विनायक हाथों में रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयी। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयापुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि गदापर कहा गया। गयापुर न पूछा—'मैं प्रवर्चित क्या किया गया हूँ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे चुका हूँ। क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीटा ही जा रही है)?' तब देवों ने उससे वरदान माँगने को कहा। उमन वर माँगा, 'जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहे, तब तब ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एवं अन्य देव गिला पर रहे। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे। सभी तीर्थ गया के मध्य में वेदित हों, जो पाँच कीर्तियों तब विस्तृत है और सभी तीर्थ गयागिर में भी रहे जो एक काम विस्तृत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी देव यहाँ ध्यस्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिह्न आदि) में रहें। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध दिया जाय, ब्रह्मलोक में जायें और सभी महापातकों (ब्रह्महत्या आदि) अचानक नष्ट हो जायें।' देवों ने 'तयास्तु' कहा। इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋत्विजों का पाँच कोला वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, वत्सवृक्ष एवं कामधेनु, दुग्ध की एक नदी, सान के बूप, पशुओं मात्रन आदि सामान दिए, विन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगें नहीं। विन्तु लामो ब्राह्मणों ने धर्मार्थ में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसको दक्षिणा माँगी। ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया। जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनमें सब कुछ छीन लिया गया और अब

उन्हें जीविता के लिए कुछ चाहिए, तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-मात्रियों के दान पर जीएंगे और जो लोग उन्हें सम्मानित करेंगे वे मानते उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे।

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। धर्म की धर्मव्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप करने को कहा। धर्मव्रता ने सहस्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर बठिन तप किया। मरीचि ने, जा ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मव्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने को कहा। मरीचि ने वैंसा ही किया और धर्म ने अपनी बन्धा मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गया और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये। एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गया और धर्मव्रता ने पैर दबाना का कहा। जब वह पैर दबा रही थी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दबाना छोड़कर उनके पिता की आश्रम में उठ पडे। इसी बीच में मरीचि उठ पडे और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उस शिला बन जाने का शाप दे दिया। क्योंकि पैर दबाना छोड़कर उसने अपनी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा—'महादेव तुम्हें शाप देंगे।' उसने गार्हपत्य अग्नि में खड़े हाकर तप किया और मरीचि ने भी वैंसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की भक्ति देवगण विचलित हो गया और वे विष्णु के पास गये। विष्णु ने धर्मव्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवा ने कहा कि मरीचि ऐसे महान् ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिला पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस शिला के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं ध्याद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जायें और गया के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें अवस्थित हो। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस पर सहे होंगे।<sup>16</sup>

१०८वें अध्याय में पाण्डित-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। आनन्दाश्रम' के स्वरूप में इसका विषय सदाप में यो है। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा ने अद्वैतमेघ किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों से कहा—प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आकृतियों एवं पदचिह्नों के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः उष पर्वत को मण्डपूष्क कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु के मिलन-स्थल के समीप रामतीर्थ, भरत के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम एवं शबल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पाम अवस्थित उद्यन्त पर्वत का, अगस्त्य कुण्ड का तथा घृध्रकूट पर्वत, ध्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, श्रीञ्चपद एवं मरुकूट पर स्थित जनार्दन का वर्णन आया है।

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पदचाल्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र-लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र विचित्र एवं भूर्खतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह रासदा या दुष्ट

१८ अग्नि० (११५।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो वायुपुराण में पाये जाते हैं।

पिशाच नहीं है प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६)। गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एव कल्पित लगेंगी। प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एव बलि (जो श्रेष्ठ राजा एव विष्णु भक्त था) ऐसे असुर थे, जो राक्षस या पिशाच के ब्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (१।१६।५९-६० एव ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने नृसिंह से युद्ध किया था पथ० (भूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सबप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी तनु मे प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महामागवत कहा है), वामन० (अध्याय ७८) ने उसके नर-नारायण के साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पार्लि ग्रन्थो (अधुत्तरनिकाय, भाग ४, पृ० १९७-२०४) में यह पहाराद एव असुरिन्द (असुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में जो प्रह्लाद का पौत्र था, अच्छा राजा एव विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण (अध्याय ७३) कूर्म० (१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एव ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से कृष्ण के साथ युद्ध विघ्ने जाने के लिए देखिए ब्रह्म० (अध्याय २०५-२०६) एव विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८)।

डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोधगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धधर्म के ऊपर ब्राह्मणवाद की विजय का रूपक है। ओ० मैली (जे० ए० एस० थी० १९०४ ई० भाग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते की सूचक है जो ब्राह्मणवाद एव भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० बरखा ने इन दोनों मतों का सण्डन किया है। उनका कथन है (भाग १, पृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अर्थहित प्राय यह है कि लोग फल्गु के पश्चिमी तट के पर्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधर्म में गया की चर्चा नहीं होती, गय या ममुचि या वृत्र अघकार का राक्षस एव इन्द्र का शत्रु कहा गया है और त्रिबिक्रम नामक वैदिक शब्द की औषधाम कृत ध्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।<sup>१</sup> स्थानामाद से हम इन सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था और गयासुर की गाथा केवल गया एव उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है।

१०९वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गवाक्षर व्यक्त एव अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उनकी गथा कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गवालोक्ष तीर्थ समी पापों को नाश करने वाला हुआ। सब नामक एक राक्षसाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रायना पर अपनी अस्त्रियाँ उन्हे दे दी। ब्रह्मा को इच्छा से विवरकर्मा ने उन अस्त्रियों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायम्भुव मनुके समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों देवी बर्षों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एव अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण के चक्र आदि शस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की गाथा अग्नि० (१।४।२६-२७) एव नारदीय० (उत्तर, ४।७।९-११) में भी आयी है। हरि की आदि गवाक्षर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सबप्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिखा पर खाटे हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया।<sup>२</sup> वे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रमास एव अन्य पर्वतों के रूप में प्रकट करते

१९ यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा० बरखा को यह सूचना कहाँ से मिली कि जब शिव में वृष-वीरै राजस के समान है। ऋग्वेद में कम-से-कम वृष के समान गय कोई राजस नहीं है।

२० बायुपुराण (१०५।६०) में आदि-गवाक्षर के नाम के विषय में कहा गया है—'अथवा कदाचित् यस्माद् दैत्य स्थिरीकृतः। स्थित इत्येव हरिर्वा तस्मादादिगवाक्षरः ॥' देखिए जित्तकरीन्दु (पृ० ३३८)। देवी की व्युत्पत्ति बायु० (१०९।१३) में पुनः आयी है।

हैं। ये पर्वत एवं अशयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, ह्रद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं। गदाघर की मूर्ति विष्णु व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया और विष्णुलोक चला गया। जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे धर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा—'हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप में रहे तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।' विष्णु ने 'तयास्तु' कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में लड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९।४३-५०)। वायु० (१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ततात्मक प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य यह

२१. हम यहाँ पर प्रभूत नदियों, पर्वतों एवं पर्वों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अम्प्यों एवं श्लोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए। पुनोत नदियाँ ये हैं—फल्गु (जिसे महागन्दी भी कहा गया है, अग्नि० ११५।२५), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मयूखवा (१०६।७५), अग्निघारा (उद्यत पर्वत से, १०८।५९), कपिला (१०८।५८), वंतरणी (१०५।४४ एवं १०९।१७), वेनिका (११२।३०), आकाशप्रगा (अग्नि० ११६।५)। इनमें कुछ केवल नाले या धाराएँ मात्र हैं। पुनोत पर्वत एवं शिखर ये हैं—गयाशिर (१०९।३६, अग्नि० ११५।२६ एवं ४४), मुण्डपृष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभात (१०८।१३ एवं १६, १०९।१४), उद्यत (वनपर्व ८४।६३, वायु० १०८।५९, १०९।१५), अस्मकूट (१०९।१५), अरविन्दक (१०९।१५), नागकूट (१११।२२, अग्नि० ११५।२५), मृदकूट (१०९।१५), प्रेतकूट (१०९।१५), आरिवास (१०९।१५), श्रौञ्चपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०।१५, १०८।६७), नग (१०८।२८), बह्यशोनि (नारदीय० २।४।७।५४)। प्रभूत स्नान-स्थल ये हैं—कन्पुतीर्थ, (१११।१३, अग्नि० ११५।२५-२६ एवं ४४), रामतीर्थ (१०८।१६।१८), शिलतीर्थ (१०८।२), महालील (१११।७५-७६, अग्नि० ११५।६९), वंतरणी (१०५।४४), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४।८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०।८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२), वसिष्ठ मानस (१११।६ एवं ८), रुषिमणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःजारा (निःकोरा) पुष्करिणी (१०८।८४), मत्तगवापी (१११।२४)। पुनोत स्थल ये हैं—पञ्चलोक, सप्तलोक, बंकुष्ठ, लोहवन्दक (सभी चार १०९।१६), गोप्रचार (१११।३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित जामों के वृक्ष हैं), धर्मरिष्य (१११।२३), ब्रह्मभूष (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपर्व ८४।८६)। पुनोत वृक्ष ये हैं—अशयवट (वनपर्व ८४।८३, ९५।१४, वायु० १०५।४५, १११।७९-८१३, अग्नि० ११५।७०-७३), गोप्रचार के पास आश्र (१११।३५-३७), मृदकूटवट (१०८।६३), महाबोधिवट (१११।२६-२७, अग्नि० ११५।३७)। आश्र वृक्ष के विषय में यह श्लोक विख्यात है—'एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आश्रस्थ मूले सलिलं बभानः। आश्रश्च सिक्तः पितरश्च तुप्तर एका क्रिया ध्रुवकर्तु प्रसिद्धा ॥' (वायु० १११।३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, उत्तर, ४६।७, पद्म० सुटिलम्ब, ११।७७)। बहुत-से अन्य तीर्थ भी हैं, यथा—कल्पशिर, कल्पुवन्धो, अंगारकेन्द्रर (सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वर्णित नहीं हैं। पर (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदाङ्क हैं) ये हैं—वायु० (१११।४६-५८) ने १६ के नाम लिखे हैं और अर्ध्यों की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५३) ने कम-से-कम १३ के नाम लिखे हैं। वायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं—विष्णु, वर, ब्रह्म, कश्यप, वसिष्ठानि, गार्हपत्य, आहवनीय, सव्य, आश्वत्थ, अश्र, अगस्त्य, कौञ्च, मातंग, सूर्य, कार्तिकेय एवं गणेश। इनमें चार अति महान् हैं—कामवय, विष्णु, वर एवं ब्रह्मा (वायु० १११।५६)। नारदीय० (उत्तर, ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं ह्रद्रपद उत्तम हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है।

है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूर्तियों में व्यक्त रूप में स्थित है (देविए त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३६५, प्रतिमास्वरूपो व्यवत) ।

११०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्व में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गद्गदा खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तपण एवं श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु अर्घ्य (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतसिला को जाना चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तपण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२) के मन्त्रों के साथ प्रेतसिला पर अपन सविण्डो का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपन पितरों को पिण्ड देने चाहिए। अष्टबाओ एवं वृद्धश्राद्ध में, गया में एवं मृत्यु के वार्षिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक् श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए।<sup>१</sup> अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सविण्डो को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात् कुदा फैलाने चाहिए, एक बार तिलयुक्त जल देना चाहिए, जो के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आमके) या शमी पेड़ के पत्र के बराबर होना चाहिए।<sup>२</sup> इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रों की रक्षा करता है, अर्थात् अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्रों, कूफों (पिता की बहिन) एवं मीमी के यात्रा की रक्षा करता है। तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, सभी बन्धुओं, सभी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जलाये गये हों, जो बिजली या डाकूओं से मारे गये हों, या जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो माँति-माँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायु० ११०।३०-३५)। इस विषय में देसिए इस षड वे अध्याय ११ एवं १२।

१११वें अध्याय में कतिपय तीर्थों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पूरे यात्रा सात दिनों में समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, तपण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतसिला (जो वायु० १०८।१५ के अनुसार सिला का एक भाग है) पर जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए भात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५)। ऐसा करने से जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत स्थिति से छूटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि रामतीर्थ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रभास पर्वत से मिलती है, स्नान करना चाहिए। रामतीर्थ में स्नान करने, श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतसिला पर श्राद्ध करने से जो प्रेतत्व की स्थिति से मुक्त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतसिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, धर्मराज एवं द्याम तथा शबल नामक दो कुतों की बलि (कुशा, तिल एवं जल के साथ भोजन की) देनी चाहिए। गया में प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं तपण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही

२२. अष्टकासु च वृद्धी च गयायां च सुतेहनि । मातुः श्राद्धं पुषकं क्षुपादिन्यत्र शतिना सह ॥ वायु० (११०।१७; तोषप्र०, प० ३८९ एवं तोषचि०, पृ० ३९८) ।

२३. मुष्टिमात्रप्रमाणं च आर्द्रामलकमात्रकम् । शमीपत्रप्रमाणं वा पिण्डं बध्नाद् गयाशिरै ॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुक्षानि शतमुद्धरेत् ॥ पितृमार्तिं स्वभार्याया भगिन्या बुहितुस्तया । पितृष्वसुर्मानुष्यसु सप्त गोत्राः प्रक्रीतता ॥ वायु० (११०।२५-२६) । और देसिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३२७) ।

एव मयु से मिश्रित पिण्ड पितरो (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४)।<sup>१</sup> इसके उपरान्त यात्री को वैदिक रूपों से सर्वांगत लोगों के लिए कुसों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।३४-३५)। तब उसे गया आने की साधी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० ११०।५९-६०)। वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपवत पर क्रिये गये पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्यानेषु चैव स्यात् पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपवतमारभ्य कुर्यात्सीमेषु च क्रमात् ॥)।

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१)।<sup>२</sup> सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्यों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में)। इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। इसके उपरान्त यात्री फल्गुतीर्थ को जाता है जो भयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिर्भवति कर्तृणा पितृणा श्राद्धत सदा, वायु० ११०।१३)। ऐसा कहा गया है कि फल्गु जलधारा के रूप में आदिगदाधर है।<sup>३</sup> फल्गु-स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वामुदेव, सन्वर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है।<sup>४</sup> पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन (अर्थात् गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म में यज्ञ किया था। वहाँ उसे भतग-वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तर्पण, श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मयूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं धर्मो-श्वर को नमस्कार करना चाहिए।<sup>५</sup> यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध

२४. प्रेतपवत एव ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीतेतु (पृ० ३५५) यों कहता है—'प्रेतपवतो गयावायव्यविति गयातो गन्धूत्यधिकदूरस्थ । ब्रह्मकुण्डे प्रेतपवतमूल ईशानभागे ।'

२५. पाँच तीर्थ ये हैं—उत्तर मानस, उदीचीतीर्थ, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु। त्रिस्थली० (पृ० ३६०) का कथन है कि एक ही दिन इन सभी तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। वायु० (१११।१२) में आया है कि फल्गुतीर्थ गयाशिर ही है—'नागकूटाद् गृध्रकूटाद्युत्तरमानसात् । एतद् गयाशिर प्रोक्त फल्गुतीर्थं तदुच्यते ॥ किन्तु अग्नि० (११५।२५-२६) में अन्तर है—'नागाज्जना० नात्कूपपट्टटावचोत्तरमानसात् । एत च्यते ॥' गदरपुराण (१।८३।४) में ऐसा है—'नागाज्जना० तदुच्यते ॥' त्रिस्थली० (पृ० ३५९) में यों पढ़ा है—'गुण्डपुष्पाभगाद्यस्तत्फल्गुतीर्थे-मनुत्तमम् ।'

२६. गया पादोदक विष्णो फल्गुर्ह्यादिगदाधर । स्वयं हिद्रवर्षणे तस्माद् गगाधिकं विदुः ॥ वायु० (१११।१६)।

२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है। देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३।५३)—'पञ्चामृतेन च स्नानमर्चाया तु विशिष्यते ।'

२८. डा० बरसा (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १, पृ० २२) का कथन है कि 'धर्म' एवं 'धर्मेश्वर' बुद्ध के द्योतक हैं, किन्तु ओ' मंली का कहना है कि 'धर्म' का संकेत 'धर्म' की ओर है। सम्भवतः ओ' मंली की बात ठीक है। पद्य० (सृष्टि-संग्रह, १।१७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं—गुण्डारण्य, नैमियारण्य एवं धर्मारण्य।

करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच-तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात् गया प्रवेश के पाँचवें दिन) यानी को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ब्रह्मरूप एवं ब्रह्मयूप (ब्रह्म द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध से यानी अपने पितरो की रक्षा करता है। यानी को ब्रह्मयूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा रुगाये गये आम्र वृक्ष हैं। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आम्र वृक्ष में देने से पितर-लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एव धर्मराज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौबो को बलि देनी चाहिए और तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। महवायु० (१११।३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। ३४-४०) एव नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यों के चौथे दिन (गया प्रवेश के छठे दिन) यानी को फल्गु में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिरःके कतिपय पदों पर श्राद्ध करना चाहिए। गयाशिरः ऋश्चपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। गयाशिरः पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है।<sup>१</sup> यहाँ पर आदि-गदाधर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यानी एक सहस्र कुलों की रक्षा करता है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एव अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६) में रुद्रपद, ब्रह्मपद एव अन्य १४ पदों पर किये गये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है।<sup>१</sup> गयाशिरः पर यानी जिसका नाम लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त करता है।<sup>१</sup>

पञ्चतीर्थी कृत्यों के पाँचवें दिन (गया-प्रवेश के सातवें दिन) यानी को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए।<sup>१</sup> गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यानी अपने एक अपने पितरो को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं भोजन से सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृप्त हो जाते हैं तो पितरो के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।<sup>१</sup> इसके उपरान्त यानी को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रतितामह की पूजा के लिए प्रणाम करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एव नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७)।

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और

२९. ऋश्चपारात्कल्पातोर्वं यापत्ताशब्द गयाशिरः। वायु० (१११।४४)। ऋश्चपार को वायु० (१०८।७५) में मुष्पट्टु कहा है—“ऋश्चपदेयं हि मुनिमुष्पट्टुं तपोऽकरोत्। तस्य पारांकिंती यस्मात्ऋश्चपारवस्ततः स्मृतः॥

३०. त्रिस्थली० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिरः पर पुनः रूप से श्राद्ध नहीं होता। गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्वपेत्। नरकस्या विभं दान्ति स्वर्गस्या मोक्ष-माप्नुयुः॥ देखिए वायु० (१११।७३) एवं अग्नि० (११५।४७)। गयाशिरः गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त पवित्र स्थल है।

३१. इस तीर्थ का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को कुचसने के उपरान्त उसे (गदा को) धोया था। हेत्यगुरस्य यच्छीर्षं गदया तद् द्रिषा कृतम्। ततः प्रजालिता धरमात्तीर्थं तच्च विष्णुस्तये। गदासोक्तमिति स्वात्तं तथेदामुत्तमोत्तमम्॥ वायु० (१११।७५)। गदालोल कस्तु की धारा में ही है।

३२. मिलाइए—“यि यम्पान्नाजयिष्यन्ति गयाधामागता नराः। ह्यव्यकर्ष्यंयनैः श्राद्धंस्तेषां कुलगतं धजेत्। नरकान् स्वर्गानोकाय स्वर्गानोकायरां गतिम्॥” अग्नि० (११४।३९-४०)।



यदि यात्री गया में आये मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता है, किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि वायु०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थों की यात्रा के क्रम में मिश्रता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित हो सकता।<sup>१</sup> गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा नय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य मद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया-यात्रा में विशाल नामक राजा की यह गाथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाक्षीर्ष में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को अर्घ्याय, पुत्र वाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है (श्लोक १६-२०)—एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को दिया और दोष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० (११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, ४४।२६-५०), गरुड० (१।८४।३४-४३), बराह० (७।१२) में भी पायी जाती है। इसके उपरान्त श्लोक २०-६० में गया के कई तीर्थों के नाम आये हैं, यथा—गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्थ, विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुग्धपृष्ठ, आकाशनामा, वीतरंगी एव अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा—नयागज, गयादित्य, गायत्री (तीर्थ), गदाधर, गया एवं गयाशिर।<sup>२</sup>

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं।

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी लम्बी-बौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवार्य है, यथा—कल्पी नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पो, चन्दन, ताम्बूल, दीप से पूजा की जाती है और पिल्लों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु कल्पी के पश्चिम एक चट्टान पर विष्णुबरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान् के ही कहे जाते हैं और वे अष्ट कोष वाले रजत-शेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर) चारों ओर दौड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कपी-कमी लम्बी शकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को हटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मिर्चों के लिए किसी कट्टर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं। कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अर्घ्याय यात्रे पर यात्री शुक्रेणुसुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धभक्तों, काहियान एव ह्वेन

३३. अमरतोऽकमतो वापि गयायात्रा महाकला। अग्नि० (११५।७४) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३६८)।

३४. गयागञ्जो गयादित्यो गायत्री गदाधरः। गया गयाशिरश्चैव च गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२।६०), तीर्थचि० (पृ० ३२८, 'यद् गायं मुक्तिदायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३७२)। यह नारदीय० (उत्तर, ४७।३९-४०) में आया है। स्पष्ट है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथों की आकृति से मुक्त स्तम्भ को गयागञ्ज कहा गया है।

सांग ने गया एव उरबिला या उरबेला (जहाँ बुद्ध ने छ' वर्षों तक कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को तीर्थस्थलो में गिना है और कहा है कि हिन्दू यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यो-की-त्यो मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों पर जब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विषय का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी एक शाखा महान् अशोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लका में भेजी गयी थी और लका के कण्ठी नामक स्थान का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वराज है। गयाशीर्ष पपरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, मुण्डपूष्प, प्रभास, गृध्रकूट, नागकूट, जो लगभग दो मील तक फैला हुआ है।<sup>११</sup>

हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फूलों की माला से यानी के अंगुठे या हाथों की बाँध देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यानी को प्रसाद रूप में निठाई देते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ दपपपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यानी के पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञानव्य है कि 'धामी' नामक कुछ विरिष्ट पुरोहित होने हैं, जो पाँच वेदियों पर पीरोहिय का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, बह्यकुण्ड एव काकबलि, जो रामशिला एव प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये धामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं।

गया में किन पितरों का ध्याऊ करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतव्य नहीं है। वायु० एव अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में ध्याऊ करता है वह पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो कुछ गया, धर्मपूष्प, बह्यसर, गयाशीर्ष एव अक्षयवट में पितरा को अर्पित होना है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी स्थानों अपना उक्तिपा में 'पितृ' शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता है कि गया में ध्याऊ तीन पूर्व पुराणों का किया जाता है।<sup>१२</sup> गौतम के एक श्लोक के अनुसार माता के तीन पूर्व-पुरुषों का भी ध्याऊ किया जाता है।<sup>१३</sup> पिता एव माता के पक्ष के छ' पूर्व पुरुषों की पत्नियाँ के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० (११५।१०) में एक विद्वान् दिया है कि गयाध्याऊ के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात् मातृ-बाँ के तीन पुत्र पितरों की) पत्नियों का ध्याऊ किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एव प्रतितामही के लिए पृथक् रूप से ध्याऊ किया जाता है। जब गया-ध्याऊ में १२ देवता होते हैं तो एक ही ध्याऊ में विन् एव मातृ बाँ के सभी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर लिया जाता है। अपराकं (५० ४३२) में भी गयाध्याऊ में अग्नि० के समान विकल्प दिया है।<sup>१४</sup> स्मृत्यपसंसार एव हेमाद्रि के मत से विन् वगैरे पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-ध्याऊ एव गयाध्याऊ पृथक् होता है किन्तु मातृ बाँ के पितरों एव उनकी पत्नियों का ध्याऊ एक ही में होता है (अतः देवता

३५. गयाशिर एव गया बौद्धकाल में अग्नि विख्यात स्थल थे, ऐसा बौद्ध ग्रन्थों से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग (१।२।१।१) एव अगुत्तर निकाय (जिह्व ४, ५० ३०२)—'एकं समय भगवा गयायां विहरति गयासीसे।'

३६ पितरों पर पूज्यते तत्र मातामहा अग्नि। अविदोवेण जनम्म विदोयात्तरक वजेन्। इति गीतमोक्षते। त्रिपत्तो (५० ३४९), स्मृत्यपसंसार (५० ५६)।

३७ तत्रश्चान्वष्टकादित्रये त्रीणां ध्याऊ पृथगेव। गयामहात्म्यादी तु पृथक् सह वा अन्भिर्निरिति तिहम्। अपराकं (५० ४३२); गण्ड० (१।८।४।२४) में आया है—'ध्याऊ तु नवदेवत्य बुधांश्च द्वादशतन्वत्। अष्टवत्तानु बुद्धो च गयायां मूनवानरे॥'

केवल ९ ही होंगे, ) १<sup>६</sup> यम (श्लोक ८०) के मत से माता, पितामही एव प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छ होते हैं, यथा—पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर एव मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्वलीसेतु, पृ० ३४९)। रघुनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह गौडिय मत है। अन्त में त्रिस्वलीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि भत-भतान्तरो में देशाचार का पालन करना चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए। जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला श्राद्ध में जो सकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।<sup>१७</sup>

यह शातब्ध है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं उसमें मुण्डन नहीं हाता (वायु० ८३।१८) तथा केवल गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया है। किन्तु यह स्मरणयोग्य है कि नारायण मठ (त्रिस्वली०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी श्राद्धों में स्वीकृत नहीं किया है, केवल अशायबट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं।<sup>१८</sup> त्रिस्वली० (पृ० ३५०) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भ्रमकूट पर जनादन की प्रनिमा के हाथ में होना चाहिए और यह सभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५, गृह्य०, नारदीय०, उत्तर, ४७।६२-६५)। गया में कोई भी सम्बन्धी या असम्बन्धी पिण्डदान कर सकता है (शयुपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८)।<sup>१९</sup>

गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एव अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं यथा—वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध-पद्धति, रघुनन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (वगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता भणिका अनुसरण किया है। गया प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित सकल्प करना चाहिए, नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात् उसे १२ पुरुष एव स्त्री पितरों का तर्पण करना चाहिए। तब उसे सकल्प करना चाहिए कि मैं 'ओम अद्येत्यादि अस्वमेध-सहस्रजन्म-फलविलक्षणफल-

३८ तत्र मातृश्राद्ध पृथक् प्रशस्तम्। मातामहाना सपत्नोरुमेव। स्मृत्यपंतार (पृ० ५९-६०); देखिए त्रिस्वली० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्रि का मत दिया गया है।

३९. ओम्। अद्यामुक्तपोत्राणां पितृ-पितामहप्रपिनामहानाममुक्तदेवशर्मणाम्, अमुक्तपोत्राणां मातृपितामहो-प्रपितामहीनाममुक्तामुक्तदेवीनाम्, अमुक्तपोत्राणां मातामह-प्रमातामहो-बृद्धप्रमातामहानाममुक्तामुक्तदेवशर्मणाम्, अमुक्तपोत्राणां मातामहो-प्रमातामहो-बृद्धप्रमातामहोनाममुक्तामुक्तदेवीनां प्रेतत्वविमुक्तिताम प्रेतशिलायां धाद्रुमह करिष्ये। तीर्थचि० (पृ० २८७)। और देखिए गृह्य० (१।८४।४५ ४७)।

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलैर्विना। पिण्डनिर्बन्धेन कुर्वन्निषण्णं चान्यत्र गोत्रजा ॥ वायु० (८३।३४), त्रिस्वली० (पृ० ३५०)। और देखिए वायु० (१०५।१२), अग्नि० (११५।६८)—“पिण्डो देवस्तु सर्वस्य सर्वस्य कुलतारकं। आत्मनस्तु तथा देवो ह्यस्य लोकमिच्छता।”

४१. आत्मजोप्यन्यजो वापि गयाभूमौ यदा तदा। यत्नाम्ना पातयेत्पिण्ड त नयेद् ब्रह्म शाश्वतम् ॥ नामधोत्रे समुच्चयां विण्डपातनमिष्यते। देन केनापि कस्मैचित्स याति परमा गतिम् ॥ वायु० (१०५।१४-१५)। और देखिए वायु० (८३।३८)।

प्राप्तिकाम फल्गुतीर्थस्नानमह करिष्ये' शब्दों के साथ गया-श्राद्ध कहेंगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अर्घ्य कृत्यों को छोड़कर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि मात्रो श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान कर सकता है। उन्नी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए—भूमि को दुदि करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ धारण करना चाहिए, श्लोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ 'कव्यवालो.. श्राद्धेनानेन धारवतीम्') करना चाहिए। पितरो का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़कना चाहिए और सक्त्य करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए, श्राद्ध-वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ धारण करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, भूमि पर तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अजलि-जल से एक बार आवाहन करना चाहिए, तब पिता को पाच (पैर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो श्लोको (वायु० ११०।२०, २१ 'ओम्' के साथ 'आ ब्रह्म तिलोदकम्') का उच्चारण करना चाहिए, अजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन करना चाहिए और 'ओम् अघ अमुकगोन पितरमुकदेवार्नम एष ते पिण्ड स्ववा' के साथ पापस या तिल, जल, मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे दोष ११ देवताओं (पितामह आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जडसहित कुश (जिनके अग्र भाग दक्षिण रहते हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलाजलि से आवाहन करना चाहिए, दो श्लोको (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशो, घृत, दधि, जल एवं मधु से युक्त जौ के आटे का एक पिण्ड मन्त्रो १२ देवताओं (पितरो) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात् एक पर पञ्चगव्य छिड़का जाता है, इसके पश्चात् प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों का मन्त्रो (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब षोडशीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अजलि-जल दिया जाता है और प्रथम स्थल से आरम्भ कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिभाषिक रूप में इसे श्राद्धषोडशी कहा जाता है।<sup>११</sup> यह ज्ञातव्य है कि पुण्यो के लिए मन्त्रों में 'ये', 'ते' एवं 'तिस्य' का प्रयोग होता है, अतः यह 'यु-योडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके यह स्त्री-षोडशी भी हो जाती है (वायु० ११०।५६, त्रिस्थली०, पृ० ३५७; तीर्थलिंग०, पृ० ३९३)।

तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थलिंग० पृ० २९३ एवं तीर्थयात्रासूत्र पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों (पितरों) को घले जाने के लिए कहना चाहिए; "हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें" कहना चाहिए। इसके उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में धारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वामिमुख हो दो मन्त्रो (वायु० ११०। ५९-६०, 'साक्षिणः सन्तु' एवं 'आगतोस्मि गयाम्') का उच्चारण करना चाहिए। यदि ध्यम्कित इस वित्तुत पद्धति को

४२. अत्रविज्ञानी षोडशात्वं पारिभाषिकं पञ्चाशत्कम्। तीर्थयात्रासूत्र (पृ० ८)। जब कोई किसी से पुछता है कि उसके पास कितने आश्र-भुज या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच', मते ही ६ या ७ की संख्या हो।

निवाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम सकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसव्य रूप में जनेऊ धारण कर वायु० के दलोको (११०।१०-१२ एव ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य कृत्य करने चाहिए, गया-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुरा बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान करना, पुनर्जलसिंचन, दवासावरोध, परिधान को गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पण करना एव चन्दन लगाना।

इसके उपरान्त यानी प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रमासहृद के समान है। इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं श्राद्ध अपने गृहमूत्र के अनुसार करना चाहिए। उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय पिण्ड एव षोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सकें तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 'राम-शम' मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ सकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, श्राद्ध एव पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१)। इसके उपरान्त उसे ज्योतिर्मान् प्रमासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एव शिव (प्रमासेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि' (वायु० १०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसने उपरान्त मात की बलि ('यह बलि है, ओम यम आपको नमन है' कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात् प्रमास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'द्वै शवानौ' (वायु० १०८।३०) श्लोक का पाठ करने बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए—'यह धर्मराज एव धर्मराज की बलि है, नमस्कार'। यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है, शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं।

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्निक तर्पण एव देवपूजा करनी चाहिए और सब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए। यहाँ पर किया गया श्राद्ध ब्रह्मदेवों पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात् जहाँ ब्रह्मा ने अवबोधे यज्ञ किया था)। इसके उपरान्त यात्री को दक्षिणामुख होकर 'ये कौंचत्' (वायु० ११०।६३, तीर्थीब०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आब्रह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुक्त जलाजलि देनी चाहिए।

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पक्षतीर्था कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यानी 'उत्तरे मानसे स्नानम्' (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है। उसे एक अजलि जल देकर श्राद्ध करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अप्रमाण को दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एव जल में यव के आटे को मिलाकर उसका एक पिण्ड देना चाहिए। तब उसे 'नमोस्तु मानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीर्थ में स्नान

४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का सकल्प यों है—“ओम् अक्षेत्यादि वित्रादीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकामं प्रेत-पर्वते श्राद्धमहं करिष्ये।’ तीर्थयात्रातत्त्व (पृ० १३)।

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त सकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के सभी कृत्य किये जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं बहरावेंगे, केवल विशिष्ट स्थलों की विशिष्ट व्यवस्थाओं को और ही निर्देश किया जायगा।

४५. सकल्प यों है—“ओम् अक्षेत्यादि पापक्षयप्रवृत्त-सूर्यलोकविस्तसिद्धिपितृमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानम् करिष्ये।’

करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनकल एव दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० १११९-१०), दक्षिणांक को प्रणाम करना चाहिए एव उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनार्क को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाधर के दक्षिण में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एव श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यानी को पितामह की पूजा करनी चाहिए (वायु० ११११९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११२१)। तब यानी पंच तीर्थों को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पंचामृत से नहलाना अनिवार्य है। अन्य कार्य अपनी योग्यता के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थों के कृत्य समाप्त हो जाते हैं।

पंचतीर्थों के पश्चात् अन्य तीर्थों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएंगे। केवल वायु० के विशिष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतगवापी में स्नान एव श्राद्ध करके यानी को इस से उत्तर मतगेज ढगे जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० १११२५ 'प्रमाण देवता सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आज्ञ-वृक्ष की जड़ में जल ढारते हुए 'आम्र ब्रह्म-सरोदमृत' का पाठ करना चाहिए (वायु० १११२६)। ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र 'नमो ब्रह्मणे ..' (वायु० १११३४६) है। यम को बलि 'यमराज धर्मराज.' (वायु० १११३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तो को वायु० के १११३९ एव कौत्रो को वायु० १११४० के मन्त्र के साथ बलि दी जाती चाहिए। गदो के कृत्य के लिए यानी को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को जाना चाहिए और वहाँ पांच उपचारों से 'इदं विष्णुविचक्रमे' (ऋ० १२२११७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धपोडरी करनी चाहिए (वायु० ११०६०)।

रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काश्यपपद पर होता है। गदालोत्-तीर्थस्नान के लिए उन्होंने वायु० (१११७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट को नमस्कार करने के लिए वायु० के (१११८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इससे उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एव मुण्ड-पुष्ट नामक उपतीर्थों के श्राद्धों का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यानी को वायु० (१०५५४४ 'यानी वैतरणी नाम') के मन्त्र को बहबर वैतरणी नदी (भस्मकूट और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यानी को पाण्डुशिला (जो पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका एव महानदी नामक नदियाँ एव घाराएँ (जब वे शिला से मिलती हैं तो) मधुलवा कनी जाती हैं (वायु० ११२३०) और वहाँ के तर्पण एव श्राद्ध से अधिक फल भी प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाश्वमेध, मतगपद, मलकुण्ड (उच्चत पर्वत के पास), गद्यावृत आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यानी को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जेनादन के हाथ से दधि से मिथित (किन्तु तिल के साथ नहीं) एक पिण्ड रखना चाहिए और ऐसा ऋते हुए पाँच दलों को (वायु० १०८१६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने मातृपोडरी के लिए १६ दलों उदपृत निधे हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते।

अब हमें गद्याक्षेत्र, गद्या एव गद्याशिर या गद्यातीर्थ के अन्तरो को समझना चाहिए। वायु०, अग्नि० एव नारदीय० के अनुसार गद्याक्षेत्र पाँच बीघों एव गद्याशिर एव बीस तब विस्तृत है।<sup>४६</sup> नागी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थों को पंचक्रोश

<sup>४६</sup> 'पञ्चक्रोश गद्याक्षेत्र क्रोशमेकं गद्याशिरः।' वायु० (१०६१६५); अग्नि० (११५१४२) एव नारदीय० (उत्तर, ४५।१६)।

वहना एक सामान्य रीति हो गयी है। विन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रैतशिला से लेकर महाबोधि-वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपूठ की चारों दिशाओं में ढाई कोस विस्तृत माना गया है।" गयाक्षि-र गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एव गयाक्षेत्र (गयाक्षीर्ष का पालि रूप) अति प्रसिद्ध बड़े गये हैं (महावग्ग १।२।१।१ एव अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)।

हमने अति प्रसिद्ध एव पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार से लिखना स्थानामत्र से यहाँ सम्भव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, मक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ बहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की चर्चा कर देना आवश्यक है।

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एव मोक्षदायक माना जाता है और ये सात तीर्थ हैं—अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एव द्वारका।" बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एव द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम दिये हैं—सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (बनूल जिले में कृष्ण नामक स्टेसन से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओकार-क्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर, हिमालय में कैदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निवास-स्थल पर), काशी में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर श्यम्भुकेश्वर, वितामूभि में वैद्यनाथ, दासकावन में नमोश, नेनुदन्त्य में रामेश्वर एव शिवालय (देवगिरि या दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का आधुनिक स्थल) में घृष्णेश। शिवपुराण (कोटिद्रुम-सहिता, अध्याय १) में १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम दिये हैं और उनके विषय की आश्चर्याकारण अध्याय १४-३३ में दो हुई हैं। स्कन्द० (बेदारखण्ड, ७।३०-३५) में १२ ज्योतिर्लिंगों के साथ अन्य लिंगों का भी वर्णन दिया है। बार्हस्पत्यमूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) में विष्णु, शिव एव शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।"

४७. मुण्डपूठान्व पूर्वदिग्दर्शने पश्चिमोत्तरे। सार्धं क्रोशद्वयं मानं गयेति परिकीर्तितम्॥ वायु० (त्रि-स्थलीसेतु, पृ० ३४२)।

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोचताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः॥ ब्रह्माण्ड० (४।४०।११); काशी कान्ती च मायाध्या त्वयोध्या द्वारबन्धुपि। मथुरावन्तिका चैताः सप्त पुरोत्र मोक्षदाः॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६८); काञ्च्यवन्ती द्वारवती काण्ययोध्या च पञ्चमी। मायापुरी च मथुरा पुत्र्यः सप्त विमु-क्तिदाः॥ काशीखण्ड (२३।७); अयोध्या...वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तता मोक्षदायिकाः॥ गरुड० (मंत्रखण्ड, ३।४।५-६)। स्कन्द० (नागरखण्ड, ४।७।४) में कान्ती को वरसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड० (३।१३।१४-१७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ लोग मेवाल की राजधानी काठमाण्ड का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु शंभुषेठ जियाप्रका में इसे त्वालियर के उत्तर २० मील दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है।

४९. अष्ट ब्रह्मणक्षेत्रा । बदरिका-सालग्राम-पुष्योत्तम-द्वारका-दिल्वाचल-अनन्त-सिंह-श्रीरगाः । अष्टौ शंभाः । अविमुक्त-न्यायादर-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (?) -शिवसरस्वती-अव्य-शार्दूल-गजक्षेत्राः । शापता अष्टौ च । ओष्धीन-जाल-पुष्प-क्षाम-कोल-श्रीशैल-काञ्ची-मलेन्द्राः । एते महाक्षेत्राः सर्वसिद्धिकरागच । बार्हस्पत्यमूत्र (३।१।१-१२९)।

## अध्याय १५

### कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रतिष्ठ तीर्थ

#### कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में वसुदेव के पुत्र कुरुवधन का उल्लेख हुआ है। 'कुरुवधन' का शाब्दिक अर्थ है 'कुरु की भूमि में सुना गया या प्रतिष्ठ।' अथर्ववेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्भवतः राजा) की चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काठ में कुरुक्षेत्र अति प्रतिष्ठ तीर्थ-स्थल कहा गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने दोगो अश्विन। को पहले यज्ञ-भाग से वञ्चित कर दिया था। मंत्रायणी संहिता (२।१।४, 'देवा वं सत्रमासत कुरुक्षेत्रे) एव तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, 'देवा वं सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरासीत्') का कथन है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अतर्हित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६) में आया है—'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वैदिक संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया और देवों को देवकीर्ति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म (यज्ञ, तप आदि) का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बह्मिक प्राति-पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल तिशिर-जाल में पूर्व की ओर गये, परिचम में वे प्रोष्प ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर-स्वती ने कवय मुनि को रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८।१ या २।१९)। एक अन्य स्थान पर ऐ० ब्रा० (३।५।४=७।३०) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में 'न्यप्रोष' को 'न्युन्व' कहा जाता था। ऐ० ब्रा० में कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वरा-उत्तोरों के देशों के साथ किया है (३।८।३=८।१४)। तै० ब्रा० (५।१।१) में गांधा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस वेदी के दक्षिण ओर सायध था, उत्तरी माय तूर्ण या, पृष्ठ माय परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्तर (कूर्म बाला गद्दा) था। इससे प्रकट होता है कि सायध, तूर्ण एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-भाग थे और मरु जनपद कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आश्वलायन (१।२।६), साययान (१०।१५) एवं कात्यायन (२।४।६।५) के धीतसूत्र सायध एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ था, यथा पश्चिम प्रसवण (बहाँ से सरस्वती निकलती है), धरस्वती का बँतम्बव-हृद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्वत, कार-पचव देस में बहती यमुना एवं त्रिफलावहरण का देस।



छान्दोग्योपनिषद् (१।१०।१) में उस उपस्ति चान्दायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुयारपात होने से अपनी युवा पत्नी के साथ इग्य-ग्राम में रहने लगा था और मिसादन करके जीविका चलाता था।

निरक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९।८।५ एव ७) में उल्लिखित देवापि एव शन्तनु ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टियेण के पुत्र थे। पाणिनि (४।१।१५१ एव ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति की है कि 'कुरु' से 'कौरव्य' बना है, पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य'।

महामारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुत उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण एव दृषदती के उत्तर थी मूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे। वामनपुराण (८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एव दृषदती के बीच का देश कुरु-जागल था। किन्तु मनु (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मादेव ने सरस्वती एव दृषदती नामक पवित्र नदियों के मध्य में बनाया था। ब्रह्मादिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एव शूरसेन से मिलकर बना था। इन वचनों से प्रष्ट होता है कि आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत अयो में इसके समान ही था। हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुरानी नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी और जहाँ यह मरुमूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनसान' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ-स्थल था।

आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की पश्चिम वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वाचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह मूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई जब कि सवर्ण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात बोस की मूमि जोत डाली। कुरु नामक राजा के नाम पर ही 'कुरुक्षेत्र' नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह मूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह-

परीणजघनायं। मरव उत्कर॥ १० आ० (५।१।१)। क्या 'तूष्ण' 'सूष्ण' का प्राचीन रूप है? 'सूष्ण' या प्राचीन 'सुष्ण' जो प्राचीन यमुना पर है, पानिपत से ४० मील एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मील पर है।

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दृषदत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे॥ वनपर्व (८।३।३, २०४-२०५)।

३. सरस्वतीदृषदत्योरन्तरं कुरुजागलम्। वामन० (२२।४७); सरस्वतीदृषदत्योर्देवनघोर्वन्तरम्। तं देवर्निमित्तं देश ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याष्ट च पञ्चालाः शूरसेनका॥ एव ब्रह्मविदेशो ब्रह्मावर्तादनन्तरः॥ मनु (२।१७ एवं १९)। युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित था। बृद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी। शूरसेन देश की राजधानी भी मयुरा। 'अनन्तर' का अर्थ है 'थोड़ा कम' या 'किसी से न तो मध्यम या न भिन्न'। और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६)।

४. आर्यवा ब्रह्मणो वैदिस्ततो रामहृदाः स्मृताः। कुरुणा च यत कृष्ट कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्॥ वामन० (२२।५९-६०)। वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वैदियाँ ये हैं—समन्तपञ्चक (उत्तरा), प्रयाग (अष्टमा), गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एव पुष्कर (प्रतीची)। 'स्यमन्तपञ्चक' शब्द भी आया है (वामन० २२।२० एवं पञ्च० ४।१७।७)। विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुरु की वंशावली यों है—'अजमीठ-शूक्ष-सर्वरण-कुरु' एव 'य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं चकार'।

लाय और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरें वे महापुण्यफल पायें।' कौरवी एव पाण्डवी का युद्ध यहीं हुआ था। भगवद् गीता के प्रथम श्लोक में 'धर्मक्षेत्र' शब्द आया है। वायु० (७।१३) एव कूर्म० (२।२०।३३ एव ३।३।३६-३७) में आया है कि श्याद के लिए कुरुजागल एक योग्य देस है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने इस देस की चर्चा की है जिसकी राजधानी स्याण्वीश्वर (आधुनिक पानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो धार्मिक पुण्य की भूमि के लिए प्रसिद्ध था।

वनपर्व (१२९।२२) एव वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया है। महाभारत एव कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध श्लोक आया है, यथा—तरन्तु एव कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा) एव रामहृदो (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाबों) के बीच की भूमि कुरुक्षेत्र, समन्तपञ्चक एव ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है। इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है यथा—ब्रह्मसर, रामहृद, समन्तपञ्चक, विनसान सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३)। कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए बर्निघम (आर्यालौकिक सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४ पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला से दक्षिण ३० मीलो तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलो तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वैदिक लोगों की संस्कृति एव कार्य-कलाओं का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक लोग पूर्व एव दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमना के देस में फैल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया।

महाभारत एव पुराणों में वर्णित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० (८३।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है—'मैं कुरुक्षेत्र को जाऊँगा और वहाँ रहूँगा।' 'इस विरव में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तब कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं।' यहाँ तब कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गगा, वनपर्व ८५।८८)। नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि प्रहो, नक्षत्रो एव तारागणो वः। बालगति से (आर्या

५ यावदेतन्मया शृष्ट धमक्षत्र तदस्तु च । स्नाताना च मृताना च महापुण्यफल त्विह ॥ वामन० (२२।३३-३४) । मिलाइए शल्पपर्व (५३।१३-१४) ।

६ वेदी प्रजापतेरेषा सम-तात्पञ्चघोोजना । कुरोर्वे यशोशिलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः ॥ वनपर्व (१२९।२२), समाजगाम च पुनरहृथो वेदिमुत्तराम् । समन्तपञ्चक नाम धर्मस्थानमनुत्तमम् ॥ आ साम ताद्योजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः ॥ वामन० (२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है—'पञ्चघोजनविस्तार दमास्तपक्षमो-द्गमम् । श्वम तपञ्चक तावत्कुरुक्षेत्रमुदाहृतम् ॥'

७ तरन्तुकारन्तुकयोर्वदन्तर रामहृदवाना च मचक्रुकस्य । एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चक पितामहस्योत्तरवेदि-रुष्यते ॥ वनपर्व (८३।२०८), शल्पपर्व (५३।२४) । पद्य० (१।२७।१२) में 'तत्पञ्चकारण्डकयो' पाठ दिया है (बल्पतरु, तीर्थ, पृ० १७९) । वनपर्व (८३।१५-१५ एव २००) में आया है कि भगवान् विष्णु द्वारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के द्वारपालों में एक द्वारपाल था मचक्रुक नामक यक्ष। क्या हम प्रथम शब्द को 'तरन्तुक' एव 'अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते? नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत 'रन्तुक' नामक उपतोप का उल्लेख है (तीर्थप्र०, पृ० ४६४-४६५) । बर्निघम के मत से रानुक यानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र में घेंद्रे के उत्तर-पूर्व में स्थित रतन यक्ष है।

८ ततो गच्छेत्त राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमाभ्युत्तम् । पापेभ्यो विप्रमुष्यन्त तद्गताः सब्रजन्तवः ॥ कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसन्त्यहम् । य एष गन्त ब्रह्माय सधवाय प्रमुष्यते ॥ धन्यव (८३।१-२) । टीकाकार नीलकण्ठ ने एक विचित्र

न) नीचे गिर पडन का भय है किन्तु व, जा कुरुक्षेत्र म मरते है पुन पृथिवी पर नही गिरते अर्थात् वे पुन जन्म नही लेन।

यह ज्ञातव्य है कि पंचवि वनपर्व मे ८३वे अध्याय म सरस्वतीतट पर एव कुरुक्षेत्र म वृत्तिपय तीर्थों का उल्लेख किया है, किन्तु ब्राह्मणो एव श्रौतमूत्रा म उल्लिखित तीर्थों से उनका मेल नही साता, केवल 'विनशन' (वनपर्व ८३।११) एव 'सरस्' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवत परिसर है) व विषय मे ऐसा नही कहा जा सकता। इसमे यह प्रकट होता है कि वनपर्व का सरस्वती एव कुरुक्षेत्र से सम्बन्धित उल्लेख श्रौतमूत्रों के उल्लेख मे कई शताब्दिया के पश्चात् का है। नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये है। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ के विषय मे कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु सन्यासी के रूप मे रहते थे (वन० ८३।८५ वामन० ४९।३८-४९, नारदीय०, उत्तर ६५।९५)। ऐश्यट जियाग्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४-३३५) मे आया है कि यह सर ३५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एव उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौडा था। वामन० (२५।५०-५५) ने संविस्तर वर्णन किया है और उमका कथन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रतीर्थ सम्भवत वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७।८९ एव ८।१३)। ध्यासदमली धानेसर के दक्षिण पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बत्थानी है जहाँ ब्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने का प्रण किया था (वन० ८४।९६, नारदीय०, उत्तरार्ध ६५।८३ एव पद्य० १।२६।९०-९१)। अस्थिपुर (पद्य०, आदि २७।६२) धानेसर के पश्चिम ओर ओजसपाट के दक्षिण है जहाँ पर महाभारत मे मारे गये योद्धा जलाये गये थे। कर्त्तव्यम (आचर्योर्जाजन्तु सर्वे रिपॉर्टस आव इण्डिया जिल्द २, पृ० २१९) के मत मे चक्रतीर्थ अस्थिपुर ही है और अल्वरनी के काल म यह कुरुक्षेत्र मे एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृथूदक, जा सरस्वती पर था, वनपर्व (८३। १४२-१४९) द्वारा प्रशंसित है—'लोपा का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से पुनीततर है, सरस्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है। पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है' (वन० ८३।१४७, शान्ति० १५२।११, पद्य०, आदि २७।३३, ३४, ३६ एव कल्प० तीर्थ, पृ० १८०-१८१)। गल्पपर्व (३९।३३-३४) मे आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनो का श्राव करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक मे प्राण छोडता है, दूसरे दिन संभूतु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात् वह जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। वामन० (३९।२० एव २३) ने इन्ने ब्रह्मयोनितीर्थ कहा है। पृथूदक आज का पेहोवा है जो धानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले मे है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १८४)।

व्युत्पत्ति यो है (वनपर्व ८३।६) — 'कुत्सित शीतोत्ति कुरु पाप तस्य शेषणात् प्रायते इति कुरुक्षेत्रं पापनिवर्तकं ब्रह्मोपलम्बि-  
स्यानन्तवाद् ब्रह्मसदनम्।' 'सम्यक् अन्तो येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतसर्धिरोद्बहुवा, तेषां पञ्चक समन्तपञ्चकम्।' देखिए तीर्थत्र० (पृ० ४६३)।

९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन घतनाद् भयम्। कुरुक्षेत्रमृतातां तु न भूय पतन भवेत्॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। २३-२४), वामन० (३३।१६)।

१०. पुण्यमाहु कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रात्सरस्वती। सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम्॥ पृथूदकातीर्थतमं नान्यतीर्थं कुरुद्वह॥ (वन० ८३।१४७)। वामन० (२२।४४) का कथन है—'तस्यैव मध्ये बहुपुण्यवत् पृथूदकं पापहर शिव च। पुण्या नदी प्राड्मुसता प्रयाता जलोद्युक्तरय सुता जलाद्या॥'

वामन० (३४।३) एव नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा—काम्यक, अदितिवन, ध्यामवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एव सीतावन (देखिए आर्यालौकिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१)। गल्पपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि सत्तर सात सरस्वतियो द्वारा घिरा हुआ है, यथा—मुप्रभा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान् यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), काचनासी (नैमिष वन में), विशाला (गया देश में गंग द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तरकोशल में औदालक के यज्ञ में), सुरेणु (ऋषभ द्वीप में कुश के यज्ञ में), ओषधती (कुक्षेत्र में बसिष्ठ द्वारा कही गयी) एव विमलोदा (जब ब्रह्मा ने हिमालय में पुन यज्ञ किया)। वामन० (३४।६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र बही गयी हैं (यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा—सरस्वती, वैतरणी, आपया, गगा-मन्दाकिनी, मधुस्रवा, अम्बुनदी, कौशिकी, दुषद्वती एव हिरण्यती।

कुक्षेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीर्थों की सूची)। वामन० (३२।३-४) का कथन है कि सरस्वती प्लव क्षत्र से निकलती है और कई पर्वतों को छेदती हुई द्वीतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशंसा भी दी हुई है। अलबरूनी (सची, जिल्द १, पृ० २६१) का कथन है कि सोमनाथ से एक बाण-निश्रेय की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ड नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एव पाटन को पार करती कई मीलो तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गेजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३)।

### मयुरा

गुरसेन देग की मुख्य नगरी मयुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु ई० पू० पाँचवी सताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अगुत्तरनिकाय (१।१६७, एक समय आयस्मा महाकच्छानो मयुरायं विहरति गुन्दावने) एव अजिप्तम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान् शिष्य महाकच्छायन ने मयुरा में अपने गुरु के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्भवतः मयुरा को जानता था और इसके साथ हरेमलीत्र (हिरि-कण्ठ?) के सम्बन्ध में भी परिचित था। 'मयुरा' (मयुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मयुरा से आया हुआ) शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में भी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मयुरा' शब्द नहीं आया है, किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३।९८), यादवों के अन्य-वृष्णि लोग, सम्भवतः गोविन्द भी (३।१।१३८ एवं धार्तिक 'गविष्य विन्दे: संज्ञायाम्') ज्ञात थे। पतञ्जलि के महामाग्य में मयुरा शब्द कई बार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एव १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० २९९ आदि)। कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में आया है। उत्तरायणमन्त्र में मयुरा को सीर्यपुर कहा गया है, किन्तु महामाग्य में उल्लिखित सीर्य नगर मयुरा ही है, ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपर्व (२२।१।४६) में आया है कि मयुरा अति सुन्दर गावों के लिए उन दिनों प्रतिष्ठ थी। जब जरासन्ध के भीरु सेनापति हंस एवं शिम्भक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध बला गया तो हृष्य कहते हैं; 'अब हम पुनः प्रसन्न होकर मयुरा में रह सकेंगे' (समापर्व १।४।४१-४५)। अन्त में जरासन्ध के लगातार आक्रमणों से तंग आकर हृष्य ने यादवों को द्वारका में से जाकर बसाया (समापर्व १।४।४९-५० एव ६७)।

बहुराण (१४५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णिण्यो एव अन्यको ने कालयवन के मय से मथुरा का त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम को भाई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों में मथुरा को सुन्दर एव समदृशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉर्मुलॉ, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, सख्या ४५४) में मथुरा को उत्तर मथुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्डुओं की नगरी भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कस एव वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एव पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवश (१५।२८) में इसे मथुरा नाम से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। ह्वेनसांग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच देवमन्दिर थे और धीम सधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकर्ड्स आव वेस्टर्न वर्ल्ड, बील, जिल्द १, पृ० १७९)। जेम्स एलन (बैटलांग आव क्वाएस्त आव ऐंस्पेट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८)। एफ० एस्० ग्राउड की पुस्तक 'मथुरा' (सन् १८८० द्वितीय संस्करण) भी दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एव प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं।<sup>१</sup> सारवेल के प्रसिद्ध अमिलेख में बलिगराज (सारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मथुरा (मथुरा) की ओर यधनराज दिमित का भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, ह्विष्क एव अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा—महाराज राजाधिराज कनिष्क (ववत् ८, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाम प्रतिमा का शिलालेख, स० १४ का स्तम्भत लेख, 'ह्विष्क' (स० ३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रा० इण्डि० जिल्द ८, पृ० १८१-१८२), वासु (स० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख, शोण्डास (वही, पृ० २४६) के काल का शिलालेख एव मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१०)। एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिवल एव मथुरा के अमिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा तामेन्द्र दधिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०)। विष्णुपुराण (६।८।३१) से प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३) में मविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एव मगध में गुप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे।<sup>२</sup> अलबरूनी के भारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की मोड़ है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशीली पुरी थी, जहाँ महाराज्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एव जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ

१२ देखिए डा० बी० सी० लॉं कारलेख 'मथुरा इन ऐशेयट इण्डिया', जे० ए० एस्० आव बंगाल (जिल्द १३, १९४७, पृ० २१-३०)।

१३. सामान्य रूप से कर्मिक की तिथि ७८ ई० मानी गयी है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २३, १९३७, पृ० ११३-२१७, डा० ए० बनर्जी-शास्त्री)।

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ?) भोध्यन्ति पुरीं धम्पावतीं नृपा। मथुरां च पुरीं रम्या नागा भोध्यन्ति सप्त वै ॥ अनुगम प्रयाग च साकेतं मगधास्तथा। एताव् जनपदान्सर्वान् भोध्यन्ते गुप्तवशजा ॥ वायु० (९९।३८२-८३), ब्रह्म० (३।७।४।१९४)। देखिए डा० जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया (१५०-३५० ई०)', पृ० ३-१५, जहाँ नाग-वश के विषय में धर्चा है।

पुनः नागो एव गुप्तो मे हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी मे (जब ह्वेनसांग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध धर्म एवं हिन्दू धर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुन ११वीं शताब्दी मे ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया।

अग्नि० (११८-९) मे एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मयुरा पुरी मे शैलूष के तीन कोटि पुत्रो को मार डाला।<sup>१</sup> लगभग दो सहस्राब्दियो से अधिक काल तक मयुरा वृष्ण-भूजा एव भागवत धर्म का केन्द्र रही है। वराहपुराण मे मयुरा की महत्ता एव इसके उपनीषी के विषय मे लगभग एक सहस्र श्लोक पाये जाते हैं (अध्याय १५२-१७८)। बृहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१०) एव विष्णुपुराण (५-६) मे वृष्ण, राधा, मयुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एव वृष्णलोला के विषय मे बहुत-बहुत लिखा गया है।

स्थानानाम्वा से मयुरा-मम्बन्धी थोडे ही श्लोको की चर्चा की जायगी। पद्य० (आदिलखण्ड, २९।४६-४७) का बचन है कि यमुना जब मयुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है, यमुना मयुरा मे पुष्पफल उत्पन्न करती है और जब यह मयुरा से मिल जाती है तो विष्णु की भक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एव ११) मे आया है—विष्णु कहते हैं कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक मे कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मयुरा के समान मुझे प्यारा हो—मयुरा मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इमके बढकर मुझे चाई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्य० मे आया है—‘मायुरक नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है’ (४।६९।१२)। हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३) ने मयुरा का सुन्दर वर्णन किया है, एक श्लोक या है—‘मयुरा मध्य-देश वा बबुद (अर्थात् अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या पृथिवी वा शृंग है। इमके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रभूत धन-धान्य से पूर्ण है।’<sup>२</sup>

मयुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था और इसमे मयुरा पुरी बीच मे स्थित थी।<sup>३</sup> वराह० एव नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मयुरा एव इसके आसपास के तीर्थो का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थो पर मक्षेप मे लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एव १६१।६-१०) एव नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मयुरा के पास के १२ बनों की चर्चा की है, यथा—मधु, ताल, कुमुद, वाय्य, बहुल, मद्र, खादिर, महावन, लोहजय, वित्त्व, भाण्डीर एव वृन्दावन। २४ उपवन मी (प्राउसकृत मयुरा, पृ० ७६) ये जिन्हें पुराणो ने नहीं, प्रत्युत परबाल्कालीन ग्रन्थो ने वर्णित किया है। वृन्दावन यमुना के किनारे मयुरा के उत्तर-पश्चिम मे था और विन्तार मे पांच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरार्ध ८०।६,८

१५. अमृत्पुत्रमयुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवयोत्। कोटिप्रथं च शैलूषपुत्राणां निशितं शरैः॥ शैलूषं दूस्तगन्धर्वं सिन्धुतीरनिवासिनम्। अग्नि० (२।८-९)। विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) मे आया है कि शैलूष के पुत्र गन्धर्वो ने सिन्धु के दोनो तटो की भूमि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हे नष्ट करने को भेजा—‘अहि शैलूषतनयान् गन्धर्वान् पापनिश्चयान्’ (१।२०२-१०)। शैलूष का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत-नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियो एवं अन्य अभिनेताओं के झगडे की ओर संकेत करता है? नाट्यशास्त्र (१७।४७) ने नाटक के लिए शूरसेन की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए ‘वाणेश्वर हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स’ (पृ० ४०, सन् १९५१)।

१६. तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तवत्सलम्। पद्य० (४।६९।१२); मध्यदेशस्य बबुदं धाम लक्ष्म्याश्च बेबलम्। शृंगं पृथिव्या स्वालक्ष्यं प्रभूतधनधान्यवत्॥ हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३)।

१७. विरातिर्षोडशाना तु भापुर परिमण्डलम्। तन्मध्ये मयुरा नाम पुरी पर्वोत्तमोत्तमा॥ नारदीय० (उत्तर, ७९।२०-२१)।

एव ७ । ' यही कृष्ण की लीला-भूमि थी। पद्य० ( ४।६९।९ ) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० ( १३। ३८ ) न गंगा की वृन्दावन में देवी दाभायणी माना है। बालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवरा ( ६ ) में भी कुल ने एव द्यूमेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररथ से किमी प्रकार मुन्दरता में बस नहीं है। इनमें उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र द्वारा भेजी गयी यर्षा से गोप-गोपिया एव उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था ( विष्णुपुराण ५।११।१५-२५ )। वराहपुराण ( १६।४।१ ) में आया है कि गोवर्धन मथुरा में पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, क्योंकि आजकल वृन्दावन में यह १८ मील है। ब्रूम० ( १।१४।१८ ) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ तप किया था। हरिवंश एव पुराणों की बर्चाएँ कभी कभी उटपटांग एव एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, हरिवंश ( विष्णुपर्व १३।३ ) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन से दक्षिण-पूर्व में है। बालिदास ( रघुवरा ६।५१ ) ने गोवर्धन की गुफाओं ( या गुहाओं कन्दराओं ) का उल्लेख किया है। गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कस के मय से नन्द-गोप गोकुल में वृन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे ( देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एव कवि कर्णपूर या परमानन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९ )। १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गास्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एव जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य मठिन-सम्प्रदाय का बन्द था ( देखिए प्रो० एस्० के० दे कृत 'वैष्णव फंथ एण्ड मुवमेंट इन बंगाल, १९४२ पृ० ८३-१०२ )। चैतन्य के समकालीन बल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल का अनुवृत्ति पर महापन से एव मोल पश्चिम में नया गोकुल बनाया है। चैतन्य एव बल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे ( देखिए मणिलाल सो० पारिख का बल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१ )। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरगजेव ने बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।"

समाप्त ( ३१।१२३-२५ ) में ऐसा आया है कि जरासभ ने गिरिधर ( मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर ) से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी, जहाँ वह गिरी वह स्थान 'गदा-वसान' के नाम से विद्युत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता।

प्राञ्जल ने 'मथुरा' नामक पुस्तक में ( अध्याय ९ पृ० २२२ ) वृन्दावन के मन्दिरों एव ( अध्याय ११ ) गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एव नन्दगोव का उल्लेख किया है। और देखिए मथुरा एव उसके आसपास के तीर्थ-स्वलों के लिए ब्रह्म० एस्० केने कृत 'चित्रमय भारत' ( पृ० २५३ )।

### पुरुषोत्तमतीर्थ ( जगन्नाथ )

पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एव अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इनके

१८. पद्य० ( पाताल, ७।५।८-१४ ) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ ध्यात्वा उपासित की है। गोप-पतिवर्षा योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सर्वव्यापक हैं, आदि आदि।

१९. देखिए इतिहास एवं राजसन कृत 'हिन्दू आर्य इण्डिया ऐंड टोटल बाई इट्स ओन हिन्दोरिजन', जिम्ब ७, पृ० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगोरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अन्वित हुई है, — "औरगजेव ने मथुरा के 'देहा के सु राय' नामक मन्दिर ( जो, जैसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ साल पहले से निर्मित हुआ था ) को नष्ट करने की आज्ञा दी, और शीघ्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में मिला बिना गया और उसी स्थान पर एक बृहत् मसजिद की नींव डाल दी गयी।"

विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तकें देखनी चाहिए—उद्भृ० इन्द्र० हृत्कृत 'उडीसा' (जिल्द १, पृ० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत 'एण्टीक्विटीज ऑफ उडीसा' (जिल्द २, पृ० ११-१४४), आर० डी० बनर्जी कृत 'हिस्ट्री ऑफ उडीसा' (दो जिल्दों में, १९१०), गजेटियर ऑफ पुरी (जिल्द २०, पृ० ४०९-४१२)।

उडीसा में चार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—भुवनेश्वर (या धन्वतीर्थ), जगन्नाथ (या शंख-क्षेत्र), कोणार्क (या पद्म-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-से हैं।

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म० (अध्याय ४१-७०, लगभग १६०० श्लोक) एवं बृहन्नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ५२-६१, ८२५ श्लोक) में हुआ है। निबन्धों में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लगभग एव-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीर्थ के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० श्लोक ब्रह्मपुराण से उद्धृत किये हैं), रघुनन्दनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो सक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं तीर्थप्रनाथ (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन् १११०-११२० ई० में प्रणीत) के तीर्थकाण्ड में पुरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इनमें लोहागल, स्तुतस्वामी एवं कोनामुल जैसे कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है।

रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके सदर्थ में प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) को सम्बोधित है इसका अर्थ यो है—हे दुष्ट रूप सिन्धु (डुइडी) वाले दुष्टात्मा (या जिसे बठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों को चले जाओ। रघुनन्दन का कथन है कि अथर्ववेद में भी ऐसा ही मन्त्र है। सम्भवतः सायण का अनुसरण करने रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया है। क्योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा वाष्प की होती है।

ब्रह्मपुराण में वर्णित जगन्नाथ की कथा को संक्षेप में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे ओण्ड्रु नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश में एक तीर्थ है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से बालू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३-

२०. यथा 'आदौ यद्वाह प्लवते सिन्धोः पारे अपूर्ववम् । तत्रालभस्व बुद्धिं तेन याहि परं स्थलम् ॥' अस्य व्याख्या साहाय्यप्रनाथ्ये । आदौ विप्रकृष्टदेशे वर्तमानं ... अपूर्ववं निर्मातृर्हृत्कल्पेन तत्रालभस्व बुद्धिं हे होतः ... । अथर्ववेदेपि । आदौ ... सिन्धोर्मध्ये अपूर्ववम् । तदा ... स्थलम् । मन्त्रापि तथैवायं । मध्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्द २, पृ० ५६३) । प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५५।३ का है—'आदौ ... अपूर्ववम् । तदा एतस्व बुद्धिं तेन गच्छ परत्तरम् ॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है—'यद्वाह वाहमयं पुरुषोत्तमाख्यं देवताशरीरं ... हे बुद्धिं बुद्धिं ह्यनेन केनापि हन्तुमशक्यं हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपारस्वैत्यर्थं ।' सायण ने इस के विषय में अपने किसी पूर्ववर्ती व्यक्ति की व्याख्या की है, यथा—यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोधित है और उससे कहा गया है कि वह किसी नाथ या लक्ष्मी के बुद्धि (बल के रूप में) की ओर चला जाय और उस समुद्र स्थल को चला जाय जहाँ मानव नहीं हैं। यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में ठीक जाती है। अथर्ववेद में यह मन्त्र नहीं मिल सकता है।



१४)।" उत्कल देश में पुरुषोत्तमतीर्थ नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विष्णु जगन्नाथ का अनुग्रह है (४२।३५-३७)। पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की मूर्ति पूजित होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रधुम्न की गाथा है जिसमें मालवा में अबन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। वह अति पुनीत (धार्मिक), विद्वान् एवं अच्छा राजा था और सभी देवों, शास्त्रों महाकान्यों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि भामुदेव सबसे बड़े देव है। वह अपनी राजधानी उज्जयिनी से एक विदाल सेना, मूत्सों, पुरोहिती एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, बामुदेव क्षेत्र को, जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देला और वही सिबिर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक घटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो बालुकामयुक्त हो गयी थी और क्लृता-गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रधुम्न ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में बामुदेव को देला, जिन्होंने उससे प्रातःकाल समुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े घटवृक्ष को कुल्हाड़ी में काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया और सब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विद्यकर्मा थे) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विद्य-कर्मा) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रधुम्न नामक हृद (शर या सालाब) जहाँ राजा ने अश्वमेध के उपरान्त स्नान किया था, राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं।" स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वंणवखण्ड नामक प्रकरण में पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रधुम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है।

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम-तीर्थ प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-भुजा यहाँ पर उत्तर भारत से लायी गयी थी और लकड़ी की तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुईं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मंत्रायष्युपनिषद् (१।४) में

२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा मे संतरणी नदी पर स्थित ज्ञानपुर से थोड़ी दूर आगे तक फैला हुआ है। कलिंग, ओड़ एवं उत्कल के लिए बेलिए आर० डी० बनर्जीहृत 'हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा' (जिल्ड १, पृ० ४२-५८)।

२२. बेलिए एष्टर हृत 'उड़ीसा' (जिल्ड १, पृ० ८९-९४), जहाँ उपर्युक्त गाथा से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल-सहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रधुम्न को अपनी उस लकड़ी की प्रतिमा दिललायी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ दैवी बड़ई द्वारा गड़ी गयी थीं और ऐसी आशा दी गयी थी कि जब तक वे गड न दी जायें उन्हें कोई न देले, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में बेल लिया जब कि वे केवल कमर तक छोली जा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएँ अभी गड़ी नहीं गयी थीं, अर्थात् अभी वे कुन्दी के तनों के रूप में ही थीं और सुभद्रा की प्रतिमा की अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला था। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसा ही है। राजेन्द्रलाल मिश्र ने अपनी पुस्तक 'एष्टीकियटीय आब उड़ीसा' (२, पृ० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इन्द्रधुम्न की गाथा नारदीयपुराण (उत्तरार्ध, ५२।४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में आयी है। नारदीय० ने बहूपुराण के समान ही बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों-की-म्यों ले ली हैं।

इन्द्रधनु का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।" कूर्म० (२।३।५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु रणहीन चर्चा की है (तीस नारायणस्यान्यन्मान्ना तु पुरुषोत्तमम्)। राजेन्द्रलाल मित्र ने बल्पना भी है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं—आरम्भिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवीं शताब्दी के उपरान्त जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताड़पत्रों पर मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त सख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं (पृ० १०४) और सम्भवतः पुरी बौद्ध धार्मिक स्थल था (ऐप्टीक्विटीज आव उडीसा पृ० १०७)। उडीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं—घोली पहाड़ी के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉप्स इस्क्रिप्टानम् इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१००), मुवनेश्वर के पश्चिम लगभग पाँच मील की दूरी पर सण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा बर्णित बुद्ध के दन्तावशेष के जुलूस के समान जगन्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम की नदी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कही और नहीं पायी जाती और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं सप की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐप्टीक्विटीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं, और देखिए कनिंघम की पुस्तक 'ऐप्टीक्विटीज आव उडीसा' (पृ० ५१०-५११)। मेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा प्रारम्भिक रूप में त्रिसूली में से एक ही थी (जे० आर० ए० एल्०, जिल्द १८, पृ० ४०२ नयी प्रति)।

आधुनिक काल में जगन्नाथ धाम का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लंबी प्रस्तर-भित्तियों से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ सिव के, कुछ पार्वती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर हैं। यह जगन्नाथ-धाम की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०) ने भी इस सहिष्णुता की ओर संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र में घेरो एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समाधान कर दिया है।" यहाँ पर हिन्दू धर्म के अधिकांश सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रवाण्ड हैं—भृंग-मन्दिर (जहाँ भ्राता चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार भवन), जगन्नाथ-मन्दिर (जहाँ यात्री एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार है और १९२ फुट ऊँचा है जिसमें ऊपर चक्र एवं पताका है।" जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग सात फलंग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि में लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची भूमि (टीले या ढह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुर्दिक् घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं,

२३ परेऽप्ये महाधनुर्धाराचक्रवर्तित केचित् सुदुम्नभरिष्ठमैन्द्रधनुन्कुलयाण्योयनाश्ववप्रपञ्चाश्वपति-  
शाशिदिग्दुहरीश्वरद्वाम्बरीधननक्तुसर्वातिपयात्पन्नरूपोक्षसेनादयः । मंत्रायणो उपनिषद् (१।४) ।

२४ शंभुभागवतानां च धारायंत्रप्रतिषेधकम् । अस्मिन्नेश्वरे पुष्ये निमले पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्यायतन देव करोमि  
परमं महन् । प्रतिष्ठेय तथा तत्र तव स्थाने च शक्रम् ॥ ततो नारायन्ति लोके अस्मिन्नेकमूर्तो हरीश्वरो । प्रत्युधाच जगन्नाथ  
स पुनस्त महामुनिम् ॥ ... नावयोरन्तर किञ्चिद्वेदकभावो दिधा हृतो ॥ यो इत्थं स स्वयं विष्णुर्वो विष्णुः स महेश्वरः ॥  
ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०) ।

२५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का घर्जन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है—'यात्रा करोति कृष्णस्य ध्वजा य-  
समाहित । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं धजेन्नरः ॥ चक्रं दृष्ट्वा हरेर्दूरात् प्रासादोपरि स्थिततम । सहसा मुष्यते  
पापाग्रो भक्त्या प्रणम्य तम् ॥ (५१।७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५।१०-११) ।

जिनमें पूज्य बाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दाना पारवाँ में एक-एक बिसाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएँ हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है।

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ बिसिष्ट परिघटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्राण एव सिंहद्वार के ब्राह्मण कोई जाति निषेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।<sup>११</sup> दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भाग के रूप में पका हुआ पुनीन चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में आति-वचन टूट जाते हैं। यहाँ तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भोजन ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जान पर अपनी पुनीतता बची भी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद मुखाकर भारत के सभी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक श्राद्ध में पितरा का दिव्य जानवाले भोग में इगला प्रयुक्त एक कण महापुष्पकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र व ऐम्पीक्विटोज़ आब उडीसा, जिल्द १, पृ० १३१-१३४)। तीसरी विशेषता है आपाठ के मुकलपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महात्सवों में एक है।<sup>१२</sup> रथयात्रा के धार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर ('उडीसा', जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह आपाठ मुकल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है, इसमें १६ सीलियों वाले ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलेंगी के रूप में गहड़ बैठे हैं। दूसरा रथ मुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ सीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पक्ष है। तीसरा रथ बलराम का है, जिसमें १४ सीलिया वाले १४ पहिये हैं और कलेंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहस्रांश्री भावाकुल हो सगीत एवं जपकारा का प्रदर्शन करते हैं। अग्रजो साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से धार्मिक धार्मिक उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्को के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे। किन्तु ऐसी घटनाएँ सर्वथा निर्मूल हैं। ऐसी घटनाआ का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रो यात्री हो वहाँ दबकर भर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किन्तु अग्रजो साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धार्मिकता के विरोध में पड़ते हैं। हण्टर ('उडीसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र-लाल मित्र (ऐम्पीक्विटोज़ आब उडीसा, जिल्द २, पृ० ९९) ने कहा है—'जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव इतना बदनम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नहीं है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष विषय में कही गयी है वह कही और नहीं पायी जाती।' मुकल पक्ष की दशमी को रथ पुन लौट आता है।

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलायुकेश्वर, जिसे भुवनेश्वर शिखर के निर्माता ललाटेन्दु बेसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था, इसके पश्चात् मार्कण्डेयेश्वर का और तब जगन्नाथ-मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पृ० ११२)। मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि

२६. हण्टर ने अपने ग्रन्थ 'उडीसा' (पृ० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मासाहारी एवं जीवहत्या करनेवाले होते हैं। मछली मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्राण में प्रवेश करने का अधिकार है।

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेंसूक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाथ-सम्बन्धी १२ मासों में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर 'द्वारनाथप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है।

के विषय में (जे० ए० एस० वी० १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पृ० ३२८-३३१) चर्चा करते हुए गग-बन्ध के ताम्र-पत्रों से दो श्लोकों को उद्धृत करके कहा है कि गगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर का निर्माण कराया था।<sup>१८</sup> चोडगग का राज्याभिषेक शक सवत् ९९९ (सन १०७८ ई०) में हुआ था अतः एम० एम० चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगभग १०८५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० डी० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७ पृ० २०९-२१५) का कथन है कि उडिया इतिहास 'मादला-मञ्जी के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगग ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र अनग भीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे मुहत्तान फीरोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एव डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५)। इन गग राजाओं ने मुबनेश्वर, कोणार्क एव पुरी के मन्व्य एव विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (एण्टीक्विटीज आव उडीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) एव हण्टर (उडीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनग भीम ने मुबनेश्वर के शिखर से बढ़कर अति सुन्दर जगन्नाथ शिखर बनवाया था (शक सवत् १११९ अर्थात् सन् ११९८ ई० में)।<sup>१९</sup>

जगन्नाथ-मन्दिर मूल्यो (सेबको) की सेना से सुशोभित है। ये मूल्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एव ९७ वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा सुधं, जो अपने को जगन्नाथजी का 'साहू देने वाला' कहते हैं (देखिए हण्टर का ग्रन्थ 'उडीसा', जिल्द १ पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अपहार-दान आदि लाखों रुपये तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं, इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में महान असतोप प्रकट किया जाता है। उडीसा राज्य ने सन् १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ मन्दिर प्रबन्ध कानून सख्या १५) जो सेबको, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-भूजा एव देवस्थान के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं, कर्तव्यों एव अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण मात्र की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता—जैसा कि मक्त लोगों का कथन है।

बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—मार्कण्डेय का सरोवर, बट-कृष्ण, बलराम, महोदधि (समुद्र) एव इन्द्रधनुन-सर।<sup>२०</sup> मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृसिंहपुराण (१०।२१, सतोप) में आयी है। ब्रह्म (५६।७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एव एक सर

२८ प्रासाद पुरुषोत्तमस्य नृपति को नाम कर्तुं समस्तस्येत्याद्यनृपसहितमय चक्रेश्वर गगेश्वर ॥ इन श्लोकों से पता चलता है कि सिन्धालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अस्तित्व में था और चोडगग के पूर्ववर्ती राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगग ने केवल भीतररी प्रकोष्ठ का और जगन्मोहन अर्थात् प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया था (देखिए राजाशासक बनर्जी, हिस्ट्री आव उडीसा, जिल्द १, पृ० २५१)।

२९. 'साकारे एरम्भान्मूर्त्तयस्तत्रापके। प्रासादं कार्यामासानपथीनेन धीमता ॥ देखिए डा० मित्र का ग्रन्थ, जिल्द २, पृ० ११०, एवं राजाशासक बनर्जी का ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २५८, जहाँ चोडगग के राज्याभिषेक की तिथि उसके दाससन् १००३ वाले सिन्धालेख से तिष्ठ की गयी है।

३०. मार्कण्डेय बट कृष्ण रोहिषेय महोदधिम् । इन्द्रधनुस्तत्सरोव चक्रेश्वतीर्थीर्षिषि-स्फुत् ॥ ब्रह्मपुराण (६०।११)।

के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार हुबोना चाहिए, तर्पण करके गिव-मन्दिर में जाना चाहिए और 'अनम शिवाय' के मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए, पुन अघोर एव शौराणिक मन्त्रा से पूजा करनी चाहिए।<sup>११</sup> तब यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र<sup>१२</sup> से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में है (न्यग्रोधाकृतिक विष्णु प्रणिपत्य)। वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म० ५७।१२, ६०।१८)। यात्री को कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गहद को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, सकरुपण एव सुमद्रा की पूजा करनी चाहिए। सकरुपण एवं सुमद्रा के मन्त्र हैं ऋम से ब्रह्म० में (५७।२२-२३) एव (५७।५८)। कृष्ण की पूजा १२ अक्षरा (ओ नमो भगवते यामुदेवाय) या ८ अक्षरो (ओ नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म० (५७।४२।५१) में मन्त्रपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलो एव मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान करनी भी किया जा सकता है। किन्तु पूर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म० ६०।१०)। सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० में अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रधनुन्-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एव पितरों को तर्पण एव पितृ पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५)।

कवि गंगाधर ने गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि० जिल्द २, पृ० ३३०, शक सवत् १०५९ अर्थात् सन् ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर सनेत मिलता है।

ब्रह्म० के अध्याय ६६ में इन्द्रधनुन्-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, सकरुपण एव सुमद्रा का कुछ काल तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डिचायात्रा की चर्चा हुई है। तीर्थेधि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय की उद्धृत किया है और इसे गुण्डिचा की मजा दी है, किन्तु 'चैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगभग दो मील की दूरी पर जमुप्राय का ग्रीष्म-निवास-स्थल है। यह सत्य सम्भवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका बगला एव उडिया (देखिए डॉ० मित्र, 'ऐप्पीनिवटीव भाव उडीसा', जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा, यह उस वाण की ओर संकेत करता है जिसे इन्द्रधनुन् ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महाताव वृत 'हिस्त्री भाव उडीसा (पृ० १६१)।

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में धार्मिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा—'जो लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में बटवृक्ष पर चढ़कर या घटवृक्ष एव सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी सहाय के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या प्रवेशान में या जगन्नाथ के गृहमण्डल में या रथ के मार्ग में या नद्दी भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षामिकाक्षी को इस तीर्थ पर सर्वप्रथम से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७।१६, १७, २४ एव २५)।

३१. मूलमन्त्रेण सम्पूज्य मार्कण्डेयस्य क्षेत्रवरम् । अघोरेण च भो विप्रः प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण । प्राहि मा त्व विरूपाक्ष महोत्तम नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।७-८=नारदीय०, उत्तर ५५।१८-१९) । तीर्थेधिनतामणि (पृ० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है—'ओम अघोरेभ्योघोरेभ्यो घोतरेभ्य, सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु खड्गरेभ्य' । यह मन्त्र मंत्रायणी-सहिता (२।९।१०) एव तै० आ० (१०।४५।१) में आया है।

३२. ओं नमोऽव्यक्तलपाय महाप्रलयकारिणे । महद्दसोपविष्टाय न्यग्रोषाय नमोस्तु ते ॥ अपरस्त्व सदा कल्पे हरेश्चायतन वट । न्यग्रोष हर मे पाप कल्पवृक्ष नमोऽस्तुते ॥ ब्रह्म० (५७।१३-१४=नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५) ।

ब्रह्म० (७०।३-४ = नारदीय०, उत्तर ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है—'यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरुषोत्तम) क्षेत्र परम महान् है और सर्वोच्च तीर्थ है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आन पर व्यक्ति को पुन गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है।

महान् वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन् १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ वर्षों के उपरान्त सन् १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापहरदेव पर, जिसने उड़ीसा पर सन् १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य-चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने का प्रबल उत्पन्ना प्रवृत्ति की और कहा कि यदि सन्त की वृषाद्दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिशयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मान्य है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हृष्टर 'उड़ीसा', जिल्द १ पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सार्वभौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ 'दारब्रह्म' (वाप्ट की प्रतिमा में अभिव्यजित देवी शक्ति) हैं वहाँ चैतन्य नरब्रह्म है (पृ० १६७)। कवि कर्णपूर की सरवृत्त-रचना 'चैतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८) में पुरी में चैतन्य की भक्ति प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें रूप एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख भाग का चित्रण वर्णन पाया जाता है। डा० एम० के० देन मन प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चैतन्य के नवीन धर्म में प्रविष्ट होने के विषय में हम पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमण्ट इन बेंगाल, पृ० ६७)।

जगन्नाथ ने विद्यालय मन्दिर की दीवारों पर जो अद्वैत एव वामुव हाव भावपूर्ण शिल्प है उसने इस उद्वेगल मन्दिर की विशेषता पर एक बाला चिह्न-मा फेर दिया है और यही बात वहाँ की नर्तकियों के विषय में भी है जो अपनी चरित्र आँखों से वामुवता का मद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखकों ने इस ओर प्रबल सचेत किया है (यथा—इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ३२२, हृष्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५)। नर्तकियों की उपस्थिति अतीत इतिहास की यथोचित-मी है। ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-यादन होता था, बौमुरी का स्वर गुञ्जर होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं वृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचनार स नम्र सुन्दर वेदस्याओं का नतन आदि होता था।<sup>११</sup>

### नर्मदा

गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियाँ में नर्मदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों में विषय में भी विशेष में कुछ लिख देना आवश्यक है।

वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१) में देवोत्तरग की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सृञ्जया ने निकाल बाहर किया था।<sup>१२</sup> देवा नर्मदा का

३३ मुनीनां वेदशास्त्रेण मन्त्रशास्त्रेणैतयापरं । नानास्तोत्रैश्चै पुण्यं सामशाब्दोपयुहितं ॥ इयामर्षेयानर्षेयैश्चैव  
कुक्षमारावनामिभिः । पीतरवताम्बरामिभश्च मात्यदामावनामिभिः ॥ . . . चामरं रत्नवर्णैश्च वीज्येते रामवेशवै ॥  
ब्रह्म० (६५।१५, १७ एवं १८)।

३४ देवोत्तरगमुहपाटव चाक्र स्थपति सृञ्जया अपहृष्टवु । शतपथब्रा० (१२।९।३।१)।

दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि 'रेवा' से ही 'रेवोत्तरल' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वार्तिक ने 'महिष्मत्' की व्युत्पत्ति 'महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। इससे प्रकट होता है कि मग्गवन वार्तिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नर्मदा का परिचय था। रघुवट (६।४३) में रेवा (अर्थात् नर्मदा) ने तट पर स्थित माहिष्मती को अनुप को राजधानी कहा गया है।

महामारत एव कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ श्लोक), पद्म० (आदिलेख, अध्याय १३-२३, ७३९ श्लोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही श्लोक हैं) कूर्म० (उत्तरार्ध, अध्याय ४०-४२, १८९ श्लोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उमके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य० (१९४।४५) एवं पद्म० (आदि, २१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है, अमरकण्ठक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूर्म० (२।४०।१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ हैं। नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७७) का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीर्थ हैं (श्लोक १), किन्तु अमरकण्ठक से लेकर साठे तीन करोड़ है (श्लोक ४ एवं २७-२८)।<sup>१३</sup> वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नर्मदा का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह भी आया है कि नर्मदा आनर्त देश में है, यह त्रिपयु एव आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेज लता के बितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्नान करने को आते हैं।<sup>१४</sup> मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्धोष किया है कि गंगा कनकल में एव सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। नर्मदा केवल दशरत-मान से पानी को पवित्र कर देती है, सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्थानों से, यमुना सात दिनों के स्थानों से और गंगा केवल एक स्थान से (मत्स्य० १८६।१०-११=पद्म०, आदि, १३।६-७=कूर्म० २।४०।७-८)। विष्णुधर्मसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जि में नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया है। नर्मदा को छत्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस-ज्ञात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह अमरकण्ठक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नी का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८।११)।<sup>१५</sup> वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्धोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया श्राद्ध अक्षय होता है।<sup>१६</sup> मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी

३५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हें पृथक्-पृथक् (तापी-रेवा-सुरस्ता-नर्मदा) कहा है, और भागवतपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विन्ध्य से तथा नर्मदा शृङ्गपार से निकली है। सार्वभौमिकोदितोपादि गदितानोह वायुना। विवि भुव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि सन्ति च ॥ नारदीय० (उत्तर, ७७।२७-२८)।

३६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनर्त कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६) में द्वारका को आनर्त-नगरी कहा गया है। नर्मदा आनर्त में होकर बहती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि महामारत के काल में आनर्त के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सम्मिलित थे।

३७ नर्मदा सरितां श्रेष्ठां चन्द्रदेहाद्विनिस्तुता। तारयैत्सर्वमृतानि स्थावरानि चराणि च ॥ मत्स्य० (१९०।१७=कूर्म० २।४०।५=पद्म०, आदिलेख १७।१३)।

३८. पितृणां कुहिता पुण्या नर्मदा सरितां वरा। तत्र ध्याद्वानि दत्तानि अन्नधानि सचन्त्युत ॥ वायुपुराण (७७।३२)।

है।" प्रो० के० वी० रगस्वामी आयगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नर्मदा वास्तव में लगभग ८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९)। किन्तु दो योजन (अर्थात् उनके मतानुसार १६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एव ब्रूम० का कथन है कि नर्मदा अमरकण्ठक से निकली है जो कर्लिंग देश का पश्चिमी भाग है।"

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एव दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो तब 'प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार' हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार, मुझे विषपर साँपा से बचाओ' इस मात्र का जप करके चलना है तो उसे साँपो का भय नहीं होता।"

ब्रूम० एव मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नर्मदा के किसी तीर्थ पर या अमरकण्ठक पर) प्राण त्यागता है वह पुन (इस सप्तर में) नहीं आता।"

टाक्रेमी ने नर्मदा को 'नर्मडाज' कहा है (पृ० १०२)। नर्मदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्भामिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त सवत १६५=४८४-८५ ई०) का है। दक्षिण काप्स इतिशप्तानम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९)।

नर्मदा में मिलने वाली कतिपय नदियाँ व नाम मिलते हैं, यथा कृषिता (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० एव पद्य० १।१३।३५) विनाल्या (मत्स्य० १८६।४६=पद्य० २।३५ ३९), एरब्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एव पद्य० १।१८।४४) इक्षुनादी (मत्स्य० १९१।४९ एव पद्य० १।१८।४७), काबेरी (मत्स्य० १८९।१२-१३ एव पद्य० १।१६।६)।" बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जायगा। एक है महेश्वरतीर्थ (अर्थात् ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणामुर की तीन नगरियाँ जला डाली (मत्स्य० १८८।२ एव पद्य० १।१५।२), शुकल-तीर्थ (मत्स्य० १९२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजर्षि चाणक्य ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी) भृगुतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर्ग मिलता है और जहाँ मरने से सप्तर में पुन लौटना नहीं पड़ता), कामरुग्म्य-तीर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है और जहाँ भगवान् जनादन ने पूजा प्राप्त की)। अमरकण्ठक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य० १८९।८९ एव ९८)। नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ है माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में भ्रमभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्यता है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया

३९ योजनानां शत साध धूपते सारिबुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमापता ॥ ब्रूम० (२।४०।१२ =मत्स्य० १८६।२४-२५)। और बेलिए अग्नि० (११३।२)।

४० कर्लिंगदेशपरबाधे पर्वनेऽमरकण्ठके। पुष्या च त्रिभु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ ब्रूम० (२।४०।१९) एव मत्स्य० (१८६।१२)।

४१ नर्मदायै नमः प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमोस्तु नर्मदे तुभ्य शशि मां विषसंपत् ॥ विष्णुपुराण (४।३। १२-१३)।

४२ अनासक तु यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नराधिप। गर्भभासे तु राजेन्द्र न पुनर्जाते पुपान् ॥ मत्स्य० (१९४।२९-३०)। परित्यजति यः प्राणान् पर्वनेऽमरकण्ठके। सर्वकोटिगतं साध दालोके महीपते ॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४)।

४३ नर्मदा की उत्तरी शाखा जहाँ 'ओंकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'काबेरी' नाम से प्रसिद्ध है।



है कि अशोक महान् के राज्यकाल (लगभग २७४ ई० पू०) में मोगलिपुत्र तिस्स ने कई देशों में शार्मिक दूत-मण्डल भेजे थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल-को माहिष्मती कहा है (वे० आर० ए० एस्०, पृ० ४२५-४७७, सन् १९१०)। महामाध्यकर को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वातिक १०)। कालिदास ने इसे देवा से विरी हुई कहा है (रघुवंश ६।४३)। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एव १६६।४), अनुशासन पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एव पद्य० (२।९२।३२) में माहिष्मती को मर्मबा-वा देवा पर स्थित माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या मयुकच्छ (आधुनिक मरुब), जिसके विषय में तीर्थों की तालिका को देखिए।

### गोदावरी

वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात् पत्तनेदि का, वह गोदावरी पर अलक के पार्श्व में अत्यन्त की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, संक्रेढ मुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८४ एव १८७)। पाणिनि (५।४।७५) के 'सख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' धातुक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर्' भी परिलक्षित होता है। रामायण, महाभारत एव पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८८।२) ने इसे दक्षिण में पायी जाने वाली एक पुनीत नदी की सजा दी है और कहा है कि यह निर्मलपूर्ण एव बाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहाँ मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एव २१) ने गोदावरी के पास के पञ्चवटी नामक स्थल का वर्णन किया है, जहाँ भृगा के क्षुण्ड रहा करते थे और जो अमृत्य के आग्रम से दो योजन की दूरी पर था। ब्रह्म० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एव इसके उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीर्थसार (नृसिंहपुराण का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (अथा—८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, १४४, १५४, १५९, १७२) से लगभग ६० श्लोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराण के गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काण्य का लेख (जर्नल आव दी राम्बे ब्राच आव दी एस्ति-याटिक सोसाइटी, सन् १९१७, पृ० २७-२८)। ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है।<sup>४४</sup> ब्रह्मपुराण (७८।७७) में आया है कि विन्ध्य क दक्षिण में गगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है। गोदावरी की २०० योजन की लम्बाई ४ ही गयी है और कहा गया है कि इस पर साठे तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म० ७७।८-९)। दण्डकारण्य को धर्म एव मुक्ति का बीज एव उत्तकी भूमि को (उसके द्वारा आदिल्ल्य स्थल को) पुष्पतम कहा गया है।<sup>४५</sup> बहुते-से पुराणों में एक श्लोक आया है—' (मध्य देश के) देश सहा पर्वत के अनन्तर में है वही पर गोदावरी है और वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एव गन्धमादन के समान है।'<sup>४६</sup> ब्रह्म० (अध्याय

४४ विन्ध्यस्य दक्षिणे गगा गौतमी सा निगच्छते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ ब्रह्म० (७८।७७) एव तीर्थसार (पृ० ४५) ।

४५ तत्र कोट्योर्ध्वशेटी च धोमनाता शतद्वये । तीर्थानि मुनिशार्दूल सन्धविष्यन्ति गौतम ॥ ब्रह्म० (७७।८-९) । धर्मबीज मुक्तिबीज दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद् गौतमीशिल्ल्ये देश पुष्पतमोऽयम् ॥ ब्रह्म० (१६१।७३) ।

४६ सहास्यानन्तरे धेतं तत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रवेशो मनोरम ॥ यत्र गोवर्धनेो नाम

७४ ७६) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से भगा का ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुर्मिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने भगा को अपने आश्रम में उतारा। वे प्रातःकाल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्न में काट लेते थे और यह कार्य वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहे और इसी से वह पशत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, श्र्यम्बक नाम से विख्यात हुआ (श्लोक २४)। वराह० (७१।३७-४४) में भी कहा है कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (३।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म० (१२।४।९३) में ऐसा आया है कि 'सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) धोषित हैं—मुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो कल्याणकर हैं। ब्रह्म० ने यहाँ के लगभग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा—श्र्यम्बक (७९।६), कुशावर्त (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वञ्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु स्थानानामक से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख देना आवश्यक है। भरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गौरक्षिता के दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० वा है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सब से पुराना है। महामाष्य (६।१।६३) में नासिकय पुरी का उल्लेख हुआ है। श्या० (४५।१३०) ने नासिक्य को एक देश के रूप में बहा है। पाण्डुलेया की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से नासिक एक समृद्धिवाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६)। टलिमी (लगभग १५० ई०) ने भी नासिक का उल्लेख किया है (टलिमी, पृ० १५६)।

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलो, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानानामक से अधिक नहीं लिखा जा सकता। इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में बचा-बिच ही कोई सदा हो। सन् १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज के सभी मन्दिर पुना के पेशवाजा द्वारा निर्मित कराये गये हैं (सन् १७५० एवं १८१८ के भीतर)। इन्में तीन उल्लेखनीय हैं—पचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड के पास नारो-शकर का मन्दिर (या श्र्यम्बक-मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर। पचवटी में गीता-गुफा का दशन किया जाता है इसके पास बरगद के प्राचीन पेठ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच बटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान को पचवटी की सजा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दूर पर वाले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर मन्दिरों में परिगणित होता है। गावधन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एवं तपोवन (नासिक से ११ मील दक्षिण-पूर्व) के बीच में बहुत-से स्नान-स्थल एवं पवित्र बुण्ड हैं। गोदावरी की बायें ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव है नासिक का रामबुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। काशराम-मन्दिर के प्रति दिन के धार्मिक कृत्य एवं पूजा यात्रों

मन्दरो गण्यमान ॥ मत्स्य० (११।३।३०-३८=श्या० ४५।११२-११३=मासकण्डेय० ५।४।३४-३५=ब्रह्माण्ड० २।१६।४३)। और देखिए ब्रह्म० (२७।४३-४४)।

लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६)।<sup>१०</sup>

उपवदात के नासिक शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, 'गोवर्धन' शब्द आया है। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७०। पचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह शातव्य है कि रामायण (३।१३। १३) में पचवटी को देस कहा गया है। शत्यष्वं (३९।९-१०), रामायण (३।२।१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। ३०) एवं अग्नि० (७।२।३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पचवटी उसका (अर्थात् जनस्थान का) एक भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी की तृण से भुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८।१।२२-२४)।

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक माना जाता है (धर्मसिन्धु, पृ० ७)। ब्रह्म० (१।५।२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साठे तीन करोड़ देवता इस समय यहाँ स्नानाय आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान मागीरथी में प्रति दिन किये जाने वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। बराह० (७।१।४५। ४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्य वर्ष में गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे भुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्य वर्ष में भारत के सभी भागों से सहस्रों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं।

### काञ्ची (आधुनिक काञ्चीवरम्)

काञ्ची भारत की सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है।<sup>११</sup> यदि ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विरवास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग (लगभग ६४० ई० सन्) के अनुसार काञ्ची ३० ली (लगभग ५॥ मील) विस्तार में थी और उसके समय में वहाँ आठ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निर्ग्रन्थ लोग यहाँ रहते थे। महामाय्य (वार्तिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने भी 'काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। पल्लवों के बहुत-से अमिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा—युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा के मयिदबोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहडगल्ली लेख (वह, जिल्द १, पृ० २) एवं कदम्ब काकुत्स्थवर्मा का तालगुड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति (गुप्त इतिहास, पृथीट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु गोप को पराजित किया था। 'मणिमैसल' में काञ्ची का विषय वर्णन है, जहाँ मणिमैसल ने अन्त में प्रकाश पाया था (एम्० कृष्णस्वामी धायगरकृत 'मणिमैसल इन इट्स हिस्टोरिकल सेटिंग', पृ० २०)। यहाँ पर पल्लवों, काञ्ची

४७ 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है और इसी से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर सवमण ने सूर्यसूक्त की नाक (नासिका) काटी थी।

४८ अयोध्या नगपुर माया कान्ती काञ्ची ह्यवन्तिका। एता पुष्पतमा प्रोक्ता पुरीणामुत्तमोत्तमा ॥ ब्रह्माण्ड० (४।४०।११), काशी कान्ती च मायाह्या स्वयोध्या द्वारवत्यपि। नगुरावन्तिका र्धता सप्त युयान् मोसदा ॥ स्कन्द० (काशीलण्ड ६।६८) आदि।

आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करता आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आ० गोपालन कृत 'हिस्ट्री ऑफ दि पल्लवज आउ काञ्ची' (सन् १९२८) जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

अब हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि काशी एवं काञ्ची दोनों भगवान् शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रसिद्ध वृष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का साभिभ्य भो है।" बाह्यस्पत्य-सूत्र (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विस्फात शाक्त क्षेत्र है, और देवीभागवत (७।३८।८) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है—पुष्पो मे जाती नगरो मे काञ्ची, नारियो मे रम्मा, चार आश्रमो के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरो मे कुशस्थली एवं देशो मे मध्यदेश सर्वं श्रेष्ठ है।"

काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थों से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्लव राजसिंह द्वारा निर्मित कैलासनाथ का शिव-मन्दिर एवं विष्णु का बंक्रुष्ठ पेरुमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्भ हैं।" एक प्राचीन जैन मन्दिर भी है।

### पडरपुर

बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पडरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-सहस्रों यात्री यहाँ पधारते हैं। बम्बई गजेटियर (धोलापुर जिला) में पडरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२)। यह तीर्थ बहुत पुराना नहीं है। विठोबा का तीर्थ कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य भाग में इसका अस्तित्व था। पद्य० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) में भीमरथी के तट पर विट्ठल विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किया है। इस मूर्ति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाधव के नाम से विख्यात थी। पद्य० के इस भाग के प्रणयन-नाल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पदवात्कालीन शेषक है जो लगभग १००० ई० सन् से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पडरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रसुमाई का मन्दिर है। रसुमाई विठोबा की धर्मपत्नी थी। विठोबा के मन्दिर में पुरोहितों एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिनके मुख्य पुरोहितों को 'बड़े' कहा जाता है। बड़े लोगों की सख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया और एक प्रबन्ध-कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है। बड़े लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवार्थी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा—पुजारी (जो देव-यूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बनारी (जो

४९. नेत्रद्वयं महेशस्य काशीकाञ्चीपुरद्वयम्। विस्फातं ब्रह्मवशेन शिवसंनिभ्यकारकम् ॥ ब्रह्मांड० (४।१९-१५)।

५०. पुष्पेव जाती नगरेषु काञ्ची नारोषु रम्माधनिमा। गृहस्थः। कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु देशेषु सर्वेषु च मध्य-देशः ॥ वामन० (१२।५०)। देखिए 'साउथ इण्डियन इतिहास', जिल्द १, पृ० ८-२४, जहाँ काञ्ची के कैलासनाथ के मन्दिर में ४४० शताब्दी की कलक-लिपि के लेखों का वर्णन है।

५१. इत्यु० ए००० कौमे मे अपनी पुस्तक 'पिस्करेस्क इण्डिया' में लिखा है कि गिनते पर केवल ५४० स्तम्भ मिलते हैं।

हस्तों में भार्गो एव स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिवारक (जो एक लम्बी रजत-स्याली में जल लाते हैं जिससे पुजारी देवता की मूर्ति को स्नान कराते हैं, और प्रातः एव साय की आरती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिबल्ल (जो प्रातः-साय एव रात्रि में देव-भूजन के समय पांच श्लोक पढ़ते हैं), रिषे (जो प्रातः काल, श्रुगार के उपरान्त एव आरती के पूर्व मूर्ति के समक्ष दण्ड दिखाते हैं), बिम्बे (प्रकाश-नाहक, जो उस समय मन्नाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम कल्प समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्पात्त आषाढ़ एव कार्तिक की पूर्णिमा को एव दसरा रात्रि को, प्रकाश-जुसस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), बाँगे (जो प्रातः-साय एव रात्रि के कृत्यों में पाद-कोष्ठ के बाहर चाँदी या सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है)। रघुमाई देवी के पुजारी उत्पल के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की सख्या सो से ऊपर है।

बम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने विठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्वाना-भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है—उन्हे स्नान कराना चाहिए, उनका श्रुगार होना चाहिए उनके लिए सगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हे शक्यतः को दूर करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात शातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एव नर्तकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जाती।

विट्ठल या विठोबा की प्रतिमा पीने पार फुट लम्बी है और आधार के साथ यह एव ही शिला से निर्मित हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं, बायें हाथ में गल है और दाहिने में चक्र। प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में बस्त्राकृति है और बस्त्र का एक छोर दाहिनी जाँघ पर लटक हुआ है। गले में हार है और बानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को घूँते हैं। भ्रु पर शोलाकार टोपी है। यानी लोग पहले प्रतिमा का आर्लिंगन करते थे और उसके पीरो का स्पर्श करते थे, विन्तु मन् १८७३ के उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मान होता है।

बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) ने ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एव बादशाहों से रक्षा करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विठोबा के मन्दिर में लगभग ५०० गज पूर्व पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पञ्चपुर के पूजा-मन्दिरों में एव है। इस मन्दिर में कोई देव प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल के महान् भवत पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहाँ मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः पञ्चपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ कुर्थावहार किया। उसने रोहिदास नामक मोधी की कतव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान् कतव्यशील पुत्र बन गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोबा एव पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार सयोजित हो गये हैं कि सभी यानी भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरो पर 'पुण्डलीक बरदे हरि विट्ठल' कहकर जयघोष करते हैं। पुण्डलीक को कथा के लिए देखिए बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३)।

पञ्चपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा—विष्णुपद, त्रिदम्बकेशबर, चन्द्रमाया, जनाबाई की कोठीर आदि, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। श्रीमा नदी पञ्चपुर की श्रीमा के भीतर बन्दभाग कहलाती है और इसमें स्नान करने से पाप कट जाते हैं।

विठोबा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रश्न उठाये गये हैं, यथा—विठोबा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा प्राचीन ही है या दूसरी, पञ्चपुर का प्राचीन नाम क्या है और विट्ठल की व्युत्पत्ति क्या है? प्रतिमा के प्रति-

छापन काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बेण्डियेर के ताम्रपत्र (सन् १२४९ ई०) में पण्डरपुर को ओमरपी नदी पर स्थित पीण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐंष्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा को विष्णु कहा गया है। और देखिए डा० आर० जो० भण्डारकर कृत 'वैष्णविक्रम, रीविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 'हिस्ट्री आव दि डवन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२०)। विवेचनो से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग 'पण्डराये' के नाम से पुकारते थे और इसका एक नाम 'पाण्डरगपल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविषेय ने जयद्विठ्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः इसी 'विठ्ठ' से आगे 'विठ्ठल' नाम पड़ा।

गोपालाचार्यकृत 'विठ्ठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तीर्थ) से ग्यारह मील उद्घृत है, जिनका सागस घो है—भंभी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पीण्डरीक क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुर नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, वेदार में छ गुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २७वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया और वह अपने माता-पिता के प्रति अनि भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले वृष्ण उसकी पितृ-भक्ति से अनि प्रमत्त हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन् १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके श्लोक स्वन्दपुराण से उद्घृत हैं अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक ('पुण्डलीक' जो मगठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चतुर्थ एवं बल्लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० एम्० के० दे कृत 'वैष्णव फेय एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल', पृ० ७१, एवं मणिलाल मी० पत्रिय कृत 'श्री बल्लभाचार्य' पृ० ५६-५९)।

जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुन यहाँ लायी गयी। श्री शंभू महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड लेखकों के विवेचनों को उद्घृत करते-करते यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि मन्नु मुक्तागम की कविता में वर्णित प्रतिमा-विज्ञापनाओं से आज की प्रतिमा-विरोपताएँ मेल नहीं खाती। किन्तु यह निष्कर्ष गूढ़ नहीं है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊँच-खावड़ एवं घिस गयी है कि इस पर वे कल्प-चित्त आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निजाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके पहले की नहीं है।

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा—पाण्डुरग, पडरी, विठ्ठल, विठ्ठलनाथ एवं विठोबा। प्राकृत में विष्णु को विष्णु, विष्णु, वेणु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्णु के कई रूप हैं, यथा—विट्टी, विट्टीग, विट्ट आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड के ध्यावरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० त्रियोल्लर ने 'भगत नामदेव आव दि मिश्रम' नामक अपने विद्वान्मणुषं लिख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नल, १९३८, पृ० २४) में बताया है कि तिकतो के आदि-ग्रन्थस्य, नामदेव के भजना में भगवान् को 'बीठल' या 'विठलु' कहा गया है, नरसिंह मेहता

(जिल्द ११, पृ० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का भाष्यान्ताजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव मंसूर (सन् १९२९, पृ० १९७-२१०)।

की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भक्तों में भगवान् को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तो द्वारा सम्बोधित 'विट्ठल' विष्णु हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल ऋद्धमन्तारभाष्य के लेखक विद्वान् काशीनाथ उपाध्याय ने 'विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—वित्+ठ+ल—'वित वेदम ज्ञान तेन ठा शूयास्तान् छाति स्वीकरोति'।

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड में 'पण्डरगे' कहा जाता था जो संस्कृत में 'पाण्डुरग' हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुण्डरीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्थल पुण्डरीकपुर (कूर्मपुराण) एवं पीण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया।

पण्डरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है, सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले। प्रथम प्रकार या कोटि के लोगो को 'चारकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये चारकरी लौंग दो प्रकार के होते हैं, प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले। चारकरी लोगो ने जाति-सकोणता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। प्र हाण चारकरी शूद्र चारकरी के चरणों पर गिरता है। सभी चारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० ४७१)। उन्हें मुलसी की माला पहननी पड़ती है, मास भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना होता है, गेरु रंग की पत्ताका बौनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञ्चनारहित होना पड़ता है।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोबा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु हो रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवीं अवतार माना है।

आज के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में बंसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे।

## अध्याय १६

### तीर्थों की सूची

जो तीर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र ३: ३ के अन्तर्गत है, न कि वह भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई विवरण है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई शिष्टाचार मन्त्र नहीं दिया गया है। बहुत-से पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्वत, नदियाँ आदि के नाम दिये हैं, यथा—हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेरु, कौचद्वीप, साल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण (२६।८-८३) ने लगभग ५२० तीर्थों का सकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम ध्यान दिया है और यही बात भीष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखा जाता है। इसी प्रकार गण्ड० (१।८।१।१-३१) एवं पञ्च० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी के लगभग ३५० उपतीर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एवं मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मयूरा (वराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया (शाम्भुपुराण) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बूझकर छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है।

तीर्थों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुत ध्यान अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कीर्तितोर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सोम-तीर्थ के अन्तर्गत)। तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिष्ठ वृत्त 'ऐश्वर्य जियोग्रफी आव इण्डिया' एवं नन्दलाल दे वृत्त 'दि जियोग्रफिकल डिक्शनरी आव ऐश्वर्य एण्ड मेडिटरेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। हमें इन ग्रन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया है और विस्तृत धारण पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में (पृ० ४३)। सन्तों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं श्लोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ भी दिये हैं, यथा—दशरथमेधिक। कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो भोग उक्त ग्रन्थ की सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी।

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु तीर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बड़ा जाता। किन्तु इतना बहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं किया है। आगे के लेखक इस सूची की ओर बड़ा ध्यान दें। बरमौर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और नीलमठपुराण, राजतरंगिणी एवं हरप्रतिभित्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० मुहम्मद वृत्त बरमौर



रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'पेंसेप्ट जिर्बॉफकी आव कश्मीर' वाला अधिलेख, जो पृथक् रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्ध्या, मुन्दर, गुड एवं उत्तरनामक काव्यों के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास ला जर्नल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्मवैवर्त०, मत्स्य०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकटेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृसिंहपुराण एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्भयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। स्कन्दपुराण में कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्र श्लोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका है, किन्तु काशीसख्य एवं कुछ अन्य सख्यों के संकेत मली मीति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्-पृथक् शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अर्थ परचात्कालीन एवं सदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर सख्य एवं बंणव, ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक सख्य १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्थ एवं उत्तरार्थ।

जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण की छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ ज्वेनसंग, अल-बरूनी एवं अबुल फजल की मीति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिष्क, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सीरेंसन की 'इण्डेक्स आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल गजेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण का विलसन वाला अनुवाद, डा० वी० सी० ला का 'माउण्टेन एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जर्नल आव दि रिपार्टमेण्ट आव लेटर्स, कलकता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का 'स्टडीज इन इण्डियन ऐन्टी-क्विटीज' (१९३२) आदि मली मीति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने 'दि पुराण इण्डेक्स' नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं।

इस तीर्थ सूची से पुराणों की वास्तविक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्थों के काल-निर्धारण एवं पुराणों द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नों पर प्रकाश पड़ेगा।

## तीर्थ-सूची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत

- अ० बि०—हेमचन्द्र की अभियानचिन्तामणि (बोर्हॉलिंग के द्वारा सम्पादित, १८४७)।  
 अनु०—महामारत का अनुशासनपर्व।  
 अल०—डा० ई० पी० सबो द्वारा अनूदित अलवरुनी वा भारत, दो जिल्द (१८८६, छदन)।  
 आ० अरु०—अबुल फजल हृत आईने अकबरी, तीन जिल्दो मे ब्लोचमन एव जर्जेंट द्वारा अनूदित।  
 आदि०—महामारत का आदिपर्व।  
 आ० स० इण्डि०—आर्ष्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट।  
 इ० गजे० इ०—इम्पीरियल गजेटियर आव इण्डिया।  
 उ० या उद्योग—उद्योगपर्व।  
 ऐ० इ०—मेगस्थनीज एव एरिअन द्वारा बर्णित-संक्षेप्ट इण्डिया (मैक् क्रिण्डल)।  
 ऐ० जि०—फनिषम की ऐंशेप्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१)।  
 का० इ० इ०—हार्पस इस्क्रिप्शानम् इण्डिकेरम्, जिल्द १, इस्क्रिप्शान आव अरको, जिल्द ३।  
 क० रि०—बृहल्लर की कश्मीर रिपोर्ट।  
 कालि०—कालिकापुराण।  
 क० या कूर्म०—कूर्मपुराण।  
 ग० या गण्ड०—गरुडपुराण।  
 गो० या गोदा०—गोदावरी नदी।  
 ज० उ० प्र० हि० सो०—जर्नल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज हिस्टारिकल सोसाइटी।  
 तोषप्र०—मिन्न मिन्न वा तीर्थप्रकाश (बीरमिन्नोदय का एक भाग)।  
 ती० क०—तीर्थो पर वस्तुतरु।  
 तीर्थसा०—तीर्थसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस)।  
 दे—नन्दलाल दे हृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७)।  
 ना० या नारदीय०—नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय।  
 नी० म० या नीलमत०—प्रो० भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण।  
 नू० या नृसिंह०—नृसिंह या नरसिंहपुराण।  
 प० या पद्म०—पद्मपुराण।  
 पहा०—पहाड़ी।  
 पा०—पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मार्कण्डेयपुराण।  
 व० ग० या बम्बई गजे०—बाम्बे गजेटियर।  
 बार्ड० सू०—बार्डम्पत्यसूत्र, डा० एफ्० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित।  
 बृहत्साहिता या बृ० म०—उत्पल की टीका के साथ बृहत्साहिता, मुषावर द्विवेदी द्वारा सम्पादित।

- ब्रह्म०—ब्रह्मपुराण ।  
 ब्रह्मवै०—ब्रह्मवैवर्तपुराण ।  
 ब्रह्माण्ड०—ब्रह्माण्डपुराण ।  
 भवि०—भविष्यपुराण ।  
 भा० या भाग०—भागवतपुराण ।  
 भी० या भीष्म०—महाभारत का भीष्मपर्व ।  
 मत्स्य०—मत्स्यपुराण ।  
 म० भा०—महाभारत ।  
 महाभा०—यतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) ।  
 मार्क०—मार्कण्डेयपुराण ।  
 रा० या राज०—राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) ।  
 रामा०—रामायण ।  
 लिङ्ग०—लिङ्गपुराण ।  
 वन०—वनपर्व ।  
 वराह०—वराहपुराण ।  
 वाम० या वामन०—वामनपुराण ।  
 वायु०—वायुपुराण ।  
 वारा०—वाराणसी ।  
 विक्र० या विक्रमाक०—विल्हण का विक्रमाकदेवचरित (बुह्लर द्वारा सम्पादित) ।  
 वि० घ० पु०—विष्णुधर्मोत्तर पुराण ।  
 वि० घ० सू०—विष्णुधर्मसूत्र (जॉली द्वारा सम्पादित) ।  
 विलसन—विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) ।  
 विष्णु०—विष्णुपुराण ।  
 शल्य०—शल्यपर्व ।  
 शान्ति०—शान्तिपर्व ।  
 समा०—सभापर्व ।  
 स्कन्द०—स्कन्दपुराण ।  
 स्टीन० या स्टीन-स्मृति—स्टीन्स मेमापर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर ।  
 ह० जि०—जयरथ की हरचरितचिन्तामणि (काव्यभाला सस्करण) ।

## तीर्थसूची

अ

अंगमती—(नदी) ऋ० ८१९६।१३-१५ (जिस पर कृष्ण नामक अमुर रहता था)। बृहदेवता (६।११०) के अनुसार यह कुरु देश में थी, रामा० २।५५।६ (यमुना के निकट)।

अहूर—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।४-५ (मथुरा एवं वृन्दावन के बीच में एक तीर्थ)।

अक्षय्यकरण घट—(प्रयाग में) कनिषम कृत ऐ० जि० पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्य० ६।२५।७-८ (ऐसा कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर सोते हैं)।

अक्षय्यघट—(१) (गया में विष्णुपद से लगभग आधे मील की दूरी पर) वन० ८४।८३, ८५।१४, यामु० १०५।४५, १०९।१६, १११।७९-८२ (जब सम्पूर्ण विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु के रूप में इसके अन्त भाग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० ११५।७०, पद्य० १।३।८२, (२) (विन्ध्य की ओर गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।१६६-६७; (३) (नर्मदा पर) ब्रह्मवैवर्त० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ पुलस्त्य ने तप किया था।

अक्षबाल—(कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा पर स्थित सेतु के पश्चिमी भाग का आधुनिक अक्षबल नामक एक विशाल ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पृ० १८०)। इसमें पाँच झरने हैं। नीलमतपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है।

अपस्त्यकुण्ड—(बाराणसी में)।

अपस्त्यतीर्थ—(पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३।

अपस्त्यपद—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३, यामु० १११।५३।

अपस्त्यघट—आदि० २।१।२।

अपस्त्यसर—वन० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अपस्त्य तमिल भाषा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोल्काप्पियम्' के कर्ता हैं। देखिए जर्नल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १९, पृ० ५५८-५५९ (नयी माला)।

अपस्त्याश्रम—देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया हुआ है, (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६।१ (जहाँ वातापि राक्षस अपस्त्य द्वारा मारा गया था); (२) वि० घ० सू० ८५।२९, पद्य० १।१२।४, वन० १९।१९८ (पुष्कर के पास), (३) (प्रयाग के पास) वन० ८७।२०, (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८८।१८; (५) (सुतीष्ण्याश्रम से लगभग ५ योजन पर जनस्थान एक पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवच १।३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला ग्राम में कोई प्राचीन अपस्त्य-स्थल नहीं है, (६) (पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २।१६।३, ८८।१३, ११।१४, १३०।६—यह पाँच नारोतीर्थों में एक है; (७-८) रामा० ४।४।१।२६ (मलय पर) एवं भागवत० १०।७९।१६७।

अपस्त्येश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१५; (२) (बाराणसी में लिंग) लिंग० (तीर्थ-कल्पतरु, पृ० ११६)।

अग्निकुण्ड—(सरस्वती पर) वाम० ५।१।५२, बराह० (टी० कल्प०, पृ० २।१५)।

अग्नितीर्थ—(१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० १०।८।२७, पद्य० १।४५।२७; (२) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।३७।७; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९।८।१; (४) (सर-

स्वती पर) कल्प० ४७।१३-१४, पद्य० १।२७।२७,  
 (५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्य० ६।१३४।१,  
 (६) (कुम्भाप्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३।  
**अग्निपारा**—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।१४६,  
 अग्नि० ११६।३१।  
**अग्निपुर**—अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह  
 माहिष्मती है। देखिए रघुवश ६।४२।  
**अग्निप्रम**—(गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५२-  
 ५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और शीष्म में ठण्डा  
 रहता है)।  
**अग्निशिर**—(यमुना पर) वन० ९०।५७।  
**अग्निस्तम्ब**—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।७।  
**अग्निसर**—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह०  
 १४०।३४-३६, (२) (लोहारंगल के अन्तर्गत) वराह०  
 १५१।५२।  
**अग्नीश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-  
 कल्प०, पृ० ६६, ७१)।  
**अघोरेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-  
 कल्पतत्त्व, पृ० ६०)।  
**अक्रुशेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१।  
**अक्षकोला**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८-  
 १२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः मन्डौच जिले का  
 आधुनिक नगर अकलेश्वर। ऐ० जि० (पृ० ३२२) ने  
 नर्मदा के बायें तट पर अकलेश्वर को अक्रुशेश्वर कहा है।  
 देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२।  
**अङ्गनूत**—(पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१।  
**अङ्गारकुण्ड**—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० ५६।  
**अङ्गारवाहिक**—मत्स्य० २२।३५।  
**अङ्गारकेश्वर**—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।  
 २९, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कुर्म० २।४१।६।  
**अङ्गारेश्वर**—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
 कल्प०) पृ० ५५ एव ९८, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत)  
 मत्स्य० १९०।९, पद्य० १।१७।६।  
**अङ्गारेश**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१ (सम्भ-  
 वत ऊपर वाला)।

**अवला**—(कर्मर में नदी) ह० वि० १०।२५६  
 (अनन्तहृद एव कर्कोटहृद के पास)।  
**अवलेश्वर**—लिग० १।९२।१६५।  
**अचिरवती**—(सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रश्न  
 में वर्णित दस महान् नदियों में एक (सं० बु० ई०, जि०  
 ३५, पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात  
 है और इस पर श्यावस्ती अवस्थित थी, वराह०  
 २१४।४७।  
**अच्छोदक**—(चंद्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील)  
 वायु० ४७।५-६ एव ७७-७६, मत्स्य० १४।३ एव  
 १२१।७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७।  
**अच्छोवा**—(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी)  
 मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २।१८।६  
 एव ३।१३।८०।  
**अधुतस्थल**—वाम० ३४।४७। देखिए पुमन्धर।  
**अजतुङ्ग**—वायु० ७७।४८ (यहाँ धाद्व अति पुष्पकारी  
 माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवी को छाया  
 देवी जाती है)।  
**अजबिल**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५३।  
**अजिरवती**—(एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः  
 यह अचिरवती नदी है।  
**अजेश्वर**—(वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।१३६।  
**अञ्जलिनाभय**—अनु० २५।५२।  
**अञ्जन**—(ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के  
 अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।४।२। देखिए पंचाच तीर्थ के अन्त-  
 र्गत, बृहत्संहिता (१।४।५) का कथन है कि अञ्जन  
 पूर्व में एक पर्वत है।  
**अञ्जली**—(नदी) ऋ० १।०।४।४।  
**अट्टहास**—(१) (हिमालय में) वायु० २३।१९२, (२)  
 (पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८, (३) (वारा-  
 णसी में एक लिग) लिग० (ती० कल्प०, पृ० १४७)।  
**अतिबल**—(सतारा जिले में महाबलेश्वर) पद्य०  
 ६।११३।२९।  
**अग्नीश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ०  
 ४३।

अभितोष्य—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीयपुराण

२।४०।९०।

अनन्त—बाह्यस्पत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८।

अनन्ततीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।१।

अनन्तनाग—(पुष्पोदा से दूर नहीं) नीलमत० १४०।२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और कश्मीर में मार्तण्ड पठार के पश्चिमी भाग पर स्थित है। स्टीन की स्मृति, पृ० १७८।

अनन्तशयन—(त्रावणकोर में पद्यनाम) पद्य० ६। ११०।८, ६।२८०।१९।

अनन्तभयन—इसे अनन्तहृद भी कहा जाता है। हरचरित-विन्तामणि १०।२५३ एव २५६। अब यह कश्मीर में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाग से एक कोस पर अनन्तनाग के नाम से विख्यात है।

अनरक—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। २२-२४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१-३, कूर्म० २।४।१९१-९२; (३) (यमुना के पश्चिम) धर्मराजतीर्थ भी इसका नाम है। कूर्म० ३।९।५, पद्य० १।२७।५६।

अनरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११३)।

अनूप्यासिङ्ग—(गोपेश के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४२)।

अनाशक—बराह० २।९।८९।

अनितमा—(नदी) श्रु० ५।५३।९।

अनूपा—(श्रुतवान् पहाड़ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२८।

अन्तकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ७५)।

अन्तर्बोधि—(गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) स्कन्द० १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के कारण ब्रह्महत्या गिरी)।

अन्तर्गङ्गा—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु० ४५।२०३।

अन्तिकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।४९।६-९।

अन्ध—(एक नदी) भागवत० ५।१९।१८, देवीभागवत ८।१।१।१६ (अन्धरोणी महानदी)। दे० (पृ० ७ एवं ४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी है जो भागलपुर में गंगा में मिलती है।

अन्धकेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिगपुराण (ती० कल्प०)।

अन्धोन—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१९।११०-११३।

अन्नकूट—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।१० एवं २२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)।

अन्यत-प्लव—(कुक्षेत्र में एक कमल की झील का नाम) रातपय ब्रा०, संकेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, पृ० ७०।

अपरन्वा—(हेमकूट के पास) आदि० २।१५।७, १।१०।१, अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि यह अलकनन्दा ही है।

अप्राप्रतन—अनु० २।५।२८।

अप्सरसकुण्ड—(मयुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) दण्ड० १६४।१९।

अप्सरेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१६, पद्य० १।२।१।६, कूर्म० २।४।२।४।

अप्सरोगुप्तगंग—(गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।४७।१।

अम्बरक—(गोदा में) ब्रह्म० १।२९।१३७ (यह गोदावरी का हृदय या मध्य है)।

अमरक हृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ५३)।

अमरकण्ठक—(मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में पर्वत) देसिए पूर्व अध्याय, नर्मदा तीर्थ। वायु० ७७।१०-१६ एव १५-१६, वि० प० सू० ८।५।६ ने इस पर्वत पर खाद्य की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८।८।७९, पद्य० १।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये बाण के तीन पुरो में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। कूर्म० २।४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)।

अमरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५३)।  
 अमरेश—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६।२, (२) (वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।३७।  
 अमरेश्वर—(१) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० पृ० २३६), (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।५१, (३) नीलमत० १५३५, राज० १।२६७ (अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव हिमसाण्ड के लिंग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आर्शने अकबरी जिल्द २ पृ० ३६० में इसका वर्णन किया है और कहा है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है।  
 अमोहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१०५, पद्य० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे)।  
 अम्बरीषेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११८)।  
 अम्बाजन्म—(सरक के पूर्व में) वन० ८३।८१ (यह नारदतीर्थ है)।  
 अम्बिकातीर्थ—लिंग० १।९२।१६६।  
 अम्बिकाधन—(सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।३४।१२।  
 अम्ल—(कुशक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७।  
 अयोध्या—(उ० प्र० के फैजाबाद जिले में) घाघरा नदी पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। अथर्ववेद १०।२।३१ एवं तै० आ० १।२७।२, वन० ६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राजधानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि० १०।१।२४। रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू बहती थी, अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राजधानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजनपदों में एक था (अगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२)।

आगे चलकर कोसल दो भागों में बँट गया, उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभाजित करती थी। रघुवश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए धायु० ८।८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं की मूर्ची दी हुई है, एवं पद्य० ६।२०।४६-४७ (दक्षिण कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए)। साकेत को सामान्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश पृ० ४९६ और साकेत' के अन्तर्गत। डा० बी० सी० ला ने एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३)।  
 अयोगसिद्धि—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९८)।  
 अयोधिसगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।५८।  
 अरन्तुक—एक द्वारपाल। वन० ८३।६२।  
 अरविन्द—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०।१।१५, नारदीय० २।४७।८३।  
 अरिष्टकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६।३० (जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था)।  
 अरण्य—(कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते हैं) वायु० ४।७।१७-१८, ब्रह्माण्ड० २।१८।१८।  
 अरुणा—(१) (पृथ्वी के पास सरस्वती एवं दुष्यन्ती के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने राजसों को पारों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को ब्रह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से सगम किया, (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० ८।१।५६। देखिए जे० ए० एस० बी०, जिल्द १७, पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है, (३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८।९।१, पद्य० ६।१७६।५९। देखिए बम्बई मजेस्टियर, जिल्द १६, पृ० ४६८।  
 अरुणा-ब्रह्मासगम—(गीतामी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।९।१ एवं पद्य० ६।१७६।५९।

अरुणोदा—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ६०।

अरुण्यतीवट—वन० ५।८४।४१, पृ० १।३२।६।

अरुणा-सरस्वतीसगम—(पृषुदक के उत्तर-पूर्व तीन मील

को दूरी पर स्थित) पृ० १।२७।३९, दाल्य० ४३।

३०-३१ एव ४२, वाम० ४०।४३।

अर्कक्षेत्र—यह कोणाकं है।

अर्कस्थलकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।११

एव १६०।२०।

अर्घ्यतीर्थ—गरुड० १।८।१।७।

अर्जुन—(पितरो का तीर्थ) मत्स्य० २२।४३।

अर्जुनीया—(नदी) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)।

प्रो० के० वी० आर० आयगर (ती० कल्प०, पृ०

२८३) ने दे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे

बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनो नाम पृथक् रूप से

वर्णित हैं।

अर्षच्छत्र—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६९।३।

अर्षकौल—(सरस्वती-अरुणा-सगम के निकट दर्मी द्वारा

बसाया गया) वन० ८३।१५३-१५७।

अर्बुद—(अरवली श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२।

५५-५६ (यहाँ बसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य०

२२।३८, पृ० १।२४।४, नारद० २।६०।२७, अग्नि०

१०९।१०। यह जैनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक

है, अन्य चार हैं सन्तुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार

एव चन्द्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ०

७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा

के परमार बच के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे।

देसिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एव जिल्द

१९, अनुक्रमणिका पृ० २२।

अर्बुदसरस्वती—(पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य०

२२।३८।

अलकनन्दा—आदि० १७०।२२ (देवों के बीच गंगा का

यही नाम है)। वायु० ४।१।१८, कूर्म० १।४६।३१,

विष्णु० २।२।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की

चार धाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर

मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का

उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४) का कथन है कि

जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और नगीरप के रथ

का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कह-

लाती है। मागवत० ४।६।२४ एव ५।१७।५। मागी-

रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और

दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है।

नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी

एव अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इम्पी-

रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के

मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत

सगम हैं, यथा—भागीरथी के साथ (देवप्रयाग), नन्द-

प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का सगम), छद्रप्रयाग

(मन्दाकिनी का सगम) एव विष्णुप्रयाग। देसिए उ० प्र०

गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पृ० २ एव १४०।

अल्लितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत)

अलासुतीर्थ—(विजय के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

कूर्म० २।४२।३७।

अलेखर—देसिए ब्रह्मदेखर।

अथकोर्ण—(कुरुक्षेत्र एव सरस्वती के अन्तर्गत) वाम०

३९।२४-३५ (बक दाल्म्य की गाथा, उसने घृतपाप

से भिन्ना माँगी किन्तु घृतपाप द्वारा मत्सना पाये जाने

पर सम्पूर्ण घृतपाप-दोष को पृषुदक की आहुति बना

बाला। दाल्य० ४।१।१, पृ० १।२७।४१-४५। वहाँ

दर्मी को चार समुद्रों को लाते हुए वर्णित किया गया है।

अवधूत—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थकल्प०,

पृ० ९३)।

अवटोबा—(नदी) मागवत० ५।१९।१८।

अवन्ति—(१) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी

थी) पाणिनि ४।१।१७६, रघुवच ६।३२, समापर्व

३।१।१०; उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि-

यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४।१।९८,

मत्स्य० १।४।२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३)

(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म० ४।३।२४,

अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति-

पय नाम—विशाला, अमरावती, बुदास्थली, कनक-



धुगा, पधावती, कुमुदती, उज्जयिनी। और देखिए लिंग० १।९२।७-८ एव ब्रह्म० १९४।१९ (कृष्णकेगुद सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे)। मेघदूत (१।३०) ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२। और देखिए 'महाकाल' के अन्तर्गत।

अश्विन्तीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी छट पर) ब्रह्म० १।४।२५।

अश्विमुक्त—(काशी) वन० ८७।७८-८०, विष्णु० ५। ३४।३० एवं ४३।

अश्विमुखेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।६ एव १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५, (जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)।

अशोकतीर्थ—(सूपारिक) वनपर्व ८८।१३।

अश्वतीर्थ—(१) (काव्यकुञ्ज से बहुत दूर नहीं) वन० ९५।३, अनु० ४।१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ ऋचीक ने गांधि को उसकी बन्धा सत्यवती को प्राप्त करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये थे)। कालिका० ८।५।१-५७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४३, पद्य० २।१।३, (३) (गोदावरी पर) ब्रह्म० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी-कुमार उत्पन्न हुए थे)।

अश्वत्थतीर्थ—(रूम) २।३५।३८ (जहाँ नारायण हयसिरा के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है)।

अश्वमेध—(प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १।१।१४।

अश्वशिर—(नल की गाथा में) वन० ७९।२१।

अश्विनी—अनु० २५।२१ (देविका नदी पर)।

अश्विनोत्तीर्थ—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१७, पद्य० १।२६।१५।

अश्वीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ५३)।

अश्वीतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२।१३०।

अश्ववक्र—(हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५।४१, देखिए दे पृ० १२।

असि—(वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे क्षुक् नदी भी कहते हैं)।

असिकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३, वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता का वर्णन किया गया है।

असिस्त्री—(एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०-२५, १०।७५।५। निरुक्त (९।२६) का कथन है कि इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पडा, आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। यूनानिया ने इसे असेक्विज कहा है। देखिए भागवत० ५।१९।१८।

असित—(पश्चिम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२ (इस पर्वत पर च्यवन और कस्तुरि के आश्रम थे)।

असिता—(एक नदी जहाँ मागाचार्य असित निवास करते थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३९।

असित गिरि—(जहाँ योगाचार्य असित रहते थे) ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९।

अस्तमन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (तीर्थकल्प० पृ० १९१)।

अस्थिपुर—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्य० १।२७।६२, यह धानेश्वर के पश्चिम और औजस घाट के दक्षिण है। यही महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एतन्न करके जलाये गये थे। देखिए ए० एस्० आर० जित्व १४, पृ० ८६-१०६ एव ए० जि०, पृ० ३३६, जहाँ यह वर्णित है कि ह्येनसांग के समय बहुत सी हड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थी।

अश्वमेधी—(नदी) ऋ० १०।५३।८। आश्व० गृ० सू० (१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वाधं तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कया नाव पर चढ़ती है और उत्तरार्धं तब प्रयुक्त होता है जब वह नदी पार कर चुकती है और उत्तर जाती है। ये ने इसे आवसरा नदी माना है किन्तु एसा मानने के लिए कोई उपयुक्त तर्क नहीं है।

अश्वमपुच्छ—(गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अश्व प्रतथिला कहते हैं) अनु० २५।४२।

अश्व—वनपर्व ८३।१००।

अहस्यातीर्थ—(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८७।१,  
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।८४, मत्स्य०  
१९१।९०-९२, कूर्म० २।४१-४३।  
अहस्याह्वर—(गीतम के आश्रम के पास) वन० ८४।  
१०९, पद्य० १।३८।२६।

आ

आकाश—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।३,  
पद्य० १।३७।३।  
आकाशगङ्गा—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १।२।२।५,  
अग्नि० १।६।५, (२) (सह्या पर्वत पर) नरसिंह०  
६६।३५ (आमलक का एक उपतीर्थ)।  
आकाशलिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तीर्थ-  
कल्प०, पृ० ५१)।  
आङ्गिरसतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।३-  
३३ पद्य० १।१८।५०।  
आङ्गिरसेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तीर्थ-  
कल्प०, पृ० ११७)।  
आश्वतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।७।१।  
आश्वतीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०  
१।४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्  
रामायण० २।१।७।१०५।  
आश्रम—बहुत से विद्वान् इसे विनयन कहते हैं। देखिए  
'विनयन'। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने इसे  
वनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१।४।२५)  
में भी कही गयी है।  
आश्विनस्य आश्रम—वनपर्व० ८३।१८४, पद्य० १।२७।  
७०।  
आश्वितीर्थ—(१) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७,  
देवल० (तीर्थ कल्पतरु, पृ० २५), (२)  
(साश्रमती नदी पर) पद्य० ६।१६७।१ (जहाँ  
समुद्र से इसका संगम है)।  
आश्विष्यतव—(ममदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।  
७७, कूर्म० २।४।१।३७-३८, पद्य० १।१८।५।६७२।  
आश्विष्ये—(ममदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५।

आश्विपाक—(मया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।९५,  
(मुण्डपूठ के आगे हाथी के रूप में गमेत) १०९।१५।  
आश्विन—देखिए 'नन्दीतट' के अन्तर्गत।  
आश्विनपुर—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१५,  
पद्य० १।३७।१८।  
आपगा—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत पवित्र सात या नौ नदियों  
में एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३।४।७, पद्य०  
१।३६।१-६ एवं वाम० ३।६।१-४, (मानुष के पूर्व एक  
कोस की दूरी पर) नीलमत० १।५८। देखिए ए० जि०,  
पृ० १८५ जहाँ यह स्थालकोट के उत्तरपूरव जम्बू पहा-  
दियों से निकलती हुई अयक् नदी के समान कही गयी  
है। कर्त्तियम (आश्विन्या० सं० ६०, जिल्द १४, पृ०  
८८-८९) का कथन है कि आपगा या ओषवती  
चित्तौग की दाया है।  
आपगा—(एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दुष्यती के  
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ० ३।२३।४।  
टामस के मत से यह ओषवती ही है, जे० भार० ए०  
एस०, जिल्द १५, पृ० ३६२।  
आपस्तम्बीतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।३०।१।  
आमलक—(१) (उ० प्र० मे स्तुतस्वामी के अन्तर्गत)  
वराह० १।४।६७, (२) (सह्या पर्वत की ब्रह्मगिरि  
एक वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तीर्थसाट,  
पृ० ७८।  
आमलक घाम—(सह्या पर्वत पर) नारदीय० ६६।७,  
(तीर्थकल्प०, पृ० २५४)। दे (पृ० ४) के अनुसार  
यह ताम्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है।  
आमर्षक—देखिए स्कन्द० (तीर्थसाट, पृ० २१-३०)।  
यह शिव-क्षत्र है और १२ ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस  
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो  
जाता है (आमर्षेयानि पापानि तस्मादामर्षकमतम्)।  
तीर्थकल्प० (पृ० २२) में स्कन्द० का ऐसा हवाला आया  
है कि चार युगों में यह क्रम से ज्योतिर्मय मुक्ति, स्पर्श  
एव नागेश्वर कहा गया है। देखिए विक्टर क्विन्स  
द्वारा 'मिडिबल टेम्पुलस आव दि बकन', पृ० ७७-७८,  
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह

आवण्ड्या नागनाथ ही है जो सप्रति आंध्र प्रदेश के परमगो नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील की दूरी पर है।

आम्नातकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।५१, १८।१२८, अमि० ११२।३।

आर्चिक पर्वत—वन० १२५।१६ (जहाँ प्यवन और सुकन्या रहते थे)।

आर्जुनीया—(नदी) ऋ० १०।७५ सू०, ५ ऋचा। नि कत (१।२६) का कथन है कि नदी का नाम विपाश् (आधुनिक ध्यास) था और विपाश् का प्रारम्भिक नाम उश्जिरा था।

आर्षावर्त—अमरकोश ने इसे हिमवान् एव विन्ध्य पर्वतों के बीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० १, जहाँ आर्षावर्त के विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

आर्षभ—देखिए 'ऋषभ' के अन्तर्गत।

आर्ष्यवेणाभम—अनु० २५।५५।

आशालिङ्ग—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।-१४८।

आषाढ—यह एक लिग है (धाराणसी के अन्तर्गत), तीर्थकल्प०, पृ० ९३।

आषाढ़ी तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।-३०।

आधुरीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ६७)।

इ

इक्षु—(१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।९६। दे (पृ० ७७) ने इसे औंसस माना है। उन्होंने अरमन्वती एव चक्षुस् (पृ० १३ एव ४३) को औंसस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को गन्धोस्तापूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) (नर्मदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।-४९।

इक्षुवा—(महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६ (इक्षुवा' पाठ आया है)।

इक्षु-नर्मदा-संगम—मत्स्य० १९१।४९ कूर्म० २।४१।२८, पद्य० १।१८।४७।

इक्षुमती—(१) (कुमायू एव कनौज से बहती हुई एक नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी ज्ञात थी। रामा० (२।६।१७) में आया है कि अयोध्या से जाते समय पहले मालिनो मिलती है, तब हस्तिनापुर के पास गया इसके उत्तरांत कुक्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य० २२।१७ (पितृ-प्रिय एव यगा में मिलने वाली), पद्य० ५।११।१३, (२) (सिंधु-सौवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, ५३ ५४ (यहाँ वपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुख एव पीडा से भरे ए सगर में क्या अत्यन्त लाभप्रद है) भाग० ५।१०।१।

इन्द्रकील—(पर्वत, गन्धमादन के आगे) वन० ३७।४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरा के लिए पवित्र) नीलमण्ड० १४४३, भाग० ५।१९।१६।

इन्द्रप्रामतीर्थ—(साभ्रमती से उत्तरी तट पर) पद्य० ६।१४।१।

इन्द्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९६।१।

इन्द्रतोया—(गन्धमादन पर एक नदी) अनु० २५।११।

इन्द्रधुन्वतर—(१) (पुष्पकोत्तम-पुरी के अन्तर्गत)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० ५१।२९-३०, (२) वन० १९९।९-११, आदि० ११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप किया था)।

इन्द्रधुन्वेश्वर—(महाकाल का लिग) स्कन्द० १।२।-१३।२०९।

इन्द्रध्वज—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।३६।

इन्द्रनदी—(नदी) वायु० ४३।२६।

इन्द्रप्रस्थ—(यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २।७।२७, मीसल०

७।७२, विष्णु० ३८।३४ (वृष्ण के देहावसान के उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वंश को राजमुकुट दिया), पद्य० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह यमुना के दक्षिण विस्तार में चार योजनाएँ) २००।५, (यह स्याण्डववन में था) भाग० १०।५८।१, ११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एव बायपत।

इन्द्रमार्ग—अनु० २५।९ एव १६, पद्य० १।२७।६८।

इन्द्रलोक—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।११०-१३।

इन्द्राणोतीर्थ—नारदीय० २।४०।९३।

इन्दिरा—(नदी) वायु० १०८।७९।

इन्द्रेश्वर—(१) (श्रीपर्वत पर) लिंग० १।९२।३५२, (२) (वाराण क अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थक०, पृ० ७१)।

इरावती—(पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएटस कहा है) निरुक्त (१।२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली पृथ्वी का नाम इरावती भी था। वि० प० सू० ८।५।४९, मत्स्य० २२।१९ (श्राद्ध-तीर्थ), वायु० ४।५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९।७, ८१।१, नीलमत० १।४९। एटोर नगर इसके तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८२, पाणिनि २।१।२०)। और देखिए 'चन्द्रमार्ग'।

इरावती-नद्यस्ता-संगम—वाम० ७९।५।१।

इरातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०८।१।

इरास्थल—पद्य० १।२६।७३।

इस्वलपुर—(यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४।

इ

इनातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०।६९।

ईशान-लिंग—(मारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२-

१०६ एव १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५)।

ईशान-शिलर—(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (ती० क०, पृ० २३०)।

ईशानाध्युषित—वाम० ८।४।८।

उ

उष—(वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१५। इसे केदार भी कहते हैं।

उषेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृष्ठ ७०)।

उज्जयन्त—(सीराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० ८८।२।२४, वामु० ४।५।९२ एव ७।५।२, वाम० १३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एव १५ (वस्त्रापय शंख की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐ० जि०, पृ० ३२५।

उज्जयिनी—(मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) ब्रह्म० ४।३।२४ (अवन्ती), ४।४।१६ (मालवा की राजधानी)। देखिए 'अवन्ती' एव 'माहिष्मती'। अशोक के घौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) में 'उज्जैनी' का उल्लेख है। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, वार्तिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति-लिङ्गों में एक, महाकाल का मन्दिर है जो सिन्धु नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एव रघुवश (६।३२-३५) में इसे अमर बर दिया है। ऐ० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिषानचिन्ता-मणि (पृ० १८२) ने विशाला, अवन्ती एव पुष्प-करिणी को उज्जयिनी का पर्वत कहा है। मूँछनटिक में भी पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान का उल्लेख हुआ है। पेरिप्लस एव टॉलेमी ने इसे 'आजने' कहा है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देखिए जे० ए० ओ० एम्० (जिल्द ६६, १९४६, पृ० २९३), जहाँ उदयन एव वासवदत्ता के विषय में खर्चा है। इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पृ० १५३) में ध्वज मेलगोला का विवरण है, जिसमें

उज्जयिनी से भद्रबाहु की सरक्षकता में जनों का बाहृ जाता वर्णित है, देखिए एस० बी० ई० (जिल्द १०, भाग २, पृ० १८८)।

उज्जयिनक—(जहाँ स्कन्द एव वसिष्ठ को मन की शान्ति प्राप्त हुई) वन० १३०।१७, अनु० २५।५५। सम्भवत यह 'उज्यन्तक' या 'उज्यानक' का अगुद्ध रूप है।

उड्डियान—कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सती की दोनो जोड़ें गिरी थी)।

उत्कोचक तीर्थ—वन० १८३।२।

उत्तमेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।

उत्तर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, पृ० १।३७।१७।

उत्तर-गंगा—(कश्मीर में, लार परगने में गगबल) ह० वि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एव मान-सोतर गंगा भी कहते हैं।

उत्तर-गोरुण्य—बराह० २।१६।२२, कूर्म० २।३५।३१।

उत्तर-आह्वयी—ह० वि० १२।४९। जब वितस्ता उतर की ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से पुकारा जाता है।

उत्तर-मानस—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नीलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रसक नाग) यह गगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। स्टोन (राज० ३।४४८) एव ह० चं० ४।८७, (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, १११।२, वि० घं० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।१३, मत्स्य० १२१।६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० ११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

उत्पलवती—(मलय पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३०।

उत्पलावन—वन० ८७।१५ (पञ्चाल देश में) अनु० २५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह बिद्र है, जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है।

उत्पलावर्तक—(एक वन) नारदीय० २।६०।२५, वनपत्र (ती० व०, पृ० २४४)।

उत्पलिवी—(नदी, नैमिषवन में) आदि० २।१५।६।

उत्पातक—अनु० २५।४१।

उत्पातन—वन० ८४।११०, पृ० १।३८।२७।

उत्पाम्प—यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन ने इसे गन्वार की राजधानी कहा है; राज० ५।१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबहनी का वेहण्ड एव आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर १८ मील पर मिन्धु के दाहिने तट पर।

उत्पीथीतीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

उद्दालकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५९)।

उद्वन्त—(पर्वत, काठियावाड़ में मोमनाथ के पास) स्कन्द० ६।२।११।११।

उद्वन्त पर्वत—(ब्रह्मपोनि पहाड़ी, गया में, शिला के बायें) वन० ८४।९३, वायु० १०८।४३-४४, नारदीय० २।४७।५१, पृ० १।३८।१३। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

उद्यमला—(यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।२२।

उपमन्थुलिंग—(वारा० के अन्तर्गत) पृ० १।३७-१७, लिंग० १।९२।१०७।

उपवेणा—(अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों में एक) वन० २२।२।४।

उमाकुण्ड—(लोहागंज के अन्तर्गत) बराह० १५।१-६४।

उमातुंग—कूर्म० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ (श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल)।

उमावन—(जहाँ शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के मत से यह कुमार्दू में कोटलगढ है। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८०) वा वचन है कि यह देवीकोट भी कहा जाता है।

उमाहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।५७।

उर्बन्त—(अपरान्त में) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ योगेश्वरालय एवं वसिष्ठआश्रम हैं)।

उर्बन्तीकुण्ड—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १।४।१-५१-६४, नारदीय० २।६७।६५।

उर्बन्तीतीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८।४।१५७, मत्स्य० १०६।३४, पद्म० १।३८।६४, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७।१।१।

उर्बन्ती-मुक्ति—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६६ एवं १०६, ४३।४।३५, अनु० २५।४०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

उर्बन्ती-स्नान—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६६)।

उर्बन्तीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७२)।

उष्णतीर्थ—मत्स्य० १३।४२ (देवी को गर्म जल के स्रोतों में अमया कहा जाता है)।

उष्णीर्गंगा—(एक स्नान-तीर्थ) वन० १३।५।७।

ऊर्जयत्—(पर्वत) रुद्रदामन् के जूनागढ़ जिलालेख (एचि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा गुप्त इतिहास (पृ० ४५) में इसका नाम आया है।

### ऋ

ऋज या ऋजवान्—(ऋषी अर्थात् भालुओं से परिपूर्ण, भारतवर्ष को सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) वायु० ४।५।९९-१०१ एवं ९।५।३१, मत्स्य० ११।४।१७, ब्रह्म० २७।३२ वराह० ८५ (पद्म)। षोण, नर्मदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। अतः यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बगाल से नर्मदा और षोण के उद्गम-स्थलों तक फैला हुआ है। ऋजवान् नासिक गुफा के दूसरे जिलालेख में उल्लिखित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६ पृ० ५०५, विष्णुश्रवण अर्थात् विन्ध्य ऋजवान्), यह टालेमी वा ओमेसन है (पृ० ७६)। विस्सन (जिल्द २, पृ० १२८) के अनुसार ऋज गोंडवाना का पर्वत

है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋज से निकली हुई कही गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५।४।२४-२५) में विन्ध्य से निकली हुई उल्लिखित हैं।

ऋज-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१२७, कूर्म० २।४।१।१९ एवं २९।

ऋजमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) मारद० २।४।७।७९, अग्नि० १।६।८।

ऋजमोक्षन वा ऋजप्रमोक्षन—(१) (कुहसंन के अन्तर्गत) वाम० ४।१।६, देखिए ए० ए० बार० (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार महसत्त्वती के तट पर कपालमोक्षन तीर्थ पर स्थित है, (२) (प्रयाग के निकट) मत्स्य० २२।६७, (यहाँ का वायु अक्षय फल देता है) १०।७।२०, (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९।१।१, (४) (आमलक घाम के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।२८ (तीर्थ-कल्प०, पृ० २५५), (५) (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३।३।११७।

ऋजान्तकूप—पद्म० १।२६।९२।

ऋजम—(पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८।५।२१, भाग० ५।१।९।१६, १०।७।९।१५, मत्स्य० १२।१।७२ एवं १६।३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह मडुरा में पलनी पहाड़ी है।

ऋजमतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।-३।५।३, पद्म० १।३।७।३, (२) (कोयला अर्थात् दक्षिण कोयला में) देखिए कुमारवदन्त का मुन्नी प्रस्तरामिलेख (एचि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ ४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीराची ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। एक अमाय ने ब्राह्मणों को दो हजार गीर्ण दी थीं। प्रो० मीराची ने इस जिलालेख को प्रथम घाताम्बी वा कहा है। वन० ८।५।१० का कथन है कि जो यात्री यहाँ पर तीन दिनों का उपवास करता है उसे वाग्देय यज्ञ वा फल मिलता है। देखिए पद्म० १।३।९।१०।

ऋजमद्वीप—वन० ८।५।१६०, पद्म० १।३।८।७।

**श्वपमा**—(विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य० ११४।२७।

**श्वभजनकतीर्थ** या उपातीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १९१)।

**श्विकन्या**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४।

**श्विका**—(शुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०७।

**श्विकुल्या**—(नदी) वन० ८४।४९, पप० १।३२-१२, मत्स्य० १।१४।३१, ब्रह्म० २७।३७, नारद० २।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० ४५।२६० (श्विकुल्या)। ऐ० जि० (पृ० ५१६)

के मत से यह 'जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जोगड़ किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक के ३३ अनुशासन उत्कीर्ण हैं, इसी नदी पर है।

**श्विसंधेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५४)।

**श्विसन**—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७३।१।

**श्वितीर्थ**—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२२ एव १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणबिन्दु घाप से मुक्त हुए थे) कूर्म० २।४१।१५, पप० १।१८।२२; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६०।

**श्व्यमूक** या **श्व्यमूके**—(पर्वत) रामा० ३।७२-१२, ३।७५।७ एव २५। (पम्पासर की सीमा पर) भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० १४७।३० (यहाँ सुधीव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के पास)। देखिए पाजिटर (पृ० २८६) जिनकी टिप्पणी सन्देहात्मक है।

**श्व्यवत** या **श्व्य**—(पर्वत) मत्स्य० ११४।२६, वायु० ४५।१०१, ब्रह्म० २७।३२।

**श्व्यसुंदेश्वर**—(वाध० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११५)।

प

**शुकवार**—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पप० ६।१३६-१२।

**शुकबीर**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।३।  
**शुकहंस**—वन० ८३।२०।

**शुकभ्रुक**—(उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग २० मील दूर) यह छत्रतीर्थ है। एकाग्रक प्राचीन है, इसे अब मुवनेश्वर कहा जाता है। इसे वृत्ति-वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४११।१०-१३) ने इसकी प्रशस्ति गापी है (तीर्थ चिन्तामणि, पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के सद्गुरु और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म० ३४।६ एव ४१।१०-१३)। देखिए हष्टर वृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २३१-२४१) एव डा० मित्र वृत 'ऐश्टीक्विटोज आब उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख है। मुख्य मन्दिर १६० फुट ऊँचा है। मुवनेश्वर के शिलालेख (डा० एल० डी० बार्नेट द्वारा सम्पादित, एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) में ऐसा आया है कि एकाग्रक में गगराज अनगभीम की पुत्री एव हैहय राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कल की प्रयास, एकाग्रक के मन्दिर एव बिन्दुसर का वर्णन है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञान है। किन्तु यह शक सवत् ११०१-१२०० के बीच कही है। यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एव मन्दिर हैं। देखिए ए० एल० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) एव पुस्तकसमूह (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण के अध्याय ४१ से कई श्लोक उद्धृत किये हैं)। पाँच भागों एव ७० अध्यायों में एकाग्रपुराण भी है। एकाग्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी के लिए लिखित है) कपिलसहिता, शिवपुराण एव अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए मित्र की 'नोटिसेज' (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, न० १५६०)।

**शुक्लीतीर्थ**—(बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक

नदी, जिसे 'उरी' या 'ओर' कहा जाता है) मत्स्य०  
१९१।४२, १९३।६५ एव पृ० १।१८।४१।

एरम्बीनर्मवासंगम—मत्स्य० १९४।३२, कूर्म० २।४१।  
८५ एव २।४२।३१, पृ० १।१८।४१।

एसापुर—(सम्भवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य० २२।  
५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल)। ऐ० जि०  
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड का वेरावल  
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णगज प्रथम के तलेगांव  
साम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि  
काञ्ची स्थित कंलासनाय मन्दिर की अनुकृति पर  
कंलासनाय का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन-  
वाया (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५),  
और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५, पृ०  
२५)।

ऐ

ऐरावती—(एरियन की हाइड्राओटस, ऐ० इण्डि०,  
पृ० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली  
हुई एव मद्र देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य०  
११५।१८-१९, ११६।१ एव ६ तथा देवल (टी०  
क०, पृ० २४९)।

ऐसापत्र—(पश्चिमी दिशा का दिक्पाल जो कश्मीर में  
दिक्पाल नाम के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८  
(आधुनिक ऐलपतुर)।

ओ

ओंकार—(१) (वारा० के पाँच गुह्य लिंगों में एक)  
कूर्म० १।३२।१-११, लिंग० १।९२।१३७, पृ०  
१।३४।१-४; (२) (ओंकार मान्धाता, सण्डवा से  
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नर्मदा के एक द्वीप पर  
१२ ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग) मत्स्य० २२।२७,  
१८६।२, पृ० २।९२।३२, ६।१३।६७, स्कन्द०  
१।१।१७।२०९। नर्मदा के बायें तट पर मान्धाता  
के अमरेश्वर मन्दिर में उत्कीर्ण हलायुध-स्तोत्र  
(१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओंकार नर्मदा

एव कावेरी के सगम पर माण्डातुपुर में रहते हैं  
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए  
'माहिष्मती' के अन्तर्गत।

ओंकारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०  
४।३५।११८।

ओघवती—(पञ्जाब में एक नदी) भीष्म० ९।२२,  
मत्स्य० २२।७१ (यहाँ श्राद्ध एव दान अत्यन्त पुष्प-  
कारक हैं), वाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५।  
पुष्यदक (आधुनिक देहोवा) इस पर स्थित था।  
शल्य० (३८।४ एव २७) से प्रकट होता है कि यह  
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२)  
विभिन्न पहचानों के लिए।

ओजस—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः यह 'ओजस'  
है) वाम० ४१।६, ९०।१७।

औ

औजस—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० घ० सू०  
८५।५२, वाम० २२।५१ एव ५७।५१।

औडालक तीर्थ—वन० ८४।१६१।

औडालक तीर्थ—पृ० १।३८।६८।

औपमन्यव—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (टी०  
कल्प०, पृ० ९७)।

औशनस—(सरस्वती-तट पर एक महान् तीर्थ) यह  
कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य०  
२२।३१, शल्य० ३९।४ एवं १६-२२, पृ० १।२७।  
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहाँ उद्यता  
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक नामक ग्रह  
हो गये)।

औशीर पर्वत—वायु० ७७।२९।

औसत्र—(१) वि० घ० सू० ८५।५२ (सूर्यार्क,  
वैजयन्ती टीका के अनुसार)। जाली (एव० बी०  
ई०, जिल्द ७, पृ० २५९) ने मित्र पाठ दिया है  
और कहा है कि यह 'औजस' है, जो उनके मत से  
'औशित्र' है; (२) (समन्वयचक्र की सीमा)  
वाम० २२।५१।



क

**ककुब्जती**—(सह्य से निकलनेवाली एक नदी)  
पत्र० ६११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)।  
देखिए 'कृष्णा' के अन्तर्गत एक तीर्थसार, पृ० ७९।  
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती  
है।

**ककुम्भ**—(एक पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

**ककालिग**—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० ११२)।

**कठेश्वर**—(चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।  
६३-६४।

**कनकेश्वर**—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ९२)।

**कण्वाश्रम**—(१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक  
नदी पर) वन० ८२।४५, ८८।११, वि० घ०  
सू० ८५।३०, अग्नि० १०९।१०। अग्नि० शाकुल  
(अक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा  
गया है। शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त  
'नाइषित्' शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने  
कण्वाश्रम माना है, (२) (राजस्थान में कोटा  
से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे  
(पृ० ८९)।

**कदम्ब**—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।५२ (जहाँ  
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)।

**कदम्बपुण्ड**—(मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह०  
१६४।२६।

**कदम्बेश्वर**—(धीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।  
१६१ (यहाँ स्कन्द ने लिग स्थापित किया  
था)।

**कदलीनदी**—(जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य०  
२०।५०।

**कनक**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १८९)।

**कनकनन्दा**—(गंगा में मुण्डपूष्ठ से उत्तर एक नदी)

नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (सनक-  
नन्दी), कूर्म० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपूष्ठ  
आया है)।

**कनकवाहिनी**—(कश्मीर में एक नदी, जो अब ककनाई  
कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात् बूयसेर से बहती  
है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५०  
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टोन-स्मृति, पृ०  
२।११। नीलमत० (१५३९-४०) का कथन है  
कि सिन्धु एक कनकवाहिनी का सगम वाराणसी  
के बराबर है।

**कनका**—(गंगा के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०।८।  
८०।

**कनकेश्वर**—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ०-१०४)।

**कनकाल**—(१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर  
गंगा पर) वन० ८४।३०, अनु० २५।१३, वि०  
घ० सू० ८५।१४, कूर्म० २।३७।१० १९ स्कन्द०  
१।१।२।११ (जहाँ द्रुम ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया  
था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।१७ देखिए  
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७), (२) (गंगा में उत्तर  
एक दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११।७,  
अग्नि० ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६, (३)  
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६०, पत्र०  
१।२०।६७ (जहाँ गरुड ने तप किया था) (४)  
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५०।४०-४९,  
(जहाँ पञ्चाल देश के चाण्डिक्य नामक नापित  
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म  
लिया)।

**कन्या**—(दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या वेप कामोत्ति)  
भाग० १०।७९।१७। देखिए 'कुमारी' के  
अन्तर्गत।

**कन्याकूप**—अनु० २५।१९।

**कन्यातीर्थ**—(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।  
११२, ८५।२३, कूर्म० २।४४।९, पत्र० १।३९।२१,  
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६,

कूर्म० २।४२।२१, (३) (नैमिषवन में) वन०  
१५।३, पृ० १।२७।१।

कन्याध्वज—वन० ८३।१८९, पृ० १।१२।५, २७।  
७५, ३९।३५।

कन्या-सर्वेष्ट—वन० ८४।१३६, पृ० १।३८।५२।

कन्याहृद—अनु० २५।५३।

कपटेश्वर—(कोठेर के पास कश्मीर बाटी के दक्षिण  
ओर) राज० १।३२, ह० चि० १४।३४ एवं  
१३५ नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७  
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट  
हुए थे), स्टोन-स्मृति (पृ० १७८-१७९)।  
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में आया है—  
'कोटिहर की घाटी में एक गहरी घाघ है, जब इसका  
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक बन्दन-  
प्रतिमा उभर आती है।'

कपर्दीश्वर—(वाराणसी में गुहा लिंगों में एक)  
कूर्म० १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९,  
पृ० १।३५।१।

कपालमोचनतीर्थ—(१) (वारा० में) वन० ८३।-  
१३७ स्वन्द० ४।३३।११६, नारदीय० २।२९।-  
३८ ६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एक  
चिर को काट डाला और इस तीर्थ पर पापमुक्त  
हो गये)। श्लेष० ३९।८, मत्स्य० १८३।८४-१०३,  
वाम० ३।४८५१, बराह० ९७।२४२६, पृ०  
५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पाँचों  
पुराणों में एक ही गाथा है), (२) (सरस्वती  
पर, जो वीघनस नाम से भी विख्यात है)  
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक  
राक्षस का चिर मुनि रघोदर की गर्दन से  
सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा  
यहाँ मिला था)। श्लेष० ३९।९-२२ (रघोदर  
की वही गाथा), देविए ए० एस्० भार०  
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति  
(सपोरा से १० मील दक्षिण-पूर्व) तथा शिव  
को ब्रह्मा के चिर काटने के कारण लगे पाप से

छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है;  
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।-  
६, (४) (कश्मीर में, क्षुपियन परगने में आधुनिक  
देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि०  
१०।२४९, १४।१११, (५) (मायापुर अर्थात्  
हृत्खार में) पृ० ६।१२९।२८।

कपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ५८)।

कपिलतीर्थ—(१) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत)  
ब्रह्म० ४२।६, (२) (नर्मदा के उत्तरी तट पर)  
मत्स्य० १९३।४, कूर्म० २।४१।९३-१००, पृ०  
१।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थसार, पृ० १००,  
(३) (मोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म०  
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आगिरत, आदिरय एवं  
सौहिकेय भी कहा गया है)।

कपिलधारा—वाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन  
है कि नर्मदा का अमरकण्ठक से प्रथम पतन स्कन्द  
में कपिलधारा के नाम से उल्लिखित है।

कपिलनागराज—वन० ८४।३२, पृ० १।२८।३२।

कपिलहृद—(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८४।७८,  
नारदीय० २।५०।४६, पृ० १।३२।४१, लिंग०  
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी  
नाम का एक तीर्थ हृत्खार में कहा गया है।

कपिला—(१) (गया के अन्तर्गत एक घाटा) वायु०  
१०।८।५७-५८, अग्नि० १।१६।५, (२) (नर्मदा  
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६।४०, १९०।-  
१०, कूर्म० २।४०।२४, पृ० १।१३।३५। मध्य-  
प्रदेश में बरवानी में यह नर्मदा से मिल  
जाती है।

कपिलतीर्थ—(कश्मीर में कपटेश्वर के अन्तर्गत)  
ह० चि० १४।११३।

कपिलावट—(मागधीय एवं बनसल के पास) वन०  
८४।३१, पृ० १।२८।३१।

कपिलसंतमन—(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य०  
१८६।४०, पृ० २।१८।१, ६।२४।४२, (२)

- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४१।१ एव २८-२९।
- कपिलेश लिंग**—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३।१५८।
- कपिलेश्वर लिंग**—(१) (बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५७ एव १०७), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० २।८५।२६।
- कपिया**—(जबल, अर्थात् उड़ीसा की एक नदी) रघुवच ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई से इसकी पहचान की जा सकती है।
- कपीशेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।१५६।
- कमलाक्षय**—मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवी का नाम कामला है)।
- कमलाक्ष**—(यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात है) मत्स्य० १३।३४।
- कम्पना**—(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० ९।२५।
- कम्बलाश्वतर नाग**—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।२७, ११०।८, कूर्म० १।३७।१९ (यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११।५, (२) दो नाम (अर्थात् धाराएँ या कुण्ड) में वरवीर में हैं, नीलमत० १०५२।
- कम्बलाश्वतराज**—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।
- कम्बतीर्थ**—(साध्रमती के अन्तर्गत) पृ० ६।-१३६।१।
- कम्बोतिकेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० ६।१३६।१।
- करतोया**—(बगल के रणपुर, दिनाजपुर एव बोधा जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी सीमा है) वन० ८५।३, सभा० ९।२२, अनु० २५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एव सदानारा एक ही हैं। मार्क० (५४।२५) के मत से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के मत से श्रेष्ठापाद से निकलती है। और देखिए स्मृति-ध० (१, पृ० १३२)।
- करपाद**—(शिव का तीर्थ) नाम० (ती० क०, पृ० २३५)।
- करवीर**—(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० १३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्), पद्य० ५।१७।-२०३, मत्स्य० २२।७६, अनु० २५।४४, पद्य० ६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, २१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०, (२) (दूध-डोती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० ४९।७१, नीलमत० १४७, (३) (गोमन्त पहाड़ी के पास सहा पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपर्व) ३९।५०-६५।
- करवीरकतीर्थ**—(१) (बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०), (२) (कुब्जाश्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।४८-५१।
- करञ्जतीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।-११।
- करहाटक**—(हृष्णा एव कीमना के संगम पर सतारा जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्र-माकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कर्निवम का लेख 'भरहुतस्तूप', क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एव एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५।
- कर्कोटकेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।-३६।
- कर्कथ**—वाम० ५।१।५२।
- कर्कप्रयाग**—देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२।
- कर्कहृद**—(गंगा-तरस्वती के संगम के पास) पद्य० १।३२।४।
- कर्बमिस**—वाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत की राज-मुकुट पहनाया गया था)।
- कर्बनाश्रम**—(विन्दुसर के पास) भाग० ३।२१।-३५-३७।
- कर्बनास**—(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७,

अग्नि० ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२)

(साम्प्रमती के अन्तर्गत) पृ० ६।१६५।७ एव १०।

कर्मविरोहण—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती०  
क०, पृ० १९०)।

कर्मोद्वार—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।  
१५२।

कलविक—अनु० २५।४३।

कलशास्त्रतौर्यं—(जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले  
थे) नारदीय० २।४०।८७।

कलशोद्वार—(वाराण० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ९९), पृ० १।३७।७।

कलापक—(केदार से एक सी योजन के लगभग)  
स्कन्द० १।२।६।३३-३४।

कलापग्राम—(सम्भवत बदरिका के पास) वायु०  
९।१७, ९।१।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और  
कलिमुग के अन्त में यह वृत्तमुग-प्रवर्तक हो जायगा)  
माग० १०।८।७।

कलापवन—पर्य० १।२।८।३।

कल्पग्राम—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।  
१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है)।

सम्भवत यह आधुनिक काल्पी है।

कल्पाषो—(यमुना) समा० ७।८।१६।

कल्पोलकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।  
८८।

कश्मीर-मण्डल—प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता  
है। महामाय्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि  
३।२।१।४) में आया है—'अभिजानासि देवदत्त  
कश्मीरान् वामिष्यामः।' 'सिन्धुवादिगण' (पाणिनि,  
४।३।९३) में 'कश्मीर' शब्द देश के लिए आया  
है। नीलमत० में कई स्थानों में 'कश्मीर' शब्द आया  
है, (यथा श्लोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे  
'कार्शोर' भी आया है। ह० वि० में 'कश्मीर'  
आया है। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एव १८) में  
'कार्शोर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में  
व्युत्पत्ति है—'क' का अर्थ है जल (कं वारि हरिया

यस्माद्देशादस्मादपाकृतम्। कश्मीरास्य ततो ह्यस्य  
नाम लोके भविष्यति॥)। टॉलेमी ने इसे कल्पे-  
हरिया कहा है और उसका कथन है कि वह विदम्बेश  
(वितस्ता), सन्दबल (चन्द्रभागा) एव अद्रिस  
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में  
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०।८।१०९)  
एव नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने  
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने-  
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि  
सम्पूर्ण कश्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन०  
८२।१०, समा० २७।१७, अनु० २५।८। कश्मीर  
एव जम्मू के महाराज के साथ सन् १८४६ की जो  
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य-  
भूमि सिन्धु के पूर्व एव रावी के पश्चिम तक थी,  
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२)।  
कश्मीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एव  
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ  
७४)। और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एव  
हूँनसांग (बील का अनुवाद, जिल्द १, पृ० १४८)।  
हूँनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में,  
मिंसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था,  
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और  
वही आगे चलकर सती-देघ (नीलमत० ६४-६६)  
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश  
रूप में है और स्वर्गिक वितस्ता, जो हिमालय से  
निकलती है, खीमन्त (तिर की भाग) है (नीलमत०  
पृ० ४५)। दन्तकथा में है—जब शङ्ख ने सभी  
नागों को सा बालना चाहा तो वासुकि नाग की  
प्राथम्यता पर विष्णु ने बरदान दिया और वासुकि नाग  
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया।  
बरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों  
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और  
नील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत०  
११०)। नील का निवास छाहाबाद परगने के  
वेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक रासल

सती-सार में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को भारने लगा (नीलमत० १११-१२३ एव वाम० ८११३-३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अतन्तनाग को आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सार को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले (राज० ११२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म० २।४३४। कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी पुनोत्पत्तियों, कुण्डों एव सरो को रक्षा करते हैं, जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नीलमत० (११३०-११३१) एव राज० (१।३८) का कथन है कि कश्मीर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभी स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुल फ़जल ने आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० स्थानों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनको पूजा होती थी और जिनके विषय में आश्चर्यजनक कहानियाँ कही जाती थीं। राज० (१।७२) एव नीलमत० (३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश पार्वतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अरा सम्मान चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं करना चाहिए। राज० (१।४२) ने एक श्लोक में कश्मीर को विलक्षणता का वर्णन किया है—  
‘विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुकुम, हिम एव अगूरी से युक्त जल, ये सब यहाँ सर्वसाधारण रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों लोकों में दुर्लभ हैं।’

कश्यपेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १७५)।

कश्यपपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१८, १११।४९ एव ५८।

काकशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७६, अग्नि० ११६।४।

काकहूब—(ग्राह के लिए महत्त्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० ३।१३ ८५।

काञ्चनासो—(नेमियवन में एक नदी) वायु० ८३।२।

काञ्ची या काञ्चीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, चोलों की राजधानी एव अन्नपूर्णा देवी का स्थान। पृथ० ६।११०।५, देवीभाग० ७।३।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६, १० एव ४।३९।१५, भाग० १।७।९।१४, वायु० १०।४।७६, पृथ० ४।१।७।६७, बाह्य० सू० ३।१२४ (एक शक्ति क्षेत्र)। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, जो जयवर्मा प्रथम का है, काञ्ची के एक राजा की ओर संकेत मिलता है (दक्षिणयान कृ. कम्बोडिया, जी० कोइइस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पृथ० १।१७।८।

कान्तीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का अन्तिम भाग। आइने अकबरी (जिल्द ३, पृ० ३०५), स्कन्द० ४।७।१००-१०२, माहेश्वरखण्ड, उप प्रकरण केदार, २।७।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिंग है)। मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी मारशिवों की राजधानी थी। देखिए जायसवाल कृ. ‘हिस्ट्री आद इण्डिया’ (१५०-३५० ई०) पृ० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० (३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है।

कान्थापेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १२०)।

काण्वती—(ग्राह, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थ) वायु० ७७।८२।

कान्यकुब्ज—(ललिता देवी के ५० पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वामित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया), मत्स्य० १३।२९ (कान्यकुब्ज का कन्नौज में देवी को गौरी कहा गया है), अनु० ४।१७, पृथ० ५।२५ (गंगा में मिलने वाली बालिकानदी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की मूर्ति स्थापित की), पृथ० ६।१२९।९। महाभाष्य

(क्रिस्व २, पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्य-कुम्भी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३।१६) में आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एव कुच के पुत्र कुचानाम ने महोदया की बसाया था। अनिधानचिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से कान्यकुम्भ, महोदय, गाधिपुर, कन्याकुम्भ एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए 'महोदय' के अन्तर्गत एवं ऐ० दि० (पृ० ३७६-३८२)। टालेमी (पृ० १३४) ने इसे 'कनगोरा' एव 'कनोगिजा' कहा है।

- कापिल—(नाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।९।  
 कापिलद्वीप—(यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) नृसिंह० ९।५।७ (ती० कम्प०, पृ० २५१)।  
 कापिती—(नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम आया है। यह यूनानी लेखकों की 'कपिसिने' है।  
 कापोत—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८०।५ एव ९२।  
 कापोतकतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५५।१-१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है)।  
 कामकोष्ठक (कामकोटि)—(त्रिपुरसुन्दरी का पीठ—कामाक्षी) ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची में), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठों में एक), भाग० १०।७९।१४ (कामकोष्ठी पुरी काञ्चीम्)।  
 काम—बाहुँस्वयं सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक शिवस्रोत है।  
 कामगिरि—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० ४।३९।१०५, भाग० ५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११।  
 कामतीर्थ—(नर्मदा के दक्षिण तट पर) कूर्म० २।४।१।५, गण्ड० १।८।१।९।  
 कामधेनु-पर्व—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६।  
 कामाक्षा—(अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक देवीस्थान) पद्य ४।१२।५४-६०।  
 कामाक्षी—(पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के लिए)।  
 कामाक्ष्य—(१) (देविका नदी पर एक शक्तिपीठ) वन० ८५।१०५, पद्य० १।२५।१२, (२) (ब्रह्मपुत्र

नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान या त्रिपुरनरैत्वी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३।८। १५, कालिका० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, सम्पूर्ण अम्भ्याय में इसका माहात्म्य है)। यह गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देखिए श्री श्री० ककटी का लेख (सिद्धमाती, भाग २ पृ० ४४)। कालिका० (१।८।४२ एव ५०) में ऐसा आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 'कामाक्ष्या' के नाम से प्रसिद्ध है।

कामेश्वर-निस्य—(नाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० ४।३३।१२२।

कामेश्वरीपीठ—कालिका० (अम्भ्याय ८४) में इसकी यात्रा का वर्णन है।

कामोदापुर—(गया पर) नारदीय० २।६८ (इसमें कामोदामाहात्म्य है)। समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ निकलीं—रमा, वाहणी; कामोदा एव वरा, जिनमें से विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वाहणी को असुरों ने ग्रहण किया, अम्भ्याय ६।८।१८। यह गयाद्वार से १० मील दूर है।

काम्यरु-आश्रम—(पाण्डवों का) वन० १४६।६।

काम्यरु-सर—समा० ५२।२०।

काम्यरुवन—(१) (सरस्वती के तटों पर) वन० ३६।५ (जहाँ पाण्डव द्वैतवन से आये), वाम० ४।१३०।३१, (२) (मयुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा।  
 कामिक—(जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह० १४४।८४-८५।

कामसोषण—वन० ८३।४२-४३।

कामाक्षरोहण—(१) (कमोई तालुका में बडोदा से १५ मील दक्षिण आयुनिक बार्जान) वायु० २३।२२१-२२२ (यहाँ 'पाशुपत सिद्धान्त के प्रवर्तक नकुली या लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२।३०, कूर्म० २।४४।७-८ (इसका कथन है कि यहाँ महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मठ के

सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी। एपि० इण्डि० (जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे प्रकट होता है कि पाण्डित्य सम्प्रदाय के प्रवर्तक लुकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८११२६। मत्स्य० (१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही गयी है।

कारण्यक—(कुलशेख के अन्तर्गत) वाम० २२।६०।

कारण्यम—(दशिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३।

कारण्यवध—(यमुना पर) पर्वविज ब्राह्मण २५।१०।२३, आख० श्रौ० सू० १३।६, कात्या० श्रौ० सू० २।४।६।१०।

कारण्य वन—(सरस्वती के उद्गम-स्थल पर) शन्य० ५४।१२ एव १५।

कारण्यी—(श्राद्ध-तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

कार्तिकेय—(१) (देवी यशस्करिणी के नाम से विख्यात है) मत्स्य० १३।४५, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।१।१७, गण्ड० १।८।१।९।

कार्तिकेय-कुण्ड—(लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५।१।६।१।

कार्तिकेय-नद—(गया में) वायु० १०५।१९, १११।५४।

कालकवन—महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) के अनुसार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० अथवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, भाग १, पृ० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग था।

कालकेशव—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७।

कालकोटि—(नैमिष वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता १४।४।

कालञ्जर—(या कालिञ्जर)—(१) (कुन्देलखण्ड में एक पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५।५६, ८७।११, वायु० ७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठका मन्दिर है)। कालञ्जर कुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। काल-१०६

ञ्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) में इसे गगन-सुन्धी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालमें रख कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से कुण्ड हैं। देखिए इण्डि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल (तीर्थ क०, पृ० २४०), (३) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजपि श्वेत की गाथा, श्वेत लगातार 'शतशत्रिण' का पाठ करता रहता था, पृ० १।३।७।१५, (४) (गोदावरी के अन्तर्गत एक शिव-तीर्थ) ब्रह्म० १४।६।१ एव ४३ (इसे 'यायात' भी कहा जाता था), (५) (कालिञ्जरी नाम से नर्मदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था) स्कन्द०, कालिकाखण्ड (ती० क०, पृ० ९८), (६) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७।६।१८, (७) राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्व-तीर्थ जिला प्रचीत होता है)।

कालञ्जर वन—मत्स्य० १८।१२७ (कालञ्जर, एक शिवतीर्थ), ती० क०, पृ० २४।

कालतीर्थ—(१) (कोमला में) वन० ८५।११-१२, पृ० १।३५।११; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।२।

कालनैरव—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० १।९२। १३२।

कालविमल—(कपनीर के पाँच तीर्थों में एक) ह० वि० ४।८३।

कालसविन्—(काश्यप का महातीर्थ) कूर्म० २।३७।३४, वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), ब्रह्माण्ड० ३।१।१९८।

कालिका—(पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।३६।

कालिकासिखर—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

कालिकावन—अनु० २५।२४, (विषाखा पर) नील-मत० १४८।

कालिका-सगम—वन० ८४१५६, पद्य० १३८१६३,  
अग्नि० १०९१२०।

कालिन्दी—(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्य०  
११२९११।

कालिह्वर—(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५१४५।

कालियह्वर—(मन्बुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १९२), तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५।

काली—(१) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली  
नदी, मत्स्य० २२।२०, वाम० ५७।७९, यह नेपाल  
एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा को (इम्पि० गजे०  
इण्डि० जित्द २२ पृ० १०२), (२) (कालीसिन्धु,  
जो चम्बल में मिलती है)।

कालेश—(गया क अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३।

कालेश्वर—(१) (वाराणसी क अन्तर्गत) लिय०  
(ती० बन्ध०, पृ० ४५ एवं ७२), १।९२।१३६, (२)  
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड०  
(४।४४।९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों  
में एक है।

कालोदक—(पील) (१) वि० ध० सू० ८५।३५ (वैज-  
यन्ती टीका के अनुसार) अनु० २५।६०, (२)  
(समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के  
पूर्व भाग में एक पील) नीलमत० १२३१-१२३३।

कालोदका—(बदमीर में एक नदी) अनु० २५।६०,  
नीलमत० १५८५।

कावेरी-सगम—(नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३।३  
एवं निम्नोक्त (२)।

कावेरी—(१) (सह्य पर्वत से निकलनेवाली दक्षिण  
भारत की एक नदी) वन० ८५।२२, अनु० १६६।२०,  
वायु० ४५।१०४, ७७।२८, मत्स्य० २३।६४, कूर्म०  
२।३७।१६-१९, पद्य० १।३९।२०, पद्य० ६।२२।४३,  
४ एवं १९ (महद्बुधा बही गयी है)। नृसिंह० (६६।  
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-गया है, ठीक  
महाकाव्य 'शिलप्पदिकारम्' (१०।१०२, पृ० १६०,  
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका सुन्दर वर्णन है,  
(२) (राजनीपला पहाड़िया से निकलनेवाली एक

नदी, जो सुकल-तीर्थ के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी  
तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्म०  
२।४०।४०, पद्य० १।१६।६-११ (यहाँ कुबेर को यथा-  
धिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३।

काशी—देखिए इस प्राय वा सण्ड ४, अध्याय १३। यह  
सम्भवत टॉलेमी (प० २२८) का कस्मिन्द है। अग्नि  
धानचिन्तामणि (श्लोक १७४) में आया है कि काशी,  
वाराणसी, वाराणसी एव शिवपुरा पर्यन्त हैं।

काश्यपतीर्थ—(१) (बालसिन्धि नामक) वायु० ७७।  
८७ ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८, (२) (माध्वमती के अन्त-  
र्गत) पद्य० ६।१५७।१।

किकिणीकाश्रम—अनु० २५।२३।

किन्धान—पद्य० १।२६।७४, वन० ८३।७९।

किपश—पद्य० १।२६।७४।

किरतकूप—वन० ८४।९८।

किरणा—(नदी) वाम० ८४।५, देखिए इस ग्रन्थ वा  
सण्ड ४, अध्याय १३।

किरणेश्वरसिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०  
४।३३।१५५।

किसिकिलेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

किशुलुवन—वायु० ३।८।२७-३२ (समुधारा एवं रत्न  
धारा के बीच में)।

किशुलुक—(पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक  
पर्वत) काशिका में कोटरावन आदि पाँच वनों एवं  
किशुलुक आदि गिरियों का उल्लेख किया है जिन्हें  
निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता।

किष्किन्धा—(पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन०  
२८०।१६, रामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महा-  
भाष्य (जित्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) में  
किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिध्पादिगण'  
(पाणिनि ४।३।१३) में भी यह शब्द आया है। यह  
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्ड कहा गया है।  
देखिए इम्पी० गजे० (जित्द ३, पृ० २३५)। बृहत्स-  
हिता (१४।१०) में उत्तर-पूर्व में किष्किन्धा को एक  
देश कहा है।



किष्किन्धा-नृसा—वायु० ५४।११६ (सम्भवत यह किष्किन्धा ही है)।

किष्किन्धपर्वत—मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी को तारा कहा गया है)।

कुक्कुटेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७८)।

कुम्भतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।९।

कुम्भिन—नृसिंह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० २३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिधान-चिन्तामणि, पृ० १८२, श्लोक ९७९)।

कुम्भिनम—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१४८।

कुम्भेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६८)।

कुम्भोद—(नाशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।२६।

कुम्भलेखर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ९०।१२, (२) (श्रीपर्वत के दक्षिण द्वार पर) लिग० १।९२।१४९।

कुम्भला—(एक नदी) मत्स्य० २२।८६ (यहाँ का श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है)।

कुम्भवन—(मनुरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराह० १५३।३२।

कुम्भेर—सारस्वत तीर्थों में एक, देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।

कुम्भक—नारदीय० २।६०।२५, गण्ड १।८।९० (कुम्भ-के श्रीवरो हरि)।

कुम्भाभ्रक—(यहाँ गंगाद्वार के पास रम्य का आश्रम था) वन० ८४।४०, मत्स्य० २२।६६, पद्य० १।३२।५।वि० घ० सू० ८५।१५, कूर्म० २।२०।३३, गण्ड (१।८।१।१०) का कथन है कि यह एक महान् श्राद्ध-तीर्थ है। वराह० १२५।१०१ एव १३२ एव १२६।३-३ (यह मायावीय अर्थात् हरिद्वार है)। वराह० (अध्याय १२६) म इसका महात्म्य है। और देखिए कल्पतरु (तीर्थ पर, पृ० २०६-२०८)। वराह० (१२६।१०-१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान् द्वारा सूचित

होने पर मुनि रम्य ने एक आश्र का वृक्ष देखा और वे श्राद्धावस श्रुकमये। इसके स्थान के विषय में अभी निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। वराह० (१७-९।२६-३१) में आया है कि मयुरा सौकरतीर्थ से उत्तम है और सौकरतीर्थ कुम्भाभ्रक से उत्तम है। वराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि किस प्रकार पवित्र स्थल द्व्यधिकेय का यह नाम पडा। ऐसा लपता है कि यह हरिद्वार में कोई तीर्थ था।

कुम्भासंगम—(नर्मदा के साथ) पद्य० २।९२।३२।

कुम्भाश्रम—(एक याजन विस्तार वाला एक विष्णु-स्थान) कूर्म० २।३५।३३-३५।

कुम्भावन—पद्य० १।३२।३४।

कुम्भिकापोठ—(यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती-शव से सती का गुप्तांग गिर पडा था) बालिका० ६४।५३-५४ एव ७१-७२।

कुम्भार—(सम्भवत आधुनिक बाबुल नदी) ऋ० ५।५३।९ एव १०।७।५। यह टॉल्मी की कार्फन एव एरियन की कार्फन है (ए० ६०, पृ० १७९)। बाबुल नदी आहिन्द के पास अटक से कुछ मील उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१।७७) न उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर-पथेनाहूत च)। उत्तरापथ उत्तर में एव माग है जो अटक के पास सिन्धु से पार जाता है।

कुम्भार—पद्य० १।३८।६१।

कुम्भार-कोयला-तीर्थ—वायु० ७७।३७।

कुम्भारकोटी—वन० ८२।११७, पद्य० २।२५।२३, अिन० १०९।१३।

कुम्भरतीर्थ—नृसिंह० ६५।१७ (ती० क०, पृ० २५२)।

कुम्भार-धारा—वि० घ० सू० ८५।२५ वायु० ७७।८५, वन० ८४।१४९ (जा पितामह-कुण्ड स निवसती है), वाम० ८४।२३, कूर्म० २।३७।२० (ग्वामितीर्थ के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान क लिए व्यास का आसन एव वान्तिपुरा)।

कुम्भारी—(केप कामारिन, जहाँ कुमारी देवी का एक

मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में प्रतिमा है। टालेमी ने इसे 'कोउमारिया' एव पोरिफ्लस ने इसे कोमर या 'कोमारेई' कहा है। वन० ८८।१४ (पाण्ड्य देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। २८। ब्रह्माण्ड० (२।१६।११) एव मत्स्य० (११।४। १०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवौं द्वाप कुमारी से गंगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। शबर (जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि 'चर्च' शब्द हिमालय से कुमारी शतक 'स्याली' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

**कुमारिल**—(कश्मीर में वितस्ता पर) वाम० ८१।११।  
**कुमारेश्वर लिंग**—स्कन्द० १।२।१।४।६, वाम० ४६।२३।  
**कुमुदाकर**—(कुम्भाभक के अन्तर्गत) बराह० १२६। २५-२६।

**कुमुद्वती**—(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०२, ब्रह्म० २७।३३।

**कुम्भ**—(श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।४७।  
**कुम्भकर्णाधम**—वन० ८४।१५७, पथ० १।३८।६४।  
**कुम्भकोण**—(आधुनिक कुम्भकोणम्, तजोर जिले में) स्कन्द० ३, ब्रह्मण्ड ५२।१०१।

**कुम्भेश्वर**—(वर्णा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४५)।

**कुरङ्ग**—अनु० २५।१२।

**कुशजांगल**—(पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० २।१९ एव २८, वायु० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह सरस्वती एक दुपद्वती के बीच में है), ८४।३ एव १७, कूर्म० २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०।  
 देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

**कुशजांगलारण्य**—देवीपूजा (ती० क०, पृ० २४४)।

**कुशक्षेत्र**—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।  
**कुशक्षेत्र महाात्म्य** में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीर्थ हैं। देखिए एं० जि०, पृ० ३३२।

**कुलम्पुन**—वन० ८३।१०४, पथ० १।२६।९७।

**कुलिनी**—(नदी) श्रु० १।१०।४।

**कुलेश्वर**—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १७७।५५।  
**कुल्या**—(नदी) अनु० २५।५६ (ती० क०, पृ० २४७)।

**कुशातीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।३३।

**कुशास्तम्भ**—अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २४६)।

**कुशास्थल**—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५७। १६।

**कुशास्थली**—(१) (यह द्वारका ही है, आनत की राजधानी) विष्णु० ४।१।६४ एव ९१, मत्स्य० १२। २२, ६९।९, वायु० ८६।२४ एव ८८।१, भाग० ७। १।३।१, ९।३।२८ (आनत के पुत्र देवत ने समुद्र के भीतर इस नगर को बसाया और आनत पर राज्य किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया था)। (२) (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के पुत्र कुशा ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० ७।१०।१७, वायु० ८८।१९९, (३) (दुर्गावती, जिसका पहले का नाम कुसोनारा था, जहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था) एम्० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० २४८।

**कुशातपंग**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।१।१ (इसे परिणोतासगम भी कहा जाता है)।

**कुशाप्लवन**—वन० ८५।३६।

**कुशावर्त**—(१) (नासिक के पास चम्बेश्वर) वि० प० सू० ८५।११, ब्रह्म० ८०।२, मत्स्य० २२।६९।  
 देखिए बम्बई गजि० (जिल्द १६, पृ० ६५१), (२) (दरिदार के पास) अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०। ७९, भाग० ३।२०।४।

**कुशेराय**—(कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६।

**कुशिकस्थाधम**—(कोशिकी नदी पर) वन० ८४। १३१-१३२।

**कुशोद**—नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२)।

**कुमुदेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९। ११२-११७ एव १२५।

**कुम्भाश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३)।

**कूटक**—(पर्वत) भाग० ५।६।७ (कूटक), वन० १९।  
१६ (कूटक)।

**कूटशैल**—(पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।  
२३ (सम्भवत यह उग्युक्त कूटक ही है)।

**कुशावती**—(विन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी  
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा०  
७।१०।७। महाभुद्रस्तन मुक्त (एम० बी० ई०  
११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसुमाक्षरा  
कुशावती के नाम से महाभुद्रस्तन राजा की नगरी थी।

**कुङ्ग**—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।  
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२५, वाम०  
५७।८०, ब्रह्म० २७।२६। मत्स्य० (१०१।४६) में  
'कुङ्गन्' नाम एक देश का है, या यह गन्धारो एव  
औरसो के नाम पर पडा, ऐसा कहा गया है। इसकी  
पहचान ठीक से नहीं हो सकती है।

**कुफलासतीर्थ**—(इसे नृगवीर्य भी कहा जाता है) तोय-  
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एव अध्याय  
७०, रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा  
नृग किस प्रकार मिरगिट हो गया।

**कुतमाला**—(मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५।१०५,  
ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३।  
३५।१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७१।१६, ११।  
५।३९, विष्णु० २।३।१३, १। दे (पृ० १०४) ने कहा  
है कि यह बंगा नदी है जिस पर मयुरा स्थित है।  
देविए 'पयस्विनी' के अन्तर्गत। भागवत में आया है  
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को  
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की।

**कुतवीर्य**—मत्स्य० १३।४५, १७१।८७, वाम० ९०।५  
(यहाँ नृसिंह की प्रतिमा है), पद्य० ६।२८०।१८।

**कुत्सिकारारक**—अनु० २५।२२।

**कुत्सिकाराम**—अनु० २५।२५।

**कुत्सिकृतीर्थ**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।१।१।

**कुत्सिवास**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० ४०)।

**कुत्सिवासेन्दर लिग**—(वारा० के अन्तर्गत) कुर्म०

१।३।१२ (श्लोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की  
गयी है), पद्य० १।३।१०, नारदीय० २।४९।६-९  
(विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह वेता युग का  
नाम है)।

**कृषा**—(सुपुतिमान् पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११४।३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८।

**कृषाणीतीर्थ**—(कश्मीर में मुण्डपूठ पहाड़ी पर)  
नीलमत० १२५३, १४६०।

**कृमिधरेश्वर**—(वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक)  
मत्स्य० १८।१२९।

**कृष्ण-गंगा**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७।५।३।

**कृष्णगंगोद्भव-तीर्थ**—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह०  
१७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वर्णित  
है)।

**कृष्णगिरि**—(पर्वत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड० २।  
१६।२२।

**कृष्णतीर्थ**—(कुस्त्रोत्र के पास) वाम० ८।१।९।

**कृष्ण-वेणा**—भीष्म० ९।१६, मत्स्य० २२।४५, अग्नि०  
११८।७, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४। सत्राट  
खारखेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिरद २०,  
पृ० ७७) में 'कन्हूवेमना' नाम आया है। अनु० (१६६।  
२२) में वेण्या एव कृष्ण-वेणा पूयक्-पूयक् नाम आये  
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में  
(७६९ ई०) कृष्णवेणा एव मुत्ती के सगम का उल्लेख  
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८)।

**कृष्णा-वेण्या**—(उपर्युक्त एक नदी) पद्य० (६।१०८।  
२७) में कृष्णा एव वेण्या के सगम का उल्लेख है,  
६।११३।३ एव २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है),  
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान  
का मन्त्र लिखा है। देविए तीर्थसार (पृ० ६७-८३)  
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी  
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापो को काट देती हैं  
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सतारा  
से ४ मील पर है, कृष्णा एव वेण्या के सगम  
पर है।

**कृष्ण-वेणी**—(उपसृजित नदी) मत्स्य० ११४।२९, रामा० ५।४।१। तीर्थसागर (पृ० ६७-८२) में स्कन्द० से कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है।

**कृष्णा**—(१) महाबलेश्वर में सहाय पर्वत से निकलने-वाली नदी) ब्रह्म० ७।७।५, पद्य० ६।११३।२५, वाम० १३।३०, (२) वाम० ७।८।७, ९०।२ (इस नदी पर हयसिर के रूप में विष्णु)। इसे बहुधा कृष्ण-वेण्या या कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी। 'महाबलेश्वर माहात्म्य' (जे० बी० बी० आर० ए० एस्, जिल्द १०, पृ० १६) में महाबलेश्वर के पास यह से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख है—कृष्णा, वेणी, वकुदमती (कोयना), सावित्री (जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) एवं गायत्री (जो सावित्री से मिली कही गयी है)।

**केतकीवन**—'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत देखिए।

**केतुमाता**—(पश्चिम में एक नदी) वन० ८९।१५।

**केदार**—(१) (वाराणसी के आठ शिवतीर्थों में एक) वन० ८७।२५, मत्स्य० १८।१२९, कूर्म० १।३५।१२ एवं २।२०।३४ (श्राद्ध-तीर्थ), अग्नि० ११२।५, लिंग० १।९२।७ एवं १३४, (२) (गडवाल में केदारनाथ) विं० पं० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० फुट ऊँचा है। पाँच वेदार विख्यात हैं—केदारनाथ, तुगनाथ, रुद्रनाथ, मध्येश्वर एवं कल्पेश्वर। देखिए उ० प्र० गजे०, जिल्द ३६, पृ० १७३ (गडवाल), (३) (बचमौर में) ह० चि० ८।६९ (विजयेश्वर से एक कोस नीचे), (४) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६, (५) (कपिष्ठल का) पद्य० १।२६।६९।

**केदार**—(१) (वाराणसी में) मत्स्य० १८५।६८;

(२) (भयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३।

**केसितीर्थ**—(गंगा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५।

**केसिनीतीर्थ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।४०।

**कैलासपुर**—(ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० ४।४।९७।

**कैलास शिखर**—(हिमालय का एक शिखर, समुद्र से २२००० फुट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर) वन० १३९।४१ (द्योजनऊँचा), १५३।१, १५८।१५-१८, मत्स्य० १२।२-३, ब्रह्माण्ड० ४।४।९५ (ललितादेवी के ५० पीठों में एक), देखिए स्वामी प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १९, पृ० १६८-१८०) और उनकी पुस्तक 'कैलास मानसरोवर' एवं त्वेन हेडिन का 'ट्रास-हिमालय' (सन् १९०९)। देखिए दे (पृ० ८२-८३)। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थल कैलास है या मानस, अभी तक यह बात विवादग्रस्त है।

**कोका**—(नदी) वराह० २।४।४५, ब्रह्म० २।९।२०।

**कोकामुख**—(या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले में नासपुर के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४।१५८, अनु० २५।५२, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख माहात्म्य है), १२३।२, १४०।१०-१३। (ती० क०, पृ० २।३-२।४), ब्रह्म० २।९।८-१० (देवों ने एक मुन्दरी से पूछा—'कासि भद्रे प्रभु को वा भवत्याः'), कूर्म० १।३।१४७, २।३५।३६ (यह विष्णुतीर्थ है), पद्य० १।३।८।६५। वराह० (१४०।६०-८३) में आया है कि यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और वराहावतार के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन का उल्लेख है)। और देखिए डा० बी० सी० लाई ब्रेट-ग्रन्थ (भाग १, पृ० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली (जिल्द २१, पृ० ५६)।

**कोकिल**—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१६ एवं ५।११।१०।

**कोटरा-तीर्थ**—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५।२।२ एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए ऋजु में बाणामुर से युद्ध किया था)।

**कोटरा-वन**—पाणिनि I (६।३।११७ एवं ८।४।४) ने इसका नाम लिया है। देखिए 'विश्वानुक' एवं पाणिनि (८।४।४), जहाँ पाँच वनों के नाम आये हैं।

कोटिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृथ० १।१८।३६।

कोटीश्वर—(१) (बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वी० क०, पृ० ५४), (२) (श्रीषर्क के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५७, (३) (पचनद के अन्तर्गत) वाम० ३४।२९, क्या यह सिन्धु एव समुद्र के पास कच्छ के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तीर्थयात्रा का प्रसिद्ध स्थल है? ऐ० जि०, पृ० ३०३-४ एव बम्बई गज़े० (जिल्द ५, पृ० २२९-२३१)।

कोटितीर्थ—(१) (पृथ्वी के पास) वाम० ५१।५३, ८४।११-१५ (जहाँ करोडों मुनियों के दमन हेतु शिव ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भर्तृ-स्नान के पास) वन० ५।५६१, (३) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४४, (४) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५२।६२, १५४।२९, (५) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७, कूर्म० २।४१।३४, पृथ० १।१३।३३ एव १।८।८ (यहाँ एक करोड़ अमुर मारोगये), (६) (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १४८।१, (७) (गंगाद्वार के पास) वन० ८२।४९, वन० ८४।७७, नारदीय० २।६६।२९, (८) (पचनद में) पृथ० १।२६।१४, वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोडों तीर्थों से जल एकत्र किया था), (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६, (१०) (कश्मीर में आपुनिक कोटिसर, बाराभूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२)।

कोटिचट—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०। ४७ ५०, १४७।४०।

कोणार्क (या कोणादित्य)—(ओड्ड या उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की दूरी पर) इसका अर्थ है 'कोण का सूर्य'। 'कोनाकोन' मम्मवत प्राचीन नाम है। यह सूर्य-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्न है। यहाँ नरसिंहदेव (१२३८-१२६४ ई०) द्वारा, जो एक गम राजा थे, निमित्त भव्य मन्दिर के अनाश्रयण हैं। उत्तर भारत के भास्कर जिल्ह का यह अद्वितीय नमूना है। इसका शिलर १८० फुट और मण्डप

१४० फुट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र कृत 'एण्टिक्विटीज आब उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २८८) एव माडर्न रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख 'सन गॉड आब कोणार्क अनअर्थड'। ब्रह्म० २।८।२, ९, ११, ४७, ६५ एव २९।१, तीर्थचि० (पृ० १८०)। यह सम्भवत टॉलेमी (पृ० ७०) का 'कन्नगर' है।

कोल्हापुर—(यह आपुनिक कोल्हापुर है, जो देवीधानी में एक है) देवीभाग० ७।३८।५, पृथ० ६।१७६।४२ (यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति कोल्हापुर नग्न नगर दक्षिणापथे) एव ११। ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (यह ललितातीर्थ है)। शिलाहार विजयादित्य के दान-पत्र (सन् ११४३ ई०) में 'कुल्हापुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है (एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७ एव २०९-२१०)। अमोघवर्ष प्रथम के सजन दान-पत्र (८७१ ई०) में आया है कि राजाने किसी जन विपत्ति को दूर करने के लिए अपना बार्मा अंगुठा काटकर महालक्ष्मी देवी को चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ एव २४१)। यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही है। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९, पृ० २८०।

कोल्ल—बार्हस्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह शाकत क्षेत्र है।

कोल्हागिरि—अग्नि० ११०।२१, भाग० ५।१९।१६।

कोल्हाहल—(एक पर्वत) भाग० ४५।९०, १०६।४५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२१, मार्क० ५४।१२, विष्णु० ३।१८।७३। डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह वेदिदेश में है, जिनमें शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है।

कोसला—(नदी, अयोध्या के पास) पृथ० १।३९। ११, ६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। बाका-टक राजा नन्दसेन के दान-पत्र में उसको कोसला (कोसल), मेकल एव मालवा के राजाओं द्वारा मम्मनित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ९, पृ० २७१)।

कौनट—वाम० ५१५३।

कौबेरतीर्थ—शल्य० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को धन का स्वामित्व प्राप्त हुआ)।

कौमारतीर्थ—(एक सर) ब्रह्माण्ड० ३।३।८६।

कौशाम्बी—प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आपुनिक कोसम) रामा० (१।३।२।६) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एव कुशा के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्थापित हुई थी, ती० क०, पृ० २४६। महाभाष्य (जिल्द ३, पृ० ५०, १३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई बार उल्लिखित हुई है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) में आया है कि यह घत्स देश की राजधानी थी। देखिए एं० जि० (पृ० ३९१-३९८) एव 'हस्तितानापुर' के अन्तर्गत। देखिए नगेन्द्रनाथ घोष वृत 'अर्ली हिस्ट्री आव कौशाम्बी'। असोक के कौशाम्बी स्तम्भामिलेख (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस आपुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया है। डा० रिमय ने 'कोसम' नहीं माना है (जे० आर० ए० एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)। कौशाम्बी के विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ११, पृ० १४१)।

कौशिकी—(१) (हिमालय से निकलनेवाली, आपुनिक कोसी) आदि० २।५।७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० २।२।६३, १।४।२२, रामायण १।३।४।७-९, भाग० ९।१।५।५-१२ (गांधी की पुत्री सत्यवती कौशिकी नदी हो गयी), वाम० ५।४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए पड़ा कि बाली ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त अपना बाला कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७।८।५, ९।०।२, वायु० ४।५।९४, ९।१।८५-८८। विश्वामित्र (आदि० ७।१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा है। (२) (गंगा के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, वायु० १०।८।८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा)। जैसा कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिकी का विशेषण है न कि किसी अन्य नदी का नाम।

कौशिकी-कोका-संगम—बराह० १।४।७।५-७।८।

कौशिकीमहाहृद—वायु० ७७।१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१।३।१०९।

कौशिकी-सोम—(दृषद्वती के साथ) पथ० १।२।६।८९, वाम० ३।४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह पृथक् लगती है।

कौशिकी-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १।९।४-४०।

कौशिक्यवनासंगम—वन० ८४।१।५६, पथ० १।३।८।-६३।

कौस्तुभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६०)।

कौशिकहृद—(कौशिकी नदी पर) वन० ८४।१।४२-१।४३, पथ० १।३।८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्युत्तम सिद्धि प्राप्त हुई)।

कूमसार—(कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा जाता है) नीलमत० १।४८।१-१।४८।२।

कुरुतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।२।१।९।

क्रिया—(ऋषिवान् से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२९।

कमु—(नदी) ऋ० ५।५।३।९ एव १०।७।५।६। सामान्यतः इसे आपुनिक कुरम कहा जाता है जो इसावैल के पास मिन्यु के पश्चिम तट में मिल जाती है। देखिए टे (पृ० १०५)।

कौशोदक—बराह० २।१।८।७-८।

कौञ्चपदी—अनु० २।५।४२।

कौञ्च पर्वत—(कंलास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३।१।२) ने इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४।३।२६-३१, शौण्म० १।१।१।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), शल्य० १७।५।१ एव ४।६।८३-८४।

कौञ्चपद—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १०।८।७।५-७।७ (एक मुनि ने कौञ्च पशु के रूप में यहाँ तप किया था)। नारदीय० २।४।६।५२, अग्नि० १।१६।७।

कौञ्चारण्य—(अनूपमान से तीन कोस दूर) रामा० ३।६।९।५-८।

वामा—(ऋष्यवान् से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।  
२५।

क्षिप्र—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।  
२७, वाम० ८३। १८-१९। कुछ मुद्रित ग्रन्थों में 'क्षिप्रा'  
या 'क्षिप्रा' शब्द आया है (वासु० ४५।१८)। मत्स्य०  
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु  
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है।  
मुद्रित ब्रह्म० (अध्याय २७) में 'क्षिप्रा' दो बार आया  
है, जिसमें एक पारियात्र (श्लोक २९) से और दूसरी  
विन्ध्य (श्लोक ३३) से निकली हुई कही गयी है।  
ब्रह्माण्ड० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म० के समान  
नही गयी है।

क्षीरवती—(नदी) वन० ८४।६८ (सरस्वती एवं  
बाह्यदा के पश्चान् विस्तृत हुई)।

क्षोरिका—(जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (ती० क०,  
पृ० २३८)।

क्षुद्यतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८५।१।  
क्षेमेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०,  
पृ० ११७)।

ख

खड्गधारेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ५६)।

खड्गतीर्थ—(१) (साधमती के अन्तर्गत) पद्य०  
६।१४०।१, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०  
१३९।१ (उत्तरी तट पर)।

खड्गधारातीर्थ—(या खड्गधारेश्वर)—पद्य० ६।१४७।१  
एव ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६)।

खड्गपुच्छ नाग—(कश्मीर में) ह० चि० १०।२५।  
(विजयेश्वर क्षेत्र क्षत्र से तीन मील ऊपर, इसे आज-  
कल अन्ननाग परगने में खडल कहा जाता है)।

खड्गतीर्थ—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३७।१२  
(इसे वृषतीर्थ भी कहा जाता है)।

खड्गवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५।३।२९  
(बारह वना में सातवाँ वन)।

खण्डव (वन)—कुशध्वज की सीमा (ती० आ० ५।१।१)।  
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्डय  
ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३-  
२२५, भाग० १।१५।८, १०।५।८।२५-२७, १०।७।१-  
४५-४६, पद्य० ६।२००।५।

खण्डवप्रस्थ—(एक नगर) आदि० ६।१।३५, २२।१-  
१५, भाग० १०।७।३।३२ (जहाँ जरामन्थ को मारकर  
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लोटे थे)।

खोपमुष—(कश्मीर में) बिल्हण नवि की जन्म भूमि  
और कुकुम्भ-उत्सवादन के लिए प्रसिद्ध। विक्रमावदेव-  
चरित १।७२, १।८।७।१ (खोपमुष पाठान्तर आया  
है), स्टोन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोट,  
जिसमें दो गाँव हैं)।

ग

गंगा—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

गंगा-कौशिकी-संगम—ती० क० पृ० ३५७-३५८।

गंगा-गण्डकी-संगम—ती० क०, पृ० ३५७।

गंगा-गोमती-संगम—ती० क०, पृ० ३५८।

गंगाद्वार—(यह हरिद्वार का एक नाम है) वन०  
८।१।१४, ९०।२१, १४२।९।०, अनु० २५।१३,  
कर्म० १।१५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र  
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (आठ के  
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० घ० सू० ८।५।३८,  
अग्नि० ४।७ (यहाँ वाहन बलि के पाम आये हैं),  
पद्य० ५।५।३ एवं ५।२६।१०३। बार्ह० सू० (३।१२९)  
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२।१०)  
ने एक ही श्लोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को  
अलग-अलग वर्णित किया है।

गंगा-भानुज-संगम—(कश्मीर के पास) नीलमत्त०  
१४५७।

गंगा-यमुना-संगम—(अर्थात् प्रयाग, वहाँ देखिए) वन०  
८।४।३५।

गंगावत्—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०।१६  
(गणेश्वर के पास)।

गंगा-वराणा-संगम—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० क०, पृ० ४५) ।

गंगा-वदन-संगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
१९३।२०।

गंगा-भरत-संगम—रघुवश ८।९५, तीर्थप्रकाश, पृ०  
३५७।

गंगा-सरस्वती-संगम—वन० ८।४।३८, पद्य० १।३।२।३।

गंगा-सागर-संगम—वि० ध० सू० ८।५।२८, मत्स्य०  
२२।११ (यह 'सर्वतीर्थमय' है) पद्य० १।३।९।४,  
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया  
हुआ है।

गंगा-हृद—पद्य० १।२।१।६३ (कुशक्षेत्र के अन्तर्गत)  
वन० ८।३।७०।१, अनु० ७।५।३४

गंगेश्वर—(१) (वागणमी के पश्चिम) नारदीय०  
२।४९।४६, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
१९३।१।४।

गंगोद्भव—वन० ८।४।६५, मत्स्य० २२।२५, पद्य०  
१।३।२।२९, अग्नि० १०९।१८।

गजकर्ण—(पितृ-तीर्थों में एक) मत्स्य० २२।३८।

गजक्षेत्र—(शिवक्षेत्र) बार्हस्पत्य सूत्र ३।१२२।

गजशूल—(मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु०  
३६।७४।

गङ्गासङ्घर्षी—(या नागसाङ्घर्ष) (यह हस्तिनापुर ही  
है) विष्णु० ५।३।५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७।८।८,  
भाग० १।४।६, टीका का कथन है—'गजेन सहित  
आङ्घ्र्यो नाम यस्य'; बृहत्संहिता १।४।४ (गजाङ्घ्र्य) ।  
पद्मसङ्घर्ष—(यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्व  
५।३।४।

गङ्गेश्वर—(श्रीशूल के अन्तर्गत) लिंग० १।९।२।३६।

गङ्गातीर्थ—(१) (उन तीर्थों में एक, जहाँ के श्राद्ध से  
परमपद मिलता है) मत्स्य० २२।७३; (२) (साध्र-  
मती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३।३।२४।

गण्डकी—(हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के  
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो-  
छट्टे' है (ए० इण्डि०, पृ० १८८) । आदि० १७०।-

२०-२१ (उन सात महान् नदियों में एक, जो पाप  
नष्ट करती हैं), नभा० २०।२७, वन० ८।४।१३, वन०  
२२।२।२२ ( गण्डसाङ्घर्षी सम्भवतः गण्डकी ही है),  
पद्य० १।३।८।३०, ४।२०।१२७ (इसमें पाये जानेवाले  
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-चिह्न होते हैं) । वराह०  
(१।४४-१।४६) एवं ब्रह्माण्ड० (७।१६।२६) में आया  
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने में निकली है।  
विष्णु ने इसे वरदान दिया कि मैं शास्त्रधाम प्रस्तर-  
खण्डों के रूप में तुममें मर्दव विराजमान रहूँगा  
(वराह० १।४।३।५-५८) । गण्डकी, देविका एवं  
पुलस्त्याश्रम में निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनाती  
हैं (वराह० १।४।८।४) । यह नेपाल में 'शास्त्रधामी'  
एवं उ० प्र० में 'नारायणी' कहलाती है।

गवाकुण्ड—(शास्त्रधाम के अन्तर्गत) वराह० १।४।५।  
४९।

गवालोल—(गंगा में ब्रह्मघोषिण के दोनों ओर एक-एक  
कुण्ड) वायु० १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि०  
११।५।६९, और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४,  
अध्याय १४।

गन्धकाली—(नदी) वायु० ७७।४४, ब्रह्माण्ड०  
३।१३।७६।

गन्धमावन—(वह पर्वत, जिस पर ब्रह्मीनाथ अवस्थित  
है) नृसिंह० ६।५।१० (ती० क०, पृ० २५२),  
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क० ५।१।५  
(नर-भारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३।२६।

गन्धवती—(१) (एकाग्रक के पास उदयगिरि की पहा-  
दियों से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण  
ने इसे विन्ध्य से निर्गत कहा है) देखिए डा० मित्र  
द्वारा 'ऐन्टीक्विटीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ०  
९८) । (२) (शिवा की एक छोटी सहायक नदी)  
मेघदूत १।३३।

गन्धर्बकुण्ड—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १।६३।१३।

गन्धर्बनगर—ती० क०, पृ० २४७।

गन्धर्वतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३।९।  
१३, पद्य० ३।७।१० (सरस्वती के गर्गस्रोत पर) ।



गभस्तीर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३।  
१५४।

गभौरक—(मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह०  
१४३।४२।

गम्भीरा—(१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे  
वितस्ता से मिल जाती है) ह० वि० १०।१९२, स्टीन-  
स्मृति (पृ० १७०)। स्टीन ने राज० (८।१०६३)  
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के  
पूर्व विशोक के निम्नतम भाग का नाम है, (२)  
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०, बृहत्संहिता  
(१६।१५) ने 'गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है,  
जो क्षिप्रा से मिलती है।

गया—(१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४,  
(२) (वदरिवाच्यम पर पाँच धाराओं में एक)  
नारदीय० २।६७।५७-५८।

गयाकेदारक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।५३।

गया-निष्क्रमण—नृसिंह० (ती० व०, पृ० २५२), यहाँ  
विष्णु का मुह्य नाम हरि है।

गयाशिर—(राजवि गया के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी)  
वन० ९५।९, ८७।११, वायु० १०५।२९ (यह विस्तार  
में एक कोम है), नाम० २०।२० (यह ब्रह्मा की पूर्व  
बेदी है) अग्नि० ११५।२५-२६ (यह फल्गुतीर्थ है)।  
डा० बरुआ ('गया एण्ड बुद्धगया', जिल्द १, पृ० ७)  
के मत में यह आधुनिक ब्रह्मगोत्रि पहाड़ी है।

गयातीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पथ० १।३७।५।

गयातीर्थ—(गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि०  
ध० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के  
पास गयाजीम पर गये, देखिए महावग्ग १।२१।१  
(एस० वी० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४)। देखिए  
इम ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४।

गया-भवन—पथ० १।२६।४६।

गहडकेडवर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
व० पृ० ६७)।

गणेशोत्तर—(भरखुती पर) शल्य० ३७।१४।

गणेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।८०।

गणेश्वर—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७  
१७६।६।

गल्लिका—(गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पथ०  
६।७६।२, (जहाँ शालग्राम पाषाण पाये जाते हैं)  
६।१२९।१४।

गायत्रीस्थान—वन० ८५।२८।

गायत्रीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ७८)।

गायत्रीतीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१।

गाणपत्यतीर्थ—(विष्णु नामक पहाड़ी पर, साध्रमती के  
पास) पथ० ६।१२९।२६, ६।१६३।१।

गासब—देखिए 'पापप्रणाशन'।

गालवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ९८)।

गार्हपत्यपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।५०।

गावड—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९०।१।

गिरिकर्णिका—मत्स्य० २०।३९। दे (पृ० ६५) ने  
इसे साध्रमती कहा है।

गिरिकुञ्ज—पथ० १।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते  
हैं)।

गिरिकूट—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५।

गिरिनगर—(काठियावाड में आधुनिक जूनागढ़)

इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या  
ऊर्जयन्त कहलाती थी, बिल्कुल अब गिरनार कही जाती  
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टिप्पणी की  
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पाठुकाओं (पद-  
चिह्नों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ  
अदीक का शिलालेख है, अठ ई० पू० तीसरी शताब्दी  
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख  
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द  
८, पृ० ३६, ४२)। देखिए 'बस्नापथ' के अन्तर्गत।

गिरिवज—(जरासन्ध एव उसके पुत्र सहदेव से लेकर  
मगध के राजाया की राजधानी) इसे बौद्ध काल  
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२  
मील पर है। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर लम्बी

टिप्पणों को है। सभा० २११२-३ (यह वैहार, विपुल, वराह, वृषभ एव ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों से घिरा हुआ एव रक्षित है)। देखिए 'राजगृह' के अन्तगत। रामा० (१३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एव कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था।

**गृध्रकुलस्यतीर्थ**—(नर्मदा पर) स्कन्द० १।१।१८।-१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया)।

**गृध्रेश्वर**—(वारा० के अन्तगत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।

**गृध्रकूट**—(१) (गया के अन्तगत एक पहाड़ी) वायु० ७७।१७, १०८।६१, १११।२२, अग्नि० ११६।१० नारदीय० २।४५।१५ एव ४७।७८, (२) (सरस्वती और नृदा के संगम पर, जहाँ परशुराम के रक्तरजित हाथ स्वच्छ हुए थे) नीलमत० १३९४ १३९५।

**गृध्रवन**—कूर्म० २।३७।३८।

**गृध्रघट**—(१) (गया में गृध्रकूट पर) वन० ८४।-९१ अग्नि० ११६।१२, पथ० १।३८।११ (यहाँ भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, वायु० १०८।६३, अब वृक्ष नहीं है, (२) (सूकर धन में जहाँ गृध्र मानव हो गया था) वराह० १३७।५६।

**गृध्रेश्वर लिंग**—(गृध्रकूट पर गया के अन्तगत) अग्नि० ११६।११ नारदीय० २।४७।७८।

**गोकर्ण**—(१) (उत्तरी बनारा जिले के कुमटा तालुका में गोआ से ३० मील दक्षिण समुद्र के पश्चिमी तट पर सिद्ध का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, २७७।५५, आदि० २।७।३४-३५ (आद्य पशुपते स्थान दशानादेव मुक्तिदम्), वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।३८, कूर्म० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।-७ २१ (कलौष ७ में इसका विस्तार ढड़ योजन है), वाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिंग स्थापित किया था)। ब्रह्माण्ड० (३।५७ ५८) एव नारदीय० (२।७४) ने बयन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास

सहायतायें गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका जित्द ७, शिकारपुर, सख्या ९९ (१११३ ई०), जहाँ चालुक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को 'गावणपुर के स्वामी' का कर दे कहा गया है। कूर्म० (२।३५।-३१) ने उत्तर-गोकर्ण एव वराहपुराण (२।३।-७) में दक्षिणी एव उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०।११, (३) (मयुरा के अन्तगत) वराह० १७१-१७३, (४) (वारा० के अन्तगत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११३)। मत्स्य० (१३।३०) ने गोकर्ण में देवी को भद्रकणिका कहा है।

**गोकर्ण-कूब**—वन० ८८।१५-१६।

**गोकर्णेश्वर**—(हिमालय की एक चोटी पर) वराह० २१५।११८।

**गोकामुल्ल**—(पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

**गोकुल**—(एक महारण्य) देखिए 'ब्रज', पथ० ४। ६९।१८, भाग० २।७।३१।

**गोपह**—(उड़ीसा में विराज के अन्तगत) ब्रह्म० ४२।६।

**गोषन**—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२।

**गोतीर्थ**—(१) (नैमिष वन में) वन० ९५।३, (२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०।१, (३) (वारा० के अन्तगत) कूर्म० १।३३।१३, (४) (नर्मदा के अन्तगत) मत्स्य० १९३।३, पथ० १।२०।३, (५) (साभ्रमती के अन्तगत) पथ० ६।१५६।१।

**गोघरमेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तगत) लिंग० १।९२। १५२।

**गोदावरी**—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

**गोनिष्कमण**—(इसे गोस्थलक भी कहते हैं) वराह० १४७।३-४ एव ५२।

**गोपाद्रि**—(बदमीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक पहाड़, जिसे अब तत्काल मुलेमान बहते हैं) स्टीन स्मृति (पृ० १५७), राज० (१।३४।१) न गोपाद्रि का उल्लेख किया है, जो बाल झील के पास आज का गोपकार है। देखिए काश्मीर रिपोर्ट, १७।

गोपीश्वर—(मयुग के अन्तर्गत) वराह० १५७।१८  
(जहाँ कृष्ण ने गर्भिया के साथ लीलाएँ की)।

गोप्रचार—(गंगा के अन्तगत) वायु० १११।३५-  
३७ (जहाँ आंमा की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।-  
६।

गोमत्तार—(अवध के फंजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम  
ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना शरीर छोड़ा।  
याम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवरा १५-  
१०१।

गोप्रेस—(वाराण के अन्तगत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ४२), पद्य० १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३  
(गोप्रेसक)।

गोप्रेसक—(वाराण के अन्तर्गत एक लिंग) लिंग०  
१।९२।६७-६८।

गोपशेखर—(वाराण के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती०  
क०, पृ० १३१)।

गोभिलेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ९४)।

गोमण्डलेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग०  
१।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित)।

गोमन्त—(१) (एक पहाड़ी) मत्स्य० १३।२८ (गोमन्त  
पर सती को गोमती कहते हैं), (२) (करवीरपुर,  
कोञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी)  
हरिवंश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०), (३)  
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्र-  
मणों से तम आकर कृष्ण एवं दृष्णि लोच भयुरा से  
आकर बस गये थे) सभा० १४।५४, वन० ८८।-  
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो  
पहचान बतलायी हैं, वे असतोषप्रद हैं (पृ० २८९)।

गोमती—(१) (एक नदी) ऋ० (८।२।२।३०  
एवं १०।७५।६) यह कुमा एवं कुमु के बीच में  
रखी गयी है (ऋ० १०।७५।६), अतः सम्भवतः  
यह आज की गोमल है जो सिन्धु की एक पश्चिमी  
सहायक नदी है, (२) (सरस्वती के पास की एक  
नदी) वन० ५।८७।७, पद्य० १।३२।३७, याम०

६३।६१ एवं ८।३२, (३) (द्वारका के पास)  
स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्य० ४।-  
१७।६९-७० एवं ६।१७।३५-३६ (४) (अवध  
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा  
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११।४।२२, ब्रह्माण्ड०  
२।१६।२५, याम० २।४९।११।

गोमती-गंगा-संगम—पद्य० १।३२।४२, भाग० ५।  
१९।१८, अग्नि० १०९।१९।

गोरसाक—वराह० २१५।९३।

गोरपार्गिर—(भगवदोच मे) सभा० २०।३०।

गोवर्धन—(१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी)  
मत्स्य० २२।५२, कूर्म० १।१४।१८ (जहाँ पर पुषु  
ने तप किया था)। पद्य० ५।६९।३९, वराह० १६३।-  
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६।  
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५, (२)  
(राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर)  
ब्रह्म० ९।११, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के  
पास प्राप्त उपबदात के शिलालेख में गोवर्धन कई  
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्द १६,  
पृ० ५६९)।

गोविन्दतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०  
१२२।१००, पद्य० १।३८।५० (वम्पकारण्य के  
पास है, ऐसा लगता है)।

गौतम—(मन्दर पर्वत पर) पद्य० ६।१२९।८।

गौतम नाथ—(कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं  
बदन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८।

गौतम-वन—वन० ८४।१०८-११०।

गौतमाश्रम—(श्वन्वकेश्वर के पास) पद्य० ६।१७६।-  
५८-५९।

गौतमी—(गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड  
४ का अध्याय १५।

गौतमेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
२२।६८, १९३।६०, कूर्म० २।४२।६-८, पद्य०  
१।२०।५८, (२) (वाराण के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० क०, पृ० ११५)।

गौरी—(नदी) भोष्म ० १।२५। सम्भवत यह यूनानी लेखको की 'गौरियार्स' है (टॉलेमी, पृ० १११)।

गौरीश—(ललिता-तीर्थ) ब्रह्माण्ड ० ४।४।१८।

गौरीशिल्लर—(१) वन ० ८।१।५१, मत्स्य ० २२।-७६ (श्राद्ध के लिए योग्य), (२) (कश्मीर के पाम एक तीर्थ) नीलमत ० १४४८-१४४९ (जहाँ नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और गौर वर्ण वाली हो गयी)।

गौरीतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य ० २२।३१, कूर्म ० १।३।५२, पद्म ० १।३।७।

घ

घटोद्वर—(साधमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१५।१३।

घटोत्कच—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म ० १।३।५।८, पद्म ० १।३।७।८।

घट्टामरणक—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह ० १५४।-१५।

घट्टाकर्णहृद—(वारा० के अन्तर्गत व्यासेद्वर के पश्चिम) नारदीय ० २।४९।२८-२९, लिग ० (ती० क०, पृ० ८६)।

घण्टेश्वर—मत्स्य ० २२।७०।

घघेर—(या घघरा या घाघरा) (एक पवित्र नदी, जो कुमार्पू से निकलती है और अवध की एक बड़ी नदी है) पद्म ० २।३९।४३, मत्स्य ० २२।३५, पद्म ० ५।१।१२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। देखिए तीर्थप्रवास (पृ० ५०२), जहाँ सरयू-पयेंर-सगम का उल्लेख है। पर्यटन, सरयू आदि नदियों का सम्मिलित जल घाघरा या सरजू के नाम से प्रसिद्ध है, विशेषतः बहरामपट से देखिए इन्हीं गण्डे इण्ड ०, जिन्द १२, पृ० ३०२-३०३।

घृतकुम्भा—(गया के अन्तर्गत एक नदी) वन ० १०५। ७४, ११२।३०।

घ

घक—(सरस्वती के पास) भाग ० १०।७।८।१९।

घकतीर्थ—(१) (सौकरतीर्थ के अन्तर्गत) वराह ०

१३।७।१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत)

नृसिंह ० ६६।२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत)

स्कन्द ० २०३, ब्रह्माण्ड ०, अध्याय ३-५; (४)

(कश्मीर में) चक्रधर के नाम से भी विख्यात

है, (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ० ६।८।१, १०९।-

१, १२४।१ (श्याम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन बार

उल्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मपुरा

के अन्तर्गत) वराह ० १६२।४३; (७) (सर-

स्वती के अन्तर्गत) वाम ० ४२।५, ५७।८९,

८।१३; देखिए एं० जि० (पृ० ३३६) एवं 'अस्य-

पुर' के अन्तर्गत; (८) (झारका के अन्तर्गत)

तीर्थ प्र०, पृ० ५३६-५३७, वराह ० १५९।५८।

घकधर—(कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रंश

रूप में 'सकदर' या 'छाकधर' है) राज ० १।३८।

अब यह विजयपुर (प्राचीन विजयेश्वर) से लगभग

एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए कश्मीर

रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टोन-स्मृति (पृ० १७१)।

चक्रधर एवं विजयेश-नाम एक-दूसरे के पास स्थित

दो प्रतिमाएँ हैं। ह० वि० (७।६१) इसे चक्रीर्थ

एवं चक्रधर (७।६४) कहता है।

घकवाक—(पितरो के लिए एक तीर्थ) मत्स्य ०

२२।४२।

घकस्थित—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह ० १६९।१।

घकस्वामी—(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह ० १४५।-

३८ (चक्रांकितशिलास्तत्र दृश्यन्ते)।

घकवर्त—(मन्दार के अन्तर्गत)। वराह ० १४३।-

३६-३८ (एक गहरी झील)।

घकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग ० (ती०

क०, पृ० ५२)।

घकसू—(हिमालय से निकलनेवाली एक नदी, गया

की एक शाखा) मत्स्य ० १२।१२३, वायु ० ४७।-

२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड ० २।१६।२०, भाग ० ५।१७।-

५। दे (पृ० ४३) के मत से चकसू 'आवसत' या

'आयु दरिया' है; वे मत्स्य ० (१२०।१२१) पर

निर्मल हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आश्चर्य है, दे (पृ० १३) अश्मन्वती को भी 'आवसत' कहते हैं।

**धक्षुस्तीर्थ**—(गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १७०।१।

**धन्वला**—(श्रृंगयान् पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) मत्स्य० ११४।२६।

**धन्ववेगा**—(पितरो के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० २२।२८।

**धन्ववेगासम्भेद**—मत्स्य० २२।२८, कूर्म० २।४४।१६, पद्य० ६।१३।६७।

**धन्वेश**—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६९।-१।

**धन्वकेश्वर**—लिंग० १।९२।१६६, याम० ५।१।५०।

**धनु.समुद्र**—(वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिंग० (ती० क०, पृ० ८९)।

**धनुःसामुद्रिक**—(मयूरा के अन्तर्गत एक कूप) वराह० १५८।४१।

**धनुःस्रोत**—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।१७।

**धनुर्मंथ**—(हरस्वती के अन्तर्गत) याम० ४२।२८।

**धनुषेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।-४९।६५।

**धनुषदेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड ३३।१३०।

**धन्वतीर्थ**—(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० २।३७।२३, (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१७, कूर्म० १।३५।११; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कूर्म० २।४२।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२८।

**धन्ववर्षा**—(नदी) वन० १९।१८।

**धन्ववती**—(नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० (इति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता ही गयी थी)।

**धन्वभागा**—(१) हिमालय से यह दो धाराओं में निकलती है, एक को 'धन्वा' (जो १६००० फुट ऊँचाई

पर बार लाख बने दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती है) और दूसरी को 'भागा' (जो दर्रे के उत्तर-पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तपडी के पास समुक्त ही आती हैं और मिलित धारा धन्वभागा या चिनाब कहलाती है। पञ्जाब की पाँच नदियाँ हैं—वितस्ता (सैलम या यूनानी लेखकों की हाइडस्पीस), विपाशा (ग्यास, यूनानी लेखकों की हाइपसिस), शतद्रु (सतलज), धन्वभागा (चिनाब) एवं इरावती। मिलिन्द-प्रश्न (एस्० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में धन्वभागा भारत की दस बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू० ८५।४९, तन्वा० ९।१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० २५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ एवं १६२, ह० वि० १२।४४। देखिए 'असिप्नी', (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१६४, कूर्म० २।४१।३५, पद्य० १।१८।६१, (३) (ताप्ती से मिल जाती है) पद्य० ६।७०।४४, (४) (जो साभ्रमती से मिलती है) पद्य० ६।१४८।१२, १४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा को एक सहायक नदी है)।

**धन्वमस्तीर्थ**—(आर्चक पर्वत पर) वन० १२५।१७।

**धन्वपद**—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।४७।-१८-१९।

**धन्वपुर**—(कश्मीर का एक नगर) नीलमत० ११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे बुनो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बी-चौड़ी झील बन गयी)।

**धन्वेश्वर**—(१) (धन्वभागा नदी पर एवं धनुषेश्वर के पूर्व में, साभ्रमती पर) पद्य० ६।१३।११; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४९)।

**धन्विका**—(धन्वभागा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य० २२।६३।

**धन्वत्कारपुर**—(आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द-पुर) स्कन्द० ६, अध्याय १-१३।

धमस या धमसोद्भवे—(१) (जहाँ महभूमि में विलुप्त हो जाने के पश्चात् सरस्वती पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, १३०।५ (एव वै धमसोद्भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पप० १।२५।१८, (२) (प्रसास के अन्तर्गत) शाल्य० ३५।८७, वन० ८८।२०।

धम्पकतीर्थ—(जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है) नारदीय० २।३४०।८६।

धम्पकवन—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० ३७।१८-२२।

धम्पा—(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी पर एक नगरी और बुद्ध-काल की छ बड़ी पुरिया में एव) वन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८।२६, पप० १।३८।७०, मत्स्य० ४८।९१ (आरम्भ में यह मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा धम्प के नाम पर 'धम्पा' कहलाने लगी। महापरिनिम्बान मुक्त के मत से छ बड़ी नगरी है—धम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एव वाराणसी (एम्० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एव २४७)। वाम० (८४।१२) ने चाम्पेय ब्राह्मण का उल्लेख किया है। चम्पा वर्णादिगण (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है, (२) (पिनगा के लिए पुनीत नदी) मत्स्य० २२।४१, पप० ५।११।३५ (अग एव भगध, देति ए दे, पृ० ४३) यह कामपाद एव वर्ण की राजधानी था।

धम्पकारण्य—(बिहार का आधुनिक चम्पारन) वन० ८४।१३३, पप० १।३८।४९ (चम्पारन जिले में सधामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था)।

धर्माल्य—(वाराण के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४।

धर्मश्वती—(नदी, आधुनिक धम्बल जो मज (मालवा) के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मील दूर से निकली है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८।७४ (इपद दक्षिण पंचाल से धर्मश्वती तत्र राग्य करता था), वन० ८२।५४, द्रौण० ९७।५, (धर्मश्वती नाम इस-

लिए पडा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) पप० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर सकेत करता है), धर्मश्वती नाम पाणिनि (८।२।१२) में आया है।

धर्मकोट—मत्स्य० २२।४२।

विच्छिन्न तीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१।

चिताभूमि—(वैद्यनाथ या सन्याल परगने में देवघर जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिर्लिंगों में परिगणित है) दिवपुराण १।३८।३५, देसिए दे, पृ० ५०।

चित्रकूट—(पहाड़ों बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५।५८, रामा० २।५४।२८-२९ एव ९३।८, (भारद्वाजधर्म से दस कास दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितृ-तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एव अनु० १।२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एव ७५।२६, अनि० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) १०९।२३, पप० १३९।५४, रघुवच १।३।४७, मेघदूत (टीका) ने इसे रामगिरि कहा है।

चित्रकूटा—(शुस पर्वत से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।९९, मत्स्य० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी एक यह नदी श्वाशवान् से निकली हुई कही गयी है)।

चित्राङ्गदतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११, वाम० ४६।३९ (चित्रागदेवर लिंग)।

चित्रागवदन—(साध्वती के अन्तर्गत) पप० ६।१४।१-१।

चित्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० ब०, पृष्ठ ९७)।

चित्रोत्पत्ता—(नदी) ब्रह्म० ४६।४-५ (विन्ध्य से निकली हुई एक महानदी नाम वाली)।

चित्रोत्पत्ता—(सम्भवतः ऊपर वाली ही) भीष्म० ९।३५, मत्स्य० ११४।२५ (श्वाशवान् से निकली हुई), ब्रह्म० २७।३।३२ (शुसपाद से निकली हुई)।

चित्रगुप्तेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२, १।

चिदम्बर—(दक्षिण 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० ७।३।८।११, यह महान् शिव-मन्दिर के लिए विरूपात है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई पड़ता। यथाकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। मन्दिर के बाहरी वटा में एक हजार से अधिक पाषाण-स्तम्भ हैं।

चिन्ताङ्गदेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१४।

चीरमोचन-तीर्थ—(वदमीर में) राज० १।१४९-१५० (कनकवाहिनी, नन्दीज एव यह तीर्थ एक साथ वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एव सिन्धु का संगम है, नीलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए पड़ा है कि सर्पाणि गण यहाँ अपने बलकल वस्त्रों को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, पृ० २११।

चैत्रक—मत्स्य० ११०।२।

चैत्ररथ—(एक वन) वायु० ४७।६ (अञ्जोदा नदी के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१।७ (यहाँ देवी महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३।२८।

च्यवनस्याध्वन—(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१।११६।१०) में कहा गया है कि अश्विनौ ने च्यवन का कायाकल्प किया था और उन्हें पुन युवा बना दिया था। शतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एम० बी० ई०, जित् २६, पृ० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या सुकन्या से विवाह किया और इस हृदय का कुण्ड में स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० १२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एव अश्विनी की गाथा है। वन० (१०२।४) में वर्णन किया है कि कालेयों ने यहाँ १०० भुनियो का भक्षण किया।

दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया है। च्यवन भृगु के पुत्र थे और भृगु लोण नर्मदा के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये जाते हैं।

च्यवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६६)।

. छ

छागलाण्ड—(श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० १३।४३ (यहाँ देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२।

छागलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

छायाक्षेत्र—(ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० (महालक्ष्मीपुर की मगरवाटिका इसी नाम से प्रसिद्ध है)।

छिन्नपक्षेत्र—(गोदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५।

ज

जगन्नाथ—देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुष्योत्तम-तीर्थ।

जटाकुण्ड—(मानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एव समुद्र से उत्तर)।

जनककूप—(गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३।२८, वन० ८४।१११।

जनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

जनस्थान—देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, वन० १४७।३३, २७७।४२, शत्य० ३९।९ (दण्ड-कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म० ८८।१ (विस्तार में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२।१-२०, ३।३।५-६।

जनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१३।११ (पितृतीर्थ)।

जन्मेश्वर—मत्स्य० २२।४२।

जामबन्ध-तीर्थ—(१) (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती

- है) मत्स्य० १९४।३४-३५, पद्य० १।२१।३४-३५ (जमदाग्नितीर्थ), (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदावरी पर, धाद्व के लिए अति उपयोगी)।
- जम्बोरघम्बक**—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० १९०)।
- जम्बुकेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्य० १।३७।४, लिंग० १।९२।१०७, नारदीय० २।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा गया था)।
- जम्बुला**—(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ४।५।१००।
- जम्बूमार्ग**—(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, २५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर), देवल (ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्ग एव कालजर को अ यतना के रूप में पूषकृ-पूषकृ वर्णित किया है, (२) (कुरक्षेत्र के पाग) गन० ८२।४१-४२, ८९।१३ (असित पर्वत पर) अनु० २५।५१, १६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३-३८, (३) (पुष्कर के पास) पद्य० १।१२।१-२, अग्नि० १०९।९, वायु० ७७।२८।
- जम्बूनदी**—(मेरु मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित चन्द्रप्रभा शील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८-६९ भाग० ५।१६।१९।
- जम्बेश्वर**—(या जाम्बेश्वर) कूर्म० २।४३।१७-४२ (समुद्र के पास नदी नद्य के तीन करोड़ नामों का जप किया)। अग्नि० १।१२।४ (वारा० के अन्तर्गत)।
- जम्बेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११५)।
- जम्बत**—मत्स्य० २२।७३, वाम० ५।१।५१।
- जम्बतिका**—ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० ललितापीठों में से एक)।
- जम्पुर**—(कश्मीर में, जयापीठ की राजधानी, जल से घिरी हुई। श्री हृण्य की द्वारवती की अनुवृत्ति में यह यहाँ खरती कही गयी है) राज० ४।५०।१-५११, काश्मीर रिपोर्ट, पृ० १३-१६,

स्टोन-स्मृति (पृ० १९७-१९८)। अब यहाँ अन्दरकोट नामक ग्राम है।

**जम्पातीर्थ**—मत्स्य० २२।४९।

**जम्बवन**—(कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० १।२२०, विक्रमाकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर से डेढ़ गयूति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र धारा एव कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ कुण्ड में आज भी तप्तक नाग की पूजा होती है। देखिए ऐ० जि० (पृ० १०१-१०२)।

**जम्पनी**—पद्य० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)।

**जम्पनीश**—ती० प्र० (६०२-६०३) ने वालिकापुराण का उद्धरण दिया है।

**जम्बुहृद**—नारदीय० २।४०।९०।

**जाल**—बाहें० भूज (३।१०४) के अनुसार वास्त क्षेत्र।

**जालबिन्दु**—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १।४०।१६।

**जालन्धर**—(१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इस पर देवी विश्वमुखी कही जाती है), २२।६४ (पितृ-तीर्थ), वालिका० (१८।५१) के मत से देवी जालन्धर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहाँ पर उनके स्तन-गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा रहे थे, (२) (पंजाब में सतलज पर एक नगर) वायु० १०।४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर एक पीठ है), समवत जालन्धर ललिता के पीठों में एक है, पद्य० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।९।१५ (जालन्ध्र), देखिए ऐ० जि० (पृ० १३६-१३९)।

**जालेश्वर**—(१) (एक शिवतीर्थ, आठ स्वामी में एक) मत्स्य० १८।१२८ एव ३०, कूर्म० २।४०।३५, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।६।१५ एव ३८, (जालेश्वर नामक एक हृद) कूर्म० २।४०।२२, पद्य० १।१४।३, मत्स्य० (अ० १८७, इसकी उत्पत्ति), (३) (शालग्राम के पास जालेश्वर) बराह० १।४४।१३९-१४०।

**जंगीव्य-गुहा**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (१।९२।५३)।



बंगीषध्वेयवर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११)।

आह्नवी—(गंगा का नाम) वायु० ११।५४-५८ (मुनि जहू की गायी), नारदीय० २।४।१३५-३६ (जहू ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, (जहू ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) ३।६६।२८।

आतिस्मरह्वर—(१) (हृष्ण-वेणा के पास) वन० ८।५।३८, (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८।५।-१२८, पद्य० १।३८।४५।

केठिल—(चम्पवारण्य के पास) वन० ८।५।१३४।

ज्ञानतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।६, पद्य० १।३।७।६।

ज्ञानवापी—स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एक माहात्म्य का वर्णन है)। देखिए इन ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

ज्येष्ठेश्वर—(कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील पर आधुनिक ज्येष्ठेश्वर स्थल) राज० १।११३, नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) में आया है कि अशोक के पुत्र जालीन ने ही ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीनतम मन्दिर है।

ज्येष्ठ पुष्कर—(सरस्वती पर) वन० २००।६६, पद्य० ५।१९।१२, १८।२० (बहा-जाता है कि यह ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है)।

ज्येष्ठस्थान—(कोटितीर्थ के पास) वन० ८।५।६२।

ज्योतिरपा—(या त्प्या) (यह घाण की एक सहायक नदी है) वन० ८।५।८, पद्य० १।३९।८।

ज्योतिष्मती—(हिमालय की एक झील से निकली हुई एक सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४।७।-६३, मत्स्य० १२१।६५, ब्रह्माण्ड० २।१८।६६।

ज्योत्स्ना—(मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

ज्वालामुखी—(एक देवीस्थान, जि० कांपडा)। देवी-भागवत० ७।३।८।६।

ज्वालामर—(अमरकण्ठक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।-१३।१२।

ज्वालेश्वर—(अमरकण्ठक के पास) मत्स्य० १८८।-८० एवं १४।९५, पद्य० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ पर स्वामाविक रूप से गैस निकलती है जो वर्षण से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम पड़ा है।

त

तक्षशिला—(आधुनिक टंक्सिला) स्वर्गरोहण पर्व ५।३४, वायु० ८।८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।-१९०-११ (गन्धार में दामरधि भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित), जातक में 'तक्षसिला' विद्या-केन्द्र के रूप में वर्णित है (यथा—भीमसेन जातक, कान्दोर्ग द्वारा सम्पादित जिल्द १, पृ० ३५६)। देखिए टाल्लेरो (पृ० ११८-१२१) जहाँ शिवन्दर के काल के आगे का इमका इतिहास दिया हुआ है। यह अशोक के प्रथम पृथक् प्रस्तारभिलेख में उल्लिखित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) और पार्श्वनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया है। इसके भ्रसावशेष का वर्णन देखिए ऐ० जि० (पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइड टू टंक्सिला' आदि में।

तक्षकनाग—(कश्मीर के जयवन में अर्थात् आधुनिक जेवन के पास एक पुनीत घारा) वन० ८।२।-९०, राज० १।२२०, पद्य० १।२५।२ (वितस्ता तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, कश्मीर रिपोर्ट, पृ० ५।

**तापोवन**—(१) गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १२८।१; (२) (वग देश में) वन० ८४।११०, पद्य० १।३८।३१। 'ततो वनम्' वनपर्व में अशुद्ध छपा है।

**तप्तसा**—(१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से मिलनेवाली आधुनिक टोस) रामा० १।२।३, २।४५।३२, रघुवश १।२०, १।४।७६। देखिए सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमसा पर स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन् ५१२-१३ ई०) का उल्लेख है, (२) वायु० ४५।१००, (३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० ६।१८।१२।

**तप्तसकाश्रम**—(पुष्कर एव जम्बूमागं के पास) वन० ८२।४३, अग्नि० १०९।९, पद्य० १।१२।२।

**तापस्तीर्थ**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२६।१ एव ३७ (इसे सप्ततीर्थ भी कहा जाता है)।

**तापती**—(नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय १७१-१७३) में तापती सूर्य की बन्धा कही गयी है, जिससे राजा सवरण ने विवाह किया और उससे कुछ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मार्क० १०५।६ (सूर्य की छोटी पुत्री नदी ही गयी)।

**तारण्य** वा **तारण्यक**—(कुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० ८३।१५, पद्य० १।२७।९२ ('तारण्य' शब्द आया है), वामन पुराण २०।६०।

**तापिका**—यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० व०, पृ० २४२)।

**तापी**—(नदी, विन्धु से निकलकर मूरत के पास अरब सागर में गिरती है) इसे 'तापी' भी कहा जाता है। मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५।१०२, अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उपवदात के शिलालेख (स० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तर्गत एव तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इमने माहात्म्य एव उपवीर्य का उल्लेख है।

**तापी-समुद्र-संगम**—तीर्थप्रकार, पृ० ५४७।

**तापसेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६६, पद्य० १।२८।९६।

**तापेश्वर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। १०४।

**ताम्रपर्णी**—(पाण्ड्य देश में मलय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली नदी) ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० ११४।३०, वायु० ४५।१०५ एव ७७, २४।२७, वन० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूर्म० २।३७। २१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ एव ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज (ऐ० इण्डि०, पृ० ६२) के टैम्पोवेन एव अत्रोक के गिरनार वाले लेख (स० २) का 'तम्बपत्री' नाम। यह धीलका (मीलोन) भी है, किन्तु नदी की ओर भी सवेत कर सवता है; ऐषि० इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेस); ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४ एव २५, रघुवदा (४।४९-५०) से प्रवट हाता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे।

**ताम्रप्रभ**—(अशुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० व०, पृ० १९१)।

**ताम्राण**—वन० ८५।१५४।

**ताम्रवती**—(अग्नि की मातृरूप नदियों में एक) वन० २२२।२३।

**तालकणेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ७२)।

**तालतीर्थ**—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।२।

**तालवन**—(यमुना के पश्चिम) बराह० १५७।३५।

**तारकेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० १०४)। यह बगाल के हुगली जिले में एक ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देखिए इण्डि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९।

**तिमि**—(समुद्रकणेश्वर की दाहिनी ओर) पद्य० १।२४। २०-२३।

**तीर्थकोटि**—वन० ८४।१२१, पद्य० १।३८।३८।

**तुलजापुर**—(एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६।

**तुङ्गा**—(दृष्ट्या में मिलने वाली एक नदी) नृसिंह० ६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थकल्प०

(पृ० २५४) द्वारा उद्धृत—'तुगा च दक्षिणे गगा कावेरी च विशेषतः ।'

**तुङ्गाभद्रा**—(तुगा एव भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश से निकल कर कुडलो के पास मिलने पर तुगमद्रा हो जाती है)। यह नदी रायचूर जिले में अलमपुर के पास इण्ड्या में मिल जाती है। मत्स्य० २०।४५, नृसिंह० ६६।६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५।१९।१८, मत्स्य० १३।२९, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४ (अन्तिम तीन का मयन है कि यह सहा से निकलती है)। एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एव विक्रमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट होता है कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से पीड़ित होने पर तुगमद्रा में जलप्रवेश कर लिया था (सन् १०६८ ई० में)।

**तुङ्गकूट**—(कोकामुखके अन्तर्गत) बराह० १४०।२९-३०।

**तुङ्गास्वाम्य**—वन० ८५।४६-५४, पद्य० १।३९।४३ (जहाँ पर सारस्वत ने मुनिवो को उपदेश दिया)।

**तुङ्गवेणा**—(उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम-स्थल हैं) वन० २२२।२५।

**तुङ्गेश्वर**—(बाराणसी में) लिग० १।९२।७।

**तुरांग**—(नर्मदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० १९।१।१५।

**तुर्गविन्दु-वन**—ना० (ती० क०, पृ० २५२)।

**तुर्गविन्दु-सर**—(काम्यक वन में) वायु० २५।८।१३।

**तृजस**—(कुक्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देवों के सेनापति बनाये गये थे) पद्य० १।२७।२३।

**तोया**—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० १।४।२८, वायु० ४५।१०३।

**तोषलक**—(यहाँ विष्णु का गुह्य नाम 'गण्डध्वज' है) नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२)। क्या यह टोलिमी का 'तोसलेई', असोक के धोली लेख (सी० आई० आई०, पृ० ९२ एव ९७) एव नागार्जुनीकोण्ड लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० २३) का 'तोसलि' है? मौर्यों के काल में उत्तरी कर्लिंग को राजधानी तोसलि (पुरी जिले में आधुनिक धोली) प्रमुख नगरी थी।

**स्वाय्देश्वर**—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९६)।

**प्रसावतार**—(एक आयतन) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।

**त्रिककुट**—(हिमवान् का एक भाग) अथर्ववेद ४।१।८ एव ९ (एक प्रकार के अजन के लिए प्रसिद्ध), मंत्रायणी-संहिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ (इन सब में त्रिककुट या त्रिककुम आजन का उल्लेख है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिककुत् पर्वत)। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८ (त्रिककुटगिरि, श्राद्ध के लिए अति विख्यात), वायु० ७७।५७ ६३।

**त्रिकूट**—(पर्वत) वाम० ८५।४ (सुमेरु का पुत्र), नृसिंह० ६५।२१, पद्य० ६।१२९।१६। भाग० (८।२।१) में यह दन्तव्यात्मक प्रतीत होता है। रघुवश (४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपराध में था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरहु या तिरश्चि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बामर्षी का गजे०, जिल्द १६, पृ० ६३३ एव एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० २२५ एव २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०-५६० ई०) के खानपुर दानपत्र उसे त्रिकूट एव मलय का स्वामी कहते हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० ३१२, ३१५)।

**त्रिकोटि**—(करमीर में एक नदी) नीलमत० २८, ३८६-३८७। वक्षप की प्रायणापर अदिति त्रिकोटि हो गयी। यह वितरता में मिलती है।

**त्रिगण**—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्य० १।२८।२९।

**त्रिजलेश्वर-रालिग**—(जहाँ गण्डकी एव देविवा मिलती हैं) बराह० १४।८।३।

**त्रिगणेश्वर**—(मपुरा के अन्तर्गत) बराह० १७६।१६।

**त्रितकूप**—(एक तीर्थ जहाँ बलराम दसनायें गये थे) भाग० १०।७।१९ (पृथक एव विन्दुसर के पश्चात्)। श्रु० (१।१०५।१७) में त्रित का उल्लेख किया है, जो कूप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति ने बचाया था। देखिए निरुवत (४।६)।

**त्रिराज्योति**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४।१३।

त्रिविवा—(१) (हिमवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६, (२) (महेन्द्र से निकली) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६, ब्रह्म० २७।३७, (३) (ऋक्षवान से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१।

त्रिविवाबला—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३७। सम्भवत त्रिविवा एव बला।

त्रिविवा (तिरुपति)—रेणीगुण्ट नामक स्टेसन से कुछ दूर उत्तर अर्काट जिले में। यह बेंकटगिरि है, जिसके ऊपर बेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है।

त्रिपलस—(यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९।

त्रिपुर—(१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) मत्स्य० २२।४३, (२) (बाणासुर की राजधानी) पद्म०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्व ३३।१७ एव ३४।११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९-१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तार वर्णन उपस्थित किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एव कुमारो भक्तिसुया मुक्तोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक लेख 'दि त्रिपुर एपिसोड इन मरुत लिटरेचर' (जर्नल, गगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० ३७१-३९५)।

त्रिपुरातक—(धोपर्वण से पूर्वों द्वार पर) लिंग० १।९२।१५०।

त्रिपुरी—(नर्मदा पर) तीर्थसार (पृ० १००) ने इसने विषय में तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर के पवित्रम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह बल-श्रुतियों एव वेदियों की राजधानी थी। देखिए यश-कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० ७५, जहाँ महाकोशल का विस्तार दिया हुआ है)। मत्स्य० (११४।५३), समा० (२।१।६०) एव बृहत्संहिता (१।४।९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी यातायत्री की ताम्रपत्राओं से भी त्रिपुरी का पता चलता है। घनोम के बेतूल दानपत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी-

विषय दमाल देश में अवस्थित था। देखिए आर० डी० बनर्जी दृत 'हैमयज आव त्रिपुरी' (पृ० १३७)।

त्रिपुरेश्वर—(डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, ह० वि० १३।२००। कुछ लोगो ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर से की है।

त्रिपुरेकर—देखिए 'पुरेकर'।

त्रिभागा—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०४।

त्रिलिंग—बह देश, जहाँ कालहस्ती, धीरील एव द्रासा-राम नामक तीन विख्यात लिंग हैं।

त्रिलोचन लिंग—(वाराणसी में) स्वन्द० ४।३३।१२०, कूर्म० १।३५।१४-१५, पद्म० १।३७।१७।

त्रिबिष्टप—पद्म० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है)।

त्रिवेणी—(१) (प्रयाग में) वराह० १।४।८६-८७, (२) (गण्डको, देविका एव ब्रह्मपुत्रा नामक नदिया का संगम) वराह० १।४।८३ एव १।२-१।९। यही पर गजेन्द्र को बाह ने पानी में सीध लिया था। वराह० १।४।११६-१३४।

त्रिशूलगंगा—वन० ८।४।११। सम्भवत यह 'शूलघात' नामक नर्मदी का तीर्थ है।

त्रिशूलपात—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२८।१२ (सम्भवत यह ऊपर वाला तीर्थ है)।

त्रिशालर—(पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्य० १।८३।२।

त्रिसन्ध्या या त्रिसन्ध्यम्—(१) मत्स्य० २२।४६ (त्रि-तीर्थ); (२) (सध्या देवी का मरना) नर्मदी के पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह त्रिग परगने में मुन्दवार नामक स्थान है, नीलमत० १।४७।१, राज० १।३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१।

त्रिसामा—(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, विष्णु० २।३।१३, भाग० ५।१।१।८ (जहाँ उद्गम-स्थल का वर्णन नहीं है)।

त्रिस्थान—(सम्भवत यह वाराणसी है) अनु० २५।१६।

त्रिहस्त्रिकाश्याम—(याद यहाँ अति फलदायक होता है) वि० प्र० पृ० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह बालाश्याम है)।

त्र्यम्बक तीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।४७, कूर्म० २।३५।१८, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२८।११२।

त्र्यम्बकेश्वर—(नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका माहात्म्य बर्णित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्य० ६।३७।५८-५९, ब्रह्म० ७९।६।

ब

बघ्नांकुर—(कोकामूल के अन्तर्गत) बराह० १४०।६८-७०।

बज्रकन्यातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।१४।

बलतीर्थ—(कुदोन के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु-वट के दक्षिण), वाम० ३४।२० (दशायम एव दक्षेश्वर)।

बलप्रयाग—नारदीय० २।४०।९६-९७।

बलिण-गंगा—(१) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, ७८।७७, (२) (कावेरी) नृसिंह० ६६।७, (३) (नर्मदा) स्कन्द०, रेवासण्ड, ४।२४, (४) (तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२।

बलिण-शोरुर्ष—बराह० २।६।२२-२३।

बलिण-पञ्चनद—वि० प्र० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टीका के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं—कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा एवं कोणा)।

बलिण-अयाग—(बगाल के सप्तग्राम में यह मोलवेणी के नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पृ० २९६ एव तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह त्रिवेणी बगाल में हुगली के उत्तर में है।

बलिण-अपुरा—(भद्रास प्रान्त में मडुरा) भाग० १०।७९।१५।

बलिण-मानस—(गया में एक तालाब या कुण्ड) नारदीय० २।४५।७४, अग्नि० १।१५।१७।

बलिण-सिन्धु—(बम्बल की एक सहायक नदी) वन० ८२।५३, पद्य० १।२४।१, मेघदूत १।३०।

बलोत्थर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७५)।

बभ्र—वन० ८५।१५।

बभ्रक—(एक मूर्ति भाग का नाम, स्थान का परिचय मूलित, सम्भवत यह दण्डकारण्य ही है) रामा० २।९।१२ (दशमास्थापककेयी दक्षिणादण्डकान्प्रति)।

बभ्रकारण्य—(या दण्डकवन) वन० ८५।१४, १४७।३२, बराह० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), ब्रह्म० ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), १२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच योजन थी), १२९।६५ (सिंसार का नारतत्व), १६१।७३ (यह घर्म एव मुक्ति का बीज है), शल्प० ३९।९-१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एव ३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के ब्राह्मणों का उल्लेख है) एव ४३, पद्य० ३४।५८-५९ (नाम का मूल)। देखिए जे० बी० आर० ए० एत० (१९१७, पृ० १४-१५, जे० आर० ए० एत०, १८९४, गोदावरी के वनवास की जियाघाँकी, पृ० २४२)। सम्भवत दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के छारे वन सम्मिलित थे। बाहें सू० (११।५६) का कथन है कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख को मार डालता है।

बभ्रसात—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९०)।

बसात्रेय लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १।३)।

बसिकर्णेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९४)।

बसीपतीर्थ—वन० ८३।१८६, पद्य० १।२७।७३-७४ (जहाँ नारस्वत ठहर गये और सिद्धराट् अर्थात् सिद्ध लोचों के क्रुमार अथवा राजा हो गये)।

बपीवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४३) ।

बर्दुर् या बुर्दुर्—(नीलगिरि पहाड़ी) बन० २८२।४३, मार्क० ५४।१२, बराह० २१४।५२, रघुवश ४।५१, ताक्षर्णा नदी के पास, बाहं० सू० १४।११ ।

बर्षीसंक्रमण—बन० ८४।४५, पद्य० १।३२।९ ।

बराणा—(ऋषभ पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के श्राद्ध, जप, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मत्स्य० २२।३४, कूर्म० २।३७।३५-३६, वायु० ४५।९९, ७७।९३ । विजयन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब इसे दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल कर बेतवा में मिलती है । महामाष्य (वार्तिक ७ एव ८, पाणिनि ६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३, पृ० ६९) । दशाण का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग हों या वह नदी (दशाणा) हो जिसके दस जल हों । मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशाण देश की राजधानी विदिशा थी और वैश्रवती (बेतवा) इसके पास थी । टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पृ० ७१) । बाहं० सू० (१०।१५) का कथन है कि उत्तराप्राय में पार्श्वेश्वर (पनि) दशाणा को नष्ट कर देता है ।

बराणवनेषिक—(या मेघव, या मेघ) (१) (गंगा पर एक तीर्थ) बन० ८३। १४, ८५।८७, वायु० ७७। ४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म० २।३७।२६, मत्स्य० १८५।६८ (वाराणसी में), (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४६, (३) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २।४७।३०, (४) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२६, कूर्म० २।४१, १०४ पद्य० १।२०।२०, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द २, पृ० ३४८), (५) (मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५४।२३, (६) (बुधोन के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८३।१, (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११६) ।

बाकिनी (बाकिनी)—(भीमशंकर) निबपुराण ४।१। १८ ।

बामी—(पुल्लिग सन्ना) बन० ८२।७१-७५ ।

बामोदरनाथ—कश्मीर की एक धारा, जो सुनमोह घाम का ऊपरी सिखर है, जहाँ कवि बिह्लण का जन्म हुआ था । देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ ।

बाल्म्याधम—(बक बाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एव लक्ष्मण सुश्रव एव उसके अनुचरों के साथ रहते थे) पद्य० ६।४६।१४-१५ ।

बाखन—कूर्म० २।३९।६६, यह देवदारुवन है ।

बिष्ठीपुष्कर—(श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) मत्स्य० २२।७७ ।

बिबाकर-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६५) ।

बिबीक-पुष्करिणी—बन० ८४।११८, पद्य० १।३।३५ ।

बीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३८, कूर्म० २।४१।२५-२७ (यह म्यास-तीर्थ-तपोवन है) ।

बीतोब—(यह सम्भवतः भृगुतीर्थ है) बन० ९९।६९ (जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एव पिता ने कठिन तप किया था) ।

बीर्षसत्र—बन० ८२।१०७-११०, पद्य० १।२५।१५-१६ ।

बीर्षविष्णु—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६३।६३ ।

बुग्देश्वर—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१४।११ (खण्डघर के दक्षिण), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ६ ।

बुर्गा—बाहं० सू० (३१२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं ।

बुर्गा—(विन्ध्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०३ एव ब्रह्माण्ड० २।१६।३३ ।

बुर्गातीर्थ—(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) यामग० २५।१०३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।८ ।

बुर्गा-साध्रमतीसगम—पद्य० ६।१६९।१ ।

बुर्गेश्वर—(साध्रमती पर) पद्य० ६।१४।११ ।

बृषती—(नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) ऋ० (३।२३।४) में यह 'आनया' एव 'मरुवती' के साथ अग्नि-यज्ञ के लिए पवित्र मानी गयी है । बन० ९०।११, मनु० २।१७ ने इसे देवनी कहा है, नार-

दोय० २।६०।३०, भाग० ५।१९।२८। कुछ लोगों ने इसे घागर एव कुछ लोगों ने चित्तग माना है (कैम्ब्रिज हिस्ट्री आब इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०)। वर्तमान नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकती है। कनिषम (ए० एस० आर्हॉ, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे घाने-सर के दक्षिण १७ मील पर रावघी नदी कहा है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी सन्देहारमक ही है।

**देवगिरि**—(मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) बराह० १६४।२७, भाग० ५।१९।१६।

**देवतीर्थ**—(१) (गोदावरी के उत्तरी सट पर) ब्राह० १२७।१, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२५, १९३।८१, कूर्म० २।४२।१६, पद्य० १।१८।२५, (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६।११।

**देवपय**—वन० ८५।४५, पद्य० १।३९।४२।

**देवपर्वत**—(सम्भवत अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)

**देवप्रभ**—(गण्डकी के अन्तर्गत) बराह० १४५।५९।

**देवप्रयाग**—देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एव अलकनन्दा सगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, जिल्द ३६, पृ० २१४।

**देववाषव**—(१) (भद्रीनाथ के पास हिमालय में) अनु० २५।२७, कूर्म० २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एव ६६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि है), (२) (मराठवाडा के पास औष) पद्म० ६।१२९।२७, (३) (कश्मीर में विजयेस्वर) ह० जि० १०।३।

**देवसेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९२)।

**देवशाला**—यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते हैं। नृसिंह० ६५।१५ (ती० क०, पृ० २५२)।

**देवहृदय**—(१) (गण्डकी के अन्तर्गत) बराह० १४५। ७१, अनु० २५।४४, (२) (दृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) वन० ८५।४३।

**देवहुवा**—(कश्मीर में एक नदी) वन० ८५।१४१, पद्य० १।३८।५७।

**देवगम**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्राह० १६०।१।

**देवारण्य**—(लौहृत्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) वायु० ४७।११।

**देविका**—(१) (हिमालय से निकलनेवाली नदी सिन्धु एव पचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० ८२।१०-२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लम्बी एव आषा योजन चौड़ी), ब्राह० २७।२७, वायु० ४५।९५, अनु० १६६।१९, वाम० ८।१५। विष्णु० (४।२४।६९) में आया है कि प्रायः म्लेच्छ एव घृद सिन्धु के तटों एव दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एव कश्मीर पर राज्य करेंगे। यहाँ 'दाविकोर्वी', जैसा कि श्रीघर का कथन है, देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली एक नदी) बराह० १४४।८३, ११२-२३, २१४।५४; (३) (गवा के अन्तर्गत) वायु० ११२।३०, ७७।४१, ब्रह्मण्ड० ३।१३।४१। अनु० २५।१२ एव १६५।१९, कूर्म० २।३७।२५, पद्य० १।२५।९-१४, नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० ७।८।३७—सभी ने देविका की प्रशंति गायी है, किन्तु यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० (१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत है, उमा स्वरूप है और रावी एव चिनाब के मध्य में मद्र देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१)। दे (पृ० ५५) का कथन है कि यह सरयू का दक्षिणी भाग है जो देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८५।१२) ने देविकातीर्थ के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। स्कन्द० (७, प्रमास-माहात्म्य, अध्याय २७।८।६६-६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित माना है। पद्य० १।२५।९-१४ (पांच योजन लम्बी एव आषा योजन चौड़ी)। विष्णु० (२।१५।६) ने बीर-नगर को देविका पर स्थित एव पुलस्त्य द्वारा स्थापित माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एव २१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम पृथक्-पृथक् आये हैं। बाहं० सू० (२।३५) में आया

है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार डालेगा। पाजिंटर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) ने इसे पजाब की रीग या देघ नदी माना है और डा० वी० एम्० अप्वाल ने इसे बरनौर में बलर झील माना है (जे० यू० पी० एच० एम्०, जिल्द १६, पृ० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, भाग २, पृ० ७८) ने पाजिंटर का मत मान लिया है, जो ठीक जँचता है।

**देविकातट**—(यहाँ देवी नन्दिनी बही गयी है) मत्स्य० १३।२८।

**देवीपीठ**—कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों की गणना हुई है।

**देवीकूट**—कालिका० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के चरण गिर पड़े थे।

**देवीस्नान**—देवीभागवत (७।३८।५-३०) में देवी-स्नान के ये नाम हैं, यथा—कोलापुर, तुलजापुर, सप्त शृंग आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) में १०८ देवी-स्नानों के नाम लिखे हैं।

**देवेश**—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९।

**देवेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० न०, पृ० ६५)।

**दुमन्न**—लिंग० १।९२।१२९ (सम्भवतः कुशक्षेत्र के पार)।

**दुमन्नश्वर**—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३६।

**द्रोण**—(भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्स्य० १२।१।१३, भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६।

**द्रोणाश्रम**—अनु० २५।२८ (ती० न०, पृ० २५६; 'द्रोणवर्म' पाठ आया है)।

**द्रोणेश्वर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० न०, पृ० ६६)।

**द्रोणी**—(नदी) मत्स्य० २२।३७ (यहाँ धातु अनन्त होता है)।

**द्राक्ष्यादिवृक्ष**—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४।१ २४।

**द्राक्ष्या**—(१) वैदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। ऐस प्रतीत होता है कि दो द्राक्ष्याएँ थीं, जिनमें एक अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्राक्ष्या कौडिनर के पास थी। सोमात एवं मिनात्र नदियों के मुँहों के बीच ममुद-तट पर जो छाटा बूढ़ है और जो कौडिनर में लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के भग्नावशेष में घिरा हुआ है। इसे हिन्दू लोग मूढ द्राक्ष्या कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यही में वे आत्मानन्दल की द्राक्ष्या में गये। देविए बम्बई गजे० (जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०)। जरासन्ध के लगातार आक्रमणों में विवश होकर कृष्ण ने इसे बनाया था। इसका उद्यान रैवतक एक पहाड़ी गोमन्त थी। यह लम्बाई में दो योजन एक चौड़ाई में एक योजन थी। देविए समा० (१४।४९-५५)। बराह० (१४।१।३-८) ने इसे १० योजन लम्बी एक ५ योजन चौड़ी नगरी कहा है। ब्रह्म० (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्णियों एवं अश्विनियों ने बाल्यवन के डर से मधुरा छोड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुन्दास्पर्ती चले गये और द्राक्ष्या का निर्माण किया (विष्णु० ५।२३।१३-१५)। ब्रह्म० (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण ने ममुद में १२ योजन भूमि मीगी, वाटिकाओं, भवनों एवं दृढ दीवारों के साथ द्राक्ष्या का निर्माण किया और वहाँ मधुरावासियों को बसाया। जब कृष्ण का देहावसान हो गया तो नगर को ममुद ने डूबा दिया और उसे बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में मोक्षलपर्व (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२।१०।५५ एवं २।२।९) में हुआ है। देविए विष्णु० ५।३८।९ (कृष्ण के प्रसाद की छोड़कर सम्पूर्ण द्राक्ष्या बह गयी) एवं भविष्य० ४।१२९।४४ (हविमयी के भवन की छोड़कर)। यह आतल की राजधानी बही गयी है (उद्योग० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुन्दास्पर्ती के नाम से विख्यात थी (मन्वा० १।४।५०)। देविए मत्स्य० ६९।९, पद्म० ५।२३।१०, ब्रह्म० ७।२९-३२ एवं



अग्नि० २७३।१२ (राजधानी का आरम्भिक नाम कुश-  
स्यली था)। आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओसा  
के पास है। हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एव  
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ  
प्राचीन जैन ग्रन्था (यथा—उत्तराध्यायनसूत्र, एस्०  
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एव देवतक  
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातको ने  
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला  
का ग्रन्थ 'इण्डिया ऐंड डेस्काइम्ड इन अर्ली टेक्स्ट आंव  
बुद्धिगम एण्ड जैनिगम' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास-  
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४  
अध्यायी एव २००० श्लोकों का एक प्रकरण आया है।  
इसमें कहा गया है—'जो पुण्य वाराणसी, कुशवन एव  
नर्मदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका  
में निमित्त मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४।५२)।  
'द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है।  
व्यक्ति सम्यक् ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-भरण या केवल  
कृष्ण के पास 'गोमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है'  
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८)। भविष्य० (कृष्णजन्म-  
खण्ड, उत्तरार्ध, अध्याय १०३) ने द्वारका की उत्पत्ति  
के विषय में अतिमयोक्ति की गयी है। वहाँ द्वारका १००  
योजन वाली बही गयी है। बीजाबायी द्वारा सकलित  
द्वारका-मत्तलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप-  
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यानी  
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एव  
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को हविमणी  
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थ,  
तब द्वारकानगना तथा शबोदार मे जाता है और  
गोमती मे स्नान करता है। द्वारकानाथ का  
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख  
मन्दिर की पाँच मञ्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा  
और १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा०  
ए० डी० पुसलकर का लेख (डा० बी० सी० ला  
भेंट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका  
के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२)

(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्य० ६।२०२।४ एव  
६२।

द्वारका—(कृष्णतीर्थ) मत्स्य० २२।३९।

द्वारवती—यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिर्लिंगों में  
एक नागेश का मन्दिर है। वासीखण्ड (७।१०१-  
१०५) में आया है—'यहाँ सभी वर्णों के लिए द्वार है,  
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की  
अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आश्चर्य है जब मनुष्यों  
के हाथों में चक्र या शूल की आकृतियाँ हो?' द्वारका-  
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मधुरा वासी एव  
अवन्ती में पहुँचना सरल है किन्तु अयोध्या, मगधा एव  
द्वारका में पहुँचना कलियुग में बहुत कठिन है। इसे  
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का  
भाग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'बारके' से इसकी  
पहचान की है (टॉलिमी, पृ० १८७-१८८)।

द्विवेद्युक्त—(धीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० (१।९२।  
१५८)।

द्वीप—(सम्भवतः गंगा के मुह पर का द्वीप)  
नृसिंह० ६५।७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ  
विष्णु की पूजा अनन्त कपिल के रूप में  
होती है।

द्वीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।८०,  
पद्य० १।१८।३८ एव २३।७६।

द्वैतवन—(शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि  
मत्स्य देश के राजा द्वैतवन के नाम पर द्वैत सरका यह  
नाम पडा) वन० १।१।६८, २।४।१०, २३।७।१२ (इसमें  
एक सर था)। शल्य० ३।७।२७ (सरस्वती पर  
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४।५।६। यह  
साहित्यिक कुण्ड के पास था।

घ

घनवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ७०)।

घनवतीरुवा—(पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी)  
मत्स्य० ११।४।२४।

बन्धुपात—(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह  
६६।३३।

धर्मतीर्थ—(यहाँ पर व्याध अत्यन्त पुण्यकारक है)  
मत्स्य० २२।७०।

धर्महृदय—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।५।१।१४।

धर्मनद—यह पञ्चनद है। देखिए 'पचनद'।

धर्मप्रस्थ—(गया के अन्तर्गत) वन० ८।४।९९।

धर्मपुच्छ—(बोधगया से चार मील पर) पद्य० ५।११।  
७४, नारदीय० २।४।५४-५५ एव ७८, कूर्म० २।३।७।  
३८।

धर्मराजतीर्थ—(प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट  
पर) मत्स्य० १०।८।२७, पद्य० १।४।५।२७।

धर्मारण्य—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८।२।४६,

वन० १६६।२८-२९। वायु० ११।१।२३, वाम० ८।४।१२

(धर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११।५।३४, नारदीय०

२।४।५।१००, देखिए डा० बरुआ का 'गया एव बुद्ध-

गया', जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित

है कि यह बोधगया के मन्दिर के आसपास की

भूमि से सम्बंधित है और यह बौद्ध साहित्य के उद्भव

या उद्भवित्वा के जगल की ओर निर्देश करता है।

रामा० (१।३।२।७) में आया है कि धर्मारण्य ब्रह्मा के

पौत्र एव कुश के पुत्र असुरनरजा द्वारा स्थापित किया

गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

(२) (महाकाल के पास) पद्य० १।१।२।६-८,

बृहत्संहिता १।४।२ (किन्तु स्पष्ट अनिश्चित है)।

धर्मशास्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०  
४।३३।१३३।

धर्मशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७)  
एव अग्नि० ११।४।८-२८। याया के लिए देखिए गत  
अध्याय १४।

धर्मतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३।७।४,  
अग्नि० १०।९।१६, कूर्म० १।३।५।१०, पद्य०  
६।१३।५।१७।

धर्मवती—(साभ्रमती से मिलने वाली नदी) पद्य०  
६।१३।५।१६।

धर्मेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०  
(ती० क०, पृ० ५३), (२) (गया के अन्तर्गत)  
नारदीय० २।४।५।१०३, वायु० ११।१।२६।

धर्मोद्भव—(कोकामुल के अन्तर्गत) वराह० १४०।  
४४-४६।

धर्मेश्वर—(साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्य०  
६।१४।७।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित सम्झा जाता  
है)।

धारा—(नदी) पद्य० १।२।८।२६, मत्स्य० २।२।३८।  
धारातीर्थ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य०  
१९०।६।

धारापतनकृतीर्थ—(भपुरा के अन्तर्गत) वराह०  
१५।४।८।

धुम्बिदिनायक—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० १२६)। स्कन्द० ४।५।७।३३ (यहाँ 'धुम्बि'  
की व्युत्पत्ति की गयी है), ५६ गणशो के लिए देखिए  
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

धृतपाप—(या धीतपाप या धीतपुर) (१) (नर्मदा  
के अन्तर्गत) मत्स्य० २।२।३९, १९३।६२, कूर्म०  
२।४।२।९-१०, (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड०

३।१३।२० (रुद्र ने यहाँ तप किया), (३) (गया के

अन्तर्गत) अग्नि० ११।६।१२, नारदीय० २।४।३।५,

(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।

५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम की दूरी पर),

ती० क०, पृ० २२३। ऐ० जि० (पृ० ४०१) में आया

है कि धापापपुर गोमती के दाहिने तट पर है और

सुल्तानपुर से दक्षिण पूव १८ मील है। (५)

(रत्नगिरि जिले में सगमेश्वर के पास) देखिए

इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०।

धृतपापा—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी)

देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२)

(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५।७।८०,

ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

धूमवती—वन० ८।४।२२, पद्य० १।२।८।२३

(धूमवती)।

धृतवाहिनी—(ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११४।२६।

धेनुक—(गया के अन्तर्गत) वन० ८४।८७ ८९, पद्य०  
१।३८।७ १०, नारदीय० २।४४।६८।

धेनुकारभ्य—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६,  
अग्नि० ११६।३२।

धेनुवट—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।४०-  
४३।

धौतपाप—देखिए 'पापप्रणाशन'।

धौतपापा—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११४।२२।

धौतपापेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द०  
४।३३।१५६।

धृषतपोवन—पद्य० १।३८।३१।

धृषतीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८  
एव १८०।१।

न

नकुलगण—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२।

सम्भवत यह लकुलीश (यह बहुधा 'नकुलीश' कहा  
गया है) के अनुयायियों को ओर संबोधित करता है।  
देखिए एपि० ६।१३०, जित् २१, पृ० १, जहाँ चन्द्र-  
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन् ३८० ई० का  
उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत  
सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम  
चरण में हुए थे। मिलाइए वायु० २३।२२ २५  
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा  
गया है)।

नकुली—(विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१८।६८।

नकुलीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० १०७)।

नकुलीश्वर—कूर्म० २।४४।१२।

नग—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०८।२८।

नवन्तिका—वि० घ० सू० ८५।१९ (श्राद्ध का तीर्थ)।

नवीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० १०३)।

नन्वनवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १८७)।

नन्वना—(ऋषवाण्ड पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
१४४।२५, वायु० ४५।१७, ब्रह्म० २७।२८ (दोनों  
में 'च' दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है)।

नन्वा—वन० ८७।७७, वायु० ७७।७९, आदि० २१५।७,  
वन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६।२८,  
भाग० ७।१४।३२, वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ  
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग०  
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कैलास एवं सौग-  
न्धिक वन के पास था। भाग० (४।६।२३ २४) ने  
इसे एक अटकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास  
रखा है।

नन्दाशरी—(नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने  
इसे कौशिकी के पश्चात् वर्णित किया है। प्रो० आय-  
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश के  
महानदी माना है।

नन्दासरस्वती—(सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए  
पद्य० ५।१८।४५६।

नन्दिशेखर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।६।

नन्दिशुष्य—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील-  
मत० १४५९, अग्नि० २।१।६४, (२) (जहाँ से  
सांभ्रमती निकलती है) पद्य० ६।१३।२। एव १३।

नन्दिशुष्य—अनु० २३।६० (ती० क०, पृ० २४८)।

नन्दिशेखर—(कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत०  
१२०४-१३२८ (यहाँ शिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न  
नन्दी को गाया है), हरभूष चोटी के, जहाँ कालो-  
दक सर है, पूर्वी हिम-श्रृंखला की उपरत्यका है।

नन्दिशुष्य—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,  
पृ० १९३)।

नन्दिशाम—(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके  
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते  
थे) वन० २७७।३९, २९।१।६२, रामा० २।११।२२,

- ७।६३।१३, भाग० १।१०।३६। यह फंजाबाद से ८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है।
- नन्दिनी—(नदी) वन० ८५।१५५, पद्य० १।३८।६२।
- नन्दिनी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२८।१ एव ७३-७४।
- नन्दिपर्वत—(बदमीर में) ह० चि० ४।३० एव ३२ (हेमकूट-गंगा के पास)।
- नन्दिश—(बदमीर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमूकुट की श्रीली से नीचे भूतेश्वर तक को भूमि का घातक है) राजतरंगिणी १।१२४।
- नन्दिशत—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एव ४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है)।
- नन्दितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३७, कूर्म० २।४१।९०, पद्य० १।१८।३७।
- नन्दिशिवर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५७)।
- नरक—(१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में 'अनरक' और कुछ में 'नरक' आया है), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।३६, २०।१-२।
- नरसिंहात्म—(बदमीर में) नीलमत० १५२८।
- नसिनी—(१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा की तीन धाराएँ) वायु० ४७।३८ एव ५६, मत्स्य० १२१।४०, रामा० १।४३।१३; (२) (बदमीर की एक नदी) ह० चि० १४।१०।१।
- नर्मदा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।
- नर्मदा-धरम-संगम—तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)।
- नर्मदाप्रमथ—तीर्थप्रकाश, पृ० ३८३, पद्य० १।३९।९; वन० (८५।९) में आया है—'द्योगस्य नर्मदायाश्च प्रभेदे।'।
- नर्मदेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पद्य० १।१८।६९।
- नर्मदेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।२।
- नरकेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०३)।
- नरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११५)।
- नाकुलेश्वर तीर्थ—(लकुलीशतीर्थ ?) मत्स्य० २२।७७, वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ ध्यान में स्नान किया था)।
- नागधन्वा—(सरस्वती के अन्तर्गत दक्षिण) धन्य० ३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है)।
- नागकूट—(गयाशिव के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० ११।१२२, नारदीय० २।४५।९५।
- नागपुर—(हस्तिनापुर) वन० १८३।३६।
- नागसाहू—(गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, मत्स्य० ५०।७८, नृसिंह० ६५।११ (ती० क०, पृ० २५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और देखिए 'हस्तिनापुर'।
- नागतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।२३, कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।२८।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १११।१; (३) (निपुष्कर के अन्तर्गत) पद्य० ५।२६।५९; (४) (मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५४।१४; (५) (इसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३।
- नागमेघ—(अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० १०९।१३।
- नागेश्वर—(नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य० १९१।८३।
- नागेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवतः यह बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान् पर जहाँ मगीरस्य में तप किया था)।
- नाभि—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।
- नारकेश्वर—(सोहागल के अन्तर्गत) बराह० १५१।३७।
- नारकतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१६-१७, पद्य० १।१८।२३।

नारदेवदर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १११।  
५, (२) (धाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० ५३)।

नारायणदर—(तिन्ध की पूर्वी शाखा के मुस पर, जिसे  
कोटी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एव २५, शिव-  
पुराण २२।१३।१३। यह तिन्धु-समुद्र संगम है। यह  
कच्छ के मुख्य नगर मुज से ८१ मील दूर एव कोटी-  
दर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में  
यहाँ एक शील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था।  
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।

नारायणाम्ब—(बदरी के पास) वन० १४५।२६-३४,  
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, १।३।३६, १०।८।  
४-७)।

नारायणस्थान—वन० ८४।१२, पय० १।३।८।३९।

नारायणतीर्थ—(१) (धाराणसी के अन्तर्गत) पय०  
१।३।७।५, (२) ब्रह्म १७६।१ एव ३३ (गोदावरी के  
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है)।

नारीतीर्थनि—(द्विद्व देश में समुद्र पर) वन० ११।८।-  
४, आदि० २१।७।१७—(दक्षिण सागरानूपे पञ्च  
तीर्थानि सन्ति वै) देखिए 'पञ्चान्तरत्'।

नारसिंह—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।-  
४६।

नारसिंहतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर)  
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता  
है) मत्स्य० २२।४३।

नासिक्य—(आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का  
भाग ४, अध्याय १५ एव वायु० ४६।१३०।

निःक्षीरा—(गया में कौचपद पर एक कमलकुण्ड है)  
वायु० १०।८।४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५,  
अग्नि० ११६।८ (निवचीरा)।

निःक्षीरा-सगम—नारदीय० २।४७।३५।

निगमोद्बोधक—(प्रयाग से एक गन्धुति पत्थिन) पय०  
६।१९६।७३-७४, २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे  
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर  
पुरानी दिल्ली में निगमव, घ घाट है।

निम्बार्कतीर्थ—(साभ्रमती पर) पय० ६।१५।१। एव  
१४ (पिप्लदातीर्थ के पास)।

निम्भवे—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०  
१५।१।१।

निरञ्जन—(आदिशयतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर  
तट पर) मत्स्य० १०।८।२९। ती० क० पृ० १४९ में  
'निरञ्जक' आया है।

निरञ्जना—यह नदी जिसमें मोहना मिलती है और  
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है।  
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को  
'मगोन एव निरञ्जना को 'एहैन्यसिस' कहा है  
(टॉलेमी, पृ० ९७)।

निरकिन्वपर्वत—अनु० २५।४२।

निर्जरेद्वार—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० १०३)।

निर्विन्ध्या—(विन्ध से निकलकर खवल में मिलनेवाली  
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११।४।२७, मार्क०  
११।३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८।  
भाग० (४।१।१७-१९ एव विष्णु० २।३।११) के अनु-  
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस  
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय १।३) में विदूरथ  
(जिसकी राजधानी निर्विन्ध्या के पास थी) एव  
मलन्दन के पुत्र वरसप्री की गया आयी है।

निर्वीरा—(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट  
पर दक्षिणेश्वर था)।

निर्वातलिग—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ८९)।

निशाकर-लिग—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ६५)।

निवचीरा—यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।  
मत्स्य० ११।४।२२ ('निवचला' पाठ आया है)।

निष्कलेश—कूर्म० २।४।१।८।

निषध—(पर्वत) वन० १८।८।११२, अलकनन्दी (जिन्ध  
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास  
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है।

इससे प्रकट होता है कि निषध हिमालय-श्रेणी का एक भाग है। वायु० ४७।६४।

निषधा—(विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, वायु० ४५।१०२।

निष्ठासंगम—(जहाँ सप्तसिन्धुधम वा) पथ० १।३८। ५६।

निष्ठावास—पथ० १।३८।५४।

निष्ठीवी—(हिमवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

नीलकण्ठ-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११८)।

नीलकण्ठतीर्थ—(साध्रमती के अन्तर्गत) पथ० ६।१६८।१।

नीलकुण्ड—(१) (एक पितृनीर्थ) मत्स्य० २२।२२; (२) नीलकुण्ड, वितस्ता एव धूलभात एक ही तीर्थ के तीन नाम हैं या कर्मर मे एक धारा है। नीलमत्त० १५००, ह० वि० १२।१७।

नीलनाग—(नागों के राजा एव कश्मीर के रसक) नीलमत्त० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० वि० १२।१७, स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने में यह ब्रिग के दक्षिण है; यह बेदीनाग के नाम से विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कषात्मक उद्गम-स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६१) ने इसे विहृत (वितस्ता) का उद्गम-स्थल कहा है और उसमें निम्न बात आयी है—'नीलनाग, जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट पर जान-बूझकर अग्नि-प्रवेश करके प्राण नैवाते हैं।' नीलमत्त० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० वि० १२।१७, स्टीन-स्मृति, पृ० १८२।

नीलपर्वत—(१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 'गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते। तथा वनखले स्नात्वा धृतपाप्मा दिव ब्रजेत् ॥' लिंग० (ती० क० पृ० २५४), वि० ध० सू० ८५।१३, मत्स्य० २२।७०, माय० ५।११।१६, कूर्म० २।२०।३३, देवी-माय० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (यह

टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) पथ० ४।१७।२३ एव ३५, ४।१८।२, स्वन्द० (तीर्थप्रकाश, पृ० ५६२)।

नीलगंगा—(गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्वत से निकलने वाली) ब्रह्म० ८०।४।

नीलवन—रामा० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर)।

नीलाषस—(१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित माना जाता है) देखिए 'नीलपर्वत', (२) (गौहाटी के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना हुआ है)।

नीलोत्पला—(शुद्ध पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

नीलशेखर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।१८।६।

नूपा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। १६।२८, मार्क० ५४।२३ (यहाँ 'नूपी' पाठ आया है)।

नेपाल—(आधुनिक नेपाल) बराह० २।५।२८, वायु० १०।४।७९, देवीमाय० ७।३८।११ (यहाँ 'हुकाली एक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, पृ० १४)।

नेमिष या नेमिश—(एक वन) (१) (गोमती पर नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ से ४५ मील दूर है)। बाटकसहिता (१०।६) में आया है—'नेमिव्या वैःश्रमासत'; पंचविश्वःस्थान (२५।६।४) में 'नेमिसोम' एव कौरीतकी ब्राह्मण (२६।५) में 'नेमिषोयाणाम्' आया है, (२८।४) में भी ऐसा ही है। महामारत एव पुराणों में इसका बहूधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४।५९-६४ (भस्तर के ममी तीर्थ यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५-७ (पूर्व में गोमती पर), मत्स्य० १०९।३ (पृथ्वी पर अत्यन्त पवित्र), कूर्म० २।२०।३४, कूर्म० २।४३।१-१६ (महादेव की अति प्रिय), वायु० २।८, ब्रह्माण्ड० १।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है—'ब्रह्माण धर्मवक्रत्य यश्च नेमिस्तोयंत', 'नेमि' वक्र वा

हाल (रिम) है, और 'धू' धातु का अर्थ है तितर चितर कर देना या तोड़-फोड़ देना, ब्रह्म० (११३-१०) में इसका सुन्दर वर्णन है, वायु० (११४-१२) ने स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान् सत्र कुरुक्षेत्र में दुष्यन्ती के तट पर था। किन्तु वायु० (२१९) एवं ब्रह्माण्ड० (११२।९) के अनुसार यह गोमती पर था। यह सभ्य है कि गोमती केवल विशेषण हो। यही पर वसिष्ठ एवं विप्रवाचिन में कलह हुआ था। यही पर कल्माषपाद राजा को दक्षिण ऋषि ने शाप दिया था और यही पर पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) में आया है कि गया, यमुना, नैमिष-गोमती तथा अन्य नदियां में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (१।१।६०) का नयन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैमिष के अग्निपति को मण्ड कर देता है।

नैमिष-कुञ्ज—(सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० १।२६।१०२।

नैऋतेश्वर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

नीलगहन—(कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर) नीलगहन० ६२-६३।

नीलगहनसर—(कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) नीलगहन० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४।२७।

प

पञ्चकुण्ड—(१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० २२६), (२) (लोहागल के अन्तर्गत) वराह० १५।१४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ गिरती हैं)।

पञ्चनद—(पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, मौसलपर्व ७।४५, वायु० ७७।५६, कूर्म० २।४४।१-२, लिग० १।४३।४७-४८ (ज्योतिश्वर के पास), वाम० ३।४२६, पद्म० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २,

पृ० २३९ पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति को है—'पचनदे भव' और इसे 'पचनदम्' से 'पाचनद' माना है। वैदिककाल में पाँच नदियाँ यैथी—शुतुदी, विप्रस्ता, पुरुष्णी, असिकनी एवं वितस्ता और आजकल इन्हे क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम कहा जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पचनद कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्संहिता (१।१।६०) का कथन है कि यह पश्चिम में एक देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पचनद को पृथक्-पृथक् कहा है। और देखिए सभाषणं (३२।११)।

पञ्चनवतीर्थ—(गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४।१३।५७, नारदीय० २।५।१।१६-३६। देखिए गत अध्याय १३।

पंचनदी—(कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ (इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)।

पञ्चनवीश्वर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९६)।

पञ्चविष्य—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्म नहीं)। तीर्थकल्पतथ (पृ० ३२६) में 'पचकुण्ड' पाठ आया है।

पञ्चप्रयाग—दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागीरथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग (अलकनन्दा एवं पिन्दा का संगम), (३) हृद्रप्रयाग (अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के श्रौतगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास (अलकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है।

पञ्चतप—(एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त होता है) कूर्म० २।४४।५-६।

पञ्चतीर्थ—(काञ्ची में) ब्रह्माण्ड० ४।४०।५९-६१।

पञ्चतीर्थकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३७।

पञ्चब्रह्म—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६५)।

पञ्चवट—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४११११, पप० ११२७।५० (सम्भवतः यह पंचवटी है, वन० ८३।१६२)।

पञ्चवटी—(१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) (गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे 'दिस' कहा गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन दूर), नारदीय० २।७।५।३०, अग्नि० ७।३। देसिए गत अध्याय १५।

पञ्चपक्षा—(स्नान अनिश्चित) वन० ८४।१०।

पञ्चवन—(गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९।

पञ्चजवन—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४।५।८, वायु० ११२।४३ (इस वन में पाण्डुसिला थी)।

पञ्चायतन—(नर्मदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० ३९।१। ६१-६२।

पञ्चसर—(१) (लोहागंज के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० १५।१।३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० १४९।२३।

पञ्चसिला—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१। १४-१६।

पञ्चशिशिर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६७)।

पञ्चशिर—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।३९-४४।

पञ्चाशवमेधिक—वायु० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५।

पञ्चाप्सरस्तीर्थ—(दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०।७।९।

१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार हैं, लिखा है कि यह तीर्थ फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य में अन्तर्गत है)। आदि० (२।१६।१-४) ने इनके अग्रसरतीर्थ, सीमन्त, पीछोम, कारन्धम एव भारद्वाज नाम बतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, किन्तु अर्जुन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो पापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्वन्द० (माहेश्वरलक्ष्मण, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) के मत से यह 'पञ्चाप्सरः समुद्रराज' (अर्जुन द्वारा) है।

पञ्चाजुन क्षेत्र—(स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह० १४८।४५।

पञ्चारक-वन—(प्राङ्ग के लिए उत्तम) वायु० ७७।३।७। पत्रितीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६६।१।

पयोधर—(मरतगिरि एव वितस्ता के आगे कर्मीर में) नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८।

पत्रेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) पप० १।१७।१।

पद्मावती—वायु० ४६।९ (मातृकाओं में एक); यह नर-वर नगर है। देसिए ऐ० जि० (पृ० २५०) एव खड्ग-राहो लेख (संवत् १०५८, १००१-२ ई०), जिसमें स्नान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'मालतीमाधव' नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० १४७ एव १५१)। यहाँ नियम के राजा नल का घर था।

पम्पा—(१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० १०।७।९।१२, वाम० ९०।१६; (२) (जया या जया) पप० १।२६।२०-२१ (कुशक्षेत्र का द्वार कहा गया है)।

पम्पासर—(बेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वन० २७९।४४, २८०।१, रामा० ३।७।२।१२, ७।३।११ एव ३२, ६।१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७।१।३।३१, १०।७।९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणा पम्पा भौमरपी तत)।

पम्पातीर्थ—मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१।३।३१।

पसाशक—(जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) वन० ९०।१६ (पलाशकेपु पुष्पेपु)।

पसाशिनी—(नदी) (१) (काठियावाड में गिरनार के पास) देसिए रैवतक के अन्तर्गत एव खड्गदामन का जूनागड जिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एव ४३) एव स्वन्दगुप्त का शिलालेख (४५७ ई०, सी० आई० आई०, ३, पृ० ६४)। (२) (पट्टर नामक नदी, जो नर्मदा जिले के कलिंगपत्तन के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४।३० (शुक्ति-मान् से निवन्धी हुई), वायु० ४५।१०७।

पशिलपुर—(बर्मीर में आधुनिक परसोर) ललिता-



दित्य ने इसे निर्मित कराया। राज० (४।१९४-१९५)  
ने विष्णु की चाँदी एव सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख  
किया है।

पर्वण्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ११५)।

पर्णासा—(सा पर्णासा) (१) (राजस्थान में बनास  
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर बम्बल में मिलती  
है) सभा० ६५।६। पर्णासा का अर्थ है 'पर्ण अर्थात्  
पत्तों की आशा', बापु० ४५।९७, बराह० २१।४४८,  
भस्व० ११।४२३, सभा० ९।२१, (२) पश्चिमी  
भारत की एक नदी, जो बच्छ के रत में जाती है।  
प्रथम नाम उषवदात के नासिक सिलालेख (स०  
१०) में उल्लिखित है। सख्या १४ में 'बनासा'  
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई  
गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा  
जिल्द ५, पृ० २८३।

परुष्णी—(१) (पञ्जाब की आधुनिक रावी) ऋ०  
५।५२।९, ७।८।८-९ (सदास अपने दानु कुत्स  
एव उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था),  
८।७।१५, १०।७।५। निरुक्त (१।२६) का  
कथन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२)  
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४।४।१ एव  
२३।

परुष्णी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४।४।  
१।

पर्वताश्व—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।८,  
पद्य० १।३।७।८।

पशुश्रीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
क०, पृ० ९३)।

पयोवा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१।८।७०, बापु० ४७।६७  
(पयोद सर से निकली हुई)।

पयोष्णी—(ऋक्ष या विष्णु से निकली हुई नदी)  
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ०  
१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदर्य  
में दरदा या वर्षा से मिलती है। वन० ८५।४०, ८८।४,

७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियां से उत्तम है और  
राजा नृग की नदी है), १२।१।१६, विष्णु० २।३।११।  
अधिवाश पुराणा में 'तापी' एव 'पयाष्णी' अलग-अलग  
उल्लिखित हैं, यथा—विष्णु० २।३।११, मत्स्य०  
११।४।७७, ब्रह्म० २७।३. वायु० ६५।१०२, वाम०  
१।३।२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७।९।२०,  
पद्म० ४।१।४।१२ एव ६।१६।२ (यही मुनि च्यवन  
का आश्रम था)। देखिए 'मूलनारी'। वन० (१२।१।  
१६) में आया है कि पयाष्णी के उपरान्त पाण्डव  
लोग वैदूर्य पर्वत एव नर्मदा पर्वतों। हण्टर ने (इप्पी०  
गर्ने० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि  
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो मयिलगढ़ की  
पहाड़ियों में निकलकर तापी में मिलती है। नर-  
चम्पू (६।२९) में आया है—'पर्वतभेदि पवित्र  
हरिमिव वहाति पय पश्यत पयाष्णी।'

पयोष्णी-संगम—(यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है)  
मत्स्य० २२।७३।

पयस्विनी—(नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९  
(जो लोग इस पर एव अन्य दक्षिणी नदियां पर रहते  
हैं वे बामुदेव के बड़े भक्त होते हैं)।

पवनस्य-हृद—वन० ८३।१०५।

पाण्डवेश्वरक—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।५८,  
मत्स्य० १९।१, ६१।

पाण्डुरूप—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ (समुद्र के पास),  
श्राद्ध के लिए उपयुक्त।

पाण्डुर—देखिए पीण्डरीकपुर।

पाण्डुर—वायु० ४५।९१ (एक छाटा पर्वत)।

पान्दसह्य—(विष्णु के गुहा क्षेत्रों में एक) नृसिंह०  
६।५।९ (ती० क०, पृ० २५१)।

पाण्डुविशालतीर्थ—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९,  
११।२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुसिला' पाठ आया है),  
ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को जड़त करतें हुए  
इसे 'पाण्डुविशाल्या' कहा है।

पाण्डुस्थान—पद्य० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि-  
सात)।

पाटला—(पितरा के लिए अति पवित्र) मत्स्य० २२।२३।

पातन्धम—(पर्वत) वायु० ४५।११।

पापमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।८,  
नारदीय० २।४७।७९।

पापप्रमोचन—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह०  
१४०।५१५४।

पापप्रणाशन—(१) (यमुना पर) पद्य० १।३१।१५,  
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९२।१ एव  
४८-४९। इसे 'घोन्पाप' एव 'गालव' भी कहा गया  
है।

पापसुवनतीर्थ—(कन्धीर में एक धारा) राज० १।३२,  
ह० वि० १।४।३६। कपटेश्वर, सकर्षण नाग एव पाप-  
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा पर शिव की पूजा  
कपटेश्वर के रूप में होती है।

पारा—(१) (विद्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को  
दिया) आदि० ७।१।०-३२, (२) (पारियत्र  
स निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी)  
वायु० ४५।१८, मत्स्य० १३।४४ एव १३।२४, मार्क०  
५।४।२०। मत्स्य० (१३।४४) में पारा के तट पर  
देवों को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमाधव  
(अ० ४ एव ९) एव बृहत्संहिता (१।४।१०)।

पाराशर्येश्वरलिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० व०, पृ० ५९)।

पारिव्रज—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२,  
पद्य० १।२६।१०, वाम० ३।४।७।

पारिव्रात्र—(दो पारिव्रात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में  
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए,  
क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिन्धु नदियाँ इससे निर्गत  
बनीं गयीं हैं। देखिए कूर्म० १।४७।२४, भाग०  
५।१९।१६, वायु० ४५।८८ एव ९८, ब्रह्म० २७।२९।  
यह पौनमीपुत्र शातकनि के नासिक शिलालेख (स०  
२) में उल्लिखित है (कम्बई गजे०, जित्द १६, पृ०  
५५०)। नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे  
'पारिवात' कहा गया है (वही, ५६९)। महामाध्य  
(जित्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एव बोधा-

पनयमंसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्षावत की दक्षिणी  
सीमा कहा गया है।

पार्वतिका—(इस नदी पर धाड़ अत्यन्त फलदायक होता  
है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर  
चम्बल में मिलती है।

पार्वती—(नदी) (कुच्छेत्र में पणर, अम्बाला जन्म  
या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ०  
१५५)।

पालमञ्जर—(सूपारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७।

पालपञ्जर—(पर्वत) वायु० ७७।३७ (धादतीप),  
ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पालमजर' पाठ आया है)।

पालेश्वर—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१२।४२  
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है)।

पाशिनी—(सुकितमानु से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११।३२।

पाशुपततीर्थ—मत्स्य० २२।५६ (यहाँ याद बड़ा फल  
दायक है)।

पाशुपतेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) तिग० १।  
९२।१३५।

पाशा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१६।२८। क्या यह 'पारा' का पाठान्तर है?

पाषाणतीर्थ—(नदी) देवल० (ती० व०, पृ० २४९)।

पिण्डारक—(काठियावाड़ के सम्मालिया विभाग में)  
वन० ८२।६५ ६७ (जहाँ कमल चिह्नित मुद्गार पायीं  
गयीं हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९ अनु०  
२५।५७, विष्णु० ५।३।७६, भाग० १।१।१११ (इन्द्र  
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वरत्र धारण  
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था), बराह०  
१।४।१० (विष्णुस्थान), पद्य० १।२।४।१५। दे  
(पृ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक इरारवा से  
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जित्द ८,  
काठियावाड़, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डारक से सम्बन्धित  
दन्तकथा दी हुई है।

पिगावो अश्विन—अनु० २५।५५।

पिगातीर्थ—वन० ८२।५७ (पिगातीर्थ), पद्य० १।२।५६।

विश्वेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३२, कूर्म० २।४१।२१, पद्म० १।१८।३२।

विष्णु—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३०।

विष्णुसाह-तीर्थ—(दुधेश्वर के पास साध्रमती पर) पद्म० ६।१५०।१।

विष्णुतीर्थ—(चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म० ११०।१ एवं २२६ (यहाँ 'विष्णुेश्वर' थाया है)।

विष्णुेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४।२५। सम्भवत यह विष्णु ही है।

वितामहेश्वर—(यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८५।१६; (२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल), वन० ८४।१४५।

वितामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४, पद्म० १।२१।४।

विशावेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११४)।

विशाखमोचन कुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।२ एवं १३-१४, पद्म० १।३५।२।

विशाखमोचन तीर्थ—(प्रयाग में) पद्म० ६।२५०।६२-६३।

विशाखिका—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१३।३०।

पीठ—ब्रह्माण्ड० (४।४४।१३-१००) में ५० पीठों का वर्णन है, यथा—नेपाल, एकबीरा, एकाग्र आदि।

पुष्कर—(१) (कुन्दाप्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।५७, पद्म० १।२६।७८; (२) (कुशलेन के पास) याम० ८।१।७-८।

पुष्करिका—(पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६९-७०।

पुष्करिकेश्वर—(आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (पृ० ७-२१)।

पुष्करिकमहातीर्थ—(यहाँ श्राद्ध अर्पण पुष्पदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु० ७७।५५।

पुष्करिकपुर—मत्स्य० २२।७७, नारदीय० २।७३।४५।

पुष्पस्थल—(मयुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० १९०।२१।

पुनपुना—(गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुनपुना) वायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५।

पुनरामर्षगन्धा—(नदी) अनु० २५।४५।

पुत्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२४।१ एवं १३७।

पुराणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १२२।

पुरा—(पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरुवा गया था)।

पुरुवस्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०।११ एवं १९-२० (इसे सरस्वती-नगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं)।

पुष्योत्तम—(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० (अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८), मत्स्य० १३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय ५२-६१, जहाँ माहात्म्य वर्णित है)। देवि ए इस शब्द का शब्द ४, अध्याय १५।

पुलस्त्य-पुलहाश्रम—(गण्डकी के उद्गम-स्थल पर) वराह० १।४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के पास)।

पुलहाश्रम—भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता है)।

पुलस्त्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

पुष्कर—(१) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, शील एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं (नारदीय० २।७।१।२, पद्म० ५।२८।५३)। उप-ब्रह्मा के मासिक शिलालेख (सख्या १०) में इन कुण्डों पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई गज़ेट, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०)। वायु० ७७।४०, कूर्म० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में

आया है कि पुष्कर मे खाद्य करने से अनन्त फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों मे एक है (पप० ५।१५।१५०, वाम० २२।१९)। ब्रह्माण्ड० (३।३४। ११) एव वाम० (१५।३१) ने मध्यम पुष्कर का उल्लेख किया है एव ब्रह्माण्ड० (३।३५।३०) ने कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोश पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत सरस्वती यही से समुद्र की ओर गयी है (पप० ५।१९।३७)। पप० (५।१५।६३ एव ८२) ने 'पुष्कर' नाम के व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ पुष्कर अर्थात् कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।७) मे आया है कि परसुराम ने यहाँ अपने शिष्य बृहत्तमण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या की। कल्पवृक्ष (तीर्थं, पृ० १८२-१८५) ने वन० (अध्याय ८२) एव पप० (५।२७) से क्रम से २०-३९ श्लोक एव १२ श्लोक उद्धृत किये हैं। अलबरूनी (जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि 'नगर के बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एव पूजाहं हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच है, किन्तु ये सभी आधुनिक हैं, प्राचीन मन्दिर औरगडबे द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। इसके अत्यन्त कई उपतीर्थ हैं (वन०, अध्याय ८२)। पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि ४।२।८२) मे आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती के तट पर, इस सुप्रसन्न नामक पर्वत कहा जाता है) आदि० २२।१।१५, शन्य० ३८।१३-१५; (३) ह० श्वे० १४।१११ (कश्मीर मे, कपटेश्वर मे कई तीर्थों की श्रेणी मे एक), (४) (बदरिनाथम की पाँच घाटाया मे एक) भारतीय० = १६७।५७-५८।

**पुष्कराश्व**—पप० ५।१८।१७, गभा० ३२।८ (यहाँ से प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता १।३५।

**पुष्करावती**—यह नदी सम्भवत पाणिनि (४।२।८५) को सात था। वागिशरा टोका आदि ने इसका उल्लेख किया है।

**पुष्करिणी**—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०

१९०।१६, कूर्म० २।४।११०-११, पप० १।१७।१२; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१३।

**पुष्पभद्रा**—(१) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी) बराह० ५।१२, ९।८।५, भाग० १२।८।१७, १२।९।१०, नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) भाग० १२।९।१०।

**पुष्पगिरि**—(भारतवर्ष के छोटे पर्वतों मे एक) वायु० ४५।१२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए इन्दी० गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)।

**पुष्पजा**—(मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३०, वायु० ४५।१०५ (महाँ 'पुष्पजाति' पाठान्तर आया है)।

**पुष्पश्लेश्वर**—(बाराघाटी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

**पुष्पस्वल्**—(ममुचा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१७ (एक शिवशेखर)।

**पुष्पवहा**—(नदी) भाग० १२।९।३० (हिमालय के पास)।

**पुष्पवती**—(नदी) वन० ८५।१२, पप० १।३९।१२।

**पूर्या**—(१) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से मिल जाती है; देखिए आशने-अकबरी (जिल्द २, पृ० २२४); इस स्रगम पर चगदेव नामक ग्राम हैं और चक्रतीर्थ नामक एक तीर्थ है; (२) झूठ जिले मे यह समुद्र मे गिरती है (कम्बई गजे०, जिल्द २, पृ० २६); (३) (पूर्या, जो पर्वणी जिले में गोदावरी में मिलती है) देखिए इन्दी० गजे० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुत्रण (१०५।२२) मे उल्लिखित पूर्यातीर्थ है?

**पूर्यतीर्थ**—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) बृह० १२२।१।

**पूर्यमुख**—(दुष्प्राप्तक के अन्तर्गत) बराह० १२६।४०-४१।

**पूर्यमुख**—(पूर्यमुख का एक अन्य पाठान्तर) बराह० १२६।४०।

**पुषिरीतीर्थ**—पप० १।२६।११ (पारिप्लव के पास)।

पुत्रार्थ—नारदीय० २।६०।२५।

पुत्रवक्र—(सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक पेहोवा) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। इसे वाम० (१९।१६-१७ एव २३) में ब्रह्मर्षि कहना गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७)।

पैतामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। ४-५, कूर्म० २।४२।१८।

पैशाचतीर्थ—(गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० ८४।१-२ एव १८ (इसे आज्ञान भी कहते हैं)। ब्रह्म० (१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं।

पौण्डरीक—(एक विष्णुतीर्थ, लगता है यह पडरपुर है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्साप पौण्डरीके च दृष्टके। मापुरे वैकटाद्री च)।

पौष्टु—(देवदारुने पौष्टुम्) पद्म० ६।१२९।२७।

पौष्टुधर्मन—वापु० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० ४।४४।९३)।

पीलत्स्यतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९७।१।

पीलूम—(देखिए 'पद्मसरस्वतीर्थ') आदि० २।६।३।

पीलूक—(कर्मभोर-मण्डल में) पद्म० ६।१२९।२७।

प्रजापतिश्रेष्ठ—मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी गयी है) यह प्रमाण है, देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२।

प्रजामुक्त—(यहाँ वामुदेव के रूप में विष्णु की पूजा होती है) वाम० ९०।२८।

प्रजाता—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर भेद्यकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है।

प्रद्युम्नतीर्थ—नारदीय० २।४०।९६। ये (पृ० १५८) का कथन है कि यह बगाल के हुगली जिले का पण्डुआ है।

प्रद्युम्नगिरि—(मापीठ) (यह धीनगर में हृत्पर्वत है) राज० ३।४६०, ७।१६१६, विक्रमाकदेवचरित १८।१५, स्टोन-स्मृति, पृ० १४८ एव कर्मभोर रिपोर्ट पृ० १७।

प्रतिष्ठान—(१) (प्रयाग के पास) वन० ८५।७६,

११४।१, वापु० ९।११८ (पुरुखा की राजधानी),

९।१५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य० १२।१८,

१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर) माक० १०८।१८

(विष्णु की प्रार्थना पर ऐल पुरुखा को प्रदत्त),

विष्णु० ४।१।१६, ब्रह्म० २२७।१५१, भाग० ९।१।

४२, (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक

पीठत) ब्रह्म० ११२।२३, बराह० १६५।२, पद्म०

६।१७२।२०, ६।१७६।२ एव ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र

की नारिया की क्रीडा का उल्लेख है)। पीतलबोरा

बीड स्तम्भाभिलेख में प्रतिष्ठान के मितदेव नामक गण्डी

के कुलद्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए

ए० एस० ठाकू० आई० ४।८३)। देखिए ऐ०

जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ ह्वेनसांग के समय

में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख

है। टॉलेमी ने इसे बँठन एव पैरिप्लस में 'पित्थान'

कहा है। अतोक के सहवाजगढी एव अन्य स्थान

वाले १३वें अनुशासन में 'भोज पित्थिकेषु' का

प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक'

का घोटक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ०

६७)।

प्रणीची—(एक बड़ी नदी) भाग० ११।५।४० (यहाँ पर निवाम करने वाले वामुदेव के भक्त होते हैं)।

प्रमथ—(१) (सीराष्ट्र में समुद्र के पास, जहाँ १२

उत्तिलिङ्गों में एक मामनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था,

जिसे महपूद गवन्दर्षी ने तोड़ डाला था) इसे सोम-

नाथपट्टन भी कहा जाता है स्कन्द० ७।१।२।४४-

५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है)। वन०

८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९।

३, आदि० २१८।२-८, शल्य० ३५।४२ (यहाँ पर

चन्द्र का सद्योग अच्छा हो गया था), कूर्म० २।

३५।१५-१७, नारदीय० २।७०।१-१५ (माहात्म्य),

गङ्गा।४।८।१, वाम० ८४।२९ (जहाँ सरस्वती समुद्र

में गिरती है)। उच्चरदात के नासिक शिलालेख में

इस तीर्थ का नाम आया है (बम्बई गजेट, जिल्द १६,

पृ० ६६९ एव सारगदेव की चित्र-श्रास्ति, सन् १२८७ ई०)। प्रभास को देवपत्न बहा गया है और यह सरस्वती एव समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० इण्डि०, जिल्द १ पृ० २७१ एव २८३ एव श्रीधर की प्रशस्ति, सन् १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती पर) शाल्य० ३५।७८, स्कन्द० ७।१।११-१४, (३) (गंगा के पास एव पहाड़ी) वायु० १०८। १६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५, (४) (बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५, (५) (द्वारका के अन्तर्गत) मीसलपर्व ८।९, बराह० १४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास का माहात्म्य), भाग० १।१।३०।६ (यहाँ प्रत्यक्ष-सरस्वती है, अर्थात् सरस्वती परिचमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती है)। उपनदात के सिलालेख में आया है कि राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह-ध्वज किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुल्हनें प्राप्त की। यही पर भगवान् कृष्ण ने अपना मर्त्य-शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एव पुनीतता तथा महामूद गजनी के आक्रमण की तिथि के लिए देखिए डा० एम्० नाजिम दत्त 'दि लाइफ एण्ड टाइम्स आव मुल्तान महमूद आव गजनी' (पृ० २०९-२१४), सोमनाथ के प्रयाक्रमण आदि के लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि), ५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षायें अपने प्राण गँवाये, कुल्हाड़ियों एव अग्नि से मूर्ति तोड़ी गयी, २० बटोड दीनार (१०, ५००,००० पीण्ड, आधुनिक मूल्य) लूट में मुल्तान को मिले। (६) (बदमीर में) ह० वि० १४।१११; (७) (बदरिकाश्रम को पाँचघाटाओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८।

प्रयाग—(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एव ए० जि० (पृ० ३८८-३९१) जहाँ छेन्नसाग का उद्धारण है, (२) (मिथु एव वितस्ता अर्थात् सेन्धु का संगम) नीलमठ० ३९४-३९५ (यहाँ त्रिपु को गंगा एव वितस्ता को समुद्रा समझा जाता है)।

प्रयागेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० पृ० ४५)।

प्रवरा—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १०६। ४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासेया नेवास, जो निवामपुर का द्योतक है, स्थित है)। यह अहमदनगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है (देखिए बम्बई गज़े०, जिल्द १७, पृ० ६)।

प्रवरपुर—(देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) राज० ३।३३६-३४९।

प्रवरा-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, देखिए बम्बई गज़े० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ टोका एव प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी के संगम पर प्रवरा के बायें एव दाहिने तटों पर, दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व ७ मील की दूरी पर है।

प्रधवर्णागिरि—(१) (जनस्थान में) रामा० ३। ४९।३१, (२) (सुगन्धा पर) रामा० ४।२७। १-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ भास बिताये थे)।

प्रहस्तिश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ८९)।

प्रह्लादेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

प्राजापत्य—(बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४।

प्रान्तबानीय—(पचनद के पास) बराह० १४३।१७।

प्राची-सरस्वती—(यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ६।८।४०, काम० ४।२।२०-२३; (२) (गंगा के अन्तर्गत) वायु० ११२।२३।

प्रियमैलक—(थाड के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० २।१।३३।

प्रियवृत्तेश्वर-लिग—(बाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५९।

प्रीतिश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १११)।

प्रेतकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८-६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण में ब्रह्मपीनि के नाम से विख्यात है।

प्रेतकूट—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५।

प्रेतपर्वत—(गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०।

प्रेतशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११०।१५, १०८।१५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजेन्द्रियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५)।

प्लक्षतीर्थ—(एक पवित्र झालाब, सम्भवतः कुश्वेत्र में, जहाँ पुरुखा ने उर्वरी को प्राप्त किया) वायु० ९१।३२।

प्लक्षप्रसवण—(या प्रस) (यहाँ से सरस्वती निकली है) शल्य० ५४।११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति उत्तम)।

प्लसावतार—वन० ९०।४, यहाँ पर यात्रिकों (यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित किये, वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवमृष' नामक अन्तिम स्वान के लिए आये), कूर्म० २।३७।८ (विष्णुतीर्थ), मार्क० २।१।२९-३० (हिमवान् में)।

प्लसा—(नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। यहाँ से यात्री पहले कुण्डम जाता है, तब शूर्पारक।

क

कलशीषम—(कुश्वेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः आधुनिक 'कल', जो मयानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) वन० ८३।८६।

कल्मु—(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना को एक छाछा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, व्युत्पत्ति—'कल' एवं 'गो' (यस्मिन् कलति श्रीगोत्रं कामयेनुजंल मही। दुष्टिरभ्यादिक यस्मात् कल्मु, तीर्थं न फलुवत्॥)। वायु० (१११।१६) का

कथन है कि यह गया से उत्तम है, क्योंकि गया केवल विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि-गदापर रूपा है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

कल्पुन—माग० ७।४।३१, १०।७९।१८ (श्रीधर का कथन है कि यह अनन्तपुर है)।

कल्पुनक—(मयुरा के दक्षिण) बराह० १५७।३२।

कालुनेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०५)।

केना—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १२९।७।

केना-सगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ एवं ७-८।

ख

खकुलवन—(या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ वनों में पाँचवाँ वन) बराह० १५३।३६।

खकुलासंगम—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।-१३३।२७।

खगला—(एक देवी का स्थान) देखिए 'बंधनाथ' के अन्तर्गत।

खज्जुला—(सम्भवतः वाग्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१ (ऋषि से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ (सह्य से, ब्रह्म०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, ब्रह्म०)।

खरिका—(१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र पर्वत के निकट) पद्य० १।३९।१३, वन० ८५।१३; (३) (दक्षिणी गुजरात में नहीं) देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में (पृ० २५ एवं २९)।

खरिकाश्रम—(१) (उ० प्र० के गडवाल सम्राज में बन्दीनाथ) बराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता पराशर इस आश्रम में रहते थे, मत्स्य० (२०।१-२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप

किया था, विष्णु० ५।३७।३४ (यह आश्रम गन्ध-  
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड०  
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के  
साथ वर्णन किया है और उपतीर्थों की सूची भी  
दी है), वही २।६७।२६ (यह विशाला नदी पर  
था), भागवत० ७।१।१।६, (२) (यमुना पर  
मधुवन में घोड़ी दूर पर स्थित) पद्य० ६।२।२।१  
एव ४३।

**बदरी**—(गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा-  
यण का आश्रम है) वन० ९०।२५-३२, १४।१।  
२३, १७७।८, चान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।  
३।३६ एव १।२।९।४१ (नारायणाश्रम), मत्स्य०  
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अग्नि उपयुक्त) पद्य० ६।२।  
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं हानी क्योंकि  
उस समय पर्वत हिमाच्छादित रहता है), विशाला  
भी नाम है। देखिए ६० जा० आव इण्डिया, जिल्द  
६, पृ० १७९-१८०)। बद्रीनाथ का मन्दिर अलक-  
नन्दा के दाहिने तट पर है।

**बदरीवन**—पद्य० १।२७।६६।

**बदरीपावन तीर्थ**—वन० ८३।१७९, दाल्य० ४७।२३ तथा  
४८।१ एव ५१ (वमिष्ठ का आश्रम यहीं था)।

**बभ्रुतीर्थ**—(जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्वम्द०  
१।२।१३।१०७।

**बलभद्र-लिङ्ग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृष्ठ ४६)।

**बलाका**—अनु० २५।११।

**बलाकेडवर**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १११।११।

**बलिबुध**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृ० ७६)।

**बलेडवर**—(धोपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।  
१४८।

**बहुनेत्र**—(नर्मदा पर एक तीर्थ जहाँ त्रयोदशी को  
यात्रा की जाती है) मत्स्य० १९।१।१४।

**बहुलवन**—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।८।

**बाणवर्णा**—(धालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४४।

६३ (रावण ने सोमेडवर के दक्षिण एक बाण मारकर  
इसे निकाला था)।

**बाणतीर्थ**—(१) (गौ० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-  
२१४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।  
९-१०।

**बाभेडवर लिङ्ग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०,  
कामीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।  
**बालकेडवर**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृ० ४३)।

**बातप**—या बालवेन्द्र (साभ्रमती के तट पर) पद्य०  
६।१४५।१, २४ एव ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र)।

**बाहुंस्पत्यतीर्थ**—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-  
१०१।

**बाहुदा**—(सरस्वती के निकट एक नदी) अनु० १६५।-  
२७, पद्य० १।३।२।३१, नारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म०  
२७।३६, मत्स्य० ११।४।२२ एवं वायु० ४५।९५  
(इसका कहना है कि यह हिमवान् से निकली है),  
वन० ८।४।६७ एवं ८७।२७। देखिए ६ (पृ० १६)  
एव पाजिटर (पृ० २९१-२९२)। वायु० (८८।-  
६६) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पत्नी गौरी  
को घाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी। अमरकोश  
ने इसका पर्याय संतवाहिनी बतलाया है और शीर-  
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कार्तवीर्य द्वारा नीचे  
उतारी गयी (कार्तवीर्य को बहुत अर्थात् अधिक  
दान करने वाला कहा गया है)।

**बाह्या**—(सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१६।३५।

**बिभुक्त**—वि० प० सू० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में  
'बिल्वक' पाठ आया है)।

**बिभुजाश्रम**—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।-  
६८, स्वम्द० २।३।१।४८, नारदीय० २।२९।६१,  
पद्य० ६।१३।४८।

**बिभुसर**—(१) (बदरी के पास मनाक पर्वत पर)  
वन० १४५।४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड०  
२।१८।३१, मत्स्य० १२।१।२६ एवं ११-३२ (यहाँ



अगीरव, इन्द्र एव नर-नारायण ने तप किया था), भागवत० ३।२।३३३ एव ३।९-४४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, नारदीय० २।२९।५९-६०, ((३) (एकाग्रक के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४।१।१२-५४ (इसका नाम इस-लिए पड़ा कि इन्द्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूँदें एकत्र कर इसे मरा था), (४) (करमीर में) नीलमठ० (१११६-१११७) के मत से यह देश के पूर्व में एक दिक्पाल है।

विन्नुतीर्थ—यह पचनद है। देखिए 'पचनद' के अन्तर्गत।

बिन्वण—(थाड के लिए एक अति उपयुक्त स्थल)

वि० ध० सू० ८।५।५२, भस्व० २।२।७०, कूर्म० २।२०।३३, अनु० २।५।१३, नारदीय० २।४०।७९।

बिलपथ—(जहाँ से बिलस्ता या धोलम निकलती है) ह० वि० १।२।५-१७। देखिए 'नीलकुण्ड' के अन्तर्गत।

बिन्वपत्रक—पथ० ६।१२।१।१ (शिव के चारह तीर्थों में एक)।

बिन्वाचल—बार्हस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार यह वैष्णव क्षेत्र है।

बिन्ववन—(भयुरा के चारह वनों में दसवाँ) बराह० १।५३।४२।

बुद्बुबा—(नदी, हिमालय से निचली हुई) ब्रह्माण्ड० २।१६।२५-२७।

बुधेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पू० ५५ एव ९७)।

बुद्बुवन—(गोकुल के पास, जहाँ नद घोष अपनी गर्भें रखते थे) भागवत० १०।५।२६ एव १०।७।३३।

बुद्बुवतिकुण्ड—(लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १।५।५५।

बोधितव—(बोध गया में पीपल या बोधिवृक्ष) पथ० ६।३।७।२०, देखिए 'महाबोधितव' के अन्तर्गत। भरहुत स्तूप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर बुदे

हुए ब्रह्मासन पर बोधितरु पर एक उत्कीर्ण लेख है—भगवतो सकमुनिवो बोधि, देखिए कनिंयम का 'महाबोधित' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है कि सन् ६०० ई० में बंगाल के राजा शशाक ने बोधितरु को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० पू० ४।५३-४५९ जहाँ बोधितरु एव बोधितरु के विषय में लिखा गया है।

ब्रह्मकुण्ड—(१) (बदरी के अन्तर्गत) बराह० १।४।१।४-६, (२) (लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १।५।७।७१ (जहाँ धार वेद-धारा नामक धारने हिमालय से निकलते हैं), (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० १।१।८।

ब्रह्मरूप—(गया के अन्तर्गत) वायु० १।१।२।५ तथा ३।१, अग्नि० १।१।३।७।

ब्रह्मक्षेत्र—(कुक्षेत्र) वन० ६।३।४-६, वायु० ५।९।१०६-१०७ तथा ९।५।५।

ब्रह्मतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।९, २।३।७।२८, पथ० १।३।७।९-१२ (विष्णु ने ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया), (२) (गया के अन्तर्गत) पथ० १।३।७।७९ नारद० २।४।५।१०२, अग्नि० १।५।३।६, (३) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।१।३।१ एव २।३, ब्रह्माण्ड० ३।१।३।५६; (४) (सरस्वती पर) भागवत० १०।७।८।१९।

ब्रह्मवृक्ष—अग्नि० १०।९।१२, पथ० १।१२।४।२८।

ब्रह्मवृक्षहृद—या ब्रह्मवृक्षहृद। ब्रह्माण्ड० ३।१२।७।३, वायु० ७।७।७।१-७२ (यहाँ थाड, जप, होम करने से अथवा फल मिलता है)।

ब्रह्मसारोवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पू० २८)।

ब्रह्मगिरि—(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निकलती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० ७।४।२।५-२६, ८।४।२, पथ० ७।१।७।५८, (२) (सह्य की सबसे बड़ी चोटी और कृष्णवेण्या के अन्तर्गत एक तीर्थ) तीर्थसा०, पृष्ठ ७८।

ब्रह्मनदी—(यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।-  
१६।२३।

ब्रह्मणस्तीर्थ—वन० ८३।११३, पद्य० १।२७।२ (ब्रह्मण  
स्थानम्), पद्य० १।३८।२०।

ब्रह्मण्ड—(गोविन्दकर्मण के अन्तर्गत) वराह० १४७।-  
३६।

ब्रह्मपुत्र—देखिए 'लीहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है।

ब्रह्मबालुका—वन० ८२।१०६, पद्य० १।२५।१३।

ब्रह्मसर—(१) (यानेश्वर के पास) वायु० ७७।५१,  
भस्व० २२।१२, वाम० २२।५५-६० एव ४९।-  
३८-३९। यह सर कई नामों से विख्यात है यथा  
ब्रह्मसर, रामहृदय पवनसर इत्यादि, (२) (गया  
के अन्तर्गत) वन० ४४।८५ (धर्मरत्नोन्मोहित)  
एव ९५।११, अनु० २५।५८, अग्नि० ११५।३८,  
वायु० १११।३०, (३) (कोकामुख के अन्तर्गत)  
वराह० १४०।३७-३९, (४) (सानन्दुर के  
अन्तर्गत) वराह० २५८।२०।

ब्रह्मशिर—(गया के अन्तर्गत) कूर्म० २।३।३८, नारद०  
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मरूप है)।

ब्रह्मस्थान—वन० ८३।७१, ८५।३५, पद्य० १।२७।२।

ब्रह्मस्थाना—पद्य० १।३९।३३।

ब्रह्मवत्सीतीर्थ—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।-  
१३७।१।

ब्रह्मयोनि—(१) (सरस्वती पर) इसे प्रयुक्त भी कहते  
हैं, वाम० ३९।२० एव २३, (२) (गया के अन्त-  
र्गत) वन० ८३।१४० एव ८४।९५, पद्य० १।२७।-  
२९, नारदीय० २।४७।५४, वायु० १०८।८३ (ब्रह्म-  
योनि प्रविश्यापो निगच्छेद् यस्तु भानव। पर  
ब्रह्म स यानि ह विमुक्तो योनिगच्छता॥) देखिए ए०  
वि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब ४४।५-  
स्तूप के पास एक छोटा-सा मंदिर लडा है।

ब्रह्मरूप—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३,  
अग्नि० ११५।३९।

ब्रह्महृदय—भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवत यह  
गोनरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३।

ब्रह्मानुश्वर—(कुशसेन के अन्तर्गत) पद्य० १।२६।-  
६७।

ब्रह्मावर्त—(१) (सरस्वती एव दुषद्वती के मध्य की  
पवित्र भूमि) भनु० २।१७, कालिका० ४९।७१।  
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुशसेन ब्रह्मावर्त  
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन०  
८३।५३-५४, ८४।४३, भस्व० २२।६९, अग्नि०  
१०९।१७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) भस्व०  
१९०।७, १९१।७०, पद्य० १।१७।५।

ब्रह्मोदर सिंग—(१) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) कूर्म०  
२।४१।१८, सिंग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेखर  
भी कहा जाता है), (२) (वाराण के अन्तर्गत)  
सिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११५)।

ब्रह्मोदर—वाम० ३६।७-८।

ब्रह्मोदय—(वाग्मती के दक्षिण) वराह० २१५।१०२।

ब्रह्मोद्भेद—वराह० २१५।९१।

ब्रह्मोद्गमर—वन० ८३।७।

ब्राह्मणकुण्डिका—(कर्मवीर में एक तीर्थ) नीलमत०  
१४९९, १५०१।

ब्राह्मणिका—(नैमिष वन के पास) पद्य० १।३२।-  
२२।

ब्राह्मणो—(सम्भवत वह बामनी जो चम्बल में  
मिलती है) वन० ८४।५८।

म

भगवत्पदी—(गया) भागवत० ५।१७।१-९।

भङ्गतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) भस्व० १९१।५२।

भङ्गतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।-  
५४; (२) (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५।१,  
भस्व० २२।५०।

भङ्गुङ्ग—वन० ८२।८०।

भङ्गकलेखर—(यहाँ धातु करने से परमपद की प्राप्ति  
होती है) भस्व० २२।७४।

भङ्गकाली—बाह्य० सूत्र ३।१२८। यह विन्ध्याचल पर  
निवास करती है।

भद्रबोह—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (श्री० कल्प०, पृ० ५२)।

भद्रकाली-हृद—अग्नि० १०९।१७।

भद्रकर्मदेव—(श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) वन० ८४।३९, कूर्म० २।२०।३५, स्कन्द० ७।१। अर्बुद शण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक हृद पर लिंग जो अर्बुद पर्वत पर है)।

भद्रवट—वन० ८२।५०, पद्म० १।१२।१०, वराह० ५।१२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६।

भद्रवन—(अधुन के बारह वनों में छाटा) वराह० १५३।३७ एवं १६।१७।

भद्रा—(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० २।२।३४, भागवत० ५।१७।५, धामन० ५।१।५२, (२) यह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) नृसिंह० ६५।१८।

भद्रावती—(गंगा की मूलिक चार धाराओं में एक, अन्य तीन धाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुवधु) ब्रह्माण्ड० ३।५६।५२।

भद्रेश्वर—(१) (नर्मदा के उत्तरी छट पर) मत्स्य० २।२।२५, कूर्म० २।४।१।४; (२) (वाराण के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१३६ (श्री० कल्प०, पृ० ५२ एवं ६८)।

भद्राजाधम—रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२।७।१ एवं १७ तथा ५।१०२।५-६)। देखिए 'चित्रकूट गिरि'। आयुष के वास्तविक स्थल के विवेचन के विषय में देखिए गगनाय धा रिसर्व इन्स्टीच्यूट का जर्नल; जिस ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३-४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री)।

भद्रावतीर्थ—(देखिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २।६।-४।

भद्रतथाधम—(१) (गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१०५, मत्स्य० १।३।४६ (यहाँ पर देवी की लक्ष्मी-अपना कहा गया है), वायु० ७७-९८, १०८।३५, १।२।२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३७।३८, पद्म० १।३८।४८।

भद्रतटा—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (श्री० कल्प०, पृ० ६६)।

भद्रकच्छ—(आधुनिक भद्रोच) समान० ५।१।१० (भद्र-कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास घोड़े भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे बरिगज कहा है। इसे भृगुपुर एवं भृगुकच्छ भी कहा जाता है (भृगुना नाम स्कन्द०, कवची० ६।२५ में पाया जाता है)। सन् ६४८-९ ई० में बलभी बरेह परसेन चतुर्थ ने भद्रकच्छ कठाल से साम्राज्य दिया था। सुप्यारक जातक (स० ४६३) में भद्रकच्छ बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है।

भद्रस्थान—वन० ८५।६०, पद्म० १।३९।५६ (जहाँ देवता नित्य समिहित रहते हैं)।

भद्रमानक—लिंग० १।९२।१३७।

भद्रमहोदधि—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १०९।१५। भागीरथी—मत्स्य० १।२।४।१ (यह उन सात धाराओं में से एक है जो बिन्दुसर से निकली और जो भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची)।

भाण्डहृद—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१०।

भाण्डीर—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।४३, (बारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६।३।

भाण्डीरक घट—(मुन्दावन के पास) भागवत० १०-१८।२२, १०।१९।१३।

भानुतीर्थ—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३८।१.१६८।१।

भाबतीर्थ—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५३।१।

भारगेश—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १।९।११, पद्म० १।१९।१।

भारभूतेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (श्री० कल्प०, पृ० ९३)।

भारभूति—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १।९।१८, कूर्म० २।४२।२५, पद्म० १।२।१८।

भास्करधम—(मत्स्य देश में) रामायण २।७।१।५।

भास्करखेत्र—(कोणार्क) भित्ति० (यात्र० ३।१७) में उद्धृत किया है—'गंगायां भास्करखेत्रे'... आदि, शीर्ष वि० (पृष्ठ ६६) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व

(पृ० १९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु तीर्थमार (पृ० २०) ने इसे कागादित्य या कोणार्क कहा है, जो उदयुक्त है। मत्स्य० (१११११३) ग्व कूर्म० (१३६१२०) के मत से प्रयाग प्रजापति-क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० ३२।

भित्तसतीर्थ—(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १६९।१।

भीमा—(नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निकली है और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्थकल्प०, पृ० २५०)। इसके निवास-स्थल पर भीमासवर का मन्दिर है, जो बारह ज्योतिर्लिंगा में एक है, यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में मिलती है।

भीमरथी—(भीमा नदी) मत्स्य० २०।४५, ११४।-२९, ब्रह्म० २७।३५, पद्य० १।२४।३२, भीष्मपर्व ९।२०, वन० ८७।३, वामन० १।३।३०। और देखिए एपि० इण्डि०, जित्द ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ कीर्तिवर्मा द्वितीय के बक्कलेरि दानपत्र (७५७ ई०) में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है।

भीमाबेबी—(बम्बई में डल झील के पूर्व तट पर फाक परगने में वान नामक आधुनिक ग्राम) राज० २।१३५ और ह० चि० ४।४७।

भीमस्वामी—(बम्बई में एक शिला जो गणेश के रूप में पूजी जाती है) स्टोनस्मूथि, पृ० १४८।

भीमतीर्थ—अग्नि० १०९।१२।

भीमाया स्थानम्—वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने इसे पेगावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर वस्तु-बहाई माना है।

भीमेश्वर—(नर्म० के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) मत्स्य० २२।४६ एवं ७५, १८१।५, कूर्म० २।४१।-२० एवं २।४५।१५, पद्य० १।१८।५।

भीष्म-बहिष्कृत—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।-६२।

भीष्मेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६६)।

भुवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प० पृ० ५६)।

भूतालयतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।-१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), वा५० ३।४।७।

भूतेश्वर—(१) (कश्मीर में भूथीसर) नीलमन० १३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, ह० चि० ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तर्गत है। हरमूल की चोटी से दक्षिण-पूर्व फले हुए पर्वत पर भूतेना शिव का निवास है। आइने अवबरी, जित्द २, पृष्ठ ३६४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१०, पद्य० १।३७।१३, (३) (मयूरा के अन्तर्गत) वराह० १६८।१९।

भूमिषण्डेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) अग्नि० १।२।४। भूमितीर्थ—अग्नि० १०९।१२।

भृगु-आश्रम—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) स्वर्द० १।२।३।२-६।

भृगुकच्छ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'महकच्छ' के अन्तर्गत। यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया था (भागवत० ८।१२।२)।

भृगुकुण्ड—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।४८।

भृगुतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, कूर्म० २।४२।१-६, पद्य० १।२०।२३-५७। दे (पृ० ३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील की दूरी पर भेडापाट पर है जिससे मन्दिर में ६४ योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर परशुराम ने राभ द्वारा ले ली रथी शक्ति को पुनः प्राप्त किया था)।

भृगुपुत्र—(१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु ने तप किया था) वायु० २३।१४८ एवं ७७।८३, वन० ८।५०, ९०।२३, १३०।१९१; (२) बि० प० सू० ८५।१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्य० २२।३१ (श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नद पण्डित के मत से अमरकण्ठक के पास है तथा अन्य लोगों के मत से हिमालय में, (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर)

वराह० १४६१५-४६, (४) (गुजंर देव से)  
स्कन्द०, वाची० ६।२५; (५) (वितस्ता एव हिम-  
वान् ने पास) वाम० ८।१३३।  
भृगीश्वरलिङ्ग—(घारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, वाची०  
३३।१२९ एव लिय० (तीर्थकल्प० पृ० ८४)।  
मेरुगिरि—(गणोद्भेद नामक घारा से पवित्र) राज०  
१।३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७।  
भेवादेवी—(गणोद्भेद के पास बरमौर में श्रीनगर के  
परिचम आयुनिव बुदबोर) नीलमत० १५२२।  
भंरव—(एक तीर्थ) मत्स्य० २२।३१।  
भंरवेडेश्वर—(घारा० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।  
१३७।  
भोगवती या वासुकितीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत)  
यह प्रजापति की बेटी बही जाती है, वन० ८५।७७,  
मत्स्य० १०६।४३ एव ११०।८, अग्नि० ११।१५,  
नारदीय० २।६३।९५, (२) (इक्ष्वाकु कुल  
के कुरुत्स्य की राजधानी) बालिकापुराण  
५।०।४।

घ

मकुणा—(ऋष से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०१।  
मगला—(गया में देवीस्थान) देवीभागवत ७।३८।२४।  
मंगलप्रस्थ—(पहाड़ी) भाग० ५।१९।३६।  
मंगलासंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।  
९४ एव १०० (इसे योविन्द भी कहा जाता  
है)।  
मंगलेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० २।९२।३३।  
मंकुटी—(ऋषवान् से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड०  
२।१६।३१।  
मञ्जुका—(एक नदी) भीष्म० ९।३४।  
मणिकर्णौ—(या मणिकर्णिका) (बाराणसी के अन्तर्गत)  
मत्स्य० १८२।२४, १८५।६९, नारदीय० २।४०।८७  
एव ४९।४४, पद्य० ६।२३।४४।  
मणिकर्णेश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) नारद०  
२।४९।४५, लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १०३)।

मणिकण्ड—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।  
५२।  
मणिमान्—या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन०  
८२।१०१, पद्य० १।२५।८, वाम० ८।१।४।  
मणिमती—(नदी) मत्स्य० २२।३९ (ध्याद के लिए अति  
उपयोगी)। बार्ह० सू० (१४।२०) का वचन है कि  
यह एक पर्वत है।  
मणिमतीश्वर—वाम० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा  
जाता है)।  
मणिमतीपुरी—(यह बातापीपुरी एव दुर्जया के नाम से  
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एव ९९।३०-३१।  
मणिनाथ—वन० ८४।१०६, पद्य० १।३८।२४।  
मणिकुण्डलिका—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह०  
१४८।६३।  
मण्डवा—वायु० ७७।५६ (ध्याद के लिए अति उपयुक्त  
पहाड़ी)।  
मण्डलेश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ६६)।  
मत्स्येश्वर—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७,  
वायु० १०८।२५।  
मत्स्यस्थानम्—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।  
१०१, अग्नि० ११।५।३६, (२) (बाराणसी में)  
वन० ८७।२५।  
मत्स्येश्वर—वन० ८८।१७, पद्य० १।३९।१५।  
मत्स्येश्वरी—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।  
२३-२४, अग्नि० ११।५।३४, नारद० २।४५।१००,  
वि० ध० सू० ८।५।३८, (२) (कोसला में) वायु०  
७७।३६, (३) (कौलास पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।  
३६।  
मत्स्येश्वर—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११।१।३५।  
मत्स्येश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ८७)।  
मथुरा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एव  
ऐ० लि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एव मुन्दावन  
के लिए)।

मत्स्यनदी—(पवित्र-नदी) मत्स्य० २२।४९।

मत्स्यशिला—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।  
७९-८३।

मत्स्योदयान—गृहसंह० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५१)।

मत्स्योदरी—(बाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं ओकरेश्वर के पास) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५८-५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४।३३।१५५। त्रिस्वलीसेतु (पृ० १४०) का कथन है—'मत्स्याकारं बाष्पीजे। म् उदरे अस्या इति ध्युत्सया गणैव मत्स्योदरी शया।'

मसोकट—पद्य० ६।१२५।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीर्थों में ९वाँ)।

मन्वा—(एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२ एवं ५७। सम्भवतः यह मन्वा ही है।

मन्ना—(नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु० ४५।१०२।

मन्मुक्त्या—(नदी, गया में) वायु० १०६।७५, १।१२।३०।

मन्मुक्तमलिङ्ग—(बाराणसी में) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४३)।

मन्मुनिगिरी—(नदी) वाम० ८।१।१६।

मन्पुर—(पृषुदक के अन्तर्गत) पद्य० १।२७।३८।

मन्पुरी—(मयुरा) भाग० ७।१।४।३१, विष्णु० १।१२।२-४।

मन्मुती—(१) (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० १४४ (वितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक तीर्थ है जो धाम्बिस्य द्वारा स्थापित हुआ था), विक्रमाचदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल के मद्रिया और बाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है); (३) (यह नदी जो मध्यप्रदेश में सिन्धु से मिलती है); देखिए माल्दी-मायव (९वाँ अंक, श्लोक २ के पत्रपाठ गद्यांश)।

मन्पुरा—(१) (मयुरा, यूरेन देव की राजधानी) ब्रह्माण्ड० १।४९।६, विष्णु० १।१२।४ एवं वाम० ७।७।५; (२) (आधुनिक मयुरा, पाण्ड्य लोगों की प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मयुरा कहा जाता था,

देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आम्पंगर द्वारा लिखित 'मणिमेलनई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग', पृ० २०। मयुरा मयुरा का ही तमिल ङग का उच्चारण है। देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्नल, सन् १९४२, जिल्ड ३२, पृ० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा एवं मयुरा के लिए) एवं प्रो० दीक्षितार का 'सिलिप-दिकारम्' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और पृ० २५५ जहाँ कन्नड़ी के शाप से मयुरा के विनाश का वर्णन है।

मयुरातीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३५।१८।

मयुवन—(१) (मयुरा में) वन० १।१२ एवं ३१ (यहाँ मयु नामक राजस रहता था) कूर्म० २।३६।९, बराह० १५३।३०, वाम० ८।३।३१, ९०।१४, भाग० ४।८।४२ (यमुना के तटों पर), ९।१।१४ (घनुष्म ने मयुवन में मयुरा बसायी), प्राञ्ज ने 'मयुरा' नामक पुस्तक में इसे महोली कहा है जो मयुरा से दक्षिण-पश्चिम पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुस्तोत्र के सात नदों में एक) वाम० ३५।५।

मयुवती—(एक देवीस्थान) पद्य० १।२६।८८।

मयुजवा—(नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५, १।१२।३०।३४, नारदीय० २।४७।२७; (२) (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन० ८।३।५०।

मयुविता—(नदी) समगा। वन० १।५।१।

मयुववन—(अगस्त्यायम एवं पंचवटी के मध्य) वाम० ३।१।३।३।

मयुरका—(नदी) वाम० ५७।८०।

मय्यम पुष्कर—(देखिए पुष्कर) पद्य० ५।१९।३८, वाम० २२।१९।

मय्यमेश्वर तिल्ल—(१) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३२।१२, १।३४।१-२, लिंग० १।२२।९१ तथा १।३५, पद्य० १।३४।१० (बाराणसी के पाँच मुख्य तीर्थों में एक); (२) (धीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।२२।१५।१।

मध्यस्विनीपत्त तीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह०  
१७०।४६ (रंगुण्डी तीर्थ के पश्चिम में) ।

मत्ततीर्थ—गर्बड० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७  
(यह कुछ सदेहात्मक है) ।

मडवावर्त भाग—(कश्मीर में वितस्ता पर) ह० वि०  
१०।१५२ ।

मनुजेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० १०४) ।

मनोजब—पथ० १।२६।८७, वन० ८३।९३ ।

मनोहर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।७, कूर्म०  
२।४२।२०, पथ० १।२१।७ ।

मन्दगा—(शुक्तिमान् से निकली हुई नदी) मत्स्य०  
११।३२, वायु० ४।१०७ ।

मन्दाकिनी—(१) (चित्तकूट पर्वत के पाम एवं ऋक्षवान्  
से निकली हुई नदी) वन० ८।५।६, अनु० २।५।२९,  
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४।५।९९,  
अग्नि० १०।९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य०  
११।४।२५; (२) (वाराण० के अन्तर्गत एक उपतीर्थ)  
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६, (३) (कलास के चरण में  
मन्दीरक झील से निकली हुई नदी) मत्स्य० १२।१४,  
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास)  
रामा० ४।१।९५ ।

मन्दवाहिनी—(शुक्तिमान् पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य०  
११।४।३२, वायु० ४।५।१०७ ।

मन्दर—(पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह मैत्र के पूर्व  
में है), मार्कण्डेय० ५।१।१९; वन० १३।५।५, १४।२।२,  
१६।३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३।१।३३,  
उद्योग० १।१।२, लिंग० २।९।२।१८७ एवं १८८, ६-  
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये  
थे), मारदीय० २।६०।२२, वाम० ५।१।७४ (पृथु-  
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया), मत्स्य०  
१८।१।१८।३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम  
कामचारिणी है), भाग० ७।३।२ एवं ७।७।२ (द्विरप्य-  
कशिपु यहाँ रहता था) ।

मन्दार—बराह० १४।३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य),

धराह० (१४।३।२) का वचन है कि यह गंगा के  
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है  
और सभी भागवता का प्यारा है। यह केवल द्वादशी  
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (दलोक १३) ती०  
कल्प० पृष्ठ (२।१७-२।१८)। ऐ० जि० (पृष्ठ  
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर  
के दक्षिण में है।

मन्दीवरीतीर्थ—मत्स्य० २२।४१ (दर्शन मात्र से पाप  
बटते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) ।

मन्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३।३।  
१३७ ।

मन्युतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।२।१,  
भाग० १०।७।२।१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य  
में कहीं) ।

मन्वृगण—अनु० २।५।३८ ।

मन्वृधा—(१) (नदी) ऋ० १०।७।५।५। निरुक्त  
(१।२।६) ने इसे ऋ० (१०।७।५।५) में उल्लिखित  
सभी नदियों को उपाधि माना है और अर्थ लगाया  
है कि 'जो वायु या मरुतों द्वारा बाढ़ में लायी गयी  
हो' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मन्वृदेव  
नाम से विख्यात है तथा विनाय की सहायक है  
(जे० भार० ए० एत०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६),  
भाग० ५।१९।१८, (२) पद्म० (६।२२।४।४  
एवं १९) में कावेरी को मन्वृधा कहा है।

मन्वृक्ष—(पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) मारद० २।६०।२२ ।

मर्करीतीर्थ—(त्रिपुरी, अर्थात् आधुनिक तेवर, नर्मदा  
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ-  
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित ।

मल—(कश्मीर में) पथ० १।२५।४ ।

मलबंदा—(नदी) मत्स्य० २२।४।१ (यहाँ का श्राद्ध  
अक्षय होता है) ।

मलप्रहारिणी—या मलाप्रहारिणी (बेलागंज के दक्षिण-  
पश्चिम लगभग २२ मील सह्य से निकली हुई नदी)  
आधुनिक मलप्रभा स्कन्द० (तीर्थसार पृष्ठ ८० एवं  
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ

१२ जहाँ दन्तकथा दी हुई है। अग्या बोल या अंबल्ली या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिकवेरी, जिल्द ८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई० का उल्लेख है। परपुराम ने अपनी रक्तरजित कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोपी थी। देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५।

मलय—(भारत के सात प्रसिद्ध पर्वतों में एक) वन० २८२।४३, ३१३।३२, भीष्म० १।११, क्रूमं० १।४७। २३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), वायु० ४५।८८, ब्रह्म० २७।१९। रघुवश (४।४५-५१) में आया है कि मलय वावेरी के तट पर है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एव चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुवश ४।४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था।

मलयज—पद्म० ६।१२।१।१२ (विष्णु एव शिव के तीर्थों में एक)।

मलयार्जुन—(यमुना के तट पर मयुरा के अन्तर्गत एक तीर्थ) बराह० १५७।१।

मल्लक—(गंगा के पश्चिमी तट पर) पद्म० ५।५।७४ (जहाँ सती ने अपने को जलाया था)।

मलापहा—(दक्षिण में एक नदी) इसके तट पर मुनिपर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पचलिग महेश्वर' हैं।

मल्लिकाक्ष्य—(एक बड़ा पर्वत) पद्य० ४।१७।६८।

मल्लिकार्जुन—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।१९२। १५५।

मल्लिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।६।

मल्लकुण्ड—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० बल्प०, पृष्ठ ७०)।

महती—(पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य० १।४।२३, वायु० ४५।९७।

महाकास—(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योतिर्लिंगों में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १।३।१, २२। २४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकालवन में शिव

एव अण्यकाशुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म० ४३।६६, स्कन्द० ४।१।९१; (२) (बारा० में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३७।

महाकालवन—(अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५।

महाकाशी—वामन० (ती० बल्प० पृ० २३९)।

महाकूट—(श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० ७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह सदेहात्मक है कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों पर मन्दिरो का समूह है, जिसे आज भी महाकूट कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह वह स्थल है जहाँ वातापी एव इत्थल नामक दो राजस भाई मारे गये थे। देखिए इण्डियन ऐण्टिकवेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है।

महागङ्गा—अनु० २५।२२ (ती० बल्प० पृ० २४६), वि० घ० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अलकनन्दा माना है)।

महागौरी—(विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य० १।४। २८, वायु० ४५।१०३।

महातीर्थ—क्रूमं० २।३७।१२।

महानदी—(१) (यह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, क्रूमं० २।३५।२५। ब्रह्माण्ड० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र से निकलती है; (२) (गंगा के अन्तर्गत नदी, सम्भवतः फल्गु) पद्य० १।३।४, वायु० १०८। १६-७, १।०।६, अग्नि० १।५।२५, वन० अग्याय ८४; (३) (द्रविड देश में) भाग० १।१।४०।

महानन्दा—(बंगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास हिमालय से निकली हुई और मालदा जिले में गंगा से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इन्मीरियल गजेटियर, जिल्द २०, पृष्ठ ४१३-४१४। (पूजिर्ण जिले के अन्तर्गत)

महानस—(मृत्यु द्वारा स्थापित एव लिंग, गी० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।१।१।



महावाव—मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल-  
दायक है।

महापद्मनाभ—(कश्मीर में एक झील) नीलमत०  
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और  
चौड़ी)। यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूख झील है।  
देखिए राज० ४।५।९१, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ  
दुष्ट पद्मगुल नाग की गाथा है। बुहलर वृत्त 'कश्मीर  
रिपोर्ट' पृष्ठ ९-१०।

महापद्मभेदस्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

महापुर—(एक तीर्थ) अनु० २५-२६।

महाबल—(१) सतारा जिले में महाबलेश्वर)  
पद्य० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए०  
एन०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महाबलेश्वर  
भाहात्म्य का वर्णन है, (२) गोकर्ण का  
महाबलेश्वर) देखिए कदम्बराम कामदेव का गोकर्ण  
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७,  
पृष्ठ १५७)।

महाबोधि लक्ष—(बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे  
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५।३७,  
मत्स्य० २२।३३, नारद० २।४५।१०३, वायु० १११।  
२६, वायु० अ० १११ के श्लोक २८-२९ इस लक्ष को  
सम्बोधित है। पद्य० (६।११७।२६-३०) में बतलाया है  
कि बोधि लक्ष किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य  
एवं अन्य दिनों स्पर्श में अयोग्य है। देखिए डा० बरुआ  
('गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु०  
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धृत हैं, और देखिए  
वही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का  
उल्लेख है। और देखिए कर्णधम का 'महाबोधि'  
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ चर्मपाल के रिराललेख  
(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ  
३ में की गयी है।

महाभैरव—(आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८।१-  
२९, कूर्म० २।४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ०  
२५०)।

महामुण्डा—(वाराणसी के अन्तर्गत)। लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ५६)।

महामुण्डेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ५६)।

महाधर—मत्स्य० २२।३४।

महालक्ष्मेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०  
(ती० कल्प०, पृ० ६९)।

महालय—वन० ८५।९२ (दान दद्याद् महालये), वि०  
प० सू० ८५।१८, मत्स्य० १८।१।२५, कूर्म० २।२०।३३  
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ  
पानुपता ने महादेव की पूजा की), पद्य० ५।११।१७,  
ब्रह्माण्ड० ३।१३।८२-८४, वामन० ९०।२२, पद्य०  
१।३७।१६।

महालयक्षुप—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ६३)।

महालय लिंग—(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३।३३,  
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और  
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है)।

महावन—(धयुरा के १२ वनों म ८वाँ वन, व्रज) बराह०  
१५३।४०, १६।१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना  
के बायें किनारे के समीप है। कृष्ण ने अपना बचपन  
यहीं बिताया था।

महावेणा—पद्य० ५।११।२७।

महाशाल—मत्स्य० २२।३४, पद्य० ५।११।२७।

महाशालनदी—मत्स्य० २२।४२।

महाशयम—वन० ८५।५३, पद्य० १।३२।१७।

महाशोण—(शोण भद्र) सभाषर्ष २०।२७।

महासर—महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६)।

महास्थल—(भयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५०।२२।  
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अर्कस्थल, बीरस्थल, कुक-  
स्थल तथा पुष्पस्थल।

महीतागरसंगम—स्कन्द० १।२।३।२६।

माहिष्मती—(नर्मदा पर) पाजिटर में इसे ओकार  
मान्वाता (नदी द्वीप) तथा हात्दार आदि ने महेश्वर  
कहा है। मान्वाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले में

सम्बन्धित है। उद्योग १९।२३-२४, १६६।४, अनु० २।६, पद्य० २।९२।३२, ६।११।५।४, भाग० ९।१५।२२ (सहस्रावर्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था)। महामाय (जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या प्रतिपत्ती माहिष्मर्यां सूर्योद्गमन सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के वार्तिक १०पर। मुत्तनिपात (एस०बी०ई०, जिल्द १०, भाग २, पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सबप्रथम अटक के पतिट्ठान को जाते हैं और उसके उपरान्त माहसती को। देखिए डा० पलीट का 'महिसमण्डल एण्ड माहिष्मती' (वे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५-४४७) एवं सुबन्धु का बर्वानी दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वीं शताब्दी का है।

महाहृद—(बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, अनु० २५।१८ (तीर्थवत्स्य०, पृष्ठ २४५-२४६)।

मही—(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान् नदियां मे एक) 'मिलिन्द प्रश्न' (संकेत बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ३५ पृष्ठ १७१ में चर्चित), मही पाणिनि (४।२।८७) ने नद्यादिगण में उल्लिखित है, (२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई और खमात के पास दक्षिणाभिमुख समुद्र में गिरनेवाली एक नदी) स्कन्द० १।२।३।२३, १।२।३।४३-४५ एवं १२५-१२७, वन० २२२।२३, मार्कण्डेय० ५४।१९ (पारि यात्र से निकली हुई) यह 'टालेमी' पृष्ठ १०३ की मोफिसएव 'पेरिप्लस' की मईज है।

महेन्द्र—(यह एक पर्वत है जो गया या उड़ीसा के मुखो से लेकर मद्रास तक फैला हुआ है) भौष्य० ९।११, उद्योग० १।१।१२, मत्स्य० २२।४४, पद्य० १।३९।१४ (इस पर परशुराम का निवास था), वन० ८५।१५, भाग० ५।१९।१६, वाम० १३।१४-१५, ८३।१०-११, कूर्म० १।४७।२३-२४ (बार्हस्पत्य सूत्र ३।१२४ के मत से यह घातक दीर्घ है)। गजाम जिले में लगभग ५००० कूट ऊँचा महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। रामा० (४।१७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान् बूढ़कर लंका में पहुँचे थे। पात्रिटर (पृ० २८४) का कथन है

कि यह गोदावरी एक महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का एक भाग और बरार की पहाडियों के रूप में है। किन्तु यह कथन सदेहात्मक है। रामा० (४।४।१।१९-२१) ने पाण्ड्यकटाट के पदचात् महेन्द्र का उल्लेख करके इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यजित किया है, किन्तु भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के पदचात् और सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका उल्लेख है (कार्पस इन्स्ट्रुप्सनम् इण्डिकेरम्, जिल्द ३, पृ० ७)।

महेश्वरधारा—वन० ८४।११७, पद्य० १।३८।३४।

महेश्वरकुण्ड—(लोहारंगत के अन्तर्गत) बराह० १५।१।६७।

महेश्वरपर्व—पद्य० १।३८।३६, वन० ८४।११९।

महोदय—(सामान्यतः इसे कर्त्तव्य कहा जाता है) वाम० ८३।२५, ९०।१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११)। इसे कुशीनर भी कहा जाता था, एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ २८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय ने महोदय का नास किया था, किन्तु गुर्जर प्रतीहार भोजदेव के बरातासप्तमे में (८३६-७ई०) महोदय को स्वन्धावार (मुद्राधिबिर) कहा गया है और वही कान्यकुम्भ को पृथक् रूप से व्यक्त किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७)।

मार्कुणिका—(मलय के पास) वाम० ८३।१६।

मागवाटप्य—कूर्म० २।३७।९, वाम० १।१७, ८।३५।

माठरवन—(पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु० ७७।३३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३३।

मानिक्येश्वर—(बदमीर में) पद्य० ६।१७६।८०।

माण्डव्य—(एक तीर्थ जहाँ देवी को माण्डव्या कहा गया है) मत्स्य० १३।४२।

माण्डव्येश—(बाराणसी के अन्तर्गत) वी० वत्स०, पृ० ११९।

मातलीखर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ७६)।

मार्तण्डेश्वर—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। ५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा)।

माता—शल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का वर्णन है।

मातृगृह—(जहाँ श्राद्ध से आनन्द प्राप्त होता है) मत्स्य० २२।७६।

मातृतीर्थ—(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५८, पद्म० १।२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११२।१।

माधवतीर्थ—(श्रीशैल पर) पद्म० ६।१२९।१२।

माधववन—मत्स्य० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कहीं जाती है)।

मानस—(१) (हिमालय में एक शील जो कैलास के उत्तर एव गुरला मान्वाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एव मत्स्य० १२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वायु० ७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे)। देखिए 'कैलास' के अन्तर्गत। स्वेन हेडिन ने 'ट्रांस हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में लिखा है—'पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढकर कोई अन्य स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एव गुरला मान्वाता के नामों से व्यक्त है, जो होरी के बीच बँदूनों (हरे रत्नों) का गुम्फन है।' मानस शील समुद्र से १४,९५० फुट ऊँची है, (२) (कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९, (३) (मयूरा के पश्चिम) वराह० १५४।२५; (४) (गंगा के उत्तर प्रयाग के पास) मत्स्य० १०७।२, (५) (कश्मीर में आधुनिक मानसवल) विक्रमांकदेवचरित १८।५५, कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।८, पद्म० १।२१।८, (७) (गंगा के अन्तर्गत उत्तर मानस एव दक्षिण मानस कुण्ड) वायु० १११।२, ६, ८ एव २२।

मनुलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प० पृ० ११४)।

मातृव—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।६०-६३, वायु० ३५।५०-५७।

मायापुरी—(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ (यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, वायु० १०४।७५, मद्द० १।८।१७, स्कन्द० ४।७।११४ (केचिद्गुहर्हरिद्वार मोक्षद्वार तत् परे। गंगाद्वार च वेप्याद्गु केचिन्मायापुर पुन ॥)। माया नव्यादिगण में आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात तीर्थ-नगरियों में एक है। ह्वेनसांग ने इसे मोगुलो (मायूर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया-पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐं० जि०, पृष्ठ ३५१-३५४।

मायातीर्थ—(कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत एव गंगा पर) वराह० १२५।११०, १२६।३३।

मास्तास्य—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, कूर्म० २।४१।४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम), पद्म० १।१८।८।

मार्कण्डेयतीर्थ—(१) (गोमती एव गंगा के संगम पर वाराणसी जिले में) वन० ८४।८१, पद्म० १।३२।४१-४२। प्रो० आयगर (ती० कल्प०, पृ० २९१) का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगमपर है, ठीक नहीं है, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४५।१।

मार्कण्डेयह्रद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीर्थ के पास) ब्रह्म० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विद्योपत चतुर्दशी पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० २।५५।२०-२२।

मार्कण्डेयेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५४-१५५- (२) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।५५।१८-१९।

मारीशेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ७१।

मार्जार—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।१९।

मार्तण्ड—(कश्मीर में सूर्य का मन्दिर) इस्लामाबाद के उत्तर-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मार्तन या मटन। इसका विख्यात नाम 'बवन (भवन) है। यहाँ से कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। ८वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा ललिनादित्य द्वारा निर्मित मन्दिर आज भग्नावशेष है। इस मन्दिर की अनुकम्पा के अनुसार विमला एवं कमला नामक दो धाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाम), स्टॉन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अवबरी (जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) में मटन का उल्लेख किया है। यह तीर्थ अब ता कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट तीर्थों में गिना जाता रहा है।

मार्तण्डपादमूल—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (तीर्थ-कल्प०, पृष्ठ १६६)।

मासा—(नदी) सभापर्व २०।२८।

मासार्क—(साभ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थल) पद्म० ६।१४१।१ एवं १४२।१।

मालिनी—(नदी, जिस पर बण्वाश्रम था) आदि० ७०। २१ एवं ७२।१०। हेनसांग के मत से इसी नदी पर रोहिलसण्ड के पश्चिम में मझावर नामक जिला अवस्थित था। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०।

माल्यवान्—(सुगमदा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) रामा० ३।४९।३१, ४।२७।१-४ (इसके उत्तर-प्रसवण नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासों तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ (निष्क्रिया से बहुत दूर नहीं)।

माल्यवती—(चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८।

मासेद्वार—(नर्मदा के अन्तर्गत) पप० १।१८।७७।

माहेद्वार—(नर्मदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास आज का नगर) मत्स्य० १८।२, पप० १।१५।२। इन्दी० गजे० (जिल्द १७, पृष्ठ ७) के अनुसार यह प्राचीन माहिष्मती है।

माहेद्वारपुर—(जहाँ वृषभध्वज अर्थात् शिव की पूजा होती थी) वन० ८४।१२९-१३०।

मित्रपद—(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११।

मित्रवन—(उड़ीसा में कोनाक या साम्बपुर) स्वन्द०, प्रभाससण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं—मित्रवन, मुण्डीर एवं साम्बादित्य)।

मित्रावधण—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४७)।

मित्रावधणगौराश्रम—(कारपवन के पास यमुना पर एक नदी) शल्य० ५४।१४-१५।

मिरिकावन—(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२।

मिश्रक—(बुधशेख के अन्तर्गत) पप० १।२६।८५-८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थों को मिला दिया) वन० ८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है।

मीनासी—(मडुरा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भागवत० ७।३८।११।

मुकुटा—(ऋष्यवन्त से निर्गत नदी) मत्स्य० १।४।२६, १३।५०, (यहाँ देवी 'सत्यवादिनी' के रूप में पूजित होती है)।

मुक्तिशेख—(पालघाम के अन्तर्गत) वराह० १।४५। १०५।

मुक्तिमान्—(एक पर्वत) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२ (क्या यह मुक्तिमान् का नामान्तर है?)।

मुक्तिस्थान—(यथा—प्रयाग, नैमिष, बुधशेख, गंगाद्वार, बानी, त्रियम्बक, मन्त-गोदावर आदि २६ हैं) स्वन्द० (बासीसण्ड ६।२१-२५)।

मुषुकुण्ड—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह० १।५८।२८।

मुषुकुण्डेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११४)।

मुंजवान्—(हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आश्वमेधिका पर्व ८।१ (जहाँ शिव स्तम्भा करते हैं), ब्रह्माण्ड० २।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से ऐन्द्रो मील एवं ऐन्द्रो नदी निकलती है), वराह० २।३।१३ (मन्दर के उत्तर में)।

**मुंजवट**—(गंगा पर, जो एक निवस्थान है) वन०  
८५।६७, पृ० १।३९।६३।

**मुम्बपुच्छ**—(१) (गंगा में फल्लु के पश्चिमी तट पर स्थित एक पहाड़ी) कूर्म० २।३७।३९-४०, नारद० २।४५।९६, अग्नि० १।१५।२२ एवं ४३-४४, वायु० ७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १।१।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।११०-१११। महादेव ने यहाँ बर्जित तप किया था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुरकी अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उमके मिरवा पृष्ठभाग स्थित था। (२) (बबमीर में एक पहाड़ी) नीलमत० १२४७-१२५४।

**मुण्डेश**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

**मुर्मुरा**—(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियां म एक) वन० २२२।२५।

**मूजवान्**—(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०।३।४।१) में सोम के पीये को मौजवत कहा गया है और निरुक्त (१।८) में व्याख्या की है कि मूजवान् एक पर्वत है जिस पर सोम के पीये उत्पन्न होते हैं। अथर्ववेद में मूजवान् आया है और तबमा (रोग के एक दुष्टात्मा) से मूजवान् एवं बाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया है। अथर्ववेद (५।२।१५) में 'मूजवन' आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में यह कोई पर्वत है।

**मूलतापी**—(तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल मुस्ताई से, जो मूलतापी का असुद्ध रूप है पडा है) मत्स्य० २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च)। मुस्ताई मध्य प्रदेश के बँतूल जिले में एक ग्राम है और इसमें एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देविए हम्पी० गजे० इण्डि०, जिन्द १८, पृष्ठ २१।

**मूलस्थान**—(आधुनिक मुलतान) मत्स्यो की प्राचीन राजधानी। हें० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०-२३६। इसके कई नाम थे, यथा—काश्यपपुर, साम्ब-

पुर, प्रह्लादपुर, थाद्यस्थान (अलवरुनी—दारी १।२९८)।

**मूली**—(महेन्द्र सेनिकली हुई नदी) मत्स्य० १।६।३१।

**मुगकापा**—(मानससोिल से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७।

**मुगधूम**—(यहाँ छदपद है) पृ० १।२६।१४ वन० ८३।१०१ (यह गंगा पर है)।

**मुगगुगोवक**—(वाग्मती नदी पर) बराह० २९५।६४।

**मृत्पुञ्जय** (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

**मेरुत**—(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नर्मदा की मेरुकल्पका कहा जाता है।

**मेरुता**—पृ० ५।११।३४ (यथा यह नदी है?)।

**मेरुता**—रामायण ४।४।१९, बाहें० मू० १।४।७ एवं १६।२ में यह एक देश कहा गया है।

**मेघकर**—मत्स्य० २२।४०, पृ० ५।११।३४।

**मेघनाद**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० २।९।२।३१।

**मेघसूत**—(प्रगीता नदी पर एक नगर) पृ० ६।१८।१५।

**मेघराव**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृ० १।१७।४।

**मेखला**—(मेघकर नगर का एक तीर्थ) पृ० ६।१८।१६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इसमें प्रकट होता है कि मेखला मेघकर नगर का मध्य भाग मान है)।

**मेघातिथि**—(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३।

**मेघावन**—पृ० १।३।९।५२ (श्राद्धस्थल)।

**मेघाविक**—वन० ८५।५५।

**मेघकूट**—नृसिंह० ६५ (तीर्थकर्म०, पृष्ठ २६५)।

**मेघवर**—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १।४।३२-३५।

**मेहलु**—(नदी) ऋ० १०।७।१६ (ऋषु की एक सहायक)।

**मेत्रेयीलिङ्ग**—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५७)।

**मेनाक**—(१) (बदरी के पास एक पर्वत) वन० ३३९।१७, १।५।४४, अतु० २।५।९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६, (२) (गुजरात के पास पश्चिम का पर्वत) वन० ८५।११; (३) (पर-

स्वरी के पास पर्वत) कूर्म० २।३७।२९। दे (पृष्ठ १२१) ए३ प्र० आयगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मनाक नामक तीन पर्वतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं।

मोक्षकेशवर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११२)।

मोक्षरात्र—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।२५।

मोक्षतीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६१ (ऋषितीर्थ के दक्षिण में), त्रिस्वलयसेतु (पृष्ठ १०१)।

मोक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।

मोक्षगिरि—(पर्वत) समापर्व ३०।२।।

घ

घसतीर्थ—आगे चलकर इसका नाम हसतीर्थ हो गया। वराह० १४४।१५५-१५६।

घसिणी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।१।

घजन—वन० ८२।१०६।

घनवराह—याज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वंटरणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है।

घन्येश्वर—(नर्मदा में उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९०।१।

घमतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२५।१ एव १३१।१, (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६।

घमलामुनिशुद्ध—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० कल्प०, पृ० १८७)।

घमम्बतनक—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। ५५।

घमुना—(नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५। ५। घमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पद्म० ६, अ० १९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है।

घमुनाप्रमथ—(घमुनोत्तरी) कूर्म० २।३७।३०, ब्रह्मण्ड० ३।३।७१ (जहाँ गर्म एव धीर जल की धाराएँ हैं)।

घमुनातीर्थ—घल्य० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७।२३-२४। (सूर्य की पुत्री के रूप में) पद्म० १।२९।६।

घमुनासंगम—वराह० अ० १७४ ने इसकी भविष्या का पूरा वर्णन किया है।

घमुनेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मयुरा के अन्तर्गत) १५४।१२।

घमातिपुर—(आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में वंटरणी नदी पर। ऐ० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ घमातिनगर को याजपुर कहा गया है जो सन्देश्वरमठ है।

घमातिपतन—वन० ८२।४८, पद्म० १।१२।८।

घमातीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ११५)।

घसतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८।

घष्टि—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेटिया है जो गया के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है।

घातवस्वयतिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ४७ एवं ८८)।

घायाततीर्थ—(१) (सत्स्वती के अन्तर्गत) धामन० ३९।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) घल्य० ४१। ३२, पद्म० १।३७।९।

घुगन्धर—(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार यह एक देश है और काशिका ने इसे घात्वावयवों में एक माना है; (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) के मत से, घाम० ३४।४७। बाहें० सू० (३२।१९) ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम से वर्णित किया है।

घोगितीर्थ—(सूकर के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० २१०)।

घोनिडार—(गया में ब्रह्मघोनि पहाड़ी पर) वन० ८४। ९४-९५, पद्म० १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६-७७।

२

- रघवेत्रक**—(एक तीर्थ) पृष्ठ० ६।१२९।१।
- रघुस्था**—(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण (६।१।१५७) में उल्लिखित है। महामाष्य, जिल्द ३, पृ० ९६ ने रघुस्था नदी का उल्लेख किया है। वन० (१७०।२०) ने रघुस्था को गंगा, यमुना एवं सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती के पहले वर्णित किया है। रघुस्था नदी बाहं० सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० १७०।२०।
- रत्नेश्वर लिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १६५।
- रत्नुक**—(कुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं ३३।२।
- रत्नुकाधम**—(सरस्वती पर) वाम० ४२।५।
- रत्नालिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (शी० क०, पृ० १९५)।
- रत्नेश्वरलिङ्ग**—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४६।३९।
- रविस्तथ**—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९।
- रत्ता**—(एक नदी) श्रु० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका पता चलना कठिन है। सम्भवत यह सिन्धु में मिलती है। श्रु० १०।१०।८।१ से प्रकट होता है कि यह अन्तकया सम्बन्धी नदी है। रामस महीदय ने इसे पञ्जकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द १५, पृष्ठ १६१)।
- राधेश्वर**—मत्स्य० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल प्राप्त होते हैं)।
- राजसङ्ग**—(साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३।१।१६ एवं १२४।
- राजगृह**—(१) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजधानी) वन० ८४।१०४, वायु० १०।८।७३ (पुष्प राजगृह वनम्), अग्नि० १०।९।२०, नारद० २।४७।७४, पद्म० १।३८।२२। देखिए एं० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ इसके चतुर्दिक् की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह

- गिरिद्वज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम से जरासभ की राजधानी थी। (२) (पञ्जाव में) पद्म० १।२।८।१३ (यह एक देवीस्थान है)।
- राजावाह**—(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित विष्णुतीर्थ) नीलमत० १३८४ एवं १४४७।
- राजेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।१५६।
- राधाकुण्ड**—(मयूर के अन्तर्गत) वराह० १६४।३४।
- रामगिर्याधम**—गण्ड० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ (रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व २८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राजधानी से दो मील दूर है)।
- रामगृह**—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१०।
- रामजन्म**—(सरक के पूर्व में) पृष्ठ० १।२६।७६।
- रामतीर्थ**—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।१६-१८, मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१३, (२) (शूर्पारक में) वन० ८५।४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भागव राम ने वाजपेय एवं अश्वमेध यज्ञों में कश्यप को पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए उपवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७०), (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० २।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४।७३-७४, पद्म० १।३२।३७, (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० १२३।१, (६) (महेन्द्र पर) पद्म० १।३९।१४।
- रामलिङ्ग**—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ११३)।
- रामसर**—(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१४-१८ (एक कोस के विस्तार में)।
- रामगृह**—(धानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० ८३।२६-४०, अनु० २५।५७, भाग० १०।८४।५३, पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३-८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भागव राम ने अपने रक्तरजित हाथों की धोकर कठिन तपस्या

- को भी) भाग० १०।८।५।५३। इसे चक्रीयं भी कहा जाता है।
- रामायिवास—(यहाँ वा श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक होता है) मत्स्य० २२।५३।
- रामेश्वर—(१) (ज्योतिर्लिङ्गों में एक जिसे स्वयं राम ने स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूर्म० २।३०। २३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप धुल जाता है), गण्ड० १।८।१।९। देखिए तीर्थंसार, पृष्ठ ४७, जिमने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० में वचन उद्धृत किये हैं। यह पामवन द्वीप में स्थित है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में है। देखिए इंगी० गजे० इण्डि०, जित्द २१, पृ० १७३-१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का मक्षिप्त वर्णन है, (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ (स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था)।
- रावणेश्वरतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ९८)।
- रविमणीकुण्ड वा रविमकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।५७, अग्नि० ११६।५।
- रविकेश्वररु—लिङ्ग० १।९२।१६७।
- रुद्रकन्या—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०।७६।
- रुद्ररु—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११।
- रुद्रकर्ण—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१।२५।
- रुद्रकर्णहर—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१५।
- रुद्रकोटि—(१) (कुशक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।१।११-१२४, वाम० ४६।५१, पद्य० १।२५। २५-३०, कूर्म० २।३६।१-८ (जहाँ हर ने मुनियों की पत्राय के लिए एक करोड़ रुद्रावतियां धारण की); (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१।२५; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१३।१२, वन० १७।१०३, मत्स्य० १८६।१६-१७।
- रुद्रगया—(कोन्हापुर के पास) पद्य० ६।१७६।४१।
- रुद्रपर्व—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६४-६७,

- अग्नि० ११५।४८; (२) (कुशक्षेत्र के अन्तर्गत), पद्य० १।२६।९४।
- रुद्रप्रयाग—(गडवाल जिले में मन्दाकिनी एवं अलकनन्दा के संगम पर) इरपी० गजे० इण्डि०, जित्द २१, पृष्ठ ३३८।
- रुद्रमहालय—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती० कल्प०, पृ० २५०)।
- रुद्रमहालयतीर्थ—(माधमनी के अन्तर्गत) पद्य० ६। १३९।१।
- रुद्रवास—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ६२)।
- रुद्रावर्त—(मुगन्धा के पश्चात्) वन० ८४।३७।
- रुद्रलण्ड—(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। १०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है।
- रुद्रघारा—(इरावती पर विष्णु की आश्रित) वाम० ९०।५।
- रुद्रकाशीयं—वन० ८२।८२, पद्य० १।२४।३० एवं २७।४७। दे (पृ० १६८) का कथन है कि यह पत्राव में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन मिरपुर रियासत की राजधानी था।
- रुद्रकाष्टक—(सरस्वती पर) वाम० ४१।५।
- रुद्रकास्थान—(देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत ७।३८।५ (सम्भवतः खलगिरि जिले में परगुराव पर)।
- रुद्रोदक—(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीर्थ-कल्प०, पृ० २३०)।
- रुद्रतीर्थसंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१ एवं २२।
- रुद्रतेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ९६)।
- रुद्रा—(नर्मदा) देखिए इसके पूर्व वा अध्याय।
- रुद्रतक—(गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) आदि० २।८।८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१९ (वृष्यन्धको द्वारा उरसव बनाये जाते थे), समा-



पर्व १४।५०, बराह १४९।६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ (बसनापय मे सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का पश्चिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात् आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, अपेक्षाकृत समीप मे थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ २८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अत उन्होंने काठियावाड के पश्चिम कोण मे हालार मे बरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के जूनागड़ निलालेख (४५५-४५८ ई०) मे पलाशिनी नदी को बटक के सामने ऊर्जयत् से निर्गत कहा गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ ६४)।

रोपस्वती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

रोहीतक—(पर्वत) समापर्व ३२।४।

स

सधमगतीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, ब्रह्मवल्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन होता है)। यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग की दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है और कावेरी मे मिलती है, इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १६, पृष्ठ १३१।

सधमगावत—नारद० २।७५।७४।

सधमगेवधर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। ६४।

सधमीतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३।६७।१।

सपेटिका—(नदी) वन० ८५।१५।

सवना—(नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित पचावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती-माधव, अक ९, श्लोक २।

सवर्णकतीर्थ—(सरस्वती पर) पद्य० १।२६।४८।

सावित्रिका—(चम्पा के पास) पद्य० १।३८।७।

सलितक—(मन्तवु का तीर्थ) वन० ८४।३४, पद्य० १।२८।३४, नारद० २।६६।३७।

सलिता—(वाराणसी) नारद० २।४९।४१, लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२।११ मे उल्लेख किया है, किन्तु उल्लेख है यह बही गया पर था।

सांगसिनी—(नदी) समा० ९।२२, माकण्ड्य ५४।२९ (लागुलिनी जो महेंद्र म निकली है), वाम० ८३। १८ (ती० कल्प०, पृ० २३५)। गजाम जिले का बिकाकोल बमवा, लागुल्य के बायें तट पर इसके मुख से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १०, पृष्ठ २१७।

सांगली लिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

सांगसतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८। ५१।

सिङ्गसर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५१।

सिङ्गी जवादन—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४० ६१।

सोतोद्वार—वन० ८३।४५, पद्म० १।२६।४१।

सोकपाल—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४।१२८-३१।

सोकपालेवधर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० १०५)।

सोणारकुण्ड—(विष्णुगया मे) पद्म० ६।१७६।४१।

सोणार बरार के बुटवाना जिले मे नमक की झील है। यहाँ दन्तकथा के अनुसार उस सोणारसुर नामक राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आरने अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) मे इसका वर्णन किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु-गया कहते हैं। यह बरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध मन्दिरा मे गिना जाता है जिसे दैत्यसूदन बहते हैं। यह बंणव तीर्थ है। देखिए विण्टर कबिन्स की पुस्तक 'मिडिएवल टेम्पल्स ऑव दि इन्डियन' (१९३१, पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का वर्णन है और साथ ही साथ एक झील के बारे

और बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है।

**सोसाक**—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।६८ (बनारस के पाँच मुख्य तीर्थों में एक), कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ लोकार्क पाठ आया है), वाम० १।५।५८-५९।

**सोहकूट**—नारद० २।६०।२४।

**सोहअथवन**—(मयुरा के १२ वनों में ९वाँ) वराह० १।५३।४१।

**सोहबण्ड**—मत्स्य० २।२।६५, वाम० ९०।२९ (यहाँ विष्णु हृषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है)।

**सोहागल**—(हिमालय में एक विष्णुस्थान) वराह० १।४०।५ (यहाँ श्लेच्छ राजा रहते हैं), १।४४।१०, १।५१।१-८३। श्लोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट से तीस योजन श्लेच्छों के बीच सोहागल है। वराह० १।५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है और १।५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार २५ योजन है। देखिए तीर्थकल्प०, पृष्ठ २२८-२२९। दे (पृष्ठ ११५) में कल्पना की है कि यह कुम्भार्क का सोहापाट है।

**सोहित**—(घोण) अनु० १।६६।२३, ब्रह्माण्ड० (२।१६-२७) में सोहित को सम्भवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है।

**सोहित-गंगक**—(सौहित्य) कालिका० ८६।३२-३४।

**सौकिक**—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३।

**सौहित्य**—(ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु० ४७।११, ७७।९५, मत्स्य० १२।१।१-१२ (यह वह नद है जो हेमश्रृंग पर्वत के चरण स्थित सोहित झील से निकला है) अनु० २।५।४६, पद्म० १।३९।२, वन० ५।२।५४, कालिका० ८६।२६-३४। रघुवच (४।८१) से प्रकट होता है कि सौहित्य प्राग्ज्योतिष की पश्चिमी सीमा पर थी। देखिए तीर्थप्रकाश, पृष्ठ ६०।१-६०२, जहाँ माहात्म्य वर्णित है। सौहित्य नाम यद्योषर्मान के चिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता है, देखिए गुर्घों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६)।

ब

**शंशगुल्म**—(नर्मदा एवं घोण के उद्गम पर) वन० ८५।९।

**शंशवरा**—(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, भाकण्डेय० ५४।२९ (वराकरा नाम आया है) एवं वराह० ८५ (५४) में 'शंशवरा' पड़ा है। पार्जितर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक शंशवरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर कलिंग-पत्तनम् अवस्थित है। देखिए सत-बोम्मली नामक इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिंगनगर में लिखा गया था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १९४)।

**शंशमूलक**—पथ० १।२६।३८।

**शंशोबुभेद**—मत्स्य० २।४।२५।

**शंसु**—(आधुनिक आबसस) समा० ५।१२० (यहाँ भेंट के रूप में रासभ लाये गये थे)।

**शञ्जरा**—(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १।५१।४५। यह सम्भवतः आधुनिक शञ्जरा नदी है जो नागदेड जिले में गोदावरी में मिलती है।

**शञ्जरासंगम**—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।५१।१।

**शञ्जुसा**—(१) (नदी, जो सद्य से निकलकर गोदावरी में मिलती है) मत्स्य० १।४।२९, वायु० ४५।१०३, वामन० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म० २७।३७।

**शट**—(१) (प्रयाग में) मत्स्य० १०।४।१०, ११।१।१०; (२) (गया में) वि० घ० सू० ८५।५।

**शठेश्वर**—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० ११।१।२७, कूर्म० २। ४।१।१९, पथ० १।२८।२७, अग्नि० १०।९।२०; (२) (गया में) अग्नि० १।१।७३, पथ० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) (प्रयाग में) मत्स्य० २।२।९; (४) (पुरी में) नारद० १।१।५६।२८।

**शठषा**—(इसे सप्तषण भी कहा जाता है) वन० ८।२।८९२-९९, २२।२।२४, वि० घ० सू० ८५।३७। 'शंजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत का तीर्थ है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा

है। दे (पृ० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के पश्चिमी छट पर 'बाकू' माना है।

बत्सकीबनक—(मपुरा के अन्तर्गत) बराह० १५६।१।

बखभव—(कोकामुल के अन्तर्गत) बराह० १४०।६१ (जल कीचिकी में जाता है)।

बखेदवर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० १०४)।

बभूसरा—(नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) वन० ९९।६८।

बन्वना—(नदी) भीष्म० ९।१८।

बरणा—(बाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) मत्स्य० २२।३१, १८।६२ देखिए शत अम्षाय १३—काशी, लिग० (१।९२।८७), जहाँ 'बरणा' शब्द आया है।

बरणावती—(नदी) अथर्ववेद ४।७।७।

बरदा—(विद्यम प्रदेश की वर्षा नदी) रामा० ४।४।१९, अग्नि० १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए 'बरदा-सगम' के अन्तर्गत।

बरदासि—वन० ८२।६३-६४, पद्य० १।२४।१२ (दोनों में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की माया का उल्लेख है)।

बरदासगम—वन० ८५।३५, पद्य० १।३९।३२।

बराहतीर्थ—(१) (कुवसेन के अन्तर्गत) वाम० ३४।३२, पद्य० १।२६।१५; (२) (बारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मपुरा के अन्तर्गत) बराह० १६६।२३ (बराह की चार सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमाएँ यहाँ थी—नारायण, वामन, रामव एव बराह); (४) कश्मीर के वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सह्या-मलक का एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।३४; (६) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६५। १०; (७) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४, कूर्म० २।४२। १४, पद्य० १।२०।७१; (८) (पयोष्णी पर) वन० ८८।७ एव ९ (यहाँ पर राजा नृग ने

यज्ञ किया था और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ था)। कूर्म० २।२०।३२, वाम० ९०।४; (९) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ७९।६।

बराहपर्वत—(सम्भवतः कश्मीर का बारामुला) विष्णुधर्मसूत्र ८५।६।

बराहमूलशैव या बराहेश्वर—(कश्मीर में आधुनिक बारामुला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता के दाहिने छट पर स्थित है और आदिबराह का तीर्थ-स्थल है। राज० ६।१८६, ह० चि० १२।४३, कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एव स्टीन-स्मृति (पृ० २०।१२०२)।

बराहस्थान—(विष्णु के बराहावतार के लिए तीन स्थल प्रसिद्ध हैं, यथा—कोकामुल, बदरी एव लोहारगल) बराह० १४०।४-५।

बराहेश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ९८)।

बरणश्रोतस—(पर्वत) वन० ८८।१०।

बरणा—(गोदावरी की एक सहायक नदी)। पद्य० ६।७६।५९।

बर्णासा—(अनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० २।१६।२८। देखिए 'पर्णासा'।

बर्णु—(नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका में व्याख्या है कि 'बर्णु' पर स्थित देश भी 'बर्णु' है। 'बर्णु' सुवास्त्वादि-गण में आया है (पाणिनि ४।२।७७)।

बखशेश—(१) (बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-क०, पृ० ६६); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६।

बसिष्ठतीर्थ—मत्स्य० २२।६८ (यहाँ छाद एव दान अत्यन्त फलदायक होता है)।

बसिष्ठोत्थम—(१) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिस्ट १, पृ० २०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्जुन पर्वत पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपापन पर)

वन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में कान्येयो ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापनों को खा डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है।

वसिष्ठेश-—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४७)।

वसिष्ठापवाह-—(सरस्वती पर) मत्स्य० ४२।४१।

वर्षनमुम-—(बस्मीर में, विनायक गाणेश का एक आयन) नीलमत० ११६।

वसोर्षारा-—वन० ८२।७६, पद्य० १।२४।२४ (इसमें 'वसुवारा' पढ़ा है)

वसुत्रायपक्षेत्र-—(वाठियावाड में गिरनार के आस-पास की भूमि) स्कन्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रभाग का सार-सत्त्व है, इसे दैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२-१।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ सुवर्णरेखा नदी है।

वसुतुंग-—(यहाँ विष्णु की गुण उपाधि 'जगत्पति' है) नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५१)।

वागीश्वरी-—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।२६।

वागमती-—(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की वाग्मती नदी) बराह० (२१५।४९) का कथन है कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है।

वागमती-मणिवती-संगम-—बराह० २१५।१०६ एवं ११०।

वाटिका-—(बस्मीर में) नीलमत० १५५९।

वाटोवका-—(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४।२८।३५।

वाटनदी-—मत्स्य० २२।३७ (यहाँ के श्यद में अक्षय फल मिलता है)।

वाजी-संगम-—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।१ एवं २३।

वातेश्वर-—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६६)।

वातेश्वरपुर-—पद्य० १।३८।४६।

वातिक-—(बस्मीर में) नीलमत० १५५९।

वातोवका-—(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४।२८।३५।

वामन या वामनक-—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्य०

१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६, (३) (साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ बहती हैं)। देखिए इण्डियन ऐंष्टीक्वेरी, जिल्द ५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वसती महाभारत का वामन-तीर्थ है।

वामनेश्वर-—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२६।

वालखिल्येश्वर-—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६६)।

वायव्यतीर्थ-—(कुच्चास्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।७५।

वायुतीर्थ-—(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।५, पद्य० १।३७।५; (२) (मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५२।६५, (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।५।

वालेश्वर-—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५१)।

वाल्मीकेश्वर-—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६६)।

वाल्मीकि-आश्रम-—(गया पर) रामा० ७।४७।१५, ७७। देखिए 'स्यागुनीर्थ' एवं 'तमसा' के अन्तर्गत।

वानरक-—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६। यह 'वानरक' का अमुद्ध रूप हो सकता है।

वारणेश्वर-—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२९।

वाराणसी-—देखिए पिछला अध्याय १३। यद्यपि वाराणसी एक वासी दोनो समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वासी गया के पूर्व भाग में एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है।

वारिधार-—(पर्वत) भागवत० ५।१९।१६।

वावणतीर्थ-—वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश में) बाहं० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर)।

वारणेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६।

वारंमनी—(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में गिरती है) पद्म० ६।१३।५६, ६८, ६।१६।४। एव ७१, मार्क० ५७।१९, वायु० (४५।९७) ने इसे 'वृषष्नी' पडा है और ब्रह्म० (२७।२८) ने 'वातष्नी'।

वासुक्—(उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

वासुकीर्त्य—(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। ३९।७९ लिंग० (ती० क०, पृ० ४८), (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी कहा जाता है)।

वासुकीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४८)।

वासुप्रद—मत्स्य० २२।७० (यहाँ के श्राद्ध से परम पद मिलता है)।

वासिष्ठी—वन० ८४।४८, पद्म० १।३२।१२ (दोनों में एक ही श्लोक, किन्तु पद्म० में 'वासिष्ठम्' पाठ आया है)।

वाह्य—वामन० ५७।७८।

वाहिनी—भीष्म० ९।३४।

वासिष्ठ-कुण्ड—(लौहागल के अन्तर्गत) वराह० १५। ४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड है। देखिए इन्दी० मजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २७४।

विकीर्ण तीर्थ—(सा भ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३।७।

विजय—(एक लिङ्ग) मत्स्य० २२।७३, कूर्म० २।३५।२१।

विजयेश्वर—(कश्मीर के परगने वुलर में आपुनिक विजबोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ महासोत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और विजयवती दक्षिण की ओर।

विजयलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११२)।

विजयेश—(कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० १।३८, स्टीनस्मृति पृ० १७३—कश्मीर के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थों में एक। यह चक्रेश्वर के ऊपर दो मील से कम ही दूर है।

विजयेश्वर—(१) (कश्मीर में) राज० १।१०५ एव ११३, (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७६)।

विजयेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४३)।

विटडू—(नर्मदा के साथ संगम) पद्म० २।९२-२३।

वितस्ता—(हिमालय में निकलने वाली दस महान् नदियां में एक) मिलिन्द प्रश्न में उल्लिखित (एम० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१)। दे (पृ० ४२) ने बिना किसी तर्क के इसे वितस्ता कह दिया है।

वितस्ता—(कश्मीर में एक नदी जो अब शोलम के नाम से प्रसिद्ध है) ऋ० १०।७५।५ देखिए 'कश्मीर' एवं 'तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन० ८२।८८-९० (वितस्ता तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूर्म० २।४४।४, वामन० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उभय वितस्ताहो गयी), ३०६-३४१। शंकर ने अपने त्रिशूल से एक वितस्ति अर्थात् बारह अंगुल का छेद कर दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता नाम पडा। राज० (५।९७-१००) में आया है कि स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एव महान् अभिपन्ता (इजोनिमर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में वितस्ता का बहाव एव सिन्धु से इसके मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६) एव जे० सी० बटर्जी की टिप्पणी 'कान्फुएन्स आव दि वितस्ता ऐण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन का मत खण्डित किया गया है।

वितस्ता-गम्भीरा-संगम—स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एव  
११०।

वितस्ता-अधुमती संगम—नीलमत० १४४२।

वितस्ता-सिन्धु-संगम—(मतभेद के रूप से अत्यंत पुनीत)  
राज० ४।३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत०  
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर  
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग  
का संगम।

वितस्तात्र—(कश्मीर में बेरीनाग धारा के उत्तर-पश्चिम  
में एक मील दूर विष्वतुर नामक धारा) राज०  
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अचोक ने  
यहाँ बहुत-से स्तूप बनवाये थे। जनश्रुति है कि  
इस धारा से वितस्ता की मुख्य धारा निकली है।  
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १८२।

विदर्भासंगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१  
एव २२, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ  
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक  
नाम है।

विदिशा—(१) (पारिषान से निकली हुई नदी) ब्रह्म०  
२७।२९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, मार्क० ५४।२०।  
देखिए 'वैत्रवती' आगे, (२) रघुवंश (१५।३६) में  
वर्णित एक नगर (राम में शत्रुघ्न के पुत्रों, शत्रुघ्न ही  
एवं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशा की नगरियाँ  
दीं), मेघदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दक्षार्ण  
देश की राजधानी थी। शालविश्वामित्र (५।१)  
में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द  
का उपमोग कर रहा था और आगे चलकर कहा  
गया है कि वैदिशस्य (वैदिश का शर्प है विदिशा  
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र  
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटप्पूरि  
बुद्धराज द्वारा दिये गये बहनेर के दानपत्र (वैदिश-  
वासकाद् विजय-स्वन्धावाराद्, एपि० इण्डि०,  
जिल्द १९, पृ० ३०)।

विद्याधर—(गण्डकी एवं घालग्राम के अन्तर्गत) वराह१  
१४५। ९२।

विद्यातीर्थ—(इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४।५२,  
पद्म० १।३२।१६।

विद्याधरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।  
११, पद्म० १।३०।१४।

विद्वर—(पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)। क्या  
यह विद्वर है?

विद्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,  
पृ० ४९)।

विधीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०,  
पृ० ११६)।

विनयान—(जहाँ अम्बाला एव सरहिन्द की विद्याल  
मरूमि में सरस्वती अन्तर्हित हो जाती है) यह  
नाम ब्राह्मण युग में विख्यात था, वन० ८२।१११,  
१३०।३-४, शाल्य० ३७।१ (सूत्राभिरानु प्रतिवेद्याद्  
यत्र नष्टा सरस्वती), कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड०  
३।१३।६९। मनु० (२।२१) में इसे मध्य देश की  
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पृ० २५०)  
में इसे सारस्वत तीर्थों में परिगणित किया है। महा-  
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर  
एव जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर)  
में इसे 'आदर्श' कहा है और आर्यावर्त की पूर्वी सीमा  
माना है। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) में आदर्श  
को एक जनपद कहा है। विनयान की वास्तविक पह-  
चान अज्ञात है, जैसा कि ओल्डम ने कहा है, किन्तु  
ओल्डम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत  
दूर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३,  
पृ० ५२)।

विनायक-कुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
कल्प०, पृ० ५३)।

विनायकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।  
१२६।

विन्ध्य—(भारतवर्ष की सात महा पर्वत श्रेणियों में  
एक) वन० ३।३।२, मीमं० ९।११, वायु० ७७।१४,  
मत्स्य० १।३।९, भाग० ५।१९।१६। यह टलिकी  
(पृ० ७७) का जोशब्दयत है।

विन्म्यवासिनी—(देवीस्थान) मत्स्य० १३।३९, देवी-  
भाग० ८।३८।८।

विप्रतीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६७।१ एव  
३३ (नारायण भी कहा गया है)।

विपाशा—(पञ्जाब में विपाद् या व्यास नदी, यूनानी  
सेतको की हैफिसस या हिफिसस) ऋ० ३।२३।११३,  
४।३०।११। निरुक्त ९।२६) मेऋ० १०।७५।५ की  
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिक रूप में  
उदञ्चिता कहलाती थी, फिर आर्जाकीया कहलानी  
और जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बाँधकर इसमें  
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के  
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि  
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ  
इसका उल्लेख किया है, आदि० (१७७।५) ने  
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर  
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा  
शब्द आया है)। जनु० (३।१२-१३) ने भी इस  
कथानक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण  
२।६८।१९, वायु० ७९।६, नारदीय० २।६०।३०।

विमल—(कश्मीर में मातंग्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध  
धारा) देखिए मातंग्ड, ऊपर।

विमल—वन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के  
रगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पद्म० १।२४।  
३५ (दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमला—(एक नगरी) पद्म० ४।१७।६७ (अवन्ती  
एव काशी के समान यह बहुत-सी हत्याओं के पापों  
को नष्ट करती है)।

विमलाशोक—वन० ६४।६९-७०, पद्म० १।२२।२३  
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमलेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०,  
पृ० ५६)।

विमलेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०।  
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूर्म० २।४।१५ एव  
२।४२।२६, पद्म० १।१७।११, (२) (सरस्वती  
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पद्म० ६।१३।१५०।

विमोचन—वन० ८३।१६१, पद्म० १।२७।४९।

विमोचेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ११५)।

विरज—(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुर्दिक् की  
भूमि) वन० ८५।६, (२) तीर्थेन्द्र शेखर (पृष्ठ  
६) के अनुसार यह लोणार देस एव शील है जो बरार  
में बुलडाना जिले में है, (३) (गोदा० एव भीमा  
के पास सह्य पर्वत पर) ब्रह्म० १६१।३।

विरजमण्डल—(ओड्ड देस की उत्तरी सीमा) ब्रह्म०  
२८।१-२।

विरजतीर्थ—(उड़ीसा में वैतरणी नदी पर) वन०  
८५।६, पद्म० १।२९।६, १।४५।२८-२९ (यह  
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा  
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९  
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५।  
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के  
लिए जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है।

विरजा—(उड़ीसा में नदी) कूर्म० २।३५।२५-२६,  
वाम० (ती० क०, पृ० २३५)।

विरजाद्रि—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०६।८५ (इसी  
पर गयापुर की नाभि स्थिर थी)।

विरुपाक्ष—(१) (हम्पी) पद्म० ५।१७।१०३, स्वन्द०  
ब्रह्मण्ड ६२।१०२, (२) (वारा० के अन्तर्गत)  
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२)।

विशल्या—(१) (नदी) वन० ८४।१४, (२) (नर्मदा  
के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।४३ एव ४६-४८ (विशल्य-  
कर्णी भी कही जाती है), कूर्म० २।४०।२७, पद्म०  
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

विशालपूप—(कुश्मिन् के पास) वन० ९०।१५,  
१७७।१६, वाम० ८।१९, नृसिंह० ६५।१४ (विष्णु  
का युद्ध नाम यहाँ विप्लव है)।

विशाला—(१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०, देखिए  
अवन्ती एव उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिधानचिन्ता-  
मणि में आया है—'उज्जयिनी स्याद् विशालावन्ती  
पुण्यकरण्डिनी', (२) (बदरी के पास आथम)

वन० १९१२५, १३९१११, अनु० २५४४, भाग०  
५४५५, ११२९४७, (३) (गया के अन्तर्गत)  
वाम० ८११२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५५४, पद्य०  
११३८१३२।

विशाखास्य वन—मार्क० १०६१५७ (वामरूप के एक  
पर्वत पर)।

विशाखासी—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृष्ठ ११५)।

विशोदर—(ब्रह्मदेश में एक नदी) आपुनिक देशन,  
नीलमत० ३०७ ३७३, १४९३, ह० वि० १२१३५।  
नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि वश्यप की  
प्रायश्चा पर लक्ष्मी विरोधा वन गयी, नीलमत०  
(३८१) का कथन है कि यह विजापूर के नीचे  
वितस्ता वन गयी है, वही (१४९१-१४९३) पुनः  
बहुता है कि क्रमसार नामक क्षील से निकली  
कोण्डिनी नदी का सगम विरोधा से हुआ है।

विष्णान्तितीर्थ—(१) (मथुरा का पवित्र स्थल, घाट)  
बराह० १६३१६२, १६७११, पद्य० ६१२०९५  
यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था,  
(२) (मथुरा में एक अन्य स्थान जहाँ विष्णु ने बराह  
का रूप धारण किया था)। पद्य० ६१२०९१-३ एव ५।

विश्वकाय—पद्य० ६१२२९८।

विश्वेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० ११२१११।

बिहार तीर्थ—(मदन का)। (सरस्वती के अन्तर्गत)  
वाम० ४२११०।

विश्वभद्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृष्ठ ५५)।

विश्वपद—(एक पितृनीय) मत्स्य० २२१३५।

विश्वमुख—(जालन्धर पर तीर्थ) देखिए 'जालन्धर' के  
अन्तर्गत एवं पद्य० ६१२२९१२६।

विश्वरूपक—पद्य० ६१२२९१४ (सम्भवतः मायापुरी में)।

विश्वरूप—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० ११३७१२।

विश्ववती—(यह विद्योता ही है) ह० वि० १०११९२  
(यह विश्वेश्वर की दक्षिणी सीमा है)।

विश्वानदी—भाग० ५११११८।

विश्वामित्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०  
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

विश्वामित्रतीर्थ—(१) वन० ८३१३९, (२) (गोदा-  
वरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९३१४ एव २७ (जहाँ राम  
ने विश्वामित्र का सम्मान किया), पद्य० ११२७१२८।

विश्वामित्रा नदी—वन० ८९१९, भीष्म० ११२६।

विश्वामित्र महानद—(पंजाब में) नीलमत० १५१।

विश्वामित्राधम—रामा० ११२६१३४।

विश्वेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
कल्प०, पृष्ठ ८७)।

विश्वेश्वर—(१) (वाराणसी के पाँच लिंगों में एक)  
कूर्म० ११३२१२ एव २४१५९, पद्य० ११३४१०,  
नारद० २१५१४, (२) (गिरिकर्ण में) पद्य०  
६१२२९१०।

विष्वक्पथ—(पहाड़ी) वन० ९५१३ (सम्भवतः गोमती  
के पास)।

विष्णुगया—पद्य० ६१२७६४१ (जहाँ लोणारकुण्ड है)।

विष्णुकावी—पद्य० ६१२०४३०।

विष्णुचक्रमण—(द्वारका) बराह० १४९१८० (ती०  
कल्प०, पृष्ठ २२७)।

विष्णुतीर्थ—(१) (कोकामुस के अन्तर्गत) बराह०  
१४०७१-७४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०  
१९१। ९९, कूर्म० २४१५२ (यह योवीपुर  
विष्णुस्थानम् है), पद्य० १११८१४ (योपनीपुर),  
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३६१ एव  
४१ (मोद्गल्य नाम भी है)।

विष्णुवारा—(कोकामुस के अन्तर्गत) बराह० १४०।  
१७।

विष्णुनीय—(बहुवचन, कुल १०८) पद्य० ६१२२९१-  
३६।

विष्णुपद—(१) (कुदक्ष के अन्तर्गत) वन० ८३११०३,  
१३०८, नीलमत० १२३१८; (२) (निषध पर्वत  
पर एक क्षील) ब्रह्माण्ड० २१८१५७, वायु०  
४७६४, (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० ३०  
बनवीं का ग्रन्थ पात्स आव बगाल (मेमायस आव ए०



एस० बी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण पाल से सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिरके पास है), (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४२।

विष्णुपदी—(गया का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग० ५।१७।१। अमरकोश ने यह गया का पर्याय माना है।

विष्णुसर—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।२४, (२) (शोनिष्कमण के अन्तर्गत) बराह० १४७।४३।

वीरपत्नी—(नदी) श्रु० १।१०४।४।

वीरप्रमोक्ष—वन० ८४।५१, पत्र० १।३२।१४ (सम्भवत भूर्गुल्ल के पास)।

वीरभद्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।

वीरस्वयं—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१४ एव १६०।२०।

वीराश्रम—वन० ८४।१४५ (जहाँ काठिकेय रहते हैं)।

वृन्धनी—(पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, धार्क० ५४।१९। दे (पृष्ठ ४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक नदी है।

वृन्देश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ कल्प०, पृष्ठ ९६)।

वृन्धकन्यातीर्थ—(मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वततीर्थों में एक)।

वृन्धपुर—(जहाँ शर्लेश्वर की एक मूर्ति है) पत्र० ६।३४।५३-५४।

वृन्धसगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०७।१।

वृन्धिविनायक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

वृन्धवन—(मथुरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० १।३।८ (यहाँ की देवी राधा है), बराह० १५३।४५, १५६।६ (यहाँ पर केन्ही दासस मारा गया था), भाग०

१०।१।२८ एव ३६, १०।२०, १०।२।५ एव १०, पत्र० ४।६९।१, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), ४।८।१।६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ (जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), ब्रह्मवैवर्त (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४ २२) में बताया गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है। ऐ० जि० ने एरियन के बिलसोबोरस की पहचान इससे की है।

वृन्धवन—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३, लिंग० १।९२।१०६, तारद० २।५०।४८।

वृन्धेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ४३)।

वृन्धज्जक—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।३३।

वृन्धारण—(गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८।

वेगवती—(आधुनिक बंग या बंग, जिसके तट पर दक्षिण में मधुरा स्थित है) बराह० २१५।५८, वाम० ८४।६, पत्र० ६।२३।७। देखिए एच० इण्डि०, जिल्द १३, पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित अम्बिकापुर के दान का वणन है जो रामकोटि पीठ के शंकराचार्य को दिया गया था। इसका 'बैगाई' रूप शिलप्पदि कारम् (श्री० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ २७०) में मिलता है।

वेङ्कट—(द्रविड देश में तिरुपति के पास आर्काट जिले का एक पर्वत) गवड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 'वेङ्कटगिरिमाहात्म्य' है, भाग० ५।१९।१६, १०।७५।१३ (द्रविड में)। रामा० ६।२८।१८, स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वैष्णवखण्ड (वेङ्कटाचल माहात्म्य)। यह तीर्थ इतना पवित्र माना जाता है कि १८७० ई० तक त्रिभुवन पहाड़ी पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की अनुमति नहीं थी।

वेणु—(१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वैतनगा है, जो गोदावरी में मिलती है, (२) (महा-

वलेश्वर के पास सहा पर्वत से निकली हुई नदी) ह्यपी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द १३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत से वेनगंगा वर्षा में मिलती है और वैनगंगा एव वर्षा की सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, भीष्म० ९।२०।२८, वन० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, अनु० १६।५२०, भाग० १०।७९।१२। वेणा अधिकतर वृष्णवेणा या वेष्णः या वेणी के नाम से उल्लिखित है, जैसा कि मत्स्य० (११४।२९) में। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमासा (पृष्ठ ९४) में वेणा एव कृष्णा-वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं पाताब्दी)। देखिए पार्जितर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है।

वेणासंगम—वन० ८५।३४, पद्य० १।३९।३२।

वेणी—(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णदेव का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृष्ठ २९७ एव ३१०), जयचन्द्र का कमीनी का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३, लेख की तिथि ११७३ ई०), (२) (सहा पर्वत में एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एव वृष्णा में मिलने वाली एक नदी) तीर्थसार, पृष्ठ ७८।

वेष्णा—(सहा पर्वत से निकली हुई एव वृष्णा में मिलनेवाली एक नदी) वाम० १।३।३०, अनु० १६।५।२२ (गोदावरी व वेष्णा व वृष्णवेणा तथापि च), भाग० ५।१९।१८, पद्य० ६।११३।२५ (महादेव वेष्णा ही गये)।

वेणुवती—यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। मत्स्य० २२।२०।

वेतसिका—(नदी) वन० ८५।५६, पद्य० १।३२।२०, ४।२९।२० (इसमें वेतसी-वेत्रवती-संगम कहा है)।

वेतवती—(१) (आधुनिक वेतवा नदी जो भूपाल की तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) मत्स्य० २२।२०, ११४।२३ (पारियात्र से निर्गत),

ब्रह्माण्ड० २।१६।२८ (श्रुतवान् से निकलती है), कर्म० २।२०।३५; मेघदूत (१।२४) का कथन है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशार्ण की राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) (साभ्रमती की सहायक नदी) पद्य० ६।१३० एव १३।४-५। मिलिन्द-प्रश्न (एस० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस नदियों का नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह उपर्युक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी।

वेदगिरि—(ब्रह्मगिरि के दक्षिण सहा श्रेणी की पहाड़ी एव वृष्ण-वेष्णा के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थसार पृष्ठ ७८।

वेदघार—(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१२०।

वेदशिरा—(श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० २२।७।१।

वेदवती—(पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य० ११।४।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, ब्रह्म० २।७।२९, अनु० १६।५।२६। इस और निम्नोक्त नदियों की पहचान नहीं हो सकी है। वेदवती या हुगरी नामक नदी मंसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती है। देखिए ह्यपी० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० ५।

वेदवृत्ति—(कोसल के पश्चात् दक्षिण में एक नदी) रामा० २।४।१।०।

वेदवृत्ति—(पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु० १६।५।२५, मत्स्य० ११।४।२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड० २।१६।२७। वे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह मालवा में बिसुली नदी है और सिंध की सहायक है, बाहं० सू० (१६।३२) ने इसका उल्लेख किया है।

वेदीतीर्थ—(द्वीक १ में वेदीतीर्थ) पद्य० १।२६।९२।

वेदेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४४)।

वेङ्गुष्ठ-कारण—(मन्दार के अन्तर्गत) वराह० १४।३।२१-२३।

वेङ्गुष्ठ-तीर्थ—(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य०

३२।७५, नारदीय० २।४।७।७५, (२) (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१-४ एव १०।१२।  
**बंजयप्त**—(एक सारस्वत-तीर्थ) देवल (तीर्थ-  
 कल्प०, पृ० २५०)।

**बंतरणी**—(१) (उड़ीसा में बहनेवाली एव विन्ध्य से निर्गत नदी) वन० ८५।६, ११४।४, वायु० ७।७।९५, कूर्म० २।३।७।३७, पद्म० १।३।९।६, अग्नि० ११६।७, भरतृप० ११४।२७, ब्रह्म० २।७।३३। आजपुर (यथा-  
 तपुर) इस नदी पर है जो बालाघोर एव बटक की सीमा है (इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २२३)।  
 कहीं-कहीं उत्कल एव कालिग को पृथक्-पृथक् माना गया है (ब्रह्म० ४।७।७ एव ख्युवश ४।३८)।  
 'उत्कल' को 'उत्कालिग' (जो कालिग के बाहर हो) से निकला हुआ माना गया है, (२) (गया में) (वायु० १०५।४५, १०९।१७, अग्नि० ११६।७; (३) (फालक्रीवण में) वामन० ३६।४३-४४, पद्म० १।२६।७९, (४) (वाराणसी में एक कूप) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६३)।

**बंदर्भा**—मत्स्य० २२।६४, नलचम्पू ६।६६ (दक्षिण-  
 सरस्वती)। सम्भवत यह वरदा नदी है।

**बैदूर्य**—(आमर्त में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।-  
 १६ एव १९ (जहाँ पाण्डव लक्ष्मण पयोज्नी को पार कर आये थे)। पाणिनि (६।३।८४) ने 'बैदूर्य' नामक माषि (रत्न) का 'विदूर' से निकलना माना है (तस्मात् प्रभवति)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३१३) ने एक दलीक उद्धृत किया है, जिसमें आया है कि ब्याकरुण लोगो ने 'बालवाय' नामक पर्वत को 'विदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुडा श्रेणी, है जिसमें वैदूर्य की खान थी। देखिए पाजिटर पृ० २८७ एव ३६५। हो सकता है कि यह टालिनी का 'ओरोदिपन' पर्वत हो।

**बैलनाथ**—(१) मत्स्य० १३।४१, २२।२४, पद्म० ५।१७।२०५, (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ८४ एव ११४), (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६०।१;

(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी-  
 भाग० ७।३८।१४, (५) (बैलनाथ का मन्दिर, जो सवाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति-  
 लिङ्गा में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ बैलनाथ के विशाल मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ निच-  
 मन्दिरों में सबसे प्राचीन है।

**बैनायकतीर्थ**—मत्स्य० २२।३२, गण्ड० १।८।१८।

**बैमानिक**—अनु० २५।२३।

**बैरा**—(नदी) मत्स्य० २२।६४।

**बैरोघनेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।

**बैवस्वततीर्थ**—(मूकर के अन्तर्गत) वराह० १३।७।-  
 २४० (जहाँ मूय ने एक पुत्र के लिए तप किया), अनु० २५।३९।

**बैवस्वतेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 कल्प०, पृ० १०४)।

**बैशाल**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-  
 १५६ (जिसे विशाल अर्थात् स्कन्द ने स्थापित किया)।

**बैधवगेश्वर**—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-  
 १४८।

**बैश्वानरकुण्ड**—(लोहारगल के अन्तर्गत) वराह०  
 १५।१।५८।

**बैहमिती**—(नदी) वन० १९।१८।

**बैहार**—(गिरिवरज को घेरनेवाली एव रक्षा करनेवाली  
 पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २।१।२।

**ब्यामेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४,  
 पद्म० १।३।७।१७, लिंग० १।९२।१०९, नारद०  
 २।५०।५६।

**ब्यासकुण्ड**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०  
 कल्प०, पृष्ठ ८६)।

**ब्यासतीर्थ**—(१) (कुक्षेत्र में) कूर्म० २।३।७।२९,  
 ब्रह्मण्ड० ३।१३।६९, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत)  
 वायु० ७।७।६७, पद्म० १।१।८।३७; (गोदा० के  
 अन्तर्गत) ब्रह्म० १।५।८।१।

- ध्यासवन—(मिथक के पास) पप० १२६।८७।  
 ध्यासासर—वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।  
 ध्यासस्वली—(जहाँ पर पुत्र के सो जाने से व्यास ने मरने का प्रण किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४, पप० १।२६।९०-९१।  
 ध्योमगङ्गा—(गंगा के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७।  
 ध्योमतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) पप० १।३७।१४।  
 ध्योमलिङ्ग—(क्षीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।५२।-१६१।  
 धज—(नन्दगोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए 'गोकुल' ऊपर।

घ

- घांङ्कुरां—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२७, कूर्म० १।३१।४८, पप० १।२४।१८।  
 घाङ्कुरेश्वर—(वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक लिग) कूर्म० १।३३।४८, लिग० १।९२।१३५, नारद० २।४८।१९-२०।  
 घाकृतीर्थ—(१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० २२।७३, कूर्म० १।४१।११-१२, पप० १।२४।-२९, (२) (कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।-८१।  
 घाकृष्य—(कोकामुस से तीन कोस दूर) बराह० १४०।६५।  
 घाकसर—(सानन्दूर के अन्तर्गत) बराह० १५०।३३।  
 घाकावर्त—वन० ८।४।२९, पप० १।२८।२९।  
 घाकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पू० ७४)।  
 घांक्षतीर्थ—(१) (सरस्वती पर) घल्य० ३५।८७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।१७ (घांक्षतीर्थ), (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६०।२३।  
 घांक्षग्राम—(घांक्षग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४८।  
 घांक्षलिङ्गेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पू० ९३)।  
 घांक्षहृष—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५६।१।  
 घांक्षिनीतीर्थ—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८।३।५१।  
 घांक्षोद्धार—(कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० १।१।३०।६ (कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में भयकर लक्षण दृष्टिगोचर हो तो स्थिरी, बच्चे एवं वृद्ध लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १।३।४८, २२।-६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है)। यह अति प्रसिद्ध स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए इन्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पू० १८।  
 घांक्षीश्वरलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पू० १०५)।  
 घांतकुम्भ—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८।४।-१०, पप० १।२८।११ (दोनों में एक ही श्लोक है)।  
 घांतदु—(सतलज) इसे 'घुतुदी' भी कहा जाता है। आदि० १७७।८-९ (स्युत्यति दी हुई है), मत्स्य० २२।१२, भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने 'घुतुदी' एवं 'घांतदु' को पर्यायवाची कहा है।  
 घांतद्वार—मत्स्य० २२।३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त होता है)।  
 घांतगुण—(पर्वत) देवल (ती० क०, पू० २५०)।  
 घांतसहस्रक—(सरस्वती के अन्तर्गत) पप० १।२७।-४५, वाम० ४।१।३, वायु० ८।३।१५७ एवं ८।४।७४ (घांतसाहस्रक)।  
 घांश्वरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पू० ६७)।  
 घांश्वरीतीर्थ—(गोदावरी पर) पप० ६।२६।२७७-२७८।  
 घांश्वलग्राम—ब्रह्म० २।३।१६४ (कल्की विष्णुपरा यही जन्म लेंगे और श्लेष्मो का नाश करेगे), पप० ६।२६।१। १०-१२ (घांश्वल ग्राम का उल्लेख है), ग ड० १।८।१।६, भाग० १।२।१।८, वायु० ७।८।१०४-१०९, मत्स्य० १।४।५।१, ब्रह्माण्ड० २।३।१।७६, विष्णु० ४।२।४।९८, इन सभी में कल्की

या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है किन्तु विची ने सम्मल ग्राम का उल्लेख नहीं किया है। इम्पी० गजे० ओबइण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८) ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरारबाद जिले का सम्मल कमदा बहू है, इसके आस-पास बहुत से प्राचीन बूह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं।

**सरस्विनु**—(आनन्दक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६६-३५।

**शरभंगकुण्ड**—(लोहारगल के अन्तर्गत) वराह० १५१-४९।

**शरभगाधम**—वन० ८५।४२ एवं ९०।९, राम० ३।।३, पद्य० १।३९।३९, रघुवज १३।१४५ (सुतीवनायम के पास)।

**शारवती**—(सम्भवत अवध में राष्ट्री) भीष्म० ९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शारादीनां च) को यह नदी ज्ञात थी, क्षीरस्वामी (अमरकोश के टीकाकार) ने 'शारावत्यास्तु योज्यथे' की टीका में उद्धृत किया है—'प्रागुदञ्ची विभजते हस क्षीरो-दकेयथा। विदुया शब्दसिद्धपर्यसन पातुशारवती।।' डा० अग्रवाल ने (जर्नल आव उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती है (षाघर), किन्तु यह सदेहात्मक है। सम्भव है कि जब सरस्वती सुख गयी और केवल इस पर दलदल रह गया तो यह शारवती कहलायी। किन्तु अमरकोश के काल में शारवती सम्भवत वह शारवती है जो समुद्र में होनाबर (उत्तरी कनारा जिले) के पास गिरती है, जिस पर गेरुषा के प्रसिद्ध प्रपात है। रघुवज (१५।९७) में शारवती राम के पुत्र लव की राजधानी कही गयी है।

**शारायान**—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।११४-११६, पद्य० १।२५।२०-२३। कुछ पाण्डुलिपियों में 'शारायान' पाठ आया है।

**शास्त्रकेशवर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९७)।

**शाकम्भरी**—(१) (नमक की सांभर झील जो जयपुर और जोधपुर रियासतों की सीमा पर पश्चिमी राजस्थान में है) वि० घ० सू० ८५।२१, विपहराज चाहमात के शिलालेख (९७३ ७४ ई०) में शाकम्भरी की उर्वा है (एपि० इण्डि० जिन्द २, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी अनुत्पा दी गयी है। झील की दक्षिण पूर्व सीमा पर सांभर नाम का वसवा है जो प्राचीन है और चौहान राजपूता की राजधानी था, (२) (हिमालय के समीप हरिद्वार में वेदार ने माग में) वन० ८४।१३, पद्य० १।२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ देवी ने एक सहस्र वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर भक्तों का जीवन व्यतीत कराया था)।

**शाश्विती**—(कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५।

**शाश्विती-समुमती-सगम**—नीलमत० १४४६।

**शाश्वित्येश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६८)।

**शाततपेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०)।

**शारदातीर्थ**—(कश्मीर में) मत्स्य० २२।७४, राज० १।३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में यह है और किन्नर गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दा' इसका शीतक है। समुमती के मन्दिर के सामने किन्नरगंगा में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६। आदिने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद-मती नदी के किनारे है जो दार्द्र देग से आती है, और यह मन्दिर प्रति मास धुवल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी पर हिलने लगता है।

**शारुल**—गार्ह० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव क्षेत्र है।

**शालग्राम**—(गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र स्थान) वन० ८४।१२३-१२८, विष्णु० २।१।२४, २।१।३४ (राजवि भरत जो एक भोगी एवं वासुदेव

के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३।३३,  
(शालग्राम के उमा महादेवी कही गयीं) २२।६२,  
पद्य० १।३।८।४८, बराह० १४।३३ एव १४ (यहाँ  
के सभी पाशाण पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक्र  
का चिह्न रहता है), श्लोक २९ में आया है—'शाल-  
ग्राम पर्वत विष्णु है', श्लोक १४५ में आया है—  
'यह देववाट भी कहा जाता है,' यह विस्तार में  
१२ योजन है (श्लोक १५९)। शालग्राम के  
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं,  
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा-  
श्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन०  
५।८।१।२८-१२८, बराह० (ती० क०, पृ० २१९-  
२२१)।

शालकटजूदेव—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ४८)।

शालग्रामगिरि—बराह० १४।३३ एव २९।

शालिग्राम—(वही जो ऊपर है) कूर्म० २।३५।३७,  
नृसिंह० ६।४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महासेत्र में  
आये थे)।

शालिसूर्य—वन० ८३।१०७, पद्य० १।२६।१००  
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिग्राम द्वारा स्था-  
पित था)।

शालूकिनी—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३,  
महामाष्य (जिल्द १ पृ० ४७४) वार्तिक २ पाणिनि  
२।४।७) ने शालूकिनी को एक गाँव कहा है।

शास्त्रिकिनी—(सम्भवतः ऊपर वाला तीर्थ) पद्य०  
१।२६।११।

शालितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।-  
८२, पद्य० १।२०।७८।

शिम्रा—(नदी, जो पारिवाय से निकलकर उज्जयिनी  
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२।२४, ११।४।-  
२४, वायु० ४।५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर  
तीर्थस्थल हैं, वहाँ ऋषियों ने विख्यात निवासस्थल  
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं।  
यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई बही गयी

है और ऐसा विश्वास है कि कुछ निश्चित कालों में  
यह दूध के साथ बहती है। आइने अबबरी (जिल्द  
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है।

शिका—(नदी) ऋ० १।१०।४।३ (जिसमें कुम्ब की  
दोनों पत्तियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी)।

शिलाशेखर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० ४६)।

शिलातीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।२।

शिवकाशी—(दक्षिण भारत के काजीवरम् में) पद्य०  
६।२०।४।३०।

शिवपार—मत्स्य० २२।४९।

शिवनदी—नृसिंह० ६।५।२३ (ती० क०, पृ० २५३)।

शिवसरस्वती—ब्राह्म० सूत्र (३।१।२२) के अनुसार  
यह एक शीत क्षेत्र है।

शिवहृद—ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।

शिवीधुम्भे—(जहाँ अन्तर्धान होने के उपरान्त सरस्वती  
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।१।१२, पद्य० १।२५।-  
१९।

शुकस्थायम्—वन० ८।५।४२, पद्य० १।३९।३९ (दोनों  
में एक ही श्लोक है)।

शुकेश्वर—(गोकर्ण के उत्तर) बराह० १७।३।९।

शुक्तिमती—(नदी, चेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा  
अवरोध) भीष्म० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६)  
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म० (२७।-  
३२) एव मत्स्य० (११।४।१०१) का कथन है कि  
यह ऋषयः पर्वत से निकलती है, किन्तु मार्क० (५।७।-  
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है।

शुक्तिमान्—(भारत के सात महान् पर्वतों में एक,  
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४।३।३९,  
वायु० ४।५।८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग०  
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० लाइट 'माउ-  
ण्टेन्स ऐण्ड रीमर्स ऑफ इण्डिया' (डिपार्टमेण्ट ऑफ  
लेटर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पृ० २०-  
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं।  
यह पर्वत प्रमुख सात पर्वतों में सबसे कम प्रसिद्ध

है और इसमें निकली हुई नदियाँ दहन कम हैं तथा उनके नाम पुराणा आदि में कई प्रकार से आये हैं।  
देविए डा० राय चौधरी का 'म्टडोज' आदि, पृ० ११३-१२०।

**शुक्तीर्थ**—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १५।  
१ मत्स्य० २२।२९।

**शुक्लेश्वर**—(वाग० के अन्तर्गत) बृ० १।३५।१५,  
त्रि० १।९२-०३, ना० २०।०।२०।

**शुक्लतीर्थ**—(मडाव से १० मील उत्तर पूर्व नमदा न उत्तरी तट पर) ब्र० २।४।१६७-८२ मत्स्य० १९०।१४, मन्व० १।२।३।५। देविए वन अध्याय ना प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ से राजवि चाणक्य का उल्लेख हुआ है, चाणक्य एव शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध के विषय में देविए इण्डी० गजे० इण्डि० जिल्द २३, पृ० १२८ एव बम्बई गजे०, जिल्द ११, पृ० ५६८-५६९, पृ० १।१९।२-१५ (यहाँ राजवि चाणक्य द्वारा प्राप्त मिडि का उल्लेख है)।

**शुक्लक**—(कश्मीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९।

**शुद्धेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० न०,  
पृ० १२२)।

**शुतुदी**—(पंजाब की सतलज, मरुवत घास की घाट) ऋ० ३।३३।१, १०।७।५। यह पूनानी हूपनिर या हुकसिम (एँ० इण्डि०, पृ० ६५) है जो कि भारत से सिकन्दर के बहने की अन्तिम सीमा थी। यह कैलास की दक्षिणी उपरधका से निकलती है और कमी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर (पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह आज की भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रकृत स्वतन्त्र रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से बहती थी जो आजकल हक या 'घग्गर' नाम से प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० मील दक्षिण है।

**शुक्लनदी**—(वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी)  
मत्स्य० १८२।६२, लिग० (ती० क०, पृ० ११८)।

**शुक्लेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,  
पृ० ११८)।

**शूर्पारकतीर्थ**—(विमदन के पास आधुनिक मुपारा)  
वन० ८।५।४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८।१।१२ (महाँ जमदग्नि की नदी थी), ११।८।८-१०, शान्ति० ४९।६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र में पुन निवाला गया स्थान), अनु० २।५।५०, हरिवंश, विष्णु पर्व ३९।२९-३१ (अपरान्त में शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एव ५०० इधु चौड़ा था और परशुराम ने इसे एक वाण छानकर स्थापित किया था), ब्रह्माण्ड० ३।५।१।७-१८ तथा ३०-३३, भाग० १०।७।१।२०, ब्रह्म० २।७।५८ (अपरान्त दशम में शूर्पारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक अभिलेख, शक्या १० में 'शोपरिग' शब्द आया है (बम्बई गजे०, पृ० ५६९ जि० १६), नाताघाट अभिलेख स० ९ (ए० एस० डब्लू० आई० जिल्द ५, पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपारक नाम आया है। सुप्यारक जातक (स० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, सभादक कविल) में आया है कि भरकच्छ एक बन्दरगाह था और उस देश का नाम भर था। यह सम्भव है कि ओल्ड टेल्. मण्ड का 'आफिर' शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। एँ० जि० (पृ० ४९७-४९९ एव ५६१-५६२) में तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर (बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में) सोवीर का देश है न कि शूर्पारक का, जो १ मील बहुत से विद्वान् कहते हैं। टालेमी ने इसे 'एँ' शारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध विद्वान् कहते हैं कि ओफिर टालेमी का एँवीरिया अर्थात् खामीर है (पृ० १४०)। देविए जे० आर० ए० एस्०, १८९८, पृ० २५३ एव जे० बी० बी० आर० ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम से विवेचन एव शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी हुई है।

**शूलघाट**—(कश्मीर में) देविए मीलकुण्ड के अन्त-  
र्गत।

शूलमेघ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१३, कूर्म० २।४१।१२-१४, पद्म० १।१८।३।

शूलेश्वर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५२)।

शुभतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३१।

शुभवेष्टुर—या (सुगिरेर) वन० ५०।६५, पद्म० १।३९।६१, रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, अनि० १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन की जाते समय राम ने गंगा पार की। यह आज का सिंगरौर या सिंगोर है जो प्रयाग से उत्तर पश्चिम २२ मील दूर गंगा के बायें किनारे है।

शुभाटकेश्वर—(श्रीपतंत के अन्तर्गत) लिग० १।-९२।१५५।

शुभा—(नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० २।१६।३२।

शेखतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।५।१।

शैलेश्वर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।८६, वराह० २।६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० ४।३।१३५।

शैलेश्वराश्रम—वराह० २।५।५७ एवं ८३-८४।

शैलोबा—(नदी, जो अरण पर्वत की षोडश झील से निकलती है) वायु० ४७।२१, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२। देखिए दे, पृष्ठ १७२।

शोण—(एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो पुराणा के अनुसार गोण्डवाना में ऋष्य पर्वत से निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गंगा से मिल जाता है) मत्स्य० ३२२।३५ (एक नद), १।४।२५, ब्रह्म० २७।३०, वायु० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९। यह टालेनी (पृ० ९९) का 'शोवा' एवं एरियन का 'शोनस' है। यह वही है, जहाँ से नर्मदा अमरकण्ठक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ४५३-४५४) यहाँ इसने और गंगा के संगम का वर्णन है, और देखल—नि० सि० १।१०—'शोण विष्णु-हिरण्याक्ष्या बोध-सोहित-धर्म्या । चतद्रुच नदा षष्ठ पावनाः परिकीर्तिता ॥'

यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, सोहित ब्रह्मपुर है।

शोण-अयोतीरण्या-संगम—वन० ८५।८, पद्म० १।३९।-८। वि० घ० सू० (८५।३३) शोण-अयोतिषासगम में आया है किन्तु इसकी टीका वंजयन्ती ने टिप्पणी की है कि यह शोण-अयोतीरण्या है।

शोणप्रभव—(प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म० १।३९।-९।

शोणितपुर—(बाणासुर की राजधानी, जहाँ उषा के साथ कपटाचार करने के कारण अनिष्ट को बन्दी बनाया गया था) ब्रह्म० २०६।१, हरिवंश, विष्णु-पर्व १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि यह कुमार्ग में आज भी इसी नाम से है। और सो बहुत से स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका से ११,००० योजन दूर है। भविष्य० (हृष्णजन्म-खण्ड, उत्तरार्ध १।१४।८४७) में शोणितपुर को बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता-मणि (पृ० १८२) में कहा है कि इसे कोटीवर्ष भी कहा जाता था।

शोणिकेश्वरकुण्ड—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १२२)।

शोणिक—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्यारक।

शमशान—(दे० 'अविमुक्त') मत्स्य० १८४।१९।

शमशानस्तम्भ—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५४)।

श्यामाया आश्रम—अनु० २५।३०।

श्येनी—(ऋष्य पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य० १।४।२५। दे (पृ० २००) में इसे बुन्देलखण्ड की केन नदी कहा है।

श्यावस्ती—(अवध में राप्ती के किनारे सहैल महैल) कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह सब की राजधानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐ० जि० पृ० ४०९। रघुवंश (१।५।९७) में श्यावस्ती



लख की राजधानी कही गयी है। देखिए भागल का लेख, जे० आर० ए० एम्०, १९०९, पृ० १०६६-१०६८ एव एपि० इण्डि०, जिल्द ११ पृ० २०। डॉ० मिय (जे० आर० ए० एम्०, १८९८, पृ० ५२० ५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर नेपाल की भूमि में उसे नेपालगञ्ज के पाम माना है। ब्रह्म० (७५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु कुल के शावस्त के नाम पर पडा है।

श्रीकृष्ण—(शावस्ती के अन्तगत) पद्य० ११२६।१९ वन० ८३।१०८।

श्रीकृष्ण—वन० ८२।८६ (अब इसका नाम लक्ष्मी कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिंग० (नी० व०, पृ० ६२)।

श्रीशैल—(जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय में सविस्तर लिखा गया है।

श्रीनगर—(१) (बन्धीर की राजधानी है) इसका इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१।१०४) के अनुसार असोक न ९६ लाख धरौ के साथ श्रीनगरी का निर्माण किया। स्टोन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बर्निघम (ए० जि० पृ० ९३) ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से तीन मील ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित आधुनिक पन्द्रेधान नामक गाँव के पाम माना है। पन्द्रेधान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तल्ल-मुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने प्रवरदेवर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन द्वितीय ने छठी सताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी का निर्माण कराया। ह्वेनसांग ने इस नयी नगरी (प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'बील' का लेख, बी० आर० डब्लू० डब्लू०, जिल्द १, पृ० ९६, १४८ एव १५८ तथा ए० जि०, पृ० ९५-९६। जाइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन है कि कोह-मुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अल बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कथन है कि अधिष्ठान (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान)

श्रेलम के दोना विनारा। पर निर्मित है। डल झील का जो श्रीनगर के पास है और ससार के रम्यतम स्थानों में एक है वगन इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० १२४-१२५ में है, (२) (अलकनन्दा के बायें विनारे पर गङ्गवाल जिले में यह एक बस्ती है) पृ० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पृ० २००।

श्रीपर्णी—(यहाँ दान अत्यन्त फलदायक होता है) मत्स्य० २२।४९।

श्रीपर्वत—(या श्रीवंल) (१) (कुर्नूल जिले में वृष्णा स्टेयन में ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी) यहाँ पर बहुत से लिंग हैं जिनमें प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिंग० १।९२।१५५) भी है जिनकी गणना १२ ज्योतिर्लिंगों में होती है। लिंग० (१।९२।१४७ १६६) में कुछ ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ महादेव उमा के साथ विराजते हैं), वायु० ७७।२८, मत्स्य० १३।३१ (यहाँ देवी 'मापवी' कही गयी है), १८।१२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), १८।७९ (द्व द्वारा जलाया गया बाणासुर का एक पुत्र यहाँ गिर पडा था), पद्य० १।१५।६८-६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप धारण करके तप किया था)। पाजिटर(पृ० २९०) ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूर्म० २।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर धार्मिक आत्मघात की अनुमति है), पद्य० १।३९।१७, ४।२०।१५ (योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है)। बार्ह०सू० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। मालतीभाष्य ने इसकी कई बार चर्चा की है। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९, जिल्द ४, पृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का चित्रकुल दानपत्र है)। नागार्जुन कोण्डा के तीसरी सताब्दी के शिलालेख में श्रीपर्वत का उल्लेख है (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० १ एवं २३), (२)

- (वारा० में एक िंग) अग्नि० ११२।४, (३)  
(नगदा के अन्तर्गत) अग्नि० ११३।३।
- धीमत्तितोष्यं—(यहाँ ध्यात् करने में परमपद प्राप्त होता है) मत्स्य० ७०।७४।
- धीतोष्यं—(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४६ कूर्म० १।३५।८ पद्म० १।३।७।
- धीमादक—(कश्मीर के दक्षिण में एक अभिभावक अथवा रजक नाग) नीलमत० १११।७।
- धीमुख—(गुहा) िंग० (ती० कल्प०, पृ० ६०)  
(वाराणसी के अन्तर्गत)।
- धीरग—(आधुनिक श्रीरगम् जो त्रिचिनापल्ली से दो मील उत्तर कावेरी एव कोलहन के मध्य में एक द्वीप है) मत्स्य० २३।४४, (यहाँ का ध्यात् अन्त है) भाग० १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९ बाह० सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र)। यह शिल्प-दिकारम् (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित पृ० १६३) में वर्णित है। विगिष्टाद्वैतवाद के प्रवृत्त रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। देखिए ह्यपी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० १०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रगनाय स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया गया है।
- धीष्मताकवन—(हिमालय पर) बराह० २।४।२४-२६, २।५।१२-१३ एव १।५।६ (पृ० १८८) का कथन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में परम्परितन्त्र के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर है। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण'।
- धीवस्तिभोगाह—वन० ८३।६१।
- धीवतवीथ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४।१।
- धीवती—(विद्युत् नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) ऋ० १०।७५।६। इसे मुवास्तु कहना कठिन है।
- धीवैश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) िंग० (ती० क०, पृ० ९९)।
- धीवतपावरी—(नदी) ऋ० ८।२६।१८।

- धीवता—(नदी जो साधमती से मिलती है) पद्म० ६।३३।१९-२०।
- धीवतारि—(पवत) पद्म० ६।२८०।१९, मत्स्य० १।१३।३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है)।
- धीवत द्वीप—गह्व० १।८।१।७ कूर्म० १।१।४९, १।४।१।४०-४७ वाम० २।५।१६ एव ६०।५६, शान्ति० ३३६।८ ३३७।७७। बहुत-से पद्यों में धीरो-दधि के उत्तर में यह एक अनुक्यात्मक देश है।
- धीवतमायव—नारदीय० २।५५।३०।
- धीवतोदभव—(साधमती पर) पद्म० ६।१३३।१५।
- धीवगुल—(कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील-मत० १।१३३-१।१४०।
- धीवित्-हृद—अनु० ७।५।३६।

## स

- सयमन—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १।५।३।
- ससारमोचन—(यहाँ के ध्यात् से अक्षय फल मिलता है) मत्स्य० २।२।६७।
- सकुणिका—वाम० (ती० क० पृ० २३६)।
- सगमन—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० १।४।४।१।
- सगमनगर—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० २२६)।
- संगमेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।५०।६३-६४, (२) (साधमती एवं हस्तिमती के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१, (३) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० १९।१।७४, कूर्म० २।४।१।३६, पद्म० १।१८।५३, (४) (गंगा और यमुना के संगम पर) लिङ्ग० १।९२।८८।
- सगरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ५१)।
- सत्यपती—(यह कौशिकी नदी हो गयी) वायु० ९।१।८८।
- सद्धानीरा—(नदी) दत्तपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का कथन है—'आज भी यह नदी कोसलो और बिदेहों की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती-धुमड़ती पल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर

भी यह सदानीर बनी रही।' सायण ने सदानीर का करतोया कहा है। भीष्म० (१।२४ एव ३५) ने दोनों को भिन्न माना है। समा० (२०।२७) ने सनेत किया है कि यह गण्डकी एव सरयू के बीच में है किन्तु ब्रह्म० (२७।२८-२९) का कथन है कि यह पारिवाय पर्वत से निकलती है। वायु० (४५।१००) में आया है कि करतोया ऋषी से निकलती है। पाजिटर (भार्क० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीर एव वरतोया को एक दूसरी का पर्याय माना है।

सतकेशवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० न०, पृ० ६७)।

सतक—यम० (ती० क०, पृ० २४८)।

सतकुमारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सतनन्देश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सन्ध्या—(१) (करमीर मे नदी) नीलमन० १४७१, राज० १०३, देखिए 'त्रिमध्या', (२) (मालवा की सिन्धु नदी जो यमुना में मिलती है) ममा० ९।२३, पद्य० १।३९।१, (३) (एक नदी जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।५२, पद्य० १।३२।१६।

सन्ध्यावट—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३।

सन्निहिता—(वह भूमि जो कुक्षेत्र से अधिक विस्तृत है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने 'सन्निहत' पडा है और कहा है कि यह एक आठ कोट विस्तृत शील है और ये चार सीलें हैं, सन्निहत, सन्निहत्या, सान्निहत्य एव सन्निहता।

सन्निहती—(कुछ वर्षों के अनुसार यह कुक्षेत्र का दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुक्षेत्र का एक अन्य नाम है। श्लोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ यहाँ पर प्रति मास अमावास्या के दिन पूजन होते हैं।

पद्य० १।२७।७७-७८, वाम० ४।१९ एव ४५।२९, अग्नि० १०९।१५।

सत्सिंहस्यसर—(कुक्षेत्र में) वाम० ४७।५६ ४८।२३, ४९।६ (सरस्वती के उत्तरी गट पर एव द्वैतवन के पास)।

सप्तश्रीति—(कुरुक्षेत्र में) नीलमन० १६८-१६९ (लगता है यह सन्निहती ही है)।

सप्तकोट्येश्वर—ती० प्र०, पृ० ५५७ जिम्ने स्कन्द० अध्याय ७ को उद्धृत किया है।

सप्तगण—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्य० १।२८-२९। सात गणएँ ये हैं—गण, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एव नर्मदा। नीलमन० (७२०) के मत से सात गणएँ हैं—भागीरथी, पावनी, ह्यादिनी, ह्यादिनी, सीता, सिन्धु एव वधु।

सप्तगोदावर—वन० ८५।४४, वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्य० १।३९।४१, ४।१०।८।१९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१९ स्कन्द० ४।६।२३। देखिए राजा यम कण का खँरहा दानपत्र (१०७।१-६०, एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० २०५) जहाँ सातों धाराएँ परिगणित हैं, गोदावरी जिले के गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मुख (प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये हैं—कश्यप, अत्रि, गौतम भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि एव वसिष्ठ। राज० (८।३।४४९) में आया है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ मिलती है।

सप्तबध्नीर्ष—देखिए 'बध्नी'।

सप्तधार—(सप्तधारी के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३६।१६ ('सप्तसारस्वत' के समान)।

सप्तधर—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३८ (देय सप्तनदे श्राद्ध मानने वा विशेषत)।

सप्तपुष्करिणी—(करमीर में विद पर सात धाराएँ) स्टीन०, पृष्ठ १६०। हं० बि० (४।४५) में इसे 'सप्तकुण्ड' कहा है। आड़ने लकबरी (जिल्द २,

पृ० ३६१) ने इमका उल्लेख किया है—'विद वे गाँव मे एक रम्य स्थल है जहाँ सात धाराएँ मिलती हैं।'

सप्तविं—वि० पृ० सू० ८५।३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है।

सप्तविंशुष्ण—(लाहागल के अन्तर्गत) वराह० १५१।४६ (जहाँ हिमालय से सात धाराएँ गिरती हैं)।

सप्तसागर लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१३६।

सप्तसामुद्रक—(कुन्जाम्रव के अन्तर्गत) वराह० १२६।९१।

सप्तसामुद्रक कूप—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१२।

सप्तसारस्वत—(कुश्क्षेत्र में) जहाँ मुनि मकणक ने अपने हाथ को कुस की नोकों से छेद डाला था और जब उससे वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो वे हार्त्कूल ही नाशते लगे थे। वन० ८३।११५, शन्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वर्णित हैं), कूर्म० २।३५।४४-७६ (मकणक की गाथा), पद्य० १।२७।४, वाम० ३।८।२-२३ (मकणक की गाथा), नारद० २।६५।१०-१-१०४ (साता नदिया के नाम दिये गये हैं)।

सप्तवती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

सप्तज्ञा—(मथुविला नामक नदी) वन० १३४।३९-४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप से मुक्त हुए थे)। सप्तज्ञा नाम इसलिए पडा क्योंकि यह देड़े अगा को समान बनाती है। अष्टावक्र ने अङ्ग इममे स्नान करने से सीधे हुए थे।

सप्तमन्त्रक—(यह कुश्क्षेत्र है) आदि० २।१-५ (सत्रियों के रक्त मे बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र सरोवरों मे परिवर्तित हो गये थे) शन्य० ३७।४५, ४४।५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्य० ४।७।७४ ('स्यमन्त्र' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० ३।४७।११ एवं १४, वाम० २२।२० ('स्यमन्त्र'), ५१-५५ (सर को सप्रहित कहा गया है जो चारों

ओर से आया योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) के अनुसार यह पाँच योजन है।

समुद्रकूप—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३०।

समुद्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० पृ०, पृ० १०५)।

समलोत—(मन्दार के अन्तर्गत) वराह० १४३।२४-२६।

सम्पूतिक—(वारा० में एक तीर्थ) पद्य० १।३७।६।

सम्पीठक—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।३७।

सवर्तक—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६।

सवर्तवापी—वन० ८५।३१, पद्य० १।३९।२९।

सवर्तेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० पृ०, पृ० ९९)।

सविद्यतीर्थ—वन० ८५।१, पद्य० १।३९।१।

सरक—(कुश्क्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, पद्य० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३।

सरस्तम्भ—(देवदार वन के पास) अनु० २५।२८।

सरयू—(नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३३।९, १०।

६४।९ (सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु एक साथ वर्णित हैं)।

इन ऋचाया में 'सरयू' शब्द आया है, किन्तु

संस्कृत साहित्य में 'सरयू' या 'सरयू' आया है (मत्स्य०

२२।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१,

रघुवंश १३।९५ एवं १००)। मत्स्य० (१२।

१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड० २।१८।७०) में आया है कि

सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से

निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा०

२।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु०

४५।९४)। इसका जल 'सारव' कहलाता था

(कायिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है—

'सर्वा भव सारवम् उदकम्')। चतुलवग्ग (एस्०

बी० ई०, जिल्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की

पाँच बड़ी नदिया में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द-

प्रदत्त में यह दस बड़ी नदियों में एक बड़ी

गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम 'सरयू'

है)। देखिए तीर्थप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह

विष्णु के बायें अँगूठे से निकली हुई है और धर्मर

मे मिलित नहीं गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 'सर्बोज' है। इसे घाघरा या घर्घर भी कहा जाता है।

**सरस्वती**—(आधुनिक सरसुति) यह नदी जा ब्रह्मसर मे निकलती है (शाल्य० ५।१।१९ के मत से), बदरिका-थमसे (वाम० २।४२-४३), प्लत वृक्ष से (वाम० ३।३-४ के मत से)। पद्य० ५।१।१।५९-१६० (सरस्वती से कहा गया है कि वह वाइव अग्नि को पश्चिम के समुद्र मे फेंक दे। सम्भवत यह उस ज्वालामुखीय विप्लव की ओर सवेत है जिसके फलस्वरूप सरस्वती अन्तर्हित हो गयी)। वाम० (३।८) का कथन है कि शकर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने पर इसम कूद पडे थे इससे यह अन्तर्हित हो गयी। वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह शूद्रो, निषादा एव आभीरी के स्पर्श के भय से लुप्त हो गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि सरस्वती उतप्य के शाप से मरुदेश मे चली गयी और सूखकर अपवित्र हो गयी। अन्तर्धान होने के उपरान्त यह चमत्तोद्भेद, शिवोद्भेद एव नागोद्भेद पर दिखाई पडती है। सरस्वती कुशसेन मे 'प्राची सरस्वती' कहलाती है (पद्य० ५।१।१।१८१-१८२)। देखिए विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१)। वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती पर भरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए ओल्डम का लेल, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० ४९-७६, (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी जो अरावली पर्वतमाला के अन्त मे दक्षिण-पश्चिम से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम मे बहती हुई पालनपुर, महीकण्ड आदि जिला को पार करती तथा मन्हिलवाड एव सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों से बहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए 'प्रभात' के अन्तर्गत।

**सरस्वती-अरुणा-सङ्गम**—वन० ८३।१५१, कूर्म० २।

३।२२, शाल्य० ४३।३१ एव अ० ४४।

**सरस्वतीपतन**—(मयूराके अन्तगत) वराह० १५।२०।  
**सरस्वती-सागर-सगम**—वन० ८२।६०, पद्य० १।२।५९,  
वाम० ८।५।२९।

**सर्कारवती**—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

**सर्गविन्दु**—(नर्मदा के अन्तगत) कूर्म० २।४२।२३।

**सर्वतीर्थ**—पद्य० २।९२।४ एव ७ (प्रयाग, पुष्कर, सर्वतीर्थ एव वाराणसी एसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के पाप को भी दूर करते हैं)।

**सर्वतीर्थेश्वर**—(वारा० के अन्तगत) म्वन्द० ४।३३।  
१३४।

**सर्वहृदय**—वन० ८।५।३९ (स्थान अनिश्चित है)।

**सर्वामक**—(बुज्जाभक के अन्तगत) वराह० १२६।  
३७।

**सर्वायुष**—(शालग्राम के अन्तगत) वराह० १४५।५६।

**सह्य या सह्याद्रि**—(भारत के सात प्रमुख पर्वतों मे एक) ब्रह्म० १६।१२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० ३।५६।२२, अग्नि० १०।९।२१।

**सह्यकुण्ड**—(गोदा० के अन्तगत) ब्रह्म० १५।४।  
(तीर्थसार, पृ० ५९)।

**सह्यामलक**—देखिए 'आमलक'।

**सह्यारण्य**—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

**सह्यपाल**—मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल-  
दायक होता है।

**साकेत**—(अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५।५४, महामाध्य (जिल्द १ पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) मे आया है— 'यह भाग साकेत को जाता है, पुन आया है— 'यवन ने सानेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २, पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११, 'अरुणद् यवन साकेतम्'), यहाँ यवन का साकेत भिनेश्वर की ओर है। सुसन्निपात (एस० वी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल मे इसकी चर्चा की है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एव ह्वेनसांग ने 'बिसाल' कहा है। देखिए ए० जि०, पृ० ४०१-४०७। १पुनसा (१३।७९, १४।१३२, १५।३८) ने

साकेत एव अयोध्या को एक ही माना है। वाशिका (पाणिनि ५।१।११६) न लिखा है—पाटलिपुत्रवत् साकेतं परिक्षा, जिससे प्रकट होता है कि ७वीं शताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ विद्यमान था। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से साकेत कोसला एव अयोध्या पर्याय हैं।

**सामलनाथ**—(दयामलनाथ) मत्स्य० २२।४२, पृ० ५।१।३५। दे (पृष्ठ २००) न इसे महींकण्ठ एजे के सामलाजी कहा है।

**साननूर**—बराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एव मत्स्य व मध्य में है। यहाँ पर विष्णु का प्रतिमा स्थापित हुई थी जो कुछ लगा व कथनानुसार लाह का और कुछ के कथनानुसार ताम्र या सीसा या परवर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

**साम्पेश्वर**—(वारा० क अन्तगत) लिग० (ती० व०, पृ० ६६)।

**सामुद्रक**—(ब्रह्मावर्त के पास) वन० १८४।४१।

**साम्बपुर**—(१) (मयुरा व अन्तगत) बराह० ३७७। ५५ (कुण्डेश्वर नाम न आया है), (२) (चन्द्र-भागा के किनारे पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म० १४०। ३। यह आज का मुल्तान है।

**सामुद्रतीर्थ**—(गोदा के अन्तगत) ब्रह्म० १७२।१-२०, जिसके लगभग १० दलोक तीर्थसार (पृ० ६३-६४) द्वारा कुछ पाठान्तरो के साथ उद्धृत हैं।

**साभ्रमती-सागर-सगम**—पृ० ६।१६६।१।

**साभ्रमती**—(आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम 'द्वभ्रवती' है इन्गी० गवे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३४४। पृ० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के २-६ तक के दलोका में इसकी सात धाराओं का उल्लेख है, यथा साभ्रमती, सटीका (द्वलका),

बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती), वेत्रवती (आधुनिक वात्रक) एव भद्रमुखी।

**सारस्वत**—(१) यहाँ आद्य अति पुष्पकारी है, मत्स्य० २२।६३, (२) (वारा० व अन्तगत) कूर्म० १।३५। १२ पृ० १।३७।१५।

**सारस्वत-तीर्थ**—गल्प० ५० (असित, देवल एव जंगो-पव्य की गाथा), ५१ (सरस्वती से सारस्वत का जन्म, जिन्होंने ऋषिया का १२ वर्ष के दुग्धिश में वेद पढाये थे)।

**सारस्वत-लिङ्ग**—(वारा० व अन्तगत) स्कन्द० ४।३३। १३४।

**सावर्णोद्वर**—(वारा० व अन्तगत) लिग० (ती० व०, पृ० ६०)।

**सावित्री**—(नदा जो आधुनिक रत्नगिरि एव कोलाबा जिला की सीमा बनाती है) पृ० ६।१।३।२८।

**सावित्रीतीर्थ**—(नमदा क अन्तगत) मत्स्य० १९४। ६ कूर्म० २।४२।१९, पृ० १।२।१६।

**सावित्रीपद**—(गया के अन्तगत) वन० ८४।९३।

**सावित्रीद्वर**—(वारा० के अन्तगत) लिग० (ती० व०, पृ० ७०)।

**साहस्रकतीर्थ**—वन० ८३।१५८, पृ० १।२७।४६।

**सिंह**—बाह० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक वैष्णव क्षत्र है। सम्भवत यह विजयापट्टम (आधुनिक विद्यासायन) के उत्तर-पश्चिम नृसिंहावतार का सिंहावलम्ब मन्दिर है। देखिए इन्गी० गवे० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३७५।

**सिद्धकेश्वर**—(विरज तीर्थ के अन्तगत आठ तीर्थों में एक) ब्रह्म० ४२।६।

**सिद्धतीर्थ**—(गोदावरी के अन्तगत) ब्रह्म० १४३।१।

**सिद्धपथ**—(सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३। ३३।३१।

**सिद्धपुर**—(अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० १३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है)। पितरों के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। यह सरस्वती नदी पर है।

सिद्धिबजन—मत्स्य० २२।३३। यहाँ पर थाढ़ अत्यन्त फलदायक हाता है।

सिद्धवट—(१) (लोहागंज के अन्तर्गत) बराह० १५।१७, (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।५३।

सिद्धिकूट—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ८८)।

सिद्धेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० ३२।४३ एवं १८।१२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ एवं २४१), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक लिंग) वाम० ४६।३४, पद्य० १००।३४। (३) (गोदावरा क दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १२।८।१।

सिन्धु—(१) (आधुनिक (सन्धु नदी, यूनानी सिन्धाम) ऋ० २।१५।६ (यहाँ सिन्धु का उत्तर का आर बतमा गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओपधि जो सिन्धु, असिक्नो एव समुद्रा म है), १०।७।५।६। सप्त सिन्धु (पञ्जाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एव सरस्वती) ऋ० २।१२।१२ ४।२८।१, ८।२४।२७, अथर्व० ६।३।१ में वर्णित है। द्रोणपर्व १०।१।२८ (सिन्धु-पृष्ठा समुद्रणा), राज० १।५७ (स्टोन की टिप्पणी), नीलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता ममुना है)। दक्षिण वर्णन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत से निकलती है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), काशिका (पाणिनि ४।३।८३, 'प्रभवति') ने उदाहरण दिया है—'वारादी सिन्धु' (सिन्धु नदी दरद से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन क जूनागढ वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है, (२) (एक नदी जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) वायु० ४।५।९८, मत्स्य० ११।४।२३, ब्रह्म० २७।२८। यह बड़ी काली सिन्धु है जो चम्बल एव बेतवा के मध्य बहती है। मालतीभाष्य ने इसके और 'पारा' के समग (अक ४, अन्त में) तथा इसके और 'मवु-

वती' (अक ९ तीमरे श्लोक के परचात् गद्य) के समग का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पचावती का पारा एव सिन्धु क समग पर रखा गया है।

सिन्धुप्रमथ—(सिन्धु का उद्गम) वन० ८४।४६ पद्य० १।३२।१०।

सिन्धुसगर—नृसिंह० ६५।१३ (ती० क०, पृ० २५२)।

सिन्धु-सागरसमग—वन० ८२।६८, वायु० ७७।५६ पद्य० १।२४।१६।

सिन्धुतम—(श्रील) वन० ८२।७९।

सीतवन—(कुशक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्य० १।२६।५५।

सीततीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १७९।२८।

सीता—(गंगा की एक मूल शाखा) वायु० ४७।२१ एवं ३९ भाग० ५।१७।५।

सुकुमारी—(सुकुलमान् पहाड़ से निक्ली हुई नदी) वायु० ४५।१०७।

सुगन्ध—(सरस्वती के अन्तर्गत) गद्य० १।३२।१।

सुगन्धा—वन० ८४।१०, वि० ध० सू० २०।१० (टोका के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्य० १।२८।१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्य० और वन० में एक ही श्लोक है।

सुप्रवेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क० पृ० ५१)।

सुषक—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९।

सुतीर्थक—वन० ८३।५६।

सुविन—वन० ८३।१००।

सुनन्दा—(नदी) भाग० ८।१।८।

सुनील—(वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।३।

सुन्दरिकातीर्थ—वन० ८४।५७, अनु० २५।२१ (देविका के नाम पर) बराह० २१५।१०४।

सुन्दरिकाह्वर—अनु० २५।२१।

सुन्दरिका—(नदी) पद्य० १।३२।२१। यह एक पालि बोहे में उद्भूत सात पवित्र नदियों में एक है। (एस्० बी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४)।

सुपर्णा—(गोदा० की एक सहायक नदी) ब्रह्म० १००।१।

सुपाश्व—पृथ० ६।१२९।१६।

सुभयोगा—(उन नदिया में एक जो अग्नि की भांती है) वन० २२२।२५३, मार्क० ५४।२६, बापु० ४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि यह कहा गया है कि यह सहाय से निकली है (ब्रह्माण्ड० २।१६।३५) कुछ लोग इसकी पहचान पत्रार से करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० २७३।

सुभद्र-निःसन्तान—पृथ० ६।१२९।२५।

सुभूमिक—(मरुत्स्वती पर एक तीर्थ) मत्स्य० ३७। २३ (यहाँ बलराम आये थे)।

सुमन्तुलिंग—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व० पृ० ९७)।

सुरभिवन—(हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० २।१८।२३।

सुरभिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृथ० १।१८। ३६।

सुरसा—(नदी) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य में निकली है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋषयान से निकली है), भाग० ५।१९।१८।

सुरदेवरी क्षेत्र—(कर्मोदर म दशांबर नामक आधुनिक ग्राम जो डल झाल के उत्तर की ओर की दूरी पर है) राज० ५।३७ नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति पृ० १६१, यही का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक एक पवित्र धारा।

सुवर्ग—वन० ८४।१८, अग्नि० १०९।१६, पृथ० १।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता पाही थी)।

सुवर्णतिलक—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृथ० १।१८।४६।

सुवर्णसि—(बारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२५, कर्म० २।३५।१९।

सुवर्णरेखा—(रैवतक के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द० ७।२।१।१-३ (सम्भवत यह आगे वाली नदी भी है। बंगाल में भी इसी नाम की एक नदी है)। देखिए दम्पो० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ११४।

सुवर्णसिंहता—(नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले गिलालेश (रुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एव ४२) में आया है। आजकल यह बाडियावाड में सोनरेखा के नाम से विख्यात है।

सुवास्तु—(नदी, बाबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक स्वात) ऋ० ८।१९।३७। यह एरियन (ए० इण्डिया, पृ० १९१) की मोआष्टान है। पाणिनि (४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास प्रसिद्ध बोद्धायात्रा वाले मन्दिर के गिलालेश पर्ये गये है (एपि० इण्डि० जिल्द २, पृ० १३३)।

सुव्रतस्य आश्रम—(दृषदाी पर) वन० ९०।१२-१३।

सुवृम्ना—(१) (गंगा के अन्तर्गत नदी) नारद० २। ४७।३६ (२) (बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते हैं)।

सुयोमा—(नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ० (१०।७५। ५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु निरुक्त (१।२६) में इसे सिन्धु माना है, भाग० ५।१९।१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० २१-२८, 'रिवर नेम्स इन ऋग्वेद') का कथन है (पृ० २६) कि सुयोमा सोहन (सुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है।

सुसर्तु—नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी। ऋ० १०।७५।६। कीय को यह नहीं मालूम हो सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी।

सुषीरणाश्रम—(रामा० ३।७, रघुवरा १३।४१ (अगस्त्याश्रम से कुछ दूर पर)।

सुररतीर्थ—(बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के पश्चिम तट पर मारो) ए० जि०, पृ० ३४६-३६५ के मत से। देखिए द्वापी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ८८-८९। बराह० अ० १३७-१३९; ती० क० (पृ० २०९-२१२) ने केवल बराह० के १३७वें अध्याय से ३७ श्लोक उद्धृत किये हैं। नारदीय० २।४०।३। एव ६०।२२ (यहाँ पर अश्वतु बराह के



रूप में प्रकट हुए थे), पृष्ठ ० ६।१२।१६-७ (४ याजन का विस्तार है)। कुछ प्रथा में 'स्करतीर्थ' नाम आया है।

**सूर्यतीर्थ—**(१) (घारा० के अन्तगत) वन० ८३।४८, कूम० १।३५।७ पृष्ठ० १।३७।७, (२) (मयूरा के अन्तगत) वराह० १५।२।५०, १५६।१२२ जहाँ विरा घन के पुत्र बलि न मृग को प्रसन्न किया था।

**सेतु—**(रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल जिसे राम न सुषीव एवं उमके बानरा की सहायता से निर्मित कराया) भाग० ७।१४।३१, १।७।१।१५ (सामुद्रकेतु), गहड १।८।१।८ नारद० २।७६ (सतु माहात्म्य पाया जाता है)। इस आदम का विज (पुल) भी कहा जाता है। मान्दान (श्रावणा के आश्रमा में लगना है) की आदम नामक चोटी पर एक गद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, इमार्स एवं मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। तथाप्य० पृ० ५।५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वांगत है।

**सेतुबन्ध—**वहा जा उपर्युक्त है। दक्षिण तीर्थमार, पृ० १-६ एवं तीर्थप्र० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। ४५-५३, ६।२६।१५। पृष्ठ० (५।३५।६२) का बयन है कि नेतु तीन दिना में निर्मित हुआ था। स्वन्द० ३, ब्रह्मसंहिता, अध्याय १-५२ में सेतु माहीरम्प, इसके सहायक या गौण तीर्थ या सतुयात्राक्रम है। यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भी राग जात है।

**सैलेश—**(अरुण पर्वत के चरण की एक शील) वायु० ४७।२०, ब्रह्मसंहिता २।१८।२१-२३।

**सैष्वारण्य—**(जहाँ षष्वन ऋषि मुकन्द्या व साथ रहते थे) वन० १२५।१३, वाग० (ता० क०, पृ० २३९)। वन० (८९।५९) ने इसे परिचय में कहा है।

**सौरनाग—**(कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह डल शील में आनवाक (अन्तर्मुंरी) गहर ताल के ऊपर स्थित आधुनिक सुदबल गाँव है। दक्षिण राज० १।१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा म्डीनस्मृति, पृ० १६४। म्डीन ने लिपिणी की है कि भूतेश्वर क मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज क नाराज

नाग का पुराना नाम सादर है। नीलमत० ने इसे भूतेन एवं वनवाहिनी के माय उल्लिखित किया है। भूतेश्वर में श्रीनगर लक्षण ३२ मील है।

**शोमकुण्ड—**(गया के अन्तगत) अग्नि० १३६।४।

**शोमतीर्थ—**(१) (मरुतना व दिनार) वासन० ४१।४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९।२, (२) (नमदा के अन्तगत) मत्स्य० १०९।३०, पृष्ठ० १।१८।३० एवं २७।३ कूम० २।४१।४७, (३) (वाग० के अन्तगत) कूम० १।३५।७, पृष्ठ० १।-३७।७ (४) (गा० के अन्तगत) ब्रह्म० १०५।१, ११९।१, (५) (मयूरा के अन्तगत) वराह० १५४।१८, (६) (वाकामुख के अन्तगत) वराह० १४०।२६२८, (७) (विजय के अन्तगत) ब्रह्म० ४२।६ (८) (शूकर के अन्तगत) वराह० १३७।४३ (जहाँ साम न सवानाम निदि प्राप्त का था), (९) (माधमना के अन्तगत) पृष्ठ० ६।१५।३।

**शोमनाथ—**(१) (माराट्ट में दगवल के पास) अग्नि० १०९।१० (सामनाथ प्रभासक) पृष्ठ० ६।१३६।३७ दक्षिण ऐ० त्रि० पृ० ३१९ और 'प्रभास' के अन्तगत, (२) (गया के अन्तगत) अग्नि० ११६।२३। एक प्रायश्चित्त स्तोक है—मरुतना मपुत्रवच नाम सामाहृतवत्। दगन सामनाथस्य मकारा पच दुलभा ॥

**शोमपद—**वन० ८७।११९।

**शोमपात—**मत्स्य० २२।६२।

**शोमाधम—**वन० ८४।१५७।

**शोमेश—**(घारा० के अन्तगत) कूम० १।३५।९।

**शोमेश्वर—**(१) (समी रामा की द्वार करता है) मत्स्य० २२।७९, कूम० २।३५।२०, (२) (शाल-प्राय के अन्तगत) वराह० १४४।१६-२९।

**शौकरक—**(जैसा कि वैकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराह० १।७।७ में पाया जाता है), सम्भवतः शौकरक शुद्ध है। दक्षिण मूकरतीर्थ के अन्तगत।

**शोमनिष्कमिदि—**मत्स्य० १२।१।५ (कैलास के उत्तर-पूर्व)।

सौगन्धिकवन—वन० ८४४, पद्य० १२८।५-६  
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

सौमद्र—आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पांच नारी-तीर्थों में एक)।

सौमित्रिसगम—(श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० २२।५३।

स्कन्दतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।१९, मत्स्य० १९।१।५०।

स्कन्देश्वर—(वाराणसे में) स्कन्द० ४।३३।१२५, लिग० (ती० क०, पृ० ६८)।

स्तानकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४३। १८-२०।

स्तनकुण्ड—वन० ८४।१५२, वराह० २।५।९७ (स्तन-कुण्ड उभायास्तु)।

स्तम्भतीर्थ—(सम्भ्रात की खाड़ी पर स्थित आधुनिक सम्भ्रायत) कूर्म० २।४।१।५१, पद्य० १।१८।१३ (दोनों इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तम्भतीर्थ तीर्थसार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। देखिए इण्डियन ऐजिटिवेरी, जिल्द ५४ पृ० ४७।

स्तम्भाख्य-तीर्थ—(इही-सागर सगम के पास) स्कन्द० १।२।३।२७। सम्भवतः यह उपर्युक्त तीर्थ ही है।

स्तम्भेश्वर—स्कन्द० १।२।३।४०।

स्वतेश्वर—(एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८।१२७।

स्तुतेश्वामी—(मणिपुर गिरि पर एक विष्णुक्षेत्र) वराह० १।४।८-८। तीर्थरत्न० (२२२-२२४) में वराह० के १।४ में अम्प्या से बिना किसी टीका टिप्पणी के २० श्लोक उद्धृत कर लिये हैं। श्लोक ७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य देवताओं एवं नारद, अर्जित तथा देवल ऋषियों द्वारा 'स्तुत' थे)। दे ने इसकी खोज नहीं की है और प्रो० आयगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है।

स्त्री-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।४।३१।

स्वाधुतीर्थ—(सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का आश्रम था) शाल्य० ४।२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस तीर्थ के पूर्व में है और विश्वामित्र का पश्चिम में),

वाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० (यहाँ १००० लिग थे), ४९।६-७ (यह सात्रिहृत्य झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) में इस तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पृ० १९४) के अनुसार यह धानेश्वर ही है।

स्पानेश्वर—(आधुनिक धानेश्वर, जो अम्बाला से २५ मील दक्षिण है) मत्स्य० १३।३ (यहाँ की देवी भवानी है)। देखिए ऐ० जि०, पृ० ३२९-३३२। महमूद गजनवी ने इसे १०१४ ई० में लूटा। हर्षवर्धन ने बाण ने इसे स्थापनीश्वर देना कहा है।

स्पानेश्वर—(एक लिङ्ग, वाराणसे में) लिङ्ग० १।९२। १३६।

स्वच्छोद—(यह झील है) देखिए 'अच्छोद'।

स्वच्छोवा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ नामक पर्यंत पर स्वच्छोद झील से निकली हुई)।

स्वतेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१६।

स्वयम्भूतीर्थ—(कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक सुयम) राज० १।३४, ह० वि० १।४।८०। यहाँ पर अम्बालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कर्मन्कर्मनी यात्रियों द्वारा अर्पित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निकलती हुई वायुओं द्वारा जल उठती हैं।

स्वर्गतीर्थ—अनु० २।५।३३।

स्वर्गद्वार—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्य० १।२७।५५,

(२) (वाराणसे के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।४, पद्य० १।३७।४, (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १।१६।४ (यहाँ 'स्वर्गद्वारी' शब्द आया है, (४) (पुष्योत्तम के अन्तर्गत) नारदीय० २।५६।३१।

स्वर्गबिन्दु—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।१५।

स्वर्गमार्गहृद—वि० प० सू० ६।५।४।

स्वर्गेश्वर—(वाराणसे के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

स्वर्गबिन्दु—(नर्मदा के अन्तर्गत) अनु० २।५।९, मत्स्य० १९।४।५।

स्वर्गरेखा—(नदी, वस्त्रापय क्षेत्र में, अर्थात् आधुनिक

गिरनार एव इसके आम-पास की भूमि पर) स्कन्द०  
७।२।३।२ एव ७।२।१०।२०९।

स्वर्गलोभापतयन—पद्य० १।२६।५८।

स्वामितोष्यं—मत्स्य० २।२।६३, कूर्म० २।३।७।१९-२१  
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ०  
१०७) ने इसे कौंच पर्वत पर स्थित तिष्ठतनी मे एक  
मील दूर स्थित कुमारस्वामी वा मन्दिर कहा है।

स्वर्गविन्दु—(नदी) वायु० ७।७।९५, कूर्म० २।३।७।३७।

स्वर्गलङ्घनेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० १।९२।७८,  
स्कन्द० ४।३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की  
गयी है)।

स्वस्तिपुर—(गगाह्वर एव गगात्रय के पास) वन०  
८३।१७४।

## ह

हंसकुण्ड—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४६।

हस्ततीर्थ—(१) गया के अन्तर्गत) अग्नि० १।६।  
३०, नारद० २।४।७।३०, (२) (नर्मदा के  
अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७२, (३) (पालग्राम  
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १४४।१५२-१५५  
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यज्ञतीर्थ'।

हंसद्वार—(बनारस के पास) नीलमत० १४६४।

हंसपद—(विश्राखयूप के पास) वाम० ८।१।१०।

हंसप्रपतन—(प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८७,  
मत्स्य० १०६।३२ (गगा के पूर्व एव प्रतिष्ठान के  
उत्तर), कूर्म० १।३।७।२४, पद्य० १।३९।४०, अग्नि०  
१।१।१०।

हनुमत्तीर्थ—(गौदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी  
तट पर) ब्रह्म० १।२९।१।

हयतीर्थ—मत्स्य० २।२।६९।

हयमुक्ति—(अयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६०।२३।

हयसिद्धि—(श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३।१।१।४६,  
वायु० ७।७।४६।

हरमुकुट—(बनारस की प्रचलित भाषा में हरमुख)  
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१, हिमालय का

शिखर जिसके पूर्व ओर वालोदक झील है और जो  
स्वय उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि०  
४।८७-८८ एव विनयाकदेवचरित १।८।५५। अल-  
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि सेलम  
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गगा भी  
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन  
की टिप्पणी।

हरमुण्ड—(बनारस के पास एक तीर्थ) नीलमत०  
१४५५।

हरिद्वार—(इसे गगाद्वार एव मायापुरी भी कहते हैं)  
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गगा के  
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में  
परिगणित होता है। पद्य० ४।१।७।६६, ६।२।१।१,  
६।२।२।१८, ६।२।३।५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप  
किया)। देखिए 'बील' का लेख, बी० आर० डब्लू०  
डब्लू०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ ह्येनस्तांग का बचन  
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते  
हैं और सधुओं व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र  
होते हैं। कनिषम (ऐं० जि०, पृ० ३५२) का यह  
बचन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक  
नाम है, क्योंकि अलबरूनी ने इसे केवल गगाद्वार  
कहा है, मुक्तिप्रद नहीं जँबता, क्योंकि स्कन्द० (४)  
एव पद्य० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया  
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी  
(१०३० ई०) के पदचातु लिखे गये हैं। सम्भवत  
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गगाद्वार अधिक  
प्रचलित था। अलबरूनी (जिल्द १, पृ० १९९)  
का कहना है कि गगा का उद्गम गगाद्वार कहा  
जाता है।

हरिकेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिग० (ती०  
क०, पृ० १।३)।

हरिकेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) ती० क०, पृ०  
८४ (सम्भवत यह ऊपर वाला ही है)।

हरिचन्द्र—(१) (वाराण के अन्तर्गत एक तीर्थ)  
मत्स्य० २।२।५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान)

१८१२८ अग्नि० ११२१३, (२) (गोदा० के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १०४१८६ एव ८८, (३) (एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०)।

हरिदचन्द्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

हरितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२०)।

हरिपर्वत—(श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत या प्रद्युम्नपीठ) क०मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाङ्क-देवचरित १८।१५।

हरिपूषीया—(एक नदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवत कुक्षत्र मे)।

हरीतक वन—देखिए गत अध्याय १४ 'वैतनाय'।

हरिहरक्षेत्र—(१) (तुंगभद्रा पर) नृसिंह० ६५।१८ (ती० क०, पृ० २५३), पद्य० ६।१७६।४६ एव ६।१८३।३, बराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया है), (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था) बराह० १४४।१६६-१३५। वाम० (८५।४७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की कथा को त्रिकूट पर्वत पर व्यक्त किया है।

हरोरुम्बे—(थाड के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० २२।२५।

हर्षपथा—(कदमीर मे, राची कदपप को प्रापना के फलस्वरूप यह धारा हो गयी) नीलमत० ३०९।

हस्ततीर्थ—(हस्ततीर्थ) कूर्म० २।४२।१३ (नर्मदा पर)।

हास्तिनपुर या हस्तिनापुर—(कुछा की राजधानी जो भरत दौष्पन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नाम पर पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व मे है। आदि० ९५।३४, राया० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु० ४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा बहा दिया गया तो जनमेजय के पीत्र निचवन् ने कौसान्धी को अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि (६।२।१।१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और देखिए महामाध्य, जिल्द १, पृ० ३८०, पाणिनि २।१।१६।

हस्तिपावदेश्वर—(स्यागुवट के पूर्व मे एक शिवालिंग) वाम० ४६।५९।

हस्तिपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७६)।

हाटक—(करोडो हत्याओ के पापी का निवारक) पद्य० ४।१७।६७।

हाटकेश्वर—वाम० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर)।

हारकुम्भ—(हारपुर के पास) लिग० १।९२।१६४।

हारीततीर्थ—(थाड के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० २२।६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर)।

हिमवान्—ऋ० (१०।१२।१।४) एव अपर्ववेद (४।२।५) मे बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवन्त)। किन्तु अयर्वेद (५।४।२ एव ८, ४।२।४।१) मे एकवचन का प्रयोग है। केनोपनिषद् (३।२।५) मे उमा हैमवती का उल्लेख है। वन० (१५।८।१९), उद्योत (१।१।२) एव पाणिनि (४।४।१।२) मे हिमवान् का उल्लेख है तथा कूर्म० (२।३।७।४६-४९) मे इसकी सम्बाई १०८० याजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष-पर्वत है तथा अय प्रमुख सात पर्वतों को कुल-पर्वत कहा गया है। मत्स्य० (१।७-१।८) मे इसके वृक्षों, पुष्पों एव पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। हिमालय दण्ड वेद-मिश्र प्रयो मे भी आया है, यथा गीता (१०।२५)। हिमवान् का अर्थ है पूर्व में आसाम से लेकर पञ्जाब के पश्चिम तक सम्पूर्ण पर्वत श्रेणी। मार्क० (५।१।२४) का कथन है कि कैलास एव हिमवान् पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं और दो समुद्रों के बीच मे स्थित हैं तथा हिमवान् भारत (जिसके दक्षिण, पश्चिम एव पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर मे धनुष की प्रत्यवा के समान है (मार्क० ५।४।५९)।

हिमवन्-अरुण्य—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

हिमालय—देखिए 'हिमवान्' ऊपर।

हिरण्यकशिपु लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३)।

हिरण्याक्षेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४७)।

**हिरण्यगर्भ**—(वारा० के अन्तर्गत एक लिङ्ग) कूर्म० १।३५।१३, लिग० १।९२।७६, पद्म० १।३५।१६, लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

**हिरण्यवदोष**—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।६८, पद्म० १।२०।६६।

**हिरण्यवाहु**—(यूनानी लेखकों की एरत्रोबोजम, शोग नदी) देखिए एं० इण्डिया, पृ० ६८। यह बांकीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। एरियन (एं० इण्डि०, पृ० १८६) ने एरत्र बोअस एव सोनोस को पूयक-पूयक माना है। यह मुनहले हाथीवालों नग्भवत इसलिए नहीं गयी है कि इसकी बाजू मुनहरे रग की है और इसमें मोने के कण भी पाये जाते हैं।

**हिरण्यबिन्दु**—(कालिजर में एक पर्वत) वन० ८७।२१, अनु० २५।१०।

**हिरण्यवती**—(नदी, जिस पर मल्लो का शालकुञ्ज एव कुशीनारा वा उपवसन उपस्थित था) एस० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५। यह गण्डकी नदी है। देखिए एं० जि०, पृ० ४५३।

**हिरण्यवाह**—वही शोग एव एरियन की एरत्रबोजस, जो तीसरी बड़ी नदी थी और अन्य दो सिन्धु एव गंगा थीं। (एं० जि०, पृ० ४५२)।

**हिरण्यास**—मत्स्य० २२।५२ (यहाँ दान कर्म अथवा फलदायक होता है)।

**हिरण्यासगम**—(शाध्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। १३५।१।

**हिरण्यती**—(एक लडकी इसे बोसन् ले गयी) वाम० ३४।८ (सात या नौ पवित्र नदियों में), ६४।११ एव १९, ९०।३२, अनु० १९६।२५, उद्योग० १५।१७ (कुशक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिविर खड़े किये थे), १६०।१, भोष्म० ९।२५।

**हेतुकेश्वर**—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९२)।

**हेमकूट**—(कंलास का दूसरा नाम) भोष्म० ६।४, ब्रह्मण्ड० २।१४।४८ एव १५।१५ (यहाँ हिमवान् एव हेमकूट भिन्न-भिन्न वर्णित हैं)।

**हृषीकेश**—(हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील दूर गंगा पर) वराह० १४६।६३-६४ (कहा जाता है कि यहाँ विष्णु का निवास है)।

**होमक्षीप**—(वाग० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११।

**छातिनी**—(नदी) रामा० २।७।१२ (केकय देग से आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शतद्रु पर आये)।

## तीर्थ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वक्तव्य

हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पर्वता, नदियाँ एवं पुनीत स्थलां एवं सम्बन्धित मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की आर सन्नेत कर दिया था। आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा तथा वर्तमान आर्थिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ सा छाड रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्र्य, निर्ममता एवं अपराध वृत्तियाँ से आबद्ध-से हो उठ हैं। अत इन् परिस्थितियाँ में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह कतव्य हो जाता है कि उन आचरणों का वे अवश्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को सकीर्णता में दूर बर कुछ क्षणों के लिए उच्च आशायाँ एवं अभिकाशाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप में तटस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। तीर्थ-यात्रा इन्ही समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों का, जिन्हें यह विश्वास है कि तीर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार में छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-वक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहिता का न प्राप्त हो जो प्रमादी एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीर्थस्थलों पर प्रयुक्त पूजा-व्ययों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियों में अब उनकी तीर्थ-सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है, प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने तदावधि धार्मिक कार्य-कलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जँचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम संख्या में तीर्थों में एकरा हागे, क्योंकि धर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्तर्गोचरता यही परिणाम होता है। यदि पुनीत पर्वतों एवं नदियों की तीर्थयात्रा सर्वथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता विपत्तिग्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अनुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा दिव्य स्थलों की यात्रा अभी-कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है।

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, साथ पदार्थों, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों से उत्पन्न नव-नव अभिप्रेतनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रहीं हैं और भारत के किसी एक कोने में निवासियों के भाग्य अन्य भागों के निवासियों से जुड़े हैं—इन बातों की ओर प्रबल सन्नेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो यह अनिवार्य-सा है कि हम भारत के दूर-दूर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के लोगों से मिलें, उनके विन्तक्षण तौर-तरीकों से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुर्बलताएँ जानें। हिमालय की पर्वत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं—इसमें विरव के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं,

इससे विद्याल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इससे बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ-स्थल विद्यमान हैं, जो महर्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से समृद्ध हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की यात्रा में बिताने चाहिए।

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो हमारा मन आश्चर्य, हर्ष, उत्साह आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कचनजपा के सद्गुण गिखरो को आह्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं और हम विद्यालता की ओर हठात् जग्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संभ्याकाल में मुनीत गंगा की छवि देखते हैं एवं बाराणसी के विद्याल पाठों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की सकीर्णता विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं श्रुतिता भर उठनी है तथा हम हठात् अनन्त के साथ एकरस एकभाव एवं एकरस हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अग्यो के अभिमान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि दोरपा तैर्नामह आदि एवं हिलारी ने सागरभाषा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धर्म एवं अयोध शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विद्यालता, महान् गौरव, अद्भुत प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमे अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पञ्चनद, सरस्वतीसोन, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, बिहार, लौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सस्कृति-नाभित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि काल से जुड़ी हुई हैं।

## परिशिष्ट

### धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि में विषय में कुछ सम्बद्ध लिख देना आवश्यक है। श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हे धर्मशास्त्र-लेखकों ने उद्धृत किया है या जिन पर वे निर्भर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि मरुत-साहित्य में उनकी पृथक् व्यवस्था है और उनके लिए बिना व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 'प्रयोगों', 'माहात्म्यों', 'विधियाँ', 'वर्तों', 'शान्तियाँ' एवं 'स्तोत्रों' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जानक विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ एवं ताजिक-ग्रन्थ सम्मिलित नहीं किये गये हैं, किन्तु मुहूर्त-वर्ग के ग्रन्थ, जो आद्विक पामिक कृत्यों से अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गृह्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के सख १ में नहीं सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि उनके विषय धर्मशास्त्र से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन् १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त ग्रन्थों का निर्वाह भी भली भाँति नहीं किया जा सका है।

इस सूची को उदासित करने में डा० ऑफोस्ट के बहुमूल्य ग्रन्थ 'कंटलागस कंटलागोरम्' से प्रभूत सहायता मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी डा० ऑफोस्ट के अत्यन्त श्रेणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए सस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों को, यथा—इण्डिया आफिस में रक्षित पाण्डुलिपियाँ, डा० मित्र के 'नोटिसेज आव सस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० ऑफोस्ट का तीसरा भाग सन् १९०३ में प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कंटलों (ग्रन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा—मद्रास गवर्नमेण्ट मॅनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी में डिस्ट्रिक्टिव कंटलों एवं ट्राइनीएल कंटलों, म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उपस्थापित 'नोटिसेज आव मॅनुस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज, भाग ३)', म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत नैसल दरबार लाइब्रेरी का 'कंटलागु आव पामलीक एव पेपर', हुल्स की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरालाल द्वारा उपस्थापित 'कंटलागु आव सेण्ट्रल प्राविसेज सस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा सङ्गृहीत 'कंटलागु आव दि मॅनुस्क्रिप्ट्स' (खिल्द १)। इन कंटलों में अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, यथा—डेकन कालेज का संग्रह (जो अब मण्डारकर ऑरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाधम इंस्टीट्यूट (पूना), प्रो० एच० डी० बेलनकर द्वारा संस्थापित बिलसन कॉलेज का 'मण्डारकर मेमोरिएल कलेक्शन' एवं बडोदा ऑरिएण्टल इंस्टीट्यूट का कलेक्शन (संग्रह)।

इस तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतानुसार ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूर्वजों, लेखकों के उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के बाल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। वहीं-वहीं तत्सङ्ग ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। वहीं-वहीं तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। वहीं-वहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि



या कैटलॉग में दो तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान ही हैं, यथा—महादेव ने पुत्र दिवाकर एव नीलकण्ठ के पुत्र धरवर के विषय में। वहीं-वहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के कतिपय भाग कैटलॉगों में पृथक् नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा—नरसिंह नृसिंह, नागेश एव नागोजि। यथासम्भव एस भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में कैटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है। केवल अति महत्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैटलॉगों की ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव बाला की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफेंबेक की वृत्ति से यह सालिना कई अंशों में उल्लेख है, यह बान तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है।

यथासम्भव नुदित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। एसा करने में वाग्ध्वे संस्कृत सीरीज, बनारस संस्कृत सीरीज आदि के सम्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम लोग देख सकते हैं संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विषय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन् १९२८ तक के कैटलॉग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं।

### निर्देश

आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं उनसे प्रतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं—

अलवर=डा० पेटसन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कैटलॉग आव मॅनुस्क्रिप्ट्स।

अज्ञात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं।

आनन्द=आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।

ऑफेंबेक या ऑफे=डा० ऑफेंबेक द्वारा उपस्थापित कैटलॉग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, आवसफोर्ड की बॉडलीन लाइब्रेरी (१८६४ ई०)।

उ०=उद्धृत।

कै० सं० प्रा०=कैटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मॅनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रॉविसेज एण्ड बरार। रायबहादुर हीरालाल (१९२६), नागपुर।

गाय० या गायकवाड=गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज, बडोदा।

गवर्नमेण्ट ओ० नो० या ग० ओ० सी०=गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना।

चौ० या चौखम्मा=चौखम्मा संस्कृत सीरीज, वाराणसी।

जी० स्मू० या जीवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एव दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।

टी० या टीका=उस ग्रन्थ की टीका।

टी० टी०=टीका की टीका।

दे०=देविए (इसके आगे 'प्रकरण सख्या अमुक' का निर्देश है उसे प्रथम सङ्घ-संगित प्रकरण-सख्या में देखना चाहिए)।

नोटिसेज या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एव म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-१३) द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११)।

नो० न्यू०=म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स, न्यू सीरीज (जिल्द १-३)।

निर्णय० या नि०=निर्णयसागर प्रेस, बम्बई।

प्रक०=प्रकरण।

प्र०=प्रकाशित ।

ब० या बडोदा=बडोदा ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट का 'कलेक्शन आव मनुस्क्रिप्ट्स' ।

बना०=बनारस संस्कृत सीरीज ।

बि० या बिहार=बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कंटलॉग आव मनुस्क्रिप्टस् (जिस्ड १) ।

बीका० या बीकानेर=महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत 'कंटलॉग आव संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

बु० या बुनैल०=डा० ए० सी० बुनैल द्वारा प्रस्तुत 'कलेंसीफाएड इण्डेक्स टू दै सस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स, तजौर के राजप्रासाद से (१८८०) ।

भण्डा०=बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन ।

मै० या मैसूर=मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज ।

स्टी० या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एव कश्मीर के महाराज की रपुनाप मन्दिर लाइब्रेरी का 'कंटलॉग आव दि संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

से०=लेखक ।

व० या वणित=द्वारा या उसमे वणित ।

वैकट० या वैकटेश्वर०=वैकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।

विट० एव कीप=डा० विटनिरुद्ध एव डा० ए० बी० कीप द्वारा प्रस्तुत बौडलीन लाइब्रेरी (जिस्ड २, १९०५) मे 'कंटलॉग आव संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स' ।

हुत्स०=डा० हुत्स द्वारा प्रस्तुत 'रिपोट्स ऑन संस्कृत मनुस्क्रिप्ट्स इन सॉदर्न इण्डिया' (जिस्ड १ ३) ।

## धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-सूची

**धर्मशास्त्र**—स्वयं की जन्मराशि के किसी अश की शान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्थ।

**धर्मात्मशास्त्र**—धम्मनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा धर्मात्म १६३६ में प्रणीत। मूलभाषी पर, उनकी गणना एवं उनमें किये जाने वाले विशिष्ट वर्गों पर।

**धर्मशास्त्रप्रतिष्ठा**।

**धर्मशास्त्रार्थ**—ले० अक्षय ( ? ), वैकट्याय के स्मृति-रत्नाकर में अर्णित। धर्म एवं व्यवहार के सङ्घों में विभाजित।

**धर्मशास्त्र** या **धर्मशास्त्रसंहिता**—जीमूतबाहन के काल-विवेक में तथा अपरार्क में ४०।

**धर्मकार्य**।

**धर्मकार्यपद्धति**।

**धर्मनिर्णय**—ले० कमलाकर।

**धर्मसंघानुबन्धन**—श्रीपादन के आह्विक सम्पादन के छूट जाने पर किये जाने वाले कृत्यों पर।

**धर्मस्वरूप**।

**धर्महोत्रकर्म**।

**धर्महोत्रमन्त्रार्थचन्द्रिका**—ले० वैद्यनाथ (विद्वत्सारथ्य रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ ई०)।

**धर्महोत्रवाहविधि**।

**धर्मदीपिका**।

**धर्मनिर्णय**—सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र वैकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम—विज्ञानेश्वर, अक्षय, स्मृत्यर्थसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, रामानुज यज्वा की टी० दीपिका। वैदिकसर्व-मार्ग द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की टीका है)।

**धर्मनिर्णय**—वसिष्ठ गोत्र के वीररुपव द्वारा रचित।

**धर्मपञ्चविवेचन**—मयुरानाथ द्वारा रचित।

**धर्मपञ्चवटि**—मयुरानाथ द्वारा (६५ श्लोकों में)।

**धर्मपञ्चवटि**—कौशिक गोत्र के भीषि (पिन्ना जि-नाथ) द्वारा। रामचन्द्र ब्रह्म द्वारा स्मृतिसिद्धान्त-सुधा टीका।

**धर्मप्रकाशिका**—(दो खण्डों में)।

**धर्मप्रदीप**।

**धर्मप्रदीपिका**—याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है।

**धर्मवाङ्मय** या **दानसार**—त्रिवेश्वर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सख्या ७१२९, टी०)।

**धर्मविमोचन**।

**धर्मविवेक**—भारद्वाज गोत्र के अण्यदीक्षित अर्द्धताचार्य के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छ 'करणों में)।

**धर्मविवेचन**—भारद्वाजकुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा (दो परिच्छेदों में)। टी० मुक्ताकल की ओर सन्नेत करती है। रचयित्त द्वारा टी०।

**धर्मशतक**।

**धर्मपट्टक**।

**धर्मसंशयतिनिरास्त्यसूत्र**।

**धर्मसंप्रहृ**।

**धर्मसंप्रहरीपिका**—(दृश्य, सख्या २७०)।

**धर्मुरार्थप्रयोग**—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)।

**धर्मुरार्थविधि**—(पञ्चरात्रनाम से)।

**धर्मुरार्थविधि**—(धारदातिलक से)।

**धर्मुरा**—कुलमणि शुक्ल द्वारा टी०। दे० प्रक० ३९।

**धर्मनिबन्ध**।

**धर्मशास्त्रीय**—शेषाचार्य द्वारा।

**धर्मशास्त्रीय**—अण्णादीक्षित द्वारा।

सतिश्रान्तप्रापदिचत् ।

अतिश्रद्धशान्ति ।

अतीचारनिर्णय—महेश द्वारा (बिहार, पृ० २ सख्या ३) ।

अतीचारनिर्णय—भुजबल भीम द्वारा (बिहार, पृ० ३, सख्या ४) ।

अग्नि—दे० प्र० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० तबनलाल द्वारा, १६८६ ई० के पश्चात्। टी० हरिराम द्वारा ।

अदभुतवर्षण या अदभुतसप्रह—बुध-ब्राह्मण कुलजान रघुनाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव-शर्मा । बालालसेन के अदभुतसागर पर आधारित । दिव्य, नामरत्न एवं भौम पर। मयूरचिप को उ० करता है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४) ।

अदभुतविवेक—महीश्वर द्वारा ।

अदभुतसागर—विजयसेन के पुत्र बलालसेन द्वारा (प्रभाकरी एण्ड क०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित), रघुनन्दन कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा वर्णित । मन् १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मण-सेन द्वारा समाप्त ।

अदभुतसागरसार—चतुर्भुज द्वारा ।

अदभुतसागरसार—श्रीपति द्वारा ।

अदभुतसिधु—शान्तिरत्नवामुत्त में नारायण द्वारा उ० ।

अदभुतामृत—उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम नामक तीन प्रकारो पर ।

अदभुतोत्पातशान्ति—शीनक द्वारा ।

अधिकमासप्रकरण ।

अधिकमासनिर्णय—देखिए मलमासनिर्णय ।

अधिकमासफल ।

अयोधुक्जननशान्ति—शीनक द्वारा रचित ।

अभ्यापोपाकर्मप्रयोग ।

अन्तर्माध्य—गमयमयुक्त में वर्णित ।

अनन्तव्रतपूजापद्धति—(पावर के पत्राक से) ।

अनन्तव्रतोद्घापन ।

अनन्तमद्वी या स्मार्तानुष्ठानपद्धति—विरवनाथ के पुत्र

अनन्त मट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि । देखिए 'प्रयोगरत्न' ।

अनन्ताह्निक ।

अनाकुला—आपस्तम्बगृहसूत्र पर हरदत्त की टी० ।

देखिए प्रकरण ८६ ।

अनाचारनिर्णय ।

अनावृष्टिशान्ति—शीनक कृत ।

अनुभोगकल्पतरु—जगन्नाथ द्वारा ।

अनुमरणप्रदीप—गौरीश मट्ट ।

अनुमरणाविवेक—शुद्धिनन्दन म रघुनन्दन द्वारा उ० ।

अनुयागपद्धति—जनादन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा ।

अनुयागपद्धति—कृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आर्योप्वरीन्द्र द्वारा टी० (बडोदा, स० १२५३७) ।

अनुष्ठानपद्धति—रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है ।

अनूपविद्यास या धर्मभोधि—शिवदत्तारमज गगाराम व पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप-मिह के सरक्षण में लिखित, आचाररत्न, सभारत्न, सत्काररत्न बलारत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न नामक ६ भागो में विभाजित । दिल्ली के शाहजाह आलमगोर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिंह वर्तमान थे । लगभग १६६० ई० ।

अनूपविवेक—बीकानेर के अनूपसिंहदेव का कहा गया है । पाँच जल्लासो में शालग्राम-परीक्षण लिखा गया है । अनूपसिंह १६७३ में राजा थे, जो बर्णसिंह (१६३४) के पुत्र थे । देखिए डकन कालेज मैनु-स्क्रिप्ट्स, सन् १९०२-१९०७ की, स० २२ । और देखिए दानरत्नाकर ।

अन्तरिक्षवायुबोधप्रकाश ।

अन्त्यकर्मदीपिका—हरिमट्ट दीक्षित द्वारा ।

अन्त्यकर्मपद्धति ।

अन्त्यक्रियापद्धति—मणिराम द्वारा । शुद्धिमयुक्त द्वारा उ० । लग० १६४० ई० ।

अन्त्येष्टिक्रियापद्धति—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा ।

दे० प्र० १०९ ।

अन्त्येष्टिपद्धति—गादावरी-सटीय (पुणवाम्बे पर स्थित)

पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्टारक के राव द्वारा। लग० १४५० ई०।

दन्त्येष्टिपद्धति—महेश्वर भट्ट द्वारा।

दन्त्येष्टिपद्धति—रामाचार्य द्वारा।

दन्त्येष्टिपद्धति—भानुदत्त उपनामक भास्कर के पुत्र हरिहर द्वारा। भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टीका का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भारद्वाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, विन्तु वे विभिन्न हैं।

दन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वदेहिकपद्धति—रामेश्वर के पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३।

दन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वदेहिकपद्धति—गोवा के पुत्र विश्वनाथ द्वारा।

दन्त्येष्टिप्रकाश—भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३)।

दन्त्येष्टिप्रयोग—(आपस्तम्बीय)।

दन्त्येष्टिप्रयोग—(हिरण्यवेशी) केशव भट्ट द्वारा, उनही 'प्रयोगमणि' से।

दन्त्येष्टिप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३।

दन्त्येष्टिप्रयोग—विश्वनाथ द्वारा। आर्यकालायन पर आधारित।

दन्त्येष्टिविधि—जिकन द्वारा। सुद्धितत्व मे रघु-नन्दन द्वारा उ०।

दन्त्येष्टिप्रारम्भिक।

दन्त्येष्टिसामग्री।

दन्त्येष्ट्यर्थ—सन् १८९० ई० मे दम्बई से प्रकाशित। अन्नदान।

दक्षप्रसाधन।

दक्षप्रसाधनप्रयोग।

दन्त्येष्टिका।

दन्त्येष्टिकानयनीशाल्यपद्धति।

दक्षमुत्पुत्रव्रजान्ति—शीनक की कही गयी है।

अपिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)—अपिपाल द्वारा, रघुनन्दन के आद्यतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की आद्य-

क्रियाकौमुदी द्वारा वर्णित। १५०० ई० के पूर्व।

अपिपालकारिका—रघुनन्दन के मलमासतत्त्व मे व०।

अपेक्षितार्थद्योतिनी—नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न (शान्त्युद्योत) मे व०।

अश्वपूतिप्रयोग या वर्णसिद्धि।

अश्वपूतिपूजा।

अश्वि—(केदार द्वारा ?) स्मृत्यभंगसार मे श्रीधर द्वारा उ०।

अमयमध्यप्रकरण।

अभिनवप्रायश्चित्त।

अभिनवमाधवोय—माधवाचार्य द्वारा।

अभिनववृद्धोति—(अचीन पर) पाँद्विंश के वैकदेश-पुत्र सुब्रह्मण्यम् द्वारा तेलुगु लिपि मे मूद्रित, मद्रास, १८७४ ई०। हुला (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, पृ० ६)। लेखक की धर्मप्रदीपिका टी०, चन्द्रिका,

माधवीय, कौशिकादित्य की पद्धति की ओर सकेत। १४०० ई० के पदचात् रचित।

अभिलषितापंचिन्तामणि (मानसोत्प्लास)—राजासोने-श्वर चालुक्य द्वारा। ११२९ ई०, पाँच विश-तियों मे विभाजित एवं १०० अध्यायी मे।

अम्बुदयध्याद।

अमृतध्याख्या—मन्द पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका म व०। १५७५ ई० के पूर्व।

अम्बिकाचर्चनचन्द्रिका—अहल्याकामधेनु मे वर्णित।

अमननिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा।

अपाचितकालनिर्णय।

अमृतहोम-सखाहोम-कोटिहोमा—बीचानेर के राजा अनूप-सिंह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। लग० १६५० ई०।

अमृतहोमविधि—नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३।

अरुणस्मृति—दानचन्द्रिका—एव नियमसिन्धु मे व०।

अलवर, सख्या १२५३, जिसमे दानग्रहण एवं उसके लिए प्रायश्चित्तों के धामक १४९ श्लोक लिखित हैं।

अर्कविवाहपद्धति—शौनक द्वारा।  
अर्कविवाह—प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय पत्नी से विवाह करने के पूर्व अर्क नामक पीये से विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए० एस०, पृ० २४०।

अभ्यंशन।

अभ्यंशप्रदानकारिका।

अभ्यानुष्ठान।

अर्जुनाश्व-वस्त्वृत्ता—रामचन्द्र द्वारा (कार्तवीर्य की पूजा पर)।

अर्जुनार्षांगिरिजात—रामचन्द्र द्वारा।

अर्षकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा, शब्दिदीपिका पर टी०। दे० प्र० १०१।

अर्षशास्त्र—कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदपत्रिका (द्वितीय अधि-करण के अभ्यास ८-३६ पर)। माधव-यश्वमित्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री (त्रि० सं० घो०) द्वारा श्रीमूल टी०।

अर्षप्रदीप—धर्मदेवर के राजनीतिरत्नाकर में वर्णित।

अर्षोदयपर्वपूजन—बडोदा (संख्या ३७४२)।

अर्हृप्रीति—हेमाचार्य (१०८८-११७२ ई०) द्वारा (अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६)।

अस्तङ्गाख्यान।

अस्तकाशीर्षप्रकाश।

अस्त्ययम—हरिनाथ के स्मृतिसार में वर्णित।

अश्वत्थामम—अज्ञात। इस प्रकार के संख्यासिद्धो एवं उनके वर्तमानों का वर्णन है। नो० न्यू० (जिल्द ३, मूमिका ९, पृ० ८)।

अश्वत्थानकाकप्रार्थविज्ञान।

अशुद्धिचक्रिका या (शुद्धिचक्रिका)—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

अशौचनिर्णय—उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, पृ० ७)।

अशौचप्रकाश—देखिए 'आशौचप्रकाश' के अंतर्गत।

'अशौच' पर लिखित ग्रंथों में 'अशौच' एवं 'आशौच' दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं।

अशौचसार—सत्यपण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति-समूहचय के उल्लेख आये हैं)।

अश्वत्थपूजा।

अश्वत्थप्रतिष्ठा।

अश्वत्थोद्यापन—(शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वत्थोपनयनपद्धति—(शौनक के अनुसार) बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वदान।

अष्टफाकर्म।

अष्टफाकर्मपद्धति।

अष्टकाशौचभाष्य—देखिए सूतकनिर्णय।

अष्टमहाश्रावतीनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा (बडोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०-१६२५ ई०।

अष्टमहामन्त्र-पद्धति—स्मृत्यर्थसागर में उ०।

अष्टविंशतिमुनिमत—बडोदा, संख्या १२७४३।

अष्टव्याहविधानविधि।

अष्टावश गोत्र—बडोदा, संख्या ३८५४।

अष्टावशजातिनिर्णय—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टावशविवाहसंज्ञेय—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टावश संस्कार—चतुर्भुज द्वारा।

अष्टावशास्मृतिसार।

अष्टावशास्मृतिसारसंग्रह—बडोदा, संख्या १०२१४।

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा—अहोबल द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११)।

असपिष्ठासगोत्रपरीक्षा—सम्भवतः यह उपर्युक्त ग्रन्थ ही है।

असपिष्ठासगोत्रपरिग्रहविधि—अहोबल शास्त्री द्वारा।

असिचक्रजपेय—चन्द्रप्रकाश द्वारा (बडोदा, सं० १५४७८)।

अस्विस्तुद्धि।

अस्मिन्नुद्दिप्रयोग ।

अस्म्युद्धरण ।

अहर्विधि ।

अहल्याकामधेनु—(बनारस सस्कृत कालेज मे एक पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिखव के पुत्र सखेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं शताब्दी के अन्तिम धरण मे) की ओर सकेत है।

अहिर्बुध्न्यसंहिता—भैरव द्वारा अठ्यार से प्रकाशित।

अहंसीति—हेमाचय द्वारा, दायभाग वाला भाग, लक्षनऊ से सन् १८९१ ई० मे प्रकाशित।

आश्रयणपद्धति—विट्ठल दीक्षित द्वारा। यजुर्वल्लभा का भाग।

आङ्गिरसस्मृति—बारह अध्यायो मे 'प्रायश्चित्त' पर (इण्डिया आफिस कंट्रोलिंग, जिल्द ३, पृ० २८०, सख्या १३०४)।

आचारकाण्ड ।

आचारकौमुदी—गोपाल द्वारा (बडोदा, सख्या १११-३३)।

आचारकौमुदी—सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा, सञ्चरित एव विष्णु-यूजा पर एक ग्रन्थ। सवत् १७८२ (१७२५-२६ ई०)।

आचारकण्ड—बडोदा, सख्या १२७९६।

आचारकान्दिका—त्रिविक्रम सूरि द्वारा।

आचारकान्दिका—पद्मनाभकृत। इन्हनि १३६७ ई० में सुपथ व्याकरण एव १३७५ ई० मे पृषोदरसिद्धि को रचना की।

आचारकान्दिका—रत्नेश्वर मिश्र रचित।

आचारकान्दिका—रमापति द्वारा रचित।

आचारकान्दिका—श्रीकृष्णार्य के पुत्र श्रीनायाचाय चूडामणि द्वारा दूदो एव द्विजो के वर्तव्या पर। रघुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि सवत् १४८८ ८९ मे जलारो गयी। ये १४७५ ई० मे भी ये। दे० इण्डि० आ०, पृ० ५२४।

आचारकान्दोद्यय—(माधवप्रकाश) सारस्वत दुगं के ११८

पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के शिष्य महेश्वर द्वारा, वाजसनेयो के लिए दिन के आठ भागो के बर्णो को आठ परिच्छेदो मे बाँटा गया है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के सटवर्ती लखपुर के राजा नासू के कनिष्ठतम पुत्र माधव के संरक्षण में प्रणीत। १५०० ई० के उपरान्त। देसिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एव इण्डि० आ० पृ० ५०६।

आचारकान्दोद्यय—सदाराम द्वारा।

आचारकान्तामणि—वाचस्पति मिश्र कृत, रघुनन्दन एव श्रीदत्त की पाण्डु०। दे० प्र० ९८।

आचारतरंगिणी—रविनाथ मिश्र।

आधारतत्त्व—मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, पृ० ८३ एव ३०१।

आधारतिलक—द्रव्यसुद्धिदीपिका एव निष्पदीपक द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व।

आधारतिलक—नागाधर द्वारा, १०८ श्लोकों मे। दे० ड० वा० पाण्डु० स० १३५ (१८८६-९२)।

आधारवर्णन—श्रीदत्त कृत, यही आचारार्दश भी है। दे० प्रक० ८९।

आधारवर्णन—बोपदेव कृत, पूर्तदिनकरोद्घोत मे व०। आधारवर्णन।

आधारवर्धिति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग।

आधारवर्धय या प्रथीष—गोदावरी पर कर्पूरप्राम के वासी कमलाकर द्वारा।

आचारवर्धय—नागदेव कृत, ८ अध्यायो में आङ्गिक पर आचारमयूख मे नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० (बिहार०, स० २२)। १४३६ ई० में।

आचारवर्धयक—त्रिविक्रम के संरक्षण मे गंगाविष्णु द्वारा सन् १७५२ ई० मे प्रतिलिपि।

आचारवर्धयिका।

आचारवर्धयिका—कमलाकर कृत।

आचारवर्धयिका—श्रीदत्त के आचारार्दश पर हरिलाल की टीका।

आचारदीपिका—सारसमुच्चय द्वारा (बड़ोदा, स० १०-११०)।

आचारद्वैतविवेक—विभाकर कृत। मिथिला के राजा रामभद्र के घामन-वाल ने प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी सन्देश मिटाता है। लग० १५०० ई०।

आचारनवनीत—गौरीमायूर के बासी अप्पा दीक्षित कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में प्रणीत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय के खण्डों में विभाजित।

आचारनिर्णय—गोपाल कृत।

आचारनिर्णय—ब्राह्मणों के कर्मव्यो पर ६६ दलोंकों में, ऋषय आदि की उत्पत्ति पर।

आचारपंचाशिका—महाशर्म-कृत।

आचारपद्धति—वासुदेवेंद्र कृत।

आचारपद्धति—विद्याकर कृत।

आचारपद्धति—श्रीधरसूरि कृत।

आचारप्रकाश—अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, स० १२७८९)।

आचारप्रकाशिका—अहल्यावामबेनु द्वारा उ०।

आचारप्रदीप—नेत्रवभट्ट कृत, रघुनन्दन के श्राद्ध-तत्त्व में उ०।

आचारप्रदीप—नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व भी लिखा।

आचारप्रदीप—भट्टोजि कृत।

आचारप्रशंसा।

आचारमुख्य—अम्बकराम शोक द्वारा; एक १७४१ में; ९ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित।

आचारमंजरी—मयूरनाथ कृत।

आचारमुख—नीलकण्ठ कृत। जे० आर० परपुरे द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए प्रक० १०७।

आचारभाष्य—भाष्यभाष्य कृत; पराशरस्मृति पर उनकी टीका का प्रथम भाग।

आचारभाला—निधिराम कृत।

आचाररत्न—रघुनन्दन के आङ्गिकतत्त्व में वर्णित।

आचाररत्न—मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम भाग)।

आचाररत्न—नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन् १५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में मुद्रित।

आचाररत्न—चन्द्रमौलि कृत।

आचाररत्नाकर—रघुनन्दन द्वारा आङ्गिकतत्त्व में उ०।

आचारवाक्यसुभा।

आचारवारिधि—रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा।

इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया।

आचारविधि।

आचारविवेक—मानसिंह कृत।

आचारविवेक—मदनसिंह कृत (मदनरत्न का एक भाग)।

आचारव्रताविरहस्य।

आचारसंग्रह—नागोली सजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा।

आचारसंग्रह—नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा।

आचारसागर—बल्लालशेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० ५८), स्मृतिरत्नावर (वेदाचार्यकृत) एवं लेखक की हृति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०।

आचारसार—हेमाद्रि (३।२।१००) द्वारा व०।

आचारसार—नारायणात्मज रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है।

आचारस्मृतिचक्रिका—गदाधर के पुत्र रुदाधिव द्वारा।

आचारावर्षा—(मैथिल) शीदत कृत। लग० १३०० ई० (बनारस में सन् १९२० में एवं बैंक० प्रेस में मुद्रित); रुदाधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें कामधेनु, बल्पतरु एवं हरिहर का भी उल्लेख है।

दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा टी० (बनारस में एण्ड बैंक० प्रेस में मुद्रित)। हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०।

आचारदीपिका—आचारादर्श का संक्षिप्त रूप।



**आचारार्क**—शालकृष्णारमज महादेव के पुत्र दिवानर के धर्मशास्त्रसुबानिधि का एक भाग, अपने माना एव मयूसों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख विद्या है। सन् १६८६-८७ में प्रगीत। तदनलाल द्वारा टीका।

**आचारार्ककम**—आचारार्क की अनुक्रमणिका। लेखक के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा, जिसने दानहारवालि एव श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी।

**आचारार्क**—मयुरानाथ कृत।

**आचारार्क**—रामचन्द्र भट्ट कृत।

**आचारानु**—नारायण के पुत्र एव 'भाटे' उपाधि वाले श्यम्भक द्वारा। सप्तर्षि (आधुनिक सतारा) में सन् १८३८ में प्रगीत। आनन्द० प्रेस में मुद्रित।

**आचारानुसूत्र**—शिवभट्ट एव सती के पुत्र नागेश भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ११०।

**आचारोद्घोत**—टोडरानन्द कृत।

**आचारोद्घोत**—धनरत्नसिंहदेव के मदनरत्नप्रदीप का एक भाग।

**आचारोत्सास**—जनारस में परसुराम मिश्र की आज्ञा से, (जी शाकद्वितीय हौलिल (र) मिश्र के पुत्र घे और जित्हे बादशाह द्वारा वागीरसालराय की पदवी मिली थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी के पुत्र खड्गेराव द्वारा इत परसुरामप्रकाश का प्रथम भाग। १५वें मयूस में शाकद्वितीय ब्राह्मणा की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १०-१२)।

**आचारोत्सास**—मयुरानाथ शुक्ल कृत।

**आचार्यमुधारस**—शतक्रु ताताचार्य के पुत्र वैकटाचार्य द्वारा (बंध्यव०)।

**आचार्यशुभामणि**—शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका, रघुनन्दन द्वारा एव धुइकमलाकर में उ०।

मतिष्येष्टि।

**आतुरसंन्यास**—देविए बी० बी० आर० ए० एस्० जिल्द २, पृ० २४१।

**आतुरसंन्यासकारिका**।

**आतुरसंन्यासपद्धति**—(बडोदा, स० ५८०३)।

**आतुरसंन्यासविधि**।

**आतुरसंन्यासविधि**—आधिरस द्वारा।

**आतुरसंन्यासविधि**—कात्यायन द्वारा।

**आतुरारविपद्धति**—४० का० पाण्डु०, स० १८८६-९२ की १३८।

**आत्रेयधर्मशास्त्र**—९ अध्यायो में (इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ३८०, स० १३०५)। ६ अध्यायो में एक अग्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, स० १३०८)।

**आत्रेयधर्मशास्त्र**—(बम्बई विरविद्यालय पुस्तकालय में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायो एव १४१ नण्डों में, अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ अन्त। नीतिमयूस में व०।

**आयवंगणह्यमूत्र**—विश्वरूप एव हेमाद्रि द्वारा व०।

**आत्रेयस्मृति**—(३६९ श्लोको में) इण्डि० आ०, जिल्द ३, पृ० ३८१।

**आयवंगणप्रमितासरा**—श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा (बडोदा, स० ७६०३) हेमाद्रि एव वैविकमी पद्धति की चर्चा की है।

**आदिधर्मसारसग्रह**—तुलानिराज (१७६५-८८ ई०) रचित कहा गया है।

**आदिस्मृत्यसंसार**—दे० स्मृत्यसंसार।

**आनन्दकरनिबन्ध**—विदयम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०।

**आपस्तम्ब-आयश्चित्तशातद्वयी**—दे० प्रायश्चित्तशातद्वयी।

**आपस्तम्बयत्नाश्रीय**।

**आपस्तम्बसूत्रध्वनितापकारिका** या त्रिकाश्वमण्डन—कुम्भारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एव आधान पर चार काण्ड हैं (विभियीयिका इण्डिका सीरीज, बलकता) टी०, दे० स्टोन (पृ० १२)। टी० पदप्रकाशिका या त्रिकाश्वमण्डनविवरण।

**आपस्तम्बपुष्टामूत्र**—विष्टरनित्र द्वारा सम्पादित एव एस्० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित।

टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मंसूर), टी० कर्क द्वारा,  
टी० कपर्दिवारिका (कुम्भकाणम् मे प्रकाशित,  
१९१६), टी० गृहसूत्रात्पददान, सुदसनाचार्य द्वारा  
(काशी संस्कृत सो० द्वारा प्रकाशित), टी० प्रयोग-  
वृत्ति तालवृत्तनिवासी द्वारा (कुम्भकोणम् मे  
प्रकाशित १९०२)।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रदीपिका।

आपस्तम्बगृह्यप्रयोग।

आपस्तम्बगृह्यभाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि द्वारा उ०।

आपस्तम्बगृह्यसार—महामहोपाध्याय योपनभट्ट (आध्र)  
द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिका—वाग्बिजय के पुत्र सुद-  
घन द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिकावृत्ति—नरसिंह द्वारा (१६९  
श्लोको मे शक स० १५३६ मे लिखित एव १९२२  
मे तेलुगु मे अनूदित)।

आपस्तम्बजातकर्म—बाणभट्ट द्वारा।

आपस्तम्बप्रमंसूत्र—दे० प्रक० ७। टी० उज्ज्वला,  
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम् मे मुद्रित एव बम्बई  
संस्कृत सोरोज द्वारा प्रकाशित)।

आपस्तम्बपद्धति।

आपस्तम्बपद्धति—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बपरिभाषासूत्र—मसूर १८९४ एव आन०  
स० ९३। टी० कपर्दिसवामी द्वारा, टी० हरदत्त आ०।

आपस्तम्बपुत्रप्रयोग।

आपस्तम्बपुत्रप्रयोगकारिका।

आपस्तम्बपुत्रप्रयोगपद्धति—तिगामट्ट द्वारा (हृत्य),  
स० ८७।

आपस्तम्बप्रयोगरत्न—नारायणयज्वा द्वारा।

आपस्तम्बप्रयोगसार।

आपस्तम्बप्रयोगसार—गगामट्ट द्वारा।

आपस्तम्बप्रायश्चित्तसप्तद्वयी—टी० वैश्वदेववाजपेयी द्वारा।

आपस्तम्बधातुप्रयोग।

आपस्तम्बसूत्रकारिका।

आपस्तम्बसूत्रसंग्रह।

आपस्तम्बस्मृति—१० अध्याया मे, पद्य मे, जीवानन्द  
द्वारा मुद्रित।

आपस्तम्बस्मृति—विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, नाथव एव  
हरदत्त द्वारा उद्धृत।

आपस्तम्बाह्निक।

आपस्तम्बाह्निक—वासीनाथ भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—गावधन कविमण्डन द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—शुद्धदेव तोरो द्वारा।

आपस्तम्बीयद्वादशसत्काराः।

आपस्तम्बीयमंत्रपाठ—डा० विष्टरनिरंज द्वारा सम्पा-  
दित।

आपस्तम्बीयसत्कारप्रयोग।

आश्विननिर्णय।

आश्विनयधिकमाह।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—गगाराम महाडकर द्वारा।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—दे० जलारामारामासगणपद्धति।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—भट्टनारायण द्वारा।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—शिवराम द्वारा।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—(बडोदा, स० ५४२४)।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—वैद्यनाथ द्वारा।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—निर्णयसिधु द्वारा वर्णित।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—श्रीदत्त कृत।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—बैकटेरा द्वारा।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—दिनकराद्यात वा एक भाग।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुषता-  
फल वा एक भाग)।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—गगापरी कृत।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—रत्नभट्ट के पुत्र रघुलामट्ट या  
तिगलामट्ट के पुत्र वेदातराम द्वारा (स्टीन, पृ० ८३)।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—राजहृष्य सर्कवागीशभट्टाचार्य द्वारा।

आश्विनयधिक्याह्निकपद्धति—दे० 'सुद्धितत्व'।

आशौचतत्त्व—अगस्त्यगोत्र के विद्वनाय के पुत्र महा-  
देव द्वारा, ४८ श्लोको में (ह्रस्व, पृ० १४३)।  
टी० श्रम्वक के पुत्र शिवसूरि (महानन) द्वारा  
रचित।

आशौचतत्त्वविचार।

आशौचार्त्रिशब्दश्लोकी—दे० त्रिशब्दश्लोकी; अलीगढ़ में  
प्रकाशित। टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ट द्वारा।  
स्मृत्यर्पणसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है।  
टी० भट्टाचार्य द्वारा (बडोदा, स० ३८८३, शाल  
सं० १५७९, सन् १५२२-२३ ई०)। टी० भट्टोजि  
द्वारा।

आशौचदशक—या दशश्लोको, विज्ञानेश्वर द्वारा;  
दे० 'दशश्लोको'। टी० विवरण (भट्टोजि कृत);  
टी० रामेश्वररात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा  
(१५७८ ई०); टी० लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर  
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एव  
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पृ० ३०२); १६५०  
ई० के पश्चात्। टी० वैकटाचार्य द्वारा। टी०  
श्रीधर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ०  
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५)।

आशौचदोषिति—अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक  
भाग।

आशौचवीपक—कौटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा।  
टीका लेखक द्वारा।

आशौचवीपिका—अधोराशिवाचार्य द्वारा।

आशौचवीपिका—विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गगामभट्ट)  
द्वारा। दिनचरोद्घोत कृत आशौच का एक अंश  
(नो०, पृ० १३६)।

आशौचवीपिका—श्यामसुन्दर भट्टाचार्य द्वारा।

आशौचवीपिका—कम्भालुर नृसिंह द्वारा, जिसे  
हेमाद्रि, माधवीय, यदशीति एव पारिजात की ओर  
संकेत किया है।

आशौचनिर्णय या बडशीति—ओक्रेष्ट (२, पृ० ११)  
ने बडशीति को अभिनययदशीति कहा है।

आशौचनिर्णय—आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा;

टी० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (शौलम्भा  
सो०), १५९०-१६२५ ई० के बीच।

आशौचनिर्णय—कौशिकाचार्य कृत (अभारकर सप्रह  
से), १४६ श्लोको में, कौशिकादित्य के ८६  
श्लोको की ओर संकेत है और गोमिल के यत्न  
उ० हैं)।

आशौचनिर्णय—गोपाल द्वारा। शक स० १५३५  
(१६१३ ई०), अपने 'शुद्धिनिर्णय' में उ० है।  
नो० ९, पृ० २६७।

आशौचनिर्णय—मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के  
पुत्र गोविन्द द्वारा।

आशौचनिर्णय—आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा-  
वरी पर उत्पन्न, सम्भवत अनन्तदेव के भाई।

आशौचनिर्णय—आगिरसगोत्र के नारायणरात्मज रघुनाथ  
के पुत्र श्रम्वक पण्डित द्वारा। अशो में विमाजित।  
निर्णय० में मूद्रित। निर्णयसिन्धु एव नागो-  
जिमट्टीय को उ० करता है। सन् १७६० ई० के  
लगभग।

आशौचनिर्णय—शिवभट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा।

आशौचनिर्णय—भट्टोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा।

आशौचनिर्णय—रामेश्वर के पुत्र भाषव द्वारा; लग०  
१५१५-१५७० ई०।

आशौचनिर्णय—रघुनन्दन द्वारा।

आशौचनिर्णय—रघुनाथ पण्डित द्वारा। देखिए  
'त्रिशब्दश्लोकी'।

आशौचनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा।

आशौचनिर्णय—श्रीनिवास पुत्र वरद द्वारा। आशौच-  
दशक एव आशौचशतक के प्रभाव देता है।

आशौचनिर्णय—बोरेश्वर द्वारा।

आशौचनिर्णय—वैकटाचार्य द्वारा; दे० 'अधनिर्णय'।

आशौचनिर्णय—वैवदेश्वरदेव ताताचार्य के पुत्र वैदाम्भ-  
रामानुजतातदास द्वारा।

आशौचनिर्णय—वैदिक सार्वभौम द्वारा (क्या यह  
आशौचशतक ही है?)। टी० शठकोपदास (बडोदा,  
स० ६३८०)।

आशौचनिर्णय—भोनिवास तर्कवागीश द्वारा।  
 आशौचनिर्णय—शोमन्यास द्वारा।  
 आशौचनिर्णय—हरि द्वारा।  
 आशौचनिर्णय या स्मृतिकौस्तुभ—रायस वैकटाद्रि द्वारा।  
 आशौचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह।  
 आशौचनिर्णय या स्मृतिसार—बैकटेरा के किसी ग्रन्थ पर टी०।  
 आशौचनिर्णयसंग्रह—बडोदा, स० १२६००।  
 आशौचनिर्णयटीका—मयुरानाय द्वारा।  
 आशौचपरिच्छेद।  
 आशौचप्रकाश—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवत वही या रघुनन्दन के शुद्धितत्व में व० है, अतः सन् १५०० ई० के पूर्व।  
 आशौचप्रकाश—(धर्मतत्त्वकलानिधि से), पृथ्वीचन्द्र द्वारा।  
 आशौचमञ्जरी।  
 आशौचमाला—गोपाल सिद्धान्त द्वारा।  
 आशौचाधिकार।  
 आशौचव्यवस्था—राधानाय चर्मा द्वारा।  
 आशौचशतक।  
 आशौचशतक—रामेश्वर द्वारा।  
 आशौचशतक—हारोतगोन के रगनाय के पुत्र वैकटाचार्य या वैणटनाय द्वारा। देखिए 'अधनिर्णय'। हल्का (२, मरुटा १४९९)। टी० आशौचनिर्णय, जो रामानुज दक्षिण द्वारा लिखित है।  
 आशौचशतक—नीलकण्ठ द्वारा।  
 आशौचशतक—बंदिन सार्वभौम (ये सम्भवतः वैणटाचार्य ही हैं) द्वारा।  
 आशौचवङ्गशोति—देखिए आशौचनिर्णय।  
 आशौचसंक्षेप—मधुसूदन वाचस्पति द्वारा।  
 आशौचसंग्रह—सत्याधोरासिन्धु द्वारा (बडोदा, ५८६२)।  
 आशौचसंग्रह—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा।  
 आशौचसंग्रहविधुति—भट्टाचार्य द्वारा।  
 आशौचसंग्रह—बैकटेरा द्वारा। इसने आचारतन्त्रोत्तर, अधनिर्णय, अधविवेक, अभिनवपद्योति को उ० किया है।

आशौचसंग्रह—विद्याल्लोकी—दे० 'विद्याल्लोकी'।  
 आशौचसागर—कुल्लूक शृत। उनके आशौचसागर में व० है।  
 आशौचसागर—बलभद्र द्वारा।  
 आशौचसिद्धान्त।  
 आशौचस्मृतिचन्द्रिका।  
 आशौचस्मृतिचन्द्रिका—गदाधर के पुत्र एव दशपुत्र नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार जयसिंह के लिए संपूहीत। लेखक ने लिगार्पण-चन्द्रिका भी लिखी है।  
 आशौचादर्श—सारमग्रह में उ०।  
 आशौचाष्टक—वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी० में मुद्रित) टी० अज्ञात; जिसमें निर्णयवार, गौतम-धर्मसूत्र के भाष्यकार मत्सरो एव सहस्रस्वामी के नाम आये हैं।  
 आशौचादिनिर्णय—राम देवज द्वारा।  
 आशौचीयदशसंस्कारोपविधुति—लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। दे० 'आशौचदशक' (दशसंस्कार)।  
 आशौचिनुशेखर—राम देवज द्वारा।  
 आशौचिनुशेखर—नागोजिभट्ट द्वारा।  
 आश्वलायनगृह्यसूत्र—निर्णय० प्रे० में मुद्रित, विभिन्न-योयिका इण्डिया सोरीट एव एम्० वी० ई०, जिल्द २९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा (ट्राएनिएल कैंट०)। टी० तजौर के राजा साहजी एव सर्फोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय बाजपेययम्बा द्वारा। टी० गदाधर द्वारा। टी० विमलोदयमाला, अभिनन्द के पिता एव इत्यायस्वामी के आश्वलायन-पुत्र जयन्तस्वामी द्वारा। नो० जिल्द १५ पृ० १६३। लग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लग० १०००-१०५० ई०। नैधुवगोन के दिवाकर-पुत्र नारायण द्वारा (विभिन्नयोपिना इण्डि० एव निर्णय० प्रे० में मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर सन्नेत। आश्वलायन श्रौत० के भाष्यकार नरसिंह के पुत्र नारायण की पहचान सिद्ध है। दे० बी० बी० आर०

एन्० फंट०, जिल्द २, पृ० २०२। टी० विष्णुगूढ-  
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का  
अनुमरण हुआ है।

आश्वलायनगृह्यकारिका—२२ अध्यायो एव १२९६  
श्लोकों में। टी० विवरण, बुध्देव या  
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण  
द्वारा।

आश्वलायनगृह्यकारिका—कुमारिलस्वामी (? कुम्हार-  
स्वामी) द्वारा। आश्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति  
एव जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० बी०  
आर० ए० ए०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में  
मुद्रित, १८९४)।

आश्वलायनगृह्यकारिका—रघुनाथ दोशित द्वारा।  
आश्वलायनगृह्यकारिकावनी—गोपाल द्वारा।

आश्वलायनगृह्यपरिभाषा—(निर्णय० प्रे० एव विविल०  
इण्डि० द्वारा मुद्रित)।

आश्वलायनगृह्यपरिभाषा।

आश्वलायनगृह्यप्रयोग।

आश्वलायनगृह्योक्तवास्तुशान्ति—रामकृष्ण भट्ट द्वारा।

आश्वलायनधर्मशास्त्र—द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त,  
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बडोदा, स०  
८७०८)।

आश्वलायनपूर्वप्रयोग—(हस्त, स० ४३१)।

आश्वलायनप्रयोग—टी० विष्णु द्वारा, वृत्ति।

आश्वलायनप्रयोगवैशेषिका—तिरुमलयन्त्रा के पुत्र तिरु-  
मल सीमयाजी द्वारा।

आश्वलायनयाज्ञिकपद्धति।

आश्वलायनशास्त्रप्रयोग—रामकृष्णारमज कमलाकर  
द्वारा।

आश्वलायनसूत्रपद्धति—नारायण द्वारा।

आश्वलायनसूत्रप्रयोग—त्रैविद्यभट्ट द्वारा।

आश्वलायनसूत्रप्रयोगवैशेषिका—मञ्जनाचार्यभट्ट द्वारा  
(द्वारास स० सोरोज में मुद्रित)।

आश्वलायनस्मृति—११ अध्यायो एव २००० श्लोकों  
में। आश्वलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृत्ति एव कारिका

की ओर संकेत। हेमाद्रि एव माधवाचार्य द्वारा  
उ०।

आहिताग्निपरणे ब्राह्मणि—रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट-  
नारायण द्वारा, दे० प्रक० १०२।

आहिताग्नेर्वाहाविनिर्णय—विश्वनाथ होसिंग के पुत्र  
रामभट्ट द्वारा।

आहिताग्न्यन्वेष्येष्ट प्रयोग।

आहूततीर्थकस्तान प्रयोग।

आह्निक—अहुत से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे  
दिये जाते हैं।

आह्निक—दशपुत्रकुल के प्रभाकरभुव आनन्द द्वारा।

आह्निक—आपदेव द्वारा।

आह्निक—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे०  
प्रक० १०६, यह 'बद्ध आह्निक' ही है।

आह्निक—मगापर द्वारा।

आह्निक—गोपाल देशिकाचार्य द्वारा।

आह्निक—छल्लारि नृसिंह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु-  
यायियों के लिए।

आह्निक—ज्ञानभास्कर द्वारा। इतने आह्निक-संक्षेप  
भी लिखा है।

आह्निक—दिवाकर भट्ट द्वारा।

आह्निक—बलभद्र द्वारा।

आह्निक—भट्टोजि द्वारा (चतुर्विंशतिमत-टीका  
से)।

आह्निक—भाधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

आह्निक—विट्ठलाचार्य द्वारा।

आह्निक—(बौधायनीय) विश्वपतिभट्ट द्वारा।

आह्निक—त्रैयनाथ दीक्षित द्वारा।

आह्निक—वजराज द्वारा (वल्लभाचार्य के अनुयायियों  
के लिए)।

आह्निककारिका।

आह्निककृत्य—विद्याकर वृत्त; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व  
में स०, अत १५०० ई० के पूर्व।

आह्निककौस्तुभ—(हरिविजयवास से)।

आह्निककौस्तुभ—यादवाचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा

(बडोदा, स० ८८०९)। यह आनन्दतीर्थ की सदा-  
चारस्मृति की टी० है।

आह्निकचन्द्रिका—वासीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका  
है या चन्द्रिका टीका है ?)।

आह्निकचन्द्रिका—मोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर  
लिखित।

आह्निकचन्द्रिका—गोपीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—रामेशभट्टारमज महादेव बाल के  
पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (मायण के वैदिक  
मन्त्रों के उद्घरण के साथ निणय० प्र० में मुद्रित) का  
उल्लेख है। यह मध्याह्निकचन्द्रिका ही है।

आह्निकचन्द्रिका—देवराम द्वारा।

आह्निकचिन्तामणि—आह्निकतत्त्व म रघुनन्दन द्वारा  
उ०, अत यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है।

आह्निकतत्त्व या आह्निकाचारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा,  
जोवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० मयूसूनन द्वारा।

आह्निकवर्णन—रामकृष्ण वृत् (बम्बई में मराठी अनुवाद  
प्रकाशित, १८७६)।

आह्निकवीथक—अनन्त—लक्ष्मीधर—गोविन्द—  
वत्सराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल  
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, स० २९१।

आह्निकवीथक—शिवराम द्वारा। दे० आह्निक-  
संक्षेप।

आह्निकवृद्धति—विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु  
वंत्सम'।

आह्निकपारिजात—अनन्तभट्ट द्वारा।

आह्निकप्रकाश—श्रीरामदीप से।

आह्निकप्रदीप—कमलाकर द्वारा उ०।

आह्निकप्रयोग—गोदावरी पर कूर्मराम के कमलाकर  
द्वारा। बडोदा की स० २७७ में कुछ संदेह है।

आह्निकप्रयोग—महाशिव दीक्षित के पुत्र वासीदीक्षित  
द्वारा। हदयपदुम में अनन्त ने उद्घरण दिया है।

आह्निकप्रयोग—गोवर्धन कविमण्डन द्वारा (आप-  
स्तम्बियों के लिए)।

आह्निकप्रयोग—महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा  
(हिरण्यवेशिमा के लिए)।

आह्निकप्रयोग—रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मज  
रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन् १५८३  
ई० में १९ वष की अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन  
किया।

आह्निकप्रयोगरत्नमाला—वंराज (आधुनिक वाई, ततारा  
जिले) के निवामी मयूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर  
दीक्षित पिता ने इसे लिखा है। भट्ट, जिदीक्षित पर  
आचाराक की चर्चा है।

आह्निकप्रायश्चित्त—इसमें कमलाकर वर्णित है।  
(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५५)।

आह्निकभास्कर—इन्द्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा।

आह्निकमजरोटीका—गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आपु-  
निव पुण्यताम्बे) के निवासी शिवपण्डितारमज  
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। इसके विद्यम-  
रगरेन्दुमिते, अपात् सन् १५९८ ई० में  
रचित।

आह्निकरत्न—(प्रति दिन के कर्मों पर)।

आह्निकरत्न—दाशियात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन  
प्रकाशा में।

आह्निकरत्नवषक—गगापरसुत द्वारा (बडोदा, स०  
१२३०६-७)।

आह्निकविधि—कमलाकर द्वारा।

आह्निकविधि—नारायण भट्ट द्वारा।

आह्निकसंक्षेप—कौयुमिनासा का।

आह्निकसंक्षेप—ज्ञानभास्कर का।

आह्निकसंक्षेप—वामदेव द्वारा, लाला ठक्कर के लिए  
लिखित।

आह्निकसंक्षेप—शिवराम द्वारा। वंशनाथ के आह्निक  
का संक्षेप।

आह्निकसंग्रह—यज्ञभट्टारमज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त-  
भट्ट द्वारा। शुक्लयजुर्वेदिया के लिए।

आह्निकसार—दत्तपतिराज द्वारा (द्वितीय अम्पाय  
नुसिहयसाद का है)।

आह्निकसार—भारुमट्ट द्वारा (सम्भवतः आह्निक-  
सारमञ्जरी के लेखक)।

आह्निकसार—सुदर्शनाचार्य द्वारा।

आह्निकसार—हरिराम द्वारा।

आह्निकसारमञ्जरी—विश्वनाथभट्ट दातार के पुत्र  
बालमभट्ट द्वारा।

आह्निकसूत्र—गीतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७  
खण्डों में। दे० बी० बी० आर० ए० एस्०, पृ०  
२०४, सं० ६५१।

आह्निकस्मृतिसंग्रह।

आह्निकशास्त्राब्ज—सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षप्रणीत  
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई०  
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराम के संरक्षण से  
संगृहीत।

आह्निकामृत—रगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द्वारा।  
वैष्णवों की वैशानस शाखा के कर्मों एवं धार्मिक  
कृत्यों पर।

आह्निकोद्धार—रघुनन्दन द्वारा आह्निकतत्त्व में उ०।  
इन्द्ररासस्मृति।

इष्टिकाल—दामोदर द्वारा।

ईशानसहिता—समयमपूष में वर्णित।

ईश्वरसहिता—रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०।

उच्छ्वला—हरदत्त द्वारा, आपस्तम्बपरमसूत्र पर टी०।  
टी० कालामृत, वेङ्कटयजुषा द्वारा।

उत्तरकालामृत—कालिदासद्वारा (विवाह, विषद्वसम्बन्ध  
आदि पर)।

उत्तररक्षिपापद्धति—प्राज्ञिकदेव द्वारा।

उत्तरीयकर्म—(काष्ठीय)।

उत्प्रातःशान्ति—बृद्धार्णं लिखित कही गयी है।

उत्सर्गक्रमसाकर—कमलाकर भट्ट का।

उत्सर्गकर्म।

उत्सर्गकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अंश।

उत्सर्गनिर्णय—कृष्णराम द्वारा।

उत्सर्गपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

उत्सर्गपरिसिष्ट।

उत्सर्गप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा।

उत्सर्गमपूष—नीलकण्ठ द्वारा (वे० आर० धरपुरे द्वारा  
बम्बई में मुद्रित)।

उत्सर्गोपाकर्मप्रयोग—नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण  
द्वारा।

उत्सर्जनपद्धति।

उत्सर्गनौपाकर्मप्रयोग—महादेव के सुत मापूढट्ट द्वारा।

उत्सर्गनिर्णय—तुलजा राम द्वारा।

उत्सर्गनिर्णय—गुरुपुत्रोत्तम द्वारा।

उत्सर्गनिर्णयमञ्जरी—गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४  
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बडोदा सं० २३७५)।

उत्सर्गप्रकाश।

उत्सर्गप्रतान—गुरुवोत्तम द्वारा।

उत्सर्गशास्त्रप्रकाश—ज्वालाताप मिश्र द्वारा।

उत्सर्गकरपद्धति—(तन्त्र) 'मालासंस्कार' में उ०।

उत्सर्गप्रकाश—(बडोदा, सं० ८०१६)।

उद्घानप्रतिष्ठा।

उद्घापनकालनिर्णय।

उद्घाहृत्स्व—गोवर्धन उपाध्याय द्वारा।

उद्घाहृत्स्व—गोवर्धन उपाध्याय द्वारा।

उद्घाहृत्स्व—दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच-  
स्पति भट्टाचार्य (सन् १८७७ एव १९१६ में बंगला  
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित)।

उद्घाहृत्स्व—गोपाल न्यायप्रधान द्वारा।

उद्घाहृत्स्व।

उद्घाहृत्स्वैक—गणेशभट्ट द्वारा।

उद्घाहृत्स्ववस्था—नौ०, जिन्द २, पृ० ७७।

उद्घाहृत्स्ववस्था—दे० सम्बन्धव्यवस्थाविकास।

उद्घाहृत्स्ववस्थासंक्षेप।

उद्घाहृत्स्वकालनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं०  
१०२२६)।

उपकाश्यपस्मृति।

उपचारबोधशरत्समाला—(महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या)

रघुरामतीर्थ के शिष्य सुरेश्वरस्वामी द्वारा।

उपनयनकर्मपद्धति।

उपनयनकारिका—अज्ञात।  
 उपनयनचिन्तामणि—शिवानन्द द्वारा।  
 उपनयनतन्त्र—गोभिल द्वारा।  
 उपनयनतन्त्र—रामदत्त द्वारा।  
 उपनयनतन्त्र—लोगाक्षि द्वारा।  
 उपनयनचरित—रामदत्त द्वारा (बाजसनेमियो के निर)।  
 उपनयनपद्धति—विश्वनाथ दीक्षित द्वारा।  
 उपस्थान।  
 उपाकर्मनिर्णय।  
 उपाकर्मकारिका—(स्टोन, पृ० १२)।  
 उपाकर्मपद्धति—(वात्स्यायनीय) वैद्यनाथ द्वारा।  
 उपाकर्मप्रमाण—बालदीक्षित द्वारा।  
 उपाकर्मप्रयोग—(आपस्तम्बीय)।  
 उपाकर्मप्रयोग—(आश्वलायनीय)।  
 उपाकर्मप्रयोग—टीकामठ के पुत्र द्वारकानाथ द्वारा।  
 उपाकर्मविधि।  
 उपाकृतितत्त्व—बालम्भट्ट, उर्फ बालवृष्ण पायगुप्ते द्वारा; प्रति० स० १८४८ (१७९२ ई०), स्टोन, पृ० ३०२।  
 उपाकर्मविधि—दयासागर द्वारा।  
 उपांगिरस्मृति।  
 ऋष्यपुण्ड्रनिर्णय—पुरुषोत्तम दाग, काल १७६४ सवत्, बड़ोदा, स० ३८६२।  
 ऋष्यपुण्ड्रपारम्भ।  
 ऋष्यमूल।  
 ऋग्वेदाह्निक—जासीनाथ द्वारा। ऋग्वेदाह्निकचन्द्रिका नाम भी है।  
 ऋग्वेदाह्निक—तिरोमणि द्वारा।  
 ऋग्वेदाह्निकचन्द्रिका—जासीनाथ द्वारा।  
 ऋग्वेदप्रयोग—विश्वनाथ होसिंग के पुत्र भट्ट राम द्वारा (तीर्थद्वंश के आधार पर)। बड़ोदा, स० ८५१५, शक सं० १६७६।  
 ऋग्वेदमिताक्षरा—यह मिताक्षरा ही है।  
 ऋषभोत्सव।

ऋतुतन्त्र।  
 ऋतुशास्त्र।  
 ऋत्विग्वरपनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा।  
 ऋयितपेय।  
 ऋयितवर्णकारिका।  
 ऋयिनट्टी—दे० मस्वारभास्वर।  
 ऋष्यभृगुविधान—(वर्षों के लिए कृत्य) बड़ोदा, स० ११०४७।  
 ऋष्यभृगुस्मृति—दे० प्र० ४०।  
 एकदण्डिसंन्यासविधि—शीनक द्वारा।  
 एकनक्षत्रजननशास्त्र—गर्ग द्वारा (बड़ोदा, स० ५६६१)।  
 एकवस्त्रस्नानविधि—राकरभट्टारमज नीलकण्ठ के पुत्र भानुमठ्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०।  
 एकान्तिकाण्ड—(यजूर्वेदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक एवं मन्त्रप्रदत्त भी नाम हैं (मंसूर, १९०२)। दे० आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ।  
 एकान्तिकाण्डमन्त्रध्याख्या—हरदत्त द्वारा।  
 एकान्तिकान्तपद्धति—श्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० सवत् २९९०=१४१८ ई० में मिथिला के देवसिंह के संरक्षण में पाण्डु० उतारी गयी।  
 एकादशाहकृत्य।  
 एकादशीप्रयोग—(११ बार कदाप्याथ वा पाठ)।  
 एकादशीतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम वाचस्पति द्वारा। टी० 'दीप', राधामोहन गोस्वामी द्वारा। शान्तिपुर के मासी एवं कोलकुक के मित्र। चैतन्यदेव के साथी अद्वैत के वरज दे।  
 एकादशीनिर्णय—इस नाम के कई ग्रन्थ हैं और कंठलापों में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं।  
 एकादशीनिर्णय—(या निर्णयसार) मुरारि के पुत्र घरणीपर द्वारा। स० सं० १४०८ (१४८६ ई०) में प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, गोपदेव पण्डित, विश्वरूप (मुदा) एवं विद्या एकादशी के प्रचारों पर श्लोक), विद्यादेवर (एकादशी पर तीन सम्पन्न श्लोक) का



उल्लेख है। बडोदा, सं० १२०५२, काल सन् १६२०।

एकावशीनिर्णय—वृष्णा नदी पर विराटनगर (बाई) म अष्टपुत्र कुल के नरसिंह-पुत्र हरि द्वारा।

एकावशीनिर्णय—नीलकण्ठ के पुत्र साक्य द्वारा (सदा पार-संघर्ष का एक भाग)।

एकावशीनिर्णयव्याख्या—आनन्दगिरि ने शिष्य अम्बुना-न्द द्वारा।

एकावशीविधेय—गुलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

एकावशीधर्मनिर्णय—देवकीनन्दन द्वारा।

एकावशीधर्मोद्घापनपद्धति।

एकावशीहोमनिर्णय—(बडोदा, संख्या ८३३२)।

एकावशीहोमनिर्णय—राम नवरत्न द्वारा (बडोदा, सं० ८५५६)।

एकोद्दिष्टभाष्य।

एकोद्दिष्टभाष्यपद्धति।

एकोद्दिष्टभाष्यप्रयोग।

एकोद्दिष्टसारिणी—मगोली सजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए प्रणीत।

ऐश्वर्यभगसनिर्णय—गणेशदत्त द्वारा।

औदीच्यप्रकाश—वेणीदन द्वारा।

औपासनप्रार्थनविधय—(अनन्तदेव की सस्कारदीपिति से)।

औष्वेदेहिककल्पवल्ली—विश्वनाथ द्वारा।

औष्वेदेहिककल्पपद्धति—ज्योतिर्विद् गोबाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुर्वेद भाष्यमन्दिनी शास्त्रा के अनुसार)। ये गोमतीवालजातीय थे।

औष्वेदेहिकनिर्णय—वासुदेवाश्रम द्वारा।

औष्वेदेहिकपद्धति—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर मट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

औष्वेदेहिकपद्धति—(या प्रयोग) यशेश्वर के पुत्र कृष्ण दोक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार)।

औष्वेदेहिकपद्धति—दयाशकर द्वारा।

औष्वेदेहिकपद्धति—(या अल्पेष्टिपद्धति) रामेश्वर के पुत्र नारायण मट्ट द्वारा।

औष्वेदेहिकप्रकरण।

औष्वेदेहिकाधिकारनिर्णय।

कठपरिभाष्य—परिचोषखण्ड में हेमाद्रि द्वारा उ०।

कठपुत्र—हेमाद्रि द्वारा परिचोषखण्ड एवं सस्कारमयूस में उ०।

कठभूषण—वेदिकसावर्भौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में व०। यह गृह्यरत्न की टीका है।

कथस्मृति—गौ० ध० सू०, आचारमयूस एवं श्राद्धमयूस में हरदत्त द्वारा व०।

कदासीप्रतोद्घापन।

कन्यागततीर्थविधि।

कन्यादानपद्धति।

कन्याविवाह।

कन्यासस्कार।

कर्पिकारिका—निर्णयसिन्धु एवं सस्कारमयूस (सिद्धे-स्वरूढ) में व०।

कपालवीचनध्याय।

कपिलगोदान।

कपिलसहिता—सस्कारमयूस में व०।

कपिलस्मृति—१० अध्यायों में, प्रत्येक में १०० श्लोक, कलियुग में ब्राह्मणों की अवतति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर।

कपिलध्यान।

कपिलदानपद्धति।

कर्णवेधविधान—(प्रयोगपरिजात से)।

कर्णकाण्डपद्धति।

कर्णकाण्डसारसमुच्चय—(बडोदा, सं० ९५०६, सवत् १६१८=१५६१-६२ ई०)।

कर्णकालप्रकाश—कृष्णराम द्वारा।

कर्णकौमुदी—आवस्यिक भृशुदत्त के सुत कृष्णदत्त द्वारा।

कर्णकौमुदी—मिश्र पिप्पुशर्मा द्वारा।

कर्णक्रियाकाण्ड—(शेष) १०७३ ई० में सोमसम्भु द्वारा;

१२०६ में पाण्डु० उतारी गयीं। दे० हरप्रसाद शास्त्री (दरवार लाहबेरी, मेपाल), पृ० ९५।

कर्णतत्त्वप्रदीपिका—(उर्फ लघुपद्धति) रघुनाथात्मज

102300

पुरुषोत्तम के पुत्र कृष्णमट्ट द्वारा; कलिबज्र्यं, आह्निक, संस्कार, श्राद्ध पर; माघवीय, वामनभाष्य, चन्द्रिका, जयन्त, कालादर्श, मदनपारिजात को उद्धृत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० (स्टोन, पृ० ३०४)।

कर्मवीथ—त्रिकाण्डमण्डन में उ०।

कर्मदीपिका—रघुरामतीर्थ द्वारा। एक विशाल ग्रन्थ।

वर्णाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायो से अधिक। विशानेश्वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण (बी० बी० आर० ए० एम्, पृ० २११-२१३)।

कर्मवीपिका—भूषर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, स० ६८९२)। कुण्ड, वेदि, मधुपर्क, कन्यादान, चतुर्थीकर्म पर।

कर्मनिर्णय—भ्रानन्दतीर्थ द्वारा। टी० जयतीर्थ द्वारा।

टी० पर टी०, राघवेन्द्र द्वारा।

कर्मपद्धति—चिद्मनानन्द द्वारा।

कर्मपीपुष—अहल्याकामधेनु में द०।

कर्मप्रकाश—कलायक्षत्रज द्वारा।

कर्मप्रकाश—ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

कर्मप्रकाशिका—पञ्चाक्षर गुह्याय द्वारा (पाक्यज, ब्रह्माण्डहोम, पुनस्वीकारविधि, शूलगव पर)।

कर्मप्रवीथ—वात्स्यायन या गोभिल का कहा गया है।

'छन्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, माधव,

रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रवर के पुत्र

आचार्यदत्त या आचार्य द्वारा। टी० परिशिष्ट-प्रकाश,

गोन के पुत्र नारायणोभाष्याय द्वारा (बिम्बि०

इम्बि०, १९०१)। टी० विश्राम के पुत्र शिवराम

द्वारा।

कर्मप्रवीपिका—नामदेव द्वारा पारस्करगृह्यसूत्र पर एक

पद्धति।

कर्मप्रायश्चित्त—वैकटविजयी द्वारा।

कर्ममञ्जरी—(अलवर कंटलाग, स० १२७७)।

कर्मलोचन—गृह्यो के कर्मों पर १०८ श्लोक।

कर्मविपाक।

कर्मविपाक—ब्रह्मजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में

कर्मफलो पर नारद को शिष्या दी है (अलवर, २९३)।

कर्मविपाक—भरत द्वारा, जिसमें भृगु ने शिष्या दी है।

कर्मविपाक—भृगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिष्या दी है।

कर्मविपाक—माघवाचार्य द्वारा।

कर्मविपाक—मान्वाठा द्वारा। दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाक—मीलुगि भूपति द्वारा। कर्मविपाकसारसंग्रह

एव नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। सन् १३८९ ई०

के पूर्व।

कर्मविपाक—अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, स०

१२७८ एवं भाग २९३)।

कर्मविपाक—रामकृष्णाचार्य

कर्मविपाक—विरवेश्वर मट्ट द्वारा। दे० महार्णवकर्म-

विपाक; सुदित्तत्व (पृ० २४२) द्वारा व०।

कर्मविपाक—नीलकण्ठ मट्ट के पुत्र शकरमट्ट द्वारा

(इन्डि० आ०, ३, पृ० ५७५)

कर्मविपाक—पद्मनाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र

द्वारा। दे० 'सारप्राहकर्मविपाक'।

कर्मविपाक—ज्ञानभास्कर के प्रति।

कर्मविपाक—सूर्यायंभ के प्रति।

कर्मविपाक—शातातपरमृति से (जीवानन्द २, पृ० ४३५)

कर्मविपाकचिकित्सामृतसागर—पण्डित देवीदास द्वारा।

कर्मविपाकपरिपाटी।

कर्मविपाकप्रायश्चित्त।

कर्मविपाकमहार्णव—दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाकरत्न—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

कर्मविपाकसंहिता—(बैकटेश्वर प्रेस द्वारा मुद्रित)।

ब्रह्मपुराण का एक भाग।

कर्मविपाकसंग्रह—महार्णवकर्मविपाक से। कर्मविपाक में

शकर द्वारा एवं मदनरत्न में उ०।

कर्मविपाकसमुच्चय—मदनपाल के पुत्र मान्वाठा कृत

महार्णव में एव नित्याचार्यदीप में व०। सन् १३५०

ई० के पूर्व।

कर्मविपाकसार—कर्मविपाक में शकर द्वारा एवं नित्या-

चार्यदीप (पृ० १४० एवं २०७) में उ०।

कर्मविपाकसार—दलपतिराज (लग० १५१० ई०) द्वारा।

कर्मविपाकसार—नारायणभट्टारमज रामकृष्ण के पुत्र दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्डु० सवत् १९१६; पृ० ५७३)। लग० १५८५-१६२० ई०।

कर्मविपाकसार—सूर्यराम द्वारा।

कर्मविपाकसारसंग्रह—नधनाभारमज बान्हड या बान्हड के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'सारप्राहकर्मविपाक' एवं 'कर्मविपाक'।

कर्मविपाकरत्न—नाबर द्वारा। दे० कर्मविपाक।

कर्मविपाकसारोद्धार।

कर्मसंग्रह—अहल्यावामयेंदु में व०।

कर्मसंरणि—विठ्ठल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुर्वेत्तमा'। जन्म १५१९ ई०।

कर्मसिद्धान्त—गुणपोतम द्वारा (बड़ोदा, सं० ८३६१), श्राद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर।

कर्मानुष्ठानपद्धति—भवदेव द्वारा। दे० प्रब० ७३। टी० 'सत्सारपद्धतिरहस्य'।

कर्मापदेशिनी—अनिरुद्ध द्वारा। रघुनन्दन एव कमलाकर द्वारा उ०। दे० प्रब० ८२।

कर्मापदेशिनी—हलायुष द्वारा। दे० प्रब० ७२।

कलानिधि—विश्वम्भर के स्मृतिमारोद्धार में व०।

कलिका—दे० 'दीपवलि'। कमलाकर द्वारा उ०।

कलिधर्मनिर्णय।

कलिधर्मप्रकरण—कमलाकर भट्ट द्वारा।

कलिधर्मसारसंग्रह—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा।

कलियुगधर्मसार—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों में, प्रथम विष्णुपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा, गणेशनान-फल आदि पर।

कलियुगधर्मार्थम्।

कलिधर्मनिर्णय—नीलकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा। आचारमयूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें नारायणभट्ट की मासमीसासा, लेखक के पिता की शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, श्राद्धदीपकलिका आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं० १०७९३)।

कल्पतट—लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रब० ७७।

कल्पद्रु—मदनपारिजात में एव देवदास द्वारा उ०।

कल्पद्रुम—दे० दानकल्पद्रुम, रामकल्पद्रुम एवं श्राद्ध-कल्पद्रुम। चण्डेश्वर एवं मदनपारिजात (जिनमें दोनों का अर्थ है लक्ष्मीधर या कल्पद्रुम) द्वारा उद्धृत।

कल्पसता—दे० शृङ्गवत्पलता।

कल्पसता—गोल्लट (?) द्वारा। धीयर, रामकृष्ण के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा उद्धृत।

कल्पसूत्रवाचन।

कल्पस्मृति—परारारस्मृति-व्याख्या एवं गौ० प० सू० के मन्वरेमाष्य द्वारा उ०।

कविरहस्य—कृष्णभट्ट द्वारा।

कविराजकौमुकु—कविराज गिरि द्वारा।

कवयस्मृति—हेमाद्रि, माषक, वित्तानेश्वर एवं मदन-पारिजात द्वारा उ०।

कवयसोत्तरसहिता।

कस्तूरीस्मृति—(या स्मृतिसेखर) कस्तूरी द्वारा।

काश्यपाप्रदान।

काकचण्डेश्वरी।

काठकगृह्य—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्व एवं श्राद्धमयूख में) द्वारा उ०।

काठकगृह्यपधिका।

काठकगृह्यपरिशिष्ट—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व०।

काठकगृह्यसूत्र—लौगाक्षि द्वारा (डी० ए० व० कालेज लाहौर, १९२५, डा० कॅलेण्ड, जहाँ तीन टाकाओं से उद्धरण दिये गये हैं)। टी० (भाष्य) देवपाल (हरि-पाल भट्ट के पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य-दर्शन द्वारा। टी० माधवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणवल की 'पद्धति'।

काठकगृह्य—गणाधर द्वारा।

काष्ण—जाय० प० सू० (११९१६) में उद्धृत।

कातीयगृह्य—दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमयूख में व०।

कात्यायनगृह्यकारिका।

कात्यायनगृह्यपरिशिष्ट ।

कात्यायनस्मृति—याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, हेमाद्रि, माधव द्वारा व० । दे० बृद्धवारयायन, रघुनन्दन ने उल्लेख किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० ६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) ने कर्मप्रदीप एव गोभिलस्मृति कहा गया है ।

कादम्बरी—गोकुलनाथ के द्वैतनिर्णय पर एक टोका ।

कामधेनु—गोराल द्वारा । दे० प्रक० ७१ ।

कामधेनु—टेकचन्द्र के पुत्र यतीर द्वारा । इसमें धर्म, अयं, वाम एव मोक्ष—चार स्तनों का वर्णन है । अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के सरसण में संगृहीत । स्टोन, पृ० ८४ एव ३०१ ।

कामधेनुवीषिका—भनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा (दे० मनु ५।५६, ८० एव १०४) ।

कामन्दकौपनीतिसार—(बिद्वि० इण्डि० एव ट्राएनीएल सोटोज) महाभारत, वामन के कात्यायलकार में व० । १९ सर्गों एव १०८७ श्लोकों में । कुछ पाण्डु० में २० सर्ग हैं । टी०, आत्माराम द्वारा । टी० उपाध्याय निरपेक्षा (अलवर, २९) । यह काव्यादर्श के प्रथम बलोक से आरम्भ होना है और 'कौटिल्य' शब्द की भूत्पतिर्वा उपस्थित करता है—'कुटिर्पट उच्यते त लान्ति संगृह्णन्ति । नाधिक इति कुटिला', कुटिलानामपरय कौटिल्य विष्णुगुप्त' । टी० जयराम द्वारा । टी० जयमंगला, सारकायं द्वारा (ट्राएनी-एल सी०) । टी० नयप्रताप, बरदराज द्वारा ।

कामरूपनिबन्ध—रघुनन्दन की पुस्तक मलमाससर्व मे एवं कमलाकर द्वारा उ० ।

कामरूपपात्रपद्धति—हलिरामशर्मा द्वारा; १० पटलों में ।

कामिक—हेमाद्रि, बालमाधव, नृसिंहप्रसाद, निर्णयसिन्धु द्वारा व० ।

काम्यधर्मकमला ।

काम्यज्ञानान्धप्रयोगरत्न ।

काम्यत्वलाभित्थुमबलनकुठार—सधमीनारायण पण्डित द्वारा ।

कायस्थपतस्व ।

कायस्थनिर्णय—(या प्रकार) विश्वेश्वर जर्क गामाभट्ट द्वारा । लगभग १६७४ ई० में प्रणीत ।

कायस्थनिर्णय ।

कायस्थपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा । १८७४ ई० में बम्बई में मुद्रित । यह कायस्थप्रदीप ही है (बडोदा, सं० ९६७०, सवत् १७२७=१६७०-७१ ई०) ।

कायस्थविचार ।

कायस्थोत्पत्ति—गगापर द्वारा ।

कारणप्राप्यदिवस ।

कारिका—अनन्तदेव द्वारा ।

कारिकाटीका—(लघु) माधव द्वारा ।

कारिकामञ्जरी—मौद्गल गोत्र के वैद्यनाथ के पुत्र बनक-सभापति द्वारा । टी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा) ।

कारिकासमुच्चय ।

कार्तवीर्यार्जुनदीपदान—रामशृण्ण के पुत्र पनलाकर द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनदीपदानपद्धति—विश्वामित्र के पुत्र रघुनाथ द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनदीपदानपद्धति—शृण्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक द्वारा ।

कार्यनिर्णयसंक्षेप—(धाढ पर) ।

कार्णाजिनिस्मृति—हेमाद्रि, माधव, जीमूतवाहन, मिता-धारा द्वारा व० ।

कासकौमुदी—दुर्गासखविवेक में व० ।

कासकौमुदी—हरिवसभट्ट (द्राविड) के पुत्र गोपाल भट्ट द्वारा । रघुनन्दन, राममुकुट, बगलाकर द्वारा व० । १४०० ई० के पूर्व ।

कासकौमुदी—गदापर के पुत्र भीलम्बर (कालसार के लेखक) द्वारा गोविन्दानन्द की वृद्धिकौमुदी में व० ।

कासगुणोत्तर—शान्तिभयुक्त में व० ।

कासचन्द्रिका—शृण्णभट्ट मीनी द्वारा ।

कासचन्द्रिका—शाशुरंग मोरेश्वर भट्ट द्वारा ।

कासचिन्तामणि—गोविन्दानन्द की वृद्धिकौमुदी में व० (अतः १५०० ई० के पूर्व) ।

कालतरुविषेचन—भट्ट रामेश्वरराज्य भट्ट माधव

(ललिता) के पुत्र सम्राट्स्वपति रघुनाथभट्ट द्वारा । सन् १६७७ = १६२० ई० मे प्रणीत । त्रिधिया, गाम एव अधिराम पर ।

कालतस्वविवेचनसारसग्रह—(या सारोद्धार) बालकृष्ण के पुत्र गम्भू भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । ये मीनामह खण्डदेव क गिष्य थे । गि० १७०० ई० ।

कालतस्वार्णव—टीना, रामप्रसाद, रामदेव द्वारा । कालतरंग—छत्ररिनुमिह द्वारा । स्मृत्यर्थसार का प्रथम भाग ।

कालयानपद्धति ।

कालदिवाकर—चन्द्रवृद्ध दीक्षित द्वारा ।

कालदीप—सस्कारमयूख एव नृसिंहप्रसाद (सस्कारसार) म वर्णित । १५०० ई० के पूर्व । टी० नृसिंह के प्रयागपारिजात मे व० ।

कालदीप—दिव्याग्न महापात्र द्वारा ।

कालनिष्पण—वैद्यनाथ द्वारा ।

कालनिर्णय—आदित्यभट्ट कविबल्लभ द्वारा ।

कालनिर्णय—भाषा ३ न्यायचिन्तन द्वारा ।

कालनिर्णय—तोडकाचाय द्वारा ।

कालनिर्णय—(लघु) दामोदर द्वारा ।

कालनिर्णय—नारायणभट्ट द्वारा (? सम्भवत यह कालनिर्णयसग्रहस्य ही है) ।

कालनिर्णय—(सक्षिप्त) भट्टाजि द्वारा (बजादा, म० ५३७३) ।

कालनिर्णय—माधव द्वारा (बालमाधवीय भी नाम है) । बिन्दि० इण्डि० एव चौखम्मा द्वारा प्रकाशित । टी० निश्र मोहन सक्किलक द्वारा, स० १६७० (समुनि रत्नमुमितेन्द्रे) = सन् १६१४ ई० मे लिखित (डकन कालेज, स० २६४, १८८६-९२) । टी० बालनिर्णय सग्रहश्लोकविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा । टी० कालमाधवचन्द्रिका, मयुरानाथ शुक्ल द्वारा । टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, रामचन्द्राचार्य द्वारा । टी० धरणीधर द्वारा । टी० लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा । कालनिर्णय—हेमाद्रि के परितोषखण्ड से ।

कालनिर्णयकारिका—(बालमाधव से, माधवाचार्य की १३० कारिकाएँ) । टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, पृ० २३९-२४०) । टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) ।

कालनिर्णयकौतुक—नन्दपण्डित के हरिवंशविलास का एक भाग ।

कालनिर्णयचन्द्रिका—(१) महादेव के पुत्र, बाल उपाधिवाले दिवानरभट्ट द्वारा । ये कमलाकर के पिता रामकृष्ण के दीक्षित थे । लग० १६६० ई० । (२) नृसिंह के पीत्र एव श्रीधरभट्ट तथा कामकाव व पुत्र गीतारामचन्द्र (कौण्डिय गोत्र) द्वारा ।

कालनिर्णयदीपिका—नासीनाथभट्ट द्वारा जिनका दूसरा नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयरामभट्ट के पुत्र, शिवरामभट्ट के पीत्र एव अनन्त के शिष्य थे ।

कालनिर्णयदीपिका—कृष्णभट्ट द्वारा ।

कालनिर्णयदीपिका—कृष्णाचाय के पुत्र, अनन्ताचार्य के पीत्र एव परमहंस श्री भापाल के शिष्य रामचन्द्राचार्य द्वारा माधवीयबालनिर्णय पर एक टीका । लग० १४०० ई० । इन्होंने प्रक्रियावतीमुदी भी लिखी । टी० विवरण, उनके पुत्र नृसिंह द्वारा, पाण्डु० की तिथि १५८८ ई०, नृसिंहप्रसाद मे व० । इसमें शेष कुल की विस्तृत वशावली दी हुई है (बडोदा, म० १०४-१०, जिसमे शक स० १३३१ है—'शशांककालान्तर्विश्वसमिते विरोधिवर्षे') । टी० रामप्रकाश, राघवेन्द्र द्वारा, शृषारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, टी० सूर्यपण्डित द्वारा ।

कालनिर्णयप्रकाश—विट्ठल के पुत्र एव बालकृष्ण तरसत् के पीत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतरविवेचन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थी (अत लग० १६७० ई०) । बडोदा, स० ८४५५ की तिथि शक १६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है ।

कालनिर्णयसंक्षेप—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टाजि द्वारा । (हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित) ।

कालनिर्णयसार—दलपतिराज द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंश) । दे० प्रक० ९९ ।

कालनिर्णयसिद्धान्त—काण्हजित् के पुत्र महादेवविद् द्वारा (११८ श्लोकी में), आधुनिक सिहोर के पास बेलावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा सगृहीत गद्य सामग्री पर आधारित, भुज नगर में सन् १६५२-५३ (सं० १७०९) में प्रणीत। दे० ड० का० पाण्डु०, सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा सवत् १७१० में लिखित।

कालनिर्णयसौख्य—(या समयनिर्णयसौख्य) टोडरा-  
न्ट का एक भाग।

कालनिर्णयावबोध—अनन्तदेवज्ञ द्वारा।

कालप्रदीप—नृसिंह के प्रयोगपारिजात में व०।

कालप्रदीप—दिव्यसिंह द्वारा।

कालभाष्यनिर्णय—गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा,  
सं० १०२६०)।

कालभास्कर—शम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा, सं०  
१०१५५)।

कालभेद।

कालमयूख—(या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे०  
प्र० सं० १०७।

कालमाधव—काशी संस्कृत सी० एव बिम्बि० इण्डि०,  
दे० कालनिघण्टु, ऊपर।

कालमाधवकारिका—(या लघुमाधव)। टी० विट्ठला-  
राम रामचन्द्रतरसत् के पुत्र वंशनाथसूरि द्वारा  
(अलवर, सं० १२९३)।

कालमार्तण्ड—शृण्णमित्राचार्य द्वारा, जो रामसेवक के  
पुत्र एव देवीदत्त भट्ट के ग्रीक थे।

कालविधान—नंद पण्डित की आद्यकल्पश्रुता में वर्णित।

कालविधान—श्रीधर का।

कालविधानपद्धति—श्रीधर कृत।

कालविषेक—जीमूतवाहन द्वारा (बिम्बि० इण्डि० सी०)  
दे० प्र० सं० ७८। नृसिंह, रघुनन्दन एवं कमलाकर  
द्वारा व०।

कालविषेकनसारसंग्रह—शम्भुभट्ट द्वारा।

कालसर्वज्ञ—काशी गौतम के शृण्णमित्र द्वारा।

कालसार—नीलाम्बर एव जानकी के पुत्र, हरेदृष्ण भूपति

की रानी के गुरु हलधर के भतीजे गदाधर द्वारा।  
बिम्बि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित। १४५०-१५००  
के बीच। इसने बालमाधवीय, बालादर्श एव रुद्रधर  
का उल्लेख किया है।

कालसिद्धान्त—(या सिद्धान्तनिर्णय) धर्माभट्टारमज उमा-  
पति या उम्भनभट्ट के पुत्र चन्द्रभूट (धीराणिक  
उपाधिधारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त।

कालादर्श—(या कालनिर्णय) विश्वेश्वराचार्य के शिष्य  
गगनोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाण्डु० सं०  
१५८१ में, नृसिंह, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, काल-  
माधव, दुर्गासवविवेक द्वारा उ०, इसमें स्मृति-  
चन्द्रिका, स्मृतिमहाणव, विश्वादर्श का उल्लेख है,  
अतः १२०० १३२५ ई० के बीच प्रणीत।

कालामृत—(एव टी० उज्ज्वला) वैजटपयज्वा द्वारा,  
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१)  
हृत्वा (तेलुगु एव ग्रन्थलिपियों में मद्रास में मुद्रित)  
पृ० ७२। (२) सुषभट्ट लक्ष्मीनरसिंह द्वारा। लेखक  
की टी०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित।

कालावलि—अद्भुतसागर में व०।

कालिकार्चनपद्धति।

कालिकार्चनप्रदीप—अहल्याकामधेनु में व०।

कालिकार्चनसहिता—अहल्याकामधेनु में व०।

कालिकार्चनीयिका।

कालोत्तर—हेमाद्रि एव रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा  
व०। इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है।

काल्यार्चनचन्द्रिका—नीलकमल लाहिडी द्वारा। बंगला  
लिपि में सन् १८७७ ७९ में मुस्लिदाबाद से प्रकाशित।

काशीसम्भकयाकेलि—प्रभाकर द्वारा।

काशीतत्त्व—रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा।

काशीतत्त्वदीपिका—प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्त  
-बेल ही है?)।

काशीतत्त्वप्रकाशिका—(या काशीसारीद्वार) रघुनाथे-  
न्द्रसिद्धान्तिका द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३)।  
उल्लाखों में विभक्त। सम्भवतः यह बाधीतत्व ही है।

काशीप्रकरण—(विश्वमीसेतु से)।

काशीप्रकाश—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।  
 काशीमरणभक्तिविचार—नारायणभट्ट द्वारा।  
 काशीमाहात्म्यकौमुदी—रघुनाथदास द्वारा।  
 काशीभक्तिप्रकाशिका।  
 काशीभूमिभोजनिर्णय—(या काशीभोजनिर्णय) मुरेश्वरा-  
 चार्य द्वारा।  
 काशीभूमिभोजनिर्णय—विश्वनाथनाथ्य द्वारा।  
 काशीरहस्यप्रकाश—नारायण के पुत्र राम भट्टात्मज  
 नारायण द्वारा। कामदेव की आज्ञा से राजनगर में  
 प्रणीत।  
 काश्यपधर्मशास्त्र—दे० प्र० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द  
 ३, पृ० ३८४, स० १३१७)।  
 कौत्सिचन्द्रोदय—अकबर के शासन-काल में (लग० १६  
 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) चूहडभल्ल की सरक्षयता  
 में दामोदरपण्डित द्वारा।  
 कौत्सितत्व।  
 कौत्सिप्रकाश—विष्णुनाथ द्वारा। दे० 'समयप्रकाश'  
 (इण्डि० ऑ०, पृ० ५३८, स० १६८२)।  
 कुण्डकल्पद्रुम—श्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र मापव-  
 शुक्ल द्वारा। शक स० १५७७ (१६५५-५६ ई०)  
 में प्रणीत। काश्यपगोन के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड-  
 तत्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का  
 उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित। टीका  
 लेखक द्वारा।  
 कुण्डकल्पलता—रामकृष्णात्मज पुष्पोत्तम के पुत्र  
 दुर्धिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द  
 पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०।  
 कुण्डकारिका—भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा।  
 कुण्डकौमुदी—(या कुण्डमण्डपकौमुदी) शम्भु के पुत्र  
 विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व-  
 नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं रूपनारा-  
 यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में  
 उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई०  
 के बीच में है। टी० लेखक द्वारा।  
 कुण्डकौमुदी—श्याम्बर के पुत्र शिवसूरि द्वारा। टी०

कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० इत्य (स० ३, पृ०  
 ५ एवं ८०), इसमें कौस्तुभ, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं  
 राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई०  
 के पश्चात् है।  
 कुण्डगणपति।  
 कुण्डधमल्लति—टी० श्याम्बर के पुत्र शिवसूरि-सुत  
 एव महाजन कुल के वामुदेव द्वारा।  
 कुण्डतत्त्वप्रकाश—(या प्रकाशिका) रामानन्दतीर्थ द्वारा।  
 कुण्डतत्त्वप्रदीप—वत्स गोंयज स्यावर के पुत्र बलभद्र-  
 सूरि शुक्ल द्वारा, सन् १६२३ ई० में स्तम्भतीर्थ  
 (सम्भारत) में प्रणीत। इसमें १६४ श्लोक हैं।  
 टी० लेखक द्वारा सन् १६३२ ई० में, दे० ड० का०  
 (स० २०४, १८८४-८७)  
 कुण्डविष्णुपाल—बाबाजी पाद्रे द्वारा। टी० लेखक द्वारा।  
 कुण्डनिर्माणश्लोक—नैमिषारण्य के निवासी राम-  
 वाजपेयी द्वारा, स० १५०६ (१४४९-५० ई०) में  
 प्रणीत। टी० लेखक द्वारा।  
 कुण्डनिर्माणश्लोकदीपिका—मणिरामदीक्षित द्वारा।  
 कुण्डपद्धति—नागानिमट्ट द्वारा।  
 कुण्डपरिमाण—अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एन्०,  
 पृ० १३८)।  
 कुण्डप्रकाश—तीरो कुल (प्रतापनारासिंह द्वारा) अतः  
 नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा। दे० अलवर (२९९)।  
 लग० १७१० ई०।  
 कुण्डप्रदीप—कान्हजिद्वाडव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा  
 २१ श्लोकों में। टी० लेखक द्वारा, कानिक उ० है।  
 कुण्डप्रदीप—कान्हजित् के पुत्र एवं हैवतराज के गुरु  
 महादेव राजगुरु द्वारा। शार्दूलविकीरित, स्रग्धरा  
 एवं अनुष्टुप् छन्दों में २० सुन्दर श्लोक। टी० लेखक  
 की।  
 कुण्डप्रबन्ध—बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा, ७३  
 श्लोकों में। सन् १६३२ ई० (शक स० १५४४) में  
 प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० स० ४२, १८८२-८३  
 ई०)।  
 कुण्डभास्कर—दे० कुण्डोद्योतदर्शन।

कुण्डमण्डप—वाचस्पति द्वारा।

कुण्डमण्डपकौमुदी—दे० गिवसूरि की कुण्डकौमुदी।

कुण्डमण्डपचन्द्रिका—विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा।

कुण्डमण्डपदर्शन—अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा, सन  
स० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत, ४९ श्लोको  
में, टापरग्राम में लिखित, पितामह मगौरग्राम वामी  
ये। टी० मनोरमा, लेखक के पुत्र गणाधर द्वारा।

कुण्डमण्डपनिर्णय—परसुरामनन्दति से।

कुण्डमण्डपनिर्णय—शकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा  
(स्टीन, पृ० ८६)।

कुण्डमण्डपपद्धति।

कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका—नरहरि भट्ट (सप्तपि-  
उपाधि) द्वारा। पीठसन (अलवर, स० ३००) में  
ग्रन्थ को ही सप्तपि कहा है जो भ्रामक है। टी०  
लेखक द्वारा।

कुण्डमण्डपलक्षण—(यह 'कुण्डनिर्माणशलाक' ही है)  
राम वाजपेयी द्वारा, स० १५०६ (१४४९-५० ई०)  
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणीत। ७४ श्लोको  
में। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डमण्डपविधान—अनन्तभट्ट द्वारा।

कुण्डमण्डपविधान—नीलकण्ठ द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—गणाल दीक्षित-भुत्र केसव भट्ट द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—बाबूदीक्षित जड़े द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवत यह  
'कुण्डमण्डपलक्षण' ही है)।

कुण्डमण्डपविधि—रघुमण देविनेन्द्र द्वारा।

कुण्डमण्डपसंग्रह—रामहृण्य द्वारा।

कुण्डमण्डपसिद्धि—नीलकण्ठ द्वारा।

कुण्डमण्डपसिद्धि—(या कुण्डसिद्धि) सगमनेर (अहमद-  
नगर जिले) के बुबगर्ग के पुत्र त्रिठलदीक्षित  
द्वारा। सन स० १५४१ (शनिमुगतिविगण्ये) अर्थात्  
१६१९-२० ई० में प्रणीत। देखिए बी० बी० आर०  
ए० एस० (पृ० १४१)। टी० लेखक द्वारा, १८९२  
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम द्वारा।

कुण्डमण्डपहोमविधि।

कुण्डमरीचिमाला—विष्णु द्वारा। राम की कुण्डाहृति  
के आधार पर।

कुण्डमार्तण्ड—भाष्यन्दिन शाखा एव गीतमगान के  
गदाधरपुत्र गोविन्ददेवज द्वारा। ७१ श्लोको में,  
१६९१-९२ ई० में जुझार में प्रणीत। टी० 'प्रना',  
पालो (पल्लोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले  
सिद्धदेवर के पुत्र अनन्त द्वारा। ४० का० (पाण्डु०  
स० ४३, १८८२-८३), १६९३ ई० में प्रणीत।

कुण्डमार्तण्ड—राम वाजपेयी कृत। सम्भवत यह 'कुण्ड-  
मण्डपलक्षण' ही है।

कुण्डमूदङ्ग—गोपाल द्वारा (अलवर, स० १३०३, उद्धरण  
३०१)।

कुण्डरचना—टाका भी लिखित है।

कुण्डरचनारीति—शेषभट्ट के पुत्र बालसूरि द्वारा।

कुण्डरत्नाकर—जगन्नाथात्मज श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ  
द्विवेदी द्वारा, इसमें राम वाजपेयी की 'कुण्डाहृति'  
का उल्लेख है और स्वयं विठ्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि  
में व० है, ८४ श्लोको में, तिथि १४५०-१६५१ ई०  
के मध्य में। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डरत्नावलि—हृण्य (जर्फ बाबू) के पुत्र रामचन्द्र जड़े  
द्वारा, सन स० १७९० में प्रणीत। निर्णय० प्रेस में  
मुद्रित।

कुण्डलक्षण—राम (नेमिपारम्पवासी) द्वारा। सम्भवत  
यह 'कुण्डनिर्माणशलाक' ही है।

कुण्डलक्षमविभूति—सूर्यदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन,  
पृ० १८६ में रघुदेव), यह 'कुण्डनिर्माणशलाकटीका'  
एव 'कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है, आधारदयूज में  
व०। लगभग १४४९ ई० में।

कुण्डविचार—तत्त्वसार से।

कुण्डविधान—विश्वनाथ द्वारा।

कुण्डशिरोमणि—कुण्डवत्पद्म में व०। १६४० ई० के  
पूर्व।

कुण्डश्लोकवीचिका—रामचन्द्र द्वारा। प्रतापनारसिंह  
(पूर्वप्रकाश) में व०।

कुण्डश्लोकप्रकाशिका—रामचरण द्वारा।



कुण्डसावनविधि ।

कुण्डसिद्धि—दे० 'कुण्डमण्डपसिद्धि' ।

कुण्डसिद्धि—विरवेरवरमट्ट द्वारा ।

कुण्डसिद्धि—रामभट्ट द्वारा ।

कुण्डाकृति—सूर्यदास के पुत्र (नर्मियस्थ) राम बाजपेयी द्वारा, (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आजा से) सन् १४४९ मे प्रणीत । सम्भवत यह उपयुक्त कुण्ड-निर्माणरत्नकविद्विती ही है । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डार्क—कृष्णाचाप द्वारा ।

कुण्डार्क—कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रगता विटठल के पुत्र रघु शीर ने इस पर भरीचिमाला नामक टीका लिखी है, जो सन् १९०२ ई० मे बम्बई मे मुद्रित हुई । टीकाकार ने मूद्रतसर्वस्व भी सन् १९३५-३६ ई० मे लिखा । 'कुण्डार्क' के प्रगता हैं चतुपर कुल के नीलकण्ठ-पुत्र शकरमट्ट, इसका मुद्रण १८७३ ई० मे रत्नगिरि मे हुआ ।

कुण्डार्कमन्त्रिदीपिका—बलभद्रसूरि द्वारा । टी० लेखक द्वारा ।

कुण्डार्कमन्त्र—नागेशात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीपर अग्नि-होत्री द्वारा । पाण्डु० शक १६६१ (१७३९ ई०) मे जतारी गयी ।

कुण्डोदधि—रामचन्द्र द्वारा । ९ स्त्रायरा श्लोकों मे ।

कुण्डोद्घोत—शकरमट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा । टी० लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डमास्कर है ।

कुण्डोद्घोतदर्शन—अनन्तदेव द्वारा ।

कुण्डोद्घोतदर्शन—इसका दूसरा नाम कुण्डमास्कर है, जो नीलकण्ठ के पुत्र शकरमट्ट द्वारा प्रणीत है । यह कुण्डोद्घोत वाली टीका ही है । सन् १६७१ ई० मे प्रणीत ।

कुण्डमिस्मृति—अपराकं, जीमूतवाहन इत कालविवेक एवं हेमाद्रि द्वारा वणित ।

कुण्डरत्न—रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (धान्युद्घोत) में वणित ।

कुण्डरत्न—भिताजरा, अपराकं एवं प्रायश्चित्ततत्त्व में व० ।

कुण्डोत्तरीयनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा ।

कुण्डोत्तरीय—महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे, लगभग १६५० ई० ।

कुण्डोत्तरीय—(या शत्रुमाहात्म्य) माधवाचाप द्वारा ।

कुण्डोत्तरलाकर—शकर द्वारा ।

कुण्डोत्तरानुक्रमिका—हरिगिरि द्वारा ।

कुण्डकण्डिका—वशीधर द्वारा ।

कूपप्रतिष्ठा ।

कृष्णाच्छहोम ।

कृष्णाच्छहोमप्रयोग ।

कृष्णवाग्वायमलक्षण ।

कृष्णलक्षण ।

कृष्णादि-मुप्रबोभिनीपद्धति—विष्णु के पुत्र रामचन्द्र द्वारा (बडोदा, सं० १०६२९) ।

कृतिवत्सर—मणिरामदीक्षित द्वारा ।

कृतिवत्सरानुष्कय—अमृतनाथ मिश्र द्वारा ।

कुरयकल्पतत्र—(या कल्पतत्र) लक्ष्मीधर द्वारा, दे० प्र० ७७ ।

कुरयकल्पद्वय—गदाधर द्वारा, वाचस्पति मिश्र द्वारा व० । १५०० ई० के पूर्व ।

कुरयकल्पतत्र—वाचस्पति इत, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व मे वणित ।

कुरयकालविनिर्णय—श्री करवाचाप के पुत्र श्रीनाथ द्वारा । दे० 'कुरयतत्त्वानव' ।

कुरयकौमुदी—दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द) । रघु० के मलमासतत्त्व में वणित ।

कुरयकौमुदी—गोपीनाथ मिश्र द्वारा ।

कुरयकौमुदी—जपचाप द्वारा । इसमे शुद्धिदीपिका का उल्लेख है ।

कुरयकौमुदी—सिद्धाश्रमवागीश भट्टाचाप द्वारा (बडोदा, सं० १०१५२, एकोद्दिष्ट श्राद्ध के एक अष्ट पर) ।

कुरयचन्द्रिका—रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा ।

कुरयचन्द्रिका—वन्देवर-शिष्य वरपर महामहोपाध्याय द्वारा । लगभग १३६०-१४०० ई० । स्मृतियों में

कथित उपवासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के  
वृत्तों के विषय में एक तालिका।

**हृत्यष्विन्तामणि**—चण्डेश्वर द्वारा, गृहस्थरत्नाकर म  
(लेखक की वृत्ति) वर्णित, दे० प्रकरण ९०। इसमें  
तारादिगुडि, गावर, वेधगुडि, सबत्सर, वरण, नक्षत्र,  
मुहूर्त, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य सस्वारो,  
मूलगान्ति, पष्ठी की पूजा, शनैश्चरचार, सक्रान्ति,  
पहणकरु वा विवरण उपस्थित किया गया है।

**हृत्यष्विन्तामणि**—वाचस्पति द्वारा, दे० प्रकरण ९८।

**हृत्यष्विन्तामणि**—विषाम के पुत्र शिवरामशुक्ल द्वारा।  
सामवेद व अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशा में।  
याभिलगुह्य पर आधारित, इसमें परिभाषा, वृद्धि-  
श्राद्ध, गणनापूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टवा एवं मन्कारों  
का विवरण है। स्टीन, मूमिका, पृ० १५ एवं पृ०  
८६ (जहाँ तिथि शक स० १५६२ है, किन्तु बिहार०,  
जित्द १, स० ७२ एवं जे० बी० ओ० ए० एम०,  
१९२७, भाग ३-४, पृ० ९ में तिथि शकस० १५०० है)।

**हृत्यतत्त्व**—रघुनन्दन द्वारा।

**हृत्यतत्त्व**—(प्रयागिनार) शृण्णदव स्मानवागम द्वारा।

**हृत्यतत्त्वार्णव**—(शुक्लवालिनिर्णय) श्रीनराचार्य के  
पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व,  
निर्णयसिन्धु, राक्षसकाण्ड का उल्लेख है और महार्णव  
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०।

**हृत्यवरण**—रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा।  
लंका के व्यवसायदण्ड में वर्णित।

**हृत्यवीथ**—देवदासप्रकाश में वर्णित।

**हृत्यपूतिमञ्जरी**—रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५  
ई० में मुद्रित।

**हृत्यवीथ**—शृण्णमित्राचार्य द्वारा।

**हृत्यप्रदीप**—नेगवभट्ट द्वारा। समस्त यह नहीं है जिसे  
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धृत  
किया गया है।

**हृत्यमञ्जरी**—महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट द्वारा।  
तिथि शक स० १९४०, पीथमास। वर्ष के १२ मासों  
के षती, नित्य, वैश्वानर एवं काम्य, सक्रान्ति, पहण

शादि वा विवरण है। सप्तपि (आयुनिच सत्तार) में  
लिखित। ना० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९)।

**हृत्यमहार्णय**—मिथिला के हरिनारायणदेव के सरसग  
म वाचस्पतिमिश्र द्वारा। षती, भोजा आदि वा विव-  
रण। आचारमयूख में वर्णित। दे० प्रकरण ९८।

**हृत्यमुक्तावली**—दे० सत्त्वृत्यमुक्तावली।

**हृत्यरत्न**—निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूख में वर्णित।

**हृत्यरत्न**—विदभ के राजा द्वारा सम्मानित नारायणभट्टा-  
रामज हल्भट्ट के पुत्र खण्डेराय द्वारा। आठ प्रकाशा  
में। लेखन न हेनादि, मायवीय एवं अपने मन्वार-  
रत्न का उल्लेख किया है। बडोदा, स० १९५३।

**हृत्यरत्नाकर**—चण्डेश्वरवृत्त। दे० प्रकरण ९० (विन्दि०  
इण्डि०, १९२१)।

**हृत्यरत्नाकर**—मुदावरसूरि द्वारा।

**हृत्यरत्नावली**—विट्ठल के पुत्र एवं बालशृण्ण तत्त्वत् के  
पाँच रामचन्द्र द्वारा, य वालशृण्णविवेचन के लेखन  
रघुनाथ के दीक्षिणधे। स० १७०५ (१६४८-४९ ई०)  
में प्रणीत। ग्रन्थदा आदि तिथियों के वृत्ता एवं चंद्र  
म फाल्गुन तत् के वृत्ता वा विवेचन है; हेनादि,  
मदनरत्न एव नारायणभट्ट के उद्धरण हैं।

**हृत्यरत्नाकर**—शुभमांथर द्वारा।

**हृत्यरत्नाकर**—लाकनाथ द्वारा।

**हृत्यराज**—विभिन्न मासा में किये जाने वाले कृत्यों वा  
मग्नह। लगभग १७५० ई० में नवटोप के राजकुमार  
शृण्णचन्द्र के आश्रय में सम्पूहीन।

**हृत्यवित्तासमंजरी**।

**हृत्यसामुच्चय**—मूपाल द्वारा। हृत्यरत्नाकर (पृ० ४९९)  
में वर्णित।

**हृत्यसागर**—यधमान न एव धदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर  
में वर्णित। १८०० ई० के पूर्व।

**हृत्यसार**—शुक्लनाथ शुक्ल द्वारा।

**हृत्यसारसमुच्चय**—अमृतनाथ ओशा द्वारा।

बम्बई में मुद्रित।

**हृत्यसारसमुच्चय**—वाचस्पति द्वारा।

**हृत्यापस्तंबदीपिका**—दे० 'धातिनरत्नप्रदीप'।

कृत्वाण्य—देवदासप्रनाम मे वर्णित ।

कृष्णपद्धति—चतुर्भुज द्वारा ।

कृष्णमण्डितकल्पवल्ली—(या भविमजरी या हरिभक्ति-  
मजरी) चार भागा मे ।

कृष्णभट्टीय—यह नर्मतत्वप्रदीपिका ही है; यह  
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न मे एव आह्वितचन्द्रिका  
मे व० है । १५०० ई० से पूर्व ।

कृष्णाचनचन्द्रिका—सखीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि  
द्वारा ।

कृष्णामृतमहाणंभ—आनन्दतीर्थ द्वारा । नो० (म्यु०,  
जिल्द ३, भूमिका पृ० ६) ।

केशवाण्य—नेशव द्वारा ।

कोटचक्र—चार प्रकार के दुर्गों पर ।

कोटिहोमप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण  
द्वारा ।

कौतुकचिन्तामणि—प्रतापहरदेव द्वारा । इन्द्रजाल,  
राजा के रक्षण-उपाया तथा तिन्त्रो, पीषो, भोजन  
पर आश्चर्यजनक एव रम्य प्रयोग, चार दीप्तिषो  
में । नो० ९, पृ० १८९-१९० एव ३० का० (पाण्डु०  
स० ९८१, १८८७-९१; १०३३, १८८४-८७) ।  
लग० १५२० ई० ।

कौमुदीनिर्णय ।

कौशिकगृह्यसूत्र—१४ अध्यायों मे (ब्लूमफील्ड द्वारा  
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ट द्वारा ।  
टी० दारिल द्वारा । टी० वासुदेव द्वारा ।

कौशिकगृह्यसूत्रपद्धति—केशव द्वारा, जो सीमेश्वर  
के पुत्र एव अनन्त के पीत्र थे । भोजपुर मे प्रणीत  
(स्टीन, पृ० २४८) ।

कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकाकृति ।

कौशिकस्मृति—निर्णयदीपक, मत्स्करिभाष्य (गीतम  
पर), हेमाद्रि, मावव द्वारा व० ।

कौशीतिकृष्णकारिका ।

कौशीतिकृष्णसूत्र—(बनारस स० सी० मे प्रकाशित)  
दे० शाखायन गृह्यसूत्र ।

क्युस्मृति—मिताक्षरा द्वारा व० ।

कमदीपिका—वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० १२१) एव देव-  
प्रतिष्ठातत्व मे वर्णित । १५०० ई० के  
पूर्व ।

कमदीपिका—(दृष्ण-पूजा पर) नेशवाण्य द्वारा ८  
पटलो मे । लग० १५०० ई० मे । टी० केशव  
भट्ट गास्वामी द्वारा । टी० गोविन्दभट्ट द्वारा  
(चोखभा स० सी०) ।

कमदीपिका—नित्यानन्द द्वारा ।

क्रियाकाण्डोत्तर—हेमाद्रि मे व० ।

क्रियाकरवचन्द्रिका ।

क्रियाकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा (बिरिल० इण्डि०) ।  
दे० प्रक० १०१ ।

क्रियाकौमुदी—भवुरानाथ द्वारा ।

क्रियातिशय—शूद्रकमलाकर मे व० ।

क्रियापद्धति—विश्वनाथ द्वारा । मृत्यु-दिन से सपिण्डी-  
करण तक के (माध्यमिदनीयो के लिए) दृष्टो का  
विवरण है । ३० का० (पाण्डु०, स० २०७,  
१८८४-८७) ।

क्रियापद्धति—या पदन्वप्रायश्चित्तादिपद्धति । नो०  
१०, पृ० २३७ ।

क्रियाप्रवीण ।

क्रियाधय—(धर्मविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराकं  
द्वारा व० ।

क्रियासार—नि० सि० एव कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०,  
१६०० ई० के पूर्व ।

क्षत्रियसन्ध्या ।

क्षयमासकृत्यनिर्णय ।

क्षयमासनिर्णय ।

क्षयमाससंस्पर्कार्याकार्यनिर्णय—परशुराम द्वारा । स्टीन,  
पृ० ८७ ।

क्षयमाससंस्पर्कार्याकार्यनिर्णयसम्बन्ध—परशुराम द्वारा ।  
स्टीन, पृ० ८७ ।

क्षयमासशिषिके—गणोली सजीवेश्वर के पुत्र रत्न-  
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रतिह के राय-  
काल मे प्रणीत । वाचस्पति, धर्ममान, अनन्तपण्डित,

मह्य, स्मृतिविवेक आदि की रचना है। दे०  
नो०, जिल्द ६, पृ० ४४।

क्याधिलमासपिबुति—गणेशदास द्वारा।

केशप्रकाश—पेमवर्मा द्वारा, विक्रम १५६८ (१५१२  
ई०) में बोरसिंहपुर में (जहाँ वह शासक था)  
प्रणीत। आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान,  
उत्सव, व्रत पर। पाण्डु० सं० १५८२ (१५२६  
ई०) में बोरसिंहदेव के शासनकाल में उतारी गयी।  
दे० स्टीन, पृ० ३०५।

कौरनिर्घण—(या दर्पण) गगाधर के पुत्र द्वारा।

कङ्कविवाह—बडोवा, सं० ११४२।

कादिरगृह—(मंसूर में प्रकाशित, ए० वी० ई०,  
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोमिलगृह से बहुत  
मिलता है। टो० मलवाट के वासी नारायण  
के पुत्र वरस्कन्द द्वारा।

कादिरगृहकारिका—बामन द्वारा।

कण्ठपीठमाला—आपदेव द्वारा।

कंधाहृत्पथिवेक—मिथिला के राजा राममद्रदेव के लिए  
वर्तमान द्वारा। सन् १४५०-१५०० ई० में।

कंधाधरपद्धति—गगाधर द्वारा (स्टीन, पृ० ८७);  
वक्रस्पृहम में व० (बी० बी० आर० ए० ए०,  
जिल्द २, पृ० २२६)।

कंधाधरितरनिधी—चारेश्वर के पुत्र गणपति द्वारा।

१ अम्यायों में। इसका कथन है कि मिथिला के  
राजा मान्य ने इनके वितामह को कृति दी थी।  
नो० (जिल्द ५, पृ० १८३)। पाण्डु० की तिथि  
व० १७६६ (१७१० ई०)।

कंधाधरितरनिधी—बहुभुंजाचार्य द्वारा।

कंधाधरितरकाव्य—हरिचन्दन द्वारा। सं० १८५२  
(१७९५-९६) में।

कंधाधरितरलोचन—शिवरत्न शर्मा द्वारा।

कंधाधरित—रघुनन्दन एवं गगाधरपथिवेक में वर्तमान  
द्वारा व०।

कंधाधरितरकी—अबसिंह—देवसिंह—शिवसिंह के  
द्वारा मिथिला के राजा कंधाधर की रानी

महादेवी विष्वासादेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा।  
गोविन्दानन्द एव रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततरंग में)  
द्वारा व०। लग० १४००-१४५० ई०। गगाधर,  
गगापूजा एव गगास्नान के फल का वर्णन है।

गणपतितरपथिवेक।

गणेशपद्धति—सोमेश्वर के पुत्र द्वारा (अलवर सं०  
१३०९)।

गणेशविमर्शनी—कुण्डमण्डपसिद्धि में व०।

गणेशज्ञान्ति

गगाधरपद्धति—(आचारधर) बिम्बि० इण्डि०  
सौरीब।

गद्यवेदः—प्रायश्चित्तमयूख में व०।

गद्यविष्णु—निर्गणसिन्धु में व०।

गद्यव्यास—जीमूतवाहन के कालविवेक में व०।

गन्धर्वप्रयोग—स्टीन, पृ० ८७।

गणसिद्धिस्मृति—अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि द्वारा  
व०।

गयाशासनिवन्ध—मट्टोजि द्वारा व०। १६०० ई० के पूर्व।

गयागुण्डमपद्धति—नारायण मट्ट के ग्रन्थ त्रिस्ली-  
सेतु १ अंश।

गयागुण्डमपद्धति—(गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा।  
दे० 'गयापद्धति'।

गयापद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

गयापद्धति—रामेश्वरालम्ब नायक के पुत्र रघुनाथ  
द्वारा। सन् १५५०-१६२५ ई० के बीच।

गयापद्धतिश्रीपिका—प्रभाकर द्वारा।

गयाधरपथिवेक—नारायण के 'त्रिस्लीसेतु' से।

गयाधरपथिवेक—नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० ८४)।

गयाधरपथिवेक—वाचस्पति मिश्र द्वारा।

गयाधरपथिवेक—मणिराम दीक्षित द्वारा।

गयाधरपथिवेक।

गयाधरपद्धति—उदयशिवदेवी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।  
कावसनेमियों के लिए।

गयाधरपद्धति—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

गयाभाद्रपरुष—मल्लामतस्य में व०।

मयस्यश्रुतिविधि—गोकुलदेव द्वारा (बडोदा, ८६/८)।

गयाभाद्राश्रुति—वाचस्पति द्वारा। प्रथम श्लोक में वानु०, ग६६० ए० कल्पवृक्ष (अर्थात् कल्पतह) का उल्लेख है।

गर्भपद्धति—(या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए स्यासोदाकहोम, बन्दिदान, पिण्डपितृपत्र, श्रवणा-कर्म, भूलगव, वैश्वदेव, मासप्राद, चूडाकरण, उपनयन, ब्रह्मवास्त्रधामनि, सीतायज्ञ, जालाकर्म पर स्पष्टि गय द्वारा गृह्यकर्मों का एक सङ्ग्रह। यह नर्तयसमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के यथापर भाष्य में ए० श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० आ०, पाण्डु० तिथि स० १५७५ (१५१९ ई०), दे० पृ० ५१५, सख्या १७३३।

गर्भस्मृति—स्मृतिवन्दिना, नित्याचारप्रदीप में व०।

गर्भाधानादि दशासम्कारपद्धति—शौनक का कहा गया है। जयन्त का उल्लेख है।

गायामट्टपद्धति—गायामट्ट द्वारा।

गायत्रीपद्धति—भूगमट्ट द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरण—(या पद्धति) बल्लाल के पुत्र शरुट द्वारा (घोरे की उपाधि)। इन्होंने शक स० १६७५ (१७५३ ई०) में 'वतोद्यापनकोमुदी' लिखी।

गायत्रीपुरश्चरण—शिवराम द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरण—साम्बमट्ट द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणबन्दिना—काशीनाथ द्वारा, जो जय-राम एव वाराणसी के पुत्र थे। उपाधि 'मट्ट' थी। पुत्र का नाम अन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८।

गायत्रीपुरश्चरणप्रदीप—नारायण मट्ट के पुत्र हृण्मट्ट द्वारा। सन् १७५७ ई० में प्रणीत।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—अनन्तदेव द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—गोवाणेंद्र सरस्वती द्वारा।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—गायत्रीपुरश्चरणबन्दिना से। अलवर, उद्धरण ३०२।

गायत्रीपुरश्चरणविधि—धारदातिलक से।

गायत्रीनाथ्यनिर्णय—अलवर, स० १३१२, उद्धरण ३०४।

गार्गीपद्धति—श्राद्धतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व०।

गार्ग्यस्मृति—विश्वरूप, मितासरा, अपराक, स्मृति च० द्वारा व०।

गार्हस्थ्यवीथिका—यज्ञ के शिष्य श्यम्बक द्वारा।

गार्हस्थ्यस्मृति—स्मृतिच० कालमाधव द्वारा व०।

गुणभञ्जरी—महाराज कुल में काशीराम के पुत्र त्रिपाठी बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

गणिसर्वम्ब—बदवर के श्राद्धविवेक में ए० त्रिपितरव तथा मलमात० में व०। १४०० ई० से पू०।

गृहवीथिका—श्रीनाथ आचार्य द्वारा। उनके वृत्त्य-तत्त्वानंभ में व०।

गृहार्थवीथिका—वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भा देखिए। हृद्यो एव रीतियो के सादेहात्मक विषयो पर।

गृहपतिधर्म—विश्वेश्वर द्वारा।

गृहप्रतिष्ठान्तरेव।

गृहवास्तु—चन्द्रचूड द्वारा (संस्कारनिर्णय का अर्थ)।

गृहस्थभूक्ताकल।

गृहस्वरन्नाकर—षण्देवर द्वारा। ५८९ पृ० में एक विद्याल दत्त। निम्न० इण्डि० द्वारा सन् १९२८ में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०।

गृहस्थकल्पतह।

गृह्यकारिका—(१) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा। (२) बौधायनीय, कनकसमापति द्वारा। (३) सामवेदीय, विनासमट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा।

गृह्यकारिका—कर्क द्वारा।

गृह्यकारिका—रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत।

गृह्यकीमुदी—गोविन्दाणव में व०।

गृह्यतत्त्वसर्वबर्ण—सुदधानाचार्य द्वारा आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर टी०।

गृह्यसंवाचनिकम्—मंत्रायणीय गृह्यसूत्र के अनुसार गृह्यकृत्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश। गृह्यपद्धति।

**गृह्यपद्धति**—वामुदेव दोषित द्वारा, सस्कारो, अष्टका आदि पर तीन खण्डों में, शक स० १७२० में पाण्डु० उतारो गयी।

**गृह्यपरिशिष्ट**—बहू वृच गृह्य परिशिष्ट छ दोगगृह्य-परिशिष्ट के अन्तगत देखिए।

**गृह्यपरिशिष्ट**—अनन्त भट्ट द्वारा।

**गृह्यपरिशिष्ट**—वैकुण्ठनाथाचार्य द्वारा।

**गृह्यप्रदीपकभाष्य**—नारायण द्वारा शाखायनगृह्यमूत्र पर एक टीका।

**गृह्यप्रयोग**—(आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यानीपं द्वारा। मुद्रनाथाचार्य की उ० किया गया है। अलवर (उद्धरण १४)।

**गृह्यप्रयोग**—जोषायनीय। वाजसनेयोय।

**गृह्यश्रायश्चित्तसूत्र**—हुला स० ६३७।

**गृह्यभाष्यसंग्रह**—(या गृह्यभाष्यायमग्रह) ह्माद्रि द्वारा व०।

**गृह्यस्त**—वैदिकसावमीम (अर्थात् मम्मवत वैकटेया) द्वारा। २१ खण्डों में। गर्भाधान, पुनवन, मोमनी प्रयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, जननयन, चत्वारि वेदत्रयानि—ऐसे ब्राह्म सस्कारों एवं देव मस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। टी० विबुधकण्ठमूषय, जो हारोतगोत्रज रगनाथ के पुत्र वैन्दनाथ वैदिकसावमीम द्वारा प्रणीत है (कण्ठमूषा नाम भी है)। हुला, स० ६०३ एवं उद्धरण, पृ० ८८। इसमें उनके पित्रुमेघमार एवं उसकी टी० का तथा आशीषगतक और ध्याख्या का उ० है।

**गृह्यसंग्रह**—पारस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य में जयराम द्वारा व०।

**गृह्यसूत्रपद्धति**।

**गृह्यसूत्रप्रकाशिका**—(पारस्करगृह्य पर) नृसिंह के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०।

**गृह्याग्नितामर**—(प्रयोगसार) लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरटया आरटं), आपस्तम्ब के पूर्ववर्तियों भाष्य पर रामाण्डारव्याख्या,

प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि-दोषित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके आदिसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त।

**गृह्यसंग्रह**—गोभिलपुत्र द्वारा (विश्लि० इण्डि० सी०, गोभिलगृह्य की अनुकर्मिणा व रूप में)। शिव राम की इत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगगृह्योत्सगतरवै तथा मठप्रतिष्ठावत्क म व०। टी० दामादर के पुत्र रामहृष्य द्वारा।

**गृह्यसंग्रहपरिशिष्ट**—छन्दोगवयोत्सगतत्त्व मे व० एवं इन्कमफोल्ड (जेड० डो० एम० जी०, जिल्द २५ पृ० ५३७ ५४८ २०९ श्लोका एवं दो प्रपाठका में) द्वारा सम्पादित। आर०भ है—'अपात सत्र बडपामि यदुक्त पद्ययोनित। ब्राह्मणाना हितायमि मस्कारायें तु भाषितम्।' दे० विश्लि० इण्डि० सी०।

**गृह्योक्तकर्मपद्धति**।

**गोत्रनिर्णय**—नन्दिपुर के केसवदेवज द्वारा २७ श्लोकों में। टी० वाकपुष्पमाला, प्रभाकर देवज द्वारा, श्रीधरदत्त प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है।

**गोत्रनिर्णय**—बालभट्ट द्वारा।

**गोत्रनिर्णय**—महादेव देवज द्वारा (सम्भवत यह मेघव-दत्त वाकपुष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की टीका है)।

**गोत्रप्रवरकारिका**।

**गोत्रप्रवरलक्ष्य**—धर्मसिन्धु से। आपरतवीय भी।

**गोत्रप्रवरदण्ड**।

**गोत्रप्रवरदीप**—विष्णुपण्डित द्वारा।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—आपदेव द्वारा (सम्भवत यह श्राति है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था)। दे० बडोरा, स० १८७०।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—(या गोत्रप्रवरदण्ड) रामहृष्य के पुत्र कमलाकर द्वारा। मंसूर मे मुद्रित, १९०० ई०। १७वीं शताब्दी काल।

**गोत्रप्रवरनिर्णय**—अनतदेव द्वारा (मस्कारवैश्वानर में, जो उनके भाई के धन से लिया गया है)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नन्दिग्राम के केशवदेवज्ञ द्वारा। पाण्डु० बडोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक श्लोक का 'कुर्वन्तु वो मंगलम्' से अन्त होता है। टी० वाक्युप्यमाला, प्रभाकर देवता द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं० ११०४१)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—आपदेव से पुत्र एवं अन्नदेव के छोटे भाई तथा संस्कारशोभुष के लेखक जीवदेव द्वारा। प्रवरमञ्जरी, आश्वलायनसूत्रवृत्तिकार नारायणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनी की विवाह में भातृगोत्र वर्जित है, मत्याशङ्क एवं शिष्टाचार में भी ऐसा कहा है।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नागेशभट्ट द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के गोत्रप्रवरनिर्णय में व०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—पचनाम द्वारा (बडोदा, सं० ८७८९)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—भट्टोजिदीक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर है।

गोत्रप्रवरनिर्णय—(अभिनव) माधवाचार्य द्वारा। टी० मण्डूकि रघुनाथाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मंसूर, १९०० में प्रकाशित)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—रामेश्वरारमज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। १५५०-१६२५ ई०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्वनाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। बडोदा (सं० ११०५५)। गद्य एवं पद्य दोनों में।

गोत्रप्रवरनिर्णय—सदाराम द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधारण—विश्वनाथ द्वारा। बडोदा (सं० ९३७५)। 'गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न।

गोत्रप्रवरभास्कर—भट्टोजि द्वारा। यह 'गोत्रप्रवरनिर्णय' ही है।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—केसाव द्वारा, जिन्होंने भूहृततत्त्व भी लिखा है। टी० राम द्वारा, स्मृत्युर्पेसार एवं प्रयागपारिजात वा उद्धरण है।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—(प्रवरमञ्जरी) पुष्टोत्तम पण्डित द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ)। चेन्नसालराव द्वारा मुद्रित (मंसूर, १९००)। ८ मौलिक गोत्रों में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, बोधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्यापाठ से उद्धरण दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में घृतस्वामी कपदिस्वामी एवं महदेवस्वामी का उल्लेख है। निर्णयसिन्धु, नृसिंहप्रसाद, दत्तकमीमासा में व० है। १४५० ई० से पूर्व।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—शकर तान्त्रिक द्वारा। गोत्री के भागों एवं उपभागों पर विषाद विवेचन है। ज्योतिर्निबन्ध, प्रवरदीपिका एवं बोधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। बडोदा (सं० ७६५७)।

गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार—शिव के पुत्र शकर देवज्ञ द्वारा।

गोत्रप्रवररत्न—रामकृष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५-१६३० ई०।

गोत्रप्रवरविवेक—घनञ्जय के धर्मप्रदीप से।

गोत्रप्रवरारम्भ्याय—दे० 'प्रवरारम्भ्याय'।

गोत्रप्रवररोञ्चार—औदीच्यप्रकाश से।

गोत्रामृत—नृसिंहपण्डित द्वारा।

गोदानविधिसंग्रह—ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

गोपालकारिका—(बोधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिकामापण्ड जैसे धार्मिक कृत्यों पर ४२० श्लोक।

गोपालपद्धति—लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। १००० ई० के पूर्व। बी० बी० व्जार० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १८३)।

गोपालपूजापद्धति—दशार्णव देश के नृसिंह—पुत्र दिनकर द्वारा (कृष्ण पूजा पर)। इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ५८७)। सवत् १६६४।

गोपालरत्नाकर—गोपाल द्वारा।

गोपालसिद्धान्त—भाचाररत्न में व०।

गोपालार्चनचन्द्रिका।

गोपालार्चनचन्द्रिका—लक्ष्मीनाथ द्वारा।

गोमित्तगृह्यसूत्र—विन्डि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित,

डा० कनीयेर द्वारा एव एस० बी० ई० (जित्द ३०)

में अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट

नारायण द्वारा, रघुनन्दन के आदित्यत्व में व०।

ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०) में प्रतिलिपि की

गयी। टी० (भाष्य) दशोवर द्वारा, गोविन्दानन्द

की दानक्रियाकौमुदी में एव आदित्यत्व में व०,

१५०० ई० के पूर्व। टी० 'सरला', त्रिपितृत्व एव

आदित्यत्व में व०, १५०० के पूर्व। टी० सायण

द्वारा। टी० सुबोधिनीपद्धति, विश्राम के पुत्र

शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकायंबोधिनी से

मित्र), लग० १६४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)।

टी० पद्धति, मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।

टी० कारिकायंबोधिनी, विश्राम के पुत्र शिवराम

द्वारा (स्टीन, पृ० १५ एव २५०)।

गोमित्तपरिशिष्ट—(टीका के साथ विन्डि० इण्डि०

सी० में प्रकाशित) संध्यासूत्र, स्नानसूत्र एव आङ्ग-

कल्प पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन

द्वारा व०।

गोमित्तभाङ्गसूत्रभाष्य—त्रिपितृत्व एव आदित्यत्व में

रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवतः यह महायज्ञ का

भाष्य ही है।

गोमित्तसंध्यासूत्र।

गोभिलस्मृति—कार्यापन का कर्मप्रदीप। आनन्दायम

प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१)।

गोभिलौषधिरिणिष्ट—(अनिष्टकारी ब्रह्मों की शान्ति,

ग्रहयाग आदि पर) नो० (जित्द १०, पृ० २०१-२०२)।

गोभिलौषध्याङ्गकल्प—(भाष्य) महायज्ञा द्वारा। रघु०

के आदित्यत्व में व०। सम्भवतः यह महायज्ञा

उपसृष्ट मयोपर ही है। टी० समुद्रकर द्वारा,

बददेव के स्मृतिधन् की आङ्गकला में व०।

गोवधप्रार्थिवत्त।

गोविन्दमानसोत्सास—एकादशीतत्त्व एव मरुमाहृतत्व

में व०। अतः १५०० ई० के पूर्व।

गोविन्दार्चनचन्द्रिका—(बम्बई में प्रका०)।

गोविन्दार्णव—(या स्मृतिसागर या धर्मतरवावलोक)

रामचन्द्र के पुत्र शेष नृसिंह द्वारा। काशी के महा-

राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से सगृहीत।

छ बीचियों (लहरो) यथा सत्कार, आह्निक, आङ्ग,

सुद्धि, काल एव प्रायश्चित्त में विभाजित। कल्पतरु,

अपराकं, माधवाचार्य, विद्वेदवर मठ के उद्धारण

आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचाररत्न (लक्ष्मणमठ

द्वारा उ० है। १४०० एव १४५० के बीच

सगृहीत। दे० अलवर (उद्धारण ३०४), जहाँ बनारस

के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विवाद वर्णन है

जिसे दिल्ली एव काल्पी से बढकर कहा गया है।

राजाओ के श्रीवास्तक कुल एवं शेष कुल का भी

वर्णन है। अलवर (पाण्डु०, दलोक ८५) में केवल

पाँच बीचियों का उल्लेख है, 'प्रायश्चित्त' छोड़ दिया

गया है। लगता है, शेष कृष्ण ने गोविन्दार्णव को अपने

ग्रन्थ सूदाचारसिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है।

दे० इण्डि० ऐंस्टी० (१९१२, पृ० २४८)।

गौडनित्यम्—श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०।

गौडनित्यसत्कार—नि० सि० में व० (सम्भवतः यह

कुल्लूकमठ का आङ्गसागर है)।

गौडभाङ्गकौमुदी—नि० सि० में व०। (सम्भवतः यह

गोविन्दानन्द की आङ्गकौमुदी है)।

गौडसत्कारप्रदीप—गदाधर के कालकार में व०।

गौडनित्यसत्कार—गदाधर के कालकार में वर्णित।

गौडनित्यसत्कार—दे० प्रक० ५, बनारस सं० सी० एवं

जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४३४) द्वारा प्रका०।

टी० कुलमणि कुबल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्की

द्वारा (मंसूर में प्रका०)। टी० नितानारा, हरदत्त

द्वारा (आनन्दा० प्रे०)।

गौडनित्यसत्कार।

गणराज—(या स्मृतिधन्वराज)।



ग्रन्थविधानधर्मकुसुम—चक्रवर्मा द्वारा।

ग्रहणक्रियाक्रम।

ग्रहणनिर्णय—नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से।

ग्रहणभङ्गनिर्णय।

ग्रहणप्रयोग—माधव का उल्लेख है।

ग्रहणकतिमक—माह्दाय गोपीय कृष्णाचार्य के पुत्र माधव द्वारा। पीटर्सन की पाँचवी रिपोर्ट (पृ० १७६)।

ग्रहणसंप्रयोग—नी० (१०, पृ० २००)।

ग्रहणकारिका।

ग्रहणतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। शीषिका का उल्लेख है।

ग्रहणमदीपिका—सदाशिव दीक्षित द्वारा।

ग्रहणसंपद्धति।

ग्रहणसंनिष्करण—अनन्तदेव इत संस्कारकौस्तुभ से।

ग्रहणप्रयोग।

ग्रहणविधान—नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा।

ग्रहणयोगकौमुदी—रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा।

ग्रहणयोगप्रयोगतत्त्व—(या ग्रहणयोगतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद् द्वारा बयला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह रघुनन्दन के २८ तत्वों से ऊपर एक तत्व है।

ग्रहणयोगज्ञान्ति।

ग्रहणान्ति—शाखायन एवं गोमिल के मतानुसार।

ग्रहणान्तिपद्धति—(या वासिष्ठीनान्ति) हरिनाकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। लग० १६८६ ई०।

ग्रहणव्ययनपद्धति—मोटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० ९८)।

ग्रहणनिर्णय—(या पातित्यप्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के सहायित्व से।

ग्रहणप्रवाहरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।

ग्रहणनारायणीय—शूलपाणि के गुणोत्सवविवेक में ब० 1 अत १४०० ई० से पूर्व।

ग्रहणनारायणीय निबन्ध—(या स्मृतिसारोद्धार) विष्णु-स्मर विवेदी द्वारा। १२ उदाहरणों में, बचन—सामान्यनिर्णय, एकभक्त्यादिनिर्णय, तिथिसामान्य-निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध,

आशौच, गर्भावनादि-कालनिर्णय, आह्निक, व्यवहार, प्रायश्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की आज्ञा से लिखित। प्रतापमार्तण्ड, हीरिजस्मृति, रूपनारायणीय, अनन्तमट्टीय का उल्लेख है। १७वीं शताब्दी पूर्वार्ध, चौलम्बा सं० सी०।

श्रीशिवार्चनदीपिका—काशीनाथ भट्ट द्वारा, जो भट्टकुल के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। अलवर (उदरन, ६२०)।

श्रीश्रीप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

श्रीश्रीप्रयोग—नागोजिभट्ट द्वारा।

श्रीश्रीकनिबन्ध—(या स्मार्तकर्मानुष्ठानक्रमविवरण) महामाया श्री सभाद् चण्डूक द्वारा। श्राद्ध, यलमास, त्रयोदशीनिर्णय, आह्निक आदि पर। बबोदा (सं० २९६)। तिथि सं० १५९१।

शुभुरीतिज्ञातिप्रशस्ति—सदाशिव द्वारा।

शुभुरीतिकर्म—(विवाह के उपरान्त चौपी रात्रि के कृत्यों पर)।

शुभुरीतिलोकी—भट्टोजि द्वारा। बबोदा (सं० १४८८), श्राद्ध पर १४ श्लोक। टी० महेश्वर द्वारा।

शुभुरीतिविस्तारनि—हेमाद्रि कृत। दे० प्रक० ८३ (बिम्बि० इण्डि० सी०), हस्त (सं० ९५८)। इसमें प्रायश्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं।

शुभुरीतिप्रतिपत्त—(या स्मृति)। दे० प्रक० ४२। टी० भट्टोजि द्वारा (बभारस सं० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध भी है), इण्डि० भा० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल संस्कार काण्ड है, जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र रामचन्द्र की कही गयी है। आह्निक, आचार एवं प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुलिपियाँ भी प्राप्त हैं। टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

शुभुरीतिस्मृतिप्रतिपत्तार—बबोदा (सं० २२४७ एवं १०५५)।

शुभुरीतिस्मृतिप्रतिपत्तारत्नसुन्दर।

शुभुरीतिस्मृतिप्रतिपत्तारः।

शुभुरीतिस्मृतिप्रतिपत्तार—(या तत्त्व) वाचस्पति द्वारा,

अपने पति एव पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम श्राद्ध वे वृत्त्यो पर। रत्नाकर पर आधारित। नो० न्यु० (१, पृ० १००)।

चन्दनधेनुस्सर्पपद्धति—नवदीप के रत्ननाथ भट्टाचार्य द्वारा। नो० न्यु० (१, पृ० १०१), पाण्डु० त्रिपि १७६५ ई०।

चन्द्रकमलाकर।

चन्द्रकलिका।

चन्द्रनिबन्ध—निर्णयदीपक मे उ०।

चन्द्रप्रकाश—नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्व।

चन्द्रस्मृति—निर्णयदीपक में व०।

चन्द्रोदय—नि० सि० मे व० (सम्भवत पृथ्वीचन्द्रोदय या आचारचन्द्रोदय)।

चमत्कारचिन्तामणि—नारायण भट्ट द्वारा (बनारस से प्रका०, १८७०), आचार्यमूल एव समयमूल द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयार्थ दीपिका, धर्मेश्वर द्वारा। टी० नारायण द्वारा।

चमत्कारचिन्तामणि—राजर्षिभट्ट द्वारा (जैसा कि नि० सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। १५५० ई० के पूर्व। पाण्डु० की त्रिपि व० १६५७ (१६००-१६०१ ई०)।

चमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एव दैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावान एव अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासहृत्याहृत्य पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

चमत्कालमूर्तिप्रतिष्ठा।

चमत्कार्वा—(बीषायन के अनुष्ठार)। दे० वी० बी० आर० ए० एस० (त्रिपि २, पृ० २४३)।

चमत्कार्यपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

चमत्कार्यपद्धति—नारायणभट्ट, गृह्यपरिशिष्ट, त्रिविक्रमपद्धति, कालादर्श, पुरुषार्थबोध, धारदातिलक एव बोधदेव पर आपृत। १५५० ई० के उपरान्त।

चाणक्यनीति—क्रैस्लर द्वारा सम्पादित।

चाणक्यनीति—(या चाणक्यराजनीति या चाणक्य-रातक)। ६६० श्लोको मे एक बृह-चाणक्य भी है, लघु-चाणक्य भी है।

चाणक्यनीतिवर्षण—गजानन कृत।

चाणक्यनीतिसारसंग्रह—१०८ श्लोको मे। इसमे आया है—'मूलमत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यमोदितम्।' चाणक्यराजनीतिशास्त्र—कलवत्ता ओ० सी० (स० २, १९२१) में प्रका०।

चाणक्यसप्तति।

चाणक्यसारसंग्रह।

चाणक्यसूत्र—डा० शामशास्त्री के संस्करणमे कौटिलीय के अन्त में मुद्रित।

चातुराश्वम्यधर्म—श्रीकण्ठायन द्वारा।

चातुर्मास्यकारिका—गोपाल द्वारा।

चातुर्वर्ष्यधर्मसंग्रह।

चातुर्वर्ष्यविचार—गंगादत्त द्वारा।

चातुर्वर्ष्यविवरण—गंगाधर द्वारा।

चातुर्वर्ष्यविधेयन—धरणीधर द्वारा।

चारामणोयगृह्यपरिशिष्ट—हेमाद्रि द्वारा व०।

चारुचर्या—शंभेन्द्र द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका०)।

चारुचर्या—भोजराज द्वारा।

चूडाकरणकेशान्ती।

चूडाकर्म—दत्तपण्डित द्वारा।

चूडाकर्मप्रयोग।

चौलोपनयन—(विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धति से)।

चौलोपनयनप्रयोग।

छन्दोगकर्मनुष्ठानपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 'छन्दोगपद्धति'।

छन्दोगगृह्य—दे० 'गोमिलगृह्य'। टी० (माध्य) हरदत्त द्वारा अनाविला में व०।

छन्दोगपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा, दे० प्रका० ७३। टी० संस्वारपद्धतिरहस्य रामनाथ कृत, शक सं० १५४४।

छन्दोगपरिशिष्ट—हेमाद्रि द्वारा व०। टी० वदधर के

धाद्रिविक्रम मे व०। टी० प्रकाश, गणेश के पुत्र एव उमापति (बड़े प्रभाकर एव जयपाल राजा द्वारा सर-  
धिन) के पीत्र। दे० 'वर्ममन्दीप'। टीका की टीका  
मानमन्त्री, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा।  
टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर  
द्वारा। टी० चक्रधर के पुत्र आनाधर या आधार्क  
द्वारा।

छन्दोगप्रायश्चित्त।

छन्दोगधाद्र।

छन्दोगधाद्रतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्णा-  
रमज राधावल्लभ के पुत्र माशरीराम द्वारा।

छन्दोगधाद्रबोधिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा।

छन्दोगान्तीयान्त्रिक—विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा।

इण्डि० आ० (१, पृ० १५, पाण्डु० सं० १८१०,  
१७५३-४ ई०)। लग० १९४० मे प्रणीत।

छन्दोगान्त्रिक—सदानन्द द्वारा।

छन्दोगान्त्रिकपद्धति—रामहृष्ण त्रिपाठी द्वारा।

छन्दोगान्त्रिकोद्धार—भवनाथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र  
द्वारा। दे० 'प्रायश्चित्तमन्दीप'।

छन्दोपहारावलि।

छान्दोग्यतन्त्र—मिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य मे व०।

जगद्वल्लभा—भारद्वाजगण के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा।  
२५ मे अधिक प्रकरणो मे।

जगन्नाथमकाश—सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा  
से प्रणीत (जगन्नाथ काम्बोज कुल के थे)। दे०  
मित्र०, नो० (त्रिन्द ५, पृ० १०९)। पाण्डु० सं०  
१८३८ (१७८७-३ ई०) मे उतारी गयी। दस  
प्रमात्रा मे लिखित है।

जटमल्लविलास—श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से  
संगृहीत। जटमल्ल दिल्ली के राजा के एक मात्र मन्त्री  
डोल के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे।  
यह कुल बोलसल देस के मन्दिर से निकला था और  
इसकी राजधानी स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्थ मे आचार,  
काल, श्राद्ध, सक्रान्ति, मलमाम, सत्कार, आशौच  
एव शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० मे तिथि टीका

नहीं है—'वानामवलणसिद्धि (?) रत्नाक्षवाणसिद्धि,  
१५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमे  
कालनिर्णय, कालादर्श, प्रासाददीपिका का उल्लेख है।

जनिदोषप्रतिकार—पाण्डु० बडोदा (सं० २३६५),  
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)।

जन्मदिवहृत्स्पपद्धति।

जन्मदिवसपूजापद्धति।

जन्ममरणजिज्ञेह—वाचस्पति द्वारा (बडोदा, सं०  
१७७३४)। इसमे मासाप एव माद्र का वर्णन है।

जन्माष्टमीतत्त्व—(या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन  
द्वारा।

जन्माष्टमीनिर्णय—विद्वल्लेश्वर द्वारा।

अप्यतुण—निर्णयसिन्धु मे व०।

अपन्तकारिका।

अपन्तीनिर्णय—(कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ  
द्वारा।

अपन्तीनिर्णय—रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एव आनेप  
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देसिक द्वारा।

अयमाधवमानसोत्सास—गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख-  
पुर) के जयसिंहदेव द्वारा। ये नारायण के भक्त  
थे। ग्रन्थ मे सभी धार्मिक कृत्या (नित्य, नैमित्तिक  
एव काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१,  
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा  
प्रशस्ति है।

जयसिंहकल्पद्रुम—धाराणसी के पण्डित श्रीदेवमठ के  
पुत्र, धाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक  
विशाल ग्रन्थ है, ९०० पृ० मे, १९२५ ई० मे लक्ष्मी-  
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण मे, मुद्रित)। काल, व्रत,  
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवको में। काल-स्तवक  
की रचना जयसिंह के आश्रय मे हुई, जिसने  
उज्जयिनी मे ज्योतिष्योम किया, पौण्डरीकीमी। उसकी  
अम्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७०  
(१७१३ ई०)। इसमे जयसिंह (जो शिवाजी को  
दिल्ली ले गया था) की वशावली दी हुई है—राम-  
सिंह—कृष्णसिंह—विष्णुसिंह—जयसिंह।

इसे—द्रुमोद्योत भी कहा जाता है। अलवर (उद्धरण ३०५), बम्बई में मुद्रित, १९०३।  
 क्यानिर्दिश्य—(निबन्ध ?) चण्डेश्वर के कृत्परलाकर (पृ० १६६) में व०।  
 क्यामिषेक्षप्रयोग—रघुनाथ द्वारा।  
 क्यार्मव—नि० सि० एव पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में गदाधर द्वारा व०। दे० युद्धजयार्णव।  
 कल्पामा।  
 कलाज्ञपप्रतिष्ठा—भागुमिष्य द्वारा।  
 कलाज्ञपारामोत्सर्गविधि—(या पद्धति) (१) रामेश्वर के पुत्र नारायण मट्ट द्वारा, रूपनारायण को उ० करता है, १५१३-१५७५ ई०, दे० प्रक० १०। (२) कमलाकर द्वारा, दे० प्रक० १०६।  
 कलाज्ञयोत्सर्गात्प—रघुनन्दन ह्य (जीवानन्द द्वारा प्रका०) दे० प्रक० १०२।  
 कातकर्म—संस्कारमास्कर से।  
 कातकर्मपद्धति—केचवमट्ट द्वारा।  
 कातकर्मपद्धति—दामोदर द्वारा।  
 कातकर्मविधिसंज्ञाकार्यमित्त—वापण्यामट्ट द्वारा।  
 कातकर्मविधिसंज्ञाकार्यमित्त—विद्याधर द्वारा, नो० न्यु० (२, पृ० ५५५६)।  
 कातिविर्मव—बडोदा (स० ११०३) कादस्य आदि पर।  
 कातिमाता—हरयामलपुत्र का एक अर्थ।  
 कातिमाता—विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। दे० नो० (खिल २, पृ० १५१)।  
 कातिमाता—मुद्गल एवं सापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ द्वारा, जिनकी उपाधि सकलकलपी और जो अलवाम के निवासी थे। लक्ष्मीनिन्दा, बँदराम एव पारंतीस्तुति नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एवं जातियों पर कुछ भी नहीं है। इ० का० (सं० ३०२, १८८५-८६)।  
 कातिमाता—पराशरपद्धति से। स्टील (पृ० १४)।  
 कातिविदेक—सेवकृष्णहठ। धृवाचारशिरोमणि एव मुद्रिचूडण में बन्दित।  
 कातिविदेक—कृष्णवीरिण्ड पण्डित द्वारा। वर्णाम-वर्णदीपिका नामक एक विद्याल इत्य का अर्थ।

जातिविदेक—श्याम्बर द्वारा।  
 जातिविदेक—नारायण मट्ट द्वारा (बडोदा, स० १११७७)  
 जातिविदेक—मराठार द्वारा।  
 जातिविदेक—रघुनाथ द्वारा।  
 जातिविदेक—विश्वनाथ द्वारा (नो०, खिल ९, पृ० ७७९)। स्टील के फ्रेटलाग में इसे 'विदेकसमूह' कहा गया है (पृ० ८९)।  
 जातिविदेक—विश्वेश्वरमट्ट द्वारा (सम्मवत 'कामरव-धमप्रदीप' का प्रथम भाग)।  
 जातिविदेक—अथर्वपुर (महाराष्ट्र में पराष्ट्र ?) के विश्वनाथ-मीन, धाङ्गवर-मुन, वासिष्ठ मोन के श्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। पाण्डु० (इण्डि० आ०, खिल ३, पृ० ५१९, स० १६३९) की तिथि एक स० १५६४ (१६४२ ई०) है। पीटसन (अलवर, स० १३२३) के मत से यह विश्वेश्वरवास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है, जो पहले विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम समराज।  
 जातिविदेकसंग्रह—सामय कृत कहा गया है।  
 जातिविदेकसंग्रह—विश्वनाथ द्वारा।  
 जातिविदेकसंग्रह—शिवलाल सुकुल द्वारा।  
 जातिविदेकसंग्रह—अनन्तास्वार द्वारा।  
 जातिविदेकसंग्रह—वेणीराम शाक्रीपी द्वारा।  
 जातिविदेकसंग्रह—शूलपाणि के दुर्गास्वविदेक में एवं कुल्लूक द्वारा व०।  
 जीर्णोद्धारविधि—(निरिक्रम के अनुसार) मन्दिर, देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार पर। नो० (खिल १०, पृ० २७१)।  
 जीर्णोद्धारप्रयोग—रामेश्वर मट्ट के पुत्र नाथयण मट्ट द्वारा।  
 जीर्णोद्धारप्रयोग—हीनक द्वारा।  
 जीर्णोद्धारप्रयोग—रंगोजिमट्ट के पुत्र बालकृष्ण मट्ट द्वारा। नो० न्यु० (खिल ३, पृ० ६४), पाण्डु० की तिथि स० १७८५ है।

श्रीवत्सितुककर्तव्यनिर्णय—बालकृष्ण पादगुह्ये द्वारा  
(बडोदा, स० ३५८ एव ५५४९)।

श्रीवत्सितुककर्तव्यनिर्णय—(पा धर्मनिर्णय) रामेश्वरा-  
रम्य नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा।  
लग० १५७०-९० ई०।

श्रीवत्सितुककर्तव्यसंघ—वृष्णभट्ट द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागव्यवस्था—अजराज के पुत्र मधुसूदन  
गोस्वामी द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—उपर्युक्त का सक्षिप्त रूप  
(अलवर, स० १३२४)। सवत् १८१२ (१७५५-  
६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी।

श्रीवत्सितुक—श्रीफेस्ट०, स० ६११।

श्रीनिगुह्य—डा० केलेंड (पंजाब ओरिएण्टल सी०,  
१९२२) द्वारा सम्पादित। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास  
द्वारा।

श्रीनिगुह्यमन्त्रवृत्ति।

शांतिभेदविवेक।

शानमास्कर—(सूर्य एवं अश्विन के कपनोपवसन के रूप  
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभक्त।  
दे० बोकानेर, पृ० ३९८। बर्नेल (तंजीर, पृ०  
१३६ बी) के मत से लेखक का नाम दिग्गमि है।  
बडोदा की स० ११३६ इसका एक भाग है (रोगा-  
विकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० श्लोक तक  
चला जाता है तथा स० १०५४६, १४००० श्लोक  
में एक ग्रन्थ है।

शांतिप्रकाश—जट्टोपल द्वारा। भोज के धर्मप्रदीप, रघु-  
नन्दन के आश्रितकतव्य में तथा आचारमयूख में  
व०।

शांतिप्रकाश—हेमाद्रि, नृसिंहप्रसाद (दानसार),  
कुम्हक्रीमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्व।

शांतिप्रकाश—राधेश्वरभट्ट के पुत्र चूडामणि द्वारा। चार  
स्तवकों में।

शांतिप्रकाश—कृष्णानन्द द्वारा (संस्कारों पर)।

श्रीवत्सितुकविभाग।

श्रीवत्सितुकविभाग—रघुनन्दन द्वारा व०।

श्रीवत्सितुकविभाग—गदाधर के कालसार एव नि० सि०  
में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसार—मयूरेश द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागसार—विद्यानिधि द्वारा। नो० न्यु०  
(जिल्द १, पृ० १३४)। पाण्डु० तिथि शक सं०  
१६७० (१७४८ ई०)।

श्रीवत्सितुकविभागसार—धर्मप्रवृत्ति एव गोविन्दागंभ में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा श्रौतस्तरव तथा  
मदनपरिजात में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—हृदयानन्द विद्यालकार द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—देवशर्मा के पुत्र नन्द द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—गोविन्दागंभ एव स० को० में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—शूद्रकमलाकर, सस्कारमयूख एव श्रुति-  
मयूख में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—गोविन्दागंभ एव भट्टादि के चतुर्विधसि-  
मत व्याख्यान में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—सिद्धेश्वर के सत्कारमास्कर में व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—केशव तर्कचानन द्वारा। नो० न्यु०  
(जिल्द २, पृ० ५८)।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—गूलपाणि के दुर्गास्तवविवेक एव रघु-  
नन्दन द्वारा व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०,  
गोविन्दागंभ द्वारा व०।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—रघुनन्दन मिश्र द्वारा, राजा टीकरमल  
के आश्रय में।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—दे० प्रक० १०४।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—महाराज दुष्णिके आश्रय में विश्वनाथ  
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के इत्यों पर। पाण्डु०  
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में जतारी गयी  
(बर्नेल, तंजीर, पृ० १३६ बी)।

श्रीवत्सितुकविभागसारसंग्रह—नारायणभट्ट की अन्वेषितपद्धति में, रघु-  
नन्दन के श्राद्धतत्व (१, पृ० २१३) एवं शूद्रकमला-  
कर में व०। १५२५ ई० के पूर्व।

तद्भागप्रतिष्ठा।

तद्भागविरिपद्धति—टोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द का एक भाग)।

तद्भागविरिपद्धिष्ठापद्धति—धर्मकर उपाध्याय द्वारा।

तद्भागविरिपद्धिष्ठाविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

तद्भागोत्सर्गतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

तत्त्वकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकङ्कणाचार्य द्वारा।

यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है।

तत्त्वकौमुदु—मट्टोजिदीक्षित द्वारा (बडोदा, सं० ३७६)

केलदी बँकटेश के आदेश से लिखित। तन्त्राधिकार, तत्त्वमुद्राधारण एव लिंगधारण के प्रश्नों पर एक निबन्ध।

तत्त्ववीप—श्याम्बक द्वारा।

तत्त्वनिर्णय—महामहोपाध्याय षट्श्वर के पुत्र पक्षपर द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिन्द ५, पृ० १५५)।

पाण्डु० एक १६६१ में उतारी गयी।

तत्त्वप्रकाश—दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका'।

तत्त्वमुक्तावली—दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१७, सं० ६८७)। सम्भवतः निम्नोक्त ग्रन्थ। टी०, दे० वही।

तत्त्वमुक्तावली—नन्दपण्डितकृत। दे० प्रक० १०५। इसमें उनके स्मृतासन्धु का सारांश है। टी० 'बालमूषा', बालकृष्ण द्वारा। टी० 'बालमूषा', वेणीदत्त द्वारा।

तत्त्वसंग्रह—कोनेरिमट्ट द्वारा।

तत्त्वसागर—हेमाद्रि द्वारा एवं एकादशीतत्त्व तथा तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमूल में व०।

तत्त्वसार—रघु० के मरुमासतत्त्व में व०।

तत्त्वसारसंहिता—हेमाद्रि द्वारा व०।

तत्त्वामृतधर्मशास्त्र—दे० 'स्मृतितत्त्वामृत'।

तत्त्वामृतसारोद्धार—वर्षमान द्वारा। उनके स्मृतितत्त्व-विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप, आचार, श्राद्ध, क्षुद्रि एवं व्यवहार नामक चार कौजों में विभक्त। मिथिला के राजा राम के पासन काल में प्रणीत।

१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। व्यवहारकौज में उनके दण्डविवेक का उल्लेख है।

तत्त्वार्थकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकङ्कणाचार्य द्वारा।

शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका (जीवानन्द द्वारा प्रका०)।

तत्त्वार्थवीप।

तन्त्रप्रकाश—आह्निकतत्त्व में रघु० द्वारा व०।

तन्त्रसारपथरत्न—इसकी टी० का नाम तन्त्रसार-प्रकाशिका है।

तत्त्वमुद्रासङ्घन—अप्यपदीक्षित द्वारा (शरीर पर चित्ताङ्कन के विरोध में, जैसा कि बँपणव करते हैं)।

तत्त्वमुद्राधारण—(या चक्रमीमासा) स्मृतिकौस्तुभ से।

तत्त्वमुद्राविद्रावण—भास्करदीक्षित द्वारा।

तत्त्वमुद्राविवेक—हरिराय गोस्वामी द्वारा। बडोदा

(सं० ११५७५)।

तर्पणघञ्जिका—रामचरण द्वारा।

सारकोषवेशध्ववस्था—अमृतानन्द तीर्थ द्वारा।

तिथिकल्पद्रुम—कल्याण द्वारा।

तिथिकौस्तुभ—(या तिथिदीधितिकौस्तुभ) आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

तिथिचक्र—विरवनाथ द्वारा। बडोदा (सं० ८३३६)।

तिथिचक्रिका—पक्षपर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, सं० १४५, पाण्डु० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई०) में उतारी गयी।

तिथिचक्रिका—हरिदत्त मिश्र द्वारा।

तिथिचक्रोदय—अहल्याकामधेनु में व०।

तिथितत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम शर्का-

लकार द्वारा, नो० न्यु० (१, पृ० १५५)। टी०

काशीराम वाचस्पति द्वारा, नो० न्यु० (२, पृ० ७१)।

टी० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा, नो० न्यु०

(२, पृ० ७२)।

तिथितत्त्वचिन्तामणि—महेद्य ठक्कुर द्वारा (बनारस में मुद्रित, १८८७ ई०)।

तिथितत्त्वसार—आपदेव द्वारा।

तिथिवर्षव।

तिथिदीप्ति--(अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक अंश)।

तिथिदीपिका--त्रयप्राम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० १०७२४)।

तिथिद्वैतनिर्णय (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा।

तिथिद्वैतप्रकरण--(तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा।

इसमें सवतसप्रदीप एव स्मृतिसमुच्चय के नाम आये हैं। टी० श्रीकर क पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा।

तिथिनिर्णय-- कालमाधव से।

तिथिनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६११,

तिथि सं० १५८३, अर्थात् १५२६-२७ ई०।

तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा।

तिथिनिर्णय--गगाधर द्वारा।

तिथिनिर्णय--गोपाल द्वारा।

तिथिनिर्णय--माविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० १३२६)। षोडशम का यह कहना कि वह काल-रघुतम को प्रथमा करता है भ्रमिक है। यहाँ रघुतम विष्णु के अवतार हैं जो काल एव ब्रह्म के समान कहे गये हैं।

तिथिनिर्णय--दयाशंकर द्वारा।

तिथिनिर्णय--देवदास मिश्र द्वारा।

तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर आधृत।

तिथिनिर्णय--नागोजिभट्ट द्वारा।

तिथिनिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा।

तिथिनिर्णय--पक्षधर मिश्र द्वारा।

तिथिनिर्णय--शालहृष्ण भाद्राज द्वारा। हेमाद्रि पर निर्भर है।

तिथिनिर्णय--मट्टोजि द्वारा (बनारस एव बम्बई से प्रकाश)।

तिथिनिर्णय--मपुरानाथ शुक्ल द्वारा।

तिथिनिर्णय--महादेव द्वारा।

तिथिनिर्णय--माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंश)।

तिथिनिर्णय--रघुनाथ द्वारा (सम्भवत ये राघवभट्ट ही हैं)। विट० एव कोय (पृ० २८२) का कथन

है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ लिखा हुआ है।

तिथिनिर्णय--रमापति सिद्धान्त द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० १५६) शक सवत १६३३ में प्रणीत।

तिथिनिर्णय--राघवभट्ट द्वारा, नि० सि० एव नीलकण्ठ के नाम आये हैं अत १६४० ई० के पूर पाण्डु० १६८१ शक (अर्थात् १७६६ ई०) में उतारी गयी। बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०।

तिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोदा (प० १५२४) लग० १४०० ई०। टी० लेखक के पुत्र नृसिंह द्वारा। पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२ ई०)।

तिथिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा।

तिथिनिर्णय--वावस्पति द्वारा।

तिथिनिर्णय--विद्वेश द्वारा, हेमाद्रि, माधव, चमत्कार चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं।

तिथिनिर्णय--वचनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से)।

तिथिनिर्णय--शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, सं० १३२९)।

तिथिनिर्णय--शुभकर द्वारा।

तिथिनिर्णय--सिद्धलक्षण द्वारा।

तिथिनिर्णय--सुदधान द्वारा।

तिथिनिर्णय--माधवाचार्य के लघुमाधवीय से।

तिथिनिर्णय--स्मृत्यर्थसार से।

तिथिनिर्णयकारिका--कौशिक गोष के योगिन्दाचार्यपुत्र श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

तिथिनिर्णयचक्र--विश्वनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८३३६)।

तिथिनिर्णयतत्त्व--शिवनन्दन नाग द्वारा।

तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा।

तिथिनिर्णयमार्तण्ड--हृष्णमित्राचार्य द्वारा।

तिथिनिर्णयसंक्षेप--(या तिथिनिर्णय) लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टाजि द्वारा।

तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वारा। अनन्तभट्ट के तिथि निर्णय का संक्षेप। टी० नृसिंह द्वारा। बड़ोदा, सं०

१५२४, तिथि सं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त।  
 तिथिनिर्णयसर्वसमुच्चय।  
 तिथिनिर्णयसार—मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३।  
 तिथिनिर्णयेश्वर—नागोजिमठ द्वारा।  
 तिथिनिर्णयेश्वर—(या लघुतिथिनिर्णय या निर्णयो-  
 द्धार) राघवमठ द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय।  
 इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है।  
 तिथिप्रकाश—गंगादास द्विवेदी द्वारा।  
 तिथिप्रकाश—काशिका।  
 तिथिप्रदीपक—मट्टोजि द्वारा।  
 तिथिप्रदीपिका—नृसिंह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख  
 है।  
 तिथिप्रदीपिका—रामसेवक द्वारा।  
 तिथिप्रदीपिका—लालमठ-महादेव-ज्ञानेश्वर-गणेश द्वारा।  
 तिथिरत्न—महादेव द्वारा।  
 तिथिरत्नमाला—चिन्तामणि के पुत्र अनन्तारमज नील-  
 कण्ठ द्वारा।  
 तिथिवाक्यनिर्णय—दे० नारायण मठ का तिथि-  
 निर्णय।  
 तिथिविवेक—मूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व  
 में व०। टी० सात्यवंदीपिका, श्रीकर के पुत्र  
 श्रीनाथ आचार्यबूडामणि द्वारा। लग० १४७५-  
 १५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४)।  
 पाण्डु० १५१२-१३ ई० में उत्तारी गयी।  
 तिथिव्यवस्थासंग्रह।  
 तिथिसंग्रह—(या सर्वतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा।  
 तिथीशुद्धेश्वर—नाथेश्वरमठ द्वारा।  
 तिथ्यर्क—भास्कराज गोत्र के बालकृष्णारमज महादेव के  
 पुत्र दिवाकर द्वारा; बाबापरक के लेखक (दोनों  
 धर्मशास्त्रसुधानिधि के भाग हैं)। लग० १६८३  
 ई०। अनुक्रमिका, उनके पुत्र भद्रनाथ द्वारा।  
 तिथ्यर्कपरिनिर्णय—(बड़ोरा, सं० ५९४७) लेखक का  
 कथन है कि प्रयोगरत्न के लेखक नारायणमठ उसकी  
 माता के प्रतिष्ठामह थे। अतः लेखक की तिथि  
 समझ १६९० ई० है।

तिथ्यर्कप्रकाश—दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त  
 तिथ्यर्क ही है?)।

तिथ्यारविश्वनिर्णय—लोगासि भास्कर द्वारा। बड़ोरा  
 (सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं०=१५४८-९ ई०)।  
 दीपिका, कालादर्श, माधव एव निर्णयामृत का उल्लेख  
 है, अतः १४०० ई० के पद-गत्।

तिथ्यारविनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा।  
 तिथ्यारविनिर्णय—पद्मनाभ कृत (योगीश्वरसंग्रह का  
 भाग; पाण्डु० सन् १७०७ ई० में उत्तारी २०)।  
 तिथ्यारविनिर्णयसंग्रह—रघुनाथ तर्कशिरोमणि द्वारा।  
 नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)।

तिथ्युक्तिरत्नसौखी—हरिलाल मिश्र द्वारा।  
 तीर्थकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर मठ द्वारा।  
 दे० प्रक० १०६। अन्य का एक नाम सर्वतीर्थ-  
 विधि भी है।

तीर्थकल्पसूत्रा—अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा।  
 तीर्थकल्पसूत्रा—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५।  
 तीर्थकल्पसूत्रा—वाचस्पति द्वारा।  
 तीर्थकाशिका—गंगाधर द्वारा व०।

तीर्थकौमुदी—बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ-  
 चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोपापनकौमुदी  
 ही है।

तीर्थकौमुदी—सिद्धान्तवाणीध मठ्याचर्य द्वारा।  
 तीर्थचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों  
 में बिक्रि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका०, रघु० के सुदि-  
 त्तत्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८।

तीर्थतत्त्व—(या तीर्थयानादिधि) रघु० इण्डि० यह  
 उनके स्फुटितत्त्वों के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है।  
 तीर्थतत्त्व—(दे० 'हृदयप्रदीप') विश्वनाथ के पुत्र  
 मठुराम (होसिङ्ग उपाधिधारी) द्वारा।

तीर्थनिर्णय—(या कुक्षेत्रतीर्थनिर्णय) रामचन्द्र द्वारा।  
 तीर्थपरिभाषा—व्यास की।  
 तीर्थमञ्जरी—मुकुन्दलाल द्वारा।  
 तीर्थयात्रातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। यह तीर्थतत्त्व ही है।  
 दे० प्रक० १०२।



तीर्थयात्रानिर्णय ।

तीर्थरस्ताकर—(या रामप्रसाद) पराशर गोपीय माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्डु०, स० १६९० (१६२४-२५ ई०)। लेखक ने स० १६०० में काशी में शास्त्रदीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपूरणी नामक टी० लिखी। ये प्रतापमार्तण्ड के भी लेखक हैं। लग० १५००-१५४५ ई०।

तीर्थसंग्रह—श्रीधर द्वारा स्मृत्यर्पणसार में व०।

तीर्थसंग्रह—साहेबराज द्वारा।

तीर्थसार—नृसिंहप्रसाद का एक भाग।

तीर्थसेतु—बृन्दावन शुक्ल द्वारा।

तीर्थसौख्य—टोडरानन्द का एक अर्थ।

तीर्थनुबोझर—शिवमठ के पुत्र नागोजिमठ द्वारा। दे० प्रक० ११०।

तीर्थोद्यापनकौमुदी—बल्लालसूरि के पुत्र चकर द्वारा।

दे० 'ब्रह्मोद्यापनकौमुदी'। लग० १७५३ ई०।

तुलसीकाण्डमालाधारणनिषेध—नरसिंह द्वारा (बहोदा, स० ३८९४)।

तुलसीधर्मिका—राजनारायण मुल्लोपाध्याय द्वारा।

तुलसीविवाह—(प्रतापमार्तण्ड से लिया गया) अलवर (स० १३३४, उद्धरण ३१३)।

तुलसीदान ।

तुलसीदानपद्धति ।

तुलसीदानपुरुषप्रयोग ।

तुलसीदानप्रकरण—सिद्धनाथ द्वारा।

तुलसीदानप्रयोग—(माध्यन्दिनीय)।

तुलसीदानप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

दे० प्रक० १०६।

तुलसीदानविधि ।

तुलसीपद्धति—कमलाकर द्वारा।

तुलसीपुष्पदानपद्धति ।

तुलसीपुष्पदानप्रयोग—विट्ठल द्वारा।

तुलसीपुष्पमहाराजपद्धति—धोनाथ द्वारा।

तुलसीपुष्पमहाराजप्रयोग—(या तुलसीदानविधि) रामेश्वर के पुत्र नारायण भद्र द्वारा। दे० प्रक० १०३

त्रिशाष्टश्लोकी—(या आशीचत्रिशाष्टश्लोकी) बोंपदेव द्वारा। क्या यह निर्मोक्ष ही है ?

त्रिशाष्टश्लोकी—(या आशीचत्रिशाष्टश्लोकी या सूक्तकारिका) टोका के साथ सन् १८७६ में काशी से प्रका०। आशीच पर ३० छम्बर छन्दा में। अलवर (स० १३३९) में यह बोंपदेव की कही गयी है। दे० बी० बी० नार० ए० एस्० (जिल्द ३, पृ० २०९-२१०), जहाँ यह हेमाद्रि की कही गयी है। टी० विवरण, रामेश्वरभुव्र माधव के पुत्र रघुनाथ मठ द्वारा, लग० १५६०-१६२५ में। टोका पर टोका विवरणसारांशद्वारा, बालकृष्ण के पुत्र शम्भुमठ षड्विम्बन द्वारा; नि० सि०, मयूख, मट्टीजिदीक्षित के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीच। लेखक का कथन है कि उससे त्रिशाष्टश्लोकी पर रघुनाथ की टोका का अनुसरण किया है। टी० आशीचसंग्रह। टी० में भ्रामक ढग से इसे विज्ञानेश्वर दूत माना गया है। दे० 'दशश्लोकी'। टी० भट्टाचार्य द्वारा (अलवर, स० १३४१; पाण्डु०, बहोदा, स० ३८८३, तिथि स० १५७९-१५२२-२३ ई०)। टी० तुषोधिनी, रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्टारज्य अनन्त द्वारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टी० कृष्णमित्र द्वारा। टी० राघव द्वारा। टी० राममठ द्वारा। टी० विद्वनाथ द्वारा। टी०, दे० इण्डि० आ०, ३, पृ० ५६६, स० १७५०-५१। टी० रामेश्वर भारती द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

त्रिकाण्डमध्यन्त—(आपस्तम्बसूत्रमध्यन्तार्थकारिका)

कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिथ सोमयाजो द्वारा (बिन्दि० इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि राधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों में विभक्त। ऋषिदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर, नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्रीतसूत्र पर), भवनाग, भद्राजसूत्रभाष्यकार, लौगाक्षिकारिका, भर्तृहरि, शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यशपायर्व, कर्मदीप, विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि-

कार्य (यद्यपि वे मुख्यतः श्रौतकार्यो से सम्बन्धित हैं) धर्मशास्त्र-ग्रन्थो मे उद्धृत हैं। लेखक ने धर्म के कतिपय विषयो की चर्चा कर दी है, यथा मलमास (१।१६५-१७७), गौणकाल आदि। हेमाद्रि एवं मदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० मण्डारकर को रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३०-३१)। टी० विवरण। टी० पदप्रकाशिका।

त्रिकालसंभ्या।

त्रिपिण्डीषाड्यप्रयोग—औफेस्ट, ५९१।

त्रिपुष्करान्तितत्त्व—रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२।

त्रिविक्रमपद्धति—नि० सि० में व०।

त्रिविक्रमी—(श्लेषग्रो आदि के भय से स्थानान्तरण करने पर मूर्ति प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द ९, पृ० २९५)।

त्रिविणीपद्धति—दिवाकर भट्ट द्वारा (बडोदा, सं० ५८४०)।

त्रिस्वलीविधि—हेमाद्रि द्वारा।

त्रिस्वलीसेतु—जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट द्वारा।

त्रिस्वलीसेतु—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा (आनन्दा०, पूना मे प्रका०) प्रथम भाग मे सभी तीर्थों से सम्बन्धित इत्यर्थों का विवेचन है और आगे प्रयाग, काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विशेष रूप से ध्यान है। लग० १५५० ई० में प्रणीत।

त्रिस्वलीसेतुप्रथमदूक—नागेश द्वारा।

त्रिस्वलीसेतुसार—(या सारसंग्रह या तीर्थयात्राविधि) भट्टोजि द्वारा।

त्रैलोक्यसागर—वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वैतनिर्णय में व०, अतः १४०० ई० से पूर्व।

त्रैलोक्यसागर—हेमाद्रि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख में व०।

त्रैलोक्यसंभ्यास—कैलास पति द्वारा।

त्रैविक्रमी—दे० 'त्रिविक्रमपद्धति'।

वक्तृमूर्ति—दे० प्रक० ४१। जीवा० (भाग २, पृ०

३८३-४०२) एवं आनन्दा० (पृ० ७२-८४) मे प्रका०। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० तदनलाल द्वारा। बलिगद्धारनिर्णय—नारायण दारा (बडोदा, सं० १९७५)।

वण्डकसान्ति।

वण्डनीतिप्रकरण—(धम्मुराज की नीतिमञ्जरी से उद्धरण)।

वण्डविवेक—गण्डक मिश्र के छोटे भाई एव भवेश के पुत्र तथा बिल्वपत्रग्रामनिवासी वर्धमान द्वारा। सात परिच्छदो मे, १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे, अपराधो, दण्डनिर्णयाधिकार, दण्ड के विभिन्न स्वरूपो पर। नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं० १९१०), मिथिला के राजा के लिए लिखित। कल्पतरु, कामधनु हलायुध, धर्मकोश, स्मृतिसार, इत्यसार, रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिलक, प्रदीपिका एव प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है।

वक्तृकुठार।

वक्तृकौमुदी—रामजय तर्कालंकार द्वारा (बंगला लिपि मे कलकत्ता से १८२७ ई० मे प्रका०)। वक्तृ-गिरामणि मे संक्षेप, पी० सी० टैगोर के सरसन मे प्रका०।

वक्तृकौस्तुभ—नेदारनाथ दत्त द्वारा। बलवत्ता मे प्रका०।

वक्तृचन्द्रिका—कुबेर पण्डित द्वारा। कलकत्ता से १८५७ ई० मे प्रका०, बडोदा मे मराठी अनुवाद के साथ प्र०, १८९९। अन्तिम बलोक की ध्यास्या से पता चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा कहा जाता है कि कोलबुक ने एक पण्डित की यह कपट रचना है। लेखक का बचन है कि उसने एक स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्वर शुक्ल द्वारा।

वक्तृचन्द्रिका—कौलपाचार्य द्वारा।

वक्तृचन्द्रिका—पीनिवासाचार्य के पुत्र तोलपर द्वारा (बडोदा, सं० १५७२ बी)।

दत्तकचन्द्रिकादीका—तननलाल द्वारा।  
 दत्तकतत्त्वनिर्णय—(या विनिर्णय) हरिनाथ मिश्र द्वारा।  
 नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)।  
 दत्तकतिलक—भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक का एक अंश)। दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप।  
 दत्तकरचरण—द्वैपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)।  
 दत्तकदीपिति—महामहोपाध्याय अनन्तभट्ट द्वारा।  
 कलकत्ता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि में सारांश।  
 दत्तकनिर्णय—शास्त्रासास्त्री द्वारा।  
 दत्तकनिर्णय—विरवनाथ उपाध्याय द्वारा।  
 दत्तकनिर्णय—शूलपाणि द्वारा (उमके निबन्ध स्मृति-विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अंश भरतचन्द्र शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका एक नाम दत्तकविवेक भी है।  
 दत्तकनिर्णय—श्रीनाथ भट्ट द्वारा।  
 दत्तकपुत्रविधान—अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह दत्तकदीपिति ही है)।  
 दत्तकपुत्रविधान—नृसिंहभट्ट द्वारा।  
 दत्तकपुत्रविधि—शूलपाणि द्वारा। यह उपर्युक्त दत्तक-निर्णय ही है।  
 दत्तकमीमांसा—(या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा) नन्दपण्डित (विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र शिरोमणि द्वारा प्रका०)। दे० प्रका० १०५। टी० वृन्दावन मुनल द्वारा।  
 दत्तकमीमांसा—माधवाचार्य द्वारा।  
 दत्तकविधि—नीलकण्ठ के व्यवहाररामयूक्त का एक अंश।  
 दत्तकविधि—बाचस्पति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी० (जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७८)।  
 दत्तकविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिर्णय (ऊपर)।  
 दत्तकसपिण्डनिर्णय।  
 दत्तकौञ्जल—वर्धमान द्वारा, जिन्होंने काली भी वन्दना की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)।  
 दत्तचिन्तामणि—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

दत्तदासभक्तशा—यजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में १८७५ में प्रका०)।  
 दत्तपुत्रतत्त्वविवेक—वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० १०७)।  
 दत्तपुत्रविचार—गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बडोदा, सं० १०७० ई० बी)।  
 दत्तपुत्रविधि।  
 दत्तमञ्जरी।  
 दत्तस्लेमबोपिकर—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।  
 दत्तरत्नाकर—धर्मराजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीन्द्र के पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालामृत, वरद-राजीव, दत्तकसप्तह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त।  
 दत्तरत्नार्णव—सीतारामशास्त्री द्वारा (बडोदा, सं० ७२०४)।  
 दत्तविधि—वैद्यनाथ द्वारा।  
 दत्तसंबन्ध—श्रीमसेन कवि द्वारा।  
 दत्तसिद्धान्तर्वचरी—देवप्रद वीक्षित के पुत्र बालकृष्ण द्वारा। लेखक कलितकर कुल का है और उसके गुरु अद्वैतानन्द थे।  
 दत्तसिद्धान्तर्वचरी—भट्ट भास्करपण्डित द्वारा।  
 दत्तसिद्धान्तर्वचरी।  
 दत्तस्मृतिसार।  
 दत्तश्रीभानुसूक्तिका।  
 दत्तार्णव—माधव पण्डित द्वारा।  
 दत्तार्णव—नृसिंहारण्य माधव के पुत्र दादा करजगि द्वारा। गोदावरीय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य।  
 सेसन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय-सिन्धुकार एवं भयूक्तकार के नाम उल्लिखित हैं।  
 दत्तार्णवश्रीगुणी—(या दत्तात्रेयपति) चैतन्यगिरि द्वारा।  
 दत्तार्णवविधिचन्द्रिका—रामानन्द वति द्वारा।  
 दत्ताश्रीवैष्णवशास्त्राचार्य—रामसवर के पुत्र रामसुब्रह्म-श्यासास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में।  
 दत्तशास्त्रविधि।

**दशानिर्णय**—सूरस्वतीवल्लभ के पुत्र रगनायारमज बेंकटनाय बंदिकसार्वभौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, एकादशीनिर्णय आदि विषयो पर। सम्भवत यह लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंग है। नो० (जिल्द ८, पृ० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, अक्षय्यादयों का उल्लेख है।

**दशोपास**—विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

**दशोपासपद्धति**—रघुनाथ इत। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आपृत।

**दशोपासप्रयोग**—भट्ट गोविन्द द्वारा (बडोदा, सं० १६७७, तिथि एक १६८०)।

**दशोपासप्रयोग**—शिवराम द्वारा।

**दशोत्तञ्चिका**।

**दशकर्मवीथिका**—(या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व यजुर्वेदियों के लिए)। लेखक हलायुध का ज्येष्ठ भाई एवं बगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है।

**दशकर्मपद्धति**—ऋग्वेदियों के लिए (गर्भाधान आदि पर) महामहोपाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द २, पृ० ६१)।

**दशकर्मपद्धति**—हरियंकर के पुत्र गणपति द्वारा।

**दशकर्मपद्धति**—नारायण भट्ट द्वारा।

**दशकर्मपद्धति**—मुष्ठीधर द्वारा।

**दशकर्मपद्धति**—भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकर्म-दोषिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग-शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३।

**दशकर्मपद्धति**—याज्ञसनेयियों के लिए रामदत्त नैथित द्वारा। यह 'गर्भाधानादिदशस्वस्वारपद्धति' ही है।

**दशकर्मव्याख्या**—हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसर्वस्व का एक भाग)।

**दशकालनिर्णय**।

**दशधेनुदानपद्धति**—(या विधि) हेमाद्रि के दानसूत्र का एक भाग।

**दशानिर्णय**—रत्ननाथ के पुत्र बेंकटनाय बंदिकसार्वभौम द्वारा।

**दशानिर्णय**—(उपवास एक उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका में व०।

**दशपुत्राह्निक**—दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा।

**दशभुक्तकोटिशोभप्रयोग**—देवभद्र पाठक द्वारा (बडोदा, सं० १०९६३)।

**दशविषयिप्रपद्धति**।

**दशपत्नी**—(विज्ञानेश्वर की कही गयी है) अशौच पर। यह उपर्युक्त आशौचदशक ही है। टो० लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हला (३, पृ० १०१) ने भट्टोजि का कथन वर्णित है 'विज्ञानेश्वर-मदनपतिजातकारत्रिगच्छ्लोकीकारभ्रभूतपस्तुबाह्य-पत्न्य वैदमानुगमने पतिणीत्याहुः', जिससे प्रकट होता है कि उन्होंने त्रिगच्छ्लोकी के लेखक को विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है।

**दशस्वस्वारपद्धति**—यह गर्भाधानादिदशस्वस्वारपद्धति है।

**दशस्वस्वारप्रकरण**।

**दशाविकालनिर्णय**।

**दशाहकर्म**।

**दशाहविवाह**—बंघनाथ दोक्षित द्वारा।

**दानकर्मसाकर**—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

**दानकल्प**—अहल्याकामधेनु में उ०।

**दानकल्पतट**—रघुमीधर इत (कल्पतट का एक भाग)। दे० प्रक० ७७।

**दानकाण्डपूर्व**—प्रतापराज साम्बाजी द्वारा ('परशुराम-प्रताप' से)।

**दानकाण्डसंज्ञेय**।

**दानकौतुक**—'हरिविद्याविलास' (नन्दपण्डित इत) से उद्धृत।

**दानकौमुदी**—रामजय ठकालकार द्वारा।

**दानकौमुदी**—(या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा (लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की धाढ-क्रियाकौमुदी में व०। दे० प्रक० १०७; विम्बि० इम्बि० सी० में प्रका०।

दानकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से।  
 दानचन्द्रिका—गीतम द्वारा।  
 दानचन्द्रिका—जयराम द्वारा (हिमाद्रि का उद्धरण)।  
 दानचन्द्रिका—महादेव के पुत्र एव रामेश्वर के पीन  
 दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोद्घोत, दान-  
 रत्न, दानमयूख एवं प्रतार्क के नाम आये हैं। दान-  
 सौपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त।  
 बनारस में १८६४ ई० एव बम्बई में १८८० एव  
 १८८४ में प्रकाशित।  
 दानचन्द्रिका—नीलकण्ठ द्वारा।  
 दानचन्द्रिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यब्रह्मामणि  
 द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०।  
 दानचन्द्रिकावल्ली—श्रीपरपति द्वारा।  
 दानतत्त्व।  
 दानदर्शन—रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एवं  
 त्रिपितत्त्व में व०।  
 दानदिनकर—दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा।  
 दानदीर्घति—भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा।  
 दानदीर्घाक्षयसमुच्चयः।  
 दानधर्मप्रक्रिया—कृष्णदेव सन्मिथ्र मंथिल के पुत्र भवदेव  
 मठु द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों  
 में। पाण्डु०, मित्र, नी० (५, पृ० १४४)। तिथि  
 शक १५५८ (१६३६-७ ई०)।  
 दानपञ्ची—(या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसिंह के  
 पुत्र नवरत्न द्वारा। नो० (५, पृ० १५०)। पीठस्थान  
 (५वीं रिपोर्ट, पृ० १७७) में 'नरराज' पढ़ा है और  
 कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने समूहीत  
 किया है।  
 दानपञ्ची—रत्नाकर ठाकुर द्वारा। दानसागर का  
 संक्षेप है।  
 दानपञ्ची—सूर्यकरशर्मा द्वारा। २० 'नवरत्न' भी।  
 दानपद्धति—(षोडशमहादानपद्धति) मिथिला के बर्णाट  
 राजानुसिंह के मन्त्री रामदत्त द्वारा। लेखक चम्पेश्वर  
 के चचेरे भाई थे। १४वीं शती के पूर्वार्ध में  
 (इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५०, सं० १७१४)। इसे

मयशर्मा कृत कहा गया है, जो सौपालवध में उत्पन्न  
 हुए थे और अग्निहोत्री थे।  
 दानपरिभाषा—नीलकण्ठ द्वारा।  
 दानपरीक्षा—श्रीपर मिथ्य द्वारा।  
 दानपारिजात—काण्व कुल के जन्तु के पुत्र नागदेव या  
 नागेश के पुत्र अनन्तमठु द्वारा।  
 दानपारिजात—क्षेमेन्द्र द्वारा।  
 दानप्रकरण।  
 दानप्रकार।  
 दानप्रकाश—मित्र मिथ्य का (बीरमिनीदेव का अर्थ)।  
 २० प्र० १०८।  
 दानप्रदीप—दयाराम द्वारा।  
 दानप्रदीप—दयाशंकर द्वारा।  
 दानप्रदीप—गुर्जर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो-  
 पाध्याय माधव द्वारा।  
 दानफलविषेक।  
 दानफलव्रत—पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या  
 पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये  
 जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिहद ३,  
 पृ० ५७७)।  
 दानभागवत—वर्णी कुबेरानन्द द्वारा। संभ्रामसिंह के  
 काल में प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों  
 एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं  
 पुराणों पर आधुनिक धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है।  
 ४० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१)। इसमें  
 'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति  
 है। बीपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त।  
 दानमञ्जरी—वज्रराज द्वारा।  
 दानमनोहर—त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र शदाशिव द्वारा।  
 गौडेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से सं० १७३५  
 (१६७८-७९ ई०) में प्रणीत।  
 दानमयूख—शंकरमठु के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं  
 शती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एव घरपुरे द्वारा  
 बम्बई से प्रका०।  
 दानमहिमा।

१. दानमुक्तावली।

दानरत्न—दानचन्द्रिका में ४०।

दानरत्न—अनूपविलास का एक अंश।

दानरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

दानरत्नाकर—होशिंग कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टराम  
रा। मण्डेस्य जोधपुर के राजा अनूपसिंह के  
आदेश से समुहोत। अनूपसिंह की बसावली दी हुई  
है बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की  
आज्ञा से निम्न पाँच ग्राम रचे—अनूपविवेक (शाल-  
ग्रामपरिसर), सन्तानकल्पलतिका, अनूपकुतुकाणव,  
अमृतमजरी (विषो के भाजंनो पर) एवं चिकिरसा-  
मालतीमाला। लग० १६०५ ई०।

दानवापय।

दानवापयसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा (बड़ोदा, सं०  
१०५१३ सवत १५८७ (१६३० ३१ ई०)। ड०  
का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१।

दानवापयसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा। भोजदेवसमूह मे  
४०। पाण्डु० स० १२९७ (१३७५ ई०) मे उतारी  
गयी।

दानवाक्यावलि—नरराज द्वारा।

दानवाक्यावलि—विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा  
नरसिंहदेव सूर्यनारायण की रानी महादेवी भीरमति  
मे संरक्षण मे प्रणीत। पाण्डु० तिथि सं० १५३९  
(१४८३ ई०), १५वीं शती का पूर्वार्ध। मण्डारकर  
रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५२)।

दानवाक्यावलि—अज्ञात। ड० का० (सं० ३९७,  
१८९१-९५)।

दानविग्रय।

दानविशेष—हेमाद्रि, दानचन्द्रिका, दानमयूख (भीरु-  
कण्ठरत) मे ४०।

दानविशेष—मट्टोत्रिदीक्षित के पुत्र मानुदीक्षित द्वारा।  
लग० १६५० ई०।

दानविशेषकोद्घोत—(या दानोद्घोत) मदनरत्न से।

दानसंश्लेषचन्द्रिका—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा।  
दे० 'दानचन्द्रिका'।

दानसागर—अनन्तमट्ट द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर कामदेव  
महाराज द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३।

दानसागर—नृसिंहप्रसाद का अंश। दे० प्रक० ९९।

दानसागरसंग्रह—(केवल वास्तु-पूजा का प्रकरण) अल्वर  
(१३५५, १३१९)।

दानसागरवली—बीकानेर (पृ० ३७५)।

दानसौम्य—दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द  
का भाग) मे ४०।

दानहीरावलिप्रकाश—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर  
द्वारा। नीलकण्ठ के दीहित्र। उनके छोटे पुत्र  
बंधनाथ द्वारा पद्य मे संक्षेप जोड़ा गया। धर्मशास्त्र  
सुधाविनिधय का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द  
३, पृ० ५४७-४८)। अनुक्रमिका, लेखक के पुत्र  
बंधनाथ द्वारा।

दानहेमाद्रि—चतुर्वर्गचिन्तामणि का एक अंश।

दानार्चव—मिथिला के बीरनारायण नरसिंहदेव (शमे-  
श्वरराजपंडित) की पत्नी भीरमति के आदेश से  
विरचित। १५वीं शती का पूर्वार्ध।

दानोद्घोत—(मदनरत्नप्रदीप का एक अंश)। यह  
दानविशेषकोद्घोत ही है।

दानोद्घोत—कृष्णराम द्वारा।

दानोद्घोत—निर्णयदीपक, सुद्धिमयूख एवं समयमयूख  
में ४०। १५०० ई० मे पूर्व।

दानोद्घोत—गीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। लग०  
१६०४ ई०। कलकत्ता में १९०४ ई० मे प्रका०।

दानोद्घोतसंग्रह—श्रीहृण्य तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में  
१८२८ मे मुद्रित एवं विच द्वारा अनुदित)। आचार्य  
शूद्रामणि का उल्लेख है।

दानरत्न—(या दानमागतत्न) रघुनन्दन कृत। जीवा०  
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम  
पाचस्पति द्वारा। टी० राधाभोहन द्वारा। टी०  
बुन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात (गो० न्यु०,  
जिल्द २, पृ० ८०)।

दायदशासलोकौ—दाय पर दस शार्दूलविक्रीडित छन्दो मे (बर्णे द्वारा मंगलोर मे प्रका०) । टी० वासुदेव के पुत्र दुर्जय द्वारा ।

दायदीप—दायभाग की टीका । दे० 'दायभाग' ।

दायनिर्णय—गोपाल पंचानन द्वारा । रघुनन्दन के दाय-तत्व का संक्षेप ।

दायनिर्णय—विद्याधर द्वारा ।

दायनिर्णय—श्रीकर धर्मा द्वारा । मदनपारिजात, दाय-भाग एवं दायस्वपति के उद्धरण हैं । इण्ड० आ०, ३, पृ० ४६२, सं० १५२३, किन्तु सं० १५२४ से प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर धर्मा के मध्य शका उत्पन्न हो गयी है ।

दायभाग—श्रीमूतवाहन द्वारा । दे० प्रक० ७८ । प्रहस्रकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग-प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) । टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का-चार्य के पुत्र अभ्युत चक्रवर्ती द्वारा, श्रीनाथ की टीका की आलोचना है, महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा उ०, १५००-१५५० ई० । टी० उमाशंकर द्वारा । टी० कृष्णकान्त धर्मा द्वारा । टी० गंगाधर द्वारा । टी० गंगाराम द्वारा । टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का-लकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० नीलकण्ठ द्वारा । टी० मणेश्वरद्वारा (आई० एल० आर०, ४८, कलकत्ता, ७०२) । टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा । टी० विवृति या दीपिका, श्रीनाथ आचार्यबूडामणि के पुत्र रामभद्र द्वारा, अभ्युत की टीका (१८६३ ई० मे प्रका०) में उ० । टी० श्रीकरधर्म के पुत्र श्रीनाथ द्वारा, अभ्युत (१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित, १४७५-१५२५ ई० । टी० सदाशिव द्वारा । टी० हरि दीक्षित द्वारा ।

दायभाग—वट्टराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश ।

दायभाग—जगन्नाथ के विद्यादमगार्णव का एक अंश ।

दायभाग—बंधनाथ द्वारा ।

दायभागकारिका—मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा । नो० न्यू० (१, १७२) ।

दायभागनिर्णय—(या विनिर्णय) कामदेव द्वारा । इण्ड० आ० (पृ० ४६३) ।

दायभागनिर्णय—भट्टोजि द्वारा (पीटसन, ६वी रिपोर्ट, सं० ८४) ।

दायभागनिर्णय—व्यासदेव द्वारा ।

दायभागनिर्णय—श्रीकर द्वारा, दे० दायनिर्णय (ऊपर) ।

दायभागविवेक—(दायरहस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा । जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, १६५७ ई० में प्रणीत । स्मृतिरत्नावलि का एक अंश । नो० (जिस्ट ५, पृ० १५४) ।

दायभागव्यवस्था—सार्वभौम द्वारा । आठ तरगा मे । शक (शाकेनिमङ्गलहरास्यकलानिधाने) १५८३ (१६११-२ ई०) में राधक के लिए प्रणीत ।

दायभागव्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा (व्यवस्था-संक्षेप का भाग) ।

दायभागसिद्धान्त—बलभद्र तर्कयोगीश भट्टाचार्य द्वारा (इण्ड० आ०, पृ० ४६५) ।

दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका—दायभाग की टी० (दे० ऊपर) ।

दायभागार्थवैरिकापद्यावली—रघुमणि के शिष्य रघुराम द्वारा । नो० न्यू० (जिस्ट १, पृ० १७४) । १८वीं शती के अन्त में ।

दायभुक्तावली—टीकाराम द्वारा ।

दायरहस्य—दे० रामनाथकृत 'दायभागविवेक' ।

दायविभाग—कमलाकर द्वारा ।

दायसंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा ।

दायसंप्रहृश्लोकवशाकव्याख्या—वासुदेव के पुत्र दुर्जय द्वारा । दे० 'दायदशासलोकौ' ।

दायविकारचक्रसप्तह—श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार द्वारा ।

दायविकारचक्रसप्तह—कृष्ण या जयकृष्ण तर्कालकार द्वारा । अलवर (सं० १३५६) । यह पूर्ववर्ती ही है, ऐसा प्रतीत होता है ।

बायाधिकारकम—लक्ष्मीनारायण द्वारा।

बाह्यकृत धर्मशास्त्र—(श्राद्ध पर) ४० का० (पाण्डु० सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पद्य-वचन भी हैं।

बाह्यपद्धति—बडोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एव मृत्यु-परान्त के कृत्यों पर।

बासीवान।

बाह्यिकर्मपद्धति।

दिनकरोद्घोत—(या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण-भट्टारमत्र रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) द्वारा आरम्भित एवं उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागामट्ट) द्वारा समाप्त। आचार, आशीच, काल, दान, पूत प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, धर्मकृत्य, व्रत, श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं।

दिनत्रयनिर्णय—विद्याधीश मुनि कृत।

दिनत्रयमीमांसा—नारायण द्वारा (माध्व अनुयायियों के लिए)।

दिगदीपिका।

दिनभास्कर—सम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश कृत। गृहस्थों के आङ्गिक कृत्यों का संग्रह। लग० १७१५ ई०।

दिव्यतिसंग्रह—श्रीभूतवाहन के कालविवेक में व०।

दिवोदासप्रकाश—दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका अथ व०।

दिवोदासीय—नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका द्वारा व०। १५०७ ई० के पूर्व। सम्भवतः यह दिवोदासप्रकाश ही है।

दिव्यतत्त्व—रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० लघुटीका, मधुरानाथ शुक्ल द्वारा।

दिव्यतत्त्व—(या तत्रकीमुदी) देवनाथ द्वारा व०। केवल वैष्णवदृश्य वर्णित हैं। मित्र, नो० (जिल्द ६, पृ० ३२)। पाण्डु० घक सं० १५५१ (१६२९-३० ई०) में उतारी गयी।

दिव्यदीपिका—दामोदर ठक्कुर कृत, मूहम्मदसाह के शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२)।

दिव्यनिर्णय—दामोदर ठक्कुर कृत, संध्यासाह के

राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पृ० ४०)। १५७५ ई० के पूर्व। दे० दामोदर कृत 'विवेक-दीपक'।

दिव्यसंग्रह—सदानन्द द्वारा।

दिव्यसिंहकारिका—दिव्यसिंह द्वारा। उनके कालदीप एव श्राद्धदीप का पद्य में संक्षेप।

दिव्यानुष्ठानपद्धति—रामेश्वर भट्ट के पुत्र मारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ९२)।

दीक्षातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका—रामकिशोर कृत (कंटसॉग, सं० एवं प्राकृत मी०, सं० २२०२)।

दीक्षानिर्णय।

दीपकलिका—शूलपाणि कृत। याज्ञवल्क्यस्मृति के ऋषय टी०। दे० प्रक० ९५।

दीपदान।

दीपदानविधि या कारिका।

दीपमासिका।

दीपभांड।

दीपिका—कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, यथा—कालनिर्णयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि।

दीपोत्सवनिर्णय—बडोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ संवत्)।

दुर्गमञ्जन—(या स्मृतिदुर्गमञ्जन) नवद्वीप के वारेन्द्र ब्राह्मण चन्द्रोत्तर धर्मा द्वारा। पार अर्ध्यायों में, तिथि, मास, धार्मिक कृत्यों के अधिकारी (यथा दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायश्चित्त पर। धर्म-सम्बन्धी सन्देशों को दूर करता है।

दुर्गातत्त्व—देसिए दुर्गोत्सवतत्त्व।

दुर्गातत्त्व—राधकभट्ट द्वारा।

दुर्गापुरस्कारपद्धति।

दुर्गाभक्तितरंगिणी—(या दुर्गोत्सवपद्धति) मिथिला के नरसिंहदेव की कही गयी है, विद्यापति द्वारा प्रणीत। यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरसिंह के पुत्र श्रीरसिंह एवं उसके भाई भैरवेंद्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि



अन्यत्र हरितारायण नाम आया है) की प्रशंसा है (दे० इण्डि० ऐन्टी०, जिल्द १४, पृ० १९३)। लग० १४३८, कलकत्ता में, सन् १९०९ में प्रका०। रत्नाकर का उल्लेख है।

**दुर्गाभक्तितरंगिणी**—माधव वृत्त।

**दुर्गाभक्तिप्रकाश**—दुर्गासवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

**दुर्गाभक्तिलहरी**—रघुसप्त तीर्थ द्वारा।

**दुर्गाबैनकस्पतव**।

**दुर्गाबैनामृतहस्त्य**—मपुरानाय शुक्ल द्वारा।

**दुर्गाबाँकासनिष्कर्म**—मधुसूदन याचस्पति द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८१)।

**दुर्गाबाँकीपुत्री**—परमानन्द शर्मा।

**दुर्गाबाँकीपुत्र**—कालीचरण द्वारा। दो खण्डों में, प्रथम में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। इसने दुर्गापूजा को कात्तिक शुक्ल नवमी के दिन माना है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है।

**दुर्गावैव**—धर्मप्रदीप में व०।

**दुर्गावतीप्रकाश**—(समयालोक) बलभद्र के पुत्र पद्मनाभ द्वारा। सात आलोकों में। नर्मदा पर स्थित राज्य के शासक एव वीरसाहि के पिता दलपति की रानी दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बीकानेर (पृ० ४५०) एव इण्डि० आ० (पृ० ५३६, सं० १९८०)। वृत्तनिर्णय में शंकरभट्ट द्वारा व० एक निर्णयामृत, मदनपारिजात एव मदनरत्न का उल्लेख है। १४६०-१५५० ई० के बीच। त्रिपिठो, शकान्ति, मरुमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह दलपति नृसिंहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण हैं, यथा—समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, ईश्वराराधन (या पूजा)।

**दुर्गास्तवकृत्यकौमुदी**—धन्मुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। सबसदप्रदीप एवं धर्मकृत्य का उल्लेख है। लेखक कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लग० १७१५ ई०।

**दुर्गास्तवकृत्यिका**—उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव

गजपति के आदेश पर भारतीयपूषण वर्धमान द्वारा।

**दुर्गास्तवतत्त्व**—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।  
**दुर्गास्तवनिर्णय**—गोपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० २१०)।

**दुर्गास्तवनिर्णय**—न्यायपचानन द्वारा (नाम नहीं दिया हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु ओकेस्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७, पृ० ७)।  
**दुर्गास्तवपद्धति**—दे० 'दुर्गाभक्तितरंगिणी'।

**दुर्गास्तवप्रमाण**—रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११ सं० ३३७)।

**दुर्गास्तवविवेक**—शुलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

**दुर्गास्तवविवेक**—श्रीनाथ आचार्यबूडामणि द्वारा।

**दुष्टरजोरसंनशान्ति**—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। बृत्तयोगरत्न।

**दूतसप्त**।

**दूलासीय**—दूलाल द्वारा।

**देवजातीय**—नि० सि०, विद्यापारिजात, आचाररत्न (लयमणहृत) में व०। १६०० ई० के पूर्व।

**देवताचारिपूजा**।

**देवतिलकपद्धति**—(सफ़ी के सग विष्णु की मूर्ति का विवाह)। नो० न्यू० (१, पृ० १७९)।

**देवदासप्रकाश**—(या छद्मग्रन्थबूडामणि) गीतमगोत्रीय अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। श्राद्ध, आयोच, मलमास आदि पर विवाद निबन्ध। लेखक के अनुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, मिताशरा, कृत्यार्णव पर आवृत। १३५०-१५०० ई० के बीच। बडोदा (सं० ५५८)।

**देवदासीय**—नि० सि०, विद्यापारिजात, श्राद्धसूत्र में व० (सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है)।

**देवपद्धति**—जनन्तदेव के श्रद्धास्तव में व०। सम्भवतः अनन्तदीक्षित की महाछन्दपद्धति।

**देवप्रतिष्ठातत्त्व**—(या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन वृत्त। दे० प्रक० १०२।

**देवप्रतिष्ठापद्धति**।

देवप्रतिष्ठाप्रयोग—गगाधर दीक्षित के पुत्र स्वामसुन्दर द्वारा।

देवप्रतिष्ठाविधि—बीकानेर (पृ० ३८०)।

देवयाज्ञिकव्यवहिति—(यजुर्वेदीय) देवयाज्ञिक हत (काशी सं० सी० में प्रका०)।

देवउत्सृष्टि—दे० प्रक० २३; आनन्दाधम द्वारा प्रका० (पृ० ८५-८९)।

देवस्वाधनकौमुदी—बल्लाल के पुत्र शकर द्वारा (उत्पाधि घाटे)। बड़ोदा (सं० १४६४)।

देवसमप्रतिष्ठाविधि—रमापति द्वारा।

देवीपविष्या—अहल्याकामधेनु में व०।

देवीपुत्रनमास्कर—सम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया है—'समु भूमिदिवे शाके निशावरतिषी सुने'।

देवीपुत्रापद्धति—चैतन्यगिरि द्वारा।

देशान्तरपुत्रकियानिष्पन्न।

देहसुद्धिमायविषय—जोकेस्ट (६७३)।

देवप्रतिष्ठाविधि—टोडरानन्द में व०।

देवद्वन्द्वोत्तर—लक्ष्मीधर द्वारा। १५० के ज्योतिषत्व, मलमासतत्त्व में एक टोडरानन्द तथा नि० सि० में व०। ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ। १५०० ई० के पूर्व।

देवद्वन्द्वत्व—नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा, नि० सि० में व० (सम्भवतः वेबल ज्योतिष-ग्रन्थ)।

दोलयात्रा।

दोलयात्रान्तर्व—(या दोलयात्राप्रमाणतत्त्व) १५० द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० १९१)।

दोलयात्रामृतदिवेक—गुलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

दोलयात्रामुन—तारायण लक्ष्मीधर द्वारा।

दोलारोहणपद्धति—विद्यानिवास द्वारा।

द्वन्द्वसुद्धि—रघुनाथ द्वारा।

द्वन्द्वसुद्धिदौषिका—नीताम्बर के पुत्र पुष्पोत्तम द्वारा। लेखक ने अपने को 'धोमडलमाथाबंधरपान्द्रदास-दास' कहा है। नि० सि०, सुद्धिमयूख, दिनकरोद्घोत के उद्धरण हैं। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८ ई०)

एव मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सन १९०६ में प्रकाशित।

द्राह्यायनगृह्यपरिशिष्ट।

द्राह्यायनगृह्यपूर्वाप्यप्रयोग।

द्राह्यायनगृह्यसूत्र—देविए सादिरगृह्यसूत्र। आनन्दाधम अंत (पूना) में मुद्रित, टीका के साथ। टी० हदस्वन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, धीनिवास द्वारा।

द्राह्यायनगृह्यसूत्रकारिका—बालाग्निहोत्री द्वारा।

द्राह्यायनगृह्यसूत्रप्रयोग—विनयानन्दन द्वारा।

द्रोषचिन्तामणि।

द्रात्रिशतकर्मपद्धति।

द्रात्रिशतपरायण—बड़ोदा (सं० १२२२५)।

द्रावसायात्राव्यवहिति—टोडरानन्द द्वारा।

द्रावसायात्रातत्त्व—(या द्रावसायात्राप्रमाणतत्त्व) १५०-नन्दनदत्त। जगन्नाथपुरी में विष्णु की १२ भाषाओं या उत्तरों पर।

द्रावसायात्राप्रयोग—विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के विषय में) नो० न्यु० (१, पृ० १९४)।

द्रावसायिपुत्रभीमांसा।

द्रावसाहकर्मविधि।

द्रिजकल्पलता—छ उत्तराशो में परशुराम द्वारा। कुरु (३, पृ० ६०)।

द्रिजामोचय।

द्रिजार्हिरूपपद्धति—हलायुध के ज्येष्ठप्राता ईशान द्वारा। लग० ११७०-१२०० ई०।

द्रिजार्थिनि।

द्रिविषयलगायोत्तमप्रमाणदर्शन—सुद्धिकर सुक्ल द्वारा। द्विसप्ततिधाट।

द्वैतस्व—सिद्धान्तपञ्चानन हृत।

द्वैतनिर्णय—चन्द्रसेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) द्वारा। कलकत्ता सस्रष्टव कालेन पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ७९)।

द्वैतनिर्णय—नरहरि द्वारा। हायमासादिविवेक में रत्नपाणि द्वारा उ०। रत्नाकर का उल्लेख है।

द्वैतनिर्णय—वाचस्पति मिथ द्वारा। दे० प्रक० ९८।

- टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मयूसूदन मिश्र द्वारा।  
 टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (शुभ्रि०  
 भा०, जिल्द ३, पृ० ४८८)।
- वैतनिर्णय—शंकरभट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००,  
 धर्म-सम्बन्धी सन्देहारमक बावो पर। (दे० एनस्त  
 मन्डारकर इन्स्टीट्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ०  
 १७-७२)।
- वैतनिर्णय—दिव्यनाथ ने वरतराज मे अपने पितामह द्वारा  
 प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तरार्ध।
- वैतनिर्णयपरिशिष्ट—(या वैतपरिशिष्ट) केचव मित्र  
 द्वारा; रत्नराजि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में।  
 आठों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६)।
- वैतनिर्णयपरिशिष्ट—शंकर भट्ट के पुत्र रामोदर द्वारा।  
 लग० १६००-१६४० ई०।
- वैतनिर्णयकविक्रका—वैतनिर्णयपरिशिष्ट मे व०।
- वैतनिर्णयसंग्रह—विद्याभूषण के पुत्र चन्द्रोत्तर वाचस्पति  
 द्वारा।
- वैतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह—शंकर भट्ट (जिनके वैतनिर्णय  
 का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठराम  
 मानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०।
- वैतनिर्णयान्त—रघुनन्दन के दासभागतपद मे व०।
- वैतनिर्णयविवेक—भावेर के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग०  
 १५००।
- व्याख्यान्यायनिर्णय—(या निर्णयिन्दु) मैद्युव गोत्रज  
 कृष्ण-गुर्जर के पुत्र दिव्यनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं०  
 १२७०८)। दिनकरोद्घोष, कौस्तुभ का वर्णन है।  
 १६८० ई० के उपरान्त।
- व्यपञ्चयसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा त्रिपितृत्व में व०।
- व्यपञ्चयविवेक—दे० 'भाषाविवेक'।
- व्यपिच्छार्थक।
- व्युत्पिच्छादीपिका—नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०।
- व्युत्पिच्छान्तामनि—नरसिंह भट्ट।
- व्युत्पिच्छसंग्रह—(धीरचिन्तामणि) शाङ्कर द्वारा।
- व्युत्पिच्छसिद्धि—वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुम्भचन्द्र  
 टी० में कलकता से प्रका०।

- वर्णकारिका—(लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की  
 ५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ,  
 कालतत्त्वविवेचन एव मयूख का उल्लेख है, अतः  
 १६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर०  
 ए० एम०, पृ० २१९, सं० ६९१)।
- वर्णकोश—त्रिलोचन मिश्र द्वारा। वर्धमान द्वारा एवं  
 आङ्गिकतत्त्व मे व०। व्यवहारपदो, पायमाण, ऋणा-  
 दान आदि का वर्णन है।
- वर्णसंग्रह—भास्कराज गोत्र के रामरायाराम गोवि-  
 न्दराय के पुत्र केचवराय द्वारा। आश्वलायनपूष  
 और इनके परिशिष्ट पर आधुत। अरचार आदि  
 पर कई किरणों में विभक्त। बड़ोदा (सं० ५८६०,  
 तिथि संवत् १८१०)।
- वर्णतत्त्वकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट  
 द्वारा। वत, दान, कर्मविपास, शान्ति, पूर्व, आचार,  
 व्यवहार, प्रायश्चित्त, शूद्रधर्म एव तीर्थ पर १०  
 परिच्छेदों में विभक्त। बीकानेर (पृ० ९९)।
- वर्णतत्त्वकलानिधि—नागभल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा।  
 इनके विरुद्ध हैं कलिकालकथप्रताप, परमवैष्णव।  
 १० प्रकाशों मे विभक्त, सातवाँ आशीच पर है।  
 बड़ोदा (सं० ४००६)।
- वर्णतत्त्वप्रकाश—कनूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र  
 शिव शम्भर द्वारा। १६९८ तक (नागार्करसमू)  
 मे प्रणीत (प्रयाग मे शगा पर प्रतिष्ठान मे)। हुत्वा  
 (सं० ३, पृ० ५) मे गलत कहा है कि इसकी तिथि  
 १७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने 'नागा-  
 रकरसमूसाके' दिया है।
- वर्णतत्त्वसंग्रह—महादेव द्वारा।
- वर्णतत्त्वार्थचिन्तामणि।
- वर्णतत्त्वविवेक—दे० गोविन्दान्यं (अर्थात् स्मृति-  
 सागर)।
- वर्णदीप—दिवाकर की आङ्गिकचन्द्रिका में व०।
- वर्णदीपिका—(या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रोत्तर वाच-  
 स्पति द्वारा। वर्ण की विदोषी उभित्तियों का समाधान  
 पाया जाता है।

धर्मैतनिर्णय—दे० शङ्करभट्टरचित 'द्वैतनिर्णय'।  
 धर्मनिबन्ध—रामकृष्ण पण्डित द्वारा।  
 धर्मनिबन्धन।  
 धर्मनिर्णय—कृष्णताताचार्य कृत।  
 धर्मपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।  
 धर्मपरीक्षा—मञ्जरदास द्वारा।  
 धर्मप्रकाश—माधव द्वारा। ड० का० (सं० २२१, १८८६-९२)। समयालोक अपात् चित्र एव अन्य मासों के दत्तो पर। माधवीय, बाधस्पति मिथ, पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के उपरान्त।  
 धर्मप्रकाश—(या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एवं पार्वती के पुत्र शङ्करभट्ट द्वारा। १६वीं शती का उत्तरार्ध। मेधातिथि, अपराकं, विज्ञानेश्वर, स्मृत्यर्थ-सार, कालादय, धर्मिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिंह एवं त्रिप्रयलीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र-दीपिका का भी उल्लेख है। इसके सस्कार सबन्धी भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, सं० १५६४)।  
 धर्मप्रदीप—(या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचसण्ड), शूलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक), रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व), कालादय आदि द्वारा व०।  
 धर्मप्रदीप—गगामट्ट द्वारा।  
 धर्मप्रदीप—यनञ्जय द्वारा। नो० न्यु० (२, पृ० ४६) (केवल गौत्र पर)।  
 धर्मप्रदीप—धर्ममान द्वारा।  
 धर्मप्रदीप—मोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० ई० के मध्य में।  
 धर्मप्रदीपिका—अमिनवपडचीति पर। बेंकटेट के पुत्र शुभह्राय द्वारा।  
 धर्मप्रवृत्ति—नारायण भट्ट द्वारा। शंकरभट्ट (द्वैतनिर्णय), नन्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका) एवं ब्यवहारमयूस द्वारा रचित। आशुिक, शौच, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, गोत्रनिर्णय, श्राद्ध, आशौच, दान, प्रायश्चित्त, तियि-निर्णय, स्पालीपाक पर विवेचन है। माधवीय काल-

निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महार्णव, अनन्ताचार्य, कालादयं, नारायणवृत्ति (आश्वलायन पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (आद्यकल्पलता) द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, सं० १५६०), तियि सं० १६५९ (१६०२३) अतः १४००-१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३।

धर्मप्रश्न—(आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक अंग।

धर्मचिन्तु।

धर्मबोधन।

धर्मभाष्य—स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) द्वारा व०।

धर्ममार्गनिर्णय—बडोदा (सं० ११८२१)।

धर्मरत्न—श्रीमूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल-विवेक एव दायभाग अज्ञ हैं।

धर्मरत्न—भट्टारकभट्ट के पुत्र भंयाभट्ट द्वारा। आशुिक और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्त।

धर्मरत्नाकर—रामेश्वर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, तियि-भासलक्षण प्रतिपदादियु विहितकृत्य विधान, उपवास, युगादिनिरूपण, सकाति, अद्भुत, आशौच, श्राद्ध, वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर।

धर्मविवृति—मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्-निर्माण, सस्कारमयूस, प्रायश्चित्तमयूस में व०। मदनपा० (पृ० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एव धर्म-वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और उपर्युक्त 'धर्मभाष्य' ही है।

धर्मविवेक—चन्द्रोत्तर द्वारा। मीमांसा के ग्यायो की व्याख्या है।

धर्मविवेक—दामोदर एव हीरा के पुत्र तथा भीम के पीत्र विश्वकर्मा द्वारा। आठ काण्डों में उपवास एव उत्सवों पर। बालमाधव, मदनरत्न, हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०-१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए अलवर (उद्धरण ३२०)। पाण्डु० की तियि सं० १५८३ है।

धर्मविवेचन—रामसंकर ने पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री द्वारा।

धर्मशास्त्रकारिका।

धर्मशास्त्रनिबन्ध—फकीरचन्द्र द्वारा।

धर्मशास्त्रसंग्रह—श्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह।  
बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१९, स० ६९२)।

धर्मशास्त्रसंग्रह—शंभनाथ एव लक्ष्मी के पुत्र बालशर्म-  
पायगुप्ते द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८)। दे०  
प्र० १११। लग० १८०० ई०।

धर्मशास्त्रसंक्षेप—मट्टोजि। १६००-१६५० ई०।

धर्मशास्त्रसुधानिधि—दिवकरदत्त। १६८६ ई० मे  
प्रणीत। दे० 'भाचारार्क'।

धर्मसंहिता—(या धर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक  
मे व०।

धर्मसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा।

धर्मसंग्रह—हरिरचन्द्र द्वारा।

धर्मसंग्रहायवीथिका—आनन्द द्वारा।

धर्मसार—गुरुशोक्तम द्वारा। पाण्डु० प० स० १६०७  
मे उत्तारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५।

धर्मसार—प्रभाकर द्वारा। आचारमयूत द्वारा व०।  
१६०० ई० के पूर्व।

धर्मसारसमुच्चय—यह 'वतुविद्यतिस्मृतिधर्मसारसमु-  
च्चय' ही है।

धर्मसारसुधानिधि—दिवकर काल की आह्निकचन्द्रिका  
एवं मट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतितम की टी० में व०। दे०  
बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१६)।

धर्मसिन्धु—(या धर्मसिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा  
पाप्ये) द्वारा। दे० प्र० ११२।

धर्मसिन्धु—मणिराम द्वारा।

धर्मसुबोधिनी—नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, भाष्य  
एव मदनलाल द्वारा कथित।

धर्मसिन्धु—(व्यवहार पर) पराधर गौन के तिरुल द्वारा।  
विज्ञानेश्वर उ० हैं।

धर्मसिन्धु—रघुनाथ द्वारा। एक विवाद ग्रन्थ।

धर्मनुबन्धिसंलोक—कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम  
पण्डित द्वारा।

धर्मपरिभ्रमोधिनी—इन्द्रपति कुरुर के पुत्र प्रेमनिधि  
ठकुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में साहि-  
ब्गती का दासी था, किन्तु उसने स० १४१० (१३५३-  
५४ ई०) में मिथिला में अपना निबन्ध संग्रहीत किया।  
आह्निक, पूजा, श्राद्ध, भाषीच, मुद्रि, विवाह, धार्मिक  
दानों, आपद्धर्म, वैकल्पिक भोजन, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त,  
कर्मविपाक, सर्वसाधारण के कर्तव्य पर १२ अध्यायों  
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। महा-  
महोपाध्याय चक्रवर्ती (वे० ए० एम्० बी०, १९१५  
ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत से स० १४१० तक  
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम स० प्रचलित नहीं  
था। किन्तु यह युक्तिगत नहीं है।

धर्मपरिभ्रम्यवस्था।

धर्माभ्युपेय—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माभूत—तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धमान द्वारा व०।  
सम्भवत यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता  
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर मकेत  
मान है।

धर्माभूतमहोदधि—अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

धर्मानुबोधि—यह अनुपविलास ही है।

धर्मानुब—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे०  
बीकानेर, पृ० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु०  
१६८१ ई० की है।

धवलनिबन्ध—नारायण की अल्पेष्टिपद्धति में, रघुनन्दन  
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०।

धवलसंग्रह—जीमूत० के कालविवेक एव गदाधर के  
कालसार में व०। सम्भवत धवलनिबन्ध एव धवल-  
संग्रह दोनों एक ही हैं।

धान्याक्षलाखिदानतच्छ—नो० न्यू० (२, पृ० ८८)।

ध्वजोच्छ्राय—पूर्वकमलाकर से।

नक्तकालनिर्णय।

नक्षत्रयोगदान।

नक्षत्रविधान।

मत्तनशान्ति—बीषायन द्वारा। ड० का० (सं० १७, १८८२-८३)।

मयमणिनासिका।

मयकण्ठिकायाश्चसूत्र—(या श्राद्धकल्पसूत्र, छाडा कात्यायन परिशिष्ट) दे० 'श्राद्धकल्प'। टी० कर्क द्वारा। टी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र कृष्णमिश्र द्वारा। सन् १४४८-४९ में प्रणीत। टी० श्राद्धकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवदत्त।

मयप्रह्वान।

मयप्रह्वण्ट—वसिष्ठ का कहा गया है।

मयप्रह्वयज्ञ—बड़ोदा (सं० २२७९)।

मयप्रह्वशान्ति—दे० 'दासिष्ठी'।

मयप्रह्वशान्तिपद्धति—सामवेदिरो के लिए, विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५७०)। पाण्डू० सं० १८०६ (१७४९ ई०) में।

मयप्रह्वस्थापना—बी० बी० आर० ए० एस्० (जिस्ट्र २, पृ० २४३)।

मयप्रह्वहोम।

मयनीतमिषय—रामजी द्वारा। क्या यह निरचनवनीत ही है?

मयभूतिप्रसिद्धावधि।

मयभस्मदान।

मयभस्ममाला—प्रह्लादभट्ट द्वारा।

मयभस्मकृत्य।

मयभस्मनिर्णय—गोपाल व्यास द्वारा।

मयभस्मप्रदीप—नन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभवन (सी० सं० २३) द्वारा प्रका०।

मयभिक्षेकरीषिका—बरदराज द्वारा।

मयाभमन्वनिर्णय—गौरीनाथचक्रवर्ती द्वारा। बड़ोदा (सं० १०२१९)।

मयाभविधि।

मय्यधर्मप्रदीप—त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आध्ययदाता १८वीं शती के उत्तरार्ध में बंगाल के जमीन्दार के। नो० न्यु० (३, पृ० ९२)।

मागदेवाह्निक—सूदकमलाकर में व०। १६०० ई० के पूर्व।

मागदेवीय—आचारमयूख में व०। यह 'मागदेवाह्निक' ही है ऐसा लगता है।

मागप्रतिष्ठा—बीषायन द्वारा।

मागप्रतिष्ठा—शौनक द्वारा।

मागबलि—शौनक द्वारा।

मागबलिसत्कार।

मागानुनीयधर्मशास्त्र—आचार, विधेयत स्त्रीधर्म पर।

मानाशास्त्रार्थनिर्णय—मयरा के पुत्र वर्यमान द्वारा। लग० १५०० ई०।

मानवीमुलभाद्रप्रयोग।

मानवीभाद्रपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त मन्वी द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध।

मारदस्मृति—डा० जॉर्ज द्वारा सम्पादित। टी० असहाय द्वारा, कल्याणभट्ट द्वारा सशोधित। टी० रमानाथ द्वारा।

मारदीय—समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व०। सम्भवतः नारदपुराण।

मारामयधर्मसारसङ्ग्रह।

मारामयपद्धति—रघु० के ज्योतिस्त्वत्त्व एवं मलमासत्त्व में व०।

मारामयप्रबोधोत्सव।

मारामयबलिपद्धति—दाहम्य द्वारा। बड़ोदा (सं० ११४९७)।

मारामयबलिसूत्रोप—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

मारामयमन्त्री—यह नारायण भट्ट का प्रबोधोत्सव एवं अन्त्येष्टिपद्धति है।

मारामयनिधीय।

मारामयभूति—आचारमयूख में व०। सम्भवतः नारायण द्वारा आर्यसायनगृह्य पर टी०।

मारामयभूति—अपरार्क द्वारा उ०।

मित्यकर्णपद्धति—बड़ोदा (सं० १०३), तिथि सं० १५४७ (१४९०-१ ई०)।

मित्यकर्णपद्धति—भाष्यन्दिनसाहा के प्रभाकर नाटक के

पुत्र श्रीधर द्वारा। कार्यायन पर आवृत्त। श्रीधर-  
पद्धति नाम भी है। ३० का० (स० २२८, १८८६-  
९२, नं० ११९, १८८४-८५) तिथि स० १४३४  
(१३७५-७८ ई०)।

नित्यकर्मप्रकाशिका—कुत्रनिधि द्वारा।

नित्यकर्मलता—धर्मेश्वर के पुत्र धीरेन्द्र पवीरूषण द्वारा।

नित्यहानाधिपद्धति—तामजित् त्रिपाठी द्वारा। महा-  
गं व ३० है।

नित्यनानपद्धति—बालहृदय द्वारा (बडोदा, स० ४० ११)

नित्याचारपद्धति—गोपालानन्द द्वारा।

नित्याचारपद्धति—शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी  
द्वारा (बिजिल० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय-  
शास्त्रा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच।

नित्याचारपद्धति—मुरारि के पुत्र एव धराधर के पीत्र  
एवं विश्वेश्वर के शिष्य कौत्सवश के नरसिंह वाज-  
पेयी द्वारा। कानी में आकर भसे थे, कुल उत्कल  
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, भाष्यकीय को  
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिजिल०  
इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर  
(उद्धरण ३२२)।

नित्याहर्त—कालादर्य (आदित्यमठद्वारा) में व०।

नित्यभूषणपद्धति—बलभद्र द्वारा।

नित्यभूषणपद्धति—यशोधर द्वारा (बीकानेर, पृ०  
३२२)। ६२ अध्यायों में। धार्मिककर्मों का विवरण  
है।

नित्यधर्म—सरस्वतीविकास में व०।

नित्यधर्मनीत—तामजित् द्वारा। सामान्यतिथिनिर्णय,  
व्रतविधेयनिर्णय, उपाकर्मकाल एव श्राद्धकाल नामक  
चार आस्त्रादों में विभक्त। अन्तमठ, हेमादि,  
भाष्य एव निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित  
है। ३० का० (स० १०२, १८८२-८३, पाण्डु०  
सं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० के  
मध्य में।

नित्यधर्मराज—२० 'समयप्रकाश' के अन्तर्गत।

नित्यधर्मसरोजि—नृसिंह द्वारा (बडोदा, स० ४० १२ एव

९२१२)। संस्कारों, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष  
के विषयों पर, अनुपनीतधर्म कर्मविधान पर एक  
विशाल ग्रन्थ।

नित्यधर्मसर्वस्व—श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे०  
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ नृसिंह-  
प्रसाद में व० है।

नित्यधर्मसार—श्रीनाथ के पुत्र वधिय द्वारा। आचार,  
व्यवहार एव प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक  
विशाल ग्रन्थ। ३० का० (स० १२३, १८८४-८५)  
तिथि स० १६३२। धर्मप्रवृत्ति में व०।

नित्यधर्मसिद्धान्तबोध—गगाराय द्वारा।

निर्णयकीस्तुम्भ—विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एव  
संस्कारभास्कर में धरर द्वारा व०।

निर्णयमन्त्रिस्त—नारायण मठ के पुत्र धररमठ द्वारा।  
निर्णयचिन्तामणि—विदुर के पुत्र, गोभिल मोत्र के  
वैश्य श्री राजजालमदास ने बहने पर, जिल्मुदमी  
महाशक्ति द्वारा। एटीन (पृ० ३०८, मलमास पर  
एक अंश है)।

निर्णयतरु—शिव के पुत्र नामदेवस द्वारा। आचारग्रन्थ  
में उद्धृत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के  
पूर्व (अलवर, स० १२५६)।

निर्णयतरणि।

निर्णयवर्षण—गणेशाचार्य द्वारा (सेन्दूर प्राविशेज कंठ-  
लाग, स० २५९९)।

निर्णयवर्षण—तारापति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा।  
श्राद्ध एव अन्य कृत्यों पर।

निर्णयवीथ—ति० सि० एव लक्ष्मण के आचाररत्न में व०।

निर्णयवीथक—नरसाराज के तीन पुत्रों में एक एव मठ-  
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये नृसिंहपुर  
के थे और नामरत्नशास्त्रों की मंडोब शास्त्रा के थे।  
इनका विद्वद या भाष्यवर्षण। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने  
ऋग्वेदीय महाब्रह्मविद्या लिखा था। यह ग्रन्थ  
श्राद्ध, आषाढ, ब्रह्म, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह,  
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी  
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८

ई०) को हुई। विश्वरूपनिबन्ध, दीपिकाविवरण, निगमामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिलक के उद्धरण हैं। अलबर (सं० ३२३)। इसमें मालती-माधव का श्लोक 'ये नाम केचिदिह' है। मडियाद ने सन १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, नि० सि०, विधानपारिजात में व०। १५२० १९०० ई० के बीच।

निर्णयदीपिका—वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एव धाट्टणयुक्त में व०। सम्भवत यह अचलवृत्त निर्णय-दीपक ही है।

निर्णयपोष्य—विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। निर्णयप्रकाश।

निर्णयप्रदीपिका—नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०। निर्णयविन्दु—महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। त्रिपियो पर।

निर्णयविन्दु—व्यकण द्वारा।

निर्णयमास्कर—नीलकण्ठ द्वारा (शेष्टल प्राविसेध, सं० २६००)।

निर्णयमास्कर—पाण्डु० त्रिपि सं० १७२५, माघ (१६६९ ई०), पीठसंन, छठी रिपोट (पृ० १० में)।

निर्णयमंजरी—गमाधर द्वारा।

निर्णयरत्नाकर—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

निर्णयशिरोमणि—निर्णयदीपक में एव अनन्त द्वारा स्मृतिकौस्तुभ में व०। १५०० ई० के पूर्व।

निर्णयशैली—नि० सि० में व०।

निर्णयसप्रह—प्रतापधर द्वारा।

निर्णयसप्रह—मधुसूदन द्वारा।

निर्णयसमुदाय।

निर्णयसार—योगेश्वर द्वारा।

निर्णयसार—गोस्वामी द्वारा, सं० प्रा०, सं० २६०२।

निर्णयसार—दीपकत्रय मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र द्वारा। त्रिपि, श्राद्ध आदि छ परिच्छेदों में। वि० सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रणीत।

निर्णयसार—भट्टरायव द्वारा। बडोश (सं० ८५७०)। १६१२ ई० के परचाण एव १७०० के पूर्व।

निर्णयसार—रामभट्टाचार्य द्वारा।

निर्णयसार—लालमणि द्वारा।

निर्णयसारसप्रह—बडोवा (सं० ४०५)।

निर्णयसिद्धान्त—महादेव (सम्भवत कालनिर्णयसिद्धान्त के लेखक) द्वारा।

निर्णयसिद्धान्त—रघुराम द्वारा (यह सम्भवत काल निर्णयसिद्धान्त ही है)।

निर्णयसिन्धु—कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६९८ (१६१२ ई०) में प्रणीत। दे० प्रक० १०६, ची० सं० सो० एव निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी० रत्न माला या दीपिका (इण्डियनट्रिब्यूनल ऑर्डर द्वारा रचित)।

निर्णयानन्द—अहल्याकामधेनु में व०।

निर्णयामृत—अलाड (या ट) नाथसूरि (शिष्ट लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार सूर्यसेन की आशा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के बाहुवाणो (बाहुवाणा?) के राजाश्री की शालिका को हुई है। आरम्भ में भिताशारा, अपराकं, अर्णव, स्मृतिचन्द्रिका, पवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तनट्टीय गृहपरिशिष्ट, रामकौतुक, सवत्सरप्रदीप, देवदासीय, रूपनारायणोय, विश्वामट्टपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध पर ग्रन्थ की निर्मलता की घोषणा की गयी है। कुछ पाण्डु० के श्लोक में हेमाद्रि, कालादर्श, चिन्तामणि का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्रि के कालनिर्णय (पृ० ३४) ने एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रियाकीमुदी में व० है, यत' त्रिपि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० ने परचाण को है। यत, त्रिपिनिर्णय, श्राद्ध, इत्यनुदि एव आर्वाच पर चार प्रकरण हैं। बेंकटेश्वर प्रे० से प्रका०।

निर्णयामृत—गोपीनारायण (लक्ष्मण ने पुत्र) द्वारा सूर्यसेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं० का० पाण्डु०, प्रिन्ट २, पृ० ७८)। प्रतीत होता है यह कैलाश का निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ रुन्देह उत्पन्न करते हैं। बीकानेर (पृ० ४२६)।



निर्णयामृत—रामचन्द्र द्वारा। नी० (जिल्द ११, मुद्रिका, पृ० ४)।

निर्णयामृत—(पाषाणकाल) रघुनन्दन के बुद्धितत्व में व०।

निर्णयार्थ—बालकृष्ण दीक्षित द्वारा।

निर्णयार्थप्रदीप—अहल्याकामधेनु में व०।

निर्णयोद्धार—(तीर्थनिर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा।

नि० सि० एवं स्मृतिदर्पण का उल्लेख है। अतः १६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६), दे० 'तिथिनिर्णय' (राघवभट्ट)।

निर्णयोद्धारलक्ष्मणभट्टन—यज्ञेश द्वारा (बडोदा, स० ५२४७)। राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण।

नीतिकमलाकर—कमलाकर द्वारा।

नीतिकल्पतरु—शेमेन्द्र द्वारा।

नीतिप्रमितशास्त्र—लक्ष्मीपति द्वारा।

नीतिचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा।

नीतिबीजिका।

नीतिप्रकाश—कुलमुनि द्वारा।

नीतिप्रकाश—वैशम्पायन द्वारा (भद्रास में डा० आपटें द्वारा सम्पादित, १८८२)। नीतिप्रकाशिका नाम भी है। राजधर्मोपदेश, धनुर्वेदविवेक, सङ्गोत्पत्ति, मुक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, संन्यप्रयोग एवं राज-व्यापार पर आठ अध्यायों में तत्कालीन में वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण। राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। टी० उत्कविन्दुसिंह, कौटिल्यगोत्र के नज्जुष्ट के पुत्र सीताराम द्वारा।

नीतिप्रदीप—बैतालभट्ट का कहा गया है।

नीतिभाजनभाजन—भोजराज को समर्पित (मिन्न, नी०, जिल्द २, पृ० ३३)।

नीतिमंजरी—आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनुज अत्रिपुत्र लक्ष्मीधरराज साद्विवेदी द्वारा। अष्टकों (अध्यायों) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु-सार) २०० श्लोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ नैतिक बचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द

५, पृ० ११६)। तिथिसं० १५५० (१४९४ ई०)। लेखन-काल में ये नवयुवक थे और वेद को ११ प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक द्वारा। टी० वेदार्थप्रकाश, लेखक द्वारा। टी० देवराज द्वारा।

नीतिमंजरी—शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक अंग (बनैल, तजौर, पृ० १४१ बी)।

नीतिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०)।

नीतिमाला—नारायण द्वारा।

नीतिरत्न—वररत्न का कहा गया है।

नीतिरत्नाकर—गदाधर के पितामह एवं कालसागर के लेखक कृष्णभूतस्वण्डित महापात्र द्वारा। सप० १४५० ई०।

नीतिरत्नाकर—(या राजनीतिरत्नाकर) चम्पेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा प्रका०।

नीतिरत्नाकर—शेमेन्द्र द्वारा। लेखक की औचित्यविचार-धर्मा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय चरण में।

नीतिवाक्यामृत—महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव के शिष्य सीमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा टीका के साथ प्रका०। धर्म, जर्म, काम, अरिषड्वर्ग, विद्यावृद्ध, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य (स्वामी आदि), राजरसा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, व्यवहार, विवाद, पाङ्गुप्प, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण नामक ३२ प्रकरणों में है। ओफ्रेस्ट का का कथन है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा विराताईनीय में व० है। टी० अज्ञात, बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि स्मृतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये हुए हैं।

नीतिविलास—प्रजराज शुक्ल द्वारा।

नीतिविवेक—कदगासंकर द्वारा।

नीतिसास्त्रसमुच्चय ।

नीतिसमुच्चय ।

नीतिसार—पटकर्षण का कहा गया है ।

नीतिसार—शुक्राचार्य का कहा गया है ।

नीतिसारसंग्रह—मधुसूदन द्वारा ।

नीतिमुमावलि—अप्पा वाजपेयी द्वारा ।

नीराजनप्रकाश—जयनारायण तर्कपञ्चानन द्वारा ।

नीलवृषोत्सर्ग—अनन्तभट्ट द्वारा ।

नीलोत्सर्गपद्धति ।

नीलोद्वाहपद्धति—श्राद्ध में वृषोरसर्ग के कृत्य पर ।

इण्डि० आ० (पृ० ५७८, स० १६४८=१५९१-२  
६०) ।

नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग ।

नूतनमूर्तिप्रतिष्ठा—नारायण भट्ट कृत (आश्वलायनगृह्य-  
परिशिष्ट पर आधारित) । बडोदा (स० ८८७६) ।

नृसिंहजयन्तीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा ।

नृसिंहपरिचर्या—नि० सि० एव अनन्त के स्मृतिकोस्तुभ  
में व० ।

नृसिंहपरिचर्या—रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव द्वारा  
(स्टीन, पृ० २२२) ।

नृसिंहपूजापद्धति—वृन्दावन द्वारा ।

नृसिंहप्रसाद—वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा । दे०  
प्रक० ९९ ।

नृसिंहाम्बिमहोदधि—आचाररत्न में व० ।

नृसिंहार्चनपद्धति—ब्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा ।

नृसिंहारूपप्रयोगरत्नाकर—प्रेमनिधि द्वारा ।

नौकादान ।

न्यायदीपिका—अभिनवधर्मभूषणाचार्य द्वारा ।

न्यायरत्नमालिका—(या न्यायमातृका) दे० जीमूत०  
को श्ववहारमातृका ।

न्यासपद्धति—त्रिविक्रम द्वारा ।

पञ्चकविधान ।

पञ्चकविधि—(जब चन्द्र धनिष्ठा से खेती तक  
विमी नष्ट हो रहा है उस समय मरने पर कृत्य) ।

पञ्चकशास्त्रविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा ।

पञ्चकालक्रियादीप—वैष्णव ब्राह्मिक पर ।

पञ्चक्रोशसंन्यासाधार ।

पञ्चक्रोशयात्रा—शिवनारायणानन्द तीर्थ द्वारा ।

पञ्चक्रगव्यमेलनप्रकार ।

पञ्चक्रगौडब्राह्मणजाति ।

पञ्चक्रिशच्छोको—श्राद्धपद्धति ।

पञ्चदशकर्म—(श्रीनकरात्रिका के अनुसार) १५  
मुख्य संस्कारों पर ।

पञ्चद्राविडजाति ।

पञ्चमहायज्ञप्रयोग ।

पञ्चमाम्रमविधि—शंकराचार्य कृत कहा गया है ।  
परमहंस नामक पांचवें स्तर के विषय में, अब कि  
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है और  
बालक या पागल को भीति भूमता रहता है । नां०  
(जिल्द १०, पृ० ३२९) ।

पञ्चमीवतोद्यापन ।

पञ्चलक्षणविधि ।

पञ्चविधान—सत्वार, अग्निवात, उद्वासन, पचानि-  
सावन, जलवासविधि पर ।

पंचसत्वार—आठ अध्यायों में । बडोदा (स०  
१२३५५) ।

पचसत्कारदीपिका—सुरेन्द्र के सिद्धान्तानुसार वैष्णवपद्धति  
द्वारा । मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वैष्णवपद्धति  
(ताप पुष्ट तथा नाम मन्त्री गायत्रि पञ्चम । अनी  
हि पञ्च संस्कारा परमंवाग्यहेतव ॥) ।

पंचसत्कारविधि—सभी श्रीवैष्णवों के लिए ।

पंचसूत्रीविधान—अपत्तिहन्त्यदुम से ।

पञ्चान्तकारिका—प्रयागचर्चन्द्रका में व० ।

पञ्चायतनपद्धति—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर  
द्वारा (सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पञ्चायतन  
पर) । दे० सूर्योदयपञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति ।

पञ्चायतनपूजा ।

पञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति—महादेव के पुत्र दिवाकरद्वारा  
सम्भवन यह पञ्चायतनपद्धति है ।

पञ्चायतनसार—मूर्तदिनशरोद्घोत में व० ।

पण्डितपरिलोच—चतुर्वर्गचिन्तामणि मे गोविन्दराज का खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा व०। दे० प्र० ७६।  
 पण्डितसर्वस्व—हलायुध कृत। ब्राह्मणसर्वस्व एव प्राय-  
 रिचततरव मे व०। जीवानन्द (जिल्द १, पृ० ५३१)।  
 पतितस्वार्थविधि—दिवाकर द्वारा।  
 पतितससर्गप्रायश्चित्त—नजौर के राजा मर्कोजी के  
 तत्वावधान मे पण्डिता की परिषद् द्वारा प्रणीत।  
 हूला (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एव १२०)।  
 पतितसहगमननियेधनिरासप्रकाश।  
 पदचक्रिका—दयाराम द्वारा।  
 पदार्थावशं—रामेश्वर भट्ट कृत। निर्णयतिप्पु एव  
 शूर्दिकमलाकर मे व०।  
 पद्धतिरत्न—रूपनारायण द्वारा (बडोदा, स० २३९३)।  
 पधनामनिबन्ध।  
 पधन्यास—नीमूत० के कालविवेक द्वारा व०।  
 परभूजातिनिर्णय।  
 परभूप्रकरण—मीलभण्ड सूरि द्वारा।  
 परभूप्रकरण—बाबदेव आटले द्वारा।  
 परभूप्रकरण—गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०,  
 पृ० २९६)। लग० १७४०-४९ ई०, दिवाजी के  
 पौत्र शाहूजी के राज्यकाल मे जब बालाजी बाजीराव  
 पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एव शाहू के  
 प्रियपात्र थे। इसमे बाबदेव आटले को कपटी एव  
 कट्टाड ब्राह्मण कहा गया है।  
 परमहंसपरिशिष्टकथमंसग्रह—विश्वेश्वर सरस्वती  
 द्वारा। यह यथिवमंसग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस मे  
 प्रका०)।  
 परमहंससंन्यासपद्धति।  
 परमहंससंन्यासवन—शकराचार्य द्वारा। बी० बी०  
 आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४६)।  
 परमहंससंन्यासविधि।  
 परदेशवरीशताविधि—(या स्मृतिसग्रह) होरिलमिथ  
 द्वारा (बीकानेर, पृ० ४३१)।  
 परशुरामकारिका—अनन्तरदेव के शकल्पदुम मे व०।  
 परशुरामप्रकाश—(या निबन्ध) वाराणसी मे धर्मा-

धिकारी नारायणपण्डित के पुत्र सखेराय द्वारा।  
 यह दो उल्लासों मे आचार एव श्राद्ध पर है। गोमती  
 पर यमुनापुरी मे सगृहीत। शाकदीपीय कुलावतस  
 हरिलिमिथ के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत।  
 आचाराकं एव स्मृत्यर्थसागर मे व०। माघवीय  
 एव मदनपाल का इतमे उल्लेख है। १४००-१६००  
 के बीच।  
 परशुरामप्रताप—जामदग्न्य बलसगोत्र के पण्डित पद्मनाभ  
 के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (साबाजी) द्वारा।  
 ये भट्टकूम के सिष्य एव निबामसाहू के आश्रित थे।  
 इसमे कम-से-कम आह्निक, जातिविवेक, दान, प्राय-  
 श्चित्त, सस्कार, राजनीति एव श्राद्ध का विवेचन है।  
 दे० विश्रामबाग-सग्रह (ड० का०) २, स० २४३-  
 २४६ एव बनेल (तजीर, पृ० १३१ए)। एक विशद  
 ग्रन्थ। बडोदा (स० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड  
 विषय मे मानसोल्लास के समान है। टी० श्राद्ध-  
 काण्डीदिव्याया श्राद्धदीपनलिका (सोपदेवपण्डित)।  
 हेमाद्रि, कालादशं उ० है।  
 पराशरस्मृति—भागंबराम द्वारा (दे० 'वर्णजातिसंकर-  
 माला')।  
 पराशरस्मृति—दे० प्रक० ३५ (सात बार प्रका०,  
 बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्युत्तम, जीवा०,  
 भाग २, पृ० १-५२)। टी० माघवाचार्य द्वारा,  
 दे० प्रक० ९२ (बनारस सं० सी०)। टी० गोविन्द-  
 भट्ट, रघुनन्दन के मूलमासतत्त्व मे व० (जीवा०,  
 पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व। टी० दिग्गमनोहरा  
 (नन्दपण्डितकृत), दे० प्रक० १०५ (दृष्टि० आ०,  
 ३, पृ० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है),  
 बनारस के 'दी पण्डितपत्र' में प्रका०, नो० न्यू०, जिल्द  
 २९-३२। टी० महादेव एव वेणी के पुत्र वैद्यनाथ  
 पायगुडे द्वारा, जो नागोजि के सिष्य थे। टी०  
 कामेश्वरयज्वा कृत हितधर्म; माघवीय का उल्लेख  
 है। ताडपत्र पाण्डू० सं० ६९५६ (बडोदा)।  
 परिसायाविवेक—वित्त्वपचक कुल के भवेय के पुत्र  
 वर्धमान द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य,

एक एक काम्यकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एक निवृत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपर्क, दान, द्रुग आदि पर।

परिशिष्टवीपकलिका—मूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धितत्व मे व०। सम्भवत यह मूलपरिशिष्ट (यथा छन्दोग०) की टी० है।

परिशिष्टप्रकाश—रघु० के शुद्धितत्व एक एकादशीतत्व मे व०। सम्भवत यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही है। टी० हरिराम्यत।

परिशिष्टसग्रह।

परिशेषखण्ड—चतुर्वर्गविन्तामणि का एक अक्षर।

परीक्षातरण्य—रघु० का दिव्यतत्व।

परीक्षापद्धति—वामुदेव कृत। दिव्यो पर। विश्वरूप, यज्ञपार्व, मित्तसार, मूलपाणि पर आश्रित। १४५० ई० के पश्चात्।

पणपुण्य—(पणपुण्यविधि) दूर मरने वाले लोगों का आहूतिदाह।

पर्वश्रुतीक्षविधि—सन्यास ग्रहण पर।

पर्वकालनिर्णय।

पर्वतरानविधि।

पर्वनिर्णय—गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र तथा रामदास (औदीच्य गुजर एव गौडाधीरा मनोहर द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दश एव पूर्णिमा के यज्ञों एव श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन। कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन मे उत्प्लेख है। स० १७४२ (त्रिनाम्नोपिथराधरसितमिते श्री-विक्रमाके शके) अर्थात् १६८५-८६ ई०।

पर्वनिर्णय—मुरारि द्वारा।

पर्वनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ राजपेयी द्वारा। १५५०-१६२५ ई० के बीच।

पर्वनिर्णय—धर्मसिन्धु का एक अक्षर।

पर्वसंग्रह।

पलवीपुषलता—मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा।।

विभिन्न प्रकार के माँसों के धार्मिक उपयोग पर ७ अध्याय।

पत्सव—राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर (चण्डलवर कृत) मे व०। १३०० ई० के पूर्व।

पत्नीपतन—छिपकली गिरने से शकुनों पर।

पत्नीपतनफल।

पत्नीपतनविचार।

पत्नीपतनशान्ति।

पत्नीशरटकाकमासाविशानुन।

पत्नीशरटयो फलाफलविचार।

पत्नीशरटयो शान्ति।

पत्नीशरटविधान।

पवित्रारोगपरिहारप्रयोग।

पवित्रारोपणविधान—श्रावण मे देवता के चतुर्दिग् नव-

सूत्र चढ़ाने एव फिर धारण करने का कृत्य।

पशुपतिवीपिका—शुद्धिकौमुदी (पृ० १०६ एव २१०)

मे व०। सम्भवत यह पशुपति की 'दशकर्मवीपिका'

है।

पशुपतिनिबन्ध—श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) मे व०।

हलायुध के माई पशुपति की श्राद्धपद्धति ही

सम्भवत यह है। लग० ११७०-१२०० ई०।

पाकयज्ञनिर्णय—(या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप०

धर्माभट्ट) के पुत्र उमापति (उप० उमाशकर या उमण-

भट्ट) के तनुज चन्द्रोत्तर (उप० चन्द्रचूड) द्वारा।

१५७५-१६५० ई० के बीच।

पाकयज्ञपद्धति—पशुपति द्वारा।

पाकयज्ञप्रयोग—शालकृष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट द्वारा।

आपस्तम्बधर्मसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि०

आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि स० १७४९,

१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०।

पाञ्चालजातिवितेक।

पाणिग्रहणारिहृत्यविवेक—मधुरानाथ लक्ष्मीगोत्र द्वारा।

नो० (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथन है कि लेखक

रघुनाथ हैं, किन्तु बालोक्रीन में मधुरानाथ नाम आया

है।

पास्तकगृह्यकारिका—(उप० कातीयगृह्यसूत्रप्रयोग-

विवृति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेद्वारमज महेश्वरि

के पुत्र रेणुकाचार्य द्वारा। एक सं० ११८८ (१२६६ ई०) में प्रणीत (इण्डि० आ०, जिल्द १, पृ० ६७)।

पारस्करगृह्यपरिशिष्टपद्धति—कूपारिप्रतिष्ठा पर काम-  
देव दीक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित)।

पारस्करगृह्यसूत्र—(वातीयगृह्यसूत्र) तीन भाण्डों में  
(स्टैजलर द्वारा लिपबिग में, काशी सं० सी० एव  
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ  
मुद्रित एव ए० सी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनुदित)।  
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिकण्डिका में नन्दपण्डित  
द्वारा सं०, १५५० ई० के पूर्व। टी० अर्धभास्कर,  
राधवेन्द्राचार्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश,  
विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र द्वारा लिखित एव  
उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुक्त। टी० सत्वार  
गणपति, प्रयागमठरात्मज कोनेट के पुत्र रामकृष्ण  
द्वारा (चौखम्बा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों  
में, ये आध्यात्मशास्त्रीय और विजयसिंह द्वारा  
सरक्षित थे, बसिष्ठा नदी पर बिचमण्डलपत्तन में  
लिखित, कर्क, हरिहर, गदाधर, हलायुध काशिका  
एव दीपिका सं० हैं, लेखक ने आद्यगणपति भी प्रणीत  
किया, इण्डि० आ० (पृ० ५६२) में आद्यसंग्रह का  
घणन है, लग० १७५० ई०। टी० सज्जनबल्लभा,  
मेवाडवासी आध्यात्मशास्त्री के बलमदनपुत्र जयराम  
द्वारा, उदुप, कर्क एव स्मृत्यन्तार के उल्लेख हैं एव  
गदाधर द्वारा सं०, अलवर (उदरण ३९) पाण्डु०  
की तिथि सं० १६११ अर्थात् १५५४ ई० है,  
१२००-१४०० ई० के बीच, गुजराती प्रेस एव  
चौखम्बा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कर्क द्वारा,  
त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एव हरिहर द्वारा सं०,  
११०० ई० के पूर्व, गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी०  
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा, गुज०  
प्रेस द्वारा मुद्रित। टी० वामन के पुत्र गदाधर द्वारा,  
कर्क, जयरामभाष्य, भर्तृहरि, मदनपारिजात, हरिहर  
के नाम आये हैं, लग० १५०० ई०, काशी सं० सी०  
एव गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० भर्तृहरि द्वारा,

जयराम के भाष्य में सं०। टी० वेदमिश्र के पुत्र  
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्यमन्त्रों पर), पाण्डु०  
(स्टीन प० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३  
ई०)। टी० नागीश्वरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव  
दीक्षित द्वारा, हरिहर एव रघु० (यजुर्वेदियाद्वयतत्त्व  
में) द्वारा सं०, सभी कृत्यों की पद्धति है, १२५० ई०  
से पूर्व। टी० काश्यपगोत्र के नागव्याख्यान नृसिंह के  
पुत्र विश्वनाथ द्वारा, विश्वनाथ के धाचा अन्त के  
पीत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में सगृहीत, तिथि १६९२  
माघ (१६३५ ई०), कर्क, हरिहर कालनिर्णय  
प्रदीपिका के उल्लेख हैं, अतः विश्वनाथ की तिथि  
लग० १५५० ई० है देखिए अलवर (उदरण ४२),  
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिदामा द्वारा, प्राय-  
द्विसतशतक में उल्लिखित (जीवा०, जिल्द १, पृ०  
५३१)। टी० भाष्य एव पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज०  
प्रे० एव काशी सं० सी०), कर्क, कल्पतरुकार, रेणु,  
वासुदेव, विमानेश्वर के उल्लेख हैं, आद्यक्रियाकौमुदी  
(विन्दानन्दकृत) में सं०, १२७५ १४०० ई० के  
बीच, दे० प्रक० ८४, रघु० ने यजुर्वेदियाद्वयतत्त्व में  
हरिदामा एव हरिहर के नाम लिखे हैं (काश्यायनगृह्य  
की एक व्याख्या में)।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—कामदेव द्वारा।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—भास्कर द्वारा। दे० ऊपर।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर।

पारस्करमन्त्रभाष्य—मुरारि द्वारा। दे० 'पारस्करगृह्य-  
सूत्र' के अन्तगत।

पारस्करआद्यसूत्रसूत्रपर्यन्तग्रह—उदयशकर द्वारा (स्टीन,  
पृ० १७)।

पारिजात—बहुत से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण  
होते हैं, यथा—मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात,  
विधानपारिजात।

पारिजात—दे० प्रक० ७५।

पारिजात—भानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द १ सं०  
२५७ एव जे० बी० ओ० आर० एस्०, १९२७,  
भाग ३-४ पृ० ७)।

पार्ष्वलिगपूजा—बोधायनसूत्र, बृहदसिष्ठ, त्रिपुराण पर आधृत। इण्डि० जा० (पृ० ५८५)।

पार्ष्वलिगपूजाविधि—स्टीन कंटलाग (पृ० ९५) में दो मित्र ग्रन्थ।

पार्वणघटभाङ्गप्रयोग—देवभट्ट द्वारा।

पार्वणतिथिका—पगोती मनीषेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के किन्तु विशेषतः वाक्य श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार।

पार्वणत्रयभाङ्गविधि—स्टीन (पृ० ९५)।

पार्वणप्रयोग—प्राङ्गुसिंह का एक अथ

पार्वणभाङ्ग—(आश्वलायनीय)। टी० प्रदीप भाष्य, नारायण द्वारा।

पार्वणभाङ्गपद्धति।

पार्वणभाङ्गप्रयोग—छन्दागों के लिए।

पार्वणभाङ्गप्रयोग—देवभट्ट द्वारा वाजसनेयिया के लिए।

पार्वणस्थापलीपाकप्रयोग—नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न का एक अथ।

पार्वणाविधाङ्गतत्त्व—रघु० का श्राद्धतत्त्व देखिए।

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग—(हिरण्यकेशीय) उमापति के पुत्र चन्द्रबुद्ध भट्ट द्वारा।

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग—विश्वेश्वर भट्ट (३५० गामाभट्ट) द्वारा। बोवानेर कंटलाग (१३६)।

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग—हरिहर के प्रयोगरत्न से।

पितामहस्मृति—दे० प्रक० ४४।

पितृव्यिता—अनिहद इत। दे० प्रक० ८२। संवृत-साहित्यपरिषद् सी०, बलकृता द्वारा प्रका०।

पितृपद्धति—गोपालाचार्य द्वारा। शूलपाणि का उल्लेख है। अतः १४५० ई० के उपरान्त।

पितृमन्त्रित—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजुर्वेद के पाठकों के लिए। टी० मुरारि द्वारा। लग० १५वीं शती के अन्त में।

पितृमन्त्रितरिणी—(उप० श्राद्धतत्त्व) वाचस्पति मिथ्य द्वारा। दे० प्रक० ९८।

पितृमेघप्रयोग—वादिवारिका के एक अनुयायी द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० २७१)।

पितृमेघभाष्य—(आपस्तम्बीय) गार्ग्य गोपाल द्वारा।

पितृमेघविबरण—रङ्गनाथ द्वारा।

पितृमेघसार—गोपालयन्त्रा द्वारा।

पितृमेघसार—रङ्गनाथ के पुत्र वैकटनाथ द्वारा।

पितृमेघसारसुधीबिलोचन—(एक टीका) वैदिक सावंश्रीम द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त वैकटनाथ ही हैं।

पितृमेघसूत्र—गीतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त-यन्त्रा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा।

आपस्तम्बीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)। टी० ऋषिदत्तस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम् मे प्रका०, १९०५ ई०)।

पितृसावित्तरिकुधाङ्गप्रयोग।

पितृहितकरणी—श्रीदत्त की पितृमन्त्रित में व०। लग० १३०० ई०।

पिष्टपशुसूत्र—टीकाकार शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११६)।

पिष्टपशुसूत्रममीमांसा—(य पिष्टपशुमीमांसा) विश्वनाथ के पुत्र एव नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२)। यज्ञों में बकरों के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। पाण्डु० त्रिपि स० १७८५ (१७८८ ई०)।

पिष्टपशुसूत्र—गार्ग्यगीत के टीकाकार शर्मा द्वारा। बडोदा (स० २४३६)। सम्भवतः यह उपर्युक्त पिष्टपशुसूत्र ही है। टी० बडोडा (पाण्डुलिपि में)।

पिष्टपशुसूत्रम्यास्यास्यार्थदीपिका—रत्नपाल द्वारा।

पिष्टपशुमीमांसाकारिका—विश्वनाथ के पुत्र नारायण द्वारा।

पुंसवनादिकासननिर्णय।

पुष्पाह्वाचनप्रयोग—पुष्पोत्तम द्वारा।

पुत्रकर्मदीपिका—राममद्र द्वारा। बारह प्रकार के पुत्रों के दायधिकारों एवं रिषय पर।

पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग—श्रीनकृत्त कहा गया है। पीठघन की छडी रिपोर्ट (स० १२२)।

पुत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद—स्टीन (पृ० ९५)।

पुत्रस्वीकारनिष्पन्न—वरस गौत के विश्वेश्वर के पुत्र

रामपण्डित द्वारा। विशालेश्वर, चन्द्रिका, कालादर्श, वरदरान से उत्प्रेषण हैं। १४०० ई० के उपरान्त।

पुनस्तीक्ष्णविकल्पः।

पुत्रीशरणीमांसा—नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की पदाक्षरीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५।

पुण्योत्सवविधानम्।

पुनःसंज्ञा—मूला अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में।

पुनःसंज्ञा—प्रथम बार वज्रित भोजन करने पर ब्राह्मण का फिर से उपनयन।

पुनःसंज्ञा—महादेव के पुनः दिवाकर द्वारा।

पुनःसंज्ञा—शालकृष्ण द्वारा। बडोदा (सं० १०२६)।

पुनःसंज्ञा—विधि।

पुनःसंज्ञा—माषवाचार्य वस के पुत्र मुकुन्द द्वारा।

पुनःसंज्ञा—अहोबिल हठ, जो ईशानेश्वर एवं नृसिंह के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत।

पुनःसंज्ञा—गोविन्दानन्द की दर्पकृत्यकीमुदी एवं रघुनन्द के त्रिपित्त एवं आश्लिषकत्व से व०।

पुनःसंज्ञा—बिबुषेन्द्रायम के शिष्य परमहंस देवेन्द्रायम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६३)।

२० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३।

पुनःसंज्ञा—माषव पाठक द्वारा।

पुनःसंज्ञा—बिबुषेन्द्रायम द्वारा।

पुनःसंज्ञा—जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा।

पुनःसंज्ञा—वन्द्येश्वर द्वारा।

पुनःसंज्ञा—रामचन्द्र द्वारा।

पुनःसंज्ञा—रघु० के त्रिपित्त में उल्लिखित।

पुनःसंज्ञा—हेमाद्रि, निर्णयामृत, नि० सि०, द्वैत-निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व।

पुनःसंज्ञा—बंगाल के चमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में सं० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में सगृहीत।

पुनःसंज्ञा—मुद्रबोधम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द १, पृ० १८८)।

पुनःसंज्ञा—पुत्रोत्तम के पुत्र हलायुध द्वारा। ७३०

मुन्दर विषयो पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० ओफेस्ट (पृ० ८४-८७)।

पुराणसार—पराशरमाषवीय, नृसिंहप्रसाद एवं आश्लिषक-तात्व में व०। १३०० ई० के पूर्व।

पुराणसार—नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार छद्मर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५)।

पुराणसारसंग्रह।

पुरुषार्थचिन्तामणि—रामकृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट काठवले द्वारा। काल, मत्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः हेमाद्रि एवं माधव पर निर्भर। निर्णय० प्रे० एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बडोदा (सं० १६६६), सं० सं० १७०९ (१७८४-५ ई०)।

पुरुषार्थप्रबोध—गमराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मानन्द-भारती द्वारा। भस्म, च्छास, च्छ-भक्ति के धार्मिक महत्त्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों वाला एक विशाल ग्रन्थ, असनसी नदी के मलक्री स्थान पर सं० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का उत्प्रेषण एवं शूद्रकमलाकर में व०। दे० बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ० २२०-२२२), सं० ६९९। चिदम्बरम् में मुद्रित, १९०७ ई०।

पुरुषार्थप्रबोधिनी।

पुरुषार्थप्रबोधिनी—कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रगनाथ सूरि द्वारा। पुराणप्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गत्वविवेक, मोक्षतत्त्वविवेक, यर्णादिधर्मविवेक, नामकीर्तनादि, प्रायश्चित्त, अधिकांती, तत्त्वप्रदायविवेक, मुक्तिगत विवेक पर १५ सर्गों में।

पुरुषार्थसुखानिधि—सायणाचार्य द्वारा (बडोदा, सं० ७१०१ तथा अन्य पाण्ड० के मत से, कुछ के मत से विद्यारण्य द्वारा)। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। पुरुषोत्तमभोजनतत्त्व—रघु० द्वारा। उडीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२।

पुरुषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकाश—दे० पीटर्सन की छठी रिपोर्ट सं० ९५।

पुस्तकसंस्मृति—दे० प्रक० ४५।

पुस्तकसंस्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं माषवाचार्य द्वारा व०।

पुष्टिमार्गीयाह्निक—यत्नमाचार्य सम्प्रदाय के लिए  
वज्रराज द्वारा।

पुष्पचिन्तामणि।

पुष्पभासा—रुद्रधर द्वारा। देव-पूजा में प्रयुक्त होने वाले  
पुष्पों एवं पत्तियों पर।

पुरस्सरमुपनिषि—ब्रह्मत्याकामधेनु में उल्लिखित।

पूजनमालिका—भवानीप्रसाद द्वारा।

पूजापद्धति—जनादेन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।

पूजापद्धति—(या पयमाला) आनन्दतीर्थ के शिष्य  
जयतीर्थ द्वारा। बडोदा (सं० ८६८५)।

पूजापद्धति—विष्णुमट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट  
द्वारा। बडोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० सं०  
१७३५, अर्थात् १८१३-१४ ई० में उत्तरी गयी।

पूजापाल—आह्निकचन्द्रिका में उल्लिखित।

पूजाप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अंग)।  
दे० प्रक० १०८।

पूजाप्रदीप—गाविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में  
उल्लिखित।

पूजारतार—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

पूजंबद्ध—रिपुञ्जय द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

पूतकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

पूतप्रकाश—प्रतापनारायण (हरदेव श्रुत) का एक  
प्रकरण।

पूतमाता—रघुनाथ द्वारा।

पूतोद्घोत—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनकरोद्घोत का  
एक अंग।

पूवाङ्गुलीला—बैष्णवों के लिए स्नान से पूजा तक के  
हृत्पत्रों पर।

पुष्यगुद्वाह।

पुष्पीचन्द्र—सम्भवतः यह पुष्पीचन्द्रोदय ही है।  
विद्यानपारिजात में व०।

पुष्पीचन्द्रोदय—हेमाद्रि (अनुबं० ३।१।१८३), द्वैत-  
निर्णय (शंकरभट्ट), विद्यानपारिजात, नि० सि०  
द्वारा व०। १२५० ई० के पूर्व।

पुष्पीमहोदय—भारद्वाज गौत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधि

शर्मा (विषद 'पत्त') द्वारा। व० का० (सं० १२६,  
१८८४-८६), १६५९, अर्थात् १७३७-३८ ई० (नन्द-  
पञ्चनूपसमितशाके) में प्रणीत। इसमें धवणाकर्म  
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है।

पुम्बोरहस्य—ब्रह्मत्याकामधेनु में व०।

पद्म्यस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में  
उल्लिखित।

पैठीनसिस्मृति—दे० प्रक० २४।

पैतृकतिपिनिर्णय—चक्रर द्वारा।

पैतृमेयिक—भरद्वाज गौत्र के यत्नुमट्ट के पुत्र यत्नुवि  
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एव रूपी के अनुसार।  
हुत्वा (सं० ५८)।

पैतृमेयिकसूत्र—भारद्वाज द्वारा (दो प्रश्नों में,  
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में)।

प्रकाश—बहुत-से ग्रन्थों का विषद 'प्रकाश' है, यथा—  
सवधर्मप्रकाश (शंकरभट्टकृत), परशुरामप्रकाश,  
परिशिष्टप्रकाश।

प्रकाश—दे० प्रक० ७४।

प्रक्रियाञ्जनटीका—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

प्रचेतस्मृति—दे० प्रक० ४६।

प्रजापतिस्मृति—दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम प्र०  
(पृ० ९०-९८) में मुद्रित।

प्रजापद्धति—राजनीति पर।

प्रजापालन।

प्रणवकल्प—श्रीनकहृत कहा गया है। ओंकार के  
रहस्यवादी प्रभाव एव रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा।

प्रणवकल्प—आनन्दतीर्थ द्वारा।

प्रणवकल्प—(रवन्दपुराण से) टी० प्रकाश, रामचन्द्र  
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा।

प्रणवरत्न—बैकटाचार्य द्वारा।

प्रणवरत्न—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

प्रणवपरिशिष्ट—रघु० के आह्निकतत्त्व में व०।

प्रणवार्चनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रणवोपासनाविधि—अग्निहोत्रपाठक के पुत्र एवं काशी-  
पाठक के पीठ गोपीनाथ पाठक द्वारा।



प्रतापनारासिंह—भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र  
हर्षदेव द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठा (आधुनिक  
पंढर) में स० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में  
प्रणीत। उत्कार, पूर्ण, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति,  
वास्तुशास्त्र, पाकयज्ञ, प्रायश्चित्त, कुण्ड, उत्सर्ग,  
आशिविवेक पर प्रकाशों में विभक्त एक विषय  
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ०  
२२२, सं० ७००-७०३)।

प्रतापमार्तण्ड—(या श्रीप्रतापमार्तण्ड) सूर्यवज्र  
कपिलेश्वररामज पुत्रोत्तम के पुत्र, उत्कलराज  
प्रतापेश्वर गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में।  
दे० प्र० १००, नी० (जिल्द १०, पृ० २२२-२२५)।  
सम्भवतः यह श्यामपूज में उल्लिखित।

प्रतापमार्तण्ड—भाष्य के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। प्रताप-  
ेश्वर गजपति के आदेश से रचित। स्टीन (पृ० ९६)।  
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रतापेश्वरनिबन्ध—शंकरमठ द्वारा द्वैतनिर्णय में उल्लि-  
खित। सम्भवतः यह प्रतापमार्तण्ड है।

प्रतापार्थ—रत्नाकारराम गगारामपीठ, रामेश्वर के पुत्र  
'महाशब्द' उपाधिधारी, शाण्डिल्यगोत्र के विप्रे-  
श्वर द्वारा। उनके पूर्वज के जयसिंहकल्पद्रुम पर  
आधृत एवं जयसिंह के पीठ प्रताप के आदेश से  
प्रणीत। अलवर (३२८)।

प्रतिग्रहभाष्यविषयप्रकार।

प्रतिमाधान।

प्रतिमामतिष्ठा—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिमासंग्रह—चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि-  
खित।

प्रतिष्ठाकल्पलता—शुन्दावन सुबल द्वारा।

प्रतिष्ठाकौमुदी—शंकर द्वारा।

प्रतिष्ठाकौस्तुभ।

प्रतिष्ठाचिन्तामणि—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठातत्त्व—(या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।  
दे० प्र० १०२।

प्रतिष्ठादर्शन—नारायणाराम गोपाल के पुत्र पञ्चाम

द्वारा (पाण्डु०, भण्डारकर सग्रह)। त्रिपि स० सं०  
१७०६ (१७८४-५ ई०)।

प्रतिष्ठादीपिति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से।

प्रतिष्ठादिर्णय—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—अनन्तमठ (जैके बाभूषण) द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम मठ द्वारा।

नी० (जिल्द ५, पृ० १५७), पाण्डु० म० १७८५ में  
उतारी गयी।

प्रतिष्ठापद्धति—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—भद्रेश्वर मठ हर्षे द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—राधाकृष्ण द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—शंकरमठ द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रकाश—हरिप्रसादशर्मा द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रयोग—कमलाकर द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रयोग—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

परपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है।

दे० अलवर (उद्धरण ३३०)।

प्रतिष्ठातत्त्व।

प्रतिष्ठाकल्पद्धति—दिवाकर द्वारा।

प्रतिष्ठाविबेक—उमापति द्वारा।

प्रतिष्ठाविबेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्र० ९५।

प्रतिष्ठासंग्रह।

प्रतिष्ठासमुच्चय—रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०।

प्रतिष्ठासागर—बल्लालसेन द्वारा। उनके दानसागर में  
व०। दे० प्र० ९३।

प्रतिष्ठासागर—रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूष में व०।

प्रतिष्ठासागरदीपिका—पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र  
पाण्डुरंग टकले द्वारा। स० सं० १७०२ (१७८०-  
८१ ई०) में प्रणीत। बरोदा (सं० ३३३)।

प्रतिष्ठासागरसंग्रह—हेमाद्रि (दानशुभ, पृ० १३४),  
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूष द्वारा व०।

प्रतिष्ठाशुभ—नारायण भाटे के पुत्र श्यम्भक द्वारा। बरोदा  
(सं० ११०८९ बी)।

प्रतिष्ठाशुभोत्त—(दिनकरोद्घोत का अर्थ) दिनकर एवं  
उनके पुत्र विप्रेश्वर (गंगामठ) द्वारा।

प्रतिस्तरन्धप्रयोग—विवाह एव अन्य उत्तवावसर पर  
कलई में सूत्र बंधने में नियमों पर।

प्रतीगासरा—मिताशरा पर नन्दपण्डित की टी०। दे०  
प्रक० १०५।

प्रत्यपरोहप्रयोग—नारायणमठ के प्रयोगरत्न का अर्थ।

परिगल्लिप्तिविर्णय—भागद्वयस द्वारा।

प्रदीप—ग्रहुत से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता है,  
यथा आचारप्रदीप, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, सवरसर-  
प्रदीप आदि।

प्रदीप—दे० प्रक० ८०।

प्रदीपप्रदानपद्धति—देखिए महाप्रदीप०।

प्रदीपिका—भाग के दण्डविदेक में एव सरस्वतीविलास  
में व०। १४५० ई० के पूर्व।

प्रदीपविर्णय—दिण्णुमठ द्वारा (पुरुषार्थचिन्तामणि से)।

प्रदीपप्रदापद्धति—वासुदेवन्द के सिष्य बलभेन्द्र द्वारा।

प्रदीपप्रसार—वर्षक्रियाकौमुदी, आह्निकतत्त्व (रघु०  
द्वारा) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रतीत होता है।

१४५० ई० के पूर्व। टी० व्याख्यान, देवनाय की तन्त्र-  
कौमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्व। टी० गीर्वाण-  
योगीन्द्र द्वारा। टी० ज्ञानस्वरूप द्वारा।

प्रदीपप्रसारविदेक—(या भवसारविदेक) सदासिध के  
पुत्र गंगाधर महाडकर द्वारा। आठ उल्लासों में।  
पाण्डु० त्रिषि सं० १८४० (१७८३-४ ई०)। दे०  
नो० (जिल्द १०, पृ० १६२)। आह्निक, मगदसूत्रा,  
भागवतधम पर।

प्रदीपप्रामुत्सार—तजौर के राजा एकराज (एकोजि)  
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य  
किया। पूजा एव नीति में कुछ अर्थ प्राप्त हुए हैं।  
बनेल, तजौर कंठ०, (पृ० १४१ बी)।

प्रदीपप्रतिदीपिका—सातादास द्वारा। विज्ञानेश्वर,  
शनिद्वय, हेमादि, मायक, शर्वमीम, वैदनायदीक्षित  
का उल्लेख है।

प्रदीपप्रतिदीपिका—रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार।

प्रदीपप्रतिदीपिका

प्रदीपप्रतिदीपिका

प्रभाकराह्निक—प्रभाकर मठ द्वारा।

प्रमाणवर्णन।

प्रमाणपत्रसंब—नृसिंह या नरसिंह ठण्डुर द्वारा। सादार  
आदि पर परिच्छेदों में विनयत।

प्रमाणसंग्रह।

प्रमाणसारप्रकाशिका।

प्रमेयमाता।

प्रमाणद्वय—त्रिस्वलीसेतु का एक अर्थ।

प्रमाणप्रकरण—(प्रमाणप्रघट्टक) त्रिस्वलीसेतु से।

प्रमाणसेतु—अनन्तदेव के स्तुतिवैस्तुता में व०। दि-  
स्वलीसेतु का एक अर्थ।

प्रमाणकौस्तुभ—गणेशपाठक द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—बीररायव द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—सीताराम के भाई श्रीनिवास शिष्य  
द्वारा।

प्रयोगचन्द्रिका—१८ खण्डों में। पुस्तकन से श्राद्ध तक।  
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। ऋणभूषण, पञ्चानि-  
वारिका, जन्मकारिका, कपदिकारिका, दशनिर्णय,  
वामनकारिका, मुक्तीविलोचन, स्मृतिरत्नाकर का  
उल्लेख है (मद्रास गवर्नमेण्ट सं० पाण्डु०, जिल्द ७,  
पृ० २७९८, सं० ३७१३)।

प्रयोगचिन्तामणि—(रामरूपदुम का भाग) अनन्तमठ  
द्वारा।

प्रयोगचूडामणि—(मण्डारकर संग्रह में पाण्डु०) स्वरित-  
क, पुण्याहवाचन, ग्रहयज्ञ, स्याजीपाक, दुष्टरजोदहन-  
धान्ति, गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, घड़ीपूजा, नामकरण,  
चौल एव अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर।

प्रयोगचूडामणि—मित्र, नो० (जिल्द ४, पृ० २२)।

प्रयोगचूडामणि—रघु० द्वारा व०।

प्रयोगतत्त्व—शाश्वतस्य गोत्रज भानुजि के पुत्र रघुनाथ  
द्वारा। सामान्य धार्मिक कृत्यों (संस्कारों), परि-  
भाषा, स्वरितवाचन ग्रहमन्त्र आदि पर २५ तर्कों में  
काशी में प्रणीत। त्रिषि सं० सं० १५७७ (१९९६  
ई०) में रचित।

प्रयोगतत्त्व—बीररायव द्वारा। बड़ोदा (सं० १८०६)।

**प्रयोगवर्षण**—चापमठ के पुत्र मारायण द्वारा। श्रुतवेद विधि के अनुसार गृह्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त द्वारा), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त।

**प्रयोगवर्षण**—नारायण के पुत्र गोपालात्मज पणनाम दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तीर्थपूजा आदि पर।

**प्रयोगवर्षण**—रमानाय विद्यावाचस्पति द्वारा। गृह्यसूत्र के आह्निकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है।

**प्रयोगवर्षण**—वीररायण द्वारा।

**प्रयोगवर्षण**—वैदिकमार्वाभौम द्वारा।

**प्रयोगवर्षण**—अज्ञात। नो० न्यु० (जिल्द २, पृ० १९०), अन्वेषित किया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थसार के लेखक श्रीधर का उ० है।

**प्रयोगवर्षण**—प्रसादकर द्वारा (शाखायनगृह्य के लिए)।

**प्रयोगवर्षण**—मञ्जनाचाय द्वारा।

**प्रयोगवर्षण**—रामकृष्ण द्वारा।

**प्रयोगवर्षण**—विष्णु द्वारा।

**प्रयोगवर्षण**—चातुर्मास्यप्रयोग में व०।

**प्रयोगपद्धति**—गंगाधर द्वारा (वीणायनीय)। शिगम्य-कोविद (पेंजल मचनतचार्य के पुत्र) द्वारा, इने शिगम्यप्रदीप कहा जाता है। दामोदर गार्ग्य द्वारा, कर्कोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आवृत्त है एवं पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (छद्ममठ अर्थात्चित के पुत्र), आश्वलायनीय। हरिहर द्वारा (गृह्य कृत्यों पर) दो काष्ठों में, पारस्करगृह्य की टी० से सम्बन्धित।

**प्रयोगपद्धति**—कल्यायनभ्रादरभूषण से सम्बन्धित।

**प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी**—शिवराम द्वारा।

**प्रयोगपारिजात**—नरसिंह द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ४१५, सं० १३९६)। हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद (जिते सम्पादक ने नृसिंहप्रसाद भाना है) का उल्लेख है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विद्वत्स की टी० 'प्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है।

इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं मण्डारकररिण्ट टी० (१८८३ ८४, पृ० ५९) जहाँ प्रम से टी० 'प्रसाद तथा वशादली का उल्लेख है।

**प्रयोगपारिजात**—कौण्डिन्य गोपीय एव कर्णाटक के निवासी नृसिंह द्वारा। पाँच काष्ठ हैं—मस्कार, पाकयज्ञ, शाधान, आह्निक, वेणुप्रवरविर्गद पर। संस्कार का भाग नियंत्रण प्रम से मुद्रित (१९१६)। २५ संस्कारों का उ०, आश्वलायन कल्पटीप, कालदीपनाम्न किनासार कल्पदीप विद्यावर्षण, श्रीधरीय, स्मृतिभास्वर उल्लेख है हेमाद्रि एवं माय की आलोचना है। १३६० ई० एवं १४३५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्मदन यही ग्रन्थ नृसिंहप्रसाद (दानसार) एवं नारायण मठ के प्रयोग-रत्न में व० है। वीकानेर (पृ० ४३९) वे सं० १४९५ (१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है।

**प्रयोगपारिजात**—देवराज्य के पुत्र पुत्रोत्तम मठ द्वारा।

**प्रयोगपारिजात**—रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।

**प्रयोगपारिजातसारावलि**—धर्मप्रवृत्ति में व०।

**प्रयोगवर्षण**—शिवप्रसाद द्वारा।

**प्रयोगनजरीसहिता**—श्रीकण्ठ द्वारा। बड़ोदा (सं० १२९५९)।

**प्रयोगमणि**—अभयकृष्ण नारायण के पुत्र केशवमठ द्वारा।

**प्रयोगसुखावलि**—त्रिभिमूर्ति (?) त्रिपिलि द्वारा। सं० का० पाण्डु० (सं० १०२, १८७१-७२)। विद्यानेश्वर, प्रयोगपारिजात, नृसिंह, आचारमयूख का उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त।

**प्रयोगसुखावलि**—वीररायण द्वारा।

**प्रयोगरत्न**—(धा स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विद्वनाथ के पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५१५)।

**प्रयोगरत्न**—(द्विष्यकेशीय) विद्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० पीटर्बन (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १२६)। सम्भवत यह उपर्युक्त ही है।

प्रयोगरत्न—सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—सदाशिव के पुत्र केशवदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—(आश्वलायनीय) रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० १०३।

प्रयोगरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।

प्रयोगरत्न—(आश्वलायन एवं शौनक के अनुसार) नारायण भट्ट के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० ई० के बीच।

प्रयोगरत्न—भट्टोजि द्वारा। सं० प्रा० (सं० ३१३१)।

प्रयोगरत्न—(स्मार्तप्रयोगरत्न) महादेव वंशम्पायन के पुत्र महेश द्वारा। सत्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी में प्रणीत; स० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की प्रशंसा की गयी है। पड़ोदा, पाण्डु० (सख्या १६२६) तिथि १८४४ स० (१७८७-८)।

प्रयोगरत्न—महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)।

प्रयोगरत्न—आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—हरिहर द्वारा।

प्रयोगरत्नभूषा—रघुनाथ नवहस्त द्वारा। बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० १८५)।

प्रयोगरत्नमाला—श्रीशम्भुदास द्वारा।

प्रयोगरत्नमाला—आपदेवभट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, जो चिरवाहन ब्राह्मण थे। विष्णुवादिसंबंदेवप्रतिष्ठा पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७९० के बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्काररत्नमाला भी है।

प्रयोगरत्नमाला—गुरुश्रीतम विद्यावागीश द्वारा।

प्रयोगरत्नसंस्कार—प्रेमनिधि द्वारा।

प्रयोगरत्नसंग्रह—संस्कारमूल में व०।

प्रयोगरत्नकार—दे० ऊपर दयाचकरकृत प्रयोगदीप।

प्रयोगरत्नकार—(मैत्रायणीयों के लिए) यशवन्त भट्ट द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३६५)।

प्रयोगरत्नारत्नी—चिदानन्द ब्रह्मयोगेश्वरदी के विष्णु परमानन्द वन द्वारा। सम्प्रवदः श्रौत कृत्यों पर।

प्रयोगलाघव—महादेव के पुत्र विठ्ठल द्वारा।

प्रयोगसंग्रह—रामनाथ द्वारा।

प्रयोगसागर—नारायण आरठ द्वारा। १६५० ई० के उपरान्त। इन्हीं गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है।

प्रयोगसागर—विट० एव कीय (जिल्द २, पृ० ९७)। ८ काण्डों में।

प्रयोगसागर—नारायण के पुत्र वृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। इसे वृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसागर भी कहा जाता है।

प्रयोगसागर—(बीधायनीय) केशवस्वामी द्वारा। वैदिक यज्ञा पर। नारायण एव भवस्वामी के नाम आये हैं, त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०।

प्रयोगसागर—(आपस्तम्बीय) श्यामभट्ट द्वारा।

प्रयोगसागर—(कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भर्तृहरि, वासुदेव, रेणु, ककं, हरिस्वामी, माधव, पद्मनाभ, गदाधर, हरिहर, रामपदति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है।

प्रयोगसागर—लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह गृह्याग्निसागर एव प्रयोगसागर ही है।

प्रयोगसागर—निजानन्द द्वारा।

प्रयोगसागर—गोबुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बालकृष्ण द्वारा।

प्रयोगसागर—दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागा भट्ट) द्वारा। पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर।

प्रयोगसागर—शिवप्रसाद द्वारा।

प्रयोगसागरशक्ति—धर्मप्रवृत्ति में उल्लिखित।

प्रयोगसागरपूष—कुमारस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, संस्कार, आह्निक, प्रायश्चित्त पर।

प्रयोगसागरसमुच्चय।

प्रयोगशर्त्त—श्रीदुर्गाश्री के वैद्यनाथ-पुत्र कनकसमापति द्वारा। यह लेखक की कारिकायन्त्री पर टी० है।

प्रवरकाण्ड—(आश्वलायनीय) गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बक में पी० चन्द्रसारदा द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००)।

टी० नारायण द्वारा।

प्रवरत्नस्य—(आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी द्वारा  
(कुम्भकोपम् में १९१४ में एव मैसूर में १९००  
ई० में प्रका०)।

प्रवरत्नस्य—(एक प्रश्न में वसानस)।

प्रवरवचन—शास्त्रलिक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक  
ग्रन्थ। दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २२५,  
सं० ७०७)। २५वें श्लोक के पश्चात् का अर्थ नहीं  
मिलता।

प्रवरवर्षण—कमलाकर द्वारा। इष्टे गोत्रप्रवरनिर्णय  
भी कहा जाता है। पी० चैतसालराव द्वारा सम्पादित  
गोत्रप्रवरनिर्णयक दम्बक मे प्रका०। मैसूर, १९००।

प्रवरवीथ—(या प्रवरप्रदीप) प्रवरवीथिका में व०।

प्रवरवीथिका—इच्छाशैव द्वारा। प्रवरमञ्जरी, स्मृति-  
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त।

प्रवरनिर्णय—विश्वार्थ से।

प्रवरनिर्णय—भास्करनिकाण्डमण्डन द्वारा। कलकत्ता सं०  
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ६९ सं० ६५)।

टी० रामनन्दी द्वारा।

प्रवरनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। गोत्रप्रवरनिर्णय भी  
नाम है।

प्रवरनिर्णयवाक्यमुष्णार्णव—विश्वनाथदेव द्वारा।

प्रवरमञ्जरी—दे० गोत्रप्रवरमञ्जरी। नृसिंहप्रसाद में  
व०।

प्रवरविचरण—प्रवरवीथिका में उल्लिखित।

प्रवराम्नाय—अधिकांश श्रीतसूत्रों में प्रवर पर एक  
प्रकरण है।

प्रवराम्नाय—मानवश्रीत का भाग (बी० बी० आर०  
ए० एस्०, जिल्द २, पृ० १७७)।

प्रवराम्नाय—अणस्त्र का कहा गया है। गोत्रों एव प्रवरों  
पर।

प्रवराम्नाय—लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति द्वारा।  
११७०-१२०० ई० के लग०।

प्रवराम्नाय—भृगुदेव लिखित कहा गया है।

प्रवराम्नाय—लौगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन  
का ११वाँ परिशिष्ट।

प्रवराम्नाय—विश्वनाथ कवि द्वारा।

प्रवराम्नाय—विष्णुधर्मोत्तर से।

प्रवराम्नाय—स्मृतिदर्पण से।

प्रवासाङ्कत्य—रामचन्द्र के पुत्र गंगापर द्वारा। स्तम्भ-  
तीर्थ (आधुनिक सम्भार) में प्रणीत। सं० १६६३  
(१६०-६७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत  
सांनिक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर।

प्रस्तावपरिष्कार।

प्रस्तावपरिष्कार—युधोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा  
गदापत्तन में वीरसिंह के आश्रम में सं० १६१४  
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योति शास्त्र  
आदि विषयों पर पद्य में।

प्रज्ञावसंहिता—(बल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न  
में व०।

प्राचीन पदवीति—(अभिनव पदवीति के विरोध में)।  
दे० 'पदवीति'।

प्रातःकृत्य।

प्रातःपूजाविधि—नरोत्तमदास द्वारा (चतुर्थ के अनु-  
यायियों के लिए)।

प्रायश्चित्तकर्म—(या निर्णय) गोपाल न्यायपञ्चानन  
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तर्कपञ्चानन के  
बन्तों का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०,  
पृ० ११९)।

प्रायश्चित्तकर्मस्य सारसंग्रह—काशीनाथ नर्कालकार  
द्वारा। शूलपाणि, मदनपरिष्कार, नव्यद्वैतनिर्णय-  
कृष्णरशेखर के मत व० हैं। नो० न्यु० (पृ०  
२३३-३५)।

प्रायश्चित्तकर्मसागर—कमलाकर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तकर्मस्य तद—कल्पत वा एक अर्थ।

प्रायश्चित्तकाण्ड—वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय  
भाग।

प्रायश्चित्तकारिका—गोपाल द्वारा। बीषायनसूत्र पर  
आधारित। सायण के पहले।

प्रायश्चित्तकुतूहल—कृष्णराम द्वारा।

प्रायश्चित्तकुतूहल—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तसुहृह—गणेशभट्ट के पुत्र एव अनन्तदेव के शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हल्स (३, पृ० ५६)। श्रौत एव स्मार्त प्रायश्चित्तो पर। लग० १६६०-१७०० ई०।

प्रायश्चित्तसुहृह—रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, पृ० १९७)।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उक्त प्रायश्चित्तविवेक) कृष्णदेव द्वारा। गीसा द्वारा।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) रामकृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—रामेश्वर के पुत्र महादेवारमज दिवाकर द्वारा। रामेश्वर की उपाधि 'काल' है।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—भैरालक्ष के रमापति द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—राधाकान्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—विश्वनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर का प्रायश्चित्तचन्द्रिका में एव स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

प्रायश्चित्ततत्त्व—रघुनन्दनद्वारा। दे० प्रक० १०२।

जीवादा द्वारा प्रका०। टी० कारीनाथ तर्कालवार द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० राधा-मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में मुद्रित, १८८९), लेखक कोलभुक्त का मित्र, चैतन्य का अनुयायी एवं अद्वैतवचन था। टी० आदर्श, विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—ब्रह्मदेव ने प्रतापनारायण द्वारा व०। १७०० ई० के पूर्व।

प्रायश्चित्तदीपिका—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—राम द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—वैद्यनाथ के पुत्र लोचनाथ द्वारा (उन्ने सबलागमसंग्रह से)।

प्रायश्चित्तदीपिका—वाहिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तनिरूपण—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३।

इसे प्रकरण भी कहा गया है।

प्रायश्चित्तनिरूपण—रिपुञ्जय द्वारा। कलकत्ता में बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तनिर्णय—गोपाल न्यायपचानन द्वारा। रघु० के ग्रन्थ का सार।

प्रायश्चित्तपटल।

प्रायश्चित्तपद्धति—कामदेव द्वारा। पाण्डु० सन् १६६९ में उतारी गयी। औफस्ट (२९३ ई०)।

प्रायश्चित्तपद्धति—हेमाद्रि के पुत्र जम्बूनाथ समाधीश द्वारा। चार पटलो में।

प्रायश्चित्तपद्धति—सूयदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—गणेशमिश्र महामहोपाध्याय द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का उल्लेख है। नो० (जिल्द ६, पृ० ३००)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—स्टीन (पृ० ९६, ३१०)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भवदेव बालबलभीभुजग द्वारा। दे० प्रक० ७३।

प्रायश्चित्तप्रकरण—रामकृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकाश—बलभद्र के पुत्र प्रद्योतनभट्टाचार्य का।

प्रायश्चित्तप्रदीप—स्मृतिकीर्तुम (तिपि पर) द्वारा उल्लिखित।

प्रायश्चित्तप्रदीप—नेत्रभट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—गोपालसूरि द्वारा। धीकानेर (पृ० १३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि गोपालसूरि बौधायनश्रौत के एक भाष्यकार हैं, जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता है।

प्रायश्चित्तप्रदीप—मन्ववश के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ स० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० १४९०)।

प्रायश्चित्तप्रदीप—वैद्यनाथीश के शिष्य वरदाधीशयज्वा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रत्नसेठ श्रीनिवासेदीक्षित के पुत्र राजबुडामणि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रानधर्मा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—राहिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—मन्नाय के पुत्र चक्रमिश्र द्वारा।  
ये वर्षमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण में।

प्रायश्चित्तप्रदीपिका—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा (यह प्रायश्चित्तनतद्वयो ही है)। श्रौतवृत्या में प्रायश्चित्ता पर।

प्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोग—इन्द्रबक द्वारा। नो० (जिल्द १०, १६४), आश्विनयन पर आधारित।

प्रायश्चित्तप्रयोग—दिवानर द्वारा। दे० 'स्मान्नाय-द्विचक्षणयोग'।

प्रायश्चित्तप्रयोग—लगात्री बागलकर द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोगरत्नमाला—स्मृत्युपसंसार, त्रिणाण्ड-मण्डल, प्रदीप, वेदवीकार का उ० है।

प्रायश्चित्तसंज्ञरी—महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट की। स्टीन (पृ० ७६) में विरचनकाल शक स० १७३६ लिखा है।

प्रायश्चित्तमनोहर—कृष्णमिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा वैशम्पति के विषय मुरारिमिश्र।

प्रायश्चित्तमयूख—नीलमण्ड वृत्त। दे० प्रक० १०७। धरपुरे द्वारा प्रका०।

प्रायश्चित्तमार्तण्ड—मार्तण्डमिश्र वृत्त। मित्र, नो० (जिल्द ७, पृ० स० २२५२, एक स० १५४४ अर्थात् १६२२-२३ ई०)।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा (उनके धर्मशास्त्रसुधादिधि या अण)। लेखक के पुत्र वैशम्पति द्वारा अनुक्रमणी।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—रामचन्द्र भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्न—बमलाकर भट्ट द्वारा। सूत्रकमलाकर में व०।

प्रायश्चित्तरत्नमाला—रामचन्द्र दीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्नाकर—रत्नाकर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तसहस्य—दिनकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तवारिधि—भवानन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि एवं माधव का उल्लेख है।

प्रायश्चित्तविधि—वसिष्ठस्मृति से।

प्रायश्चित्तविधि—शौनक वृत्त बढ़ी गयी है।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव वृत्त।

प्रायश्चित्तनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तनिर्णय—पराधर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तविधेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

बंडोरा (स० १०८४९, म० १५०१, अर्थात् १४४४-४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० तत्त्वार्थ-कौमुदी, गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० कौमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा। टी० निगूड-प्रवाशिका, नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १११)।

प्रायश्चित्तविधेक—श्रीनाथवृत्त। लग० १४७५-१५२५ ई०।

प्रायश्चित्तविधेकोद्घोत—मदनरत्न का एक अंश। दे० प्रक० ९४।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप—चिन्तामणिन्यायालकारभट्टा-चाय द्वारा। नो० (जिल्द ४, स० १५८०)। इन्होंने तिथि, व्यवहार उद्वाह, श्राद्ध, द्राय पर भी 'संक्षेप' लिखा है। पाण्डु० तिथि शक स० १९११।

प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह—मोहनचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासार—अमृतनाथ द्वारा।

प्रायश्चित्तनतद्वयो—भास्कर द्वारा। चार प्रकरणों में। नि० सि०, रघुनाथ के प्रायश्चित्तकुतूहल, भाषि-प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व। स० टी० बँकटेश राजपेयदाजी द्वारा; पाण्डु० तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (पृ० ३११)।

प्रायश्चित्तसारासंधीकारिका—गोपाल स्वामी द्वारा  
(बोधायनीय)।

प्रायश्चित्तसंक्षेप—गोविन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तसंक्षेप—चिन्तामणि न्यायालङ्कार द्वारा।

सम्भवतः यह उपर्युक्त प्रायश्चित्तग्रन्थसामक्ष्यही है।

प्रायश्चित्तसंग्रह—कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। नो०  
न्यु० (१, पृ० २३९)।

प्रायश्चित्तसंग्रह—देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है  
कथा के महाराज चेतसिंह के लिए लिखित,  
१७७०-१७८१ ई०।

प्रायश्चित्तसंग्रह—नारायण भट्ट द्वारा। दलपाणि रघु०,  
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है अतः १६०० ई० के  
उपरांत। प्रायश्चित्त की परिभाषा या दो हुई है—  
'पापक्षयमात्रकामनाज यकृतिविवय' पापक्षयसाधन-  
कम प्रायश्चित्तम्।'

प्रायश्चित्तसंक्षेप—देवेश्वर के पुत्र सदाराम द्वारा।

प्रायश्चित्तसमुच्चय—त्रिलोचनशिव द्वारा।

प्रायश्चित्तसमुच्चय—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तसार—श्याम्भकभट्ट मोल्ह द्वारा।

प्रायश्चित्तसार—दलपति द्वारा (नृसिंहसदस्य का अर्थ)।  
द० प्र० १९।

प्रायश्चित्तसार—भट्टोजि दोशित द्वारा। जयसिंह-  
कलादुम द्वारा व०।

प्रायश्चित्तसार—श्रीमदाउषा मुकुल दोशित द्वारा।  
प्रतापनारायणसिंह मेव०। दे० बो० बो० आ० ए० ए०  
(पृ० २२४)।

प्रायश्चित्तसार—हरिराम द्वारा।

प्रायश्चित्तसार—मादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मृतिसार से।  
नो० न्यु० (१, पृ० २४०), पाण्डु० तिथि १६१३  
(१६९१ ई०)।

प्रायश्चित्तसारकौमुदी—बनमाली द्वारा। नो० न्यु०  
(जिल्द ९, पृ० ५८)।

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—आनन्दचन्द्र द्वारा। नो० न्यु०  
(जिल्द ३, पृ० १२६)।

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—नागोजिभट्ट द्वारा। दे० प्र० ११०।

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—रत्नाकर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तसारसंक्षेप—बृहन्नारदीयपुराण का एक अर्थ।

प्रायश्चित्तसुधानिधि—मादण के पुत्र एव माधवाचार्य  
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र० ९२।

प्रायश्चित्तसुबोधिनी—श्रीनिवासरामजी द्वारा (आप  
स्तम्बीय)।

प्रायश्चित्तसंक्षेप—सदाराम द्वारा।

प्रायश्चित्तसाम्नाय—महाराजसहस्रमल्ल क्षीपति के पुत्र  
महादेव के निबन्धसवरत्न का तृतीय अध्याय। इण्डि०  
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)।

प्रायश्चित्तानुक्रमणिका—चैतनाय दोशित द्वारा।

प्रायश्चित्तानुशेखर—शिवभट्ट एव सती के पुत्र नागोजि-  
भट्ट द्वारा। दे० प्र० ११०, पाण्डु० (नो०, जिल्द  
५, पृ० २३) की तिथि स० १८४८ (१७८१-८२  
ई०) है।

प्रायश्चित्तानुशेखरसारसंग्रह—शिवभट्ट एव सती के पुत्र  
नागोजि द्वारा। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)।

प्रायश्चित्तसोद्घोष—दिनकर द्वारा। दिनकरोद्घोष का  
अर्थ।

प्रायश्चित्तसोद्घोष—मदनसिंह देव द्वारा (मदनरत्न का  
अर्थ)। दे० प्र० ९४।

प्रायश्चित्तसोद्घोष—महादेव के पुत्र दिवाकर ('काल'  
उपाधि) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मार्तप्रायश्चित्त  
एव स्मार्तनिष्कृतिपद्धति)। बडोदा (स० १३३४,  
१५४३ एव १६६३)।

प्रायश्चित्तसौधसार—अपररायो को चार शीपको में बाँटा  
गया है—पौर, महापराय, मघनीय (क्षान्त्य) एवं  
लघु (और इनके प्रायश्चित्त पर)।

प्रासाददीपिका—जटमल्लविलास द्वारा व०। १५००  
ई० के पूर्व।

प्रासादप्रतिष्ठा—नृहरि ('पण्डरपुर' उपाधि) द्वारा।  
प्रतिष्ठामयूत एवं मत्स्यपुराण पर आधारित।  
भद्रकमरसंग्रह में पाण्डु० सा० सं० १७१४ में उतारी  
गयी। नि० सि० एवं रामबाजपेयी का उल्लेख है।

प्रासादप्रतिष्ठा—भागुनिमिश्र द्वारा।



प्रासादप्रतिष्ठावीथिति—(राजधर्मकीस्तुति वा अंश) अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९।

प्रासादविषयप्रतिष्ठावीथिति—कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० १०६।

प्रेतकल्पनिर्णय।

प्रेतकल्पनिर्णय—अज्ञात।

प्रेतप्रवीपका—गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा।

प्रेतप्रवीप—वृष्णमित्राचार्य द्वारा।

प्रेतमञ्जरी—दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि १७०७ ई० है।

प्रेतमञ्जरी—(या प्रेतपद्धति) चातुमित्र द्वारा। अलवर (सं० १४०३)।

प्रेतमुक्तिदा—श्रीमराज द्वारा।

प्रेतभाद्रव्यवस्थाकारिका—स्मार्तवागीश द्वारा।

प्रीडमताम्रभारतखण्ड—(या कालनिर्णयसंग्रह) प्रतापहरदेव द्वारा। दे० प्रतापमार्तण्ड।

फलप्रवीप—जुसिह के प्रयोगपरिजात में उल्लिखित। सम्भवतः केवल उपोत्तिग्रन्थ है।

कलाभिवेक।

कालस्मृति—परानरमाधवीय मे व०।

कालदेवाङ्किक—महामारत से मगूहीत।

कहिन्याससूत्र।

कहिर्मातुका।

कहिर्पाणपूजा।

कङ्क, ककारिका—नि० सि० मे व०।

कङ्क, कर्मप्रयोग—(शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द १०, पृ० ५)।

कङ्क, कण्टकारिका—शाकलाचार्य द्वारा। दे० बर्नेल, तर्जोर कॅटलाग (पृ० १४ बी)। यह उपर्युक्त ही है। समयमूल मे व०।

कङ्क, कण्टपरिशिष्ट—हेमाद्रि, रघु० एव नि० सि० मे उल्लिखित।

कङ्क, कथाप्रयोग।

कङ्क, कथोद्देशकर्ममन्त्रविवरण।

कङ्क, कसन्ध्यापद्धतिभाष्य।

कङ्क, काङ्किक—रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा। उसके प्रायश्चित्तरत्न का उ० है।

काङ्क, काङ्किकस्मृति—प्रायश्चित्तमूल एव नीतिवाक्यामृत की टी० मे उल्लिखित।

काङ्क, काङ्किकस्मृतिविधान।

काङ्क, काङ्किकस्मृति—हेमाद्रि द्वारा व०।

काङ्क, काङ्किकसंहिता—गर्भाधान, पुनवन, उपनयन एव अन्य संस्कारों के मूहनों तथा शकुनो पर। शीरमित्रादय (लक्षणप्रकाश, पृ० ३५६) ने गद्य एक पद्य मे हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है।

काङ्क, काङ्किकस्मृति—गजाद स० सी० मे प्रना०। नीतिसर्वस्व नाम भी है।

काङ्क, काङ्किक—आनन्दचन्द्रकृत। प्रायश्चित्त पर ४६ प्लोको मे।

काङ्क, काङ्किकविषयसर्वस्वता।

काङ्क, काङ्किक—लक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एव प्रायश्चित्त पर। चरपुरे द्वारा प्रका०। चरपुरे ने व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रक० १११।

काङ्क, काङ्किक—जुसिहप्रमाद (दानसार) मे व०।

काङ्क, काङ्किकविषयपद्धति—शास्तामनमूलसूत्र पर।

काङ्क, काङ्किकस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।५८) द्वारा व०।

काङ्क, काङ्किक—रघु० द्वारा उल्लिखित।

काङ्क, काङ्किक—सम्भुजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र)। १६८० १६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवर्न-मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा प्रका०।

काङ्क, काङ्किक—एक पृ० का (पद्य मे) निबन्ध। उ० का० पाण्डु० (सं० २०७), १८८१-८२ एव सं० १४५, १८९५ १९०२)। धर्म को 'श्रेयोम्युदयसाधन' कहा गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, पञ्चमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हविष्यज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण नियमों चारों वर्षों, वानप्रस्थ, यति एव राजधर्म के कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।३। ७४६)। इण्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ३८६)।

यह प्रायश्चित्तमूल्य से ३० है। दे० प्रक० २५।  
टी० हरिराम द्वारा।

बुधाष्टमी।

बुधाष्टमीव्रतकाष्ठमिष्यं।

बुधाष्टमीव्रतोद्याय—रटीन (पृ० ९६)।

बृहस्पतिविकेठ—गोरीनाथ कवि द्वारा। बडोदा (सं०  
१७०५)।

बृहस्पाराक्षरस्मृति—जीवानन्द (भाग ३, पृ० ५३३०९)।

बृहस्पतिहोला—ध्यास ६ रा।

बृहस्पत—आनन्दाभक्त (पृ० ९९-१०७)।

बृहद्वलाकर—वाभनभट्ट द्वारा।

बृहद्वाजमार्तण्ड—मलमासतत्त्व एव संस्कारतत्त्व मे रघु०  
द्वारा व०।

बृहद्वसिष्ठस्मृति—मिताक्षरा, मदन०, हलानुप द्वारा उ०।

बृहद्विष्णुस्मृति।

बृहद्व्यास—मिता० द्वारा व०।

बृहस्पतिशान्ति—अनन्तदेव वृत्त सत्स्वारकौस्तुभ से।

बृहस्पतिस्मृति—दे० प्रक० ३७। जीवा० (भाग १, पृ०  
६४४-६५१) एव आनन्दा० (पृ० १०८-११५)। टी०

हेमाद्रि (परिचोपखण्ड, बाल०, पृ० ३९९) मे व०।

बंजवाप (या पि) गृह्य—मीमांसामुत्र (१।३।११) के  
तत्रवातिव मे कुमारिलभट्ट<sup>२</sup> द्वारा व०, यथा—

'आश्वलायनव भूत्र बंजवापिका तथा।'

बंजवापिस्मृति—अनारक (शुभ मूर्तिवा एवं गण्डन  
के विषयक श्लोको मे) द्वारा व०।

बंजवापायन—हेमाद्रि द्वारा व०।

बोपणभट्टीय—इमकीटीवा माधवमुनि द्वारा लिखित है।

बौधायनगृह्य—मंसूर मे प्रका० (डा० नामशास्त्री द्वारा  
सम्पा०), गृह्य के चार प्रश्न, गृह्यमूत्रपरिभाषा पर

दो, गृह्योप पर पाँच, पितृमेघमूत्र पर तीन एव  
पितृमेघदीप पर एक प्रश्न। यह बौधायनगृह्योप-

मूत्र (२।६) है, जिसमे पुत्रव्रतिगृह (गोद लेने) पर  
एक वचन है जो वसिष्ठवर्ममूत्र से बहुत मिलता है।

टी० पूरणव्याख्या, अष्टावकलिखित। टी० भाष्य  
(शिष्टिभाष्य), हुल्ल (२, सं० ६६८)।

बौधायनगृह्यकारिका—कनकसभापति द्वारा।

बौधायनगृह्यपद्धति—केशवस्वामी द्वारा।

बौधायनगृह्यपरिशिष्ट—हाटिङ्ग द्वारा सम्पा०।

बौधायनगृह्यप्रयोगमाला—बौण्ड या चाउण्ड के पुत्र  
राम द्वारा। बल्लवर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार  
का उल्लेख है।

बौधायनगृह्यप्रामादिषत्सूत्र।

बौधायनमतति—गृह्य वर्मों पर।

बौधायनधर्मसूत्र—दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५-  
४८४) एव मंसूर ग० सं० सी०। टी० पोद्विन्स्वामी  
द्वारा (बड़ी, मंसूर)। टी० धमल, परमेस्वर परि-  
भाषक द्वारा।

बौधायनमतग्रह।

बौधायनस्मार्तप्रयोग—कनकसभापति द्वारा। हुल्य  
(रिपोर्ट २ न० ६७२)।

बौधायनस्मृति।

बौधायनार्हिक—विद्यापति द्वारा।

बौधायनीयपरिशिष्ट—रघु० के आह्निकतत्त्व द्वारा।

ब्रह्मगर्भस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपराके  
एव स्मृतिव० द्वारा व०)।

ब्रह्मचारिक्रमलोपप्रायश्चित्तप्रयोग—बी० बी० आर०  
ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४६)।

ब्रह्मव्रतभाष्य—रघु० के शुद्धितत्त्व मे व० एव कल्पत  
द्वारा उ०, अत ११०० के पूर्व। यह शास्त्रायनगृह्य

पर टी० प्रतीत होनी है।

ब्रह्मप्रकाशिका—(संख्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के  
पुत्र वनमालिमिश्र द्वारा।

ब्रह्मपत्रशिरोरस्त—नरसिंह द्वारा।

ब्रह्मसत्कारमञ्जरी—नारायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि-  
भाष्य, उषटभाष्य, पारस्करगृह्यभाष्य मे व०।

ब्रह्मीवनप्रामादिषत्—बडोदा (सं० ६७८९ डी)।

ब्राह्मणपद्धति।

ब्राह्मणतत्त्व—हलानुप द्वारा। दे० प्रक० ७२।  
कल्पता न १८९३ ई० एव बनारस मे प्रका०।

ब्राह्मण्यस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७) मे व०।

भक्तिप्रमाण्य—रघुनन्दन द्वारा। सम्भवत प्रतिज्ञ रघु-  
नन्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नो० न्यू० (१, पृ०  
२५१)।

भक्तिप्रकाश—आठ उद्योगों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा।

भक्तिमार्गमर्यादा—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिमार्गसंग्रह—बलभद्रप्रदाय के लिए।

भक्तिरत्नाकर—शिवदास के पुत्र द्वारा।

भक्तिरसामृतसिन्धु—सनातन द्वारा। १४६३ शकसं०  
(१५४१-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तिजगण्व में  
व०। टी० जीवहृत 'दुर्गसंगमनी'।

भक्तिरसार्णव—कृष्णदास द्वारा।

भक्तिरहस्य—मीमनाथ द्वारा।

भक्तिवर्षावनी—बल्लभाचार्य द्वारा।

भक्तिविवेक—श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय  
के लिए)।

भक्तिहंस—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिहेतुनिर्णय—विठ्ठलेश्वर। टी० रघुनाथ द्वारा।

भगवत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा  
व०।

भगवद्दर्शनविधि—रघुनाथ द्वारा।

भगवद्भक्तिनिर्णय—(या भगवद्भक्तिविवेक) आप-  
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्र० १०९।

भगवद्भक्तिरत्नावली—विष्णुपुरी द्वारा काशी में  
प्रणीत। लेखक मैथिल थे। टी० कान्तिमाला,  
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में  
प्रणीत। भण्डारकर (सन् १८८७-९१ ई०)।

भगवद्भक्तिरसायन—मधुसूदन सरस्वती द्वारा।

भगवद्भक्तिविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट  
द्वारा। २० विलासों में, वैष्णवों के लिए। गदगधर  
के बालसार में व०। टी० (कलकत्ता में सन् १८४५  
में प्रका०)।

भगवन्तभास्कर—(या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा।  
१२ मयूखों में विभक्त। दे० प्र० १०७। सम्पूर्ण  
प्रका० (बनारस, १८७९-८०)।

भट्टकारिका—नि० सि० में व०।

भरद्वाजस्मृति—दे० प्र० २७। टी० बालभट्ट द्वारा।  
भर्तृहरिसंहगमनविधि।

भल्लाटासंग्रह—नि० सि० (जन्मसप्तमकाल पर) में व०।  
सम्भवत केवल ज्योतिष पर।

भववेदानिबन्ध—प्रायश्चित्तमयूख में व०। सम्भवत  
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तविष्णु। दे० प्र० ७३।

भस्मकरीयप्रकाश।

भस्मशाखावली।

भापविवेक—(धनभागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम-  
जित् द्वारा। टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा।  
मिताक्षरा पर आधुन।

भारद्वाजगत्यंभारनयप्रतिषेधशास्त्र—भारद्वाज एव  
गार्ग्य गार्ग्य बाला न विवाह न नियम पर।

भारद्वाजगृह्य—शंकरन म ३।० पृ० ७०० मालमल  
द्वारा सन् १०। टी० कर्पादिस्वामी द्वारा। टी० गृह्य-  
प्रयोगवृत्ति, भट्टराज द्वारा।

भारद्वाजधातुकाण्डव्याख्या।

भारद्वाजसंहिता—२० भागद्वाजस्मृति।

भारद्वाजस्मृति—इत पर महादेव एव वेणों के पुत्र  
वेदनाथ पाथगुण्टे (नागनाथ के शिष्य) की टी० है।  
दे० प्र० १११।

भारद्वागीयभाष्य—त्रिकाण्डमण्डन में भास्करद्वारा व०।  
यह मम्मत्त भारद्वाजगृह्य पर कर्पादभाष्य है।  
हरिहर द्वारा पाश्चात्तन्त्रमूखभाष्य में व०।

भागवार्धनचन्द्रिका—तावनिर्णय में भट्टाजि द्वारा व०।

भागवार्धनदीपिका—नि० सि० एव रामानुजम में व०।

भागवार्धनदीपिका—भावाजी (या स्वामी) या पताप-  
राज द्वारा। अलवर (उत्तर ६४८)।

भाविप्रायश्चित्त—(या भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्रक-  
रण) अज्ञात, मायवाचार्य द्वारा व०। बी० बी०  
आर० ए० एम० (जिद २, पृ० १९७)।

भाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि (२।१।१३६०, जहाँ एक उप-  
जति छन्द में कर्पादी वा जलेश्वर ८), र्मुनिचन्द्रिका  
(आशीष पर), माधव (कालानुगत म) द्वारा व०।  
१०००-१२०० ई० में वीव।

भास्कराह्निक।

मिश्रतत्त्व—महादेवतीर्थ के सिष्य श्रीकण्ठीयं द्वारा।

यतिधर्म एक अन्य सन्यासग्रहणार्थी लोगो के कर्तव्यो पर। नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० २६०)।

भीमपराक्रम—गोविन्दानन्द की सुद्धिकीमुदी में, श्राद्ध-सौख्य (टोडरानन्द) एक तिपितत्त्व में व०। यह ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है।

भुक्तिबीषिका—ग्रहण के पूर्व भोजन करने के धर्म पर।

भुक्तिप्रकरण—कमलाकर द्वारा।

भुजबसभीम—भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। सुल-पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। ज्योतिष-ग्रन्थ।

भूतशुद्धि—श्रीफोस्ट का लिपिडिग कंटलाग (सं० ५३८)।

भूतशुद्धिपात्रिप्रणतिष्ठा—श्रीफोस्ट (सं० ५३७)।

भूपालहृत्पत्रमुष्णय—षण्डेश्वर के हृत्पत्रलाकर (पृ० ४९९) में व०। सम्भवतः यह भोज धारेश्वर का ग्रन्थ है।

भूपालपद्धति—कुण्डाहति में व०।

भूपालवस्त्रम्—परसुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष (फलित), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश, नि० सि०, निर्णयदीपक, बालनिर्णयसिद्धान्तव्याख्या में व०।

भूपतिमाहात्म्य।

भुमुस्मृति—विश्वरूप, श्रीभूतवाहन (कालविवेक), मिताक्षरा, अपरार्क द्वारा व०।

भैरवार्चापरिजात—त्रैत्रसिंह द्वारा।

भैरवार्चापरिजात—श्रीनिवेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज के सिष्य श्रीनिवासमठु द्वारा।

भ्रष्टवैजयसम्पन्न—श्रीधर द्वारा।

भक्त्यर्थप्रकाश—हरिद्विष्णु सिद्धान्त द्वारा। आह्निक, संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पृ० ४१६) की तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)।

भङ्गसन्निर्णय—केचव र्वैतन के पुत्र गणेश द्वारा। उप-नयन, विवाह आदि के हृत्यो पर।

भञ्जरी—बहुत-से ग्रन्थो के नाम के अन्त में आती है, यथा—गौत्रप्रवरभञ्जरी, स्मृतिभञ्जरी (गोविन्द-राज हृत)।

भठप्रतिष्ठातत्त्व—रघुनन्दनहृत। दे० प्रक० १०२।

भठान्नायाविधिघाट—शकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख सात भठों के धार्मिक हृत्यो पर। नो० (जिल्द १०, २५६) एवं स्टीन (पृ० ३१२)।

भठोत्सर्ग—जमलाकर द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३७७-७२)।

भठोत्सर्ग—माग्निदेव द्वारा (सें० प्रा० (सं० ३७७)।

भणिभञ्जरीच्छेदिनी।

भण्डपकर्तव्यतापूजापद्धति—शिवराम सुबल द्वारा।

भण्डपकुण्डमण्डन—नरसिंहमठु सप्तार्थि द्वारा। टी० प्रवा-शिका (लेखक हृत)।

भण्डपकुण्डसिद्धि—वरसर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा।

सं० सं० १५४१ (१६१९-२० ई०) में कारी में प्रणीत। विवृति (लेखक द्वारा); कुण्डकीमुदी, कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम-वाजपेयी के उल्लेख हैं।

भण्डपनिर्णय—उत्सर्गमपूत्र में उल्लिखित।

भण्डपप्रकरण।

भण्डपोद्घासनप्रयोग—धरणीधर के पुत्र द्वारा।

भण्डलकारिका—श्रीफोस्ट (सं० ६४७)।

भण्डलदेवतास्थापन—श्रीफोस्ट (सं० ६४८)।

भतपरीक्षा।

भतोद्धार—शकररचण्डित द्वारा।

भपुरासेतु—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति-कौस्तुभ में व०। दे० प्रक० १०१।

भदनपरिजात—भदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर मठु द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३।

भदनमहार्णव—दे० 'महार्णव'।

भदनरत्न—(या भदनरत्नप्रदीप) भदनसिंहदेव का कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उज्जयिन ३३६, -समयोद्घोत का) बड़ोदा (सं० ४०३५, सुद्धि पर, सं० १५५१, १५५५-६ ई०); इतमें

लेखक का नाम भट्ट विरवनाथ श्रीमालिगुर्जर है।

मधुपर्कनिर्णय।

मधुपर्कपट्टिनिर्णय।

मध्यमांगिरसस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।२४३, २४७, २५७, २६०) में व०।

मन्वाह्निकः।

मनुस्मृति—(या मानवधर्मशास्त्र) दे० प्रक० ३१।

टी० मन्वर्यमुक्तावली, कुल्लुकभट्ट द्वारा, दे० प्रक०

८८, यह वारेन्द्रो (बंगाल में राजवाही) के निवासी

दे। टी० मन्वाशमानुसारिणी, गोविन्दराजद्वृत

(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०); देखिए प्रक०

७६। टी० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा, पश्चात्-

कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)।

टी० मन्वर्यचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा।

१४०० ई० के पश्चात् (वी० एन० माण्डलिक द्वारा

प्रका०)। टी० मुक्तावली, मणिरामदीक्षित (गंगा-

राम के पुत्र) द्वारा (स्टीन, पृ० ९८)। टी० मन्वर्य-

विवृति, नारायणसर्मग द्वारा; ११००-१३०० ई०

के बीच (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)।

टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८)। टी० उदयकर

द्वारा; वि० २० में व०; १३०० ई० के पूर्व। टी०

उपाध्याय द्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी०

ऋषेयद्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ

द्वारा। टी० परणीपर द्वारा; कुल्लुकभट्ट द्वारा व०;

१५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा;

वि० २० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य)

मेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (माण्डलिक, मारपुरे

द्वारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेघातिथि में

व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन० माण्डलिक

द्वारा प्रका०)। टी० वचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात

(कोई कन्दमीरी), व० जाली द्वारा कुछ अक्ष प्रका०।

मन्त्रकमलाकर—कमलाकर द्वारा।

मन्त्रकोश—आचारमयूख में उल्लिखित।

मन्त्रकोश—आचारदत्त निपाठी द्वारा, २० परिच्छेदों

में (दासिणाथ्य), चार काण्डों में सामवेदगुह्यसूत्र

के भन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द १०, पृ० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ (१७९५ ई०)।

मन्त्रतन्त्रप्रकाश—एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

मन्त्रप्रकाश—दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

मन्त्रतन्त्रभाष्य—हरदत्त द्वारा। दे० एकान्तिकाण्डमन्त्र-व्याख्या।

मन्त्रमुक्तावली—रघु० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व में उल्लिखित।

मन्त्ररत्नवीपिका—अहल्याकामधेनु में व०।

मन्त्रसारसंग्रह—सदाचारचन्द्रिका में व०।

मन्त्रसारसंग्रह—शिवराम द्वारा।

मयूरचित्रक—(या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्मिष आदि पर। बल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०।

मयूरचित्रक—भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। द्वापतीएल कंदलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४)।

मरणकर्मपद्धति—यजुर्वेदगुह्यसूत्र से सम्बन्धित कही गयी है।

मरणसामयिकनिर्णय—मृत्यु के समय हृदय एवं प्रायश्चित्तों के विषय में। बीकानेर कंदलाग (पृ० ४२०)।

मरीचिस्मृति—दे० प्रक० ४८।

मर्यादासिन्धु—पुरुषोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०। मलमासकार्याकार्यनिर्णय।

मलमासतत्त्व—(या मलम्लुचतत्त्व) रघुनन्दन द्वारा। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० रामावस्लम के पुत्र

एवं रामकृष्ण के पीत्र काशीराम नाचस्पति द्वारा।

टी० मयुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन

द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा।

मलमासनिष्कण्ड।

मलमासनिर्णय—दशपुत्र द्वारा।

मलमासनिर्णय—भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बड़ोदा (स० १२८५१)।

मलमासनिर्णय—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

मलमासनिर्णयसंग्रहसार—वासुदेव द्वारा।

मलमासग्रहस्य—भबदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। श० स० १६०३ (१६८१-२ ई०) वे।

मलमासविधार—पञ्जान, १५७९ ई० में प्रणीत (बीकानेर, पृ० ४१७)। तिथि सम्भवत १६७९ (१६०० गण) है।

मलमासायमर्षणो—अज्ञात।

मलमासार्थसंग्रह—गुरुप्रसाद शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिन्द १ पृ० २७९)।

महागणपतिपूजापद्धति।

महादाननिर्णय—रावणपतिमिश्र की महायता मेमिषिला राव भैरवदेव द्वारा। पाण्डु० (ब० प्र० पृ० १२, ३६ एव १२२) तिथि ल० स० ३०० (१५११ ई०)। यथायन्त्रो यो यो हृदि श्रे—भबग, उनके पुत्र हरिसिंह देव, उनके पुत्र भैरवदेव (रूपनारायण अन्यत्र हरिनारायण)। दे० अलवर (स० १४१३), जहाँ यह ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है।

महादानपद्धति—रूपनारायण द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५५०, तिथि स० स० १४५० अर्थात् १५३० ई० है क्योंकि विट्ति वर्ष ठीक बैठना है) इसे महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति (द्वैतनियम), कमलाकर (दानमसूत्र) ने उल्लिखित किया है।

महादानपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा।

महादानव(यादावली)—गंगोली राजेश्वर मिश्र के पुत्र रत्नपाणि मिश्र द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का उल्लेख है।

महादानानुक्रमणिका।

महादीपदानविधि।

महादेवपरिषर्षाप्रयोग—(बीयायनीय) रघुराम तीर्थ के शिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० २३९)।

महादेवीय—निर्णयामृत द्वारा।

महाप्रवीणरत्नपद्धति—नो० न्यू० (१, पृ० २८०)।

महाप्रयोगसार—रघु० द्वारा आर्त्तिकरत्न में उल्लिखित।

महाप्रवरनिर्णय।

महाप्रवरभाष्य—पुल्लोत्तम द्वारा। गोत्रप्रवरमञ्जरी में व०।

महाधर्मकर्मकलापद्धति।

महाधर्मजपहोमपूजापद्धति।

महाधर्मन्यासपद्धति—बलभद्र द्वारा।

महाधर्मपद्धति—डे० हद्रकल्पद्रुम।

महाधर्मसूत्रि—रत्नराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा (गायान के अनुसार)। लग० १५१८ ई०।

महाधर्मपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित (यज्ञोपवीत उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न उ० है, अत १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम महाधर्मप्रयोगपद्धति भी है।

महाधर्मपद्धति—काशीदीक्षित द्वारा। हद्रकल्पद्रुम में व०।

महाधर्मपद्धति—(आश्वलायन के अनुसार) नारायण द्वारा।

महाधर्मपद्धति—(सामवेद के अनुसार) वर्ष के पुत्र परशुराम द्वारा। सूत्रकमलाकर द्वारा व०। १४५९ ई० में प्रणीत।

महाधर्मपद्धति—बलभद्र द्वारा।

महाधर्मपद्धति—गुर्जरदेश के श्रीस्यल में रत्नभट्टासमत्र त्रिगलामट्ट के पुत्र मालजित् (मालजी) द्वारा। ग्रन्थ का नाम ह्यार्चनमञ्जरी एव लेखन का वेदागण्य भी कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई०। अलवर (सं० १४१५)।

महाधर्मपद्धति—(गोभिलीय) रामचन्द्राचार्य द्वारा। बडोदा (सं० १२५०)।

महाधर्मपद्धति—विष्णुशर्मा द्वारा।

महाधर्मपद्धति—त्रिगलामट्ट के पुत्र वेदागण्य द्वारा। यह मालजी का ही ग्रन्थ है।

महाधर्मसंग्रहपद्धति।

महागणव—(या महागणवप्रवास) हेमाद्रि (जिल्द ३, भाग १, पृ० १८३, १४४०) एव शूलपाणि (धाढ-विश्व) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहागणव (या प्रकाण भो) कहा गया है। दे० प्रक० ८४।

महार्णव—(कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र माग्धाता  
 वृत माना गया है। दे० प्रक० ९३।  
 महार्णव—गोक्ष मट्ट (? वेदिमट्ट) के पुत्र विरवेदरभट्ट  
 द्वारा। दे० प्रक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१)।  
 माग्धाता-लिखित महार्णव ही है।  
 महार्णवद्वयार्क।  
 महालयप्रयोग।  
 महालयभाष्यप्रति।  
 महाविष्णुपूजापद्धति—असंगदानुभूति के शिष्य अलण्डा-  
 मन्द द्वारा।  
 महाविष्णुपूजापद्धति—वंतव्यगिरि द्वारा।  
 महाशान्ति—शुद्धि एवं शान्ति मे सम्मिलित वृत्यो पर दो  
 अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में)।  
 महाशिवरात्रिनिर्णय—कर्मवीर के वृष्णराम द्वारा।  
 महाष्टयीनिर्णय।  
 महिषोदान।  
 महिषीयान्तमग्न।  
 महेश्वरवर्मपरिर्णय।  
 मांसनिर्णय—दुष्कि द्वारा।  
 मांसपीपूषकता—रामभद्रशिष्य द्वारा (सं० प्रा० कैंटा-  
 लाग, स० ४१४३)।  
 मांसमहगदीपिका—वेणीराम शावत्रीपी द्वारा।  
 मांसमीर्षाता—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट  
 द्वारा। नि० सि० द्वारा व०।  
 मांसविवेक—भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि  
 मांसार्णव के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं।  
 मांसविवेक—(या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पञ्चानन  
 द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी०  
 में प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार श्री कहा गया है।  
 मायोद्यापन।  
 माष्यव्यस्मृति—जीमूतवाह्य (कालविवेक), हेमाद्रि,  
 दानमएल द्वारा व०।  
 मातृकुलुत्तपरिचय।  
 मातृगोत्रनिर्णय—नारायण द्वारा।  
 मातृगोत्रनिर्णय—शरदकवीन्द्र के पुत्र मुद्गलारमज  
 १२७

लोगादि भास्वर द्वारा (बडोदा, स० १४६३)।  
 माष्यव्दिनीय ब्राह्मणी मे विवाह के लिए मातृगोत्र  
 वंजित है।  
 मातृवर्तीय—हिरण्यवेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० मे  
 व०।  
 मातृसंवास्तविकप्राथम्यप्रयोग।  
 मातृस्थापनाप्रयोग।  
 मात्राविद्याज्ञनिर्णय—कोकिल द्वारा।  
 माधवप्रकाश—(या सदाचारचन्द्रोदय)। दे० 'आचार-  
 चन्द्रोदय'।  
 माधवीयकालनिर्णय—दे० माधवकृत 'कालनिर्णय'।  
 माधवीयभारोद्धार—नारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित  
 द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित,  
 पराशरमाधवीय का एक अंश। स्टीन (पृ० ३०९)।  
 लग० १५७५-१६०० ई०।  
 माधवोत्साह—रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ०  
 ५०९) में व०।  
 माष्यविनीयाधारसंग्रहवैयकिका—पद्मनाभ द्वारा।  
 मानवगृह्यसूत्र—(वनीयैर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड  
 थोरिएण्टल सी० मे प्रकाशित)। 'पुहय' नामक दो  
 भागो मे। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य,  
 गौतम, पराशर, बैजवाप, शबरस्वामी, भद्रकुमार  
 एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। मूमिका मे  
 (द्वितीय 'पुहय') आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा  
 जब कि १०० वर्ष (संवत् अज्ञात) बीत चुके थे।  
 मानवगृह्यपरिशिष्य—बी० बी० बार० ए० एस्०  
 (पृ० २०६, स० १५७)।  
 मानवधर्मशास्त्र—देसिए 'मनुस्मृति'।  
 मानवधर्मशास्त्रस्य—हेमाद्रि द्वारा व०।  
 मानसामरीपद्धति—मामसिंह द्वारा। सं० प्रा० (स०  
 ४१११)।  
 मानसोत्साह—सोमेश्वर कृत। दे० 'अभिलषितार्थ-  
 भिन्नामणि'।  
 मार्कण्डेयस्मृति—मतासारा (मात्र० ३।१९) एक स्मृति-  
 चन्द्रिका द्वारा व०।

मार्तण्डदीपिका—अहल्याकामधेनु मे व०।

मार्तण्डार्चनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

मालववर्षान—चण्डेश्वर के दानरत्नाकर मे उल्लिखित।

सम्भवत यह भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, न कि इस नाम की कोई पुस्तक है।

मासकृत्य।

मासतत्त्वविषेचन—अज्ञात। मासो एवं उनमे किये जाने वाले उपवासो, भोजो एवं धार्मिक कृत्यो पर।

बीकानेर (५० ४२१)।

मासवर्षण।

मासनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।

मासमीमांसा—गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा।

चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार के मासो एवं वर्ष के प्रत्येक मास मे किये जाने वाले धार्मिक कृत्यो पर।

मासादिनिर्णय—दुष्टि द्वारा।

मासिकधातुनिर्णय—कमलाकर के पिता रामकृष्ण द्वारा।  
नि० सि० मे व०।

मासिकधातुपद्धति—गापीनाथ भट्ट द्वारा।

मासिकधातुप्रयोग—(आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट  
सम्पादकत्वपति द्वारा।

मासिकधातुमानोपन्यास—मौनी मल्लारिदीक्षित द्वारा।

मिताक्षरा—हरदत्तकृत गौतमधर्मसूत्र पर टी०। दे०  
प्र० ८६।

मिताक्षरा—मयुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०।

मिताक्षरा—विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०।

इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्र० ७०।

टी० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा,

दे० प्र० १०५। टी० बालम्भट्टी (उप० लक्ष्मी-

व्याख्यान) रत्नमीदेवी द्वारा। दे० प्र० १११,

शीलभ्या सी० मे (व्यवहार) एवं परपुरे द्वारा

(आधार, प्रामदिवत्त एवं व्यवहार) प्र०। टी०

सुबोधिनी, विज्ञानेश्वर भट्ट द्वारा, दे० प्र० ९३

(व्यवहार, परपुरे द्वारा अनूदित एवं प्र०)।

टी० मिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी

द्वारा, पीटसन की छठी रिपोर्ट (५० ११)। टी०

सिद्धान्तसंग्रह 'रोषामोहन धर्मा' द्वारा। टी० हलायुध

द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र

निर्द्वैरवसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)।

मिताक्षरासार—(विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश)  
मयाराम द्वारा।

मिथिलेशास्त्रिक—गंगोली सजीवेश्वर तर्मा के पुत्र रत्न

पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिंह

के आश्रय मे प्रणीत। सामवेद के अनुसार शीतविधि,

दन्तधावन, स्नान, सध्याविधि, तर्पण, जपमन्त्र, देव-

पूजा, भोजन, मासभक्षण, द्रव्यसुद्धि, गाहंस्वधर्म

नामक आह्निको पर। नो० (जिल्द ६, ५० ३०-३२)।

इस ग्रन्थ मे मिथिलेशास्त्रिक है जिसमे महेशचक्र

एवं उनसे ९ वंशजो का उल्लेख है और ऐसा आया

है कि महेश को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ

था। नो० (जिल्द ६, ५० ४८)।

मीमांसापल्लव—चिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपति

द्वारा। एकादशीव्रत, श्राद्ध, उत्सव जैसे धर्मशास्त्रीय

विषयो पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त हैं। नो०

(जिल्द ५, ५० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट से।

मुक्तिश्लेषप्रकाश—आपाजिभट्ट के पुत्र भास्वर द्वारा।

अयोध्या, मयुरा, माया आदि सात तीर्थों पर प्रकाशा

मे विभक्त। बडोदा, सं० १२३८६। लेखक ने

प्रयाग के लिए 'सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए

'अष्टचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या' (तैत्तिरी

यारण्यक) 'वागधरं प्रयमजा' (तं० ब्रा०) एवं

मयुरा, माया काशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी',

'नृसिंहपूर्वतापनीय' एवं 'रामतापनीय' वैदिक बचन

उद्धृत किये हैं।

मुक्तिचिन्तामणि—गजपति पुण्ड्रोत्तमदेव द्वारा। जग

प्रायपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्यो के विषय

मे। एग० १५०० ई०।

मुद्रासमुत्ति—(बडोदा, ताडपत्र पाण्डु० सं० ११९५०)

मीमांसिकविधि, दाय, अर्घीच, प्रामदिवत्त पर।



मुद्राविवरण।

मुनिमतमणिमाला—वामदेव द्वारा।

मुमुर्षुमृतहरयाविषद्विषति—शाकरदर्मा द्वारा। सुद्वितत्व  
उ० है। तो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)।

मुहूर्तकण्ठाभरण।

मुहूर्तकलीन्द्र—धीतरुदीक्षित द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—मुहूर्तदीपक में महादेव द्वारा व०।  
१६५० ई० के पूर्व।

मुहूर्तकल्पद्रुम—नेमव द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—बूबनर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित (कुल्या-  
त्रिगाम) द्वारा। सन् १६२८ ई० में प्रणीत। टी०  
मजरी, लेखकृत।

मुहूर्तकल्पाकर—दु सभञ्जन द्वारा।

मुहूर्तगणपति—हरिसाहू के पुत्र गणपति रावल द्वारा।  
१६८५ ई० में प्रणीत। टी० सोताराम के पुत्र परमसुख  
द्वारा। टी० परशुराममिथ द्वारा।

मुहूर्तचक्रावलि।

मुहूर्तचन्द्रकला—हृत्जीभट्ट द्वारा। लग० १६१० ई०।

मुहूर्तचिन्तामणि—अनन्त के पुत्र रामदेव (नीलकण्ठ  
के छाट भ्राता) द्वारा। सन १६००-१ ई० में काशी  
में प्रणीत। मिहिरावर के सत्कारमयूष में व०।  
बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अल्कर (उद्धारण,  
५४२), जिगसे प्रकट हाता है कि नीलकण्ठ अल्कर  
की ममा के पण्डित थे। इनके पूर्वज विदर्भ के थे।  
टी० प्रतिभाक्षरा, लेखकृत, बनारस में १८४८ में  
मुद्रित। टी० वामधेनु। टी० नीलकण्ठ द्वारा।  
टी० पायूपरविज्ञा। टी० पायूपवारा नालकण्ठ के  
पुत्र गाविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३  
ई० में मुद्रित। गाविन्द लेखक वा भतीजा था।  
टी० पर टी० रघुदेवज्ञ द्वारा। टी० यदुमाहारी।

मुहूर्तचिन्तामणि—वैकटन भट्ट द्वारा।

मुहूर्तचिन्तामणिसार।

मुहूर्तचिन्तामणिसारिणी।

मुहूर्तचूडामणि—भारद्वाजयोग के श्राकृष्ण देवज्ञ के पुत्र  
निव देवज्ञ द्वारा।

मुहूर्ततरव—रुमलाकर के पुत्र केशव देवज्ञ द्वारा।  
सत्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी०  
कृषाराम द्वारा। टी० केशव देवज्ञ के पुत्र गणेशदेवज्ञ  
द्वारा लग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव  
द्वारा, मुहूर्तदीपक में व०।

मुहूर्तवर्षण—मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका  
(मद्रास ग० पाण्डु० स० १८७०, १८७५)।

मुहूर्तवर्षण—प्रयाग के दक्षिण अलकपुर के गगाराम-  
राम जगन्नाथ के पुत्र लालमणि द्वारा। अल्कर  
(उद्धारण, ५४४)।

मुहूर्तवर्षण—विद्याभाषव द्वारा। टी० भाषवभट्ट द्वारा।

मुहूर्तवीप—जयानन्द द्वारा।

मुहूर्तवीप—शिवदेवज्ञ के एक पुत्र द्वारा।

मुहूर्तवीपक—नागदेव द्वारा।

मुहूर्तवीपक—काठुजि (कान्हुजि ?) के पुत्र महादेव  
द्वारा। दे० ऑफिकेट (पृ० ३३६ बी)। टी० लेखक  
द्वारा स० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। टोडरा-  
नन्द का उल्लेख है।

मुहूर्तवीपक—देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा।

मुहूर्तवीपिका—(नि० सि० के अनुसार) कालविधान  
में व०।

मुहूर्तवीपिका—नादरामण का कहा गया है।

मुहूर्तनिर्णय।

मुहूर्तपर्वण।

मुहूर्तपरीक्षा—देवराज द्वारा।

मुहूर्तभूषण—(या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा।  
ना० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)।

मुहूर्तभूषणटीका—रामदत्त द्वारा।

मुहूर्तभैरव—भैरव देवज्ञ के पुत्र गगाधर द्वारा।

मुहूर्तभैरव—दीनदयालू पाठक द्वारा।

मुहूर्तमञ्जरी—यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चारगुच्छो एव  
१०१ श्लोका में। दे० अल्कर (उद्धारण ५४५)।  
स० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत।

मुहूर्तमजरी—हरिताराणण द्वारा।

मुहूर्तमजूषा।

भूतमणि—विश्वनाथ द्वारा।  
 भूतमाधवीय—सायण या माधवाचार्य का कहा गया है।  
 भूतमातंभ—केशव द्वारा।  
 भूतमातंभ—अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। श०  
 स० १४९३ के फाल्गुन (१७० मार्च १५७२ ई०) में  
 देवगिरि के पास १६० श्लोको में। टी० मातंभ-  
 वल्लभा, लेखक द्वारा, बम्बई में १८६१ ई० में  
 प्रकाशित।  
 भूतमाला—शाण्डिल्य नाम एक चित्तपावन जातीय  
 शरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन् १८७८ में रत्नगिरि  
 में मुद्रित।  
 भूतमुक्तामणि।  
 भूतमुक्तावली—नार्थीनाथ द्वारा।  
 भूतमुक्तावली—देवराज द्वारा।  
 भूतमुक्तावली—भास्कर द्वारा।  
 भूतमुक्तावली—योगीन्द्र द्वारा, अलवर (उद्वरण  
 ५४६)।  
 भूतमुक्तावली—गोपाल के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा।  
 १६१८ ई० में प्रणीत।  
 भूतमुक्तावली—श्रीकण्ठ द्वारा।  
 भूतमुक्तावली—श्री हरिभट्ट द्वारा।  
 भूतरचना—दुर्गासहाय द्वारा।  
 भूतरत्न—ज्यातिपराय के पुत्र ईश्वरदास द्वारा।  
 'भूतरत्नावर' नाम भी है।  
 भूतरत्न—गोविन्द द्वारा।  
 भूतरत्न—रघुनाथ द्वारा।  
 भूतरत्न—शिरामणिभट्ट द्वारा।  
 भूतरत्नमाला—श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०।  
 टी० लेखक द्वारा।  
 भूतरत्नाकर—हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा।  
 भूतरत्नाज—विरवदास द्वारा।  
 भूतंराजीय।  
 भूतंलक्षणपटल।  
 भूतविधानसार—बालमायव म व०।  
 भूतविश्वरथ।

भूतवृत्तारथ।  
 भूतबिरीमणि—रामचन्द्र के पुत्र धर्मेश्वर द्वारा।  
 भूतसंग्रह—सिद्धेश्वर के सकारमपूज में एवं सं० कौ०  
 में व०। १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति द्वारा।  
 भूतसंघर्ष—ब्रह्म के पुत्र वि० लालज रघुवीर द्वारा।  
 कापी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत।  
 नो० (जिल्द १, पृ० १०९)।  
 भूतसार—बनस (तंजीर, पृ० ७९ ए)।  
 भूतसार—भानुवत्त द्वारा।  
 भूतसारिणी।  
 भूतसिद्धि।  
 भूतसिद्धि—गागवेन द्वारा।  
 भूतसिद्धि—महादेव द्वारा।  
 भूतसिद्धि—मधुसूदन मिश्र द्वारा। गहीर में मुद्रित।  
 भूतसिद्धि—मुहम्मद द्वारा।  
 भूतसिद्धि—रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्व में उल्लिखित।  
 भूतसिद्धि—भूतसूत्रय कोविल द्वारा। टी० प्रभा, लेखक  
 द्वारा।  
 भूतसिद्धि—नैरव के पुत्र गगावर द्वारा। श० सं०  
 १५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीन (पृ०  
 ३४३)।  
 भूतसिद्धि—नयराज द्वारा।  
 भूतसिद्धि।  
 भूतसिद्धि—सर्वस्ववाक्यो, मान्दीयाद, त्रिविध्यवस्था,  
 एकोद्दिष्टकारुण्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गौव्यादि-  
 प्रायश्चित्त, व्यवहारदामादिव्यवस्था, विवाहव्यवस्थादि  
 पर उत्तम ग्रन्थ। दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एवं  
 नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७)।  
 भूतसिद्धि—नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)।  
 भूतसिद्धिपत्रिका।  
 भूतसिद्धिपत्रिका।  
 भूतसिद्धिपत्रिका।  
 भूतसिद्धिपत्रिका—जीनक का कहा गया है।  
 भूतसिद्धिपत्रिका—स्टीन (पृ० ९९)।  
 भूतसिद्धिपत्रिका।  
 भूतसिद्धिपत्रिका—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

मूलाविसान्ति।

मूल्यानिरूपण—गोपालकृत (सं० प्रा०, सं० ४३२१)।

मूल्यासंग्रह—(या मूल्याध्याय) बापूमठ द्वारा। सव-  
ल्पिन दान देने में अस्वयंता प्रकट करने पर धन-  
दण्डों के सम्बन्ध में एक श्लोक। गोपालभाष्य का  
उल्लेख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, ना०  
(जिल्द १०, पृ० २३८)।

मूल्याध्याय—(कुल ५। श्लोक में) वात्स्यायन वृत  
माना गया है। गाय एव अन्य सम्पत्ति के दान में  
स्थान पर धन देने में विषय में। दे० बी० बी०  
आर० ए० एम्० (जिल्द २, पृ० १७१)। टी०  
कामदेवदीक्षित द्वारा, ना० न्यु० (जिल्द ३, भूमिवा  
पृ० ४)। टी० गोपालजी द्वारा। टी० बालकृष्ण  
के पुत्र विट् ल (उपाधि संलग्न, श्रीपुर के वागी),  
१६७० ई० के परचाल।

मृत्तिकास्तान।

मृत्युञ्जयस्मृति—हेमाद्रि (दानसंग्रह, पृ० ७६४-६५,  
७८४) द्वारा एक दानमसल में उल्लिखित।

मृत्युमहिषीदानविधि—(विधो की मृत्यु के समय भंड  
का दान)।

मंत्रायणीयगृह्यपदापूर्वक्रम।

मंत्रायणीगृह्यपठति—मंत्रायणी शास्त्रा में अनुमार १६  
संस्कारों पर। अध्याय का नाम पुरप है।

मंत्रायणीगृह्यपरिशिष्ट—हलायुध, हेमाद्रि एवं म० पा०  
द्वारा व०।

मंत्रायणीधौर्ध्वरेहिकपद्धति—दे० क्रियापद्धति।

मोक्षकल्पतह—(वृक्षकल्पतह या कल्पतह का एक अंग)  
लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७।

मोक्षेश्वरनिबन्ध—यादवप्रभूगृह्यपरिशिष्ट की टी० में  
गदाधर द्वारा व०। सम्भवत यह मोक्षेश्वर के पुत्र  
ब्रह्मकं का प्रयत्नज्ञानदीप-पूज्यप्रकरण ही है।  
वीकानेर (पृ० ३२५ ३२६)।

मोहपुत्रोत्तर—(या मोहपुत्रोत्तर) हेमाद्रि (३।२।८८३,  
मोहचोरोत्तर), नि० सि० में व०।

धनुर्बलभा—(या कर्मसरणि) बल्लभाचार्य के पुत्र व

गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेख  
द्वारा। आह्निक, संस्कार एवं आवश्यक्यापान (गृह  
अग्नि स्थापित करने) पर तीन भाष्य (यजुर्वेद-  
के अनुसार)। अलवर (सं० १२८०)।

यजुर्विषयाह्वयति।

यजुर्वेदविषयोत्सर्गात्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

यजुर्वेदभाष्यतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

यजुर्वेदीयधार्मिकविधि—बोण्डू द्वारा। दे० 'श्राद्धविधि'।

यजुःशास्त्राभेदान्तरनिर्णय—पाण्डुरंग टकले द्वारा।

बडादा (सं० ३७४)। लेखक का सिद्धान्त यह है कि  
जहाँ कहीं यजुर्वेद शब्द स्वयं आता है वहाँ 'संतिरीय  
शास्त्र' समझना चाहिए न कि 'शुक्लयजु०'।

यज्ञपात्रसंस्कारिका—पाररकर गृह्य० पर गदाधर-  
भाष्य में व०।

यज्ञसिद्धान्तविग्रह—रामसेवक द्वारा।

यज्ञसिद्धान्तसंग्रह—रामप्रसाद द्वारा।

यज्ञोपवीतनिर्णय।

यज्ञोपवीतसंग्रह—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त द्वारा।

वाजसनेयी शास्त्रा के लिए।

यतिशौरविधि—मधुसूदनानन्द द्वारा। बडोदा (सं०  
५० १५)।

यतिश्चननादिप्रयोग—श्रीसंलवेदकीटीर लक्ष्मण द्वारा।

यतिधर्मसमुच्चय का उल्लेख है।

यतिधर्म—युक्त्वात्मानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक पूर्णा  
नन्द का शिष्य था।

यतिधर्म—अज्ञात।

यतिधर्मप्रकाश—वासुदेवाश्रम द्वारा। बडोदा (सं०  
१२२८९)।

यतिधर्मप्रकाश—विश्वेश्वर द्वारा। यह यतिधर्मसंग्रह  
हो है।

यतिधर्मप्रबोधिनी—नीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा।

यतिधर्मसंग्रह—अज्ञात (नी०, जिल्द ९, पृ० २७८)।

सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आचार्यपरम्परा  
एवं मठाधनाय का वर्णन है और तब यतिधर्म  
का।

**अतिवर्षसमुच्चय**—सर्वत्रविशेष के शिष्य विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। आनन्दब्रह्म (पूना) द्वारा प्रका०।

**अतिवर्षसमुच्चय**—यादवप्रकाश द्वारा। बंघवो के लिए ११ पवों में।

**अतिवर्षसमुच्चय**—रघुनाथ भट्टाचार्य द्वारा।

**अतिवर्षसमुच्चय**—सर्वत्र विशेष के शिष्य विश्वेश्वर-सरस्वती द्वारा। पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३) की तिथि सं० १६९८ (१६११-१२ ई०)। इसे अतिवर्षसंग्रह (उपयुक्त) भी कहा जाता है।

**अतिविश्वप्रकृति**—आनन्दानन्द द्वारा (बबोरा, सं० ५०१७)।

**अतिपत्नीधर्मनिरूपण**—गूर्णानन्द के शिष्य पुर्योत्तमानन्द सरस्वती द्वारा।

**अतिमरणोपयुक्तसंग्रह**।

**अतिस्नानसमर्पण**—तीन स्कन्धों में।

**अतिवन्दननिषेध**।

**अतिवन्दनगतबुधनी**।

**अतिवन्दनसमर्पण**।

**अतिवन्दनमा**—(या संन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। संन्यास, अति के चार प्रकारों (कुटीषक, बृहदक, हस एवं परमहस) एवं उनके वर्ण्यों पर। नो० (जिल्द १०, १७५)। विधानमाला की चर्चा हुई है।

**अतिसंस्कार**—(प्रतापनारासिंह का एक भाग)।

**अतिसंस्कार**—पुत्र द्वारा अति की अत्येष्टि एवं श्राद्ध पर। नो० (जिल्द १०, पृ० १०)।

**अतिसंस्कारप्रयोग**—रामभट्ट द्वारा।

**अतिसंस्कारप्रयोग**—विश्वेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द १, पृ० १७३)।

**अतिसंस्कारविधि**—(दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पृ० ९९)।

**अतिसंस्कारविधिनियं**—इन्डि० आ० (पृ० ५२३, सं० १६४७)।

**अतिसंस्कारोपयोगिनियं**।

**अतिसंन्यासातिष्ठ**—शंकर के शिष्य सुरेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ९)।

**अतिसंन्यासनिर्णय**—सन्निदानन्द सरस्वती द्वारा। यत्युच्छान्त।

**अत्युच्छान्तप्रकृति**—शंकरानन्द द्वारा।

**अत्यन्तकर्मपद्धति**—रघुनाथ द्वारा।

**अत्याचारसंग्रहीयअतिसंस्कारप्रयोग**—विश्वेश्वर सरस्वती (नो०, जिल्द १, पृ० १७४)।

**अत्याचारसप्तविभूजा**।

**अत्याचारनप्रयोग**।

**अत्याह्निक**—बड़ोरा (सं० ८५९३)।

**अमस्मृति**—दे० प्रक० ४९, जीवनन्द (भाग १, पृ० ५६०-५६७) एवं आनन्दब्रह्म (पृ० ११२-११६) द्वारा प्रका०।

**अस्त्राजीय**—यत्तुभट्ट के पुत्र यत्तुजि द्वारा। अत्येष्टि, सपिण्डीकरण आदि पर। आद्वलायनसूत्र, मारद्वाज सूत्र और इनके भाष्यों तथा धौनक पर आधारित।

**अश्वान्तभास्कर**—पुर्योत्तमानन्द हरिभट्ट के पुत्र आपाजिभट्ट-तनुज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा। मुन्दलक्ष्ण के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के आश्रय में। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अद्य सवत्सरवृत्तप्रकाश है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९)। हरिभट्ट श्याम्बकपुरी से आये थे और काश्यप गौत्र के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। सं० १६७६।

**आश्वत्थयस्मृति**—दे० सं० १, प्र० ३४। टी० अपराकं द्वारा; दे० प्रक० ७९। टी० कुलमणि द्वारा। टी० देवबीध द्वारा, रघु० के सुदितत्व में ४०। टी० परमेश्वर द्वारा; दूरानाथ के प्रायश्चित्तविषय में ४० (पृ० ५२९)। टी० बालक्रीड़ा, विश्वरूप द्वारा, दे० प्रक० ६०। टी० पर टी० विभावना। टी० पर टी० अमृतस्यन्दिनी (सोमयात्री द्वारा)। टी० पर टी० बचनमाला, सोमयात्री के शिष्य के शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिताक्षरा, मयुरानाथ द्वारा। टी० मिताक्षरा, विशानेश्वर द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के लिए देखिए 'मिताक्षरा'। टी० रघुनाथभट्ट द्वारा।

टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० १५)।  
 टी० वीरमित्रोदय, मित्रमित्र द्वारा, दे० प्रक०  
 १०८ (चौखम्मा से एक अक्ष प्रका०)।  
 पान्तिक्कमलाकरी—सैं० प्रा० (सं० ४४१४)।  
 पान्नाप्रयोगतरण—हरिश्चन्द्र द्वारा।  
 पान्नाविवाहाद्युपाय—नी० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४९)।  
 मुक्तिरूपतट—भोजदेव कृत। शासन एव राजनीति  
 के विषयो पर, यथा—दूत, कोष, कृषिकर्म, बल,  
 पान्ना, संधि, विग्रह नगर निर्माण, वास्तुप्रवेश,  
 छत्र, ध्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-जस्त्रपरीक्षा,  
 नौका लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उग्रता, गर्व,  
 बृहस्पति, पराशर, वाल्य, लोहप्रदीप, चाइंगवर एव  
 कतिपय पुराणो का हवाला दिया गया है। कलकत्ता  
 ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रवा०।  
 युगार्णव—सैं० प्रा० (सं० ४४१८)।  
 युद्धकुपूहल।  
 युद्धकौशल—रुद्र द्वारा  
 युद्धचिन्तामणि—रामानन्द त्रिपाठी द्वारा।  
 युद्धजयप्रकाश—दुखभञ्जन द्वारा।  
 युद्धजयार्णव—रघु० के ज्योतिस्तत्व मे व०।  
 युद्धजयार्णव—अग्निपुराण (अध्याय १२३ १०)।  
 से।  
 युद्धजयोत्सव—टी० अज्ञात। टी० मयुरानाय सुक्ल  
 द्वारा। टी० रामदत्त द्वारा।  
 युद्धजयोत्सव—गणाराम द्वारा, पाँच प्रकाशो मे।  
 अलवर (सं० ५५१)।  
 युद्धपान्ना—रघु० के ज्योतिस्तत्व मे व०।  
 युद्धरत्नावली :  
 रंगनाथदेशिकीह्निक—रंगनाथदेशिक द्वारा।  
 रजतदानप्रयोग—कमलाकर द्वारा।  
 रत्नकरण्डिका—द्रोण द्वारा। ह० प्र० (पृ० १० ११,  
 पाण्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात् ११३२ ३३ ई०)।  
 वाजसनेयियो के कृत्यो पर। ४० वा० (२७३,  
 १८८६ ९२) की पाण्डु० अपूर्ण है इत्यमे प्रायश्चित्त,  
 स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण, शावाशौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधर्म,

दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छ्र आदि पर विवेचन  
 है।  
 रत्नकौश—हेमाद्रि (३।२।७५०), रघु० (मलमास-  
 तत्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०।  
 रत्नदीपविद्वक्प्रकाश।  
 रत्नमाला—शतानन्द द्वारा, ज्योतिस्तत्व (जिल्द १,  
 पृ० ५९६) मे व०।  
 रत्नमाला—रघु० (शुद्धितत्व), गोविन्दाश्रय, निर्णयदीप  
 मे व०। सम्भवत श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ।  
 रत्नसंग्रह—नि० सि० में व०।  
 रत्नसागर—नि० सि० में व०।  
 रत्नाकर—दे० प्रक० (चण्डेश्वर) ९०।  
 रत्नाकर—गोपाल द्वारा।  
 रत्नाकर—रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पृ० १००) में  
 प्रायश्चित्त का अक्ष है।  
 रत्नार्णव—रघु० द्वारा व०।  
 रत्नावलि—हेमाद्रि (३।२।८५७) एव रघु० (मलमास-  
 तत्व) मे व०।  
 रथसप्तमीकालनिर्णय।  
 रथिसकान्तिनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।  
 रसामृतसिन्धु—सदाचारचन्द्रिका (सम्भवत भक्तिपर)  
 मे व०।  
 रामधर्मद्वीप—नि० सि० मे व०।  
 राजकौस्तुभ—(या राजधर्मकौस्तुभ) अनन्तदेव द्वारा।  
 दे० प्रक० १०९।  
 राजधर्मसारसंग्रह—तजौर के तुलाजिराज कृत कहा गया  
 है (१७६५-१७८८)।  
 राजनीति—अज्ञात।  
 राजनीति—देवीदास द्वारा।  
 राजनीति—भोज द्वारा।  
 राजनीति—वररुचि (?) द्वारा। 'धन्वन्तरि  
 आदि नवरत्नो के प्रसिद्ध श्लोक से इसका आरम्भ  
 है। दे० बर्नेल (तजौर, पृ० १४१ बी)।  
 राजनीति—काशी के हस्तिने द्वारा।  
 राजनीतिकामधेनु—चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर

- द्वारा य०।  
 राजनीतिप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा। वीरमिनोदय का एक अंग। चौलम्मा सं० सी० द्वारा प्रकाश०।  
 राजनीतिप्रकाश—रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा।  
 राजनीतिमयूख—गीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है।  
 राजनीतिशास्त्र—घाणपय द्वारा। ८ अध्याय एव लग० ५६६ श्लोको में। विट० एव कीय (२, पृ० १८२)।  
 राममूषणी—(नृपभूषणी) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु-स्मृति २१ कुल्लुककृत टीका का उल्लेख है।  
 राजमातण्ड—भोज द्वारा। दे० प्र० ६४। ४ का० (सं० ३४२ १८७९-८०) में राजमातण्ड ग्रन्थ है जिसमें धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख है और व्रतव्यपकाल विवाहकाल, विवाहराशि योजनविधि संज्ञान्तिनिर्णय दिनशय, पुष्टयलक्षण, मेवादिलग्नफल के विषय हैं। पाण्डु० की तिथि सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० गणपति द्वारा।  
 राजलासक—सरस्वतीविलास में य० (मंसूरसंस्करण पृ० २१)।  
 राजवल्लभ—(सूत्रधार मण्डामिश्र द्वारा?) महादेव के मुहूर्तदीपक में य०।  
 राजामिवेक—अनत द्वारा।  
 राजामिवेकप्रयोग—(नालचण्ठ के नातिमयूख से)।  
 राज्यामिवेक—(टाडरानन्द से)।  
 राज्यामिवेकरूपप्रति—दिनशरोद्घोत का एक भाग।  
 राज्यामिवेकरूपप्रति—अनतदेव द्वारा।  
 राज्यामिवेकरूपप्रति—विस्ववर्मा के पुत्र गिव द्वारा।  
 राज्यामिवेकप्रयोग—रामहृण्य क पुत्र बमलाकर द्वारा। दे० प्र० १०६।  
 राज्यामिवेकप्रयोग—मापयमट्ट के पुत्र रघुनाथ रामानु-स्पति द्वारा।  
 रामकल्पद्रुम—बमलाकर के पुत्र अनतमट्ट द्वारा। दस पाण्डा म विभक्त यथा त्रम से—बाल श्राद्ध, दत्त सत्कार, प्रायश्चित्त शांति, दान आचार राजनीति एव उत्स०। श्रीकृष्ण के मत से बेजल

७ पाण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ० ४४५-४४७)।

- रामकौतुक—निर्णयामृत एव नि० सि० में य०।  
 रामतत्त्वप्रकाश—सायण कृत माना गया है।  
 रामदेवप्रसाद—(उर्फ मोत्रप्रवरनिणय) चाम्पूदेव के पुत्र विस्वनाथ या विस्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ (१५८४ ई०) में प्रणीत।  
 रामनवमीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा। नि० सि० उ० है।  
 रामनयमीनिर्णय—विठ्ठलदीक्षित द्वारा।  
 रामनायपद्धति—रामनाथ द्वारा।  
 रामानुत्पाचनपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।  
 रामनिबन्ध—दाक्षितवायू के पुत्र श्रीभयत दात्मज क्षमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अलवर, सं० १४३१)।  
 रामपूजाविधि—क्षेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ एव उद्धरण ३४१)।  
 रामपूजापद्धति—रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पृ० १०१)।  
 रामप्रकाश—(१) बालतत्त्वाणव पर एव टी०। (२) उपाराम के नाम पर समुहीत धार्मिक व्रतो पर एक निबन्ध, उपाराम यादवराज के पुत्र, भागिनयचन्द्र के राजकुल के वंशज एवं शौडक्षत्रकुलोद्भव बहू गये हैं, वे जहाँगीर एव शाहजहाँ के सामंत थे। इण्डि० ज्ञा० (जिल्द ३ पृ० ५०२) के मत से वारहीनाथ के पुत्र एव रामदेव चिरञ्जीव के पिता रामवेन्द्र इस ग्रन्थ के वास्तविक प्रणयता थे। हेमाद्रि, मापय एव गीठ के लेखका का आधार लिया गया है। अलवर (नं० १६३३) के मत से यह बालतत्त्वविवेचन पर आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० ज्ञा० के विवरण से एसा नहीं प्रतीत होता।  
 रामप्रसाद—दोसैए 'नीपरतनाकर'।  
 रामानुजानाथकमपद्धति—दे० पीटसन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०७)।

रामार्चनचन्द्रिका—रघु० के तिथितत्त्व मे तथा नि० सि० मे व०।

रामार्चनचन्द्रिका—अष्टयुताश्रम द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—परमहंसपरिव्रजवाचार्य श्रीमन्मुकुन्द इन के शिष्य आनन्द वन यति द्वारा। पाँच पटला मे ४० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५, तिथि राक १६०७, अर्थात् १९८५ ई०)। चार पटला मे। वसिष्ठ मे गौडपाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विष्णुरूप, सुरेश्वर तक की गुरु परम्परा वा खल्लेख है। टी० लघुदीपिका, गदाधर द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा।

रामार्चनचरण—अल्वर (स० १४३५)।

रामार्चनवीथिका।

रामार्चनपद्धति—रामानन्द द्वारा।

रामार्चनरत्नाकर—नेत्रवदास द्वारा। अहल्याकामयेनु मे व०।

रामार्चनपद्धति—शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व (पृ० २१२) मे रघु० द्वारा व०।

रामार्चनप्रकाश—गदाधर द्वारा।

रासवाश्रापद्धति—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

रासवाश्रापद्धति—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

रासकलत्तकपद्धति—गारायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। धर्मरत्न।

रासकल्पतरु—(१) अज्ञात (बर्नेल, लजीर, पृ० १३८ २), स० १७१४ (१९५७-८ ई०); (२) विश्वेश्वर के पुत्र द्वारा।

रासकल्पतरु—(या महाहरपद्धति) जडब द्विवेदी (काशी निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्रि, टीहरामन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम-लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १९४० ई० के उपरान्त।

रासकल्पतरु—(या रुद्रपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा (छद्मनामों के द्विः)। बड़ौदा (स० ८०१८)।

रासकल्पतरु—रामचन्द्र पाठक द्वारा। ५०

विशाल ग्रन्थ। बड़ौदा (स० १०९४६) मे १३ प्रकरण हैं, सम्भवत इससे अधिक प्रकरण हैं।

रुद्रपद्धति—(१) वर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। ऐश्वर्य ओदीय ब्राह्मण या। महाहर के रूप मे शिवपूजा का वषण है। द्रजप्रशसा, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपूजा-विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ श्लोक हैं। स० १५१५ (१४५८ ई०) मे प्रणीत। इसका 'रुद्र कारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय पर एव अन्य छोटा निबन्ध, भमिवा कुछ अंश मे समान है। १४७८-१६४३ ई० के बीच मे प्रणीत (इण्डि० आ०, पृ० ५८४)। (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित द्वारा। बड़ौदा (पाण्डु० ८०३०, तिथि स० १८०९ अर्थात् १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के अनुसार द्रप्रयाग वा विवरण, यद्यपि रुद्र सभी शाखाओं में वाचित होता है। आया है—'स्मार्त-रुद्रप्रयोगस्य बीषायनमूत्रमूलवृत्तेन बहुवृत्तादीना च तत्र बीषायनं ग्राह्यम्। रुद्र पचया रूप रुद्री लघुश्री महाहरद्वीक्षित रुद्रवेति एकादशगुणवृद्ध्या। सर्वत्र च त्रैधा जपसुदो हीमरुदो अभियेकरुद्रवेति।' इण्डि० आ० (पृ० ५८०, स० १७८३, पाण्डु० की तिथि स० १५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार व० है।

रुद्रपद्धति—(मंत्रायणीय) बड़ौदा (स० २४५२)।

रुद्रपद्धति—आपदेव द्वारा।

रुद्रपद्धति—मदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एव महाहरपद्धति भी कहा जाता है।

रुद्रपद्धति—रामेश्वरमठ के पुत्र नारायणमठ द्वारा। 'यद्यप्यनेषामु शाखासु रुद्र पठ्यते तथापि तैत्तिरीय शाखानुसारेण रुद्र पठ्यते।'।

रुद्रपद्धति—रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। (शाखायनमुख के अनुसार)।

रुद्रपद्धति—रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ स० (१६८२ ई०) है (बीकानेर, पृ० ६०१)।

**वदपद्धति**—शम्भुदेव के पुत्र एव रामदेव के छोटे भाई  
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)।

**छद्मनामपद्धति**—गौटसंन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०९)।

**सदाशिवपद्धति**—सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित  
द्वारा।

**सद्विधानपद्धति**—चन्द्रचूड द्वारा।

**सद्विज्ञाननिबन्ध**—नन्दनमिश्र द्वारा।

**सत्त्वानुविधि**—(या सद्रस्नानपद्धति) नारायणभट्ट के  
पुत्र जयरूपा द्वारा। कमलाकर के शान्तिरत्न मे  
व०। लग० १५७०-१६०० ई०।

**सामप्रतिष्ठा**।

**सामयुक्त्यास**—रद्रपूजा के लिए नियमपद्धति।

**सामुद्र**—(या सद्योग) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी  
के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रैविद्यमौढ (काजसनेय  
शास्त्रा के लिए) भी कहा जाता है। पीटसंन (पाँचवीं  
रिपोर्ट, पृ० १७५)।

**सामसाधारण**।

**साम्प्रदायिक**।

**सामुष्णानपद्धति**—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।  
४० का० (सं० २८३, १८८६-९२)। यह उपर्युक्त  
वदपद्धति (५) ही है, ऐसा प्रतीत होता है।

**सामुष्णानपद्धति**—सवंश कुल के मंगलाय द्वारा।  
महाणव पर प्रभान रूप से आधारित।

**सामुष्णानपद्धति**—बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा।  
प्रतियोगपद्धति में व०। लग० १७५० ई०।

**सामुष्णानपद्धति**—(या दीपिका) दे० 'वदपद्धति'  
ऊपर।

**सामुष्णानप्रयोग**—ममूरेश्वर के पुत्र लण्डभट्ट (अया-  
चित) द्वारा।

**साम्बन्धमित्रिका**—शिवराम द्वारा।

**साम्बन्धमंजरी**—वेदांगराय द्वारा। दे० महावदपद्धति।

**साम्बन्धमंजरी**—(पद्धति) शक्तिसिंह के पुत्र उदयसिंह  
रूपनारायण द्वारा। ४० का० (सं० २५०, १८८१-  
८२) में बंधावली दी हुई है। इसमें तुलापुत्र आदि  
दीर्घ महादानों, कूपपानीतवागादिविधि, नवग्रहहोम,

अपुतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज,  
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, पारिजात,  
हरिहर, श्रीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वर्षदीप,  
महादानपद्धति (रूपनारायणद्वारा) पर आधारित।  
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०,  
१४५०-१५२५ ई० के बीच।

**रेणुकारिका**—(या रेणुवकारिका) दे० ऊपर  
'पारस्करगृह्यकारिका'। १२६६-५७ ई० में प्रणीत।  
लक्षणप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय (राज-  
नीति पर) का एक भाग। चौसम्भा सं० ४१० में  
प्रका०।

**लक्षणरत्नमालिका**—विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित  
द्वारा। वगाधिमाचार, देव, राज, उद्योग, शरीर पर  
पाँच पद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक  
लक्षणशतक की एक टीका है। दे० बर्नेल, तजौर  
(पृ० १३२ एव १६४ बों)।

**लक्षणशतक**—नारोजिपण्डित द्वारा।

**लक्षणसंग्रह**—हेमाद्रि (दानलण्ड, पृ० ३२८) एवं  
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०।

**लक्षणसमुच्चय**—हेमाद्रि द्वारा। शरीर लक्षणों के एव  
प्राइतो पर। दे० बोकनेर (पृ० ४११)।

**लक्षणसमुच्चय**—हेमाद्रि (दानलण्ड, पृ० ८२३) एवं  
नि० सि० में व०।

**लक्षणसारसमुच्चय**—शिवलिंगों के निर्माण के नियम।  
३२ प्रकारों में।

**लक्ष्मीपद्धति**—(१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी  
दीक्षितद्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा।  
(३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; दे० प्रक०  
१०३।

**लक्षणसमुच्चय**—महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

**लक्ष्मीनारायणार्वाक्रीमुदी**—शिवानन्द श्रीस्वामी द्वारा।  
५ प्रकारों में।

**लक्ष्मीसर्पासार**—धोनिवास द्वारा।

**लघुकारिका**—देवदत्त के पुत्र विष्णुनर्मा द्वारा (माध्य-  
न्दिनशास्त्रा के लिए)। बड़ौरा (सं० १२०७९),



तिथि यं० १५५२ एवं मर्यादा ४०५५ की तिथि १५०७  
सकत् ।

सपुष्कालनिर्णय—माधवाचार्य द्वारा । प्रथम श्लोक  
'ब्राह्मणाय माधवाचार्यो धर्मान् पाराशरानव' है और  
अन्तिम है—'अग्निपाने च यैधुर्या तत्सालव्यापिनी  
तिथि' (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) ।

सपुष्काणवय ।

सपुष्पितामणि—बीरेदवरभट्ट गोडबोले द्वारा ।

सपुष्पातिथिवेक—गूढकमलानर मे य० ।

सपुष्पारहस्मृति—नि० नि० एव स० यी० मे य० ।

सपुष्पनिर्णय—निवनिधि द्वारा (बडोदा, सं० १२८५४) ।

सपुष्पद्धति—(या वर्गनस्वप्रदीपिका) ग्पुनाय के पुत्र  
पुरुषोत्तमात्मज वृष्णभट्ट द्वारा । वारिका, वृत्ति,  
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित । आचार,  
व्यवहार पर विवेचन । गो० (त्रिद १०, पृ०  
२८८); बडोदा (सं० १४२२, पाण्डु० मवत् १५९२,  
१५३५-६६०) । चन्द्रिका, स्मृतिमार एवं स्मृत्यर्थ-  
सार का उल्लेख है । १३२०-१५०० ई० के बीच ।

सपुष्पाराशरस्मृति ।

सपुष्पहस्पतिस्मृति ।

सपुष्पमस्मृति—अपराकं (याज्ञ० १।२३८) एवं हन्धपुष  
(ब्राह्मणमर्वस्व) द्वारा उल्लिखित ।

सपुष्पतिष्ठस्मृति ।

सपुष्पिष्णुस्मृति—अपराकं एवं हलायुष (ब्राह्मणमर्वस्व)  
द्वारा य० । आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा  
प्रका० ।

सपुष्प्यास—मस्कारमयूख मे य० । जीवानन्द (भाग २,  
पृ० ३१०-३२०) द्वारा प्रका० ।

सपुष्पशस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा  
प्रका० ।

सपुष्पातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५)  
द्वारा प्रका० ।

सपुष्पानकस्मृति—१४४ श्लोकों मे (बडोदा, सं०  
११८६३) ।

सपुष्पारितस्मृति—अपराकं द्वारा य० । आनन्दाश्रम

(पृ० १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पृ०  
१७३-१९१) द्वारा प्रका० ।

सप्तत्रिंशत्स्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा  
प्रका० । दे० प्र० १६ ।

सप्तवारवलायनस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१)  
द्वारा प्रका० ।

सलितार्चनचन्द्रिका—विद्यानन्दनाथ के गुरु सच्चिदानन्द-  
नाथ द्वारा ।

सलितार्चनदीपिका ।

सलितार्चनपद्धति—स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा-  
नन्दनाथ द्वारा । सम्भवत यह सलितार्चनचन्द्रिका ही  
है ।

सवणधाट्ट—(मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को  
सवण की रोटिया के अर्पण पर) ।

सलितस्मृति—दे० प्र० १३ । जीवानन्द (भाग ३,  
पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२-  
१८६) द्वारा प्रका० । ड० का० (पाण्डु० ४४,  
१८६६-६८) मे ६ अध्यायों मे एक सलितस्मृति है,  
जिनमे वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वर्ण्य-  
धर्म एवं प्रायश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैं ।

सिद्धतोमत्र ।

सिद्धतोमत्रकारिका ।

सिद्धधारणचन्द्रिका ।

सिद्धधारणदीपिका ।

सिद्धप्रतिष्ठा—अनन्त द्वारा ।

सिद्धप्रतिष्ठापनविधि—अनन्त द्वारा (बीधायन के  
अनुसार) । इच्छि० आ० (त्रिद ३, पृ० ५८४-  
५८५) ।

सिद्धविप्रतिष्ठाविधि—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट  
द्वारा ।

सिद्धार्चनचन्द्रिका—विष्णु-मुत्र गदाधरात्मज सदाशिव  
दशपुत्र द्वारा जयसिंह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत ।  
लेखक ने आशीचन्द्रिका भी लिखी है । १८वीं  
शताब्दी का प्रथम चरण ।

सैलपंचांगिका—५० प्रकार के विकल्पपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों

एवं लेख्यप्रमाणो पर सन् १२२२ ई० मे लिखित।  
दे० मण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, स० ४१०,  
पाण्डु० तिविसं० १५३६ अर्थात् १४७९-८० ई०)।

लेखपद्धति—बन्धकों, विक्रयपत्रों, सन्धिया के विभिन्न प्रकारों पर, ९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के साथ, गायकवाड ओ० सी० (१९२५)।

लेख्यप्रमाण—बत्सरज के पुत्र हरिदास द्वारा। उद्भव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक या मुहूर्तार के लिखने की कला) व नृपनीति पर ४६४ श्लोकों में एव ४ सर्गों में। पाण्डु० १६२५ ई० में उतारी गयी (ओफोस्ट का कंटलाग)।

लोकपालाष्टदान।

लोकप्रकाश—धोमेन्द्र द्वारा। ११वीं शताब्दी का उतराय। इसमें लेख्य प्रमाणों, बन्धक-पत्रों आदि के आददा रूप वर्णित हैं।

लोकसागर—अहल्याकामयन्तु मे व०।

लोकहितस्मृति।

लौगासिस्मृति—दे० प्रक० ५०।

बगिपुरेश्वरकारिका—बगिपुरेश्वर द्वारा।

बचनसग्रह—बडोरा (सं० ५५०७)।

बचनसमुच्चय—बीकानेर (सं० ४८९)।

बचनसारसग्रह—सुन्दराचाय के पुत्र श्रीशैलताताचार्य द्वारा। भद्रनपा० में उ०।

बटेश्वरसिद्धान्त—गदाधर के कालसार मे ।

बत्सरस्मृति—कालमाधव मे एव मन्वरी द्वार, (गीतम-धर्मसूत्र में) व०।

बचननिर्णय।

बटवराजीय—द्वय (सं० ४४८, रिपोर्ट १)।

बर्ज्याहारविवेक—बैतनाय द्वारा।

बर्णकाचार।

बैर्णशासन।

बर्णसङ्करजातिमाला—भार्गव राम द्वारा। नो० न्यु० (१, पृ० ३३९)।

बर्णसारसंग्रह—बैतनाय दीक्षित द्वारा।

बर्णाधमधर्म—बैतनाय दीक्षित द्वारा। सम्भवत उप-युक्त ही है।

बर्णाधमधर्मदीप—(या दीपिका) भाट्टाज गोत्रीय रायवात्भज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। सत्सारी, गोवप्रवरनिर्णय, स्याल्लीपाक, लक्षहोम, कौटिल्य, तुलापुत्र, वास्तुविधि, आह्निकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, मूर्तिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत।

बर्णाधमधर्मदीप—गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ० ४८९)। यह एक विशाल ग्रन्थ है।

बर्णमानपद्धति—रघु० के श्राद्धतत्त्व में व०। इसे नव्यवर्धमान० भी कहा जाता है।

बर्षकृत्य—लक्ष्मीधर के पुत्र हदयर द्वारा। १९०३ ई० में बनारस में प्रका०। दुर्गास्तवविवेक (शूलपाणि कृत) में व०।

बर्षकृत्य—चम्पहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा। सकान्ति एव १२ भाषों के श्रवण एव उत्सवः पर।

बर्षकृत्य—विद्यापति द्वारा। १५वीं शताब्दी के लगभग प्रथम भाग। रघु० के भद्रमासतत्त्व में व०।

बर्षकृत्य—शङ्कर द्वारा। इसे स्मृतिमुखाकर या बर्षकृत्यनिबन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (पृ० ४६८)।

बर्षकृत्य—हृत्नारायण द्वारा। सं० प्रा० (सं० ५०१७)।

बर्षकृत्यतरंग—वृत्त्यमहाशंख से।

बर्षकृत्यप्रयोगमत (माला)—मानेश्वरदामा द्वारा। पाण्डु० तिवि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, स० ३१२ एव जे० बी० आ० आर० एम्०, १९२७, भाग ३ एव ४, पृ० ४)।

बर्षकौमुदी—(या बर्षकृत्यकौमुदी) गणपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०१।

बर्षरपण—दिवाकर की बाल निर्णयचन्द्रिका में एव समय-मयूख में व०। १६०० ई० के पूर्व।

बर्षदीपिति—अनन्तदेव के स्मृतिशैस्तुन का भाग।

बर्षदीप—रूपनारायणीय में व०।

बर्षदीपिका—बन्धेश्वर के वृषत्लावर में व०।

धर्मशास्त्र—शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म-  
देव की आज्ञा से प्रणीत।

वसन्तराजीय—(उर्फं यकुनारणं) शिवराज के पुत्र एवं  
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के  
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के  
अद्भुतसागर एवं झूलराजि के दुर्गास्व द्वारा उल्लि-  
खित। ११५० ई० के पूर्व। टी० अकबर के शासन-  
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा।

वसिष्ठकल्प।

वसिष्ठधर्मसूत्र—दे० प्रव० १। बनारस स० सी० द्वारा,  
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा-  
श्रम (पृ० १८७-२३१) द्वारा प्रका०। टी० यज्ञस्वामी  
द्वारा। बीवायनसूत्र की गाविन्दस्वामिदोक्त में व०।

वसिष्ठसंहिता—(या महामहिता) शांति, जप, होम,  
बालदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी  
विषया पर ४५ अध्यायी में। अलवर (उद्धरण ५८२)।

वसिष्ठस्मृति—१० अध्यायी एवं लग० ११०० श्लोको  
में। वैष्णव ब्राह्मणों के सत्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वारा-  
धन, श्राद्ध, आशौच, विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठा पर। इण्डि०  
आ० (गिल्ड ३, पृ० ३९२, स० १३३९)। बड़ोदा  
(स० १८८५, पाण्डु० की तिथि तक १५६४ है।

वसिष्ठस्मृति—(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य,  
वेदमित्र द्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का  
कारण पूछा है। यहाँ की शान्ति, रक्षहाम, कोटिहोम  
पर। यह वसिष्ठद्वारा माध्यन्दिनी शाखापर आधारित  
है। ४० का० (पाण्डु० स० २४५, १८७९-८० ई०);  
बड़ोदा (स० १४१२, सबू १५६५, १५०८-  
९ ई०)। टीका में केवल श्लोकों के प्रतीक दिये गये  
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य  
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था।

वसिष्ठहोमपद्धति।

वाक्यतत्त्व—सिद्धान्तप्रधानन वृत्त। धार्मिक कृत्यों के  
उपयुक्त कालों पर। द्रैततत्त्व का एक भाग।

वाक्यमीमांसा—नृसिंहप्रसाद में व०।

वाक्यरत्नावलि—गदाधर के कालसार में व०।

वाग्भटस्मृतिसंग्रह—अपराकं द्वारा व०।

वाग्भटीतीर्थयात्राप्रकाश—रामभद्रके पुत्र गौरीदत्त द्वारा।  
वातस्याधिकर्मप्रकाश।

वाग्भयङ्कर—विज्ञानेश्वर ने एक अनुयायी द्वारा, वीर-  
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०। कल्पतरु  
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में।

वायुलवृत्तिरहस्य—(या वायुलवृत्तिरहस्य)  
सगमश्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋग्वेदभाषाकरण, ब्रह्म-  
धर्म, सत्कार, आह्निक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर।

वायुलवृत्तिरहस्य—अपराकं द्वारा व०।

वायुलवृत्तिरहस्य।

वारव्रतनिर्णय।

वारणसोत्तरपंथ—राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा।

वायनकारिका—श्लोकों में एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः  
छादिरगूह पर आधारित।

वामनपद्धति—श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द) में व०।

वारहगृह्य—गायकवाड सी० में २१ खण्डों में प्रका०।  
जानवर्म, नामकरण से पुसवन तक के सत्कारों एवं  
वैश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर।

वातिकसार—टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। १७८५ ई०  
में लिखित।

वाचिककृत्यनिर्णय।

वातकर्मप्रकाश।

वासिष्ठसमुच्चयकारिका।

वासन्तीविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रव० ९५।

वासिष्ठीशान्ति—विस्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा  
(उन्होंने सशोधित किया या पुन लिखा)। बीकानेर  
(पृ० ४९०)।

वासुदेवो—(या प्रयोगलमाला) बम्बई (१८८४  
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम,  
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः  
१६२० ई० के उपरान्त। मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डप-  
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम

प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीर्णपिण्डिकाया देव-  
स्थापनप्रयोग का वर्णन है।

वास्तुचन्द्रिका—कृष्णाशकर द्वारा।  
 वास्तुचन्द्रिका—वृषाराम द्वारा।  
 वास्तुतत्त्व—गणपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ ई०) में प्रका०।  
 वास्तुपद्धति—(या वास्तूदापन) बडोदा (सह्या १६०२)।  
 वास्तुपूजनपद्धति—परमानाथं द्वारा।  
 वास्तुपूजनपद्धति—याज्ञिकदेव द्वारा।  
 वास्तुप्रवीण—वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०।  
 वास्तुयागतत्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।  
 वास्तुरत्नावलि—जीवनाथ दैवज्ञ द्वारा। बनारस (१८८३) एक कलकत्ता (१८८५) में प्रका०।  
 वास्तुशान्ति—नारायणभट्ट के पुत्र रामवृष्ण द्वारा। आनन्दलायनगुरू के अनुसार। कमलाकरभट्ट के द्वास्तिरत्न में व०।  
 वास्तुशान्तिप्रयोग—आकलोवन।  
 वास्तुशान्तिप्रयोग—दिनकर के द्वास्तिसार से उद्धृत।  
 वास्तुशास्त्र—मय द्वारा। नि० मि० में उल्लिखित।  
 वास्तुशिरोमणि—मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेश से शंकर द्वारा। अल्वर (सं० ५७६)।  
 वास्तुसर्वस्वसंग्रह—बगलोर में मन् १८८४ में प्रका०।  
 विद्यारनिर्णय—गोपाल न्यायपञ्चानन भट्टाचार्य द्वारा। विजयवदामीनिर्णय।  
 विजयवदामीपद्धति—अल्वर (सं० १४४४ एव उद्धरण ३४४)।  
 विजयविलस—रामवृष्ण द्वारा। शीष, स्नान, सध्या, ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिर्णय पर। बर्क, हरिहर एव गदाधर के भाष्यो पर आधारित।  
 विमानमार्तण्ड—नृसिंहप्रसाद में व०।  
 विमानललित—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० १०९) द्वारा एक दानसार (नृसिंहप्रसाद के भाष्य) में व०।  
 विट्ठलीय—रामवृष्ण के श्राद्धसंग्रह में व०।  
 विद्वत्नीति—महाभारत के उद्योगपर्व के अध्याय ३३-४० बन्वई संस्करण में, गुजराती प्रेस द्वारा मुद्रित)।

विद्यारक्षणपद्धति—नित्याचारप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) में व०।  
 विद्यापरीविलास—रघु० के ज्योतिष्मत्त्व द्वारा व०।  
 विद्यारण्यसंग्रह—दे० स्मृतिसंग्रह।  
 विद्याविनोद—नि० सि० में व० (यह लेखक का नाम भी हो सकता है)।  
 विद्वन्मनोहरा—नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की टीका। दे० प्रक० १०५।  
 विधवाधर्म।  
 विधवाविवाहसङ्घटन।  
 विधवाविवाहविचार—हरिमिश्र द्वारा।  
 विधानसङ्घटन—नि० मि० में व०।  
 विधानमुष्क—अनन्त के विधानपारिजात में व०।  
 विधानपारिजात—नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। १६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 'वाग्बसाखाविदा त्रिय' कहता है। स्वस्तिसाधन, शान्तिकर्म, आह्निक, मन्त्रकार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण-विधान आदि पर पाँच स्तवकी में। देवनागीय, दिवादासीय, त्रिष्यलीसेतु का उल्लेख है। विन्दि० इण्डि० द्वारा प्रका०।  
 विधानमाला—(या द्वायार्थविधानमाला) अग्नि गोत्र के नृसिंहभट्ट द्वारा। बँराट देस में चन्दनगिरि के पास वसुमती के निवासी। सत्कारकौस्तुभ एव विधान-पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, सं० १७६९), पाण्डु० सं० १७३२ में उतारी हुई। आनन्दश्रम द्वारा प्रका० १९२०। बडोदा (सं० १०४५५, पाण्डु० तिथि न० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के पुत्र विद्वन्नाथ द्वारा।  
 विधानमासा—स्तुल द्वारा।  
 विधानमासा—विश्ववर्मा द्वारा।  
 विधानरत्न—नारायण भट्ट १।  
 विधानरहस्य—अहल्याबाधमेतु में व०।  
 विधानसारसंग्रह—अज्ञात। दे० बीकानेर (पृ० ४९४)।

विधिपुष्पमाला—(पद्धति) श्रीरस की पितृभक्ति में  
व०। १२०० ई० के पूर्व।

विधिरत्न—गंगाधर द्वारा।

विधिरत्न—त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एव प्रयोगपरिज्ञान  
द्वारा व०।

विनायकपूजा—मोगीश्वर के पुत्र एव 'शोच' (शोचि)  
विह्वल वाले रामकृष्ण द्वारा। सन् १७०२ ई० में  
प्रणीत।

विनायकशान्तिपद्धति—इस पर श्रीपराशर की टी०  
है। बडोदा (स० ५४९), स० १६०७ (१५५०-  
५१ ई०)।

विद्युत्कणभूषण—वैकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०।  
विभक्त्याविभक्तनिर्णय।

विभागतत्त्व—(या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र  
रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। स०  
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एव सप्रतिबन्ध  
दाय, मुख्यगौम पुत्रो, विभागकाल, अपुत्रशयादक्रम,  
उतराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर  
विवेचन है। भण्डारकर सभह में पाण्डु 'प्रातर'  
तक है।

विभागनिर्णय।

विभागसार—विद्यापति वृत्त। भवेद्य के पुत्र हरिसिंहा  
रमज दर्शनारायण के आदेश में प्रणीत। दायलक्षण,  
विभागस्वरूप, दायानर्ह, अविभाग्य, स्त्रीयत्न, द्वादश-  
विव पुत्र, अपुत्रवनाधिकार, सवृष्टविभाग पर। नो०  
न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)।

विभूतिधारण।

विमलोदयमाला—(या विमलोदयजपन्तमाला) आश्व-  
त्थानगृह्यसूत्र पर एक टी०।

विद्वद्विधिविषयस—मन्लदेव एव श्रीदेवी के पुत्र एव  
भगवद्वेजभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका  
गौरव काश्मिर था, पितामह बामन, पितामह के भाई  
स्कन्द एव प्रवितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी  
(सोमर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। तुलुका  
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एव

साधिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एव बामन। स्कन्द  
में हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और  
बामन अणहिल्लपाटक में घले गये। कुल मूलरूप में  
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में  
विभाजित है। इण्डि० आ० (पृ० ४८९, स० १५७७)  
पाण्डु० त्रिपि स० १५८२ चैन, अर्थात् १५२६ ई०।  
धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन याद  
दे सकता है), शूद्रप्रायश्चित्त आदि पर।

विलक्षणजन्मप्रकाशिका।

विसाससप्तहकारिका—गंगाधर के कालसार द्वारा व०।

विवस्वत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एव हेमाद्रि द्वारा व०।

विवादकल्पतरु—(लक्ष्मीधर वृत्त कल्पतरु का एक  
अर्ध)। दे० प्रक० ७७।

विवादकौमुदी—गीताम्बर सिद्धातवागीश द्वारा। शक  
१५२९, अर्थात् सन् १६०४ ई० में प्रणीत। लेखक  
आसाम के राजा के संरक्षण में था।

विवादचन्द्र—मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७।

विवादचन्द्रिका—अनन्तराम द्वारा। शूलपाणि एव  
स्मार्तभट्टाचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के  
पश्चात्।

विवादचन्द्रिका—चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रधर महामहो-  
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक  
वर्तमान को उ० करता है। व्यवहार (वानून) के  
१८ विषयों एक विवाद प्रकाश पर। स० १४५०  
ई०।

विवादचिन्तामणि—राधस्वामिमिश्र द्वारा। दे० प्रक०  
९८। बम्बई में मुद्रित।

विवादताण्डव—यमलकरभट्ट द्वारा। प्रकरण १०६।

विवादनिर्णय—गाला द्वारा।

विवादनिर्णय—धीवर द्वारा।

विवादभागवत—जगन्नाथ तर्कचामनद्वारा। दे० प्रक०  
११३। कोलकूक में इसके मुख्य विषयों में दो के  
अनुवाद उपस्थित किये हैं। वी० न्यू० (जिल्द १,  
भूमिका पृ० १३१४)।

विवादरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

विवाहवार्ति—रमापति उपाध्याय सन्निभ द्वारा।  
व्यवहार के १८ आगमों पर।

विवाहव्यवहार—गोपाल सिद्धान्तवामीश द्वारा।

विवाहसार—कुल्लूकशूत। लेखक के श्राद्धसागर में  
व०। दे० प्रक० ८८।

विवाहसाराणिक—सर विलियम जोस के कहने पर सन्  
१७८९ ई० में सर्वोच्च धर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरंगों  
में संगृहीत। इसमें आया है—'सर्वित्य मिस्तर-  
श्रीजोसमहीपासप्त' आदि। मद्रास गवर्नमेण्टे  
पाण्डु०, जिल्द ६, पृ० २४०७, सं० ३२०३।

विवाहसिन्धु।

विवादाणवमञ्जन—(या भङ्ग) गौरीकान्त एव अन्य  
पण्डितों द्वारा संगृहीत। ३० का० पाण्डु० सं०  
३६४ (१८७५ ७६ ई०) नो० (जिल्द ९, पृ०  
२४४, सं० ३१६५)।

विवादाणवसेतु—बाणेश्वर एवं अय पण्डितों द्वारा  
वारेन हेस्टिंग्स के लिए संगृहीत एव हल्हेड द्वारा  
अप्रजी में अनूदित (१७७४ ई० में प्रका०)। ऋणा-  
दान एव अन्य व्यवहारपदा पर २१ अमियों (सहरो  
अर्थात् प्रकरणा) में विभाजित। बम्बई के वेंकटेश्वर  
प्रेस में मुद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह  
प्रथम रणजीतसिंह (साहीर) की कचहरी में प्रणीत  
हुआ था। अन्त में प्रणेता पण्डितों के नाम आये हैं।  
नो० (जिल्द १० पृ० ११५-११६) एव नो० न्यु०  
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डितों के नाम  
वो आये हैं, किन्तु रणजीतसिंह का उल्लेख नहीं है।

विवादाणवसंग्रह।

विवाहकर्म—मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।

विवाहकर्मपद्धति—दे० विवाहपद्धति।

विवाहकर्ममन्त्रप्याख्या सुबोधिनी—अलवर (सस्या  
१४५२)। हरिहर पर आधारित है।

विवाहकर्मसमुच्चय—पाण्डु० सन् १११३ ई० में उतारी  
गयी। ह० प्र० (पृ० ११)।

विवाहसौमदी—सं० प्रा० (सं० ५१४०-४१)।

विवाहचतुर्षीकर्म।

विवाहतत्त्व—(या उद्गाहतत्त्व) रघु० द्वारा। दे० प्र०  
१०२। टी० काशीराम द्वारा।

विवाहतत्त्वानंभ—रघु० के उद्गाहतत्त्व (जिल्द २, पृ०  
११७) में व०।

विवाहद्विरागमनपद्धति।

विवाहनिष्पण—नन्दभट्ट द्वारा।

विवाहनिष्पण—वैद्यनाथ द्वारा।

विवाहपटल—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवतः  
वराहमिहिर या शाङ्गधर का ज्योतिष-सम्बन्धी  
ग्रन्थ।

विवाहपटल—सारगपाणि (शाङ्गपाणि?) द्वारा, जो  
मुकुन्द के पुत्र थे।

विवाहपटल—हरिदेवसूरि द्वारा।

विवाहपटलस्तवक—सोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बडोदा  
(सं० १३३)।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय)।

विवाहपद्धति—गौरीसागर द्वारा।

विवाहपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।

विवाहपद्धति—जगन्नाथ द्वारा।

विवाहपद्धति—नरहरि द्वारा।

विवाहपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

विवाहपद्धति—रामचन्द्र द्वारा।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिवमपद्धति) देवादित्य के  
पुत्र गणेश्वररामअ रामदत्त राजपण्डित द्वारा। ऐसक  
घण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०-  
१३६० ई० में थे। आम्बुदयिकत्राट्ट, विवाह  
चतुर्षीकर्म, पुसवन एव समावर्तन तक के अन्य  
संस्कारा पर। धाजसनेपियों के लिए।

विवापद्धति—अनूपविलास से।

विवाहपद्धतिव्याख्या—गूढभट्ट द्वारा।

विवाहप्रकरण—नर्क की लघुवार्तिका से।

विवाहपटल—हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायों में।

विवाहपटलसंक्षेप—शमकर द्वारा।

विवाहसुवाचन—राणिग या राणिग के पुत्र वेणवाचार्य  
द्वारा। विवाह के शुभ मुहूर्तों पर १७ अध्यायों में।

एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ ई०) है; दे० बी० बी० भार० ए० एम्०, भाग १, पृ० १०९ स० ३२२। महादेव के मुहूर्तदीपक एक टोडरानन्द ने व०। टी० दीपिका, केसव के पुत्र गणेशदेवज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५४४-५ ई०), दे० बी० बी० भार० ए० एम्० (भाग १, पृ० ११०, सं० ३३४) और भण्डारकररिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, पृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने सर्वप्रथम 'ग्रहलाघव' लिखा और तब 'श्राद्ध-विधि' और तब मुहूर्तसंस्व की टी० लीलावती पर एक टी०। टी० कल्याणवर्मा द्वारा।

विवाहसौख्य—नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरानन्द का एक अंश है।

विवाहाग्निनटिप्रायश्चित्त।

विवाहाधिकर्मानुष्ठातपद्धति—भवदेव द्वारा।

विवाहाविप्रयोगतत्त्व—रघु० का कहा गया है (नी०, जिल्द ११, भूमिका, पृ० १४)।

विवाहाकन्यास्वरूपनिर्णय—अनन्तराम शास्त्री द्वारा।

विधिविद्याविचाररत्नपुरा—भोज द्वारा। क्रुद्ध देवी को प्रसन्न करने, चापी, रूप आदि के निर्माण के विषय में। ह० प्र० (पृ० १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ (१४९०-९१ ई०)। यह धारेश्वर भोज से भिन्न है।

विवेकसौमुदी—रामकृष्ण द्वारा। शिखा एव यज्ञोपवीत धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान, तिलक-धारण, तर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड्र, प्रतिष्ठीतसंगमैव के विषय में विवेचन। नी० (जिल्द १०, पृ० १०५-१०७)।

विवेकदीपक—दामोदर द्वारा। महादानों पर; सन्नाम-साह के तत्परावधान में समुहीत; पाण्डु० (इण्डि० भा०, पृ० ५५१, स० १७१६) की तिथि स० १६३८ (१५८२ ई०)।

विवेकमंजरी।

विवेकसारवर्णन।

विवेकानंद—श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्परावर्णन में व०। १४७५-१५२५ ई०।

विद्युद्विषय—रघु० द्वारा। आर्षाच के दो प्रकारों (जननाशीच एव शावाशीच) पर।

विश्ववीथ—आचारार्क में वर्णित।

विश्ववैवहीसितीम।

विश्वनाथमट्टी—से० प्रा० (स० ५१९७)।

विश्वप्रकाश—ड० का० पाण्डु० (स० १४४, १८८४-८६)। वाजसनेय लोगों के लिए; सध्यावन्दन, कृष्णजन्माष्टमीनिर्णय, भ्रह्मनिर्णय एव श्राद्ध जैसे आह्निक कर्मों पर।

विश्वप्रकाशिकापद्धति—नारायणाचार्य के पुत्र त्रिविक्रमात्मज पुत्रोत्तम के पुत्र एव पराशरयोग वाले विश्वनाथ द्वारा। कतिपय कृत्यों एव प्रायश्चित्तों पर, आपस्तम्ब पर आधारित। १५४४ ई० में प्रणीत। दे० नी० (जिल्द १०, पृ० २३३-२३५)।

विश्वम्बरशास्त्र—शूद्रकमलाकर में व०।

विश्वरूपनिबन्ध—कृत्यविन्तामणि एव ति० सि० में व०। दे० प्रक० ६०। बीकानेर (पृ० ४९७, स० १९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः कन्या के लिए माता एव पिता से क्रमशः पाँचवीं एव सातवीं पीढ़ी के उपरान्त।

विश्वरूपसमुच्चय—रघु० द्वारा उदाहृतत्व में (जिल्द २, पृ० ११६) व०।

विश्ववार्द—गीतार्थप्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कविकान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर का भक्त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ श्लोको एव एक अनुष्टुप् छन्द में शीघ्र, दन्तधावन, कुशाविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताधन, दान के आह्निक कृत्यों पर; दूसरे काण्ड (शिवह्वार) में ४४ श्लोक विभिन्न छन्दों (मालिनी, अनुष्टुप्, मन्दाक्रान्ता आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ श्लोको (सभी अग्यत, केवल अन्तिम मालिनी) में एव चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ श्लोको (शार्दूलविक्रीडित, शिलारिणी, अनुष्टुप् आदि छन्द) में वानप्रस्थ, सन्यास, स्वपदायं, काशीमाहात्म्य

पर। लेखक के आश्रयदाता काशीस्य नागार्जुन के पुत्र धन्य या धन्यराज थे। मूञ्ज, धारेश्वर, मेघातिथि एवं विज्ञानेश्वर की ओर संकेत है। हेमाद्रि (३।२, पृ० १०२ जो विश्वनादरां ३।३७ की टीका में आया है) एवं स्मृतिचक्रिका (आशीच, मंसूर संस्करण, पृ० १६४—'पतिप्रता स्वयदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति चिर्यपिरोहणेन। दद्याह्वरी मतुरस्य शुद्धि आढद्वयं स्वात्सुपयोगकाले।') द्वारा व०। ११०० ई० के पश्चात् एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर संग्रह की १ पाण्डुलिपियां। टी० लेखक द्वारा (बी० बी० आर० ए० एम्०, भाग २ पृ० २२९-२३१)।

विश्वामित्रकल्प—ब्राह्मणों के आर्त्तिक कृत्या पर।

विश्वामित्रकल्पतव।

विश्वामित्रसंहिता—श्रीपर द्वारा।

विश्वामित्रस्मृति—दे० प्रक० ५७।

विश्वेश्वरनिबन्ध—संस्कारमयूस में व०। सम्भवत मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका।

विश्वेश्वरपद्धति—स यास पर विश्वेश्वर द्वारा। संस्कार मयूस में व०।

विश्वेश्वरस्मृति—हुला (सं० ६९)।

विश्वेश्वरस्मृतिभास्कर—हुला (सं० १४४)।

विश्वेश्वरीपद्धति—(या यतिवमसग्रह) चिदानन्दाश्रम के गिण्य अन्वृताश्रम द्वारा। ज्ञानाणव का उत्प्रेष है।

विश्वेश्वरीस्मृति—अन्वृताश्रम द्वारा।

विषयटिकाजननशान्ति—(या विदनाडीजननशान्ति बुद्धगायसंहिता से) विषयटिका नामक चार काला में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिकला के निवारणार्थ कृत्यों पर।

विष्णुतत्त्वप्रकाश—वनमाली द्वारा। भाष्य अनुयायियों के लिए स्मात कृत्या पर एक निबन्ध।

विष्णुतत्त्वविनिर्णय—आनदतीर्थ द्वारा।

विष्णुतीर्थीयम्भास्थान—मुरातमाचाय द्वारा।

विष्णुधर्ममीमांसा—योगभद्र के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा।

मन्वर (सं० १४५७)।

विष्णुधर्मसूत्र—दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १, पृ० ६०-१७६)। टी० वैजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा।

दे० प्र० १०५। नटवत्सलभविलास में व०।

विष्णुधर्मोत्तरामृत—जीमूतवाहन के कालविवेक में व०।

विष्णुपूजाक्रमवीथिका—शिवशकर द्वारा। टी० सदानन्द द्वारा।

विष्णुपूजापद्धति।

विष्णुपूजाविधि—शुकदेव द्वारा। बडोदा (सं० ५४८७ पाण्डुलिपि लेखक की कही गयी है सवत् १६९२, अपर्त्त १६३५ ६ ई०)।

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति।

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्पण—मायवाचाय के पुत्र नरसिंह

सोमयाजी द्वारा।

विष्णुभक्तिषट्क—निणयदीपक में व०।

विष्णुभक्तिषट्कश्लेष—नृसिंहारण्य या नृसिंहाचाय द्वारा।

१९\*कलाशा में, द्रव्यगुडिदीपिका में पुरुषोत्तम द्वारा व०। मुख्य वंणव प्रतो उत्तवा कृत्या पर।

पाण्डु० तिथि सवत् १४९६ (१४४० ई०), भण्डारकर (१८८३ ८४, पृ० ७६)।

विष्णुभक्तिरहस्य—रामानन्द द्वारा व०।

विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठाविधि—रामाचाय के पुत्र कृष्णदेव

द्वारा। वंणवधर्मनुष्ठानपद्धति या नृसिंहपरिचया पद्धति नामक बृहत् ग्रन्थ का एक अंग। पाण्डु० सवत् १६७५ में उतारी गयी।

विष्णुयागपद्धति—आपदेव क पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा क्रिय जानेवाले कृत्या पर। अलवर (सं० १४५८), बडोदा (सं० २२६४, टाक १६०४)।

विष्णुरहस्य—अपराक, दानसागर एवं जीमूतवाहन के कालविवेक द्वारा व०।

विष्णुधाड—गोभिलगृह में नारायणबलि का एक भाग।

विष्णुधाडपद्धति—(या वीरपूजापद्धति)।

विष्णुधाडपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। बडोदा (सं० ८१७१)।



विष्णुसमुच्चय—अपराकं, मदनपारिजात (पृ० २९१)  
द्वारा व०।

विष्णुस्मृति—दे० विष्णुपद्मसूत्र।

वीरगार्गीसिंहावलोकन—दे० वीरसिंहावलोकन।

वीरमिश्रोव्य—मित्रमिश्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर  
टी०। आधार पर चार भाग। चौलम्बा सीरीज  
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८।

वीरशंखधर्मनिर्णय।

वीरसिंहमिश्रोव्य—(संस्कारप्रवर्ण) राम ज्योतिर्विद्  
द्वारा।

वीरसिंहावलोकन—(या विलोकन) तोमरबगकेवमल-  
सिंहात्मज देवशर्मा के पुत्र वीरसिंह राजा द्वारा।  
इस जन्म में किये गये पापा की शान्ति पर। स०  
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रणीत। स्टीन (पृ०  
१८९)। ड० वॉ० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की  
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आयुर्वेद,  
ज्योतिषशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का संक्षेप है।  
यह गर्ग, गौतम, धालिहोत्र, भनु, व्यास, पुराण  
पर आप्त है। इसे 'सूर्याखण्ड' भी कहा गया  
है।

वृत्तोद्यपान।

वृत्तरत्नप्रदीपिका—द्रादसी को उपवास तोड़ने के उचित  
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा।

वृत्तशतसंग्रह—(या वृत्तशतव) मनोरथ के पुत्र एवं  
भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा। ति० सि०  
एव गोविन्दानंभु मे व०। ज्योतिष ग्रन्थ। लग०  
१९००-१९५० ई०। यागविधि, नक्षत्र विधि,  
भूषाभिवेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा  
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (स० ८१७३)।

वृद्धपोतमसंहिता—जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७-  
६३८) द्वारा मुद्रित।

वृद्धपाराशरसंहिता—(१२ अध्यायो मे) दे० वृद्ध  
पराशरसंहिता, प्रक० ३५।

वृद्धशातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० २३२-२३५)  
द्वारा मुद्रित।

वृद्धहारीतस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४  
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा  
मुद्रित।

वृद्धाश्रितस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९)  
द्वारा मुद्रित।

वृद्धिधाट्ट।

वृद्धिधाट्टदीपिका—उद्व के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धिधाट्टपद्धति—बनारस में उद्वद्विवेदी के पुत्र  
अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धिधाट्टप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का  
एक अंग)।

वृद्धिधाट्टविधि—कृष्णाशकर द्वारा।

वृद्धिधाट्टविनिर्णय—(माध्यन्दिनीय) उद्व के पुत्र  
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४)।

वृत्तानवपद्धति—बल्लभाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों  
के लिए।

वृषभदान।

वृषभोत्सर्ग।

वृषोत्सर्गकौमुदी—रामकृष्ण द्वारा।

वृषोत्सर्गतत्त्व—रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम  
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा।

वृषोत्सर्गपद्धति—कवीयशास्त्र से सम्बद्ध; शौनककृत  
कही गयी है।

वृषोत्सर्गपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।

वृषोत्सर्गपरिशिष्ट।

वृषोत्सर्गप्रयोग—(वाचस्पतिसंग्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों  
के लिए (बीषायनीय)।

वृषोत्सर्गप्रयोग—नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।  
नीलवृषोत्सर्गप्रयोग नाम भी है।

वृषोत्सर्गप्रयोग—(छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा  
गया है।

वृषोत्सर्गभाष्य—स्टीन (पृ० १०४)।

वृषोत्सर्गविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

वृषोत्सर्गविवर्द्धति—कात्यायनकृत, ३०७ श्लोको में।  
बड़ोदा (स० ९४७०, तिथि स० १५९२)।

बेगराजसंहिता—बेगराज द्वारा। सं० १५५९ (रुद्रोप-  
बाणरायी), अर्थात् १५०३ ई०।

बेनी—यात्रा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषय में।  
बीकानेर (पृ० ४९२)।

बेमुगोपालप्रतिष्ठा।

बेहव्यासस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा  
सू०।

बेहप्रत।

बेहानध्याय—वैदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में।  
बेहानसधर्मप्रश्न—दे० प्र० १५। टी० माधवाचार्य के  
पुत्र नृसिंहवाजपेयी द्वारा।

बेहानसमन्त्रप्रश्न—(बेहानससमन्त्रसूत्र के लिए मन्त्र)  
८ प्रश्नों में (चार प्रश्न सन् १९१० में कुम्भकाणम्  
द्वारा मुद्रित हुए)।

बेहानससंहिता—कालमाधवीय, नि० सि० एव समय-  
मपूख द्वारा व०।

बेहानससूत्रवर्षण—माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र  
नृसिंह द्वारा। बेहानसगृह्य के अनुसार परेलू इत्यो  
पर एक लघु पुस्तिका। इल्लौर में सन् १९१५ ई० में  
मुद्रित।

बेहानससूत्रानुक्रमणिका—कोण्डपाचार्य के पुत्र वैकट-  
योगी द्वारा।

बेहानसस्मृतिसूत्र—१० प्रश्नों में (गृह्य के ७ एव धर्म  
के ३)। सन् १९१४ में कुम्भकाणम् द्वारा एक  
बिन्दु-इण्डि० सीरीज में डा० कैलेंड द्वारा अनूदित।  
(१९२७ एव १९२९)। टी० माधवाचार्य के पुत्र  
नृसिंह वाजपेयी द्वारा।

बेजयन्ती—नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधर्मसूत्र पर टी०,  
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्र० १०५।

बेतरणीदान—बेतरणी पार करने के लिए काली गाय के  
दान पर।

बेतरणीदानप्रयोग—स्टीन (पृ० १०४)।

बैदिकप्रक्रिया।

बैदिकविजयध्वज।

बैदिकाचारनिर्णय—सच्चिदानन्द द्वारा।

बैद्यनाथसंग्रह।

बैद्यनाथीय—दे० स्मृतिमुक्ताफल।

बैशाभ्यायननीतिसंग्रह—दे० नीतिप्रकाश (अकालिका)।

बैशाभ्यायनस्मृति—मिताक्षरा (यात्र० ३।३२६) एव  
अपराक द्वारा वर्णित।

बैष्णवचन्द्रिका—रामानन्द न्यायवाणीस द्वारा।

बैष्णवधर्मसम्बन्ध—बडोदा (सं० १७४१)। पुष्कराण  
आदि के विरोध में।

बैष्णवधर्मपद्धति—कृष्णदेव द्वारा।

बैष्णवधर्ममीमांसा—अनन्तराम द्वारा।

बैष्णवधर्मसंग्रह—१०९ श्लोको में, सत्कार, गृह्यधर्म,  
आश्रमो, पारिभाष्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय।

बैष्णवधर्मसुरसूत्रमञ्जरी—निम्बार्क अनुगामी केराव  
काश्मीरी के अनुयायी सरुपणशरण द्वारा।

बैष्णवधर्मनिष्ठापद्धति—रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव  
द्वारा।

बैष्णवनिर्णय—अलवर (सं० १४६६)।

बैष्णवप्रक्रिया—वेदपूजालक्षण द्वारा। विज्ञानेश्वर,  
नि० सि० एव सुधीविलोचन का उल्लेख है।

बैष्णवलक्षण—ब्रह्मताताचार्य द्वारा।

बैष्णवसर्वस्व—हलामुपहृत। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लि-  
खित।

बैष्णवसिद्धान्तवीथिका—नृहरि के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र  
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नृसिंहात्मज  
विठ्ठल द्वारा।

बैष्णवाचारसंग्रह।

बैष्णवामृत—आर्त्तितत्त्व (रघु० हृत) एव नि० सि०  
में व०।

बैष्णवामृत—भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ०  
१८५-६)।

बैष्णवाह्निक—बडोदा (सं० १०५४३)।

बैष्णवोपयोगिनिर्णय—ड० का० फाण्डु (सं० १६०,  
१८८४-८६) तिथि सवत् १७३२ (१६७५-६ ई०)।  
इसमें प्रह्लादसंहिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख  
है। षठ्यासा एव अपववेद (एभिर्बन्धु तमस्य

चित्तैरिच्छिता लोके पुत्रगा भवेत्) से बलोक उद्धृत कर सतीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया गया है।

व्यतिषगनिर्णय—रघुनाथ भट्ट द्वारा।

व्यतीपातजननशास्त्रि—कमलाकर भट्ट द्वारा।

व्यतीपातप्रतफलप ।

व्यतीपातप्रकरण ।

व्यवस्थासंपर्ण—राधसर्मा के पुत्र आनन्दसर्मा द्वारा।

तियिस्वरूप, मलमास, सक्रान्ति, आशौच धाढ, दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-वृत्त्या एवं नियमो पर। नो० (जिल्द ८, पृ० २११)।

व्यवस्थादीपिका—राधानाथ शर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ८४)। केवल आशौच पर।

व्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। तियि, सक्रान्ति, आशौच, द्रव्यसुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर।

व्यवस्थाप्रकाश ।

व्यवस्थास्तमाला—गदापरने पुत्र लक्ष्मीनारायण न्यायालकर द्वारा। दायभाग, स्वीधन, दत्तकव्यवस्था पर १० गुच्छो मे। मित्तसारा एवं विद्यामाला का उल्लेख है।

व्यवस्थासंघ—अज्ञात।

व्यवस्थासंघ—रघुनन्दन द्वारा। पूर्वत्रय पर।

व्यवस्थासंघ—राधराधब वे आदेश पर रघुनाथ द्वारा।

व्यवस्थासंघ—रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय के अतर्गत।

व्यवस्थासंघ—गणेशभट्ट द्वारा।

व्यवस्थासंग्रह—गणेशभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्तराधिकार पर निर्णय।

व्यवस्थासंग्रह—महेय द्वारा। आशौच, सपिण्डीकरण, सक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आह्निक, देव-प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय मे निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर आधृत।

व्यवस्थासार—नारायणशर्मा द्वारा (बडोदा, पृ० ४५२)। आह्निक, आशौच, तियि, दत्तपुत्र, विवाह, धाढ पर। निम्नलिखित से भिन्न।

व्यवस्थासारसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार नियम पर। इसे व्यवस्थासारसचय भी कहा गया है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एव इण्डि० आ०, ० ४५३) जिसमे व्यक्त है कि प्रथमे आशौच, दायभाग एव धाढ का विवरण है।

व्यवस्थासारसंग्रह—महेय द्वारा। सम्भवत यह व्यवस्थासंग्रह ही है।

व्यवस्थासारसंग्रह—मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चन्द्रवर्ती द्वारा। तियि सक्रान्ति अत्येष्टि आशौच आदि पर। नो० (जिल्द ४, पृ० २८९ २९१)। ना० न्यू० (१ पृ० ३४९) मे लेखक को चट्टवश के रामगोपाल का पुत्र कहा गया है।

व्यवस्थामेनु—ईश्वरचन्द्र शर्मा द्वारा। पाण्डु० दक १७४१ (१८१९ २० ई०) मे उतारी हुई है।

व्यवहारकमलाकर—रामहृण्य के पुत्र कमलाकर द्वारा। धर्मतत्व का सातवाँ प्रकरण।

व्यवहारकल्पतरु—लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश)। दे० प्रक० ७७।

व्यवहारकोश—वद्यमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे।

व्यवहारकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बडोदा (स० १०१०५, तियि शक १५३५)।

व्यवहारचन्द्रोदय—सत्कारमसूत्र मे व०।

व्यवहारचन्द्रोदय—कीर्तिचन्द्रोदय का भाग। न्यायसम्बन्धी विधि एव विवादपदी पर।

व्यवहारचन्द्रोदय—भायमल्ल के पुत्र भदानीदासात्मज ऊपनारायण द्वारा। सवत् १६३७ (१५८०-८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (३० का० पाण्डु० स० १९९, १८८३-८५ एव नो०, जिल्द ५, पृ० ९१)। धर्माधान, पुसवन, सीमन्तोपवन एव अन्य सत्कारो, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित फलित उपातिय पर।

व्यवहारचिन्तामणि—वाचस्पति द्वारा। दे० प्रक० ९८।

- भाषा, उत्तर, क्रिया एक निगम पर। नो० (जिल्द ३, पृ० ३४)।
- व्यवहारतत्त्व—राजूरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७।
- व्यवहारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।
- व्यवहारतत्त्वालोक—देखिए व्यवहारलोक।
- व्यवहारनिलक—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३।
- व्यवहारदण्ड—अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार क अथ विवादपद प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षिमा, लेखप्रमाण, स्वामित्व, निगम पर।
- व्यवहारदण्ड—रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजघम, भाषा, उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राङ्ग्याय, साक्षी, लिखित, भुक्ति, जयपत्र पर।
- व्यवहारवन्दारलोक—(या दायदशक) श्राधरभट्ट द्वारा।
- व्यवहारदोषिति—राजघमकौस्तुभ का एक अर्थ।
- व्यवहारदोषिका—दिव्यतत्त्व म रघु० द्वारा उल्लिखित।
- व्यवहारनिर्णय—(गौड़) सूदकमलाकर मे उल्लिखित।
- व्यवहारनिर्णय—काशी निवासी भयाराममिश्र गौड़ द्वारा (जयसिंह के आदेश से)। न्याय विधि एक व्यवहार-पदा पर। ४० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) स० १८८५ (१७९८-९९ ई०) म उतारी गयी।
- व्यवहारनिर्णय—वरदराज द्वारा। स० वि० एव नि० सि० म व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (बनौल मे अनूदित किया है)।
- व्यवहारनिर्णय—श्रीपति द्वारा। ज्जातिस्तत्त्व एव त्रिपि-तत्त्व मे व०। सम्भवत धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष की बात पर।
- व्यवहारपरम्यास—दे० ट्राएनिएल कंट०, मद्रास, पाण्डु० सन् १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यव-हारालोकनयमं, प्राङ्ग्विशारुधर्मं, सभालक्षण, सम्म-लक्षण, सम्प्रोपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि एव भाषानिरूपण नामक ८ विषया पर।
- व्यवहारपरिभाषा—हरिदत्त मिश्र द्वारा।
- व्यवहारपरिच्छेद।
- व्यवहारप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय वा अर्थ)। दे० प्रक० १०८।
- व्यवहारप्रकाश—शरभोजी (सजौर के राजा, १३९८-१८३३ ई०) द्वारा।
- व्यवहारप्रकाश—हरिराम द्वारा।
- व्यवहारप्रदीप—वत्स्याणवर्मा द्वारा।
- व्यवहारप्रदीप—कृष्ण द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी ज्जातिय पर। ह० प्र० (५० २० एव २५३), रघु० के दिव्यतत्त्व म व०।
- व्यवहारप्रदीप—गणनाम मिश्र द्वारा। न्याय सम्बन्धी विधि पर।
- व्यवहारप्रदीपिका—सधमान द्वारा व०।
- व्यवहारमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। ८० प्रक० १०७। भण्डारकर श्री० इस्टि०, पूना, जे० आर० परपुरे, बम्बई एव बी० एन्० मण्डनिक द्वारा मुद्रित।
- व्यवहारमातृका—(या न्यायमातृका) जीमूतपाहन द्वारा। दे० प्रक० ७८।
- व्यवहारमायव—पराशरमाधवीय वा तृतीय भाग।
- व्यवहारमाला—वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी। मन्त्रार मे अधिक प्रयुक्त।
- व्यवहारमालिका—बडोदा (म० ६३७३)।
- व्यवहाररत्न—श्रीआलबराज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ देवज्ञ द्वारा।
- व्यवहाररत्नाकर—चण्डेस्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।
- व्यवहाररत्नावली।
- व्यवहाररशिरोमणि—वित्तानेस्वर-सिन्धु नारायण द्वारा। दे० प्र० ७०। ट्राएनिएल कंट० मद्रास, जिल्द ३, भाग १, पृ० ३९३८, स० २७५०।
- व्यवहारसमुच्चय—हरिगण द्वारा।
- व्यवहारसमुच्चय—रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व मे एव नि० सि० मे उल्लिखित।
- व्यवहारसर्वस्व—विश्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वरद्वारा।
- व्यवहारसार—भयाराम मिश्र द्वारा।
- व्यवहारसार—नि० सि० एव निर्णयदीपक मे व०।
- व्यवहारसारसंग्रह—नारायण धर्मा द्वारा।

व्यवहारसारसंग्रह—रामनाथ द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११२)।

व्यवहारसारोद्धार—मधुसूदन गोस्वामीद्वारा लाहौर के रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन् १७९९ ई०)।

व्यवहारसिद्धान्तपीठ्य—कोलम्बु के अनुरोध पर नदी-पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा।

व्यवहारसौख्य—टोडरानन्द का एक अंग।

व्यवहारसंग्रह—जयसिंह के आदेश से बनारस के मयारामगिरी गौड द्वारा। न्याय-विधि एवं व्यवहार-पदों का विवरण।

व्यवहारवार्ता—चक्रपाणि मिश्र द्वारा। ४० वा० पाण्डु० पृ० २४७ (१८८७ ९१ ई०)। भोजनविधि, अमो-ग्यान पर। पाण्डु० अधूरी है।

व्यवहारवार्तासार—मधुसूदन द्वारा। यह व्यवहारमारोद्धार ही है।

व्यवहारवार्तास्मृतिसारसमुच्चय—शरभोवी (तजौर के राजा, १७९८ १८३३ ई०) द्वारा। सम्भवत यह व्यवहारप्रकाश ही है।

व्यवहारालोक—गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा।

व्यवहारोच्चय—सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, नि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व।

व्यग्रस्मृति—(या व्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा (याज्ञ० ३।३०), अरराकं, हरदत्त द्वारा व०।

व्यासस्मृति—दे० प्रक० ५२। जीवनन्द (२, पृ० ३२१-३४२) एवं आनन्दामय (पृ० ३५७-३७१) द्वारा मु०। लग० २४८ श्लोक। टी० कृष्णनाथ द्वारा।

प्रजतत्त्व।

प्रजपद्धति।

प्रतिक्रमलाकर—कमलाकर मठ द्वारा। दे० प्रक० १०६।

प्रतिकल्प—निर्णयदीपक द्वारा उ०।

प्रतिकालनिर्णय—आदित्यमठ द्वारा।

प्रतिकालनिर्णय—भारतीतीर्थ द्वारा।

प्रतिकालनिष्कर्ष—मधुसूदन वाचस्पति द्वारा।

प्रतिकालविवेक—सूलाणि कृत। दे० प्रक० ९५।

प्रतिकौमुदी—रामकृष्णमठ द्वारा।

प्रतिकौमुदी—शङ्करमठ द्वारा।

प्रतिकौस्तुभ।

प्रतिकण्ड—चतुर्वर्गचिन्तामणि का प्रथम भाग।

प्रतिकुशमणि।

प्रतिकल्प—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

प्रतिनिर्णय—श्रीदुम्बरारि द्वारा।

प्रतिपञ्जी—श्रीगणेश के देवसिंह-पुत्र नवरत्न द्वारा।

प्रतिपद्धति—रघुवर महामहोपाध्याय द्वारा। दे० प्रक०

९६। एक पाण्डु० रक्ष्मणसेन सवत् (ल० स०)

३४४ (१४६३ ई०) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३।

प्रतिप्रकाश—श्रीरामनोदय का एक अंग।

प्रतिप्रकाश—देसिए प्रतिराज।

प्रतिप्रकाश—अनन्तदेव द्वारा।

प्रतिप्रतिष्ठातत्त्व—रघु० द्वारा। देसिए 'प्रततत्त्व'।

प्रतिप्रतिष्ठाप्रयोग—(या साधारणप्रतिप्रतिष्ठाप्रयोग)।

प्रतिबन्धपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा।

वाजसनेयशाखा के लिए।

प्रतिबोधविवृति—(या वृत्तबोधिनीसंग्रह) तिथिनिर्हण,

प्रतमहाद्वादशी, रामनवम्यादिवत्, मासनिर्हण,

वैशाखादिचैत्रान्तमासकृत्पनिर्हण पर वैष्णवी के

लिए पात्र परिच्छेद। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ०

१८२)।

प्रतरत्नाकर—सामराजद्वारा। शोलापुर में सन् १८७१

ई० में मुद्रित।

प्रतराज—कौशिकमठ द्वारा।

प्रतराज—(प्रतप्रकाश) गोपाल के पुत्र विद्वन्नाथ द्वारा।

शक १६५८ (अर्थात् १७३६ ई०) में बनारस में

संगृहीत। ये शाण्डिल्यपीठ के जितपावन ब्राह्मण थे

और रत्नगिरि जिले के संभवेद्वर से आये थे। कई

बार बम्बई में प्रका०। वैकटेश्वर प्रेस वाला संस्करण

नवीनतम है।

प्रतवस्त्री।

व्रतविवेकभास्कर—वृष्णचन्द्र द्वारा।  
 व्रतसंग्रह—वर्णाश्रम के राजा हरिसिंह के आदेश से प्रणीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश।  
 व्रतसमुच्चय—निगमदीपक द्वारा व०।  
 व्रतसंघात।  
 व्रतसागर—वण्डेश्वर द्वारा वर्णित।  
 व्रतसार—गदाधर द्वारा।  
 व्रतसार—दल्पति द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंग)।  
 व्रतसार—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९।  
 व्रताचार—गंगोली सञ्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्नपाणि शर्मा द्वारा खण्डबलकुल के छत्रसिंह-पुत्र वृद्धसिंह राज मिथिला के राजा महेश्वरसिंह की आज्ञा से लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार के रूप में एवं ज्योतिष के उ० किया है।  
 व्रतार्क—गदाधर दीक्षित द्वारा।  
 व्रतार्क—नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कर द्वारा। १६२० १६७५ ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन् १६७१ में लिखा है। सन् १८७७ एवं १८८१ में रत्नरत्न में मुद्रित हुआ।  
 व्रतोद्घोष—दिनकराद्घोष का एक अंग।  
 व्रतोद्घोषन।  
 व्रतोद्घोषनकौमुदी—शंकर द्वारा। ले० बल्लालसूरि के पुत्र घोर उपाधिधारी एवं चित्तपावन शास्त्रा के थे। इन्होंने वीर्योद्घोषनकौमुदी भी लिखी और अपनी वदानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। सन् १६२५ (संकेतसंस्कृत) अर्थात् १७०३-४ ई० में प्रणीत। ज्ञानदर्पण प्रसन्न बन्दर्ष में मुद्रित (१८६३ ई०)।  
 व्रतोद्घोषनकौमुदी—रामकृष्ण द्वारा। हेमाद्रि पर आयत। गौडा के दत्तों पर।  
 व्रतोपवाससंग्रह—निर्मगंराम भट्ट द्वारा।  
 व्रात्यताप्रायश्चित्तनिर्णय—(नागोजिभट्ट के प्रायश्चित्त-शुद्धि से उद्धृत। इसमें निर्णय हुआ है कि आयुनिवृत्त राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। बृहत् एवं अयुष्मत्तम सं० सी० द्वारा प्रका०।

व्रात्यतापुद्भि—स्टीन (पृ० १०५)।  
 व्रात्यतापुद्भिप्रह—चौखम्मा सं० सी० द्वारा प्रका०।  
 व्रात्यस्तोमपद्धति—माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यु० (जिल्द ३ पृ० १९४)। व्रात्य का अर्थ है पतित-सावित्रीक।  
 व्रातुनागव—(या शकुनशास्त्र या शाकुन) वसन्तराज द्वारा। दे० वसन्तराज्यीय के अन्तर्गत। टी० भानुचन्द्रगण द्वारा।  
 शक्रगीता—जीमूतबाहन के कालविवेक में एवं हेमाद्रि द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व।  
 शक्रप्रतिष्ठा—गृह बनाने के लिए नीव रखते समय के कृत्या पर।  
 शकरभट्टी।  
 शक्यकथारणवाद—पीताम्बर के पुत्र पुरपोत्तम द्वारा। बडोदा (७३६)।  
 शक्यरसमुच्चय—जीमूत० के कालविवेक में उल्लिखित।  
 शक्यलिखितधर्मसूत्र—दे० प्रक० १२। टी० कल्पतरु एवं वि० २० में व०।  
 शक्यलिखितस्मृति—दे० प्रक० १२, आनन्दा० (पृ० ३७२ ३७३) द्वारा प्रका०।  
 शतस्मृति—दे० प्रक० १२, जीवनानन्द (भाग २ पृ० ३४३ ३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४ ३९५) द्वारा मुद्रित।  
 शतशतस्मृति—मद० पारि० में उल्लिखित।  
 शतशतस्मृति—गोविन्द द्वारा।  
 शतशतस्मृतिप्रयोग—नारायणभट्ट के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा।  
 शतशतस्मृतिविधानपद्धति—जयरामभट्ट द्वारा।  
 शतशतस्मृतिविधानपुत्रापद्धति—दे० स्टीन (पृ० २३७)।  
 शतशतस्मृतिहस्तशतस्मृतिप्रयोग—कमलाकर द्वारा (उनके पाठिरत्न से)।  
 शतशतस्मृति—प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायश्चित्तशतशतस्मृति। टी० प्रायश्चित्तप्रदीपिका।  
 शतशतस्मृति—यत्नभट्ट द्वारा।  
 शतशतस्मृति—शंकर द्वारा।  
 शतशतस्मृतिप्रह—गदाधर के बालघार में व०।

शत्रुघ्नी ।

शत्रुघ्नोपशान्ति ।

शम्भाराम ।

शरदशस्मृति—व्रतप्रकाश या व्रतराज मे व० ।

शाकटायनस्मृति—अपरार्क एव श्राद्धमूल्य द्वारा उल्लिखित ।

शाकलस्मृति—व्यवहारमूल्य एव दत्तकमीभासा मे उल्लिखित ।

शांखायनगृह्यकारिका ।

शांखायनगृह्यनिर्णय ।

शांखायनगृह्यपरिशिष्ट—नि० सि० एव सत्कारकोस्तुभ मे उल्लिखित ।

शांखायनगृह्यसंस्कारपद्धति—विद्वनाय कृत ।

शांखायनगृह्यसंस्कार—ईश्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा (नारायण सी० द्वारा प्रका०) । स्टीन (पृ० १९, सबत् १४२८) ।

शांखायनगृह्यसूत्र—श्रोत्रवेनवर्ग द्वारा इण्डियन मे सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एव सै० बु० ई० (जिल्द २९) द्वारा अनूदित । टी० (भाष्य) हरदत्त द्वारा, शुद्धित्व के मत से कल्पतद्द्वारा ३०, ११०० ई० के पूर्व । टी० (केवल ४ अध्यायो पर), नी० (जिल्द १, पृ० २-४) । टी० प्रयोगदीप, घरणीघर के पुत्र दयाशंकर द्वारा । टी० अर्यदपंग, रघुनाथ द्वारा । टी० गृह्यसूत्रपद्धति या आधानस्मृति, श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूर्यदाससूनु रामचन्द्र द्वारा । टी० गृह्यवेदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी दिवेंदी के पुत्र नारायण द्वारा । गुजरात स्थित श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वशावली दी हुई है । श्रीपति उस कुल के चण्वाशु से आठवें थे । १६२९ (वर्षे नन्दकरतुं चन्द्रसमिते माघे आदि) सबत् (सम्भवत विक्रम सबत्) मे प्रणीत । लेखकने गृह्यसूत्रपद्धति भी लिखी । अलवर एव ड० का पाण्डु० (स० ६, १८७९-९०) । टी० बालावदीपपद्धति ।

शांखायनाह्निक—(या—ह्निकदीपिका) बलरराज के पुत्र अचल द्वारा । लग० १५१८ ई० ।

शाठपायन—(या—निम्मुति) जीमूत० के कालविवेक मे एव अपरार्क द्वारा व० ।

शाण्डिल्यगृह्य—श्रद्धत द्वारा व० । आपस्तम्बश्रौतसूत्र (११११२१) पर ।

शाण्डिल्यधर्मशास्त्र—(पद्य मे) गर्भावानादिसंस्कार, ब्रह्मचारिधर्म, गृहस्थविहितधर्म, गृहस्थनिर्वाहधर्म, वर्णधर्म, देहशोधन, सावित्रीजपादि, चतुर्वर्णराज पर । दे० ट्राएनीएल कैंट० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१ (जिल्द ४, पृ० ५१५३) के लिए ।

शाण्डिल्यस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३१२८०), स्मृतिच०, मस्करिभाष्य (गीतमधर्मसूत्र) द्वारा व० । भागवत-चार पर ५ अध्याया मे । मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (जिल्द ५, पृ० १९९१), बडोदा (स० ७९६६) ।

शातातपस्मृति—गद्य पद्य-मिश्रित । शुद्धि एव आचार पर । इडि० आ० (पृ० ३९८) ।

शातातपस्मृति—दे० प्रक० २८ । जीवानन्द (भाग २, पृ० ४३५-४५५) एव आनन्दाश्रम (पृ० ३९६-४१०) द्वारा प्रका० ।

शातातपस्मृति—४७ अध्यायो एव २३७६ श्लोको मे । नी० (जिल्द २, पृ० ४) ।

शान्तिकमलाकर—(या शान्तिरत्न) नमस्कार भट्ट द्वारा । अपशकुना की शान्ति पर । दे० प्रक० १०६ । बम्बई मे मुद्रित ।

शान्तिकल्पदीपिका—गृह्याग्नि मे मेढक पढने, पल्लीपतन, मूल या आश्लेया नक्षत्र मे पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति के कृत्यो पर ।

शान्तिकल्पप्रदीप—(या कृत्यापल्लवदीपिका) श्री कृष्ण विद्यावाणीश द्वारा । विरोधियो को मोहित करने, वश मे करने या मारने के मन्त्रो पर । पाण्डु० तिथि सबत् १८५१ ।

शान्तिकल्पलता—अज्ञात ।

शान्तिकल्पानी ।

शान्तिकविधि—वसिष्ठ कृत । २१३ श्लोको मे । देखिए वासिष्ठीभाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम से यह कहा है कि किस प्रकार वे (राम), रावण, पाण्डव लोग एव

कम विपरीत नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें अमृतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि पर विवेचन है। माध्यन्दिनीय शास्त्रा से भन्व लिये गये हैं। ड० व० पाण्डु० म० १०६ (१८७१-७२)।

शान्तिश्रीमदी—रामवृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा। सम्भवत यह शान्तिवमलाकर ही है।

शान्तिश्रीस्तुभ—से० प्रा० कंटलांग (स० ५५८५)।

शान्तिगणपति—गणपति रावल द्वारा। लग० १९८५ ई०।

शान्तिचन्द्रिका—बबोन्द्र द्वारा। बाप्यबन्दिवा (लेखन कृत) में व०। दे० औकरुट (पृ० २११ बी)।

शान्तिषरित्र।

शान्तिचिन्तामणि—तुलमुनि द्वारा। लेखन के नीति-प्रकाश में व०।

शान्तिचिन्तामणि—मोड जाति के विश्राम-पुत्र शिवराम द्वारा।

शान्तिस्थामुत्त—(या शान्तिवत्त्वामुत्त) नारायण चक्रवर्ती द्वारा। अद्मूलसागर का उल्लेख है। शान्ति की परिभाषा यों है—'यथा शस्त्रोपपाताना क्वच विनिवारणम्। तथा दैवांपपाताना शान्ति-भवंति वारमम् एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिष्ट-निवारण शान्ति।'।

शान्तिवीथिका—रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, मन्वारतत्त्व, एकादशीतत्त्व, धादितत्त्व (पृ० १९५) में व०।

शान्तिनिर्णय।

शान्तिपद्धति—विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के कृत्यों पर। लेखक ने छन्दोगान्तीयोक्तिक भी लिखा है। पाण्डु० (दण्ड० आ०, पृ० ५७०, म० १७६२) की तिथि म० १८०६ (१७४९-५० ई०) है।

शान्तिपरिभाषा—अनन्तभट्ट द्वारा।

शान्तिपुस्तक।

शान्तिपौष्टिक—वर्षमान कृत।

शान्तिप्रकरण—बीषायत्रीय।

शान्तिप्रकार—गोनिल द्वारा। वनप्रदीप के प्रथम ७ अध्याय।

शान्तिप्रकाश—वीरमित्रोदय से।

शान्तिभाष्य—वेदमित्र द्वारा। यह वासिष्ठीभाष्य ही है।

शान्तिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रब० १०७। बम्बई में जे० आर० धरपुरे द्वारा प्रका०।

शान्तिरत्न—(या शान्तिरत्नकर) कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रब० १०६ (बी० बी० आर० ए० एम्० कंट०, पृ० २३४, स० ७२९)। दे० 'शान्तिवमलाकर'।

शान्तिविवेक—विश्वनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के कृत्यों पर (मदनरत्न का एक अंश)। दे० अलवर (२५३)।

शान्तिवैश्वर—नि० सि० एव मन्वारकौस्तुभ में उ०-शान्तिसार—दल्पतिराज द्वारा (नृसिंहप्रसाद का अंश)।

शान्तिसार—रामवृष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा। अमृत-होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वैनायकीशान्ति, विवाहादी शान्ति नामक शान्ति कृत्यों पर। बम्बई में कई बार मुद्रित।

शान्तिहोम—भाष्य द्वारा।

शान्तिपुस्तोत—मदनरत्न का अंश। दे० प्र० ९४।

शान्ति-पौषण—मदनरत्न का अंश। दे० प्रक० ९४।

शान्तिव्यगृह्यसूत्र।

शारदारामदीपिका—दुर्गास्तवविवेक में एक रघु० द्वारा व०।

शारदारामदीपिका—मदरद्वारा के द्विकल्पपर्याप्तिक श्रीहरण के पुत्र लक्ष्मणदेसिनेन्द्र द्वारा। तांत्रिक ग्रन्थ, किन्तु धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बहूधा उद्धृत हुआ है। सर्वदार्शनिक-मयह एव रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३०० ई० के पूर्व। टी० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयी द्वारा कुण्डमण्डपलक्षण में व०। टी० गूढार्थदीपिका, श्रीराम भारती के शिष्य त्रिक्रमज द्वारा। टी० गूढार्थप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा। टी० गूढार्थसार, विक्रमभट्ट द्वारा। टी० वासीनाथ द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेसिक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप,



राघवेंद्र के पुत्र गदापर द्वारा; मिथिला के राजा भैरवेंद्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में लग. १४५० ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द ६, पृ० २३३)। टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मयूरानाथ शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्पादर्च, रामेश्वररामज्य पृथ्वीपर के पुत्र राघवभट्ट द्वारा, धतराज मे व०; लेखक का कुल जनस्थान (नासिक) से बनारस आया था, १५५० रौद्रपीपसित १२ (सम्भवत विक्रमसं०) में प्रणीत, अलवर (१६९)। टी० रामदीक्षित द्वारा। टी० शम्भारं चिन्तामणि, प्रेमनिधिपण्य द्वारा। टी० हर्षकौमुदी, श्रीहर्षदीक्षित द्वारा।

शाहराषाभिषेक—रामचन्द्र द्वारा।

शालग्रामदानकल्प।

शालग्रामदानपद्धति—वाबादेव द्वारा। दे० इण्डि० आ० (पृ० ५९३, स० १८०५), पाण्डु० तिथि सवत् १८५८ (१८०१-२ ई०)।

शालग्रामविषय।

शालग्रामपरीक्षा—शंकर देवस्य द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५९२)।

शालग्रामपरीक्षा—वीरानेर (पृ० ४५०)। एक भिन्न ग्रन्थ।

शालग्रामलक्षण—अज्ञात। नो० न्यू० (२, पृ० १८७)।

शालग्रामलक्षण—नुरगवदन पण्डित द्वारा।

शालग्रामलक्षण—मदाशिव द्विवेदी द्वारा।

शालंकायनस्मृति—स्मृतिज०, हेमाद्रि, मद० पा० एव नि० सि० द्वारा व०।

शालाकरुणपद्धति—यशुपति की दशवर्षदीपिका का एक अक्ष। -

शास्त्रदीप—अग्निहोत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बडोदा, ८१३२), तिथि सवत् १६९४ (१६०७-८ ई०)। प्रायश्चित्त पर, व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्लेख है।

शास्त्रदीपार्थसार।

शास्त्रसारबलि—हरिभानु शुक्ल द्वारा।

शास्त्रसारोद्धार—दानन्द राव (?) के आदेश ने

होसिंग कुल के इण्ड द्वारा। दे० बर्नेस (पृ० १३३ ए)। हेमाद्रि, माधव एव मदनरत्न का उ० है। १५५० ई० के पश्चात्।

शास्त्रौपवेशकर्म।

शिक्षामुद्रोय—नि० सि० में उ०। सं० प्रा० सं० ५६७०।

शिवतरवस्ताकर—कैलडि कुल के राजा बसुपनायक प्रथम द्वारा। राजनीति पर एक अध्याय है। बल्लोको में विभक्त एव प्रत्येक कल्लोल कई तरंगों में विभक्त। मद्राज से बी० एस्० नाथ एण्ड कम्पनी द्वारा प्रका०।

शिवरामनार्थनपद्धति—अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनयांसिंह के लिए प्रणीत। अलवर (स० १४८५)।

शिवसुमनिशीपिका—यह दिनकरोद्घोत ही है।

शिवसुजनपद्धति—हरिराय द्वारा।

शिवपूजा—(अधोपपद्धति) दे० बीकानेर (पृ० ६११)।

शिवसुजातरंगिणी—अपराम के पुत्र एव जड़े विशदधारी वासीनाथ द्वारा।

शिवपूजापद्धति—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० २२५)।

शिवपूजापद्धति—राघवानन्दनाथ द्वारा।

शिवपूजाप्रकार।

शिवपूजासंग्रह—वल्लभेन्द्र सरस्वती द्वारा।

शिवपूजासुत्रव्याख्यान—अग्नि गौड के पाण्डुरंग के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बौधायन सूत्र की व्याख्या की गयी है। ना० (जिल्द १०, पृ० ३४७)।

शिवप्रतिष्ठा—कमलाकर द्वारा।

शिवरात्रिकल्प।

शिवरात्रिनिर्णय—शिवोपाध्याय द्वारा। दे० 'महाशिव-रात्रिनिर्णय'।

शिवलिंगपरीक्षा।

शिवलिंगप्रतिष्ठाकर्म।

शिवलिंगप्रतिष्ठाप्रयोग।

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि—अनन्त द्वारा।

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा।

शिवायाम्बावती—वीरेश्वर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा।

दे० प्रक० ९०।

शिवातर्कस्थ—नि० सि० मे एव रघु० द्वारा उल्लिखित।

शिवाराधनदीपिका—हरि द्वारा।

शिवाचंनचन्द्रिका—नि० सि० मे व०।

शिवाचंनचन्द्रिका—अप्पयदीक्षित द्वारा।

शिवाचंनचन्द्रिका—श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट द्वारा। १६ प्रकाशो मे।

शिवाचंनपद्धति—अमरे वर द्वारा।

शिवाचंनशिरोमणि—नारायणानन्द नाथ द्वारा।

शिवाचंनशिरोमणि—लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द नाथ द्वारा। २० उल्लासो मे।

शिवालयप्रतिष्ठा—राधाकृष्ण द्वारा।

शिवाष्टमूर्तितत्त्वप्रकाश—सदाशिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य रामेश्वर द्वारा।

शिष्टिभाष्य—दे० नोपायनगृह्यभाष्य।

शुक्लनीतिसार—ऑपेंट द्वारा मद्रास मे सन १८९२ ई० मे एव जोवानन्द द्वारा १८९२ ई० मे प्रका० तथा प्रो० वितयकुमार सरकार द्वारा थैंकेड बुक आव दि हिंदू सोरीज मे अनुदित। चार अध्यायो मे एव २५०० श्लोका मे। इसमे राजधर्म, अस्त्र-शस्त्रा एव बाल्य (आग्नेयचूर्ण) आदि का वर्णन है।

शुक्लाष्टमी।

शुद्धदीपिका—दुर्गादत्तचन। ह० प्र० (पृ० २१ एव २५५)। प्रयागमार मे सङ्गृहीत।

शुद्धसौम्य।

शुद्धिकारिका—(१) रामभद्र ग्यापात्रकार द्वारा। रघु० के शुद्धितत्त्वपर आपृत। (२) नारायण वन्द्यापाध्याय द्वारा। ना० न्यू० (२, पृ० १९६)।

शुद्धिकारिकावलि—माहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा। ना० न्यू० (१, पृ० ३६७-३६९)। शुद्धितलाकर का उल्लेख है।

शुद्धिकौमुदी—गार्गिन्दानन्द द्वारा। बिन्डि० इण्डि०। दे० प्रक० १०१।

शुद्धिकौमुदी मट्टेश्वर द्वारा। महम्मन, आशौच, सपि-

ण्डतानिरूपण, गर्भसावासीच, सद्यसीच, शवानु-गमनाराच, अन्त्येष्टिविधि, भूमिपुष्टय, अस्थिसचयन, उदकादिदान, पिण्डोद्बन्धान, वृषोत्सर्ग, प्रेतक्रियाधि-कारी, द्रव्यसुद्धि पर।

शुद्धिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बडोदा (स० १०१८३)।

शुद्धिगुच्छ—गदाधर के बालसार के वर्णित।

शुद्धिचन्द्रिका—कालिदास द्वारा। इत्या (स० ९३)।

शुद्धिचन्द्रिका—कौशिकदित्य के पङ्गीति या आशौच-निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका। दे० प्रक० १०५।

शुद्धचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

शुद्धितत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। जोवानन्द द्वारा प्रका०। टी० बाँकुडा मे विष्णुपुर के निवासी राधावल्लभ के पुत्र बासीराम वाचस्पति द्वारा, कलकत्ता मे १८८४ एव १९०७ ई० मे मुद्रित। टी० गुरुप्रसादन्यायभूषणभट्टाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ३७१)। टी० रामामोहन शर्मा द्वारा, कल्कत्ता मे १८८४ एव १९०७ मे मुद्रित। शुद्धितत्त्वकारिका—रामभद्र ग्यापालकार द्वारा। उप-र्युक्त शुद्धिकारिका ही है।

शुद्धितत्त्वकारिका—हरिनारायण की। रघु० के शुद्धितत्त्व पर आपृत।

शुद्धितत्त्वार्णव—श्रीनाथ कृत। शुद्धितत्त्व मे व०। (रघु० कृत) लग० १४७५-१५२५ ई०।

शुद्धिचरण—अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परि-भाषा यह दी हुई है—'विहितकर्माहंत्वप्रयाजको धर्म-विद्यार शुद्धि।' गार्गिन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही विषय द्यमे हैं।

शुद्धिदीप—(या-प्रदीप) बंसबभट्ट द्वारा। गार्गिन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के विषया वा ही विवेकन है।

शुद्धिदीप—नि० सि० एव विधानपरिजात तथा द्रव्य के शुद्धिविषय मे व०।

शुद्धिदीपिका—(१) गार्गिनाम महीन्तापनीय कृत; ज्यातन गार्ग्यव्रतना एव रागिनिषय, षट्निर्णय, सारा-शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातव-

निर्णय, नामादिनिर्णय, याचानिर्णय नाम ॥ भा०  
 शम्भायी मे । लग० ११५९-६० ई० मे प्रणीत (दे०  
 इण्डियन एंटीक्वरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६-  
 १४७); हलामुष के ब्राह्मणमर्मसर्व में व० । वराह-  
 मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त  
 उद्धरण लिये गये हैं । टी० प्रभा, कृष्णाचार्य द्वारा ।  
 टी० प्रकाश, रायवाचार्य द्वारा । (कलकत्ता में सन्  
 १९०१ में मुद्रित) । टी० अर्थकौमुदी, गणपतिभट्ट  
 के पुत्र गोविन्दानन्द कविककणाचार्य द्वारा । दे०  
 प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन् १९०१ में मुद्रित) ।  
 टी० दुर्गादत्त द्वारा, प्रपचसार (ह० प्र०, पृ० २१  
 एवं २५५) पर आमुत् । टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा ।  
 टी० केशवभट्ट द्वारा । यह शुद्धिप्रदीप ही है ।

शुद्धिबोधिकावृत्ति—भयूरानाय शर्मा द्वारा ।

शुद्धिनिबन्ध—वद्वयर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा । लेखक के  
 पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र  
 देवसिंह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह  
 जयपर लाढ़ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । लग०  
 १४५० ई० ।

शुद्धिनिर्णय—उमापति द्वारा ।

शुद्धिनिर्णय—गोपाल द्वारा ।

शुद्धिनिर्णय—वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्मित्र द्वारा ।

दे० प्रक० ९८ ।

शुद्धिप्रश्नो—रघु० के शुद्धितत्त्व में व० ।

शुद्धिप्रकाश—बनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो  
 शम्भुदेववरपुरी वामी पुष्पांतमारमज हर्षिभट्ट के  
 अनुज आपाजिभट्ट के पुत्र थे । सवत् १७५२ (दीपु-  
 सत्तेन्दुवत्सरे), अर्थात् १६९५-९६ ई० में प्रणीत ।  
 दे० नो० (जिल्द २, पृ० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर  
 (१७३२ सवत् में प्रणीत) पर लेखक की टीका  
 (सेतु) का उल्लेख है ।

शुद्धिप्रकाश—रघु० के शुद्धितत्त्व में व० ।

शुद्धिप्रकाश—छोटाराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र  
 कृष्णशर्मा द्वारा ।

शुद्धिप्रदीप—केशवभट्ट द्वारा । दे० शुद्धिदीप ।

शुद्धिप्रदीपिका—कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा ।

शुद्धिप्रभा—वाचस्पति द्वारा ।

शुद्धिभिम्ब—वद्वयर्मा के शुद्धिविवेक में व० । १०. ११०  
 के पूर्व ।

शुद्धिमकरन्द—सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा ।

शुद्धिमूल—नीलकण्ठ द्वारा । दे० प्रक० १०७ । जे०  
 आर० परपुरे द्वारा बम्बई में प्रका० ।

शुद्धिमुहतावली—बगाल में काञ्चिजिल्लीयकुल के महा-  
 महोपाध्याय श्रीम द्वारा । आशीच पर । नो० न्यू०  
 (२, पृ० २०१) ।

शुद्धिरत्न—अनूपविलास से लिया हुआ ।

शुद्धिरत्न—दयाशकर द्वारा ।

शुद्धिरत्न—गगाराम के पुत्र भणिराम द्वारा ।

शुद्धिरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा । दे० प्रक० ९० (पृ०  
 ३६७) ।

शुद्धिरत्नाकर—भयूरानाय चक्रवर्ती द्वारा ।

शुद्धिलोचन ।

शुद्धिवचोमुहतामुच्छक—माधिक्यदेव (अग्निचित् एवं  
 पण्डिताचार्य उपाधिधारी) द्वारा । आशीच, आपद्धर्म,  
 प्रामदित्त आदि पर । ट्राएनिएल कंट०, मद्रास,  
 पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५४७४) ।

शुद्धिविवेक—(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हल्वर के  
 अनुज वद्वयर्मा द्वारा । दे० प्रक० ९६ । (२) श्रीकरा-  
 चार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा । अन्त में शूलपाणि का  
 उ० है । १४७५-१५२५ ई० । (३) अनिरुद्ध की  
 हारलता का एक अंश । (४) शूलपाणि द्वारा,  
 दे० प्रक० ९५ ।

शुद्धिविवेकोद्घोत—मदनरत्न का भाग ।

शुद्धिभयवस्थासंक्षेप—गौडवासी चिन्तामणि न्यायवागीश  
 द्वारा । स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश, पाण्डु०  
 तिथि शक १६१० (१६८८ ८९ ई०) । दे० नो०  
 (जिल्द ४, पृ० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायदित्त,  
 उद्वाह, श्राद्ध एवं दाप पर भी ग्रन्थ लिखे हैं ।

शुद्धिभयवस्थासंग्रह ।

शुद्धिसार—(१) कृष्णदेव स्मार्तवागीश (बन्ध्यापदीय

- ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाधर द्वारा। (३) श्रीकठ धर्मा द्वारा। नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० ३७२)।
- शुद्धिसेतु—उमाशंकर द्वारा।
- शुद्धिपुण्ड्रस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।१६) एवं अपराकं द्वारा व०।
- शुद्धकर्मनिर्णय—मुरारि मिश्र द्वारा। गोभिल के अनुसार गृह्य कृत्यों पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, जिल्द ६, पृ० ७)।
- शुद्धकर्मलाकर—(या शुद्धमंतत्त्व) कमलाकर भट्ट कृत। दे० प्रक० १०६।
- शुद्धकर्मवृत्ति—शेषशृङ्गा की शुद्धाचारविरोमणि में व०।
- शुद्धकुलवीपिका—रामानन्द धर्मा द्वारा। बंगाल के कायस्थों के इतिहास एवं बंशावली का विवेचन है। नो० (जिल्द २, पृ० ३५)।
- शुद्धकृत्य—लालबहादुर द्वारा।
- शुद्धकृत्यविचारतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्रक० १०२।
- शुद्धअपविधान।
- शुद्धधर्मतत्त्व—कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शुद्धकर्मलाकर ही है।
- शुद्धधर्मबोधिनी—मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्रक० ९३।
- शुद्धधर्मसूत्रोत्—दिनकरोद्घोत का एक अंश। गामामट्ट द्वारा पूर्ण किया गया।
- शुद्धअष्टसंस्कारविधि—कर्मण्य द्वारा।
- शुद्धपद्धति—मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहणपाल के पुत्र आपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौडदेश में सवत् १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, जिल्द ५, पृ० ३०२); आढिक्रियाकौमुदी एवं धाट्टतत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह संमिश्र के ग्रन्थ पर आधारित है। अन्त के श्लोक में आया है—  
'वाके शुभसरोजसम्भवमुष्माभोराशिचन्द्रान्विते'  
(सक सं० १४४२=१५२० ई०)।
- शुद्धपद्धति—गोपाल के पुत्र शृण्णतनय गोपाल (उदास विषदधारी) द्वारा। शूद्रों के १० संस्कारों पर एक बृहत् ग्रन्थ, यथा—गर्भाधान, पुमवन, अनवलौमन,

सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न-प्राशन, चूडाकर्म, विवाह पर एवं पंचमहायज्ञों पर भी। मसूख एवं शुद्धितत्त्व का उल्लेख है। १६४० ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका भी कहा गया है।

शुद्धपद्धति—स्मृतिमहाराज के अंश के रूप में शृण्णराज द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गौदान से आरम्भ है। बडोदा (सं० ८०२३)।

शुद्धविवेक—रामचन्द्र द्वारा।

शुद्धयाज्ञपद्धति—रामदत्त ठक्कुर द्वारा।

शुद्धपट्टकर्मचन्द्रिका।

शुद्धसंस्कारवीपिका—शृण्णभट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। बडोदा (सं० ८९७५)।

शुद्धसंकर—अलवर (सं० १४९२)।

शुद्धस्मृति।

शुद्धाचार—लगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र दिये हुए है।

शुद्धाचारचिन्तामणि—मिथिला के हरिनारायण के दरबार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित।

शुद्धाचारपद्धति—रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह सदिग्ध है कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का घबेरा भाई था।

शुद्धाचारविवेकपद्धति—गोण्डिमिश्र द्वारा।

शुद्धाचारविरोमणि—गोविन्दाण्व के लेखक नृसिंहशेष के पुत्र शृण्णशेष द्वारा। भेदावदास (जिन्होंने दक्षिण में अपनी शक्ति प्रदर्शित की और जो परमवैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध पर प्रणीत। ३० वा पाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) स्तम्भतीर्थ (लम्नात) में सवत् १६४७ की फाल्गुन वदी ४, गुरुवार (माघ ४, १५९१ ई०) को उतारी गयी। गाविन्दान्व, मिताक्षरा, सखबर, शरद-मंजुति, नूदोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और लक्षण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० ई० के बीच में। 'शेष' वश के लिए दे० इन्द्र० एस्टीववेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)।

शूद्राचारसंग्रह—(या सञ्जुद्राचार) नवरंग सौन्दर्य मद्रु  
द्वारा।

शूद्राहृदयतत्त्व—(—प्रयोग)—रघु० द्वारा। नो० न्यु०  
(जिल्द २, पृ० २००)।

शूद्राङ्गिक।

शूद्राङ्गिकाधार—धीरमंजुत। ताड-मत्र पाण्डुलिपि की  
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है।

शूद्राङ्गिकाधारसार—वासुदेव के पुत्र गौड के राजकुमार  
ग्युदेव की आमा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो० न्यु०  
(पृ० ३७३)।

शूरीपद्धति।

शूरीपद्धति—शेषवृष्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लि-  
खित।

शूरीवृद्योत—देखिए 'शूद्रधर्मोद्योत'।

शैवकल्पद्रुम—अप्यग्यदीक्षित द्वारा।

शैवकल्पद्रुम—लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा।

शैवतत्त्वप्रकाश।

शैवतत्त्वामृत।

शैवतत्त्वसंग्रह।

शैवधर्मसङ्घन।

शैवरत्नाकर—ग्योतिर्नाथ द्वारा। हुत्स (सं० ७६)।

शैवसंस्कृतप्रतिष्ठाप्रयोग।

शैवसंस्कृतसङ्घन।

शैवसर्वस्व—हलायुज द्वारा। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लि-  
खित।

शैवसर्वस्वसार—विद्यापति द्वारा। भवेनात्मज देवनिह  
के पुत्र शिवसिंह सुत मिथिलाखन्देश पर्यसिंह की  
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००-  
१४५० ई० के बीच। मो० (खण्ड ६, पृ० १-५)।

शैवसिद्धान्तदीपिका।

शैवसिद्धान्तशेखर—(या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में  
उ०।

शैवसिद्धान्तसंग्रह।

शैवसिद्धान्तसार।

शैवसिद्धान्तसारावलि—(या सिद्धान्तसारावलि)।

शैवसङ्गिक।

शैवसङ्गण।

शैवसंग्रहविवृति—भट्टाचार्य द्वारा।

शैवाधनविधि।

शैवाचारपद्धति—हेमाद्रि (वतखण्ड १।५९) द्वारा उ०।

शैवकारिका—(या शैवकोवचवृद्धकारिका) ४० का०  
पाण्डु० (१७, १८६९-७०)। २० अध्यायो में एक  
बृहत् ग्रन्थ। गृह्य कृत्यो पर। आश्वलायनाचार्य,  
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख  
है। पाण्डु० की तिथि सवत् १६५३ (१५६६-६७  
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं०  
८६३७)।

शैवकारिकाबली—से० प्रा० (सं० ५८९८)।

शैवकगृह्य—विश्वरूप, अपराकं, हेमाद्रि द्वारा व०।

शैवकगृह्यपरिशिष्ट—अपराकं द्वारा व० (पृ० ५२५)।

शैवकपञ्चसूत्र।

शैवकस्मृति—दे० बी०००० आर० ए० एत्० (पृ०  
२०८), जहाँ पद्य में एक बृहत् ग्रन्थ की चर्चा है,  
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्यालीपाक, ग्रहदाग्नि,  
गर्माधानादि सत्कारो, उत्सन्ननोपाकर्म, बृहस्पति-  
दानि, मयुर्वर्क, पिण्डवित्तुमन्त्र, पार्वणश्राद्ध, आश्रयण,  
प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, अयागपारिजात,  
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है।

शैवकी—नवग्रहों की पूजा पर।

श्वषणद्वादशीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा।

श्राद्धकमल—नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०।

श्राद्धकला—भवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ  
भाग। कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा  
दी हुई है—'धितुनुदित्य द्रव्यत्यागो बाह्यागस्वीकार-  
पर्यन्तम्'। मो० (जिल्द १, पृ० २९९)।

श्राद्धकलिका—(या श्राद्धपद्धति) रघुनाथकृत। भट्ट-  
नारायण को नमस्कार किया गया है। कालादर्श  
धर्मप्रवृत्ति, निर्णयामृत, नारायणवृत्तिहृत्, जयन्तस्वामी,  
हेमाद्रि, हरदत्त एव स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये  
जाते हैं। ४० का० (सं० ४२१, १८९१-९५ ई०)।

श्राद्धकलिकाविवरण—विश्वरूपाचार्य कृत। शिवमठ के पणवतिश्राद्धनिर्णय मे व०।

श्राद्धकल्प—(मानव) बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० १७७)। (१) कात्यायनीय (या श्राद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो मे, श्राद्धहृत्यो पर ९ श्लोक हैं, कई टीकाओं के साथ गुजराती प्रेस मे मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति, नो० (जिल्द २, पृ० १७४)। टी० श्राद्धविधिभाष्य, कर्क द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धकाशिका, नित्यानन्दात्मज अतिशुभ के पुत्र विष्णुमिश्रमुत वृष्णमिश्र द्वारा, नि० सि० द्वारा व०, कर्क एव हलायुध को टीकाओं की ओर मकेत है (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धसूत्रांजमजरी, कामन पुत्र गदापर द्वारा। टी० मन्वन्तरे पुत्र नीलामुर द्वारा (अलवर, ४४)। टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ द्वारा व०)। टी० सक्पण के पुत्र हलायुध द्वारा, गोविन्दराज एव शावबर का उल्लेख है, श्राद्धकाशिका द्वारा व०। समता है, 'नीलामुर' नीलाम्बर (जिसका अर्थ 'हलायुध' है) का भ्रामक पाठ है; यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पृ० ४९६) ने स्पष्टत कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) गोभिलीय, टी० महामया द्वारा (बडोडा, म० १२८९५)। (४) मंत्रायणीय। (५) अपवन्देद का ४४वाँ परिशिष्ट।

श्राद्धकल्प—(१) कामोनाथ कृत। (२) भर्ष्यज कृत। (३) वाचस्पतिवृत्त, पितृभक्तिनरणिनी नाम भी है (दे० प्र० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा, छन्दोगश्राद्ध नाम भी है (दे० प्र० ८९); स्मृतिगृह्य, पुराणा, गोपाल एव भूप पर आप्त (नो०, जिल्द ३, पृ० ३४, जिल्द २, पृ० ३६४)। (५) हेमाद्रि द्वारा (शेटसन की छठी रिपॉर्ट, पृ० ११), चतुर्वर्गचिन्तामणि की चर्चा है।

श्राद्धकल्पदीप—होरिलत्रिपाटी कृत।

श्राद्धकल्पद्रुम।

श्राद्धकल्पना—इण्डि० आ० (पृ० ५५८)।

श्राद्धकल्पभाष्य—दे० 'गोभिलीयश्राद्धकल्प'।

श्राद्धकल्पसता—गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पसता में नन्दपण्डित द्वारा व०।

श्राद्धकल्पसता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

श्राद्धकल्पसार—नारायणभट्ट के पुत्र चकरभट्ट द्वारा।

टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (पृ० १०५, ३१६)।

श्राद्धकल्पसूत्र—दे० 'श्राद्धकल्प' (कात्यायनीय)।

श्राद्धकल्पसूत्र—(या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायन का छठा परिशिष्ट) दे० 'नवकण्डिकासूत्र'।

श्राद्धकाण्ड—नृमिह के प्रयोगपारिजात से।

श्राद्धकाण्ड—भट्टोजि द्वारा।

श्राद्धकाण्ड—वैद्यनाथ दीक्षिन द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग।

श्राद्धकाण्डसंग्रह—वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवत उपमुक्त 'श्राद्धकाण्ड'।

श्राद्धकारिका—अलवर (म० १४९६ एव उद्धरण ३५४)।

श्राद्धकारिका—केनाथ जीवानन्द रामों द्वारा।

श्राद्धकार्यनिर्णय।

श्राद्धकाशिका—नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिमुखारामज विष्णुमिश्र-मुत वृष्ण द्वारा (गुजरातीप्रेस, पारस्कर-गृह्य का संस्करण)। कर्क, धर्मप्रदीप, हलायुध का उल्लेख है और नन्दपण्डित का श्राद्धकल्पसता, श्राद्धमूल मे व०। १३००-१५०० ई० के बीच।

श्राद्धहृत्यप्रदीप—होरिल द्वारा। अलवर (उद्धरण ३५५)।

श्राद्धकीमुदी—(या श्राद्धक्रियाकीमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्र० १०१। विष्णु० ण्डि०।

श्राद्धकर्म—महादेव के पुत्र यामिकदेव द्वारा।

श्राद्धकण्ड—नृमिह के प्रयोगपारिजात से।

श्राद्धगणपति—(या श्राद्धमण्ड) कोण्डभट्ट के पुत्र रामवृष्ण द्वारा। म० प्रा० (म० ५९२१)। दे० 'श्राद्धमण्ड'।

श्राद्धचन्द्रिका—(१) भारद्वाज गायत्र बालकृष्ण के पुत्र

महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मशास्त्र-  
मुधानिधि का एक अंश। उसके पुत्र बंशनाथ द्वारा एक  
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचारार्क, लग०  
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र  
मट्ट द्वारा। (४) चण्डेद्वर ने शिष्य घनधर द्वारा।  
वर्षमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है—'सम्बन्ध-  
पदोपनीतान् पितृनुदिय द्रव्यत्याग श्राद्धम्।' नो०  
(जिल्द ८, पृ० २७०)। (५) श्रीकराचार्य के पुत्र  
धीनाथ आचार्यचूडामणि द्वारा। यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व  
(पृ० ४९३) में उसके गृह के ग्रन्थ के रूप में व०।  
शोधित की आलोचना की गयी है। लग० १४७५-  
१५२५ ई०।

श्राद्धचन्द्रिकाप्रकाश—यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका  
ही है।

श्राद्धचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बनारस में  
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी०  
भावदीपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०,  
जिल्द ५, पृ० १६५)।

श्राद्धचिन्तामणि—श्रीविश्राम शुक्ल के पुत्र शिवराम  
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सुबोधिनी भी नाम है।  
ले० की कृत्यचिन्तामणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष  
भी दिया हुआ है। इण्डि० भा० (पृ० ५३८)।

श्राद्धतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द  
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावल्लभ के पुत्र  
कासोराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला  
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर  
चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या-  
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा  
(इन्होंने प्रथमिषततत्त्व पर भी टी० लिखी है)।

श्राद्धतिलक—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धवर्णन—जयकृष्ण सरुवागीश कृत। कल्पतरु की  
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा  
गया है।

श्राद्धवर्णन—मधुसूदन द्वारा।

श्राद्धवीथिति—कृष्णमट्ट कृत।

श्राद्धवीथि—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धवीथि—जयकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा (प्रदीप नाम भी  
है)। नो० (जिल्द १०, पृ० १०७)। कल्पतरु की  
आलोचना भी है।

श्राद्धवीथि—दिव्यसिंह महापात्र द्वारा।

श्राद्धवीथिकलिका—शूलपाणि कृत। नि० सि०, विधान-  
पारिजात में व०।

श्राद्धवीथिका—सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित  
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं कर्कभाष्य पर  
आप्त।

श्राद्धवीथिका—गोविन्द पण्डित कृत। नन्दपण्डित की  
श्राद्धकल्पलता में व०।

श्राद्धवीथिका—वेदागराय (गुजरात में श्रीमूल के  
रत्नमट्ट-पुत्र त्रिलामट्ट के पुत्र भालजित्) द्वारा।  
ले० ने साहजगृह के लिए सन् १६४३ ई० में पारसी-  
प्रवाश भी लिखा।

श्राद्धवीथिका—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूडा-  
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए। यजुर्वेदि-  
श्राद्धतत्त्व में रघु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ई०।

श्राद्धवीथिका—श्रीमीम (जिन्हें काञ्चिबिल्लीय अर्थात्  
राठीय ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद  
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ०  
३७९)।

श्राद्धवीथिकानिर्णय।

श्राद्धवेज्रतानिर्णय।

श्राद्धव्रतसप्ततिकला।

श्राद्धनवकण्डिकासूत्र—देखिए श्राद्धकल (कात्यायनीय)।

श्राद्धनिरूपण—अरुवर (सं० १५०१)।

श्राद्धनिर्णय—उमापति कृत। नन्दपण्डित की श्राद्ध-  
कल्पलता में व०।

श्राद्धनिर्णय—चन्द्रचूड कृत।

श्राद्धनिर्णय—शिवभट्ट कृत।

श्राद्धनिर्णय—सुदर्शन कृत।

श्राद्धनिर्णयवीथिका—पराशरगोत्र के तिथिमलकवि द्वारा।  
कालादर्श का उल्लेख है।

धातुनिष्ठि—निष्ठि हृत (कलकत्ता स० कालेज पाण्डु०, जिल्द २, पृ० ३९२)।

धातुपञ्ची—वाचस्पतिमिश्र के द्वैतनिर्णय मे उल्लिखित (आवसकोर्ड कंटेलाग, पृ० २७३ बी०)।

धातुपञ्ची—हदधर के धातुविवेक मे व०। १४०० ई० के पूर्व।

धातुपद्धति—(आश्वलायनीय)।

धातुपद्धति—(पञ्चनिदान्छात्री)।

धातुपद्धति—कन्नान के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज लोकमणि के पुत्र कुलमणि-सुत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५५९) की तिथि स० १८०५ (१७४८-९ ई०)।

धातुपद्धति—रामपण्डित के पुत्र गण्डिन्द पण्डित द्वारा।

धातुपद्धति—दयालकर द्वारा।

धातुपद्धति—दामादर द्वारा।

धातुपद्धति—नारायण भट्ट आरडे द्वारा (बडोरा, स० ३३८)।

धातुपद्धति—नीलवण्ट द्वारा। धातुमयूख मे व०।

धातुपद्धति—हलायुध (जिन्हाने ब्राह्मणमंत्रस्व लिखा है) के ज्येष्ठभ्राता पशुपति द्वारा। टी० हलायुध द्वारा।

धातुपद्धति—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दशधातुपद्धति' नाम भी है। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आपृत। ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे।

धातुपद्धति—विश्वनाथभट्ट द्वारा।

धातुपद्धति—शाण्डिल्य गात्र के रत्नावर-पुत्र राकर द्वारा।

धातुपद्धति—हेमाद्रि ।।।। ले० की चतुर्वर्गचिन्तामणि की ओर सक्त है। स्टीन (पृ० २१६-१७)।

धातुपस्तक—हदधर के धातुविवेक एव टोहरानन्द (धातुसाक्ष्य) मे व०।

धातुपारिजात—द्वैतपरिनिष्ठ (द्वैतनिर्णयपरिनिष्ठ) मे बेशव द्वारा व०।

धातुप्रकरण—लालटे द्वारा (पूना क आनन्दाश्रम सपह मे पाण्डु० है)। मप.ति.वि. क उद्धरण है।

स्मृत्यर्थसार मे उ० है, अतः १००-११०० ई० के बीच।

धातुप्रकरण—नरोत्तमदेव द्वारा।

धातुप्रकाश—नि० सि० मे व०।

धातुप्रकीर्णकारिका।

धातुप्रवीच।

धातुप्रवीच—वृष्णिमित्राचार्य द्वारा।

धातुप्रवीच—गोवर्धन के पुत्र धनराम द्वारा। बडोरा (स० १९७१), १७५० ई० के पश्चात् नहीं।

धातुप्रवीच—श्रीधरशर्मा के पुत्र प्रद्युम्नशर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) मे उतारी गयी। सम्भवत अधिकारी के रूप मे ही लेखक का श्रीहृद्देशीय हाकादिही का स्वामी कहा गया है। ना० म्यु० (जिल्द १, पृ० ३८०-८१)।

धातुप्रवीच—मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहोपाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाठियों के लिए। नो० (जिल्द ६, पृ० २९९)।

धातुप्रवीच—हदधर द्वारा। से० प्रा० (१३९)। सम्भवत यह धातुचन्द्रिका या धातुविवेक ही है।

धातुप्रवीच—वर्धमान द्वारा। रघु० के आदित्य मे व०।

धातुप्रवीच—भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरामिश्र द्वारा। हदधर के धातुविवेक मे, धातुक्रियाकौमुदी तथा रघु० के आदित्य मे व०। नो० (जिल्द ७ पृ० १९१)। ले० वर्धमान के गुरु थे।

धातुप्रभा—रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है।

धातुप्रयोग—(१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, (३) भारद्वाजीय, (४) मैत्रायणीय, (५) सत्याषाढीय, (६) आश्वलायनीय, बमलाकर हृत।

धातुप्रयोग—(आश्वलायनीय) विश्वनाथ के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

धातुप्रयोग—गणालसूरि द्वारा। प्रयोगदर्पण, वर्धनाधीय निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है।

धातुप्रयोग—दयालकर द्वारा।



आद्यप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा। के० के प्रयोगरत्न का एक अंग।

आद्यप्रयोगचिन्तामणि—अनूपसिंह वृत्।

आद्यप्रयोगपद्धति—(कार्यायनीया) काशीदीक्षित द्वारा।

आद्यप्रशंता।

आद्यब्राह्मण।

आद्यभास्करप्रयोगपद्धति।

आद्यपञ्चरी—नि० सि० एक श्रवण के शुद्धिविवेक के व०।

आद्यपञ्चरी—रत्नगिरि जिले के राजापुर जाठना म फगशी के निवासी बापुभट्ट केलकर द्वारा। एक स० १७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित।

आद्यपञ्चरी—मुकुन्दलाल द्वारा।

आद्यपत्रम्याख्या—हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्वसे। अलवर (३५६)।

आद्यमयूख—नीलकण्ठ वृत्। दे० प्रक० १०७। जे० आर० पत्तुर द्वारा मु०।

आद्यमीमांसा—नन्दपण्डित द्वारा।

आद्यरत्न—इन्द्रपति के शिष्य सङ्गोपति द्वारा। साम-वेदिया एक श्रवणमुहूर्तिया के लिए। श्रौत पर आप्त।

आद्यरत्नमहोदधि—यशदत्त के पुत्र विष्णुसर्मा द्वारा। ले० के आद्याङ्गभास्कर में व०।

आद्यरत्नहृत्—स्मृतिरत्नावलि में रामनाथ द्वारा व०।

आद्यषष्ठनसंग्रह।

आद्यवचनप्रारम्भिकत।

आद्यवचन—हरिराम द्वारा।

आद्यवसिष्ठ—स० की० में व०। यह वसिष्ठश्राद्धकल्प हा है।

आद्यविधि—(१) कोकिलोक्त, दे० ड० वा० पाण्डु० (स० २२३, १८७९-८०); स्कन्धपुराण, कार्यायन, आपस्तम्ब, शुभन्तु, धातायन, याज्ञवल्क्य का उल्लेख है, शुद्धिब्राह्मण, गथाधिपपूजा, मातृपूजा एवं अन्य आद्यो का विवेचन है। (२) छन्दो। (३)

माध्यन्दिनीय, बोधू द्वारा। दे० वी० वी० आर० ए० एम्० (पृ० २३६, स० २३६)। कर्क कल्पतरु, श्रीवष्णु उपाध्याय, हलायुधीय, आद्यभाष्य की ओर संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच।

आद्यविधिसंक्षेप।

आद्यविभक्ति—जा० (जिन्द् १०, पृ० ३४७)।

आद्यविवेक—प्रणकृष्ण के पुत्र बोधूशिश्र द्वारा। पीट्यन के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोट, पृ० १८८) में देखिए।

आद्यविवेक—लक्ष्मीधर क पुत्र श्रवणद्वारा। दे० प्रक० ९६। वनारस में मुद्रित।

आद्यविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। मधु-सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय) द्वारा कलकत्ता में मुद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय-भागटीका में व०। टी० अर्पकामुदी, गोविन्दानन्द द्वारा, दे० प्रक० १०१। टी० भावार्थदीप, जयदीप्त द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बगला लिपि में कलकत्ता में सन् १८८० ई० में मु०। टी० नीलकण्ठ द्वारा। टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ जाचार्यबूढामणि द्वारा। नो० न्यु० (जिल्द १, पृ० ३८१-३८२), ऐसा आया है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का विस्तार मात्र किया है। टी० आद्यादिविवेककौमुदी, महोपाध्याय रामकृष्ण त्र्यामालकार द्वारा (नो०, जिल्द १०, पृ० ११९)।

आद्यविवेकसंग्रह।

आद्यवृत्तिप्रकरण।

आद्यव्यवस्था।

आद्यव्यवस्थासंक्षेप—विन्तामणिवृत्। दे० शुद्धिव्यवस्था-संक्षेप।

आद्यवैजयन्तिविधि—अलवर (स० १५०८ एवं उद्धरण ३५७)।

आद्यसंकलन।

आद्यसंस्कृत—रघुनाथ के प्रयोगपरिज्ञात से।

आद्यसंस्कृतविधि।

आद्यसंग्रह—(१) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० के पूर्व। (२) प्रयागमहात्म्य कीष्टमट्ट के पुत्र

रामवृष्ण वृष वात्स्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आपृत । उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर मस्कारगणपति द्रव्य लिखा है । शक स० १६७३ (विनागसूपास्थे) अर्थात् १७५१ ई० में बनारस में प्रणीत । दे० इण्डि० आ० (पृ० ५६० ६१ म० १७३८) । इण्डि० आ० (पृ० ५८२) में तिथि शक गणनागा (ङ्का) ज्ञभूमित (१६७० १६९०) एव १८२६ (वि० म०, १७७० ई०) है जा सम्भवत पाण्डु० की तिथि है । क्व हन्नापुत्र गदाधर कागिता, दीपिका का उल्लेख है ।

श्राद्धसमुच्चय ।

श्राद्धसागर—(१) कुम्भकभट्ट (?) द्वारा । यह नाम कुल्लक या कुल्लूकभट्ट तो नहीं है? (२) कुल्लूकभट्ट द्वारा । दे० प्रक० ८८ । (३) नारायण आग्नि द्वारा । लख के गृह्याग्निमार में व० । १६५० ई० में प्रचलित ।

श्राद्धसागर—(१) नृसिंहप्रसाद का एक अर्थ । विधान पारिजात में व० । (२) कमलकर द्वारा ।

श्राद्धसौख्य—टाडगनद का अर्थ । दे० प्रक० १०४ ।

श्राद्धहेमाद्रि—चतुर्वर्गधितामणि का श्राद्धप्रवरण ।

श्राद्धाङ्गतर्पणनिर्णय—रामवृष्ण द्वारा (बडोदा म० ३०३) ।

श्राद्धाङ्गभास्कर—यज्ञदत्त व पुत्र विष्णुसर्मा द्वारा । क्व पर आपृत । माघ्यादिनीशावा के लिए (अलवर उदरण ३५९) ।

श्राद्धादर्श—महेश्वर मिश्र द्वारा ।

श्राद्धादिविधि ।

श्राद्धादिविवेककीमुदी—रामवृष्ण द्वारा ।

श्राद्धाधिकार—विष्णुदत्त द्वारा ।

श्राद्धाधिकारिनिर्णय—गोपाल न्यायप्रचानन द्वारा (ना०, जित्द ३, पृ० ६०) ।

श्राद्धानुक्रमणिका ।

श्राद्धापरार्क ।

श्राद्धालोक—संक्षमण व आचाररत्न में व० । १६०० ई० के पूर्व ।

श्राद्धातीर्थीपरपंज—देवराज द्वारा ।

श्राद्धेन्दु—अज्ञात (नो०, जित्द ५ पृ० १६) ।

श्राद्धे बुगोलर—नागोजिभट्ट ('वाले उपाधि) द्वारा । दे० प्रक० ११० ।

श्राद्धोदघोत—वधमान के गणावृत्यदिवेक में व० । यह मदनरत्न का एक भाग है एसा प्रणीत होता है ।

श्राद्धोपयोगिवचन—अनंतभट्ट द्वारा ।

श्रावणकर्मसंपन्नप्रयोग—एक गृह्य वृत्त ।

श्रावणद्वारशी ।

श्रावणी—(आश्वलायनीय) ।

श्रावणी—(वाग्भटाश्वीय) ।

श्रावणीकर्म—(वाजसनेयी) ।

श्रावणीकर्म—(द्विग्व्यक्ती) गापोनाथदीक्षित द्वारा ।

श्रावणोत्सर्गकर्म ।

श्री-आह्निक ।

श्रीहरनिवन्ध—हरिनाथ के स्मृतिसार में व० ।

श्रीहरसमुच्चय—रघु० क मलमानतत्व में व० ।

श्रीहरीय—नि० सि० एय यागपारिजात में व० । दे० प्रक० ८१ ।

श्रीनिवासदीक्षितीय—शंशिकगात्र व गाविन्दाय के पुत्र श्रीनिवास द्वारा । वैश्वानरसमूत्र पर (द्राणीएल कंट० पाण्डु० तन १९१९ २२, पृ० ५१७९) ।

श्रीपतिरत्नमाला—ममयमपूज में व० ।

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय—रघु० के तिथितत्व में व० । जानानन्द (जित्द १, पृ० २१) ।

श्रीपतिव्यवहारसमुच्चय—रघु० के मस्कारतत्व में व० । मन्भवत यज्ञ उपपुंवत ही है ।

श्रीपतिसमुच्चय—रघु० क ज्ञानिस्तरत्व में व० (जित्द १, पृ० ५८२) ।

श्रीस्वल्पप्रकाश—तिगलाभट्ट द्वारा । पीटसंन (५वी रिपाट, स० १५४) ।

श्रुतिचंद्रिका ।

श्रुतिमीमांसा—नृसिंह वाजपेयी श्रुत ।

श्रुतिभूषताफल ।

श्रुतस्मार्तकर्मप्रयोग—नृसिंह द्वारा ।

श्रुतस्मार्तक्रियापद्धति ।

श्रीतस्मात्तंत्रियि—बालकृष्ण द्वारा।

श्लोककाल्यायन—अपरारक मे व०।

श्लोककालनिर्णय।

श्लोकगौतम—जीमूत० के बालविवेक, अपरारकं, बाल-  
मापव द्वारा व०।

श्लोकचतुर्वेदी—(धर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा। टी०  
रामपण्डित रोष द्वारा, सरस्वतीश्रवण माला द्वारा  
(स० २२) मुद्रित।

श्लोकतर्पण—लौपाशि द्वारा।

श्लोकसंग्रह—१६ श्राद्धों पर।

श्लोकपस्तम्ब—आचारमयूख मे व०।

श्वभुस्तुत्यापनसंवाह—(शर्नल, तञ्जौर, पू० १४३ बी०)  
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्तित्व पुत्रहीन नर  
जाता है तो विधवा एव माता बराबर-बराबर  
रितय पा जाती हैं।

श्वसकर्मप्रकाश।

श्वेताश्ववानविधि—कमलाकर द्वारा।

शट्कर्मचन्द्रिका—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र शररूरि तिममयज्वा  
द्वारा। सन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम  
वहलाया।

शट्कर्मचन्द्रिका—कृष्णपण्डित ने सन्यासाभाष्य मे व०।

शट्कर्मदीपिका—अज्ञात। शम्भक, पार्थिव शिवलिंग  
की पूजा के कृत्यों का संग्रह (नो०, जित्द ९, पू०  
२७३)।

शट्कर्मदीपिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

शट्कर्मविधार—स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग।

शट्कर्मविवेक—हरिराम द्वारा।

शट्कर्मव्याख्यानचिन्तामणि—नित्यानन्द द्वारा। यजुर्वेद  
के पाठकों के लिए विवाह एक अन्य पंचकर्मों के समय  
प्रयुक्त चाचर्यों के विषय में निरूपण। गुणविष्णु पर  
आधृत (नो०, जित्द ३, पू० २७)।

शट्त्रिशम्भत—दे० प्रक० ५३।

शट्पदी—विट्ठलदीक्षित कृत (सं० प्रा० कंठलाग,  
छ० ६०२९)।

शट्पारायणविधि।

शट्शोति—(या आशीचनिर्णय) कौशिकदित्य (अर्थात्  
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा। प्रथम श्लोक है—  
'अपानेवविवाचयानि सप्तत्यादाय वेचलम्। सप्तम्य  
कौशिकदित्यो लिखत्याशीचनिर्णयम्॥' जनन-मृत्यु  
के अशौच पर ८६ श्लोक एव मूलक, भगोत्राशौच,  
असर्गाशौच, मुस्काराशौच एव अगौचापवाद  
पर ५ प्रकरण। शौकंठ (२, पू० ८०) ने अश्वय  
इमे अभिनवपदमीति माना है। टी० अष्टाशुभिनी,  
लक्ष्मीनृसिंह द्वारा। टी० शृद्धिचन्द्रिका, नटपण्डित  
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०)।

शट्शोति—शुक्लभट्ट द्वारा।

शट्त्रिशम्भत—स्मृति च० एव परा० भा० द्वारा व०।

शष्णवतिश्राद्धनिर्णय—गोविन्दभूरि के पुत्र शिवभट्टद्वारा  
एक श्लोक मे १६ श्राद्धों का संक्षेप मे वर्णन है—  
'अमायुगमनुकान्तिपूतिपातमहालया। आन्दव्य  
च पूर्वेषु शष्णवत्य प्रकीर्तिता॥' वमलावरभट्ट,  
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, पयोगरत्न, श्राद्ध-  
कलिका, कलिकाविवरण (विश्वरूपाचार्यकृत) का  
उल्लेख है। १६५० ई० के परधान्।

शष्णवतिश्राद्धपद्धति—रामेश्वर के पुत्र माधवात्मज  
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा  
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग।

शष्णवतिश्राद्धप्रयोग।

शष्टियुतिशान्ति—(६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बनेल  
(तञ्जौर, पू० १३८ बी, १५१ बी०)।

शोडशकर्मरूपापनिर्णय।

शोडशकर्मपद्धति—शुभिमट्ट द्वारा।

शोडशकर्मपद्धति—गंगाधर द्वारा।

शोडशकर्मप्रयोग—शोलह सत्कारों, यया—स्यालीपाक,  
पुसवन, अनवलोकन, छीमन्तोन्नयन, जातकर्म, पष्ठी-  
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध,  
अन्नप्राशन, चोलकर्म, उपनयन, शोदान, समावर्तन,  
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपरिजात, दीपिका का  
उ० है। पाण्डु० की तिथि शक सं० १६९५ है  
(मन्जारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त।

योद्धशपिण्डदानप्रयोग—अज्ञात। सवत्सरप्रदीप वा उ०  
हे। न।० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११)।

योद्धशमहादानपद्धति—(या दानपद्धति) काण्टिवश के  
मिथिलर नृमिह क मंत्री (सौपालवराज) रामदत्त  
द्वारा कुन्दुराहित भवशर्मा की सहायता में प्रणीत।  
ले० चण्डवर का प्रथम चबरा भाई या, अत वह  
१४वीं शताब्दी के पूर्व में था।

योद्धशमहादानावधि—रामदृष्ण-पुत्र कमलाकर द्वारा।  
दे० प्रक० १०६।

योद्धायाया।

योद्धशसंस्कार—आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार।

योद्धशसंस्कार—कमलाकर द्वारा।

योद्धशसंस्कार—चन्द्रवृद्ध द्वारा। ले० के संस्कारनिर्णय  
का संक्षिप्त रूप।

योद्धशसंस्कारपद्धति—(या संस्कारपद्धति) बीकानेर  
(पृ० ४६३) आनन्दराम दीक्षित द्वारा।

योद्धशसंस्कारप्रयोग।

योद्धशसंस्कारसेतु—रामेश्वर द्वारा।

योद्धशोपचारपूजापद्धति—(विष्णुपूजा के लिए)।

सवत्सरकल्पलता—श्रजराज (यत्नभावाय के पुत्र  
विटठलक भक्त) द्वारा। भाद्रपद का कृष्णमा  
ष्टमी स आरम्भ कर अथ उत्सवा का विवरण। ड०  
का० पाण्डु० (न० २०१ ए १८८२-८३)।

सवत्सरकृत्य—(सवत्सरकौस्तुभ या सवत्सरदीपिति)  
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। दे० प्रक०  
१०९।

सवत्सरकृत्यप्रकाश—भास्करशर्मा के यशवन्तभास्कर का  
एक अंश।

सवत्सरकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१।

सवत्सरदीपिति—अनन्तदेवदत्त स्मृतिकौस्तुभ का एक  
अंश।

सवत्सरनिर्णयप्रतान—गुह्योत्तम द्वारा।

संवत्सररूपकाश।

संवत्सरप्रदीप—यू० शणि के दुर्गासखिविके, श्राद्धक्रिया-  
कौमुदी, निर्णयामृत में व० एव एकादशीतत्त्व (२, पृ०

५१) एक सुदृष्टित्व (२, पृ० ३२७) में हलामुपकृत  
माना गया है। औफ्रस्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवश  
इसे शलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० १५। ना०  
न्य० (१ पृ० ३९०)।

सवत्सरप्रयोगसार—बन्धुपट्टीय जाति के नारायण-  
पुत्र श्राद्धेण भट्टाचार्य द्वारा।

सवत्सरोत्सवकालनिर्णय—निभयराज द्वारा।

सवत्सरोत्सवकालनिर्णय—गुरुराजतम द्वारा। स्पष्ट है  
कि यह श्रजराज की पद्धति का स्पष्ट करने के लिए  
प्रणीत हुआ है। गद्य म ड० ना० पाण्डु० (न० १७७,  
१८८४-८६)। १७५० ई० के पूर्व।

सवत्स्मृति—दे० प्रक० ५५। ज्ञानानन्द (भाग १, पृ०  
५८४-६०३) एक आनन्दानन्द (पृ० ४११-४२४)  
द्वारा प्रका०।

संस्कारक्रम—वैद्यनाथ द्वारा। मम्भवत स्मृतिमुक्ताफल  
का एक अंश।

संस्कारक्रमलाकर—(या संस्कारपद्धति) कमलाकर  
द्वारा। दे० प्रक० १०६ (वी० बा० आ० ए० एस्,  
पृ० २३६ एव इड० आ०, पृ० ५१४)।

संस्कारकल्पद्रुम—सुखशर सुखल के पुत्र जगन्नाथ गुवल  
द्वारा। गणापूजन, संस्कार एवं स्नानाधान नामक  
तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव  
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों का नाम आद्य है।  
अलवर (उद्धरण ३६४)।

संस्कारकौमुदी—यशवन्तभट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा।

संस्कारकौस्तुभ—(या सवत्सरदीपिति) अनन्तदेव के  
स्मृतिकौस्तुभ का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी  
अनुवाद के साथ निर्णय० एव बडादा म प्रका०)।

संस्कारगोप्यर—(या परी) गणानन्द दीक्षित द्वारा।  
गर्भावान, चोल, व्रतवध, वेदव्रतचतुष्टय, केरान्त,  
व्रतविसय, विवाह संस्कार पर। ड० का० पाण्डु०  
(न० ६१०, १८८२-८३)।

संस्काराणपति—पारस्करगृह्यसूत्र पर रामदृष्ण द्वारा  
टी०। दे० 'पारस्करगृह्य'।

संस्कारचन्द्रश्री—चन्द्रवृद्धकृत। देखिए 'संस्कारनिर्णय'

संस्कारचिन्तामणि—काशी के रामवृष्ण द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७३)। सम्भवतः यह संस्कारपणपति ही है।

संस्कारतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० कृष्णनाथ द्वारा।

संस्कारवीथिति—दे० संस्कारकौस्तुभ।

संस्कारवीथिति—बनारस में मुद्रित।

संस्कारनिर्णय—(१) धर्ममट्ट के पुत्र उमण्णमट्टात्मज चन्द्रबुद्धमट्ट द्वारा। गर्भाधान से आगे के संस्कारों का वर्णन है। ज्योतिर्निबन्ध, मापवीथ, हरदत्त एवं सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० १८, स० ४६७) की तिथि है शक सवत् १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५-१६५० ई० के बीच। (२) राममट्ट के पुत्र तिप्यामट्ट ('गह्वर' उपाधिधारी) द्वारा। आदवलायनी के लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आदवलायनश्रौतसूत्र पर समहृदीपिका लिखी। (३) मन्दपण्डित द्वारा; स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५।

संस्कारनुसिंह—नरहरि द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७६)। बनारस में सन् १८९४ में मु०।

संस्कारपद्धति—मलाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)। हेमाद्रि, धर्मान्विषयार, प्रयोगदर्पण, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णमट्टी, गदाधर का उ० है।

संस्कारपद्धति—आनन्दराम याशिक द्वारा।

संस्कारपद्धति—कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमलाकर'।

संस्कारपद्धति—राम के पुत्र गंगाधरमट्ट द्वारा। दे० - 'संस्कारगंगाधरी'।

संस्कारपद्धति—भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकमानुष्णानपद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० रहस्य, रामनाथ द्वारा। शक सवत् १५४४ (१६२२-२३ ई०)। नो० (६, पृ० २३७-२३८)।

संस्कारपद्धति—शिव्य द्वारा।

संस्कारप्रकाश—(१) प्रतापनारायणसिंह का एक भाग।

(२) मित्रमित्ररचित धीरमित्रोदय का एक भाग।

संस्कारप्रवीथि।

संस्कारप्रवीथिका—विष्णुधर्मा दीक्षित द्वारा।

संस्कारप्रयोग।

संस्कारभास्कर—(१) मयुरेश्वर अयाचित के पुत्र खण्डमट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाधर पर आधृत। संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं दैव (पाक-यज्ञ आदि) में बाँटा गया है। ४० का० (स० ६११, १८८२-८३)। (२) विद्वनाथ के पुत्र श्रुतिनुष (या-मट्ट, उपाधि शीव या शीवे) द्वारा। वैकुण्ठेश्वर प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर-गृह्य पर) पर आधृत, प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० बी० आर० ए० एस्० (२, पृ० २३६, स० ७३९)। संस्कारमंजरी—नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी ही है।

संस्कारमयूस—(१) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपुरे द्वारा मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, जो धरकर के पुत्र दामोदररात्मज सिद्धेश्वर द्वारा रचित है। ले० नीलकण्ठ का मतीजा था। १६३०-१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है।

संस्कारमार्तण्ड—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा। स्वामीपाक एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित।

संस्कारमुक्तावली—तानपाठक कृत।

संस्काररत्न—नारायण के पुत्र हरिमट्ट सुत खण्डेराय द्वारा। ले० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के पश्चात्। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे।

संस्काररत्न—मणिराम के अनुपविलास या धर्मान्विषय से।

संस्काररत्नमाला—(१) योपीनाथमट्ट द्वारा, आनन्दाश्रम प्रेस एवं चौलम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशमट्ट द्वारा।

संस्काररत्नाकर—(पारस्करीय) ।  
 संस्काररत्नायलि—प्रतिष्ठानवासी, कम्बुशाखा वाले  
 सिद्धमठ के पुत्र नृसिंहमठ द्वारा ।  
 संस्कारवाच्यार्थ—जातकर्म आदि संस्कारों के सम्बन्ध  
 वालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०) ।  
 संस्कारविधि—(या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा ।  
 संस्कारवीथि—दोपनृसिंह द्वारा समूहीत गोविन्दार्णव  
 का एक अंग ।  
 संस्कारसागर—नारायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर) ।  
 संस्कारसाद—नृसिंहप्रसाद का एक अंग। दे० प्रक०  
 ९९ ।  
 संस्कारसौख्य ।  
 संस्कारामृत—दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे०  
 संस्कारमयूख । अपने पिता के द्वांतनिर्णयपरिशिष्ट  
 का उल्लेख किया गया है ।  
 संस्कारोद्घोत—दिनवरोद्घोत का एक अंग ।  
 संस्थापद्धति—(या संस्थाबंधनाय) केराव के पुत्र,  
 रत्नेश्वरराज बंधनाय द्वारा। चार भागों में ।  
 अल्वर (उद्धरण ६३) । कात्यायनगृह्य के मतानु-  
 सार आवश्यक अंगि में किये जाने वाले कृत्या पर ।  
 संहितावीथि—सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व० ।  
 संहिताप्रदीप—नि० सि० में व० । ज्योतिष पर एक  
 ग्रन्थ ।  
 संहितासारबलि—संस्कारमयूख में व० ।  
 संहिताहोमपद्धति—अरवभट्ट द्वारा (बडोश, सं० ३३५) ।  
 सकलपर्मचिन्तामणि ।  
 सकलदानफलाधिकार ।  
 सकलदेवताप्रतिष्ठा ।  
 सकलपुराणसमुच्चय—अस्ताडनाय द्वारा व० ।  
 सकलप्रमाणसंग्रह ।  
 सत्संगान्तिसंग्रह ।  
 सङ्करमूर्ततिथिनिर्णय ।  
 सत्सत्पत्नीमुदी—रामकृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ०  
 २२२-२३) ।  
 सत्सत्पत्नीद्वारा—रघुनन्दन कृत। नो० (पृ० १६६) ।

संकल्पधातुप्रयोग ।  
 संकल्पस्मृतिगुरुमञ्जुन—नवद्वीप के चन्द्रोत्तर दार्मा  
 द्वारा । सभी काम्य कृत्यों के आत्म में किये जाने  
 वाले संकल्पों के विषय में । तिथि, मास, काम्यकर्मणि  
 संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो०  
 (जिल्द २, पृ० ३२९-३३०) ।  
 संकष्टहरचतुर्षोदतकालनिर्णय ।  
 संकेतकौमुदी—(सम्भवतः केवल ज्योतिषग्रन्थ) राम-  
 नायाचार्य द्वारा ।  
 संकेतकौमुदी—निव द्वारा ।  
 संकेतकौमुदी—हरिनायाचार्य द्वारा। रघु० द्वारा  
 ज्योतिस्तत्त्व में व० ।  
 संक्रान्तिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा,  
 पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) तक सवत्  
 १५४० (१६१८ ई०) ।  
 संक्रान्तिनिर्णय—गोपाल दाम्पत्यापचानन द्वारा, ३  
 भागों में ।  
 संक्रान्तिनिर्णय—बालकृष्ण द्वारा ।  
 संक्रान्तिनिर्णय—स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग ।  
 संक्रान्तिनिर्णय—अज्ञात, भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य-  
 चिन्तामणि का उ० है ।  
 संक्रान्तिविधेय—शूलपाणि कृत। दे० प्रव० १५;  
 नो० (जिल्द ६, पृ० २०५) ।  
 संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ०  
 ३१३) ।  
 संक्रान्तिदान्ति ।  
 संक्रान्त्युद्घापन ।  
 संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु—चंद्र से काल्पुत्र तब के धार्मिक  
 कृत्या का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह  
 नि० सि० पर आपृत है। पाण्डु० (बीकानेर, पृ०  
 ४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) आमक ढग  
 से पड़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर  
 सवेत है) ।  
 संक्षिप्तशास्त्रापेद्धति ।  
 संक्षिप्तसार—रघु० के एकादशीतत्त्व में व० ।

संक्षिप्तहोमप्रचार—रामभट्ट द्वारा।

संक्षिप्ताग्निप्रकरण—दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा।

(कन्यार के रणवीरसिंह की इच्छा से लिखित)।

संक्षेपतिथिनिर्णयसार—हरिजित् के पुत्र गोकुलजित् द्वारा। सन् १६३३ ई०।

संक्षेपपुष्पापद्धति—अलवर (सं० १५१३)।

संक्षेपसिद्धिव्यवस्था।

संक्षेपाग्निप्रधानिका—दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की आग्निवचन्द्रिका के समान।

संख्यापरिमाणसंग्रह—केशवकवी द्वार। बनारस में लिखित। ले० वीरभुक्ति (भायुनिक तिरहुत) के राजा की परिषद् का मुख्य पण्डित था। स्मृति नियमों के लिए वीर, संख्या एवं मात्राओं (यथा—दास्यु की लम्बाई ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत के सूतों की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५, पृ० १६१ १६२)।

संग्रह—(स्मृतिसंग्रह)—दे० प्रक० ५४।

संग्रहचिन्तामणि—ले० प्रा० (सं० ६१५३)।

संग्रहवैदनापीय—वैद्यनाथ द्वारा।

संग्रामसाहीय—दे० विवेकदीपक।

सञ्चरितपरिचय—बापूल गोत्र के वीरराघव द्वारा। वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख हुआ है।

सञ्चरितरक्षा—ससचक्र धारण, ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण एवं भगवन्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)।

सञ्चरितरक्षा—रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सञ्चरित सारदीपिका, ले० द्वारा।

सञ्चरितसुधारिणि—वीरराघव (नैध्रुव) द्वारा। ले० ने नाथ राममिश्र, धामुनमुनि, रामानुज गराज, वेदान्तदेशिक, पराकुल श्रीनिवास आदि विशिष्ट-द्वैतवादी सुत्रों को प्रणाम किया है।

सञ्चरितसूक्तिका।

सञ्जयवल्कली—जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर एक टी०। महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

सत्कर्मकल्पद्रुम।

सत्कर्मचन्द्रिका।

सत्कर्मचिन्तामणि।

सत्कर्मवर्षण।

सत्क्रियाकल्पमंगरी—(भद्रास भवर्षमेष्ट पाण्डु०, जिल्द ५, पृ० २२१२, जिल्द ६, पृ० २३०८)।

सत्क्रियासारदीपिका—गोपालभट्ट द्वारा (वैष्णवों के लिए)। ले० ने हरिमन्तिविलास भी लिखा है।

१५००-१५१५ ई० के लगभग। भवदेव, अनिरुद्ध, भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। सायप्रतस्मृति—जीमूत० के कालविवेक अथपारक, स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—(या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख वैष्णव आचार्यों का विवरण।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—गदाधर द्वारा।

सत्स्मृतिसार—जानकीराम सावभौम द्वारा। तिथि, प्रायश्चित्त आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० २१०)।

सदाचार।

सदाचारक्रम—रामपति द्वारा।

सदाचारक्रम—वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है।

सदाचारदर्शिका—ड० का० पाण्डु० (सं० १०८, १८१९ ७०) सन् १७८७ माघ (अर्थात् फरवरी १७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णमन्त्र पर।

रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामाचनचन्द्रिका, हरिमन्तिविलास टीका, हरिमन्तिमुबोदय एवं इतकी टीका का उ० है।

सदाचारचंद्रोदय—दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माधव-प्रकाश)।

सदाचारनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा।

सदाचारकल्पद्रुम—शंकराचार्य द्वारा (भोषियों के लिए)।

सदाचाररहस्य—दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा, अर्थात्सिंह के पुत्र अमरेशास्वज संग्रामसिंह की इच्छा से बनारस में प्रणीत। लग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, पृ० ३१७-३१८)।

सदाचारविवरण—शंकर द्वारा।

सदाचारसंग्रह—गोपाल न्यायप्रधान द्वारा।

सवाधारसंग्रह—बैकटनाय द्वारा। ६० 'स्मृतिरत्नावलि'।

सवाधारसंग्रह—नीलकण्ठ-मुन शकरभट्ट द्वारा (इण्डि०  
आ०, पृ० ५९०, सं० १८००)। सम्भवतः एक  
कल्पित अथवा कपट-ग्रन्थ। नो० (जित्द १, पृ०  
१०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम श्लोक  
इण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है।

सवाधारसंग्रह—श्रीनिवास पण्डित द्वारा, तीन काण्डों  
में, आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर।

सवाधारसङ्ग्रह।

सवाधारस्मृति—आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० श्लोकों में।  
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा, बडोदा (सं०  
१८८४)। टी० रामाचार्य द्वारा (बडोदा, सं०  
२६१९)।

सवाधारस्मृति—विश्वनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा।  
बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार-  
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७)।

सवाधारस्मृति—रायवेन्द्र यति द्वारा। आह्निक पर।  
सं० प्रा० (पृ० ६१९३)।

सवाधारस्मृति—श्रीनिवास द्वारा (सं० प्रा०, ६१९२)।

सवाधारस्मृतिव्याख्याक्षीरसिन्धु—बडोदा (सं० १८२०)  
प्रयोगपारिजात का उ० है।

सद्धर्मचन्द्रोदय—अहल्यावामधेनु में व०।

सद्धर्मचिंतामणि—आचार्यमयूख में व०।

सद्धर्मतत्त्वाख्याद्विज—मयूरा के गणेश-पुत्र हरिप्रसाद  
द्वारा। ६२ श्लोका म। ले० ने आपारतत्त्व भी  
लिखा।

सद्बुद्धरत्नमाला।

सन्तुमारसंहिता—त्रिस्थलीसंतु एवं नि० सि० में व०।

सन्तानदीपिका—सन्तानहीनता के ज्योतिष-कारण  
बताये गये हैं।

सन्तानदीपिका—बशव द्वारा।

सन्तानदीपिका—महादेव द्वारा।

सन्तानदीपिका—हरिनाथाचार्य द्वारा।

संदर्भसूक्तिका—हारलना पर टीका।

संख्याचारिका—ओछापर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा।

संख्याप्रथमाव्य—परशुराम द्वारा (बडोदा, ६४६३);  
द्विजकल्पलता नाम भी है।

संख्यादि ब्रह्मकर्म।

संख्यानिर्णय।

संख्यानिर्णयकल्पवल्ली—रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र  
शृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। कृत्वा (सं०  
४४२, पृ० ८०)।

संख्यापद्धति—रघु० के आह्निकतत्त्व में व०।

संख्याप्रयोग—नो० (जित्द १०, पृ० ३४३)।

संख्यारत्नप्रदीप—आशाधर भट्ट द्वारा। तीन किरणों में।  
बडोदा (सं० २९)।

संख्यावन्दनभाष्य—(या सध्याभाष्य) आनन्दतीर्थ  
द्वारा।

संख्यावन्दनभाष्य—रायवर्द्धवत्त के पुत्र शृष्णपण्डित द्वारा।  
चार अध्याया में। बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ०  
२३७)।

संख्यावन्दनभाष्य—रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा  
मुकुन्दाश्रम एवं शृष्ण के शिष्य शृष्णपण्डित द्वारा।  
कृत्वा (पृ० ५८)। इसे सध्यावन्दनपद्धति भी कहा  
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित।

सध्यावन्दनभाष्य—चित्रपायं एवं कामम्बा के पुत्र  
नीलपाय द्वारा। आश्वलायनीयो के लिए। भानु  
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत।

सध्यावन्दनभाष्य—तिर्मलपञ्चा (या तिर्मल०) द्वारा।

सध्यावन्दनभाष्य—नारायणपण्डित द्वारा। ले० ने ६०  
श्रय लिखे हैं।

सध्यावन्दनभाष्य—महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा।  
बनारस में सन् १५७४ (१६५२-५३ ई०) में  
प्रणीत।

सध्यावन्दनभाष्य—विद्यारण्य द्वारा (ऋग्वेदी सध्या एवं  
नैर्नरीय सध्या पर)।

सध्यावन्दनभाष्य—बैकटाचार्य द्वारा (ऋक्सध्या  
पर)।

सध्यावन्दनभाष्य—नृसिंह के शिष्य ध्याम द्वारा। स्टीन  
(पृ० २५९)।



संन्यासव्यवसाय—संकरानामे (?) द्वारा।  
 संन्यासव्यवसाय—शत्रुघ्न द्वारा। अलवर (सं० १५१४)।  
 संन्यासवन्दनमाध्य—श्रीनिवासतीर्थ द्वारा।  
 संन्यासवन्दनमात्र—विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए इस नाम के कई ग्रन्थ हैं।  
 संन्यासवन्दनमाध्या ब्रह्मप्रकाशिका—मट्टोजि के शिष्य बनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग० १६५० ई०।  
 संन्यासरत्नप्रदीप—आशापरमहृ द्वारा। बडोदा (सं० २९)।  
 संन्यासवन्दनविदरण—द्विजकल्पलता से।  
 संन्यासवेधिमन्त्रसूक्ष्मीका—रामानन्दतीर्थ द्वारा।  
 संन्यासप्रश्नचक्र—हलायुध द्वारा।  
 संन्यासकर्मकारिका।  
 संन्यासग्रहणपद्धति—जनादंनमट्ट के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।  
 संन्यासग्रहणपद्धति—संकराचार्य द्वारा।  
 संन्यासग्रहणपद्धति—शौनवहृत कहा गया है।  
 संन्यासग्रहणरत्नमाला—भीमाशंकररामा द्वारा (बडोदा, १२३०५)।  
 संन्यासघ्राह्यपद्धति—(संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री) संकराचार्यहृत कहा गया है। संन्यास-ग्रहण के समय के कृत्यों पर।  
 संन्यासवीथिका—अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, १००५७)।  
 संन्यासवीथिका—नृसिंहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)।  
 संन्यासधर्मसंग्रह—अच्युताश्रम द्वारा।  
 संन्यासनिर्णय—बल्लभाचार्य द्वारा (पद्य मे)। टी० लेखक द्वारा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र पुहरोत्तम द्वारा। ८० वा० (सं० १७५, १८८४-८६)। टी० विट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ द्वारा। बी० बी० आर० ए० एम्० (भाग २, पृ० ३२७)। टी० विट्ठलदा द्वारा।  
 संन्यासनिर्णय—गुणरोत्तम द्वारा।

संन्यासप्रबन्धोपरी—अरदराजमट्ट द्वारा।  
 संन्यासपद्धति—नि० सि० एव आद्यमयूख में वर्णित।  
 संन्यासपद्धति—अच्युताश्रम द्वारा।  
 संन्यासपद्धति—माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के संस्थापक आनन्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८)।  
 संन्यासपद्धति—निम्बार्कशिष्य द्वारा।  
 संन्यासपद्धति—ब्रह्मानन्धी द्वारा। बडोदा (संख्या १६७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के अनुसार है।  
 संन्यासपद्धति—दददेव द्वारा (प्रतापनारायण से उद्धृत)।  
 संन्यासपद्धति—संकराचार्यहृत मानी गयी है (६० आ०, पृ० ५२१, संख्या १६४२)।  
 संन्यासपद्धति—शौनवहृत मानी गयी है नो० (भाग २, पृ० १०१)।  
 संन्यासमेरुनिर्णय।  
 संन्यासरत्नावलि—यथनाम भट्टारक द्वारा (माध्व सिद्धान्तों के अनुसार)।  
 संन्यासरीति।  
 संन्यासवरण—बल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०, पृ० १७८)।  
 संन्यासविधि—विष्णुतीर्थ द्वारा (बडोदा, ८५१२)।  
 संन्यासार्त्तिका।  
 संन्यासिपद्धति—(वैष्णवों के लिए)—इण्डिया आ० (पृ० ५२३)।  
 संन्यासिपरणोत्तरविधि—स्टीन (पृ० १०७)।  
 संन्यासिसंध्या।  
 संन्यासिसमाधीयन।  
 संन्यासिसाधिष्यविधि—वेदान्तरामानुज सातदास द्वारा। सव्यामी पुत्र द्वारा अपने पिता के शिष्यजीवरण पर।  
 संन्यासिकृष्णकोटार—कृष्णसात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डीकरण की आवश्यकता पर)।  
 संन्यासिकृष्णकोटारसंज्ञन—मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डुलिपि (भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)।  
 शिष्यनिर्णय।

सपिण्डीकरणम् ।

सपिण्डीकरणसम्बन्धम् ।

सपिण्डीकरणविधिः ।

सपिण्डीकरणप्रमाणम् ।

सपिण्डीकरणान्तरकर्मम् ।

सपिण्डीकरणान्यञ्चकारम् ।

सपिण्डीधारा—रघुवर द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६२२१) ।

सप्तपारुष्यसामान्यम् ।

सप्तपारुष्यशोध—चार प्रश्नों में विभक्त, प्रत्येक प्रश्न अध्यायो में विभक्त। नो० (भाग २, पृ० १२२-१२५) ।

सप्तपारुष्यस्थाविधि—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। श्रवणाकर्म, सर्पबलि, आरव्युजी, आप्रयण, अष्टका एवं पार्वणश्राद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाम आये हैं।

सप्तमठान्नामिक—देहिण मठान्नायादिविचार।

सप्तविमत—(या स्मृति) नि० सि० में वर्णित।

सप्तविमतस्मृति—३६ पदामे (० आ०, पृ० ४०२), सात ऋषि हैं—नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गर्ग, वश्य एवं वृष्व।

सप्तविष्णुतिस्रहृत् ।

सप्तस्यसनश्चापासमुच्चय—सोमकीर्ति आचार्य द्वारा, (नो०, ८, पृ० १४४) ।

सप्तसत्पाप्रयोग—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित, उप० यज्ञोपवीत द्वारा।

सप्तसत्पाप्रयोग—महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा।

सप्तसत्पा प्रयोग—पुनन्तदेव के राजवंशकौस्तुभ से उद्धृत।

सप्तसत्पाप्रयोग—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न से।

सप्तसूत्रसत्यासप्तति—सत्यासप्तहृत् करने एक दशनामी सत्यामिया (तीर्थ, आप्त, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पृथी) एवं ब्रह्मा में लेकर राजराचार्य तक के १० महासूत्रों के विषय में। नो० (भाग ६, पृ० २९५) ।

सप्तपात-सप्तण ।

सप्तपदमलाकर—ममलानर द्वारा।

समयकल्पतरु—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पत्तोनीभट्ट द्वारा। देखिए बीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादशी निर्णय का अंश है।

समयनय—दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। भराडा राजा शम्भाजी के लिए १६८१ में लिखित।

समयनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० २०५) तक सं० १६०२ (१६८०-८१) में।

समयनिर्णय—पराशर गोत्र के नारायणारमज माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा, प्रतापमार्तण्ड का पार्श्वी भाग, प्रताप (हृददेव) के आदेश से लिखित। १५००-१५२५ ई० के लगभग।

समयप्रकाश—मुकुन्दलाल द्वारा।

समयप्रकाश—रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे० नो० (भाग ८ पृ० २१३) ।

समयप्रकाश—विष्णुसामी द्वारा। इन्हें 'स्वराट्टाभाङ्गिनि चित्पतिमहाप्राज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीर्ति-प्रकाश' नामक निबन्ध का एक अंश है। गौरकुल में उत्पन्न कनकसिंह के पुत्र कीर्तिसिंह के आदेश से प्रणीत। इसका विशद है 'कौटिल्यपरसुराममानोदत्त,' जामदग्निसिंह दय के समान है, जिसके आदेश से मदनरत्न का प्रणयन हुआ। सम्भवतः इसी को श्राद्धविद्या-कौमुदी एवं रघु० के मलमासतत्त्व में समयप्रकाश कहा गया है।

समयप्रदीप—विठ्ठलदीक्षित द्वारा (सं० प्रा०, ६२८४) ।

समयप्रदीप—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्र० ८९। टी० जीर्णोद्धार, मधुन्दा ठाकुर द्वारा।

समयप्रदीप—हरिहरभट्टाचार्य द्वारा। तिथि तक १४८१ (शाक महर्षिगणेशदेवचन्द्रसत्यागने) अर्थात् १५५९-६० ई०)। यह सन्देहास्पद है कि लेखक रघु० का पितृता था। ना० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बडादा (सं० १०१२०)। इसमें धार्मिक श्रुत्या के सुहृत्ता का उल्लेख है।

समयमेरोरमा—मं० प्रा० (६२८६) ।

समयमयूक्त—(या बालकृष्ण) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०६। परपुरे द्वारा मुद्रित।

समयममूल—कृष्णभट्ट द्वारा।

समयरत्न—मणिराम द्वारा।

समयालोक—पद्मनाभभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश।

समयबद्धोत्त—मदनरत्न का एक भाग।

समयसार—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी०

लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४)। टी०

सूर्यदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास तारा, इसने

लेखन को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ०

२०४-२०६)।

समस्तकालनिर्णयाधिकार।

समानप्रवरग्रन्थ—स्टीन (पृ० १०७)।

समावर्तनकालप्रायश्चित्त।

समावर्तनप्रयोग—श्यामसुंदर तारा।

समुदायप्रकरण—जगन्नाथसूरि द्वारा।

समुद्रकर भाष्य—धादसूत्र पर, रघु० के आह्वितत्व

एवं श्राद्धतत्त्व में वर्णित।

समुद्रयानमीमांसा।

सम्प्रदायप्रदीप—गद द्विवेदी द्वारा, सवत् १६१०

(१५५३-४ ई०) में वृन्दावन में प्रणीत, पाँच प्रकरणों

में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णद्वैपायन, शुक से

आगत विष्णुभक्ति-भरम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग

के तिरोधान का वर्णन है और तब बल्लभ, उनके पुत्र

विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक-

प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच वातों का

उल्लेख है जिन्हें 'वस्तुप्रचक' कहा जाता है, जिन

पर बल्लभ विश्वास करते थे, यथा—गुरुसेवा, भाग-

व्यतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नैरोपेक्ष्य।

इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरदेवराचार्य,

मध्वाचार्य, रामानुज एवं विष्णुदत्तिय तथा बल्लभ

का, जब कि उनके माता-पिता काशी को आग रहे थे,

उल्लेख है। ट० काँ०, सं० १७६ (१८८४-

८६)।

साम्बन्धगणपति—हरिश्चकर सूरि के पुत्र गणपति रावल

द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहूर्त, विवाह-श्रकारों

आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०।

साम्बन्धसूत्रामणि—अज्ञात। विवाह के विविध सम्बन्धों पर।

साम्बन्धसूत्र—नि० सि० में उल्लिखित।

साम्बन्धनिर्णय—श्रीधरलक्ष्मणप्रधान भट्टाचार्य द्वारा।

सपिण्ड, समानोदक, सगोन, समानप्रवर, बन्धव से

सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर।

साम्बन्धप्रव्रीषिका—विद्यानिधि द्वारा। बडोदा (१०-

१०६)।

साम्बन्धपरहृत्सव—स्मृतिरत्नावली में वर्णित।

साम्बन्धपरिषेक—भवदेवभट्ट द्वारा। उद्गाहृतत्व एवं

सत्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३।

साम्बन्धपरिषेक—शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्व

में व०, सत्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है।

सम्भवत यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है।

साम्बन्धपरिषेक—(या उद्गाहृतत्ववस्था)। नो०

(भाग ३, पृ० ३३४)। उपर्युक्त उद्गाहृतत्ववस्था से

भिन्न।

सत्त्वतत्त्वज्ञानिका।

सरला—(श्रीभिल्लगृह पर भाष्य ?) रघु० के उद्गाह-

तत्त्व, एवादेशीतत्त्व एवं छन्दोगवृत्तारसर्गतत्त्व में

वर्णित।

सरस्वतीविद्यालोकिका।

सरस्वतीविलास—उडीसा के गजपति कुल के प्रतापछद्रदेव

द्वारा। दे० प्रक० १००।

सरोजकलिका—भास्वत्किरलर द्वारा। धाद, आशोच,

शुद्धि, गोन पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं,

यद्यपि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो०

(भाग ६, पृ० ३९)।

सरोजसुन्दर—(या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर

(उद्धारण ३७०)। पीटर्सन का यह कथन भ्रामक है

कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है।

सर्पबलि।

सर्वतीर्थयात्राविधि—कमलाकर द्वारा।

सर्वदेवताप्रतिष्ठासारासंग्रह।

सर्वदेवप्रतिष्ठासंग्रह।

सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रयोग—भाषवाचार्य द्वारा। नो० न्यू०  
(भाग ३, पृ० २१९)।

सर्वदेवप्रतिष्ठाविधि—रामचंद्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा।

सर्वधर्मप्रकाश—नारायणभट्ट के पुत्र धरुकरभट्ट द्वारा।

दे० धर्मप्रकाश।

सर्वदेवमूर्तिप्रतिष्ठाविधि।

सर्वधर्मप्रकाशिका—बलभट्ट। रामभक्ति पर ४२६

श्लोका मे, विभिन्न मासो एव तिथिषा मे, मदनोत्सव

(चंद्र द्वादशी), आदि शुक्ल द्वादशी पर क्षीरादि

उपनोत्सव, मुद्राधारणविधि, चातुर्मास्यप्रतविधि जैसे

उत्सवा एव इत्यादि पर। ४० पा० पाण्डु० ३३१

(१८८७-९१)।

सर्वपुराणसार—राजराजानंद द्वारा।

सर्वपुराणार्थसंग्रह—बैतण्ड्याय द्वारा।

सर्वपुराणार्थसंग्रह।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—नारायणभट्ट कागलकर के पुत्र

रोपभट्टात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा।

तुलज के पुत्र तजौरराज चारभ के अधीन लिखा गया।

सर्वप्रायश्चित्तसंग्रह।

सर्वप्रतीक्षापन—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वप्रतीक्षापनप्रयोग।

सर्वशान्ति।

सर्वशान्तिप्रयोग—हेमाद्रि का वर्णन है। बीकानेर (पृ०

४५९)।

सर्वशास्त्रार्थनिर्णय—कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी०

आर० ए० एफ०, पृ० २३८ (सं० ७४४), पाण्डु०

की तिथि शक १६३७, बीकानेर (पृ० ४५९)।

सर्वसंस्कारसंग्रह—नि० सि० मे वर्णित।

सर्वसंस्कारसंग्रह—भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के

बीच मे।

सर्वस्मृतिसंग्रह—सर्वशु वाजपेयवाजी द्वारा।

सर्वप्रयणशालनिर्णय।

सर्वशुभ्रुतशान्ति।

सर्वशुभ्रुतशान्ति।

सर्वोपयुक्तारिका—अज्ञात, आद्य पर १४ श्लोक। टी०  
अज्ञात, पाण्डु० भण्डारकर संग्रह मे, भट्टोजि के  
आधार पर।

सहगमनविधि—(या सतीविधान) गोविन्दराजद्वारा माना  
गया है। ३० अं० (पृ० ५७८, सं० ७७४), ६६  
श्लोका मे।

सहगमनध्याय।

सहधारविधि—पति की चिता पर भस्म होती हुई सती  
के विषय के कृत्य।

सहधारविधि—(या सहगमनविधि) ४० पा० पाण्डु०  
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्  
१६८६ है।

सहस्रचण्डीविधान—कमलाकर द्वारा।

सहस्रचण्डीविधि—अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५)।

सहस्रचण्डीसप्तचण्डीविधान।

सहस्रचण्डीपाविधि—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

अपने ग्रन्थ नियमसिन्धु का उल्लेख किया है। नो०

(९, पृ० २०३-२०४)। लगभग १६१२ ई०।

सहस्रभोजनविधि—स्टीन (पृ० १०७)।

सहस्रभोजनसूत्रव्याख्या—गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र

भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८)। मौलिक

सूत्र बोधायन के हैं।

सहानुमत्प्रविशेष—रामचरणन्यायालकारके पुत्र अनन्त-

राम विद्यावागीश द्वारा। बुद्धितत्व, विवादभगार्णव

का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७

पृ० २२३)।

सहस्रयज—हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७,

पृ० २८१)।

सावत्सरिकध्याय।

सावत्सरिककोटिष्विष्टध्यायप्रयोग—यजुर्वेद के अनुसार।

नो० (भाग २, पृ० ६६)।

सागर—बहुत-से ग्रन्थ इस नाम से हैं, यथा—अद्भुत-

सागर, दानसागर, स्मृतिसागर।

सागरधर्ममृत।

सागरसंहिता—हेमाद्रि द्वारा वर्णित (२, पृ० ८५२)।

साग्निहोत्रविधि—अग्निहोत्रियों के अन्त्येष्टि कृत्यों के नियमों पर।

साक्षात्पायगृहसूत्र—दे० शाखायनगृहसूत्र।

साक्षात्पायनगृहसूत्रग्रह—वासुदेव द्वारा। दे० शाखायन० (बनारस संस्कृत मन्त्रालय में प्रकाशित)।

सामनचन्द्रिका—वैश्वेन्द्र स्वामी द्वारा। बंण्यव कृत्या पर।

सामनीद्वन्द्वी—बर्नोल का तजौर कंटलाग (पृ० ११० वी)।

सामारणप्रायश्चित्तसंग्रह।

सामारणप्रतप्रतिष्ठाप्रयोग—यजुर्वेद के अनुसार। नो० (भाग २, पृ० ६३२)।

सापिण्डीमंजरी—नागेश द्वारा।

सापिण्ड्यकल्पसता—(या—स्तुति) नीलकण्ठात्मज श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा। २४ या २५ पद्यों में, विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। लेखक देवालयपुर का था। ४० का० पाण्डु० ६१३ (१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विठ्ठल का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सापिण्ड्य का तात्पर्य है शरीर के कणों से सम्बन्ध। दे० नो० म्यु० (भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ श्लोकी की सख्या ३६ बही गयी है। टी० सदाशिव देव के पुत्र रामदण्ड के पुत्र नारायणदेव द्वारा (सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०), वह लेखक का पीत एवं नागेश का शिष्य था, नरसिंह-सत्पति, वीरभद्रोदय सापिण्ड्यप्रदीप, द्रैतनिर्णय का उल्लेख है।

सापिण्ड्यप्रतस्वप्रकाश—रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा। बडोदा (१२७८३)।

सापिण्ड्यदीपिका—नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी एवं सापिण्ड्यनिर्णय भी कहा जाता है।

सापिण्ड्यदीपिका—(या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट्ट द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख है। सम्भवत इसी का नि० सि० में उल्लेख है। लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अत

उसका काल १५२०-१५८० ई० है। ३० वा० पाण्डु० (सं० २०८, १८८२ ८३) का नाम अनुकल्प सापिण्ड्य निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-भरणयन के विषय में श्रीधर के मिथ्यानाम विवेचन है। ४० वा० पाण्डु० (१०९ १८९५-९८) की तिथि १६४७ (१५९० ई०) है।

सापिण्ड्यनिर्णय—नागोजिभट्ट द्वारा। नन्दपण्डित, अन तदेव, गोविन्दार्णव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० की तिथि शक संवत् १७२५ है।

सापिण्ड्यनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। ४० वा० पाण्डु० (सं० ६२२ १८८३ ८४) में आरम्भ का अर्थ या है—'अथ सप्तमीपञ्चमीनिर्णय'।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामदण्ड द्वारा। सं० प्रौ० (सख्या ६३७८ ८०)।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामभट्ट द्वारा। बडोदा (५०३२)। सापिण्ड्यनिर्णय—श्रीधरभट्ट द्वारा। व्य० म० द्वारा ४०। यह सापिण्ड्यदीपिका ही है। ४० का० पाण्डु० (१२८, १८९५-९८)।

सापिण्ड्यप्रदीप—नागेशकृत। सापिण्ड्यकल्पसतिका की टीका में व०। धरपुरे द्वारा प्रका०।

सापिण्ड्यमीमांसा—नि० सि० म व०। सम्भवत यह श्रीधरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है।

सापिण्ड्यपविचार—विश्वेश्वर उप० गागाभट्ट द्वारा (बडोदा, १९४७)।

सापिण्ड्यपविषय—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

सापिण्ड्यसारा—रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा (बडोदा, १२७८४)।

सापिण्ड्यसाम्राट्टविधि।

सामनप्रतप्रतिष्ठा—रघुनन्दन द्वारा।

सामगवृषोत्सर्गतस्व—रघु० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सर्गतस्व।

सामगाहिक—दे० छन्दोगाहिक।

सामगृहपरिशिष्ट—दे० गोभिलगृहपरिशिष्ट।

सामगृहवृत्ति—धरस्वन्द द्वारा।

सामवेदीयशकर्म—भयदेव द्वारा। दे० कर्मानुष्ठान-  
पद्धति (प्रब० ७३) जो भयदेववृत्त है।

सामवेदीयसंस्कारपद्धति—देवादित्य के पुत्र धीरेस्वर  
द्वारा। नो० न्यु० (भाग ३, पृ० २२१)। लग०  
१३०० ई०।

सामान्यक्रमवृत्ति।

सामान्यप्रथमदृक—त्रिस्तपसीसेतु या एक अंश।

सामान्यहोमपद्धति।

सायणोप—नि० सि० मे व०। सम्भवतः यह सायण की  
पुस्तक प्रायश्चित्तसुपानिधि है।

सार्यप्रतरीपासन।

सारप्रार्थकर्मविपाक—नागर ब्राह्मण पद्यनाम-भात्मज के  
प्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत। मंगल भूपाल के  
पुत्र दुर्गसिंह के मंत्री कणसिंह के आश्रय में मन्दप्रदनगर  
में संवत् १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक  
का कथन है कि उसने मौल्यिन्प या मौल्यिन्प के  
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आप्त किया है जिससे  
उसने १२०० श्लोक उद्धृत किये हैं। इस ग्रन्थ में  
४९०० श्लोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश्वर एवं बौधायन  
से क्रमशः २७६ एवं ५०० श्लोक लिये हैं। ग्रन्थ में  
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ०  
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बडोदा (सं० ९४५९ एवं  
९०८२) एवं मण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३  
पृ० ६३)। दानसूत्र एवं आचारदीपिका के भी  
उद्धरण हैं। बडोदा पाण्डु० संवत् १४९६ (१४३९  
ई०) में उतारी गयी थी।

सारस्वत्जरी—श्रीनाथद्वय छन्दोगपरिसिद्धप्रकाश की  
टीका।

सारसप्तह—दे० पाण्डयनीति के अन्तर्गत

सारसप्तह—मदनपारिजात, सं० कौ० तथा रघु के  
तिथितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०।

सारसप्तह—अज्ञात। सुभाषुभ दिनों पर ८८१ पद्यों में।

पाण्डु० (६० द्या०, पृ० ५३५ सं० ११७९) की  
तिथि १७७४ (१७७७-१८ ई०) है।

सारसप्तह—मुरारिभट्ट द्वारा।

सारसप्तह—रायवभट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्त्व में  
व०।

सारसप्तहदीपिका—रामप्रसाददेव रमा द्वारा।

सारसप्तह—शम्भुदास द्वारा।

सारसप्तह—हेमाद्रि-दानतण्ड एवं शूलपाणि वृत्त  
दुर्गास्वविवेक में व०।

सारसागर।

सारसप्तहचतुष्टय—वरदाचाम द्वारा।

सारसप्तह—अपराक (पृ० ८७२, त्रिपुण्ययोग पर)  
द्वारा व०। सम्भवतः ज्यातिग्रन्थ, जो कल्याणवर्मा  
वृत्त या जिसे अलबरूनी ने वर्णित किया है, अतः  
तिथि १००० ई० के पूर्व।

सारसप्तह—दे० स्मृतिसारावर्ति।

सारसारविवेक।

सारोद्धार—(त्रिगुणलोकविवरण की टीका) शम्भु-  
भट्ट द्वारा।

सिंहस्वप्नवृत्ति—जब वृहस्पति सिंह में रहता है उस  
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो०  
(भाग १०, पृ० ३४८)। हेमाद्रि पर आप्त।

सिद्धान्तपिन्तामणि—रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०।

सिद्धान्तज्योत्स्ना—परिराम द्वारा (सं० प्रा०, ६५२१)।

सिद्धान्ततत्त्वविवेक—कमलाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक।

सिद्धान्ततिपिनियंय—शिवनन्दन द्वारा। सं० प्रा० के०  
(६५२२)।

सिद्धान्तनियंय—रघुराम द्वारा।

सिद्धान्तपीपुषु—कोलहक के लिए चित्रपति द्वारा  
लिखित।

सिद्धान्तविन्नु—श्राद्ध पर (धर्मल, लजौर, १४३ बी)।

सिद्धान्तमञ्जरी—दे० दत्तसिद्धान्तमञ्जरी।

सिद्धान्तशिरोमणि—मोहनमिश्र द्वारा।

सिद्धान्तशार—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के  
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तांत्रिक ग्रन्थ।  
१५०० ई० के पूर्व।

सिद्धान्तशार—भास्कर के पुत्र विरवनाथ द्वारा।

सिद्धान्तस्यर्ष—रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०।

सिद्धान्तमुद्योद्धार—विश्वम्भर के स्मृतिमारोद्धार मे व० ।  
सोमन्तकर्मपद्धति ।

सोमन्तनिर्णय ।

सुहृत्प्रकाश—श्वालानाय मिश्र द्वारा । आचार, आशीष,  
श्राद्ध एव अन्तरिग्रह (अनुपयुक्त लोगो से दान ग्रहण)  
पर । नो० (भाग २ पृ० १३६) ।

सुगतिसोपान—देवादिभ्य के पुत्र गणेश्वर मन्त्री द्वारा ।  
यह चण्डेश्वर के चाचा थे । दे० प्रक० ९० । लम्क  
ने अपने को महाराजाधिराज बना है और लिखा है  
कि वह देवादिभ्य साधिविग्रहिक (अपने पिता) से  
महायता पाता था । २पु० द्वारा मुद्रितत्व मे एक  
प्रथम द्वारा व० । १४वीं गताब्दी के प्रथम चरण के  
लगभग प्रणीत ।

सुमानदुर्गादय—दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेश्वर, उप०  
गायामट्ट द्वारा । १६ मस्कारा पर । १६७५ ई० के  
लगभग प्रणीत (रीकानेर पृ० ४७५) ।

सुवर्णकालप्रभा—रामेश्वर शास्त्री द्वारा ।

सुवर्णभाष्य—आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर सुवर्णनाचार्य श्री  
टोका । भट्टोजि के चतुर्विंशतिमल व्यवस्थान मे तथा  
नि० सि० मे व० । १५५० ई० के पूर्व । टोका  
अष्टविला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा, नि० सि० मे व० ।  
सुवर्णमोमासाविधेय—बडादा (४०८५) । वैष्णवा के  
तत्त्वकादि पंचायुवभाष्य को मान्य ठहराता है ।  
पाण्डु० की तिथि सवत् १८३४ ।

सुयोचन्द्रिका ।

सुयोमयूख ।

सुयोविलोचन—गोपालकृति के श्राद्धप्रयाग मे, प्रयोग-  
चन्द्रिका एव वैष्णवप्रक्रिया मे व० ।

सुयोविलोचन—वैदिकसाम्बोध मे द्वारा ।

सुयोविसोपनसर ।

सुन्दरराजीव—प्रयोगचन्द्रिका मे व० ।

सुप्रभा—सिद्धेश्वर क पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के  
कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका । १६९२ मे प्रणीत ।

सुबोधिनै प्रयोगपद्धति—काशी सस्कृत माला मे प्रका०  
(कृष्णयजुर्वेदीया एव सामवेदीया) ।

सुबोधिनो (होमपद्धति)—अनन्तदेव द्वारा । नवग्रहा  
की भ्रान्ति पर ।

सुबोधिनी—(त्रिसल्लोकी की एक टीका) कर्मलयाकर  
क पुत्र अनन्त द्वारा । १६९०-१६९० ई० ।

सुबोधिनी—महादेव द्वारा ।

सुबोधिनी—मन्त्रावस्वर क पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा ।  
मिथिला के हट्टमिह के आदेश मे लिखित । दस  
मन्वारा श्राद्ध एव आह्निक पर एक स्मृतिनिबन्ध ।  
नो० (६ पृ० ४७) ।

सुबोधिनी—विश्वेश्वरभट्ट द्वारा मिनाक्षरा पर टाका ।  
दे० प्रक० ९३ । व्यवहार प्रकरण एव अनवाद  
परपुरे द्वारा प्रका० ।

सुबोधिनी—(प्रवृत्तपद्धति) विद्याम क पुत्र शिवराम  
द्वारा, सामान्य के विद्याविद्या क नि० । अपनी  
वृत्त्यचिन्ताभण्डि का उल्लेख किया है । लगभग  
१६४० ई० ।

सुमन्तुधर्मसूत्र—दे० प्रक० २९ एव ट्राएनिए० कैंटलाग,  
मदाम गवनमण्ट पाण्डु० (१९१९-२०, पृ० ५१६-  
६२) ।

सुमन्तुस्मृति—मिताक्षरा एव अपणकं द्वारा व० ।

सूतकदीपिका—दे० त्रिसल्लोकी ।

सूतकनिर्णय—(पृष्ठ के विनारे 'अष्टकाशीधभाष्य' नाम  
भी लिखा है) । स्टीन की पाण्डु० (पृ० ३१९)  
मे तिथि सवत् १४६६ (१४०९-१९ ई०)  
है । "नाम, दन्त, उपन्यन से पूर्व त्रिगत्र एव  
आप्यव" इत्यादि ।

सूतनिर्णय—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डारकर  
सग्रह मे) माधव हरदत्त, त्रिसल्लोकी का उल्लेख है ।

सूतकसार ।

सूतकसिद्धान्त—देवयानिक द्वारा ।

सूरसम्भन्तिदीपिका—जयनारायण तक्षकानन द्वारा ।

सूरिसन्तोष—२पु० द्वारा एकादशीतत्व एव त्रिपितृत्व मे  
उल्लिखित ।

सूर्यनक्षत्रकारविधि ।

सूर्यप्रकाश—कृष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज द्वारा । धर्म-

- शास्त्र पर एक बृहत् निबन्ध) बीकानेर (पृ० ४७६)  
के कंठलाग मे केवल व्रतखण्ड ही मिलता है।
- सूर्याधिपञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति—भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव गणेश दुर्गा एव विष्णु की मूर्ति स्थापना पर।
- सूर्यार्घ्यदानपद्धति—महादेवभट्ट द्वारा।
- सूर्यार्घ्यदानपद्धति—रामेश्वर के पुत्र भाषव द्वारा। लग० १५२० १५८० ई०।
- सूर्यार्घ्यवर्कर्मविपाक—अलवर (स० २९३), धम्बई मे मुद्रित।
- सूर्यार्घ्यनिबन्ध—नारायण की धमप्रवृत्ति मे व०। सेतुयात्राविधि।
- सोवकुम्भभाष्ट।
- सोमनाथीय—नित्तल कुल के सूरभट्ट-पुत्र एव वैकटादि-यज्ञा के लघु भ्राता सोमनाथभट्ट द्वारा।
- सोमवारव्रतोद्यमन।
- सोमवारराभावास्थव्रतकालनिर्णय।
- सोमशेखर—(निबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व मे एव सत्स्वतीविलास (मंसूरसंस्करण, पृ० ४२२) मे व०। दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है।
- सोमायकल्पद्रुम—अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३)। स्त्रीधननिर्णय।
- स्त्रीधनप्रकरण।
- स्त्रीधर्मकमलाकर—कमलाकरभट्ट द्वारा। विवादताण्डव में व०।
- स्त्रीधर्मपद्धति—अम्बक द्वारा।
- स्त्रीपुनश्चाहसञ्जनमालिका—राधवेन्द्र द्वारा।
- स्त्री-श्राद्धविनयर्षा।
- स्यालीपाक—(आपस्तम्बीय)।
- स्यालीपाक—(आश्वलायनीय)।
- स्यालीपाकनिर्णय।
- स्यालीपाकप्रयोग—(आश्वलायनीय)।
- स्यालीपाकप्रयोग—कमलाकर द्वारा। नो० न्यु० (भाग ३, पृ० २३६)।
- स्यालीपाकप्रयोग—नारायण द्वारा।

स्थापत्प्राणप्रतिष्ठा।

स्विरलिङ्गप्रतिष्ठा।

स्नानविधिभूतपरिशिष्ट—(या स्नान-द्रुप या त्रिकण्डिन सूत्र) वात्स्यायन द्वारा। टी० स्नानद्रुपपद्धति, एक द्वारा। टी० स्नानसूत्रदक्षिण महेश्वर के पुत्र गौरीनाथ द्वारा। टीका की टीका, ज्ञानानंद द्वारा। टी० छान यात्रिकचक्रवृद्धाचिन्तामणि द्वारा। टी० त्रिमल्लतनय (बेरा?) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी द्वारा (नो० भा० ७ पृ० ३०४)। टी० स्नानपद्धति या स्नानविधिपद्धति, यात्रिकदेव द्वारा। टी० स्नान-सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है कि उसने इस ग्रंथ मे अपने भाष्य का आधार लिया है। टी० स्नानव्याख्या एव पद्धति, अग्निहोत्री हरिहर द्वारा।

स्मार्तकर्मनिष्ठानक्रमविवरण—चण्डूक द्वारा (बडोदा, २९६ मवत् १५९३)।

स्मार्तकुतूहल।

स्मार्तगंगाधरी—गंगाधर द्वारा (से० प्रा० सत्या ६७१०)।

स्मार्तदिनमणि—मंसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तदीपिका—अज्ञात। आश्वलायन के आधार पर। बनैल (तजीर कंठलाग, १३९ ए)।

स्मार्तपदार्थसंग्रह—गंगाधर की प्रयोगपद्धति से।

स्मार्तपदार्थानुक्रमिका—द्वैपायनाचार्य द्वारा (बडोदा, ६९८६)।

स्मार्तपरिभाषा—शृण्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य मे व०।

स्मार्तप्रदीपिका—मंसूर गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तप्रयोग—ब्रह्मण्य भट्ट द्वारा।

स्मार्तप्रयोग—(हिरण्यवेशीय) टीका बंधयन्ती।

स्मार्तप्रयोगकारिका।

स्मार्तप्रायश्चित्त—बालभट्ट के पुत्र रामभट्ट-सूत्र तिप्पामट्ट (उप० गह्वर) द्वारा।

स्मार्तप्रायश्चित्तप्रयोग—(या प्रायश्चित्तोद्धार) रामेश्वर के पुत्र महादेवारमज दिवाकर (उपाधि बाल या काळे) द्वारा। यह कमलाकरभट्ट के पिता रामभट्ट



की पुत्री के पुत्र से। लग० १९६०-१९८० ई०।  
 बी० बी० आर० ए० एम्० (पृ० २३८, सं० ७४५)।  
**स्मार्तप्रायश्चित्तविनियोग**—बैकटाचार्य द्वारा।  
**स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार**—यह दिवानरुद्र स्मार्तप्राय-  
 श्चित्तप्रयोग एव प्रायश्चित्तोद्धार ही है।  
**स्मार्तमार्तश्च-प्रयोग**—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा।  
**स्मार्तस्ववस्त्राणव**—मपुरेश के पुत्र रघुनाथ सार्वभौम  
 द्वारा। शक सवत् १५८३ (१६६१-६२ ई०) में  
 राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। त्रिथि,  
 संक्रान्ति, आशौच, द्रव्यसुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त  
 उद्धार एव दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (३० का०,  
 पाण्डु० सं० ३०५, १८८६-९२, त्रिथि पर, नो० २,  
 पृ० ७६, उद्धार पर एव नो० २, पृ० २८४, दाय  
 पर)।  
**स्मार्तसमुच्चय**—देवदत्त के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा।  
 दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमासा को अपना  
 ग्रन्थ माना है।  
**स्मार्तस्फुटपद्धति**—नारायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०,  
 सं० ६७१७)।  
**स्मार्तध्यानपद्धति**—गोविन्द द्वारा।  
**स्मार्तध्यानाप्रयोग**—काश्यपचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा  
 (बी० बी० आर० ए० एम्०, पृ० २३९, सं० ७४७)।  
 मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्मणंद। १५००  
 एव १६७५ ई० के बीच में।  
**स्मार्तनिष्कान्तपद्धति**—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तमठ द्वारा।  
 इसे अनन्तमठ ही कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के  
 अन्तर्गत। आरवलायन के आधार पर (६० आ०  
 पृ० ५१६)।  
**स्मार्तयोगसप्तपद्धति**—प्रयोगरत्न से।  
**स्मार्तौत्सवाह**—मुफ्करपुर के धीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद  
 द्वारा (बडोदा, ११९५८)। पाण्डु० की त्रिथि शक  
 १६१०। मदनरत्न, डोडरानन्द का उल्लेख है।  
 १५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल,  
 मुहूर्तविचार, अग्निहोत्री के कर्तव्यों एव रजस्वला  
 धर्म जैसे कठिन विषयों पर।

**स्मृतिकवचन**—कञ्च येत्सुमठ द्वारा। कुत्त (सं०  
 ६५७)।  
**स्मृतिकल्पद्रुम**—शुकल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका सेतक  
 द्वारा, स्टीन, पृ० १०८।  
**स्मृतिकौशवीपिका**—तिम्मगमठ द्वारा (बडोदा, २००८,  
 बैंगल आङ्गिक पर)।  
**स्मृतिकौमुदी**—देवनाथ ठक्कुर द्वारा। चातुर्वर्ष्य, आचार,  
 आङ्गिक, सस्कार, श्राद्ध, आशौच, शयभाग, व्रत,  
 दान एव उत्सवों पर एक निबन्ध (नो०, ५, पृ०  
 २३७)।  
**स्मृतिकौमुदी**—मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ०  
 ३८३ ३८४) इसे शुद्धप्रमोत्पलद्योतिनी भी कहते  
 हैं।  
**स्मृतिकौमुदी**—रामरुष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६,  
 पृ० १४०)।  
**स्मृतिकौमुदीटीका**—कृष्णनाथ द्वारा।  
**स्मृतिकौस्तुभ**—अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० १०९।  
 १२ दीधितियों में विभक्त।  
**स्मृतिकौस्तुभ**—बैकटाक्षि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय।  
**स्मृतिधन्यराज**—सार्वभौम द्वारा।  
**स्मृतिचन्द्र**—सिद्धेश्वर के सस्कारमयूख में व०।  
**स्मृतिचन्द्र**—हरिहर के पुत्र भवदेव न्यायालकार द्वारा।  
 १७२०-२२ ई० में प्रणीत। १६ कलाओं में विभाजित,  
 यथा—त्रिथि, व्रत, सस्कार, आङ्गिक, श्राद्ध, आचार,  
 प्रतिष्ठा, वृषोत्सव, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार,  
 गृहयज्ञ, वैश्रमभू, मलिन्मुच, दान एव शुद्धि। श्रीदत्त  
 एव सवसरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का  
 अनुकरण है।  
**स्मृतिषण्डिका**—आपदेव मीमांसक द्वारा। काल मल-  
 मास, व्रत, आङ्गिक, विवाह एव अन्य सस्कार, स्त्रीधर्म,  
 आश्रमधर्म, अनपेक्षित, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६,  
 ३०१)।  
**स्मृतिषण्डिका**—कुशेर द्वारा। दत्तकषण्डिका में व०।  
**स्मृतिषण्डिका**—केरावादिप भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५,  
 यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्भिक एव अन्त के

हलोको से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवणभट्ट का ही है।

**स्मृतिचन्द्रिका**—केरावादित्यभट्ट के पुत्र देवणभट्ट द्वारा।  
दे० प्रक० ८५ (परपुरे एव मैसूर गवन्मेष्ट द्वारा प्रका०)।

**स्मृतिचन्द्रिका**—वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० १३७)।

**स्मृतिचन्द्रिका**—वैदिकसावर्भूमि द्वारा।

**स्मृतिचन्द्रिका**—बटवलमिश्र के पुत्र शुक्रदेवमिश्र द्वारा।  
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आरोग्य, व्यवहार पर (६० आ० पृ० ४७१)।

**स्मृतिचन्द्रिका**—अज्ञात। नो० (८, पृ० १५३)।

**स्मृतिचन्द्रोदय**—गणशभट्ट द्वारा (सं० प्रा० सख्या ६७२३-२४)।

**स्मृतिचरण**—भवानीशकर द्वारा।

**स्मृतिचिन्तामणि**—गोपीनाथ मिश्र के पुत्र गणादित्य या गणाधर द्वारा। कल्पतल, कामधनु, हेमाद्रि, मदनरत्न का उल्लेख है और नृसिंहप्रसाद (६० आ०, पृ० ४४४ व्यवहार) से वर्णित है। लगभग १४५०-१५००।

**स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह**—द्राएनिएर कंट०, मद्रास गवन्मेष्ट पाण्डु०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आर्त्थिक पर।

**स्मृतिचूडामणि**—(या—मणिसंग्रह) वात्स्यगोत्र के वरदाचार्य द्वारा।

**स्मृतिचक्र**—रघुनन्दन द्वारा। यह उनका वह निबन्ध है जिसमें २८ तत्व हैं। दे० प्रक० १०२।

**स्मृतिचक्रप्रकाश**—श्रीदेव द्वारा।

**स्मृतिचक्रनिर्णय**—(या व्यवस्थापव) श्रीनाथ आचार्य-पूशामणि के पुत्र राममद द्वारा। शूलपाणि का वर्णन है। १५००-१५५० ई० (ना० न्यू०, १, पृ० ४१३)।

**स्मृतिचक्रविवेक**—भवेरा एव गौरी के पुत्र एव मिथिला के भैरवेंद्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्षमान महा-महोपाध्याय द्वारा। लग० १४५०-१५०० ई०।  
आचार, धाढ, शुद्धि एव व्यवहार पर (नो०, भाग ५, पृ० १८४)।

**स्मृतिचक्रसार**—बिहार एवं उड़ीसा कंटघाग (नाग १, सख्या ४४०)।

**स्मृतिचक्रामृत**—भवेरा एव गौरी के पुत्र वर्षमान द्वारा।  
नो० (६, पृ० १२) में दान्तिकरूपीष्टिर्वाजलि है।  
नो० (६, पृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (ध्ववहारा-ञ्जलि) है, अन्तिम पद्यों में वर्षमान का कथन है कि उन्होंने आचार, धाढ, शुद्धि एव व्यवहार पर चार कुसुम लिखे हैं। अतः स्मृतिचक्रविवेक एवं स्मृति-तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भैरवेंद्र के पुत्र राम के आदेश से लिखा गया है।

**स्मृतिचरण**—श्राद्धकल्पलता, नृसिंहप्रसाद, सूदकमलाकर, विद्यानपारिजात से व०। १५०० ई० के पूर्व।

**स्मृतिचरण**—बडोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु० अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिचरणों का वर्णन है।

**स्मृतिदीपिका**—वामदेव उपाध्याय द्वारा। धाढ एवं अन्य श्रुतियों के काल पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं ७, पृ० १२५)।

**स्मृतिदुर्गभजन**—चन्द्रोत्तर द्वारा। दे० दुर्गमञ्जन।  
**स्मृतिनवनीत**—रामचन्द्र एव श्रीनिवास के शिष्य तथा नारसिंह के पुत्र वृषभाद्रिनाथ द्वारा।

**स्मृतिनिबन्ध**—नृसिंहभट्ट द्वारा। धर्मलक्षण, वर्णाश्रम-धर्म, विवाहादिसंस्कार सापिण्ड्य, आर्त्थिक, अज्ञोच, श्राद्ध, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत् निबन्ध (नो० ८, पृ० १७४)।

**स्मृतिपरिभाषा**—वर्षमान महामहोपाध्याय द्वारा।  
**स्मृतिमहामंडल**, **हरिहरमिश्र** के नाम आये हैं। एषु० के एकादशीतत्त्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के बीच में।

**स्मृतिप्रकाश**—हरिभट्ट के पुत्र आनाजिभट्ट (या आपाजि—) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा।  
बीकानेर (पृ० ४६७) में धाढ का अंग।

**स्मृतिप्रकाश**—वासुदेव रथ दाग। कालनिश्चय, सवत्सर, संक्रान्ति पर। माघवाचार्य एव विद्याकर वाजपेयी वा उल्लेख है। १५०० ई० के परचा।

स्मृतिप्रदीप—हेमाद्रि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०।  
 स्मृतिप्रदीप—चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि,  
 आशौच, श्राद्ध पर।  
 स्मृतिप्रदीपिका—दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धर्म-  
 दीपिका।  
 स्मृतिप्रदीपिका—चतुर्विंशतिमत पर अपनी टीका मे  
 भट्टोजि द्वारा व०।  
 स्मृतिप्रामाण्यवाद।  
 स्मृतिभास्कर—स्मृतिचन्द्रिका, नृसिंह के प्रयोगपारिजात,  
 धर्मग्रन्थि, नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवर्नमेण्ट  
 (भाग ५, पृ० २०४३, स० २७८६-८७) मे एक स्मृति-  
 भास्कर के यतिधर्म एव शूद्रधर्म के अग्र है।  
 स्मृतिभास्कर—नीलकण्ठ द्वारा (मो०, भाग ५, पृ०  
 १०८)। आरम्भिक श्लोकों से पता चलता है कि यह  
 नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है।  
 स्मृतिभूषण—केशव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्य  
 अनुयायियों के लिए एक निबन्ध।  
 स्मृतिमंजरी—कालीचरण न्यायालंकार द्वारा।  
 स्मृतिमंजरी—गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६।  
 स्मृतिमंजरी—रत्नधर मिश्र द्वारा।  
 स्मृतिमंजरी—अज्ञात (ड० वा० पाण्डु० स० १८५,  
 १८८४-८६, श्राद्ध पर)।  
 स्मृतिमंजूषा—कालादर्श, स्मृतिसार (हरिताथवृत्त)  
 एव श्राद्ध के छन्दोगाह्निक मे व०। १३०० ई० से  
 पूर्व।  
 स्मृतिमहाराज—वृष्णराज द्वारा (बडोदा, स० ८०२३)।  
 मदनरत्न वा उल्लेख है। गदान से आरम्भ होकर  
 मूर्तिप्रतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी  
 कहा गया है।  
 स्मृतिमहार्णव—(या स्मृतिमहार्णवप्रकाश) हेमाद्रि  
 द्वारा व०। दे० महार्णव।  
 स्मृतिमहोदधि—चिदानन्दब्रह्मोदरस्वामी के शिष्य पर-  
 मानन्दधर द्वारा।  
 स्मृतिमीमांसा—जैमिनि द्वारा। अपराकं (पृ० २०६)  
 द्वारा व०। जोमूतवाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के

स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के षट्षण्ड एव परिशेषछण्ड  
 मे तथा नृसिंहप्रसाद द्वारा व०।  
 स्मृतिमुक्ताफल—वेदनाथदीक्षित द्वारा। दक्षिण भारत  
 का एक श्रुति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णश्रमधर्म, आह्निक,  
 आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार,  
 काल पर। लगभग १६०० ई०।  
 स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह—चिदम्बरेश्वर द्वारा।  
 स्मृतिमुक्तावली—विजयीन्द्रभट्टासम्राज कुमार नृसिंहभट्ट  
 के पुत्र वृष्णाचार्य द्वारा। १० प्रकरणों में।  
 स्मृतिरत्न—कालादर्श, स० कौ०, स० म० (सिद्धेश्वर-  
 वृत्त) द्वारा व०।  
 स्मृतिरत्न—रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्डु० (नो०, भाग ७,  
 पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है।  
 स्मृतिरत्नकोश।  
 स्मृतिरत्नमहोदधि—चिदानन्दब्रह्मोदरस्वामी के शिष्य  
 श्री परमानन्दधर द्वारा। पदकर्मविचार, आचार,  
 आशौच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख  
 है। मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७,  
 सख्या २८०२-४)।  
 स्मृतिरत्नविशेष—चण्डेश्वर एव रुद्रधर द्वारा व०।  
 १३०० ई० के पूर्व।  
 स्मृतिरत्नाकर—ज्ञानवायं द्वारा (बडोदा, १९१९)।  
 स्मृतिरत्नाकर—ठाअपर्णाचार्य द्वारा।  
 स्मृतिरत्नाकर—भट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एव आशौच  
 पर)। दे० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (भाग ५,  
 पृ० २०५९ सख्या २८०६)।  
 स्मृतिरत्नाकर—विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र  
 विट्ठल द्वारा। बर्नल (तनौर, पृ० १३३ ए)।  
 स्थान एव विषया के आधार पर यह कहा जा सकता  
 है कि यह पूर्ववर्ती है।  
 स्मृतिरत्नाकर—विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभट्ट  
 द्वारा। आह्निक, १६ सस्कारा, सकृत्ति ग्रहण, दान,  
 तिथि-निर्णय प्रायश्चित्त, आशौच, नित्यनैमित्तिकपर  
 (ड० वा० पाण्डु० स० ५२, १८६६-६८)। बौवानेर  
 (पृ० ४६७) मे पिता का नाम शिवभट्ट लिखा है।

**स्मृतिरत्नाकर**—सरस्वतीवल्लभारम्भ श्रीरगनायाचार्य के पुत्र वैकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वैदिक-सार्वभौम है। आत्मिक अथ लक्ष्मीवैकटेश्वर प्रेस, कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अद्यण्डा-दर्श, माधवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एव इतिहास-समुच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसंग्रह भी कहा गया है।

**स्मृतिरत्नाकर**—वेदाचार्य द्वारा। नित्य-नैमित्तिकाचार, गर्भाधानादि सस्वार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, तीर्थयात्रा, भद्रयामक्य, वत, प्रायश्चित्त, आसौच, अन्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आश्रय में प्रणीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत-वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, दानसागर, महाणव का उल्लेख किया है। २५० के यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व में सम्भवत इसी का उल्लेख है। १२५०-१५०० ई० के बीच में। ६० आ० (५० ४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)।

**स्मृतिरत्नावलि**—नृसिंहप्रसाद, अन्येष्टिपद्धति (नारायणभट्ट वृत्त), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द पद्धि वृत्त) में वर्णित है।

**स्मृतिरत्नावलि**—महेश्वर के पुत्र मधुसूदन दीक्षित द्वारा। बीकानेर (५० ४६७, केवल श्राद्ध का अर्थ)।

**स्मृतिरत्नावलि**—रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। मनु १६५७ ई० में प्रणीत। दे० दायभागविवेक। स्टीन (५० १०९)।

**स्मृतिरत्नावलि**—बेचूराम द्वारा। नो० (७, ५० २२८)।

**स्मृतिरहस्य**।

**स्मृतिविषय**—आनन्दतीर्थ द्वारा। यह सदाचारस्मृति ही है।

**स्मृतिविवेक**—मेयातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३।

**स्मृतिविवेक**—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

**स्मृतिव्यवस्था**—गौड देव के चिन्तामणि न्यायवाणीय भट्टाचार्य द्वारा। शुद्ध्यादिव्यवस्था पर। पाण्डु० की तिथि दफ १६१० (१६८८-८९)।

**स्मृतिव्यवस्थाणव**—बिहार एवं उड़ीसा कंट० (१, सं० ४३३)।

**स्मृतिशेखर**—(या वस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि द्वारा। बर्नेल (तजौर कंट० १३६ ए)। आषार पर।

**स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ**—सम्भवत अनन्तदेव का ही संस्कारकौस्तुभ है।

**स्मृतिसंशेष**—नरोत्तमद्वारा। आसौच, सहमरण, पोषण-दान पर। नो० न्यू० (भाग २, ५० २२५ एवं भाग १, ५० ४१४)।

**स्मृतिसंशेषसार**—मधुसूदन तर्कवागीश के पुत्र रमाकान्त चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्वाहकाल, गोत्र, प्रवर, सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, ५० २२५)।

**स्मृतिसंग्रह**—(या संग्रह)। दे० प्रक० ५४।

**स्मृतिसंग्रह**—(१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थसारसागर में य०। (२) दयाराम द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (६० का० पाण्डु० सं० ३७३, १८७५-७६)। (४) नवद्वीप के रामभद्र न्यायगलकारभट्टाचार्य द्वारा। अनघ्याय, तिथि, प्रायश्चित्त, शुद्धि, उद्वाह, मापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन या व्यवस्थासंशेष भी कहते हैं। (५) सायण एवं माधव लिखित कहा गया है।

**स्मृतिसंग्रह**—वाचस्पति द्वारा।

**स्मृतिसंग्रह**—विद्यारण्य द्वारा (हस्त, सं० ५९१)।

**स्मृतिसंग्रह**—(या विद्यारण्यसंग्रह) ७००० पद्यों में एक विशाल ग्रन्थ (बडोदा, ११२४८)।

**स्मृतिसंग्रह**—बेङ्गटेश्वर द्वारा। क्या यह बेङ्गटेश्वर वृत्त स्मृतिरत्नाकर ही है?

**स्मृतिसंग्रह**—हरदत्त द्वारा।

**स्मृतिसंग्रह**—यह परमेश्वरीदासाधि ही है।

**स्मृतिसंग्रह**—व्यवहार पर (बलकृष्ण सरस्वत बालेज पाण्डु० कंट० भाग २, ५० १३७, सं० १५१)।

**स्मृतिसंग्रह**—हरदत्तव्याख्यान—नारायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र द्वारा चतुर्विंशतितम पर एक टीका (६० आ० कंट०

- पृ० ४७५)। यह घनुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका भी हो सकती है।
- स्मृतिसंग्रहसार**—महेशपचानन द्वारा। १पु० के स्मृति-  
तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५)।
- स्मृतिसमुच्चय**—अम्बई विश्वविद्यालय लाहवैरी की  
पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यों में, आह्वित्त, शौच,  
स्नान, एकादशी आदि पर। महभपुराण के उद्धरण  
हैं।
- स्मृतिसमुच्चय**—(आचारतिलक या लघ्वाचारतिलक  
से) दन्तधावन, स्नान, सध्या आह्निक, श्राद्ध, एका-  
दशी आदि पर ३२१ श्लोक (बबोदा सं० ७३३१)।
- स्मृतिसमुच्चय**—विश्वेश्वर वृत्त। जे० बी० ओ० आर०  
एस्० (१९२७, भाग ३-४, पृ० ६) में आया है कि यही  
ग्रन्थ श्रीमू० के कालविवेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय)  
३।२।६८६, २पु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि ने  
तिथिविवेक में वर्णित है।
- स्मृतिसरोजकलिका**—विष्णुशर्म द्वारा ८ खण्डों में,  
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त  
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे०  
ट्राएनिएल कंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० १९१९-  
२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७)।
- स्मृतिसरोजसुन्दर**—(या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर।
- स्मृतिसर्वस्व**—दुगली जिले के कृष्णनगर निवासी नारायण  
द्वारा। ६० आ० कंट० (पृ० ४४८)। १६७५ ई०  
के पूर्व। इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने  
वाले क्षयमास का उल्लेख किया है।
- स्मृतिसागर**—कुल्लुकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दाणं।  
शूलपाणि के दुर्गासप्तविबेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि-  
कोमुदी एवं २पु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख  
है।
- स्मृतिसागर**—नारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं २पु०  
के मूलमासतत्त्व में व०।
- स्मृतिसार**—केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में  
किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ श्लोक।
- स्मृतिसार**—नारायण द्वारा।
- स्मृतिसार**—महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशीच पर।  
नो० (३, पृ० ४८)।
- स्मृतिसार**—मुकुन्दलाल द्वारा।
- स्मृतिसार**—शामिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो-  
पवीत, मलमास, आचार, स्नान, दृढि, सापिण्ड्य,  
आशीच पर विभिन्न स्मृतियोंसे एकत्र ३११ श्लोक।  
३० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की  
तिथि सवत् १६५२ (१५९५-९६ ई०) है।
- स्मृतिसार**—यादवेन्द्र द्वारा। कृष्णजन्माष्टमी, राम-  
नवमी, दुर्गासप्त, श्राद्ध, आशीच, प्रायश्चित्त जैसे  
उत्सवों एवं कृत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा व०।  
६० आ० कंट० (पृ० ४७७), नो० (भाग ४, पृ०  
२१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है।
- स्मृतिसार**—श्रीकृष्ण द्वारा।
- स्मृतिसार**—हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० ९१। इसे  
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं।
- स्मृतिसार**—(या आशीचनिर्णय) वेंकटेशके एक ग्रन्थ की  
टीका।
- स्मृतिसारटीका**—कृष्णनाथ द्वारा।
- स्मृतिसारप्रदीप**—रघुनन्दन द्वारा।
- स्मृतिसारव्याख्या**—विद्यारत्न स्मार्तभट्टाचार्य द्वारा।
- स्मृतिसारसंग्रह**—कृष्णभट्ट द्वारा।
- स्मृतिसारसंग्रह**—चन्द्रशेखराचस्पति द्वारा।
- स्मृतिसारसंग्रह**—पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पूर्णा  
नन्द के शिष्य थे। आह्निक, शौच, स्नान, त्रिपुण्ड्र,  
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसंन्यासविधि,  
शौर्यवर्णनियं, यतिपार्वणश्राद्ध पर।
- स्मृतिसारसंग्रह**—महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारासंग्रह।
- स्मृतिसारसंग्रह**—शामिकदेव द्वारा। कुछ सवर्णों के  
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९  
श्लोक हैं। ३० का० पाण्डु० (सं० ३४४, १८८६-  
९२)।
- स्मृतिसारसंग्रह**—वाचस्पति द्वारा। २पु० का उल्लेख  
है। ६० आ० (पृ० ४३०)।
- स्मृतिसारसंग्रह**—विद्यानन्दनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—विद्वानाय द्वारा। विज्ञानेश्वर, कल्प-  
तरु, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। कल्पतरु  
कंट० मद्रास गवर्नमेंट पाण्डु० (१९०३-०४, पृ० ५२) वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २३९, स० ४२६४, स० २९४४)।

स्मृतिसारसंग्रह—बैकटेश द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—बैद्यनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसमुच्चय—छत्रे लू व्रतो पर धीम, ब्रह्मचारी,  
आनन्द दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों  
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पृ० १५५६) एव अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया  
है कि इसे धर्मशास्त्ररुचि ने लिखा है।

स्मृतिसारसमुच्चय—हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त  
स्मृतिसार ही है।

स्मृतिसारसर्वस्व—बैकटेश द्वारा। बैकटेशवृत्त भागीच-  
निर्णय ही है।

स्मृतिसारसागर—रघु० के त्रिपितृत्व मे व०।

स्मृतिसारावलि—वि० सि० मे व०।

स्मृतिमारोद्धार—दे० चन्द्रनाथरायणीय निबन्ध। बनारस  
मे प्रका०।

स्मृतिसिद्धातसंग्रह—इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा।

स्मृतिसिद्धान्तसुधा—रामचन्द्र बृष द्वारा। अ पचपष्टि  
पर एक टीका।

स्मृतिसिन्धु—श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य थे।  
बनारस (तबीर कंट०, पृ० १३५ ए)। वैष्णवों के  
लिए।

स्मृतिसुधाकर—(या कर्पवृक्षनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र  
ओम्नाथकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)।

स्मृतिसुधाकर—शकस्मिन् द्वारा। १६०० ई० के लग०।  
जे० वी० ओ० आर० एस्० (१९२७, भाग ३-४,  
पृ० १०)।

स्मृत्यधिकरण।

स्मृत्यर्थनिर्णय—(ध्यवहार पर)।

स्मृत्यर्थत्वानुकर—इस स्मृत्यर्थसार भी कहा जाता है।

स्मृत्यर्थसागर—नारायण के पुत्र छल्लारि नृसिंहाचार्य  
द्वारा। मध्वाचार्य की सदाधारस्मृति पर आधारित।

आह्निक, काल, आशीव एव शुद्धि पर चार तरणों में  
विभक्त। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४,  
पृ० ५२) वी० वी० आर० ए० एस्० (पृ० २३९, स०  
४२६४) एव ऑक्रेस्ट कंट० (२८५ वी०)। इसका  
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक सवत्)  
में हुआ था। कमलाकर एव स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख  
है। सन् १६७५ ई० के उपरान्त।

स्मृत्यर्थसार—गीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कंट०  
(स० ६७३३)।

स्मृत्यर्थसार—गुकुन्दलाल द्वारा।

स्मृत्यर्थसार—श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१।

स्मृत्यर्थसारसमुच्चय—बडोदा (४०८८), शीव, आचमन,  
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के  
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है सवत्  
१७४३। २८ ऋषि ये हैं—मनु, मातावल्लभ, विरवा-  
मिन, अत्रि, वात्यायन, यक्षिष्ठ, व्यास, उशाना,  
बोधायन, दक्ष ऋषि, लिखित, आपस्तम्ब, आश्रय,  
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वामभुव, गुरु,  
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, दातातप, अगिरा,  
पयवर्त।

स्मृत्यालोच—बिहार एव उड़ीसा कंट० (भाग १, स०  
४४९)।

स्वयंरहस्य—(या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा।

स्वत्वबाह—ड्राएनिएल कंट०, मद्रास गवर्नमेंट पाण्डु०  
(१९१९-२३, पृ० ४७८२)।

स्वत्वविचार—नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२६)।

स्वत्वध्ययस्पर्धार्थसौतेलुवाक्य—रघुनाथ सावभौम द्वारा।  
विभागतिरुपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनधिकारी, अपुत्रधना-  
धिकार पर ६ परिच्छेद।

स्वर्गवाद—स्वर्गवाद, प्रतिष्ठावाद, मणिष्ठीकरणवाद  
पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२९)।

स्वर्गसाधन—रघुनन्दनगुहाचार्य द्वारा। प्रसिद्ध रघुनाथ  
से भिन्न स्वत्व। श्राद्धाधिकारी, अत्येष्टिपद्धति,  
आर्वाचनिर्णय, वृषोत्सर्ग, घोढसाध्याद, पार्वणसाध्याद  
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)।

स्वोक्तवाचनेपद्धति—जीवराम द्वारा।

हनुमत्प्रतिष्ठा।

हृष्यार्थपञ्चरात्र—भूति-स्थापन एव मन्दिर निर्माण-  
मन्वर्धी एव वैष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एवं  
हलायुध व पुराणसवस्व म वर्णित।

हरितालिकाप्रतिनिर्णय।

हरितामण—वेदान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा।

हरिदिनतिलक—वेदातदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास  
गवर्नमण्ट पाण्डु० भाग ६, पृ० २३९८, ४० ३१०३),  
इसका अनुसार लक्ष्म वेदातदेशिक का काल  
स्मृतिव०, हेमाद्रि, बालादस एव कालनिर्णय व  
पदचात् था, टीका का उचन है कि इन ग्रन्थों के  
सिद्धांत असात्म्य एव आसुर हैं।

होरपूजापद्धति—आनन्दतीर्थ भागवत द्वारा। स्थान (पृ०  
१०९)।

हरिभास्त—रघु० द्वारा आोल्लङ्घनत्व एव एवादसीतत्व  
के कथित।

हरिभास्तकल्पलता—विष्णुपुरा द्वारा। कृष्णभक्तिकल्प-  
वल्ली में व०।

हरिभास्तकल्पलता—वृष्णसरस्वती द्वारा। १४  
स्तवकी में विभक्त।

हरिभास्तदोषिका—नागेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ०  
१८९-१९०)।

हरिभास्तभास्कर—(सद्व्यवहारसवस्व) भीमानन्द के  
पुत्र मुवनेस्वर द्वारा, १२ प्रकाशा में, सवत् १८८४ में  
प्रणीत।

हरिभास्तरसापन।

हरिभास्तरसापनसिन्धु।

हरिभास्तरहृत्व।

हरिभास्तलता।

हरिभास्तविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट  
द्वारा। चंतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था।  
दे० भगवद्भक्तिविलास। १५९२ ई० के लगभग  
लिखित। रघु० द्वारा व०।

हरिभास्तविलास—(लघु) रूपगोस्वामी द्वारा। टीका

सततन गोस्वामी द्वारा, वैष्णवश्रीपिपी में व०।  
दे० नो० (६, पृ० १९०-१३) जहाँ उगवे कुल का  
वचन है।

हरिभक्तितार।

हरिभक्तिसुषोदय—इसकी टीका का उल्लेख उदाचारा-  
चन्द्रिका में है।

हरिभक्तविलास—नन्दपण्डित द्वारा। आङ्गिक, काल-  
निर्णय, दान सत्कार पर शोधनों में विभक्त। दे०  
प्रक० १०५।

हरिभास्तरनिर्णय—व्यङ्केश द्वारा (बबोद, १, ८७९३)।

हरिहरदोषिकीय।

हरिहरपद्धति—हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले  
उगने भाष्य म यहीं सलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धमीमांसा  
(टोडरानन्द इत) एक रघु० में उद्धृत है तथा अथ  
तत्त्वा में व०। दे० प्रक० ८४।

हरिहरभाष्य—पारस्करगृह्य० पर हरिहर द्वारा।

हलायुधनिर्णय—श्रीदत्त के आचारादस में व०।

हलायुधीय—आचार्यमयूख में व०। सम्भवत यह हला-  
युध का प्राह्मणसर्वेक्ष ही है।

हरिलता—अनिदद द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका  
सन्दर्भभूमिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास  
तर्काचार्य के पुत्र थे। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलता  
में नन्दपण्डित द्वारा व०।

हारीतस्मृति—दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि  
द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तर्कनलाल द्वारा।

हारीतस्मृति—(बबोद, ८१८५) वर्णा एव आश्रमां के  
नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आ नारीषर्मा, नृपधर्म,  
जीवन्यपेशवरस्वरूप, मौससापन, कर्ष्यपुण्ड्र पर चार  
अध्याय। व्यवहाराध्याय भी है।

हिरण्यकामयेनुदान।

हिरण्यकेनाङ्गिक।

हिरण्यवेणी (सत्यापाड) गुरुसूत्र—दो प्रस्ती में,  
चार पदला में विभक्त (डा० किल्टे द्वारा विप्लवा में  
सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेट बुक आफ दि ईस्ट, भाग  
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवैज्यन्ती, महादेव

- द्वारा। टीका मातृदत्त द्वारा (किस्टे के संस्करण में उद्धरण)।
- हिरण्यकेशिपुर्नियुज—दे० प्र० ८। टीका उज्ज्वला, महादेव द्वारा। दे० प्र० ८।
- हिरण्यभाट्ट।
- हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप—(या-सग्रह) लक्ष्मीधर के पुत्र मट्टोजिदीक्षित द्वारा। दे० बड़ोदा (संस्था ५४८०)।
- हेमाद्रिनिबन्ध—यह चतुर्वर्गचिन्तामणि ही है।
- हेमाद्रिप्रयोग—विद्याधर द्वारा।
- हेमाद्रिसंक्षेप—भजीमट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)।
- हेमाद्रिसाहस्रप्रामादिषत्त—बालसूरि द्वारा।
- होमनिर्णय—शंकर के पुत्र नीलकण्ठाम्ब भानुमट्ट द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०।
- होमकासातिरुमप्रामादिषत्त।
- होमपद्धति—माधव द्वारा। लेखक के मूलतिलक का एक अक्षर। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, ३७५)।
- होमपद्धति—लम्बोदर द्वारा।
- होमप्रामादिषत्त।
- होमसंक्षेपप्रामादिषत्तप्रयोग।
- होमविधान—बाछट्टण्य द्वारा (ऋग्वेदीय)। बड़ोदा (८३५४)।
- होमसिद्धान्त—अज्ञात।
- होरिलस्मृति—विष्वम्बर के स्मृतिसारोद्धार में वर्णित।